

प्रथम

श्री आचाराङ्ग सप्त
द्वितीय भूतस्कन्ध

व्याख्याकार

स्व आचार्य प्रवर
श्री आत्मारामजी म

म्पादक

मुनि श्री समदर्शी प्रभाकर

प्रकाशक

आचार्य श्री आत्मारामजी
जैनागम प्रकाशन समिति
जैन स्थानक, हृषियाना

प्रथम प्रवेश

सितम्बर १७, १९६४
वीर छ २४९०

मूल्य

पन्द्रह रुपए
प्रति ११००

पूणचन्द्र शर्मा प्रभाकर ने गौतम एतन्धी, मोचपुरा बाजार स कम्पोन नरवे सरदार सरूपसिंह मिटर श्री
मेश प्रिंटिंग प्रस हृषियाना के प्रबन्ध में छपवाद् ।

श्री आचाराङ्ग सूत्र

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की

विषय-सूचि

क्या	कहाँ है	५ पञ्चम अध्ययन	११७७-१२१९
१ प्रथम अध्ययन	७३९-९७६	१ प्रथम उद्देशक	११७७
पिण्डैषणा		२ द्वितीय उद्देशक	१२०८
१ प्रथम उद्देशक	७३९	६ षष्ठ अध्ययन	१२२०-१२४०
२ द्वितीय उद्देशक	७६७	पात्रैषणा	
३ तृतीय उद्देशक	७८४	१ प्रथम उद्देशक	१२२०
४ चतुर्थ उद्देशक	८०४	२ द्वितीय उद्देशक	१२३४
५ पञ्चम उद्देशक	८१८	७ सप्तम अध्ययन	१२४१-१२७३
६ षष्ठ उद्देशक	८४०	अवग्रह प्रतिमा	
७ सप्तम उद्देशक	८५६	१ प्रथम उद्देशक	१२४१
८ अष्टम उद्देशक	८७४	२ द्वितीय उद्देशक	१२५६
९ नवम उद्देशक	८९२	८ अष्टम अध्ययन	१२७४-१२८०
१० दशम उद्देशक	९१०	उपाश्रय में कायोत्सर्ग कैसे करना	१२७४
११ एकादशम उद्देशक	९३९	९ नवम अध्ययन	१२८१-१२८५
२ द्वितीय अध्ययन	९५७-१०५६	स्वाध्याय भूमि	१२८१
शय्यैषणा		१० दशम अध्ययन	१२८६-१३०५
१ प्रथम उद्देशक	९५७	उच्चार प्रश्रयण	१२८६
२ द्वितीय उद्देशक	९८४	११ एकदश अध्ययन	१३०६-१३१९
३ तृतीय उद्देशक	१०१४	समभाव साधना	१३०६
३ तृतीय अध्ययन	१०५७-११३५	१२ द्वादश अध्ययन	१३२०-१३२२
इयैषणा		चक्षु इन्द्रिय	१३२०
१ प्रथम उद्देशक	१०५७	१३ त्रयोदश अध्ययन	१३२३-१३३९
२ द्वितीय उद्देशक	१०८९	परक्रिया	१३२३
३ तृतीय उद्देशक	१११३	१४ चतुर्दश अध्ययन	१३४०-१३४२
४ चतुर्थ अध्ययन	११३६-११७६	पारस्परिक क्रिया	१३४०
भाषैषणा		१५ पञ्चदश अध्ययन	१३४३-१४६५
१ प्रथम उद्देशक	११३६	भगवान माहवीर की साधना	१३४३
		१६ सोलाहवाँ अध्ययन	१४६६-१४८३
			१४६६

— अमृत कण —

जे णम जाणइ,
 स सज्ज जाणइ।
 पुरिसा तुममेव तुम मित्त,
 किं बहिया मित्तमिच्छसि ।
 जे आया से जिनाया,
 जे जिनाया से आया ।
 जेण विजाणइ से आया
 से सुय च अज्ञात्य च मे,
 पच पमोभत्तो अज्झात्ये ।
 सज्जओ पमत्तस्स भय ।
 सज्जओ अप्पमत्तस्स नाथि मय ।
 कामेसु विद्धा निचय करेति ।
 सासिच्चमाणा पुणरेति गम ।
 सवार्मि धिद कुविद्धा ।
 एत्थोत्तरणं मेहावी,
 सज्ज पाय झोसइ ।
 जे अणणारामे,
 से अणणदर्सि ।

जो एक आत्मा को जानता है,
 वह सब कुछ जानता है ।
 हे साधक तू स्वय ही अपना मित्र है,
 तू दुनिया में बाहरी मित्र क्यों ढूँढता है ।
 जो आत्मा है वही विज्ञाता है
 जो विज्ञाता है वही आत्मा है,
 क्यों कि ज्ञान के कारण ही आत्मा शब्द का प्रयोग होता है ।
 मैंने मुता और अतुमव किया है,
 बाब और मोक्ष तुम्हारी आत्मा पर ही निर्भर है ।
 जो प्रमादी है उसे सर्वत्र भय है,
 अभय के लिए कहीं भी भय नहीं है ।
 मोर्गा में आसक्त प्राणी कर्म सचय करता है,
 और कर्मों से मारी होकर ससार में परिभ्रमण करता है ।
 सत्य में सदा दृढ़ रहो,
 सत्य में अतुरक्त सेवावी पुरुष
 सब पापों का नाश कर देता है ।
 जो मोक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र
 कहीं भी रुचि नहीं रखता,
 वह अचल श्रद्धा-निष्ठ माना गया है ।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है ?

आगम साहित्य में आचाराङ्ग सूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि, आचार जीवन का, साधना का मूलाधार है। इसी के सहारे मानव मुक्ति पथ को तय करता है। यही कारण है कि अतीत में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सब ने सर्व प्रथम आचार का उपदेश दिया और अनागत में जितने भी तीर्थंकर होंगे वे सब सर्व प्रथम आचार का उपदेश देगे तथा वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर विद्यमान है, वे भी अपने शासनकाल में सर्व प्रथम आचार का उपदेश देते हैं। इससे इसकी महत्ता स्वतः सिद्ध होती है और इसकी प्राचीनता भी स्पष्टतः परिलक्षित होती है।

प्रस्तुत सूत्र साध्याचार का पथ प्रदर्शक है। वस्तुतः पंचाचार की नींव पर आचाराङ्ग सूत्र का भव्य भवन स्थित है। श्रमण साधना से सम्बद्ध कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिसका वर्णन आचाराङ्ग सूत्र में नहीं आया हो। इसी विशेषता के कारण इसे आचाराङ्ग भगवान कहा गया है। यह आगम दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त हैं।

प्रथम श्रुतस्कन्ध का विषय गूढ़ एवं गम्भीर है। वर्णन शैली प्राचीन होते हुए भी सुन्दर एवं अनुपम है। भाषा प्राञ्जल एवं प्रवाहमय होते हुए भी विषय के अनुरूप क्लिष्ट भी है। परन्तु, क्लिष्टता के साथ लालित्य भी है और छोटे-छोटे सूत्रों में इतना विशाल अर्थ भर दिया है कि मानों गागर में सागर ठाठें मार रहा हो।

भाषा एवं भावों की दृष्टि से प्रथम श्रुतस्कन्ध जितना गम्भीर एवं कठिन है, द्वितीय श्रुतस्कन्ध उतना ही सुगम, सरल एवं सुबोध है। सीधी-सादी भाषा भावों को स्वतः स्पष्ट करती जाती है। उसे समझने के लिए साधक को अधिक गहराई में नहीं उतरना पड़ता है। थोड़े से प्रयत्न से ही उसे आचार का नवनीत प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः सुगम पथ पर प्रत्येक पथिक सुगमता से चल सकता है। दुर्गम पथ को पार करने वाले विरले ही महापुरुष होते हैं। आचाराङ्ग सूत्र की भी यही स्थिति है। पहला श्रुतस्कन्ध भाव, भाषा एवं विषय की दृष्टि से गहन, गम्भीर एवं कठिन है, तो द्वितीय श्रुतस्कन्ध सरल एवं सुगम है। जिसे हृदयंगम करने के लिए मस्तिष्क को अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है।

समवायाङ्ग सूत्र में बताया है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध के नव अध्यायन हैं और ये नव अध्यायन ५१ उद्देशकों में विभक्त हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में १६ अध्यायन हैं और

उनके ३४ उद्देशक हैं। पूरे आचाराङ्ग सूत्र के २५ अध्ययन हैं और ये सब ८२ उद्देशकों से समुक्त हैं। इसमें अठारह सहस्र पद हैं।

ऐसा ही पाठ श्री नन्दी सूत्र में भी मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री आचाराङ्ग भगवान का भव्य भजन ८५ स्तम्भों पर खड़ा है। आगम में स्पष्ट शंशे में कहा है— “नव ब्रह्मण्यो के ५१ उद्देशक हैं।” प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययनों का नाम ब्रह्मचय है। आगे कहा गया है कि “आचाराङ्ग भगवान के चूलिका के माथ पन्चीस अध्ययन कहे गए हैं जैसे शास्त्र-परिहा इत्यादि।” प्रस्तुत पाठों से उपरोक्त बात परिपुष्ट होती है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध की तरह द्वितीय श्रुतस्कन्ध भी प्रामाणिक एवं गणधर कृत है। इन पाठों से समूर्ण आचाराङ्ग सूत्र की विशिष्टता, प्रामाणिकता एवं गणधर कृतत्व क्लृप्त उठता है।

आचाराङ्ग सूत्र के कर्ता—

जैन विचारकों की यह मान्यता है कि द्वादशांगी—अग शास्त्र के प्रणेता तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर भगवान अपने शासनकाल में द्वादशांगी का अर्थ रूप से उपदेश देते हैं। उस अर्थ रूप वाणी को गणधर सूत्र में प्रथित करते हैं। अत अर्थ रूप से द्वादशांगी के उपदेश या प्रणेता तीर्थंकर होते हैं और गणधर उसे सूत्र रूप में प्रथित करते हैं। गणधर कृत सूत्रों का मूलाधार तीर्थंकरों की अर्थ रूप वाणी होने से हम उसे तीर्थंकर या सर्वज्ञ कृत ही कहते हैं। इस दृष्टि से द्वादशांगी सर्वज्ञ प्रणीत कहलाती है। आचाराङ्ग सूत्र का द्वादशांगी में प्रथम स्थान है, अत आचाराङ्ग सूत्र सर्वज्ञ प्रणीत माना जाता है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचयिता—गणधर है या स्थविर ?

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि आचाराङ्ग का प्रथम श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सम्बन्ध में कुछ विचार भेद है। क० विचारक एवं तत्त्ववेत्ता

ॐ से ण अगट्ठयाए पम्म अगे दो सुमल्लं पणवीस्स भम्मयणा, पचासीइ उद्दसण काला, पच्चासी समुद्देमण काला, अट्ठारस्स पद सहस्साइ पदमेण ।

आगरस्स भगवतो स चूनिआगस्स अट्ठारस्स पय सहस्साइ पत्ताइ ।

—समवायाङ्ग, द्वादशाङ्गी अधिकार ।

† नवण्ड वभचेराण एकाव न उद्देमण काला ५० ।

—समवायाङ्ग सूत्र, ११ ।

‡ आयरस्स ण भगवधो सचूनिआयरस्स पणवील सरम्मयणा पत्ता तज्जा—

द्वितीय श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत नहीं, प्रत्युत स्थविर कृत मानते हैं। चूर्णिकार का अभिमत है कि आचाराङ्ग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध स्थविरों द्वारा रचा हुआ है। जर्मन विद्वान श्री हरमन जेक्रेवी भी चूर्णिकार के मत से सहमत हैं। कई जैन विचारक एवं विद्वान भी इसे स्थविर कृत मानते हैं। उनका कथन है कि विषय की समानता होने के कारण इसे स्थविरों ने वाद में चूलिका के रूप में आचाराङ्ग के साथ सम्बद्ध किया है। परन्तु, मेरी अपनी मान्यता यह है कि प्रस्तुत आगम का द्वितीय श्रुतस्कन्ध स्थविर कृत नहीं, गणधर कृत है। आगम में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

हम समवायाङ्ग सूत्र का पाठ देख चुके हैं, उसमें स्पष्टतया बताया गया है कि प्रथम अंग (आचाराङ्ग) के दो श्रुतस्कन्ध, २५ अध्ययन, ८५ उद्देशक और १८ सहस्र पद हैं। समवायाङ्ग सूत्र अंग सूत्रों में समाविष्ट है। अतः वह गणधर कृत है। उसमें आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध को प्रथम श्रुतस्कन्ध से सम्बद्ध करके वर्णन किया गया है। यदि द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत नहीं होता तो गणधर कृत समवायाङ्ग सूत्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता। प्रस्तुत पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध भी प्रथम श्रुतस्कन्ध की तरह गणधर कृत है।

केवल समवायाङ्ग सूत्र में ही नहीं, अन्य आगम साहित्य में भी इस की प्राचीनता, प्रामाणिकता एवं महत्त्वपूर्णता का उल्लेख मिलता है। इसके साथ अन्य आगमों में इसके गणधर कृत होने के प्रमाण भी मिलते हैं।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में बताया गया है कि भगवान ऋषभदेव ने श्रमण साधना के लिए पञ्चीस भावनाओं के साथ पाच महाव्रतों का उपदेश दिया। इसमें 'भावना-गमेण' शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। आचाराङ्ग सूत्र के २४ वें अध्ययन का नाम 'भावना अध्ययन' है, इसमें ५ महाव्रत की २५ भावनाओं का विस्तृत विवेचन मिलता है। प्रस्तुत पाठ इस ओर संकेत कर रहा है। समवायाङ्ग सूत्र में २५ अध्ययनों का

॥थेरेहि अणुगहट्ठा सीसहिअं होउ पागडत्थ च आयाराओ अत्थो आयाराङ्गेसु पविभत्तो ।

“स्थविरैः श्रुतवृद्धैश्चतुर्दश पूर्वञ्चिद्धिनिर्यूढानीति, किमर्थ ? शिष्य हितं भवत्विति कृत्वाऽनुग्रहार्थं तथाऽप्रकटोऽर्थः । प्रकटो यथा स्यादित्येवमर्थञ्च, कुतो नियूढानि आचारात् सकाशात् समस्तोऽप्यर्थं आचाराग्नेषु विस्तरेण प्रविभक्त इतिः ।

† तएण से भगवं समणाण णिग्गंधाणं वा णिग्गथीण पच महव्वयाइ सभावणागाइ छच्चजीवणिकाए धम्म देसमाणे विहरइ तजहा-पुढवी काइए भावनागमेण पच महव्वयाइ सभावणागाइ भणियत्वाइ ।

—जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति वक्ष०, ऋषभ अधिकार ।

नाम निर्वप किया है। इससे स्पष्टत सिद्ध होता है कि द्वितीय श्रुतस्कंध पहले श्रुतस्कंध से सम्बद्ध है। अतः यह भी प्रथम श्रुतस्कंध की तरह गणधर कृत है। स्थानाङ्ग सूत्र में भी हमें ऐसा ही पाठ मिलता है जिसमें भावना अध्ययन का उदाहरण दिया गया है†,। इससे अतिरिक्त प्रश्नव्याकरण सूत्र में यह प्रश्न उठाया गया है कि साधु को कैसा और किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए? इसके उत्तर में कहा गया है 'पिण्डपात' अध्ययन के ग्यारह उद्देश्यों में आहार पानी ग्रहण करने की जो विधि बताई गई है, उस तरह से ग्रहण करना चाहिए‡। पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि 'पिण्डपात' आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंध का प्रथम अध्ययन है। अतः प्रस्तुत पाठ भी द्वितीय श्रुतस्कंध की महत्ता को प्रकट कर रहा है। ये सब पाठ इस बात की स्पष्टत सिद्ध कर रहे हैं कि द्वितीय श्रुतस्कंध की रचना उन्नी समय हुई थी, जब प्रथम श्रुतस्कंध की हुई है। अतः उभय श्रुतस्कंध गणधर कृत हैं।

भाषा एव शैली का अन्तर—

यह हम ऊपर देख चुके हैं कि कुछ विचारक द्वितीय श्रुतस्कंध को गणधर कृत नहीं मानते हैं। चूर्णिकार भी इसे स्थविर कृत मानते हैं और डा० हमन जेकोनी एव अन्य प्राच्य एव पारचात्य विद्वान भी चूर्णिकार के विचारों से सहमत हैं। उनका कथन है कि प्रथम श्रुतस्कंध के ६ अध्ययन ही गणधर कृत हैं। शेष द्वितीय श्रुतस्कंध के १६ अध्ययन पीछे से जोड़े गए हैं। अतः इनका रचयिता गणधर नहीं, कोई स्थविर ही होना चाहिए।

अपने पक्ष के समर्थन में उनका कथन है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रुतस्कंध की भाषा, भाव और शैली में एकरूपता नहीं है। प्रथम श्रुतस्कंध के भाव गहन-गभीर हैं और भावों के अनुरूप उसकी भाषा एव शैली भी क्लिष्ट एव गम्भीर है। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कंध के भागों में वह दार्शनिकता एव गम्भीरता नहीं है, जो प्रथम

† आयास्त्व ण भवन्नो सचूलिभायरस्म पणवीस अज्जभयणा प० तज्जहा—सत्य परिष्णा, लोण विज्जमो सीमोसणोद, सम्मत्तं भावति, धूम, विमोह, उवहाण, सूय, महपरिष्णा, पिट्ठेसणा, मिज्जिरिष्णा भासज्जभयणा, य वत्थ, पाएसा, उग्गह पडिमा, सतिव्वसत्तया, 'भावणा,' विमुत्ति। —समवायाङ्ग सूत्र, २५।

‡ प्रथम, भक्तिचणे भक्तिचरणे, निरुवत्तवे, कसमाईव, मुक्कतोए जहा भावणाए।

—स्थानाङ्ग सूत्र, स्थान ६।

†† अह वेरिमय पुणाइ क्व्यति, ज तं एकारस्स पिठ्ठवाय सुद्ध।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र, मवरदार ५।

श्रुतस्कन्ध के भावों में है। इसी कारण उसकी भाषा एवं शैली में गाम्भीर्य परिलक्षित नहीं होता है। यदि दोनों श्रुतस्कन्ध एक ही व्यक्ति के निर्मित होते तो दोनों के भाव, भाषा एवं शैली में इतना अन्तर नहीं आता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध चूलिका के रूप में पीछे से जोड़ा गया है।

हम विचारकों की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि दोनों श्रुतस्कन्धों की भाषा एवं शैली में भिन्नता है। परन्तु, इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि दूसरा श्रुतस्कन्ध गणधर कृत नहीं, स्थविर कृत है। क्योंकि, केवल भाषा एवं शैली भिन्नता का प्रतीक नहीं मानी जा सकती। हम देखते हैं कि भावों के अनुसार भाषा भी बदलती रहती है। वी० ए० और एम० ए० के स्तर की पुस्तकें एवं पी० एच० डी० के स्तर का महानिवन्ध लिखने वाला प्रोफेसर जब प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के छात्रों के लिए पुस्तकें लिखता है, तो उन दोनों पुस्तकों की भाषा एवं शैली में रात-दिन का अंतर होता है। जो एम० ए० एवं पी० एच० डी० के स्तर के महानिवन्ध के भावों में गंभीरता एवं प्रौढ़ता है, वह प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के स्तर की पुस्तकों में नहीं आ सकती है। अतः भावों के अनुरूप भाषा एवं शैली में वह गंभीरता नहीं रह सकती। वाल साहित्य लिखते समय प्रोफेसर को बच्चों की भाषा एवं शैली का ख्याल रखना होगा। परन्तु, इस वाल साहित्य की सीधी-सादी शैली एवं हल्की भाषा के कारण हम यह नहीं कह सकते कि महानिवन्ध एवं एम० ए० के साहित्य का लेखक एवं वाल साहित्य का लेखक एक नहीं, दो भिन्न व्यक्ति हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक ही व्यक्ति क्लिष्ट एवं सरल भाषा में लिख सकता है। भाषा भावों के अनुरूप बदलती रहती है।

आचागङ्ग का प्रथम श्रुतस्कन्ध तात्त्विक है। उसमें पांच आचार—१-ज्ञानाचार २-दर्शनाचार, ३-चारित्राचार, ४-तपाचार और ५-वीर्याचार का तात्त्विक विवेचन किया गया है। अतः उस में सूत्र शैली का प्रयोग किया गया है। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया है। एक प्रकार से गागर में सागर भर दिया है। अतः भावों की गंभीरता के अनुरूप ही भाषा एवं शैली में क्लिष्टता एवं गाम्भीर्य का आना स्वाभाविक था। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रायः साध्व्याचार का ही वर्णन है और वह सर्व साधारण के लिए है। उसके भावों में दार्शनिकता एवं गंभीरता कम है। उसके भावों को प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझ सकता है। अतः भावों के अनुरूप उसकी भाषा एवं शैली भी सरल एवं सीधी-सादी है। अतः दोनों श्रुतस्कन्धों की भाषा एवं शैली का अन्तर दो विभिन्न कर्ताओं के कारण नहीं, अपितु भावों की विभिन्नता के कारण है। अतः उभय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत ही हैं।

उभय श्रुतस्कन्ध एक-दूसरे के पूरक हैं—

आचाराङ्ग सूत्र का अनुरीलन-परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गेना श्रुतस्कन्ध एक दूसरे के परिपूरक हैं। हम यह देख चुके हैं कि प्रथम श्रुतस्कन्ध में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, धारिणाचार, तपाचार और धीर्माचार इन ५ आधारों का वर्णन किया है और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रायः साध्याचार का निरस्त निबन्धन मिलता है। यदि पंचाचार साधना को लक्ष्यगतो हुई लेनी है, तो साध्याचार उस की याद है, जो इसकी हर तरफ से सुरक्षा करती है। साध्याचार के अभाव में पंचाचार की उत्पत्ति साधना नहीं हो सकती। अतः उभय श्रुतस्कन्ध अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इन्हें एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। देखिये, आचाराङ्ग सूत्र में द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्यायन के प्रथम उद्देशक को प्रारम्भ करते समय उक्तिकार लिखते हैं कि “ प्रथम श्रुतस्कन्ध पूरा हुआ अतः द्वितीय श्रुतस्कन्ध प्रारम्भ करते हैं, उसका परम्पर यह स्कन्ध है ॥ ” इससे यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध आचाराङ्ग का उपयोगी अंग है और इसे प्रथम श्रुतस्कन्ध से किसी भी तरह अलग नही किया जा सकता है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध का कर्ता कौन स्थविर है ?

हम विस्तार से बता चुके हैं कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध गणधर कृत है। यदि कुछ लोगों के विचारानुसार यह स्थविर कृत है, तो यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहेगा कि इसका कर्ता कौन स्थविर है ? अतः इसे स्थविर कृत मानने वाले उरिष्ठ विद्वानों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस स्थविर का नाम क्या था ? उमने किस शताब्दी में इसकी रचना की ? बिना प्रमाण के कोई भी बात मान्य नहीं की जा सकती। क्योंकि, कई आगमों का सकलन गणधरों से भिन्न स्थविरों ने किया है, वही उनके नामों का उल्लेख मिलता है।

जैसे दशवैकालिक सूत्र गणधर कृत नहीं है। इसमें भी पाय साध्याचार का वर्णन है। वस्तुतः देखा जाए तो यह आचाराङ्ग का एक छोटा-सा रूप है, सक्षिप्त संस्करण है। इसके सकलन कर्ता श्री समन्वाय थे। भगवान् महावीर के निर्वाण पधारने के ५० वर्ष बाद वे आचार्य पद पर आसीन हुए। उन्होंने अपने नवदीक्षित पुत्र को साध्याचार का ज्ञान कराने के लिए इस आगम का सकलन किया था। यह आगम

ॐउक्तो नवब्रह्मचर्याध्ययनात्मक आचार श्रुतस्कन्ध सम्पन्न समाप्त द्वितीयोपश्रुत स्कन्ध समाप्तम्, अस्य चायमभि सम्बन्ध ।

—आचाराङ्ग वति द्वितीय श्रुतस्कन्ध ।

अलौकिक एवं विलक्षण होते हुए भी भाषा की दृष्टि से सरल एवं सुगम है और हम देखेंगे कि इसका निर्माण करते समय विशेष रूप से आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का ही सहारा लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध ही दशवैकालिक की नींव है।

आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन का नाम 'पिडैवणा' अध्ययन है। इस अध्ययन को सम्मुख रखकर ही दशवैकालिक के पांचवें अध्ययन का निर्माण किया गया है, उसका नाम भी 'पिण्डैवणा' है। दोनों का विषय भी एक है और दोनों के नाम भी एक ही हैं। दशवैकालिक का चौथा 'छज्जोवणोकाय' अध्ययन आचाराङ्ग के 'भावना' अध्ययन के आधार से रचा गया है, जो द्वितीय श्रुतस्कन्ध का १५वा अध्ययन है। दशवैकालिक के 'सुवक्क सुद्धी, नामक सातवां अध्ययन द्वितीय श्रुतस्कन्ध के भाषा अध्ययन का पद्य में अनुवाद है। इन प्रमाणों से यह भी स्पष्ट होता है कि दशवैकालिक आचाराङ्ग का सुन्दर पद्यानुवाद है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आचाराङ्ग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध सम्भवाचार्य से पहले विद्यमान था। इससे यह भी ध्वनित होता है कि यह गणधर कृत है। क्योंकि, यदि यह साधारण स्थविर कृत होना है, तो सम्भवाचार्य इसके आधार पर दशवैकालिक सूत्र की रचना नहीं करते और जैसे दशवैकालिक सूत्र के साथ सम्भवाचार्य का नाम जुड़ा हुआ है, वैसे द्वितीय श्रुतस्कन्ध के कर्ता का नाम भी उसके साथ सम्बद्ध होता। परन्तु, द्वितीय श्रुतस्कन्ध के कर्ता के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है और आज तक न किसी विद्वान ने इसका उल्लेख किया है। अतः इस से यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध दशवैकालिक से अधिक प्राचीन एवं गणधर कृत है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रामाणिकता का एक और प्रमाण

यह हम देख चुके हैं कि दशवैकालिक सूत्र का निर्माण द्वितीय श्रुतस्कन्ध के आधार पर हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य आगमों में अनेक स्थानों पर आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की झलक मिलती है। हम यों भी कह सकते हैं कि आचाराङ्ग सूत्र चत्तीस आगमों में समाहित-सा हो गया है। स्थानाङ्ग सूत्र में यह वर्णन आता है कि 'चार शय्या प्रतिमा, चार वस्त्र प्रतिमा, चार पात्र प्रतिमा और चार स्थान प्रतिमा कही गई हैं।' वस्तुतः ये चारों प्रतिमाएं साध्वाचार की चार कड़िए हैं। आचाराङ्ग सूत्र के

† चत्तारि सेज्जा पडिमाओ पं०,
चत्तारि पाय पडिमाओ पं०,

चत्तारि वत्थ पडिमाओ पं०,
चत्तारि ठाण मडिमाओ पं०।

द्वितीय श्रुतस्मन्ध मे इनसे सम्बद्ध चार अध्यायन है। वस्तुतः यह पाठ उर्दी के आधार पर लिखा गया है। स्थानाङ्ग सूत्र मे एक पाठ और आता है, उसमें आहार पानो आदि की सात एषणाओं का वर्णन किया गया है। यह पाठ भी द्वितीय श्रुतस्मन्ध के आधार पर ही लिखा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत श्रुतस्मन्ध भी गणधर कृत है। यदि वह गणधर कृत नहीं होता तो स्थानाङ्ग जैसे प्राञ्जल एवं गणधर कृत आगम मे इतनी स्पष्टता से उसकी महत्ता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। इससे अतिरिक्त समवायाङ्ग जम्बूद्वीप प्रक्षिति, प्रश्नव्याकरण आदि सूत्रों के पाठ हम पहले ही बता चुके हैं। इससे यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि आचाराङ्ग के द्वितीय श्रुतस्मन्ध के भावों का आगमों मे जाल सा निद्रा हुआ है। यह एक सोचने-समझने की बात है कि एक साधारण स्थविर कृत आगम को इतना सम्मान कैसे प्राप्त हो सकता है और उसका उल्लेख गणधर कृत आगमो मे कैसे था सकता है? इससे यह सूर्य के उचाने की तरह साफ हो जाता है कि द्वितीय श्रुतस्मन्ध गणधर कृत है।

स्थविर शब्द की व्याख्या—गणधर को भी स्थविर कहते है

स्थविर शब्द केवल अनुभवो एव वृद्ध के लिए प्रयोग में नहीं आता है, प्रत्युत उसमें अनेक अर्थ एव भाव सन्निहित रहते हैं। जैनागमों में स्थविर शब्द प्रमुख नायक के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। स्थानाङ्ग सूत्र मे ग्राम स्थविर, नगर स्थविर, राष्ट्र स्थविर, पार्श्वस्थ स्थविर, कुल स्थविर, गण स्थविर, सध स्थविर, वय स्थविर श्रुत स्थविर और दीक्षा स्थविर, इन दस स्थविरों का वर्णन किया गया गया है। प्रस्तुत प्रकरण मे स्थविर प्रमुख नेता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अपने अपने विभाग का स्थविर—प्रमुख व्यक्ति हर दृष्टि से योग्य एव अनुभवी होता है और वह स्व विभाग से सम्बद्ध सम्पूर्ण दायित्व अपने सफल कर्षों पर उठा लेता है। इससे अतिरिक्त तीन प्रकार के स्थविर और भी बताए गए हैं—१-वय स्थविर २-श्रुत स्थविर और ३ दीक्षा स्थविर। ६० वर्ष की आयु मे कदम रखते ही साधु को वय स्थविर के पद से विभूजित कर दिया

सत्त पिण्डेत्तणामो प

सत्त पाणसणामो प०,

सत्त उगहपट्टिमाओ प०

सत्त सत्तिवक्या प० ।

—स्थानाङ्ग सूत्र, स्थान ७ ।

†दस घेरा पण्णता तजहा—ग्राम घेरा, नगर घेरा, रट्ट घेरा, पणत्व घेरा, कुल घेरा, गण घेरा, सध घेरा, जाई घेरा मूय घेरा, परिवाय घेरा । —स्थानाङ्ग—सूत्र, स्थान १० ।

श्री

आचाराङ्ग ९

द्वितीय श्रुतस्कन्ध

श्री आचाराङ्ग सूत्र

द्वितीय श्रुतस्कन्ध

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

प्रथम उद्देशक

इस बात को हम आचाराङ्ग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध को प्रारम्भ करते समय बताने चुके हैं कि आचाराङ्ग सूत्र में आचार का वर्णन किया गया है। आचार पांच प्रकार का है—१-ज्ञानाचार, २-दर्शनाचार, ३-चारित्राचार, ४-तपाचार और ५-वीर्याचार। प्रथम श्रुतस्कन्ध में पाँचों आचारों का सूत्र शैली में वर्णन किया गया है। इसलिए उनके वर्णन में संक्षिप्तता एवं गम्भीरता आ गई है। और प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध में प्रमुख रूप से चारित्राचार का उपदेश शैली में वर्णन किया गया है। साधना के लिए चारित्राचार आवश्यक है। अतः प्रथम श्रुतस्कन्ध में किए गए चारित्राचार विषयक संक्षिप्त वर्णन का प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध में विस्तार किया गया है।

चारित्र साधना का प्रधान अंग है। ज्ञान, दर्शन, तप एवं वीर्य को चारित्र से गति मिलती है, ज्ञान आदि साधना में तेजस्विता आती है। वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान साधना का मूल्य उसे चारित्र का साकार रूप देने में है। ज्ञान जब तक आचरण में नहीं लाया जाएगा तब तक उसका यथार्थ एवं अभिलषित फल मोक्ष नहीं मिल सकता जब ज्ञान और चारित्र की समन्वित साधना होगी तभी आत्मा सर्व कर्म बन्धन से मुक्त हो सकेगा। इसलिए चारित्र की सम्यक् साधना आराधना करने के लिए दूसरे श्रुतस्कन्ध का अध्ययन करना जरूरी है।

जीवन की पहली आवश्यकता आहार है—भले ही गृहस्थ हो या साधु, आहार के बिना लौकिक एवं लोकोत्तर कोई भी साधना नहीं हो सकती। अतः प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन में यह बताया गया है कि साधु को संयम परिपालन करने

के लिए किस तरह से पत्र के मा आहार करना चाहिए। आगम में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि साधु कुछ कारणों से आहार ग्रहण करता है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आहार का त्याग भी कर देता है। आगम में आहार करने के ६ कारण बताए हैं— १-जुधा वेदनीय भूख की पीडा सहन नहीं हो तो साधु आहार कर सकता है २-त्रैयागत्य सेवा करने के लिए—सयम की, कुल की, गण को, आचार्य, उपाध्याय की, रोगी को, नपदीक्षित आदि की सेवा शुश्रूषा करने के लिए शारीरिक शक्ति अपेक्षित है और उमने लिए आहार करना भी आवश्यक है। ३-ईर्ष्या समिति का परिपालन करने के लिए। ४-सयम का पालन करने के लिए ५-प्राणों को धारण करने के लिए ६-यम चिंतन के लिए आहार ग्रहण करे। क्योंकि ये क्रियाएँ भी शारीरिक बल के बिना भली भाँति नहीं हो सकती। इसलिए मुनि इन ६ कारणों से आहार करता है। इसी तरह आहार का त्याग करने के भी ६ कारण हैं— १-त्रीमारी वृत्तार आदि के आने पर साधु को आहार का त्याग कर देना चाहिए। जरूर में आहार करने से वह जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए रोग के समय उपवास बहुत लाभदायक रहता है। आयुर्वेद में भी रोग चिकित्सा में उपवास को अग्रगण्य माना है। महात्मा गांधी ने तो उपवास के द्वारा कई रोगों की चिकित्सा की है। अतः रोग के समय साधु को आहार का त्याग कर देना चाहिए। २-उपसर्ग कष्ट आने पर साधु को तप करना चाहिए। ३-जुधा भूख शांत होने पर आहार का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि बिना भूख के खाने से अनेक रोग होने की संभावना है और उससे सयम साधना में भी दोष लग सकता है। अतः भूख न हो तो नहीं खाना चाहिए। ४-ब्रह्मचर्य का परिपालन करने के लिए आहार का त्याग कर देना चाहिए। यदि मन में विकार जागृत होते हैं तो साधु को तपस्या करनी चाहिए। गीता में लिखा है कि निराहार-आहार का त्याग करने वाले व्यक्ति को त्रिषय त्रिस्तार नहीं सताते। ५-जीव रक्षा के लिए आहार का त्याग करना चाहिए। जैसे कि वर्षा के पड़ने हुए अकाल्य आदि की रक्षा के लिए आहार का त्याग कर देना चाहिए। ६-मृत्यु के निकट आने पर आहार का त्याग करने अनशन संधार स्वीकार करना चाहिए। इस तरह आहार करने की आवश्यकता होने पर

ॐ छहि ठाणेहि सणने निगमये आहारमाहारेमाणे णाइक्कमइ तजहा वेयण वयावच्च हरियट्ठाए य सपमदुआए तह पाणवत्तिवाए छण्ठ पुण धम्मचिन्ताए । —स्वानाङ्ग मूल ६।

† निराहारस्य दहित विपदाविनिवन्त न । —गीता २।

‡ छहि ठाणेहि सणने—निगमये आहार वाट्टिण्णमा णाइक्कमइ तजहा—प्राणके, उवसण्णे, नितिकक्षण, वधचेरमुत्तीए पाणिण्णया, तवहेट्टे सरीरवुच्चदणण्ठए ।

—स्वानाङ्ग मूल स्थान ६।

माधु को आहार स्वीकार करना चाहिए ।

परन्तु उस समय कैसा आहार स्वीकार करे ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा भिक्खुणी वा गोहावइकुलं
 पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से जं पुण जाणिज्जा—
 असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पाणेहिं वा पणगेहिं
 वा वीएहिं वा हरिएहिं वा संसत्तं उम्मिस्सं सीओदण्णं वा
 ओसित्तं रयसा वा परिघासियं वा तहप्पगारं असणं वा पाणं
 वा खाइमं वा साइमं वा परहत्थंसि वा परपायंसि वा अफासुयं
 अणोसणिज्जंति मन्नमाणे लाभेऽवि संते नो पडिग्गाहिज्जा ।
 से य आहच्च पडिग्गहे सिया से तं आयाय एगंतमवक्कमिज्जा
 एगंतमवक्कमित्ता अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा
 अप्पंडे अप्पपाणे अप्पवीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पुदए अप्पुत्तिंग
 पणगदगमट्टियमक्कड़ासंताणए विगिंचिय २ उम्मीसं
 विसोहिय २ तथो संजयामेव भुंजिज्ज वा पीइज्ज वा, जं च
 नो संचाइज्जा भुत्तए वा पायए वा से तमायाय एगंतमवक्क-
 मिज्जा, अहे भामथंडिलंसि वा अट्ठिरासिंसि वा किट्टरा-
 सिंसि वा तुसरासिंसि वा गोमथरासिंसि वा अन्नयरंसि वा
 तहप्पगारंसि थंडिलंसि पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय-

पमज्जिय तयो सजथामेव परिट्ठविज्जा ॥१॥

छाया—स भिक्षुर्ना भिक्षुकी वा गृहपतिकुल पिडपातप्रतिज्ञया अनु-
प्रिष्ट सन्, स यत् पून जानीयात्, अशन वा पान वा खादिम वा स्वादिम
वा प्राणिभि पनकै वा बीजै वा हरितै वा ममत्त वा उन्मिश्च वा
शीतोदकेन वा अरमिक्त रजसा वा परिधर्षित वा तथाप्रकार अशन वा पान
वा खादिम वा स्वादिम वा परहस्ते वा परपात्रे वा अप्रासुक अनेपणीय
इति मन्यमान लाभे सत्यपि नो प्रतिगृह्णीयात्, स च आह य प्रतिगृह्णीयात्
स्यात् स तदादाय एकान्तमपक्रामेत, एकात्मपत्रम्य अधारामेवा अयो
पाथये वा अल्पाडे अल्पप्राण अल्पबीजे अल्पहरिते अल्पानुश्याये अत्पोदके
अल्पोत्पिणपनवदकमृत्तिकाभर्कटमत्तानके त्रिचिच्य २ उन्मिश्च विशोप २
तत सयत एव भुजीत वा पिबद् वा यच्च न शक्नुयात् भोज्तु वा पातु वा
स तदादाय एकान्तमपक्रामेत, अथ दग्धस्थडिले वा अस्थिराशौ वा त्रिट्ट-
राशो वा तुपराशौ वा गोमयराशौ वा अन्यतराशौ वा तथाप्रकार स्वडिले
प्र उपेक्ष्य प्रत्युपेक्ष्य प्रमृज्य प्रमृज्य तत सयत एव परिठ्ठापयेत् ।

पदाथ—से—वह । निवख—भिक्षु । वा—अथवा । भिक्षुणी वा—भिक्षुणी भार्या ।
गाहावड—गाथापनि गहन्य के । पुल—पुन म अर्थात् घर में । विद्धवापविद्याए—विष्पान
आहार प्राप्त की प्रतिज्ञा से गहन्य के घर में । अनुपविठठे समाने—अनुप्रविष्ट हुआ । स—
वह । ज—जो । पुण—फिर । जाणेउता—यह जाने कि । असन वा—अथवा ।
पान वा—पानी अथवा । खाइम वा—खादिम अथवा । साइम वा—स्वादिम स्वादिष्ट पदाथ ।
पाणहि वा—द्वीद्वय प्राणिना से अथवा । हरिणहि वा—हरित अकुरादि स । ससत्त—मयुक्त ।
उन्मिस्त—मिश्रित । सोओदण वा—या गोलोत्क स । उंसिं—अवमिक्त गीता के ।
रयसा वा—अथवा रज से, सचित्त धूति स । परिघासिय—परिधर्षित है । तहप्यगर—तय
प्रकार वं । असन वा—आहार अथवा । पान वा—पानी जल अथवा । खाइम वा—खाद्य पदार्थ
अथवा । साइम वा—स्वादिष्ट पदार्थ । परहृत्यसि वा—गहन्य के हाथ में अथवा । पर पायसि—
वा—गहन्य के पात्र में है । ति—इस प्रकार वं आहार वा । अप्रासुक—अप्रासुक सचित्त ।
अनेसणिज्ज—अनेप-दोष युक्त । सत्तमाण—गणना हुआ । लाभेडवि सते—इस प्रकार का
आहार प्राप्त हात पर भी । नो पडिगाहि जा—ग्रहण न करे । य—पुन । से—वह सागु ।

आहृच्छ—कदाचित् । पङ्क्तिगृहसिया—उसे ग्रहण करले तो । से—वह साधु । तं—उस आहार को । आयाए—लेकर—ग्रहण करके । एगंतमवक्कमिज्जा—एकान्त स्थान में चला जाए । एगत-मवक्कमिता—एकान्त में जाकर । अहे—अथवा । आरामसि वा—उद्यान में । अहे—अथवा । उवस्सयसि वा—उपाश्रय में 'अथ' शब्द जहाँ पर गृहस्थ न आता हो उस अर्थ में है और 'वा' शब्द विकल्पार्थ में अथवा शून्य गृहादि के अर्थ में जानना । अप्पडे—अडादि से रहित स्थान पर १ । अप्पपाणे—द्वीन्द्रियादि जीवों से रहित स्थान । अप्पवीए—वीजों से रहित । अप्पहरिए—हरित से रहित । अप्पोसे—ओसों से रहित । अप्पोदेए—उदक-जल से रहित । अप्पुत्तिगणण-दगनट्टियमक्कड़ासंताणए—जहाँ पर जल, चीटिये, लीलन-फूलन, मिट्टी युक्त जल अथवा उल्ली आदि, मकँट जीव-जाला आदि जीव विशेष न हो ऐसे स्थानों में जाकर उस आहार में । विगिच्चिय २—उन जीवों को अलग २ कर । उम्मीसं—उसमें मिश्रित हो तो । विसोहिय २—विशोधित कर । तन्नो—तदनन्तर । संजयामेव—साधु । भुज्जि वा—उस आहार को खाए । पीड्डज्ज वा—अथवा पीए । जं च—यदि वह उस आहार को । भोत्तए वा—खाने । पायए वा—अथवा पीने में । नो सचाएज्जा—समर्थ न हो तो फिर । से—वह भिक्षु । तं—उस आहार को । आयाय—लेकर । एगंतमवक्कमिज्जा—एकान्त स्थान में चला जाए, जाकर । अहेभाम थंडिलंसि वा—दग्ध स्थान पर या । अट्ठिरांसिसि वा—अस्थियों की राशि-ढेर पर । किट्ठिरांसिसि वा—अथवा लोह के मल के ढेर पर । तुसरारंसिसि वा—तुप राशि के स्थान । गोमयरारंसिसि वा—गोबर के ढेर पर अथवा । अणयरसि—इसी प्रकार के अन्य प्रासुक पदार्थों के ढेर पर अथवा । तहप्पगारंसि—पूर्व सदृश अन्य प्रासुक स्थान पर । थंडिलंसि—स्थंडिल में । पडिलेहिय २—आँखों से भली-भाँति देख कर । पमज्जिय २—रजोहरण से भूमि को प्रमाँजित कर के । तन्नो—तदनन्तर । संजयामेव—सम्यक् उपयोग पूर्वक वह साधु । परिट्ठवेज्जा—उस आहार को त्याग दे ।

मूलार्थ—आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी इन पदार्थों का अवलोकन करके यह जाने कि यह अन्न पानी, खादिम और स्वादिम पदार्थ, द्वीन्द्रियादि प्राणियों से, शाली चावल आदि के बीजों से और अंकुरादि हरी सब्जियों से संयुक्त है या मिश्रित है या सचित्त जल से गीला है तथा सचित्त मिट्टी से अवगुंठित है । यदि इस प्रकार का आहार-पानी, खादिम, स्वादिम आदि पदार्थ गृहस्थ के घर में या गृहस्थ के पात्र में हों तो साधु उसे अप्रासुक-सचित्त तथा अनेपणीय-सदोष

मान कर ग्रहण न करे, यदि भूल से उस आहार को ग्रहण कर लिया है तो वह भिक्षु उस आहार को लेकर एकान्त स्थान में चला जाए और एकान्त स्थान में या आराम-उद्यान या उपाश्रय में जहाँ पर द्वीन्द्रिय आदि जीव नहीं हैं, गोधूमादि बीज नहीं हैं और अक्रुरादि हरी नहीं हैं, एव ओस और जल नहीं है अर्थात् तृणों के अग्रभाग पर जल नहीं है ओस बिन्दु नहीं हैं, द्वीन्द्रियादि जीव जन्तु एव उनके अण्डे आदि नहीं हैं, तथा मकड़ों के जाले एव दीमकों के घर आदि नहीं हैं, ऐसे स्थान पर पहुँच कर सदा यत्ना करने वाला साधु उस आहार में से सचित्त पदार्थों को अलग करके उस आहार एव पानी का उपभोग कर ले। यदि वह उसे खाने या पीने में अममथ है तो साधु उस आहार को लेकर एकान्त स्थान पर चला जाए और बड़ा जाकर दग्धस्थडिच भूमि पर, अस्थियों के ढेर पर लोह के कूड़े पर, तुप के ढेर पर और गोबर के ढेर पर या इसी प्रकार के अय प्रासुक एव निर्दोष स्थान पर जाकर उस स्थान का आखा से अवलाकन करके और रजोहरण से प्रमाजित करके उस आहार को उस स्थान पर पगुठ डाल दे।

हिंदी विवचन

साधु हिंसा का सर्वथा त्यागी है और आहार के बनाने में हिंसा का होना अनिवार्य है। इसलिए साधु के लिए भोजन बनाने का निषेध किया गया है। परन्तु, समय निर्वाह के लिए उसे आहार करना पड़ता है। अतः उसके लिए बताया गया है कि वह गृह्य के घर में जाकर निर्दोष एव पण्यीय आहार ग्रहण करे। यदि कोई गृहस्थ सचित्त एव आचार्य आदि लोगों से युक्त आहार दे या सचित्त पानी से हाथ धोकर आहार दे या आहार सचित्त रज से युक्त है, तो साधु उसे स्वीकार न करे। वह स्पष्ट शब्दा में कहे कि ऐसा दोष युक्त आहार मुझे नहीं कल्पता। यदि कभी सचित्त पदार्थ से युक्त आहार आ गया हो—जैसे गुठली सहित खनूर या ऐसे ही बीज युक्त कोई अय पदार्थ आ गए हैं और वह गुठली मीन या सचित्त पदार्थ उससे अलग किए जा सकते हैं, तो साधु उन्हें अलग करके उस अचित्त आहार को ग्रहण कर ले। यदि कोई पार्थ गेमा है कि हममें से उन सचित्त पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता

है, तो मुनि उस आहार को खाए नहीं, परन्तु एकान्त स्थान में बीज-अंकुर एवं जीव-जन्तु से रहित अचित्त भूमि पर यतना-पूर्वक परठ-डाल दे। इसी तरह आधाकर्मी आहार भी भूल से आ गया हो तो उसे भी एकान्त स्थान में परठ दे। इससे स्पष्ट है कि साधु सचित्त एवं आधाकर्म दोष आदि युक्त आहार का सेवन न करे। भगवान महावीर ने सोमिल ब्राह्मण को स्पष्ट शब्दों में बताया कि साधु के लिए सचित्त आहार अभक्ष्य है ॥ ये ही शब्द भगवान पार्श्वनाथ एवं थावच्छा पुत्र ने शुकदेव सन्यासी को कहे हैं। श्रावक के व्रतों का उल्लेख करते समय इस बात को स्पष्ट किया गया है कि श्रावक साधु को प्रासुक एवं निर्दोष आहार देवे ॥

यह उत्सर्ग मार्ग है और साधु को यथाशक्ति इसी मार्ग पर चलना चाहिए। परन्तु, जीवन सदा एक सा नहीं रहता। कभी कभी सामने कठिनाईएँ भी आती हैं। उस समय संयम की रक्षा के लिए साधु क्या करे? इसके लिए वृत्तिकार ने बताया है— 'उत्सर्ग मार्ग में साधु आधाकर्म आदि दोषों से युक्त आहार स्वीकार नहीं करे। परन्तु अपवाद मार्ग में द्रव्य, क्षेत्र, काल, मात्र का ज्ञाता गीतार्थ मुनि दोषों की न्यूनता या अधिकता का विचार करके उसे ग्रहण कर सकता है। द्रव्य का अर्थ है—द्रव्य (पदार्थ) का मिलना दुर्लभ हो। क्षेत्र—ऐसा क्षेत्र जिसमें शुद्ध पदार्थ नहीं मिलते हों यी सचित्त रज की बहुलता हो। काल—दुर्भिक्ष आदि काल में और भाव-रोग आदि का अवस्था में। इन कारणों के उपस्थित होने पर साधु आधाकर्म आदि दोष युक्त आहार भी ले सकता है। यह वृत्तिकार का अभिमत है ॥

सूत्रकृताङ्ग सूत्र में भी कहा है कि आधाकर्म आहार करने वाला साधु एकान्त रूप से सात या आठ कर्म का बन्ध करता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए और ऐसा भी

॥ भगवती १८, १०

† पुष्पिका सूत्र, ज्ञाता सूत्र।

‡ औपपातिक सूत्र, रायप्रश्नीय सूत्र, उपासकदशाङ्ग सूत्र।

॥ तथाप्रकारम्—एवं जातीयमनुद्धमशानादिचतुर्विधमप्याहार 'परहस्ते दातृहस्ते पर-पात्रे वा स्थितम् 'अप्रासुक'-सचित्तम् 'अनेवणीयम्' आधाकर्मादिदोषदुष्टम् 'इति' एव मन्यमानः 'स' सावाभक्षुः सत्यपि लाभे न प्रतिगृह्णीयादित्युत्सर्गत', अपवादतस्तु द्रव्यादि ज्ञात्वा प्रतिसूणी-यादपि, तत्र द्रव्य दुर्लभद्रव्य, क्षेत्र साधारणद्रव्यलाभरहितं सरजस्कादिभावितं वा कालो दुर्भिक्षादि भावो ग्लानतादि', इत्यादिभिः कारणैरुपरिथतः अल्पवहुत्वं पर्यालोच्य गीतार्थो गृह्णीयादिति।

— अचाराङ्ग २; १; १; १ वृत्ति।

नहीं रहना चाहिए कि यह सात आठ कर्म का बन्ध नहीं करता है। भगवती सूत्र में गौतम श्यामी द्वारा पूत्रे गण-नधारके श्रमण माहणो अप्रासुक एव अनेपखीय आहार दने से दाता को क्या शोना है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर फरमाते हैं कि उसे अल्प पाप एव उदुत निर्वरा होती है।

प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुतस्कन्ध में वृत्तिकार ने स्वयं आधाकर्मा आहार प्रहण करने का प्रथम शब्दा म तिपेध किया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि ध्रुव माग निर्दोष आहार को स्वीकार करने का रहा है। अपवात् मार्ग साष्णक की स्थिति पर आधारित है। उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। वीन साधक किस परिस्थिति में, किस भावना से, वीन-मो कार्य कर रहा है?, यह हृदयस्थ व्यक्तियों के लिए जानना कठिन है। सर्वज्ञ पुरुष ही इसका निणय दे सकते हैं। इमल्लिण साधक को किसी के विषय में पूरा निणय किए बिना एकाग्र रूप से उने पाप बन्ध का कारण नहीं कहना चाहिए और सन्ध हू यही कारण वृत्तिकार के सामने रहा हो जिससे उसने अपवाद विराम न सदोष आहार को स्वीकार करने योग्य बताया, वृत्तिकार का यह अभिमत विचारणीय है।

आहार प्रहण करने की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार औपध प्रहण करने के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्—से भिम्बू वा भिम्बुणी वा गाहावड० जाव-
पविट्टे समाणे से जायो पुण ओसहीयो जाणिज्जा कसिणायो
मासियायो अविदलकडाओ अतिरिच्छन्निनायो अबुच्छिणाणा

† महाकम्मणि भुञ्जन्ति धम्ममने सङ्गमुणा ।
उच्चलित्ति जाणित्ता एणवत्तित्ति त्ति वा पुणो
एणहिं बोहिं टाणहिं ववहारो न विज्जई ।
एणहिं बोहिं टाणहिं धमापादं नु जाणए ।

— सूत्रजात २, ५, ८, ९ ।

‡ समसोपानतात कं भवे । तदाग्य समनं वा माएय वा भवामण्य धममणिउत्तेण
एणनं वारं आब वविनायेमणाय कि कज्जद ? तोरमा । वट्टणिया न विज्जरा कज्ज एण
तर ए ने पाप कज्ज कज्जद । —मगवणी सूत्र, पण ८, उदेणक ९ ।

§ आचाराङ्ग सूत्र श्रुतस्कन्ध १ पाठ ९ उदेणक ४ की वृत्ति ।

थो, तरुणियं वा छिवाडिं अणभिक्रंतमभज्जियं पेहाए अफासुयं
अणोसणिज्जंति मन्नमाणे लाभेसंते नो पडिगाहिज्जा ।

से भिक्खू वा० जाव पांवट्ठे समाणे से जाथो पुण थो-
सहीथो जाणिज्जा-अकसिणाथो असासियाथो विदलकडाथो
तिरिच्छच्छिन्नाथो वुच्छिन्नाथो तरुणियं वा छिवाडिं अभिक्रंतं
भज्जियं पेहाए फासुयं एसणिज्जंति मन्नमाणे लाभेसंते पडिगा-
हिज्जा । २।

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपतिः यावत् प्रविष्टः सन् स याः पुनः
श्रौपथीः जानीयात् कृत्स्नाः स्वाश्रयाः अद्विदलकृताः अतिरश्चीनच्छिन्नाः
अव्यवच्छिन्नाः तरुणी वा फलिं(छिवाडिं) अनभिक्रान्ताम्, अभगनाम् प्रेक्ष्य अप्रासु-
कामनेपणीयामिति मन्यमानः लाभे सति न प्रतिगृहणीयात् । स भिक्षुर्वा०
यावत् प्रविष्टः सन् स याः पुनः श्रौपथीः जानीयात् अकृत्स्नाः अस्वाश्रयाः
द्विदलकृताः, तिरश्चीनच्छिन्नाः व्यवच्छिन्नाः तरुणिकां फलिम्, अक्रान्तां
भगनां प्रेक्ष्य प्रासुकामेपणीयामिति मन्यमानः लाभे सति गृहणीयात् ।

पदार्थ— से— वह । भिक्खू— साधु । वा— अथवा । भिक्खुणी वा—साध्वी ।
गाहावइं—गृहपति के कुल में । जाव—यावत् । पविट्ठे समाणे—प्रविष्ट हुआ । से—वह ।
जाओ—जो । पुण—फिर । ओसहीथो—श्रौपथि को । जाणिज्जा—जाने । कसिणाओ—सचित्त ।
सासियाओ—अविनष्ट धोनि—जिसका मूल नष्ट नहीं हुआ । अविदलकडाओ—जिसके दो
भाग नहीं हुए हैं । अतिरिच्छच्छिन्नाओ—जिसका तिर्यक्-तिरछा छेदन नहीं हुआ है । अवुच्छि-
न्नाओ—जो जीव रहित नहीं हुई है । वा—अथवा । तरुणियं—तहण । छिवाडिं—अपक्व-
फली—जिसकी फलिया पकी हुई नहीं है, ऐसी मुद्गादि की फली । अणभिक्रंतमभज्जियं—
जो सजीव या अभगन-अमदित है । ऐसी श्रौपथि को । पेहाए—देखकर यह । अफासुयं—
अप्रासुक—सचित्त । अणेसणिज्जंति—तथा अनेपणीय-सदोष है इस प्रकार । मन्नमाणे—
मन्ता हुआ साधु । लाभे संते—मिलने पर भी । नो पडिगाहिज्जा—उसे ग्रहण न करे ।

से-वह। भिखू वा-साधु या साध्वी। जाव-यावन। पविट्टे समाण-गृहस्थ क वृत्त में जाने पर। से-वन् भिक्षु। जाओ-जो। पुण-पिर। आसहीओ-श्रीपथी का। नाणज्जा-जान कि यह श्रीपथि। अक्खिणाओ-अचित्त है। असासिवाआ-विनष्ट यानि है। विदलकडाओ-इसके दो दल विभाग किए गए हैं। तिरिच्छिच्छि नाओ-इसका तिरफ छान हुआ है अर्थात् मूर्ध्म लण्ण किए गए है। बुच्छिनाआ-यह अचित्त गाव सरहित है। तरणिय छिवाडि-यह तरण कर्ता। अमिक्कत-जाव रचित तथा। नज्जिय-मदित एव अग्नि द्वारा मुनी हुए है ऐसा। पेट्ठाण-दक्कर यह। फासुप-प्राप्तक-अचित्त तथा। एसणि-एतत्-एणाय निन्दित है कम प्रकार। ननमाण-मानता हुआ साधु। लामे सते-मित्रने पर। पडिग्गाट्ठिजा-उसे ग्रहण-स्वीकार कर लेव।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में गया हुआ साधु व साध्वी श्रीपथि के विषय में यह जाने कि इन श्रीपथियों में जो सचिच हैं, अविनष्ट योनि हैं, जिनके दो या दो से अधिक भाग नहीं हुए हैं, जो जीव रहित नहीं हुई हैं ऐसी अपक्व फली आदि को देखकर उसे अप्रासुक एव अनेपणीय मानता हुआ साधु उसके मिलने पर भी उस ग्रहण न करे।

परन्तु श्रीपथि निमित्त गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी श्रीपथि के समय में यह जाने कि यह सवथा अचित्त है, विनष्ट योनि वाली है। द्विदल अथात् इसके दो भाग हो गये हैं, इसके मूर्ध्म गड किये गए हैं, यह जीवजन्तु से रहित है, तथा मदित एव अग्नि द्वारा परिपक्व की गई है, इस प्रकार की प्रासुक अचित्त एव एणाय निर्दोष श्रीपथि गृहस्थ के घर से प्राप्त होने पर साधु उसे ग्रहण करले।

द्विदो विवरण

प्रकृत मन्त्र में श्रीपथ के मन्त्र में म विधि निषेध का वर्णन किया गया है। मन्त्रात्तत्पथं यत्तु विधि एव निषेध शब्द सापेक्ष है। विधि से निषेध एव निषेध से विधि का परिणय मिलता है। जैसे साधु को मन्त्रित एव अनेपणीय पत्नी नहीं लेता, यह निषेध मन्त्र है, परन्तु इसमें स्पष्ट धरित होता है कि साधु अचित्त एव निर्दोष तथा परमण पर मन्त्रा है। इस तरह विधि एव निषेध एक दूसरे के परिणयन है।

यदि हम दूर चुके हैं कि साधु पर अचित्त है। अतः यह मन्त्र पत्नी मन्त्र

नहीं करता जिसमें किसी प्राणी की हिंसा होती हो। इसलिए यह बताया गया है कि गृहस्थ के घर में औषधि आदि के लिए प्रविष्ट हुए माधु को यह जान लेना चाहिए कि वह औषध सचित्त-मजीव तो नहीं है? जैसे कोई फल या बड़ेड़ा आदि है, जब तक उस पर जम्बू का प्रयोग न हुआ हो तब तक वह सचित्त रहता है। उसके दो टुकड़े होने पर वह सचित्त नहीं रहता। परन्तु कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो दो टुकड़े होने के बाद भी सचित्त रह सकते हैं। कुछ पदार्थ अग्नि पर पकने या उममं दूमरं पदार्थ का स्पर्श होने पर अचित्त होते हैं। उन तरह माधु माध्वी को सब से पहले सचित्त एवं अचित्त पदार्थों का परिज्ञान होना चाहिए। और यदि उन्हें ही जाने वाली औषध सचित्त प्रतीत होनी हो तो वे उसे ग्रहण न करें और यह सजीव न हो तथा पूर्णतया निर्दोष हो तो साधु साध्वी उसे ग्रहण कर सकते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में 'कृत्स्न' आदि जो पांच पद दिये गये हैं, इनसे वनस्पति की राजीवता सिद्ध की है। उन (योनिषो) में भी जीव रहते हैं एवं उनके प्रदेशों में भी जीव रहते हैं। जैसे चना आदि जो अन्न है उनके जब तक बराबर दो विभाग न हों तब तक उममे जीवों के प्रदेश रहने की संभावना है। प्रश्न हो सकता है कि जब प्रथम सूत्र में सचित्त पदार्थ ग्रहण करने का निषेध कर दिया तो फिर प्रस्तुत सूत्र में सचित्त औषध एवं फलों के निषेध का क्यों वर्णन किया? इसका कारण यह कि जिनकेतर साधु वनस्पति में जीव नहीं मानते और वे सचित्त औषध एवं फलों का प्रयोग करते रहे हैं और आज भी करते हैं। इसलिये पूर्ण अहिंसक साधु के लिये यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वह सचित्त औषध एवं फलों को ग्रहण नहीं करें।

अब सूत्रकार आहार की ग्राह्यता एवं अग्राह्यता का उल्लेख करते हुए कहते हैं —

मूलम्—से भिक्खू वा० जाव समाणे से जं पुण्ण जाणि-
ज्जा पिहुयं वा बहुरयं वा भुंजियं वा मंथुं वा चाउलं वा चाउल-
पलंबं वा सइं संभजियं अफासुयं जाव नो पडिग्गाहिज्जा ।
से भिक्खू वा जावसमाणे से जं पुण्ण जाणिज्जा-पिहुयं वा जाव
चाउलपलंबं वा असइं भजियं दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा भजियं
फासुयं एसणिज्जं जाव पडिग्गाहिज्जा ॥३॥

छाया—स भिक्षुषा० यावत् सन् म यत् पुन जानीयात् पृथुक वा नहरज् वा भजित वा मन्धु वा चाउला वा तन्दुक्ता चाउलप्रलम्ब सकृन् मभजित अप्रासुक यावद् न गृण्हीयात् ।

स भिक्षुर्वायावत् प्रविष्ट सन् स यत् पुन, जानीयात् पृथुक यावत् चाउल-प्रलम्ब वा असकृत् भजित द्विकृत्स्न, वा त्रिकृत्व वा भजित प्रासुक एपणीय यावत् प्रतिगण्हीयात् ।

पदाथ—से—वह । भिक्षु—साधु । वा—अथवा साध्वी । जाव समाने—यावत् गृहस्थ के घर म प्रविष्ट हुआ । से—वह—भिक्षु । ज—जा । पुन—फिर । जाणिञ्जा—जाने—अ हार विषयक ज्ञान प्राप्त कर यथा— । विह्व वा—शानी यव गाधूमदि अथवा । बहुरय वा—जिममें रुचित रज बहुत है । भुजिय वा—अग्नि द्वारा अन्न पक्व अथवा । मधु वा—गोधूमदि का चूण । चाउल वा—अथवा चावल । चाउलप्रलम्ब वा—अथवा धायदि का चूण । सङ्—एक वार । समञ्जस्य—सभजित अग्नि से भूना हुआ । अकामुय—अप्रासुक—नचित । ज व—यावत् । नो पडिग्गाहिजा—ग्रहण न करे । स भिक्षु वा—गृहस्थ के घर म प्रविष्ट । वह साधु अथवा साध्वी । जावत्समाने—यावत् भिक्षुय जान पर । से—वह भिक्षु । १—जो । पुन—फिर । जाणिञ्जा—जाने । विह्व वा—शानी यव गोधूमदि अथवा । जाव—यावत् । चाउलप्रलम्ब वा धायदि का चूण । असङ्—अनेकवार । मञ्जस्य—भूना हुआ । दुत्खुत्तो वा—नो वाग अथवा । त्रिकृत्तो वा—तीन वार । भजिय—भूना हुआ है । कामुय—प्रासुक । एसणिञ्ज—एपणीय निर्दोष । जाव—यावत् । पडिग्गाहिजा—ग्रहण करे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी भिक्षुय गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट होने पर शाली आदि धायो, तुपबहुल धायो और अग्नि द्वारा अधनक्व धायो, तथा मधु चूर्ण एव कण सहित एकवार भुने हुए अप्रासुक यावत् अनेपणीय पदार्थो को ग्रहण न करे । तथा वह साधु या साध्वी गृहस्थ के घर मे भिक्षुय उपस्थित होने पर शाली आदि धान्य या उसका चूर्ण, जो कि दो तीन वार या अनेक वार अग्नि से पका लिया गया है । ऐसा और एपणीय निर्दोष पदार्थ उदन्म्र हाने पर साधु उसे स्वीकार कर ले ।

दिदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी यद् बनाया गया है कि साधु-साध्वी चावल (शाली-धान)

आदि अनाज एवं उनका चूर्ण जो अपक्व या अर्धपक्व हो, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि शाली-धान (चावल), गेहूं, बाजरा आदि सजीव होते हैं, अतः इन्हें अपक्व एवं अर्धपक्व अवस्था में साधु को नहीं लेना चाहिए। जैसे— लोग गकई के भुट्टे एवं चने के होले आग में भूनकर खाते हैं, उनमें कुछ भाग पक जाता है और कुछ भाग नहीं पकता। इस तरह जो दाने अच्छी तरह से पके हुए नहीं हैं वे पूर्णतया अचित्त नहीं हो पाते। उनमें सचित्तता की संभावना रहती है। इसलिए साधु को ऐसी अपक्व एवं अर्धपक्व वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधु को सचित्त एवं अनेपणीय पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो पदार्थ अच्छी तरह पक गए हैं, अचित्त हो गए हैं, उन्हें साधु ग्रहण कर सकता है। शाली-चावल की तरह अन्य सभी तरह के अन्न एवं अन्य फलों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए कि साधु उन सब वस्तुओं को ग्रहण कर सकता है जो सचित्त एवं अनेपणीय हैं और अचित्त एवं एपणीय पदार्थ को यथावश्यक ग्रहण कर सकता है।

यह तो स्पष्ट है कि साधु को आहार आदि ग्रहण करने के लिए गृहस्थ के घर में जाना पड़ता है। क्योंकि जिस स्थान पर साधु ठहरा हुआ है, उस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति आहार आदि लाकर दे तो साधु उसे ग्रहण नहीं करता। क्योंकि वहां पर वह पदार्थ की निर्दोषता की जांच नहीं कर सकता। इस लिए स्वयं गृहस्थ के घर जाकर एपणीय एवं प्रासक आहार आदि पदार्थ ग्रहण करता है।

अतः यह प्रश्न होना जरूरी है कि साधु को गृहस्थ के घर में किस तरह प्रवेश करना चाहिए। इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावइ कुलं जाव पविसिउ कामे नो अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपपरिहारिएणं सद्धिं गाहावइ कुलं पिंडवायपडियाए पविसिज्ज वा निक्खमिज्ज वा । से भिक्खू वा० वहिया वियार-भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खममाणे वा पविसमाणे वा नो अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपपरिहारिएण सद्धिं वहिया वियार भूमिं वा विहार भूमिं वा निक्खमिज्ज वा

पविसिज्ज वा । से भिक्षू वा गामाणुगाम दूडज्जमाणे नो अन्न-
उत्थिएण वा जाव गामाणुगाम दूडज्जिज्जा ॥४॥

छाया—म भिक्षुर्वा भिक्षुणी वा गृहपति कुल यावत् प्रवेष्टु काम न
अन्ययूथिकेन वा गृहस्थेन वा परिहारिको वा अपरिहारिकेण वा सोद्ध गृहपति-
कुल पिडपातप्रतिज्ञया प्रविशेद् वा निष्कामेद् वा । म भिक्षुर्वा० वहि
विचार-भूमि वा विहार भूमि वा निष्काममाणो वा प्रविशमाणो वा न अन्य-
यूथिकेन वा गृहस्थेन वा परिहारिको वा अपरिहारिकेण साद्धं वहि विचर-
भूमि वा विहार भूमि वा निष्कामेद् वा प्रविशेद् वा । स भिक्षुर्वा भिक्षुणी वा
ग्रामानुग्राम गच्छन् न अन्ययूथिकेन वा यावद् ग्रामानुग्राम गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु या मात्री । गहावड कुल—गृहपति के पुत्र म ।
जाव—यावत् । पविसिज्जामे—प्रवृत्त करने की इच्छा रखता हुआ । परिहारिको वा—दोष
दूर करने वाला उत्तम साधु । अनउत्थिएण वा—अपनीर्षी और । गाररिएण वा—गृहस्थी
न तथा । अपपरिहारिएण—पापवस्थादि साधु क । सद्धि—गाय । पिडवापपिडियाए—आहार
नाम की प्राणा म । गहावड कुल—गृहस्थी क घर में । ना—नहीं । पविसिज्ज—प्रवृत्त करे
या । निष्कामिज्ज वा—पहल प्रविष्ट हुआ क साथ निवृत्त भी नही । से भिक्षू वा—वह साधु
माधवी । वहिया—वाहर । विहारभूमि वा—स्थित भूमि में प्रयत्न । विहारभूमि वा—स्वाध्याय
भूमि म । निष्काममाण वा—ज्ञान हुआ । पविसमाण वा—या प्रवृत्त करता हुआ । अनउत्थिएण
वा—अपनीर्षी—प्रवृत्त मतावन्मवी और । गाररिएण वा—गृहस्थी के साथ, प्रयत्न । परि-
हारिको वा—दोष दूर करने वाला उत्तम साधु । अपपरिहारिएण वा—पापवस्थादि साधु क ।
सद्धि—गाय । वहिया—वाहर । विहार भूमि वा—स्थित भूमि में प्रयत्न । विहार भूमि वा—
स्वाध्याय भूमि म । निष्कामिज्ज—जाव प्रयत्न । नो पविसिज्ज वा—प्रवृत्त न करे । स भिक्षू-
वा—वह भिक्षु वा भिक्षुणी । गामानुग्राम—ग्रामानुग्राम म । दूड जमाण—जाव हुए ।
अनउत्थिएण वा—अपनीर्षी के साथ । जाव—यावत् । गामानुग्राम—ग्रामानुग्राम में । नो
उत्थिएण—न जाए ।

मूलार्थ—गृहस्थी के घर में भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने की इच्छा
रखने वाला साधु या मात्री अपनीर्षी या गृहस्थ के साथ भिक्षा के लिये
प्रवृत्त न करे, तथा दाप नो दूर करने वाला उत्तम साधु पापवस्थादि साधु

के साथ भी प्रवेश न करे, और यदि कोई पहले प्रवेश किया हुआ हो तो उसके साथ न निकले ।

वह साधु या साध्वी बाहर स्थंडिल भूमि (मलोत्सर्ग का स्थान) में या स्वाध्याय भूमि में जाता हुआ या प्रवेश करता हुआ किसी अन्य-तार्थी या गृहस्थी अथवा पार्ष्वस्थादि साधु के साथ न जावे, न प्रवेश करे ।

वह साधु वा साध्वी एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाते हुए अन्यतार्थी या वात् गृहस्थ और पार्ष्वस्थादि के साथ न जावे, गमन न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु के लिए बताया गया है कि वह गृहस्थ, अन्य मत के साधु संन्यासियों एवं पार्ष्वस्थ साधुओं के साथ गृहस्थ के घर में, स्वाध्याय भूमि में प्रवेश न करे और इनके साथ शौच के लिए भी न जाए और न इनके साथ विहार करे । क्योंकि ऐसा करने से साधु के संयम में अनेक दोष लग सकते हैं ।

साधु के लिए धनवान एवं सामान्य स्थिति के सभी घर बराबर हैं । वह बिना किसी भेद के अमीर गरीब सबके घरों में भिक्षा के लिए जाता है और एषणीय एवं शुद्ध आहार ग्रहण करता है । वह किसी भी गृहस्थ को आहार देने के लिए विवश नहीं करता और न जबरदस्ती से आहार ग्रहण करता है । ऐसी स्थिति में कभी वह सामान्य घर में गृहस्थ के साथ प्रवेश करे और उस गृहपति की साधु को आहार देने की स्थिति न हो या इच्छा न हो, परन्तु उस साथ के गृहस्थ की लज्जा या दबाव के कारण वह साधु को आहार देवे तो इससे साधु के संयम में दोष लगता है अतः साधु को गृहस्थ के साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए ।

इसी तरह अन्य मत के या पार्ष्वस्थ साधुओं के साथ किसी के घर में भिक्षा को जाने से भी संयम में अनेक दोष लग सकते हैं । क्योंकि अन्य भिक्षु एषणीय-अनेपणीय की गवेषणा किए बिना ही जैसा मिल गया वैसा ही आहार ग्रहण कर लेते हैं । और जैन साधु सचित्त एवं अनेपणीय आहार ग्रहण नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में वे उसकी निन्दा कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि यह तो ढोंगी एवं पाखण्डी है, हमारे साथ होने के कारण अपनी उच्छ्रिता बनाता है, जहां अकेला होता है वहां सब कुछ ले लेता है और कभी इस समस्या को लेकर गृहस्थ के घर में भी वाद-विवाद हो सकता है । इससे गृहस्थ के मन में कुछ सन्देह पैदा हो सकता है । इस तरह वह

अप्रासुक एव अनेपणीय आहार ग्रहण नहीं करना है तो उक्त स्थिति पैदा हो सकती है और उसे ग्रहण करता है तो उसके समय में दोष लगता है। इसके अतिरिक्त सबको एक साथ भिक्षा के लिए आया हुआ मान कर गृहस्थ पर भी प्रोक्त पड सकता है और कभी किसी को न देने की इच्छा रखते हुए भी लज्जावश उसे देना पड़ता है, परन्तु अदर में प्रोक्त सा अनुभव कर सकता है। इन सब दोषों में बचने के लिए मुनि को गृहस्थ, पार्श्वस्थ साधु एवं अन्य मत के सयासियों के साथ किसी भी गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

शौच के लिए जाते समय उरुक व्यक्तियों का साथ करने में भी समय में अनेक दोष लगते हैं। प्रथम तो उरुके पास अप्रासुक (संचित) पानी होगा। अतः उनसे बच चीत करने में उन पानों के जीवों की विराधना होगी। दूसरे साधु की रास्ते चलने हुए बोलना नहीं चाहिए। यदि वह बात करता चलता है तो वह मार्ग को भली भाँति नहीं देख सकता। और यदि उन से बातें नहीं करता है तो वे नाराज भी हो सकते हैं और अन्तःसन्त शब्द भी बोल सकते हैं। तीसरे यदि उनसे आगे आगे चले तो उन्हें अपना अपमान महसूस हो सकता है और उनके पीछे चलने से जैन धर्म की लघुता होती है और बराबर चलने पर संचित पानी का स्पर्श होने की सम्भावना है। चौथे में वह शौच के लिए निर्दोष भूमि नहीं देख सकता। उनके सामने भी नहीं बैठ सकता। इसलिए कभी उसे बहुत दूर जाने पर भी योग्य स्थान न मिलने पर जैसे जैसे स्थान पर शौच बैठना पड़ता है। अतः गृहस्थ आदि के साथ शौच जाने से अनरु दोष लगते हैं। इस कारण साधु को उनके साथ शौच को नहीं जाना चाहिए।

स्वाध्याय भूमि में भी उनके साथ प्रवेश करने में संचित जल के अतिरिक्त अन्य सभी दोष लगते हैं। इससे अतिरिक्त उनसे बातें करते रहने के कारण स्वाध्याय में विघ्न पड़ता है। इसलिए साधु को स्वाध्याय के लिए भी गृहस्थ आदि के साथ नहीं जाना चाहिए।

विहार के समय उनके साथ जाने से वह बातों में उलझा रहने के कारण अच्छी तरह में भाग नहीं देगा। तथा बातों में समय बहुत लग जाने के कारण समय पर पहुँच नहीं सकेगा। तथा यथासमय आवश्यक क्रियाएँ भी नहीं कर सकेगा। कभी पेशाब आदि की बाधा होने पर पड़ संशय पैदा कर नहीं सकेगा और उसे रोकने से अनेक बीमारियों का निवारण हो जाएगा। और पेशाब करना चाह तो उनके सामने तो कर नहीं सकता इसलिए उसे पक्का ठण निर्दाय स्थान ढूँढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा या फिर संशय स्थान में ही मल त्याग करना होगा।

इस तरह आहार, शौच, स्वाध्याय एवं विहार में गृहस्थ आदि के साथ जाने से

संयम में अनेक दोष लगते हैं और अन्य मत के भिक्षुओं के अधिक परिचय से साधु की श्रद्धा एवं संयम में शिथिलता एवं विपरीतता भी आ सकती है तथा उनके घनिष्ठ परिचय के कारण श्रावकों के मन में संन्देह भी पैदा हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से साधु को उनके साथ घनिष्ठ परिचय करने एवं भिक्षा आदि के लिए उनके साथ जाने का निषेध किया गया है, न कि किसी द्वेष भाव से। अतः साधु को अपने संयम का निर्दोष पालन करने के लिए स्वतन्त्र रूप से गृहस्थ आदि के घर में प्रवेश करना चाहिए।

इनके साथ आहार आदि का लेन-देन करने से भी संयम में अनेक दोष लग सकते हैं, अतः उनके साथ आहार-पानी के लेन-देन का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से भिक्षु वा भिक्षुणी वा० जाव पविट्ठे समाणे
नो अन्नउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा परिहारियो वा अपरि-
हारियस्स असणां वा पाणां वा खाइमं वा साइमं वा दिज्जा
वा अणुपइज्जा वा ॥५॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा० यावत् प्रविष्टः सन्न न अन्यतीर्थिकाय
वा गृहस्थाय वा परिहारिको वा अपरिहारिकाय अशनं वा पानं वा खादिमं वा
स्वादिमं वा दद्याद् वा अनुप्रदापयेद् वा ।

पदार्थ—से—वह। भिक्षु वा—साधु या। भिक्षुणी वा—साध्वी। जाव—यावत्।
गृहस्थ के घर में। पविट्ठे समाणे—प्रवेश करते हुए। अन्नउत्थियस्सवा—अन्यतीर्थी के
लिए अथवा। गारत्थियस्स—गृहस्थी के लिए। परिहारियो—दोष दूर करने वाला उत्तम साधु।
अपरिहारियस्स—पार्श्वस्थादि साधु के लिए। असण वा—अन्न अथवा। पाणां वा—पानी।
खाइमं वा—या खादिम पदार्थ अथवा। साइमं वा—स्वादिम वस्तु। नो दिज्जावा—न देवे
या। अणुपइज्जावा—न दिलावे।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी, अन्यतीर्थी पर-
पिंडोपजीवी गृहस्थ-याचक और पार्श्वस्थ-शिथिलाचारी साधु को, निर्दोष
भिक्षा ग्रहण करने वाला श्रेष्ठ साधु अन्न, जल, खादिम और स्वादिम

किया हुआ आहार। एग साहमिनिंग—एग माध्वी को। बहवे—बहुत नी। साहमिनिंगो—माध्वियों का। समुद्रिस्त—उद्देश्य रख कर आहार बनाया गया हो तो वह भी स्वीकार करना नहीं करना। चत्तारि—चार। मानावणा—आलापक सूत्र। मानिपत्वा—“हूत चाहिये।

मूनाय—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु साध्वी इस बात की गवेषणा करे कि किसी भद्र गृहस्थ ने एक साधु का उद्देश्य रखकर प्राणी, भूत, जोव और मत्त्वो का आरम्भ करके आहार बनाया हो, तथा साधु के निमित्त भोल लिया हो, उधार लिया हो, किसी निबल से छोनकर लिया हो, एव साधारण वस्तु दूसरे की आज्ञा के बिना दे रहा हा, और साधु के म्यान पर घर से लाकर दे रहा हो, इस प्रकार का आहार लाकर देना हो तो इस प्रकार का अन्न जल, खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ, पुरुषान्तर-दाता से भिन्न पुरुषकृत, अथवा दाता कृत हो, घर से बाहर निकाला गया हो या न निकाला गया हो, दूसरे ने स्वीकार किया हो अथवा न किया हो, आत्माथ किया गया हो, या दूसरे के निमित्त किया गया हो, उममे से खाया गया हो अथवा न खाया गया हो, थोड़ा सा आस्वादन किया हो या न किया हो, इस प्रकार का अप्राप्तुक अनेपणीय आहार मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे। इसी प्रकार बहुत से साधुओं के लिए बनाया गया हो, एक साध्वी के निमित्त बनाया गया हो अथवा बहुत से साध्वियों के निमित्त बनाया गया हो वह भी ग्राह्य अर्थात् स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसी भाँति चारों आलापक जानने चाहिए।

हिंदी विवेचन

श्रुतसूत्र में मदीप आहार के भी दो विभाग किए गए हैं—विशुद्ध कोटि और अविशुद्ध कोटि। साधु के निमित्त जीवों की हिसा करके बनाया गया आहार आदि अविशुद्ध कोटि कहलाता है और प्रत्यक्ष में किसी जीव की हिसा न करके साधु के लिए उरीद कर लाया हुआ आहार आदि विशुद्ध कोटि कहलाता है। किसी व्यक्ति से उधार लेकर, छोनकर या जिस व्यक्ति की वस्तु है उसकी बिना आज्ञा से या किसी के घर में लाकर दिया गया हो वह भी विशुद्ध कोटि कहलाता है। इसे विशुद्ध कहने का

तात्पर्य यह है कि इस आहार आदि को तैयार करने में साधु के निमित्त हिंसा नहीं करनी पड़ी। क्योंकि वह बेचने एवं अपने स्वाने के लिए ही बनाया गया था। फिर भी दोनों तरह का आहार साधु के लिए अग्राह्य है।

पहले प्रकार के आहार की अग्रहणता स्पष्ट है कि उसमें साधु को उद्देश्य करके हिंसा की जाती है। दूसरे प्रकार के आहार में प्रत्यक्ष हिंसा तो नहीं होती है, परन्तु साधु के लिए पैसे का खर्च होता है और पैसा आरम्भ से पैदा होता है। और जो पदार्थ उधार लिए जाते हैं उन्हें वापिस लौटाना होता है और वापिस लौटाने के लिये आरम्भ करके ही उन्हें बनाया जाता है। किसी कमजोर व्यक्ति से छीनकर देने से उस व्यक्ति पर साधु के लिये बल प्रयोग किया जाता है और इससे उसका मन अवश्य ही दुःखित होना है और किसी व्यक्ति को कष्ट देना भी हिंसा का ही एक रूप है। किसी व्यक्ति के अधिकार को वस्तु को उसे बिना पूछे देने से उसे मालूम पड़ने पर दोनों में संघर्ष हो सकता है। इन सब दृष्टियों से इस तरह दिए जाने वाले पदार्थों में प्रत्यक्ष हिंसा परिलक्षित नहीं होने पर भी वे हिंसा के कारण बन सकते हैं, इसलिए साधु को दोनों तरह का आहार सदाप समझकर त्याग देना चाहिए।

विशुद्ध एवं अविशुद्ध कोटि में इतना अन्तर अवश्य है कि विशुद्ध कोटि पदार्थ पुरुषान्तर कृत होने पर साधु के लिए ग्राह्य माने गए हैं। जैसे साधु के उद्देश्य से खरीद कर लाया गया वस्त्र किसी व्यक्ति ने अपने उपयोग में ले लिया है और इसी प्रकार साधु के निमित्त खरीदा गया मकान गृहस्थों के अपने काम में आ गया है तो फिर वह साधु के लिए अग्राह्य नहीं रहता। परन्तु, अविशुद्ध कोटि—आधाकर्मी, औद्देशिक आदि दोष युक्त पदार्थ पुरुषान्तरकृत हो या अपुरुषान्तरकृत हो किसी भी तरह से साधु के लिए ग्राह्य नहीं है। एक या बहुत से साधु-साध्वियों के लिए बनाया गया आहार आदि एक या बहुत से धुसा-साध्वियों के लिए ग्राह्य नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र में 'पुरिसंतरकड वा अपुरिसंतरकड' पाठ आया है। इसका तात्पर्य यह है—दाता के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा उपभोग किया हुआ पदार्थ पुरुषान्तरकृत कहलाता है और दाता द्वारा उपभोग में लिया गया पदार्थ अपुरुषान्तरकृत कहा जाता है।

ॐ यह नियम पहले और अन्तिम तीर्थंकर भगवान के शासन में होने वाले साधु-साध्वियों के लिए है। अवशेष २२ तीर्थंकरों के साधु-साध्वियों के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है। उनके लिए इतना ही विधान है कि जिस साधु-साध्वी के निमित्त आहार आदि तैयार किया गया हो वह साधु-साध्वी उसे ग्रहण न करे। वृत्तिकार का भी यही अभिमत है।

सदोष आहार के निषेध का वर्णन पहले अहिमा महाव्रत की सुरक्षा की दृष्टि में किया गया है। और इसमें यह भी स्पष्ट होना है कि शुद्ध आहार जीवन को शुद्ध, मात्स्य एव उज्ज्वल बनाता है। इसके पहले ५ सूत्रों में हम देख चुके हैं कि माधक की साधना चिन्तन मनन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्षीकरण करके उसे निष्कर्म बनाने के लिए है। इसके लिए स्वाध्याय एव ध्यान आवश्यक है और इनकी साधना के लिये मन का एकाग्र होना जरूरी है और वह शुद्ध आहार के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि मन पर आहार का असर होता है। यह लोक उद्धार भी प्रसिद्ध है कि 'जैसा खावे अतन् वैसी रहे मन।' इससे स्पष्ट होता है कि आहार का मन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हुआ है। अशुद्ध, तामसिक एव सदोष आहार मन को विवृत बनाए बिना नहीं रहता। इसलिए आगमों में मानु के लिए स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है कि वह सदोष एव अनेपणीय आहार को ग्रहण न करे। उपनिषद् में भी बताया गया है कि आहार की शुद्धि से सत्व शुद्ध रहता है और उमकी शुद्धि से स्मृति स्थिर रहती है अर्थात् मन एकाग्र बना रहता है ॥

अशुद्ध आहार स्वीकार न करने के विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से भिक्षू वा जाव समाणे से ज पुण जाणिज्जा
ग्रमण वा ४ वहवे समणा माहणा यतिहि किवणवणीमए
पगणिय २ समुद्दिस्स पाणाइ वा ४ समारम्भ जाव नो
पडिग्गाहिज्जा ॥७॥

छाया—स भिक्षुर्वा यावत् सन् यत् पुन जानीयात् अशन वा ४ बहून् श्रमणान्
ब्राह्मणान् अतिथान् कृपण वहीपकान् प्रगणय्य २ समुद्दिश्य प्राणाटीन् वा ४
समारभ्य यावद् न प्रतिगृहणीयात् ।

पदाय—स भिक्षू वा - वह माधु या साधु । जाव - यावत् । समाण - घर में
प्रवेश किए हुए । स - वह । ज - जा । पुण - फिर । अरण व - प्रशान्तिक की ।
जाणिज्जा - जान गया । वहवे - बहुत से । समणा - पाचयाणि 'म ३ । माहणा - ब्राह्मण ।

॥ माहाङ्ग गुडी मन्व गुडि, मन्व गुडी भुजा स्मृति ।

अतिहि—अतिथि । किवण—कृपण-दरिद्र । वणीमए—भिखारी इन सब को । पगणिय २—गिन २ कर । समुद्दि.स—इनको उद्देश्य कर । पाणाइं वा—प्राणि आदि का । समारम्भ—आरम्भ कर जो आहार तैयार किया गया हो वह । जाव—यावत् मिलने पर । नोपडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी इस बात का अन्वेषण करे कि जो आहारादि बहुत से शाक्यादि भिक्षु, ब्राह्मण, भिखारी आदि को गिन-गिन कर या उनके उद्देश्य से जीवो का आरम्भ-समारम्भ करके बनाया हो, उसे साधु ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि किसी गृहस्थ ने शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, भिखारी आदि की गणना करके उनके लिए आहार तैयार किया है । जबकि यह आहार साधु के उद्देश्य से नहीं बनाया गया फिर भी साधु के लिए अपाह्य है । क्योंकि बौद्ध भिक्षु एवं जैन साधु दोनों के लिए 'श्रमण' शब्द का प्रयोग होता है, अतः संभव है कि गृहस्थ ने उस आहार के बनाने में उन्हें भी साथ गिन लिया हो । इसके अतिरिक्त ऐसा आहार ग्रहण करने से लोगों के मन में यह शंका भी उत्पन्न हो सकती है कि अन्य भिक्षुओं की तरह जैन साधु भी अपने लिए बनाए गए आहार को लेते हैं । और उक्त आहार में से ग्रहण करने से—जिन व्यक्तियों के लिए वह आहार बनाया गया है, उनका अन्तराय भी लगती है तथा उनके लिए बनाए गए आहार को लेने के लिए जैन साधु को जाते हुए देखकर उनके मन में द्वेष भी जाग सकता है । इसलिए जैन साधु को ऐसा आहार भी स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

अब विशुद्ध कोटि के अनेपणीय आहार के विषय में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा भिक्खुणी वा० जाव पविट्ठे समाणे से जं पुण जाणिज्जा-असणां वा ४ बहवे समणा माहणा अतिहिकिवणावणीमए समुद्दिस्स जाव चेएइ तं तहप्पगारं असणां वा ४ अपुरिसंतरकडं वा अबहिया नीहडं अणत्तट्ठियं

अपरिभुक्त अण्णासेविय अफासुय अण्णसण्णिज्ज जाव नो पडिग्गा
हिज्जा । अह पुण एव जाणिज्जा पुरिमतरकड वहिया नीहड
अत्तट्ठिय परिभुक्त आसेविय फासुय एण्णसण्णिज्ज जाव पडिग्गा-
हिज्जा ॥८॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा० यावन् प्रविष्ट मन् स यत् पुन
जानीयात्—अशन वा ४ वहून् श्रमणान् ब्राह्मणान् अतिथीन् कृपणवशीमकान्
समुद्दिश्य यावद् ददाति त तथाप्रार अशन वा ४ अपुरुषान्तर कृत वा अव-
र्द्धिर्निर्गत अनात्मीकृत अपरिभुक्त अनासेवित, अप्रामुक अनेपणीय न
प्रतिगृह्णीयात् । अय पुन एव जानीयात् पुरुषान्तरकृत उद्दिर्निर्गत,
आत्मीकृत परिभुक्त आसेवित प्रासुक एण्णीय यावत् प्रतिगृह्णीयात् ।

पदाय—से—वह । भिखू वा—साधु या । भिखूणो वा—साध्वी । जाव—यावत् ।
पविष्ठ समाने—घर में प्रवेश करने पर । से—य साधु या साध्वी । ज—जो । पुण—पुन
जाणिज्जा—जाने । असन वा ४—अनादि प्राहार । बहुवे—वृत्त । समण—गाय्यादि
भिक्षु । माहणा—ब्राह्मण । अतिहि—अतिथि । केवण—कृपण-दरिद्री । वणीमए—भिक्षारी ।
समुद्दिस्स—इनको उद्देश्य कर । जाव—यावत् । चेद्द—दता है । त—उम । तहपगार—
तथा प्रकार क । असन वा ४—अनादि प्राहार चतुर्विध आहार जो कि । अपरिस्तर कड वा—
पुरुषान्तर कृत नही समवा । अबहिया नीहड—जा घर से बाहर नही निकाला गया है ।
अणत्तट्ठिय—दाना ने अचना नही बनाया है । अपरिभुक्त—घोर न उससे से किसी ने खाया
है एवं । अण्णासिय—किसी ने आसेवन भी नही किया है, ऐम । अफासुय—अप्रामुक-सचित ।
अण्णसण्णिज्ज—अनेपणीय-मदोष आहार का । जाव—यावत् मित्त पर जने भिक्षु । नो पडिग्गा-
हिज्जा—ग्रहण न करे ।

अह—अय । पुण—पुन—फिर यदि । एव जाणिजा—इस प्रकार जाने कि यह
अनादि चतुर्विध आहारानि पनाय । पुरिमतर कड—पुरुषान्तरकृत है । वहियानीहड—
बाहर निकाला गया है । अत्तट्ठिय—अचना किया हुआ है । परिभुक्त—खाया हुआ है ।
आसेविय—भवन किया हुआ है । फासुय—अप्रामुक-सचित है घोर । एण्णसण्णिज्ज—अनेपणीय
निर्गत है । जाव—यावत्—एसा आहार मित्त पर साधु । पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ कुल में प्रवेश करने पर साधु-साध्वी इस प्रकार जाने कि अशनादिक चतुर्विध आहार जो कि शाक्यादिभिक्षु, ब्राह्मण अतिथि दीन और भिखारियों के निमित्त तैयार किया गया हो और दाता उसे देवे तो इसप्रकार के अशनादि आहार को जो कि अन्य-पुरुष कृत न हो, घर से बाहर न निकाला गया हो, अपना अधिकृत न हो, उस में से खाया या आसेवन न किया गया हो तथा अप्रासुक और अनेपणीय हो, तो साधु ऐसा आहार भी ग्रहण न करे ।

और यदि साधु इस प्रकार जाने कि यह आहार आदि पदार्थ अन्य कृत है, घर से बाहर ले जाया गया है, अपना अधिकृत है तथा खाया और भोगा हुआ है एवं प्रासुक और एपणीय है तो ऐसे आहार को साधु ग्रहण करले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि किसी गृहस्थ ने शाक्यादि भिक्षुओं के लिए आहार बनाया है और वह आहार अन्यपुरुषकृत नहीं हुआ है, बाहर नहीं ले जाया गया है, किसी व्यक्ति ने उसे खाया नहीं है और वह अप्रासुक एवं अनेपणीय है, तो साधु के लिए अप्राह्य है । यदि वह आहार पुरुषान्तर हो गया है, लोग घर से बाहर ले जा चुके हैं दूसरे व्यक्तियों द्वारा खा लिया गया है और वह प्रासुक एवं एपणीय है, तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अथ' शब्द का पूर्व सूत्र की अपेक्षा एवं 'पुनः' शब्द का विशेषणार्थ में प्रयोग किया गया है ।

इस बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिखू वा भिखुणी वा गाहावङ्कुलं पिंड-
वायपिडियाए पविसिउकामे से जाइं पुण कुलाइं जाणिज्जा-
इमेसु खलु कुलेसु निइए पिंडे दिज्जइ अग्गपिंडे दिज्जइ नियए

भाए दिज्जइ अथव्हवाए दिज्जइ, तहण्णगाराइ कुलाइं निडयाइ
निडउमाणाइ नो भत्ताए वा पाणाए वा पविसिज्ज वा निक्ख-
मिज्ज वा । एय खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणाए वा सामग्गिय
ज सव्वट्ठेहि समिए सहिए सया जए ॥६॥ त्तिवेमि

ध्याया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपति कुल पिएडपातप्रतिज्ञया
प्रवेष्टुकाम तत् पानि पुन कुलानि जानीयात्—इमेपु खलु कुलेषु नित्य पिण्ड-
दीयते, अग्रपिण्ड दीयते, नित्य भाग दीयते नित्यमु अपाढ भाग दीयते,
तथा प्रकाराणि कुलानि नित्यानि नित्य मुमाणति (प्रवेश)नो भन्ताथ पानोथ वा
प्रविशेद् निष्क्रमेद् वा एतन् खलु तस्य भिक्षो भिक्षुव्या वा सामग्रय यत्
मर्वाथै समित सहित सदा यतेत । इति त्रयीमि ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—भिक्षु—साधु वा । भिक्षुणी वा—साध्वी ।
गाहावइ कुल—गृहपति के कुल मे । विडवाय पडियाए—आहार लाभ की प्रतिज्ञा से ।
पबिसिज्जामे—प्रवेग करने की इच्छा रखता हुआ । स—वह—साधु । जाइ—जो । पुण—
पिर । कुलाइ—कुलों को । जाजिज्जा—जाने । खलु—वाक्यालकार मय में है । इमेसु—
कुलेसु—इन कुला मे । निडए—नित्य । विड दिज्जइ—आहार दिया जाता है । अग्रपिण्डे
दिज्जइ—अग्रपिण्ड—प्रथम आहार लिया जाता है । नियए माए दिज्जइ—नित्य भाग दिया
जाता है । नियए अथव्हवाए दिज्जइ—नित्य अनुप भाग लिया जाता है । तहण्णगाराइ
कुलाइं—इस प्रकार के कुलों में । निडउमाणाइ—नित्य ही स्वपत्न और पर पक्ष क साधु दात
के लिए प्रवेग करते हैं । नो भत्ताए वा पाणाए वा—इस प्रकार के कुलों में भक्तपान—
दान और जल आदि के लिए न ता । पबिसिज्ज वा—प्रवेग करे और । निक्खमिज्ज वा—
निकले । खलु—वाक्यालकार में है । एय—यह । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु और ।
भिक्खुणाए वा—साध्वी की । सामग्गिय—समग्रता समाचारी है । जं—जो कि । सव्वट्ठेहि
सय अथो अर्थान् अर्थानि अर्थों में । समिए—समन है । सहिए—हित युक्त है—अथवा
ज्ञान दर्शन आदि के युक्त है । सए—सना । जए—प्रयत्न करने समय युक्त होवे । त्तिवेमि-
इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—गृहस्थ के कुल में आहार प्राप्ति के निमित्त प्रवेश करने

की इच्छा रखने वाले साधु या साध्वी इन वक्ष्यमाण कुलों को जाने-जिन कुलों में नित्य आहार दिया जाता है, अग्रपिंड आहार में से निकाला हुआ पिंड दिया जाता है, नित्य अर्द्ध भाग आहार दिया जाता है, नित्य चतुर्थ भाग आहार दिया जाता है, इस प्रकार के कुलों में जो कि नित्यदान देने वाले है तथा जिन कुलों में भिक्षुओं का भिक्षाथ निरन्तर प्रवेश हो रहा है ऐसे कुलों में अन्न पानादि के निमित्त साधु न जावे । यह साधु और साध्वी की समग्रता अर्थात् निर्दोष वृत्ति है वह सर्व शब्दादि अर्थों में यत्नवाला, संयत अथवा ज्ञान दर्शन और चारित्र से युक्त है । अतः वह इस वृत्ति का परिपालन करने में सदा यत्नशील हो । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में इस बात का आदेश दिया गया है कि साधु को निम्न कुलों में भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए । जिन कुलों में नित्य-प्रति दान दिया जाता है, जिन कुलों में अग्रपिंड— जो आहार पक रहा हो उसमें से कुछ भाग पहले निकाल कर रखा हुआ आहार—दिया जाता है, जिन कुलों में आहार का आधा या चतुर्थ हिस्सा दान में दिया जाता है और जिन कुलों में शाक्यादि भिक्षु निरन्तर आहार के लिए जाते हों, ऐसे कुलों में जैन साधु-साध्वी को प्रवेश नहीं करना चाहिए । क्योंकि ऐसे घरों में भिक्षा को जाने से या तो उन भिक्षुओं को—जो वहाँ से सदा-सर्वदा भिक्षा पाते हैं, अंतराय ज़गेगी या उन भिक्षुओं के लिए फिर से आरम्भ करके आहार बनाना पड़ेगा । इसलिए साधु को ऐसे घरों से आहार नहीं लेना चाहिए ।

जैन साधु सर्वथा निर्दोष आहार ही ग्रहण करता है । इस बात को सूत्रकार ने 'सन्वट्टेहि समिए' इत्यादि पदों से अभिव्यक्त किया है । इनका स्पष्टीकरण करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है— मुनि सरस एवं नीरस जैसा भी निर्दोष आहार उपलब्ध होता है, उसे समभाव से ग्रहण करता है । वह रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयों में अनासक्त रहता है । वह पांच समिति से युक्त है, राग-द्वेष से दूर रहने का प्रयत्न करता है वह रत्न-त्रय— ज्ञान, दर्शन और चारित्र से युक्त होने से संयत है । और वह

निर्णय मुनिवृत्ति का परिपालन करता है, यही उसकी समप्रता है।

'क्षिबेनि' पद से सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये त्रिचार भेरी कल्पना मात्र नहीं हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू से कहते हैं कि हे जम्बू ! मैंने जैसा भगवान महावीर के मुख से सुना है वैसा ही तुम्हें बताना रहा हूँ।

प्रथम अध्याय समाप्त

प्रथम अध्याय समाप्त

हिनवर्षे—गरसविरमान्त्रिराहागः॥ यदि वा रूपरसगन्धस्पर्शसंज्ञा
समिप भयन इत्यर्थे । पञ्चभिर्भावमितिभिः समिप पुत्रेतेषु रागद्वेषविरहित इति यावत्
एषमुपलक्ष्य गदहितं वर्तते इति महिनः गहितो वा मान दर्शन आरिषे ।

—भाष्यारण्य युति २,१,१,६ ।

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

द्वितीय उद्देशक

प्रस्तुत अध्ययन आहार से संबद्ध है अतः पहले उद्देशक में वर्णित आहार ग्रहण करने की विधि का प्रस्तुत उद्देशक में विशेष रूप से वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूत्रम्— से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावइकुलं
पिंडायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से जं पुण जाणिज्जा-
असणं वा ४ अट्ठमिपोसहिणसु वा अद्धमासिणसु वा मासिणसु
वा दोमासिणसु वा तेमासिणसु वा चाउम्मासिणसु वा पंचमासि-
णसु वा छम्मासिणसु वा उऊसु वा उऊसंधीसु वा उऊपरियट्ठेसु
वा बहवे समणमाहणअतिहिकिवणावणीमगे एगाओ उक्खा-
ओ परिणसिज्जमाणे पेहाए दोहिं उक्खाहिं परिणसिज्जमाणे
पेहाए तिहिं उक्खाहिं परिणसिज्जमाणे पेहाए चउहिं उक्खाहिं
परिणसिज्जमाणे पेहाए । कुंभीमुहाओ वा कलोवाइओ वा
संनिहिसंनिचयाओ वा परिणसिज्जमाणे पेहाए तहप्पगारं
असणं वा ४ अपुरिसंतरकडं जाव अणासेवियं अफासुयं जाव
नो पडिग्गाहिज्जा । अह पुण एवं जाणिज्जा पुरिसंतरकडं
जाव आसेवियं फासुयं पडिग्गाहिज्जा ॥१०॥

ह्याया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपति कुल पिंडपातप्रतिज्ञया अनुप्रविष्ट
 सन् तद् यत् पुन जानीयाद् अशन वा ४ अष्टमीपौषधिकेषु वा अर्द्धमामि-
 केषु वा मासिकेषु वा द्विमासिकेषु वा त्रिमासिकेषु वा चतुर्मासिकेषु वा पच-
 मासिकेषु वा षण्मासिकेषु वा ऋतुषु वा ऋतु मन्विषु वा ऋतु परिवर्तनेषु वा
 बहून्श्रमणब्राह्मणातिथिरूपखण्डणीमगानेकस्मात् पिठरकाद् परिवेष्टमाण
 प्रेक्ष्य द्वाभ्यामवसाभ्या (पिठरकाभ्या) परिवेष्टमाण प्रेक्ष्य त्रिभिः उवसाभि
 परिरेष्टमाण प्रेक्ष्य चतुर्भिः उवसाभिः परिवेष्टमाण प्रेक्ष्य कृष्मीमुखाद् वा
 [पिच्छी पिठक वा] सनिधिमनिचयाद् वा परिवेष्टमाण प्रेक्ष्य तथा प्रकार
 अशन वा ४ अपुरुषान्तर कत यावद् अनासवित्तमप्राप्तुं यावत् नो प्रति-
 गतहीयात् । अथ पुनरेव जानीयात् पुरुषान्तर कृत यावद् आसेवित प्रासुक
 प्रतिगृहीयात् ।

पदाथ—से—वह । भिक्षुर्वा—भिक्षु-साधु । भिक्षुकी वा—अथवा साध्वी ।
 गृहपति कुल—गृहपति के कुल म । पिंडपात प्रतिज्ञा—भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा से ।
 अनुप्रविष्टसमाणे—प्रवृत्त करता हुआ । से—यह भिक्षु । अ—जा । पुन—फिर । जानीया—
 जाने-जान प्राप्त करे । अशन वा—अनादि चतुर्विध आहार । अष्टमीपौषद्विष्टेषु वा—अष्टमी
 पौषध—ऋत विषय के महोत्सव में अथवा । अर्द्धमासिकेषु वा—अर्द्धमासिक दान विशेष के
 महोत्सव में । मासिकेषु वा—मासिक दान विषय के महोत्सव में । द्विमासिक
 दान विषय के महोत्सव में । त्रिमासिकेषु वा—त्रिमासिक दान विषय के महोत्सव में । षण्मासि-
 केषु वा—षण्मासिक दान विषय के महोत्सव में । पचमासिकेषु वा—पाच मासिक दान विषय
 के महोत्सव में । षण्मासिकेषु वा—षण्मासिक दान विषय के महोत्सव में । उक्तु वा—
 ऋतु के मौसम में । उक्तुषु वा—ऋतुषु की तिथि में । उक्तुपरिषट्केषु वा—ऋतु
 परिवर्तन में । बहून्—बहुत से । श्रमणमाहणप्रतिहिक्रियणवणीमने—श्रमण ब्राह्मण
 प्रतिधि, श्रमण धीर मिसारी इन सबको । एगामो उवसायो—एक वतन से । परिष्टिज्जमाणे—
 परोमता हुआ । वेहाए—देस कर । रोहि उवसाहि—दो वतनों से । परिष्टिज्जमाणे—
 परोमता हुआ । वेहाए—देसकर । तिहि—तीन । उवसाहि—वतनों से । परिष्टिज्जमाणे—
 परोमता हुआ । अउहि—चार । उवसाहि—वतनों से । परिष्टिज्जमाणे—परोमता हुआ ।
 वेहाए—दसकर । उक्तुमीमणो—छोटे मूक वाले वतन से, वा—अथवा । क्तोवाइयो वा—
 बाग की टोपरी से । सनिहि सनिचयायो वा—अथवा किए हुए दिनप्य पनादि में से ।

परिऐसिज्जमाणे—परोसता हुआ । पेहाए—देखकर । तहप्पगार—इस प्रकार का । असर्णं वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार । अपुरिसतर कड वा—अपुरुषान्तरकृत अर्थात् जो पुरुषान्तर—अन्यपुरुष कृत नहीं है । जाव—यावत् । अणासेवियं—अनासेवित । अप्रासुक—अप्रासुक । जाव—यावत् मिलने पर । नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे । अह—अथ । पुण—पुन' । एवं—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने । पुरिसतरकडं—पुरुषान्तर कृत । आसेवियं—आसेवित । फासुय—प्रासुक आहार । जाव—यावत् मिलने पर । पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण करले ।

मूलार्थ—वह साधु व साध्वी गृहस्थो के घर में आहार प्राप्ति के निमित्त प्रविष्ट होने पर अशनादि चतुर्विध आहार आदि के विषय में इस प्रकार जाने-यह अशनादि आहार अष्टमी पौषध-व्रत विशेष के महोत्सव में एवं अर्द्धमासिक, मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चतुर्मासिक, पंचमासिक और षण्मासिक महोत्सव में, तथा ऋतु, ऋतुसन्धि और ऋतु परिवर्तन महोत्सव में बहुत से श्रमण शाक्यादिभिक्षु, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारियों को एक बर्तन से, दो बर्तनों से एव तीन और चार बर्तनों से परोसते हुए देखकर तथा छोटे मुखकी कुम्भी और बांस की टोकरी से परोसते हुए देखकर एवं संचित किये हुए घी आदि पदार्थों को परोसते हुए देखकर इस प्रकार के अशनादि चतुर्विध आहार जो पुरुषान्तर कृत नहीं है यावत् अनासेवित अप्रासुक है ऐसे आहार को मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे । और यदि इस प्रकार जाने कि यह आहार पुरुषान्तर कृत यावत् आसेवित प्रासुक और एषणीय है तो मिलने पर ग्रहण करले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को उस समय गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए या प्रविष्ट हो गया है तो उसे आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए—जिसके यहाँ अष्टमी के पौषधोपवास का महोत्सव हो^१ या इसी तरह

^१तद्यथा—अष्टम्या पौषध—उपवासादिकोऽष्टमीपौषधः स विद्यते येषां तेऽष्टमी पौषधिका—उत्सवाः तयाऽर्द्धमासिकादयश्च ऋतुसन्धि—ऋतोःपर्यवसानम् ऋतुपरिवर्तः—ऋत्वन्तरम् आचाराग वृत्ति ।

अर्द्धमास, एक मास, दो, तीन चार, पाच या छ मास की पौषधोपवास (तपश्चर्या) का उत्सव हो या ऋतु, ऋतु सन्धि (दो ऋतुओं का सन्धि काल) और ऋतु परिवर्तन (ऋतु का परिवर्तन—एक ऋतु के अनन्तर दूसरी ऋतु का आरम्भ होना) का महोत्सव हो और उसमें शास्त्रादि भिक्षु, श्रमण—ब्राह्मण, अतिथि, राऊ—भित्तारी आदि को भोजन कराया जा रहा हो। जबकि यह भोजन आधाकर्मदोष से युक्त नहीं है, फिर भी सूत्रकार ने इसमें लिए जो अफामुयं शब्द का प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा आहार तब तक साधु के लिए अकल्पनीय है जब तक वह पुरुषांतर व्रत नहीं हो जाता है। यदि यह आहार एकांत रूप से शाक्यादि भिक्षुओं को देने के लिए ही बनाया गया है और उसमें से परिवार के सन्स्य एवं परिजन आदि अपने उपभोग में नहीं लेते हैं, तब तो साधु को वह आहार नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उससे उन भिक्षुआ को अंतराय लगेगा। यदि परिवार के सदस्य एवं स्नेही—सम्बन्धी उसका उपभोग करते हैं, तो उनके उपभोग करने के बाद (पुरुषांतर होने पर) साधु उसे ग्रहण कर सकता है।

इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी उत्सव के प्रसंग पर अथ मत क भिक्षु भोजन कर रहे हों तो उस समय वहा साधु का जाना उचित नहीं है। उस समय वहा नहीं जाने से मुनि को मतोप एवं त्याग वृत्ति प्रकट होती है, उन भिक्षुओं के मन में किसी तरह की निपरीत भावना जागृत नहीं होती। अतः साधु को ऐसे समय त्रिक पृथक कार्य करना चाहिए।

साधु को किस कुल में आहार के लिए जाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भित्तू वा २ जाव समाणे से जाइ पुण कुलाइ जाणिज्जा, तजहा-उग्गकुलाणि वा भोगकुलाणि वा राइन्न कुलाणि वा खत्तियकुलाणि वा इक्सागकुलाणि वा हरिवसकुलाणि वा एसियकुलाणि वा वेसियकुलाणि वा गडागकुलाणि वा कोट्टाग कुलाणि वा गामरस्सकुलाणि वा बुक्कासकुलाणि वा थन्नयरेसु वा तहप्पगारेसु कुलेसु थदुगुट्टिएसु थगरहिएसु थसण

वा ४ फासुयं जाव पडिग्गाहिज्जा ॥११॥

छाया—स भिक्षुर्वा० यावत् सन् तद् यानि पुनः कुलानि जानीयात्, तद्यथा—उग्रकुलानि वा भोगकुलानि वा राजन्यकुलानि वा क्षत्रियकुलानि वा इक्ष्वाकुकुलानि वा हरिवंशकुलानि वा एसिय-एष्यकुलानि वा वैश्य-कुलानि वा गण्डककुलानि वा कुट्टाककुलानि वा ग्रामरक्षककुलानि वा वृक्कास तन्तुवाय कुलानि वा अन्यतरेषु वा तथा प्रकारेषु वा कुलेषु अजुगुप्सितेषु अग्रहर्षु अशन वा ४ प्रामुकं यावद् गृण्हीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—भिक्षु साधु अथवा साध्वी । जाव—यावत् । समाप्ते—घर में प्रवेश कर हुए । से—वह । पुण—फिर । जाई—इन । कुलाइ—कुलो को । जाणिज्जा—जाने । तज्जा—जैसे कि— । उग्रकुलाणि वा—उग्र कुल । भोग कुलाणि वा—भोग कुल । राइन्न कुलाणि वा—राजन्य कुल । खत्तिय कुलाणि वा—क्षत्रिय कुल । इक्ष्वाग कुलाणि वा—इक्ष्वाकू कुल । हरिवंस कुलाणि वा—हरिवंश कुल । एसिभ कुलाणि वा—गोपाल आदि कुल । वेसिय कुलाणि वा—वैश्य कुल । गंडाग कुलाणि वा—गण्डक—नापित कुल । कोट्टाय कुलाणि वा—वर्द्धकी—वढई कुल । ग्रामरक्ख कुलाणि वा—ग्राम रक्षक कुल । वृक्कास कुलाणि वा—तन्तुवाय कुल । अन्नयरे सु—और भी । तहप्पगारेसु—इसी प्रकार के । कुलेसु—कुलो मे । अजुगुप्सिएसु—अनिन्दित । अग्रहिएसु—अग्रहित कुलो मे । असणं वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार । फासुयं—प्रासुक । जाव—यावत् मिलने पर । पडिग्गाहिज्जा—साधु ग्रहण करे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हुए इन कुलों को जाने, यथा उग्रकुल, भोगकुल, राजन्य कुल, क्षत्रियकुल, इक्ष्वाकुकुल, हरिवंशकुल, गोपालादिकुल, वैश्यकुल, नापित कुल, वर्द्धकी (वढई) कुल, ग्रामरक्षक कुल, और तन्तुवाय कुल तथा इसी प्रकार के और भी अनिन्दित, अग्रहित कुलो में से प्रासुक अन्नादि चतुर्विध आहार यदि प्राप्त हो तो साधु उसे स्वीकार करले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को भिक्षा के लिए किन कुलों में जाना

चाहिए। वर्तमान काल चक्र में भगवान ऋषभदेव के पहले भरत क्षेत्र में भोगभूमि थी। वर्तमान काल चक्र के तीसरे आरे के तृतीय भाग में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था और उसके बाद भोग भूमि का स्थान कर्म भूमि ने ले लिया। भगवान ऋषभ देव ही प्रथम राजा, प्रथम मुनि एवं प्रथम तीर्थंकर थे, इनके युग से राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था एवं धर्म व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। उनके युग स वर्ण व्यवस्था एवं कल आदि परम्परा का प्रचलन हुआ। उसी के आधार पर बने हुए कुलों का सूत्रकार ने उल्लेख किया है। जैसे— १ उग्र कुल—रक्षक कुल, जो जनता की रक्षा के लिए सदा सन्नद्ध—तैयार रहता है, २ भोग कुल—राजाओं के लिए सम्मान्य है। ३ राजन्य कुल—मित्र के समान व्यवहार करने वाला कुल, ४ क्षत्रिय कुल—जो प्रजा को रक्षा के लिए शत्रुओं को धारण करता था। ५ इक्ष्वाकु कुल—भगवान ऋषभ देव का कुल, ६ हरिवंश कुल—भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का कुल ७ एष्य कुल—गोपाल आदि का कुल, ८ प्राम रक्ष कुल—कोतवाल आदि का कुल ९ गण्डक कुल—नाइ आदि का कुल १० कुट्टाक ११-वर्द्धको और १२ वृषकस—तनुवाय आदि के कुल एव इसी तरह के अन्य कुलों से भी साधु आहार ग्रहण कर समता है जो निश्चित एवं घणित कर्म करने वाले न हों।

प्रस्तुत वकरण में क्षत्रिय वैश्य एव शूद्र इन तीनों कुलों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, परन्तु ब्राह्मण कुल का कहीं नाम नहीं आया। इसके दो कारण हो सकते हैं— १ ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भगवान ऋषभ देव ने नहीं की थी, बल्कि उनके दीक्षित होने के बाद भरत ने की थी। उनका वर्ण पीछे से आरम्भ हुआ इस कारण उनका उल्लेख नहीं किया हो। २ प्रस्तुत सूत्र में भोग कुल का उल्लेख किया गया है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ राजाओं का पूजनीय कुल किया है। ब्राह्मण प्रायः पठन-पाठन के काल में ही सलग्न रहते थे एवं निस्पृह भी होते थे। इस कारण राजा लोग उनका सम्मान करते थे। अतः ही संभव है कि भोग कुल से ब्राह्मण कुल का उल्लेख किया गया हो।

एष्य कुल से गौ रक्षा एवं पशु पालन करने वाले कुलों तथा वैश्य कुल से कृषि कर्म के द्वारा अल्पारम्भी जीवन बिताने वाले कुलों का निर्देश किया गया है। ३ गण्डक-नाइ आदि के कुल से वैशालकार एवं गाव में किसानों की उद्योगपणा आदि कराने की प्रवृत्ति का तथा कुट्टाक वर्द्धको आदि कुलों से भवन निर्माण एवं काष्ठ कला की और तनुवाय कुल से वस्त्र कला की परम्परा का संकेत मिलता है। इस तरह उक्त कुलों के निर्देश से उस युग की राष्ट्रीय एवं सामाजिक व्यवस्था का पूरा परिचय मिलता है।

अन्य अनिन्दनीय कृतों से शिल्प एवं विज्ञान आदि के कुशल कलाकारों का निर्देश किया गया है। अतः प्रस्तुत सूत्र ऐतिहासिक विद्वानों एवं रिग्वेद स्कालरों के लिए बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्र गार कहते हैं -

मूलम्—से भिक्खू वा २ जाव समाणो से जं पुण जाणि-
ज्जा असणां वा ४ समवाणसु वा पिंडनियरेसु वा इंदमहेसु वा
खंदमहेसु वा एवं रुद्धमहेसु वा मुगुंदमहेसु वा भूयमहेसु वा
जक्खमहेसु वा नागमहेसु वा थूभमहेसु वा चेइय महेसु वा
रुक्खमहेसु वा गिरिमहेसु वा दरिमहेसु वा अगडमहेसु वा तलाग
महेसु वा दहमहेसु वा नइमहेसु वा सरमहेसु सागरमहेसु
वा आगर महेसु वा अन्नयरेसु वा तहप्पगारेसु विरूवरूवेसु
महामहेसु वट्टमाणेसु वहवे समाणमाहणा अतिहि किवणा वणीमगे
एगाथो उक्खाथो परिणसिज्जमाणे पेहाए दोहिं जाव संनिहि-
संनिचयाथो वा परिणसिज्जमाणे पेहाए तहप्पगारं असणां वा ४
अपुरिसंतर कडं जाव नो पडिग्गाहिज्जा । अह पुण एवं
जाणिज्जा-दिन्नं जं तेसिं दायव्वं, अह तत्थ भुंजमाणे पेहाए
गाहावइ भारियं वा गाहावइभगिणिं वा गाहावइपुत्तं वा धूयं
वा सुणहं वा धाइं वा दासं वा दासिं वा कम्मकरं वा कम्मकरिं
वा से पुव्वामेव आलोइज्ज आउसि त्ति ! वा भगिणि त्ति ! वा दाहिसि
मे इत्तो अन्नयरं भोषणजायं, से सेवं वयंतस्स परो असणां वा ४

आहट्टु दलइजा तहपगारं यसण वा ४ सय वा पुण जाइ
ज्जा परो वा से दिज्जा फामुय जाव पडिग्गाहिज्जा ॥१२॥

छाया—स भिन्नुर्वा० यावत् सन् तत् यत् पुन जानीयात् अशन वा ४
समवायेषु वा पिडनिकरपु वा इन्द्र महेषु वा स्कन्द महेषु वा एव रुद्र महेषु वा
मुकुन्द महेषु वा भूत महेषु वा यक्ष महेषु वा नाग महेषु वा स्तूप महेषु वा
चतस्र महेषु वा वृक्ष महेषु वा गिरि महेषु वा दरा महेषु वा श्वट महेषु वा
तडाग महेषु वा हृद महेषु वा नदी महेषु वा सर महेषु वा सागर महेषु वा
अर महेषु वा अन्यतरेषु वा तथा प्रकारेषु विरूपरूपेषु महामहेषु वर्तमानेषु
बहून् श्रमण ब्राह्मणातिथि कपण नगीमकान् एकस्या उखाया परिवेष्यमाण
प्रेक्ष्य द्वाभ्या यावत् सनिधि मन्निचयाद्वा परिवेष्यमाण प्रेक्ष्य तथा प्रकार
अशन वा ४ अपरुपान्तर कृत यावत् न प्रतिगृहणीयात् । अथ पुन एव
जानीयात् दत्त यत्तभ्यो दातव्यमथ तत्र भुजानान् प्रेक्ष्य गृहपतिभांसी
वा गृहपतिभगिनी वा गृहपतिपुत्र वा सुता वा स्नुषा वा धात्री वा दास वा
दामी वा कर्मकर वा कर्मकरी वा पूर्वमेव आलोकयेत् आयुष्मति ! इति
वा भगिनि ! इति वा दास्यसि मह्य इत्त अयतर भोजन जात, स एव वदत
पर अशन वा ४ आहृत्य दद्यात् तथा प्रकार अशन वा ४ स्वय वा पुन
याचेत् परो वा तद् दद्यात् प्रासुक यावत् प्रतिगृहणीयात् ।

पराय—से—बह । भिन्नु वा—भिन्नु—साधु अथवा—साध्वी । जाव समाप्ते—यावत्
पर मे गया हुआ । स—बह । न—ना । पुण—फिर । जानिज्जा—जाने । अशन वा—
अशान्तिक चतुर्विध आहारं । समवायेषु वा—जन समुदाय मे । पिडनियरेषु वा—मृतक भवन
अर्पित आड मे तथा । इन्द्रमहेसु वा—इन्द्र महोत्सव मे खरमहेसु वा—स्कन्द महोत्सव मे । एव—
इती प्रकार । रुद्रमहेसे वा—रुद्र महोत्सव मे । मुकुन्दमहेसे वा—मुकुन्द महोत्सव मे भूपमहेसु वा—
भूत महोत्सव मे तथा । यक्ष महेसु वा—यक्ष महोत्सव मे । नाग महेसु वा—नाग महोत्सव
मे । धूम महेसु वा—स्तूप महोत्सव मे एव । श्वेय महेसु वा—श्वेत महोत्सव मे । रुक्म
महेसु वा—वक्ष महोत्सव मे । गिरिमहेसु वा—गिरि महोत्सव मे । दरिमहेसु वा—गुफा
महोत्सव मे । दरा महेसु वा—रूप महोत्सव मे । तलाग महेसु वा—तडाग-तालाव महोत्सव

मे । दहमहेसु वा—हृद महोत्सव मे । नहमहेसुवा—नदी महोत्सव मे । सरमहेसु वा—सर महोत्सव मे तथा । सागर महेसु वा—सागर महोत्सव मे । आगर महेसु वा—आकर महोत्सव मे । अन्नयरेसु वा—अन्यान्य । तहृप्पगारेसु—इस प्रकार के । विरुव रुवेसु—नाना विध । महामहेसु—महान् उत्सवो के । चट्टमाणेसु—प्रवर्तमान होने में । बहवे—बहुत से । समण माहण अतिहि किवण वणीमग—शाक्यादि भिक्षु तथा, ब्राह्मण, अतिथि कृपण और भिखारी लोगों को । एगाओ उक्खाओ—एक वर्तन से । परिएसिज्जमाणे—परोसते हुए को । पेहाए—देखकर तथा । दोहि—दो वर्तनो से । जाव—यावत् । सनिहिसंनचयाओ—संचय किए हुए घृतादि स्निग्ध पदार्थों से । परिएसिज्जमाणे—परोसते हुए को । पेहाए—देखकर । तहृप्पगारं—तथा प्रकार के । असण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार जो कि । अपुरिसंतरकडं—पुरुषान्तर कृन न हो । जाव—यावत् मिलने पर । नो पडिग्गाहिज्जा—भी ग्रहण न करे । अह—अथ । पुण—पुनः । एवं—इस प्रकार । जाणिज्जा—जान । तेसि—उनको । जं—जो । दिन्न—दिया गया हो वह । दायव्व—देने योग्य है । अह—अथ । तत्थ—वहा पर । भुंजमाणे—खाते हुआ को । पेहाए—देखकर । गाहावइ भारियं वा—गृहपति की भार्या को या । गाहावइ भगिणीं वा—गृहपति की भगिनी—वहिन को । गाहावइ पुत्तं वा—गृहपति के पुत्र को । धुयं वा—पुत्री को । सुण्हावा—सुणा—पुत्रवधु को । धाड वा—धात्री—घाय माता को । दासं वा—दास को । दासि वा—अथवा दासी को तथा । कम्मकरं वा—नौकर को वा । कम्मकरि वा—नौकरानी को । से—वह । पुव्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—अवलोकन करके कहे कि । आउसिन्ति वा—हे आयुष्मति ! जनिणित्तिवा—हे भगिनि ! मे—मुझे । इत्तो अन्नयर—इस विविध प्रकार के । भोयणजार्यं—भोजन जात—भोजन समुदाय मे से । दाहसि ?—देगी ? से—वह । सेवं—इस प्रकार से । वयत्तस्स—बोलते हुए साधु को । परो—दूसरे । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार मे से । आहइडु—लाकर । दलइज्जा—देवे । तहृप्पगारं—इस प्रकार के । असणं वा ४—अन्नादि चतुर्विध आहार को । सय वा—स्वयं । पुण—पुनः । जाइज्जा—माणे । से—वह । परोवा—दूसरा । दिज्जा—देवे तो । फासुयं—प्रासुक आहार । जाव—यावत् मिलने पर । पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण करे—स्वीकार करले ।

मूलार्थ—साधु व साध्वी गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर यदि यहजाने कि यहाँ पर महोत्सव के लिए जन एकत्रित हो रहे हैं, तथा पितृपिण्ड या मृतक के निमित्त भोजन हो रहा है या इन्द्रमहोत्सव, स्कन्दमहोत्सव, रुद्रमहोत्सव, मुकुन्दबलदेव महोत्सव, भूत महोत्सव, यक्ष महोत्सव, इसी प्रकार नाग, स्तूप, चैत्य, वृक्ष, गिरि, गुफा, कप, तालाव,

हृद (भील) उदधि, सरोवर' सागर और आकर सम्बन्धि महोत्सव हो रहा हो तथा इसी प्रकार के अन्य महोत्सवों पर बहुत से श्रमण-ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी लोगों को एक बतन से पुरोसता हुआ देख कर दो थालियों से यावत् सचित्त किये हुए घृतादि स्निग्ध पदार्थों का पुरोसते को देखकर तथाविध आहार-पानी जब तक अपुरुषान्तरकृत है यावत् मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे । और यदि इस प्रकार जाने कि जिन को देना था दिया जा चुका है तथा वहा पर यदि वह गृहस्थो को भोजन करते हुए देखे तो उस गृहपति की भार्या से, गृहपति की भगिनी से, गृहपति के पुत्र से, गृहपति की पुत्री से, पुत्रवधू से, धाय माता से, दास दासी नोकर-नोकरानी से पूछे कि हे आयुष्मति ! भगिनि ! मुझे इन खाद्य पदार्थों में से अन्यतर भोजन दोगी ? इस प्रकार बोलते हुए साधु के प्रति यदि गृहस्थ चार प्रकार का आहार लाकर दे अथवा अशनादि चतुर्विध आहार की स्वयमेव याचना करे या गृहस्थ स्वयं दे और वह आहार पानी प्रामुक और एषणाय हो तो साधु उसे ग्रहण कर ले ।

हिं दी निवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि गृह प्रवेश, नामकरण आदि रसव तथा मतक उम या इन्द्र स्कन्द एव रुद्र आदि से सम्बन्धित उत्सवों के अवसर पर शाक्यादि भिक्षु श्रमण ब्राह्मण, गरीब-भिखारी आदि गृहस्थ के घर पर भोजन कर रहे हों और वह भोजन पुरुषान्तर कृत नहीं हुआ हो तो साधु उसे अनेपणीय समझ कर ग्रहण न करे । यदि अथ भिक्षु आदि भोजन करके चले गए हैं, अथ केवल उससे परिवार के सदस्य, परिजन एव दास-दासी ही भोजन कर रहे हों तो उस समय साधु प्रामुक एष एषणाय आहार की याचना कर सकता है या उस घर का कोई सदस्य साधु को आहार की प्रार्थना करे तो वह उसे ग्रहण कर सकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'पिण्ड निपरेसु' का अर्थ है—मृतक के निमित्त तैयार किया गया भोजन । प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उम समय इन्द्र, स्कन्द, रुद्र, यज्ञदेव भूत, यज्ञ नाग आदि के उत्सव मनाए जाते थे । और इन अवसरों पर गृहस्थ लोग प्रीति भोजन करते थे ।

प्रस्तुत मूत्र मे प्रयुक्त 'स्तूप एव चैत्य' शब्द एकार्थक नही, किन्तु, भिन्नार्थक है। मृतक की चिता पर उसकी स्मृति मे बनाया गया स्मारक 'स्तूप' कहलाता है और यक्ष आदि का आयतन 'चैत्य' कहलाता है। यहाँ प्रयुक्त महोत्सव भौतिक कामनाओं के लिए किए जाते रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चैत्य शब्द का प्रयोग जिन भगवान् की प्रतिमा या मन्दिर के लिए प्रयुक्त नही हुआ है। उक्त शब्द यक्षायतन या व्यन्तरायतन का परिवोधक है।

अब सूत्रकार ग्रामान्तरीय आचार का वर्णन करते हुए कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ परं अद्धजोयणमेराए संखडिं नच्चा संखडिपडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए । से भिक्खू वा २ पाईणं संखडिं नच्चा पडीणं गच्छे अणाढायमाणे, पडीणं संखडिं नच्चा पाईणं गच्छे अणाढायमाणे, दाहिणं संखडिं नच्चा उदीणं गच्छे अणाढायमाणे, उईणं संखडिं नच्चा दाहिणं गच्छे अणाढायमाणे, जत्थेव सा संखडी सिया, तंजहा—गामंसि वा, नगरंसि वा, खेडंसि वा, कव्वडंसि वा, मडंबंसि वा, पट्टणंसि वा, आगरंसि वा, दोणमुहंसि वा, नेगमंसि वा, आसमंसि वा, संणिवेसंसि वा, जाव रायहाणिंसि वा संखडिं संखडिपडियाए नो

ॐ धूम पु० (स्तूप) प्रेक्षा घर के सामने वाली मणिपीठिका के ऊपर का सोलह योजन लम्बा चौटा सोलह योजन ऊंचा सफेद रंग वाला चैत्यस्तूप,—स्मारक स्तम्भ, स्तूप, मृतक घर (अर्द्ध-मागधीकोप भा० ३ पृ० १०१)

चैत्य-न० (चैत्य) यक्ष वगैरह व्यन्तर देवता के आयतन स्थान, चिता के ऊपर मंदिर या अन्य रूप मे बनाया हुआ स्मारक चिन्ह, ससारी लोग इसकी इस लोक के सुखों की इच्छा से उपासना करते है। (अर्द्धमा० कोप भा० २ पृ०, ७३७)

अभिसधारिजा गमणाए, केवली ब्रूया—आयाणमेय, सखडिं
सखडिपडियाए अभिधारेमाणे आहाकम्मिगं वा, उद्देसिय वा,
मीमजाय वा, कीयगड वा, पामिच्च वा, अच्चिज्ज वा, अणिसिट्ठ
वा, अभिहड वा आहट्टु दिज्जमाण भुज्जिज्जा ॥१२॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ पर अर्द्धयोजनमर्यादया सर्खाडिं ज्ञात्वा सखडि-
प्रतिज्ञया नाभिसधारयेत् गमनाय । स भिक्षुर्वा २ प्राचीना सर्खाडिं ज्ञात्वा
प्रतीचीन गच्छेत अनाद्रियमाण, प्रतीचीन सर्खाडिं ज्ञात्वा प्राचीन गच्छेत
अनाद्रियमाण, दक्षिण सर्खाडिं ज्ञात्वा उदीचीन गच्छेत् अनाद्रियमाण,
उदीचीन सर्खाडिं ज्ञात्वा दक्षिण गच्छेत् अनाद्रियमाण, यत्रैव असी सखडि-
स्यात्—तद्यथा—ग्रामे वा नगरे वा खेटे वा कवटे वा मडवे वा पत्तने वा
आकरे वा द्रोणमुख वा नेगमे वा आश्रमे वा सन्निवेशे वा यावत् राजधाया
वा सर्खाडिं सखडिप्रतिज्ञया न अभिसधारयेत् गमनाय, केवली ब्रूयात्—
आदानमेतत्, सखडिं सखडिप्रतिज्ञया अभिसधारयत् आधाकर्म वा, औद्देशिक
वा, मिश्रजात वा, क्रीतकृत वा, प्रामित्य वा, आच्छेद्य वा, अनिसष्ट वा,
अभ्याहृत वा आहृत्य दीयमान भूञ्जीत ।

पदाय—ते भिक्षू वा—वह साधु साध्वी । पर—प्रत्ये म उक्तं अर्द्धयोजनमेराए—
अर्द्धयोजन परिमाण क्षेत्र म । सर्खाडिं—जामगवार प्रातिभाजन का । नच्चा—जानकर ।
सखडिपडियाए—गुस्नादु अहार वाभ की प्रतिज्ञा स । गमणाए—जान क लिए । नो अभिसधा
रिज्जा—मन म सकल्प न करे । से—वह । भिक्षू वा २—साधु या साध्वी । पार्डिण—पूव दिशा
मे । सर्खाडिं—सखनी की । न चा—जानकर । पडोण—पदिचम दिशा म । अणाढायमाणे—
उतका अनान्तर करता हुआ । गच्छे—जाए । पडोण—पदिचम दिशा म । सर्खाडिं—सखनी की ।
नच्चा—जानकर उसका । अणाढायमाणे—अनान्तर करता हुआ । पार्डिण—पूव दिशा का ।
गच्छे—जाए । दक्षिण—दक्षिण दिशा मे । सर्खाडिं—सखनी का । नच्चा—जानकर उसका ।
अणाढायमाणे—अनान्तर करता हुआ । उर्डीण—उत्तर दिशा मे । गच्छे—जाए तथा । उर्डीण—
उत्तर दिशा म । सर्खाडिं—सखनी का । नच्चा—जानकर उसका । अणाढायमाणे—अनान्तर

नाकर दिए हुए का खाता है तो वह आधाकर्मिक, औद्देशिक, मिश्रजात, श्रितकृत, उग्र लिया हुआ, छोना हुआ, दूसर की बिना आज्ञा लिया हुआ और सन्मुख नाया हुआ खाता है। तापय यह है यदि साधु वहा जाएगा तो मभव है कि उसे सद्योप आहार खाना पड़े।

हिंदी विवचन

प्रस्तुत मूत्र में बताया गया है कि साधु का सरस एवं स्वादिष्ट पदार्थ प्राप्त करने की अभिलाषा से सगरी—उठ जीमनवार या प्रीतिभाज में भिक्षा को नहीं जाना चाहिए। उम स्थान में ही नहीं अपितु जहाँ पर प्रीतिभाज आदि हो रहा है उस दिशा में भी आहार का नहीं जाना चाहिए। इससे साधु की आहार वृत्ति की बढोरता एवं स्वाद पर विजय की बात गहज ही समझ में आ जाती है। ऐसे आहार का भगवान न आधाकर्म आदि दायाँ में युक्त उताया है। इससे स्पष्ट है कि साधु यदि एम प्रसंग पर वहाँ आहार के लिए जाएँ तो अप्रामुख एवं अनपण्य आहार लेना होगा। क्योंकि अत्यधिक आरम्भ समारम्भ होने से वह सचित्त आदि पदार्थों के स्वर्ग का खान नही रख सकता दन में भी अविधि हो सकती है और साधु का उस दिशा में आना हुआ दखकर कुछ विशिष्ट पदार्थ भी तयार किए जा सकते हैं या उन्हें साधु के लिए इधर उधर रखा जा सकता है। अतः साधु का एम प्रसंग पर आहार का नहीं जाना चाहिए।

मत्स्य गण का अर्थ होता है—'मत्स्य' शब्द विगध्य त प्राणिना यत्र मा मत्स्यि अथवा जहा पर अनेक जीवा के प्राणा का नाश करके भाजन तयार किया जाता है, उम मत्स्य कहते हैं। वतमान में इसे भाजनगाना कहते हैं। इसका गूढ अर्थ महा नव एवं विवाह आदि के समय किया जान वाला सामूहिक जिमनवार में किया जाता है। एम स्थान पर गुद्ध निर्दाश एषण्य एवं सात्विक अहार उपनय होना कठिन है, इसलिए साधु के लिए वहा आहार का जान का दिवध किया गया है।

उम समय गाँव एवं नगर में ता मगरी हाना हा थी। इसमें अतिरिक्त पेट—धून के काट वाले स्थान तुल्यित नगर मन्व—जिस गाँव के राद १ मील पर गाँव बस रहा है, पत्तन—जहाँ पर मत्स्यगामा में आकर मान विवचना है (ध्यापारिक मत्स्य) आकर—जहाँ ताम्र, गण आदि की खान है, द्राणमुग—जहाँ जन श्री

रघुन प्रदेश का भेज होता हो। नंगम व्यापारिक वस्ती, आश्रम, मन्निवेज—सराय (धर्मशास्त्र) कावनी आदि। ये स्थान ऐतिहासिक गवेषण की दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'आयाणमेय' का अर्थ है—कर्म बन्ध का हेतु। कुछ प्रतियों में 'आयाणमेय' के स्थान पर 'आयणमेय' ऐसा पाठ भी मिलता है। इसका अर्थ है—यह कार्य दोषों का न्याय है, यद्वा इतना रमण रगना चाहिए कि यह वर्णन उल्लङ्घन पक्ष को लेकर किया गया है जपरन्व—गामान्य पक्ष को लेकर नहीं।

गमती में जाने में कौन में दोष लग सकते हैं, उनका उन्नेय करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—असंजए भिक्खुपडियाए खुड्डियदुवारियाओ महल्लियदुवारियाओ कुज्जा, महल्लियदुवारियाओ खुड्डियदुवारियाओ कुज्जा, समाओ सिज्जाओ विसमाओ कुज्जा, विसमाओ सिज्जाओ समाओ कुज्जा, पवायाओ सिज्जाओ निवायाओ कुज्जा, निवायाओ सिज्जाओ पवायाओ कुज्जा, अंतो वा बहिं वा उवस्सयस्स हरियाणि छिंदिय छिंदिय दालिय दालिय संथारगं संथारिज्जा, एस विलुङ्गयामो सिज्जाए, तम्हा से संजए नियंटे तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा पच्छासंखडिं वा संखडिं संखडि-पडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए, एयं खलु तस्स भिक्खु-स्स जाव सया जए, त्तिवेमि ॥१३॥

छाया—असंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया क्षुद्रद्वाराः महाद्वाराः कुर्यात् महाद्वाराः क्षुद्रद्वाराः कुर्यात्, समाः शय्या विषमाः कुर्यात्, विषमाः शय्याः समा कुर्यात्, प्रवाताः शय्याः निवाताः कुर्यात्, निवाताः शय्याः प्रवाताः कुर्यात्, अन्तो-

वा बहिर्वा उपाश्रयस्य हरितानि छित्त्वा २ विदाय २ सस्तारक सस्तारयेत्, एष निग्रथ (अकिंचन) शय्याया, तस्मात् स सयत निग्रथ तथा-प्रकारा पुरसर्खडि वा पश्चात्सर्खडि वा सर्खडि सर्खडिप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेत् गमनाय, एव खलु तस्य भिक्षो यावत् (सामग्र्य) सदा यतेत् । इतिब्रवीमि ।

पदाय—असजए—असजानि गृहस्थ । भिक्षुपडियाए—माधु क विण । खुडिडय दुवारियाओ—छाट द्वार को । महलिनयदुवारियाओ—बड़ा द्वार । कुञ्जा—करना है या । महलिनय-दुवारियाओ—बड़े द्वार को । खुडिडयदुवारियाओ—छाट द्वार । कुञ्जा—करना है । समाओ सिञ्जाओ—सम गय्या का । सिञ्जाओ—विपम गय्या । कुञ्जा—करना है । विसमाओ सिञ्जाओ—विपम गय्या को । समाओ—सम । कुञ्जा—करना है । पवायाओ सिञ्जाओ—वायु वाती गय्या वा । निवायाओ—निवात-वायु रति । कुञ्जा—करना है ओर । निवायाओ सिञ्जाओ—निवात गय्या वा । पवायाओ—वायु युक्त । कुञ्जा—करना है । उवससपस—उपाश्रय क । अतो वा—अन्तर स । बहि वा—बाहर स । हरियाणि—हरियाली का । द्विदिय २—छेदन करना है । दालिय २—विदारण करता है । सधारग—सस्तारक वा । सधारिञ्जा—विद्यया है । एस-यह माधु । विलुङ्ग्याओ—अकिंचन है अन्न । सिञ्जाए—यह गय्या उमक विष मन्कार की गई है । तम्हा—अन्न । से सजए—वह सयत । नियडे—निग्रथ । तहपगार—स प्रकार की गय्या को एव । पुरेसर्खडि वा—विवाहान्तिक क समय का पहली जामनवार । पच्छासर्खडि वा—मनक के निमित्त पीछे की जान वाली जामनवार । सर्खडि—सख्त वा । सर्खडिपडियाए—सख्त की प्रतिज्ञा से । गमणाए—गमन करन क विण । नो अभिसधारिञ्जा—मन क विचार न कर । एय—यह । खलु—निश्चय ही । तस—उस । भिक्षुस—भिक्षु की । जाव—यावत् सामग्रता है—सम्पूणता है । सदा—सदा । जए—यत्न कर । त्तिबेमि—सम प्रकार में करना है ।

मूलाथ—कोई श्रद्धालु गृहस्थ साधु के (सर्खडि म आने की सम्भावना से) छोटे द्वार को बड़ा करेगा और बड़े को छोटा, तथा सम गय्या का विपम और विपम को सम करेगा, तथा वायु युक्त शय्या को निवात (वायु रहित) और निवात को सवात (वायुयुक्त) करेगा । इसी भाँति उपाश्रय के अन्दर और बाहर हरियाली का छेदन करेगा तथा उसे जड़ से उखाड़ कर आमन को व्यवस्थित बनाएगा । क्योंकि वह गय्या अकिंचन भिक्षु

के लिए है। अतः वह यत्नशील निर्ग्रन्थ उक्त प्रकार की पूर्व संखड़ी तथा पश्चात् संखड़ी को संखड़ी की प्रतिज्ञा से जाने के लिए मन में सकल्प न करे। यह निश्चय ही साधु वा साध्वी की सामग्रता अर्थात् भिक्षु भाव की सम्पूर्णता है, ऐसा मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र के पूर्व भाग में हम देख चुके हैं कि संखड़ी में आहार को जानने से निर्दोष आहार मिलना कठिन है। और इस सूत्र के उत्तर भाग में यह बताया गया है कि संखड़ी में जाने से और भी अधिक दोष लग सकते हैं। यदि किसी श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति को यह पता लग जाए कि साधु इस ओर आहार के लिए आ रहा है, तो वह उसके लिए गय्या आदि को ठीक करने का प्रयत्न करेगा, स्थान को ठहरने के योग्य बनाने के लिए ड़धर-उधर पड़े हुए घास-फूस को काटेगा, पानी आदि से धोएगा और दरवाजे को छोटा-बड़ा बनाएगा। इस दृष्टि से भी संखड़ी के स्थान में साधु को आहार के लिए जाने का निषेध किया गया है।

‘संखड़ी’ भी पूर्व और पश्चात् के भेद से दो प्रकार की होती है। - विवाह आदि के मागलिक कार्यों के समय विवाह सम्पन्न होने से पूर्व की जाने वाली संखड़ी को पूर्व संखड़ी कहते हैं। और मरे हुए व्यक्ति के पीछे मृत भोज को पश्चात् संखड़ी कहते हैं। क्योंकि मृतभोज व्यक्ति के मरने के बाद ही किया जाता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त ‘असजए’ पद का अर्थ वृत्तिकार ने श्रावक या अन्य भद्र-पुरुष किया है। इसका अर्थ यह है कि उपाश्रय के साथ श्रावक का सम्बन्ध होने के कारण श्रावक अर्थ सगत बैठता है। परन्तु विवेकवान एव तत्त्वज्ञ श्रावक साधु के लिए घास-फूस काटकर आरम्भ नहीं करता। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि साधु-चर्या से अनभिज्ञ श्रावक या श्रद्धानिष्ठ भक्त हो सकता है।

‘तित्वेभि’ का अर्थ पूर्ववत् समझे।

प्रथम अध्ययन पिराडैपरा

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक म मन्दि आदि स मन्वित दापा का उन्नेय किया गया है ।
प्रस्तुत उद्देशक मे अय दापा का विवचन करन हुए सूत्रकार कहत है—

मूलम्—से एगडथो अन्नयर मखडि आसित्ता पिचित्ता-
अडिडजा वा, वमिजा वा, भुत्ते वा से नो सम्म परिणमिज्जा,
अन्नयरे वा मे दुक्खे रोगायके समुप्पज्जिज्जा, केवली वृया—
आयाणमेग ॥१४॥

इह खलु भिक्खू गाहावईहि वा गाहावडणीहि वा परि-
वायएहि वा पग्गिवाडयाहि वा एगज्ज सद्धि सुण्ड पाउ भो वइ-
मिस्म हुरत्था वा उवस्सय पडिलेहेमाणो नो लभिज्जा तमेव
उवस्सय मम्मिस्सीभावमावडिज्जा, अन्नमणे वा से मत्ते विप्परि-
यासीयभृए इत्थिविग्गहे वा किलीवे वा त भिक्खु उवसक्मित्तु
वृया—आउसतो ममणा । अहे आरामसि वा अहे उवस्सयसि
वा राओ वा वियाले वा, गामधम्मनिगतिय कट्टु रहस्सियं
मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टामो, त चेवेगडथो सात्तिज्जि-
ज्जा, अकरणिज्ज चेग सखाए एए आयाणा (आयतणाणि)सति

संविज्जमाणा पञ्चाभाया भवति, तम्हा से संजए नियंठे तहप्प-
गारं पुरेसंखडिं वा पञ्चासंखडिं वा संखडिं संखडिपडियाए
नो अभिसंधारिज्जा गमणाए ॥१५॥

खाया—स एकदा अन्यतगं संखडिम् आस्वाद्य पीत्वा छर्दयेद् वा वमेद्
वा भुक्तो वा स नो सम्यक् परिणमेत्, अन्यतगेवा स दुःखः रोगातकः समुत्प-
द्येत, केवली ब्रूयात्—आदानमेतत् ।

इह खलु भिक्षु गृहपतिभिर्वा गृहपत्नीभिर्वा परिव्राजकैर्वा, परिव्राजिका-
भिर्वा एकस्मिन् माद्वं मीधु पातु भो ! व्यतिमिश्रं हुरस्था वा उपाश्रयं प्रत्युपैक्षमाणः
न लभेत तमेव उपाश्रयं समिश्रीभावपापद्येत, अन्यमना व म मत्तः विपरिया-
मीभूतः स्त्रोविग्रहे वा कनीचे वा तं भिक्षुमुपसक्रम्य ब्रूयात्—आयुष्मन्
श्रमण ! अथागामे वा अथोपाश्रये वा गत्रौ वा विकाले वा ग्रामधर्म नियत्रितं
कृत्वा रहसि मैथुन धर्म परिचाराणां प्रवर्तमहे, तां चैव एकाकी अभ्युपगच्छेत्
अरुणीय चेदं सख्याय एतानि आदानानि (आयतनानि) सन्ति संचीयमा-
नानि प्रत्यपाया भवन्ति, तस्मादसौ सयतो निर्ग्रन्थः तथाप्रकारां पुरः संखडिं
वा पश्चात् संखडिं वा संखडिं संखडिप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ।

पदायै—से—वह-भिक्षु । एगइओ—एकदा । अन्नयरे—किसी एक । संखडि—संखडि से ।
आसित्ता—सरस आहार खाकर । पिबित्ता—दूधादि पीकर । छडिंज्जवा—छर्दी करे या ।
वमिज्ज वा—वमन-उलटी करे । भुत्ते—खाया हुआ । से—वह—आहार । सम्मं भली प्रकार
से । नो परिणमिज्जा—परिणमन न हो तो । अन्नयरे वा—अन्य विसूचिकादि से । से—वह ।
दुख्खे—दुःखी होगा या । रोगायं के—रोग-प्रातंक, ज्वर, शूलादि । समुप्पज्जिज्जा—उत्पन्न हो
जाएगे, अतः । केवली ब्रूया—केवली भगवान कहते हैं कि । आयाणमेयं—यह कर्म वन्व का
कारण है ।

इह खलु—निश्चय ही इस संखडि में जाने से । भिक्खू—भिक्षु—गाहावईहिं—गृहपतियो से
अथवा । गाहावईणीहिं—गृहपति की स्त्रियो से । वा—अथवा । परिव्राजएहिं वा—परिव्राजको
से अथवा । परिव्राजएहिं वा—परिव्राजिकाओ से । एगज्जं सडि—एकट्ठे—एक साथ मिलने पर

गृहपाठ—सीधु—मन्त्रिण न पीत पर । मो हे गिष्य । वृद्धिवास्त—उत्तो अतिगिष्य हो जायगा । वा—प्रथवा । हुरस्था वा—वही त बाहर निकल कर । उवस्तस्य—उपाध्यय की । पश्चिद्वेषाण—याचना करता हुआ । मोनमिञ्जा—जब पक्ष्या उपाध्यय ग गिष्यता तो । तमेव उवस्तस्य—उनी उपाध्यय मे । समिरनीमाधमावमिञ्जा—गृहस्थी या परिव्राजकों के साथ मिलकर रहना होगा । वा—धीरवही । न—वह गृहस्थानि । अ नमगे—परस्पर । मसे—मनोगम्यत होकर । विपरिधातिसमूह—विपरीतभाव को प्राप्त हाये धीर उनक समान से भिन्न भी धरता धारणा को विस्मृत कर देगा । वा—प्रथवा । इत्यो विगृहे—रत्री न शरीर मे, तथा । किलोवे—पुनः वें विपरीत भाव को प्राप्त हो जाता है । वा—वह स्त्री या मनुष्यक । त—उत्त । निरुत्तुं—भिन्नु वे । उवस्तकमित्त—जात में धारण । दूपा—इत प्रकार गये कि । धाउसतो समणा—हे धापुष्मन् भ्रमण । अहे धारामति धा—उत्तान में प्रथवा । अहे उवस्तस्यमि वा । उपाध्यय म प्रथवा । राधो वा—राधी मे । विवाले वा—विवात म—प्रवाल में । गामधम्य नियतिर्य कट्टु—धाम्य धर्म भयन धर्मा की नियंत्रणा से नियंत्रित करने । रहरिसर्य एवा त स्थान म । मेरुणधमपरिवारणाए—मैयुन धम न । धातवाथाय ह्य । धाउट्टामो प्रवस्त हो प्रवर्त्ति करें, इत प्रकार कहे जाने पर । त—उस प्राधना की । वेवेगहधो कीर् प्रनभिज्ञ भिन्न । सातिमिञ्जा—स्वीकार करने । च—पुन । एव—यह । अकारमिञ्ज—अकारणीय वाय । सत्ताए—जाकर सत्तडि मे गमन न करे । एत—य पूर्वोक्त । धापाणा—कर्म धाने न माग प्रथवा । धापतणानि—दोषो के स्थान । सति—हैं । सविज्जमाणा—क्षण-ण में कर्म संभव करता हुआ । पच्चवाया—इती प्रकार न प्रथ भी कर्म धाने के माग । भवति—होते हैं । तम्टा—प्रत । मे—वह । संजए—संयत—सयमशील । निपट्ट—निर्ग्रन्थ । तहृष्पगार—उक्त प्रकार की । पुरेसत्तडि—पुन मंत्तडि में प्रथवा । पच्छासत्तडि वा—पन्नात् सत्तडि में । सत्तडि—संत्तडि को जानकर । सत्तडि पडियाए मंत्तडि की प्रतिज्ञा से । गमणए—उस धीर जाने वा । नो अन्नितधारिञ्जा—मन मे सकल्प भी न करे ।

मूलार्थ—सत्तडि मे गए हुए साधु का वहा अधिव सरस आहार करने एव अधिन दूधादि पीने के कारण उमे वमन हो सकता है या उस आहार का सम्यक्तया पानन नही होने से विसूचिका, ज्वर या क्षूलादि रोग उत्पन्न हो सकता है । इसलिए भगवान ने सत्तडी मे जाने के वाय तो कर्म धाने का कारण कहा है ।

इसके अतिरिक्त सत्तडि मे गया हुआ साधु गृहपति एव उस

को पत्नी, परिव्राजक-परिव्राजिकाओं के सहवास से मदिरा पान करके निश्चय ही अपनी आत्मा का भान भूल जाएगा । और उस स्थान से बाहर आकर उपाश्रय को याचना करेगा, परन्तु अनुकूल स्थान नहीं मिलने पर वह गृहस्थ या परिव्राजको के साथ ही ठहर जाएगा । और मदिरा के प्रभाव से वह अपने स्वरूप को भूल कर अपने आप को गृहस्थ समझने लगेगा । उम समय स्त्री या नपुंसक पर आसक्त होने लगंगा उसे मदोन्मत्त देखकर रात्री में या विकाल मे स्त्री या नपुंसक उसके पास आकर कहेंगे कि हे आयुष्मान् श्रमण ! व्रगोचे या उपाश्रय के एकान्त स्थान मे चलकर ग्रामधर्म-मैथुन का आसेवन करें । इस प्रार्थना को सुनकर कोई अनभिज्ञ साधु उसे स्वीकार भी कर सकता है । अतः इस तरह आत्म पतन होने की सम्भावना होने के कारण भगवान ने सखडि मे जाने का निषेध किया है और इसे कर्मबन्ध का स्थान कहा है । इसमे प्रति श्रण कर्म आते रहते है । इसलिए साधु को पूर्व सखडा या पश्चात् संखडो में जाने का मन मे भी सकल्प नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

यह हम देख चुके है कि साधु को संखडि मे आहार के लिए जाने का निषेध किया गया है । पूर्व उद्देशक में बताया गया है कि वहां जाने से साधु को अनेक दोष लगने की सम्भावना है । प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि संखडि में आहार को जाने से साधु को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक हानि भी होती है । क्योंकि साधु का आहार सात्त्विक एवं नीरस होता है और प्रायः ऐसा करने से उसकी आंति भी उस आहार को पचाने की अभ्यस्त हो जाती है । और सखडि में सरस एव प्रकारम भोजन बनता है और दूध आदि पेय पदार्थ भी होते है और सरस एव स्वादिष्ट पदार्थों के कारण वे अधिक खाए जा सकते है । इससे साधु को वमन हो सकती है, या पाचन क्रिया ठीक न होने से विसूचिका, शूल आदि भयंकर रोग हो सकते है और उसके कारण उसकी तुरन्त मृत्यु भी हो सकती है । इस तरह आर्त एवं रौद्र ध्यान मे प्राण त्याग करके वह दुर्गति में जा सकता है । इसलिए साधु को ऐसे स्थानों मे आहार आदि को नहीं जाना चाहिए ।

दूसरा दोष यह है कि मगडि में जाने पर वहाँ आए हुए अन्य मत के भिक्षुओं से उसका घनिष्ठ परिचय होगा और उससे उनकी श्रद्धा में विपरीतता आ सकती है। और उनके ससर्ग से वह मद्य आदि पदार्थों का सेवन कर सकता है और उनके कारण पने आत्म भान को भूलकर सयम के विपरीत आचरण का सेवन भी कर सकता है। शराप के नगे में उ मत्त होकर वह नृत्य भी कर सकता है और किसी उ मत्त स्त्री के द्वारा भोग का निमंत्रण पाकर उस पथ पर भी फिंमल सकता है। इस तरह सगडि में जाकर वह अपने सयम का सर्वथा नाश करके जन्म-मरण के अनन्त प्रवाह में प्रवृत्त हो सकता है।

इस तरह सगडि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक चिन्तन एवं आध्यात्मिक साधना आदि सबका नाश करने वाली है। इस लिए साधु को मगडि के स्थान की ओर भी नहाना चाहिए। इस विषय में और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ अन्नयरिं सखडि सुच्चा निमम्भ
मपहावड उस्सुयभूएण अण्णाण्ण, धुवा सखडि, नो सचाएड तत्थ
इयरैरैहि कुलेहि सामुदाणिय एमिय वेमिय पिडवाय पडिग्गाहि-
त्ता आहार आहारित्तए, माड्ढटाण सफासे, नो एव करिज्जा । से
तत्थ कालेण आणुपविमित्ता तत्थियरैरैहिं कुलेहि सामुदाणिय
एमिय वेसिय पिडवाय पडिग्गाहित्ता आहार आहारिज्जा ॥१६॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अन्यतरा सगडि श्रुत्या निशम्य सम्प्रधावति
उत्सुक्कभूतेनात्मना, ध्रुवा सखडि न शक्नोति तत्र, इतरैतरेभ्य कुलभ्य
सामुदानिक (भैक्षम्) एण्णीय वैपिक पिण्डपात परिगृह्य आहारमाहत्तु मत्तु
स्थान सम्पृणन् न एव कुर्यात् । स तत्र कालनानुप्रविश्य तत्रैतरेतरेभ्य कुलभ्य
सामुदानिक (भैक्षम्) एण्णीय वैपिक पिण्डपात प्रतिगृह्यहागमाहारयेत् ।

पदाय—से—वत् । भिक्षू वा २—साधु अथवा साध्वी । अन्नयरि—अन्यतर—किसी
एक स्थान पर । सखडि—सखडि की । सुच्चा—सुनकर । निमम्भ—विचार कर । उस्सुयभूएण—
उत्सुकतापुक्त । अण्णाण्ण—आत्मा म । मपहावड—जाता है । धुवा—निश्चित । सखडी—है ।

वहा संखडि वाले ग्राम मे । इधरेधरेहि — इनर-उतर—संखडि रहित । कुलेहि—कुलों से । सामुदाणिय — सामुदानिक बहुत्त से घरों का । एसिय — एपणीय—आधाकर्मादि दोषों से रहित । वेसिय — साधु के वेप द्वारा प्राप्त किया गया । पिडवाय — पिण्डपात—आहार को । पडिग्गाहिता — लेकर । आहारं आहारित्त ? आहार करने-भक्षण करने के लिए । नोसचाएत्ति—शक्ति सम्पन्न नहीं होगा अतः । माइट्ठाणं—मातृस्थान का । संफासे — स्पर्श होता है । नो एवं करिज्जा—अतः वह ऐसा न करे किन्तु । से वह भिक्षु । तत्थ — उस संखडि वाले ग्राम मे । कालेण — भिक्षा के समय । अणुपविसित्ता — प्रवेश कर के । तत्थियरेधरेहि—संखडिवाले घर से इतर । कुलेहि — कुलों-घरों मे । सामुदाणिय — सामुदानिक । एसिय — निर्दोष । वेसियं — केवल साधु वेप से प्राप्त हुआ । पिडवायं — पिण्डपात आहार को । पडिग्गाहिता—ग्रहण करके । आहारं— उस आहार को आहारज्जा—भक्षण करे खावे, परन्तु संखडि मे जाने का उद्योग न करे ।

मूलार्थ—जो साधु वा साध्वी किसी अन्य स्थान पर संखडि-को सुन कर तथा मन मे निश्चय कर उत्सुक आत्मा से वहा जाता है, संखडी का निश्चय कर संखडि वाले ग्राम में या संखडि से भिन्न, जिन घरों में संखडि नहीं है आधाकर्मादि दोषों से रहित भिक्षा प्राप्त होती है । उनमें इस भावना से आहार को जाता है कि मुझे वहा भिक्षा करते देख कर संखडि वाला व्यक्ति मुझे आहार की विनती करेगा ऐसा करने से मातृस्थान-कपट का स्पर्श होता है । अतः साधु इस प्रकार का कार्य न करे । वह भिक्षु संखडियुक्त ग्राम मे प्रवेश कर के भी संखडी वाले घर मे आहार को न जाए, परन्तु अन्य घरों मे सामुदानिक भिक्षा जो कि आधाकर्मादि दोषों से रहित, ग्रहण करके अपने सयम का परिपालन करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत अत्र मे बताया गया है कि साधु को संखडि में जाने के लिए छल-कपट का सहारा भी नहीं लेना चाहिए । जैसे—किमी मुनि को यह मालूम हुआ कि अमुक स्थान पर संखडि है, उस समय वह भिक्षु संखडि में जाने की अभिलाषा मे उम और आहार को जाना है । वह अपने मन में सोचता है कि जब मैं उन ओर के घरों में गोचरी करूँगा तो संखडि वाले मुझे देखकर आहार की विनती करेंगे और इस तरह मुझे सरल आहार प्राप्त होगा । इस भावना से भी साधु को संखडि मे नहीं जाना चाहिए । इस तरह छल-कपट करने से उसका दूसरा एवं तीसरा महाव्रत भंग हो जाता है और मन में

सरस आहार की अभिलाषा बनी रहने के कारण वह श्रय घरों से निर्णय एवं एषणीय आहार भी प्रणय नहीं कर सकेगा। श्रय भिक्षु को आहार के अज्ञान सरसडि की श्रय नहीं जाना चाहिए। परन्तु सरसडि को छोड़कर श्रय घरों से निर्णय एवं एषणीय आहार ग्रहण करने हुए समय साधना में सलग्न रहना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में सामुदायिक एतिय वेतिय' इन तीन पदों का प्रयोग किया है। सामुदायिक गोचरों का अर्थ है— छोटे बड़े या गरीब अमीर के भेष को छोड़कर अनिन्दनीय कुलों से निर्णय आहार को ग्रहण करना। एषणीय का अर्थ है— आधाकर्म आदि १६ दोषों से रहित आहार ग्रहण करना और वैषय का अर्थ— धात्री आदि १६ दोषों से रहित आहार स्वीकार करे। वैषय शब्द 'वसिय, 'वेपित और वष' का भी बोधक है।

सरसडि के त्रिपय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मे भिक्षू वा २ म ज पुण जाणिजा गाम वा

जाव रायहाणि वा इमसि सलु गाममि वा जाव रायहाण-
मिवा मखडी सिया तपि य गाम वा जाव रायहाणिवा सरसडे
सरसडिपडियाए नो अभिसधारिज्जा गमणाए । रुवली वूया
यायाणमेय, याडन्नाज्वमा णं सरसडि यणुपविस्समाणास्स पाएण
वा पाए अक्कतपुन्वे भवड, हत्येण वा हत्य सच्चालिय पुव्वे
भवड, पाएण वा पाए आवाडय पुव्वे भवड, सीमेण वा
सीम, सपट्टियपुव्वे भवड, काएण वा काए सरसोमिय पुव्वे
भवड दडेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेलुणा वा क्वा-
लेण वा अभिहयपुव्वे वा भवड, मीयोदण वा उस्मित्तपुव्वे
भवड, रयमा वा परिधामिय पुव्वे भवड, अणोसणिज्जे वा

श्र वेतिय' त्रि० (वषय) वष—बाह्य तिल मात्र भी प्राप्त वषय । 'वसिय त्रि(वेपित)

दिगय एषणा को गढ़ करी लीपज ।

परिभुक्त पुव्वे भवइ, अन्नेसिं वा दिज्जमाणा पडिग्गहियपुव्वे
भवइ, तम्हा से संजए नियंठे तहप्पगारं आइन्नावमा गां
संखडिं संखडिं पडियाए नो अभिसंधारिज्जा गमणाए ॥१७॥

छाया—स भिदुर्वा तद् यत् पुनः जानीयात् ग्रामे वा यावत् राजधान्या
मस्मिन् खलु ग्राम वा यावद् राजधान्या वा संखडिः स्यात् तस्यपि च ग्रामे वा
यावद् राजधान्या वा संखडिं संखडिं प्रतिज्ञया न अभिसन्धारयेत् गमनाय,
केवली ब्रूयात्-आदानमेतत् । आक्रीर्णावमां वा संखडिमनुप्रदिशतः पादेन वा
पादः आक्रान्त पूर्वं भवेत्, हस्तेन वा हस्तः. संचालितः-पूर्वं भवति, पात्रेण
वा पात्रं आपतित पूर्वं भवति, शिरसा वा शिरः संघटित पूर्वं भवति, कायेन
वा कायः संक्षोभित पूर्वं भवति, दण्डेन वा अस्थना वा मुष्टिना वा लोष्ठेन
वा कपालेन वा अभिहत पूर्वं वा भवति, शीतोदकेन वा उत्सिक्त पूर्वं भवति,
रजसा वा परिघर्षित पूर्वं भवति अनेपण्णोयेन वा परिभुक्त पूर्वं भवति,
अन्यस्मै वा दीयमानं प्रतिग्राहित पूर्वं भवति, तस्मात् स सयतः निर्ग्रन्थः तथा
प्रकारमाक्रीर्णावमां संखडिं संखडिं प्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—भिक्षु—साधु अथवा साध्वी । से जं पुण—जो फिर
जग्णिज्जा—जाने । गामं वा—ग्राम मे । जाव—यावत् । रायहाणिं वा—राजधानी मे ।
खलु—निश्चय ही । इमसि—इस । गामंसि—ग्राम मे । जाव—यावत् । रायहाणिसिवा—
राजधानी मे । संखडिं सिया—संखडि है । तं पि य—उस । गाम वा—ग्राम मे । जाव—
यावत् । रायहाणिं वा—राजधानी मे । संखडिं—संखडि को । संखडिं पडियाए—संखडि की
प्रतिज्ञा से । गमणाए—उम और जाने का । नो अभिसंधारिज्जा—सकल्प न करे । केवली ब्रूया—
केवली भगवान कहते हैं कि । आयाणमेयं—यह संखडिगमन कर्म के आने का मार्ग है ।
आइन्ना—परिब्राजकादि से आक्रीर्ण । अवमा—और जिसमे थोडे व्यक्तियों के लिये भोजन बनाया
गया हो तथा भिखारी अधिक हो ऐसी हीन । संखडिं—संखडि में । अणुपविस्ममाणस्स—प्रवेश
करते समय । पाएण वा पाए—परस्पर पैर से पैर । अक्कंतपुव्वे—प्रथम आक्रान्त । भवइ—
होता है । हस्थेण वा हत्थे—हाथ से हाथ का । संचालित पुव्वे भवइ—संचालन होता है ।
पाएण वा पाए—पात्र से पात्र का । अवखिय पुव्वे भवइ—सघर्षण होता है । सीसेण वा—
सीसे—शिर से शिर का । संघट्टिय पुव्वे भवइ—सघटन होता है । काएण वा काए—शरीर मे

शरीर का । सखोमिय पध्वे भवइ - मगोम होना है फिर शरीर के कारणादि सघटन म कलह उत्पन्न होने की सम्भावना है जिस म वे चरकादि भिन्नगण ग्राम म । दृष्टेय वा - २७३ स । घट्टीण वा प्रमिय से । मण्ठीण वा - मुट्टी म । लेलण वा - पत्थर मे । क्वालेण वा - मिट्टी क ढनो म लडगे । अभिहय पध्वे भवइ - इसस एक दूसरा प्रभित्त होणा - एक दूसरे को अभिघान पहुचेगा प्रथवा । सोघोदएण वा - नीनोत्तर से - नीतन जल से । उप्पिसस पध्वे भवइ - एक दूसरे के मीचगा, तथा । रयसा वा - रज स मिट्टी स । पधिसियपध्वे भवइ - परिघणित करेगा य सब टोप उम सखडि म जान स उत्पन्न हो सकत है जिस म स्थान कम हो शरीर जन सख्या घटिक हो । प्रव ग्राम हीन सखडि म जन स उत्पन्न होने बासर टोपो का उल्लस करते है ।

अणेसणिज्ज वा - भक्षणणीय आहार । परिभुत्त पध्वे भवइ - भोगने वाला होगा । प्र नति वा दिज्जमाण - भय क लिए जन को उत्सुकतातर । पडि हिमपुध्वे भवइ - मध्य म ही वार्द प्रहण कर लगा । तग्हा - इम लिए । से - वह । सजए - सयत । नियठ - निग्रथ । तहएपगार - उचन प्रकार की । आइ-नावमाण - प्राणीण शरीर भवम हीन । सखडि - सखडि म । सखडि पडियाए - सखडि की प्रतिज्ञा स । समणए - जान क लिए । नो अभिसघारिज्जा - विचार न करे ।

मूलार्थ - साधु व साध्वी यह जान ले कि ग्राम मे या राजधानी मे तथा, निश्चय रूप से जान ले कि इस ग्राम या इस राजधानी मे सखडि है, तो वह उस ग्राम या राजधानी मे होने वाली सखडि मे सखडि की प्रतिज्ञा मे जाने का विचार न करे । यथाकि भगवान कहन है कि यह अशुभ कम के आने का माग है, ऐसी हीन सखडि म जान के निम्न लिखित दोषो के उपन होने की सम्भावना रहती है । यथा - जहा थोडे लोगो के लिए भोजन प्रनाया हो और परिज्राजक तथा चरकादि भिखागी गण अधिक आगए हो तो उम मे प्रवक्ष करते हुए पर से पैर पर आक्रमण होगा, हाथ से हाथ का सचालन हागा पात्र स पात्र का सघपण होगा, एव सिर मे सिर और शरीर से शरीर का सघटन होगा ऐसा हान पर दण्डे स या मुट्टी स या पत्थर अदि स एक दूसरे पर प्रहार का होना भी सम्भव है इसके अतिरिक्त, व एक दूसरे पर सचित्त जल या सचित्त मिट्टी आदि फेंक सकते है । और वहा याचको की अधिकता

के कारण साधु को अनेषणीय आहार का भी उपयोग करना होगा तथा अन्य को दिये जाने वाले आहार को मध्य में ही ग्रहण करना होगा । इस तरह उस में जाने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । इसलिए संयमशील निर्ग्रन्थ उक्त प्रकार की अर्थात् परिव्राजकादि से आकीर्ण तथा हीन संखडि में संखडि की प्रतिज्ञा से जाने का विचार न करे ।

हिन्दी विवेचन

संखडि के प्रकरण को समाप्त करते हुए प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि संखडि में जाने से पारस्परिक संघर्ष भी हो सकता है । क्योंकि संखडि में विभिन्न मत एवं पन्थों के भिन्न एकत्रित होते हैं । अतः अधिक भीड़ में जाने से परस्पर एक-दूसरे के पैर से पैर कुचला जाएगा इसी तरह परस्पर हाथों, शरीर एवं मस्तक का स्पर्श भी होगा और एक-दूसरे से पहले भिक्षा प्राप्त करने के लिए धक्का-मुक्की भी हो सकती है । और भिक्षु या मांगने वाले अधिक हो जाए और आहार कम हो जाए तो उसे पाने के लिए परस्पर वाक् युद्ध एवं मुष्टि तथा दण्ड आदि का प्रहार भी हो सकता है । इस तरह संखडि संयम की घातक है । क्योंकि वहां आहार शुद्ध नहीं मिलता, श्रद्धा में विपरीतता आने की संभावना है, सरस आहार अधिक खाने से मंक्रामक रोग भी हो सकता है और संघर्ष एवं कलह उत्पन्न होने की संभावना है । इसलिए साधु को यह ज्ञात हो जाए कि अमुक गांव या नगर आदि में संखडि है तो उसे उस ओर आहार आदि को नहीं जाना चाहिए ।

संखडि दो तरह की होती है— १-आकीर्ण और २-अवम । परिव्राजक, चरक आदि भिक्षुओं से व्याप्त संखडि को आकीर्ण और जिसमें भोजन थोड़ा बना हो और भिक्षु अधिक आ गए हों तो अवम संखडि कहलाती है* ।

मूलम्—से भिक्खू वा जाव समाणे से जं पुण्ण जाणिज्जा
असणं वा ४ एसणिज्जे सिया अणेसणिज्जे सिया विति-
गिंछसमावन्नेण अप्पाणेण असमाहडाए लेसाए तहप्पगारं असणं
वा ४ लाभे संते नो पडिग्गाहिज्जा ॥१८॥

ध्याया—स भिक्षुर्वा यावत् (गृहपति कुल प्रविष्ट) सन् पुनर्जानीयात्—
अशन वा ४ एषणीय स्यात् अनेपणीय स्यात्, विचिकित्सा समापनेनात्मना
असमाहृतया—अशुद्ध्या लेख्यया तथाप्रकारमशन वा ४ लाभे सति न प्रति-
गृहीयात् ।

पदाय—से भिक्षु वा—वह साधु वा साध्वी । जाव समाप्ते—यावत् गृह म प्रवेश
करता हुआ । से ज पुण—फिर यह । जाणिज्जा—जाने । असण वा—भगनादि चतुर्विध आहार ।
एसणिज्जे सिग्ग—क्या एषणीय है अथवा । अणसणिज्जन मिया—अनेपणीय है । विचिकित्सा—
इस प्रकार की विचिकित्सा—भगनाका युक्त । अप्पाणण—आत्मा से । असमाहृत्ताए लेसाए—यह
आहार अशुद्ध है इस प्रकार की लेखा से । सहप्पगार—उक्त प्रकार का । असण वा ४—
भगनादिक चतुर्विध आहार । लाभे सते—मिलने पर भी । नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में गया हुआ साधु वा साध्वी अशनादि
चतुर्विध आहार को जाने कि यह आहार एषणीय है या अनेपणीय ? यदि
इस प्रकार की विचिकित्सा—आशका या लेख्या उत्पन्न होने पर कि यह
आहार अशुद्ध है वह उस आहार को मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि साधु गृहस्थ के घर में आहार आदि के लिए प्रवेश
करते ही यह देखे कि मुझे दिया जाने वाला आहार एषणीय है या नहीं ? यदि उसे उस
आहार की निर्दोषता में सन्देह हो तो उसे वह आहार नहीं लेना चाहिए । क्योंकि उस
आहार के प्रति मन में सन्दोषता का सशय उत्पन्न होने पर उस सशय के दूर हुए बिना
वह उस आहार को ग्रहण कर लेता है तो वह सरूप विकल्प में उलभ जाता है ।
और उसके उस मानसिक चित्तन का प्रभाव साधना पर पड़ता है । इस तरह उसकी
आध्यात्मिक साधना का प्रवाह कुछ देर के लिए रुक जाता है या दूषित सा हो जाता
है । अतः साधु को आहार के सन्दोष होने की शंका हो जाने पर उसे उस आहार
को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए ।

अत्र गच्छ से बाहर रहे हुए चित्तकल्पी आदि मुनियों को आहार आदि के
लिए कैसे जाना चाहिए इसका अर्थ करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु० गाहावड कुल पविमिउकामे सब्ब
भाडगमायाए गाहावड कुल पिंडवायपटियाए पविसिज्ज वा

निकखमिज्ज वा ।

से भिक्खू वा २ वहिया विहारभूमिं वा वियारभूमिं
वा निकखममाणे वा पविसमाणे वा सव्वं भंडगमायाए वहिया
विहारभूमिं वा वियारभूमिं वा निकखमिज्ज वा पविसिज्ज वा ।

से भिक्खू वा २ गामाणुगामं दूइज्जमाणे सव्वं भंडगमायाए
गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥१६॥

छाया—स भिक्षुः गृहपति कुलं प्रवेष्टुकामः सर्व भण्डकमादाय गृहपति-
कुल पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा स भिक्षुर्वा० २ वहि-
विहारभूमि वा विचारभूमि वा निष्क्रमन् वा प्रविशन् वा सर्वं भण्डकमादाय
वहिः विहारभूमि वा विचारभूमि वा निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा । स भिक्षुर्वा
२ ग्रामानुग्रामं गच्छन् सर्वभण्डकमादाय ग्रामानुग्रामं गच्छेद् ।

पदार्थ—से भिक्खू—वह साधु अथवा साध्वी । गाहावइकुलं—गृहपति के कुल मे ।
पविसिड कामे—प्रवेश करने की इच्छा करता हुआ । सव्वं भंडगमायाए—अपने सर्व धर्मोप-
करणो को लेकर । गाहावइ कुलं—गृहपति के कुल में । पिण्डवायपडियाए—पिण्डपात की
प्रतिज्ञा से । पविसिज्ज वा—प्रवेश करे अथवा । निकखमिज्ज वा—निकले ।

से भिक्खू वा २—वह साधु वा साध्वी । वहिया—वाहर । विहार भूमि वा—मलोत्सर्ग
भूमि में । वियार भूमि वा—स्वाध्याय भूमि मे । निकखममाणे वा—निकलता हुआ अथवा ।
पविसमाणे वा प्रवेश करता हुआ । सव्वं—सर्व । भंडगमायाए—धर्मोपकरण को साथ लेकर ।
वहिया—बाहिर । विहार भूमिं वा—विहार-मलोत्सर्ग करने की भूमि मे । वियार भूमि वा—
स्वाध्याय भूमि में । निकखमिज्ज वा—निकले अथवा । पविसिज्ज वा प्रवेश करे ।

से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे
ग्राम में । दूइज्जमाणे—जाता हुआ । सव्व—सर्व । भण्डगमायाए—धर्मोपकरणो को साथ लेकर ।
गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम-एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे । दूइज्जिज्जा—गमन करे—जावे ।

मूलार्थ—जो साधु वा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने की इच्छा

रखते हैं वे सब भडोपकरण को साथ लेकर पिडपात प्रतिज्ञा में गृहपति कुल में प्रवेश करें या निकले ।

जो साधु वा साध्वी बाहर मनोत्सग भूमि में, या स्वाध्याय भूमि में जाना चाहते हैं वे भी अपने सब धर्मोपकरण को साथ लेकर बाहर विहार भूमि में स्वाध्याय भूमि में प्रवेश करें ।

ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, विचरते समय साधु वा साध्वी अपने सब धर्मोपकरणों को साथ लेकर एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करें ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिनकल्पी या प्रतिमाधारी साधु को आहार के लिए या शौच एवं स्वाध्याय आदि के लिए अपने ठहरे हुए स्थान में बाहर जाते समय अपने सभी उपकरण साथ ले जाने चाहिए । जब कि सूत्र में तिनकल्पी या स्थविरकल्पी का कोई उल्लेख नहीं है । परन्तु, उपकरण ले जाने के कारणों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रसंग जिनकल्पी आदि के लिए ही हो सकता है । जिनकल्पी एवं त्रिशिष्ट प्रतिमाधारी मुनि गन्ध से अलग अकेला रहता है । अतः उसके बाहर जाने के बाद यदि वर्षा हो जाए तो उसके उपकरण भीग सकते हैं या कभी कोई व्यक्ति उन्हें चूँकर ले जा सकता है । स्थविरकल्पी साधु कम से कम दो साधु रहते हैं, अतः एक-दूसरे को सावधान करके अपने स्थान से बाहर जा सकता है, अतः उसके लिए ऐसा प्रसंग आ नहीं सकता ।

दूसरे में तिनकल्पी मुनि के पास अधिक उपकरण नहीं होते । सामान्य रूप से रजोहरण और मुखवस्त्रिका ही होती है और यदि बह लज्जा पर विजय पाने में समर्थ नहीं है तो एक छोटा-सा बोलपट्टक (घोती के स्थान में लपेटने का बस्त्र) रख सकता है जिसका उपयोग गात्र या शहर में आहार आदि को जाते समय करता है और ये उपकरण तो सदा साथ रहते ही हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ जिनकल्पी मुनि शीत सहन करने में असमर्थ हों तो वे ढक उन का और अधिक आवश्यकता पड़ने पर एक सूत का बस्त्र भी रख सकते हैं । इस तरह ५ उपकरण हो गए और यदि किसी जिनकल्पी मुनि के हाथों की अजली (जिन कल्पी मुनि हाथ की अजली बनाने वाली में आहार करते हैं) में छिद्र पड़ते हों तो उससे सन्जी, दूध, पानी आदि के टपक

यह प्रश्न हो सकता है कि जिनकल्पी मुनि होते हैं, पर उनमें साध्वी नहीं होती और प्रस्तुत सूत्र में साधु-साध्वी दोनों शब्दों का उल्लेख है। इसका समाधान यह है कि यह उल्लेख समुच्चय रूप से हुआ है। पिछले सूत्रों में साधु-साध्वी का उल्लेख होने के कारण इस सूत्र में भी उसे दोहरा दिया गया है। परन्तु, यहाँ प्रसंगानुसार साधु को ही ग्रहण करना चाहिए। वृत्तिकार ने भी इस पाठ को जिनकल्पी मुनि से संबन्धित बताया है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत सूत्र में जिनकल्पी साधुका प्रसंग ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

कुछ कारणों से साधु को अपने भंडोपकरण लेकर आहार आदि को नहीं जाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू० अह पुण एवं जाणिज्जा--तिव्वदेसियं
 त्रासं वासेमाणां पेहाए तिव्वदेसियं महियं संनिचयमाणां पेहाए
 महावाएणा वा रयं समुद्धुयं पेहाए तिरिच्छसंपाइमा वा तसा
 पाणा संथडा संनिचयमाणा पेहाए से एवं नच्चा नो सव्वं भंडग-
 मायाए गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए पविमिज्ज वा निक्ख-
 मिज्ज वा बहिया विहारभूमिं वा वियारभूमिं वा निक्खमिज्जं
 वा पविमिज्ज वा ग्रामाणुगाम दूइज्जिज्जा ॥२०॥

छाया—स भिक्षुरथ पुनरेवं जानीयात्, तीव्रदेशिकां वर्षा वर्षन्तीं प्रेक्ष्य,
 तीव्रदेशिकां महिका सनिपतन्तीं प्रेक्ष्य, महावातेन वा रजः समुद्धृतं प्रेक्ष्य,
 तिरिच्छीनं संनिपतितो वा त्रस प्राणिनः संस्कृतान् [सस्तृतान्] संनिपतन्तः
 प्रेक्ष्य, स एवं ज्ञात्वा न सर्वं भंडकमादाय गृहपतिकुलं पिंडपात प्रतिज्ञया
 प्रविशेद् वा तिष्कामेद् वा बहिः विहारभूमिं वा विचारभूमिं वा तिष्कामेद् वा
 प्रविशेद् वा ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु—साधु या साध्वी । अह—अथवा । पुण—फिर । एव—

पढ़ने से अत्यन्तना न हो इसलिए वे एक पात्र रखते हैं और पात्र के साथ ३ हैं सात उपकरण रखने होते हैं, इस तरह जिनकल्पो मुनि के जघन्य २ और उत्कृष्ट १० उपकरण कहे गए हैं। परन्तु स्थविरकल्पी मुनि के पास इससे अधिक उपकरण होते हैं। प्रश्नव्याकरण सूत्र में १४ उपकरण गिनाए गए हैं। निगोथ सूत्र में दण्ड, लाठी, अबलेहमी, यास का रपाटाई और सूत की रस्ती एव चिन्मिलिका (मञ्जूरानो) रखन का उल्लेख है। व्यवहार सूत्र में पात्र रखने का उल्लेख है और स्थविरकल्पी के छत्र आदि उपकरणों का उल्लेख भी किया गया है। बृहत्सल्प सूत्र में साध्वी को मूत्र त्याग के लिए एक पात्र रखने की विशेष आज्ञा दी गई है। आचाराङ्ग सूत्र में साध्वी (साध्वी) के लिए ४ चादर रखने का प्रिधान है। बृहत्सल्प सूत्र में साध्वी को साडी के भीतर चोलपट्टक (जाघिया) रखने की आज्ञा भी दी गई है। इस तरह स्थविरकल्पी के पास १४ से भी अधिक उपकरण होते हैं, अतः उन्हें बाहिर आहार आदि को जाते समय मड़ा साथ ले जाना कठिन है। परन्तु, जिनकल्पी के पास थोड़े उपकरण होने के कारण वह वह अपने साथ ले जा सकता है। इस श्रुति से यह जिन कल्पी का प्रसंग ही उचित प्रतीत होता है।

ॐ पात्र पात्रवध पात्रस्यावन च पात्रवेमरिका ।

पटलानि रजम्प्राण च गोच्छन पात्रनियोग ।

आचाराग वति ।

† जपि य समणस्म सुविहियस्स उ रोगायके बहुप्पचारमि समुप्पाने, यायाहिह

पित्ततिभ्रमहरित्तकुविय, तह सण्णियाय जातेव उदय पत्त उज्ज्वल वल बिउल कक्खड पगाड

दुवमे, धमुभवड्ढय फडम चड फल विवागो महभय जीवियतकरण, सवसरीरपरितावणकरण

न कप्पइ—तारिमिणि तह अण्णो परस्म व घासह भेगज्ज, भत्तपाण च तपि सणिहि कय ।६।

जपिय—समणस्म सुविहियस्स तसो पडिग्गहधारित्तभवइ, भायणमण्डोवहि उवगरण पडिग्गहो

पायवधण पायवेमरिया, पायट्टवण च पडनार्द, तिग्गि व यदत्ताण च, गोच्छघो तिग्गिव पच्छाका

रयहरण चासपट्टगमुहणनगमानिय । —प्रश्न व्याकरण सूत्र ५ वा सवरदार ।

‡ निशीथ सूत्र १, ४१ ।

ॐ निशीथ सूत्र, १, १५ ।

† व्यवहार सूत्र, उद्गात्र २ ।

‡ कल्पइ निगधीण धं नीनितय घडिमत्तय धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ।

—बृहत्सल्प सूत्र, १, १, ६ ।

ॐ आचाराग सूत्र, २, ४, २, स्थानांग सूत्र स्थान ४ ।

† कल्पइ निगधीण धोग्गहर्णतग वा धोग्गहणपट्टग वा धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ।

—बृहत्सल्प सूत्र ३, १२ ।

वृत्तिकार ने लिखा है कि गच्छ के अन्दर एवं गच्छ बाहर रहा हुआ साधु अपने स्थान से बाहर जाते समय देखे कि वर्षा आ तो नहीं रही है। (यदि वर्षा आ रही हो तो जिनकल्पी मुनि को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वह ६ महीने तक पुरीप (टट्टी-पेशाव) को रोकने में समर्थ है।) परन्तु, स्थविरकल्पी मुनि मल-मूत्र की बाधा होने पर उसका त्याग करने के लिए जा सकता है। परन्तु ऐसे समय में वह सभी उपकरण साथ लेकर न जाए ॥

परन्तु, वृत्तिकार का यह कथन विचारणीय है क्योंकि आगम में लिखा है कि प्रतिमाधारी मुनि को मल-मूत्र की बाधा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। परन्तु, पहले प्रतिलेखन की हुई (देखी हुई) भूमि पर उसका त्याग करके यथाविधि अपने स्थान पर आकर स्थित हो जाना चाहिए। इसी तरह मोक प्रतिमाधारी मुनि के लिए भी बताया गया है कि यदि उसे रात्रि को मूत्र की बाधा हो जाए तो यह उसे रोक कर न रखे। ज्ञाता सूत्र में भी उल्लेख मिलता है कि जिस समय मेघ मुनि ने श्रमण भगवान महावीर से आज्ञा प्राप्त करके पाटपोषगमन संथरा किया था, उस समय उन्होंने ने सब से पहले मल-मूत्र के त्याग करने की भूमि का प्रतिलेखन किया था ॥ साधु समाचारी में भी यह बताया गया है कि मुनि दिन के चतुर्थ भाग में मल-मूत्र त्याग करने की भूमि का प्रतिलेखन करे। यदि कोई मुनि उस का प्रतिलेखन नहीं करता है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त (दंड) का विधान है ॥ १

इन आगम प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी समय में मल-मूत्र के त्याग करने का निषेध नहीं है। क्योंकि इसके रोकने से अनेक बीमारियां हो सकती है और उनके कारण होने वाली अयतना एवं सकल्प-विकल्प उस समय रात के ओस एवं वर्षा आदि की अयतना से भी अधिक अहितकर ही स्रुते हैं। अतः वर्षा आदि के प्रसंग पर भी मुनि विवेक एवं यतना पूर्वक मल-मूत्र का त्याग करने जा सकता है।

॥ आचाराग सूत्र वृत्ति ।

† उच्चार-पासवर्णेणं उप्याहिज्जा नो से कप्पति उगिण्हत्तए वा, कप्पति से पुट्ठव - पडिलेहिए थंडिले उच्चार पासवर्णं परिठवित्तए, तम्मैव उवस्सयं आगम्म ग्राहाविट्ठि ठाण ठवित्तए ।

—दशाश्रुतकथ, दशा ७ ।

‡ व्यवहार. सूत्र, उद्देशक ६ ।

॥ ज्ञाता धर्मकथाङ्ग, अध्याय १ ।

† उत्तराध्ययन सूत्र, अ० २६ ।

‡ निशीथ सूत्र, उ० ४ ।

इम प्रवार मे । ज्ञानिज्जा - ज्ञान । तिष्वदेसिय - वत् द्वारोपेन वत्न विस्तृत क्षत्र । वास - वर्षा । वासेमाणे - वरसती हुई । पेहाए - देखकर । तिष्वदेसिय - वृद्ध देश में प्रचकार रूप । महिका - धुध । सनिचयमाण - पडती हुई । पेहाए - देखकर । वा - प्रयवा । महावायेण - मत्वा वायु मे । रय - रज प्रती । समुद्रप - उडती हुई । पेहाए - देखकर । वा - प्रयवा । तिरिच्छ सपाइमा - नियम । सतापाणा - नमप्राणियों क । सयडा - समुदाय को । सानचय - माणा - उडत एव गिरते हुए । पेहाए - देखकर । से - वह भिक्ष । एव - इम प्रकार । नच्चा - जानकर । सध्व - सब । भडगमायाए - घर्मोपकरण को ले कर । गाहावड कुल - गृहपतिवृत्त में । विडवायपडियाए - पिच्छान प्रतिना स - आहार लेने की प्रतिना से । नो पविमिज्जा वा - प्रवग न करे । निक्कलमिज्जा वा - घोर न वहा स निकल । बहिया - बाहर । विहार भूमि वा - विहार भूमि में प्रयवा । विचार भूमि वा - विचार भूमि में । निक्कलमिज्जा वा - न निकल । वा । पविसिज्जा वा - न प्रवग करे अर्थात् वह मर्मोपकरण लेकर न जाए घोर न आवे तथा । गामाणुगाम - एक ग्राम स दूसरे ग्राम को । दुइज्जिज्जा - नहा जाए ।

मूलार्थ—वृहद् देश में वर्षा वरसती हुई देखकर, तथा वृहद् देश में अधकार रूप धुध पडती हुई देखकर, अथवा महावायु से रज उडती हुई देख कर या बहुत से नस प्राणियों को उडत व गिरते हुए देखकर तथा इस प्रकार जानकर साधु वा साध्वो सब घर्मोपकरण को साथ ले कर आहार की प्रतिना से गृहपति के कुल में न तो प्रवेश करे और न वहा स निकले इसी प्रकार बाहर विहार भूमि या विचार भूमि में भी प्रवेश या निष्क्रमण न करे तथा एक गाव से दूसरे गाव को विहार भा न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि देश व्यापी वर्षा बरस रही हो, धुध पड रही हो, आधी के कारण धूल पड रही हो, पतंगे आदि नस जीव पर्याप्त सख्या में उड एत्र गिर रहे हों, ऐसी अवस्था में सभी भण्डोपकरण लेकर माधु को आहार के लिए या शौच एवं स्वाध्याय के लिए अपने स्थान से बाहर नहीं जाना चाहिए । और ऐसे प्रसंग पर एक गाव से दूसरे गाव को विहार भी नहीं करना चाहिए । क्योंकि ऐसे प्रसंग पर यदि साधु गमनागमन करेगा तो अप्वात्रिक जीवों की एव अ य प्राणियों की हिंसा होगी । अतः उनकी रक्षा के लिए साधु को वर्षा आदि के समय पर अपने स्थान पर ही स्थित रहना चाहिए ।

यह प्रश्न हो सकता है कि यदि सूत्रकार को मल-मूत्र के त्याग का निषेध करना इष्ट-नहीं था, तो हंसने आहार एवं स्वाध्याय भूमि के साथ उसे क्यों जोड़ा ? इसका समाधान यह है कि यह संलग्न सूत्र है, जैसा विधि रूप में इसका उल्लेख किया गया है; उसी प्रकार सामान्य रूप से निषेध के समय भी उल्लेख कर दिया गया है। ऐसा और भी कई स्थलों पर होता है। भगवती सूत्र में एक जगह जीव को गुरु-लघु कहा है^१ और दूसरी जगह अगुरुलघु कहा है^२। फिर भी दोनों पाठों में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि औदारिक आदि शरीर की अपेक्षा से जीव को गुरु-लघु कहा है, क्योंकि जीव उन औदारिक आदि शारीरिक पर्यायों के साथ संलग्न है और अगुरुलघु आत्म स्वरूप की अपेक्षा से कहा गया है। अतः यहां पर भी मल-मूत्र का पाठ आहार एवं स्वाध्याय भूमि के साथ संलग्न होने के कारण उसके साथ उसका भी उल्लेख किया गया है। परन्तु इससे जितकल्पी मुनि के लिए वर्षा आदि के समय मल-मूत्र त्याग का निषेध नहीं किया गया है।

कुछ ऐसे कुल भी हैं, जिनमें साधु को भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। उन कुलों का निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जाइं पुण कुलाइं जाणिज्जा, तंज-
हा खत्तियाणा वा राईणा वा कुराईणा वा रायपेसियाणा वा रायवंस-
ट्ठियाणा वा अन्तो वा बाहिं वा गच्छंताणां वा सनिविट्ठाना
वा निमंतेमाणाणा वा अनिमंतेमाणाणा वा असणां वा ४ लाभे-
संते नो पडिग्गाहिज्जा त्तिवेमि ॥२१॥

छाया—स भिक्खुवा २ अथ यानि पुनः कुलानि जानीयात् तद्यथा—
क्षत्रियाणां वा राज्ञां वा कुराज्ञां वा राजप्रेष्याणां वा राजवंशस्थितानां
वा अन्तर्बहिर्वा गच्छतां वा सनिविट्ठानां वा निमंत्रयता अनिमंत्रयतां वा
अशन वा ४ लाभे सति न प्रतिगृहणीयात् ॥

पत्न्य—से—यह । निबलू वा २—साधु वा साध्वी । पुण—फिर । से—वह । जाई—इन । कुसाइ—कुलो को । जाणिञ्जा—जाने । सजहा—जस कि । लत्तिपाण वा—क्षत्रियो के कुल । राईण वा—राजाओ के कुल । कुराईण वा—कुराजाओ के कुल । राय-पेसिपाण वा—राज प्रथ्या के कुल । राय बसट्ठिपाण वा—राजवग मे स्थित कुलों के । अन्तो वा बाहि वा—भदर या बाहर प्रथान घर के भदर अथवा बाहर स्थित । गच्छताण वा—जाते हुए अथवा । सनिबिट्ठाण वा—बठे हुए । निमतेमाणण वा—निमन्त्रण करते हुए । अनिमतेमाणण वा—न निमन्त्रण करते हुए । असण वा ४—अग्नात्तिक चतुर्विध आहार । सामे सते—प्राप्त होने पर । नो पडिगाहिञ्जा—ग्रहण न करे । तिबेमि—इस प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—साधु व साध्वी इन कुलो को जाने, यथा चक्रवर्ती आदि क्षत्रियो के कुल, उन से भिन्न अथ राजाओ के कुल, एक देशवासी राजाओ के कुल, दण्डपाशिक प्रभति के कुल, राजा के सम्बन्धियो के कुल और इन कुलो से घरके बाहर या भीतर जाते हुए, खड या बठे हुए, निमन्त्रण किये जाने अथवा न किये जाने पर वहा से प्राप्त होने वाले चतुर्विध आहार को साधु ग्रहण न करे । ऐसा मैं कहता हू । -

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मुनि को चक्रवर्ती वासुदेव, बलदेव आदि क्षत्रिय कुलों का तथा उनसे भिन्न राजाओं के कुल का, एक दश के राजाओं के कुल का, राजप्रेष्य-दण्ड पाशिक आदि के कुल का और राजवशस्थ कुलों का आहार नहीं लेना चाहिए । उक्त कुलों का आहार उनके द्वारा निमन्त्रण करने पर या बिना निमन्त्रण किए तथा उनके घर से बाहर या घर में किसी भी तरह पर कहीं भी ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

इस निषेध का कारण यह है कि राजभवन एवं राजमहल आदि में लोगों का आवागमन अधिक होने से साधु भली भाँति ईर्ष्यासमिति का पालन नहीं कर सकता । इस कारण सयम की विराधना होती है । इसलिए साधु को उक्त कुलों में आहार आदि के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए । यह कथन भी सापेक्ष ही समझना चाहिए । क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन के द्वितीय अंशक में जिन १२ कुलों का निर्देश किया है उनमें उम कुल भोग कुल, राजन्य कुल, इक्ष्वाकु, हरिचंरा आदि कुलों से आहार लेने का स्पष्ट ध्यान है । भगवान महाधोर के प्रमुख शिष्य गणधर गौतम अतिमुक्त कुमार के अंगुली पकड़ने पर

उसके साथ उसके घर पर भित्तिार्थ गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि यदि इन कुलों में जाने पर संयम में किसी तरह का दोष न लगता हो तो इन घरों से निर्दोष आहार लेने में कोई दोष नहीं है। यहां पर निषेध केवल इसलिए किया गया है कि यदि राजघरों में अधिक चहल-पहल आदि हो तो उस समय ईर्यासमिति का भली-भांति पालन नहीं किया जा सकेगा, इस संबन्ध में वृत्तिकार का भी यही अभिमत है।

‘तिवेमि’ को व्याख्या पूर्ववत् समझे।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन पिण्डैषणा

चतुर्थ उद्देशक

तृतीय उद्देशक में संखडि एव कुलों का निर्देश किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में संखडि के विषय में जो कुछ बातें शेष रह गई हैं, उनके सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलमसे— भिक्खू वा० जाव ममाणे से ज पुण जाणेज्ज ममाइय वा मच्छाडय वा मसखत्त वा मच्छखल वा ग्राहेण वा पहेण वा हिगोल वा समेलवा हारमाण पेहाए यन्तरा से मग्गा बहुपाणा बहुवीया बहरिशा बहुयोसा बहुउदया बहुउत्ति-
गणगदगमट्टीमक्कडासताणया बहवे तत्थ समणामाहणयत्ति-
हिक्खिण्णणीमगा उवागया उवागमिस्सति (उवागच्छति) तत्था
इन्ना वित्ती नो पन्नस्स निक्खमणपवेसाए नो पन्नस्स वायण-
पुच्छणपरियट्टणाज्जुप्पेहधम्माणुयोगचिंताए, से एव नच्चा तहप्प-
गार पुरेसखडि वा पच्छासखडि वा सरडि सरडिपडियाए नो
अभिमधारिजा गमणाए । से भिक्खू० वा से ज पुण जाणिजा
मसाइय वा मच्छाडय वा, जाव हीरमाण वा पेहाए यन्तरा
से मग्गा अप्पा पाणा जाव सताणगा नो जत्थ बहवे समण०
जाव उवागमिस्सति अप्पाइन्ना वित्ती पन्नस्स निक्खमण-
पवेसाए पन्नस्सवायणपुच्छणपरियट्टणाज्जुप्पेहधम्माणुयोगचिंताए,

सेवं नच्चा तहृप्पगारं पुरेसंखडिं वा० अभिसंधारिज्ज
गमणाए ॥२२॥

छाया—स भिक्षुर्वा यावत्— (गृहपतिकुलंप्रविष्टः) सन् तद् यत् पुनः
जानीयात् मांसादिकं वा मत्स्यादिकं वा मत्स्यखलं वा मांसखलं वा आहेणं
वा प्रेक्षं वा हिंगोलं वा संमेलं वा ह्लियमाणं वा प्रेक्ष्य अन्तरा तस्य मार्गाः
बहवः प्राणाः बहुवीजाः बहुहरिता बहुवश्याया बहुदका बहुचंगपनकोदक-
मृचिकामर्कटमन्तानकाः, बहुवस्तत्र श्रमणब्राह्मणातिथिकृपणवशीमका उपागता
उपागमिष्यन्ति तत्राकीर्णा वृत्तिः न प्राज्ञस्य निष्क्रमणप्रवेशाय न
प्राज्ञस्य वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाऽनुप्रेक्षाधर्मानुयोगचिन्तायै स एवं ज्ञात्वा तथा
प्रकारं पुरः संखडिं वा पश्चात् सखडिं वा संखडिं संखडिप्रतिज्ञया नाभिसन्धा-
रयेद् गमनाय स । भिक्षुर्वा तत् यद् पुनः जानीयात् मांसादिकं वा मत्स्यादिकं
वा यावत् ह्लियमाणं वा प्रेक्ष्य अन्तराः तस्य मार्गाः अल्पप्राणाः यावत् सन्तानकाः
न यत्र बहवः श्रमण यावत् उपागमिष्यन्ति अल्पाकीर्णा वृत्तिः प्राज्ञस्य निष्क्रमण
प्रवेशाय प्राज्ञस्य वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाऽनुप्रेक्षाधर्मानुयोगचिन्तायै, स एवं
ज्ञान्वा तथा प्रकारं पुरः संखडिं वा० अभिसन्धारयेद् गमनाय ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—साधु वा साध्वी । जाव—यावत् । समाणे—
गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हुए । हे जं पुण—फिर आहारादि को । जाणेज्जा—जाने ।
मांसाइय वा—जिसमें मांस प्रधान है । मच्छाइय वा—जिसमें मत्स्य प्रधान है । मसखलं वा—
जिसमें शुष्क मांस का समूह है । मच्छखलं वा—जिसमें मत्स्यो का समूह अथवा । आहेणं
वा—जो भोजन बधू प्रवेश के अनन्तर बनाया जाता है, अथवा । बहेणं वा—बधू के जाने
पर उनके पिता के घर में जो भोजन तैयार होता है, या । हिंगोलं वा—मृतक के निमित्त ज
भोजन बनता है, अथवा यक्षादि की यात्रा के निमित्त बनाया गया है । संमेलं वा—या जो भोजन
परिजन के सम्मानार्थ बनता है, तथा मित्रों के लिए बनाया गया है । हीरमाणं—उक्त स्थानों
से भोजन ले जाते हुए को । पैहाए—देखकर भिक्षु को उक्त स्थानों में भिक्षा के लिए नहीं
जाना चाहिए । क्योंकि वहाँ जाने पर निम्नलिखित दोषों के उत्पन्न होने की संभावना है—
से—उस भिक्षु को । अंतरामगा—मार्ग के मध्य में । बहुपाणा—बहुत प्राणी । बहुवीया—

बहुन बीज । बहु हरिया—बहुत हरी । बहु घोसा—बहुत घोस । बहु उदया—बहुत पानी । बहुउत्तिगपणपदगमटटीमकडासताणया — बहुत सूत्रम जीव निगोद । वा पाव वण फून, जल से घाद्र मृत्तिका घोर मकडी का जाला घादि की विराधना की सभावना है घोर । तत्त्व—उस भोजन के स्थान पर । बहवे—बहुत से । समणमाहणप्रतिहिकिषणवणीमगा—श्रमण-गावयादि भिक्षुगण आहण, प्रतिधि, कृपण घोर याचक । उवागया—भाय हुए हैं भयवा । उवागच्छति—भार रहे हैं भयवा । उवागमिस्सति—भाएगे । सत्पाइन्ना—वहा पर भाकीर्ण । विस्ती—वत्ति है भयति वना पर सकीण व न हो रही है भत । पनस्स—प्रज्ञावान बुद्धिमान साधु को । नो निक्कमण पवेसाए—वहा पर निष्कमण घोर प्रवेश नहीं करना चाहिए, तथा । पनस्स—बुद्धिमान साधु को वहा उस सखडि में । नो वाणपुच्छणपरियटणानुप्पेहधम्मणु भोगचिंताए—वाचना, पच्छना, परिवतना अनुप्रेक्षा घोर धर्मानुयोगचिंता नहीं हो सकती, कारण कि वहा गायन, वादन घादि की अधिकता रहती है । भत । से—वहा । एव—इस प्रकार । मच्चा—जानकर । तहप्पगार—उत्तन प्रकार की । पुरेसखडि वा—पूव सखडि में या । पच्छा सखडि वा—पश्चात सखडि में । सखडि—सखडि को । सखडिपडियाए—सखडि की प्रतिना से । गमणाए—गमन करने के लिए । नो भमिसधारिज्जा—मन में सकल्प न करे । भव इस सूत्र के भाषवात्तिक विषय में कहते हैं यथा— । से मिक्खु वा—वह साधु भयवा साध्वी । से ज पुण जाणिज्जा—यदि फिर ऐसे जाने कि । मसाइय वा—जिस भोजन में मास प्रधान है तथा । मच्छाइय वा—मत्स्य प्रधान है । जाव—यावत् । हीरमाण वा—ले जाते हुए को । पेहाए—देखकर । से—उस भिक्षु को । अत्तरामगा—माग के मध्य म । अत्तपपाणा—प्राणी नहीं हैं । जाव—यावत् । सत्ताणगा—मकडी का जाला भी नहीं है । जत्थ—जहा पर । बहवे—बहुत से । समणा०—श्रमण-गावयादि भिक्षु गण । जाव—यावत् । नो उवागमिस्सति—नहीं भायेंगे घोर । अत्ताइन्ना—अल्पाकीर्ण । विस्ती—वत्ति है भत । पनस्स—प्रज्ञावान बुद्धिमान साधु को । निक्कमण पवेसाए—निष्कमण घोर प्रवेश की सुगमता है तथा । पनस्स—बुद्धिमान साधु को वहा । वाणपुच्छणपरियटणानुप्पेहधम्मणुभोग चिंताए—वाचना पच्छना परिवतना अनुप्रेक्षा घोर धर्मानुयोगचिन्ता में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता है । सेव—बहु इस प्रकार । मच्चा—जानकर । तहप्पगार—उत्तन प्रकार की । पुरे सखडि वा—पूव सखडि में या पश्चात सखडि में । गमणाए—गमन करने के लिए । भमि सधारिज्जा—सकल्प धारण करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करते हुए साधु व 'साध्वी आहार को इस प्रकार जाने कि जो आहार मास प्रधान, मत्स्य प्रधान है भयवा शुष्क मास, शुष्क मत्स्य सम्बन्धि, तथा नूतनवध के

घर में प्रवेश करने के अवसर पर बनाया जाता है, तथा पितृगृह में वधू के पुनः प्रवेश करने पर बनाया जाता है, या मृतक सम्बन्धी भोजन में अथवा यक्षादि की यात्रा के निमित्त बनाया गया है एवं परिजनों या मित्रों के निमित्त तैयार किया गया है ऐसी सखडियों से भोजन लाते हुए भिक्षुओं को देखकर संयमशील मुनि को वहाँ भिक्षार्थ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ जाने से अनेक जीवों की विराधना होने की संभावना रहती है यथा— मार्ग में बहुत से प्राणी, बहुत से बीज, बहुत सी हरी, बहुत से ओसकण बहुत सा पानी, बहुत से कीड़ों के भवन निगोद आदि के जीव तथा पांच वर्ण के फूल, मर्कटमकड़ो का जाला आदि के होने से उनकी विराधना होगी। एवं वहाँ पर बहुत से शाक्यादि भिक्षु, तथा ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी आदि आए हुए हैं, आ रहे हैं तथा आएंगे तब वहाँ पर आकीर्ण वृत्ति अर्थात् जनसमूह एकत्रित हो रहा है। अतः प्रज्ञावान् भिक्षु को निकलने और प्रवेश करने के लिए विचार न करना चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान भिक्षु को वहाँ पर वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मानुयोग चिन्ता की प्रवृत्ति का समय प्राप्त नहीं हो सकेगा, इस लिए साधु को वहाँ पर जाने का विचार नहीं करना चाहिए अपितु वह साधु या साध्वी यदि इस प्रकार जाने कि मांस प्रधान अथवा मत्स्य प्रधान सखडि में यावत् उक्त प्रकार की सखडि में से आहार ले जाते हुए भिक्षु आदि को देखकर, तथा उस साधु को मार्ग में यदि प्राणी की विराधना की आशंका न हो और वहाँ पर बहुत से शाक्यादि भिक्षुगण भी नहीं आएंगे, एवं अल्प आकीर्णता को देखकर प्रज्ञावान्-बुद्धिमान साधु वहाँ प्रवेश और निष्क्रमण कर सकता है, तथा साधु को वाचना पृच्छना, परिवर्तना अनुप्रेक्षा और धर्मानुयोगचिन्ता में भी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा, ऐसा जान लेने पर पूर्व या पश्चात् सखडि में साधु जा सकता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में सखडियों के अन्य भेदों का उल्लेख करते हुए बताया गया है

किं सामिप एव निरामिप दोषो तरह की मरुडि होतो थो, कोई व्यक्ति मास प्रधान या मत्स्य प्रधान सखडि बनाता था, उसे मास और मत्स्य सखडि कहते थे। कोई पुत्र वधु के घर आने पर सखडि बनाता था, कोई पुत्री के विवाह पर सखडि बनाता था और कोई किसी की मृत्यु के पश्चात् सखडि बनाता था। इस तरह उस युग में होने वाली विभिन्न सखडियों का प्रस्तुत सूत्र में वर्णन किया है और बताया गया है कि उक्त सखडियों के विषय में ज्ञात होने पर मुनि को उसमें भित्तिार्थ नहीं जाना चाहिए।

इसका कारण पूर्व सूत्रों में स्पष्ट कर दिया गया है प्रथम तो आहार में दोष लगने की सम्भावना है, दूसरे में अन्य भिक्षुओं का अधिक आवागमन होने से उनके मन में द्वेष भाव उत्पन्न होने की तथा अन्य जीवों की विराधना होने की सम्भावना है और तीसरे में वाचना, पृच्छना आदि स्वाध्याय के पाठों अङ्गों में अतयाय पढ़ने की सम्भावना है। क्योंकि वहा गीत आदि होने से स्वाध्याय नहीं हो सकेगा। इस तरह सखडि में जाने के कारण अनेक दोषों का सेवन होता है, ऐसा जानकर उसका निषेध किया गया है।

इसके अतिरिक्त आगम में मरुडि में जाने का निषेध किया है, प्रस्तुत अध्ययन के द्वितीय उद्देशक में भी सखडि में जाने का निषेध किया है। परन्तु, प्रस्तुत सूत्र में निषेध के साथ अपवाद मार्ग में विधान भी किया गया है। यदि सखडि में जाने का मार्ग जीव-जंतुओं एवं हरिणकाय या वीचों से आवृत्त नहीं है, अथ मत् के भिक्षु भी वहा नहीं है और आहार भी निर्दोष एव एषणीय है तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। परन्तु, घृत्निकार का कथन है कि प्रस्तुत सूत्र अवस्था विशेष के लिए है। उसमें बताया गया है कि यदि साधु थका हुआ है अर्थात् लम्बा विहार करके आया है, बीमारी से तुल्य ही उठा है या तपश्चर्या से जिसका शरीर कृश हो गया है, वह भिक्षु इस बात को जान ले कि मरुडि में जाने से किसी दोष के लगने की सम्भावना नहीं है, तो वह वहाँ से भिक्षा ले सकता है ॥

इससे स्पष्ट होता है कि उत्सग मार्ग में सामिप एव निरामिप किसी भी तरह की सखडि में जाने का विधान नहीं है। अपवाद मार्ग में भी उस सखडि में जाने एव आहार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है, जिसमें जाने का मार्ग निर्दोष हो और निर्दोष एव एषणीय निरामिप आहार मिल सकता हो, अन्य सखडि में जहा का मार्ग जीव

॥ उत्तराध्ययन १, ३२, बहृत्कल्प सूत्र उ० १ निर्णय सूत्र, उ० ३।

॥ साम्प्रतमपवादपाठ — स भिक्षुरध्वानशीणो ग्लानारिपतस्तपश्चरणकवितोवा-
ज्मवोदयवा प्रथ्य दुनभद्रव्याथो वा स यदि पुनरेव जायीयात्।

— प्राचारांग वृत्ति।

जन्तु आदि से युक्त हो, जहां सामिष भोजन बना हो तथा निरामिष भोजन भी सदोष हो या अन्वमत के भिन्न भिन्नार्थ आए हों तो वहां अपवाद मार्ग में भी जाने का आदेश नहीं है।

प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब साधु अपवाद मार्ग में संखडि में जा सकता है, तो सामिष संखडि में बना हुआ मांस क्यों नहीं ग्रहण कर सकता ?

इसका समाधान यह है कि यहां अपवाद कारण विशेष से है अथवा साधु की शारीरिक स्थिति के कारण है, परन्तु वहां बने हुए सभी तरह के आहार को लेने के लिए नहीं है। यदि संखडि में जाने का मार्ग ठीक नहीं है और आहार भी सामिष है या निरामिष आहार भी सदोष है तो शारीरिक दुर्बलता के समय भी साधु को वहां जाने का आदेश नहीं है।

प्रस्तुत सूत्र में यह भी बताया है कि संखडि में जाने से स्वाध्याय के पांचों अङ्गों में व्यवधान पड़ता है। स्वाध्याय चलते हुए करने का निषेध है, वह तो एक स्थान पर बैठकर ही किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संखडि में जाने पर कुछ देर के लिए वहां बैठना भी पड़ता था। अतः अपवाद मार्ग में जाने वाला साधु वहां कुछ काल के लिए ठहर भी सकता है और वीमार एवं तपस्वी आदि के लिए समय पर गृहस्थ के घर में बैठने का विधान भी है। अस्तु, संखडि में जाने का यह अपवाद विशेष कारण होने पर ही रखा गया है।

साधु को घरों में किस तरह के आहार की गवेषणा करनी चाहिए, इसका बल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से भिक्खू वा २ जात्र पविसिउकामे से जं पुण्ण
जाणिज्जा खीरिणियाओ गावीओ खीरिज्जमाणीओ पेहाए असणं
वा ४ उवसंखडिज्जमाणं पेहाए पुरा अप्पजूहिए सेवं नच्चा
नो गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए निक्खमिज्ज वा पविसिज्ज
वा। से तमादाय एगंतमवक्कमिज्जा अणावायमसंलोए चिट्ठि-
ज्जा, अह पुण्ण एवं जाणिज्जा—खीरिणियाओ गावीओ खीरिया-

यो पेहाए यमण वा ४ उवखडिय पहाए पुराए जूहिए सेव
नच्चा तयो सजयामेव गाहा० निक्खमिज्ज वा ॥२३॥

छाया—म भिक्षुर्वा यात् प्रवेष्टुकाम तद् यत् पुन जानीयात् क्षी-
रिण्यो गाव दुग्धमाना दुग्धा प्रेक्ष्य अशन वा ४ उपसस्क्रियमाण प्रेक्ष्य
पुरा पूर्व मिद्वेऽप्योदनादिके न एव ज्ञात्वा न गृहपति कुल पिण्डपातप्रतिज्ञया
निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा । म तमादाय एकान्तमपत्रामेत् अनापाते असलोकं
तिष्ठेत् । अथ पुनरेव जानीयात् क्षीरिण्यो गावा दुग्धमाना प्रेक्ष्य अशन
वा ४ उपसम्कृत प्रेक्ष्य पूर्वे सिद्धे स एव ज्ञात्वा तत सपत एव गृहानि
कुलनिष्क्रामेद् वा ।

पदाय—स—बह । भिक्षु वा २—साधु या साध्वी । जाव—यावत् गृहपति के घर
में । पविसिज्ज कामे—प्रेषण करने की इच्छा रखता हुआ । से ज पुण जानिज्जा—फिर यदि
इस प्रकार जाने कि । खीरिणियाओ गावीओ—दूध देने वाली गाए । खारिज्जमाणीओ—
जो कि बोही जा रही हैं उनकी । पेहाए—देखकर तथा । असण वा ४—अगनादक चतुविध
भ्राहार जो कि बहा पर । उवखडियज्जमाण बनायी जा रहा है उसकी । पेहाए—देखकर ।
पुरा अप्पजूहिए—जिम म से अभी तक घोर किमी को दिया नहीं गया । से—बह साधु ।
एव—इस प्रकार । नच्चा—जानकर । गाह व३ कुव—गृहपति गन्ध के घर म । पिण्डपाय
पट्टियाए—भ्राहार लेने की प्रतिज्ञा से । नो निक्खमिज्ज वा—न तो उपाध्य से निकले घोर
न । पविसिज्ज वा—किसी के घर में प्रवेण करे, किन्तु क्या करे अब उसके विषय में कहते हैं ।
से—बह भिक्षु । त—उस दुग्धादि पण्यकी । आवाप—जानकर । एगतमदवकमिज्जा—एका त
स्थान म बना जाए, एकात्त म जाकर । अणावापमसत्तोए—जहा पर काट ग स्थानि न माना
जाता हो घोर न देवना हो ऐसे स्थान पर । चिट्ठिज्जा—बना हो जाए । पह पुण एव
आणिजा—घोर बना पर टहरा हुआ यदि ऐसा जाने कि— । खीरिणियाओ—दूध देने वाली
गावीए—गौए । खीरियाओ—बोही जा चुकी हैं ऐसा । पेहाए—देखकर । असण वा—
अगनादिक— । उवखडिय—तथा हा चुका है ऐम । पेहाए—देखकर-जानकर । पुराए जूहिए—
तथा उन दुग्धानि म से ठसरो को णिया जा चुका है । स—बह साधु । एव—इम प्रकार ।
नच्चा—जानकर । तओ—तदन तर । सजयामेव—साधु । गाहा०—गृहस्थ के घर में भिक्षा
क निमित्त । निक्खमिज्ज वा—स्वस्थान निकले घोर गृहस्थ के घर में प्रवेण करे ।

मूलार्थ— साधु व साध्वी गृहपति के घर में प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए यदि इस प्रकार जान ले कि गृहस्थ दूध देने वाली गायों का अभी दोहन कर रहे हैं तथा अशनादिक आहार पकाया जा रहा है— पक रहा है, अभी तक उसमें से किसी दूसरे को नहीं दिया गया, ऐसा जानकर संयमशील भिक्षु आहार ग्रहण करने के लिए उस घर में जाने के लिए न तो उपाश्रय से निकले और न उस घर में प्रवेश करे। किन्तु वह भिक्षु इस बात को जानकर जहाँ पर न कोई आता जाता हो, और न देखता हो, ऐसे एकान्त स्थान में जाकर ठहर जाए। और जब वह इस प्रकार जान ले कि गायों का दोहन हो गया है और अन्नादि चतुर्विध आहार बन गया है तथा उसमें से दूसरों को दे दिया गया है, तब वह साधु उस घर में आहार के लिए प्रवेश करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर पर गायों का दूध निकाला जा रहा है और अशन आदि चारों प्रकार का आहार पक रहा है और उस आहार में से अभी तक किसी को दिया नहीं है, तो साधु को उस घर में आहार के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि गायों का दूध निकाल लिया गया है, आहार पक चुका है और उसमें से किसी को दिया जा चुका है, तो साधु उस घर में आहार के लिए प्रवेश कर सकता है।

इसका कारण यह है कि गाये साधु के वेश को देखकर डर जाएं और साधु को मारने दौड़े तो उससे साधु के या दोहने के लिए बैठे हुए व्यक्ति के चोट लग सकती है। और दूध निकालते समय साधु को आया हुआ देखकर गृहस्थ यह सोचे कि साधु को भी दूध लेना होगा, अतः वह गाय के बछड़े के लिए छोड़े जाने वाले दूध को गाय के स्तनों में न छोड़कर निकाल लेगा। इससे मुनि के निमित्त बछड़े को अन्तराय लगेगी।

आहार पक रहा हो और उस समय साधु पहुँच जाए तो गृहस्थ उसे जल्दी पकाने का यत्न करेगा उससे अग्नि के जीवों की विराधना (हिंसा) होगी। इस तरह कई गोप लगने की सम्भावना होने के कारण साधु को ऐसे समय में गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए।

आगम में लिखा है कि आहार आग पर पक रहा हो और गृहस्थ उसे आग

पर से उतार कर दे तो साधु को स्पष्ट कह देना चाहिए कि यह आहार मेरे लिए कल्पनीय नहीं है॥ इममे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत सूत्र में किया गया निषेध घर में प्रवेश करने की दृष्टि से नहीं, किंतु आग पर स्थित आहार को लेने के लिए है। गाय के दौड़न का प्रथम विरूप घर में प्रवेश करने सम्बन्धी निषेध को लेकर है और दूसरा विकल्प उस आहार को लेने के निषेध से सम्बन्धित है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि गृहस्थ के घर में स्थित पशु भयभीत नहीं होते हैं और आहार आदि भी पन चुना हो तो साधु उस घर में प्रवेश करके आहार ले सकता है। साधु को यह बिबेक अग्रश्य रखना चाहिए कि उसके निमित्त किसी तरह की हिंसा एव अथवना न हो।

इमा विनय नो और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — भिक्षागा नामगे एवमाहसु—समाणा वा मावसणा
 वा गामाणुगाम दूडज्जमाणे खुड्ढाए रल्लु अय गामे सनिरुद्धाए
 नो महालए सेहता भयतारो वाहिरगाणि गामाणि भिक्षायरि
 याए वयह, सति तत्येगड्यस्स भिक्षुस्स पुरेसथुया वा पच्छा-
 सथुया वा परिवमत्ति तजहा—गाहावइं वा गाहावइणीयो वा
 गाहावइपुत्ता वा गाहावइधूयायो वा गाहावइसुराहायो वा धाइ-
 यो वा दासा वा दासीयो वा कम्मकरा वा कम्मकरीयो वा,
 तहप्पगाराड कुलाड पुरेसथुयाणि वा पच्छासथुयाणि वा पुव्वामेव
 भिक्षायरियाए अणुपविसिस्सामि । अविद्य इत्य लभिस्सामि पिंड
 वा लोय वा खीर वा दहि वा नवणीय वा घय वा गुल्ल वा
 तिल्ल वा महु वा मज्ज वा मस वा सक्कुलिं वा फाणिय वा पूय

वा, सिहिरिणिं वा, तं पुञ्चामेव भुञ्चा पिञ्चा पडिग्गहं च
 संलिहियं संमज्जियं तथो पञ्चा भिक्खूहिं सद्धिं गाहा०
 पविसिस्सामि वा निक्खमिस्सामि वा माइट्ठाणं संफासे, तं नो
 एवं करिज्जा । से तत्थ भिक्खूहिंसद्धिं कालेण अणुपविसित्ता
 तत्थियरेयेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियंवेसियं पिंडवायं पडि-
 ग्गाहित्ता आहारं आहारिज्जा एयं खलु तस्स भिक्खुस्स वा
 भिक्खुणीए वा सामग्गियं० ॥२४॥

छाया—भिक्षुका नामैके एवमुक्तवन्तः समानाः वा वसमाना वा ग्रामानु-
 ग्रामं द्यूमानान् (व्रजतः) क्षुल्लकः खलु अयं ग्रामः संनिरुद्धः न महान्
 अतो हन्त ! भवन्तः वहिर्ग्रामेषु भिक्षाचर्यार्थं व्रजत ! सन्ति तत्रैकस्य भिक्षोः पुरा
 संस्तुताः पश्चात् संस्तुता वा परिवसन्ति तद्यथा—गृहपतिः वा गृहपत्नी वा
 गृहपतिपुत्र वा, गृहपतिपुत्री वा, गृहपतिस्नुपा वा धात्री वा दासो वा दासी
 वा, कर्मकरो वा कर्मकरी वा तथाप्रकराणि कुलानि, पुरा संस्तुतानि वा
 पश्चात् संस्तुतानि वा पूर्वमेव भिक्षाचर्यार्थं, अनुप्रवेक्ष्यामि, अपिचैतेषु लप्स्यामि
 पिंडं वा लोयं वा क्षीरं वा दधि वा नवनीतं वा घृतं वा गुडं वा तिलं वा मधु वा
 मद्यं वा मांसं वा शङ्कुलिं वा फाणितं वा अपूपं वा सिखरिणिं वा तं पूर्वमेव
 भुक्त्वा पीत्वा पतद्ग्रहं [पात्र] संलिह्य संप्रमृज्य ततः पश्चात् भिक्षुभिः सह गृह-
 पति० प्रवेक्ष्यामि वा निष्क्रमिष्यामि वा मातृस्थानं संस्पृशेत् तद् न एवं कुर्यात् ।
 स तत्र भिक्षुभिः सांद्धं कालेन अनुप्रविश्य तत्रेतरेतेरेभ्यः कुलेभ्यः सामुदानिकं
 एषणीयं वैपिकं पिंडपातं प्रतिगृह्य आहारं आहारयेत् । एतत् खलु तस्य
 भिक्षोः भिक्षुक्या वा सामग्र्यम् ।

पदार्थ—नाम—संभावना अर्थं मे हे । एगे—कई एक । निवलागा—भिक्षु-साधु ।

एवमाहसु—इस प्रकार से कह गए हैं। समाणा वा—जंघा प्राणि का बल क्षीण होने से एक ही क्षेत्र में स्थिरवाम करते हुए रहते हैं अथवा। यसमाणा वा—मांस कल्यादि विचार करते हुए। गामानुगाम—ग्रामानुगाम। दूहज्रमाणा—विचरत हुए जब उस क्षेत्र में प्राय तो उनके प्रति स्थिर वाम रहने बाल साधु कहते हैं कि हे भिक्षुयो! खलु—निश्चय ही। अथगामे—यह ग्राम छुड़डाए छोटा है श्रीर। सतिरुद्धाए—बिचने एक घर सतिरुद्ध है अर्थात् भिक्षाय जान क योग्य नहीं है। नो महालए—यह ग्राम बड़ा नहीं है। से—वह साधु कहने लगा। हता—सामान्य छेद सूचन के अर्थ में है। मयतारो—पूज्य मुनिवरो! ह माप। बाहरिगाणि—बाहर के। गामाणि—ग्रामों में। भिक्षापरियाए—भिक्षा के निमित्त। बयह—जावो। तत्य गन्धस्स—उस ग्राम में रहने वाले का एक। भिक्षुस्स—भिक्षु का। सति—है। पुरे सधुया—भाई भतीजे आदि सगे सम्बन्धी अथवा। पच्छासधुया वा—श्वशुर कुल के सम्बन्ध लोग। परिचसनि—बसते हैं। तजहा—जमे कि। गाहावई वा—गहपति अथवा। गाहावईणीओवा—गहपती अथवा। गाहावईपुत्ता वा—गहपति के पुत्र अथवा। गाहावई धूमामो व—गहपति की पुत्रिये अथवा। गाहावई सुन्हाओ वा—गहपति की स्तुपा पुत्र वधुयें अथवा। पाइयो वा—पाय मातायें अर्थात् दूध पिाने वाली माताय अथवा। दासा वा—दास अथवा। दासीओ वा—दासियें अथवा। कम्मकरा वा—काम करने वाले अथवा। कम्मकरामो वा—काम करने वाली सत्पणगाराइ—उधा प्रकार के। फुलाइ—कुल जो कि। परेसधुयाणि वा—पूव परिचय वान। अथवा। पच्छासधुयाणि वा—पश्चान परिचय वाले। सति—है। पुत्रामेव—उन कुलों में पहले ही। भिक्षापरियाए—भिक्षा के लिए। अणुपविस्सामि—मैं प्रवेग करूँगा। अविद्य—अथवा। इत्य—इन कुला मे। तमिस्सामि—इच्छानुकूल प्राप्त करूँगा। पिण्ड वा—शाल्यादि पिण्ड। सोय वा—अथवा लवण रस युक्त आहार। तीर वा—अथवा दूध। दहि वा—अथवा दधि-हि नवणीय वा—नवनीत भक्षन अथवा। घय वा—घत। गुल वा—अथवा गुल। तिल वा—तल। महुं वा—मधु। मज्ज वा—अथवा मद्य। मस वा—मांस। सक्कुलि वा—अथवा जलरी जमी मिठाइ अथवा। फाणिय वा—जन मे मिश्रित गुड अथवा। पूय वा—अरूप-पूडा आदि। सिंहरिणी वा—गिल्लरणी इस नाम में प्रसिद्ध मिठाई। त पुत्रामेव—उस आहार को प्रथम ही लाकर। भुच्चा—साकर। पिच्चा—पीकर। च-धीर। पडिग्गह—पात्र का। सतिहिय—निलेप कर तथा। सयमज्जिनय—समाजित कर। तद्यो—सामन्तर। पच्छा—पश्चात्। भिक्षुओह—भिक्षुका क। सद्धि—नाथ। गाहा०—गहपतियो के कला में भिक्षा के लिए। पविसिस्सामि व—प्रवेग करूँगा अथवा। विक्खमिस्सामि वा—निक्खुणा। माहट्टाण सक्कासे—अति उक्त प्रकार में करे तो उसे मातस्थान छल-वपट का रूप होगा। त-अन माधु। एव—इस प्रकार। नो—न। करिज्जा—कर। स—बहु भिक्षु। तत्य—उस। ग्रामाणिक में। भिक्षवूहि—भिक्षुओं के। सद्धि—सथ अर्थात् अनिधि आदि के साथ। कालेए—भिक्षा के समय में। अणुपविमिच्चा—गहपति कुलों में प्रवेग करके। तत्थिधरेरेहि—वहा

उच्चावच । कुर्लेह — कुलो से । सामुदाणियं — भिक्षा पिड । एसियं — उद्गमादि दोष-रहित । वेसिय — साधु के वेष से प्राप्त । पिडवाय — पिडपात-आहारादि को । पडिग्गाहिता — अतिथि साधुओं के साथ ग्रहण करके । आहारं आहारिज्जा — आहार को भक्षण करे । एयं — यह । खलु — निश्चय ही । तस्स — उस । भिक्खुस्स वा — भिक्षु — साधु अथवा । भिक्खुणीए वा — साध्वी का । सामग्गियं — सामग्र्य-भिक्षु भाव है अर्थात् यह उसका संपूर्ण आचर है ।

मूलार्थ—कई एक भिक्षु जंघादि के बल रहित होने से अर्थात् विहार मे असमर्थ होने से एक क्षेत्र में स्थिरवास रहते हैं । जब कभी उनके पास ग्रामानुग्राम विचरते हुए अतिथि रूप से अन्य साधु आ जाते हैं तब स्थिर-वास रहने वाले भिक्षु उन्हें कहते हैं—पूज्य मुनिवरो ! यह ग्राम बहुत छोटा है, उसमें भी कुछ घर सन्निरुद्ध-बन्द पड़े हुए हैं । अतः आप भिक्षा के निमित्त किसी दूसरे ग्राम मे पधारें ? यदि इस ग्राम मे स्थिर वास रहने वाले किसी एक मुनि के माता पिता आदि कुटुम्बी जन या स्वसुर कुल के लोग रहते हैं या-गृहपति, गृहपत्नियें, गृहपति के पुत्र, गृह-पति की पुत्रिये, गृहपति की पुत्र-वधुयें, धायमातायं दास और दासी तथा कर्मकार और कर्मकारिये, तथा अन्य कई प्रकार के कुलो में जो कि पूर्व परिचय वाले, या पश्चात् परिचय वाले हैं, उन कुलों में इन आगन्तुक-अतिथि साधुओं से पहले ही मैं भिक्षा के लिए प्रवेश करूंगा और इन कुलो से मैं इष्ट वस्तु प्राप्त करूंगा यथा शाल्यादि पिड, लवण रस युक्त आहार, दूध, दही, नवनीत, घृत, गुड, तेल, मधु, मद्य, मास शङ्कुलो (जलेवी आदि) जलमिश्रितगुड़, अपूप—पूड़े और शिखरणा (मिठाई विशेष) आदि आहार को लाऊंगा और उसे खा पीकर, पात्रों को साफ और समार्जित कर लूंगा । उसके पश्चात् आगन्तुक भिक्षुओं के साथ गृहपति आदि कुलो मे प्रवेश करूंगा और निकलूंगा, इस प्रकार का व्यवहार करने से मातृस्थान-छल-कपट का सेवन होता है । अतः साधु को इस प्रकार नही करना चाहिए । उम भिक्षु को भिक्षा के समय उन भिक्षुओं के साथ ही उच्च नीच और मध्यम कुलो से साधु-मर्यादा से प्राप्त होने वाले निर्दोष आहार पिड

को लेकर उन अतिथि मुनियों के साथ ही उसे निर्दोष आहार करना चाहिए यही समय शील साधु साध्वी का निर्दोष आचार है ।

हिंदी निवेदन

प्रस्तुत सूत्र में स्थिरवास रहने वाले मुनियों के पास आए हुए अतिथि मुनियों के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका निर्देश किया गया है । कोई साधु हृदय की सकीर्णता के कारण आए हुए अतिथि मुनियों को देखकर सोचे कि यदि यह भी इसी गांव में से भिक्षा लाएंगे तो मेरे को प्राप्त होने वाले सरस आहार में कमी पड़ जाएगी । अतः इस भावना से वह आगतुक मुनियों से यह कहे कि इस गांव में थोड़े से घर हैं, उसमें भी कई घर बंद पड़े हैं, इसलिए इतने साधुओं का आहार इस गांव में मिलना कठिन है । अतः आप दूसरे गांव से आहार ले आए । या वह उन्हें दूसरे गांव जाने को तो नहीं कहे, परंतु उनके गोचरी (आहार लाने) को जाने से पूर्व ही अपने माता पिता या श्वसुर आदि कुलों से या परिचित कुलों से सरस-स्वादिष्ट एवं इच्छानुकूल पदार्थ लाकर खा लेना और उसके बाद उनके साथ अन्य साधारण घरों से भिक्षा लाकर खाना, माया एवं छल कपट का सेवन करना है । अतः साधु को आगतुक मुनियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए । ऐसा व्यवहार साधुता के अनुकूल तो क्या, इंसानियत के अनुकूल भी नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने इस तरह का व्यवहार करने का निषेध किया है । साधु का कर्त्तव्य है कि वह नवागतुक मुनियों के साथ अभेद वृत्ति रखे, उनके साथ आहार को जाए और जैसा आहार उपलब्ध हो उसे प्रेम एवं स्नेह से उनके साथ बैठकर करे ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समाणा-वसमाणा' का अर्थ है—जो साधु चलने फिरने में या विहार करने में असमर्थ होने के कारण किसी एक क्षेत्र में स्थिरवास रहते हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त खाद्य पदार्थों के नाम उस समय में घरों में खाए जाने वाले पदार्थों को सूचित करते हैं । इससे उस समय की खाद्य व्यवस्था का पता लगता है । प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित खाद्य पदार्थों में मद्य एवं मांस का भी उल्लेख किया गया है, तो क्या मुनि इन पदार्थों को ग्रहण कर सकता है ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है ।

इसका समाधान यह है कि ये दोनों पदार्थ अभक्ष्य होने के कारण सद्यथा अप्राप्य है । आगम में इसका स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है । इससे स्पष्ट है कि ये दोनों पदार्थ साधु के लिए सर्वथा अभक्ष्य हैं । और सभ्य है कि प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त

उभय शब्द अन्य अर्थ के समूचक होंगे ।

उपाध्याय पार्श्व चन्द्र जी की मान्यता है कि साधु को मद्य, मांस, मक्खन और मधु लेना नहीं कल्पता । इन शब्दों का प्रयोग केवल सूत्र छेद के समय से हुआ है । इससे मद्य छन्द की प्रामाणिकता सिद्ध होती है ।

वृत्तिकार का अभिमत है कि मद्य-मांस को व्याख्या छेद सूत्र के अनुसार सम्मननी चाहिए । नोट अत्यधिक प्रमादी माधु अतिगृद्धि एवं म्वाद आसक्ति कारण इनका सेवन न करे इसके लिए इनका उल्लेख किया गया है । परन्तु विवेकनिष्ठ माधु के लिए मद्य-मांस सर्वथा प्रमाद्य है ।

प्रस्तुत सूत्र पर व्याख्या करते हुए उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने मद्य, मांस, मक्खन एवं मधु चारों को तथा वृत्तिकार आचार्य जीलांक ने मक्खन को छोड़कर शेष तीनों को अभक्ष्य बताया है । और आगम में मद्य-मांस को अभक्ष्य कहा है । परन्तु मक्खन एवं मधु को सर्वथा अभक्ष्य नहीं कहा है । आगम में लिखा है कि प्रथम पहर में लाए हुए नवनीत (मक्खन) का किसी रोग के कारण चतुर्थ पहर में भी अंगोपांगों पर विनोदन करना कल्पता है । इससे मक्खन की प्रायता शास्त्र सम्मत सिद्ध होती है । इसी तरह मधु के विषय में भी आगम में बताया है कि एक बार भगवान महावीर ने मधु (शहद) मिश्रित शीर (दूध) में पारणा किया था ।

इससे स्पष्ट होता है कि मद्य एवं मांस साधु के लिए सर्वथा अभक्ष्य । मक्खन एवं शहद के लिए ऐसी बात नहीं है । निष्कर्ष यह निकला कि साधु को अतिथि रूप से आए हुए साधु के साथ छल-कपट एवं भेद-भाव का वर्तव नहीं रखना चाहिए । निष्कपट भाव से उनका आदर-सत्कार करना चाहिए ।

‘चित्तेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

ॐ इस विषय पर १०वें उद्देशक में विस्तार से विचार करेंगे ।

गृह्य श्री सूत्र माहि मावन, मधु, मद्य, मांस शब्द ब्रह्मण्या ते स्या भणी साधु तर्हि ए वस्तु अयोम्य छे । तिहा इय कहवो इहा सूत्र छेदना मय भणी आण्णा, पर साधु ने ए वस्तु न त्यज् अथवा इहां जे उचिन्तवई तेह थकी साधु पणउ टल्यु जाणिया छे । —उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ।

‡ मद्य मासे छेत्सूत्राभिप्रायेण व्याख्यायेथ अथवा कश्चित्ति प्रमादावपटवन्धोऽयस्त-
गृध्नु तथा मधु, मद्य मासान्यव्याश्रयेदतस्तदुपादानम् । आचाराङ्ग सूत्र वृत्ति ।

ॐ प्रश्नव्याकरण सूत्र, सूत्रकृताङ्ग सूत्र ।

‡ नो कप्पइ निगंथाण वा निगथीणं वा परियासिएणं तेल्लेणं वा, घएण वा, चवणीए वा, वसाए वा, गायइ अन्नमेत्तए वा मनेत्तए वा न चत्थ आगडेहि रोगायंकेहि ।

ॐ भगवती सूत्र, शतक १५ ।

—मूहत्कल सत्र, उद्देशक ५ ।

प्रथम अध्यायन पिण्डैपण

पञ्चम उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक मे आहार ग्रहण करने की विधि का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत उद्देशक मे भी इसी का और विस्तृत विवचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ जाव पविष्टे समाणे से ज पुण-
जाणिजा--अग्गपिंड उक्खिपमाण पेहाए अग्गपिंड निक्खि-
पमाण पेहाए अग्गपिंड हीरमाण पेहाए अग्गपिंड परिभा
इज्जमाण पेहाए अग्गपिंड परिभुजमाण पेहाए अग्गपिंड परि-
ठविज्जमाण पेहाए पुरा असिणाड वा अवाहाराड वा पुरा
जत्यग्गणे समणं वणीमगा खद्ध २ उवसकमत्ति से हता
अहमपि खद्ध २ उवसकमामि, माइट्ठाण सफासे नो एव
करेज्जा ॥२५॥

छाया—स भिक्षुर्वायावत् प्रविष्ट सन् तद् यत् पुनरेव जानीयात्—अग्र
पिंड उत्क्षिप्यमाण प्रेक्ष्य, अग्रपिंड निक्षिप्यमाण प्रेक्ष्य, अग्रपिंड हियमाण
प्रेक्ष्य, अग्रपिंड परिभुज्यमान प्रेक्ष्य, अग्रपिण्ड परिभुज्यमान प्रेक्ष्य, अग्रपिण्ड
परित्यज्यमान प्रेक्ष्य, पुरा अशितवन्तो वा अवहृतवन्तो वा पुरा यत्रान्य
अमय वणीमका त्वरित २ उपसकामन्ति स हत ! अहमपि त्वरित २ उप
सकमामि, मातृस्थान सस्पृशेन्न एव कुर्यात् ।

पदाय—से—वह । भिक्षु वा—छाया और साध्वी । जाव—यावत् । पविष्टेसमाणे—

गृहपति कुल में प्रवेश करने हुए। से—वह। जं—जो पुण—फिर। जाणिज्जा—प्राहागदि को जाने। अग्रपिंड—अग्रपिंड को। उखिण्णमाण—थोड़ा-भोटा निकालते हुए को। पेहाए—देखकर। अग्रपिंड—अग्रपिंड को। निग्निण्णमाणं—अन्य स्थान में रखते हुए को। पेहाए—देखकर। अग्रपिंड—अग्रपिंड को। हीरमाण—किमी स्थान पर निजाते हुए को। पेहाए—देखकर। अग्रपिंड—अग्रपिंड को। परिभाइज्जमाणं—वांटते हुए को। पेहाए—देखकर तथा। अग्रपिंड—अग्रपिंड को। परिभुंजमाणं—खाते हुए को। पेहाए—देखकर। अग्रपिंड—अग्रपिंड को। परिट्ठविज्जमाणं—परिष्ठापन करते फँकते हुए को। पेहाए—देखकर। पुता अमिणाइ वा—पहले श्रमणादि नाकर चले गये अथवा। अयहाराइ वा—पहले श्रमणादि, अग्रपिंड को लेकर चले गए। जत्थण्णे—जहा पर अन्न। समण श्रमण आदि। षणीमगा—और भिक्षा-वृत्ति में निर्वाह करने वाले मानव लोग। खट्ठं २—शीघ्र २। उयसकमति—अग्रपिंड लेने को जाने हैं। हुंता—यह अत्यय वाक्य उपन्यास के लिए है। से—वह भिक्षु विचार करता है। अहमवि—मैं भी। खट्ठं २—शीघ्र—जल्दी २। उवमकमामि—जाता हूँ। माइट्ठाणं संकासे—यदि इस प्रकार विचार करे तो वह मातृस्थान का स्पर्श करता है अर्थात् माया—कपट को आश्रित करता है अतः उसको। एणं—इस प्रकार। नो करेज्जा—नहीं करना चाहिए।

मूलार्थ—वह साधु वा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करते हुए आहार आदि के विषय में इस प्रकार जाने कि अग्रपिंड को निकालते हुए को देखकर, अग्रपिंड को किसी अन्य स्थान पर रखते हुए को देखकर, अग्रपिंड को कहीं ले जाते हुए को देखकर, अग्रपिंड को वांटते हुए को देखकर, अग्रपिंड को खाते हुए को देखकर, अग्रपिंड को इधर-उधर फँकते हुए को देखकर तथा पहले श्रमणादि खा गए है, और अग्रपिंड को लेकर चले गए है या याचक लोग अग्रपिंड को प्राप्त करने के लिए शीघ्र २ पग उठा रहे है। उन्हें देखकर यदि साधु भी उसे प्राप्त करने के लिए शीघ्र २ कदम उठाने का विचार करता है तो वह मातृ-स्थान का सेवन करता है। अतः साधु को ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ अग्रपिण्ड को देव स्थान ॐभोजन तैयार होने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा पहले देवता आदि के लिए निकाला जाता है, उसे अग्रपिंड कहते हैं।

कूपर लें जा रहा हो, या अयमन के भित्तु उन पिण्ड को खा रहे हों, खा चुके हों या खाने जा रहे हो तो जैन मुनि को उम स्थान पर उभे ग्रहण करने के लिए जाने का सकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह अप्रपिण्ड निस देव या भित्तु आदि के निमित्त से निकाला गया है, उसे यदि साधु ग्रहण करले तो उसे अन्यमत के भित्तु आदि को अंतराय लगती है, इसलिए मुनि ने ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु उसे गृहस्थ के अपने एव परिवार के लिए बने हुए निर्दोष आहार में से समस्त दोषों को दालने हुए साधु को थोडा थोडा आहार ग्रहण करना चाहिए। जैसे भ्रमर एक ही फूल से रस न लेकर अनेक पुष्पों से थोडा थोडा रस लेकर अपने आप को भी तृप्त करता है और फूल के सौंदर्य को भी नहीं विगाडता, उसी तरह मुनि भी प्रत्येक घर से उतना ही आहार ग्रहण करे जिससे पीछे परिवार को न तो भूखे रहना पड़े और न फिर से आरम्भ करके तैयार करना पड़े।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में भोजन बनाने के बाद उसमें से देव आदि के निमित्त अप्रपिण्ड निकालने की परम्परा थी और वह अप्रपिण्ड भी पर्याप्त मात्रा में होता था, जिसे वे लोग देव स्थान पर ले जाकर प्रसाद के रूप में बांटते थे। जैसे आजकल अय भूमि में देव मंदिर में चढ़ाए गए भोग (अन्न आदि) को बांटने का रिवाज है। उस अप्रपिण्ड में से शाक्यादि भित्तु भी प्रसाद या आहार रूप में लेते थे। इसलिए साधु के लिए ऐसा आहार ग्रहण करने का निषेध किया है। इसमें एषणीय एव निर्दोषता की कम समावना रहती है।

भिक्षा के लिए साधु को कौन से रास्ते से जाना चाहिए, इस का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू चा० जाव समाणे यतरा से वप्पाणि
 फलिहाणि वा पागाराणि वा तोरणाणि वा यग्गलाणि
 वा यग्गलपामगाणि वा मत्ति परक्कमे सजयामेव परिक्क-
 मिज्जा, नो उज्जुय गच्छिज्जा, केवली वूया—आयाणमेय, से
 तत्थ परक्कममाणे पयलिज्ज वा पक्खत्तेज्ज वा, पवडिज्ज
 वा, से तत्थ पयलमाणे वा पक्खत्तेज्जमाणे वा पवडमाणे

न सस्तिरधया पृथिव्या न सरजस्करया पृथिव्या न चित्तवत्या शिलया न चित्त-
वत्यालेलुना कोजावा ने दारुणि जीव प्रतिष्ठिते साण्डे सप्राणिनि यावत्
सन्तानकेन आमृज्याद् वा प्रमृज्याद् वा संलिखेद् वा उद्वलेद् वा उद्व-
र्तयेद् वा श्वातापयेद् वा प्रतपायेद् वा स पुर्वमेव अल्प रजस्कं तृणं वा पत्रं वा
काष्ठं वा शर्करं वा याचेत्, या चयित्वा स तमादाय एकान्तमपक्रामयित्वा
भ्रामस्थंडिले वा यावत् अन्यतरे वा तथा प्रकारे प्रतिलिख्य २ प्रमृज्य २
ततः संयत सत्र आमृज्याद् वा यावत् प्रमृज्याद् वा ।

पदार्थं—से—वह । निक्ख वा—नाथु या माध्वी । जाव—यावत् । समाणे
गृहपति कुल मे प्रविष्ट होने पर । अंतरा—मार्ग के मध्य मे । से—उस निक्षु को जाते हुए
निम्न लिखित कारण हो यथा । यत्पाणि वा—ऊची-नीची भूमि हो अथवा बीज बोने के लिए
नेत में वयारिणं बना दी हो । फलिहाणि वा—अथवा खाँ खोद रखी हो । पागराणि वा—
अथवा प्रकोट बना रखा हो । तोरणाणि वा—तोरण-द्वार का अथवा विशेष तथा । अगलाणि
वा—अगला-किवाट बन्द करने के लिए निर्मित काष्ठ विशेष की बनी हुई एक वस्तु । अगल-
पासगाणि वा—जिसमें अगल दिया जाता हो वह स्मान । सति परयकमे—अन्य मार्ग के होने
पर । संजयामेव—संयती-सयमशील साधु । परिपकभिज्जा—उस मार्ग से जाए, किन्तु ।
उज्जुयं—मीधा उक्त वयारी आदि के मार्ग से । नो गच्छिज्जा—न जाए । कोई शिष्य प्रश्न
करता है कि भगवन् ! ऋजु मार्ग से जाने का क्यों निषेध किया है ? इसके उत्तर मे गुरु
कहते हैं— । केवली—केवनिभगवान । वप्रा—कहते हैं कि । प्रायाणमेयं—यह मार्ग कम
ज्ञाने का है । क्योंकि उससे सयम और आत्मा की विराधना होने की सम्भावना है, सूत्रकार
वही दिग्गते हैं । से—वह भिक्षु । तत्थ—चेत आदि के मार्ग से । परयकममाणे—जाता
हुआ । पयलिज्ज वा—कम्पित हा जावे या प्रखलित हो जावे । पवखलेज्ज वा—फिसल जाए ।
पवडिज्ज वा—अथवा गिर पड़े । से—वह भिक्षु । तत्थ—उस मार्ग मे । पयलमाणे वा—काम्पता
हुआ । पवखलेज्जमाणे वा—अथवा प्रखलित होता हुआ अर्थात् फिसलता हुआ । पवडिमाणे वा—
अथवा गिरता हुआ ६ कायो में से किसी एक की हिंसा करता है अर्थात् उसके फिसलने वा गिरने
आदि से पट्काय मे से किसी की विराधना होने पर सयम की विराधना होती है । तत्थ—उस
मार्ग मे । से—उस भिक्षु का । काए—शरीर (फिसलने या गिरने आदि से) । उच्चारेण
वा—उच्चार-विष्टा से, अथवा । पासवणेण वा—मूत्र से । खेलेण वा—मुख के मल श्लेष्माने ।
सिघाणेण वा—अथवा नाक के मल से । वंतेण वा—वमन से । पित्तेण वा—अथवा पित्त से
शरीरगत धातु विशेष से । पूयेण वा—अथवा पूय से—पाप से अर्थात् राव से । सुक्केण वा—

प्रयवा शुक्र-वीय से । सोनिष्ण वा—प्रयवा सोनिष्ण-रुधिर से । उवन्तिस्तसिषा—उपलिप्त हो जाये । तद्वृषगारं काय—नया प्रकार में उपलिप्त हुए गरीर का । नो—नहीं । प्रणतर-हृषाए—घात रहित । पुठवीए—पृथिवी में प्रयान् सचित पृथिवी में । नो—नहीं । सतिनिष्ठाए पुठवीए—स्निग्ध-घात पृथिवी से । नो—नहीं । सप्तशलाए पठवीए—गरज्ज पृथिवी से । नो चित्तमत्ताए तिसाए—नहीं सचित-चेतनायुक्त गिता में । नो चित्तमत्ताए लेपू वा—नहीं सचित चेतनायुक्त गितापद में प्रयवा । जोताबासति—घृण में युक्त । बाहए—काष्ठ से । जीवपद्दट्टि—प्रयवा जीवप्रतिष्ठित जिसमें बाहर में जीव घाय हो—काष्ठ में । सप्रडे—प्रणों से युक्त काष्ठ प्रयवा । सवाणे—प्राणी युक्त काष्ठ घाति में । जाव—यावत् । सप्तशलाए जाना घाति युक्त काष्ठ घाति में । नो घामञ्जिज्ज वा—एक बार भी मसने नहीं प्रयवा । पमञ्जिज्ज वा—पुन पुन मसने नहीं । मलिहिज्ज वा—प्रयवा पवित्र न करे । निनिहिज्ज वा—प्रयवा पूछे नहीं । उव्वलेज्ज वा—प्रयवा उदत्तन प्रयान् विनेय रूप में पूछे नहीं । उव्वट्टिज्ज वा—प्रयवा उदत्तन न करे । घापाविज्ज वा—प्रयवा एक बार भी धूप में सुनाए नही । पयाविज्ज वा—प्रयवा पुन-पुन धूप में सुनाए नही । स—वह भिक्षु । पु-यामेव—पहले ही । अप्पसतरसस—रज रहित । सण वा—तृण प्रयवा । पस वा—पत्र । वटठ धा—प्रयवा काष्ठ । सक्कर वा—एक ककड की । जाइज्ज—याचना करे । जाइता—याचना करे । से—वह भिक्षु । तमापाय—उमको लेकर । एगतमवक्कमिज्जना—एका त स्थान पर चला जाए, एकांत स्थान पर जाकर देखे कि । अहेअमघडितसि वा—जो भूमि प्रणि क सयोग से प्रचित होकर स्थित रूप में प्रवृत्त है—ऐसे स्थित की । जाव—यावत् । प्रन्तरसि वा—प्रय विनी निर्णय भूमि की प्रयवा । सएणगारसि—नया प्रकार का भूमि की पडिलेहिय २—प्रतिलेखना कर के भली भांति प्रबलोरत करके । पमञ्जिय पमञ्जिय—पच्छी तरह से प्रमाजित करे । तपो—तदनंतर । सजयामेव—सयत साधु यत्न पूर्वक उक्त-कथित तृण आदि से शरीर को । घामञ्जिज्ज वा—एकबार मसने प्रयवा । जाव—यावत् । पयाविज्ज वा—बार बार धूप में सुनाये ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी को गृहपति आदि के कुल में जाते समय माग के मध्य में खेत को क्यारिए, खाई, कोट, तोरण, अगना और अर्गलपाशक पडता हो तो अथ मार्ग के होने पर वह उस माग से न जाए भले ही वह मार्ग सोधा क्यों न हो । क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्मबन्ध का मार्ग है । क्योंकि वह भिक्षु उस माग से जाते हुए वाप जाएगा या उसका पाव फिसल जाएगा या वह गिर जाएगा, तब

उस मार्ग में कांपते हुए, फिसलते हुए या गिरते हुए उस भिक्षु का शरीर त्रिष्ठा से, मूत्र से, श्लेष्म से, नाक के मल से, वमन से, पित्त से, राध से, शुक्र से और रुधिर से उपलिप्त हो जाए तो ऐसा होने पर वह भिक्षु अपने शरीर को सचित्त मिट्टी से, स्निग्ध मिट्टी से, सचित्त शिला से और सचित्त शिलाखंड से अर्थात् चेतना युक्त पत्थर के टुकड़े से, या घुण वाले काष्ठ से, जीव प्रतिष्ठित-जीव युक्त काष्ठ से एवं अण्डयुक्त अथवा प्राणी युक्त या जालों आदि से युक्त काष्ठ आदि से अपने शरीर को एक बार या अनेक बार मसले नहीं, एक बार या अनेक बार धिसे नहीं, पुछे नहीं तथा उवटन की भांति मले नहीं, तथा एक बार या अनेक बार धूप में सुखाये नहीं, अपितु वह भिक्षु पहले ही सचित्त रज आदि से रहित तृण, पत्र, काष्ठ कंकड आदि की याचना करे। याचना करके वह एकान्त स्थान में जाये और वहां अग्नि आदि के संयोग से जो भूमि प्रासुक हो गई हो अर्थात् अग्नि दग्ध होकर जो भूमि अचित्त बन गई हो, उस जगह की या अन्यत्र उसी प्रकार की भूमि की प्रतिलेखना करके यत्ना पूर्वक अपने शरीर को मसले-यावत् बार-बार धूप में सुखाकर शुद्ध करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को विषम-मार्ग से भिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि रास्ते में खड्डे, खाई आदि हैं, सीधा एवं सम मार्ग नहीं है, तो अन्य मार्ग के होते हुए साधु को उस मार्ग से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उस मार्ग से जाने पर कभी शरीर में कम्पन होने या पैर आदि के फिसलने पर वह साधु गिर सकता है और उसका शरीर मल-मूत्र या नाक के मैल या गोबर आदि से लिप्त हो सकता है और उसे साफ करने के लिए सचित्त मिट्टी, सचित्त लकड़ी या सचित्त पत्थर या जीव-जन्तु से युक्त काष्ठ का प्रयोग करना पड़े। इससे अनेक जीवों की विराधना होने की संभावना है। अतः साधु को ऐसे विषम मार्ग का त्याग करके अच्छे रास्ते से जाना चाहिए। यदि अन्य मार्ग न हो और उधर जाना आवश्यक हो तो उसे विवेक पूर्वक उस रास्ते को पार करना चाहिए। और विवेक रखते हुए भी यदि बसाक

वा, तत्थ से काए उच्चारेण वा पासवणेण वा खेलेण वा
 सिघाणेण वा वतेण वा पित्तेण वा पूएण वा सुक्केण वा
 सोणिएण वा उवलित्ते सिया, तहप्पगार काय नो यण्णतरहियाए
 पुढवीए नो ससिण्हिद्धाए पुढवीए नो ससरक्खाए पुढवीए
 नो चित्तमताए मिलाए नो चित्तमताए लेलूए कोलावाससि
 वा दारुए जीवपइट्ठिए सयडे सपाणे जाव समताणए
 नो यामज्जिज्ज वा पमज्जिज्ज वा सलिहिज्ज वा निलिहिज्ज
 वा उव्वलेज्ज वा उव्वट्ठिज्ज वा आयाविज्ज वा पयापिज्ज
 वा, से पुब्बामेव अण्णससरक्ख तण्ण वा पत्त वा कट्ठ वा
 सक्कर वा जाड्जा, जाड्जा से तमायाय एगतमवक्कमिज्जा २
 यहे भाम थडिलसि वा जाव यन्नयरसि वा तहप्पगारसि
 पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय २ तयो सजयामेव यामज्जिज्ज
 वा जाव पयाविज्ज वा ॥२६॥

ध्याया—स भिचुरा० यावत् (प्रपिष्ट) सन् अन्तराल तस्य वप्रा वा
 परिमा वा प्राकाग वा तोरणानि वा अर्गला वा अर्गलपाशका वा सति
 पराक्रमे सयत् एव प्राक्रमे न ऋजुना गच्छेत्, केवली ब्रूयात् आदानमेतत्
 स तत्र पराक्रममाण प्रचलेद् वा प्रस्त्रलेद् वा प्रपतेद् वा स तत्र पराक्रममाण
 वा प्रस्वरुन् वा प्रपतन् वा तत्र तस्य काय उच्चारेण वा प्रमरणेन वा
 रलेष्मणा वा सिधाननेन वा बान्तेन वा पिचेन वा पूतेन वा शुभ्रेण वा
 शोणितेन वा उपलिप्त स्यात् । तथा प्रकार काय अनर्तहितया पृथिव्या

पैर फिसल जाए और वह गिर पड़े तो उसे अपने अशुचि से लिपटे हुए अंगोपाङ्गों को सचित्त मिट्टी आदि से साफ न करके, तुरन्त अचित्त काष्ठ-कंकर की याचना करके एकान्त स्थान में चले जाना चाहिए और वहाँ अचित्त भूमि को देखकर वहाँ जीव-जन्तु से रहित अचित्त काष्ठ आदि के टुकड़े एवं अचित्त मिट्टी आदि से अशुचि को साफ करके, फिर अपने शरीर को धूप में सुखाकर शुद्ध करना चाहिए।

उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने अपनी 'वालावबोध' में लिखा है कि भगवान ने अशुचि से लिप्त स्थान को पानी से साफ करने की आज्ञा नहीं दी।

परन्तु आगम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अशुचि को दूर करने के लिए साधु अचित्त पानी का उपयोग कर सकता है। आगम में यह भी बताया गया है कि गुरु एवं शिष्य शौच के लिए एक ही पात्र में पानी ले गए हों तो शिष्य को गुरु से पहले शुद्धि नहीं करनी चाहिए। और प्रतिमाधारी मुनि के लिए सब तरह में जल स्पर्श का निषेध होने पर भी शौच के लिए जल का उपयोग करने का आदेश दिया गया है। आगम में पाँच प्रकार की शुद्धि का वर्णन आता है, वहाँ जल से शुद्धि करने का भी उल्लेख है। और अशुचि की अस्वाध्याय भी मानी है। इससे स्पष्ट होता है कि जल से अशुचि दूर करने का निषेध नहीं किया गया है। साधक को यह विवेक अवश्य रखना चाहिए कि पहले अचित्त एवं जन्तु रहित काष्ठ आदि उसे साफ करके फिर अचित्त पानी से साफ करे।

प्रस्तुत सूत्र से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में गाँवों के रास्ते/सम एवं बहुत साफ-सुथरे नहीं होते थे। लोग रास्ते में ही पेशाब, खंखार आदि फैंक देते थे। जहाँ-तहाँ गड़ढे भी हो जाते थे, जिनसे वर्षा के दिनों में पानी भी सड़ता रहता था। इस तरह उस युग में गाँवों में सफाई की ओर कम ध्यान दिया जाता था।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ॐपर श्री वीतारागिइ इम न कर्ह्यौ पाणी सु धोवे, एहवी जयषा श्री वीतरागे
पदे सि जाणवी पालवी इत्यर्थः ।

—उपाध्याय पार्श्वचन्द्र ।

† निशीथ सूत्र, उद्देशक ४ ।

‡ समवायाग सूत्र, ३२, दशाश्रुतस्कंध, दशा ३,

ॐ दशाश्रुतस्कंध दशा ७ ।

† पंचविहे सोए पण्णते तजहा-पुड्विमोए, आउसोए, तेउसोए, मंतमोए वंभसोए ।

स्थानाग सूत्र, स्या० ५ उ० ३

‡ स्थानाग सूत्र, म्यान १० ।

मूलम्—से भिक्खू वा० मे ज पुण जाणिज्जा गोण
 वियाल पडिपहे पेहाए महिस वियाल पडिपहे पेहाए, एव
 मणुस्स ग्राम हत्थि सीह वग्घ विग दीविय अच्च तरच्च
 परिसर सियाल विराल सुणाय कोलसुणाय कोकतिय चित्ता-
 चिल्लडय वियाल पडिपहे पेहाए सइ परकम्मे सजयामेव पर-
 ककमेज्जा, नो उज्जुय गच्छिज्जा ।

से भिक्खू वा० समाणे अतरा से उवायो वा खाणुए वा
 कटए वा घसी वा भिलुगा वा विसमे वा विज्जले वा परिया
 वज्जिज्जा, सइ परककमे सजयामेव, नो उज्जुय गच्छिज्जा ।२७।

ध्याया—स भिच्छुर्वा० तद् यत् पुन जानीयात् गा व्यालम् प्रतिपथ
 प्रत्युपेक्ष्य महिषिं व्याल प्रतिपथे प्रेक्ष्य एव मनुष्य अश्व हस्तिन सिंह व्याघ्र
 वृक द्वीपिन ऋक्ष तरच सरभ शृगाल विडाल शुनक महाशूकर कोकतिक
 चित्ताचिल्लडय व्याल प्रतिपथे प्रत्युपेक्ष्य मति पराक्रमे सयतमेव पराक्रमेत्, न
 ऋजुक गच्छेत् ।

स भिच्छुर्वा० (प्रविष्ट) सन् अन्तराले भवपात स्थाण्वर्वा कण्टको वा घसी
 वा भिलुगा वा विपम वा विज्जल (वर्दम) वा परितापयेत्, सतिपराक्रमे सयतमेव
 न ऋजुक गच्छेत् ।

पदाप—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहपति कुल में प्रवृत्त करने पर ।
 से जं पुण जाणिज्जा—यदि माग में यह जाने यथा । गोण—यपभ—बल । व्याल—मनो मत
 भयवा सरं—माप । पडिपहे मार्ग को रोके हुए स्थित है । पेहाए—उसे देखकर तथा ।
 महिस व्याल—मनोमत्तभसे को । पेहाए—देखकर । एवं—इसी प्रकार । मणुस्स—मनुष्य को ।
 वग्घ—प्राव—घोड़े को । हरिषं—हाथी का । सीह—सिंह को । वग्घ—व्याघ्र को । विग—

भेडिये को । दीविय—द्वीपी, चित्रक—चीते को । अरुछं—भाजू को । तरच्छ—हिसक जीव विशेष को जोकि व्याघ्र जाति का जीव होता है । परिसरं—अष्टापद जीव को । सियालं—शृगाल-गीदड़ को । विरालं—विल्ले को । सुणय—कूने को । कोलसुणयं—महाशूकर को । कोकंतियं—शृगाल की आकृतिका लोमटक नाम का जीव विशेष जो रात्रि में को को शब्द करता है, उसको । चित्ताविल्लडय—अरण्य वासी जीव विशेष को । व्याल—सर्प को । पडिपहे—मार्ग में । पेहाए—देखकर । सइपरक्कमे—अथ मार्ग के होने पर । संजयामेव—साधु यत्नापूर्वक । परक्कमेज्जा—जाए । उज्जुय—सीधा प्रयात् उन जीवो के सामने से । नो गच्छिज्जा—गमन न करे अर्थात् आत्मा और संयम की विराधना के भय से उन जीवो के सामने न जाए ।

से—वह । भिक्षू वा— भिक्षु साधु या साध्वी । समाणे—यावत् भिक्षा के लिये मार्ग में जाते हुए । अंतरा से—वह मार्ग के मध्य में उपयोग पूर्वक इन बातों को देखे जैसे कि—मार्ग में । उवाओ वा—गर्त अर्थात् गढा । खाणु वा—अथवा स्थाणु अर्थात् खूटा । कंटए वा—अथवा काटे । घसी वा—अथवा घसी अर्थात् पर्वत की उतराई । वा—अथवा । मित्तुगा—फटी हुई पृथ्वी । वा—अथवा । विषम—विषम अर्थात् ऊची नीची भूमि । वा—अथवा । विज्जले—कीचड़ है तो वह । परियावज्जिज्जा—उस मार्ग को छोड़ दे, तथा । सइपरक्कमे—अन्य मार्ग के होने पर । सज्जयामेव—साधु यत्न पूर्वक अन्य मार्ग से जाए किन्तु मार्ग में उक्त पदार्थों को देख कर । उज्जुयं—सीधा । नोगच्छिज्जा—न जाए ।

भूत्तार्थ—साधु या साध्वी जिस मार्ग से भिक्षा के लिए जा रहे हों यदि उस मार्ग में मदोन्मत्ता वृषभ और मदोन्मत्त भैंसा एव मनुष्य, घोड़ा हस्ती, सिंघ, व्याघ्र, भेडिया, चीता, रीछ, व्याघ्रविशेष, अष्टापद, गीदड़, विल्ला, कुत्ता, सुअर कोकंतिक (स्याल जैसा अरण्य जीव) और सांप आदि मार्ग में खड़े या बैठे हैं तो अन्यमार्ग के होने पर साधु उस मार्ग से जाए किन्तु जिस मार्ग में उक्त जीव खड़े या बैठे हों उस से न जावे ।

साधु या साध्वी भिक्षार्थ गमन करने पर यह देखें कि मार्ग में यदि गढा, स्थाणु-खूटा, कण्टक, उतराई को भूमि, कटी हुई भूमि, विषम-ऊची नीची भूमि, और कीचड़ वाला मार्ग है तो वह अन्यमार्ग के होने पर उसी मार्ग से यत्न पूर्वक गमन करे किन्तु उक्त सीधे मार्ग से न जावे ।

क्योंकि उक्त सीधे माग मे गमन करने पर शात्मा और सयम की विराधना होने की सम्भावना है ।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि भिक्षा ष लिए जात समय साधु को विवचन से चलना चाहिए । यदि रास्ते मे मद्दो-मत्त बैल या हाथी खडा हो या सिंह, व्याघ्र, भेडिया आदि जङ्गली जानवर खडा हो तो अन्य मार्ग क होते हुए साधु को उस माग से नहीं जाना चाहिए और इसी तरह जिस मार्ग म गड्डू आदि हैं उस पथ से भी नहीं जाना चाहिए । क्योंकि उमत्त बैल आदि पत्र हिंस्र जंतुओं से आत्म विराधना हो सकती है और गड्डू आदि स युक्त पथ से जाने पर सयम की विराधना हो सकती है । अत मुनि को उस पथ से न जाकर अन्य पथ से जाना चाहिए यदि अन्य मार्ग कुछ लम्बा भी पड़ता हो तो भी उसे समय रक्षा के लिए लम्बे रास्ते से जाना चाहिए ।

उस युग मे कई बार मुनि को भिक्षा के लिए एक गाव से दूसर गाव भी जाना पडता था और कहीं-कहीं दोनों गावों के बीच मे पडने वाले जंगल मे सिंह, व्याघ्र आदि जङ्गली जानवर भी रास्ते मे मिल जाते थे । इसी अपेक्षा से इनका उल्लेख किया गया है । परंतु, इसका यह अर्थ नहीं है कि कुत्तो की तरह शेर भी गावों की गलियों में घूमते रहते थे । अत आहार के लिए जाने वाले मुनि को प्रामान्तर मे जाते हुए शेर आदि का मिल जाना भी सम्भव है, इस दृष्टि से सूत्रकार ने मुनि को यत्ना एव विवरण पूर्वक चलने का आदेश दिया है ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० गाहावडकुलस्त दुवारवाह कटग
 बुदियाए परिपिहिय पेहाए तेसिं पुव्वामेव उग्गह यण्णान्णविय
 यपडिलेहिय यप्पमज्जिय नो अयगुणिज्जवा, पविसिज्ज वा
 निक्खमिज्ज वा, तेसिं पुव्वामेव उग्गह यण्णान्णविय पडिलेहिय २
 पमज्जिय २ तयो मज्जामेव अयगुणिज्ज वा पविसेज्ज वा
 निक्खमेज्ज वा ॥२८॥

आया—स भिक्षुर्वा० गृहपतिकुलस्य द्वारभागं कटकशाखया परिपिहितं प्रेच्य तेषां पूर्वमेवावग्रह अननुज्ञाप्य अप्रतिलेख्य अप्रमृज्य न उद्घाटयेत् वा प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा, तेषां पूर्वमेव अवग्रह अनुज्ञाप्य प्रतिलेख्य रतिलेख्य प्रमृज्य प्रमृज्य ततः संयतमेव उद्घाटयेद् वा प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा ।

पदार्थ—से—वह । निक्खू वा—साधु और साध्वी । गहावइकुलस्स—गृहाति के कुल के । दुवारवाह—द्वार भाग को । कंटगवुदियाए—कटक शाखा से । परिपिहितं—बन्द किए हुए को । पेहाए—देखकर । तेसि—उन गृहपति के । पुव्वामेव—पहले ही । उग्गहं—अवग्रह आज्ञा मांगे । अणुन्नविय—विना आज्ञा मांगे । अपडिलेहिय—विना प्रतिलेखना किए । अपमज्जिय—रजोहरणादि से प्रमार्जित किए विना । नो अवगुणिज्ज वा—वह उस द्वार का उद्घाटन न करे उसे न खोले । पविसिज्ज वा—तथा खोल कर प्रवेश न करे । निक्खमिज्ज वा—और न निकले परन्तु । तेसि—उस गृहपति के । पुव्वामेव—पहले ही । उग्गहं—अवग्रह—आज्ञा को । अणुन्नविय—मांग कर फिर । पडिलेहिय २—आखी से भली प्रकार देख भाल कर । पमज्जिय २—रजोहरणादि से अच्छी तरह प्रमार्जित कर । तत्रो—तदनन्तर । सजयामेव—साधु यत्न पूर्वक । अवगुणिज्ज वा—उस द्वार का उद्घाटन करे और । पविसिज्ज वा—प्रवेश करे तथा प्रवेश के बाद । निक्खमेज्ज वा—निकले ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी गृहपति के घर के द्वार भाग को कण्टक शाखा से ढांका हुआ-बन्द किया हुआ देखकर उस गृहपति से आज्ञा मांगे विना, उसे अपनी आंखों से देखे विना और रजोहरणादि से प्रमार्जित किए विना न खोले न उसमें प्रवेश करे और न उसमें से निकले । किन्तु उस गृहस्थ को पहले ही आज्ञा लेकर, अपनी आंखों से देखकर और रजोहरणादि से प्रमार्जित करके उसे खोले, उसमें प्रवेश करे और उस से निकले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते समय साधु यह देखे कि घर का द्वार (कण्टक शाखा से) बन्द है, तो वह उस घर के व्यक्ति को आज्ञा लिए विना तथा रजोहरण आदि से प्रमार्जित किए विना उसे खोले नहीं, और न उस घर में प्रवेश करे तथा न उससे वापिस बाहर निकले । इससे स्पष्ट है कि यदि गृहस्थ के घर का दरवाजा बन्द है और साधु को कार्यवश उसके घर में जाना है तो वह उस घर के व्यक्ति की आज्ञा से यत्ना पूर्वक द्वार को देखकर खोल

मकता है और उसके घर में जा आ सकता है ।

गृहस्थ के यद् द्वार को उसकी आक्षा के शिना खोलकर जाने से कई दोष लगने की सम्भावना है— १—यदि कोई बहिन स्नान कर रही हो तो वह साधु को देखकर उम पर क्रुद्ध हो सकती है, २—घर का मालिक आबश यश साधु को अपराध भी कह सकता है, ३—यदि उसके घर से कोई वस्तु चली जाए तो साधु पर उसका दोषारोपण भी कर सकता है और ४—द्वार खुलने से पशु अन्दर जाकर कुछ पदार्थ खा जाए या शिगाह द या तोड़ फोड़ कर दें तो उसका आरोप भी वह साधु पर लगा सकता है । इस तरह बिना आक्षा दरगना खोलकर जाने से कई दोष लगने की सम्भावना है अतः साधु को घर के व्यक्ति से आक्षा लिए शिना उसके घर के दरवाजे को खोलकर अन्दर नहीं जाना चाहिए ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने के बाद साधु को किस विधि से आश्रय लेना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मे भिक्षु वा २ सं ज पुण जाणिज्जा मणण
 वा माहण वा गामपिंडोलग वा यत्तिहिं वा पुब्बपविट्ठ पेहाए
 नो तेसिं भलोए मण्डिदुवारे चिट्ठिज्जा, से तमायाय एगतमव
 ककमिज्जा २ यणावायममलोए चिट्ठिज्जा, से से पगे यणावाय-
 ममलोए चिट्ठिमाणास्स अमण वा ४ आहट्टु दल्लडज्जा, से य
 एव वडज्जा-आउमतो ममणा । इमे भे अमणो वा ४ सब्ब
 जणाए निमट्ठे त भुजह वा ण परिभाएह वा ण, त चेगडथो
 पडिग्गाहिता तुमिणीथो उमेहिज्जा अचियाड एय मममेव
 मिया माडट्ठाण मफासे, नो एव करिज्जा, से तमायाए
 तत्थ गच्छिज्जा २ से पुग्गामेव आलोडज्जा आउमतो ममणा ।
 इमे भे अमणो वा ४ मज्जणाए निमिट्ठे त भुजह वा ण

जाव परिभाएह वा गां, सेणामेवं वयंतं परोवइज्जा—आउसंतो
समणा ! तुमं चेव गां परिभाएहि, से तत्थ परिभाएमाणो नो
अप्पणो खद्धं २ डायं २ उसद्धं २ रसियं २ मणुन्नं २ निद्धं २
लुक्खं २, से तत्थ अमुच्छिये अगिद्धे अग (ना) ढिए अणज्झो-
ववन्ने बहुसममेव परिभाइज्जा. से परं तत्थ परिभाएमाणं परो-
वइज्जा—आउसंतो समणा ! माणं तुमं परिभाएहि, सव्वे वेगइआ
ठिया उ भुक्खामो वा पाहामो वा, से तत्थ भुंजमाणो नो अप्पणा
खद्धं खद्धं जाव लुक्खं २, से तत्थ अमुच्छिए ४ बहुसममेव
भुंजिज्जा वा पाइज्जा ॥२६॥

छाया—स भिक्षुर्वा० तद् यत्पुनः जानीयात् श्रमणं वा ब्राह्मणं वा
ग्रामपिंडालकं वा अतिथि वा पूर्वप्रतिष्ठं प्रेक्ष्य न तेषा संलोके स प्रतिद्वारे
तिष्ठेत् स तमादाय एकान्तमपक्रामेत् २ अनापाते असंलोके तिष्ठेत् स परः
तस्य अनापाते असलोके तिष्ठतः अशनं वा ४ आहृत्य दद्यात्, स च
एवं ब्रूयात्—आयुष्मन्तः श्रमणाः ! अयं युष्मभ्यं अशनं वा ४ सर्वजनाय
निसृष्टं तद् भुङ्गध्वं वा परिभाजयत् वा त चैकतो गृहीत्वा तूष्णीक उपेक्षेत्,
अय नमैव स्यात् मातृस्थानं सस्पृशेत्, नैवं कुर्यात्, स तमादाय तत्र गच्छेत् २
स पूर्वमेव आलोकयेत्, आयुष्मन्तः श्रमणाः ! अय युष्मभ्य अशनं वा ४
सर्वजनाय निसृष्टं त भुङ्गध्वं वा यावत् परिभाजयत् वा, एनमेवं ब्रुवाण
परं वदेत्— आयुष्मन्तः श्रमणाः ! त्वं चैव णं परिभाजय ? स तत्र
परिभाजयन् आन्मनः प्रचुरं २ शार्कं २ उच्छ्रितं २ रासकं २ मनोज्ञं २
रि ग्धं २ रूक्षं २ स तत्र अमूर्च्छितोऽगृह्यः अनादृतः अनध्युपपन्नः बहुसमं एव

परिभाजयेत् त च परिभाजयन्त परो भूयात्—आयुष्मन् भ्रमण ! मा त्व
परिभाजय । सर्वे चैक्य स्थिता. भोक्ष्यामहे वा पास्यामो वा, म तत्र भुञ्जमान'
नात्मना प्रचुर २ यावद् रूचम्, स तत्र अमूर्च्छित ४ बहु सम ण्य भुञ्जीत
वा पिपेद् वा ।

पदाय—से—वह । भिन्न वा—मायु या माध्वी । मे अ एण जाणिञ्जा—गहपति
कुन म भिन्ना क लिए प्रवेग करन पर यति एम जान यथा । समण वा—भ्रमण गावर्षाणि
भिधु । माहण वा—भयवा ब्राह्मण । गामविद्धेतनं वा—ग्राम क याचक । अतिहि वा—
भयवा भनियि जोरि । पुत्र्य वविट्ठ—पहन प्रवण किण इए है, को । पेहाए—दसकर—
तसि—उनके । सलोए—गामन । सपडिडुवारे—जिम द्वार से वे निकरत हों— । मो चिण्डज्जा—
मडा न हो किन्तु । समायाए—भिन्ना क लिए भाय दूए उन भ्रमणाणि को जानकर ।
एगतमवशकमिञ्जा—एकान्त स्थान में जाकर । भणावायमसलोए—जहा कोर् न घाता हो श्रीर
न देखता ह्य एम स्थान पर । बिट्टिञ्जा—ठहर जाए । स— वह गहम्य । से—उम भिण
को जो कि । भणावायमसलोए चिट्ठमाणसस—निजन स्थान म भियत है । असण वा ४—
अगनादिक चतुविध घाहार । आहण्टु—लाकर । दलइञ्जा—द । य—फिर । से—वह ।
गहम्य । एव—इम प्रकार । वडिञ्जा—बोले । अउमतो समणा—हं प्रायुष्मत भ्रमणा !
इमे—यह । असण वा ४—अगनादिक चतुविध घाहार । मे—घाप । सव्वजणाए—सब
लिए भयानि सब भिणुषा के लिए । निसटठ—दिया है । त—उम प्राहार को । भुजह—सब
इकट्ठे बटकर खान । वा—भयवा । ण—वाक्यान्वहार मे है । परिभाएह वा ण—घापम में
वाट नें । वेगइओ—परंतु एकात में सब साधुओं को जानकर । त—उस घाहार का ।
पडिगाहिस्ता—लेकर । सुत्तिओओ—मीन रहकर । उवेहिञ्जा—उत्पक्षा करे यथा— ।
अभिमाइ—भवि सम्भावनायक है । एव—यह घाहार । मममेव सिया—मुझ निया है घत मेर
ही लिए है । यदि एमा विचार करे तो । माइट्टाण सफास—मातृ स्थान माया-कपट स्थान का
स्था होता है—उनक दाष नगता है अत । एव—इस प्रकार । मो करिञ्जा—ग करे किन्त ।
स—वह भिक्षु । समायाए—उम घाहार का लेकर । ततथ—जग पर व भ्रमणाणि सण हें
वहा पर । गच्छिञ्जा—जाण श्रीर बहा जाकर । से—वह भिक्षु । पुव्वमेव—पहल ही उ हें ।
आलोइञ्जा—उस घाहार को दिबाए श्रीर कह । आउसतो समणा—प्रायुष्मन्त भ्रमणो । इमे—
यह । असण वा ४—अगनादिक चतुविध घाहार । मे सव्वजणाए—हम सब के लिए । निसिटठ—
निया है । त—इस घाहार को । भुजह वा ण—सब इकट्ठे मिल कर खानें भयवा । जाष—
यावत् । परिभाएह वा ण—विभाग कर लें, बाण ल । सेणमेव वयंत्त—तब इस प्रकार बोलत
ए उम साधु को यदि । परोवइञ्जा—कोई साधु इस प्रकार कहे । आउसता समणा—प्रायुष्म

श्रमण ! तुमंचेव - तुम ही । णं - पूर्ववत् । परिभाएहि—विभाग कर दो— अर्थात् इस आहार को तुम ही बाँट दो ? तब । से—वह भिक्षु । तत्थ - वहा पर । परिभाएमाणे—विभाग करता हुआ । अण्णो - अपने लिए । खद्धं २ - प्रचुर अत्यधिक । डायं २ - सुन्दर शाक । उसद्धं २ - वर्षादि गुणों से युक्त । रसिय - रस युक्त । मणुन्न २ - मनोज्ञ । निद्धं २ - स्निग्ध और । लुक्खं २—रक्ष आहार को । नो—न रखे किन्तु । से—वह-भिक्षु । तत्थ—उस आहार के विषय में । अमुच्छिण्ण - अमूर्छित - मूर्छा रहित । अग्गिद्धे - अभिकाक्षा रहित । अग्गिण्ण - विशिष्ट गृद्धि रहित । अण्णभोववन्ने—और आसक्ति रहित होकर । बहूसममेव—सबको समान रूप में अर्थात् जो सब के लिए समान हो । परिभाइज्जा—विभाग करदे तथा । से णं परिभाए माणं—समान रूप में विभाग कर बाँटते हुए उस साधु को यदि । परो वइज्जा—कोई कहे कि । आउसंतो समणा ! - आयुष्मन् श्रमण ! । माण तुमं परिभाएहि—तुम मत विभाग करो ! सव्वेगइया ठियाउ - हम सब एकट्ठे बैठकर । भुण्णामो—खाएँगे और । पाहामो वा-पियेंगे । से—वह भिक्षु । तत्थ - वहा पर । भुज्जमाणे - उम आहार को खाता हुआ । अण्णो - अपने लिए । खद्धं २ - प्रचुर । जाव - यावत् । लुक्खं - रक्ष आहार को । नो - ग्रहण न करे । किन्तु । से—वह भिक्षु । तत्थ - उस आहार विषयक । अमुच्छिण्ण - अमूर्छित-मूर्छा रहित होकर । बहूसममेव - सबके समान ही । भुज्जिजा वा - खाए अथवा । पाइज्जा वा - पीए ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी भिक्षा के निमित्त गृहपति के कुल में प्रवेश करते हुए यदि यह जाने कि उमके जाने से पहले ही गृहपति कुल में शोक्यादि भिक्षु, ब्राह्मण ग्रामयाचक और अतिथि आदि प्रवेश किए हुए हैं तो उनके सामने अथवा जिस द्वार से वे निकलते हैं उसके सन्मुख खड़ा नहीं हो । किन्तु एकान्त स्थान में—जहाँ न कोई आना जाता हो और न कोई देखता हो जाकर खड़ा हो जाए । वहा खड़े हुए उस साधु को देख कर वह गृहस्थ यदि अशनादिक चतुर्विध आहार लाकर दे और देता हुआ कहे कि आयुष्मन् श्रमणो ! यह अशनादिक चतुर्विध आहार मैंने आप सब के लिए दिया है- आप लोग यथारुचि इस आहार को एकत्र मिलकर खाले या परस्पर विभाग करलें बाँट लो, तब उस आहार का लेकर वह साधु यदि मौन वृत्ति से उत्प्रेक्षा करे -विचार करे कि यह 'मुझे दिया' है अतः मेरे लिए ही है, तो उसे मातृस्थान-मायास्थान का स्पर्श होता है । अतः उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु उस आहार को लेकर जहा पर

अथ श्रमणादि खटे हो वहा जाकर प्रथम उन्हें उस आहार को दिखाए और दिखाकर कहे कि आयुष्मन् श्रमणो । यह अशनादि चतुर्विध आहार गृहस्थ ने हम सबके लिये दिया है इस आहार का एकत्रित भिन्न कर खालो परम्पर मे विभाग कर लें वाट ले । ऐसा कहते हुए उस साधु को यदि कोई भिक्षु कहता है कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम हो इस आहार का विभाग कर दा, सब को वाट दो ? तब वहा पर विभाग करता हुआ वह साधु अपने लिये प्रचुर शाक, भाजा या रसयुक्त मनोज्ञ स्निग्ध और रूक्ष आहार को न रक्खे, किन्तु वहा आहार विषयक मूर्छा, गृद्धि, और आसक्ति आदि से रहित होकर सबके लिये समान विभाग करे, यदि सम विभाग करते हुए उस साधु को कोई भिक्षु यह कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम विभाग मत करो हम सब वहा ठहरे हुए हैं, एकत्र बैठकर इस आहार को खालेंग और जल पीलेंगें । तब वह भिक्षु वहा पर भाजन करता हुआ आहार विषयक मूर्छा, गृद्धि और आसक्ति आदि को त्यागकर अपने लिए प्रचुर यावत् स्निग्ध और रूक्षादि का विचार न करता हुआ समान रूप से उस आहार का भक्षण करे तथा जलादि का पान करे अर्थात् इस प्रकार से खाए जिसमे समविभाग मे किसी प्रकार की न्यूनाधिकता न हो ।

द्वि-दो विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि भिक्षा के लिए गया हुआ साधु यह देखे कि गृहस्थ के द्वार पर शाक्यादि अन्य मत के भिक्षुओं की भीड़ खड़ी है, तो वह गृहस्थ के घर में प्रवेश न करके एकांत स्थान मे खडा हो जाए । यदि गृहस्थ उसे वह गन्डा हुआ देख ले और उसे अशन आदि चारों प्रणार, का आहार हाकर दे और माथ मे यह भी कहे कि मैं गृह कार्य म व्यस्त रहने के कारण सब साधुओं को अलग अलग भिक्षा नहीं दे सकता । अत आप यह आशर ले जाए और आप सबकी इन्डा हो तो साथ बैठकर खा लें या आपस मे वाट लें । इस प्रकार के आहार को ग्रहण करके वह भिक्षु (मुनि) अपने मन मे यह नहीं सोचे कि यह आहार मुझे दिया गया है, अत यह मेरे लिए है और वस्तुत मेरा ही होना चाहिए, यदि वह ऐसा सोचता है तो उसे दोष लगता है । अत वह मुनि उस आहार को लेकर वहा जाए

जहां अन्य भिक्षु खड़े हैं और उन्हें वह आहार दिखाकर उनसे यह कहे कि गृहस्थ ने यह आहार हम सब के लिए दिया है। यदि आपकी इच्छा हो तो सम्मिलित खा लें और आपकी इच्छा हो तो सब परस्पर बांट लें। यदि वे कहें कि मुनि तुम ही सब को विभाग कर दो, तो मुनि सरस आहार की लोलुपता में फंसकर अच्छा-अच्छा आहार अपनी ओर न रखे, समभाव पूर्वक वह सबका समान हिस्सा कर दे। यदि वे कहें कि विभाग करने की क्या आवश्यकता है। सब साथ बैठकर ही खा लें, तो वह मुनि उनके साथ बैठकर अनासक्त भाव से आहार करे।

प्रस्तुत पाठ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या जैन मुनि शाक्यादि अन्य मत के भिक्षुओं के साथ बैठकर आहार कर सकता है? अपने द्वारा ग्रहण किया गया आहार उन्हें दे सकता है ?

इस पर वृत्तिकार का यह अभिमत है कि उत्सर्ग मार्ग में तो साधु ऐसे आहार को स्वीकार ही नहीं करता। दुर्भिक्ष आदि के प्रसंग पर अपवाद में वह इस तरह का आहार ग्रहण कर सकता है। परन्तु, इतना होने पर भी उसे अन्य मत के भिक्षुओं के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए। किन्तु जो पार्श्वस्थ जैन मुनि या सांभोगिक है, उन्हें ओष आलोचना देकर उनके साथ खा सकता है ❀ ।

परन्तु, प्रस्तुत पाठ में न तो दुर्भिक्ष आदि के प्रसंग का उल्लेख है और न पार्श्वस्थ आदि साधुओं का ही उल्लेख है। और यदि आगम के अनुसार सोचा जाए तो साधु ग्रामपिडोलक (मिखारियों) अन्य मत के भिक्षुओं एवं पार्श्वस्थ साधुओं के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता और न उनके आहार का लेन-देन ही कर सकता है। आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में अन्य मत के साधुओं के साथ आहार पानी के लेन-देन करने का स्पष्ट निषेध किया गया है। ऐसी स्थिति में वृत्तिकार का अभिमत अवश्य ही विचारणीय है।

आगम में एक स्थान पर गौतम म्वामी मुनि उदक पेड़ात पुत्र को कहते हैं क हे श्रमण ! मुनि किसी गृहस्थ या अन्यतीर्थी (मत के) साधु के साथ आहार नहीं कर सकता। यदि वह गृहस्थ या अन्य मत का साधु दीक्षा ग्रहण कर ले तो फिर उसके साथ आहार कर सकता है। परन्तु, यदि वह किसी कारणवश दीक्षा का त्याग करके पुनः अपने पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाए तो फिर उसके साथ साधु आहार नहीं

❀ तत्र परतीर्थिकैः साद्धं न भोक्तव्यं स्वयूथ्यैश्च पार्श्वस्थादिभिः सह, सम्भोगिकैः सहोषालोचना दत्त्वा भुञ्जानानामयं विधिः ।

— श्री आचाराङ्ग सूत्र, २, १, ५, २६ वृत्ति ।

कर सकता है। इन्से स्पष्ट होता है कि मुनि का आहार-पानी का सम्बन्ध अपने ममान आचार विचारशील साधु के साथ ही है, अन्य के साथ नहीं।

टब्बाकार वृत्तिकार के कथन के विरोध में है। टब्बाकार का कहना है कि वृत्तिकार ने जिस अपवाद का उल्लेख किया है, वह अपवाद मूल आगम में उल्लिखित नहीं है और दूसरे में अय मत के साधुओं से जाकर यह कहना कि गृहस्थ ने यह आहार हम मनुके लिए दिया है, अतः साथ बैठकर खा ल या परस्पर बाट लें, प्रत्यक्ष साब्य है। अतः जैन मुनि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। अतः इसका तात्पर्य यह है कि गृहस्थ ने जो आहार दिया वह अय मत के साधुओं को सम्बोधित करके नहीं, प्रत्युत वक्त साधु के साथ के अन्य साम्भोगिक साधुओं को सम्बोधित करके दिया है। अतः वह अपने साथ के अय मुनियों के पास जाकर रहें यह आहार दिग्गए और उनके साथ या उन सबका समविभाग करके उस आहार को खाए। इस तरह यह सारा प्रसंग अपने समान आचार वाले मुनियों के लिए ही धटित होता है। यह टब्बाकार का अभिमत है।

वृत्तिकार एव टब्बाकार दोनों के अभिमतों में टब्बाकार का अभिमत आगम सम्मत प्रतीत होता है। 'गच्छेज्जा' और 'आवसतो समणा' शब्द टब्बाकार के अभिमत को ही पुष्ट करते हैं। यन् अन्यमत के साधुओं के साथ ही आहार करना होता तो वे

ॐ सूत्रहृतांग सूत्र २ ७

† एणे आनवे टीका में कहो गृहस्थ साधु ने अपने भिक्षुकार्यों ने अन्न खादि भेला ते उससग यकी तो न लई अणे दुभिधात्तिक कारण लीड ते सूत्र विरुद्ध, पाठम कारण को नाम चाल्यो न थी, अणे वत्तिकार अण मिलती अपवाद बलाको बनी एह नू कह्यु अण अदिक साधु बहरी त अमणादिक समीपे धावी इम कहे तुम्ह सब भणी गृहस्थ ए अशनादिक दीघो ते तुम्ह भोगवो बहचो एहवु करक त अय तीधिक नें साधु इम किम कहे जे ए अणनादिक तुम्हें भोगवो बहचो एहवो प्रत्यक्ष साब्य बचन छे त माटे एहवु जणाय छे—जे अमण ब्राह्मणादिक परतीधिक गृहस्थ रे घरे देखी साधु एकान्त जई उभो रहे तिण स्थान के अणन प्रादिक छे ते गृहस्थ आपे कहे सब गे में दीघो ते सब घणा सम्भोगिक साधु सम्भवे, पिन पेनी भेला अय तीधिक न सम्भवइ, ते अणनादिक कोई एक साधु बहरी और घणा सम्भोगिक साधु अलग उभाध—ते परते साधु धावी कहे एह आहार सब भणी गृहस्थ बीघो त मे भोगवो अणे बहचो—ते सम्भोगी साधु ने इज कहवो कल्पे, ते भणी एह सम्भोगी साधु ने इज बोचो सम्भव पिन परतीधिक ने न सम्भवे, बली एह अलावा नी पाठयो अय कोई अणने पुकारे हेई ते पिन केवली कइ त सत छे, अम दीघो न दीघने इति।

सब वहीं गृहस्थ के द्वार पर ही उपस्थित थे, अतः कहीं अन्यत्र जाकर उन्हें दिखाने का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होता और साधु की मर्यादा है कि वह गृहस्थ के घर से ग्रहण किया गया आहार अपने सांभोगिक बड़े साधुओं को दिखाकर सबको आहार करने की प्रार्थना करके फिर आहार ग्रहण करे और यह बात गच्छेज्जा' शब्द से स्पष्ट होती है और 'आयुष्मन् श्रमणो' को शब्द भी सांभोगिक साधुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा इस पाठ से स्पष्ट परिलक्षित होता है ।

कुछ हस्त लिखित प्रतियां तथा रवजी भाई देवराज द्वारा प्रकाशित भाषान्तर सहित आचाराङ्ग में निम्न पाठ विशेष रूप से मिलता है—

“केवली ब्रूया आयाणमेयं” ॥५७३॥

“पुरा पेहाए तस्सट्ठाए परो असणं वा ४ आहट्टु दलएज्जा अहभिक्षू ए पुव्वोवादिट्ठा एस पत्तिन्ना, एस हेउ, एस उवएसो जं णो तेसि संलोए सपड्ढिट्ठुवारे चिट्ठेज्जा से तमायाए एंगंतमवक्कमिज्जा २ अणावायमसंलोए चिट्ठेज्जा ।” ॥५७४॥

इसका तात्पर्य यह है कि केवली भगवान ने इसे कर्म आने का मार्ग कहा है । (अन्य मत के भिक्षुओं और भिखारियों को लांघकर गृहस्थ के घर में जाने तथा उनके सामने खड़े रहने को) । क्योंकि यदि उनके सामने खड़े हुए मुनि को गृहस्थ देखेगा तो वह उसे वहां आहार आदि पदार्थ लाकर देगा । अतः उनके सामने खड़ा न होने में यह कारण रहा हुआ है तथा यह पूर्वोपदिष्ट है कि साधु उनके सामने खड़ा न रहे । इससे अनेक दोष लगने की संभावना है । आगमोदय समिति से प्रकाशित आचाराङ्ग में उक्त पाठ नहीं है ।

अब गृहस्थ के घर में प्रवेश के सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा से जं पुण जाणिज्जा-समाणं वा माहणां वा गामपिंडोलगं वा अतिहिं वा पुव्व पविट्ठं पेहाए नो ते उवाइक्कम्म पविसिज्ज वा ओभासिज्ज वा ते तमायाए एंगंतमवक्कमिज्जा २ अणावायमसंलोए चिट्ठिज्जा, अह पुणोवं जाणिज्जा-पडिसेहिए वा दिन्ने वा तओ तंमि नियत्तिए संजयामेव पविसिज्ज वा ओभासिज्ज वा एयं० सामगियं०

त्तिवेमि ॥३०॥

छाया—म भिक्षुवा तद् यत् पुन जानीयात्—श्रमण वा ब्राह्मण वा ग्राम पिंडोलक वा अतिथि वा पूर्वप्रविष्ट प्रक्षय न तान् उपातिव्रभ्य प्रविशेद् वा अश्रभापेद् वा स तमादाय एकान्तमपक्रामेत् २ अनापातासलोके तिष्ठेत् अथ पुनरेव जानीयात्—प्रतिपिद्वे वा दत्त वा ततस्तस्मिन् निवृत्ते मयतमेन प्रविशद् वा अश्रभापद् वा एतत्० सामग्र्यम्०, इति व्रयीमि ।

पदाय—स—वह । भिक्षु वा०—साधु अथवा साध्वी । स ज पुन जाणे जा— जो इस प्रकार जाने । समण वा—छायादि भिक्षु । माहण वा—अथवा ब्राह्मण । ग्राम पिंडोलक वा—ग्राम के मिळारी । अतिथि वा—अथवा अतिथि का । पूर्वप्रविष्ट वा—पहले प्रवेश किए हुए को से—उनको । उपातिव्रभ्य—अतिव्रम करने । नो पविसि—ज वा— न तो प्रवेश कर और न ही । ओनासिज्ज वा—गृहस्थ से मांग, परतु । से—वह भिक्षु । तमापाय—उह प्रविष्ट हुए जानकर । एकान्तमपक्रामिज्जा—एकान्त स्थान में चला जाए, वहा जाकर । अनापायमसलोए—जहा पर कोई आता जाता न हो और न देखता हो वहा । तिष्ठेत् वा—सडा रहे । अह पुनव जाणिज्जा—जब फिर यह जान ले कि । पडिसेहिए वा— गृहस्थ ने उह प्रतिपथ कर लिया है अर्थान् विना धन्न दिए घर से हटा दिया है अथवा । दि ने वा—धन दे दिया है । तपो—तपनन्तर । नियसिए—उन भिक्षुआ व घर से चल जान पर । सजयामेव—सयन—साधु । पविमिज्ज वा—घर में प्रवेश कर अथवा । ओनासिज्ज वा— याचना करे—दाना से मांग । एए—यह निरवय ही साधु अथवा साध्वी का । सामगिय—समग्र सम्पूण साधुत्व—आचार है । त्तिवेमि—एसा मैं कहता हू ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी भिक्षु के निमित्त ग्रामादि में जाते हुए गृहपति के घर में प्रवेश करने पर यदि यह जान कि यहापर शाव्यादि भिक्षु, ब्राह्मण, ग्राम याचक और अतिथि लोग प्रवेश किए हुए हैं, तो वह उनको लाध कर गृहपति कुल में न ता प्रवेश करे और न गृहस्थ से आहारादि की याचना करे । परंतु, उनको देखकर एकान्त स्थान में— जहा कोई आता जाता न हो और न देखता हो वहां पर जाकर ठहर जाए, जब वह यह जान ले कि गृहस्थ ने भिक्षु देकर या विना दिए ही उनको घर से निकाल दिया है तो उनके चले जाने पर वह साधु या

साध्वी उसके घर में प्रवेश करे और आहार आदि की याचना करे । यही साधु या साध्वी का सम्पूर्ण आचार है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के द्वार पर पहले से शाक्यादि मत के भिक्षु खड़े हैं, तो मुनि उन्हें उल्लंघ कर गृहस्थ के घर में प्रवेश न करे और न आहार आदि पदार्थों की याचना ही करे । उस समय वह एकान्त में ऐसे स्थान पर जाकर खड़ा हो जाए, जहाँ पर गृहस्थादि की दृष्टि न पड़े । और जब वे अन्य मत के भिक्षु भिक्षा लेकर वहाँ से हट जाएं या गृहस्थ उन्हें बिना भिक्षा दिए ही वहाँ से हटा दे, तब मुनि उस घर में भिक्षार्थ जा सकता है और निर्दोष एवं अपरिणीत आहार आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है ।

अन्य मत के भिक्षुओं को उल्लंघ कर जाने से गृहस्थ के मन में भी द्वेष-भाव आ सकता है कि यह कैसा साधु है, इसे इतना भी विवेक नहीं है कि पहले द्वार पर खड़े व्यक्ति को लांघ कर अन्दर आ गया है । उसके मन में यह भी आ सकता है कि क्या भिक्षा के लिए सभी भिक्षुओं को मेरा ही घर फालतू मिला है । और गृहस्थ भक्ति-वश मुनि को देखकर उन्हें पहले आहार देने लगेगा तो इससे उन भिक्षुओं की वृत्ति में अंतराय पड़ेगी । और इस कारण वे गृहस्थ को पक्षपाती कह सकते हैं और साधु को भी बुरा-भला कह सकते हैं । अतः मुनि को ऐसे समय पर एकान्त स्थान में खड़े रहना चाहिए, किन्तु अन्य मत के भिक्षुओं एवं अन्य भिखारियों को उल्लंघ कर किसी भी गृहस्थ के घर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए ।

यदि साधु के प्रवेश करने के पश्चात् कोई अन्य मत का भिक्षु या भिखारी आता हो तो उस साधु के लिए उस घर से आहार लेने का निषेध नहीं है । प्रस्तुत सूत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग में सभी घरों में सब तरह के भिक्षुओं को दान देने की परम्परा नहीं थी । कई व्यक्ति भिक्षुओं को बिना कुछ दिए ही खाली हाथ लौटा देते थे ।

‘चित्तेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए ।

प्रथम अध्यायन पिण्डेषणा

षष्ठ उद्देशक

पञ्चम उद्देशक में अथ मत के भिक्षुओं को लाप कर जाने का निषेध किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में अन्य प्राणियों की श्रुति में अन्तराय डालने का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा० से ज पुण जाणिजा—रसेसिणो
बहवे पाणा घासेसणाए सथडे सनिवडए पेहाए, तजहा—कुक्कु-
डजाइय वा सूयरजाइय वा अग्गपिंडसि वा वायसा सथडा
मनिवडया पेहाए सड परक्कमे सजया नो उज्जुय गच्छिजा ।३१।

छाया—स भिक्षुर्वा तद् यत् पुन' जानीयात्-रसैपिण बहव प्राणा -
प्राणिन ग्रासार्थं सस्कृतान् (सस्तृतान्) सनिपतितान् प्रेक्ष्य तद्यथा-कुक्कुड-
जातिक वा शूकरजातिक वा अग्रपिंडे वा वायसान् सस्कृतान् (सस्तृतान्)
सनिपतितान् प्रेक्ष्य मति पराक्रमे सयत न ऋषुक् गच्छेत् ।

पद्याप—से—वह । भिक्षु वा ४—साधु भयवा साध्वी । से ज पुण जाणिजा—जा
फिर माग आदि का जाने कि माग म । बहवे—बहुत से । पाणा—प्राणी जीव जात ।
रसेसिणो—रस की गवयणा करने वाल । घासेसणाए—भाहार के लिए । सथड—एकत्रित हो
रहे हैं । सनिवडए—माग म बठ हुए हैं । उनको । पेहाए—देख कर । तजहा—जसे कि ।
कुक्कुडजाइय वा—कुक्कुड की जाति के जीव भयवा । सूपर जाइय वा—सूपर की जाति के ।
वा—भयवा । अग्गपिंडसि—अग्रपिंड भाहार को खाने के लिए । वायसा—कीव । सथडा—
एकत्रित हो रहे हैं या । सनिवडया—माग में बठ हुए हैं तो इन सबको । पेहाए—देखकर ।
सड परक्कमे—मार्गान्तर भय माग क होने पर । सजयाभेव—सयत—साधु । उज्जुय—सरत
माग से भयति उन जावों के समुक्त हाकर । नो गच्छिजा—न जाए ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी माग मे जाते हुए यदि यह जान ले कि

रस को गवेपणा करने वाले वृहत् से प्राणी एकत्रित होकर मार्ग में खड़े हुए हैं— जैसे कि कुक्कुट जाति के जीव, शूकर-सूअर जाति के तथा अग्रपिंड के भोजनार्थ मार्ग में एकत्र होकर बैठे हुए कौवे आदि जीव रास्ते में बैठे हैं, तो इनको देखकर साधु या साध्वी अन्य मार्ग के होते हुए उस मार्ग से न जाए ।

हिन्दी चित्रण

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिस रास्ते में भोजन की कामना से कुक्कुट आदि पक्षी या सूअर आदि पशु बैठे हों या अग्रपिंड के भक्षणार्थ कौवे आदि एकत्रित होकर बैठे हों तो अन्य रास्ते के होते हुए मुनि को उन्हें उल्लंघन उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए । क्योंकि मुनि को देखकर वे पशु-पक्षी भय के कारण इधर-उधर भाग जाएंगे या उड़ जाएंगे । इससे उन्हें प्राप्त होने वाले भोजन में अंतराय पड़ेगी और साधु के कारण उनके उड़ने या भागने से वायुकायिक जीवों एवं अन्य प्राणियों की अयत्ना (हिंसा) होगी । और कभी वे पशु जंगल में भाग गए और हिंस्र जन्तु की लपेट में आ गए तो उनका भी बंध हो जाएगा । अतः साधु को जहाँ तक अन्य पथ हो तो ऐसे रास्ते से आहार आदि के लिए नहीं जाना चाहिए । इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधु का जीवन दया एवं रक्षा की भावना से कितना श्रित-प्रोत होता है । यही साधुता का आदर्श है कि उसका जीवन प्रत्येक प्राणी के हित की भावना से भरा होता है । वह स्वयं कष्ट सह लेता है, परन्तु अन्य प्राणी को कष्ट नहीं देना ।

गृहस्थ के घर में प्रवेश करने के बाद साधु को वहाँ किस वृत्ति से खड़े होना चाहिए, इस सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ जावपविट्ठेसमाणे नो गाहावइकुलस्स वा दुवारसाहं अवलंबिय २ चिट्ठिज्जा, नो गा० दग्गच्छड्डणमत्तए चिट्ठिज्जा, नो गा० चंदणियए चिट्ठिज्जा, नो गा० सिणाणास्स वा वच्चस्स वा संलोए सपडिदुवारे चिट्ठिज्जा, नो आलोयं वा, थिग्गलं वा, संधि वा, दग्गभवणां वा, बाहाओ पगिज्झिय २

अगुलियाए वा उद्दिसिय २ उरणामिय २ अवनमिय २ निज्भा-
इज्जा, ना गाहावइ अगुलियाए उद्दिसिय २ जाइज्जा, नो गा०
अगुलियाए चालिय २ जाइज्जा, नो गा० अ० तज्जिय २ जाइ-
ज्जा, नो० गा० अ० उक्खुलपिय (उक्खुलुदिय) २ जाइज्जा,
नो गाहावइ वटिय २ जाइज्जा, न वयण फरुस वइज्जा ।३२।

छाया— स भिज्जुवा यावत् न गृहपति कुलस्य वा द्वारशाखाम् अब-
लव्य तिष्ठत् न गृहपति० उदक प्रतिष्ठापन मात्रके तिष्ठेत् न गृ० आच-
मनोदके तिष्ठेत् न गृ० स्नानस्य वा वर्चस्य वा सलोके तत् प्रतिद्वारे
तिष्ठेत् न० आलोकस्थान वा यिग्गल वा मन्धि वा उदरुमवन वा
वाहून् प्रगह्य २ अगुत्योद्दिश्य वा उन्नम्य २ अवनम्य २ निध्यापयेत्, न
गृहपति अगुत्योद्दिश्य २ याचेत् नो गृहपति अगुत्या चालयित्वा याचेत् न
गृहपति अगुत्या तर्जयित्वा याचेत् नो गृहपति अगुत्या कडूयित्वा
याचेत् न गृहपति टदिन्वा याचेत्, न वचन परुष वदेत् ।

पदाच—से—वह । भिज्जु वा २—साधु या साध्वी । जाव—यावत् भिक्षा के
लिए प्रवेग करने पर । गाहावइकसस्त—गृहस्थ के घर की । डुवार साह—द्वार शाखा की ।
प्रबलविष २—प्रबलम्बा करके—बार-बार पकड़ कर । नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो । गा०—
गृहपति के घर । वगच्छइणमत्तए—जहा पर उपकरणो-वतनो के धोवन का पानी गिराया
जाता हो वहाँ पर । नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो तथा । गा०—गृहपति के घर में ।
अदणिययण—जिस स्थान पर आचमन पीन का पानी बहाया जाता हो या बहता हो वहाँ पर ।
नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो । गा०—गृहपति के घर में । सिणानस्त वा—जहाँ स्नान किया
जाता हो वहा पर प्रथवा । वचस्त—जहा मलोत्सर्ग किया जाता हो या । सलोए—दृष्टि
पडती हो ताम्य यह कि जहाँ स्नान करते या मलोत्सर्ग करते हुए गृहस्थ पर दृष्टि पडती हो
ऐसे स्थान पर तथा । सग्गिदुवारे—दरवाजे के सामने । नो चिट्ठिज्जा—खडा न हो तथा ।
गा०—गृहपति कुल के । घालोय वा—गवाण प्रादि की । यिग्गल वा—किसी गिरे हुए भित्ति
प्रवेग की फिर स मरकाणित किया हो उसको तथा । सधि वा—घोर प्राणि के द्वारा सोड़ी हुई

भीत का जहाँ फिर से अनुसंधान किया गया हो उसको अथवा । दगभक्षण वा — उदक भवन जल का घर; उसको । वाहाओ — भुजाओं को । पगिञ्जिय २, — वार-वार पसार कर । अंगुलियाए वा — अंगुली को । उद्दिसिय २ — उद्दश कर और । उण्णमिय २ — काया को ऊंची कर । भवनमिय २ — काया को नीची करके । नो निज्झाइज्जा — न देखे और न दूसरो को दिखाए । गाहावई अंगुलियाए — वह भिक्षु गृहपति कुल में प्रविष्ट होने पर गृहपति को अंगुली से । उद्दिसिय — नितान्त उद्देश्य करके । नो जाइज्जा — याचना न करे न मागे । गा० — गृहपति के घर में । अंगुलियाए चालिय — अंगुली को चलाकर । नो जाइज्जा — याचना न करे । गा० अ० — गृहपति के घर में अंगुली से । तज्जियं — तर्जना करके-भय दिखाकर । नो जाइज्जा — न मागे । गा० अ० — गृहपति के कुल में अंगुली से अंगोपांगो को । उक्खुलपिय उक्खुलपिय — खुजाकर । नो जाइज्जा — न मागे । गाहावई — गृहपति की । वंदिय २ — वार-वार स्तुति करके-प्रशंसा करके । नो जाइज्जा — याचना न करे, तथा भिक्षादिक के न देने पर उसे । फहस — कठोर । वयणं — वचन । नो वहज्जा — न बोले ।

मूलार्थ—आहार आदि के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी गृहस्थ के घर के द्वार को पकड़ कर खड़ा न हो, जहाँ बर्तनों को मांज-धोकर पानी गिराया जाता हो, वहाँ खड़ा न होवे, जहाँ पीने का पानी बह रहा हो या बहाया जाता हो तो वहाँ खड़ा न होवे । जहाँ स्नानघर, पेशाबघर या शौचालय हो वहाँ एवं उसके सामने खड़ा न होवे और गृहस्थ के भरोखो को, दुबारा बनाई गई दीवारों को, दो दीवारों की सन्धि को और पानी के कमरे को अपनी भुजाएं फँलाकर या अंगुली का निर्देश करके या शरीर को ऊपर या नीचे करके न तो स्वयं देखे और न अन्य को दिखावे । और गृहस्थ को अंगुली से निर्देश करके [जैसे कि यह अमुक खाद्य वस्तु मुझे दो] आहार की याचना न करे । इसी तरह अंगुली चलाकर या अंगुली से भय दिखाकर या अंगुली से शरीर को खुजलाते हुए या गृहस्थ की प्रशंसा करके आहार की याचना न करे और कभी गृहस्थ के आहार न देने पर उसे कठोर वचन न कहे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गृहस्थ के घर में प्रविष्ट मुनि को चञ्चलता एवं चपलता का त्याग करके स्थिर दृष्टि से खड़े होना चाहिए । इसमें बताया गया है

कि मुनि का गृहस्थ के द्वार की शाला को पकड़ कर खड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि वह जोरों है तो गिर जाएगी, इससे मुनि को भी चोट लगेगी, उसके रुयम की विरायता होगी और अन्य प्राणियों की भी हिंसा होगी। वह जोर तो नहीं है, परंतु कमजोर है तो आगे पीछे हो जाएगी, इस तरह उमको पकड़कर खड़े होने से अनेक तरह के दोष लगने की सम्भावना है। इसी तरह मुनि को उस स्थान पर भी खड़े नहीं रहना चाहिए जहां बतनों को मौज धो कर पानी गिराया जाता है, स्नानघर, शौचालय या पेशाबघर है। क्योंकि ऐसे स्थानों पर खड़े रहने से प्रयत्न की जुगुप्सा-घृणा होने की सम्भावना है। और स्नानघर आदि के सामने खड़े होने से गृहस्थों के मन में अनेक तरह की शत्रुता पैदा हो सकती है। इस प्रकार भ्रोग्या, नत्र निमित्त दीवारों या दीवारों की मधि की ओर देखने से साधु के सभ्य व्यवहार में कुछ दोष आता है।

भिक्षा ग्रहण करते समय अगुनी आदि से संकेत करके पदार्थ लेने से साधु की रस लोलुपता प्रकट होती है और तन्ना पत्र प्रशसा द्वारा भिक्षा लेने से साधु के अभिमान एवं दीन भाव का प्रदर्शन होता है। अतः साधु की भिक्षा ग्रहण करते समय किसी भी तरह की शारीरिक बेवगर्ण एवं मकेत नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई गृहस्थ साधु को भिक्षा देने से इंकार करदे तो साधु को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए और न उन्हें कटु एवं कठोर वचन ही कइना चाहिए। साधु का यह कर्तव्य है कि वह बिना कुछ कहे एवं मन में भी किसी तरह की दुर्भावना लाए बिना तथा सकलेश का संवदन किए बिना शांत भाव से गृहस्थ के घर में बाहर आजाए।

इस सूत्र में साधु जीवन की धीरता, गम्भीरता, निरभिमानता अनासक्ति एवं सहिष्णुता का स्पष्ट परिचय मिलता है और इन्हीं गुणों के विकास में साधुता स्थित रहती है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अह तत्य कचि भुजमाणं पेहाए गाहावड वा० जाव
कम्मकरि वा से पुव्वामेव थालोइज्जा—थाउसोत्ति वा भइण्णित्ति
वा दाहिसि मे हत्तो अन्नयर भोयणजाय । से सेव वयतस्म
परो हत्थ वा मत्त वा दब्बि वा भायण वा सीयोदगवियडेण
वा उमिणोदगवियडेण वा उच्छोलिज्ज वा परोइज्ज वा, से

पुत्रामेव आलोइज्जा आउसांति वा भइणित्ति वा ! मा एयं तुमं
हत्थं वा ४ सीओदगवियडेण वा २ उच्चोलेहि वा २ अभि-
कंअमि मे दाउं एवमेव दलयाहि. से सेवं वयंतस्स परो हत्थं वा
४ सीओ० उसि० उच्चोलित्ता पहोइत्ता आहट्टु दलइज्जा
तहप्पगारेणं पुरेकम्मएणं हत्थेण वा ४ असणं वा ४ अफासुयं
जाव नो पडिग्गाहिज्जा । अह पुणेवं जाणिज्जा नो पुरेकम्म-
एणं उदउल्लेणं तहप्पगारेणं वा उदउल्लेण (ससिणिद्धेण) वा
हत्थेण वा ४ असणं वा ४ अफासुयं जाव नो पडिग्गाहिज्जा ।
अह पुणेवं जाणिज्जा—नो उदउल्लेण ससिणिद्धेण सेसं तं चेव,
एवं ससरक्खे उदउल्ले ससिणिद्धे मट्ठियाउसे । हरियाले हिंणु-
लुए मणोसिला अंजणे लोणे ॥१॥

गेरुय वन्निय सेठिय, सोरट्ठिय पिट्ठ कुक्कुस उक्कु-
ट्ठ संसट्ठेण । अह पुणेवं जाणिज्जा नो असंसट्ठे संसट्ठे,
तहप्पगारेण संसट्ठेण हत्थेण वा ४ असणं वा ४ फासुयं जाव
पडिग्गाहिज्जा ॥३३॥

छाया—अथ तत्र कचन भूजानं प्रेच्य गृहपतिं वा यावत् कर्मकरीं वा
स पूर्वमेव आलोचयेत्, आयुष्मन् ! इति वा भगिनि ! इति वा दास्यसि मे इतः
अन्यतरं भोजन जातम् ? स तस्यैवं वदतः परः 'हस्तं वा मात्रं वा दर्वीं वा
भाजनं वा शीतोदक विकटेन वा उष्णोदक विकटेन वा उत्क्षालयेत्-प्रक्षालयेत्

वा प्रधावयेद् वा, म पूर्वमेव आलोचयेत् आयुष्मन् । इति वा भगिनि ! इति वा मा एव त्व हस्त वा ४ शीतोदक विकटेन वा २ उत्क्षाल्य वा २ अभिकाक्षसि मे दातु एवमेव ६दस्व ? स तस्यैव वदत पर हस्त वा ४ शीतोदक० उष्णोदक० उत्क्षान्य प्रधावव्य आहृत्य दद्यात्, तथाप्रकारेण पूर्वकमणा हस्तेन वा ४ अशन ना ४ अप्रासुक ४ यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् । अथ पुनरेव जानीयात्—नो पुर कमणा उदकाद्र्णेण तथा प्रकारेण वा उदकाद्र्णेण सस्निग्धेन वा हस्तेन वा ४ अशन वा ४ अप्रासुक यावत् न प्रतिगृह्णीयात् । अथ पुनरेव जानीयात् न उदकाद्र्णेण सस्निग्धेन शेष तच्चैव एव—सरस्केन उदकाद्र्णेण सस्निग्धेन मस्निग्धा मृत्तिका उ१ (क्षारमृत्तिका) हरिताल, हिगुलक मन शिला अञ्जन लवणम् । गैरिक वर्णिक सेटिक मौराष्ट्रिक पिष्ट कुक्कुस उत्कृष्ट सस्पृष्टेन । अथ पुनरेव जानीयात्—न अससष्ट० सस्पृष्ट तथाप्रकारेण सस्पृष्टेन हस्तेन वा ४ अशन वा ४ प्रासुक यावत् प्रतिगृह्णीयात् ।

शब्दाथ—अह—मूत्र भिक्षु । तत्प—गृहपति कुल मे प्रवेश करने पर बहा । क्वि—किमी गृहस्थ को । मुजमाण—झात हुए को । वेहाए—दलकर जैसे कि । गाहावई वा—गृहपति उसकी पत्नी । जाव—यावत् । कम्मकरि—कमवरी । मे—बह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोएज्जा—विचार करे और बहे । आउसोत्ति वा—हे प्रायुष्मन् गृहपते ! भयवा । भइणित्ति वा—हे भगिनि ! हे बहिन ! मे—मुझ । इत्तो—इस आहार मे से । अन्नयर—अथतर । मोषणजाय—भोजन । वाहित्ति—देगी ? से—यह अथ के अथ में है । से एव—उसके इस प्रकार । अयतस्स—कहने पर । परो—गृहपति प्रादि यत् । हत्थ वा—हाथ को । मत्त वा—पान को । दच्चि वा—दवाँ-कड़वी का । मापण वा—अथवा अथ भाजनादि को । सोओदग विपडेण वा—निमल शीतल जल से । उत्तिओदग विपडेण वा—धोडे उष्ण जल से अर्थात् मिश्रित पानी से । उच्छोत्तिज्ज वा—एक बार धोव । पहोइज्ज वा—अथवा बार-बार धोवे तब । से—बह-भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—धोने के लिए तत्पर हुए को देगवर विचार करे और इस प्रकार बहे । आउसोत्ति वा—हे प्रायुष्मन् ! गृहपते ! भवणित्ति वा—हे भगिनि !—ह बहिन ! एयं तुम्—तुम इस प्रकार । हत्थ वा ४—हाथ पान और अथ भाजन प्रादि को । सोओदगविपडेण वा—शीतल जल से अथवा उष्ण धोडे गम जल से या मिश्रित जल से । मा उच्छोत्तेहि वा २—एक बार अथवा बार-बार प्रक्षालन न करो ? मे—वाउं अन्निकाक्षसि—यदि तुम मुझ आहार दना चाहती हो तो । एवमेव—इसी प्रकार अर्थात् बिना

ही द्रव्यतादि के प्रक्षालन किए । दलियाहि—दे दो । से—अथ । सेव वयंतस्स—उस भिक्षु के इस प्रकार बोलने पर । परो—गृहस्थादि । हृत्यं वा ४—हस्त पात्र और भाजनादि को । सोमो०—शीतोदक से अथवा । उमि०—उष्णोदक से । उच्छोलित्ता—घोकर । पहोइत्ता—वार-वार घोकर तथा धोने के अनंतर । आहृद्दु—भोजन लाकर यदि । दलइज्जा—देवे तो । तहृपगारेणं—तथा प्रकार के । पुरे कम्मएणं—जिनका पहले ही धोषन आदि किया गया है । हृत्येण वा—हस्तादि से । असणं वा ४—लाए हुए अशनादिक चतुर्विध आहार को । अफासुय—अप्रासुक जानकर । जाव—यावत् । नो पडिग्गाहिज्जा—साधु ग्रहण न करे । अह—अथ-यदि । पुण—फिर । एवं—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने । नो पुरेकम्मएणं—हस्तादि का प्रक्षालन नहीं किया, अर्थात् साधु को भिक्षा देने के निमित्त हस्तादि नहीं धोए । किन्तु वे पहले ही उदउल्लेणं—जल से आर्द्र—गीले हैं । तहृपगारे णं—तथा प्रकार के । उदउल्लेण वा—जल से आर्द्र—गीले हैं उनसे या । हृत्येण वा—हाथ आदि से लाया हुआ । असणं वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार, यदि गृहस्थ दे तो उसे । अफासुयं—अप्रासुक जानकर । जाव—यावत् । नो पडिग्गाहिज्जा—साधु ग्रहण न करे । अह—अथ-यदि । पुणेव—फिर इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने कि । नो उदउल्लेण—हाथ आदि जल से आर्द्र—गीले नहीं हैं और । ससिणिद्वेण—स्निग्ध हस्तादि से गृहस्थी आहार दे तो ग्रहण कर लेवे । सेधं तं चेष—शेष वही जानना अर्थात् जलादि से आर्द्र अथवा स्निग्ध हाथ से यदि गृहस्थ साधु को अशनादि चतुर्विध आहार दे तो वह उसे स्वीकार न करे । एव—इसी प्रकार । ससरक्खे उदउल्ले—रजो युक्त आर्द्र पानी । ससिणिद्वे मट्ठिया—उसे—स्नेह युक्त साधारण मृत्तिका एवं क्षार मृत्तिका । हरियाले—हरिताल । हिगुलुए—शिगरफ । मणोसित्ता—मनः शिला । अंजणे—अजन । लोणे—लवण । गेरुय—गेरु से । बन्निय—पीली मिट्टी से । सेडिय—खड़िया मिट्टी से । सोरदिठय—तुवरिकासे । पिट्ठ—विना छाने हुए चूर्ण से । कुक्कुस—चूर्ण के छान से । उक्कुट्ठ ससदठेण—पीलु पर्णिका आदि वनस्पति के चूर्ण से स्पर्शित हाथों से अथवा कार्त्तिकादि फल के सूक्ष्म खण्डों से स्पर्शित हाथों से । अह पुणेव—अथ-यदि फिर इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने कि । नो असंसदठे—सचित्त पदार्थों से हाथ का स्पर्श नहीं हुआ, है । ससदठे—देने योग्य पदार्थों से हाथ संस्पृष्ट है—हाथ का स्पर्श है । तहृपगारे णं—तथा प्रकार के । ससदठेण—संस्पृष्ट—स्पर्शित । हृत्येण वा ४—हाथों से । असणं वा ४—वह गृहस्थ आहार पानी प्रादि दे रहा है तो । फासुय—उसे प्रासुक जानकर । जाव—यावत् । पडिग्गाहिज्जा—साधु ग्रहण कर ले ।

मूलार्थ—गृहपति कुल में प्रवेश करने पर साधु या साध्वी यदि किसी व्यक्ति को भोजन करते हुए देखे तो गृहपति या उसकी पत्नी, पुत्र या पुत्री एवं अन्य काम करने वाले व्यक्तियों को अपने मन में सोच-विचार

कर कहे कि हे आयुष्मन् ! गृहस्थ ! अथवा हे वह्नि ! तुम इस भोजन में से कुछ भोजन मुझे दोगे ? उस भिक्षु के इस प्रकार बोलने पर यदि वह गृहस्थ अपने हाथ को, पात्र को अथवा कड्या या अन्य किसी बतन विशेष को निमल शीतल जल से या थोटे उष्णजल में (मिथ्य जल) में एक बार या एक से अधिक बार धोने लगता वह भिक्षु पहलू हा उसे देवकर और विचार कर कहे कि आयुष्मन् गृहपते या भगिनि वह्नि ! तू इस प्रकार शीतल अथवा अल्प उष्ण जल से अपने हाथ एवं बतनादि का प्रक्षालन मत कर ? यदि तू मुझ भोजन देना चाहती है तो ऐसे ही दे दे। उस भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ आदि शीतल या थोड़ा उष्णजल से हस्तादि का एक अथवा अनक बार प्रक्षालन करे और तदनंतर अशनादि चतुर्विध आहार लाकर दे तो इस प्रकार के गीले हाथ आदि से लाए गए आहार को अप्रामुक जानकर साधु ग्रहण न करे।

गृहस्थ के घर में भिक्षार्थ प्रविष्ट हुआ साधु यदि यह जाने कि गृहस्थ ने साधु को भिक्षा देने के लिए हस्तादि का प्रक्षालन नहीं किया है किन्तु किसी दूसरे ही अनुष्ठान से - काम से हस्त आदि जल से आद्र हो रहा है ऐसे हाथों से या पात्र से (जो जल से आद्र अथवा स्निग्ध हो) लाकर दिया गया भोजन भी अप्रामुक होने से साधु ग्रहण न करे।

यदि गृहस्थ के हाथ या पात्र, आदि जल से आद्र नहीं हैं। उनसे जल बिन्दु भी नहीं टपकते हैं किन्तु जल से स्निग्ध है-कुछ गीले से है। तो भी उन हाथों से दिया गया अशनादिक चतुर्विध आहार अप्रामुक जान कर साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार सचित्त रज से, सचित्त जल से स्निग्ध हस्तादि, सचित्त मिट्टी, खारी मिट्टी हस्तादि, हिगुल -सिगरफ, मनसिल, अजन्, लवण, -शेरु, पोली मिट्टी, खडिया मिट्टी, तुवरिका - पिष्ट विना; चाना

तन्दुल चूर्ण, कुक्कुस चूर्ण का छाणस और पीलु पर्णिका के आर्द्र पत्रों का चूर्ण इत्यादि से युक्त हस्तादि से दिए गए आहार को भी साधु ग्रहण न करे। परन्तु यदि उसके हाथ सचित्त जल, मिट्टी आदि से संस्पृष्ट युक्त नहीं है किन्तु जो पदार्थ देना है उसी पदार्थ से हस्तादि का स्पर्श हो रहा है तो ऐसे हाथों एव बर्तन आदि से दिया गया आहार पानो प्रासुक होने से साधु उसे ग्रहण कर सकता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि साधु गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होते समय यह देखे कि गृहपति या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री या दास-दासी भोजन कर रहा है, तो वह उसे यदि वह गृहपति या उसका पुत्र है तो हे आयुष्मन् ! और यदि वह स्त्री है तो हे वहन !, भगिनी ! आदि सम्बोधन से सम्बोधित करके पूछे कि क्या तुम मुझे आहार दोगे या दोगी ? इस पर यदि वह व्यक्ति शीतल(सचित्त)जल से या स्वल्प-उष्ण (मिश्र) जल से अपने हाथ धोकर आहार देने का प्रयत्न करे, तो उसे ऐसा करते हुए देखकर कहे कि इरा तरह सचित्त एव मिश्र जल से हाथ धोकर आहार न दे, बिना हाथ धोए ही दे दें। इस पर भी वह न माने और उस जल से हाथ धोकर आहार दे तो उस आहार को अप्रासुक समझकर साधु उसे ग्रहण न करे।

यदि गृहस्थ ने साधु को आहार देने के लिए सचित्त जल से हाथ नहीं धोए है, परन्तु अपने कार्यवश उसने हाथ धोए हैं और अब वह उन गीले हाथों से या गीले पात्र से आहार दे रहा है तब भी साधु उस आहार को ग्रहण न करे। इसी तरह सचित्त रज, मिट्टी, खार आदि से हाथ या पात्र भरे हो तो भी उन हाथों या पात्र से साधु आहार ग्रहण न करे। यदि किसी व्यक्ति ने सचित्त जल से हाथ या पात्र नहीं धोए है और उसके हाथ या पात्र गीले भी नहीं हैं या अन्य सचित्त पदार्थों से संस्पृष्ट नहीं है, तो ऐसे प्रासुक एवं एषणीय आहार को साधु ग्रहण कर सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'उदुल्ले और ससिण्डे' शब्द में इतना ही अंतर है कि पानी से धोने के बाद जिस हाथ से जल की वृन्दें टपकती हो उसे जलार्द्र कहते हैं और जिससे वृन्द नहीं टपकती हो परन्तु गीला हो उसे स्निग्ध कहते हैं।

आचाराङ्ग की कुछ प्रतियों में 'अफासुय' के साथ 'अणोसणिज्ज' शब्द भी मिलता है, वृत्तिकार ने भी अप्रासुक और अनेषणीय आहार लेने का निषेध किया है।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि प्रासुक् शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है — निर्जीव । ॐ अतः अप्रासुक का अर्थ हुआ सजीव पदार्थ । अतः सचित्त जल में हाथ या पात्र धोने मात्र से पदार्थ अप्रासुक कैसे हो जाते हैं ?

इसका समाधान यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में इस शब्द का प्रयोग अशुद्धनीय अथ म हुआ है और उससे समान होने के कारण उसे भी अप्रासुक कहा गया है और मध्यम पद लोपो समास के सदृश होने से यहां इसे ग्रहण किया गया है । जैसे रान प्रश्नीयसूत्र में वैक्रिय स उत्पन्न किए गए अचित्त पुष्पों के लिए जलन एव स्थलन शब्दों का प्रयोग किया गया है । जब कि वे जलन एव स्थलन नहीं हैं । परन्तु, उनके समान दिग्गद् देने के कारण उन्हें जलन एव स्थलन कहा गया है । इसी तरह अप्रासुक शब्द अशुद्धनीय शब्दों के समान होने के कारण यहां उसे ग्रहण किया गया है ।

अत्र आहारो गवयणा के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा २ से ज पुण जाणिजा पिह्य

वा बहुरय वा जाव चाउलपलव वा असजए भिक्षुपडियाए
चित्तमताए सिलाए जाव ममताणाए कुट्टिमु वा कुट्टन्ति वा
कुट्टिस्मत्ति वा उप्फणिसु वा ३ तहप्पगार पिह्य वा० यफासुय
नो पडिगाहिजा ॥३४॥

ज्ञाया—म भिक्षुवा २ अथ पुनरेव चानीयात् पृथुक वा बहुरजस वा यावत् तन्दुलप्रलम्ब वा असयत् भिक्षुप्रतिज्ञया चित्तमत्या शिलाया यावत् सतानोपेताया अकुट्टिषु, कुट्टन्ति वा कुट्टिप्यति वा अद्दु ३ वा तथाप्रकार २ पथुक वा अप्रासुक न प्रतिगएहीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—साधु या साध्वी । से—अथ । ज—जिस आहार आदि को । पुण—फिर । एव—इस प्रकार से । जाणिजा—जाने । पिह्य वा—गाल्यादि क कण अथवा । बहुरय वा—बहुत रज वाले गाल्यादि क कण । असज—अशुद्ध । यफासुय वा—प्रदूषक गाल्यादि कण । असजए—गृह्यते । भिक्षुपडियाए—भिक्षु को देने के लिए । चित्तमताए सिलाए—सचित्त शिला पर । जाव—यावत् । सतताणाए—मकड़ी जाला प्राति

से युक्त काष्ठ आदि पर । कुट्टिसु वा - उन धान्य के दानों को कूट कर रखा है । कुट्टति—
या कूट रहा है या । कुट्टिस्सति वा - कूटेगा या उसने । उप्फणिसु वा - साधु के निमित्त
धान्यादि को भूसी से पृथक् किया है, कर रहा है या करेगा । तहप्पगार - तथा प्रकार के ।
पिह्य वा - शाक्यादि रूप मिलने पर साधु । अप्रासुक - उन्हें अप्रासुक जानकर । नो
पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट साधु-साध्वी को यह ज्ञात हो जाए कि ये चावल के दाने सचित्त रज से युक्त हैं, अपक्व या गृहस्थ ने साधु के लिए सचित्त शिला पर या मकड़ी के जालों से युक्त शिला पर कूटा है, या कूट रहा है या कूटेगा । और इसी तरह यदि साधु के लिए चावलों को भूसी से पृथक् किया है, कर रहा है या करेगा तो साधु इस प्रकार के चावलों को अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ सचित्त रज कणों से युक्त चावल आदि अनाज के दानों को या अर्द्ध पक्व चावल आदि के दानों को सचित्त शिला पर पीस कर या वायु में भटक कर उन दानों को साधु को दे तो साधु उन्हें अप्रासुक समझकर ग्रहण न करे । इससे समस्त सचित्त अनाज के दाने तथा सचित्त वनस्पति एवं बीज आदि का समावेश हो जाता है । यदि कोई गृहस्थ उन्हें सचित्त शिला पर कूट-पीस कर दे या वायु में भटक कर उन्हें साफ करके दे तो साधु उन्हें कदापि ग्रहण न करे ।

‘कुट्टिसु’ आदि क्रिया पदों में एकवचन की जगह जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, वह आर्ष वचन होने के कारण उसे ‘तिङ् प्रत्यय’ का एक वचन समझना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य यह है कि सचित्त अनाज एवं वनस्पति आदि तो साधु को किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करनी चाहिए, चाहे वह सचित्त शिला पर कूट-पीस कर या वायु में भटक कर दी जाए या कूटने भटकने की क्रिया किए बिना ही दी जाए । इसके अतिरिक्त यदि अचित्त अन्न के दाने, वनस्पति या बीज सचित्त शिला पर कूट-पीस कर या वायु में भटक कर दिए जाएं तो वे भी साधु को ग्रहण नहीं करने चाहिए ।

अब आहार ग्रहण करते समय साधु को पृथ्वीकायिक जीवों की किस प्रकार यतना करनी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मे भिक्षु वा २ जात्र समाणे मे ज० विल वा
 लोण उच्चिमय वा लोण ग्रस्मजए जात्र मताणाए भिदिमु ३
 रुचिसु वा ३ विल वा लोण उच्चिमय वा लोण अफासुय० नो
 पडिग्गाहिज्जा ॥३५॥

छाया—म भिक्षुवा० यावत् तन् अथ यत्० विल वा लवण उद्
 भिदित वा लवण असयत यावत् मन्तानोपेताया अर्भत्सु भिन्दन्ति भेत्स्पन्ति
 वा, अपिपन् (पिष्टन्त) पिपन्ति पेच्यन्ति विल वा लवण उद्भिदित वा
 लवण अप्रानुक न प्रतिगण्हीयात् ।

पशय - से - वह । भिक्षु वा—साधु अथवा सात्री । जात्र—यावत् । समाणे—
 भिक्षा क लिए गृहपति कृत म प्रविष्ट होन पर । मे ज०—यह जान ते कि । विल वा लोण—
 खान स उत्प न हुए लवण । उच्चिमय वा लोण—अथवा समुद्र क क्षार जन स उत्प न हुए
 लवण को । ग्रस्मजए—गृहस्थ न । जात्र—यावत् । मताणाए—सचित्त अथवा जाल आनि स
 युक्त शिला पर । भिदि मु ३—भजन किया है या वह भजन कर रहा है या भजन
 करेगा अथवा । रुचिसु वा ३—गिवा आदि पर पीसा, पीमता है या पीसगा एस ।
 विल वा लोण—खान क लवण का । उच्चिमय वा लोण—समुद्र म उत्प न होने वाले लवण का ।
 अफासुय—अप्रासुक जाकर साधु । नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर मे भिक्षाय प्रविष्ट साधु का यदि यह
 नात हो जाए कि खदान एव लवण समुद्रादि के जल से उत्पन्न लवण
 को किसी गृहस्थ ने सचित्त एव जालो से युक्त शिला पर भेदन करके या
 पीस कर रखा है, या भेदन करके या पीस कर रख रहा है या भेदन करके
 पीस कर रखेगा तो साधु को ऐसे अप्रासुक नमक को ग्रहण नहीं
 करना चाहिए ।

हिं दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र म बताया गया है कि खान से एव समुद्र से उत्पन्न लवण (नमक)
 को साधु ग्रहण न करे । इसके साथ मौघन, मौवचल आनि सभी प्रकार का सचित्त

नमक साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ सचित्त नमक को सचित्त गिला पर उसके टुकड़े-टुकड़े करके दे या उसका वारीक चूर्ण बनाकर दे तो उसे अप्रासुक समझकर ग्रहण न करे।

'त्रिल' शब्द खान एवं 'उत्थिभय' शब्द समुद्र का बोधक है। और 'भिदिसु' एवं 'रुचिसु' इन उभय क्रियाओं से क्रमशः खड-खड करने एवं वारीक पीसने का निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त लवण शब्द से यहां उपलक्षण से समस्त सचित्त पृथ्वीकाय का ग्रहण किया गया है। अतः समयशील साधु को पृथ्वीकायिक जीवों की यत्ना करनी चाहिए, उसे किसी भी तरह से उक्त जीवों की चिराधना नहीं करनी चाहिए।

'अप्रासुक' शब्द से यह भी सूचित किया गया है कि यदि सचित्त नमक अन्य पदार्थ या शस्त्र के संयोग से अचित्त हो गया है, तो फिर वह साधु के लिए अप्रासुक एवं अप्राह्य नहीं रह जाता है।

अथ अग्निकाय के आरम्भ का निषेध करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा० से जं० अस्रां वा ४ अगणि—

निक्रिखत्तं तहप्पगारं अस्रां वा ४ अफासुयं नो०, केवली वूया
आयाणमेयं, अस्संजए भिक्षुपडियाए उस्सिचमाणे वा निस्सि
चमाणे वा आमज्जमाणे वा एमज्जमाणे वा ओयारेमाणे वा
उव्वत्तमाणे वा अगणिजीवे हिंसिज्जा, अह भिक्षुणां पुव्वोवइट्ठा
एस पइन्ना एस हेऊ एस कारणे एसुवएसे जं तहप्पगारं
अस्रां वा ४ अगणिनिक्रिखत्तं अफासुयं नो० पडि० एयं०
सामग्गियं ॥३६॥

छाया—स भिक्षुर्वा^६ अथ यन् अशन वा ४ अग्निनिक्षिप्तं तथाप्रकार
अशन वा ४ अप्रासुक न प्रतिगृह्णीयात् । केवली ब्रूयात् आदानमेतत्,
असयतः भिक्षुप्रतिज्ञया उस्सिचन् वा निस्सिचन् वा आमर्जयन् वा प्रमर्जयन्
वा अवतारयन् वा अपवर्तयन् वा अग्निजीवान् हिंस्यात् । अथ भिक्षूणां

पूर्वोपदष्टा एषा प्रतिष्ठा एष हेतु एतत् कारण, अयमुपदेश यत् तथा प्रकार अशन वा ४ अग्निनिक्षिप्त अप्रासुक न प्रतिगृहीयात् एतत् सामग्र्यम् ।

पदाय—से—वह । भिक्षु वा—साधु या साध्वी । से ज०—यदि फिर एसा जाने कि । असन वा ४—अग्नादिक चतुर्विध आहार जो कि । अग्निनिक्षिप्त—अग्नि पर रखा हुआ है । तहस्पगार—इस प्रकार के । असन वा ४—अग्नादिक चतुर्विध आहार को । अप्रासुक—अप्रासुक जानकर । नो०—ग्रहण न करे । केवली ब्रूया—कवलि भगवान कहते हैं । आयाणमेय—यह कम आन का माग है अर्थात् इस कम का बंध होता है यथा, अस्तजए—गृहस्थ । भिक्षुपट्टियाए—भिक्षु की प्रतिष्ठा से अर्थात् भिक्षु के लिए । उस्तिचमाणे वा—अग्नि पर रखे हुए पात्र में से निकालता हुआ । निस्तिचमाणे वा—अग्नि पर रखे हुए भाजन से निकलते हुए दुग्धादि को उपगान्त करता हुआ । अमग्जमाणे वा—अथवा उस हस्तान्ति स हिलाता हुआ । पमग्जमाणे वा—या बार—बार हिलाता हुआ । ओपारेमाणे वा—अग्नि पर म उतारता हुआ । उवत्तमाणे वा—अथवा भाजन का तिरछा टेढा करता हुआ । अग्नि जीव—अग्नि वायु—अग्नि के जीवों की । हिसिज्जा—हिंसा करता है अर्थात् उसकी इन क्रिया से अग्निवायु का हिंसा होनी है । अह—अथ । भिक्षूण—भिक्षुओं का । पूर्वोपदिष्टा—पूर्वोपदिष्ट—जो पूर्व कह चुके हैं वह तीथकर भाषित है । एष पइन्ना—यह प्रतिष्ठा । एष हेऊ—यह हेतु । एष कारणे—यह कारण । एमुवएसे—और यह तीथकरादि का उपदेश है कि । ज—जो । तहस्पगार—इस प्रकार का । असन वा—अग्नादिक चतुर्विध आहार है जो कि । अग्निनिक्षिप्त—अग्नि पर रखा हुआ है उम । अप्रासुक—अप्रासुक जानकर । नो०—साधु ग्रहण न करे । एष—यह । सामग्रिय—साधु वा साध्वी का सामग्र्य—सम्पूर्ण आचार है अर्थात् इसी पर उस का साधुत्व निर्भर है ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी भिक्षादि के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यदि यह देखे कि अग्नादिक चतुर्विध आहार अग्नि पर रखा हुआ है, तो उसे अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे । क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म आने का माग है । क्योंकि गृहस्थ साधु के लिए यदि अग्नि पर रखे हुए भाजन में से वस्तु को निकालता है, उबलते हुए दुग्धादि को जल आदि के छींट देकर शांत करता है, या अग्नि पर रखे हुए भाजन आदि को नीचे उतारता है अथवा टेढा करता है, तो

वह अग्निकाय—अग्नि के जीवों की हिंसा करता है। अतः भिक्षुओं के लिए तोर्थकर भगवान ने पहले ही कह दिया है कि इसमें यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह कारण है और यह उपदेश है कि जो आहार अग्नि पर रखा हुआ है, उस आहार को अप्रासुक जानकर साधु-साध्वी ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर आहार आदि पदार्थ आग पर रखे हुए हैं और उम समय साधु को अपने घर में आया हुआ देखकर कोई गृहस्थ उस अग्नि पर स्थित आहार में से निकाल कर दे, या वह आग पर उबलते हुए दूध को पानी के छींटों से शान्त करके या आग पर से कोई वस्तु उतार कर साधु को दे तो साधु उस आहार को अप्रासुक समझ कर ग्रहण न करे। क्योंकि इन क्रियाओं से अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है। इसलिए साधु को इस तरह की सावध क्रिया करते हुए कोई व्यक्ति आहार दे तो साधु उसे ग्रहण न करे।

कुछ प्रतिभों में 'अकासुयं' के साथ 'अणोसण्डिज्जं लाभे संते' यह पाठ भी मिलता है। आगमोदय समिति से प्रकाशित प्रति में 'त्तिवेमि' शुद्ध नहीं दिया गया है। परन्तु उद्देशक की समाप्ति होने के कारण यहाँ 'त्तिवेमि' शब्द ग्रहण किया गया है।

'त्तिवेमि' की व्याख्या पूर्ववत् समझे।

॥ षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्यायन पिण्डपणा

सप्तम उद्देशक

छठ उद्देशक म मयम विराधना का उल्लेख किया गया था। अब प्रस्तुत उद्देशक म मयम की, आत्मा की एव दाता की विराधना एव उक्त विराधना से होने वाली प्रयत्न की अवहेलना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा २ से ज० यस्या वा ४ सधमि वा,
थममि वा मचमि वा मालसि वा पामायमि वा हम्मियतलमि
वा यन्नयरसि वा तहप्पगारमि यतलिस्सजायसि उवनिक्खित्ते
मिया तहप्पगार मालोहड यस्या वा ४ यफामुय नो० केवली-
वूया आयाणमेय, यस्मजए भिक्षुपडियाए पीठ वा फलग
वा निस्सेणि वा उदूहल वा याहट्टु उस्मविय दुरूहिज्जा, से
तत्थ दुरूहमाणे पयलिज्ज वा पवडिज्ज वा, से तत्थ पयलमाणे
वा २ हत्थ वा पाय वा वाहु वा उरु वा उदर वा सीम वा
यन्नयर वा कायमि इदियजाल लूमिज्ज वा पाणाणि वा ४
अभिहणिज्ज वा वित्तामिज्ज वा लेमिज्ज वा मघसिज्ज वा
सघट्टिज्ज वा परिथाविज्ज वा किलामिज्ज वा ठाणायो ठाण
सकामिज्ज वा, त तहप्पगार मालोहड यस्या वा ४ लाभे मते

ना पडिगाहिज्जा, से भिक्खू वा २ जाव समाणं मे जं असणां वा
 ४ कुट्ठियाथो वा कोलेज्जाथो वा अस्संजए भिक्खुपडियाए
 उक्कुज्जिय अवउज्जिय ओहरिय आहट्टु दलइज्जा, तहप्पगारं
 अमणां वा ४ लाभे मंते ना पडिगाहिज्जा ॥३७॥

छाया—म भिक्खुवा २ तद् यत् अशन वा ४ स्फन्धे वा स्तम्भे वा
 मंचके वा माले वा प्राभादे वा हर्म्येतले वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे
 अन्तरिच्छजाते उपनिक्षिप्तः स्यात् तथाप्रकारं मालाहृतं अशन वा ४
 अप्रासुक न० केवची ब्रूयात् आदानमेतत् असंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया पीठं वा फलक
 वा निश्रेणि वा उदखल वा आहृत्य उत्सृज्य ऊर्ध्व संस्थाप्य आरोहेत् स तत्र
 आरोहन प्रचलेद् वा प्रपतेद् वा, म तत्र प्रचनन्, प्रपतन् वा हस्तं वा पाद् वा
 बाहुं वा उरुं वा उदरं वा शीर्षं वा अन्यतरत् काये इन्द्रिय जाल लूपयेत्-विरा-
 धयेद् वा प्राणिनो वा (भूतानि, जीवान्, सत्वान वा) अभिहन्याद् वा वित्रा-
 सयेद् वा लेपयेद् वा सघर्षयेद् वा संघट्टयेद् वा, परितापयेद् वा, क्लामयेद् वा
 स्थानत् स्थान सक्रामयेद् वा, तन् तथाप्रकार मालाहृत, अशन वा ४ लाभे
 मति न प्रतिगृह्णीयात् । म भिक्षुः वा २ यावत् (प्रविष्टः) मन् अथ यत्
 जानीयात्-अशनं वा ४ कोष्ठिकातः अधोवृत्त खाताकागाद् वा असंयतः
 भिक्षुप्रतिज्ञया उन्कुञ्ज्य अवकुञ्ज्य अवहृत्य, आहृत्य दद्यात् तथाप्रकारं अशन
 वा लाभे सति न प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—सानु अथवा साध्वी । से ज—आहार के निमित्त
 गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यदि यह जाने कि । अरण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार
 जो कि । खर्षसि वा—भीत-दीवार पर रखा हुआ । थभसि वा—स्तम्भ पर रखा हुआ ।
 मचसि वा—अथवा मञ्चक पर । मालमि वा—माल-मकान की मजिल पर । पासायंसि वा—
 प्रासाद-महल पर । हम्मिय तलंसि वा—प्रासाद की भूमि पर । अन्नयरसि वा—अथवा अन्य
 कोई । तहप्पगारसि—इसी प्रकार के । अतल्लिक्खज्जायंसि—अन्तरिक्ष जान में (जहा पर

माती नगाकर पत्थ उतारा जात है उमको अन्तरिम जात कहत हैं) उबनिखिलत्तसिया—
रसा अथा हो। तहूपगार—इम प्रकार। मासोहड—ऊपर रख गए पत्थों को ऊपर म उतार
कर दे रखा है ता। अमण वा ४—एमा अगनात्ति चतुर्विध आहार है उम। अफामुय—अप्रामक
जानकर। नो०—साधु ग्रहण न करे। कवला दूया—कवली भगवान कहत हैं कि।
अघाणमय—यह कम आने का माग है जा कि। असजए—असयत गृहस्थ। मिक्खपडियाए—
अर्थान माघ का आठार दन क त्रिण। पीठ वा—पीठ चौकी प्राप्ति को। पत्थ—
पत्थे को। निस्सोण वा—अथवा मीठी का उदूहल वा—या उबल को। आहटट्ट—
नाकर। उस्सविय—ऊवा करक। दुस्सहिज्जा—बढ धीर। से—उस गत्थ्य वा। तत्थ—
उम स्थान पर। दुस्समाण—चटत हुए। पयत्तिउन्न वा—पाव फिमन जाए। पवडिज्ज—
अथवा व गिर १८। से—बहु गृहस्थ। ताय—उम स्थान पर। पयलमाण वा—
फिसलना अथा अथवा गिरता हुआ अर्थान उसक फिमलन या गिरन से उसका। हृत्य वा—
हाथ। पाय वा—पत्। बाहु वा—भजा। उर वा—उर-मत्थन। उदर वा—पेट। सीम वा—
शीघ गिर म अथवा। अ नपरसि वा कापसि—गरीर क विमा अय। उडिय जाल—
अथयव विणय का। लसिज्जा वा—दापप्राप्त हा अर्थान टूट जाण और उमक गिरन में। पाणाणि
वा ४—प्राणि, भूत, जीव और सत्त्वा का। अमिहणिज्ज वा—अवदून हाता है। विसासिज्ज
वा—वह उह नाम द। लेसिज्ज वा—भूमि म मशिल्ट करे। सघसिज्ज वा—सघपिन कर।
सघट्टिज्ज वा—सघट्टा करे अथवा। परिथाविज्ज वा—परितापना द। किलामिज्ज वा—
पीठा द। ठाणाओ ठाण—एक स्थान म दूसरे स्थान पर। सक्कामिज्ज वा—सक्रमण करे।
त—इमनिण। तहूपगार—तथा प्रकार क। मासोहड—ऊच स्थान म उतारा इमा। अमण
वा ४—अगनात्ति चतुर्विध आहार। तामे सत्ते—मिदन पर भी। नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण
न कर। से—वत्। मिक्खू वा—भिक्षु-साधु या साध्वी। जाव समणे—यावत् गृहस्थ के
घर म प्रवेग करन पर। से ज—यत्ति एमा जान कि। अमण वा ४—अगनादिक चतुर्विध आहार
का। कुट्टियाओ वा—मिट्टी का कोठा म। कोलेज्जाओ वा—पधोवत्त-नीच क प्रकाष्ठ
विणय म अस्सजए—गत्थ्य। मिक्खु पडियाए—भिक्षु क निमिन। उवकुज्जिय—भुक कर।
अवउज्जिय—बहुत नीचा होकर। ओहरिय—तिरछ टाटा नाकर। आहट्ट—उम वस्त्र का
निकानकर। वल्लज्जा—ए ता। तहूपगार—इम प्रकार क। अमण वा ४—अगनात्तिक
चतुर्विध आहार को। तामे सत्ते—प्राप्त ज्ञान पर भी साधु। नो पडिग्गाहिज्जा—ग्रहण न
करे-अथवा उका प्रकार म साया गया आहार साधु न म।

मूलाय—साधु या साध्वी गृहस्थ क घर मे प्रवेश करने पर यदि यह

जान कि अगनात्ति चतुर्विध आहार, गृहस्थ के वहा भित्ति पर, स्तम्भ पर,

मंचक पर, छत पर, प्रासाद पर, कोठी आदि की छत पर तथा किसी अन्य अंतर्गृहजात अर्थात् ऊच स्थान पर रखा हुआ है तो इस प्रकार के ऊचे स्थान से उतार कर दिया गया अगनादि चतुर्विध आहार, अप्रासुक जानकर साधु ग्रहण न करे। केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म बन्ध का कारण है जो कि गृहस्थ, साधु को आहार देने के लिए उच स्थान पर रखे हुए आहार को उतारने के लिए चोकी, फलक, पट्टा, सीढ़ी या ऊखल आदि को लाकर, ऊंचा करके ऊपर चढ़ेगा। यदि ऊपर चढ़ता हुआ वह गृहस्थ फिसल जाए या गिर पड़े तो फिसलते या गिरते हुए उमका हाथ, पांव, भुजा, छाती, उदर, सिर या अन्य कोई शरीर का अवयव टूट जाएगा और उसके गिरने से किमी प्राणि, भूत, जीव और सत्व आदि का अवहनन होगा, उन जीवों को त्रास उत्पन्न होगा, सकलेश उत्पन्न होगा, सघर्ष होगा, सघट्टा होगा, आतापना या किलामना होगी और स्थान से स्थानान्तर मे सक्रमण होगा, अतः इस प्रकार के मालाहृत-ऊचे स्थान से उतारे गए आहार के प्राप्न होने पर भा साधु उसे ग्रहण न करे।

साधु या साध्वी आहार के निमित्त घर में प्रविष्ट होने पर यदि यह देखे कि अगनादिक चतुर्विध आहार जिसे गृहस्थ मिट्टी की कोठी से अथवा वाम आदि की कोठी से भिक्षु के लिए नीचा होकर, कुन्वा होकर या तिरछा होकर निकालता है, तो वह आहार उपलब्ध होने पर भी साधु स्वीकार न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि समतल भूमि से बहुत ऊपर या नीचे के स्थान पर आहार आदि रखा हो, वह आहार सीढ़ी या चौकी को लगाकर या उसे ऊच करके उस पर चढ़कर वहां से आहार को उतार कर दे या इसी तरह नीचे झुक कर, देहा होकर नीचे के प्रकोष्ठ में रखे हुए पदार्थों को निकाल कर दे तो उन्हें अप्रासुक अकल्पनीय समझ कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां अप्रासुक का अर्थ सचित्त नहीं, परन्तु अकल्पनीय है। उन अचित्त पदार्थों को अकल्पनीय इसलिए कहा गया है कि उक्त चिपम स्थान से सीढ़ी, तख्त आदि पर से उतारते समय यदि पैर फिसल जाए या

मौन्य व तर्क का पाया किन्तु तब तो व्यक्ति गिर सकता है और उममे उम ह शरीर म चोट आ सकती है एव अथ प्राणिया की भी विराधना हो सकती है। इसी तरह नाने के प्रसोष्ठ म भुङ्कर निकालने से भी अयतना होने की सम्भावना है, अतः माधु को एसे विषम स्थानों पर रखा हुआ आहार-पानी प्रदण नहीं करना चाहिए।

परन्तु, यदि उक्त स्थान पर चढ़ने के लिए सीढ़िया बनी हों किसी तरह का अयतना हान का सम्भावना न हो तो एसे स्थानों पर स्थित वस्तु कोइ यत्नापूर्व उतार कर दे तो माधु ले सकता है। 'पीड़ वा फलम वा निस्तानि वा ब्राह्मट्ट उरस वप दुग्हिना' पाठ से यह सिद्ध होता है कि हिलने डुलने वाला माधना पर चढ़कर उन वस्तुओं को उतार कर दे तो माधु को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उन पर स फलने का डर रहता है। परन्तु, स्थिर मीढियों परसे चढ़कर कोई वस्तु उतार कर लाइ जाए या किसी स्थिर रह हुए तर्क आदि पर चढ़कर उहें उतारा जाए तो व अल्पनीय नहीं रही जा सकती।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जिससे आत्म विराधना समय विराधना गृहस्थ की विराधना एव जीवा की विराधना हो या गृहस्थ को किसी तरह का कष्ट होता हो तो एसे स्थान पर स्थित पदार्थ को प्रदण नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी तरह की विराधना एव किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचता हो तो उम स्थान पर स्थित वस्तु माधु के लिए पाह्य है। वस्तुतः यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साधु के निमित्त किसी भी प्राणी को कष्ट न हो और आत्मा एव समय की विराधना भी न हो।

पृथ्वीकाय पर स्थित आहार के विषय मे उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा० सेज० यमण वा० ४ मट्टिया
उलित्त तहप्पगार यमण वा ४ लाभे सते नो०, क्वली० यस्मजए
भि० मट्टियोलित्त यसण वा ४ उच्चिदमाण पुढविकाय समा-
रभिज्जा, तहायाऊ तेऊ वाऊ यणस्सइ तसकाय ममारभिज्जा पुण-
रपि उल्लिपमाणो पच्छाकम्म करिज्जा अह भिक्खूण पुढ्वोवट्टा
जाव ज तहप्पगार मट्टियोलित्त यसण वा ४ लाभे मते नो।

से भिक्खू० जं० असणां वा ४ पुढविकाय पइट्ठियं
तहप्पगारं असणां वा० अफासुयं० । से भिक्खू० जं० असणां
वा ४ आउकायपइट्ठियं चेव, एवं अगणिकायपइट्ठियं
लाभे० केवली०, अस्मंजए भि० अगणिं उस्सक्किय निस्स-
क्किय ओहरिय आहट्टु दलइज्जा अह भिक्खूणां० जाव नो
पडि० ॥३८॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुको वा अथ यत् पुनरेव जानीयात् अशन वा ४
मृत्तिकावल्लिप्त तथा प्रकार अशन वा ४ लाभे सति न प्रतिगृणीयात्, केवली
ब्रूयात् आदानमेतत्, असंयतो भिक्षुप्रतिज्ञया मृत्तिकोपलिप्त अशन वा ४
उद्भिन्दन् पृथ्वीकायं समारभेत् तथा तेजो वायु वनस्पति त्रसकायं सप्ता-
रभेत् पुनरपि आलिपन् पश्चात् कर्म कुर्यात्, अथ भिक्षूणां पूर्वं दृष्टा
(एषा प्रतिज्ञा एष हेतुरेस्तकारणमयमुपदेशः) यत् तथा प्रकारं मृत्ति का-
वल्लिप्तं अशन वा लाभेसति— (न प्रतिगृणीयात्) स भिक्षु० अथ यत्०
अशनं वा ४ पृथ्वीकाय प्रतिष्ठित तथाप्रकारं अशनं वा ४ अप्रासुकम् । स
भिक्षु यत्० अशनं वा ४ अप्रकाय प्रतिष्ठितं चैव, एव अग्निकाय प्रतिष्ठित
लाभे० केवली० असयतः भिक्षु० प्रतिज्ञया० अग्निं उत्सिच्य निपिच्य अव-
हृत्य आहृत्य दद्यात् । अथ भिक्षूणा यावत् न प्रतिगृणीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहपति कुल मे प्रविष्ट होने पर ।
से ज०—यदि यह जाने कि । असणं वा—अशनादिक चतुर्विध आहार । मट्ठिया उल्लिप्तं—
मिट्टी से लिप्त वर्तन में है, तो । तहप्पगारं—इस प्रकार के । असण वा—अशनादिक चतुर्विध
आहार के । लाभे स०—मिलने पर भी साधु उसे ग्रहण न करे । केवली०—केवली भगवान
कहते है कि । अस्सजए—असयत-गृहस्थ । भि०—भिक्षु—साधु के लिए । मट्ठिओल्लिप्तं—
मिट्टी से लिप्त भाजन मे रखा हुआ । असण वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार, उसे—अर्थात्
भाजन को । उब्भिंदमाणं—उद्भेदन करता हुआ । पुढविकायं—पृथ्वीकाय के जीवो का ।
समारभेज्जा—समारम्भ करता है । तह—तथा । तेउवाउवणस्सइत्तसकायं—अग्नि, वायु,

वनस्पति और त्रस काय क जीवा का । समारम्भ — समारम्भ करता है । पुनरधि — फिर । उल्लिखमाण — उस भाजन को शेष द्रव्य की रक्षा क लिए लेन करता हुआ । पञ्चाकम्म करिञ्जा — पश्चात् कम्म करता है । अह — यावा । भिक्षूण — भिक्षुओं — साधुओं का । पृथो — पूर्वोपदिष्ट प्रतिना आदि है । जाव — यावत् । तहूपगार — उम प्रकार का । मट्टिमोलिन — मिट्टा से अवलिप्त । असन वा — अशनादिक चतुर्विध आहार है । लाभे — मिलन पर साधु उम ग्रहण न करे ।

से — वह । भिक्षू — साधु या साध्वी गृहपति कृत म प्रवण करन पर । स जं — यदि इस प्रकार जाने कि । असन वा ४ — अशनादिक चतुर्विध आहार । पद्धविकाय पद्धिठय — सचित्त इध्वी पर प्रतिष्ठित — रखा हुआ है । तहूपगार — उम प्रकार क । असन वा — अशनादिक चतुर्विध आहार को । अफामुप — अप्राप्त क जानकर ग्रहण न करे ।

से भिक्षू — वह साधु या साध्वी । ज — जो यह जान कि । असन वा ५ — अशनादिक चतुर्विध आहार । आउकाय पद्धिठय चैव — सचित्त पानी पर रखा हुआ है तो उम भी पूर्व की भांति अप्राप्त क जानकर ग्रहण न करे । एव — इमी प्रकार । अग्निकाय पद्धिठय — अग्नि काय पर प्रतिष्ठित — रखा हुआ आहार का भी अप्राप्त क जानकर । लाभे — मिलन पर भी उम ग्रहण न करे । कवली — कवला भगवान कहते हैं । अस्तजए — अनयन — गम्य । भिं — भिक्षु क लिए । अग्नि — अग्नि म । उत्सविक्य — ईधन उतर । निरसविक्य — अथवा प्रज्वलित अग्नि में स ईधन निकाल । ओहरिय — अग्नि पर रख हुए भाजन को नीच उतार । पाहट्टु — उम प्रकार आहार लाकर । दलइज्जा — माध को द । अह — अथवा । भिक्षूण — भिक्षुओं को पूर्वोपदिष्ट प्रतिना है । जाव — यावत् । नो पडि — वह उम ग्रहण न कर ।

मूलार्थ — साधु या साध्वी भिक्षा के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर यदि यह देखे कि अशनादि चतुर्विध आहार मिट्टा में लीप हुए बतन में स्थित है इस प्रकार के अशनादि चतुर्विध आहार को, मिलने पर भी साधु ग्रहण न करे । क्योंकि भगवान ने इमे कर्म आने का माग कहा है । इसका कारण यह है कि गृहस्थ भिक्षु के लिए मिट्टी से लिप्त अशनादि के भाजन का उद्भेदन करता हुआ पश्वोकाय का समारम्भ करता है, तथा अप-पानी, तेज-अग्नि, वायु वनस्पति और त्रस काय का समारम्भ करता है फिर शेष द्रव्य को रक्षा के लिए उम बर्तन का पुन लेपन करके पश्चात् कर्म करता है, इसलिए भिक्षुओं को तीर्थंकर आदि

ने पहले ही कह दिया है कि वे मिट्टी से लिप्त वर्तन में रखे हुए अशनादि को ग्रहण न करे। तथा गृहपति कुल में प्रविष्ट हुआ भिक्षु यदि यह जाने कि अशनादि चतुर्विध आहार सचित्त मिट्टी पर रखा हुआ है तो इस प्रकार के आहार को अप्राप्त्युक्त जानकर साधु ग्रहण न करे।

वह भिक्षु यदि यह जाने कि अशनादि चतुर्विध आहार अप्काय पर रखा हुआ है तो उसे भी अप्राप्त्युक्त जान कर स्वीकार न करे। इसी प्रकार अग्निक्काय पर प्रतिष्ठित अशनादि चतुर्विध आहार को भी अप्राप्त्युक्त जानकर उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवली भगवान कहते हैं कि यदि गृहस्थ भिक्षु के निमित्त अग्नि में ईन्धन डालकर अथवा प्रज्वलित अग्नि में से ईन्धन निकाल कर या अग्नि पर से भोजन को उतार कर, इस प्रकार से आहार लाकर दे तो साधु ऐसे आहार को अप्राप्त्युक्त जानकर ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मिट्टी के लेप से बन्द किए गए खाद्य पदार्थ के वर्तन में से उक्त लेप को तोड़कर गृहस्थ कोई पदार्थ दे तो साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनके पृथगीकाय की एवं उसके साथ अन्य अप्कायिक आदि जीवों की हिंसा होगी और उस वर्तन में अवशिष्ट-पदार्थ की सुरक्षा के लिए उस पर पुन मिट्टी का लेप लगाने के लिए नया आरम्भ करना होगा। इस तरह पश्चात् कर्म दोष भी लगेगा। इसी तरह सचित्त पृथगी, पानी एवं अग्नि पर रखा हुआ आहार भी साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ अग्नि पर रखे हुए वर्तन को उतारते हुए या ऐसा ही कोई अन्य अग्नि सम्बन्धी आरम्भ करते हुए साधु को आहार दे तो उस आहार को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिससे छ काय एवं ६ में से किसी भी एक कायिक जीवों की हिंसा होती हो तो ऐसा आहार साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

अब वायुकाय की यतना के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से भिक्खू वा २ जात्र से जं० असणां वा ४
अच्चुमिणां, अस्मंजए मि० मुप्पेण वा विहुयणेण वा तालियंटेण वा

पत्तण वा साहाए वा साहाभगेण वा पिहुणेण वा पिहुणहत्थेण
 वा चेलेण वा चेलकण्णण वा हत्थेण वा मुहेण वा फुमिज्ज
 वा वीडज्ज वा, से पुब्बामेव आलोडज्जा आउमोत्ति वा भडणित्ति
 वा ' मा एत तुम अण वा अच्चुमिण सुप्पेण वा जाव फमाहि
 वा वीयाहि वा अभिकखमि मे दाउ, एमेव दलयाहि, मे मेव
 वयतस्स परो सुप्पेण वा जाव वीडत्ता आहट्टु दलडज्जा तहण
 गार असण वा ४ अफामुय वा नो पडि० ॥३६॥

ध्याया—म भिक्षुर्वा २ अथ यत्० अशन वा० अत्युष्ण अनयत भिक्षु-
 प्रतिज्ञया सर्पेण वा बीजनन वा तालघृन्तेन वा पत्रेण वा शागया वा शाखा
 भगन वा र्हेण वा (पिच्छेण वा) र्हुकलापन वा (पिच्छहस्तन वा) चेलेन
 वस्त्रेण वा चेलकर्णेन वस्त्रेण कर्णेन वा हस्तेन वा मुखेन वा फूत्कुर्याद् वा
 गानयद् वा, स पूर्वमेव आलोकयद्—(आलोकय) आयुष्मन्नितातवा भगिनि ।
 इति वा मैत्रेय अशन वा ८ अत्युष्ण सर्पेण वा यावत् फूत्कुरु बीजय
 वा, अभिकान्ति मे दात एवमव ददस्व म तर्भ्येव उदत प सर्पेण वा
 यावत् बीजयित्वा आहृत्य दद्यान् तथाप्रकर अशन वा ८ अप्रासुक न
 प्रतिगृह्णीयात् ।

पदाथ—स—व० । भिक्षु वा—साधु या स ध्वी, गृहपति कुत्र मे प्रवृत्त करन पर ।
 मे ज—यदि यद् जान वि । असण वा—भगनादिक चतुर्विध अणार । अच्चसिण—अत्युष्ण है
 घोर उत । असट्टए—गहम्भ । भिक्षुपडियाए—साधु क निमित्त घीतल करने क लिए ।
 म्पेण वा—छाज स । विहुयणण वा—अथवा पम स । त नियटेण वा—ताल पत्र से । पत्तेण
 वा—अथवा पत्र स । (पत्त भगण वा—खजूर आदि वक्ष न पत्र तण स ।) साहाए वा—गाला
 मे । साहाभतण वा—गान्धा क तण स । पिहुणण वा—अथवा मयूर पिच्छ स । पिहुण हत्थेण
 वा—मयूर प छ म बने हण पम स । चेलेण वा—अथवा वरुण स । चेलकण्णण वा—वस्त्र

खण्ड मे । हृत्थेण वा—हाथ मे । मुहेण वा—अथवा मुख से । फुमिज्ज वा—मुख की वायु से शीतल करे । वीइज्ज वा—पखे आदि से शीतल करे तव । से—वह—साधु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—ध्यान देकर देखे और विचार करे, विचार करके उसके प्रति कहे । आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् !; गृहस्थ ! अथवा । भइणित्ति वा—हे भगिनि—हे बहिन ! तुमं—तू । एत—इस । अच्चुसिणं—अत्युष्ण—गर्म । असणं वा ४—अशनादिक आहार को । सुप्पेण—सूर्य—छाज से । जाव—यावत् । फुमाहि—मुख की वायु मे अथवा । मा बीयाहि—पखे की वायु मे ठण्डा मत करो ! यदि तुम । मे—मुझे । दाउ—देना । अभिकखसि—चाहती हो तो । एमेव—इसी तरह—बिना शीतल किए ही । दलघाहि—दे दो । से—वह । परो—गृहस्थ । पेव वरइस—इन प्रकार बोलते हुए उम साधु को यदि । सुप्पेण वा—सूर्य और व्यजनादि से । जाव—यावत् । वीइत्ता—शीतल करके । आहट्टु—लाकर । दलइज्जा—दे तो । तहप्पगारं—इस प्रकार क । असण वा ४—अशनादि चतुर्विध आहार को । अफासुयं वा—अप्रासुक जान कर । नो पडिगा०—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—आहार के लिए गृहस्थ के घर मे प्रवेश करने पर यदि साधु साध्वी यह देखे कि, गृहस्थ साधु को देने के लिए अत्युष्ण अशनादिक चतुर्विध आहार को शूर्प से, पखे से, ताड पत्र से, शाखा से, शाखा खड से मयूरपिच्छ से, मयूर पिच्छ के पंखे से, वस्त्र से, वस्त्र खड से, हाथ से अथवा मुख से फूक मार कर या पखे आदि की हवा से ठंडा करके देने लगे तब वह भिक्षु उस गृहस्थ को कहे कि हे आयुष्मन्-गृहस्थ ! अथवा हे आयुष्मति बहिन ! तुम इस उष्ण आहार को इस प्रकार पखे आदि से ठंडा मत करो । यदि तुम मुझे देना चाहतो हो तो ऐसे ही दे दो । साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ, उसे पखे आदि से ठंडा करके दे तो साधु उस आहार को अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ उष्ण पदार्थ को पंखे आदि से ठण्डा करके देने का प्रयत्न करे तो साधु उसे ऐसा करने से इन्कार करदे । वह स्पष्ट कहे कि हमारे लिए पंखे आदि से किसी भी पदार्थ को ठण्डा करने की आवश्यकता नहीं है । इस पर भी यदि वह गृहस्थ साधु की बात को न मानकर उक्त उष्ण पदार्थ को पंखे आदि से ठण्डा करके दे तो साधु को उस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए । क्योंकि इस तरह की क्रिया से वायुकायिक जीवों की हिसा होती है ।

अथ वनस्पति काय की यतना वा उत्प्रेत्य करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—से भिक्षू वा २ मे ज० अमण वा ४ यणस्मड
कायपट्टिठय तहप्पगार अमण वा ४ वण० लाभे मते नो-
पडि० । एव तमकाय वि ॥४०॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अथ यत अशन वा ४ वनस्पतिनायप्रतिष्ठित
तथाप्रकार अशन वा ४ वन० लाभे सति न० प्रति० । एव तसकायमपि ।

पदाय—से—वह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर । से—वह । ज—यदि इस प्रकार जाने कि । अशन वा ४—अग्नानि चतुर्विध आहार । अणस्सकायपट्टिठय—वनस्पति काय पर रखा हुआ है ता । तहप्पगार—इस प्रकार के वण०—वनस्पति काय पर प्रतिष्ठित । अशन वा ४—अग्नानि चतुर्विध आहार को । ताने ससे—मिलन पर भी । नो पडि०—साधु ग्रहण न करे । एव तसकाय वि—इसी प्रकार तसकाय के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए ।

मूलाथ—साधु या साध्वी, भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करते हुए यदि यह देखे कि गृहस्थ के वहाँ अनादि चतुर्विध आहार वनस्पति काय पर रखा हुआ है, तो ऐसे वनस्पतिकाय पर प्रतिष्ठित अशनादि को साधु प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । इसी प्रकार तसकाय के विषय में भी जान लेना चाहिए ।

द्विती विवचन

अनुत्त सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर में आहार वनस्पति या तस प्राणी (द्वीत्रिय आदि प्राणियों) पर रखा हो या वनस्पति आदि साध पदार्थ पर रखी हो तो साधु को उस आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि साधु के निमित्त स्थावर एवं जन्तु किसी भी प्राणी को कष्ट होता हो तो साधु को ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

सूत्रकार ने आहार के अर्थ १ दोषों का अर्थ वर्णन किया है और वृत्तिकार

ने उनका प्रस्तुत सूत्र की वृत्ति में ही उल्लेख कर दिया है ॥१॥

आहार की तरह पानी भी जीवन के लिए आवश्यक है और नदी, तालाव, कुएं आदि का जल सचित्त होता है। अतः साधु को कैसा पानी ग्रहण करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जं पुण पाणगजायं जाणिज्जा
तंजहा—उस्सेइमं वा १ संसेइमं वा २ चाउलोदगं वा ३
अन्नयरं वा तहप्पगारं पाणगजायं अहुणाधोयं अणंबिलं
अवुककंतं अपरिणयं अविद्धत्थं अफासुयं जाव नो पडिगाहिज्जा
अह पुण एवं जाणिज्जा चिराधोयं अंबिलं बुक्कंतं परिणयं
विद्धत्थं फासुयं पडिगाहिज्जा । से भिक्खू वा० से जं पुण पाण-
गजायं जाणिज्जा, तंजहा—तिलोदगं वा ४ तुसोदगं वा ५
जवोदगं वा ६ आयामं वा ७ सोवीरं वा ८ सुद्धवियडं वा ९
अन्नयरं वा तहप्पगारं वा पाणगजायं पुव्वामेव आलोइज्जा—
आउसोत्ति वा ! भइणित्तिवा ! दाहिसि मे इत्तो अन्नयरं पाण-

॥ अत्र च वनस्पति काय प्रतिष्ठितमित्यादिना निक्षिप्ताख्या एपणादोपोऽभिहितः, एवमन्येऽप्येपणादोपायथासम्भवं सूत्रेष्वेवाधोय्या । ते चामी—

‘सकिय १, मक्खिय २, मिक्खित्त ३, पिहिय ४, साहरिय ५, दायगु ६ म्मी से ७, अपरिणय ८, लित्त ९, छड्डीय १०, एसणा दोसा दस हंति १० । ॥१॥ तत्र संकितमाधाकमादिना १-स्रक्षितमुदकादिना २ निक्षिप्त पृथिवी कायादी ३ पिहित बीजपूरकादिना ४ साहरियंति-मात्रकादेस्तुषाद्यदेयमन्यत्र सचित्त पृथिव्यादी सहृत्य तेन मात्रकादिना यद् ददाति तत् सहृत-मित्युच्यते ५ दायगत्ति—दाताबालवृद्धाद्ययोग्य ६ उन्मिश्त्र—सचित्त मिश्रम् ७ अपरिणतमिति—यद्देय न सम्यगचित्तीभूतं दातृग्राहकयोर्वा न सम्यग् भावोपेत ८ लिप्त-वसादिना । ९ छड्डीयंति परिशाटबदि १० त्येपणा दोपा ।

—आचाराङ्ग वृत्ति ।

गजाय ? मे सेव वयतस्म परो वड्ज्जा याउमतो ममणा । तुम
चेवेय पाणगजाय पडिग्गहेण वा उस्सिपच्चिया ण उयत्तिया ण
गिण्हादि, तहप्पगार पाणगजाय मय वा गिरिहज्जा परो वा से
दिज्जा, फामुय लाभे मते पडिगाहिज्जा ॥४१॥

श्राया—म भिक्षुर्वा ० अथ यत् पुन पानरुजात जानीयात् तद् यथा-
उत्सोदित वा १ सम्वेदित वा २ तन्दुलादक वा ३ अन्यतद् वा तथाप्रकार
पानरुजात अधुना धौन अनम्ल अन्ध्रुत्त्वान्तमपिणितमविध्यस्तमप्रामुक
यायनो प्रतिगृह्णीयात् । अथ पुनरऽ जानीयात्, चिरधौत, अम्ल व्युत्क्रान्त
पिणित ध्वस्त प्रामुक प्रतिगृह्णीयात् । म भिक्षुर्वा ० अथ यत् पुन पानरु-
जात जानीयात्, तद्यथा—तिलोदक वा ४ तुपादक वा ५ ययोदक वा ६ आ
चाम्ल वा ७ मोयीर वा ८ शुद्धमिष्ट वा ९ अन्यतरत् वा तथाप्रकार
या पानरुजात पूर्वमजालोचयन्-आयुष्मन् । इति वा, भग्निनि । इति वा
दास्याम म इताऽन्यतरत् पानरुजातम् ? अथ तस्यैव वदत परो वदत—
आयुष्मन् श्रमण ! न्य चवेद पानरुजात पतदप्रहेण वा उत्सिच्य अपट्टप
गृहाण, तथाप्रकार पानरुजात स्वय या गृह्णीयात् परो या तस्मै दद्यात्, प्रासुव
लाम मतिनि प्रतिगृह्णीयात् ।

पदाथ—स—वत् । भिक्षु वा—मायु अथवा माध्वी जल क लिए गन्धक पर म
प्रवण करने पर । म ज पुण—फिर वत् । पाणगजाय—पानी पी जानि को—पानी क भण
का । जाणिरजा—जान । तज्जहा—जम कि । उत्सइम वा—चुण म निष्प बनन का धावन
अथवा । समइम वा—निल घाति वा धावन अथवा त्रिममे पालक घाति गाह—भाजा को उवात
नया हे वत् धावन या वाचना का सामानन । चाउलोत्तग वा—जावना का धोवन या । अन्नवर
वा—अथ क ई । तहप्पगार—इसी प्रकार का । पाणगजाय—प्रासुव धावन घाति । घट्टणा-
धोय—तरवान का । अणविम—त्रिमन प्रणी तव उमका स्वात् परिवर्तित नया नया हे वत् ।
अयकवत्त—अपन रम म अतिवात्त नया दूया ३ । अपरिणय—अपारि म परिणत नया दूया

है। अविद्धृत्यं—जिमके जीव अस्त्र परिणत नहीं हुए है। अफासुय—उमे अप्रामुक जानकर। जाव—यावत् मिलने पर भी। नो पडिग्गाहिज्जा—साधु उम ग्रहण न करे। अह—अथवा। पुण—पर। एव—इम प्रकार। जाणिज्जा—जाने कि। चिराधोय—जो धोवन चिर काल का है। अंवित्र—जिमका स्वाद बदल गया है। दुक्कतं—अन्य रस को प्राप्त हो गया—अचित्त हो गया। परिणय—जिमका वर्णादि बदल गया है। विद्धृत्यं—अस्त्र परिणत हो गया है। फासुय—उमे प्रामुक जानकर। पडिग्गाहिज्जा—साधु ग्रहण करे। से—वह। भिक्खू चा०—साधु अथवा साध्वी। से—अथ। ज—जो। पुण—पुनः। पाणगजाय—पानी के सम्बन्ध में यत्। जाणिज्जा—जाने। तजहा—जैने कि। तिलोदग वा—तिलो का धोवन। तुसोदग वा—अथवा तुप का धोवन। जवोदग वा—अथवा यवो का धोवन। आयामग वा—उबले हुए चावल का धोवन। सोवीरं वा—काजी के भाजन का धोवन। सुद्धवियड वा—उष्ण तथा प्रामुक पानी। अन्नपर वा—या अन्य कोई। तहप्पगार—इमी प्रकार के। पाणगजयं—अन्य अचित्त पानी का। पुव्वामेव—पहले ही। आलोडज्जा—अवलोकन करे-देखे और देखकर कहे। आउत्तोत्ति वा—आयुष्मन्-गृहपते। भइणित्ति वा—हे भगिनि! हे ब्रह्मन्! इत्तो—इसमें से। अन्नयरं—किमी एक तरह के। पाणगजाय—पानी को। मे—मझे। दाहिं सि—देखी? से—वह गृहपति। से—उम साधु को। एव—इम प्रकार। चयतस्स—बोलते हुए को। परी—गृहस्थ। वइज्जा—कहे। आउसंतो—आयुष्मन्। समणा—श्रमण। तुम चेवेय—तुम इसी। पाणगजायं—जन ज्ञात को। पडिग्गहेण वा—अपने पात्र में। उस्सिचिया—नीचे उतार कर उलीचकर। ण—वाक्यालंकार में है। उयत्तिया—पानी को नितार कर। ण—वाक्यालंकार में है। गिण्हाहि—पानी के वर्तन को पकड़ो तो। तहप्पगारं—इम प्रकार के। पाणगजायं—अचित्त पानी को। सय वा—साधु स्वय ही। गिण्हज्जा—ग्रहण करे। वा—अथवा। परी—यदि गृहस्थ। से—उस साधु को। डिज्जा—दे तो। फासुय—उसे प्रामुक जानकर। लाभेसते—मिलने पर। पडिग्गाहिज्जा—साधु ग्रहण कर ले।

मूलार्थ—साधु या साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर पानी के भेदों को जाने जैसे कि—चूर्ण से लिप्त वर्तन का धोवन, अथवा तिल आदि का धोवन, चावल का धोवन अथवा इमी प्रकार का अन्य कोई धोवन तत्काल का किया हुआ हो। जिसका कि स्वाद चलित नहीं हुआ हो, रस अतिक्रान्त नहीं हुआ हो। वर्ण आदि का परिणमन नहीं हुआ हो और अस्त्र भी परिणत नहीं हुआ हो तो ऐसे पानों के मिलने पर भी उसे अप्रामुक जानकर साधु ग्रहण न करे। यदि पुनः वह इस प्रकार

जाने कि यह धोवन बहुत दूर का बनाया हुआ है और इसका स्वाद बदल गया है, रस का अतिक्रमण हो गया है, वण आदि परिणत हो गया है और शस्त्र भी परिणत हो गया है तो ऐसे पानी को प्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण करले ।

फिर वह साधु या माभ्वी गृहस्थ के घर में जलार्थ प्रविष्ट होने पर जल के विषय में इस प्रकार जाने, यथा—तिलो का धोव , तुपा का धोवन, यवो का धोवन तथा उबले हुए चावलो का जल, बीजी के बर्तन का धोवन एव प्रासुक तथा उष्ण जन अथवा इसी प्रकार का अय जल इनको पहले ही देखकर साधु गृहपति से कहे—आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा - [स्त्रो हो तो] हे भगिनि ! क्या मुझ इन जलो में से किसी जल को दोगी ? तत्र वह गृहस्थ, साधु के इस प्रकार कहने पर यदि कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस जल के पात्र में से स्वयं उत्तीचकर और नितार कर पाना ले लो । गृहस्थ के इस प्रकार कहने पर साधु स्वयं ले ले अथवा गृहस्थ के देने पर उसे प्रासुक जान कर ग्रहण कर ले ।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को वह पानी ग्रहण करना चाहिए जो शस्त्र परिणत हो गया है और जिमका वर्ण, गंध एव रस बदल गया है । अतः बर्तन आदि का धोया हुआ प्रासुक पानी यदि किसी गृहस्थ के घर में प्राप्त हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है । इस प्रकार निर्दोष एव एषणीय प्रासुक जल गृहस्थ की आज्ञा से स्वयं भी ले सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि यदि कभी गृहस्थ पानी का भरा हुआ बर्तन उठाने में असमर्थ है और वह आज्ञा देता है तो साधु उन प्रासुक एव एषणीय पानी को स्वयं ले सकता है ।

प्रस्तुत सूत्र में ६ तरह के पानी के नामों का उल्लेख किया गया है—१ आट के बर्तनों का धोया हुआ धोवन (पानी) । २ तिलो का धोया हुआ पानी, ३ चावलों का धोया हुआ पानी, ४-जिम पानी में उष्ण पदार्थ शकर आदि ठंडे किए गए हों वह पानी ५ तुपा का धोया हुआ पानी, ६ यवों का धोया हुआ पानी, ७ उबले हुए चावलों का निकाला हुआ पानी, ८ बीजी के बर्तनों का धोया हुआ पानी, ९ उष्ण-गर्म

पानी। इसके आगे 'तहूपगारं' शब्द से यह सूचित किया गया है कि इस तरह के शस्त्र से जिस पानी का वर्ण, गन्ध, रस बदल गया हो वह पानी भी साधु ग्रहण कर सकता है। जैसे— द्राक्षा का पानी, राख से माजे हुए वर्तनों का धोया हुआ पानी आदि भी प्रासुक एवं ग्राह्य है। ❀

इससे स्पष्ट हो गया कि साधु शस्त्र परिणत प्रासुक जल ग्रहण कर सकता है। यदि निर्दोष वर्तन आदि का धोया हुआ या गर्म पानी प्राप्त होता हो तो साधु उसे स्वीकार कर सकता है। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — से भिक्खू वा० से जं पुण पाणमं जाणिज्जा--
आणंतरहियाए पुढवीए जाव संताणए उद्धट्टु २ निक्खित्ते
सिया, असंजए भिक्खुपडियाए उदुल्लेण वा ससिणिद्वेण वा

❀ 'उस्सेइम' और 'ससेइम'। इन दो पदों की व्याख्या वृत्तिकार एवं अन्य आगम टीकाकार तथा कोपकारों ने इस प्रकार की है—

'उस्सेइम वेति' पिटोस्स्वेदनार्थमुदकम् । 'ससेइम वेति' तिलधावनोदक, यदि वाऽरणिकादिसस्विन्नधावनोदकम् — आचाराङ्ग वृत्ति ।

'उत्स्वेदेन निवृत्तमुत्स्वेदिम — येन त्रीह्यादि पिष्टं सुराद्यर्थं उत्स्वेद्यते, तथा ससेकेन निवृत्त-
मति, ससैकम्' अरणिकादि पत्र शाकमुत्कात्य येन शालि जलेन ससिच्येततदिति ।

— स्थानाग सूत्र, ३, ३ वृत्ति (अभयदेव सूत्रि)

उस्सेइम — (उत्स्वेदिम) आटा में मिश्रित पानी आटा धोया जल, (कप्प, ठा० ३।३)

— प्राकृत महार्णव पृ० २३८ ।

ससेइम — (ससैकम्) संसेक से बना हुआ । नि० चू० १५ ।

उवाली हुई भाजी जिस ठण्डे जल से सीधी जाए वह पानी । ठा० ३।३ पत्र १४ कप्प ।

तिलका धोन । आचाराग २।८४ ।

पिष्टोदक आटे का धोन । दम० ५।१।७५ ।

उस्सेइम — न (उत्स्वेदिम) आटे का धोवन । पृ० ३१३ ।

ससेइम — निलादि धान्य के धोवन का पानी, जिनमें पत्र चारु आदि वाफने में आते हैं या धान्य ओसावन के काम में आता है वह पानी ।

— अर्थमागधी कोप, पृ० ३१३ ।

मरुमाएण वा मत्तेण वा मीयोदगेण वा मभोडत्ता याहट्ट
दलइज्जा, तहप्पगार पाणगजाय अफामुय० एय खलु मा-
मग्गिय० त्तिवेमि ॥४२॥

छाया— म भिक्षुरां अथ यत् पुन पानक जानायात्—अनन्तहिताया
पृथिव्या यावत् मन्तानक उद्धृत्य २ निक्षिप्त स्यात् अथयत् भिक्षुप्रतिज्ञया
उदकाद्रिंण वा मस्तिग्धेन वा मरुपायण वा मात्रेण वा शीतोदकेन वा म
भुक्त्वा मिश्रयित्वा आहृत्य त्यान् तथाप्रकार पानकनातम् अथासुफ०
एतत् खलु मामग्रयम् ।

पदाथ—स- वह । भिक्षु वा०—म धु अथवा साधवा गहपति कुल म प्रवण करन
पर । स-वह । ज-जा । पुण-फिर । पाणगजय—अक्षिप्त पानी क भदापभत् को । जा
गिज्जा—जाने गया । अणतरणियाण पुट्ठीए—सचित्त पृथ्वी पर । जाव—य वत । सताणए—
मन्तानक मकडी क जाल आदि पर । उद्धट्ट २—अथ भाजन म निकाल कर २ । निक्षिप्त
मिया—उन सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ है । असजर—अथयत्-गहृत्य । भिक्षुपडियाए-
साधु की प्रतिज्ञा से—साधु क लिए । उदउत्तेण व—जल टपकने हुए हाथों म । ससिग्गय
वा—अथवा शील हाथों से । सक्साएण वा मनण वा—अथवा सचित्त पृथ्वी आदि म अथ
गटिल बतन म, अथवा । सोओग्गय वा—सचित्त जल म । समोइत्ता—मिश्रित मिला करके ।
आहट्ट—लाकर । दलइज्जा—द ला माधु । तहप्पगार—इस प्रकार क । पाणगजाय—जल
का । अफामुय—अथामुक्त जानकर अर्थ न कर । एय—यह । खलु—निश्चय ही । सामग्गिय—
साधु क है अर्थात् साधु का समग्र आचार है । त्तिवेमि—एम में कन्ता हू ।

मूलार्थ—जल क लिए गृहस्थ के घर मे प्रवेश करन पर साधु या
साध्वी जल क सम्बन्ध म यदि यह जान ले कि गृहस्थ ने प्राप्त क जल
को सचित्त पृथ्वी मे लेकर मकडी आदि के जालो म युक्त पदार्थ पर
रखा है या उमने उमे अथयत् सचित्त पदाथ से युक्त बतन मे निकाल कर
रखा है या वह उन हाथों से दे रहा है जिसमे सचित्त जल टपक रहा है या
उमके हाथ जल से भीगे हुए हैं एमे हाथों मे, या सचित्त पृथ्वी आदि मे

युक्त वर्तन से या प्रामुक जल के साथ सचित्त जल मिलाकर देवे तो इस प्रकार के जल को अप्रासुक जानकर साधु उसे ग्रहण न करे । यही सयम-शील मुनि का समग्र आचार है । ऐसा मैं कहता हू ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मूत्र मे वनाया गया है कि यदि किसी गृहस्थ के घर पर प्रासुक पानी सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा हुआ है, या उसमें सचित्त जल मिलाया जा रहा है, या उस सचित्त जल से गीले हाथों से या सचित्त पृथ्वी या रज आदि से भरे हुए हाथों से दे रहा है, तो साधु को वह पानी नहीं लेना चाहिए । क्योंकि उससे अन्य जीवों की हिंसा होती है । अतः साधु को वही प्रासुक पानी ग्रहण करना चाहिए जो सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि पर न रखा हो और गृहस्थ भी इन पदार्थों से युक्त न हो ।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझे ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्यायन पिण्डेषणा

अष्टम उद्देशक

अष्टम उद्देशक के अन्त में प्रासुक्त पानी के विषय में बताया गया है और प्रस्तुत उद्देशक में भी इसी विषय का और विस्तार से विवचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ मे ज पुण पाणगजाय जाणिज्जा
 तजहा—यत्रपाणग वा १० यवाडगपाणग वा ११ कविट्ठ
 पाण० १२ माउलिगपा० १३ मुद्धियापा० १४ दालिमपा०
 १५ सज्जूरपा० १६ नालियेर पा० १७ करीरपा० १८
 कोलपा० १९ यामलपा० २० चिंचोपा० २१ अन्नयर वा
 तहप्पगार पाणगजात मयट्ठिय मक्काण्य मवीयग थस्सजए भिक्खू
 पडियाए उच्चेण वा दूसेण वा वालगेण वा थापिलियाण परि
 वीलियाण परिमाधियाण आहट्टु दलइज्जा तहप्पगार पाणगजाय
 अफा- लाभे मते नो पडिगाहिज्जा ॥४३॥

छाया—स भिक्षुया तद् यत् पुन पानकजात जानीवान् तद्यथा - -
 आम्रपानक वा १० आम्रतकपानक वा ११ पपिथपानक १२ मातुलिग
 पानक १३ मृद्धीवापानक १४ ग्राहमपानक १५ सज्जूरपानक १६
 नानिकपानक १७ कीरपानक १८ कालपानक १९ यामलपानक
 २० विपापानक २१ अन्नयन् वा तथाप्रकार पानक जात गारियक

सकण्ठक सवीजक असयत भिक्षुप्रतिज्ञया छब्बकेण वा दूष्येण वा वालकेन वा अपीड्य परिपीड्य परिस्त्राव्य आहृत्य दद्यात् तथाप्रकार पानकजातं अप्रा० लाभे मति न प्रतिगृहीयात् ।

पदार्थ—से - वह । भिक्खू वा - साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर । से—वह । पुण - फिर । ज - उस । पाणगजायं—अचित्त पानी के सम्बन्ध में । जाणिज्जा—जाने । तजहा - जैसे कि । अबपाणग वा -आम्र फल का धोवन । अंबाडग पाणग वा -अम्बाहड फल विशेष का धोवन । कविट्ठ पाण० - कपित्थ फल का धोवन । मातुलिंग पा० - मातुलिंग का धोवन । मुद्दिया पा० - द्राक्षा का धोवन । दालिमा पा० - अनार का धोवन या रस । खज्जूरपा० - खजूर का धोवन । नारियल पा० - नारियल का धोवन । करीर पा० - करीर का धोवन । कोल पा० - बदरी फल-बेरो का धोवन । आमल पा० - आमले का धोवन । चिचा पा० - इमली का धोवन-पानी । अन्यतर वा - अन्यतर । तहप्पगार - इसी प्रकार का कोई । पाणगजाय - जल विशेष । स अट्ठियं - अस्थि-गुठली के सहित ही । सकण्ठं—वनस्पति छाल के सहित ही । सवीयं—बीज सहित ही और । अस्सजए—असंयत—गृहस्थ । भिक्खूपडियाए - भिक्षु के लिए । छब्बेण वा - छलनी से । दूसेण वा - वस्त्र से अथवा । वालगेण वा - गवादि के बालों में बनी हुई छलनी से । आविलियाण—गुठली आदि को दूर करने के लिए एक बार छानकर । परिवीलियाण—बार-बार छानकर । परिसावियाण—गुठली आदि को निकाल कर । आहट्टु—इस प्रकार से उस धोवन को लाकर । दलइज्जा—दे तो । तहप्पगार—इस प्रकार के । पाणगजाय—जल को । प्रका०—अप्रामुक जानकर । लाभे संते—मिलने पर भी । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में पानी के निमित्त प्रवेश करने पर साधु या साध्वी जल के विषय में इन बातों को जाने । जैसे कि—आम्रफल का पानी, अम्बाडगफल का पानी, कपित्थ फल का पानी, मातुलिंग फल का पानी, द्राक्षा का पानी, अनार का पानी, खजूर का पानी, नारियल का पानी, करीर का पानी, बदरी फल-बेरो का पानी, आमले का पानी और इमली का पानी, तथा इसी प्रकार का अन्य पानी, जो कि गुठली सहित, छाल सहित और बीज सहित-बीज के साथ मिश्रित है, उसे यदि गृहस्थ भिक्षु के निमित्त वास की छलनी से, वस्त्र से या बालों की छलनी से, एक बार अथवा अनेक बार छानकर और उसमें रहे हुए गुठली छाल और बीजादि को छलनी के द्वारा अलग

करके उमे दे ता साधु इस प्रकार के जल को अप्रामुक् जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में २१ प्रकार के प्रामुक् पानी का उल्लेख किया गया है। उमम आम्र फल आदि के धोवन पानी के विषय में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ आम्र आदि को धोने के पश्चात् उम पानी को छान रहा है और उमम रह हुए गुठली छाल एवं बीज आदि को निकाल रहा है तो साधु को उक्त पानी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वह वनस्पतिनायिक (बीज, गुठली आदि) जीवों से युक्त होने के कारण निर्वाप्य प्रामुक् नहीं है ।

प्रस्तुत सूत्र में अस्थि' शब्द गुठली के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि आम्र व साथ उमका प्रयोग होने के कारण उसका गुठली अर्थ भी घटित होता है। दाना की अपेक्षा तन्-छाल, अनार आदि की अपेक्षा से तीन शब्द का प्रयोग हुआ है ।

प्रस्तुत सूत्र का तात्पर्य यह है कि आम्र आदि फला का बोधा हुआ पानी पर रम यदि गुठली बीज आदि से युक्त है और उसे वाम में बनाई गई टोकरी या गाय के बालों की बनाई गई छलनी या अन्य किसी पदार्थ से निर्मित छलनी या वस्त्र आदि से एक बार या एक से अधिक बार छानकर तथा उसमें से गुठली, बीज आदि को निकाल कर ले तो वह पानी या रम साधु के लिए अप्रामुक् है। क्योंकि इस तरह का पानी उद्गमादि तेषो से युक्त होता है^१। अतः साधु को ऐसा जल अनेपणीय होने के कारण ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

अपने स्वान में स्थित साधु को भौतिक पदार्थों से किस तरह अनामक करना चाहिए, इस बात का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

१ उद्गम व तेषो १६ प्रकार के बनाए गए हैं -

घातावमममिष गृतिवम व मोमत्राण व ।
 त्वणा पाहुदियाण पासाधरनीय पामिच्च ॥
 परिपट्टिण वभिन्द उदिभान मन्ताडे इष ।
 वत्तवत्र वणिमिटठ वत्तापण व मावमम ॥

मूलम्— से भिक्षु वा २ आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा
गाहावड्गिहेसु वा परिव्रामहेसु वा अन्नगंधाणि वा पाण-
गंधाणि वा सुरभिगंधाणि वा आघाय २ से तत्थ आसाय-
पडियाए मुच्छिए गिद्धे गट्टिए अज्झोववन्ने अहो गंधो २ नो
गंधमाघाड्ज्जा ॥४४॥

छाया — स भिक्षुर्वा २ आगंत्रगारेषु वा आरामागारेषु वा गृहपतिगृहेषु
वा पर्यावमथेषुवा अन्नगन्धान् वा पानगन्धान् वा सुरभिगन्धान् वा आघ्राय २
स तत्र आम्वादनप्रतिजया मूच्छितो गृद्धो ग्रथितोऽध्युपपन्नः (सन्) अहो-
गन्धः २ न गन्धं जिघ्रेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा०—भिक्षु—साधु अथवा साध्वी । आगंतारेसु वा—
धर्मशालाओ मे । आरामागारेसु वा—अथवा उद्यान शालाओ मे । गाहावई गिहेसु वा—
अथवा गृहस्थो के घरो मे । परिव्रामहेसु वा—अथवा भिक्षुओ के मठो मे अवस्थित—ठहरा
हुआ हो ता उस समय । अन्न गंध णि वा—अन्न की गन्ध को । पाण गन्धाणि वा—अथवा
पानी की गन्ध का । सुरभिगन्धाणि वा—केसर-कस्तूरी आदि की सुगन्ध को । आघाय २—
सूघकर । से—वह भिक्षु । तत्थ—उन सवासित पदार्थो मे । आसायपडियाए—आम्वादन
की प्रतिज्ञा मे । मुच्छिए—मूच्छित । गिद्धे—गृद्ध । गट्टिए—प्रायत । अज्झोववन्ने—आमक्त
होता हुआ । अहोगंधो २—कि यह सुगन्ध कैसी मीठी एवं सुन्दर है ऐसे कहना हुआ । गंधं—
उम गंध को । नो आघाड्ज्जा—ग्रहण न करे—सूघे नहीं ।

मूलार्थ—धर्मशालाओ मे, आरामशालाओ मे, गृहस्थो के घरो मे
या परिव्राजको के मठो मे ठहरा हुआ साधु या साध्वी अन्न एव पानी
की तथा सुगन्धित पदार्थो वस्तुओ आदि की गन्ध को सूघ कर उस गन्ध
के आस्वादन को इच्छा से उसमे मूच्छित, गृद्धित, ग्रथित और आसक्त
होकर कि वाह ! क्या ही अच्छी सुगन्धि है, कहना हुआ उस गन्ध को
सुवास न ले ।

।हदी विचन

प्रस्तुत सूत्र म बताया गया है कि घमेशाला मे, गीचे मे, गृथ के मकान म, परिव्राजक—स यासी के मठ म अथवा किसी भी निर्दोष एव एपणीय स्थान में ठहरा हुआ साधु अनासक्त भाव से अपनी साधना मे सलग्न रहे । यदि उक्त स्थानों के पास स्नादिष्ट अन्न एव पानी या अथ सुगमित पदार्थ की सुहावनी सुवास आती हो तो वग स्थित साधु उसमे आसक्त होकर उस सुगम को मृण न कर और न यह कह कि क्या ही मधुर एव सुहावनी सुवास आ रही है । पर तु, यह अपने मन आदि योगों को उन्म और से हटकर अपनी साधना मे — स्नाध्याय, ध्यान, चिंतन—मनन आदि म लगा द ।

अत्र सूत्रकार फिर से आगर ग्रहण करने के सम्बन्ध मे कहते है—

मूलम् — से भिक्खु वा २ से ज० मालुय वा विरालिय वा सासवनालिय वा यन्नयर वा तहप्पगार आमग असत्थपरिणय अफासु० । से भिक्खू वा० से ज पुण० पिप्पलि वा पिप्पलिचुराण वा मिरिय वा मिरियचुराण वा मिगवेर वा मिगवेरचुराण वा यन्नयर वा तहप्पगार आमग वा अमत्थ प० । से भिक्खू वा० मे ज पुण पलवजाय जाणिज्जा तजहा — अत्र पलव वा अवाडगपलव वा तालप सुरहि भिज्भरिप मल्लरप० यन्नयर वा तहप्पगार पलवजाय आमग असत्थप० । से भिक्खू २ से ज पुण पवालजाय, जाणिज्जा तजहा -आमोट्ठपवाल वा निग्गोहप० पिलुसुप० नियू(पू)रप० मल्लइप० यन्नयर वा तहप्पगार पवालजाय आमग अमत्थपरिणय । से भि० मे ज पुण० मरडुयजाय जाणिज्जा, तजहा — मरडुय वा कविट्ठसर०

दाडिमसर० विल्व स० अन्नयरं वा तहृष्यगारं सरडुयजायं आमं
अमृत्यपरिणयं० । से भिक्खू वा० से जं पु० तजहा उवरमथुं
वा निग्गोह मं० पिनुंखु मं० आनोत्थ मं० अन्नयरं वा तहृष्यगारं
वा मथुजायं आमयं दुरुक्कं साणुवीयं अफामुयं ॥४५॥

छाया—स भिक्खुर्वा अथ यत् शालूक वा विगलिक वा सर्पनालिक
वा अन्यतरद् वा तथाप्रकार आमक अशस्त्रपरिणत अप्रासुकं० । स भिक्खुर्वा
अथ यत् पुनः पिप्पली वा पिप्पलीचूर्णं वा मरिच वा मरिचचूर्णं वा शृगवेरं
वा शृगवेरचूर्णं वा अन्यतरद् वा तथाप्रकार आमक वा अशस्त्रपरिणत ।
स भिक्खुर्वा० अथ यत् पुनः प्रलम्बजात जानायात्, तद्यथा—आमप्लम्ब
वा अम्बाडग प्रलम्बं वा तालप्रलम्ब वा भञ्जिक्कर प्रलम्ब० सुग्भि० शल्ह-
की० अन्यतरद् वा तथाप्रकारं प्रलम्बजात आमकं अशस्त्रपरिणतं ।
स भिक्षुः २ अथ यत् पुनः प्रवाल जात जानीयात्, तद्यथा—अश्वत्थप्रवालं
वा न्यग्रोधप्रवालं वा प्लक्षप्र० नियू(पूर)प्र० अन्यतरद् वा तथाप्रकार प्रवाल-
जात आमक अशस्त्रपरिणतम् । स भिक्षुर्वा० अथ यत् पुनः सरडुय (अबद्धा-
स्थिललम्) जानीयात्, तद्यथा—सरडुय वा कपित्थ सर० दाडिम सर० विल्व
सर० अन्यतरद् वा तथाप्रकार सरडुय जातं आमक अशस्त्रपरिणतम् । स
भिक्षुर्वा अथ यत् पुनः तद्यथा—उदुम्बरमन्थुं वा न्यग्रोधमन्थु वा प्लक्ष-
मन्थु वा अश्वत्थ मं० अन्यतरद् वा तथाप्रकार मं० जात आमक दुरुक्कं
सानुवीज अप्रासुक० ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा०—माधु अथवा साध्वी गृहपति कुल मे प्रवेश करने
पर । से—अथ—यदि । ज—जो फिर जाने कि । सालुय वा—जल से उत्पन्न होने वाला
कन्द विशेष । विरालियं वा—अथवा स्थल से उत्पन्न होने वाला कन्द । सासवनालिय वा—
सर्पनालिका कन्द । अन्नयर वा—तथा अन्नय । तहृष्यगार—इसी प्रकार का कन्द विशेष ।
आमग—कच्चा । अमृत्यपरिणयं—जो अस्त्र से परिणत नहीं हुआ उसे । अफामुय०—
अप्रासुक जानकर मिलने पर ग्रहण न करे । से—वह । भिक्खू वा—माधु या साध्वी गृहपति

कल म प्रवर्ग करन पर । स ज पुण—यदि फिर य जान कि । पिप्ली वा—पावन मघ ।
 क्विपत्तिचण वा—पावल का चूण । मिमि वा—अथवा मिरव । मिरिचण वा—तथा
 मिन का चण । सिगवेर वा—अरक । सिगवेरचण वा—अथवा अरक का चूण ।
 अनवर वा—तथा अय । तहपगार—इसी प्रकार ना । आमग वा—कच्च चूण एवं
 अप्रतिपवव ११५५ । असत्यप०—जिस गन्ध न परिणत नहा रिया है उम । अफासुय—
 अप्रासुक जानकर मिनन पर भी अण न करे । स—वह । मिवलू—साधु अथवा साध्वी
 गृहस्थ क घर म प्रवर्ग करत पर । से ज पुण—यदि फिर । पलबजाय—फल का जाति का ।
 जाणिजा—जाने । तजहा—जस कि । अथपलब वा—आम्र फल वा । अवाडगपलब वा—
 अवाडग फल वा । तालर०—ना क फल वा । भिज्भिर प०—तनामा क फल वा ।
 सुरहि०—सुरभि—वनस्पति विणय क फल वा । सत्तर प०—गय—वनस्पति विणय क फल
 का । अरपर—तथा अय । तहपगार—इसी प्रकार क । पलबजाय—अन्व फल विणय
 का । आमग—कच्चा । असत्यप०—जा कि गन्ध परिणत नही हुआ, एमा मिनन पर ।
 अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे । से वह । मिवलू वा—साधु या साधवा गृहस्थ क घर जान
 पर । से ज पुण—वह फिर । पवालजाय—प्रवाल जान का । जाणिजा—जान । तजहा—
 जस कि । आसीट्टरवाल वा—पील वक्ष क प्रवाल—पत्र । निगोह प०—अप्राथ वर ना
 के पत्ते । पिल्लु प—पिप्परी वक्ष क फल । नियू(पू)रप०—नदी वक्ष के फल । सत्तइ प०—
 गत्य वक्ष क फल तथा । अनवर—अय । तहपगार—इसी प्रकार क । पवालजाय—पत्त ।
 आमग—कच्च है । असत्यप०—जो गन्ध परिणत ना है ता उह । अफासुय—अप्रासुक
 जानकर अण न करे । स मिवलू वा—साधु या साधवा गृहपति कुल में जान पर ।
 से ज पुण—वह फिर । सरडयजाय—सरडु जात—अवदान्धि फल जिसमे अभी तक गुठनी नही
 बना है एम सुकामल फल का । जाणिजा—जान । तजहा—जस कि । अथसरडुय वा—
 आम का सुकामल फल । क्विटठसर०—क्वित्थ का सुकामल फल । दाडिमसर०—अनार
 का सुकामल फल । बिलसर—बिल का सुकामल फल तथा । अनवर—अय । तहपगार—
 इसी प्रकार । सरडयजाय—सुक मल फल हो जा आम—कच्च है । असत्यप०—जिसको
 गन्ध परिणत नहा हुआ है मिनन पर भी अप्रासुक जानकर उसे ग्रहण न करे । स मिवलू
 वा—साधु या साध्वी गृहपति कुल म प्रविष्ट हान पर । से ज पु०—फिर इस प्रकार
 जान । तजहा—जस कि । उवरमथु वा—उदुम्बर फल का चण । निगोह म—वट वृक्ष क
 फल का चूण । पिल्लु म—पिप्परी फल का चूण । आसोत्थम०—अश्वत्थ पीपल का चूण ।
 अनवर—तथा अय । तहपगार—इसी प्रकार का । मथुजाय—मथुजात चूण । आमय—
 कच्चा है । दुम्बक—बाडा पीसा हुआ है । साणबाय—जिसका यानि बीज विध्वस्त नहा हुआ
 है तो । अफासुय०—उस अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहपति के घर मे प्रविष्ट जलज वन्द, और सपपनालिका

कन्द तथा इसी प्रकार का अन्य कोई कच्चा कन्द जिसको शस्त्रपरिणत नहीं हुआ ऐसे कन्द आदि को अप्रासुक जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने पर साधु वा साध्वी पिप्पली, पिप्पली का चूर्ण, मिरच, मिरच का चूर्ण, अदरक, अदरक का चूर्ण, तथा इसी प्रकार का अन्य कोई पदार्थ या चूर्ण, कच्चा और अशस्त्र परिणत-जिसे शस्त्र परिणत नहीं हुआ मिलने पर अप्रासुक जान कर ग्रहण न करे ।

गृहपति के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी प्रलम्बजात फलजात-फल समुदाय को जाने, यथा—आमूप्रलम्ब आमफल का गुच्छा—फलसामान्य, अम्बाडग फल, ताडफल, लताफल, सुरभि फल, और शल्यकी का फल तथा इसी प्रकार का अन्य कोई प्रलम्बजात कच्चा और जिसे शस्त्र परिणत नहीं हुआ मिलने पर अप्रासुक जान कर ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी प्रवालजात-पत्र समुदाय को जाने यथा अश्वत्थ प्रवाल, न्यग्रोध-बट प्रवाल, प्लक्ष प्रवाल, निपूर प्रवाल, नन्दी वृक्ष प्रवाल और शल्यकी प्रवाल तथा इसप्रकार का कोई अन्य प्रवालजात कच्चा अशस्त्रपरिणत जिसे शस्त्रपरिणत नहीं हुआ, मिलने पर अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

गृहपति के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी अबद्धास्थि फल—कोमल फल को जाने, जैसे कि—आमू वृक्ष का कोमल फल, कपित्थ का कोमल फल, अनार का कोमल फल और त्रिल्व का कोमल फल तथा इसी प्रकार का अन्य कोमल फल जोकि कच्चा और शस्त्र परिणत नहीं, मिलने पर भी अप्रासुक जान कर साधु को उसे परिग्रहण न करना चाहिए ।

गृहस्थी के घर में प्रविष्ट साधु या साध्वी मन्थु के सम्बंध में जान-

बारी करे जैसे—उदुम्बर मधु चूण, श्यग्रोधमधु, प्लक्षमधु अश्वत्य मधु, तथा इसी प्रकार का अथ मन्थुजात जाकि कच्चा और थोडा पोसा हुआ तथा सवोज अर्थात् जिसका कारण-योनि बीज वि वस्त नही हुआ ऐसे चूर्ण जात को मिलने पर भी अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि माधु को अपरिवर्ण मूल, वनस्पति एवं फल आदि नहीं लेने चाहिए । यदि कच्ची सन्धी शस्त्रपरिणत हो गई है तो यह प्राण्य है, परन्तु, जत्र तत्र यह शस्त्रपरिणत नहीं हुई है, तत्र तत्र मवित्त है, अतः साधु के लिए अप्राण्य है ।

विराहित्य का अर्थ है—जमीन में उत्पन्न होने वाला वन्द विशेष । 'पलम्ब जाय' का तात्पर्य फल से है । 'मन्दा परिण फल का तात्पर्य है—यह फल निम में अभी तत्र गुठली तहीं बधी है, ऐसे सुकोमल फल को सरदुप' कहते हैं 'मधु' का अर्थ चूर्ण होता है और 'साधुशय' का तात्पर्य है—यह बीज निम ही योनि का अभी नारा नहीं हुआ है । 'भि-भगे' शब्द लता विशेष का बोधक है । इस पाठ का तात्पर्य यह है कि माधु को मवित्त वनस्पति को ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

पुन आहार के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— से भिक्षु वा० से ज पुण० ग्रामडाग वा पृ-
पिन्नाग वा महु वा मज्ज वा सपि वा खोल वा पुराणग वा
इत्थ पाणा अणुपसूयाड जायाड मचुड्ढाड अब्बुक्कताइ अप-
रिणया इत्थ पाणा अविद्धत्था नो पडिगाहिज्जा ॥४६॥

छाया — स भिक्षुर्वा० स पत् पुन० आम पत्रम् वा वृत्तिविषयाक वा
मधु वा पत्र वा सर्पि वा खोल वा पुराणक वा अत्र प्राणा अनसूता जाता
सवृद्धा अणुत्कान्ता अपरिणता अत्र प्राणा (प्राणिने) अपिष्वन्ता नो
प्रतिगमहीयात् ।

पदार्थ—से—वह। भिक्खू ३१०—साधु अथवा साध्वी। से जं पुण—गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ यदि इस प्रकार जाने कि। आमडागं वा—अर्द्धपक्व अ क अथवा, पूइपिन्नागं—मडी हुई खल अथवा। महु वा—मधु। मज्ज वा—मद्य। सर्पि वा—घृत। खोल वा—अथवा खोल—मद्य के नीचे का कर्दम-कीच। पुराण वा—ये पुराने पदार्थ। इत्थ—इनमें। पाणा—प्राणी—जीव। अणुप्पसूयाइं—उत्पन्न होते हैं। जायाइ—प्राणियों का जन्म होता है। सवुड्ढाड—वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अव्वक्कताइ—व्युत्क्रान्त नहीं होते हैं तथा। अपरिणया—परिणत नहीं होते हैं। इत्थ—इनमें। पाणा—प्राणी। अबिद्धत्था—विध्वंस को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसके मिलने पर भी। नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे।

मूलार्थ—गृहपति कुल में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी अर्द्धपक्व शाकं, सडी हुई खल, मधु, मद्य, सर्पि-घृत, खोल-मद्य के नीचे का कर्दम-कीच इन पुराने पदार्थों को ग्रहण न करे, कारण कि—इन में प्राणी-जीव उत्पन्न होते हैं, जन्मते हैं, तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं और इन में प्राणियों का व्युत्क्रमण, परिणमन तथा विध्वंस नहीं होता, इसलिए मिलने पर भी उन पदार्थों को ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को कच्चा पत्र, (वृक्षादि का पत्ता), सचित्त पत्र या अर्द्धपक्व पत्र एवं शाक-भाजी आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए और सडी हुई खल एवं पुराना मद्य, मधु (शहद), घृत और मद्य के नीचे जमा हुआ कर्दम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये पदार्थ बहुत दिनों के पुराने होने के कारण उनका रस विचलित हो जाता है और इस कारण उनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मुनि को ये पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त मधु एवं घृत तो साधु के लिए कल्पनीय हैं। परन्तु, मद्य अकल्पनीय है, अतः मद्य शब्द कुछ विचारणीय है। क्योंकि सूत्र में कहा गया है कि पुराना मद्य एव उसके नीचे जमा हुआ कर्दम (मैल) नहीं लेना, तो इसका अर्थ यह है कि नया मद्य लिया जा सकता है। किन्तु, आगमों में मद्य एवं मांस का सर्वथा निषेध किया गया है। अतः यहां इरका यह अर्थ है—मद्य के समान गुण वाला पदार्थ। यदि इसका तात्पर्य शराब से होता तो उसके अन्य भेदों का उल्लेख भी करते। क्योंकि सूत्र की यह एक पद्धति है कि जिस वस्तु का उल्लेख करते हैं, उसके सब भेदों

का नाम गिना दते हैं। यहाँ अमय शब्द के साथ अय नामों का उल्लेख नहीं होने से एमा लगता है कि मय का अर्थ होगा—उसने सदृश पदार्थ। आगम में युगलियों के अधिभार में दस प्रकार के कल्पपत्रों में 'मानव' कल्प वृत्त का नाम आता है। उसके फल मय के ममान प्रादन होते हैं। आज्ञाफल मण्डप के फलों की उसका ममान समझ सकते हैं। इममें स्पष्ट है कि मय शब्द मदिरा का बोधक नहीं है। आगम में मदिरा का प्रयत्न शब्दों में निषेध किया गया है। इममें लिंग तन्त्रात्मक सूत्र का रत्ना अभ्ययन द्रष्टव्य है। तन्त्रात्मक सूत्र प्रायः आचाराङ्ग का पद्यानुशासन है। इमसे प्रस्तुत सूत्र का मदिरा सन्देश पदार्थ अर्थ ही उपयुक्त प्रतीत होता है।

आहार के नियम में और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम् — से भिक्खू वा० से ज० उच्चुमेरु वा अककरेलुग
वा कसेरुग वा मिघाडग वा पूड यालुग वा यन्नवर वा० ।
से भिक्खू वा० से ज० उप्पल वा उप्पलनाल वा भिस वा भिम-

ॐ जीवाभिगम सूत्र ।

† सुर वा मरुग वावि अन्न वा मज्जग रम ।
ससवन्न न पिब भिक्खू जम सारवन्नमपणी ॥
पियण णमो तेणी न मे वाइ विमानइ ।
तम्म परसह दोसाट्ठ नियडि च सुणह म ॥
वडडइ सुत्थिमा तस्म माया मोम च भिक्खणी ।
अयमो अ अतिवाण, सयय च असाट्ठमा ॥
निच्चुत्थिगो जहा तणो अत्तकम्महि दुम्मइ ।
तारिसो मरणते वि, न आराहइ सबर ॥
आयारिए नाराहइ समण आवि तारिसो ।
गिहया विण गरिट्ठि जेण जाण ति तारिम ।
एव सु अगुणपट्टी गुणाण च विवज्जए ।
तारिसो मरणतवि ण आगण्डेइ सबर ॥
तव कुच्चइ मेहावी षणीय वज्जण रम ।
मज्जापमायविरमो, तवस्सो अइवक्खमा ॥

मुणालं वा पुक्खलं वा पुक्खलविभंगं वा अन्नयरं वा
तहप्पगारं० ॥४७॥

छाया—स भिक्षुर्वा म यत् इच्छु मेरक वा अंककरेलुक कसेरुं वा
शृगाटक वा पूतिआलुक वा अन्यतरद् वा० (तथाप्रकारं) ।

म भिक्षुर्वा० म यत् उत्तस वा उत्पन्ननालं वा त्रिसं वा विममृणालं वा
पुक्कर वा पुक्करविभंगं वा अन्यतरद् वा तथाप्रकारं० ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खुवा—साधु अथवा साध्वी । से जं—फिर इस प्रकार
जाने यथा । उच्छु मेरगं वा—इक्षुखण्ड—गंडेरी । अंककरेलु वा—अंक करेलु नाम वनस्पति
कसेरुग वा—कसेरु । सिघाडगं वा—सिघाडे । पूइ आलुग वा—पूतिआलुक-वनस्पति विशेष
अन्नयरं वा—तथा इमी प्रकार की अन्य वनस्पति जो कच्ची शस्त्र परिणत न हो, तो
उसे अप्रासुक जान कर साधु ग्रहण न करे ।

से—वह । भिक्खु वा—साधु या साध्वी गृहस्थ के घर जाने पर । से जं पुण०—
फिर इस प्रकार जाने यथा । उप्पल वा—उत्पल कमल । उप्पल नाल वा—उत्पल कमल की
नाल । भिस वा—कमल का कन्द मूल । भिसमुणाल वा—कमल के कन्द के ऊपर की लता
पुक्खलं वा—कमल की केसर । पुक्खलविभंगं वा—कमल का कन्द । अन्नयर वा—तथा ।
अन्य । तहप्पगार—इसी प्रकार का कन्द आदि जो कच्चा और अशस्त्र परिणत हो तो उसे
साधु मिलने पर भी अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—गृहपति कुल में प्रवेश करने पर साधु या साध्वी इस प्रकार
से जाने, यथा—इक्षुखण्ड—गंडेरी, अंककरेलु नामक वनस्पति, कसेरु, सिघाडा
और पूति आलुक तथा अन्य इसी प्रकार की वनस्पति विशेष जो शस्त्र
परिणत नहीं हुई, उसे मिलने पर भी अप्रासुक जान कर साधु ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी यदि यह जान ले
कि उत्पल-कमल, उत्पलकमल की नाल, उसका कन्द-मूल, उस कन्द के ऊपर
की लता, कमल की केसर और पद्म कन्द तथा इसी प्रकार का अन्य कन्द
कोई कच्चा हो, जिसको शस्त्र परिणत नहीं हुआ हो तो साधु मिलने पर भी

उमे अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

हिन्दी प्रिवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को इलुगड, कसेरु सिंधुडा, उपल (फमल), उपल नाल (कमल की डडी), भूणाल (कमल के नीचे का कद) आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए । क्योंकि ये संचित होते हैं, अतः जब तक शत्रुपरिणत न हों तब तक साधु के लिए अप्राप्त्य हैं ।

इस विषय में और पदार्थों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—से भिक्षु वा २ मे जपु० अग्गवीयाणि वा मूल-
वीयाणि वा खधवीयाणि वा पोरवी० वा अग्गजायाणि वा मूल-
जा० वा खधजा० वा पोरजा० वा नन्नत्थ तक्कलिमत्थएण वा
तक्कलिसीसेण वा नालियेरमत्थएण वा खज्जूरिमत्थएण
वा तालम० अन्नयर वा तह० । से भिक्षु वा २ से ज०
उच्छु वा काण्णं वा अगारिय वा ममिस्स विगदूमिय वित
ग्गम वा कदलीउसुग अन्नयर वा तहपगा० ।

मे भिक्षु वा० से ज० लसुण वा लसुणपत्त वा ल० नाल
वा लसुणकद वा ल० चोयग वा अन्नयर वा० । से भिक्षु
वा० से ज० अच्छिय वा कुभिपक्क वा तिट्ठुग वा वेलुग वा काम
वनालिय वा अन्नयर वा तहपगार याम असत्थप० । से
भिक्षु वा० से ज० फण वा कण्णडुग वा कण्णप्रयलिय वा
चाउल वा चाउलपिट्ठ वा तिल वा तिलपिट्ठ वा तिल

पप्पड़र्गं वा अन्नयरं वा तहप्पगार आमं अन्त्यप० लाभे-
संते नो प० , एयं खलु तस्स भिक्खुस्स सामग्गियं ॥४८॥

छाया—स भिक्षुर्वा अथ यत् पुनः० अग्रबीजानि वा मूलबीजानि वा
स्कन्धबीजानि वा पर्वबीजानि वा, अग्रजातानि वा मूलजातानि वा, स्कन्ध-
जातानि वा पर्वजातानि वा नान्यस्माद्, तक्कलीमस्तकेन वा तक्कलीशीर्षेण
वा नालिकेरमस्तकेन वा खर्जूरमस्तकेन वा तालमस्तकेन वा अन्यतद्
वा तथाप्रकार० ।

स भिक्षुर्वा २ अथ यत् इक्षु वा काणक वा अगारतिकुं वा समिश्र वृक-
भक्षित वेत्राग्रं कन्दचीमध्या अन्यतरद् वा तथाप्रकारं ।

स भिक्षुर्वा० अथ यत् लशुन वा लशुनपत्र वा लशुननाल वा लशुन-
कन्द वा लशुनचोदक वा अन्यतरद् वा० स भिक्षुर्वा० स यत् अस्थिकं वा
कुंभिपक्क वा तिन्दुकं वा चिंत्व वा काश्यपनालिकां वा अन्यतरद् वा तथा-
प्रकारं आमं अशस्त्रपरिणतं ।

स भिक्षुर्वा० स यत् कणं वा कणकुडकं वा कणपूपलिकां वा
ओदन वा ओदनपिष्टं वा तिल वा तिलपिष्टं वा तिलपर्पटकं वा
अन्यतरद् वा तथाप्रकार आमं अशस्त्रपरिणतं लाभेसति न प्रातगृहणीयात् ।
एवं खलु तस्य भिक्षोः सामग्र्यम् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी गृहपति कुल मे प्रविष्ट हुवा ।
से ज—इस प्रकार जाने, जैसे कि— । अग्रबीयाणि वा—अग्रबीज, जपा कुसुमादि, अगवा ।
मूलबीयाणि वा—मूल बीज—जात्यादि । खधबीयाणि वा—स्कन्ध बीज—सल्लवयादि । पोर-
बीयाणि—पर्व बीज—इक्षु दण्डादि अथवा । अग्रजायाणि वा—अग्रजात-अग्रभाग मे उत्पन्न
होने वाले । मूल जा०—मूल जात--मूल मे उत्पन्न होने वाले । खध जा०—स्कन्ध जात—
स्कन्ध मे उत्पन्न होने वाले । पोर जा०—पर्वजात-पर्व मे उत्पन्न होने वाले । नन्त्य—
इतना विशेष है कि ये उक्त स्थानो मे उत्पन्न होते है अन्य स्थानो पर नहीं, अतः इनको
अग्रजातादि कहते है । ण—यह वाक्यालकार में है । तक्कलि मत्थए—कन्दली के मध्य का
गर्भ तथा । तक्कलिसीसे—कन्दली स्तवक । णालिएरमत्थए—अथवा नारियल का मध्य

गभ । सृज्जर मत्थए - सृज्जर का मध्य गभ अथवा ताल मत्थए - ताल का मध्य गभ, तथा ।
अनवर वा - अय । तहृप्पगार - इसी प्रकार का । ग्राम - व का घोर त्रिपदा गम्भ परिणत
नही हृप्रा, मिनन पर अग्रामक जान कर ग्रहण न करे ।

ग - वः । मिक्खू वा२ - साधु अथवा साध्वी गम्भ्य व धर मे प्रवेग करन पर ।
स ज० - एथ प्रकार जान, यथा । उच्छ वा - उभ घोर एभ के समान अ य वनस्पति का
तथा । काण वा - याधि विणय म मच्छि हृई वनस्पति को । अगारिण वा - अथवा अतु
विणय मे जिसका वण घोर हो गया हो । मामस्स - वः वनस्पति जिमको स्वचा फणी हृई
हो । विगत्तमिय - वक या यात भक्षित अर्थात् जिस वक या शृगान अति न खाया हृप्रा
हो । वितेग्ग वा - वनस वत का अग्र भाग अथवा । कदलीऊग - कः की का मध्य-
भाग तथा । अनवर वा - अय । तहृप्पगार - इसी प्रकार का कच्ची घोर अगम्भ परिणत
वनस्पति मिनने पर अग्रामुक जानकर साधु उम प्रहण न करे ।

से-वह । मिक्खू वा० - साधु अथवा साध्वी गम्भ्य कुल मे प्रवेग करन पर ।
से ज पुण० - फिर इस प्रकार जाने यथा । लसुण वा - लगुन को । लसुणपत्त वा - लगुन
क पत्र का । लसुण ताल वा - लगुन का ताल का अथवा । लसुण क्व वा - लगुन कः को
लसुणबोयग वा - लगुन क ऊपर की छाल छिलका, तथा । अनवर वा - अय ।
तहृप्पगार० - इसी प्रकार की कच्ची घोर अगम्भ परिणत वनस्पति मिनने पर अग्रामुक जान
कर उसे ग्रहण न करे ।

स-वह । मिक्खू वा० - साधु या साध्वी गम्भ्य कुल मे प्रवेग होने पर ।
से व - फिर इस प्रकार जान यथा । अच्चिय वा - अस्तिक नाम के वक्ष विणय का फल,
तथा । कमिपवक - गत आदि में धए अति स पकाया हुआ । तिदुग वा - तिदुग वक्ष क
फल । वेत्तुग वा - अथवा वित्व वक्ष का फल । कासवानालिय वा - शीपणिफत्र तथा ।
अनवर वा - अय कोई । तहृप्पगार - इसी प्रकार का । ग्राम - कच्चा । असत्थ प० -
अगम्भ परिणत पत्र विणय मिलन पर अग्रामुक जानकर ग्रहण न करे ।

से-वह । मिक्खू वा - साधु या साध्वी गम्भ्य क धर मे प्रवेग करन पर । से
ज० - यदि इस प्रकार जान जस कि । कण वा - गाल्यादि के कण । कण कुडग वा -
कणो अति स मिश्रित ठानस । कणपुयलिय वा - कणा स मिश्रत्र राणी अर्थात्
द पक्कराटिका । चाउल वा - अथवा चावल । चाउलपिटठ वा - अथवा चावलों
का पिठ-घाटा । तिल वा - तिल । तिल पिठ्ठ वा - अथवा तिल पिठ्ठ - (तिलकृत)
तथा । तिलपण्डग वा - तिल पण्डिका-तित्र पापडी तथा । अनवर वा - अय कोई ।
तहृप्पगार - इसी प्रकार का । ग्राम - कच्चा । असत्थ प० - अगम्भ परिणत पत्र विणय ।

लाभे सते—मिलने पर । नो प०—ग्रहण न करे । एवं—इस प्रकार । खलु—निश्चय ही । तस्स—उस । निक्खुस्स—भिक्षु का । सामगियं—समग्र भिक्षुभाव अर्थात् सम्पूर्ण आचार है ।

मूलार्थ—गृहपतिकुल मे प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी अग्रवीज, मूलवीज, स्कन्धवीज, तथा पर्ववीज, एवं अग्रजात, मूलजात, स्कन्धजात पर्वजात, इनमे इतना विशेष है कि ये उक्त स्थानो से अन्यत्र उत्पन्न नहीं होते, तथा कन्दली के मध्य का गर्भ, कन्दली का स्तवक, नारियल का मध्यगर्भ, खजूर का मध्यगर्भ और ताड का मध्यगर्भ तथा इसी प्रकार की अन्य कोई कच्ची और अशस्त्रपरिणत वनस्पति, मिलने पर अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी इक्षु [ईख] को, सच्छिद्र इक्षु को तथा जिसका वर्ण बदल गया, त्वचा फटगई एव शृगालादि के द्वारा खाया गया ऐसा फल, तथा वैत का अग्रभाग और कन्दली का मध्यभाग तथा अन्य इसी प्रकार की वनस्पति, जो कि कच्ची और शस्त्र परिणत नही हुई, मिलने पर अप्रासुक जानकर साधु उसे स्वीकार न करे ।

गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी लशुन, लशुन के पत्र, लशुन की माल और लशुन की बाह्यत्वक्-बाहर का छिलका, तथा इसी प्रकार की अन्य कोई वनस्पति जो कि कच्ची और शस्त्रोपहत नही हुई है, मिलने पर अप्रासुक जान कर उसे ग्रहण न करे ।

गृहपति कुलमे प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी अस्तिक (वृक्षविशेष) के फल, तिन्दुकफल, बिल्वफल और श्रीपर्णीफल, जोकि गर्त आदि मे रखकर धूएं आदि से पकाए गए हो, तथा इसी प्रकार के अन्यफल जोकि कच्चे और अशस्त्र परिणत हो मिलने पर अप्रासुक जान कर उन्हें ग्रहण न करे ।

गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ साधु या साध्वी शाल्यादि के कण कणमिश्रितछाणस, कणमिश्रित रोटी, चावल, चावलो का चूण छाटा, तिल, तिलपिठ— तिलकुट और तिलपपट—तिलपपड़ी तथा इसी प्रकार का अन्य पदार्थ जाकि कच्चा और अशुभ परिणत है, मिलने पर अप्राप्तक जान कर उसे ग्रहण न करे। यह मानु को समग्र-मम्पूर्ण आचार है।

हिंदी निबन्ध

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि अप्रजित, मूलजित, स्थजित, पवजित, अप्रजात, मूलजात, स्थजात, परजात कदका, सचूर का एव ताड़ का मध्य भाग तथा इन्डु या गूगल आदि से खाया हुआ फल, लहसुन की छिलका, पत्ता, रज्जु या बिल्व आदि के फल आदि सभी तरह की वनस्पति जो अचित्त है, अपक्व है शस्त्र परिणत नहीं हुआ है, तो साधु को उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अप्रजित' एवं 'अप्रजात' में यह अंतर है कि अप्रजित को भूमि में बो देने पर उस वनस्पति के उद्वहन के बाद उससे अप्रभाग में बीज उद्वन्त होता है, जबकि अप्रजात अप्रभाग में ही उद्वन्त होता है, अथवा नहीं। वृत्तिकार ने 'न नत्व' शब्द के दो अर्थ किए हैं— एक तो अथवा उत्पन्न नहीं होते हैं और दूसरा अथ यह किया है कि कदली (केला) आदि फला का मध्य भाग उद्वहन होने से नष्ट हो जाता है। इस तरह के फल अचित्त होने से प्राह्य हैं। परन्तु, उन अचित्त फलों को छोड़ कर, अथ अपक्व एवं शस्त्र से परिणत नहीं हुए फला का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह गूगल आदि पशु या पक्षिया के द्वारा थोड़ा मात्रा खाया हुआ तथा आग के धुएँ से पतया हुआ फल भी अप्राह्य है।

प्रस्तुत सूत्र का अनुशीलन परिशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उस युग में साधु प्रायः वनीचा में ठहरते थे। गूगल आदि द्वारा भक्षित फल वनीचा में ही उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि गूगल आदि जङ्गलों में ही रहने एवं घूमने हैं व वनों में आकर फला को नहीं खाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उस युग में साधु अधिस्तर वनीचा में ही ठहरते थे। इसी कारण वनस्पति की प्राह्यता एवं अप्राह्यता पर विशेष रूप से विचार किया गया है। जैसे गम पानी के बरसे भी बन्ते हैं, पर व फिर भी वह पानी साधु के लिए अप्राह्य है। इसी तरह कृत्रिम साधना से प्रकाश जान वाले फल

भी अप्राण हैं । क्योंकि वह उग्रण योनि के जीवों का समूह होने से सचित्त हैं । उमी तरह कुछ फल ऐसे हैं, जो अपक्व एवं शस्त्र परिणत नहीं होने के कारण साधु के लिए अप्राण है । इस तरह साधु को सञ्जी ग्रहण करते समय उसकी सचित्तता एवं अचित्तता का मूझ अवलोकन करके ग्रहण करना चाहिए । इस तरह प्रासुक सञ्जी ग्रहण करने पर ही उसका अहिसा महाव्रत निर्दोष रह सकता है । अस्तु साधु के लिए अप्रासुक, अनेपणीय सञ्जी ग्रहण करने का निषेध किया गया है ।

'त्तिवेमि' का अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिए ।

॥ अष्टम उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन पिण्डेपणा

नवम उद्देशक

प्रस्तुत उद्देशक म भी अनरण्योय आहार आदि का निषेध करते हुए सूत्रार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा ४ मतेगड्या मड्ढा भवति, गाहावई वा जाव कम्मकरी वा तेमि च ण एव वुत्तपुव्व भवड्जे इमे भवति ममणा भगवता सीलवतो वयवतो गुण वतो मजया सवुडा वभयारी उवरया मेहुणाओ धम्माओ, नो खलु एसि कण्ण्ड आहाकम्मिए असणे वा ४ भुत्तए वा पायए वा, से ज पुण इम अम्ह अण्णो अट्ठाए निट्ठिय त अमण ४ सव्वमेय ममणाण निमिरामो अविआड वय पच्छा अण्णो अट्ठाए अमण वा ४ चेइस्सामो, एयण्णार निग्घोस सुच्चा निमम्म तहण्णार अमण वा ४ अफासुय० ॥४६॥

छाया—इह खलु प्राचीन वा ४ म त्पेक्का श्रद्धा भवति, (श्रद्धा लवो भवेयु) गृहपतिवा यावत् कर्मकरी वा तेषा च एव उक्त पूव भवति (भवेत्) ये इम भवति भ्रमणा भगवन्त शीलवन्त प्रतवन्त गुणवन्त सयता सवृता ब्रह्मचारिण उपरत मैथुनाद् धर्मात्, न खलु एतेषा कल्पते आधाकर्भिक, अशनरा ४ भोवतु वा गातु वा स यत् पुन इद अस्माक

आत्मार्थं निष्ठितं तद् अशनं वा ४ मर्ष एतेभ्यः श्रमणेभ्यः निसृजामः-
प्रयच्छामः, अपि च वयं पशवान् आत्मार्थं अशनं वा ४ चेतयिष्यामः । एतत्
प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा निश्चयं तथाप्रकारं, अशनं वा ४ अप्रासुकं — (यावत्-
न प्रतिगृह्णीयात्) ।

पदार्थ—इह खलु—इह शब्द वाक्योपन्यास अर्थ में, तथा प्रज्ञापक क्षेत्र के अर्थ में
है, और खलु शब्द वाक्यालंकार में है । पार्श्वण वा ४—प्रज्ञापक की अपेक्षा से पूर्व दिशा में,
पश्चिम दिशा में तथा उत्तर और दक्षिण दिशा में अर्थात् पूर्वादि दिशाओं में । संतेगइया—
अनेक पुरुष हैं उनमें कई एक । सड्ढा भवति—श्रद्धालु-श्रद्धावाले भी होते हैं यथा । गाहावड
वा—गृहपति । जाव—यावत् । कम्म करीवा—काम करने वाली दासी आदि । च—पुन ।
णं—वाक्यालंकार में है । तेसिं—उनके परस्पर मिलने पर । एव—इस प्रकार । वुत्त पुं-
वड—पहले वार्तालाप होता है, जैसे कि । जे इमे—जो वे । समणा—श्रमण । भगवतो—
भगवान् । शीलवतो—शील वाले अर्थात् अष्टादश सङ्ख्यगीलाग रथ धारा के धारण करने
वाले तथा । वदन्तो—व्रतधारी अर्थात् पाच महाव्रत और छठा रत्रि भोजन विरमण त्याग
व्रत को धारण करने वाले एव । गणवतो—पिण्ड विशुद्धि आदि उत्तमगुणों को धारण करने
वाले । संजया—सयत-अर्थात् इन्द्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने वाले । सवुडा—प्रासुक
को बन्द करने वाले । वभयारी—ब्रह्मचारी अर्थात् नव विध ब्रह्मचर्य गुप्ति में युक्त । मेहुआओ
अम्माओ—मैथुन धर्म से । उवरया—उत्तम-निवृत्त । भवति—होते हैं । खलु—वाक्यालंकार
में है । एएसिं—उनको । आहाकम्मिण्—आधार्कमिक । पसण वा ४ । अशनादिक ।
चतुर्विध आहार । भुत्तए वा—खाना । पायए वा—पीना । नो—नहीं । कप्पइ—कल्पना
पुण—फिर । से ज—वह जो । इम—यह । अम्ह—हमारे । अठठां—वास्ते । तिठ्ठिथ ।
वना हुआ है । तं—वह । असण वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार । सव्वमेय—सभी ।
समणाण—इन श्रमणों को । निसिरामो—दे देते हैं । अविदाड—अपिच और फिर । वयं—
हम । पच्छा—पीछे में । अप्पणो अट्ठे—अपने लिए । असण वा ४—अशनादिक चतुर्विध
आहार । चेइस्तामो—और वना लेंगे । एवप्पगारं—इस प्रकार के । निग्घोस—शब्द को ।
धुत्तवा—सुनकर । निसम्म—विचार कर । तहप्पगार—वह साधु इस प्रकार के । असण०—
अशन दि चतुर्विध आहार को । अकासुय—अप्रासुक जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—इस क्षेत्र में पूर्वादि चारों दिशाओं में कई गृहपति एव उनके
परिजन आदि श्रद्धावान् सद्गृहस्थ रहते हैं, और वे परस्पर मिलने पर
इस प्रकार बातें करते हैं कि ये पूज्य श्रमण शील निष्ठ हैं, व्रतधारी हैं,

गुण संपन्न है, सयमी है, सवृत आस्रवो का निरोध करने वाले हैं, परम ब्रह्मचारी हैं, मैथुन धर्म से सवथा निवृत्त है। इनको आधाकमिक अशनादि चतुर्विध आहार लेना नहीं कल्पता है। अतः हमने जो अपने लिए आहार बनाया है, वह सब आहार इन श्रमणों को दे देंगे, और हम अपने लिए और आहार बना लेंगे। उनके इस प्रकार के वानलिाप को सुन कर तथा विचार कर साधु इस प्रकार के आहार का अप्रासुक जानकर मिलने पर भी ग्रहण न कर।

हि १। विन्यत

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपने घर में आया हुआ देखकर यदि कोई श्रद्धालु गृहस्थ एक-दूसरे से कह कि ये पूज्य श्रमण मयम निष्ठ है शीलमान हैं ब्रह्मचारी हैं। इसलिए ये आधाकम आदि नोपों में यज्ञ आहार नहीं लेने हैं। अतः हमन जो अपने लिए आहार बनाया है वह सब आहार इन्हें दे दो और अपने लिए फिर से आहार बना लेंगे। इस तरह के विचार सुन कर साधु उक्त आहार को ग्रहण न करें। क्योंकि हमने साधु का पश्चात्कम नोप लगेगा।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त तीन शब्द विशेष विचारणीय हैं— १-सङ्घा, २-असण वा ४ और ३-सङ्घासो। १-सङ्घा प्रस्तुत सूत्रम सूत्रकार ने श्रावक एवं उपासक दोनों शब्दों का उपयोग न करके 'सङ्घा' शब्द का उपयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि अंतर्धारोप्य सधसमाचाी से परिचित श्रावक इतनी भूल नहीं कर सकता कि वह पश्चात्कम का दोष लगाकर साधु को आहार दे। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तरह का आहार देना का विचार करने वाला व्यक्ति श्रद्धानिष्ठ भजन है, परंतु साधु आचार में पूरी तरह परिचित नहीं है। वह अतना तो जानता है कि ये आधाकम आदि आहार ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु उसे यह ज्ञात नहीं है कि ये पश्चात्कम दाप युक्त आहार भी ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चाहे दाता श्रद्धालु हो, प्रकृति का भद्र हो, दाता से अज्ञान हो फिर भी साधु को इस तरह का सद्योप आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए।

२- असण वा— सूत्रकार ने जगत्तगह चार प्रकार के आहार का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मद्य मांस आदि का आहार साधु के लिए सर्वथा अप्राप्य है। यदि इस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते तो जगत्तगह चार प्रकार के आहार का ही ग्रहण न करके, अन्य प्रकार के आहार को भी साथ जोड़ दते।

३-चेइस्मामो — इससे स्पष्ट होता है कि माधु को आहार देने के बाद फिर से ६ काय का आरम्भ करके आहार तैयार करने का विचार करके दिया जाने वाला आधर भी सद्योप माना गया है। अतः आहार शुद्धि के लिए माधु को बड़ी सावधानी से गवेषणा करनी चाहिए।

इसी विषय में कुछ और जानकारी कराने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मे भिक्खु वा०. वममाणो वा गामाणागामं वा
 दूइज्जमाणो से जं० गामं वा जाव रायहाणिं वा इमंसि खलु
 गामंसि वा रायहाणिंसि वा संतेगइयस्स भिक्खुस्स पुरेसंथुया
 वा पच्छासंथुया वा परिवसंति, तंजहा-गाहावई वा जाव
 कम्म० तहप्पगाराइं कुलाइं नो पुव्वामेव भत्ताए वा निक्ख-
 मिज्ज वा पविसिज्ज वा २, केवली वूया--आयाणमेयं, पुरा-
 पेहाए तस्स परो यट्ठाए अमणां वा ४ उवकरिज्ज वा उवक्ख-
 डिज्ज वा, अह भिक्खूणां पुव्वोवइट्ठा ४ जं० नो तहप्पगाराइं
 कुलाइं पुव्वामेव भत्ताए वा पाणाए वा पविसिज्ज वा निक्ख-
 मिज्ज वा २, से तमायाय एगंतमवक्कमिज्जा २, अणावायमसं-
 लोए चिट्ठिज्जा, से तत्थकालेणं अणुपविसिज्जा २ तत्थि-
 यरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं एसित्ता
 आहारं आहारिज्जा, सिया से परो कालेण अणुपविट्ठस्स
 आहाकम्मियं अमणां वा उवकरिज्ज वा उवक्खडिज्ज वा तं-
 चेगइयो तुसिणीओ उवेहेज्जा, आइइमेव पच्चाइक्खिस्सामि,

माडट्ठाण मफामे नो एव करिज्जा, मे पुवामेव आलोडज्जा
 याउमोत्ति वा मडणित्तिमा नो खलु मे रूपड आहाकम्मिय
 यसण वा ४ भुत्तए वा पायए वा, मा उवकरेहि वा उवक्खडे-
 हि, से सेववयतस्म परो आहाकम्मिय यमाण वा० उवक्खडावित्ता
 याहट्टु ढलडज्जा तहप्पगार यमाण वा० यस्सामुय० ॥५०॥

छाया—म भिन्नार्थाः वमन् वा ग्रामानुग्राम वा दूयमान म यत्
 ग्राम वा यावत् राजधानी वा अस्मिन् खलु ग्रामे वा राजधान्या वा सन्ति
 एकरूप्य (रूप्यचित्) भिन्ना पूर्वं सन्तु वा पश्चात् सन्तु वा परिमन्ति,
 तद्यथा—गृहार्ति वा यावत् करं करी, तथाप्रकाराणि कुलानि न पूर्वमेव
 भक्त्याप निष्कामत् प्रविशेद् वा, कर्त्तव्यं ब्रूयात्—कर्त्तव्यदानमतत्, पूर्व प्रच्य
 तस्य पर अथाय, अशन वा उपकृयात् वा उपसस्कृयाद् वा—(तस्य भित्तो
 क्ते पर गृहस्थोऽशनाद्यर्थं उपकृयात्-द्वौक्यदुपसृज्यजातम् तदशनादि पचेत्)
 अथ भिन्नानां पूर्वोपरिष्ठनेतन प्रतिवादि, यत् न तथाप्रकाराणि कुलानि पूर्वमेव
 भक्त्याप वा धानाय वा प्रविशेद् वा निष्कामेद् वा न तमादाय अन्तमवकाशेन
 उपकर्म्य च अनागत असलासे तिष्ठन् म तत्र शालनानुप्रविशेत् २, तत्र
 इतरतरेभ्य कुनेभ्य सामुदानिक एषणीय उपित पिंडवात् एषित्वा, आहारमा
 हारयेत् स्यात् म पर क्लोनानुप्रविष्टेभ्य आधाकर्मिकमशन वा उपकृयात्
 उपसस्कृयाद् वा तन्चैत्रं तृष्णाक उ प्रेक्षेत, आहृतमेव प्रत्याख्यास्यामि
 मातस्थान सस्पृशेत् नैव कुर्यात्, म पूर्वमेवालोकरयत् (आलोक्य च) अ युष्मन् ।
 इति वा भगिनि ! इति वा खलु मम कल्पते आधाकर्मिकमशन वा भोक्तु वा
 पातु वा, मा उपकुरु, मा उपमस्कुरु, म तस्यैव वदत पर आव कर्मिक—
 मशन वा ४ उपमस्कृत्य, आहृत्य दद्यात् तथाप्रकार, अशन वा ४
 असुप्रक० ।

पदार्थ—से - यह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी के । जाव—जंघा आदि के निर्बल होने के कारण एक ही क्षेत्र में रहते हुए । वा—अथवा । वसमाणे—मासकल्पादि विहार करते हुए । गामाणुगाम वा—या एक गाव में दूसरे गाव को । दूइज्जमाणे—जाते हुए । से—वह भिक्षु । ज—जो ऐसा जानता है कि । गाम वा—ग्राम । ज व—यावत् । रायहार्णि—वा—राजधानी को । खलु—निश्चय में । इनिं गामसि वा—इन ग्राम में अथवा । रायहार्णिसि वा—राजधानी में । सतेगइयस्म—कई एक साधु विद्यमान हैं । भिक्खुस्स—उस भिक्षु के । पुब्बसयुपा वा—माता-पिता आदि या । पच्छासंयुया वा—श्वसुर आदि परिजन । परिवसति—वसते हैं । तजहा—यथा । गाहावइ—गृहपति । जाव—यावत् । कम्मकरी—दासी, आदि रहती हैं । तहपगाराइ—इस प्रकार के । कुलाइं—कुलो में । पुब्बामेव—भिक्षा काल से पहले ही । भत्ताए वा—भोजन के लिए अथवा । पाणाए वा—पानी के लिए नो निक्खमिज्ज वा पविसेज्ज वा—न निकले और न प्रवेश करे । केवली वूया—केवली भगवान कहते हैं । आयाणमेयं—यह कर्म आने का मार्ग है, क्योंकि । पुरा पेहाए—पहले देखकर । परो—गृहस्थ । तस्स अट्ठाए—उस भिक्षु के लिए । असणं वा ४—अन्ननादिक चतुर्विध आहार को । उवकरिज्ज वा—एकत्रित करेगा तथा । उवक्खडिज्ज वा—पकाएगा । अह—अथ । भिक्खूणं—भिक्षुओं को । पुव्वोवइट्ठा ४—पूर्वोपदिष्ट प्रतिज्ञा हेतु कारण और उपदेश का भगवान ने प्रतिपादन किया है । जं—जो । तहपगारं—तथा प्रकार के । कुलाइं—कुलो में । पुब्बामेव—पहले ही । भत्ताए वा—भोजन के लिए अथवा । पाणाए वा—पानी के लिए । नो पविसिज्ज वा निक्खमिज्ज वा—न तो प्रवेश करे और न ही निकले किन्तु । से—वह भिक्षु । तमायाय—उन कुलो को जानकर । एगनमवक्कमिज्जा—एकान्त में चला जाए वहा जाकर । अणावयमसलोए—जहा पर न कोई आता—जाता हो और न देखता हो, ऐसे स्थान पर । चिट्ठिज्जा—ठहर जाए । से—वह भिक्षु । तत्थ—उस ग्रामादि में—जहा सम्बन्धी लोग रहते हैं । कालेण—भिक्षा के समय पर । अणुपविसिज्ज २—उनके घरमें प्रवेश करे और निकले । तत्थियरेयरेहि—वह स्वजन रहित अन्य । कुर्लेहि—कुलो से । सामुदाणिय—सामुदायिक—बहुत से घरों की भिक्षा । एसिय—एपणीय अर्थात् उद्गमादि दोषों से रहित । वेसिय—केवल साधु वेष से प्राप्त अर्थात् उत्पादनादि दोषों से रहित । पिडवाय—पिडपात-भिक्षा की । एसित्ता—गवेपणा करके । आहार—आहार का । आहारिज्जा—भक्षण करे । सिया—कदाचित् । से परो—वह गृहस्थ । कालेण—साधु के भिक्षा के समय । अणुपविट्ठस्स—प्रवेश करने पर भी । आहाकम्मिय—आघाकर्मी । असण वा—आहार-पानी । उवकरिज्ज वा—एकत्रित करे अथवा । उवक्खडिज्ज वा—पकावे । तंत्थेइओ—उसे देखकर कोई साधु । तुत्तीणीओ—मीन रहे । उवेहेज्जा—इस भावना से कि । आहाबमेव—जब यह मुझे लाकर देगा । पच्छाइक्खिस्सामि—मैं इसका प्रतिषेध कर दूंगा यदि साधु ऐसा करे तो ।

माइठठाण सकासे—मानृस्थान—वप क स्पर्श होता है अतः । एव—इस प्रकार । नो कविज्जा—न करे कि तु । स—व । पुश्वामेव—पहले ही । आलोइज्जा—उपयोग पूर्वक दाने और विचार करे तत्पश्चात् के कि । आउसार्ति व—आयुधन । गन्थ (स्त्री हो तो) । मइगिति वा—ह भगिनि । ह वहिनि । छल—निश्चय ही । मे—मुझ । आहाकम्मिय—आधार्मिक । अरण वा—अग्नान्त्रिक आहार । भुत्तए वा—भोगना—खाना अथवा । पायए वा—पीना । नो कप्पइ—नहीं कल्पता है । इसणित्तू । मा उवक्खरेहि—इस एकत्र मत कर तथा । मा उवक्खरेहि—मत पका, से—वह । सेय वपत्तस्स—उसके इस प्रकार कर्त्त पर भी । परो—यदि गह्थ । आहाकम्मिय—आधार्मिक । अरण वा—अग्नान्त्रिक चतुर्विध आहार क । उवक्खड्डावित्ता—बना कर और । आहउट—नाकर साधु को । दलइज्जा—दे ता । तह पगार—साधु इस प्रकार के । अरण वा ८—आहार को । अफासय०—अधामुक्त जानकर अरण न करे ।

मूलाथ—शारीरिक अस्वस्थता एव वार्द्धक्य के कारण एक ही स्थान पर रहने वाले या ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु या साध्वी के किसी गाव या राजधानी में, माता-पिता या स्वसुर आदि सम्बन्धित रहते हो या परिचित गृहपति, गृहपत्नी यावत् दाम दासो रहती हो तो इस प्रकार क कुलो में भिक्षाकाल से पूर्व आहार पानी क लिए उनके घर में आए जाए नहीं । केवला भगवान कहन है कि यह कम आने का माग है । क्योंकि आहार क समय से पूर्व उस अपने घर में आए हुए देखकर वह उसक लिए आधार्मिक आदि दाप युक्त आहार एकत्रित करेगा या पकाएगा । अतः भिक्षु को का पूर्वोपादष्ट तावकर आदि का उपदेश है कि इस प्रकार क कुलो में भिक्षा के समय से पूर्व आहार पानी के लिए आए जाए नहीं, कि तु वह साधु स्वजनादि क कुल को जानकर और जहां पर न कोई आता जाना हो और न देखता हो, एस एका त स्थान पर चला जाए । और जब भिक्षा का समय हा तत्र ग्राम में प्रवेश करे और स्वजन आदि तस्मिन् कुलो में सामुदायिक रूप से निर्दोष आहार का अवेपण करे । यदि अभी वह गह्थ भिक्षा के समय प्रविष्ट हुए भिक्षु के लिए भी आधार्मिक आहार एकत्रित कर रहा हो या पका रहा हो और उस देख-

कर भो कोई साधु इस भाव से मौन रहता हो कि जब यह लेकर आएगा तब इसका प्रतिषेध कर दूंगा तो उसे मातृस्थान-माया का स्पर्श होता है। अतः साधु ऐसा न करे, अपितु वह देखते ही कह दे कि हे आयुष्मन्! गृहस्थ ! अथवा भगिनि ! मुझे आधाकर्मिक आहार-पानी खाना और पीना नहीं कल्पता है, अतः मेरे लिए इसको एकत्रित न कर और न पका। उस भिक्षु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह गृहस्थ, आधाकर्म आहार को एकत्रित करता है या पकाना है, और उसे लाकर देता है तो इस प्रकार के आहार को अप्रासुक जानकर वह ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में दो बातों का उल्लेख किया गया है— १-साधु आहार का समय होने से पहले अपने पारिवारिक व्यक्तियों के घरों में आहार को न जाए। क्योंकि उसे अपने यहाँ आया हुआ जानकर वे स्नेह एवं श्रद्धा-भक्ति-वश सदोष आहार तैयार कर देगे। इस तरह साधु को पूर्वकर्म दोष लगेगा। २— यदि कोई गृहस्थ साधु के लिए आधाकर्म आहार बना रहा हो, तो उसे देखकर साधु को स्पष्ट कह देना चाहिए कि यह आहार मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। यदि इस बात को जानते-देखते हुए भी साधु उस गृहस्थ को आधाकर्म आदि दोष युक्त आहार बनाने से नहीं रोकता है, तो वह माया का सेवन करता है। यदि साधु के इन्कार करने के बाद भी कोई आधाकर्म आहार बनाता रहे और वह सदोष आहार साधु को देने के लिए लाए तो साधु उसे ग्रहण न करे।

प्रस्तुत सूत्र में जो सम्बन्धियों के घर में जाने का निषेध किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि यदि उनके घर में राग-स्नेह भाव के कारण आहार में दोष लगने की सम्भावना हो तो वहाँ साधु आहार को न जाए। क्योंकि आगम में परिवार वालों के यहाँ आहार को जाने एवं आहार-पानी लाने का निषेध नहीं किया है। आगम में बताया है कि स्थविरों की आज्ञा से साधु सम्बन्धियों के घर पर भी भिक्षा के लिए जा सकता है ॥

निष्कर्ष यह है कि साधु को १६ उद्गम के, १६ उत्पादन के और १० एषणा के ४२ दोष दाल कर आहार ग्रहण करना चाहिए और प्रासैपणा के ५ दोषों का त्याग

करके आहार करना चाहिए। इस तरह साध को ४७ दोषों से दूर रहना चाहिए।

साधु को सभी दोषों से रहित निर्दोष आहार प्रदण करना चाहिए, इसका उल्लेख करके अत्र सूत्रकार उत्सव पर अपवाद में आहार प्रदण करने की विधि का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

मूलम्—सेभिक्षू वा० से ज० मस वा मच्छ वा भज्जि-
ज्जमाण पेहाए तिल्लपूय वा आएमाए उवक्खडिज्जमाण-
पेहाए नो खद्ध २ उवसकमित्तु योभासिज्जा, नन्नत्थ गिलाण-
णीसाए ॥५१॥

छाया—स भिक्षुर्वा अथ यत्० माम वा मत् य वा भज्यमान (पच्य-
मान) प्रेक्ष्य तैलपूत वा आदेशाय-उपसस्क्रियमाण प्रेक्ष्य न शीघ्र २ उपसक्रम्य
अप्रभाषेत (याचेत्) नान्यत्र ग्लान निश्रया ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु भ्रम्यवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने
पर । से ज०—वह यह जान कि । आएसाए—पाहना व लिए । मत् वा—मास । मच्छ वा—
भ्रम्यवा मत्स्य को । भज्जिज्जमाण—पकाते हुए । पेहाए—देखकर । वा—भ्रम्यवा । तिल्ल
पूय—तल प्रधान भूप (पूड)—धरति तेल व पूड । उवक्खडिज्जमाण—घनान हुए । पेहाए—
देखकर । खद्ध २—धृति शीघ्रता से । उवसकमित्तु—पाम ज कर । नो योभासिज्जा—न
मागे । नन्नत्थ—इतना विषेय है । गिलाण णीसाए—रोगी क लिए माग सकता है ।

†१६ उन्मय और १० एषणा क दोषों का उल्लेख पीछे कर चक है । प्रस्तुत प्रकरण
में बलिकार ने दोष दोषों का उल्लेख करते हुए लिखा है—

धाई, दूइ, निमित्ते आजीव वणिमगे तिमिच्छा य ।
वाहे, माण, माया लोभ य हवति इम एए ।
पुं व पच्छा सयव विरजा मते अ खुण्ण, जोभे य ।
उपायणाऽ दोसा सोलमम मूलकम्मे य ॥

घासपणा के ५ दोष—

सजोघना, पमाणे इगाल धूम कारण चर ।

—आचाराग वति ।

मूलार्थ—गृहस्थ कुल में प्रवेश करने पर साधु या साध्वी इस प्रकार जाने कि गृहस्थ अपने यहाँ आए हुए किसी अतिथि के लिए मांस और मत्स्य तथा तेन के पूड़े पका रहा है। उस समय उक्त पदार्थों को पकाते हुए देखकर वह अतिशीघ्रता से वहाँ जाकर उक्तविध आहार की याचना न करे। यदि किसी रोगी के लिए आवश्यकता हो तो उसके लिए उनकी याचना कर सकता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ अपने घर पर आए हुए आतिथि का आतिथ्य स्तकार करने के लिए कोई पदार्थ तैयार कर रहा हो तो साधु उसे देखकर शीघ्रता से उसकी याचना करने के लिए न जाए। यदि कोई बीमार साधु है और उसके लिए वइ पदार्थ लाना है तो वह उसे मांगकर ला सकता है। अतिथि के भोजन करने के पूर्व नहीं लाना यह उत्सर्ग मार्ग है और बीमार के लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिथि के भोजन करने से पहले भी ले आना अपवाद मार्ग है।

प्रस्तुत सूत्र में तैल के पूड़ों के साथ मांस एवं मत्स्य शब्द का प्रयोग हुआ है और वृत्तिकार ने इसका मांस एवं मत्स्य अर्थ ही किया है और अपवाद मार्ग में ग्राह्य वतलाया है। परन्तु, बालाबोध के लेखक उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने वृत्तिकार के विचारों की आलोचना की है, उन्हें आगम से विरुद्ध बताया है। उपाध्याय जी का कहना है कि सूत्रकार के युग में कुछ वनस्पतियों के लिए मांस एवं मत्स्य शब्द का प्रयोग होता था। आज उक्त शब्द का उस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। अतः, इससे उक्त शब्दों का वर्तमान में प्रचलित अर्थ करना उचित नहीं है।

जब हम वृत्तिकार एवं उपाध्याय जी के विचारों पर गहराई से विचार करते हैं, तो उपाध्याय जी का मत ही आगम के अनुकूल प्रतीत होता है। प्रस्तुत सूत्र में बीमार के लिए उक्त आहार लाने का उल्लेख किया गया है और तैल के पूरे एवं मत्स्य आदि बीमार के लिए पथ्यकारक नहीं हो सकते और पूर्ण अहिसक साधु की वृत्ति के भी अनुकूल नहीं हैं। जो मुनि समस्त सावद्य व्यापार का त्यागी है, वह मामिप आहार कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए उक्त शब्द वनस्पति के ही परिचायक हैं और समय की गति के साथ उनके उस युग में प्रचलित अर्थ का आज लोप हो गया है।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि उक्त शब्द वनस्पति के अर्थ में प्रयुक्त

करके आहार करना चाहिए। इस तरह माधु को ५७ तोपा से दूर रहना चाहिए।

माधु को सभी द्रव्यों से रहित निर्दोष आहार प्रदण करना चाहिए, इसका उल्लेख करके अत्र सूत्रकार उत्सग एव अपवाद म आहार प्रदण करने की विधि का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

**मूलम्—सेभिकखू वा० से ज० मस वा मच्छ वा भज्जि-
ज्जमाण पेहाए तिल्लपूय वा आएमाए उवक्खडिज्जमाण
पेहाए नो खद्ध २ उवसकमित्तु योभासिज्जा, नन्नत्थ गिलाण-
णीसाए ॥५१॥**

छाया—स भिक्षुर्वा अथ यत्० मास वा मत् य वा भज्यमान (पच्य-
मान) प्रेक्ष्य तैलपूत वा आदेशाय-उपमस्क्रियमाण प्रेक्ष्य न शीघ्र २ उपसक्रम्य
अवभाषेत (याचेत्) नान्यत्र ग्लान निश्रया ।

पदाथ—से—वह । भिक्षू वा—साधु प्रथवा साध्वी गृहणीत कुल में प्रवेश करने पर । से ज०—वह यह जाने कि । आएसाए—पाहुना के लिए । मस वा—मास । मच्छ वा—अथवा मत्स्य की । भज्जिज्जमाण—पकाते हुए । पेहाए—देखकर । वा—प्रथवा । तिल्लपूय—नल प्रघात घूप (घूठे)—घर्घान तेल के घूठ । उवक्खडि-ज्जमाण—बनाने हुए । पेहाए—देखकर । खद्ध २—अति शीघ्रता से । उवसकमित्तु—पास ज कर । नो योभासिज्जा—न माग । नन्नत्थ—इतना विशेष है । गिलाण णीसाए—रोगी के लिए माग सकता है ।

†१६ उष्ण न शीत १० एषणा न दासो का उल्लेख गीच्छे कर चुके हैं । प्रस्तुत प्रकरण में बन्धुवार न नेप दासो का उल्लेख करते हुए लिखा है—

घाई, दूध, निमित्तो, घाजीव वणिमग तिगिच्छा य ।
काह, माण, माया नोभ य हवति एम एए ।
पुट्ठि पच्छा मथव विरजा मत्त म बुण्ण, जोगे य ।
उपायणा न दोमा मोलमम मूलवम्म य ॥

घामपणा वे ५ दोष—

सजोषणा, पमाण इगान धूम कारण चर ।

—आचारान्ग वसि ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को रस (स्वाद) की आसक्ति के वश लिए हुए आहार में से अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ को ग्रहण करके, शेष अस्वादिष्ट पदार्थों को फेंक नहीं देना चाहिए। से सरस एवं नीरस जैसा भी आहार उपलब्ध हुआ है, उसे अनासन्न एवं समभाव पूर्वक खा लेना चाहिए। क्योंकि साधु का आहार स्वाद के लिए नहीं, संयम का परिपालन करने के लिए होता है। अतः उसे लिए हुए आहार में स्वाद की दृष्टि से अच्छे-दुरे का भेद करके नहीं, बल्कि सबको समभाव पूर्वक, बिना स्वाद लिए खा लेना चाहिए।

अब पानी के विषय में वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ अन्नयरं पाणगजायं पडिगाहिता
पुष्पं २ आविडत्ता कसायं २ परिट्ठवेइ, माइट्ठाणं सफासे,
नो एवं करिज्जा । पुष्पं पुष्फेइ वा कसायं कसाइ वा सव्वमेयं
भुंजिज्जा, नो किंचिवि परि० ॥५३॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अन्यतरत् पानकजातं प्रतिगृह्य पुष्पं २ आपीय कपाय २ परिष्ठापयेत् मातृस्थानं सस्पृशेत् न एवं कुर्यात् । पुष्पं पुष्पमिति वा कपायं कपाय इति वा सर्वमेतत् भुंजीत न किञ्चिदपि परिष्ठापयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा २—साधु अथवा साध्वी गृहस्थ के घर में प्रवेश करने पर । अन्नयरं—कोई एक । पाणगजाय—पानी को । पडिगाहिता—लेकर फिर उसमें से । पुष्प २—वर्ण गन्ध युक्त पानी को । आविडत्ता—पीकर और । कसायं २—कपाय अर्थात् वर्ण गन्ध रहित जल को । परिट्ठवेइ—फेंक दे तो । माइट्ठाण—उसे मातृस्थान का । सफासे—स्पर्श होता है अतः । नो एव करिज्जा—वह इस प्रकार न करे, किन्तु । पुष्प—वर्ण-गन्ध युक्त को । पुष्फेइ—वर्णगन्ध युक्त समझकर । कसायं—कपाय-वर्ण गन्ध रहित को भी । कसाइ वा—वर्णगन्ध रहित समझकर । सव्वमेयं—सभी तरह के जल का । भुंजिज्जा—पान करे, उसमें से । किंचिवि—थोड़ा सा भी । नो परि०—वाहर नहीं फेंके ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में जाने पर यदि कोई साधु या साध्वी जल को ग्रहण करके उसमें से वर्ण गन्ध युक्त जल को पीकर कपायले पानी

हुए हैं तो फिर उमरे लिए याचना करने को अपवाद मार्ग क्यों बताया गया? वनस्पति तो साधु बिना कारण भी माग कर ला सकता है। हमका समाधान यह है कि अतिथि के लिए उनाए हुए पदार्थ हमरे भोजन करने से पूर्व माग कर लाना नहीं कल्पता इसलिए यह आदेश दिया गया है कि यदि बीमार के लिए उनकी आवश्यकता हो तो साधु अतिथि के भोजन करने के पूर्व भी उनकी याचना करके ला सकता है।

आहार के विषय में श्रीर तातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० ग्रन्नयर भोयणजाय पडिगाहिता
सुविभ सुविभ भुच्चा दुविभ दुविभ परिट्ठवेड, माइट्ठाण सफासे,
नो एव करिज्जा । सुविभ वा दुविभ वा सब्भुजिज्जा, नो
किचिवि परिट्ठविज्जा ॥५२॥

छाया—स भिक्षुर्ना अन्यतरद् भोजनजात प्रतिगृह्य सुरभि २ भुक्त्वा
दुरभि २ परिष्ठापयति (परित्यजेत्) मातृस्थान सस्पृशेत् न एव कुर्यात् ।
सुरभि वा दुरभि वा सब भुज्जीत न किचिदपि परिष्ठापयेत् ।

पदाय — से—वह । भिक्षू वा० — साधु प्रयत्ना साधु गृहपति कुल में प्रवेग करने पर । ग्रन्नयर—को एक साधु । भोयणजाय—भोजन को । पडिगाहिता—ग्रहण कर उसमें स । सुंमि २—अच्छ २ पदाय । भुच्चा—खाकर । दुविभ २—खराब या निष्कण्ट पदार्थों को । परिट्ठवेड—एक दत्ता है तो उसे । माइट्ठाण—पातस्थान—माग का । सफासे—स्पश होता है मत । एव—साधु इस प्रकार । नो करिज्जा—न करे कित । सुंमि वा—सुगंध युक्त । दुंमि वा—दुगंध युक्त प्रयत्न अच्छे—बुरे । सब—सब तरह के भोजन को । भुजिज्जा—खा ले और । किचिवि—किचिमात्र भा । नो परिट्ठवि जा—एक नहीं ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में जाने पर कोई साधु या साधु वहा से भोजन लेकर उसमें से अच्छा-अच्छा खाकर शेष रुक्ष आहार को बाहर फेंक दे तो उसे मातृस्थान (माया) का स्पश होता है । इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए सुगन्धित या दुर्गन्धित जैसा भी आहार मिला है, साधु उसे समभाव पूर्वक खा ले, किन्तु उसमें से किचिमात्र भी फेंके नहीं ।

मूलम्—से भिक्खू वा० बहुपरियावन्नं भोयणजायं पडिगाहिता, वहवे साहम्मिया तत्थ वसंति संभोइया समणुन्ना अपरिहारिया, अदूरगया, तेसिं अणालोइय अणामंतिय परिट्ठवेइ माइट्ठाणं संफासे, नो एवं करिज्जा, से तमायाए तत्थ गच्छिज्जा २ से पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा पाणे वा ४ बहुपरियावन्ने तं भुंजह णं, से सेवं वयंतं परो वइज्जा-आउसंतो समणा ! आहारमेयं असणं वा ४ जावइयं २ सरइ तावइयं २ भुक्खामो वा पाहामो वा, सब्वमेयं परिसडइ सब्वमेयं भुक्खामो वा पाहामो वा ॥५४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० बहुपरियापन्नं भोजनजातं प्रतिगृह्य बहवः साधमिकाः तत्र वसन्ति सांभोगिका समनोज्ञा अपरिहास्त्रिका अदूरगताः तेषाम् अनालोच्य अनामन्त्र्य परिष्ठापयेत्, मातृस्थान सस्पृशेत्, नैवं कुर्यात्, स तदादाय तत्र गच्छेत् २ (गत्वा च) स पूर्वमेव, आलांचयेत्-आयुष्मन्तः श्रमणाः ! एतत् मम अशन वा पानं वा बहुपर्यापन्नं तद्भुङ्गध्वम्, तस्य चैवं वदतः परो वदेत्-आयुष्मन्तः श्रमणाः ! आहार एषः अशन वा ४ यावन्मात्र शक्नुमः तावन्मात्रं भोक्ष्यामहे वा पास्यामो वा, सर्वमेतत् परिशटति सर्वमेतत् भोक्ष्यामहे वा पास्यामो वा ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल मे प्रवेश करने पर । परियावन्न—प्राप्त हुए । बहु भोयणजाय—वहत से भोजन को । पडिगाहिता—लेकर के अपने स्थान पर आए । यदि वह आहार अधिक हो तो साधु । तत्थ—उस ग्राम आदि मे । वहवे—वह उन से । साहम्मिया—स्वधर्मी । संभोइया—संभोगी सधु । समणुन्ना—अपने समान आचार वाले जोकि । अपरिहारिया—त्यागने योग्य नहीं है अर्थात् शुद्ध आचार वाले है तथा । अदूरगया—अपने उपाश्रय से दूर नहीं है । वसति—निवास करते हो । तेसिं—उनको ।

को फेंक देता है ता उसे मातृस्थान—कपट का स्पर्श होता है । अत वह ऐसा न करे, किन्तु वर्ण, गन्ध युक्त या वण, गन्ध रहित जैसा भी जल उपलब्ध हो उसे समभाव पूर्वक पी ले, परन्तु उसमें से थोडा सा भी न फेंके ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कभी खट्टा या कपायला पानी आ गया हो तो मुनि उसे फेंके नहीं । मधुर पानी के साथ उस पानी को भी पी ले । आहार को तरह पानी पीने में भी साधु अनासक्त भाव में त्वाग न करे । दशवैकालिक सूत्र में भी इस सम्बन्ध में बताया गया है कि मधुर या खट्टा जैसा भी प्रासुक पानी आ जाए, साधु को बिना रोक के उसे पी लेना चाहिए ॥

अब फिर से आहार के विषय का बर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

ॐ तह्वुच्चावय पाण, अमुषा वार घोषण ।
 मसेइम चाउलोदग अहणाषाय विवज्जए ॥
 ज जाणज्ज चिराघोय मइए दसणण वा ।
 पडि पुच्छिऊण सुच्चावा, ज च निस्सक्खिय भव ॥
 अजीव पडिणय नच्चा, पाडिगाहिज्ज सजए ।
 अह सक्खिय भविज्जा, आसाइत्ताण रोमए ॥
 बोवमाहायणठठाए, हत्थगम्मि दनाहि म ।
 मा म अन्नविल पूय, नाल निण्ठ विणित्तए ॥
 त च अन्नविल पूई, नान तिण्ठ विणित्तए ।
 दित्तिय पडिआइवल, न मे कप्पइ तारिस ॥
 त च हुज्ज अक्रामेण विमणेअ पडिच्छिय ।
 त अप्पणा न पिव, ने वि अन्नस्स दावए ।
 एगतमवक्कमित्ता, अचित्त पडिलहिपा ।
 अय पडिट्ठविज्जा परिट्ठण पडिक्कमे ॥

मूलम्—से भिक्खू वा० बहुपरियावन्नं भोगणजायं पडिगाहिता, बहवे साहम्मिया तत्थ वसंति संभोइया समणुन्ना अपरिहारिया, अदूरगया, तेसिं अणालोइय अणामंतिय परिट्ठवेइ माइट्ठाणं संफासे, नो एवं करिज्जा, से तमायाए तत्थ गच्छिज्जा २ से पुव्वामेव आलोइज्जा—आउसंतो समणा ! इमे मे असणे वा पाणे वा ४ बहुपरियावन्ने तं भुंजह णं, से सेवं वयंतं परो वइज्जा-आउसंतो समणा ! आहारमेयं असणां वा ४ जावइयं २ सरइ तावइयं २ भुक्खामो वा पाहामो वा, सब्बमेयं परिसडइ सब्बमेयं भुक्खामो वा पाहामो वा ॥५४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० बहुपरियापन्नं भोजनजातं प्रतिगृह्य बहवः सार्धमिकाः तत्र वसन्ति सांभोगिका समनोज्ञा अपरिहारिका अदूरगताः तेषाम् अनालोच्य अनामन्त्र्य परिष्ठापयेत्, मातृस्थान संस्पृशेत्, नैवं कुर्यात्, स तदादाय तत्र गच्छेत् २ (गत्वा च) स पूर्वमेव, आलोचयेत्-आयुष्मन्तः श्रमणाः ! एतत् मम अशन वा पान वा बहुपर्यापन्नं तद्भुङ्गध्वम्, तस्य चैवं वदतः परो वदेत्-आयुष्मन्तः श्रमणाः ! आहार एषः अशन वा ४ यावन्मात्रं शक्नुमः तावन्मात्रं भोच्यामहे वा पास्यामो वा, सर्वमेतत् परिशटति सर्वमेतत् भोच्यामहे वा पास्यामो वा ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा०—साधु अथवा साध्वी गृहपति कुल में प्रवेश करने पर । परियावन्न—प्राप्त हुए । बहु भोगणजाय—बहुत से भोजन को । पडिगाहिता—लेकर के अपने स्थान पर आए । यदि वह आहार अधिक हो तो साधु । तत्थ—उस ग्राम आदि में । बहवे—बहुत से । साहम्मिया—स्वधर्मी । संभोइया—सभोगी साधु । समणुन्ना—अपने समान आचार वाले जोकि । अपरिहारिया—त्यागने योग्य नहीं है अर्थात् शुद्ध आचार वाले है तथा । अदूरगया—अपने उपाश्रय से दूर नहीं है । वसंति—निवास करते ही । तेसिं—उनको ।

अण लोड्या—विना पूछे। अणामते—विना निमन्त्रित स्थि यन्। परिटठवेड—आहार को परठ वाहन फक द तो उम। माइठण—मत स्थान का। मफासे—स्पर्श होता है। एत। नो एव कज्जा—वह इस प्रकार न कर कि तु। से—वन् भिक्षु। तमायाए—उस आहार को लेकर। तत्थ—वन् पर। गच्छिज्जा—ज ए जहा स न ठरे ट्ठं हैं और वहा ज कर। से—वह भिक्षु। पुड्ढामेव—पूछे। प्रालाडिज्जा—उह उस आहार का निम्वाण और निम्वाकर इस प्रकार कहे। अउसतो समणा—आयु मत श्रमण। इमे—यह। असण वा पाण वा—आहार और पानी। मे—मेरे प्रमाण म। बहु परिवावने बहुत अधिक है। त—एत आहारदि का। भुज्ज भो भी उपभोग कर। सेव धयत—इस प्रकार बहुत हुए उम माधु के प्रति। से परो—कार्द दूसरा साधु। वडिज्जा—वाल। उउसतो समणा—आयुधन श्रमण। आहार मेय—यह आहार। असण वा ४—प्रशनादक चतुर्विध। जावइय—याव मात्र—जितना। सरइ—हवन खाया जाएगा। तावइय २—ताव मात्र उतना। भुक्कामो वा—हम खाएंग तथा। पाणो वा—पाण प्रथवा। सवमेय—यदि यह सब। परिसइइ—खाया गया ता। स मेय—यह सब। भक्कामो वा—खा लगे। प हामो व—और सब पी लगे।

मूलाथ—साधु अथवा साधवा गृहपति कुल म प्रवेश करने पर गृहस्थ क घर से बहुत सा अशनादिक आहार प्राप्त हान पर ग्रहण करके अपने स्थान पर आए। याद वह आहार उसस खाया न गया ही ता वहा पर जा अन्य स्वधर्मी साधु रह रह ही ना साभागिक तथा समान आचार वाल ह और जा अपने उपाश्रय क समीप भा है, उनका विना पूछे विना निमन्त्रित स्थि यदि उम शण आहार को परठ फेंक देता है तो उम मातृस्थान का स्वश हाता ह अर्थात् माया का तप लगता ह। इस लिए वह ऐसा न करे किन्तु वह भिक्षु उस आहार का लेकर वहा जाव और जाकर सबप्रथम उम आहार का दियाए और दिखाकर इस प्रकार कह—नि हं भाग्यशालो श्रमणा। यह अशनादिक चतुर्विध आहार भर खाने म बहुत अधिक है अत आप इस खाल। इसक इसप्रकार कहने पर किमी भिक्षु ने कहा—ह आयुधन श्रमण। यह आहार हम जितना खा सकेंगे उतना खान का प्रयत्न करेंगे। यदि हम पूरा आहार-पाना खा पी सक तो सब खा पी लेंगे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मूत्र में बताया गया है कि यदि साधु रोगी एवं बीमार आदि के लिए पर्याप्त आहार लेकर आए और वह आहार खाने के बाद कुछ वच गया है, तो साधु उक्त शहर में या समीपस्थ गांव आदि में स्थित सांभोगिक साधुओं को उस आहार को खाने के लिए प्रार्थना करे, किन्तु उन्हें दिखाए बिना परठे (फैके) नहीं। यदि वह समीपस्थ स्थान में स्थित साधुओं का दिखाए बिना उस वड़े हुए आहार को बाहर फैंकता है, तो वह प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। अतः साधु का कर्तव्य है कि वह अपने निकट प्रदेश में स्थित सहधर्मी एवं सांभोगिक साधुओं के पास जाकर उन्हें प्रार्थना करे कि हमारे खाने के बाद कुछ आहार बच गया है, अतः आप इसे ग्रहण करने की कृपा करें। और आप थोड़ा या पूरा जितना भो खा सके, खाने का प्रयत्न करें।

इससे स्पष्ट होता है कि बड़ा हुआ आहार समान धर्मी, समान आचार-विचार वाले या सांभोगिक साधु को ही देने का विधान है। दूसरी बात यह है कि उस युग में बड़े-बड़े शहर होते थे, अतः एक ही शहर में कई स्थानों पर साधु आकर ठहर जाते थे। या थोड़ी-थोड़ी दूर पर गांव होते थे, जिनमें साधु ठहरा करते थे और वे गांव आहार-पानी लाने-ले जाने की मर्यादा में होते थे। तीसरी बात यह है कि साधुकी भाषा निश्छल एवं स्पष्ट होती है। वह अन्य साधु के पास जाकर ऐसा नहीं कहता कि मैं आपके लिए अच्छा आहार लेकर आया हूँ। वह तो स्पष्ट कहता है कि मैं अपने या अपने साथ के साधुओं के लिए आहार लाया था, उसमें से इतना आहार बच गया है। अतः कृपा करके इसे ग्रहण करें और लेने वाले साधु भी बिना किसी भेदभाव के स्नेह एवं सद्भावना के साथ तथा जीवों की यतना के लिए उसे ग्रहण करते हैं और उस आए हुए श्रमण से कहते हैं कि हम जितना खा सकेंगे उतना खाने का प्रयत्न करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु जीवन कितना स्पष्ट, सरल एवं मधुर है।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा से जं० असंगां वा ४ परं समुद्दिस्स
वहिया नीहडं जं परेहिं असमणुन्नायं अणिसिट्ठं अफा० जाव नो
पडिगाहिज्जा जं परेहिं समणुन्नायं सम्मं णिसिट्ठं फासुयं जाव

पडिगाहिज्जा, एव खलु तस्म भिक्षुस्त भिक्षुणीए वा
सामग्गिय ॥५५॥

छाया—म भिक्षुर्वा २ म यद् अशन वा ४ पर समुद्दिश्य वहिनिष्का-
त यत् परै असमनुज्जात, अनिसृष्ट, अप्रासुक यावत् न प्रतिगृह्यहीयात् ।
यत् परै समनुजात सम्यग् निसृष्ट प्रासुक यावत् प्रतिगृह्यहीयात् । एव खलु
तस्य भिक्षोभिक्षुक्या वा सामग्र्यम् ।

पदाय—से—वह । भिक्षु वा २—साधु अथवा साध्वी । से ज—जो फिर इस
प्रकार जान गया । असण वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार । पर—अथ भाट आदि को ।
समुद्दिस्त—उद्घट करके—उनके निमित्त । वहिया—वाहर । नीहड—देन के लिए निकाला
है । ज—जिसकी । परेहि—गृहस्थो न । असमनु नाय—प्राज्ञा नहीं दी है अर्थात् तुम जहां
चाहो और जिनकी चाहो दे सता हो, ऐसा नहा कर । अणिसिटठ—उस आहार को अर्थात्
उस पूरी तरह समर्पित नहा किया है । ऐसा आहार देन के लिए ल जाया जा रहा हो और
यदि माग में साधु भिन्न जाए और उस उम आहार को ग्रहण करने की अभ्यधना की जाये तो ।
अफासुय—उम आहार का अप्रासुक जानकर । जाव—यावत् मिलने पर भी । नो पडिगा-
हिजा—ग्रहण न करे तथा । ज—जिस के लिए । परेहि—गृहस्थो न । समणु-नाय—प्राज्ञा
दी है और जो । सम्म—भली प्रकार से । निसिटठ—उनके स्वाधीन किया गया है तब वह
आहार जिस के अधिकार में है वह यदि साधु का आहार ग्रहण करने की विनती करे तो साधु
उस आहार को । फसुय—प्रासुक जानकर । जाव—यावत्—मिलने पर । पाडगाहिज्जा—
ग्रहण करने । एव—इस प्रकार । खलु—निश्चय ही । तस्त—उस । भिक्षुस्त—साधु ।
भिक्षुणिए वा—या साध्वी का । सानागय—समग्र-सम्पूण साधु भाव है ।

मूनार्थ—गृहस्थो के घर में भिक्षाथ प्रविष्ट साधु या साध्वी भाट
आदि के निमित्त बनाया गया जो अशनादिक चतुर्विध आहार घर से देन के
लिए निकाला गया है, पर तु, गृहपति ने अभी तक उस आहार को उह ल
जाने के लिए नहीं कहा है और उनके स्वाधीन नही किया है, एसी स्थिति
में यदि कोई व्यक्ति उम आहार को साधु को विनति करे तो वह उसे
अप्रासुक जानकर स्वीकार न करे । और यदि गृहपति आदि ने उन

भाटादि को वह भोजन सम्यक् प्रकार से समर्पित कर दिया है और कह दिया है कि तुम जिसे चाहो दे सकते हो। ऐसी स्थिति में वह साधु को विनति करे तो साधु उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले। यही साधु या साध्वी का समग्र आचार है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ ने भाट या अन्य किसी के लिए अशन आदि चार प्रकार का भोजन बनाया है, किन्तु अभी तक न तो उसे दिया गया है, न उसके अधिकार में किया गया है और न उसे यह कहा गया है कि इस आहार को तुम जिसे चाहो दे सकते हो, ऐसी स्थिति में यदि कभी वह उस आहार के लिए साधु को प्रार्थना करे तो साधु उस आहार को अप्रासुक-अकल्पनीय समझ कर ग्रहण न करे। क्योंकि, वह आहार देने वाले व्यक्ति के अधिकार में नहीं है, अतः हो सकता है कि साधु को देते हुए देखकर गृहस्थ के मन में भाट या साधुके प्रति दुर्भाव या आवेश आ जाए। या वह भाट को देने के लिए फिर से भोजन बनाए। इससे कई तरह के दोष लगने की सम्भावना है। अतः साधु को ऐसा आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए।

यदि वह आहार भाट आदि के अधिकार में हो गया है तो अब वह इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि उक्त आहार को चाहे जिसे दे। ऐसी स्थिति में यदि वह साधु को आहार के लिए विनति करता है, तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है।

॥ नवम उद्देशक समाप्त ॥

प्रथम अध्ययन पिण्डपेणा

दशम उद्देशक

नवम उद्देशक मे यह बताया गया है कि माधु को किस तरह से आहार ग्रहण करना चाहिए। अब प्रस्तुत उद्देशक मे इस बात को स्पष्ट करते हुए कि यदि साधारण आहार उपलब्ध हो तो स्थान पर आने के पश्चात् माधु को क्या करना चाहिए, सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगडयो साहारण वा पिडवाय पडिगाहिता
ते माहम्मिए अणापुच्छिता जस्स जस्स डच्छड तस्म तस्स
सद्ध खद्ध दलड, माडट्ठाण सफासे, नो एव करिज्जा । से
तमायाय तत्थ गच्छिज्जा २ एव वडज्जा -आउसतो समणा ।
मति मम पुरेसथुया वा पच्छा० तजहा यायरिए वा १ उवज्जाए
वा २ पविती वा ३ येरे वा ४ गणी वा ५ गणाहरे वा ६
गणावच्छेडए वा ७ यवियाड एएसि सद्ध सद्ध दाहामि, सेयोव
वयत परो वडज्जा काम खलु याउसो । अहापज्जत्त निमिराहि,
जावडय २ परो वदड तावडय २ निसिरिज्जा, सब्वमेव परो
वयड सब्वमेय निमिरिज्जा ॥५६॥

छाया—स एउरु माधारण वा पिण्डपात प्रतिगृह्य तान्साधनिकान्
अनावृत्तय यम्मै यम्मै इच्छात तम्मै तम्मै प्रभूत प्रभूत प्रयच्छति, मात
स्थान सस्पृगेन । नैव कुर्यात् म तदादाय तत्र गच्छेत ० (गत्या) चैव वदेव

आयुष्मन्तः श्रमणा ! सन्ति मम पुरः संस्तुता वा पश्चात्० तद्यथा-आचार्यो वा १ उपाध्यायो वा २ प्रवृत्ति० (प्रवर्त्तकः) वा ३ स्थविरो वा ४ गणी वा ५ गणधरो वा ६ गणावच्छेदको वा ७ अथि च, एतान् एतेभ्यः प्रभूत प्रभूतं दास्यामि, तस्यैव वदन्तः परो वदेत्- काम खलु आयुष्मन् ! यथा प्राप्त निसृजयात् २ परो वदेत् तावत् २ निसृजेत् सर्वमेतत् परी वदेत् सर्वमेतन्निसृजेत् (दद्यात्) ।

पदार्थ—से—वह—भिक्षु । एगइओ—कभी । साहारण—सब के लिए । वा—अथवा । पिडवाय—आहार को । पिडिगाहिता—ग्रहण करके । ते—उन । साहम्मि—सार्धमि को । अणापुच्छिता—पूछे विना । जस्स जस्स—जिस-जिस को । इच्छइ—उस आहार की आवश्यकता है । तस्स तस्स—उस-उस के लिए । खद्ध खद्ध—अधिक मे अधिक दलइ—आहार दे देता है, तो । माइठ्ठाण—माया के स्थान को । सफासे—स्पर्श करता है अत । एवं—इस प्रकार । नो—नही । करेज्जा—करे किन्तु । से—वह-भिक्षु । त—उस आहार को । आयाय—लेकर । तत्थ—वहा—गुरुजनादि के पास । गच्छिज्जा—जाए और वहा जाकर । एव—इस प्रकार । वइज्जा—कहे कि । आउसतो—हे आयुष्मन् ! समणा—श्रमणो ! मम—मेरे । पुरे सथुया—पूर्व परिचित अर्थात् जिनके पास दीक्षा ग्रहण की है । वा—और । पच्छा सथुया—पश्चात् परिचित अर्थात् जिनके पास सूत्र आदि का अध्ययन किया है । तजहा—जैमे कि । आयरि ए वा—आचार्य । उवज्भाए वा—उपाध्याय । पवित्तो वा—साधुओ को यथा योग्य वैयावृत्य आदि मे नियुक्त करने वाले प्रवर्त्तक । थेरे वा—धर्म से भ्रष्ट होने वाले साधुओ को तथा श्रावको को पुनः धर्म मे स्थिर करने वाले स्थविर । गणी वा—गण समूह की व्यवस्था करने वाले गणि । गणहरे वा—गुरुजनों की आज्ञा से आचार्य रूप मे साधुओ को लेकर स्वतन्त्र रूप से विहार करने वाले गणधर और । गणावच्छेइए वा—गच्छ के कार्यों की चिन्ता-देखभाल करने वाले गणावच्छेदक । अविआइ—इत्यादि को कहे कि आप की आज्ञा हो तो । एएसि—इन साधुओ को । खद्ध खद्ध—पर्याप्त आहार । दाहामि—दूँ ? से णेवं—उसके इस प्रकार । वयत—बोलने पर । परो—आचार्यादि । वइज्जा—कहे कि । आउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! कामखलु—तू अपनी इच्छानुसार । अहापज्जत्त—यथापर्याप्त । निसिराहि—दे ? जावइयं २—जितना-जितना । परो—आचार्यादि गुरुजन । वदइ—कहे । तावइयं २—उतना-उतना आहार उन्हे । निसिरिज्जा—दे देवे यदि । परो—आचार्य । वइज्जा—कहे कि । सव्वमेयं—सभी पदार्थ दे दे तो । सव्वमेय—सभी पदार्थ । निसि-रिज्जा—दे दे ।

मूलार्थ—कोई भिक्षु गृहस्थ के यहाँ से सम्मिलित आहार को लेकर अपने स्थान पर आता है और अपने माधमियों को पूछे बिना जिस जिस को जो रुचता है उस उस के लिए वह दे देता है तो ऐसा करने से वह मायास्थान का सेवन करता है। अतः साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए परन्तु, उसे यह चाहिए कि उपलब्ध आहार को लेकर जहाँ अपने गुरु जनादि हो जैसे कि आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक स्थविर, गणी, गणपर और गणावच्छेदक आदि, वहाँ जाए और उनसे प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव ! मेरे पूव और पश्चात् परिचय वाले दोनों ही भिक्षु यहाँ उपस्थित हैं यदि आपका आज्ञा हो तो मैं इन उपस्थित सभी साधुओं को आहार दे दूँ ? उम भिक्षु के ऐसा कहने पर आचार्य कहे कि— आयुष्मन् श्रमण ! जिन साधु का जैसी इच्छा हो, उसी के अनुसार उमे पर्याप्त आहार दे दो। आचार्य क, आज्ञानुसार सबका यथाचित बाट कर दे देव। यदि आचार्य कह कि जो कुछ लाए हो, सभी दे दो, तो बिना किसी सकाच के सभी आहार उन्हें दे दे।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई मुनि अपने सामाजिक साधुओं का आहार लेकर आया है, तो उसे पहले आचार्य आदि की आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं यह आहार लाया हूँ, आपकी आज्ञा हो तो सभी साधुओं में विभक्त कर दूँ। इसके प्राथना करने पर आचार्य आदि जो आज्ञा प्रदान करें उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि साधु को सध की व्यवस्था करने वाले आचार्य आदि प्रमुख मुनियों की आज्ञा लेकर ही साधु जीवन की प्रत्येक क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए।

आचार्य अभयदेव सूत्रि ने सात पदवियों का निम्न अर्थ किया है—

१—आचार्य— प्रतिप्रेषक प्रजाजकाद, अनुयोगाचार्यो वा।

२—उपाध्याय — सूत्रदाता।

३—प्रवर्तक—प्रत्ययति साधुनाचार्योपदिष्टेषु वैवाचक्यादिप्रति प्रवर्ता।

४—स्थविर — प्रवर्तिव्यापारितान् साधून् सयमगोगेषु सीदत स्थिरोक-
रोतीति स्थविर।

५—गणी — गणोऽस्यानीति गणी—गणाचार्य ।

६—गणधरः — गणधरो—जिनशिष्य विशेषः ।

७—गणावच्छेदकः — गणास्यावच्छेदो — विभागोऽशोऽस्यास्तीति योहि-
गणांशं गृहीत्वा गच्छोपष्टम्भायैवोपविमार्गणादि निमित्तं विहरति स
गणावच्छेदकः ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सातों उपाधियां गण की, संघ की सुरक्षा एव
सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए रखी गई हैं । इनमें गणावच्छेदक का कार्य साधुओं की
उपधि आदि की आवश्यकता को पूरा करना है । जबकि आचाराङ्ग सूत्र के वृत्तिकार
आचार्य शीलांक ने गणावच्छेदक को गण, गच्छ या संघ का चिन्तक बताया है* ।
परन्तु, आचार्य अभयदेव सूरि ने जो अर्थ किया है, वह दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र में वर्णित
आठ गणि संपदाओं से सन्नव रखता है ।

प्रस्तुत सूत्र में 'पुरे संधुवा' और 'पच्छा सधुवा' शब्द का प्रयोग किया गया है ।
इसका तात्पर्य दीक्षाचार्य एवं वाचनाचार्य से है । उक्त सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि
दीक्षाचार्य एवं वाचनाचार्य (आगम का ज्ञान कराने वाले) अलग-अलग होते थे ।

प्रस्तुत सूत्र में साधु के वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है और साथ में यह
भी स्पष्ट कर दिया है कि उसे प्रत्येक कार्य आचार्य आदि की आज्ञा से करना चाहिए ।
उन्हें विना बताया या उन्हें विना पूछे न स्वयं आहार करना चाहिए एवं न अन्य साधुओं
को देना चाहिए । से आहार आदि कार्यों में माया, छल, कपट आदि का पारित्याग करके
सरल भाव से साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

साधु को माया-रूपट से सदा दूर रहना चाहिए इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार
कहते हैं —

मूलम्—से एगइओ मणुन्नं भोयणाजायं पडिगाहिता पंते-
ण भोयणेन पलिच्छाएइ मा मेयं दाइयं संतं दट्ठूणं सयमाइए
आयरिए वा जाव गणावच्छेए वा, नो खलु मे कस्सइ किंचि
दायवं सिया, माइट्ठाणं संफासे, नो एवं करिज्जा । से तमा-

याए तत्थ गच्छिज्जा २ पुव्वामेव उत्ताणए हत्थे पडिग्गह कट्टु
इम खलु इम खलुत्ति आलोडज्जा, नो किचिवि निगूहिज्जा ।
से एगइयो अन्नयर भोयणजाय पडिगाहिता भइय २ भुच्चा
विवन्न विरसमाहरइ माइ० नो एव ॥५७॥

छाया—स एत्तर मन्निज्ज भोजनजात प्रतिगृह्य प्रान्तेन भोजनेन
प्रतिन्त्रादयेत् समेद दर्शिति मन् दण्टया स्वय आदयात् आचार्य या यावत्
गणावच्छदक या ना खलु म स्थापि किंचिद् दातव्य स्यात्, मातृस्थान मस्पृ-
शत, नो एव कुर्यात् । म तमादाय तत्र गच्छन् गत्या पूर्वमेव उचानरु इस्ते
प्रतिग्रह कर्त्ता इद खलु इद खलु इति आलाचयत दर्शयत्, न किंचिदपि
निगूहयत् । म एकतर अन्यतरद् भोजनजात प्रतिगृह्य भद्रक भद्रक भुक्त्वा
त्रिपर्य्य परममाहरति, मातस्थान सस्पृशेत् न एव कुर्यात् ।

पवार्य—से—वह । एगइयो—कोई एक भिक्षु । भुज न—मत्तन । भोयणजाय—
भोजन का । पडिगाहिता—ग्रहण करने । पत्तेण भोयणण—नारस भोजन स । परिच्छएइ—
आच्छादित करने । मा—मत । मेव—यह आहार । वा म सत्त—निवान पर फिर । दण्टण
नलकर । सवमाइए—स्वय ही न न । अयरिए—आचार्य । वा—अथवा । जाव—यावत् ।
गणावच्छयण—गणाव छदक । खलु—नि चय हा । से—मर का । कसइ—किसी भी भोजन
का । किचि—बुद्ध भा भाग । नो—नही । दायव्व सिवा—न । एसा करन से भिक्षु ।
माइहाण—मानस्थान का । सवास—स्पृ करता है मन यह । एव—एक प्रकार । नो
करिज्जा—न करे । से—वह भिक्षु । त—उम आटा ५१ । छायाए—लेकर । तस्य—जा
आवाय अदि गुरुजन हा वत्त । गा छज्जा—जाए और वहा जाकर । पुव्वामेव—प ले ही ।
उत्ताणए—पमारे त्त । हत्थे—नाथ मे । पडिग्गह—पात्र को । कट्टु—करक । इम खलु
इम खलुत्ति—यत् पत्ताय यह है और य पत्तार्थ यत् है—एक प्रकार एक एक करके मय पत्ताय ।
आलोडज्जा—दिग्गजाव । किचिवि—किंचिमात्र भी । ना निगूहिज्जा—छिपावे नहा ।
स—य । एगइयो—वाँ एक भिक्षु । अन्नयर भयण जाय—अ य किसी प्रकार का भी भोजन ।
पडिगाहिता—ग्रहण क क और गहता न वहा । मइय भइय—अ छा अन्ना भोजन । भुच्चा—
आवर क । विरस विरस—वना दृषा विरस और निहृद भोजन । आहरइ—निवान स्थान

पर आचार्यादि के पाम लाता है, ऐसा करने से । माइटाणं - मातृ स्थान का । संफासे - सेवन करता है अतः भिक्षु को । एवं - इस प्रकार । नो - नहीं । करिञ्जा - करना चाहिए ।

मूलार्थ—यदि कोई मुनि भिक्षा में प्राप्त सरस, स्वादिष्ट आहार को आचार्य आदि न ले लेवे इस दृष्टि से उसे रूखे-मूखे आहार से छिपा कर रखना है, तो वह माया का सेवन करता है । अतः साधु को सरस एव स्वादिष्ट आहार के लोभ में आकर ऐसा छल-कपट नहीं करना चाहिए । जैसा भी आहार प्राप्त हुआ हो उसे ज्यों का त्यों लाकर आचार्य आदि के सामने रख दे और भौलो एव पात्र को हाथ में ऊपर उठाकर एक-एक पदार्थ को बता दे कि मुझे अमुक-अमुक पदार्थ प्राप्त हुए हैं । इस तरह साधु को थोड़ा भी आहार छिपाकर नहीं रखना चाहिए ।

यदि कोई साधु गृहस्थ के घर पर ही प्राप्त पदार्थों में से अच्छे-अच्छे पदार्थों को उदरस्थ करके बचे-खुचं पदार्थ आचार्य आदि के पास लेकर आता है, तो वह भी माया का सेवन करता है । अतः साधु को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु जीवन की सरलता एवं स्पष्टता का दिग्दर्शन कराया गया है । इसमें बताया गया है कि साधु को अपने स्वादेन्द्रिय का परिपोषण करने के लिए सरस को न तो नीरस आहार से छुपाकर रखना चाहिए और न उसे गृहस्थ के घर में या मार्ग में ही उदरस्थ कर लेना चाहिए । साधु को चाहिए कि उसे गृहस्थ के घरों से जो भी आहार उपलब्ध हुआ है, उसमें किसी तरह की आमक्ति नहीं रखते हुए अपने अपने स्थान पर ले आए और आहार के पात्र को अपने हाथ में ऊपर उठाकर आचार्य आदि से निवेदन करे कि मुझे भिक्षा में ये पदार्थ प्राप्त हुए हैं । परन्तु, उसे उसमें से थोड़ा सा भी छुपाना नहीं चाहिए । आगम में यह भी कहा गया है कि जो साधु प्राप्त पदार्थों का सबसे समान भाग नहीं देना है तो वह मुक्ति नहीं पा सकता । अतः साधु को चाहिए कि वह बिना किसी सकोच एवं बिना किसी तरह की स्वाद-लोलुपता को रखते हुए सब सांभोगिक साधुओं में सम विभाजन करके आहार करे ।

परन्तु, एमा न करे कि अन्धे-अन्ध पदाथ स्वयं या ले और बचे-सुचे पदार्थ अथ माधुओं को द्र।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'मणुन' और 'पतण' पदों से सामूहिक आहार की परम्परा सिद्ध होती है। क्योंकि त्रिविध प्रकार के सरस आहार की प्राप्ति अनक घरों से ही हो सकती है। और अनेक घरों में कई साधुओं के लिए ही घूमा जाता है। केवल एक माधु के लिए एक दो घर ही पर्याप्त होते हैं। इस तरह इस सूत्र से सामूहिक गोचरी का स्पष्ट निर्देशन मिलता है।

इस सूत्र में यह भी बताया गया है कि माधु को मदा सरस एवं स्पष्ट भाव रखना चाहिए। उसे अपने स्वाद एवं स्पर्श के लिए किसी भी वस्तु को छुपाकर नहीं रखना चाहिए और गुरु एवं आचार्य आदि के सामने सभी पदार्थ इस तरह रखने चाहिए कि वे आसानी से सभी पदार्थों को देख सकें। न तो उन्हें देखने में कोई कष्ट हो और न कोई पदार्थ उनकी दृष्टि से ओझल रह सके।

इस सूत्र से विशेष कारण होने पर गृहस्थ के घर में आहार करने की ध्वनि भी प्रस्फुटित होती है। यह ठीक है कि उस समय यह इतनी इमानदारी एवं प्रामाणिकता रखे कि वह स्वयं ही सभी सरस पदार्थ न खा जाए। उस समय उस पर अपनी प्रामाणिकता को निभाने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है। परन्तु, विशेष परिस्थिति में गृहस्थ के घर में खाने का पूणतया निषेध नहीं है। आगम में इसकी आज्ञा भी दी गई है।

माधु को किस तरह का आहार प्रण करना चाहिए, इसका उन्मुख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिकरम् वा० मे ज० यतरुच्छिय वा उच्छुगडिय

ॐ तिया एगइमो लड, विविह पाणमोयण ।
 मद्ग—मद्म भुक्त्वा, विबन विरसमाहरे ॥
 जानत ता इमे समण, प्रापयटी भय मुणी ।
 सत्तुटठो सेवए पत, लूह्वित्ती मतोसमो ॥
 पूरणठठा असोकामो माण समाण कामए ।
 बहु पसवइ पाउ मायात ल च कथ्वइ ॥

वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरंग वा उच्छुसालगं वा. उच्छुडालगं
 वा, सिबलिं वा सिबलथालगं वा अस्सिं खलु पडिग्गहियंसि
 अप्पे भोयणाजाए बहुउज्झियधम्मिए तहप्पगारं अंतरुच्छुयं वा०
 अफा० ॥ से भिक्खू वा २ से जं० बहुअट्ठियं वा मंसं वा
 मच्छं वा बहुकंटयं अस्सिं खलु० तहप्पगारं बहुअट्ठियं वा
 मंसं० लाभे संते० । से भिक्खू वा० सिया णं परो बहुअट्ठिएणा-
 मंसेणा वा बहुकंटएणा मच्छेणा वा उवनिमंतिज्जा आउसंतो
 समणा ! अभिकखसि बहुअट्ठियं मंसं० पडिगाहित्तए ?
 एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा निम्मम से पुञ्जामेव आलोइज्जा-
 आउसोत्ति वा २ नो खलु मे कप्पइ बहु० पडिगा०, अभिकंखसि
 मे दाउं जावइयं तावइयं पोग्गलं दलयाहि, मा य अट्ठियाइं, से
 सेवंवयंतस्स परो अभिहट्ठु अंतो पडिग्गहंसि बहु० परिभाइत्ता
 निहट्ठु दलइज्जा, तहप्पगारं पडिग्गहं परहत्थंसिवा परपायंसि वा
 अफा० नो । से आहच्च पडिगाहिए सिया तं नोहित्ति वइज्जा नो
 अण्हित्ति वइज्जा, से तमायाय एगंतमवक्कमिज्जा २ अहे आरामंसि
 वा अहे उवस्सयंसि वा अप्पंडे जाव संताणाए मंसगं मच्छगं भुच्चा
 अट्ठियाइं कंटए गहाय से तमायाय एगंतमवक्कमिज्जा २ अहे-
 ज्झामअंडिलसि वा जाव पमज्जिय पमज्जिय परट्ठविज्जा ॥५८॥

श्याया—स भिक्षु या स यत् ० अ तग्निचुक् या इक्षुगडिना या इक्षुचोपग
 या इक्षुमेरुक् या इक्षुशालक या इक्षुडालक या मिमलि वा मिवसस्थालक वा
 अस्मिन् गलु प्रतिग्रहे अल्प भाजन जाते बहुजिम्भा धर्मके तथाप्रकार अन्नरिक्षु
 या अप्रासुक् यायत् नो प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षु वा ० म यत् ० बहुमिथ्य
 माम वा मत्स्य या बहुमगटक अस्मिन् गलु ० तथाप्रकार बहुमिथ्यन या
 मास लाभमति यावत् न प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षु, या ० म्यात् पर उहवा-
 मिथ्यकेन मामर्न या मत्स्यकेन या उानिमन्ययन् आयुष्मन्त श्रमणा । अभि-
 कानमि उहमिथ्य मास प्रतिग्रहीतुम् ? एतत्प्रकार निर्घोष श्रुत्या निशम्य
 म पूर्वमेव आलोचयेत्—आयुष्मन् इति वा ० नो मे खनु क पते उहवाथिक
 मास प्रतिग्रहातुम् । अभिकाक्षमि मे दानु यावतिक तावतिक पुद्गल देहि, मा च
 अस्थिकानि, तस्य एव उदेत् पर अम्पाहृत्य अन्त प्रतिग्रहे बहु ० परि-
 भाज्य निहृत्य दद्यात्, तथाप्रकार प्रतिग्रह परहस्त वा पर पात्र या अप्रासुक् ०
 नो प्रतिगृह्णीयात् । स आहृत्य प्रतिग्राहित म्यात् त नो ही इति वदेत् नो
 अही इति उदेत् म तमादाय एफान्तमपक्रामेत् अपक्रम्य अथ आरामे वा अथ
 उपाश्रये या अल्पाड यावत् अल्प सन्तानरु मास मत्स्यरु भुक्त्वा अस्थिकानि
 कण्टकान् गृहीत्वा म तमादाय एफान्तमपक्रामेत् अपक्रम्य अथ उभामभ्यङ्गिले या
 प्रमृज्य प्रमृज्य परिष्ठापयेत् ।

पदाय—से—वह । भिक्षु—भिक्ष । वा—अथवा भिक्षुणी गृहस्थ क घर मे गया
 दुमा । से ज —फिर वह ग्रहण गलाय का जाने, जसकि—अतस्ति छव वा—इक्षुका इति
 हुपा पव का मध्य भाग पथया । उच्छुगडिय वा—छिना हुपा इक्षुमण्ड । उच्छुचोपग वा—
 अथवा इक्ष के पीने जाने पर जो नि मार छिनक रहजाते हैं वे । उच्छमेरग वा—अथवा
 इक्षु का छिना हुपा अग्रभाग । उच्छुशालक वा—अथवा इक्षु की छिली दुई शाला । उच्छुडालक
 वा । अथवा इक्षुकी हुई इक्षु गावा का एक भाग । सिबलि वा—अथवा मूग आदि की किमा
 भी प्रयोग म प्रामुक हुई अचिन फलिया अथवा । तिबल आलग वा—बल्ली आदि की अग्नि
 प्रयोग से अचित्त हुई फलिया । सलु—वाक्यान्कार मे है । अस्ति पडिगहियसि—इस प्रकार
 का आहार गृहस्थ के पात्र म पडा हुआ है । अस्पेसिया भोजनजाए—जिस में भाजन योग्य
 अन्न घला हे घोर । बहुउजिम्भय अस्मिन्—परठन फरने योग्य अन्न अधिक है । तहृत्पगार—
 तथाप्रकार के । अतस्छव वा—छिना हुपा अक्ष पव का म य भाग आदि मिलने पर । अक् ०—

माधु उमे अप्रासुक जान कर ग्रहण न करे । से भिक्षू वा २—वह साधु अथवा साध्वी गृहपति के घर मे गया हुआ । से ज०—वह आहार को जाने जैसे कि—बहु अट्ठियं वा मंसं—बहुत अस्थिवाला मास अर्थात् जिस वनस्पति के फलो मे गुठलिया अधिक हो और गूदा कम हो अथवा । मच्छे वा बहु कटय—मत्स्य नामक वनस्पति, जिसके फल मे काटे विशेष होते है । अस्ति खलु०—इस प्रकार का आहार गृहस्थ के पात्र मे है तथा । तहृत्पगारं—तथा प्रकार का । बहुअट्ठियं वा मस—बहुत अस्थि वाला मास अर्थात् बहुत गुठली वाला गूदा और बहुत काटो वाला अचित्तफल । लाभे सते—मिलने पर अकल्पनीय जान कर ग्रहण न करे ।

से भिक्षू वा०—वह भिक्षु अथवा भिक्षुकी गृहस्थ के घर मे गया हुआ । णं—वाक्यालकार मे है । सिप्रा—कदाचित् । बहुअट्ठियणमसेण वा—बहुत गुठलियो वाले गूदे से और । मच्छे वा—बहुत काटो वाली मत्स्य नामक वनस्पति के फलो से । उवनि—मतिज्जा—उपनिमत्रित करे णि । आउसतो समणा ! हे आयुष्मन् श्रमणो ! बहुअट्ठियमंसं—बहुत अस्थियो वाले गूदे को । पडिगहित्तए—ग्रहण करना । अभिकखसि—चाहते हो ? एयपगारं—इस प्रकार के । निग्घोस—निर्घोष-शब्द को । सुच्चा—सुन कर और । निस्सम—हृदय मे विचार कर । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही । आलोएज्जा—देखे और गृहस्थ के प्रति कहे कि । आउसोत्ति वा०—हे आयुष्मन् गृहपते ! या वहन ! । खलु—निश्चय ही । मे—मुझे । बहुअट्ठिय वा मंसं—बहुत गुठलियो वाला गूदा । पडिगहित्तए—ग्रहण करना । नो कप्पइ—नही कल्पता किन्तु यदि तू । मे—मेरे को । दाउ—देना । अभिकखसि—चाहता है या चाहती है तो । जाअइयं—इसमे से जितना । पुग्गल—पुद्गल-खाद्य अश है । तावइय—उतना ही । दलयाहि—दे, दे । मा यअट्ठियाइं—अस्थिया-गुठलिया मत दे । से—वह । गृहस्थ । सेवं—उस भिक्षु के इस प्रकार । वयतस्स—कहने पर । परो—वह । अमिहट्ठु—लाकर । अन्तो पडिगहसि—घर मे जाकर अन्य पात्र मे । बहु—बहुत गुठलियो वाला गूदा । परिभाइत्ता—अविभक्त कर और । निहट्ठु—वाहर लाकर । दलयाहि—दे तो । तहृत्पगारं—तथा प्रकार वा । पडिगह—प्रतिग्रह पात्रगत आहार । परहत्थसि वा—गृहस्थ के हाथ मे हो अथवा । पर पायंसि वा—गृहस्थ के पात्र मे हो । उभफासुय—उसे अप्रासुक जानकर मिलने पर ग्रहण न करे । से—उस भिक्षु ने । आहच्च—कदाचित् । पडिगाहिएसिया—ऐसा आहार ले लिया हो अर्थात् गृहस्थ ने पात्र मे डाल दिया हो, तो फिर । तं—उस गृहस्थ को । नो हित्तवइज्जा—न अच्छा कहे और । नो—नाही । अणिहित्ति वा—बुरा कहे किन्तु । स—वह भिक्षु । त—उस आहार को । आयाय—लेकर । एगत—एकान्त स्थान मे । अवक्क—मिज्जा—चला जाए और वहा जाकर । अहे आरामसि वा—वाग में अथवा । अहे उवस्स—यानि वा—उपाश्रम मे ही । अप्पडे जाव सताणे—जहाँ चीटी आदि के अण्डे और मकड़ी आदि के जाले न हों । मंगमच्छया—वहा फन के गूदे और मत्स्य वनस्पति फल को । भुच्चा—

जाकर । अटिठ्याइ—गुठनियो घोर । कटण—काणो को । गहाए—ग्रहण कर घोर । से—
वह भिक्षु । त—उसको । पायाय—सकर । एगत—एका त स्थान क । अवरकमिञ्जा—
चला जाए और वहा जाकर । अहेञ्जामथदिलति वा—अग्नि द्वारा दग्ध भूमि आदि प्रचित
एव निर्दोष स्थान वा । जाव—यावत । पमञ्जिय २—अच्छी तरह प्रमाजित करके ।
परठविञ्जा—उन गुठलियों को वहा परह फक दे ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर पर आहार आदि के लिए गया हुआ भिक्षु,
इक्षु खंड आदि जो छिले हुए हैं एव सब प्रकार से अचित्त ह, तथा मूग
और बल्नी आदि की फली, जो किसी निमित्त से अचित्त हो चुकी है,
परन्तु उसमें खाद्य भाग स्वल्प है और फेंकने योग्य भाग अधिक है तो
इस प्रकार का आहार मिलने पर भी अकल्पनीय जानकर ग्रहण न करे ।

फिर वह भिक्षु किसी गृहस्थ के यहा गया हुआ बहुत गठलिया
युक्त फल के गूदे को और बहुत काटो वाली मत्स्य नामक वनस्पति को
भी उपर्युक्त दृष्टि के कारण ग्रहण न करे । यदि गृहस्थ उक्त दोनो
पदार्थों की निमंत्रणा करे तो मुनि उसे कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! यदि
तू मुझे यह आहार देना चाहता है तो उक्त दानो पदार्थों का खाद्य
भाग ही मुझे दे दे, शेष गुठली तथा कांटे मत दे ।

यदि शोघता में गृहस्थ ने उक्त पदार्थ मुनि के पात्र में डाल दिए
हो तो गृहस्थ को भला बुरा न कहता हुआ वह मुनि वगीचे या उपाश्रय
में आए और वहा एका त स्थान में जाकर खाने योग्य भाग खाले और
शेष गुठली तथा काटा को ग्रहण कर एका त अचित्त एव प्रासुक स्थान
पर परठ छोड़ दे ।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को ऐसे पदार्थ ग्रहण नहीं करने चाहिए
जिनमें से थोड़ा भाग खाया जाए और अधिकांश भाग फेंकने में आए । जैसे—छिला हुआ
इक्षु खण्ड—गण्डेरी, मूग, एवं चन्नी आदि की फली जो आग आदि के प्रयोग से
अचित्त हो चुकी है, साधु को नहीं लेनी चाहिए । आग में भूना हुआ मूङ्ग फली पस्ते,

नोजे (छिलके सहित) भी नहीं लेने चाहिए। इसी तरह अग्नि पर पके हुए या अन्य तरह से अचित्त हुए फल भी नहीं लेने चाहिए। जिनमें गुठली, काटे आदि फेंकने योग्य भाग अधिक हो। यदि कभी शीघ्रतावश गृहस्थ ऐसे पदार्थ पात्र में डाल दे तो फिर मुनि को उम पर क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उक्त पदार्थों को लेकर अपने स्थान पर आ जाए और उनमें से खाने योग्य भाग खा लेवे और अवशेष भाग (गुठली, कांटे आदि) एकान्त आसुक्त स्थान में परठ-फैक दे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'बहु अद्विय मम' और 'मच्छ वा बहु कटय' पाठ कुछ विवादास्पद है। कुछ विचारक इसका प्रसिद्ध शाब्दिक अर्थ ग्रहण करके जैन साधुओं को भी मांस भक्षक कहने का साहस करते हैं। वृत्तिकार आचार्य शीलानक ने इसका निराकरण करने का विशेष प्रयत्न नहीं किया। वे स्वयं लिखते हैं कि बाह्य भोग के लिए अपवाद में मांस आदि का उपयोग किया जा सकता है^१।

परन्तु, वृत्तिकार के पश्चात् आचाराङ्ग सूत्र पर बालबोध व्याख्या लिखने वाले उपाध्याय पार्श्वचन्द्र सूरि वृत्तिकार के विचारों का विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा है कि आगम में अपवाद एवं उत्सर्ग का कोई भेद नहीं किया है और जो कंटक आदि को एकान्त स्थान में परठने का विधान किया है, ससे यह स्पष्ट होता है कि अस्थि एव कण्टक आदि फलों में से निकलने वाले बीज (गुठली) या कांटे आदि ही हो सकते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में बीज (गुठली) के लिए अन्थि शब्द का प्रयोग किया गया है। यथा— 'एगट्ठया बहुट्ठया' एक अस्थि (बीज) वाले हरड़ आदि और बहुत अस्थि (बीज) वाले अनार, अमरूद आदि। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त शब्दों का वन-स्पति अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः वृत्तिकार का कथन संगत नहीं जचता^१।

१ एवं मांससूत्रमपि नेयम्, अस्य चोपादान ध्वचिल्लूताद्युपशमनार्थं सट्टेद्योपदेशतो बाह्यपरिभोगेन स्वेदादिना ज्ञानाद्युपकारत्वात् क्लवदट्टे, भुजिश्चात्र वहि.परिभोगार्थे नाभयव-हारार्थे पदातिभोगवदिति ।
— आचाराङ्ग वृत्ति ।

१ ते मास शुद्धिं जे कुलिया विना आहार न उं बलछइ ते जिमी नद् कुलिया कटकादि लेई राकारि निरवद्य स्थंछिलइंज्काम थंछिलंसि कहनां अग्निदग्ग स्थानक नीवाहादिक तिहा आवी पडिलेही २ प्रमार्जी २ परिठवई । ए परठवि वा नी विधि जाणत्री जिणि कारणी एकैक वनस्पति माहिला कुलिया आहारी न सकिवइ पान न कराय कटक गलइ न अतरइ तिणी कारणि परठविवा कह्या । इहा वृत्तिकार लोक प्रसिद्ध मास मत्स्यादिक न उ भव बलाणय उछ इ पर सूत्र स्यउं विरोध भणिए अर्थ न संभवइ । पछइ बली श्री जिनमतना जाण गिताथं

जब हम प्रस्तुत प्रकरण का गहराई से अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वृत्तिकार का कथन प्रसंग से सार जा रहा है। उक्त सूत्र में गृहस्थ के घर में प्रसिद्ध साधु का आहार के सम्बन्ध में गृहस्थ के साथ होने वाले सम्वाद का वर्णन किया गया है, न कि औपध के सम्बन्ध में। यदि वृत्तिकार के कथनानुसार यह मान ले कि बाह्य लेप के लिए साधु मास भक्षण कर सकता है। तो यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहगा कि बाह्य लेप के लिए कच्चे मांस की आवश्यकता पड़ेगी, न कि पकृत मांस की और कच्चे मांस के लिए किसी के घर न जाकर कमाई की दुकान पर जाना होता है। और यहाँ कमाई की दुकान का वर्णन न होकर गृहस्थ के घर का वर्णन है। इससे स्पष्ट है कि वृत्तिकार का सम्वाद में मांस प्रत्यक्ष करने का कथन आगम के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। यद्यपि प्रस्तुत पाठ में इसका कहीं भी संकेत नहीं किया गया है कि रोग को उपशान्त करने के लिए मांस को सारना चाहिए। अतः वृत्तिकार का कथन प्रस्तुत सूत्रसे विपरीत होने के कारण मान्य नहीं हो सकता।

प्रस्तुत सूत्र के पूर्व भाग में वनस्पति का स्पष्ट निर्देश है और उत्तर भाग में मांस शब्द का उल्लेख है। इस तरह पूर्व एवं उत्तर भाग का परस्पर विरोध नष्टिगोचर होता है। एक ही प्रकरण में वनस्पति एवं मांस का सम्बन्ध घटित नहीं हो सकता। और अस्थि एवं मांस शब्द का आगम एवं वैद्यक प्रयोग में गुठली एवं गुदा अथ में प्रयोग मिलता है। आचाराङ्ग सूत्र में जर्ज रोशन (प्रामुख) पानी का वर्णन किया गया है वहाँ अस्थि शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ आम्र आदि के धावन में साधु के सामने छानकर एवं अस्थि (गुठली) निकाल कर दे तो ऐसा धोवन पानी साधु को प्रणय नहीं करना चाहिए। यहाँ गुठली के लिए अस्थि

के प्रमाण करेइ ते प्रमाण। गस्त्र माहि अस्थि गस्त्र इ कुलिया घण ठामे कहुया छइ। श्री प नवगा माहि वनस्पति अधिहारि "एगठिया, बहुगठिया" एहवा गस्त्र छइ एगठिया हरइइ प्रभति बहु अस्थिया दाडिम प्रभति जाणि वा इमन्त्र इहाँ अस्थि न इ गवइ कुलिया बोल्या छइ त उ मास शब्दइ माहिन उ गिर मादियइ एह मणी वनस्पति विगय मास मत्त जइइ फलाख्या छइ इम चारिअवा नइ मास घने म स उघाडइ मावि कारणि पुण आहारवा योग्य न दीसइ, तथा वली सूत्र माहि ए साधु नइ उत्संगि कहुअ छइ वचि माहि अप्पादि पद बलाणि उ छइ, तिणि विगारि सूत्र स्पउ मिलन पण नथी, तिणि कारणि वनस्पति विगय कहुता सूत्र नउ अथ जिम उत्संगि छइ तिमइज मिलइ तति माय।

शब्द का प्रयोग हुआ है। और यह भी स्पष्ट है कि आम्र के धोवन अस्थि (हड्डी) के होने की कोई सम्भावना ही नहीं हो सकती। उसमें गुठली का हीना ही उचित प्रतीत होता है। और आम्र के धोए हुए पानी में गुठली के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि अस्थि शब्द का गुठली के अर्थ में प्रयोग हाता रहा है।

प्रज्ञापना सूत्र में वनस्पति के प्रसंग में 'मसकडाह' शब्द का प्रयोग किया गया है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'समांस समिर' अर्थात् फलों का गुहा किया है। और वृत्तों का वर्णन करते हुए लिखा है कि कुछ वृत्त एक अस्थि वाले फलों के होते हैं— जैसे— आम्र, जामुन आदि के वृत्त। अर्थात् आम्र, जामुन आदि फलों में से एक गुठली होनी है। यह तो स्पष्ट है कि फलों में गुठली ही होती है, न कि हड्डी इससे स्पष्ट है कि आगम में अस्थि शब्द गुठली के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है।

जैनागमों के अतिरिक्त आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी अस्थि शब्द का गुठली के अर्थ में अनेक स्थलों पर प्रयोग हुआ है—

पथ्याया मज्जास्वादु, स्नायावम्लो व्यवस्थितः ।

वृन्ते तित्तस्त्वच्चि कटुरस्थिस्थस्तुवरौ रसः ॥

अर्थात्—हरड़ की मज्जा स्वादु है, इसकी नाडियों में खट्टापन है, वृन्त में तिक्रत रस है, त्वचा में कटु रस और अस्थि-गुठली में कसैला रस है।

मज्जा पनसजा वृष्या, वात पित्त कफा पहाः ।

अर्थात् कटहर की मज्जा वृष्य, वात पित्त और कफ को नाश करती है।

अभिनव निघण्टु पृ० १ ६०

मुण्डो भिक्षुरपि प्रोक्ता, श्रावणी च तपोधना ।

श्रावणाह्वा मुण्डतिका, तथा श्रवणशीर्षका ॥

महाश्रावणिकाऽन्यातु, सा स्मृता भूकदम्बिका ।

कदम्बपुष्पिका च स्यादव्यथाति तपस्विनी ।

❧ आचाराम सूत्र, २, १, ८, ४३ ।

† प्रज्ञापना सूत्र, प्रथम पद ।

‡ प्रज्ञापना सूत्र, प्रथम पद ।

❧ भावप्रकाश निघ० हरीतक्यादि० व० पृ० ५६ ।

अर्थात्—मुण्डी, भिनु, श्रावणी, तपोधरा श्रावणाङ्गा, मुण्डतिका, श्रवणशोषका, भूतघ्नी पलरुया कम्बुपुष्पा अरुणा, मुण्डारिका, कुम्भला तपस्विनी, प्रव्रजिता और परिव्रजिका ये मुण्डी के नाम हैं ।
— भावनकाश पृ० २३१, २३०

भाव प्रकाश म और भी इसी प्रकार वनस्पतिया के नामों का अलेख है, जैसे कि—

हयपुच्छिका	मापपर्णा वनस्पति	२६६
व्याघ्रप्रच्छ	गरुड	२०७
सिद्धतुण्ड	रुहा योद्ध	२०६
मिहास्य वप	वामा	२११
जीव	घकापण डेरु	२१२
वल्म, कीट, अद्	कुटन कोरडमरु	२१४
मरुती, गायत्री	रुजुआ (मीचका)	२१६
मरुद	वीवजीव	२१७
गोलोमी	श्वतडूवा-सकैद दूध	२२५
म स्याची	गाठडूव	२२५
मृगाक्षी	अत्रीयण (तुम्मा)	२०२३०
गांधारी	जवासा	२३१
शिवरी मयूरक, मरुती	अपामार्ग (पुठरुडा)	२३२
भिनु	तालमस्याणा	२३
हुमारी, रुन्धा	घाकुआर	२३४
गोपी गोपा, रुन्धा } गोपत्रुं शोन्री }	काला वात्रा	२३५
मृग	भगरा	२३५
गायसी, कासा	मकी	२३७
कारुनामा	कोआटूरटी	२५५
कारुनघा	एक वनस्पति	२३८
मेघ शृङ्गी	मेगसिंगी	"
मत्स्याक्षी	मछोद्धी	२४१
मत्स्याक्षी	जल पिप्पली	२४६
गो जिन्दा	गाभो (गात्रया)	२४७
नाम्र चूड	कन्तोदा	२४७
व्याल चित्रक	चीता - वनस्पति	१४८

मयूर	अजवैण	१५०
धेनुका	धनिया	१५२
मत्स्यपित्ता, मत्स्य शकला	कुटकी	११६
चन्द्र	कवीला	१६०
रामसेवक	चिरायता	१६२
निशा	हलदी	१६६
गजाख्य	पमाड	१७१
मातुलानी	भग	१७४
चन्द्र	काफूर	१७६

क्या यहां व्युत्प्रतिलभ्य अर्थ ग्रहण करना उचित होमा ? कदापि नहीं । इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरणों में भी लोक प्रसिद्ध अर्थ का ग्रहण न करके प्रकरण संगत और शास्त्र सम्मत वनस्पति विशेष अर्थ ही उपयुक्त हो सकता है ।

तथा— वैद्यक के सुप्रसिद्ध सुश्रुतसंहिता तथा चरकसंहिता से भी हमारे उक्त कथन का समर्थन होता है, यथा—

चूत फलेऽपरिपक्वे केशर मासास्थि मज्जा न पथक् दृश्यन्ते ।

— सुश्रुतसंहिता अध्याय ३, श्लोक ३२, पृ० ६४२ ।

अर्थ— पके आम्रफल में केशर, अस्थि, मांस अस्थि, मज्जा प्रत्यक्ष रूप में दीखते हैं । परन्तु, कच्चे आम में ये अंग सूक्ष्म अवस्था में होने के कारण भिन्न-भिन्न नहीं दीखते, उन सूक्ष्म केशरादि को सुपक्व आम्रही व्यक्त रूप देता है

प्रस्तुत पाठ में फलों में केशर, गुद्दे, गुठली आदि के लिए मांस, अस्थि एवं मज्जा शब्द का प्रयोग किया गया है ।

तथा चरकसंहिता में महर्षि चरक मिश्री का नाम 'मत्स्यंडिका' लिखते हैं यथा—

ततो मत्स्यंडिका खड शर्करा विमला परम् ।

यथा यथेषां वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा ॥

— चरकसंहिता पृष्ठ २६५ ।

इसके अतिरिक्त वैद्यक के सुप्रसिद्ध मदनपाल निघण्टु के भी कुछ प्रमाणों को पाठक देख लें, यथा—

मार्जारी	जवादि वनस्पति	१५
कुम्भुटी	शेमल	६७
तापम, मार्जार	विगोमी	६८
कुक्कुर	श्लथपूषा, त्रिकीर्ण, शीर्ण रोमक (ये पशु पक्ष वनस्पति के नाम हैं)	६८
शठ, कुटिल	तगर	१८८
पिशुन	कमर	१९०
जटायु शीशिका, धूर्त	गुग्गुल	१८३
गौरी	गोगेचन	११०
कुक्कुट	कुम्भ-कुम्भार ना मुर्गा श्वेत ताम्र, ताम्रचूड मुगा अग्नि का अगारा, चाण्डाल, शूद्रपुत्र, मुनिपण्णक वनस्पति।	७५४
पेश	मुगाध माला	१९१
तपस्विनी	धानछड	१९२
मेघ वारिद	मोथा	१९३
वैद्या	मुरा वनस्पति	१९४
ध्यू	रूपूर कचरा	१९४
अङ्गना, प्रिया	प्रियगु औपधि	१९४
राज पुत्री, द्विजा	सम्भालू के त्रीज	१९५
कुक्कुर, शुक मयूर	यनेर	१९५
आह्वणी देवी देवपुत्री	असतग वनस्पति	१९८
चननी	पपडी	१८८
नटी वमनी	नली मुगाधित द्रव्य	१९९

इन उपर्युक्त नामों को देखते हुए मनुष्य, पशु पक्षी आदि के नामों से यौकानेरु वनस्पतिये -अभिहित हुई हैं। अतएव प्रस्तुत प्रकरण में भी शठ ना अर्थ धूत, कुटिल का वक्र और पिशुन का चुगलदार अर्थ करना सगत नहीं है, किंतु इन शब्दों के वनस्पति रूप अर्थ ही असंगोचित है।

भल्लक	आलू मुसारा	८९
मल्ल	पोइ नामक वनस्पति	१०२
कपोनिना	मूली	१०४

इन प्रमाणों से यह भली-भांति सिद्ध हो जाता है कि—फला क गुहे को मास

और गुठली को अस्थि के नाम से निर्दिष्ट करना भी उस युग की प्रणाली रही है। ऊपर प्राचीन वैद्यक ग्रन्थों के प्रमाणों से अस्थि और मांस का गुठली और गुद्दे के अर्थ में प्रयुक्त होना प्रमाणित किया गया है। आयुर्वेद साहित्य के नवीन ग्रंथों में भी इस तरह का वर्णन मिलता है। देखिए हरिताल भस्म की विधि का वर्णन करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं —

ताल सुधा प्रस्तार नीर मग्न, कूष्मांड मासैः पुटित विधाय ।

दहेदृशप्रस्थ वनोपलेपु, गु जोन्मित स्यात् सकल ज्वरेपु ॥१॥

अर्थात्— हरिताल को चूने के पानी में रखने के अनन्तर कूष्मांड के मांस से (पेटे के गुद्दे से) सम्पुटित करके १० सेर वन्योपलों (पाथियों) में फूंक देने से उत्तम भस्म बन जाती है और उसकी शक्ति की मात्रा है तथा वह सभी प्रकार के ज्वरों को शान्त करने के लिए हितकर है। (सिद्ध भेषज मणिमाला ज्वराधिकार) इसमें कूष्मांड (पेठा) का 'मास' उसके गुद्दे के अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ सम्भव नहीं हो सकता। तात्पर्य कि उक्त श्लोक में मांस शब्द का प्रयोग गुद्दे के अर्थ में ही हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ में भी मांस शब्द का गुद्दा अर्थ किया है*। इस प्रकार वैद्यक के प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि अस्थि और मांस के लोकोत्तर अर्थ के ही बोधक नहीं अपितु गुठली और गुद्दे के भी बोधक हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इनका वाच्यार्थ केवल लोक प्रसिद्ध अर्थ अस्थि (हड्डी) और मांस (सधिर निष्पन्न धातु) ही नहीं अपितु गुठली और गुद्दा भी होता है।

वृक्ष के कठिन भाग एवं फलों के बीज (गुठली) के लिए अस्थि शब्द का प्रयोग हम वैद्यक एवं जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर देख चुके हैं। परन्तु, वैद्यक साहित्य में कपास के अंदर के कठिन भाग के लिए भी अस्थि शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षेमकुण्डल में लिखा है— 'कपास का फल अति उष्ण प्रकृति वाला कपाय एव मधुर रस वाला और गुरु होता है। वह वात, कफ को दूर करने वाला तथा रुचिकर होता है। इसमें से अस्थि (बीज का कठिन भाग) निकाल कर प्रयोग करने से विशेष लाभदायक होता है†।

* मास (न०) १ गोस्त । १ मद्यली । ३ फल का गुदा ।

- संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ, पृष्ठ ६५५ ।

† कर्पास फलमत्युष्ण, कपाय मधुरं गुरु ।

वातश्लेमहृत् रूच्यं, विशेषेणास्थिर्वजितम् ॥

— क्षेमकुण्डले ।

'अन' शब्द का वर्तमान में सामान्य विद्वान् नरुने एव त्रिष्णु के अर्थ में प्रयोग करते हैं। परन्तु, यह शब्द अपने अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। जैसे— सुवर्णमाक्षिक भातु पुराने धान्य, जो अकुरित होने के काल में अनिकात कर चुके हैं।

इसी तरह 'कोपोत' शब्द केवल कवुतर का वाचक नहीं रहा है। परन्तु सुरमे एव सज्जी (स्वार) के लिए भी कोपोत शब्द का प्रयोग होता रहा है। क्योंकि इन पदार्थों का कोपोत जैसा रंग होने के कारण इन्हें कोपोत शब्द से अभिव्यक्त करते थे।

श्यामा, गोपी, गोपबधू इन शब्दों का प्रयोग गोप कन्या या खाला की स्त्री के लिए ही प्रयोग न होकर कृष्ण सारिवा वनस्पति के लिए भी प्रयोग होता था। धरला सारिवा नामक वनस्पति को गोपी और गाप कन्या कहा जाता था।

श्वेत और कृष्ण कापोतिका शब्दों से पाठक सफेद और काले मादा कवुतर का ही अर्थ समझेंगे परन्तु वैदिक ग्रंथों में इनका अन्य अर्थों में प्रयोग हुआ है। कल्पद्रुम कोपम लिखा है कि जो स्वल्प आजार और लाल अंग गली होती है वह श्वेत कापोतिका कहलाती है। श्वेत कापोतिका वनस्पति दो पत्तों वाली और फेद के मूल में उत्पन्न होने वाली, ईपद् (थोड़ी) रक्त (लाल) तथा कृष्ण पिंगला, हाथ भर उची, गाय के नाक जैसी और फणधारी मप के आकार वाली, चारयुक्त, रौंगट वाली, कोमल स्पशनाली और गने जैसी भीठी होती है।

इसी प्रकार के स्वरूप एव रस वाली कृष्ण कापोतिका होती है। वह (कृष्ण कापोतिका) काले साप जैसी वाराही कद के मूल में उत्पन्न होती है। वह एक पत्तवाली महावीर्य दायिना और बहुत काले अजन समूह जैसी काली होती है। उसके पत्ते मध्य से उत्पन्न प्ररोह पर लगे हुए गहरे नीले मयूरपख के समान होते हैं और वह वारह पत्तों के झंज वाली, राक्षसों की नाशक, कद मूल से उत्पन्न होने वाली और जरा मरण को निवारण करने वाली ये दोनों कापोतिकाएँ होती हैं।

† शालिग्रामोपध शब्द सागर।

‡ कृष्णा तु सारिवा श्यामा, गोपी गापबधूश्च सा।

धरला सारिवा गोपी गापक न्या च साक्षी ॥

—भावप्रकाश निधु ॥

❖ स्वल्पान्तरा बोहितागा, श्वेतवापादिकीच्यते।

त्रिषण्विनी मूलभावा—मरुणा कृष्णापिंगलाम ॥

इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि जो शंख, कुन्द पुष्प और चन्द्र के समान श्वेत वर्ण की हो उसे अजा नामक मद्यौषधि समझना चाहिए।[†]

इस तरह हम देख चुके हैं कि जैनागमों में ही नहीं, अपितु वैद्यक एवं अन्य ग्रन्थों में भी मांस, मत्स्य एवं पशु-पक्षी के वाचक शब्दों का वनस्पति अर्थ में प्रयोग हुआ है। अतः प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त मांस एव मत्स्य शब्द वनस्पति वाचक है, न कि मांस और मछली के वाचक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त शब्दों के आधार पर जैन मुनियों को मांस-मछली खाने वाला कहना नितान्त गलत है।

आचारारङ्ग सूत्र के आधार पर आचार्य शयंभव द्वारा रचित दशवैकालिक सूत्र में इस तरह का पाठ आता है। फलों के प्रकरण में अस्थि शब्द का गुठली के अर्थ में प्रयोग किया गया है।[‡] और ७वीं शताब्दी में होने वाले आचार्य हरिभद्र ने अस्थि का अर्थ फलों की गुठली एवं पुद्गल का अर्थ गुद्दा किया है।[†] उन्होंने स्पष्ट लिखा है

द्विरत्निमात्रा जानीयाद्, गोनसीं गोनमाकृतिम् ।
सक्षारां रोमशा मृद्दी, रसनेक्षुरसोपमाम् ॥
एव रूप रमा चापि, कृष्ण कापोतिमादिशेत् ।
कृष्ण सर्पस्य रूपेण, वाराहीकन्दसम्भवाम् ॥
एकपर्णा महावीर्या, भिन्नाञ्जतत्रयीपमाम् ।
द्ययातिच्छयके विद्येत, रक्षोघ्ने कन्दसंभवे ॥
जरा मृत्युनिवारिण्यौ, श्वेतकापोतिसम्भवे ।
कान्तैर्द्विदशभिः पत्रैर्मयूराङ्गरूपैः ॥

— कल्पद्रुम कोष ५६८ ।

† अजामहीपधर्ज्ञेया शंखकुन्देन्दुपाण्डुरा ।

— कल्प द्रुम कोष ५६८ ।

‡ बहु अट्टिथं पोगर्लं, अणिमिस वा बहुकटयं ।
उच्छिद्यं तितुअ विल्ल, उच्छुखड च सिर्वलि ॥
अप्येसिया भोयण 'जाये, बहु उज्झय धम्मिय ।
दितिय पडिआइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥

— दशवैकालिक ५, १, ७३-७४ ।

† 'बहु अट्टियं' त्ति सूत्रम् बहुवस्थि, पुद्गल मासम् 'अनिमिषं वा' मत्स्य वा बहु-कण्टक । अयं किल कालाद्यपेक्षया ग्रहणे प्रतिषेध अन्वेषत्वभिदधति — वनस्पत्यधिकारात् तथाविध फलाभिधाने एते इति । तथा चाह— 'अस्थिकं' अस्थिक वृक्ष फलम्, 'तेन्दुक' तेन्दुकी

कि यहा फला के वर्णन का प्रमग हाने के कारण उक्त शब्द गठली एव गुहे के ही परिवोधन है और पुराने आशय ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य हरिभद्र से पूर भी माम एव मत्स्य आदि शब्दा का वनस्पति अर्थ किया जाता था ।

उक्त वृत्ति में 'पट्टल' शब्द का जो माम अर्थ किया है, वह भी युक्ति मगत नहीं है । क्योंकि जब अस्थि शब्द का गठली अर्थ स्पष्ट परिलक्षित होता है, तो ऐसी स्थिति में पट्टल शब्द माम परक कैसे हो सकता है । जिसमें बहुत अरिण्या (गुडलिया) का ऐसे पट्टल का तात्पर्य बहुत गुडलियों वाला माम नहीं, बहुत बन्त गुडलियों वाला फला का गुहा ही होगा । अर्द्धमागधी कोष में भी इसका अर्थ—गभ (फला का गुहा) फल के मध्य का मनोरम अर्थ किया है।

आ मा मे माधु के लिए जो भी माम ग्रहण करने का उल्लेख नहीं किया गया है । अनेक स्थलों पर निषेध अग्रह्य किया है । माधु की आहार विधि वर्णन में यही भी माम अहर के ग्रहण का उल्लेख नहीं मिलता है । यहा हम कुछ पाठों का उल्लेख करते तो यह बात स्पष्ट हो जाणी कि उक्त सूत्र में प्रयुक्त शब्द फलों के अर्थ से संबंधित है । वे पाठ इस प्रकार हैं—

अताहारा पताहारा अरसाहारा विरसाहारा लुशाहारा तुन्दाहारा
अन्तचोरी, पतचोरी आयात्रिलिया, पुरिमड्डिया निन्विगण्या
अमज्जमसासिणो नो नियामरमभो२ । — सूत्रकृताङ्ग टि ५० टि० अ० ।

सूत्रकृताङ्ग सूत्र के इस पाठ में मुनि के अन्य विशेषणों के साथ 'अमज्जमसासिणो' य, विशेषण भी दिया है, जिसका आशय है कि— साधु कभी मद्य और मांस को सेवन न करे । क्या अने पर भी जैन भिक्षु को मामाहारी कहने का साहस किया जा सकता है ? और भी देखिए—

जे भिक्खू मावग्गामस्स मेहुण वड्डियाण गीरं वा दड्ढिं वाणणीय

फलम् विल्वम् शुभ्रगन्धमिति च प्रतीतं बालमनि वा वान्ति फलि वा । वा गन्धस्य व्यवहित सम्बन्ध इति सूत्राय । अत्र वक्ष्यमाणम्— अल्पं ति मूत्रम् अत्रं म्यान् भोजनजातमत्रमपि नु वृत्तमन धमवपनम् । यतश्च वनना नी प्रत्याच गीरं न मम वपत तागमिति सूत्राय ।

— दणवक विव वृत्ति ।

‡ अ वत्तभिन्धनि—वनमत्ताधिक गन् नराविद्य फन्धियेन एव इती ।

— अणवकातिक सूत्र, वति ।

‡ अर्द्धमागधी कोष भाग ५९ / ६५ ।

वा सपि वा गुलं वा खड वा सक्करं वा मच्छंडिय वा अरण्यरं
वा परीयं आहारं आहारैड, आहारंतं वा माडज्जड । ६६

निशीथ सूत्र के इस पाठ का भाव यह है कि— 'साधु मैथुन के लिए दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, खांड और शर्करा आदि पौष्टिक पदार्थों का कभी सेवन न करे। उक्त सूत्र में साधु के खाने के पदार्थों में मांस को विच्युत नहीं गिना; इससे स्पष्ट है कि जैन आगमों का आशय साधु को मांस खाने के निषेध में है। और भी—

कपड मे ममणे निगंथे फासुएणं णसणज्जेण—असणपाण—
खाडमसाडमेणं वथपडिग्गहकम्वलपायपुच्छणोणं पीड फलय
मिज्जासंधारणं ओसह भेसज्जेण य पडिलभेमाणमस विहरित्ताए
त्तिकट्टुडमएयात्तुवं अभिगहं अभिगिण्हड । —उपा० दश० प्र० अ० सूत्र ८ ।

प्रस्तुत सूत्र में भगवान् महावीर के पास आनन्द श्रावक ने साधु को आहार देने का नियम लिया है। इस पाठ में साधु को क्या-क्या आहार देना चाहिए, यह लिखा है। इसमें अशन आदि का तो उल्लेख है परन्तु मांस देने का उल्लेख नहीं है। अगर भिक्षुओं में मांस खाने की भी प्रथा होती तो उमका भी उल्लेख होता।

आगमों से स्पष्ट होता है कि साधु के लिए मांस सर्वथा त्याज्य रहा है। आर्द्रकुमार ने मांसभक्षक बौद्ध भिक्षुओं का उपहास्य करते हुए कहा है—

थूलं उरुम्भ इह मारियाणं, उदिट्ठ भत्तं च पगपपत्ता ।
तं लोण तेल्लेण उवक्खडेत्ता मपिप्पलीय पगरंति मसं ॥
तं भुज्जमाणा पिसियं पभूयं, नो ओवलिपामु वयं रएण ।
इच्चेव माहंसु अणज्जधम्मा, अणारिया वाल रसेसु गिद्धा ॥
मन्वेसि जीवाण दयट्ठयाण, सावज्ज दोसं परिवज्जयता ।
तस्संकिणो इसिणो नायपुत्ता, उदिट्ठभत्तं परिवज्जयति ॥
भूयाभिसंकाए दुगुच्छमाणा सव्वेसि पाणाण निहाय दण्डं ।
तम्हा न भुज्जन्ति तहप्पगार, एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥

आर्द्र कुमार का कथन जैन आचार-विचार को स्पष्ट कर देता है। वह बौद्ध-भिक्षुओं से कहता है कि आप बकरे का मांस खाकर भी अपने आप को पाप से लिप्त नहीं मानते। परन्तु, यह कैसे हो सकता है? मांस भक्षण का कार्य तो स्पष्टतः अनार्थ-

ॐ निशीथ सूत्र ६ उद्देशक ७६ सूत्र ।

† सूत्र कृताग श्रुत० २ अध्या० ३, ३७, ३८, ४०, ४१ ।

कर्म है। उसका सेवन करने वाला पाप कम के बंध से कैसे बच सकता है? निर्ग्रंथ ज्ञातपुत्र भगवान महावीर के साधु कभी भी मासाहार नहीं करते। आर्द्रकुमार की यह स्पष्ट आलोचना सुनकर बौद्ध भिक्षु चुप हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैन साधु मामाहारी नहीं थे और न हैं। यदि जैन साधु स्नयमासाहार करते होते तो वे बौद्धों के सामिप भोजन की आलोचना नहीं करते। और यदि करने का हुआ करता भी तो बौद्ध भिक्षु उन्हें सचोटे उत्तर देने से कभी नहीं चूकते कि तुम भी तो सामिप भोजन करते हो, तुम कौन से परित्र व्यक्ति हो। परंतु, जैन मुनियों की रुढ़ी एसी आलोचना नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन मुनि आमिप भोजन से सर्वथा निवृत्त हैं। आगम में तो मासाहार को साधु के लिए तो क्या मनुष्य के लिए भी उपयुक्त नहीं बताया है। उसे मनुष्यों का नहीं पशुओं का, जङ्गली जानवरों का आहार कहा है।

जम्बूद्वीप प्रशस्ति में बताया गया है कि उत्सर्पिणी काल चक्र का पहला आरा समाप्त होकर जय दूसरा लगेगा तब ४६ दिन तक अनवरत वर्षा होगी। उससे पृथ्वी में सरमता आएगी और वह विभिन्न वनस्पतियों से शस्य श्यामला हो जाएगी। उस समय तिलों में रहने रहने वाले मनुष्य बाहर आएंगे और फल फूल खाकर अत्यधिक प्रमत्त होंगे और यह सामाजिक नियम बनाएंगे कि आज तक हमने निवश होकर मासाहार किया परंतु अब कभी भी मासाहार नहीं करेंगे। जो सामिप आहार करेगा उसका बहिष्कार करेंगे और उसकी छाया से भी दूर रहेंगे। आचार्य शान्तिचन्द्र ने प्रस्तुत सूत्र की टीका में लिखा है कि मासाहारी लोगों के अपवित्र शरीर को छूना तो दूर रहा,

ॐ तिरिक्खज्जोणियाण चउच्चिहे आहारे पन्ते तज्जा ककोवमे, तिलोवम, पाणमसो वमो, पत्त मसावमो । मणुसाण षउच्चिहे आहारं पन्ते तज्जा—अण्णे जाव सात्तिमे ।

— स्थानाङ्ग सूत्र स्थान ४, ३४० ।

† तएण से मणुआ भरह वास परुड खवणुच्छुग्ममगुम्मलयवल्लीतणपवय हरिआ सोसहीय उवचियतय पत्त पवाल पत्तनकुर पुप्फ पत्त ममुइअ सुहोवभोगेजाय २ चाव पात्तिहित पात्तिअ विवेहितो णिडाइस्सति णिडाइत्ता हटठनुटठा अणमण्ण सहविस्सति २ ता एव बदिस्सति — जाते ण देवाणुप्पिया । भरह वासे परुड खवणुच्छुग्ममलयवल्ली तणपवयत्तरिय जाव सुहोवभोगे त जे देवाणुप्पिया । अम्ह केइ अजप्पभिइ अमुभ कुणिम आहार आणरिस्सइ से ण अणेगाहिं छायाहिं वज्जणिज ति कटट सठिय ठवेति २ ता अम्हे वामे सुसुहेण अभिरममाणा २ विहरिस्सति ।

— जम्बूद्वीप प्रशस्ति २ ३६ ।

उनकी छाया तक को भी नहीं छुएंगे। अर्थात् उनकी छाया को स्पर्श करना भी पाप माना जाएगा। इससे बढ़कर मांसाहार के प्रति और अधिक क्या कहा जा सकता है? इसे पढ़ने के पश्चात् क्या कोई समझदार व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि इतने कड़े शब्दों में मांसाहार का विरोध करने वाले जैनगम साधु के लिए सामिप भोजन का विधान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।

आगमों में चार गति मानी हैं— १-नरक, २-तिर्यञ्च, ३-मनुष्य और ४-देव गति। श्रौपपातिक सूत्र में प्रत्येक गति में 'जाने के कारणों' का उल्लेख किया गया है। उसमें मांस भक्षण को नरक गति का कारण बताया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी बताया गया है कि मांस मद्य का आहार करने वाला व्यक्ति अकाम मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जाता है। मृगापुत्र ने भी मांस एवं मद्य का सेवन करने से नरक गति का मिलना कहा है।

इन सब पाठों से यह स्पष्ट होता है कि आगम में सामिप भोजन का कड़े शब्दों में निषेध किया गया है। इसे मनुष्य का भोजन नहीं, अपितु पशु का भोजन कहा है। मांसाहार करने वाला खूँखार भेड़िये से भी भयानक है, जो अपने आहार को छोड़कर अपने पेट को जीवित पशुओं की कत्र बनाता है। अतः इन सब उद्धरणों

† प्रास्तां तेषामस्वस्थानां शरीरं स्पर्शः तच्छरीरच्छायास्पर्शोपि वर्जनीयः ।

‡ चउहि ठाणेहि जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरेत्ति, णेरइयत्ताए कम्म पकरेत्ता णेरइएमु उववज्जंति, तंजहा— १-महारभयाए २-महापरिग्गहयाए ३-पंचिदियवहेण ४-कुणि-माहारेण ।

—श्रौपपातिक सूत्र, भगवद्देशना ।

* हिंसे वाले मुसावाई, माडल्ले पिसुणे सडे ।

मुजमाणे सुर मस, सेय मेय त्ति मन्नई ॥ —उत्तरा० ५, ६

इत्थी विसय गिद्धे य, महारंभ परिग्गहे ।

भुंजमाणे सुर मंस, परि वूडे परं दमे ॥

अय कक्करभोइ य, तुदिल्ले चियलोहिये ।

आउयं नरय कंखे, जहा एस व एलए ॥ —उत्तरा० ७, ६, ७ ।

† तुहं पियाइ मंसाइं, खंडाणि सोल्लगाणि य ।

खाइओ विममंसाइं, अग्गि वण्णाइण्णेगसो ॥

तुह पिया सुरा सीहू, मेरओ य महीण य ।

पाइओमि जलन्तीओ, वसाओ रहिराणि य ॥

से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत मंत्र में प्रयुक्त मान एत म न्य १०० मानिय आहार से नदी, अपितु फला मे सम्बन्धित है । अतः अन्त शब्दों का वनस्पति विशेष अर्थ करना ही उचित एव आगम सम्मत् प्रतीत होता है ।

आहार के विषय को और स्पष्ट करने हुए मंत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० सिया मे परो अभिहृद्दु अतो
 पडिगहे विल वा लोण वा उन्मिय वा लोण परिभाडत्ता-
 नीहृद्दु दलडज्जा, तहृप्पगार पडिगह परहत्थसि वा २
 यफामुय नो पडि० । मे याहच्च पडिगाहिए मिया, त च नाड-
 दूरगए जाणिज्जा से तमायाए तत्थ गच्छिज्जा २ पुन्वामेव
 यालोडज्जा—याउमोत्ति वा २ इम कि ते जाणया दिन्न उदाहु
 यजाणया ? से य भणिज्जा नो खलु मे जाणया दिन्न, यजा-
 णया दिन्न काम खलु याउसो । डयाणि निमिरामि, त भुजह
 वा ण परिभाएह वा ण त परेहि समणुन्नाय समणुसट्ठ तओ
 सजयामेव भुजिज्ज वा पीडज्ज वा, ज च नो सचाएड भोत्तए वा
 पायए वा माहम्मिया तत्थ वसति सभोडया ममणुन्ना यपरि
 हारिया अदूरगया, तेसि अणुप्पयायव मिया, नो जत्थ सा-
 हम्मिया जहेव बहुपरियावन्न कीरइ तहेव कायव मिया, एव
 खलु० ॥५६॥

छाया—म भिक्षु० स्यात् म पर अभिहृत्य अन्त पतद्ग्रहे विड वा

लवण वा उद्भिज्जं वा लवण परिभाज्य निर्हृत्य दद्यात् तथाप्रकारं पतद्-
ग्रह पग्रहस्ते वा २ अप्रासुकं नो प्रतिगृहीयात् । म आहृत्य प्रतिगृहीतं स्यात्
तं च नातिदूरगत जानीयात् (ज्ञात्वा) स तमादाय तत्र गच्छंत् गत्वा च
पूर्वमेव आलोकयेत्— आयुष्मन् इति वा २ इदं किं त्वया जानता दत्तं,
उत अजानता ? म च भणोत् नो खलु मया जानता दत्तं, अजानता दत्तं,
कामं खलु आयुष्मन् । इदानीं निमृजामि त भुक्षध्वम् वा परिभाजयत तद्
परिः समनुज्ञात, समनुमृष्टं ततः सयतमेव भुजीत पिवेद् वा । यच्च नो
शक्नोति भोक्तु वा पातु वा माधर्मिकाः यत्र वसन्ति सभोगिकाः समनोज्ञाः
अपरिहारिकाः अदूरगताः तेभ्योऽनुप्रदातव्यं स्यात् नो यत्र साधर्मिकाः । यथैव
बहु पर्यापन्न क्रियेत तथैव कर्तव्यं स्यात् । एवं खलु० (सूत्र ५९)

—पिंडेषणां दशम उद्देशकः ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु०—भिक्षु गृहपति कुल मे गया हुआ । से—वह । परो—
गृहस्थ के । अन्तो—घर के अंदर प्रवेश करके । पडिगहे—ग्रहने पात्र मे । विल वा लोणं—
अर्थात् खान का लवण । उट्भिज्ज वा लोण—लवणाकार का लवण । परिभाज्या—देने योग्य
विभाग करके । नीहृद्दु—पात्र मे डालकर और लाकर । दलइज्जा—देवे । तहृत्पगारं—तथा-
प्रकार का द्रव्य । पडिगह—गृहस्थ के भाजन मे ग्रथवा । परहृत्यसि वा—गृहस्थ के हाथ में,
या गृहस्थ के पात्र मे हो तो उमे । अफासुय—अप्रासुक जानकर । नो पडिं—ग्रहण न करे-
स्वीकार न करे । स—वह लवणादि आहार । आहृच्च—कदाचित् । पडिगाहिए सिया—
ग्रहण कर लिया है तो फिर । त—उम गृहस्थ को । नाइदूरगए जाणिज्जा—बहुत दूर गया
न जानकर अर्थात् पाम मे ही जा कर । से—वह भिक्षु । त—उस लवणादि पदार्थ को ।
आयाए—लेकर । तत्थ—जहा वह गृहस्थ है वहा जाए और वहा जाकर । पुवामेव—पहले ही ।
आलोइज्जा—लवणादि पदार्थ दिखलाए और कहे कि । आउसोति वा—हे आयुष्मन् गृहस्थ !
अथवा भगिनि ! । इमं—यह लवणादि । किं—क्या । ते—तू ने । जाणया—जानते हुए ।
दिन्न—दिया है । उदाहु—अथवा । अजाणया—नही जानते हुए दिया है ? से—वह गृहस्थ ।
मणेज्जा—कहे कि । खलु—निश्चय ही । मे—मैंने । जाणया—जानकर । नो—नही । दिन्नं—
दिया किन्तु । अजाणया—अनज नपने मे । दिन्नं—दिया है । खलु—पूर्ववत् । कामं—
अतिशयार्थक चव्यय । आउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! । इयाणि—इस समय । निसिरामि—
तुम्हे देता हू या देती हू । तं—इमे तुम । भुज्जह वा—खा लो । ण—वाक्यालंकार में है ।

वा-अथवा । परिभाएह-प्राप्त में बाट लो । ण-पूववन । त-वह । परेह-गृहस्थ का ओर से । समणु-नाय-प्राज्ञा मिलन पर । समणुसटठ-सम्पन्न प्रकार से प्राप्त कर । तओ-तन्मन्तर । सजपामेव-साधु यत्ना पूवक । भुजिग्जा वा-खा ले अथवा । पिबेज्ज वा-पी ले । ज च-यत् वह । भोत्तर वा-माने में तथा । पायए वा-पीन में । नो सचाणमि-समय नहीं है । तत्थ-वहा पर । साहम्मिया-जो साधमिक साधु । वसति-रहते हैं जो । समोइण-एक मांडल के समोगी हैं । समणुना-समनोन हैं तथा । अपरिहारिया-अपरिहाय अर्थान् त्यागन योग्य नहीं हैं-निर्दोष हैं । अदूरगया-दूर भी नहा-अथान् समीपवर्ती है । तेसि-उनको । अणुप्पयापध्वसिया-उनको प्रदान करना चाहिए यदि । जत्थ-जहा पर । साहम्मिया-साधमिक । नो-नहीं है तो । जहेव-जिस प्रकार । बहुपरियावन्न-अधिक आहार मिलन पर जो परठन की विधि बनाई है । कीरइ-पूव किया है । तहेव-उसी प्रकार । कायध्व सिया-करना चाहिए । एव खलु-इस प्रकार मुनि का समग्र आचार वचन किया है ।

मूलार्थ—यदि कोई गृहस्थ घर पर भिक्षाथ आए हुए भिक्षु को अदर-घर में अपने पात्र में विड अथवा उद्भिज्ज लवण को विभक्त कर उसमें से कुछ निकाल कर साधु को दे दे तो तथाप्रकार लवणादि को गृहस्थ के पात्र में अथवा हाथ में अप्रासुक जानकर ग्रहण न करे ।

यदि कभी अकस्मात् वह ग्रहण कर लिया है तो मालूम होने पर गृहस्थ को समीपस्थ ही जानकर लवणादि को लेकर वहा जावे और वहा जाकर पहले दिखलाए और कहे कि—हे आयुष्मन् ! अथवा भगिनि ! तुमने यह लवण मुझे जानकर दिया है या बिना जाने दिया है ? यदि वह गृहस्थ कहे कि मैंने जानकर नहीं दिया, किन्तु भूल से दिया है । परन्तु, हे आयुष्मन् ! अब मैं तुम्हें जानकर दे रहा हूँ, अब तुम्हारी इच्छा है तुम स्वयं खाओ अथवा परस्पर में बाट लो । अस्तु गृहस्थ की ओर से सम्यक् प्रकार से आज्ञा पाकर अपने स्थान पर चला जावे, और वहा जाकर यत्न पूर्वक खाए तथा पीए । यदि स्वयं खाने या पीने को असमर्थ हो तो जहा आस पास में एक माटले के सभागी, समनोज और निर्दोष साधु रहते हो वहा जावे और उनको दे दे । यदि साधमिक पास में न हो तो जो

परठने की विधि बतलाई है उसी के अनुसार परठ दे। इस प्रकार मुनि का आचार धर्म बतलाया गया है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ ने साधु को भूल से अचित्त नमक दे दिया है तो साधु उस गृहस्थ से पूछे कि यह नमक तुम्हें भूल से दिया है या जानकर? वह कहे कि मैंने दिया तो भूल से है, फिर भी मैंने आपको दे दिया है अतः अब आप इसे खा सकते हैं या अपने अन्य साधुओं को भी दे सकते हैं। ऐसा कहने पर वह साधु उस अचित्त नमक को यदि स्वयं खा सकता है तो स्वयं खा ले, अन्यथा अपने सांभोगिक, मनोज्ञ एवं चारित्रनिष्ठ साधुओं को बांट दे। यदि स्वयं एवं अन्य साधु नहीं खा सकते हों तो उसे एकान्त एवं प्रासुक स्थान में जाकर परठ देवे।

इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नमक सचित्त होता है और उसके लिए अप्रासुक शब्द का प्रयोग भी हुआ है, फिर उसे खाने एवं सांभोगिक साधुओं में विभक्त करने की आज्ञा कैसे दी गई? इसका समाधान यह है कि आगम में जो खाने का आदेश दिया गया है, वह अचित्त नमक की अपेक्षा से दिया गया है। किसी शस्त्र के प्रयोग से जो नमक अचित्त हो गया है और वह भूल से आ गया है तो गृहस्थ को पूछकर उसके कहने पर साधु खा सकता है। प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त अप्रासुक शब्द सचित्त के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि भूल से आए हुए नमक के विषय में गृहस्थ से पूछकर यह निर्णय करे कि यह नमक भूल से दिया गया है या जानकर और यदि भूल से दिया गया है तो अब गृहस्थ की इसे खाने के लिए आज्ञा है या नहीं— आज्ञा लिए बिना साधु को उसे खाना नहीं कल्पता। अतः अप्रासुक शब्द सचित्त के अर्थ में नहीं, अपितु अकल्पनीय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और वह कब तक अकल्पनीय है इसकी स्पष्ट व्याख्या ऊपर कर चुके हैं।

जैसे आचारांग में स्थित सचित्त एवं अकल्पनीय दोनों अर्थों में अप्रासुक शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी तरह दशवैकालिक सूत्र में अग्रहणीय सचित्त वस्तु एवं जो वस्तु लेने की इच्छा न हो उन दोनों के लिए 'न कल्पइ तारिसं' शब्द का प्रयोग हुआ है। और भगवती सूत्र में भगवान् महावीर ने सचित्त उड़द के लिए भी अभक्ष्य शब्द का प्रयोग किया है और किसी गृहस्थ के द्वारा बिना याचना किए हूए उड़द को भी साधु के लिए अभक्ष्य कहा है। इसी तरह थावच्चा पुत्र ने शुकदेव संन्यासी को और

ॐ दशवैकालिक सूत्र ५, १, ७६।

† भगवती सूत्र १८, उ० १०।

भगवान् पार्वताय ने मोमल ब्राह्मण को भा ऐसे शब्द कहे थे । इससे यह स्पष्ट होता है कि यह आगम की एक शैली रही है कि एक शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है । अतः यदा अप्रासुक्त शब्द अरुपनीय अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई पन्थाय विना इच्छा क भूल से आ गया है तो उसके लिए गृह्य से पूछकर उसकी आज्ञा मिलने पर उसे त्याग सकता है, अपने समान आचार-विचारनिष्ठ साधुओं को द सकता है और उसे जाने में समथ न हो तो साधु मयादा के अनुसार आचारण कर सकता है ।

‘तित्त्रेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें ।

॥ दशम उद्देशः समाप्त ॥

प्रथम अध्यायन पिण्डैषणा

एकादशम उद्देशक

प्रस्तुत उद्देशक में यह बताया गया है कि साधु को जो आहार प्राप्त हुआ है, उसे उसका कैसे उपयोग करना चाहिए। इस बात का निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—भिक्षागा नामेगे एवमाहंसु—समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगामं वा दूइज्जमाणे मणुन्नं भोग्णजायं लभित्ता से भिक्खू गिलाइ, से हंइह गां तस्साहरह, से य भिक्खू नो भुंजिज्जा तुमं चेव गां भुंजिज्जासि, से एगइओ भोक्खामित्ति कट्टु पलिउंचिय २ आलोइज्जा, तंजहा— इमे पिंडे इमे लोए इमे तित्ते इमे कडुयए इमे कसाए इमे अंबिले इमे महुरे, नो खलु इत्तो किंचि गिलाणस्स सयइत्ति माइट्ठाणं संफासे, नो एवं करिज्जा, तहाठियं आलोइज्जा जहाठियं गिलाणस्स सयइत्ति, तं तित्तयं तित्तएत्ति वा कडुयं कडुअं कसायं कसायं अंबिलं अंबिलं महुरं महुरं० ॥६०॥

छाया—भिक्षाका नामैके एवमाहुः समाना वा वसन्तो वा ग्रामानुग्रामं वा द्यूमानाः मनोज्ञं भोजनजातं लब्ध्वा स भिक्षुः ग्लायति, स

गृहणीत यूयम् य तस्य आहारतः स च भिक्षु न भुवते त्वमेव भुञ्च स एरुक् भोक्ष्ये इति कृत्वा परिकुच्य परिकुच्य आलोकयेत्, तद्यथा—अयं पितृदः अयं रुन् अयं तिम्रः अयं रुद्रुः अयं कषायः, अयं अम्ल, अयं मधुर, नो खलु इत किंचिद् ग्लानस्य स्वदतीति, मातस्थान सस्पृशेत्, नो एव कुर्यात्, तथा स्थित आलोकयेत् यथा स्थित ग्लानस्य स्वदतीति, तद तित्तक तिवक्त्र इति वा कटुक कटुक, कषाय कषाय, अम्ल अम्ल मधुर मधुम् ।

पदार्थ—भिक्षुसाधु । नाम—मन्नावनाथः ग्रन्थय है । एग—कितने एक । एव—एक प्रकार । आहसु—कहन लये । सम ण वा—सभोगी साधु तथा भ्रमभोगी साधु बसमाण वा—रोगान्ति क कारण स एक स्थान म रहत हुए । यामानुगम दूइजमाण—प्रनुकम म ग्रामानुगम विचरते हण व्ता आ गए उनम कोई साधु रागी है उमके लिए । मग न—मनोन । भोगज्जाय—भाजन पत्ता । लमिसा—प्राप्त क कृत लये । से—वह । भिक्षू—भिक्षु । गिलाह—रागी है । म हवह—यह आहार तुम ने ता । ण—वाक्यालकार म है । तस्साहरह—उसके लिए दे दो । स य भिक्षू—यदि रागी—व भिक्ष । न भुजिज्जा—न खाव तो । तम चैव—तम ही । भुजिज्ज सि—भोग लेता । ण—वाक्यालकार म है । से एगइओ—वह कोई एक भिन्न ग म्थ स आहार नेकर मन म विच रता है कि । भोक्खामिसि क—इस प्रकार को म नी भोगी—मै ही खाऊगा । परिउचिय परिउचय—अस्तु मनान आहार को छुआ छप कर वानाति रागी का उद्दय कर । अलोक्का—लिनता है । तजहा—जम कि । इमे पिड—यह जो आहार साधु न भ पक तिए दिया है यह ग्रन्थय है, क्योंकि । इमे लाए—यह रुक्ष आहार है । इमे तित्त—यत्न निवृत्त है । इमे क्कुए—यह कटक है । इमे कसाए—यह कषाय है । इमे अमिडे—यत्न खटा है । इमे महरु—यह भीठा है । खलु—निश्चय ही । इत्ते—एससे । किचि—किचि मात्र भी । गिलाणस्स—रागी का । नो सयत्ति—लाभ नही होगा एमा करने से वह भिक्ष । माइठ्ठाण—मातस्थान छल क स्वान का । सफासे—सवन करता ह । एव—एक प्रकार । नो क रज्जा—वत् न कर किनु । ताठिय—तथावस्थित । आलोक्का—दिलखावे । जह ठिय—यथाव स्थित । गिलाणस्स—रागी को । सयइत्ति—लाभ पत्त । त—जम वि । वित्तय तत्तत्ति—तित्त को निवृत्त । वा—धीर । कडय कडुअ—कटुक को कटक । कषाय कषाय—कषाय को कषाय । आबव अ वल—लक्ष्णे को लक्ष्णा । महरु महरु—मधुर की मधु वहे ।

मूलाथ—एक क्षत्र मे किमी कारण मे साधु रहते ह वहा पर ही

ग्रामानुग्राम विचरते हुए अन्य साधु भी आगये है और वे भिक्षाशील मुनि मनोज्ञ भोजन को प्राप्त कर उन पूर्वस्थित भिक्षुओं को कहे कि अमुक भिक्षु रोगी है उसके लिए तुम यह मनोज्ञ आहार ले लो । यदि वह रोगी भिक्षु न खाए तो तुम खालेना ? अस्तु, किसी एक भिक्षु ने उनके पास से आहार लेकर मन में विचार किया कि यह मनोज्ञ आहार मैं ही खाऊंगा । इस प्रकार विचार कर उस मनोज्ञ आहार को अच्छी तरह छिपा कर, रोगी भिक्षु को अन्य आहार दिखला कर कहे कि यह आहार भिक्षुगो ने आप के लिए दिया है । किन्तु यह आहार आपके लिए पथ्य नहीं है, क्योंकि यह रुक्ष है, तिक्त है, कटुक है, कसेला है, खट्टा है, मधुर है, अतः रोग की वृद्धि करने वाला है, आपको इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा । जो भिक्षु इस प्रकार कपट चर्या करता है, वह मातृस्थान का स्पर्श करता है, अतः भिक्षु को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए । किन्तु जैसा भी आहार हो उसे वैसा ही दिखलावे—अर्थात् तिक्त को तिक्त, कटुक को कटुक, कषाय को कषाय, खट्टे को खट्टा और मीठे को मीठा बतलावे । तथा जिस प्रकार रोगी को शांति प्राप्त हो उसी प्रकार पथ्य आहार के द्वारा उसकी सेवा-शुश्रूषा करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में रोगी साधु की निष्कपट भाव से सेवा-शुश्रूषा करने का आदेश दिया गया है । यदि किसी साधु ने किसी रोगी साधु के लिए मनोज्ञ आहार दिया हो तो सेवा करने वाले साधु का कर्तव्य है कि जिस साधु ने जैसा आहार दिया है उसे उसी रूप में बताए । ऐसा न करे कि उस मनोज्ञ आहार की स्वयं के लिए छुपाकर रख ले और बीमार साधु से कहे कि तुम्हारे लिए अमुक साधु ने यह रूखा-सूखा, खट्टा, कषायला आदि आहार दिया है, जो आपके लिए अपथ्यकर है । यदि स्वाद लोलुपता के वश साधु इस तरह से सरस आहार को छुपाकर उस रोगी साधु को दूसरे पदार्थ दिखाता है और उसके सम्बन्ध में गलत बातें बताता है तो वह माया-कपट का सेवन करता है । कपट आत्मा को गिराने वाला है । इससे महाव्रतों में दोष लगता है और साधु साधुत्व से

गिरता है। अन्न साधु को अपने अपने स्वाद का पोषण करने के लिए छल-कपट नहीं करना चाहिए। जैसा आहार लिया गया है उसे उसी रूप में रोगी साधु के सामने रख देना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—भिक्षागा नामेगे एवमाहसु—समाणे वा वसमाणे

वा गामाणुगाम दूडज्जमाणे वा माणुन्त भोयण जाय लभित्ता से
य भिक्षू गिलाड से द्दह ण तस्स आहरह, से य भिक्षू नो
भुजिज्जा आहारिज्जा, से ण खलु मे अतराए आहरिस्सामि,
इच्चेयाड आयतणाइ उवाडक्कम्म ॥६१॥

छाया—भिक्षाका नामके एवमाहु समानान् वा वसमानान् वा ग्रामानु-
 ग्राम दूयमानान् वा मनोज्ञ भोजननात् लब्ध्वा स च भिक्षु ग्लायति स
 गृहणीत, ण तस्य आहरत म च भिक्षु नो भुक्ते आहरेद् स न खलु मे अन्त-
 राय आहरिस्सामि इत्यतानि आयतनानि उपातिश्रम्य।

पण्य—नाम—सभावना अथ म है। एगे—कोई एक। भिक्षागा—भिक्षा से
 जीवन व्यतीत करन वाला भिक्षु-साधु। एवमाहसु—इस प्रकार साधुओं के समीप आकर कहने
 ण। समाण वा—समाणी साधुओं को। वसमाणे—घरवा एक छत्र में स्थिर बस रहने वाला
 को अथवा। गामाणुगाम दूडज्जमाण वा—ग्रामानुग्राम विहार करन वाला को। माणुन्त—
 मनोज्ञ। भोयणजाय—भोजन पण्य। लभित्ता—प्राप्त कर। से—वह। भिक्षू—साधु,
 वसत हुए या विहार करन वाला प्राण-तुक साधु को कहे कि। गिलाड—जो भिक्षु रोगी है
 उसके लिए। द्दह—यह आहार ल स। तस्स—उसको। आहरह—द दो। ण—वाक्यालंकार
 म है, यदि। से—वह। भिक्षू—रोगी साधु। नो भुजिज्जा—न खावे तो। आहारिज्जा—
 वापिस लाकर हमको द देना क्योंकि हमारे यहां भी रोगी साधु है। ण—प्राप्त। से—
 यह—भिक्ष, लेन वाला कहन लगा कि यदि। मे—मुझ। नो अतराए—कोई अतर न हुआ
 अर्थात् धार म कोई विघ्न उपस्थित न हुआ तो। आहारिस्सामि—मैं वापिस लाकर दे दूंगा,
 इस प्रकार प्रतिज्ञा कर, वह आहार रोगी को न देकर भाग ही स जाता है तो। इच्चेया—
 इस प्रकार यह वाय। आयतणाइ—कर्म वाप का कारण है। उवाडक्कम्म—इतनी सम्पत्

प्रकार से दूर करके रोगी साधु की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि छल-कपटादि से कर्म का बन्ध होता है।

मूलार्थ—भिक्षाशील साधु, सभोगो साधु वा एक क्षेत्र में स्थिर वास रहने वाला साधु गृहस्थ के वहां से मनोज्ञ आहार प्राप्त करके ग्रामानु-ग्राम विचरने वाले अतिथि रूप में आए हुए साधुओं से कहे कि तुम रोगी साधु के लिए यह मनोज्ञ आहार ले लो? यदि वह रोगी साधु इसे न खाए तो यह आहार हमें वापिस लाकर दे देना, क्योंकि हमारे यहां भी रोगी साधु है। तब वह आहार लेने वाला साधु उनसे कहे कि यदि मुझे आने में कोई विघ्न न हुआ तो मैं इस आहार को वापिस लाकर दे दूंगा, परन्तु रस लोलुपो वह साधु उस आहार को रोगी को न देकर स्वयं खा जाए और पूछने पर कहे मेरे शूल उत्पन्न होगया था अर्थात् मेरे पेट में बहुत दर्द होगया था इस लिए मैं नहीं आ सका, इसप्रकार वह साधु मायास्थान का सेवन करता है, अतः इस तरह के पापकर्मों के स्थानों को सम्यक्तया दूर करके, रोगी साधु की आहार आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए ,

हिन्दी वितेचन

प्रस्तुत सूत्र में पूर्व सूत्र में कथित विषय को कुछ विशेषता के साथ बताया गया है। पूर्व सूत्र में कहा गया था कि यदि कोई साधु रोगी साधु की सेवा में स्थित साधु को यह कहकर मनोज्ञ आहार दे गया हो कि इस आहार को रोगी को दे देना यदि वह न खाए तो तुम खा लेना, तो साधु उस आहार को अपने लिए छुपाकर नहीं रखे। और प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि यदि किसी साधु ने प्रतिज्ञा पूर्वक यह कहा हो कि यह मनोज्ञ आहार रोगी साधु को ही देना यदि वह न खाए तो हमें वापिस लाकर दे देना, तो उस साधु को चाहिए कि वह आहार रोगी साधु को दे दे। स्वयं उसका उपभोग न करे। यदि वह स्वाद की लोलुपता से उस आहार को अपने लिए छुपाकर रखता है, तो माया का सेवन करता है। और उसकी इस वृत्ति से उसका दूसरा महाव्रत भी भंग होता है और रोगी को आहार की अंतराय देने के कारण अन्तराय कर्म का भी बन्ध होता है। इस

तरह रोग के वश साधु अपना श्रम पतन कर लेता है। वह प्राध्यात्मिक साधना से भ्रष्ट हो जाता है। अतः साधक को अपनी क्रिया में दृढ़ रूप से नहीं करना चाहिए। पदार्थ के रोग की अपेक्षा साधना, सरलता, सेवा एवमत्याग का अधिक मूल्य है, उस से आत्मा का रिफार्म होता है। इसलिए साधु को शुद्ध एवमतिरूप के भाव से रोगी की सेवा करनी चाहिए और उसके लिए जो आहार दिया गया हो उसे बिना छुपाए उमो रूप में उसको लेना चाहिए। वृत्तिकार का भी यही अभिमत है।

अब सूत्रकार सप्त पिंडैवणा के विषय में कहते हैं—

मूलम्—ग्रह भिक्षु जाणिजा सत्त पिंडेसणाग्रो सत्त पाणेसणाग्रो, तत्थ खलु इमा पढमा पिंडेसणा—अससट्ठे हत्थे अससट्ठे मत्ते तहप्पगारेण अससट्ठेण हत्थेण वा मत्तेण वा असण वा ४ सय वा ण जाइन्ना परो वा से दिज्जा फासुय पडिगाहिज्जा, पढमा पिंडेसणा ॥१॥ अथावरा दुच्चा पिंडेसणा-ससट्ठे हत्थे अससट्ठे मत्ते, तहंवे दुच्चा पिंडेसणा ॥२॥ ग्रहावरा तच्चा पिंडेसणा—इह खलु पाईया वा ४ सत्तेगइया सद्धा भवति—गाहावई वा जाव कम्मकरी वा, तेसि च ण अन्नयरेसु विरूवरूवेसु भायणाजाएसु उवनिक्खित्तपुच्चे सिया तजहा—थालसि वा, पिडरसि वा सरगसि वा परगसि वा वर-

ॐ सचबभुक्त मन एव वन्न—यव अत्रायमनरेणाहं ध्यामीति प्रतिज्ञयाऽहार मादाय ग्लानानिक मत्वा प्राकृतान् भवनानि रूमातिशेषानुष्णान्य ग्लानागन्धवा स्वभाव लीलाय भुक्त्वा अन्नम्य साधोनिवदयति यथा मम मूल वयावत्यकालापर्याय शक्तिगत । विक्रमभूदनाऽऽ तं ग्लानभक्त गहीवा नायात इत्यादि मानम्यान सम्पात् एतदेव दर्शयति— इ यानि—पूर्वोक्ता पापतनानि—कर्मोराग्लानहवानि 'उपातिकर्म' सम्पन्न परिहृत्य मानुष्यान्-परिहायेन ग्लानाय वा दन्त्यान् शान्तानुभवो वा अरे नि । — आचारारङ्ग वनि ।

गंसि वा. अह पुणोवं जाणिजा—असंसट्ठे हत्थे संसट्ठे मत्ते,
संसट्ठे वा हत्थे असंसट्ठे मत्ते, से य पडिग्गहधारी सिया
पाणिपडिग्गहिए वा, से पुञ्चामेव०—याउमोत्ति वा ! २ एएण
तुमं असंसट्ठेण हत्थेण, संसट्ठेण मत्तेणं संसट्ठेण वा हत्थेण
असंसट्ठेण मत्तेण अस्सि पडिग्गहगंसि वा पाणिंसि वा निह—
ट्ठु उच्चित्तु दलयाहि तहप्पगारं भोयणजायं सयं वा णं जाइजा
२ फासुयं० पडिगाहिजा, तइया पिंडेसणा ॥३॥ अहावरा
चउत्था पिंडेसणा—से भिक्खू वा० से जं० पिहुयं वा जाव
चाउलपलंवं वा अस्सि खलु पडिग्गहियंसि अप्पे पच्छाकम्भे
अप्पे पज्जवजाए, तहप्पगारं पिहुयं वा जाव चाउलपलंवं वा
सयं वा णं० जाव पडि०, चउत्था पिंडेसणा ॥४॥ अहावरा
पंचमा पिंडेसणा—से भिक्खू वा २ उग्गहियमेव भोयणजायं
जाणिजा, तंजहा—सरावंसि वा डिंडिमंसि वा कोसगंसि वा,
अह पुणोवं जाणिजा बहुपरियावन्ने पाणीसु दगलेवे, तहप्पगारं
असणं वा ४ सयं० जाव पडिगाहि०, पंचमा पिंडेसणा ॥५॥
अहावरा छट्ठा पिंडेसणा—से भिक्खू वा २ पग्गहियमेव
भोयणजायं जाणिजा, जं च सयट्ठाए पग्गहियं, जं च पर-
ट्ठाए पग्गहियं, तं पायपरियावन्नं, तं पाणिपरियावन्नं फासुयं

पडि०, छट्ठा पिडेसणा ॥६॥ अहावरा सत्तमा पिडेसणा—से
 भिक्खु वा० बहुउज्झियधम्मिय भोयणजाय जाणिज्जा, ज
 चञ्जे वहवे दुपयचउप्पय समणमाहण्यतिहिक्खिणवणीमगा
 नावकरति, तहप्पगार उज्झियधम्मिय भोयणजाय सय वा ए
 जाड्ज्जा, परो वा मे दिज्जा जाव पडि० सत्तमा पिडेसणा ॥७॥
 डच्चेयायो सत्त पिडेमेणायो, अहावरायो सत्त पाणेसणायो, तत्थ
 खलु इमा पटमा पाणेसणा अससट्ठे हत्थे, यससट्ठे मत्ते, त चेव
 भाणियच्च, नवर चउत्थाए नाणत्त — से भिक्खु वा० से ज०
 पुण पाणगजाय जाणिज्जा, तजहा—तिलोदग वा ६, यस्सिखलु
 पडिगहियमि यप्पे पञ्चाकम्मे तहेव पडिगाहिज्जा ॥६२॥

छाया—अथ भिक्षुर्नानायात् सप्त पिडैषणा मन्पानैषणा तत्र खलु
 इय प्रथमा पिडैषणा अममष्टो हस्त अममष्ट मात्रम्, तथाप्रकारेण अससष्टेन
 हस्तेन वा मात्रेण वा अशन वा ४ स्वय वा याचेत् परो वा सदद्यात् प्रासुर्न
 प्रतिगहणीयात्, प्रथमा पिडैषणा ॥१॥ अथापरा द्वितीया पिडैषणा—समाटो-
 हस्त समष्ट मात्र तथैव द्वितीया पिडैषणा ॥२॥ अथापरा तृतीया पिडैषणा-
 इह खलु प्राचीन वा ४ मन्त्येकना श्राद्धा भवति गृहपति वा पारत्त कमफ्रा
 वा तेषा च अयतरपु विरूपरूपेषु भोजनजातेषु उपनिक्षिप्तपूर्व स्यात्,
 तत्रथा—स्थाले वा पिठर वा मरके वा परके वा वरक वा अथ पुनरेव
 जानीयात्, असमष्टो हस्त समष्ट मात्र समष्टो वा इहा अमसष्ट मात्र
 म च प्रतिग्रहधारी स्यात् पाणिप्रतिग्राहित वा स पूर्वमेव आयुष्मन् । इति वा
 ण्णेन न्व अमसष्ट न हस्तेन समष्टे मात्रम समष्टेन वा हस्तेन अमसष्टेन

मात्रेण अस्मिन् पतद्ग्रहे वा पाणौ वा निर्हृत्य उच्चित्य ददस्व, तथाप्रकार
 भोजनजातं स्वयं वा याचेत् २ प्रासुकं प्रतिगृह्णीयात्, तृतीया पिडैपणा ॥३॥
 अथापरा चतुर्थी पिडैपणा—स भिक्षुः वा स यत् पृथुक वा यावत् ओदन-
 पलम्बं वा अस्मिन् खलु पतद्ग्रहे अल्प पश्चात् अल्प पर्यायजातं, तथाप्रकार
 पृथुक वा यावत् तन्दुलपलव वा स्वयं वा यावत् प्रतिगृह्णीयात्, चतुर्थी
 पिडैपणा ॥४॥ अथापरा पंचमी पिडैपणा—स भिक्षुर्वा० उपहृतमेव भोजन-
 जातं जानीयात्, तद्यथा—शरावे वा डिण्डिमे वा कोशके वा अथ पुनरेवं
 जानीयात् बहुपर्यापन्नः पाणिषु दकलेपः तथाप्रकार अशनं वा ४ स्वयं यावत्
 प्रतिगृह्णीयात्, पंचमी पिडैपणा ॥५॥ अथापरा षष्ठी पिडैपणा स भिक्षुर्वा २
 प्रगृहीतमेव भोजनजातं जानीयात्, यच्च स्वार्थाय प्रगृहीतं यच्च परार्थाय प्रगृहीत
 तत् पात्रपर्यापन्नं वा तत् पाणिपर्यापन्नं वा प्रासुकं प्रतिगृह्णीयात्, षष्ठी पिडै-
 पणा ॥६॥ अथापरा सप्तमी पिडैपणा-स भिक्षुः वा बहु उज्झितधर्मिक भोजन-
 जातं जानीयात् यच्च अन्ये बहवः द्विपद-चतुष्पद-श्रमण-ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-
 वनीपकाः नावकांचन्ति तथाप्रकारं उज्झितधर्मिकं भोजनजातं स्वयं वा
 याचेत् परो वा स दद्यात् प्रतिगृह्णीयात्, सप्तमी पिडैपणा ॥७॥ इत्येताः
 सप्त पिडैपणाः ॥ अथापराः सप्त पानैपणाः—तत्र खलु इयं प्रथमा पानैपणा—
 असंसृष्टो हस्तः असंसृष्टं मात्रं तच्चैव तथैव पूर्ववत् भणितव्य, नवरं चतुर्थ्या
 नानात्वम्—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः पानकजातं जानीयात्, तद्यथातिलोदकं
 वा ६ अस्मिन् खलु पतद्ग्रहे अल्पं पश्चात्कर्म तथैव प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—ग्रह—अथ । भिक्खू—भिक्षु । जाणिञ्जा—इस बात को जाने कि ।
 सात पिडैपणाओ—सात पिडैपणा और । सात पाणैसणाओ—सात पानैपणा है । खलु—निश्चया-
 र्थक है । तत्थ—उन सात पिडैपणाओ मे से । इमा—यह । पढमा—पहली । पिडैसणा—
 पिडैपणा है कि । अससट्ठे हत्थे—हाथ लेने वाले पदार्थों से लिप्त नहीं । अससट्ठे मत्ते—
 और पात्र भी भोज्य पदार्थों से लिप्त न हो । तहूपपगारेण—तथा प्रकार के । असंसट्ठेण
 हत्थेण—अलिप्त हाथ से । वा—अथवा । मत्तेण—अलिप्त पात्र से । अशणं वा—अशनादिक
 चतुर्विध आहार की । सयं वा जाइञ्जा—याचना करे अथवा । परो । जा। वह गृहस्थ

नो उम । कामुय - प्रामुक जान कर । पडिगा हज्जा - ग्रन्थ कर ल । ण - वाक्यालकार में है । पडमा पिडसणा यह पहला पिडपणा है । अहावरा - अथ अ अथ । कुच्चा पिडसणा - त्तरी पिडपणा क्त है । ससटठ हत्थे - अचित्त पणाय स हाथ लिप्त है और । ससटठ मत्त - पात्र-भाजन भी अचित्त पदान स लिप्त है । तहेव - नो उम उसी प्रकार प्रामुक जानकर ग्रहण करे । कुच्चा पिडसणा - यह दूसरी पिडपणा है । अहावरा - अथ इसके आगे । तच्चा पिडसणा - तीसरी पिडपणा कहने है । खल - वाक्यालकार म है । इह - न्त मसार म या म म । पार्ण वा ४ - पूवात् चारा दिगामो म । सत्त वा - क्त एक अर्थानि वृत्त स त्रोग ह उनमें काइ २ । सडडा भवति - श्रद्धालु-श्रद्धा व सं भी हात है यत्ता । गाहापई वा - गह्यति, गह्यत्ता । जाव - यावत् । कम्मकरी वा - दामा पयत्त । ख - पुन । ण - वाक्यालकार म है । तेसि - उनक अणपरेसु - अ पार । विरुवत्थसु - नाता प्रार क । भायणजाएसु - पात्रो म । उवणिविपत्तपथेसिया - पत्त ही अणनात्तिक चत्तविध आहार रत्ता हुआ हो । नजहा - जन कि । यालनि वा - याल म । पिठरसि वा - पिठर-वत्तो या ज्ञानी म सरयसि वा - मूर्धा म । परगसि वा - पयवा दाम की टोकी म । वरगनि वा - जिपी विणि मत्त घ पात्र म । अह - अथ । पण - फिर । एय - इय प्रकार । जाणिज्जा - जान उन कि । अससटठ हत्थे - म चत्त व अ वत्त प त्त म यव लिप्त नत्ता है सि कु । ससटठ मत्त - भाजन लिप्त है तथा । ससटठ वा हत्थ - हाथ लिप्त है और । अससटठ मत्त - भाजन-पात्र लिप्त नहीं है । य - फिर । स - वह भिक्षु माधु । पडिगहत्थ रो मिया - पात्रो क धारण करन स स्वविरकली नी । वा अथवा । पाण पडमहिण - ष ही जिनया पात्र है एना जिनस्वी हा । स पटवामव - यह पहली । आलोइ जा दय विचारे और कहे । आउसात्ति वा - ह प्रायुप्पन । न मय अथवा भर्गान । तम एण - तम दम । अससटठण हत्थेण - अससटठ प्रतिष्ण हाथ म । अससटठण मत्तण - और लिप्त भाजन स । वा - अथवा । ससटठण हत्थेण - लिप्त हाथ म । अससटठण मत्तण - और अचित्त भाजन म । अस्सि पडिगहत्थि - इस हमार पात्र म । वा - अथवा । पाणिसि वा - हमार म म । नि टु - तावर । उच्चत्त दत्तयाहि - हमें द दी । गह्वणार - तथ प्रकार क स्थान एव । नोपणजाय - भाजन का । सय वा - स्वय । ज दूज्जा - यावना वरे । इ अथवा । परो वासत्ति जा - गन्थ स्वयमव द ना । फासय - उन प्रामुक जानकर । पडिगाहे ज - ग्रन्थ क रे । तदय पिठ्ठणा - यत्ता तामरा पिडपणा है । अहावरा - अथ इसके पन तर वत्त या पिडसणा - चाथी पिडपणा क्तने है । ने भिक्ख वा भिक्खणी वा - वत्ता माधु अथवा मात्ता । से ज - गन्थानि कुत्र म प्र ग रत्तन पर इस प्रकार जान तथा । पिठ्ठय वा - प्रति म पिठ्ठाव तप त्ति म दानि । जाय - यावत् । चाउत्तपत्तय वा - तथ रत्त चान्त । एत्त वाव तावत्त म है अ मत्त पडिगहत्थ स - हमारे म पत्र म । ज्ये

पच्छा कम्मे—जहा पश्चात् कर्म नहीं तथा । अपने पञ्जवजाए—तुपादि रहित है । तहूपगारं—
 तथाप्रकार के । पिहुय वा—अचित्त शान्यादि को । जाव—यावत् । चाउलपलव वा—तुप-
 रहित चावलो को । मय वा ण जाव पडि०—स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ स्वयं दे तो उमे
 प्रामुक जानकर स्वीकार करले, यह । चउत्था पिडेसणा—तीथी पिडेपणा है । अहावरा—अव
 उमके अनन्तर । पंचमा पिडेसणा—पाचवी पिडेपणा के विषय में कहते हैं यथा— । से भिक्खू
 वा—वह साधु या साध्वी । उग्गहियमेव भोयणजायं जाणिज्जा—खाने के लिए पात्र में रखे
 हुए भोजन को जाने, यथा । सरावसि वा—साराव में मिट्टी के मकोरे में । डिडिमसि वा—
 कानी के वर्तन में अथवा । कोसगसि वा—कोक-मिट्टी के बने हुए पात्र विशेष में । अह पुण
 एवं जाणिज्जा—अथवा फिर उम प्रकार जाने । बहुपरिपावन्ने—कि मचित्त जल में हाथ आदि
 धोए हुए उमे बहुत देर हो गई है जिसमें वह अचित्त हो गया है और । पाणिमु दगलेवे—हाथ
 आदि में निपत जल अचित्त हो रहा है । तहूपगारं—तथा प्रकार के । असणं वा ४—अग्गनादि
 चार प्रकार के आहार को । सयं वा ण० जाव पडि०—स्वयं याचना करे या गृहस्थ दे तो उमे
 प्रामुक जानकर स्वीकार करले । पंचमा पिडेसणा—यह पाचवी पिडेपणा है । अहावरा—
 अव अन्य । छट्ठा पिडेसणा—छठी पिडेपणा के सम्बन्ध में कहते हैं । से भिक्खू वा०—वह साधु
 अथवा साध्वी गृहस्थ के घर गया हुआ । पग्गहियमेव—भाजन में निकाली गई वस्तु दूसरे ने
 अभी ग्रहण नहीं की उम समय अभिगृहधारी भिक्षु । भोयणजाय—भोजनादि पदार्थ को जाने ।
 च—पुन—फिर । ज—जो वस्तु । सयदुठाय पग्गहिय—अपने लिए वर्तन आदि से निकाली है ।
 ज च—और जो फिर । परदुण्ण पग्गहिय—दूसरे के लिए निकाली है । तं पायपरियावन्नं—वह
 भोजनादि वस्तु गृहस्थ के पात्र में है अथवा । त पाणि परियावन्नं—हाथ में है, तो । फासुयं जाव
 पडिगाहिज्जा—उमे प्रामुक जानकर ग्रहण करले । छट्ठा—यह छठी । पिडेसणा—पिडेपणा
 है । अहावरा—अव इसके बाद । सत्तमा पिडेसणा—सातवी पिडेपणा के सम्बन्ध में कहते
 हैं । से भिक्खू वा भिक्खुणी वा—वह साधु अथवा साध्वी गृहपति के घर में गया हुआ । बहु-
 उज्झिय धम्मिय—उज्झित धर्म वाले । भोयणजाय—भोजनादि पदार्थ को । जाणिज्जा—
 जाने । जं चउत्ते—और जिसको फिर अन्य । वहुवे—बहुत से । दुपय-चउत्पय-समण-माहण-
 अतिहि-किवण-वणीमगा—द्विपद-चतुष्पद, (दो पैर और चार पैर वाले) श्रमण-शाक्यादि भिक्षु
 माहण-ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और वणीमग-भिखारी आदि । नावकखत्ति—नहीं चाहते हैं ।
 तहूपगारं—तथा प्रकार का आहार । उज्झिय धम्मिय—जिसको लोग नहीं चाहते ऐसे ।
 भोयणजायं—भोजन को । सयं वा ण जाइज्जा—स्वयमेव गृहस्थ से याचना करे अथवा ।
 मे—उस साधु को । परो वा दिज्जा—गृहस्थ दे । जाव—यावत्-मिलने पर । पडिगाहिज्जा—
 प्रामुक जानकर ग्रहण कर ले । सत्तमा पिडेसणा—यह सातवी पिडेपणा है । इच्चेयाओ—
 इस प्रकार ये । सत्त पिडेसणाओ—सात पिडेपणा कही गई है । अहावराओ—अव इसके

प्रदत्तः । सत्त-सात । पाणेतणाग्रो-पानपणा-पानी की एषणा कहते हैं । सत्त-निश्चय
 हा । सत्त-उन सात पानपणाग्रो म से । इमा पदमा-यह पहली पानपणा है । प्रससट्ठे ह्ये-
 प्रससट्ठ हाथ अलिप्त हाथ घोर । प्रससट्ठे मत्त-अलिप्त पात्र है अर्थात् हाथ घोर पात्र नहीं
 हा प्रदत्त हैं इत्यादि । त चेव भाणिपण्य-सब कुछ पूर्व कथित की भांति जानना । गवर-
 दत्तना विषय है कि । चउत्पाए-चौथी म । नानत्त-नानात्व है, विवेचना है । से निवणू
 वा निवणू वा-बढ़ माध या साध्वी । से ज०-गणपति वर में प्रवेग वरन पर फिर इन
 प्रकार । पाणगजाय-पाना क विषय में । चाणिग्जा-जाने । तजहा-जस कि । तिलोदण
 वा ६-तिनाति का घावन । सत्तु-निश्चय ही । अस्ति पडिगाट्टिसि-अन्ते ग्रहण वरन
 म । अपे पच्छा वम्मे-परचात्कम नहा है । तह्य पडिगाट्टिग्जा-तो उस उनी प्रकार
 प्रासुक जानकर ग्रहण करत ।

मूलार्थ-सयमशील साधु सात पिण्डैपणाग्रो तथा सात पानैपणाग्रो
 को जाने । उन सातों में से पहली पिण्डैपणा यह है कि अचित्त वस्तु से
 न हाथ लिप्त और न पात्र ही लिप्त है, तथा प्रकार के अलिप्त हाथ
 और अलिप्त पात्र से अशनादि चतुर्विध आहार की स्वयं याचना करे
 अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जाकर ग्रहण करले, यह प्रथम पिण्डैपणा
 है इसके अनन्तर दूसरी पिण्डैपणा यह है कि अचित्त वस्तु से हाथ और
 भाजन लिप्त हैं तो पूर्ववत् प्रासुक जान कर उसे ग्रहण करले, यह
 दूसरी पिण्डैपणा है । तदनन्तर तीसरी पिण्डैपणा कहते हैं-इस ससार
 या क्षेत्र में पूवादि चारों दिशाओं में बहुत पुरुष हैं उन में से कई एक
 श्रद्धालु-श्रद्धा वाले भी हैं, यथा गृहपति, गृहपत्नी यावत् उनके दास
 और दासी आदि रहत हैं । उनके वहा नानाविध भाजनों में भोजन
 रखा हुआ होता है यथा-थाल में, पिठर बटलोही में, सरक [झाज्रैसा]
 में टोकरी में और मणिजटित महाघ पात्र में । फिर साधु यह जाने कि
 गृहस्थ का हाथ तो लिप्त नहीं है भाजन लिप्त है, अथवा हाथ लिप्त है,
 भाजन अलिप्त है तब वह स्थबिर कर्त्वी अथवा जिनकल्पी साधु प्रथम
 ही उसको देखकर कहे कि ह आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा भग्नि ! तू मुझ
 को उस अलिप्त हाथ से और लिप्त भाजन से हमारे पात्र वा हाथ में

वस्तु लाकर दे दे । तथाप्रकार के भोजन को स्वयं मागले अथवा बिना-मांगे ही गृहस्थ लाकर दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले । यह तीसरी पिण्डैषणा है । अब चौथी पिण्डैषणा कहते हैं—वह भिक्षु तुषरहित शाल्यादि को यावत् भुग्न शाल्यादि के चावल को जिसमें पश्चात्कर्म नहीं हैं, और न तुषादि गिराने पड़ते हैं, इस प्रकार का भोजन स्वयं माग ले या बिना मांगे गृहस्थ दे तो प्रासुक जान कर ले ले, यह चौथी पिण्डैषणा है । पांचवी पिण्डैषणा—गृहस्थ ने सचित्त जल से हस्तादि को धोकर अपने खाने के लिए, सकोरे में, कासे की थाली में अथवा मिट्टी के किसी भाजन में भोजन रक्खा हुआ है—उसके हाथ जो सचित्त जल से धोए थे अचित्त हो चुके हैं तथाप्रकार के अशनादि आहार को प्रासुक जानकर साधु ग्रहण करले, यह पांचवी पिण्डैषणा है । छठी पिण्डैषणा यह है—गृहस्थ ने अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए वर्तन में से भोजन निकाला है परन्तु दूसरे ने अभी उसको ग्रहण नहीं किया है तो उस प्रकार का भोजन गृहस्थ के पात्र में हो या उसके हाथ में हो तो मिलने पर प्रासुक जानकर उसे ग्रहण कर ले । यह छठी पिण्डैषणा है । सातवी पिण्डैषणा यह है—वह साधु या साध्वी, जिसे [बहुत से पशु-पक्षी मनुष्य-श्रमण (बौद्ध भिक्षु) ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारी लोग नहीं चाहते, तथाप्रकार के उज्जिभक्त धर्म वाले भोजन को स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण कर ले, यह सातवी पिण्डैषणा है । इस प्रकार ये सात पिण्डैषणाएं कही हैं । तथा, अपर सात पानैषणा अर्थात् पानी की एषणाएं हैं । जैसेकि अलिप्त हाथ और अलिप्त भाजन आदि, शेष सब वर्णन पूर्व की भाति, समझना चाहिए । और चौथी पानैषणा में नानात्व का विशेष है । वह साधु या साध्वी पानी के विषय में जाने जैसे कि तिलादि का धोवन जिसके ग्रहण करने पर पश्चात्कर्म नहीं लगता है तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करले । शेष पानैषणा पिण्डैषणा की तरह जाननी चाहिए ।

हिंदी विवरण

प्रस्तुत सूत्र में त्रिशिष्ट अभिप्रहधारी मुनियुक्त के मात पिण्डपणा एव मात पानैपणा का वर्णन किया गया है। इसमें आहार एव पानी प्रण करना एक ही ही नियम हैं। ये बातों पणान्न म प्रकार हैं—

१-अलिप्त हाथ एव अलिप्त पात्र से आहार प्रण करना प्रथम पिण्डपणा है और अलिप्त हाथ एव अलिप्त पात्र से पानी प्रण करना प्रथम पानैपणा है।

२-लिप्त हाथ और लिप्त पात्र से आहार ग्रहण करना द्वितीय पिण्डपणा है और पसी ही विधि से पानी ग्रहण करना द्वितीय पानैपणा है।

३-अलिप्त हाथ और लिप्त पात्र या लिप्त हाथ और अलिप्त पात्र से आहार एव इसी विधि से पानी ग्रहण करना तृतीय पिण्ड एव पानैपणा है।

४-माधु को आहार दन के बाद सचित्त जन से हाथ या पात्र आदि धोना या पुन आहार बनाने आदि का पश्चात्कर्म नहीं करना चतुर्थ पिण्डपणा है, इसी तरह पानी देने के बाद भी पश्चात् कर्म नहीं लगाना चतुर्थ पानैपणा है। इसमें तिल तुष, यत्र (जौ) का धोवन, आयाम—जिस पानी में गर्म रसु ठण्डी की जाती है, कानी का पानी और उष्ण जल आदि ६ प्रकार के प्रासुज जल का नाम निर्देश किया है। परंतु उपलक्षण से अत्र प्रासुज पानी को न समझना चाहिए।

५-गृन्थ ने अपने पात्र में ग्राह्य पदार्थ रखे हैं और उसके बाद यह सचित्त जल में हाथ धोता है, यदि हाथ धोने के बाद यह जल अधिक रूप में परिवर्तित हो गया है तो मुनि उससे हाथ से आहार ले सकता है। इस तरह पानी भी ले सकता है, यह पाचवीं पिण्डपणा एव पानैपणा है।

६-गृन्थ ने अपने या अन्य के स्थाने के लिए पात्र में ग्राह्य पदार्थ रखा है परंतु न स्वयं ने खाया है और न अन्य ने ही खाया है, ऐसा आहार ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना छठी पिण्डपणा है और ऐसा पानी लन का मन्थन करना छठी पानैपणा है।

७-जिस आहार को प्रस्तुत स लोग खाने की इच्छा नहीं रखने हों ऐसा रस आहार लेने का मन्थन करना सातवीं पिण्डपणा है। इसी तरह उसे पानी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना सातवीं पानैपणा है।

उक्त अभिप्रह चित्रकल्प एव स्थितिकल्प दीना तरह के मुनियुक्त के लिए है। तृतीय पिण्डपणा में 'विष्णुधारी सिया पाणि पडिगहिए वा तथा छठी पिण्डपणा में, पाच

परियावन्न पाणि परिवावन्न' दो पदों का उल्लेख करके यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों ही कल्प वाले मुनि इन अभिग्रहों को ग्रहण कर सकते हैं।

प्रस्तुत मूत्र में उस युग के गृहस्थों के रहन-सहन, आचार विचार एवं उस युग की सभ्यता का स्पष्ट परिचय मिलता है। ऐतिहासिक अन्वेषकों के लिए प्रस्तुत मूत्र महत्त्वपूर्ण है।

'उज्ज्वल धर्म वाला' अर्थात् जिस आहार को कोई नहीं चाहता हो इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो अधिक मात्रा में होने के कारण विशेष उपयोग में नहीं आ रहा है। परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पदार्थ खाने योग्य नहीं है। इस अभिग्रह का उद्देश्य यही है कि अधिक मात्रा में अवशिष्ट आहार में से ग्रहण करने से परचत्कर्म का दोष नहीं लगता है।

प्रस्तुत मूत्र में प्रयुक्त 'बहुपरियावन्ने पाणीसु दगलेवे' का अर्थ है— यदि सचित्त जल से हाथ धोए हों, परन्तु हाथ धोने के बाद वह जल अचित्त हो गया है तो साधु उस व्यक्ति के हाथ से आहार ले सकता है।

"सय वा जाइज्जा परो वा से दिज्जा" वा तात्पर्य है— जिस प्रकार मुनि गृहस्थ से आहार की याचना करे उसी प्रकार गृहस्थ के लिए भी यह विधान है कि वह भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक साधु को आहार ग्रहण करने की प्रार्थना करे।

उक्त अभिग्रह ग्रहण करने वाले मुनि को अन्य मुनियों के साथ—जिन्होंने अभिग्रह नहीं किया है या पीछे से ग्रहण किया है, कैसा वर्तव्य रखना चाहिए, इस संबंध में मूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इच्चेयासिं सत्तरहं पिंडेसणाणं सत्तरहं पाणेसणाणं
अन्नयर पडिमं पडिवज्जमाणो नो एवं वइज्जा-मिच्छापडि-
वन्ना खलु एए भयंतारो. अहमेगे सम्मं पडिवन्ने. जे एए
भयंतारो एयात्थो पडिमात्थो पडिवज्जित्ता णं विहरंति, जो य
अहमंसि एयं पडिमं पडिवज्जित्ताणं विहरामि सब्बेवि ते उ
जिणाणाए उवट्ठिया अराणुन्न समाहीए, एवं च णं विहरंति,

एष खलु तरम भिक्षुस्म भिक्षुर्णाए वा सामगिय ॥६३॥

आया—रूपेतामा मप्ताना पिण्डेषणाना मप्ताना पानेषणाना अन्यतरा प्रतिमा प्रतिपत्रमानो नैतद् उदेत्, तद्यथा— पिण्या प्रतिपन्ना खलु एत भयत्रा तार (भगवत) यद्भवति मम्भू प्र तरान ये एते भयत्रातार एता प्रतिमा प्रतिपत्र पिडन्ति यत्रपि एता प्रतिमा प्रतिपत्र विहगमि मर्षेऽपि ते जिना-ज्ञाया ममुथितो अयाऽन्यममात्रिना एव च विहगन्ति । एव खलु तस्य भिनो भिक्षुया वा सामग्रयम ।

पदार्थ इच्छेयाति—इम प्रकार य । सततह—मान । पिडसण—पिण्या धी । स-ण्ड पानसण—मात पानपणा म म । इ-य-अ-उ-ए-ओ । पडिम—प्रतिमा को । पाडव-जमाने—ग्रहण करता हुआ फिर । एव—एव प्रकार । मो वडज-न मान । खलु—निश्चय । एष यतारो—य मय अभिग्रह धारण करने वा न भगवत अर्थात् माधु वाग । भिक्षु पडिव ना—भिक्षु प्रतिपत्र अथवा पिडपणात् अभिग्रह को र होने मधी तरह ग्रहण महा किया है । अहमेव—मैं ही एक प्रकार । सम्म पडिव ने—सम्भव भनी प्रकार म अभिग्रह का ग्रहण करने वाला नू अथवा जिम प्रकार अभिग्रह धारण किया है उम प्रकार ना और को र न । हे एम प्रकार मनि न नया बोलना चाहिए कि नु एम तरह बोलना चाहिए मरा । जे—जा । ए—य सब । भयतारो—भय मरना करने वा न भगवान माधु । एयात्रो पडिमात्रो—एन प्रतिमात्रा का । पडिव जता—ग्रहण करके । ण—वाक्यान्कार में है । विहरति—विचरत है । य—यार । जा—जो । अहमसि—म । एव—एव । पडिम—प्रतिमा रूप प्रतिमा का । पडव जलण—ग्रहण करके । विहगमि—विचरना हू । स वे वि स—य मय हा । उ—विक्र-विक्र मय म है । जिनाणाए—जिन भगवान को माना म उर्वा टपा—उत्स्थित हुए । अ-वु न समाहित—अर्थात् परस्पर समाधि म । एष च ण—इम प्रकार । विहरति—विचरत है । चकार पुनश्चक ह । ण—वाक्यान्कार म है । ए-अ-उ-ए-ओ—एव प्रकार निश्चय है । तस्य—एव । भिक्षुस्त—भिक्षु । वा—अथवा । भिक्षुगी—भिक्षुगी वा का । सामगिय—समग्र अन्न भाव है—सम्पूर्ण साधार है ।

मूलार्थ—एन गीना पिण्डेषणाया तथा पानपणाया मे से किसी एक प्रतिमा प्रतिना अभिग्रह को ग्रहण करता हुआ माधु फिर इम प्रकार न उह य मय अथ माधु सम्यवनया प्रतिमाया वा ग्रहण करने वाले गी

है, केवल एक मै हो सम्यक् प्रकार से प्रतिमा ग्रहण करने वाला हू । उसे किस तरह बोलना चाहिए ? इस विषय में कहते हैं—ये सब साधु महा-राज इन प्रतिमाओं को ग्रहण करके विचरते हैं । य सब जिनाज्ञा में उद्यत हुए परस्पर समाधि पूर्वक विचरते हैं । इस तरह जो साधु साध्वी अहभाव को नहीं रखता उसी में साधुत्व है और अहकार नहीं रखना सम्यक् आचार है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधना में अहंकार करने का निषेध किया गया है । साधना का उद्देश्य जीवन को ऊंचा उठाना है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है । अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरे की निन्दा एवं असूया से ऊपर उठकर क्रिया करे । यदि कोई साधु उसके समान अभिग्रह या प्रतिमा स्वीकार नहीं करता है, तो उसे अपने से निम्न श्रेणी का मानना एवं उससे घृणा करना साधुत्व से गिरना है । साधना की दृष्टि से की जाने वाली प्रत्येक क्रिया महत्त्व पूर्ण है और उसका मूल्य बाह्य त्याग के साथ आभ्यन्तर दोषों के त्याग में स्थित है । यदि बाह्य साधना की उत्कृष्टता के साथ-साथ उस त्याग का अहंकार है और दूसरे के प्रति ईर्ष्या एवं घृणा की भावना है तो वह बाह्य त्याग आत्मा को ऊपर उठाने में असमर्थ ही रहेगा । अस्तु, प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपने त्याग का, अपने अभिग्रह आदि का गर्व नहीं करना चाहिए और अन्य साधुओं को अपने से हीन नहीं समझना चाहिए । उसे तो साधना के पथ पर गतिशील सभी साधकों का समान भाव से आदर करना चाहिए । गुण सम्पन्न पुरुषों के गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए । इसी से आत्मा का विकास होता है ।

आगम में यह स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि साधु को परस्पर एक-दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाहिए । एक वस्त्र रखने वाले मुनि को दो वस्त्रधारी मुनि की और दो वस्त्र सम्पन्न मुनि को तीन या बहुत वस्त्र रखने वाले मुनि की निन्दा नहीं करनी चाहिए । इसी तरह अचेलक मुनि को सवस्त्र मुनि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए । साधु को निन्दा—चुगली से सर्वथा निवृत्त रहना चाहिए^१ । क्योंकि आत्मा का विकास

^१ जेऽपि दुवत्थ तिवत्थो बहुवत्थो अचेल ओच्चसथरइ, न हुते हीलंति परं सव्वेविश्र ते जिणाणाए ।

निर्दाण्ड शुगली न निवृत्त होन म हे । साधना का महत्त्व आभ्यन्तर गौण व त्याग म
हे, न कि केवल बाह्य साधना म । माता मन्द्या एव भरत चक्रवर्ती ने आभ्यन्तर दापों
का त्याग करके ही गृन्थ क रण म पूजना को प्राप्त किया था ।

शत्रुत सूत्र म सात विवर्षण आ का उल्लेख करके अभिप्रष्ट को सत्या सीमित
कर ली है । मान मे उदात्त या कम अभिप्रष्ट नहीं होने । श्रीर विहृत यत्नमानकालिक
किया का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि शत्रित का साधना उतमान म ही हाती
है । ज्ञान एव उद्योग पूर भव म भा साय मे आने है और एक गति न दूसरा गति म चात
समय भी साय रहते है । पर तु शत्रित न पूरभव मे साय म आना है और न साथ म
जाता है । उसकी साधना आराधना इसी भव म का वा मरतो है ।

अभिप्रष्ट के सम्बन्ध म वृत्तिहार का मत है कि शत्रित रूपी मुनि मत अभिप्रष्ट
स्वीकार कर मरता है और चिन क री मुनि व अभिप्रष्ट स्वीकार कर मरता है ।

आगमोक्त्य समिति की प्रति मे शत्रुत उद्देश्य के अन्त म 'त्तिवेमि' नहीं किया
है । कि तु अन्य कद प्रतिया म 'त्तिवेमि' शब्द दिया है । 'त्तिवेमि' का वाक्या परन्तु
सममता राहिए ।

॥ स्यादहरा उद्देश्य समान ॥

॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

ॐ अथ च त्वं नारायण—गच्छन्तना गच्छन्तिगताश्च तत्र गच्छन्तगताना सप्ता
साप्तिकं जमन्ताना सप्त दिग्गताना पुन साद्वोरत्र पञ्चस्वर्गिभ्य इति ।

— आचार्यज्ञानमुनि ।

द्वितीय अध्यायन शक्यपणा

प्रथम उद्देशक

आप्रात्मिक चिन्तन के लिए जरूर प्रमुख मायन है और शरीर की स्वस्थता के लिए आहार प्रदहण करना पड़ता है। इसलिए प्रथम उद्देशक में यह बताया गया है कि माधु को आहार कैसा और किस तरह से प्रदहण करना चाहिए। आहार प्रदहण करने के पश्चात् यह प्रश्न पैदा होता है कि आहार किस स्थान में किया जाए और कहां ठहरा जाए तथा निहार कहां किया जाए? उक्त प्रश्न का समाधान प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन का नाम है—शक्या-पणणा। शक्या चार प्रकार की बताई गई

है— १-द्रव्य शक्या, २-क्षेत्र शक्या, ३-काल शक्या और ४-भाव शक्या। इसमें द्रव्य शक्या— १-सचिन्त, २-अचिन्त और ३-मिश्र क भेद से तीन तरह की बताई गई हैं। मनोव पृथ्वी आदि में सचिन्त शक्या, अचिन्त [निर्जीव] पृथ्वी आदि को अचिन्त शक्या और अर्द्धपरिणत पृथ्वी आदि—जो अभी तक पूर्णतया अचिन्त नहीं हुई है, को मिश्र शक्या कहा गया है। ग्राम, शहर आदि स्थान विशेष में की जाने वाली शक्या को क्षेत्र-शक्या और अनुवृद्ध काल में की जाने वाली शक्या को काल-शक्या कहते हैं। भावशक्या के दो भेद हैं—१-काय विषयक भाव शक्या और २-भाव विषयक भाव शक्या। गर्भ में स्थित जीवों की शक्या को काय विषयक भावशक्या कहते हैं। क्योंकि, गर्भस्थ जीवों की स्थिति माता की वशा (हालत) के अनुरूप बताई गई है। और जो जीव जिस समय आंदोलिक आदि जिम भाव में परिणत करते हैं, उस समय उनकी वही भाव-विषयक भावशक्या कहलाती है। यथा— 'शयन शक्या' इस भाव-प्रधान व्युत्पत्ति के अनुरूप भावशक्या का वर्णन किया गया है।

इस तरह प्रस्तुत उद्देशक में शक्या के गुण-दोषों का वर्णन किया गया है और आधाकर्म आदि दोषों से युक्त शक्या का त्याग करके निर्दोष शक्या को स्वीकार करने का आदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० अभिकंखिज्जा. उवस्सयं एसित्तए

अणुपविसिक्ता गाम वा जाव रायहाणि वा, से ज पुण उवस्मय जाणिज्जा मयड जाव ममताण्य तहप्पगारे उवस्मए नो ठाणं वा सिज्ज वा निमीहिय वा चेडज्जा ॥

से भिक्खू वा० से ज पुण उवस्मय जाणिज्जा अप्पट जाव अप्पमताण्य, तहप्पगारे उवस्मए पडिलेहिक्ता, पर्माज्जिता तयो सजयामेव ठाण वा ३ चेडज्जा ॥

से ज पुण उवस्मय जाणिज्जा अस्सि पडियाए एग साह म्मिय ममुद्दिस्स पाणाइ ४ ममारब्भ ममुद्दिस्स, कीय पामिच्च अच्चिज्ज अणिसट्ठ, अभिट्ठ, आहट्ठु चेएड, तहप्पगारे उवस्मए पुरिसत्तरकडे वा जाव अणासेविए वा नो ठाण वा ३ चेडज्जा । एव वहवे माहम्मिया एग माहम्मिणि वहवे साह म्मिणीयो । से भिक्खू वा० से ज पुण उ० वहवे समणवणीमए पगणिय २ समुद्दिस्स त चेव भाणियञ्ज ॥

से भिक्खू वा० से ज० वहवे समण० ममुद्दिस्स पाणाइ ४ जाव चे एति, तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसत्तरकडे जाव अणासेविए नो ठाण वा ३ चेडज्जा ३, अह पुणेव जाणिज्जा, पुरिसत्तरकडे जाव सेविए पडिलेहिक्ता २ तयो मजयामेव चेडज्जा ॥

मे भिक्षुं वा० से ज पुण्ण अस्संजए भिक्षुपडियाए
 कडिए वा उक्कविण व छन्ने वा लित्ते वा घट्ठे वा मट्ठे वा
 संमट्ठे वा संपधूमिए वा तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे
 जाव अणासेविए नो ठाणं वा सेज्जं वा निसीहि वा चेइज्जा,
 अह पुण्ण एवं जाणिज्जा पुरिसंतरकडे जाव आसेविए पडिले-
 हित्ता २ तथो चेइज्जा ॥६४॥

छाया—स भिक्षुः वा० अभिकाक्षेत्, उपाश्रयं एषितुं अनुप्रविश्य ग्राम
 वा यावत् राजधान्यां वा स यत् पुनः उपाश्रय जानीयात् साण्डं यावत् स-
 मन्तानकम् । तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थान वा शय्या वा निषीधिकां वा
 चेतयेत्, स भिक्षुर्वा० यत् पुनः उपाश्रयं जानीयात् अल्पाण्ड यावत् अल्प
 मन्तानकं तथाप्रकारे उपाश्रये प्रतिलिख्य प्रमज्य तत्. संयतमेव स्थान वा ३
 चेतयेत् । स यत् पु : उपाश्रयं जानीयात् एतत्प्रतिज्ञया एक साधमिक
 समुद्दिश्य प्राणानि ४ समारभ्य समुद्दिश्य क्रीत प्रामृत्य आच्छेद्यं अनिसृष्ट
 अभ्याहृत आहृत्य, चेतयति तथाप्रकार उपाश्रये पुरुषान्तर कृते यावत् अना-
 सेविते नो स्थान वा ३ चेतयेत्, एव बहवः साधमिकाः एका साधमिका
 बह्वी साधमिकाः ? स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः उपाश्रयं० बहून् श्रमण वनीप-
 कान् प्रगणय २ समुद्दिश्य, तच्चैव भणितव्यम् । स भिक्षुर्वा० स यत् बहून्
 श्रमण० समुद्दिश्य प्राणानि ४ यावत् चेतयति तथाप्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्तर
 कृते यावत् अनासेविते नो स्थानं वा ३ चेतयत् । अथ पुनरेवं जानीयात्
 पुरुषान्तरकृतः यावत् सेवितः प्रतिलिख्य २ ततः संयतमेव चेतयेत् । स
 भिक्षुर्वा० स यत् पुनः अमयतः भिक्षुप्रतिज्ञया कटकितो वा उत्कवितो वा
 छन्नो वा लिप्तो वा घट्टो वा मृष्टो वा समृष्टो वा संप्रध्वितो वा तथा-
 प्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्ताङ्गने यावत् अनासेविते नो स्थानं वा शय्या

वा निषीधिका वा चतयेत् । अथ पुनर्ग्रे । जानीयात्, पुरुषान्तरकृत यात्र
आमयित प्रतिलिख २ तन चेतयेत् ।

पदाय—से—उह । मित्रू वा—माधु अथवा सात्री । उवसय—उपाश्रय की ।
एत्सिए—भवणा करनी । अमिक्खे—जा—चा—तत्र । गाम वा—ग्राम मे अथवा । जाव—
यावन । रायहाणि वा—राजधाना म । अणुपविसिस्ता—प्रवण करक । से व भिक्षु । प
पण—जो फिर । उवसय—उपाश्रय को । जाणिज्जा—जाने । स अड—अडानि स युक्त ।
जाव—यावन । ससताणय—मक्का अति क जाला न युक्त । तहपगारे—तथा प्रकार क ।
उवसए—उपाश्रय म । ठाण वा—काया मग का स्थान अथवा । सिज्ज वा—गय्या-मस्कारक
मयारे का स्थान । निमोहिय वा—अथवा स्वायय भूमि का स्थान । ना चेज्जा—न करे ।

से मित्रू वा—वह माधु या माध्वी । स ज पण—जो फिर । उवसय
जाणिज्जा—उपाश्रय का जान । अण्ड—अडा मे रहित । जाव—यावन । अणुपविसिस्ता—
मक्की अति के जाना स रति । तहपगारे उवसाए—म प्रकार क उपाश्रय की । पडिले-
हिस्ता—प्रतिबन्धना कर । पमज्जिस्ता—प्रमाजना क । तपो—तपोतर । मज्जमेव—
मयत-माधु । ठाण वा ३—कायात्मग गय्या ग्रीग स्वायय भूमि का स्थान । चेज्जा—बनाव ।

से ज पुण—वह साधु फिर । उवसय जाणिजा—उपाश्रय को जाने, यथा । अस्ति
पडियाए—स प्रतिज्ञा-प्रधान् साधु का प्रतिना मे । एग साहम्मिय—एक सार्थमिक साधु का ।
समुहिस—उत्तर रक्षक । पाणा—प्राणी अति का । समारम—समारम्भ करक अर्थात्
पटक य की विराधना सिमा करक । समुहिस—तथा साधु क उद्देश्य मे । कूप—मोत कर ।
पानिच्छ—दूमर स उधारा लेकर । अच्छिज्ज—अथ स छीन कर । अणिसिठ—दो या दो म
अशिक की मालवियन क उपाश्रय को एक की अज्ञा के बिना ग्रहण करक । अमिहड—मय
मे अज्ञा । आहट्ट—न कर । चेएवि—ना ३ ती । तपवगारे उवसाए—तथाप्रकार क उपाश्रय
म । पुसितरकड—पुरुषा तर कृत । वा—अथवा अणुपान्तरकृत । जाव—यावन । अणासे-
विए—अनासविन मयित—अथान सवन नहा किया या नवन किया हा उमम । ठाण ३ वा—
स्थान ति काया मगाति । दो चेज्जा—न कर । एव—मी प्रकार । बहुवे साहम्मिया—वत्त
स स धर्मी साधु अथवा । एग साहम्मिणि—एक माध्वी तथा । बहुवे साहम्मिणीपो—वत्त
साध्विया क विषय मे भी जानना चाहिए ।

से मित्रू वा०—यत् साधु अथवा सात्री । से ज पण—जो फिर । उवसय-
जाणिज्जा—उपाश्रय का जान जस कि । बहुवे समण वणीमए—रमण तथा मिलारियो की ।

पगणिय २—गिन गिन कर । तमुद्दिस्त—एक एक का उद्देश करके । तं चैव भाणियव्वं—
 शेष वर्णन पूर्व की ही भांति जानना चाहिए । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । मे जं०—
 फिर वह उपाश्रय को जाने । बहवे—बहुत मे । समण०—अमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और
 भिक्षारियों का । ममुद्दिस्त—उद्देश्य करके । पाणाड्ड ४—प्राणी, भूत, जीव और सत्वो की
 हिंसा करके । जाव—यावत् । चेइति—उपाश्रय बनाया है । तहपगारे—तथा प्रकार का उपाश्रय ।
 अपुरिसंतरकडे—अपुरुषान्तर कृत । जाव अनासेविए—यावत् अनासेवित अर्थात् जिसे किसी
 ने भी भेदन नहीं किया है ऐसे उपाश्रय मे । ठाण वा ३—कायोत्सर्ग, मस्तारक तथा स्वाध्याय
 आदि । नो चेइज्जा—न करे । अह पुण एव जाणिज्जा—अथ फिर इस प्रकार जाने कि ।
 पुरिसंतरकडे—यह उपाश्रय पुरुषान्तर कृत है । जाव—यावत् । सेविए—दूसरो से सेवित है उसे ।
 पडिलेहिन्ता २—प्रतिलेखन करके । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—साधु कायोत्सर्गादि—
 चेइज्जा—करे ।

से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी । से ज पुण—वह जो फिर । असंजए—
 गृहस्थ ने । भिक्खू पडियाए—साधु के लिए । कडिए वा—काण्ठादि से दीवार आदि का संस्कार
 किया । उक्कंविए वा—अथवा वाम आदि से बाधा है । छन्ने वा—तृणादि से आच्छादित किया
 है । लिच्चे २ वा—गोबर आदि मे उरलित्त किया है । घट्ठे वा—या सवारा है अथवा ।
 मट्ठे वा—ऊची नीची भूमि को समतल बनाया है । समट्ठे वा—उसे घोट कर कोमल बनाया
 है और दुर्गन्ध आदि को दूर करने के लिए । मंपधूमिए वा—धूप आदि के द्वारा सुगन्धित किया
 हो । तहपगारे—तथा प्रकार का । उवस्सए—उपाश्रय जोकि । अपुरिसंतरकडे—पुरुषान्तर-
 कृत नहीं है । जाव—यावत् । अनासेविए—अनासेवित है उसमे । ठाण वा ३—कायोत्सर्ग ।
 सेज्जं वा—अथवा शैथ्या-मस्तारक या । णिसीहिय वा—स्वाध्याय । नो चेइज्जा—न करे ।
 अह पुण एवं जाणिज्जा—फिर वह इस प्रकार जाने कि जो उपाश्रय । पुरिसंतरकडे—पुरुषान्तर
 कृत । जाव—यावत् । आसेविए—आसेवित है तो उसका । पडिलेहिन्ता—प्रतिलेखन करके ।
 तओ—तदनन्तर उसमे कायोत्सर्गादि कार्य । चेइज्जा—करे ।

मूलार्थ—वह साधु वा साध्वी उपाश्रय की गवेपणा के लिए ग्राम
 यावत् राजधानी मे जाकर उपाश्रय को जाने जो उपाश्रय अण्डो से यावत्
 मकड़ी आदि के जालो से युक्त है तो उसमे वह कायोत्सर्ग सस्तारक
 (सथारा) और स्वाध्याय न करे । वह साधु या साध्वी जिस उपाश्रय को
 अण्डो और मकड़ी के जाले आदि से रहित जाने, उसे प्रतिलेखित और

प्रमाजित करके उसमें कायात्सर्गादि करे ।

जो उपाश्रय एक साधर्मों के उद्देश्य से प्राणों, भूत, जीव और सत्वादिका समारम्भ करके मोल लेकर, उधार लेकर, किसी निवल सत्त्वोत्पत्ति कर यदि स्व सागरण का है तो किसी एक की भी बिना आज्ञा किए साधु को देता है तो इस प्रकार का उपाश्रय पुरुषान्तरकृत हो अथवा अपुरुषान्तरकृत एक मेचित है या अनामेचित उमम साधु कायोत्सर्ग आदि काय न करे । इसी प्रकार जो बहुत से साधर्मियों के लिए बनाया गया हो तथा एक साधर्मियों या बहुत सी साधर्मियों के लिए बनाया आदि गया है उसमें भी स्थानादि कायोत्सर्गादि न करे । और जो उपाश्रय बहुत से श्रमणा तथा भिक्षारियों के लिए बनाया गया हो उसमें भी स्थान न करे ।

जो उपाश्रय शाक्यादि भिक्षुओं के निमित्त पट्काय का समारम्भ करके बनाया गया है जब तक वह अपुरुषान्तरकृत यावत् अनामेचित है तब तक उमम स्थानादि—कायात्सर्गादि न कर, और यदि वह पुरुषान्तरकृत या अमेचित है तो उसका प्रतिरक्षण करके यत्नापूर्वक वहा स्थानादि पाय कर सकता है ।

जो उपाश्रय गृहस्थ न साधु के लिए बनाया हुआ है उमम का बाण्डादि स मन्वार किया है राम आदि म वा धा है तृणादि स आच्छादिन किया है गाव आदि स नापा है मवाग है तथा ऊचा नीची भूमि का ममाल बनाया है मुजोमन बनाया है जोर दुग गादि का दूर करन के लिए मुगधित द्र या स मुवासित किया है तो उम प्रकार का उपाश्रय जब तक अपुरुषान्तरकृत या अनामेचित है तबतक उमम नहा ठहरना चाहिए और यदि वह पुरुषान्तरकृत यावत् अमेचित हागया है तो उम का प्रति रक्षण करन उमम स्थानादि पाय कर सकता है अथवा कायात्सर्ग मयाग और स्वाध्याय आदि कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गांव या शहर में ठहरने के इच्छुक साधु-साध्वी को उपाश्रय (ठहरने के स्थान) को गवेषणा करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि उस स्थान में अण्डे एवं मकड़ी के जाले आदि न हों और बीज एवं अनाज के दाने बिखरे हुए न हों। क्योंकि अण्डे, बीज एवं सट्टी आदि में युक्त मकान में ठहरने से उनकी विराधना होने की सम्भावना है। अतः साधु को ऐसे मकान की गवेषणा करनी चाहिए कि जिसमें संयम की विराधना न हो। यदि किसी मकान में चांदा आदि जुद्ध जन्तु हों तो उस मकान का प्रमार्जन करके उन व्रस जीवों को एकान्त में छोड़ दे। इस तरह साधु ऐसे मकान में ठहरे जिसमें किसी भी प्राणी की विराधना (हिंसा) न हो।

स्थान की गवेषणा करते समय जुद्ध प्राणियों से रहित स्थान के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि वह स्थान साधु के उद्देश्य से न बनाया गया हो, साधु के लिए किसी निवेल व्यक्ति से छीन कर न लिया गया हो, अनेक व्यक्तियों के साम्ने का न हो तथा सामने लाया हुआ न हो। यदि वह उपरोक्त दोषों से युक्त है तो वह स्थान चाहे गृहस्थों ने अपने काम में लिया हो या न लिया हो, चाहे उसमें गृहस्थ ठहरे हों या न ठहरे हों, साधु के लिए अकल्पनीय है, साधु उस स्थान में न ठहरे।

साम्ने के मकान के विषय में इतना अवश्य है कि यदि वह मकान साधु के लिए नहीं बनाया गया है और जिन व्यक्तियों का उस पर अधिकार है वे सब व्यक्ति इस बात में सहमत हैं कि साधु उक्त मकान में ठहरे तो साधु उस मकान में ठहर सकते हैं। यदि उन में से एक भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि साधु उक्त मकान में ठहरे तो साधु को उस मकान में नहीं ठहरना चाहिए।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या मकान भी सामने लाकर दिया जाता है? इसका समाधान यह है कि तम्बू आदि सामने लाकर खड़े किए जा सकते हैं। लकड़ी के बने हुए मकान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। और आजकल तो ऐसे मकान भी बनने लगे हैं कि उन्हें स्थानान्तर किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट होता है कि साधु के निमित्त ६ काय की हिंसा करके जो मकान बनाया गया है, साधु को उस मकान में नहीं ठहरना चाहिए। और जो मकान साधु के लिए नहीं बनाया गया है, परन्तु उसमें साधु के निमित्त फर्श आदि को लीपा-पोता गया है या उसमें सफेदी आदि कराई गई है, तो साधु को उस मकान में तब तक नहीं ठहरना चाहिए जब तक वह पुरुषान्तर नहीं हो गया है। इसी तरह जो मकान अन्य

भमणाङ्ग के लिए या अन्य यन्त्रिया के ठहरने के लिए बनाया गया है— जैसे धमशाला आदि । ऐसे स्थाना में उनके ठहरने के पश्चात् पुरषा तर होन पर साधु ठहर सकता है ।

इसी बात को श्रीर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से भिक्खु वा० मे ज० पुण उवस्सय जा०
 यस्मजए भिक्खुपडियाए सुडिडयायो दुवारियायो महल्लियायो
 कुज्जा, जहा पिडेमणाए जाव संथारग मथारिज्जा वहिया वा
 निन्नकसु तहप्पगारे उवस्सए यपु० नो ठाण ३ ग्रह पुणोव०
 पुरिमतरकडे यासेविए पडिलेहिता २ तयो मजयामेव जाव
 चेड्जा । मे भिक्खु वा० से ज० यस्मजए भिक्खुपडियाए
 उदग्गप्पमूयाणि कडाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा पुप्फाणि
 वा फलाणि वा वीयाणि वा हरियाणि वा ठाणाओठाण साहरड
 वहिया वा निणणकसु त० यणु० नो ठाण वा चेड्जा, ग्रह पुण०
 पुरिमतरकड चेड्जा । से भिक्खु वा से ज० यस्मज० मि०
 पीट वा फनग वा निस्मेणि वा उदग्गज्ज वा ठाणाओठाण सा
 हरड वहिया वा निणणकसु तहप्पगारे उ० यपु नो ठाण वा
 चेड्जा, ग्रह पुण० पुरिम चेड्जा ॥८५॥

छाया— म भिहु वा म यत् पुन उवाअय जानायात्, अमयत् भिहु

प्रतिज्ञया क्षुद्रद्वारं महाद्वारं कुर्यात् तथा पिण्डैपणायां यावत् सस्तारकं संस्तरत्, वहिर्वा निस्मारयति तथाप्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्तरकृते नो स्थान० ३ । अथ पुनरेवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतः आसेवितः प्रतिलिख्य २ ततः सयतमेव यावत् चेतयेत् । म भिक्षुर्वा० म यत् भिक्षुप्रतिज्ञया उदकप्रसृतानि कन्दानि वा मूलानि वा पत्राणि वा पुष्पाणि वा, फलानि वा, बीजानि वा, हरितानि स्थानात् स्थानं साहरति—सक्रामयति वहिर्वा निस्मारयति त० अ पु० नो स्थानं वा ३ चेतयेत् । अथ पुनरेवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतं चेतयेत् । स भिक्षुर्वा स यत् असंयतः भिक्षुप्रतिज्ञया पीठ वा फलक वा निश्रेयि वा उदूखल वा स्थानतः स्थानं सक्रामयति वहिर्वा निस्मारयति तथाप्रकारे उपाश्रये अपुरुषान्तरकृते नो स्थानं वा ३ चेतयेत्, अथ पुनरेवं जानीयात् पुरुषान्तरकृतं चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खु वा—साधु अथवा साध्वी । से ज० पुण उवस्सय जा०—वह जो फिर उपाश्रय को जाने । अस्संजए—अमंगल—गृहस्थ । भिक्खुपडियाए—भिक्षु-साधु के लिए । खुड्डियाओ दुवारियाओ—छोटे द्वार को । महत्तियाओ—बड़ा । कुज्जा—बनाए । जहा पिडेसणाए—जैसे पिंडैपणा अध्ययन में बताया है । जाव—यावत् । सथारग सथारिज्जा—संस्तरक (विच्छिन्ना) को विछावे । वा—अथवा । वहिया—कोई पदार्थ उपाश्रय से बाहर । नि.नक्खु—निकाले । तहप्पगारे—तथा प्रकार के । उवस्सए—उपाश्रय में । अपुरिसतर कडे—जो एक पुरुषान्तरकृत नहीं है तो । नो ठाणं ३—साधु वहा स्थानादि कायेत्सादि न करे । अह पुणेव०—साधु पुनः यह जाने कि यदि उक्त उपाश्रय । पुरिसतरकडे—पुरुषान्तरकृत है । आसेविए—आसेवित है तो फिर उसका । पडिलेहिस्ता २—प्रतिलिखन करके । तओ—तदनन्तर । सजयामेव—साधु । जाव—यावत् । चेइज्जा—उसमें स्थानादि करे कायेत्सादि करे । से भिक्खु वा०—वह साधु या साध्वी । से ज०—वह फिर यह जाने कि । अस्संजए—गृहस्थ ने । भिक्खुपडियाए—भिक्षु के लिए । उदग्गप्पसुयाणि—पानी में उत्पन्न हुए । कंदाणि वा—कन्द । मूलानि वा—अथवा मूल । पत्ताणि—पत्र । व्रा—अथवा । पुष्पाणि वा—पुष्प । फलानि वा—फल अथवा । बीजाणि वा—बीज, अथवा । हरियाणि वा—हरी सब्जी को । ठाणाओ—एक स्थान से । ठाण—अन्य स्थान पर । सहरइ—रखा है । वा—अथवा । वहिया निणवखू—भीतर में बाहर फेंका है तो । त०—वैसे उपाश्रय में जोकि । अपु०—अपुरुषान्तरकृत है । नो ठाण वा—३ चेइज्जा—कायेत्सादि न करे ।

ग्रह—ग्रह । पण०—फिर जा ऐसा जान कि यह । पुरिसतर कठ—पुरिषात्तर कृत्त है तो ।
 चेइजा—उसमें काया सर्गादि वर अर्थात् निवास करता व । से भिरखू दा—वह साधु अथवा
 साध्वी । से ज पुण—जाकि उपाश्रय का जान कि । अस्तज०—गन्तरथ । मि०—भिक्षु के लिए ।
 पीठ वा—पीठ । फलक वा—फलक । निस्तेर्ण वा—नक्की की सीदिय । उद्वल वा—अथवा
 ऊबल का । ठाणाओ ठाण माहरइ—एक स्थान म दूसरे स्थान पर रखता है । कृिया वा
 निष्पखू—अथवा भीतर से बाहर निकालता है । तहपगारे—ता उम तरह क । उ०—
 उपाश्रय में जा । अणु०—अणुत्पातरकृत है । नो ठाण वा ३ चेइजा—साधु निवास न करे ।
 ग्रह पुण—अथ यदि वह यह जाने कि । परिस०—यह परपा तरकृत है तो । चेइजा—उम
 में निवास करे ।

मूलार्थ—वह साधु या साध्वी उपाश्रय के विषय में यह जाने कि गृहस्थ
 ने साधु के लिए उपाश्रय के छोटे द्वार को बड़ा बनाया है और बड़े का
 छाटा कर दिया है, तथा भातर से कोई पदार्थ बाहर निकाल दिया है तो
 इस प्रकार के उपाश्रय में जब तक वह अपुरुषात्तरकृत एवं अनासेवित
 है तब तक वहां कायोत्सर्गादि न करे, और यदि वह पुरुषात्तरकृत अथवा
 आसेवित हो गया है तो उसमें स्थानादि कर सकता है ।

इसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ साधु के लिए उदक म उत्पन्न होने
 वाले कन्द मूल, पत्र, पुष्प, फल, बीज और हरी का एक स्थान से स्थानात्तर
 में स्रमण करता है, या भीतर से किसी पदार्थ को बाहर निकालता है,
 तो इस प्रकार का उपाश्रय भी अपुरुषात्तरकृत और अनासेवित है तो
 साधु के लिए अक्ल्पनीय है । और यदि पुरुषात्तरकृत अथवा आसेवित है
 तो उममें वह कायोत्सर्गादि कर सकता है ।

इसी भाति यदि गृहस्थ साधु के लिए पीठ [चीकी] फलक और
 ऊबल आदि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में रखता है या भीतर से
 बाहर निकालता है, तो इस प्रकार के उपाश्रय में जो कि अपुरुषात्तरकृत
 और अनासेवित है तो साधु उममें कायात्सर्ग आदि काय न करे, और यदि
 वह पुरुषात्तरकृत अथवा आसेवित हो चुका है तो उममें वह कायोत्सर्गादि

क्रियाएँ कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि यदि किसी गृहस्थ ने साधु के निमित्त उपाश्रय के दरवाजे छोटे-बड़े किए हैं, या कन्द, मूल, वनस्पति आदि को हटाकर या कांट-छांट कर उपाश्रय को ठहरने योग्य बनाया है तथा उसमें स्थित तख्त आदि को भीतर से बाहर या बाहर से भीतर रखा है और इस तरह की क्रियाएँ करने के बाद उस उपाश्रय में गृहस्थ ने निवाम क्रिया हो या अपने सामायिक संवर आदि धार्मिक क्रियाएँ करने के काम में लिया हो तो साधु उस मकान में ठहर सकता है । इससे स्पष्ट होता है कि जो मकान मूल से साधु के लिए बनाया हो, उस मकान में साधु किसी भी स्थिति-परिस्थिति में नहीं ठहर सकता । परन्तु, जो स्थान मूल से साधु के लिए नहीं बनाया गया है, केवल उसकी सुरम्मत की गई है या उसके कमरों या दरवाजों आदि की छोटाई-बडाई में कुछ परिवर्तन किया गया है या उसका अभिनव मस्कार किया गया है तो वह पुरुषान्तर होने के बाद साधु के लिए कल्पनीय है ।

इसी बात को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं० तंजहा—खंधंसि वा मंचंसि
वा मालंसि वा पासा० हम्मि० अन्नयरन्नि वा तहप्पगारंसि
अंतलिकखजायंसि, नन्नत्थ आगाढागाढेहिं कारणेहिं ठाणं
वा नो चेइज्जा । से आहच्च चेइए सिया नो तत्थ सीयोदग-
वियडेण वा २ हत्थाणि वा पायाणि वा अच्छीणि वा दंताणि
वा मुहं वा उच्छोलिज्ज वा पहोइज्ज वा, नो तत्थ ऊसढं पकरे-
ज्जा, तंजहा—उच्चार वा पा० खे० सिं० वंतं वा पित्तं वा पूयं
वा सोणियं वा अन्नयरं वा सररीरावयवं वा, केवली बूया
आयाणमेयं, से तत्थ ऊसढं पगरे माणे पयलिज्ज वा २, से तत्थ

पयलमाणो वा पवडमाणो वा हृत्थ वा जाव सीम वा यन्नयर
वा कायसि इदियजाल लृसिज्ज वा पाणिं ४ यमिहणज्जि
वा जाव ववरोविज्ज वा, अथ भिक्खूणा पुब्बोवइट्ठा ४ ज तह-
प्पगार उवस्सए अतल्लिक्खजाए नो ठाण वा ३ चेइज्जा ॥६६॥

छाया— म भिक्षुर्वा० म यत्-तद्यथा—स्पर्श या मचे या माले वा प्रामादे
वा हृत्पतल या अन्यतरम्मिन् वा अ तरिच्च जाते नान्यत्र अगाढागाढं कारखे
रथान वा नो चेतयेत्, स आहृत्य चित —गृहीत स्यात् न तत्र शीतोदकं प्रिक
टन या २ इस्तौ या पादो या अक्षिणी वा दन्तान् मुखं या उस्मोल्लयेत् वा प्रधा
येद् वा न तत्र उमष्टं प्रकुर्यात्, तद्यथा उच्चार वा प्रस्रवण वा खेल वा
मिधान या बान्त वा पिच वा पूति वा शोणित वा अ-यत्तर वा शरीरावगव वा
केजली ब्रूयात् आदानमेतन् स तत्र उरसृष्टं प्रकुर्वन् प्रचलेद् या २ स तत्र प्रचलन्
या पतन् वा हस्तो या यात् शीर्षं वा अन्यतर वा काय इन्द्रियजात लूपयेद्—
विनाशयद् या प्र शिन वा ४ अमिहन्यान् यावद-यपरोपयेद् या अथ भिक्षूणा
पूर्वादिष्ट ४ यत् तथाप्रकारे उपाश्रये अन्तरिच्च जाते नो रथान वा ३ चेतयेत् ।

पदाथ - से विषयु वा - वह साधु प्रथवा गार्धवी । तेज - वत् फिर उपाश्रय के सम्बन्ध
में जाने । तज्जा - जसकि । लघसि वा - एक स्वयं पर प्रथवा । मच्चसि वा - मच पर ।
मानसि वा - मान पर । पासायसि वा - प्रासात् पर दूसरी भूमिका मजिन पर । हृत्पतलसि-
वा - महन पर । अणपरसि वा - अ य को । तहपगारसि - इमा प्रकार क । अतल्लिक्ख
जायसि वा - आकाश में प्रथान् ऊच स्वान में है उसमें । ठाण वा ३ - कायोत्सर्गणि । नो
चेइज्जा - न करे । जण्णस्य - इतना विनये है प्रथान् । अगाढागाढं हि - किसी विनय या
प्रमाण कारण क उपस्थित हुए बिना उपाश्रय वा स्वीकार न करे । आहृत्त - यदि कभी ।
मे - उरतन । चेइण सिवा - उम प्रहण कर सिवा है तो । तत्थ - वत् वशी पर । शीघोत्तगवियङ्ग
वा - प्रागुत्त गीतस या उष्ण जल से । हृत्थानि वा - हाथ । पापानि वा - पर । अश्लोणि
वा - घास । दानानि वा - दान । मुह वा - मुख भाति वा । नो उच्छोनिज्ज वा -
प्रक्षानन न करे । परोपय वा - वार २ प्र गान १ करे शीरे । तत्थ - वह पर । उरसृ -

मल मूत्रादि । नो पकरेज्जा - न करे । तजहा - जैसे कि । उच्चारं वा - उच्चार-विष्ठा । पा० - मूत्र । खे० - मुख की मल । सि० - नाक का मल । वतं वा - वान्ति-वमन । पित्त वा - पित्त । पूय वा - पीय । सोणिय वा - शोणित-रुधिर या । अन्नयर वा - अन्य कोई । सरीराव-यवं वा - शरीर का अवयव वहा पर परठे नही । केवली - केवली भगवान । ब्या - कहते है । आयाणमेय - यह कर्म आने का मार्ग है । से तत्थ - यदि वह वहा पर । ऊसडंपगरे-माणे - उच्चार आदि करता हुआ । पयलेज्ज वा २ - फिसल पडेगा या गिर पडेगा फिर । से - उसके । तत्थ - वहा पर । पयलमाणे वा - फिसलने अथवा । पवडुमाणे - गिरने से । हत्थं वा - हाथ । जाव - यावत् । सीसं वा - सिर या । कायसि - शरीर का । अन्नयर वा - कोई । इदिय जाल - अवयव विशेष । लूसिज्ज वा - टूट जाएगा तथा । पाणि वा ४ - द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों को । अभिहणंज वा - विराधना होगी । जाव - यावत् । ववरोविज्ज वा - विनाश होगा । अथ - अतः । भिदखूण पुव्वोवदिट्ठा - भगवान ने भिक्षुओं के लिए पहले ही आदेश दे रखा है कि । ज - जो । तहपगार - इस तरह के । उवस्सए - उपाश्रय में जाँ कि । अन्तलिदखजाये - आकाश में अर्थात् ऊचे स्थान में स्थित है । ठाणसि वा - कायोत्सर्गादि । नो चेइज्जा - न करे और ऐसे उपाश्रय में न ठहरे ।

मूलार्थ—वह साधु या सोध्वी उपाश्रय को जाने, जैसे कि-जो उपाश्रय एक स्तम्भ पर है, मचान पर है, माले पर है, प्रासाद पर—दूसरी मजिल पर या महल पर बना हुआ है, तथा इसी प्रकार के अन्य किसी ऊचे स्थान पर स्थित है तो किसी असाधारण कारण के बिना, उक्त प्रकार के उपाश्रय में स्थानादि न करे । यदि कभी विशेष कारण से उसमें ठहरना पड़े तो वहाँ पर प्रासुक शीतल या उष्ण जल से, हाथ, पैर, आख, दान्त और मुख आदि का एक या एक से अधिक बार प्रक्षालन न करे । वहा पर मल आदि का उत्सर्जन न करे यथा—उच्चार (विष्ठा) प्रस्रवण (मूत्र) मुख का मल, नाक का मल, वमन, पित्त, पूय, और रुधिर तथा शरीर के अन्य किसी अवयव के मल का वहाँ त्याग न करे । क्योंकि केवली भगवान ने इसे कर्म आने का मार्ग कहा है । यदि वह मलादि का उत्सर्ग करता हुआ फिसल पड़े या गिर पड़े, तो उसके फिसलने या गिरने पर उसके हाथ-पैर, मस्तक एव शरीर के किसी भी भाग में चोट लग सकती है और

उसके गिरने से स्वाव एव उस प्राणियों का भी विनाश हो सकता है। अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थंकरादि का पहले ही यह उपदेश है कि 'स प्रका' के उपाश्रय में जो कि अतृप्त में अवस्थित है साधु कायोत्सगादि न करे और न बड़ा ठहर।

विदा विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में उपाश्रय के विषय स्थान में रुकने का निषेध किया गया है। जो उपाश्रय एक स्तम्भ या मकान पर स्थित हो और उसमें ऊपर निश्रेणी (लकड़ी का मीठी) लगाकर चढ़ना पड़े, तो उस स्थान में स्थिति विशेष कारण के नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि उस पर चढ़ने के लिए निश्रेणी लाने (लगाने) की व्यवस्था करनी होगी और उस पर से गिरने से शरीर पर चोट लगने या अन्य प्राणियों का हिमा होने को सम्भावना रहती है। अतः जहाँ इस तरह के अनिष्ट का सम्भावना हो ऐसे विषय स्थानों में नहीं ठहरना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में अतिरिक्तज्ञात स्थानों में जो ठहरने का निषेध किया गया है वह स्थान की विषयता के कारण किया गया है। यदि किसी उपाश्रय में ऊपर से हुए आवासस्थल पर पहुँचने के लिए सुगम रास्ता है, जैसे गिरने आदि का भय नहीं है और ऊपर छत इतनी मजबूत है कि चलने फिने से टूटती नहीं है या ऊपर से मिट्टी आदि नहीं गिरती है तो ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध नहीं किया गया है। आगम में यत्र तत्र विषय स्थानों पर ठहरने का ऐसे विषय स्थानों पर रखी हुई वस्तु यदि कोई गन्ध उतार कर जहाँ तो माधु को भ्रम करने का निषेध किया गया है। इसी तरह जो उपाश्रय दुर्गम (विषय स्थान पर स्थित) है तो वहाँ साधु को नहीं ठहरना चाहिए। परन्तु निम्न उपाश्रय में ऊपर पहुँचने का सुगम रास्ता है और उसमें किसी भाँ प्रानों को हिमा नहीं होनी हो तो उस स्थान में साधु को ठहरने का निषेध नहीं किया गया है।

इसी तरह ऊपर की छत पर जो ठहरने के लिए साधु ठहरने का निषेध किया है उसमें भी यही ध्यान रखनी हुई है। यदि विषय स्थान नही है तो साधु उस पर अनाश्रय मकान है और अतः अति प्रसन्नान्न करने का निषेध किया है वह विभूषा की धृष्टि से किया गया है, न कि कारण विशेष का धृष्टि से। जहाँ सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जो साधु विभूषा के लिए जा तो अति प्रसन्नान्न करते हैं उक्त प्रायश्चित्त आना

१. अतस्रध सूत्र, ४, १, ६७ ८।

२. निगीध सूत्र उद्भाग १४, सूत्र ८ ३६।

है। अस्तु, कारण विशेष से उपाश्रय मे स्थित ऊपर के ऐसे स्थानों मे जिन पर पहुंचने का मार्ग सुगम है, उन पर दन्त आदि का प्रचालन करने का निषेध नहीं है।

उपाश्रय के विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा० से जं० सइत्थियं सखुड्डं सपसु-
भत्तयाणां, तहप्पगारे सागारिए उवस्सए नो ठाणां वा ३ चे-
इज्जा । आयाणामेयं भिक्खुस्स गाहावइकुलेण सद्धिं संवसमाणस्स
अत्तसगे वा विसूइया वा ङड्डी वा उव्वाहिज्जा अन्नयरे वा
से दुक्खे रोगायके समुप्पज्जिजा, अस्संजए कलुणवडियाए तं
भिक्खुस्स गायं तिल्लेण वा घणए वा नवणीयेण वा वसाए वा
अव्भंगिज्ज वा मक्खिज्ज वा सिणाणोण वा कक्केण वा लुद्धेण
वा वराणोण वा चुराणोण वा पउमेण वा आवंसिज्ज वा पधंसिज्ज
वा उव्वलिज्ज वा उव्वट्ठिज्ज वा सीओदगवियडेण वा उसि-
णोदगवियडेण वा उच्चोलिज्ज वा पक्खालिज्ज वा सिणा-
विज्ज वा सिंचिज्ज वा दारुणा वा दारुपरिणामं कट्टु अगणि-
कायं उज्जालिज्ज वा पज्जालिज्ज वा उज्जालित्ता२ कायं आया-
विज्जा वा प०, अह भिक्खूणां पुव्वोवइट्ठा० जं तहप्पगारे
सागारिए उवस्सए नो ठाणां वा ३ चेइज्जा ॥६७॥

†. जे भिक्खू विभूसा वडियाए अप्पणे दत्ते सीउदगवियडेण वा जाव पधोवत्तं वा साइज्जइ ।

छाया—म भिक्षुर्वा म यत् मन्त्रिय मनुद्र मपगुमकतरान तथाप्रकार
 के सागारिके उपाश्रये ना स्थान ना ३ चेतयेत् । आदानपतत् भिक्षो गृहपति
 कृलेन सार्द्धं मयमत अलमरु ना विमूचिना वा छर्दी ना उद्गायेन् अन्यतरद् वा
 दुख रोगातद् मष्टपत्रेत अमयत कारुण्य प्रतिज्ञया तद् भिक्षो गात्र तैलन
 वा घृतेन वा नरनीनेन ना ममना वा अभ्यज्यात वा मूत्रयेद् वा स्नानन वा
 क्लेकेन वा चोघ्रेण वा रणेन वा चूर्णन वा पद्मेन वा आघर्षेत् प्रघपत्
 उद्वलत् उद्वतत वा शीतोदकविक्षटेन वा उष्णोदकविक्षटेन वा उच्छ्वालयद् वा
 प्रतालयेद् वा म्मपयद् वा पिञ्चेद् वा दास्ये वा दाकारिणाम कृत्वा अग्निनाय
 उज्जालयेद् वा प्रज्जालयेद् वा उज्ज्वाल्य काय वा आतापयेत् वा प्रतापयेद् वा अथ
 भिक्षूणां पूरारदिष्ट ० यत् तथाप्रकारे सागारिके उपाश्रये नो स्थान वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ—से—बह । भिक्षु वा—साधु अथवा साध्वी । से ज०—उपाश्रय का जाने
 जम कि । सद्दक्षिण—यह उव श्रम रक्षी युक्त है । मनुन्—तु पगुना और जात्रका सयक है ।
 सपमुमतपाण—पगुना तथा उनका खान योग्य म न पानी स युक्त है । तहपगारं—तथाप्रकार
 व । सागारि—सागारिक गहस्था सयक । उवसए—उपाश्रय म । ठाण वा—कायात्म्यानि
 नो चेद्दजा—न कर । आयाणमेय—यह कम बदन का कारण है । भिक्षुस्त—भिक्षु वो ।
 म हावइ कुलेण सदि—यत् म गति क कुम्भ क माय । सवसमाणस्त—वसन निवास कर
 ण रत्नित । अन्नसक—हाव-इर अति ना स्तम्भन हो जाए अथवा उनम माजन आ जए
 अथवा । विमूचया वा—विमूचिका—हैजा ना जाए या । छुड्डी वा—वमन । उवाहिजा—होने
 नय । स म नयरे वा—अथवा उम अय वा । दुक्खे—दुख । रोगादके—या उवराणि राग
 अथवा मूल प्राणि प्राणनाशक रोग । सप्यज्जेज्जा—उपन्न हो जाए ता म प्रहार क रोग स
 तीरन माधु को रत्नकर । असजए—मत्स्य । क्लुणापडियाए—वरगा स । त—उम ।
 भिक्षुस्त—भिक्षु व । गाय—गीतर का । ते लेण वा—तन म । घएण वा—घन म ।
 मवणीण वा—नवनाल—मववन म अथवा । वसाए वा—वर्षी म । अन्नमश वा—उपव
 पारर का एक बार मानिय करगा अथवा । मविज्जन वा—अनेक बार मानिय करेगा तथा ।
 मिणाण वा—मग धन रथ्य मिश्रित जल स स्नान करायगा या । कक्केण—कपात्र द्रव्य स मिश्रित
 जल म । सोढण वा—नाम म । वन्नण वा—रमि रवाणि वग म । सवण वा—जवाणि व पूण
 म । उज्जेण वा—पुन म । म्मपयिज्ज वा—उपव गीर का थोडा ना घण करेगा ।
 पघतिज्ज वा—बार-बार पण करेगा । उव्वतिज्ज वा—उपन पणो का ममन कर पार की
 रिताघना को दूर करेगा । उव्वतिज्ज वा—उप न करेगा तथा । साप्रापय व न वा—उप

प्रासुक शीतल जल से । अनिणोदगत्रियङ्गेण वा—या उष्ण जल से । उच्छोलेज्ज वा—एक बार । धोएगा या । पक्कल्लिज्ज वा—अनेक बार प्रक्षालन करेगा । सिणाविज्ज वा—बार-बार मस्तक को धोएगा । सिचेज्ज वा—जन के द्वारा गात्र-शरीर का सिचन करे अथवा । दासणा वा दास-परिणामं कट्ठु—अरणी के काष्ठ को घर्षण करके । अगणिकायं—अग्नि को । उज्जालेज्ज वा—उज्वलित करेगा । पज्जालिज्ज वा—प्रज्वलित करेगा और । उज्जलिता—उज्वलित वा प्रज्वलित करके । कायं—साधु के शरीर को । आयाविज्जा—एक बार तपाएगा । पयाविज्ज वा—या बार-बार तपाएगा । अह—इसलिए । भिक्खूणं—भिक्षुओं को । पुव्वोव-इट्ठा—तीर्थकरादि ने पहले ही आदेश किया है कि । ज—जो कि । तहपगारे—तथा प्रकार के । सागारिण—सागारिक-गृहस्थादि से युक्त । उवस्सए—उपाश्रय है, उनमें । ठाणं वा—स्थानादि । नो चेइज्जा—न करे, अर्थात् ऐस स्थान में न ठहरे ।

मूनार्थ—जो उपाश्रय स्त्री, बालक और पशु तथा उनके खाने योग्य पदार्थों से युक्त है तो इस प्रकार के गृहस्थादि से युक्त उपाश्रय में साधु-साध्वी न ठहरे । क्योंकि यह कर्म आने का मार्ग है । भिक्षु का गृहस्थ के कुटुम्ब के साथ बसते हुए कदाचित् शरीर का स्तम्भन या सूजन हो जाए या विसूचिका, वमन, ज्वर या शूलादि रोग उत्पन्न हो जाये, तो वह गृहस्थ करुणाभाव से प्रेरित होकर साधु के शरीर का तेल से, घी से, नवनीत (मक्खन) से और वसा से मालिश करेगा । और फिर उसे प्रासुक शीतल या उष्ण जल से स्नान कराएगा या लोध्र से, चूर्ण से तथा पद्म से एक अथवा अनेक बार उसके शरीर को घर्षित करेगा, तथा शरीर को स्निग्धता को उबटन आदि से दूर करेगा । उस मैल को साफ करने के लिए उसके शरीर का प्रासुक शीतल या उष्ण जल से प्रक्षालन करेगा । उसके मस्तक को धोएगा या उसे जल से सिचित करेगा, अथवा अरणी के काष्ठ को परस्पर रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित करेगा और उससे साधु के शरीर को गर्म करेगा । इस तरह गृहस्थ के परिवार के साथ उसके घर में ठहरने से अनेक दोष लगने को सभावना देखकर भगवान ने ऐस स्थान पर ठहरने का निषेध किया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी को ऐसे मकान में नहीं ठहरना

चाण्डि जिसमें गृहस्थ सपरिवार रहता हो और अपने परिवार एवं पशुओं के पापण के लिए सब तरह के सुख माधन एवं भोगोपभोग की सामग्री रखी हो। क्योंकि, गृहस्थ के साथ ऐसे मकान में ठहरने पर यदि कभी वह बीमार हो गया तो वह अनुरागी गृहस्थ अनरुक्त तरह की मापस्य एवं निरपत्य औषधियों से, तेल आदि के लेपन से या अग्नि जला कर उसके शरीर को तपाकर उसे व्याधि से मुक्त करने का प्रयत्न करेगा और साधु का उसको प्रतिहार करना होगा। यदि वह प्रतिहार नहीं करेगा तो उसके समय का नाश होगा। इसलिए साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए, जिससे उसके मकानों में किसी तरह का दोष लगे।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'वशा' शब्द का अर्थ चर्मा नष्ट, किन्तु शिग्र (चिकनाहट से युक्त) औषधि विशेष है। और 'पशुमत्तगण' का अर्थ है— पशुआराम में आने वाले खाय पशुधर्म। 'सलुह' (लुह) शब्द से कुत्ता, बिल्ली आदि पशुओं का एवं पशु शब्द में गाय बैल आदि पशुओं का ग्रहण किया गया है।

यह स्पष्ट है कि बीमार साधु को तपस्कर गृहस्थ के मन में दयाभाव विशेष रूप से जागृत होता है। इसलिए साधु को गृहस्थ के परिवार के साथ नहीं ठहरना चाहिए। नमसे और भी अनेक दोष लगने की सम्भावना है। जो आदि के साथ अधिक परिश्रम रहने से ब्रह्मचर्य में भी विघ्नता आ सकती है। यही कारण है कि आपस में साधु को स्त्री पशु और नपुंसक युक्त मकान में और मात्मी को पुरुष, पशु और नपुंसक सहित मकान में रहने का निषेध किया गया है और इनसे रहित मकान में रहने वाले साधु को ही निषेध कदा गया है। यह बात अलग है कि निम्न मकान में केवल पुरुष ही रहेंगे हा तो उस मकान में साधु और जिस मकान में केवल स्त्रियों निवासित हो तो उस मकान में साधुओं को ठहर सकती हैं।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाणमेय भिक्षुस्तु सागारिए उपस्मए सवस-
माणस्म इह सलु गाहापई वा जाव रुम्मकरी वा यन्नमन्न
यस्मोसति वा पचति वा रुभति वा उद्वपिति वा, ग्रह
भिक्षुण उच्चावय मण नियत्तिज्जा, एए सलु यन्नमन्न

इति श्री श्रीपशुपुत्रसूत्रसंग्रहस्य सयनामनाद् सेविता से निगम्य ।

—उत्तराखण्ड सूत्र १६।

† अर्थ सूत्र ।

अक्रोसंतु वा मा वा अक्रोसंतु जाव मा वा उद्वित्तु, अह
मिक्खूणां पुव्वो० जं० तहप्पगारे सा० नो ठाणं वा ३ चेइज्जा ॥६८॥

छाया — आदानमेतत् मिश्रोः सागारिके उपाश्रये सवसतः इह खलु गृहपतिः
वा यावत् कर्मकरी वा अन्धोऽन्यं आक्रोशयन्ति वा पचन्ति वा रुधन्ति वा
उपद्रावयन्ति वा अथ भिक्षुः उच्चावच मनः कुर्यात्, एतं खलु अन्धोऽन्यं
आक्रोशन्तु मा वा आक्रोशन्तु यावत् उपद्रावयन्तु, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत्
तथाप्रकारे सागारिके उपाश्रये नो स्थानं वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ — सागारिके उवस्पर — गृहस्थ मे युक्त उपाश्रय मे । संवसमाणस्स — निवास
करना । मिक्खुम्म — साधु के लिए । आयाणमेय — कर्म बन्ध का कारण है, क्योंकि । इह खलु —
इम उपाश्रय मे । गाहावई वा — गृहपति । जाव — यावत् । कम्मकरी वा — उमकी दासी आदि ।
अन्नमन्नं — परस्पर । अक्रोसन्ति वा — एक-दूसरे को कोमती है । पचन्ति वा — खाना पकाती है ।
रुधन्ति वा — रोकती है । उद्वित्ति वा — उपद्रव करती है । अह — अतः उन्हें ऐसा करते देखकर,
मिक्खूणां — भिक्षु के । उच्चावचं मण नियच्छिज्जा — मन ने ऊचे-नीचे परिणाम आ सकते हैं, वह
मोच सकता है कि । एए खलु — यह मत्र निश्चय ही । अन्नमन्नं — परस्पर । अक्रोसन्तु वा —
आक्रोश करे । मा वा अक्रोसन्तु — आक्रोश न करे । जाव — यावत् । मा वा उद्वित्तु —
उपद्रव न करे । अह मिक्खूणां — भिक्षुओं को । पुव्वोवइठ्ठा — तीर्थं करो ने पहले ही उपदेश दिया
है कि । जं — जो । तहप्पगारे — ऐसा स्थान है, जिसमे । सा० — गृहस्थ निवास करता है,
उममे । नो ठाणं वा ३ चेइज्जा — साधु निवास न करे ।

मूलार्थ — गृहस्थो से युक्त उपाश्रय मे निवास करना साधु के लिए
कर्म बन्ध का कारण कहा है । क्योंकि उसमे गृहपति, उसकी पत्नी, पुत्रिये,
पुत्रवधु, दास-दासिए आदि रहती है और कभी वे एक-दूसरी को मारे,
रोके या उपद्रव करे तो उन्हें ऐसा करते हुए देखकर मुनि के मन मे
ऊचे-नीचे भाव आ सकते हैं । वह यह सोच सकता है कि ये परस्पर लड़े-
भगड़े या लड़ाई-भगडा न करे आदि । इसलिए तीर्थं करो ने साधु को पहले
ही यह उपदेश दिया है कि वह गृहस्थ से युक्त उपाश्रय मे न ठहरे ।

हिन्दी विरग

प्रस्तुत सूत्र म भी परिवार मे युक्त ममान म ठहरन का निषेध किया है। क्योंकि सभी पारिवारिक सघष होने पर साधु क मन मे भा अन्द्रे एव पुर मरुत विरूप आ सकते हैं। वह किसी को जगा कि तुम मत लडो और किसी का सघष क लिए प्रेरित करेगा। उस तरह वह साधना क पय से भटकर मनुष्य म लभक जाणा। यहा प्रश्न हो मरता है कि किसी को लडुन से रानना तो अन्धा है फिर यहा उमका निषेध क्यों किया गया? इसका ममान यह है कि परिवार के साथ रहन क कारण उसका मन तटस्थ न रहकर राग द्वेष मे युक्त हो जाता है और इस कारण वह अपने अनुरागी व्यक्ति का पत लेकर विरोधी को रोसना चान्ता ह और अनुरागी को भडगाता है, उमकी यह राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति कम बंध का कारण नान से साधु क लिए इसका निषेध किया है। यदि कोई साधु तटस्थ एव मध्यस्थ भाव से सघष को शान्त करन का प्रयत्न करता है तो उमका क भी निषेध नहीं किया गया है। भगवान मठाधीर न कहा है कि साधु जनता को शक्ति का भाग जताए और उपदेश के द्वारा कलह को शांत करने का प्रयत्न करे। अतः, प्रस्तुत प्ररुग म जो निषेध किया है, वह राग द्वेष युक्त भाव से किसी का पत लेकर हा या ना करने का निषेध किया गया है, और इसी भावना को मामने रख कर साधु को परिवार युक्त ममान म ठहरने का निषेध किया गया है, चिमसे वह पारिवारिक सघष से अलग रहकर अपनी साधना म सलग्न रह सके।

इसो गत को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाणमेय भिक्खुस्म गाहावर्डिं मद्धि मवममा
णस्म इह खलु गाहावर्डिं यप्पणो मयट्ठाए अगणिकाय उज्जालि-
ज्जा वा पज्जालिज्ज वा, विज्झपिज्ज, वा अह भिक्खू उच्चावय मण
नियच्छिज्जा एए खलु अगणिकाय उ० वा २ मा ना उ० पज्ज
लितु वा मा वा प०, विज्झवितु वा मा वा वि०, अह भिक्खण
पु० ज तहप्पगारे उ० नो ठाण वा ३ वैइज्जा ॥६६॥

छाया—आदानमेतद् भिक्षोः गृहपतिभिः मार्तुं मवसतः इह खलु गृहपतिः
आत्मनः स्वार्थमग्निं काय उज्ज्वालयेद् वा प्रज्वालयेद् वा विध्यापयेद् वा अथ
भिक्षुः उच्चावचं मनः कुर्वान् एते खलु अग्निं कायमुज्ज्वालयन्तु वा २ मा वा
उज्ज्वालयन्तु, प्रज्वालयन्तु वा मा वा विध्यापरन्तु अथ भिक्षूणां पूर्वोर्दिष्टं
यन् तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्वान वा ३ चेतयेत् ।

पदार्थ—निष्कुरस—भिक्षु को । गाहावर्दीह—गृहपतियों—गृहस्थों के । सद्भिः—साथ ।
सबसमाणस्म—निवाग करना । आवाणनेयं—यह कर्म बन्धन का कारण है । इह खलु—
निश्चय ही उस उपाश्रय में । गाहावर्दी— गृहस्थ ; अप्पणोनयट्ठाए—अपने स्वार्थ के लिए—
आत्म-प्रयोजन के लिए । अग्निं काय—अग्निं काय को । उज्जालिज्जा वा—उज्ज्वलित करे अथवा ।
पज्जालिज्जा—प्रज्वलित करे अथवा । वा—अथवा । विज्झाविज्झ वा—बुझावे, डग प्रहार के
काम करते हुए को देखकर । अह—अथ । निष्कू—भिक्षु कर्मों । उच्चावय—ऊचा-नीचा ।
मण नियच्छिज्जा—मन करे, यथा- । खलु—निश्चय ही । एए—ये गृहस्थ लोग । अग्निं काय—
अग्निं काय—अग्नि को । उ० वा २—उज्ज्वलित करे । मा वा उ०—अथवा उज्ज्वलित न करे
तथा । पज्जालितु—प्रज्वलित करे । मा वा प०—अथवा प्रज्वलित न करे । विज्झावितु वा—
बुझा वे । मा वा वे०—अथवा न बुझाएं । अह—अथ । निष्कूणं—भिक्षुओं को । पु०—
तीर्थकरादि का पहले ही यह उपदेश है । ज—जो । तहप्पगारे—तथाप्रकार के । उ०—उपाश्रय
में । ठाण वा ३—स्थानादि । नो चेइज्जा—न करे- ठहरे ।

मूलार्थ—गृहस्थादि से युक्त उपाश्रय में ठहरना साधु के लिए कर्म-
बन्ध का कारण है । क्योंकि वहाँ पर गृहस्थ लोग अपने प्रयोजन के लिए
अग्नि को उज्वलित और प्रज्वलित करते हैं या प्रज्वलित आग को बुझाते
हैं । अतः उनके साथ बसते हुए भिक्षु के मन में कर्मों ऊंचे-नीचे परिणाम
भी आ सकते हैं । कभी वह यह भी सोच सकता है कि यह गृहस्थ अग्नि
को उज्ज्वलित और प्रज्वलित करे या ऐसा न करे, यह अग्नि को बुझादे
या न बुझाएं । इसलिए तीर्थकरादि ने भिक्षु को पहले ही यह उपदेश दिया
है कि वह इस प्रकार के सागारिक उपाश्रय में न ठहरे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी गृहस्थ के साथ गृहवास करने का निषेध किया गया है और

कसाया गया है कि उसके साथ निवान करने से मा त्रिभिन मन्त्र विरन्पा म चकर काठता रहेगा। सभी मन्त्र शीघ्र प्रचलित करेगा और कभी जलने हुए दीपक को बुझा गया। उमने इन शर्तों से माधु की साथमा मन्त्रावद पदने के कारण उमके मन म उचे नीचे मन्त्रपरिवरण बठ सकते हैं। इन सब मन्त्र परिवरणों से बचने के लिए माधु को मन्त्र के साथ नहीं ठहरना चाहिए।

इस मन्त्र म मन्त्रार और भी जाता है—

मूलम्—आयाणमेय भिक्षुस्म गाहावर्द्धिं मर्द्धि सप्तमा-
णस्म, इह खलु गाहावर्द्धिस्स कुडले वा गुणे वा मणी वा मुत्तिए
वा हिरण्येसु वा सुवर्णेषु वा रुडगाणि वा तुडियाणि वा ति-
सराणि वा पालवाणि वा हारे वा अर्द्धहारे वा एगावली वा
कणागावली वा मुत्तावली वा रयणावली वा तरुणीय वा कुमारि
अलकिय विभूसिय पेहाए, अह भिक्षु उच्चाव० एरिसिया वा
सा नो वा परिमिया इय वा ण वूया इय वा ण मण साइजा ।
अह भिक्षुण पु० ४ ज तहपगारे उवस्मए नो ठा० ॥७०॥

ध्याया—आप नमस्तु भिक्षो गृहपतिभि मादं मरमत इह खलु गृहपते
कुडल वा गुणे वा मणि वा मौवितक वा हिरण्येषु वा सुवर्णेषु वा कटकानि
वा मुत्तितानि वा त्रिसराणि वा प्रालम्बानि वा, हाग वा अर्द्धहार वा, एकावलि
वा वनपावलि वा सुवतावलि वा रत्नापल वा तरुणिषा वा कुमारी वा
अलकृतविभूषिता प्रचय अथ भिक्षु उच्चावच० मन कुर्यान् इदृशी वा मा नो
वा इदृशी इति वा अयात् इति वा मन स्वदेत अथ भिक्षुणा पूरोपदिष्टम्
४ यन् तथाप्रकारे उपाश्रय नो स्थान ३ चतयत् ।

वदार्थ—आमानमेय—मन्त्रा क म य निवान करना मानु के लिए कमव घ का

कारण है। भिक्खुस्स—पाधु को। गाहावईहि सद्धि—गृहस्थो के साथ। सक्समाणस्स—बसते हुए ये दोष लग सकते हैं, जैसे कि। इह खल्—निश्चय ही उस स्थान में। गाहावइस्स—गृहस्थ के। कुडले वा—कुण्डल—कानों में डालने के आभूषण। गूणे वा—धागे में पिरोया हुआ आभूषण विशेष, अथवा मेखला—तडागी। मणी वा—चन्द्रकान्तादि मणि। मुत्तिए वा—अथवा मोती। हिरण्णोस वा—दीनार—मोहर आदि। सुवण्णोसु वा—सुवर्ण—सोना। कंडूगाणि वा—कड़े। तुडियाणि वा—भुजाओं के आभूषण। तिसराणि वा—तीन लड़ी का हार। पलवापि—वा—गले में धारण करने की एक लम्बी माला। हारे वा—अठारह लड़ी का हार। अद्धाहारे वा—नौ लड़ी का अर्द्धहार। एगावली वा—एक लड़ी का हार। मुत्तावली वा—मोतियों की माला—हार। कणकावली वा—सोने का हार अथवा। रयणावली वा—रत्नों की माला का हार तथा। तरुणीय वा—जवान स्त्री को अथवा। कमारी—कुमारी कन्या को। अलकिय—विभूषित्यं—अलकृत अथवा विभूषित स्त्री को। पेहाए—देखकर। अह—अथ। भिक्खू—भिक्षु के। उच्चववयं—मन में ऊँचे नीचे विचार आ सकते हैं। एरिसिया वा—वह सोचने लगे कि मेरी स्त्री भी इसके समान थी, अथवा। सा—वह स्त्री। णो एरिसिया—ऐसी नहीं थी, तथा इसके समान ही मेरे घर में आभूषणादिक थे अथवा नहीं थे। इय वा ण वूया—वह इस प्रकार के वचन बोलने लगे। इय वा ण मणं साइज्जा—मन में राग द्वेष करने लगे। अह—अतः। भिक्खूण—भिक्षुओं को। पुव्वोवइठठा ४—तीर्थकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि। ज—जो। तह्वणारे—तथाप्रकार के। उवस्सए—उपाश्रय में। णो ठाणं वा ३ चेइज्जा—न ठहरे।

मूलार्थ—गृहस्थ के साथ ठहरना भिक्षु के लिए कर्म बन्धन का कारण है। जो भिक्षु गृहस्थ के साथ बसता है उसमें निम्नलिखित कारणों से राग-द्वेष के भावों का उत्पन्न होना संभव है। यथा—गृहपति के कुण्डल, या धागे में पिरोया हुआ आभूषण विशेष, मणि, मुक्ता-मोती, चादी, सोना या स्वर्ण के कड़े, ब्राजूबन्द-भुजाओं में धारण करने के आभूषण, तीन लड़ी का हार, फूल माला, अठारह लड़ी का हार, नौ लड़ी का हार, एकावली हार, सोने का हार, मोतियों और रत्नों के हार तथा वस्त्रालंकारादि से अलकृत ओर विभूषित युवती स्त्री और कुमारी कन्या को देख कर भिक्षु के मन में ये सकल्प-विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, कि ये पूर्वोक्त आभूषणादि मेरे घर में भी थे अथवा मेरे घर में ये आभूषण नहीं थे। एव मेरी स्त्री

या कल्प्य भा इमो प्रकार की थी अथवा नहीं था। इन्हें देखकर वह एव
उत्तम प्रीति या मत् में उन का अनुमादन करगा। इसलिए ताथवगे न
पहले हा भिक्षुओं को यह उद्देश दिया है कि वे इस प्रकार के उपाय म
न ठहरे।

११-वीं विषय

प्रस्तुत मू में ग म्थ के साथ उद्देश का निषेध करते हुए बताया गया है कि
गृह्य सूत्रों में विभिन्न प्रकार के यज्ञाभूषण एवं यज्ञाभूषणों से सुसज्जित नयनवृत्तियां
एवं उमरी कर रा क याथा ता देवता उमरु मन म करने पूर्व जीवन की स्मृति जग
मरना है। यह उद्देश मरना है कि मेर वर म जो ऐसा ही या इससे भी अधिक वैभवा
ग था मेरे पर म इनका प्रचुर भोग मानना तथा मैं अपने जीवन म इतने भोग
नग भोगे। उपरान्त गृह्य सूत्रों में मरना कारण जो देवता उमरु मन भोगों के
विषय म लग मरना है। अब इसे कर्म म का कारण जानकर माधु को एसे स्नान म
नहीं ठहरना चाहिए।

अम विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ग्रायाणामेय भिक्षुम्म गाहावर्द्धं हि मद्धि सवसमा-
णस्स इह खलु गाहावर्द्धणीयो वा गाहावर्द्ध धूयायो वा गा० सु-
राहायो वा गा० धाडयो वा गा० दासीयो वा गा० कम्मकरीयो
वा तामि च गा एव वुत्तपुञ्ज भवइ--जे इमे भवति समण। भग-
वतो जाव उवरया मेहुणायो धम्मायो, नो खलु एणमि कण्णड
मेहुणाधम्म परियारणाए याउट्टित्तए, जा य खलु एणहि सद्धि
मेहुणाधम्म परियारणाए याउट्टाविज्जा पुत्त खलु सा यो लभिजा
ओयस्मि तेयस्मि वच्चस्मि जमस्मि मपराइय आलोयणदरम-
णिज्ज, एयप्पगार निग्घोम सुच्चा निसम्म तामि च गा यन्न-

यरी सड्ढी तं तवस्सि भिक्षुं मेहुणाधम्मपडियारणाए आउट्टा-
विज्जा, अह भिक्षूणां पु० जं तहप्पगारे सा० उ० नो ठा० ३ चे-
इज्जा । एयं खलु तस्स० ॥ पढमा सिज्जा सम्मता ॥७१॥

छाया— आदानमेतत् भिक्षोः गृहपतिभिः सार्द्धं संवसतः इह खलु
गृहपतन्य वा गृहपतिदुहितरो वा गृहपतिस्तुषा वा गृहपतिभ्रात्र्यो वा गृहपति-
दास्यो वा गृहभक्तिकर्मकर्यो वा, तासां च एवं उक्तपूर्वं भवति—ये इमे
श्रमणा भगवन्तः यावद् उपरता मैथुनाद् धर्मात् नो खलु एतेषां कल्पते मैथुन
धर्मपरिचारणया आकुटपित्तु- अभिमुखं कर्तुम् । या च खलु एतैः सार्द्धं मैथुन-
धर्मपरिचारणया आकुटिट्टयत्- अभिमुखं कुर्वीत पुत्र खलु लभेत-ओजस्विनं,
तेजस्विनं, वचस्विनं, यशस्विनं सपराय आलोकं दर्शनीयं, एतत् प्रकारं निर्घोष
श्रुत्वा निशम्य तामा च अन्यतरा श्राद्धी त तपस्विनं भिक्षु मैथुनधर्म-
परिचारणायामभिमुखं कुर्यात्, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत् तथाप्रकारे सागा-
रिके उपाश्रये नो स्थानं वा ३ चेतयेत् । एतत् खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुक्या-
वा सामग्र्यम् । प्रथमा शय्या समाप्ता ।

पदार्थ—आयाणमेय—यह कर्म बन्धन का कारण है । भिक्षुस्स—भिक्षु को ।
गाहावईहि सद्धि—गृहस्थो के साथ । संवसमाणस्स—वसते हुए को, ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं
यथा । इह खलु—निश्चय ही सागारिक उपाश्रय मे । गाहावईणीओ वा—गृहपति की भाग्यि
अथवा । गाहावईधूयाओ—गृहपति की पुत्रिये । गाहावईसुवहाओ—गृहपति की पुत्रवयुये ।
गाहावईघात्तिओ वा—गृहपति की धायमाताये अथवा । गाहावईदासिओ—गृहपति की दासिये
अथवा । गाहावईकम्मकरीओ वा—गृहपति का काम करने वाली अनुचरिए । णं—वाक्यालंकार
मे हे । च—फिर । तासि—उन्ही का । एव—इस प्रकार । वुत्तवुव्वं भवइ—पहले ही यह
कथन होता है अर्थात् वे परस्पर इस प्रकार वातालाप करते हैं । जे इमे—जो ये । भगवंतो
समणा—पूज्य श्रमण हैं । जाव—यावत् । मेहुणाओ धम्माओ—मैथुन धर्म मे । उवरया भवति—
मर्वथा उपरत रहते हैं अर्थात् ये मैथुन का कभी सेवन नहीं करते । एलु—निश्चय ही । एएमि—
एमीको । मेहुणधम्मं—मैथुन धर्म के । परियारणाए—सेवनार्थ—सेवन करने के लिए ।
आउट्टिट्तए—सन्मुख होना । नो कप्पइ—नहीं कल्पता, किन्तु । य—घोर । जा—जो त्त्री ।

एएहि तद्धि—इनके साथ। मेहुणधम्म—मथुन धम क। परिवारणाए—सेवन क लिए।
 आउटटाविजा—स मख कर अर्घानि मथुन सवन करे। खलु—निश्चय ही। सा—वह स्त्री।
 ओपरिस—धोजस्वी—वनवान। तैयस्सि—तजस्वी तजवाला। वचधसि—वचस्वी रूपवान।
 जसस्सि—यगस्वी—यगवाला। सपराइय—सग्राम म गुरवीर। प्रालोयणदरसणिज्ज—प्रा-
 लोकनीय और इगनीय। पुत्त—पुत्र को। लामि जा—प्राप्त करनी है। एरुपार—इस
 प्रकार क। निग्घोस—गाद को। मुच्चा—सुनकर। निसम्म—और विचार कर-हूय म
 धारण करे। तासि च ण—उनमें से ५ अनेवरी—कोई एक। सज्जी—स्त्री। त—उस।
 तवमित्त—तपस्वी। मित्रु—भिक्षु को। मेहुणधम्मपड्डिमारणाए—मथुन धम क संवनाथ।
 भाउटटाविज्जा—सन्मुख करे। अह—अथ। मिक्खुग—भिक्षुओं को। पु०—तावकादि न
 पहल ही यह उपदेश किया है। ज—जा कि। तहूपगार—तवाप्रकार क। उवम्सए—उपाश्रय
 में। ठाण वा ३—भिक्षु स्थानानि न करे-न ठहरे। एय—यह। खलु—निश्चय ही। तस्स—
 उम। भिम्भुस्स मिक्खणीए वा—भिक्षु-साधु या श्रद्धा की वा। सामग्गिय—यह सम्पूर्ण भिक्षु
 भाव भिक्षु व है। पढमा निज्जा सम्मत्ता—पहली गय्या समाप्त हुई।

मूलार्थ—भिक्षु को गृहस्थों के साथ बसने से निम्नलिखित दोष लग
 सकते हैं। जब वह गृहस्थों के साथ रहगा तब उन गृहस्थों की गृहपतिए
 उनकी पुत्रिए, पुत्रवधुए, धायमाताए, दामिए और अनुचरिए आपम
 में मिल कर यह वार्तालाप भो करने लगती है कि—ये साधु मथुन धम से
 सदा उपरत रहने हैं अर्थात् ये मथुन क्रीडा नहीं करते। अत इन्हें मथुन
 सेवन करना नहीं कल्पता। परन्तु जा कोई स्त्री इनके साथ मथुन क्रीडा
 करनी है, उसका बलवान, तेजस्वी, रूप वाला और कीर्तिमान सग्राम में
 शूरवीर एवं दर्शनीय पुत्र का प्राप्ति होती है। इस प्रकार के शब्द को सुनकर
 उनमें से कोई एक पुत्र का इच्छा रखने वाली स्त्री उम तपस्वी भिक्षु
 को मथुन सवन क लिए तैयार कर लेवे। इस तरह की सभावना ही सज्जी
 है, इसलिए तीर्थंकरों ने ऐम स्थान में ठहरने का निषेध किया।

हिन्दा निवचन

प्रस्तुत सूत्र में धनया गया है कि गृहस्थ के साथ ठहरने से साधु के ब्रह्मचर्य घन
 म दोष आ सकता है। क्योंकि साधु को अपने जीव म पारर सिद्ध उमकी और आश्रित
 हो सकती हैं और पारस्परिक वार्तालाप से यह जानकर कि प्रसंगी के रूप से दोष

वाला पुत्र बलवान एवं तेजस्वी होता है, तो पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कोई स्त्री मुनि से मैथुन क्रीड़ा करने की प्रार्थना भी कर सकती है और अपने हाव-भाव से वह मुनि को भी इस कार्य के लिए तैयार कर सकती है। इस तरह महाव्रतों से गिरने की संभावना देखकर भगवान ने साधु को गृहस्थ के परिवार के साथ ठहरने का निषेध किया है।

वस्तुतः देखा जाए तो वीर्य ही जीवन है। क्योंकि इस शरीर का निर्माण वीर्य से ही होता है। आगम में बताया गया है कि मनुष्य की अस्थि, मज्जा, केश एवं रोम का निर्माण पिता के वीर्य से होता है और मांस-मस्तक आदि का ढाँचा माता के रुधिर (रज) से बनता है। अस्तु माता और पिता का जीवन जितना संयमित, नियमित एवं मर्यादित होगा उतना ही सन्तान का शरीर शक्तिसम्पन्न एवं तेजस्वी होगा। अतः जीवन को शक्तिसम्पन्न एवं तेजस्वी बनाए रखने के लिए वीर्य को सुरक्षा करना आवश्यक है। इसी कारण गृहस्थ के लिए भी स्वदारसन्तोष व्रत का उल्लेख किया गया है। स्वपत्नी के साथ भी मर्यादा से अधिक मैथुन का सेवन करना अपनी शक्ति का नाश करना एवं सन्तति को दुर्बल एवं रोगी बनाना है। असंयत एवं अमर्यादित जीवन चाहे गृहस्थ का हो या साधु का, किसी के लिए भी हितप्रद नहीं है। अतः साधु को अपने संयम एवं ब्रह्मचर्य की रक्षा में सदैव सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य साधना का महत्वपूर्ण स्तम्भ है, इसलिए साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए, जहाँ ब्रह्मचर्य के रखलित होने की संभावना हो।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'आउटिट्टए, आउटिट्टाविज्जा' का प्राकृत महार्णव में आवृत्त करना, भुलाना, व्यवस्था करना, सम्मुख करना एवं तत्पर होना अर्थ किया हैॐ। और अर्द्धमागधी कोष में आउट (आ+कृट्) धातु को हिसार्थक माना है और 'आउट्टेइ, आउट्टेइ, आउट्टानी, आउट्टया, आउट्टे, आउट्टेजा, आउट्टितए और आउट--आवृत्त शब्द से भी दिया है†। परन्तु, प्रस्तुत प्रसंग में 'आउटिट्टए' पद का सम्मुख करना अर्थ ही सगत प्रतीत होता है।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

ॐ प्राकृत शब्द महार्णव, पृ० १३०।

† अर्द्धमागधी कोष, भाग २, पृ० ११।

द्वितीय अध्यायन शय्यपणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में उपाश्रय के दोषों का उल्लेख किया गया है, और प्रस्तुत उद्देशक में निवाम स्थान मन्त्री कुल विशेष दोषों का उल्लेख किया है। साधु को स्त्री पशु एवं नपुंसक से युक्त मन्थान में क्यों नहीं उतरना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—गाहावर्द्धं नामेगे मुडसमायारा भवति, से भिक्षुः य
असिणाणाण मीयसमायारे, से तग्गधे दुग्गधे पडिकूणे पडिलोमे
यापि भवड, ज पुब्बकम्म त पच्छाकम्म ज पच्छाकम्म त पुरे-
कम्म, त भिक्षुः पडियाए वट्टमाणा करिज्जा वा नो करिज्जा
वा अह भिक्षुणा पु० ज० तहप्पगारे उ० नो ठाणा० ॥७२॥

छाया—गृहपतयो नामैके शुचिसमाचारा भवन्ति, स भिक्षुश्च अस्नान
तथा मोक्षमाचार स तदगन्ध दुर्गन्ध प्रतिकूल प्रतिलामश्चापि भवति,
यत् पूर्वकर्म तत् परचातृकर्म यत् परचातृकर्म तत् पुराकर्म तद् भिक्षुप्रतिज्ञया
वतमाना कुर्यु वा नो कुर्यु वा अथ भिक्षुणा पूर्वोपदिष्टमेतत् यत् तथाप्रकार
उपाश्रये नो स्थान वा ३ कुर्यात् ।

वार्थ—नाम—संभावनापक है अथवा सामान्य स्थ में जाता है। एग-वर्द्ध एग।
गाहावर्द्ध—गृहपति-अन्वय ताग। ससमायारा—भुक्ति धर्म व मानन वाले। भवति—जात है।
प—घोर। से—वत्। भिक्षु—शिक्षु। असिणाणाण—स्नान न करन के घोर। मायसमायार—
मोक्ष प्रतिज्ञा का साधरण करन से। से—वत् भिक्षु। ताग—तद् य जाता घोर। दुग्गध—

दुर्गन्ध वाला / पडिकूले — प्रतिकूल और। पडिलोमे याचि भवइ — प्रतिलोम होता है, अतः।
ज पुर्वकर्म — गृहस्थ साधु के कारण से जो पहले कार्य करना है। तं पच्छ कर्म — उसे पीछे
करने लगता है। ज पच्छाकर्म — जो पीछे कर्म करना है। तं पुरेकर्म — उसे पहले करने
लगता है। त भिखुपडियाए — वह भिक्षु के कारण से भोजन आदि क्रिया प्राप्त काल में।
वट्टमाणा — वर्तता हुआ। करिज्जा वा — आगे-पीछे करे अथवा। नो करिज्जा वा — न करे,
तथा साधु गृहस्थ के कारण से प्रत्युपेक्षादि क्रिया आगे-पीछे करने लगे अथवा कालातिक्रम करके
क्रिया करे या कम करे या सर्वथा ही न करे। अह — अतः। भिखुणं — भिक्षुओं को। पु० —
तीर्थं करो ने पहले ही यह उपदेश दिया है। जं — जो। तहपगारे — साधु तथा प्रकार के।
उवस्सए — उपाश्रय में। नो ठाणं० — न ठहरे।

मूलार्थ — कई एक गृहस्थ शुचि धर्म वाले होते हैं, और साधु स्नानादि
नहीं करते और विशेष कारण उपस्थित होने पर मोक का आचरण भी
कर लेते हैं। अतः उनके वस्त्रों से आने वाली दुर्गन्ध गृहस्थ के लिए प्रति-
कूल होती है। इस लिए वह गृहस्थ जो कार्य पहले करना है उसे पीछे
करता है और जो कार्य पीछे करना है उसे पहले करने लगते हैं और भिक्षु
के कारण भोजनादि क्रियाएँ समय पर करे, या न करें। इसी प्रकार भिक्षु
भी प्रत्युपेक्षादि क्रियाएँ समय पर नहीं कर सकेगा, अथवा सर्वथा
ही नहीं करेगा। इसलिए तीर्थंकरादि ने भिक्षुओं को पहले ही यह उपदेश
दिया है कि वे इस प्रकार के उपाश्रय में न ठहरे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में गृहस्थ एवं साधु जीवन के रहन-सहन का अन्तर बताते हुए कहा
है कि कुछ गृहस्थ शुद्धि वाले होते हैं। वे स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध बनाने में
ही व्यस्त रहते हैं। और साधु सदा आत्मशुद्धि में, संलग्न रहता है। वह ज्ञान रूपी
सागर की अनन्त गहराई में डुबकिएँ लगाता रहता है। वह गृहस्थों की तरह स्नान आदि
नहीं करता और यदि कभी उसके शरीर पर घाव आदि हो जाता है तो वह औषध के
रूप में अपने मूत्र का प्रयोग करके उस घाव को ठीक कर लेता है। इस तरह उसका

❧ इस का यह अर्थ नहीं है कि वह पानी से नफरत करता है या शरीर को अशुचि से
आवृत्त रखता है। वह अशुचि दूर करने के लिए अचित्त जल का उपयोग भी करता है।
परन्तु वह बिना किसी प्रयोजन के केवल शृंगार के लिए स्नान आदि नहीं करता।

आचरण गृह्य से भिन्न होता है। इसलिए अधिक शीघ्र का ध्यान रखने वाला व्यक्ति मुनि के जीवन को दत्तकर उससे घृणा कर सकता है। और इस कारण वह गृह्य साथ ही कारण अपनी त्रियाश्रा को आगे पीछे कर सकता है और साथ ही गृह्यथा व सत्रोव से अपनी आवश्यक त्रियाश्रा को यत्नमय करन में अममर्थ हो जाता है। इस तरह गृह्यके कारण माधु की माधना में अनराय पड़ती है और माधु के कारण गृह्य व दैनिक कार्यों में भिन्न होता है इससे ज्ञेता के मन में धिक्ता एव एव दूरी के प्रति बुद्धि चुर भाव भी आ सकते हैं। अतः मुनि को गृह्य के साथ नहीं ठहरना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'भोग समाचार' का पाठ भी विचारणीय है। वृत्तिहार ने इसका अर्थ शयिक सूत्र माना है। परन्तु, वृत्तिहार ने उसके आचरण करने के विशिष्ट कारण का भी ज्ञान नहीं किया है और सके पीछे जिन्ना तरह का विशेषण नहीं होने से यह भास्पष्ट नहीं होता है कि वह सूत्र सामान्य है या विशिष्ट? सूत्र सामान्य की अपेक्षा से गो सूत्र का भी महत्व हो सकता है और उसे वैदिक एव लौकिक परम्परा में भी अशुद्ध नहीं माना है। इससे अनिश्चित 'भोग' शब्द के संस्कृत में भोग, भोग और मोक्ष तीन रूप पतते हैं। उस अपेक्षा से 'भोग समाचार' की संस्कृत छाया 'भोग' समाचार बनती और उसका अर्थ होगा—प्रसन्नता, पूजक स्नान का त्याग करने वाला। अर्थात्—ज्ञान के परित्र सागर में मोत लाने वाला मुनि। महाभारत आदि ग्रंथों में भी मुनि के लिए वाद्य स्नान के स्थान में अन्तर स्नान को महत्व दिया गया है। क्योंकि पानी से केवल शरीर की शुद्धि होती है आत्मा की शुद्धि नहीं होती। आत्मशुद्धि के लिए ज्ञान एव तप त्याग का स्नान ही आवश्यक माना गया है। इस तरह भोग का संस्कृत रूप मोक्ष मान लेने पर अर्थ में किसी तरह की अमगनि नहीं रहती है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी 'भोग' शब्द का 'भोग' के अर्थ में प्रयोग किया गया है। उसमें बताया गया है कि जैसे पक्षी स्वच्छा पूजक आकाश में उड़ान भरता है, उसी तरह ज्ञान भोग का परित्याग करके लघुभूत ज्ञेता वृत्ति मुनि 'प्रभोगमाणा-प्रमोक्षनात्' अर्थात् प्रसन्नता पूर्वक देश में

† वैदिक परम्परा में शशुद्धि को दूर करने तथा पाप धारा की निवृत्ति के लिए पंच गन्ध का पान करना प्रथम माना है और प्रस्ता स्त्री को गोमूत्र का पान करवाकर या गोमूत्र प्रधान पचणय से स्नान कराकर शुद्ध करने की प्रथा अभी भी प्रचलित है।

‡ ज्ञान पात्र परिक्षिप्त ब्रह्मचर्य त्यागभक्ति स्नादिति विमलेतीर्थे पाप पक्वापहारिणि।
—स्यात्प्रमजरी कारिका ११ (शब्दा)

तत्राभिपक्ष कुरु पाठपुत्र । न दारिणा शुद्धिनि वा तरात्मा ।

† उत्तरा प्र० १४ पा० ४४

विचरण करे । इस तरह 'भोग' शब्द का प्रसन्नता अर्थ ही अधिक मंगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—आयाणमेयं भिक्षुस्स गाहावर्हहिं सद्धिं सं-
इह खलु गाहवइस्स अप्पणो सयट्ठाए विरूवरूवे भोगणाजाए
उवक्खडिए सिया, अह पच्छा भिक्षुपडियाए असणां वा ४
उवक्खडिज्ज वा उवकरिज्ज वा, तं च भिक्षू अभिकंखिजा
भुत्ताए वा पायए वा, वियट्ठित्ताए वा अह भि० जं नो तह० ॥७३॥

छाया—आदानमेतद् भिक्षोः गृहपतिभिः साद्धं संवसत्., इह खलु गृह-
पतिना आत्मना स्वार्थं विरूपरूप भोजनजातं उपस्कृतं स्यात्, अथ पश्चाद् भिक्षु-
प्रतिज्ञया अशनं वा ४ उपस्कुर्यात् वा उपकुर्यात् वा तं च भिक्षु. अभिक्षाक्षेद्
भोक्तुं वा पातुं वा विवर्तितु वा, अथ भिक्षु यत् नो तथाप्रकारे उपाश्रये
स्थान वा ३ चेतयेत् ।

मूलम्—आयाणमेयं भिक्षुस्स गाहावइणा सद्धिं संव०
इह खलु गाहावइस्स अप्पणो सयट्ठाए विरूवरूवाइं दारुयाइं
भिन्नपुव्वाइं भवंति, अह पच्छा भिक्षुपडियाए विरूवरूवाइं
दारुयाइं भिदिज्ज वा किण्णिज्ज वा पामिच्चेज्ज वा दारुणा
वा दारुपरिणामं कट्ठु अगणिकायं उ० प०, तत्थ भिक्षू
अभिकंखिज्जा आयावित्ताए वा पयावित्ताए वा वियट्ठित्ताए वा,
अह भिक्षू० जं नो तहप्पगारे० ॥७४॥

छाया—आदानमतद भिक्षो गृहपतिना मादं सनमत, इह खलु गृहपतिना आत्मना स्वार्थाय विरूपरूपाणि दारुणि भिन्नपूर्वाणि भवन्ति, अथ पश्चाद् भिनुप्रतिज्ञया विरूपरूपाणि दारुकाणि भिन्नाद वा क्रावीयाद् वा अपमिमीत दारुणा वा दारुपरिणाम कृत्वा अग्निरूपाय, उज्ज्वालयेत् प्रज्वालयेत् वा तत्र भिक्षु अभिज्ञानेत् आतापयितु वा परितापयितु वा, विवर्तितु वा, अथ भिक्षु यत् तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थानादि चेतयत् स्यात् ।

पदाय—मित्रस्त—भिक्षु के लिए । आयाणमेय—यह एक और भी कम बच का कारण है, जसे कि । गाहावर्द्धि सद्धि—गृहस्थों के साथ । सबसमाणस्त—बनने हुए का यथा । इह खलु—निश्चय ही इस उपाश्रय में । गाहावर्द्धस्त—गृहपति ने । अप्यथो सम्यथाए—स्वयं ग्रपन लिए । विरूपरूपे—नाना प्रकार के । भोयणजाए—खात्र पत्थों को । उक्कलडिए मिया—नयार किया है । अह—अथ—फिर । पच्छा—पश्चात् पीछे से । मिक्खुपडियाए—भिक्षुओं के लिए अर्थात् उनके निमित्त । असण वा ४—चार प्रकार के प्रशनादिक आहार को । उक्कलडिज वा—अन ता है अथवा । उक्कलडिज वा—उनके लिए मामगो एकत्रित करता है । त च—और उस वनने हुए आहार को साधु । अत्तए वा—खाना अथवा । पावए वा—पीना । अग्निक्खिज्जा—चाहते हैं और । विवट्टित्तए वा—उस आहार का प्रकटी तरह से आम्वात् लेना चाह । अह मि०—अत तीर्थकरादि न भिक्षुओं को पढ़ने ही यह उपपन्न किया है कि साधु रूप प्रकार के उपाश्रय में । ज नो तह०—१ ठहरे ।

गाहावर्द्धना सद्धि—गृहस्थों के साथ । सबसमाणस्त—बनने हुए । मिक्खस्त—भिक्षु का । आयाणमेय—यह एक और भी कम बच का हेतु हा सकता है यथा । इह खलु—निश्चय ही उस स्थान में । गाहावर्द्धस्त—गृहपति ने । अप्यथो सम्यथाए—स्वयं ग्रपन लिए । विरूपरूपाड—नाना प्रकार के । दाहयाड—काष्ठ । मि न प श्वाड मयडि—जा भेदन करके पहले ही रख हुए हैं । अह पच्छा—अथ फिर पश्चात् पीछे में । मिक्खुपडियाए—भिक्षु साधु के लिए । विरूपरूपाड—नाना प्रकार के । दाहयाड—काष्ठों को । मिदिज्ज वा—भजन कर अथवा । मिदिज्ज वा—मान से अथवा । प मिक्खेज वा—किसी से उधार ल लिए । दाहणा वा दाहपरिणाम कट्टु—काष्ठ में काष्ठ का गर्धपित करके । अग्निक्काड—अग्नि की । उ०—उपवृत्त कर । प०—प्रशन्नित करे । त य—वडा पर । मिक्खु—साधु । आयावित्तए—आताप लेना अथवा । पयावित्तए वा—विनाय रूप में आताप लेना और । विवट्टित्तए वा—अग्नि के आताप में विनाय आनवन जाना । अग्निक्खेज्जा—चाहता । अह मिक्खु०—तीर्थकरादि न भिक्षु के लिए यह पदम उपदेग किया है कि । ज नो तह०—१ ठहरे ।

उपाश्रय में स्थानादि न करे ।

मूलार्थ—गृहस्थो के साथ निवास करते हुए भिक्षु के लिए यह भी एक कर्म बन्धन का कारण हो सकता है, जैसे कि--गृहस्थ अपने लिये नाना-प्रकार का भोजन तैयार करके फिर साधु के लिये चतुर्विध आहार को तैयार करने एवं उसके लिये सामग्री एकत्रित करने में लगेगा, उस आहार को देखकर साधु भी उसका आस्वादन करना चाहेगा या उसमें आसक्त हो जायगा । इसलिये तीर्थंकर भगवान ने पहले ही यह प्रतिपादन कर दिया है कि साधु को इस प्रकार के उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिये ।

इसी प्रकार गृहस्थो के साथ ठहरने से भिक्षु को एक यह भी दोष लगेगा कि गृहस्थ ने अपने लिये नाना प्रकार का काष्ठ-ईधन एकत्रित कर रखा है, फिर वह साधु के लिये नाना प्रकार के काष्ठों का भेदन करेगा, मोल लेगा अथवा किसो से उधार लेगा, और क्लृष्ट से काष्ठ को सघर्षित करके अग्निकाय को उज्ज्वलित और प्रज्वलित करेगा, और उस गृहस्थ की तरह साधु भी शीन निवारणार्थ अग्नि का आताप लेगा और उसमें आसक्त हो जायगा । इस लिये भगवान ने साधु के लिये ऐसे मकान में ठहरने का निषेध किया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत उभय सूत्रों में यह बताया गया है कि यदि साधु गृहस्थ के साथ ठहरेगा तो गृहस्थ अपने लिए भोजन बनाने तथा सर्दी निवारणार्थ ताप के लिए लकड़ी आदि की व्यवस्था कर चुकने के बाद अतिथि रूप में ठहरे हुए साधु के लिए भोजन बनाने की सामग्री एकत्रित करेगा और उसके शीत को दूर करने के लिए लकड़ियों खरीदेगा, उसका छेदन-भेदन कराएगा । उसे ऐसा करते हुए देखकर साधु के भावों में भी परिवर्तन आ सकता है और वह उस भोजन एवं आताप में आसक्त होकर संयम पथ से गिर भी सकता है । क्योंकि आत्मा का विकास एवं पतन भावों पर ही आधारित है । भावों के बनते एवं बिगड़ते विशेष देर नहीं लगती है । जैसे अपस्मार (मृगी) का रोगी पानी को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है । इसी तरह आत्मा में सत्ता रूप से स्थित औद्यिक भाव बाहर का निमित्त पाकर जागृत हो उठते हैं और आत्मा को सन्मार्ग के शिखर से

पतन के गर्भ में गिरा देते हैं। इसलिए साधु की सत्ता भावधान रहना चाहिए और उस सत्ता ऐसे निमित्तों से ज्वर रहना चाहिए जिससे उसकी आत्मा पतन की ओर गतिशील न हो। इसीलिए आगम में यह आदेश दिया गया है कि साधु जो गृहस्थ के साथ नहीं ठहरना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'गाहावड्म्य' पद में तृतीया विभक्ति के अर्थ में पठो विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और 'उबन्म्य' अर्थात् उपाश्रय शब्द का प्रयोग स्थानक के अर्थ में नहीं, प्रत्युत मकान मात्र के अर्थ में हुआ है। और जब हम प्रस्तुत पाठ का गूढ़ार्थ से अध्ययन करते हैं तो उपाश्रय का अर्थ गृहस्था से युक्त एव भोजनशाला में निरुद्धवर्ती स्थान विशेष पर ही स्पष्ट होता है। इसे अन्तरगृह भी कहते हैं और कल्प सूत्र में साधु-साध्वी को अन्तरगृह में ठहरने एव मल-मूत्र के त्याग करने आदि क्रियाओं का निषेध किया गया है और दशवैश्वानर सूत्र में भी अन्तरगृह में निवास करने एव पर्यङ्ग आदि पर बैठने का निषेध किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि समय की सुरक्षा के लिए मुनि को ऐसे मकान में नहीं ठहरना चाहिए जिसमें गृहस्थ अपने परिवार सहित निवसित हो।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा० उच्चारपासवणोण उव्वाहिज्जमाणो,
रायो वा वियाले वा गाहावईकुलस्स दुवारवाह यवगुणिज्जा,
तेणो य तस्सधिचारी यणुपविमिज्जा, तस्म भिक्खुस्स नो कप्पड,
एव वडत्तए—यय तेणो पविसड वा नो वा पविसड उवल्लियड
वा नो वा०, यावयड वा नो वा०, वयड वा नो वा०, तेण हड
यन्नेण हड, तस्स हड यन्नस्स हड, यय तेणो, यय उपचरण यय
हता, यय द्दथमकामी, त तपस्सि भिक्खु यतेण तेणाति सकड ।

ॐ सिञ्जापर विड व आसदापलियकए,

गिहतर निस्सिञ्जाय, गायस्सुव्वट्ठणाणिय ।

—दशवैश्वानर सूत्र, ३५।

अह भिक्षूणां पु० जाव नो ठा० ॥७५॥

छाया—स भिक्षु वा उच्चारप्रस्रवणेन उद्वाध्यमानः रात्रौ वा विकाले वा गृहपतिकुलस्य द्वारभागम् अपवृणुयात् स्तेनश्च तत्संधिचारी अनुप्रविशेत्, तस्य भिक्षोः नो कल्पते एवं वक्तुम्—अयं स्तेनः प्रविशति, वा नो वा प्रविशति [उपलीयते वानो वा० आपतति वा नो वा० वदति वा नो वा० तेन हृत, अन्येन हृतं तस्य हृतं अन्यस्य हृत अय स्तेनः अयं उपचारकः अय हन्ता अयमत्राकार्पीत्, तं तपस्वि-न भिक्षु अस्तेनं स्तेनमिति शक्रेत् अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यावन्नो स्थान चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू—भिक्षु-साधु । उच्चारपासवणेण—मल-मूत्र से । उठवाहिज्जमाणे—वाधित-पीड़ित होने से । रात्रौ वा—रात्रि मे । विकाले वा—अथवा विकाल ने । गाहावईकुलस्स—गृहपति के घर के । द्वारवाहं—द्वार को । अवंगुणिज्जा—खोल कर बाहर निकले । य—और फिर । तेणे—चोर । तत्संधिचारी—और छिद्र देखने वाला व्यक्ति । अणुपविसिज्जा—घर में प्रवेश कर जाए तो । तस्स—उम । भिक्षुस्स—भिक्षु को । एवं—इस प्रकार । वइत्तुं—बोलना । नो कप्पइ—नहीं कल्पता, यथा । अयतेणो—यह चोर । पविसइ वा—प्रवेश कर रहा है । नो वा पविसइ—अथवा नहीं प्रवेश कर रहा है । उवल्लियइ वा यह यहा छिप रहा है । नो वा०—अथवा नहीं छिप रहा है । आवयइ वा—नीचे कूदता है । नो वा०—अथवा नीचे नहीं कूदता है । वयइ वा—बोलता है । नो वा०—अथवा नहीं बोलता है । तेणहड—उसने चोरी की है । अन्नेणहडं—या अन्य ने चोरी की है । तस्स हड्—इसने उसका माल चुराया है । उन्नसहडं—या अन्य का चुराया है । अयं तेणे—यह चोर है । अय उवचरे—यह उसका उपचारक—संरक्षक है । अयं हन्ता—यह मारने वाला है । अयं इत्थमकासी—इस चोर ने यहा यह काम किया । त—उस । तवस्सि—तपस्वी । भिक्षुं—भिक्षु के प्रति । अतेण—जो चोर नहीं है । तेणत्ति—चोरपनेकी । संकइ—आशका करता है । अह भिक्षूणां—भिक्षुओं को । पु०—तीर्थंकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि इस प्रकार के उपाश्रय मे साधु । जाव—यावन् । नो ठा०—क्यायोत्सर्गादि न करे ।

मूलार्थ—रात्रि मे अथवा विकाल मे साधु ने मल-मूत्रादि की बाधा होने पर गृहस्थ के घर का द्वार खोला और उसी समय कोई चोर या उसका साथी घर में प्रविष्ट हो गया तो उस समय साधु तो मौन रहेगा । वह हल्ला नहीं मचाएगा, कि यह चोर घरमें घुसता है,

अथवा नहीं घुसता है, छिपता है, अथवा नहीं छिपता है, नीचे कूदता है अथवा नहीं कूदता है, बोलता है अथवा नहीं बोलता है, उसने चुराया है, अथवा अन्य ने चुराया है, उसका धन चुराया है, अथवा अन्य का धन चुराया है, यह चोर है, यह उसका उपचारक है, यह मारने वाला है और इस चोर ने यहा यह कार्य किया है। और साधु के कुछ नहीं कहने पर उसे उस तपस्वी साधु पर जो वास्तव में चोर नहीं है, चोर होने का संदेह हो जाएगा। इसलिए भगवान् ने गृहस्थ से युक्त मकान में ठहरने एवं कायोत्सर्ग का निषेध किया है।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु रात्रि में या त्रिकाल में मल मूत्र का त्याग करने के लिए द्वार खोलकर बाहर आए और यदि उसी समय कोई चोर घर में प्रविष्ट होकर छुप जाए और समय पाकर चोरी करके चला जाए। ऐसी स्थिति में साधु उस चोर को चोर नहीं कह सकता है और न ही इल्जाम ही कर सकता है। वह उस चोर को उपदेश दे सकता है। यदि उसने साधु का उपदेश नहीं माना तो उसने चोरी करके चले जाने के बाद गृहस्थ को मालूम पड़ने पर उक्त साधु पर चोरी का संदेह हो जाएगा, अतः साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि जिस मकान में मल मूत्र के परिष्ठापन का योग्य स्थान न हो वहाँ साधु को नहीं ठहरना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होता है कि मल मूत्र के त्याग के लिए साधु द्वार खोलकर जा सकता है एवं वापिस आने पर वह भी कर सकता है।

इस सूत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि साधु को ऐसे मकान में नहीं ठहरना चाहिए, जिनमें गृहस्थ का कीमती सामान पड़ा हो। इस तरह गृहस्थ के साधु ठहरने से साधु की साधना में अनेक दोष आने की सम्भावना है। इसलिए साधु को गृहस्थ से युक्त मकान में नहीं ठहरना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा स ज० तणपुजेसु वा, पलाल पुजेसु वा मग्रडे जाय मसताणए, तहप्पगारं उ० नो टाण वा ३ । से भिक्षु वा० से ज० तणपु० पलाल० थप्पडे जाय चेडज्जा ॥७६॥

छाया—स भिक्षुर्वा स यत्० तृणपुंजेषु वा पलाल पुंजेषु वा साण्डः यावत्
ससन्तानकः तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थान दा ३ । म भिक्षुर्वा स यत्० तृण-
पुंजेषु वा पलालपु० अल्पाण्डे यावत् चेतयेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—भिक्षु अथवा भिक्षुणी । से—वह । जं०—जो फिर
उपाश्रय के सम्बन्ध में जाने, जैसे कि—तण पुञ्जेषु वा—तृण के समूह में । पलाल पुञ्जेषु वा—
पलाल के समूह में । सअंडे—अण्डे । जाव—यावत् । ससंताणए—मकड़ी के जाले है तो ।
तहप्पगारे—इस प्रकार के । उ०—उपाश्रय में साधु । नो ठाणं वा ३—कायोत्सर्गादि क्रिया न
करे । से—वह । भिक्खू वा०—भिक्षु—साधु या साध्वी । से—वह । जं०—उपाश्रय को जाने,
जैसे कि । तण पु०—तृण का समूह । पलाल०—अथवा पलाल के समूह में । अण्डे—अण्डे
से रहित है । जाव—यावत् मकड़ी आदि के जालों से रहित है तो इस प्रकार के उपाश्रय में ।
चेडज्जा—कायोत्सर्गादि क्रिया करे एवं ठहरे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी उपाश्रय के संबन्ध में यह जाने कि
यदि तृण एव पलाल का समूह अण्डों से युक्त है, अथवा मकड़ी के जालों
से युक्त है तो इस प्रकार के उपाश्रय में कायोत्सर्गादि न करे । वह भिक्षु
यदि यह जाने कि यह उपर्युक्त प्रकार का उपाश्रय अण्डों से रहित यावत्
मकड़ी के जालों से रहित है, तो इस प्रकार के उपाश्रय में कायोत्सर्गादि
क्रियाये कर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि तृण और पलाल (घास)के
पुजों से निर्मित उपाश्रय अण्डे आदि से युक्त हो तो साधु को वहाँ नहीं ठहरना चाहिए
और न कायोत्सर्ग (ध्यान) ही करना चाहिए । इससे स्पष्ट होता है कि उस युग में साधु
गावों में अधिक भ्रमण करते थे । क्योंकि, घास-फूस की झोंपड़िएं (मकान) प्रायः गावों
में ही मिलती हैं । और इस पाठ से यह भी ध्वनित होता है कि मकान के जिस भाग में
साधुको कायोत्सर्ग आदि क्रियाये करनी हों, उस भाग में अण्डा एवं त्रस जीव आदि न हो
दशवैकालिक सूत्र में भी बताया गया है कि कायोत्सर्ग करते समय या अन्य समय में
मुनि के शरीर पर या वस्त्र-पात्र आदि पर ऊपर से त्रस जीव गिर गया हो तो मुनि उसे
बिना किसी तरह का कष्ट पहुँचाए एकान्त स्थान में छोड़ देवे० । इस तरह प्रस्तुत पाठ

त्रिंश्रि और निषेध दोना का परिशोधन है। जिस स्थान में साधु को ठहरना हो मायोत्मग आदि क्रियाएँ करनी हों उम स्थान में अन्न आदि नहीं होना चाहिए।

साधु को किस स्थिति में किस तरह के महान में नहीं ठहरना चाहिए इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आगतारेसु वा आरामागारेसु वा गाहावडकुलेसु

वा परियावसहेसु वा अभिसरण साहम्मिण्हि उवयमाणेहि नो

उवडज्जा ॥७७॥

ध्याया—म आगतागारेषु, वा आरामागारेषु वा गृहपतिकुलेषु वा पर्याय मथेषु वा अभीक्ष्ण साधमिर्षे अरतदमि न अयपतेत् ।

पदार्थ—आगतारेसु—गाव व बाहर स्थित धमशाला आदि जितमें यात्री ठहरते हैं। आरामागारेसु—बगीचे आदि में जगों की विश्रामति के लिए बन हुए मकान में। गाहावडकुलेसु वा—गृहपति के कुल में। परियावसहेसु वा—तापस आदि के मठ में, यति। साहम्मिण्हि—अथ मन के साधु मयानी। अभीक्ष्ण—बार-बार आते हा, उवयमाण्हि—धीरे ठहरते हों तो। से—वह निश्चय जन मुनि, ऐस स्थानो पर। नो उवडज्जा—मानकल्प आदि न करे।

मूलार्थ—धमशाला, उद्यान में बने हुए विश्रामगृह, गृहपति कुल एव तापस आदि के मठो में जहा अन्य मत के साधु बार-बार आते जाते हा, वहा जैन मुनि को मासकल्प नहीं करना चाहिए।

हिंदी विवरण

प्रस्तुत सूत्र में धमशाला, विश्रामगृह गृहपति के अतिथ्यालय एव तापस आदि के मठों में यदि अन्यमत के साधुओं का अविक्र आयागमन रहता हो तो साधु को ऐसे स्थानों में मासकल्प नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि उनके अत्यधिक आयागमन से वहां का वातावरण शांत नहीं रह पाएगा और उम कोलाहलमय वातावरण में साधु एकाम एव शांत मन से स्वाध्याय, ध्यान एव चिंतन मनन नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि जैन मुनि की वृत्ति उनसे कठिन होने के कारण उक्त अधिक प्रातः को देवकर व उसमें इध्या रखने लगगे और उस तग करने का भी प्रयत्न करगे और उन कारण सम्नेश का वातावरण भी बन सकता है और उनके साथ अधिक

परिचय होने से श्रद्धा में विपरीतता आने की भी संभावना रहती है। इसलिए साधु को अन्य मत के भिक्षुओं के अधिक आवागमन वाले स्थान में मासकल्प या चातुर्मास कल्प नहीं करना चाहिए।

इसमें स्पष्ट होता है कि साधु को ऐसे स्थानों में परिस्थितिबश एक-दो दिन ठहरना पड़े तो उसका निषेध नहीं है। प्रस्तुत पाठ से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में यात्रियों के ठहरने की सुविधा के लिए गांव के बाहर धर्मशालाएं, विश्रामगृह एवं मठ आदि होते थे और गांव या शहर में गृहपतियों के अतिथ्यालय बने होते थे और उनमें विना किसी जाति-पांति एवं सम्प्रदाय या पंथ भेद के, सबको समान रूप से ठहरने की सुविधा मिलती थी।

प्रस्तुत सूत्र में 'साहम्मिर्णह' पद का केवल साधर्मिक साधुओं के लिए नहीं, अपितु सभी साधुओं के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ अन्य मत के साधु संन्यासी करना चाहिए। वृत्तिकार ने भी यही अर्थ किया है।

साधु को अपनी विहार मर्यादा में काल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से आगंतारेसु वा ४ जे भयंतारो उडुवद्धियं वा वासावासियं वा कप्पं उवाइणित्ता तत्थेव भुज्जो २ संवसन्ति अयमाउसो ! कालाइक्कंत किरियावि भवति ॥७८॥

छाया— स आगन्तागारेषु वा ४ ये भयन्नातार ऋतुवद्ध वा वर्षावासंवा कल्प-पमुनीय तत्रैव भूय. २ संवसन्ति अयमायुष्मन् । कालातिक्रान्तक्रियापि भवति ।

पदार्थ—से—बह-भिक्षु। आगंतारेसु वा ४—धर्मशाला आदि में। जे भयंतारो—जो पूज्य भगवान्। उडुवद्धियं—शीतोष्णकाल में मासकल्पादि तथा। वासावासियं वा—वर्षाकाल-चातुर्मास। कप्पं—कल्प की मर्यादा को। उवाइणित्ता—वित्ताकर। तत्थेव—वही पर। भुज्जो २—पुनः पुनः। संवसन्ति—विना कारण रहते हैं। अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य! यह। कालाइक्कतकिरियावि—कालातिक्रान्त क्रिया। भवति—होती है।

मूलार्थ—धर्मशाला आदि स्थानों में जो मूनिराज शीतोष्ण काल में

माम कल्प एव वर्षाकाल मे चातुर्मासकल्प को व्रिताकर विना कारण पुन
वही पर निवास करते है तो वे काल का अतिक्रमण करते है ।

द्विती चिबेचन

भस्तुत सूत्र मे यह ज्ञाया गया है कि निम्न स्थान म साधु ने मासकल्प या
उपासकल्प किया हो उसे उसके बाद उस स्थान मे विना कारण वे नही ठहरना चाहिए ।
यदि विना किसी विशेष कारण के वे उस स्थान म ठहरत है तो कालातिक्रमण तोष न
सेवन करत है । क्योंकि मर्यादा से अधिक समय तक एक स्थान मे रहने से गृहस्थों क
माथ अधिक घनिष्ठ परिचय हो जाता है और इससे उनके माथ राग-भाव हो जाता है
और इस कारण आहार मे भी उद्गमादि गैरों का लगना सम्भव है । और दूसरी धान
यह है कि एक ही स्थान पर रुक जाने से अन्य गावा म धर्म प्रचार भी नहीं होता है ।
अत समय शुद्धि एव शासनात्मि को दृष्टि से साधु को मर्यादित काल से अधिक नही
ठहरना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक क्रिया काल-मर्यादा मे ही होना चाहिए । इससे जीवन
की व्यवस्था बनी रहती है और तप-समय भी निर्मल रहता है । आगम म एक पक्ष किया
गया है कि काल को प्रतिलेखा करने से अर्थात् कालमर्यादा का पालन करने से जीव
को किस फल की प्राप्ति होती है ? इसका उत्तर देते हुए श्रमण भगवान महाव र ने
फरमाया है कि काल मर्यादा का सम्यक्तया परिपालन करने वाला व्यक्ति ज्ञानावरणीय
कर्मा नी निजरा करता है ॥ इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्रिया समय पर करने के
कारण वह स्वाध्याय, ध्यान एव चिन्तन मनन के समय का उल्लंघन नहीं करेगा और
स्वाध्याय आदि के करने से ज्ञानावरणीय कम का क्षय या क्षयोपशम होगा और उसके
ज्ञान मे अभिवृद्धि होगी । और समय पर क्रियाए न करके आगे-पाछे करने मे सघक
स्वाध्याय आदि के लिए भी व्यर्थस्थित समय नहीं निकाल सकेगा । अत मनि को मास
कल्प एव वर्षासकल्प के पश्चात विना किसी कारण के काल का अतिक्रमण नहीं
करना चाहिए ।

अत्र सूत्रकार उपरान्त क्रिया के सम्बन्ध म श्रुते हैं—

मूलम्—से आगतारेसु वा ४ जे मयतारा उडुवद्विय वा

ॐ वात पडिल्लहणाय न भत जीवे कि जगय ?

वात पाडिल्लहणाय न ज्ञानावरणिज कम्म खवइ ।

वासावासियं वा कल्पं उवाङ्णावित्ता तं दुगुणतिगुणेण वा अप-
रिहरित्ता तत्थेव भुज्जा संवसंति, अयमाउसो ! उवट्ठाण किरिया
यावि भवति ॥७६॥

छाया—स आगन्तागारेषु वा ४ये भयतारः(भयत्रातारः)ऋतुषट्ठं वा वर्षा-
वासं वा कल्पमुपनीय त द्विगुणत्रिगुणेन वा अपरिहृत्य तत्रैव भूयः सवसन्ति,
अयमायुष्मन् ! उपस्थानक्रियाचापि भवति ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु । आगतारेसु वा—धर्मशाला आदि स्थानों में । जे भयतारो-
पूज्य मुनिराज । उड्ढुबद्धियं—शीतोष्णा काल मे मासकल्प तथा । वासावासिय—वर्षाऋतु
मे चातुर्मास । कल्प—कल्प को । उवाङ्णित्ता—बिता कर । तं—वह अन्यत्र । दुगुणतिगुणेण—
वा—द्विगुण त्रिगुण काल को । अपरिहरित्ता—न बिता कर । तत्थेव—वही । भुज्जो०
पुन० । संवसंति—निवास करते है । अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह उवट्ठाण किरिया-
यावि—उपस्थान क्रिया । भवति—होती है, अर्थात् इसे उपस्थान क्रिया कहते है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् (शिष्य)! जो साधु साध्वी धर्मशाला आदि
स्थानों में, शेषकाल में मासकल्प आदि और वर्षा काल मे चातुर्मासकल्प
को बिताकर अन्य स्थानों में द्विगुण या त्रिगुण काल को न बिताकर जल्दी
हां फिर उन्ही स्थानों मे निवास करते है, तो उन्हें उपस्थान क्रिया
लगतो है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी ने जिस स्थान में मास कल्प
या वर्षावासकल्प किया है, उससे दुगुना या त्रिगुना काल व्यतीत किए बिना उक्त
स्थान में फिर से मास या वर्षावास कल्प नहीं करना चाहिए । यदि कोई साधु-
साध्वी अन्य क्षेत्र में मर्यादित काल बिताने से पहले पुनः उस क्षेत्र में आकर मास या
वर्षावास कल्प करते है तो उन्हें उपस्थान क्रिया लगती है । इससे स्पष्ट है कि जिस
स्थान में एक महीना ठहरे हो उस स्थान पर दो या तीन महीने अन्य क्षेत्रों में लगाए
बिना मास कल्प करना नहीं कल्पता । इसी तरह जहा चातुर्मास किया है उस क्षेत्र में
दो या तीन वर्षावास अन्य क्षेत्रों में किए बिना पुनः वर्षावास करना नहीं कल्पता । इस

प्रतिबन्ध का कारण यह है कि नए नए चित्रों में घमते रहने से साधु का समय भी शुद्ध रहता है और अनेक चित्रों को उनमें उपदेश का लाभ भी मिलता है। और अनेक प्राणियों को आत्म विज्ञान करने का अवसर मिलता है। मुनि का आश्रमजनक बनने से कई बार लोगों की श्रद्धा में शिथिलता एवं विपरीतता भी आ जाती है। नन्दन मणिहार का उदाहरण हमारे सामने है। वह व्रतधारी शायक था, परन्तु साधुओं का सपन कम रहने से साधुओं का दर्शन न होने से तथा अन्य धर्म के विचारना एवं मिलुओं का सम्पर्क रहने से उसकी श्रद्धा में विपरीतता आ गई थी। इसी तरह भगवान् पार्श्वनाथ के पास से शायक व्रत स्वीकार करने के बाद मोमल ब्राह्मण को साधुओं का सम्पर्क नहीं मिला और परिणाम स्वरूप वह भी पथभ्रष्ट हो गया था। इसलिए साधुओं को किन्ना स्थान विशेष से बँकर नहीं रहना चाहिए, प्रयुक्त वह समभाव पूर्वक सभी क्षेत्रों को समालोचते रहना चाहिए। इससे उनकी साधना भी शुद्ध रूप से गतिशील रहती है और लोगों की श्रद्धा एवं चारित्र्य में भी अभिवृद्धि होती है।

अब तृतीय अभिव्रान्त क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा ४ सतेगडया सड्डा भवति, तजहा गाहावई वा जाव कम्मकरीयो वा तेसि च णा आयारगोयरे नो सुनिसते भणइ, त सदहमाणेहिं, पत्ति यमाणेहि रोयमाणेहि वहवे समण माहण अत्तिहि-किवण वणी मए समुहिस्म तत्थ २ अगारीहिं अगाराइ चेडयाइ भवति तजहा—आएसणाणि वा आयतणाणि वा देवकुलाणि वा सहायो वा पवाणि वा पणियगिहाणि वा पणियसालायो वा जाणगिहाणि वा जाणसालायो वा सुहाकम्मताणि वा दम्भ-कम्मताणि वा वद्धक० वक्कयक० इगाल कम्म० कट्ठ क०

सुसाणक० सुसाणागारगिरिकंदरसंतिसेलोवट्टाणकम्मंताणि वा
भवणगिहाणि वा, जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि वा
जाव गिहाणि वा तेहिं उवयमाणोहिं उवयंति अयमाउसो !
अभिककंत किरिया यावि भवइ ३ ॥८०॥

छाया--इह खलु प्राचीनं वा ४ संन्ति एकका श्राद्धा भवन्ति, तद्यथा-
गृहपतिर्वा यावत् कर्मकर्यो वा तेषां च आचारगोचरः न सुनिशान्तो भवति,
तत् श्रद्धधानैः प्रतीयमानैः रोचमानैः बहवः श्रमण-ब्राह्मण-अतिथि-कृपण-
वनीपकान् समुद्दिश्य तत्र २ अगारिभिः अगाराणि चेतितानि भवन्ति, तद्यथा-
आदेशनानि वा आयतनानि वा देवकुलानि वा सभाः वा प्रपाः वा पण्य-
गृहाणि वा पण्यशाला वा यानगृहाणि वा यानशालाः वा सुधाकर्मान्तानि वा
दर्भकर्मान्तानि वा वर्धकर्मन्तानि वा चल्कजकर्मन्तानि वा अंगारकर्मा-
न्तानि वा काष्ठकर्मन्तानि वा रमशानकर्मन्तानि वा शून्यागारागिरि-कंदर
शान्ति-शैलोपस्थानकर्मन्तानि वा भवनगृहाणि वा ये भयत्रातारः तथा-
प्रकाराणि आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा तैः अवपतद्भिः अवपतन्ति
अयमायुष्मन् ? अभिक्रान्तक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ— इह—प्रजापक की अपेक्षा से ; खलु—वाक्यालंकार मे है । पाईणं—पूर्वादि
दिशाओ मे । सतेगइया—कई एक । सड्ढा भवति—श्रद्धालु गृहस्थ होते हैं । तंजहा—
यथा । गाहावई वा—गाथापति । जाव—यावत् । कम्मकरीओ वा—दासिया । ण—वाक्या-
लंकार मे है । तेसि च—उन्होने । आघारगोयरे—साधु का आचार-विचार । नो सुनिस्से—
भली-भाति श्रवण नहीं किया । भवइ—है, किन्तु उपाश्रय आदि का दान देने से स्वर्गादि का
श्रेष्ठ फल मिलता है यह सुन रखा है । तं—उसकी । सद्दहमाणोहिं—श्रद्धा करने से । पत्तिय
माणोहिं—प्रतीति करने से । रोयमाणोहिं—रुचि करने से । बहवे—बहुत से । समण—शाक्यादि
श्रमण । माहण—ब्राह्मण । अतिहि—अतिथि । किवण—कृपण । वणीमग—दरिद्र-भिखारी
इनको । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । आगारीोहिं—गृहस्थो ने । तत्थ तत्थ—जहां-तहा । आगाराइं—
अपने और श्रमण आदि के लिए घर एवं । चेइयाइं भवति—उपाश्रय बनाए हुए है । तंजहा—

जमे कि । आणसणानि वा—लुगर प्राणि की गाना । प्रायतणानि वा—घमगाला । देवकुत्तानि वा—दवमन्दि देरा । सहासो वा—ममाभवत । पवणानि वा—प्रपा—पानी पिनाने वा स्थान प्याऊ प्रादि । पणियगिहाणि वा—दुफा । पणियसालाघो वा—पण्यगाना—मालगोदाम प्राणि । जाणगिहाणि वा—रय गाना जहाँ रय प्राणि ठहराए जाने है । जाणसाला वा—यान गाला—जहाँ रय प्रादि यान बनाए जात हैं । सहाकम्मताणि—चन का कारखाना । दमकम्म ताणि वा—जहा कुगा की वस्तुए बनाई जाती हैं । बद्धक०—जहाँ चमड को बाध बनाई जाता है । वक्कय क०—जहा छान प्राणि तयार की जाती है । इत्तल कम्म—जहा कायल बनाए जाने हैं । कट्ठ क०—जहा काठ प्रादि घडा जाता है । सुमाण क०—जहाँ श्मशान में कुपाणि बनाए जात हैं । सुण्णागर—गूयागर गूयगह । गिरिकर—पहाड के ऊपर बने हुए घर और गुफा प्राणि । सति—गानि कम के लिए बन हुए मन्दि । सेलोवण्ठाण कम्मताणि वा—पवत भवन, पापाणमण्डप । भवणगिहाणि—तनघर इत्यादि । जे भयतारो—जो पूय माधु । तहृत्थगाराड—तयाप्रकार क । आणसणानि वा जाव गिहाणि—सुहारगाना प्रादि को । तेहि उअण माणहि—घय मत के भिक्षुओ या गृहस्था न भोग लिया है और उन स्थानों में । उअयत्ति—साधु ठहरत है ता । आउसो—हे आयुष्मन् गिप्पि अय—यह । अमिक्कतकिरिया—अभिक्रा तकिया । भवड—होती है अयत्ति इस प्रकार के स्थानों में उतरने से माधु को कोई दोष नहीं लगता है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् शिष्य ! इस ससार में पूवादि दिशाओ में कई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं । जैसे कि— गृहपति यावत् उनके दास-दासिया । उन्होंने साधु का आचार और व्यवहार तो सम्यक्तया नहीं सुना है परन्तु यह सुन रखा है कि उन्हें उपाश्रय आदि का दान देने से स्वगादि का फल मिलता है और इस पर श्रद्धा, विश्वास एवं अभिरुचि रखने के कारण उन्होंने बहुत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, और भिखारी आदि का उद्देश्य करके तथा अपने कुटुम्ब का उद्देश्य रख कर अपने अपने गावों या शहरों में उन गृहस्थों ने बड़े बड़े मकान बनाए हैं । जैसे कि लोहकार की शालायें, धमशालायें, देवकुल, सभाए, प्रपाए प्याऊ दुकानें, मालगोदाम, यानगृह, यानशालायें, चूने के कारखाने, कुशा के कारखाने, बर्ध के कारखाने, बल्कल के कारखाने, कोयले के कारखाने, काष्ठ के कारखाने श्मशान भूमि में बने हुए मकान, शूयगह, पहाड के ऊपर बने हुए मकान पहाड की गुफा शान्तिगृह, पापाण मण्डप,

भूमिघर-तहखाने इत्यादि और इन स्थानों में श्रमण-ब्राह्मणादि अनेक वार ठहर चुके हैं। यदि ऐसे स्थानों में जैन भिक्षु भी ठहरते हैं तो उसे अभिक्रान्त क्रिया कहते हैं अर्थात् साधु को ऐसे मकान में ठहरना कल्पता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु के आचार एवं व्यवहार से अपरिचित श्रद्धा-निष्ठ, भद्रपरिणामों वाले गृहस्थों ने शाक्य आदि अन्यमत के भिक्षुओं के ठहरने के लिए या अपने व्यवसाय आदि के लिए कुछ मकान बनाए हैं और वे मकान अन्यमत के साधु-संन्यासियों एवं गृहस्थों द्वारा अभिक्रान्त हो चुके हैं अर्थात् भोग लिए गए हैं तो साधु उसमें ठहर सकता है और उसकी इस वृत्ति को अभिक्रान्त क्रिया कहा गया है। अन्य भिक्षुओं एवं गृहस्थों द्वारा मकान के अभिक्रान्त होने की क्रिया के आधार पर ही इस क्रिया का नाम अभिक्रान्त क्रिया रखा गया है।

प्रस्तुत पाठ में अभिव्यक्त किए गए मकानों के नाम से उस युग में चलने वाले विविध व्यापारों का स्पष्ट परिचय सिद्धता है। और यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग में देवी-देवताओं के मन्दिर, भिक्षुओं के लिए मठ, धर्मशालाएँ एवं पहाड़ों पर विश्रामगृह तथा गुफाएँ बनाने की परम्परा रही है। वर्तमान में उपलब्ध अनेक विशाल गुफाओं से—जिनमें रहने के लिए प्रकोष्ठ भी बने हैं, उस युग की प्रवृत्तियों का स्पष्ट परिज्ञान होता है।

'सङ्घा' शब्द का वृत्तिकार ने 'श्रावका वा प्रकृति भद्रकाः' अर्थात् भद्र प्रकृति के श्रावक' अर्थ किया है। परन्तु, मूल पाठ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 'ऐसे श्रद्धालु भक्त जो साध्वाचार से अपरिचित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे श्रद्धालु व्यक्ति श्रावक नहीं हो सकते। क्योंकि श्रावक साध्वाचार से अपरिचित नहीं हो सकता, अतः वृत्तिकार का अर्थ मूलपाठ से रूग्ण प्रतीत नहीं होता।

इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि साधु को निर्दोष एवं सीधे-सादे मकानों में ठहरना चाहिए। जिससे उनकी साधना में किसी तरह का दोष न लगे। इसी कारण आगम में मनोहर एवं सुसज्जित मकानों में तथा गृहस्थ के साथ ठहरने का निषेध किया गया है। जितना एकान्त, सादा एवं निर्दोष स्थान होगा जीवन में उतनी ही अधिक समाधि एवं शान्ति रहेगी। इसलिए साधक को बगीचों में, श्मशान एवं शून्य गृहों में

ठहरने का भी आदेश किया गया है। और इस पाठ से भी स्पष्ट होता है कि उस युग में अग्निमान जगल एव गिरिकन्द्राद्यो मे भी स्थान देने होते थे, चित्तम वानप्रस्थ सत्यामी निग्राम किया करते थे और ऐसे निर्णय एव शांत वातावरण वाले स्थानों में जैन साधु भी ठहर चले थे। और ऐसे स्थान उन ही अक्षमसाधि एव चिन्तन में सहायक होते थे।

अत्र अत्रभिकान्त क्रिया का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा जाव रोयमाणोहि ववहे समण-
माहण-अतिहि-किणण नणीमए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि
अगाराड चेडयाड भवति त० याएसणाणि वा जाव भवण-
गिहाणि वा, जे भयतारो तहप्पगाराणि याएसणाणि जाव
गिहाणि वा तेहि अणोवयमाणोहि उवयति अयमाउमो । अण-
भिककतकिरिया यावि भवड ॥८१॥

छाया—इह खलु प्राचीन वा यावत् रोचमानै बहून् अमण ब्राह्मण अतिथि
कृपण उनीषकान् समुद्दिश्य तत्र तत्र अगारिभि अगाराणि चेतितानि-
मयन्ति, तत्रथा आदेशनानि वा यावत् भवनगृहाणि वा, ये भयत्रातार तथा
प्रकाराणि आदेशनानि यावद् गृहाणि वा तै अनवपतद्भि अपपतन्ति, अयमा-
युप्पन् ! अनभिक्रान्तक्रिया चापि भवति ।

पठान—इह—इस सत्तार में । खलु—निश्चय ही । पार्णि—पूर्वादि िगाओं में
जा श्रद्धालु गन्थ रहते हैं, साधु क्रिया को न । जानते हैं परन्तु बसती दान का स्वगपन
उ नैनुना ह और उम पर । जाव—यावत् श्रद्धा और । रोयमाणोहि—स्त्रि करत स ।

❀ इणियाणि उ भिकमस्स तारिसम्मि उवम्माए ।
दुक्करा निवारेउ वामराग विवण्डण ॥
सुमाण सुनगार वा सुत्तमने व वक्कमो ।
परिक्क परक्क वा वासतःगभिरायए ॥

बहुवे—बहुत से। समणमाहणप्रतिहिंकिवणवगीनए—शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और वनीपकों को। समुद्दिस्स—उद्देश्य करके। तत्थ तत्थ—जहा तहा। अगारिहि—उन-गृहस्थो ने। अगाराइं—गृह। चेइयाइं—बड़े विशाल रूप में बनाये है। त०—जैसा कि। आएसणाणि—लोहकार शाला। जाव—यावत्। भवणगिहाणि—तलघर आदि। जे—जो। भयतारो—पूज्य मुनिराज। तहएव०—तथाप्रकार के। आएसणाणि—लोहकार शाला। जाव—यावत्। गिहाणि—तलघरो में जोकि। तेहिं—उन गृहस्थो और शाक्यादि श्रमणो से। अणोवयनाणेहिं—उपयोग में मन्ही लिए गये है। उवयंति—ठहरते है तो। अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह। अनभिवकत किरिया यावि भवइ—अनभिदान्त क्रिया है।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् शिष्य ! ससार में बहुत से श्रद्धालु गृहस्थ ऐसे है जो साधु के आचार विचार को नहीं जानते है, परन्तु बसती दान के स्वर्गादि फल को जानते है। अस्तु, उन लोगो ने उक्त स्वर्ग के फल पर श्रद्धा और अभिरुचि करते हुए शाक्यादि श्रमणो का उद्देश्य करके लोहकार शाला यावत् तलघर आदि बनाए है। यदि ये लोहकार शाला यावत् तलघर आदि स्थान, गृहस्थो ने तथा शाक्यादि श्रमणो ने अपने उपभोग में नहीं लिए है, अर्थात् बनने के बाद वे खाली ही पडे रहे है। ऐसे स्थानो में यदि जैन साधु ठहरते है तो उन्हें अनभिक्रान्त क्रिया लगती है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत-सूत्र में पूर्व सूत्र में अभिव्यक्त की गई बात को दुहराते हुए कहा गया है कि यदि किसी श्रद्धालु गृहस्थ द्वारा शाक्य आदि श्रमणों एवं अपने उपयोग के लिए बनाए गए स्थानों में वे अन्यमत के श्रमण एवं गृहस्थ ठहरे नहीं हैं, उन्होंने उस मकान को अपने उपभोग में नहीं लिया है, तो जैन साधु को वहां नहीं ठहरना चाहिए। इसमें आरम्भ आदि के दोष की दृष्टि के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि यदि कालान्तर में उस मकान में कोई उपद्रव होगया या उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ तो लोगों में यह अपवाद फैल सकता है कि इसमें सबसे पहले जैनमुनि ठहरे थे। अत इस तरह की भ्रान्ति न फैले इस दृष्टि से भी साधु को पुरुषान्तरकृत मकान में ही ठहरना चाहिए।

अव वज्याभिधान क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा ४ जाव कम्मकरीयो वा, तेसि च ण एव वुत्तपुब्ब भणइ— जे इमे भवति समणा भगव तो जाव उवरया मेहुणायो धम्मायो, नो खलु एएसि भयता- राण कप्पइ आहाकम्मिए उवस्सए वत्थए, से जाणिमाणि ग्रह्णो सयट्ठाए चेइयाइ भवति, त-आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा, सव्वाणि ताणि समणाण निसिरामो, ग्रवियाइ वय पच्छा ग्रप्पणो सयट्ठाए चेइस्सामो, त-आएसणाणि वा जाव०, एयप्पगार निग्घोस सुच्चा निसम्म जे भयतारो तहप्प० आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा उवागच्छति इयराइ यरेहिं पाहुडेहि वट्ठति, ग्रयमाउसो! वज्जकिरिया यावि भवइ ॥८२॥

छाया—इह खलु प्राचीन वा ४ यावत् फर्मरूपों वा तेषा च एतद्युक्त- पूव भवति ये इमे भवति श्रमणा भगवन्ता यावत् उपरता मैथुनाद धर्मान्, नो खलु एतेषा भयत्रातणा फलपत् आधात्मिक उपाश्रय उमितु, अथ यानि इमानि अस्माभि आत्मन स्वाश्रय चरितानि भवति, तद्यथा— आदेश- नानि वा यावत् गृहाणि वा मर्माणि तानि प्रमखेभ्या निसृजाम । अपि च उय परचाद आत्मन स्वाश्रय उगिष्याम । तद्यथा आदेशनानि वा यावत्० एतन् प्रकार निर्धोष श्रुत्या निगम्य य भयत्रातार तथाप्रजाराणि आदेशनानि वा यावत् गृहाणि वा उवागच्छन्ति इत्येतरेषु प्राभूतेषु वर्तन्ते अयमायुष्मन् ! उर्ध्वक्रिया चापि भवति ।

पदाथ—इह—इह गमनार मे । खलु—य वयानुसार म हे । पाईण ४—पूर्वाणि विगाधों मे वत् एव अट्ठानु व्यक्तित होय ३ यथा । जाव—यावत् । कम्मकरीयो—सामी प्राणि व मव ।

एवं वृत्तपूर्वं भवति—वे परस्पर ऐसा कहते हैं । जे—जो । इमे—ये । [समणा—श्रमण । भगवन्तो—भगवान् । जाव—यावत् । मेहुणाओ धम्माओ—मैथुन धर्म से । उवरया—उपरत है । खलु—पूर्ववत् । एएंसि—इन । भयंताराण—भगवन्तो को । आहाकम्मिए—आधा-कर्मिक । उवरसए—उपाश्रय मे । वत्थए—वसना । नो कप्पइ—नही कल्पता है । से—वह । जाणि—जो । इमाणि—ये । अम्हं—हमने । अप्पणो—अपने । सयट्ठाए—निजी प्रयोजन के लिए । चेइयाइ भवति—ये विगल मकान बनाए हैं । त०—जैतिक । आएसणाणि वा—लोहकारशाला । जाव—यावत् । गिहाणि—तलघर आदि । ताणि—वे । सव्वाणि—एव । समणाण—इन श्रमणों के लिए । निसिरामो—दे देते हैं । अविपाइं—अपि च । वय—हम । पच्छा—वाद मे । अप्पणो सयट्ठाए—अपने लिए और मकान । चेइस्सामो—बना लेंगे । त०—जैसे कि । आएसणाणि—लोहकार शाला आदि । जाव—यावत् तलघर आदि । एयप्पगारं—इस प्रकार के । निग्घोसं—निर्घोष-वचन को । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—हृदय मे विचार कर । जे—जो । भयतागे—मुनिराज । तहप्पगा०—तथाप्रकार के । आएसणाणि—लोहकार शाला । जाव—यावत् । गिहाणि वा—तलघर आदि में । उवागच्छंति—आकर ठहरते हैं और । इयराइयरेहि पाहुडोहि—छोटे-बड़े दिए हुए घरों को । वट्ठंति—वर्तते हैं—उपयोग मे लाते हैं । अयमाज्जो—हे आयुष्मन् शिष्य! वज्ज किरिया यावि भवइ—यह वज्ज क्रिया होती है ।

मूलार्थ—संसार मे पूर्वादि दिशाओं मे बहुत से ऐसे श्रद्धालु गृहस्थ यावत् दास दासी आदि व्यक्ति हैं जो साधु के आचार विचार को जानते हैं, फलतः परस्पर बातचीत करते हुए कहते हैं कि-ये पूजनीय जैन साधु मैथुन धर्म से सर्वथा उपरत हैं एवं सावद्य क्रियाओं से विरक्त हैं । अतः इन्हे आधाकर्मिक—आधाकर्म दोष से दूषित उपाश्रय मे बसना नही कल्पता है । अस्तु, हमने अपने लिए जो लोहकार शाला आदि मकान बनाए हैं, वे सब इन श्रमणों को दे देते हैं । और हम अपने लिए दूसरे नए लोहकार शाला आदि मकान बना लेंगे । गृहस्थों के उक्त निर्घोष को सुनकर तथा समझ कर भी जो मुनि-साधु तथाप्रकार के छोटे-बड़े लोहकार शाला आदि, गृहस्थों द्वारा दिए गए स्थानों मे उतरते हैं तो हे आयुष्मन् शिष्य! उन्हे वज्जक्रिया लगती है । अर्थात् जो साधु ऐसे स्थानों मे ठहरता है उसे वज्जक्रिया का दोष लगता है ।

हिन्दी निवेदन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो श्रद्धालु गृहस्थ साध्याचार से परिचित हैं, वह अपने अन्न परिचयता को बताते हैं कि ये नैत साधु आचार्यम आदि दाप यत्त उपाश्रय म नहा ठहरते हैं। अतः हम अपने लिए ज्ञान हुए ममान इह ठहरन को दत्त हैं। अपने रहन के लिए दूसरा ममान बना लग। इस तरह के विचारों को सुनकर साधु जो ममान म नहीं ठहरना चाहें। यदि यह जानने के पश्चात् भा वह उम ममान म ठहरना है तो उसे वज्यक्रिया लगती है।

स्थानाग सूत्र में 'वज्र शब्द को व्याख्या करते हुए आचार्य अभयदत्त सूत्रि ने लिखा है—'वज्रनि-वज्यति इतिवज्य, अथवा व अकार लागत वज्रवत वज्र वा गुणवान् द्विमा नतादि पाठ वम' अर्थात् वज्र की तरह भारी जिंसा, भूठ आदि पापों को उच्य कहते हैं। और तत्सम्बन्धी क्रिया को वज्य क्रिया कहते हैं।' इस अपेक्षा से ५ आभर वज्र या वज्य हैं। अतः साधु के निमित्त न्त योग से आहात या उपाश्रय यदि बताया गया हो और साधु उसे जानते हुए भी उसका उपयोग कर रहा हो तो उसे वज्य दोष लगना है। अतः साधु को ऐसे ममान म ठहरना नहीं वज्यता।

अन महावज्य क्रिया का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा ४ सतेगडया सड्ढा भवति,
तेसि च णा यायारगोयरे जाव त रोयमाणेहि वहवे समण-
माहण जाव वणीमगे पगणिय २ समुद्दिस्स तत्थ तत्थ यागारीहि
यगाराड चेडयाट भवति त०—याएसणाणि वा जाव गिहाणि
वा, जे भयतारो तहप्पगाराइ याएसणाणि वा जाव गिहाणि वा
उमागच्छति इयराइयरेहि पाहुडेहिं ययमाउसो । महावज्जकिरिया
यावि भवड ॥८३॥

छाया—इह खलु प्राचीन वा ४ सन्ति एकदा श्राद्धा भवन्ति, तेषा च
आचारगोचर यावत् तद् रोचमानं बहून् मण ब्राह्मणान् यावत् बनीपक्षान्

प्रगण्यय प्रगण्यय समुद्दिश्य अगारिभिः अगाराणि कृतानि भवन्ति, तद्यथा-आदेशनानि वा यावद् गृहाणि वा ये भयत्रातारः तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा यावद् गृहाणि वा उपागच्छन्ति इतरेतरेषु प्राभृतेषुः, अयमायुष्मन्, महावज्रक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ—इह—इस संसार ने । खलु—वाक्यालंकार सूचक अव्यय है । पाईण वा ४—पूर्वादि दिशाओ मे । एगइया—कई एक । सड्डा—श्रद्धा वाले गृहस्थ । भवन्ति—रहते है । तेषिं च णं—उन्होने । आयारगोयरे—आचार-विचार । जाव—यावत् । तं—उसके स्वर्गादि फल की । रोयमाणोह—रुचि करने से । वहवे—वहुत से । समणमाहण—श्रमण और ब्राह्मण । जाव—यावत् । बणीमगे—भिखारी आदि को । पगणिय पगणिय—गिन-गिन कर और । समुद्दिस्स—उनको उद्देश्य करके । तत्थ तत्थ—जहां तहां । अगारिहिं—गृहस्थो ने । अगाराइ—कई मकान । चेइयाइ भवति—बनाए है । तंजहा—जैसे कि । आएसणाणि वा—लोहकारशाला आदि । जाव—यावत् । गिहाणि वा—गृह—तलघर आदि । जे भयतारे—जो पूज्य मुनिराज । तहपगाराइ—तथाप्रकार के । आएसणाणि वा—लोहकार शाला आदि । जाव—यावत् । गिहाणि—गृहो मे । इयराइयरेहि—छोटे-बड़े । पाहुडोह—प्राभृत स्वरूप दिए गए उपाश्रयो मे । उवागच्छन्ति—आते है और रहते है । अयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! यह । महावज्रक्रिया यावि भवइ—महावज्र्यं क्रिया होती है ।

मूलार्थ—इस संसार मे पूर्वादि दिशाओ में बहुत से ऐसे श्रद्धालु गृहस्थ है जो साधु (जैन मुनि) के आचार विचार को सम्यक्तया नहीं जानते है, परन्तु साधु को बसती दान देने के स्वर्गादि फल को सम्यक्तया जानते है और उस पर श्रद्धा-विश्वास तथा अभिरुचि रखते है । उन गृहस्थो ने बहुत से श्रमण, ब्राह्मण यावत् भिखारियो को गिन गिन कर तथा उनका लक्ष्य करके लोहकार शाला आदि विशाल भवन बनाए है । जो पूज्य मुनिराज तथाप्रकार के छोटे बड़े और गृहस्थो द्वारा सहर्ष भेंट किए गए उक्त लोहकार शाला आदि गृहों मे आकर ठहरते है तो हे आयुष्मन् शिष्य ! यह उनके लिए महावज्र्यं क्रिया होती है, अर्थात् उन को यह क्रिया लगती है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि कुछ श्रद्धालु लोग साध्वाचार से अनभिज्ञ हैं,

परन्तु वे साधु को मरान का दान देने में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के फल को जानते हैं और इस कारण उठोने धमण, भिक्षु आदि को लक्ष्य में रखकर उनके ठहरने के लिए मकान बनाए हैं। साधु को एसे मकान में नहीं ठहरना चाहिए, यदि वह ऐसे मकानों में ठहरता है तो उसे महावज्र्य दोष लगता है। इस पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गृहस्थ ने शाक्य आदि श्रमणों के लिए मकान बनाया है और वे उस मकान में ठहर भी चुके हैं तो फिर साधु उस मकान में ठहरता है तो उसे महावज्र्य किश कैसे लगती है? इसका समाधान यह है कि श्रमण शब्द का प्रयोग निर्मथ के लिए भी होता है। आगम में बताया गया है— १ निर्मथ (जैन साधु), २ बौद्ध भिक्षु, ३ तापस, ४ गैरिक (संन्यासी) और ५ आजीवन (गौशालक मत के साधु) आदि ५ सम्प्रदायों के साधुओं के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग होता रहा है। अतः श्रमण शब्द से जैन साधु का ग्रहण किया गया है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं आदि के लिए भिक्षु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अतः जिस मकान को बनाने में जैन साधु का लक्ष्य रखा गया हो उस मकान के पुरुषान्तर होने पर भी जैन साधु को उसमें नहीं ठहरना चाहिए। यदि वह यम में ठहरता है तो उसे महावज्र्य क्रिया (दोष) लगती है।

अब सावय क्रिया को अभिषेक कर्ते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् इह खलु पाङ्गा वा ४ सतेगडया जाव त सहहमा
 णेहि त पत्तियमाणेहि त रोयमाणेहि वद्वे समणमाहणयतिहि-
 किवणवणीमगे पगणिय २ समुहिस्स तत्थ तत्थ यगारिहि यगा
 राड चेडयाड भवत्ति, त—याएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि
 वा जे भयतारो तहप्पगाराणि याएसणाणि वा जाव भवणगिहा
 णि वा उवागच्छन्ति डयरडयरेहिं पाहुडेहि ययमाउसो । सावज्ज

❧ से कि त पावड नाम ? समण य पडुरण भिक्षु, कावलिए म तावलिए परिवारयण से त पावडनामे । —धनुषाण्डार सूत्र ।

वत्ति— इत्थं यत्तं यत्तं पापण्णमाधियं तस्य तन्नाम स्थापयमानं पावण्डं स्थापयता नामा निधीयते तत्र निगम्य साह तावम, गहनय, प्रात्रीव पचहा समणा इति वचनात् निपपत्तिं पव पावण्डायाधियं श्रमण उक्कउत्तं पव नमायिक्कानि पावण्डमास्सिता पांडुरंगान्थे भाकनीया, नवरं निधुबद्धं दधनाधियं । — प्राचाय श्री महत्तधारी दमभ २ ।

किरिया यावि भवइ ॥८४॥

छाया— इह खलु प्राचीनं सन्त्येकस्मिन् यावत् तत् श्रद्धधानैः तत् प्रतीयमानैः तद् रोचयमानैः बहून् श्रमणब्राह्मणातिथिकृपणवनीपकान् प्रगस्य, प्रगस्य समुद्दिश्य तत्र तत्र अगारिभिः अगाराणि कृतानि भवति, तद्यथा- आदेशनानि वा यावद् भवनगृहाणि वा ये भयत्रातारः तथा प्रकाराणि आदेश- नानि वा यावत् भवनगृहाणि उपागच्छन्ति, इतरेतरेषु प्राभूतेषु, इयमायुष्मन् ! सावद्यक्रिया चापि भवति ।

पदार्थ—इह—संसार मे । खलु—निश्चय । पाईणं वा ४—पूर्वादि दिशाओ मे । सतेगइया—कई एक श्रद्धालु गृहस्थ ऐसे है, जिन्होंने उपाश्रय के दान के फल को सुन रखा है । त—उस फल के प्रति । सद्दहमाणेहि—श्रद्धा करने से । तं पत्तियमाणेहि—उस पर प्रतीति करने से । तं रोचयमाणेहि—उस पर रुचि करने से । बहवे—बहुत से । समणमाहणअतिहि—किवण वणीमणे—श्रमण—ब्राह्मण—अतिथि—कृपण और वनीपको को । पगेणिय २—गिन गिनकर तथा उनको । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । अगारिहि—गृहस्थो ने । तत्थ तत्थ—जहां-तहां । अगाराइ—मकान । चेइयाइ—बनाए । भवति—है । तजहा—जैसे कि । आएसणाणि वा—लोहकार शाला । जाव—यावत् । भवणगिहाणि वा—तल घर आदि । जे—जो । सयंतारो—पूज्य मुनिराज । तहपगाराणि—तथाप्रकार के । आएसणाणि वा—लोहकार शाला । जाव—यावत् । भवणगिहाणि—तलघर आदि उक्त । इयराइयरेहि—छोटे-बड़े । पाहुडेहि—भेंट स्वरूप दिए हुए उपाश्रयो मे । उवागच्छति—उतरते है तो । इयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य । यह । सावज्जकिरिया यावि भवइ—यह सावद्य क्रिया होती है ।

मूलार्थ—इस संसार मे पूर्वादि दिशाओ मे बहुत से ऐसे श्रद्धालु गृहस्थ है जो उपाश्रय, दान के फल पर श्रद्धा करने से, प्रीति करने से और रुचि करने से बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण और भिखारियों का उद्देश्य रखकर लोहकार शालावि भवनो का निर्माण करते है अर्थात् उन्होंने बनाए हैं । जो, मुनिराज तथाप्रकार के भेंटस्वरूप दिए गए छोटे बड़े भवनों में उतरते है, तो हे आयुष्मन् शिष्य ! उनके लिए यह सावद्य क्रिया होती है ।

हिं शी त्रिनेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी पूर्व सूत्र की गत को दुहराया गया है। इसमें यह बताया गया है कि यदि श्रमण, भिक्षु आदि को लक्ष्य में रखकर किसी मकान में सायं क्रिया की गई हो तो माधु को उसमें नहीं ठहरना चाहिए। यदि कोई माधु उसमें ठहरता है तो उसे सायं क्रिया लगती है।

अत्र महासावद्य क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा ४ जाव तं रोयमाणोहि एग समण
जाय समुद्दिस्स तत्थ २ अगारिहि अगाराइ चेइयाड भवति,
त०-आएसणाणि जाव गिहाणि वा महया पुढविकायममा
रभेण जाव महया तसकायसमारभेण महया विरूवरूवेहि पाव
कम्मकिच्चेहि, तजहा-अयणयो लेवणयो सथारदुवारपिहणयो
सीयोदए वा परट्ठवियपुब्बे भवइ, अगणिकाए वा उज्जालिय
पुब्बे भवइ, जे भयतारो तह० आएसणाणि वा० उवागच्छति इय-
राइयरेहि पाहुडेहि वट्टति दुपक्ख ते कम्म सेवति अयमाउसो ।
महासावज्ज किरिया यावि भवइ ॥८५॥

छाया—इह खलु प्रचीन यावत् तद् रोचमानै एक श्रमणजात समुद्दिश्य
तत्र तत्र अगारिभि अगाराणि कृतानि भवति । तद्यथा—आदेशनानि यावद्
गृहाणि वा महता पृथ्वाकाय समारम्भेन यावत् महता तसकाय समारम्भेन
महद्भि विरूपरूपे पापकर्म कृत्ये, तद्यथा—छादनतो, लपनत मस्ताररुद्धार
विधापनन शीतोदक वा परिष्ठापितपूर्वं भवति । अग्निफायो वा उज्ज्वालित
पत्रा भवति, ये भयत्रातार तथाप्रकाराणि आदेशनानि वा, उपामच्छन्ति, इतर-
तरेषु प्राभूतेषु द्विपक्षे ते कर्म सेवन्ते, इयमायुष्मन् ! महासावद्य क्रियाचापि भवति ।

पदाप—खलु—वाक्यप्रकार म है। इह—इय मसार में। पाईण वा ४—पूर्वाणि

दिशाः प्रो मे । जाव—यावत् । त—उपाश्रय प्रदान के स्वर्गादि फल की । रोयमाणोह—रुचि करने से । एग समणजायं—किसी एक श्रमण को । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । तत्थ २—जहा—तहां । अगारीहि—गृहस्थो ने । अगाराइं—भवन । चेइयाइ—बनाए हुए है । तं० । जैमे कि । आएसणाणि—लोहकार शाला । जाव—यावत् । गिहाणि वा—तलघर आदि । महया प्ढविकाय समारभेणं—महान् पृथ्वीकाय के समारम्भ से । जाव—यावत् । महया तसकाय समारभेणं—महान् त्रसकाय के समारम्भ से । महया विरुवरुवेहि—नाना प्रकार के महान् । पावकम्मकिच्चेहि—पापकर्मकृत्यो से । तजहा—जैसे कि साधु के लिए । छाघणओ—मकान पर छत आदि डाली हुई है । लेवणओ—लीपी पीनी हुई है । संथारदुवारपिहुणओ—सस्तारक के स्थान को सम-वरावर बनाया है, दरवाजे बनाए हैं और । सीओदए वा परट्ठवियपुन्वे भवइ—ठडक करने के लिए शीतल जल का छिड़काव किया है, तथा । अगणिकाये वा उज्जालियपुन्वे भवइ—शीत निवारणार्थ अग्नि प्रज्वलित की है । जे भयतारो—जो मुनिराज । तह०—तथा प्रकार के । आएसणाणि—लोहकार शाला आदि में । उवागच्छति—आते हैं तथा । इयराइयरोहि—साधु के लिए बने हुए छांटे-वडे । पाहुडेहि—भेट स्वरूप दिए गए उपाश्रयो मे जो ठहरते हैं । ते—वे । दुपवर्खं—द्विपक्ष अर्थात् द्रव्य से साधु और भाव से गृहस्थ रूप । कम्मं—कर्म का । सेवति—सेवन करते हैं । इयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य यह । महासावज्ज किरिया यावि भवइ—महासावद्य क्रिया होती है ।

मूलार्थ—इस ससार में पूर्वादि चारों दिशाओं में बहुत से श्रद्धालु व्यक्ति हैं, जिन्होंने साधु का आचार तो सम्यक्तया नहीं सुना, केवल उपाश्रय दान के स्वर्गादि फल को सुना है । वे साधु के लिए ६ काय का समारम्भ करके लोहकार शाला आदि स्थान-मकान बनाते हैं । यदि साधु उनमें ज्ञान होने पर भी ठहरता है तो वह द्रव्य से साधु और भाव से गृहस्थ है, अर्थात् साधु का वेष होने से साधु और षट्काय के आरम्भ की अनुमति आदि से युक्त होने के कारण भाव से गृहस्थ जैसा है । अतः हे शिष्य ! इस क्रिया को महासावद्य क्रिया कहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो उपाश्रय-मकान साधु के उद्देश्य से बनाया गया है और साधु के उद्देश्य से ही उसको लीप-पीन कर साफ-सुथरा बनाया है और छप्पर आदि से आच्छादित किया है तथा दरवाजे आदि बनाए हैं और गर्मी में ठण्डे पानी का छिड़काव करके मकान को शीतल एव शरद् ऋतु में आग जलाकर गर्म किया गया है

हिन्दी विवरण

अस्तुत सूत्र म भी पूर्व सूत्र की बात को दुहराया गया है । इसमें यह बताया गया है कि यदि श्रमण्य, भिक्षु आदि को लक्ष्य म रक्षकर किसी महान में माथ्य क्रिया की गई हो तो माथु को उममें नही ठहरना चाहिए । यदि कोई माथु उममें ठहरना है तो उमे माथ्य क्रिया लगता है ।

अथ महामाथ्य क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा ४ जाय तं रोयमाणोहि एग समण
जाय ममुद्दिस्स तत्थ २ अगारिहि अगाराड चेड्याडं भवति,
त०-आएसणाणि जाव गिहाणि वा महया पुढविकायममा-
रभेण जाय महया तमकायसमारभेण महया विरूवरूवेहि पाव-
कम्मकिच्चेहि, तजहा-अयणयो लेणणयो सयारदुवारपिहणयो
मीयोदण वा परट्ठवियपुच्चे भवड, अगणिकाए वा उज्जालिथ
पुच्चे भवड, जे भयतारो तह० आएसणाणि वा० उवागच्छति डय-
राड्यरेहि पाहुडेहि वट्टति दुपप्प ते कम्म सेवति अयमाउसो ।
महामाज्ज किरिया यापि भवइ ॥८५॥

छाया—इह खलु प्रचीन यावत् तद् रोचमानै एक श्रमणजात समुद्दिश्य
तत्र तत्र अगारिभि अगाराणि कृतानि भवति । तद्यथा—आदेशनानि यावद्
गृहाणि वा महता पृथाकाय ममारम्भेन यावत् महता प्रसङ्गाय समारम्भेन
महद्भि विरूपरूप पापकर्म कृत्ये, तद्यथा—छादनतो, लेपनत मस्तारक द्वार-
पिवापनत शीतोदक ना परिष्ठापितपूर्वं भवति । अग्निकायो वा उज्ज्वालित
पूर्वो भवति, ये भयत्रातार तथाप्रकाराणि आदेशनानि या, उपागच्छन्ति, इतर-
तरेषु प्राभूतेषु द्विपक्षे ते कर्म सेवन्ते, इयमायुधमन् ! महासावद्य क्रियाचाणि भवति ।

पराय—खलु—वाक्यगतकार मे है । इह—इय मसार में । पाईण वा ४—पूर्वादि

दिशाः प्रो मे । जाव—यावत् । त—उपाश्रय प्रदान के स्वर्गादि फल की । रोयमाणोहि—रुचि करने से । एग समणजाय—किसी एक श्रमण को । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके । तत्थ २—जहा—तहां । अगारीहि—गृहस्थो ने । अगाराइं—भवन । चेइयाइ—बनाए हुए है । तं० । जैमे कि । आएसणाणि—लोहकार शाला । जाव—यावत् । गिहाणि वा—तलघर आदि । महया पृढ्विकाय समारभेण—महान् पृथ्वीकाय के समारम्भ से । जाव—यावत् । महया तसकाय समारभेण—महान् त्रसकाय के समारम्भ से । महया विरूवरूवेहि—नाना प्रकार के महान् । पावकम्मकिच्चेहि—पापकर्मकृत्यो से । तजहा—जैसे कि साधु के लिए । छायाणओ—मकान पर छत आदि डाली हुई है । लेवणओ—लीपी पोती हुई है । संथारदुवारपिहुणओ—सस्तारक-के स्थान को सम-वरावर बनाया है, दरवाजे बनाए है और । सीओदए वा परदठविय-पुन्वे भवइ—ठडक करने के लिए शीतल जल का छिड़काव किया है, तथा । अगणिकाये वा उज्जालियपुन्वे भवइ—शीत निवारणार्थ अग्नि प्रज्वलित की है । भे भयतारो—जो मुनिराज । तह०—तथा प्रकार के । आएसणाणि—लोहकार शाला आदि मे । उवागच्छति—आते है तथा । इयराइयरोहि—साधु के लिए बने हुए छांटे-वडे । पाहुडोहि—भेट स्वरूप दिए गए उपाश्रयो मे जो ठहरते है । ते—वे । दुपक्खं—द्विपक्ष अर्थात् द्रव्य से साधु और भाव से गृहस्थ रूप । कम्मं—कर्म का । सेवति—सेवन करते है । इयमाउसो—हे आयुष्मन् शिष्य यह । महासावज्ज किरिया यावि भवइ—महासावद्य क्रिया होती है ।

मूलार्थ—इस ससार मे पूर्वादि चारों दिशाओं में बहुत से श्रद्धालु व्यक्ति है, जिन्होंने साधु का आचार तो सम्यक्तया नही सुना, केवल उपाश्रय दान के स्वर्गादि फल को सुना है । वे साधु के लिए ६ काय का समारम्भ करके लोहकार शाला आदि स्थान-मकान बनाते है । यदि साधु उनमे ज्ञान होने पर भी ठहरता है तो वह द्रव्य से साधु और भाव से गृहस्थ है, अर्थात् साधु का वेष होने से साधु और षट्काय के आरम्भ की अनुमति आदि से युक्त होने के कारण भाव से गृहस्थ जैसा है । अतः हे शिष्य ! इस क्रिया को महासावद्य क्रिया कहते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो उपाश्रय-मकान साधु के उद्देश्य पे बनाया गया है और साधु के उद्देश्य से ही उसको लीप-पोत कर साफ-सुथरा बनाया है और छप्पर आदि से आच्छादित किया है तथा दरवाजे आदि बनवाए है और गर्मी में ठण्डे पानी का छिड़काव करके मकान को शीतल एव शरद् ऋतु मे आग जलाकर गर्म किया गया है

ले उसे मजान म साधु को नहीं ठहरना चाहिए। यदि साधु जानते हुए भी ऐसे मजान में ठहरता है तो उसे महामापथ किया लगनी है। और उसे मजान में ठहरने वाला केवल भेष से साधु है, भाषा से नहीं। क्यात्र नममे साधु के लिए ६ काय के जीवा का आरम्भ समाप्त हुआ है। इसलिए मूत्रकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है— 'दु क्व त कम्म सेवति।' आचार्य शीलान ने प्रसुत पत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है— 'त द्विपक्ष कर्मा सवत तद्यथा— प्रव्रज्यामाधाकमिक्वमत्यासेवद गहस्वत्प्र च रागद्वय ह्यपिच साम्बरायिक च।'।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसे सन्तोष मजान में ठहरने वाले साधु साधुत्व के महापथ से गिर जाते हैं, उनकी साधना शुद्ध नहीं रह पाती। अतः साधु को सदा निर्दोष एवं निरव्य मजान में ठहरना चाहिए।

अत्र अल्प सावध क्रिया का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इह खलु पाईण वा रोयमाणेहि यप्पणो सयट्ठाए
तस्य २ अगारिहि जाव उज्जालियपुव्वे भवइ, जे भयतारो तहप्प०
याएसणाणि वा० उपागच्छति इयराइयरेहि पाहुडेहि एगपक्ख
ते कम्म सेवति, त्रयमोउसो । यप्पसावज्ज किरिया यावि भवइ ६ ।
एव खलु तस्स० ॥८६॥

छाया—इह खलु प्राचीन चारोचमाने आत्मन श्चार्थाय तत्र तत्र अगारिभि याचत् उज्जालितपूर्व भवति, ये भयत्रातार तथाप्रकाशणि आदशनानि वा० उपागच्छन्ति इतरेतन्पु प्रामृतेपु एवपक्ष ते कम सेवते। इयमायुप्पन् ! अल्प सावधक्रिया चापि भवति । एव खलु तस्य भिक्षो मामग्र्यम् ।

पद थ—इह—इस तसार में । खलु—वाक्यान्तकार सूचक प्रत्यय है । पाईण वा—पूर्वादि दिशाओं में किसी भद्र परिणामी गहम्य ने उपाश्रय मान का महत्व मुना है और उपपर । रोयमाणहि—रुचि करने से । यप्पणो सयट्ठाए—अपन निज के प्रयोजन के लिए । तस्य २—जानना । अगारिहि—गहम्या त स्थान बनाने हुए हैं । जाव—यावत् । उज्जालिय पव्वे भवइ—जिसमें अग्नि प्रज्वलित की गई हो । जे भयतारो—जो पूज्य श्रुतिराज । तहप्प०—तथाप्रकार के । याएसणाणि वा—लोहकार गायत्र आदि भवती-स्थानों में । उपागच्छति—आते हैं और । इयराइयरेहि—छोटे बड़े । पाहुडेहि—दिए गये उक्त स्थानों में उतरते हैं ।

ते—वे । एगपक्ख — एक पक्ष अर्थात् एक मात्र पूर्ण साधुता सम्बन्धि । कम्म—कर्म का । सेवन्ति - सेवन करते हैं । अयमाउसो — हे आयुष्मन् गिण्य ! यह । अल्पसावज्ज किरिया यावि-
नवइ—अल्प सावद्य क्रिया होती है । एव खलु तस्स०—इस प्रकार भिक्षु का यह समग्रभाव
अर्थात् साधुता का भाव है ।

मूलार्थ— इस ससार में स्थित कुछ श्रद्धालु गृहस्थ जो यह जानते हैं कि साधु को उपाश्रय का दान देने से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है, वे अपने उपयोग के लिए बनाए गए मकान को तथा शीतकाल में जहां अग्नि प्रज्वलित की गई हो ऐसे छोटे-बड़े मकान को सहर्ष साधु को ठहरने के लिये देते हैं । ऐसे मकान में जो साधु ठहरते हैं वे एकपक्ष-पूर्ण साधुता का पालन करते हैं और इसे अल्पसावद्य क्रिया कहते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो मकान गृहस्थ ने अपने लिए बनाया हो और उसमें अपने लिए अग्नि आदि प्रज्वलित करने की सावद्य क्रियाएं की हों । साधु के उद्देश्य से उसमें कुछ नहीं किया हो तो ऐसे मकान में ठहरने वाला साधु पूर्ण रूप से साधुत्व का परिपालन करता है ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अल्प' शब्द अभाव का परिवोधक है । वृत्तिकार ने भी इसका अभाव अर्थ किया है^१ । और मूलपाठ जो "एक पक्ख ते कम्म सेवन्धि-अर्थात् जो द्रव्य और भाव से एक रूप अर्थात् साधुत्व का परिपालक है ।" यह पद दिया है, इससे 'अल्प' शब्द अभाव सूचक ही सिद्ध होता है ।

कुछ हस्तलिखित प्रतियों में उक्त नव क्रियाओं की एक गाथा भी मिलती है^२ । उक्त नव प्रकार के उपाश्रयों में अभिक्रान्त और अल्प सावद्य क्रिया वाले दो प्रकार के मकान साधु के लिए प्राह्य हैं, शेष सातों प्रकार के स्थान अकल्पनीय हैं ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

^१ अल्प शब्दोऽभाव वाचीति ।

—आचाराग वृत्ति ।

^२ कालाङ्कतु, व ठाण, अभिकन्ता, चैव अणभिकता य ।

वज्जा, य महावज्जा, सावज्जा महस्सपकिरिया य ॥

द्वितीय अध्यायन शय्यैपणा

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक के अन्तिम सूत्र में शुद्ध उस्ती (मकान) का वर्णन किया गया है। अत्र प्रस्तुत उद्देशक में अशुद्ध वस्ती का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से य नो सुलभे फासुए उच्छे अहेसणिज्जे नो य खलु सुद्धे इमेहिं पाहुडेहि, तजहा छायाण्यो लेवण्यो सथारदु वारपिहण्यो पिडवाएसणायो, से य भिक्खू चरियारए ठाणारए निसीहियाए सिज्जासथारपिडवाएसणारए, सति भिक्खुणो एवमक्खाइणो उज्जुया नियागपडिवन्ना अमाय कुब्बमाणा वियाहिया, सतेगड्या पाहुडिया उक्खित्तपुब्बा भवइ, एव निक्खित्तपुब्बा भवइ, परिभाइय निक्खित्तपुब्बा भवइ, पुव्व भवइ, परिभुत्तपुब्बा भवइ, परिट्ठवियपुब्बा भवइ, एव वियागरेमाणे समियाए वियागरेइ ? हता भवइ ॥८७॥

छाया—स च नो सुलभ प्रासुक उज्ज्व अथ एपणीय न च खलु शुद्ध एभि प्राभृते, तद्यथा— छादनत लेपनत सस्तार द्वार विधानत पिडपातैषणात ते च भिन्न चर्याता स्थानरता निषीधिरान्ताः शय्यासस्तारपिडपातैषणारता इति भिन्न एवमारयापिन अज्जव नियागप्रतिपन्ना अमाया कुर्वाणा व्याख्याता सन्ति एका प्राभृतिना उत्सिप्त पूर्वा भवति, एव निक्षिप्त पूर्वा भवति, परिमाजित पूर्वा भवति परिभुक्षतपूर्वा भवति परिस्थापितपूर्वा भवति एव व्याकृतवन्-थपन् सम्पग् व्याकरोति ? इत्त भवति ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु किसी ग्रामदि मे भिक्षा के लिए गया तब किसी गृहस्थ ने उसे वहा ठहरने की विनती की कि भगवन् ! आप यहा पर ही कृपा करे । इस नगर मे अन्न पानी का संयोग सुख पूर्वक मिल सकता है, इसके उत्तर मे मुनि ने कहा भद्र ! प्रासुक आहार पानी का मिलना तो कठिन नहीं है, किन्तु जहा पर बैठकर शुद्ध निर्दोष आहार किया जाता है उस उपाश्रय का मिलना । नो सुलभे—सुलभ नहीं है । अब सूत्रकार उपाश्रय के विषय मे वर्णन करते हे । फासुए—प्रासुक-आधाकर्मादि दोषो से रहित । उखे—छादनादि उत्तरगुणीय दोषो से रहित । अहेसणिज्जे—मूल एव उत्तर गुणीय दोषो से शून्य होने के कारण एषणीय । य—और । खलु—निश्चय ही । नो सुद्धे—उत्तर गुणो से जो शुद्ध नहीं है । इमेहि—इन । पाहुड्ढेहि—पाप कर्मो के उपादान से बनाए गए है । तजहा—जैसे कि । छाग्रणाओ—साधु के लिए आच्छादन करने से । लेवणओ—गोवर आदि का लेपन करने से । संथार दुवार पिहणओ—संस्तारक भूमि को सम करने और द्वार बन्द करने के लिए किवाड आदि बनाने से । पिडवाए—सणओ—तथा पिडपानैषणा की दृष्टि से भी शुद्ध उपाश्रय का मिलना कठिन है अर्थात् जिसके उपाश्रय मे साधु ठहरता है वह गृहस्थ प्रायः आहार का आमंत्रण करता है । अतः साधु वह आहार लेता है तो उसे दोष लगता है, और नहीं लेता तो गृहस्थ के मन को ठेस लगती है । अतः यह कारण भी उपाश्रय की प्राप्ति मे विशेषकर बाधक है । यदि उत्तरदोष से शुद्ध उपाश्रय मिल भी गया है तो फिर स्वाध्याय आदि की अनुकूलता से युक्त उपाश्रय का मिलना तो और भी कठिन है, अब सूत्रकार यही बतलाते हैं कि । य—फिर । से—वे । भिक्खू—भिक्षु-मुनिराज । चरियारए—नव कल्पी विहार की चर्या मे रत है । ठाणरए—तथा कायोत्सर्गादि करने में रत है । निसोहियारए—स्वाध्याय करने में रत है । सिज्जासंथार पिडवाएसणारए—शय्या-वस्ती-सस्तार-ढाई हाथ प्रमाण शयन करने का स्थान अथवा रोगादि कारण से शय्या सस्तारक में रत है अर्थात् अगार एव धूम आदि दोषो मे रहित आहार करते । संति—हैं । भिक्खुणो—कोई कोई भिक्षु । एवमक्खाइणो—इस प्रकार वसती के यथावस्थित गुण-दोषो के कहने वाले है । उज्जुया—सरल है । नियामपिडवन्ना—सयम एव मोक्ष से प्रतिपन्न है । अमायं कुब्बमाणा—माया नहीं करने वाले । वियाहिया—कहे गए हैं ।

अब सूत्रकार गृहस्थो द्वारा साधु को वस्ती दान देने सम्बन्धि छल करने के विषय मे बतलाते है । संति—कितने ही गृहस्थ ऐसे हैं जो साधु को उपाश्रय देने में छल करते है यथा— । पाहुड्ढिया—जो उपाश्रय साधु के उद्देश्य से बनाया गया है उसको । उविखत्तपुठ्ठा भवइ—दिलाकर कहते हैं कि आप इस उपाश्रय में रहे क्योंकि यह उपाश्रय । निविखत्त पुठ्ठा भवइ—हमने अपने लिए बनाया है तथा । परिमाइयपुव्वा भवइ—हमने पहले ही आपस के बंटवारे में बांट लिया है । परिभुत्तपुव्व भवइ—वह हम लोगो द्वारा पहले ही भोगा जा चुका है । परिट्ठविपुव्वा भवइ—हमने बहुत पहले से इसे छोडा हुआ है । अतः आपके लिए निर्दोष

हाने का कारण प्रालम्ब है। गृहस्थ इस प्रकार कुछ भी छल-बदल करें परन्तु साधु उनके प्रयत्न का जानकर कदापि उक्त उपाश्रय में न रहे। यदि कोई गृहस्थ उपाश्रय का गुण दापादि का विषय में पूछे तो साधु उमकी शास्त्रानुसार उपाश्रय के गुण दोष बतला दे, अथ गिष्य प्रश्न करता है कि—हे भगवन् ! साधु उपाश्रय का गुणदोषों के सम्बन्ध में। एव विचारमाणे—इस प्रकार कहना प्रथा। सम्भवाए विद्यापरेड? क्या मन्मथकृत्यन करता है? आचाय उत्तर देन ह। हता भवइ—हा वह मन्मथकृत्यन करता है।

मूलार्थ—भिक्षा के लिए ग्राम में गए हुए साधु को यदि कोई भद्र गृहस्थ यह कहे कि भगवन् ! यहा आहार-पानी का सुतभता है, अत आप यहा रहने की कृपा कर। इसके उत्तर में साधु यह कहे कि यहा आहार-पानी आदि तो सब कुछ सुलभ है परन्तु निर्दोष उपाश्रय का मिलना दुर्लभ कठिन है। क्योंकि साधु के लिए कही उपाश्रय में छत डाली हुई होती है, कही लोपा-पोती की हुई होती है, कही सस्तारक के लिए ऊंची नीची भूमि को समतल किया गया होता है और कही द्वार बन्द करने के लिए दरवाजे आदि लगाए हुए होते हैं, इत्यादि दोषों के कारण शुद्ध निर्दोष उपाश्रय का मिलना कठिन है। और दूसरी यह बात भी है कि शय्यातर का आहार साधु को लेना नहीं कल्पता है। अत यदि साधु उसका आहार लेते हैं तो उह दोष लगता है और उनके नहीं लेने से बहुत से शय्यातर गृहस्थ रूठ हो जाते हैं। यदि कभी उक्त दोषों से रहित उपाश्रय मिल भी जाए, फिर भी साधु को आवश्यक क्रियाओं के योग्य उपाश्रय का मिलना कठिन है। क्योंकि साधु विहारचर्या वाले भी हैं, वायोत्मग करने वाले भी हैं, एकांत स्वाध्याय करने वाले भी हैं, तथा शय्या सस्तारक और पिंडपाल की शुद्ध गवेपणा करने वाले भी हैं। अस्तु, उक्त क्रियाओं के लिये योग्य उपाश्रय मिलना और भी कठिन है। इस प्रकार कितने ही सरल निष्कपट एव मोक्ष पथ के गामी भिक्षु उपाश्रय के दोष बतला देते हैं।

कुछ गृहस्थ मुनि के लिये ही मकान बनाते हैं, और फिर यथा अवसर आगतुक मुनि से छल युक्त वार्तालाप करते हैं। वे साधु से कहते हैं कि

‘यह मकान हमने अपने लिये बनाया है, आपस में बांट लिया है, परिभोग में ले लिया है, परन्तु ग्रव नापसद होने के कारण बहुत पहले से वैसे ही खाली छोड़ रखा है। अतः पूर्णतया निर्दोष होने के कारण आप इस उपाश्रय में ठहर सकते हैं। परन्तु विचक्षण मुनि इस प्रकार के छल में न फसे, तथा मदोष उपाश्रय में ठहरने से सर्वथा इन्कार कर दे। गृहस्थों के पूछने पर जो मुनि इस प्रकार उपाश्रय के गुण-दोषों को सम्यक् प्रकार से बतला देता है, उसके सबन्ध में शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! क्या वह सम्यक् कथन करता है ? मूत्रकार उत्तर देते हैं कि हा, वह सम्यक् कथन करता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु किसी गांव या शहर में भिजा के लिए गया, उस समय कोई श्रद्धानिष्ठ गृहस्थ उक्त मुनि से प्रार्थना करे कि हमारे गांव या शहर में आहार-पानी आदि की सुविधा है, अतः आप इसी गांव में ठहरे। गृहस्थ के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनि सरल एवं निष्कपट भाव से कहे कि आहार पानी की तो यहां सुलभता है, परन्तु ठहरने के लिए निर्दोष मकान का उपलब्ध होना कठिन है। मूल एवं उत्तर गुणों की दृष्टि से निर्दोष मकान सर्वत्र सुलभ नहीं होता। कहीं मकानों की कमी के कारण मूल से ही साधु के लिए मकान बनाया जाता है। कहीं साधु के उद्देश्य से नहीं बने हुए मकान पर साधु के लिए छत डाली जाती है, उसमें सफेदी करवाई जाती है, शय्या के लिए योग्य स्थान बनाया जाता है, दरवाजे तथा खिड़किएं लगाई जाती हैं। इस तरह मूल या उत्तर गुण में दोष लगने की संभावना रहती है।

यदि कहीं सब तरह से निर्दोष मकान मिल जाए तो दूसरा प्रश्न यह सामने आया कि हम शय्यातर (मकान मालिक) के घर का आहार-पानी आदि ग्रहण नहीं करते। कभी वह भक्तिवश आहार आदि के लिए आग्रह करे और हमारे द्वारा इनकार करने पर क्रोधित होकर धर्म से या साधु-संतों से विमुख होकर उनका विरोध कर सकता है। वृत्तिकार ने भी यही भाव अभिव्यक्त किया है।

निर्दोष मकान एवं शय्यातर के अनुकूल मिलने के बाद तीसरी समस्या साधना की रह जाती है। कुछ साधु विहार चर्या वाले होते हैं, कुछ कायोत्सर्ग करने में अनुरक्त रहते हैं, कुछ स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन में व्यस्त रहते हैं। अतः इन सब साधनाओं की दृष्टि से भी मकान अनुकूल होना आवश्यक है, अर्थात् साधना के लिए एकान्त एवं

शा न प्रातावगण न होना जरूरी है। इस तरह मनि स्थान मन्त्र धा निर्दोषता पर सदीपता को स्पष्ट रूप से बता दे और सभी ऋषियों से शुद्ध एव निर्दोष मन्त्रान की गवेषणा करने के पश्चात् उनमें ठहरे।

साधु से मन्त्रान मन्त्रों सभी गुण शोध सुनने के बाद यदि कोई गृहस्थ साधु के लिए बनाए गए मन्त्रान को भी शुद्ध व्रताण और छल रूपट के द्वारा उसकी सदीपता को छिपाने का प्रयत्न करे तो साधु को उसका धोले में नहीं आना चाहिए। और उसकी तरह स्वयं को भी छल-रूप का सारा नहीं लेना चाहिए। साधु को सदा मरल एव निष्कपट भाव ही रखना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ छल-रूपट रम्यर उपाश्रय के गुण-शोध जानना चाहे, तो भी साधु को बिना द्विचक्रिचाहट के उपाश्रय मन्त्र की सरो जानकार करा देनी चाहिए। उन्हीं से साधु को साधना मन्त्र रह सकती है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'वरिवागण' पद से विचार चर्चा का 'ठागरण' से ध्यानरा होने का, 'निमिहियाण' से स्वाध्याय का, 'उ जय' से छल रूपट रहित सरल स्वभाव वाला होने का एव नियोग पडिचना' से समय में मोक्ष के ध्येय को सिद्ध करने वाला बनाया गया है। और 'मतेगन्ध पाहृडिया उक्खितपु वा भवइ पद से यह स्पष्ट किया गया है कि साधु के उद्देश्य से उपाण गर उपाश्रय को निर्दोष बताना तथा 'ए परिमु छ व भवइ, परिउठवियपु वा भवइ' आदि पदों से इस बात को बताया गया है कि कुछ भ्रष्टाओं भक्त गगनश सदाव मन्त्रान को भी छल-रूपट से निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं साधु को उनकी बातों में नहीं आना चाहिए।

यदि कभी परिस्थितिग्रश साधु को चरक आदि अन्य मत के भिक्षुओं के साथ ठहरना पड़े, तो किस विधि से ठहरना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा० से ज पुण उवस्सय जाणिजा
 खुड्डियायो खुड्डुवारियायो निययायो सनिरुद्धायो भवति,
 तहप्पगा० उवस्सए रायो वा वियाले वा निकखममाणे वा प०
 पुरा हत्थेण वा पच्छा पाएण वा, तयो सजयामेव निकखमिज्ज वा
 २-१ केशली वूया -आयाणमेय, जे तत्थ समणाण वा माहणाण वा
 छत्तए वा मत्तए वा ढडए वा लट्ठिया वा भिसिया वा नालिया

वा चेलं वा चिलिमिली वा चम्मए वा चम्मकोसए वा चम्मछेयणए
 वा दुव्वद्धे दुन्निक्खित्ते अणिकंपे चलाचले, भिक्खू य रात्रो वा
 वियाले वा निकखममाणे वा २ पयलिज्ज वा २, से तत्थ पयल-
 माणे वा० हत्थं वा० लूसिज्ज वा पाणाणि वा ४ जाव ववरो-
 विज्ज वा । अह भिक्खूणं पुव्वोवइट्ठं जं तह० उवस्सए पुरा-
 हत्थेण निकख० वा पच्छा पाणां तत्रो संजयामेव नि० पवि-
 सिज्ज वा ॥८८॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत् पुनरुपाश्रयं जानीयात्-क्षुद्रिकाः क्षुद्रद्वाराः
 नीचाः संनिरुद्धा भवन्ति, तथाप्रकारे उपाश्रये रात्रौ वा विकाले वा निष्क्रम-
 माणः वा प्रविशन् पुरो हस्तेन वा पश्चात् पादेन वा ततः सयतमेव निष्क्रामेद्
 वा प्रविशेद् वा, केवला ब्रूयाद् आदानमेतन्, ये तत्र श्रमणानां ब्राह्मणानां
 वा छत्रको वा मात्रकं वा दण्डको वा यष्टिर्वा वृशिका वा नलिका वा
 चेल वा चिलिमिली वा चर्मको वा चर्मकोशको वा चर्मछेदनं वा दुर्वद्धः दुर्नि-
 क्षिप्तोऽनिष्क्रम्यः चलाचलः भिक्षुश्च रात्रौ वा विकाले वा निष्क्रममाणः
 प्रविशन् वा प्रस्खलेत् वा पतेद् वा स तत्र प्रस्खलन् वा पतन् वा हस्त वा
 लूषयेत् वा प्राणानि ४ यावद् व्यपरोपयेद् वा, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्ट यत्-
 तथाप्रकारे उपाश्रये पुरो हस्तेन वा निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा पश्चात् पादेन
 ततः संयतमेव निष्क्रामेद् वा प्रविशेद् वा ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा०—साधु या साध्वी । से ज—वह साधु जो आगे
 कहा जाता है । पुण—फिर । उवस्सय—उपाश्रय को । जाणिज्जा—जाने । खुड्डियाओ—
 छोटा उपाश्रय । खुड्डववारियाओ—लघु द्वार वाला उपाश्रय । निययाओ—नीचा है । सनिरुद्धाओ—
 जो चरक आदि अन्य मत के भिक्षुओं के । भवति—ठहरने से खाली नहीं है । तहपगा०—

ऐम । उवत्सए—उपाश्रय में ठहरा हुआ साधु । रामो वा—रामि में । विद्याले वा—विद्याल म । निवत्सममाणे वा—भीतर से बाहर निकलता हुआ अथवा । पवित्रमाणे वा—बाहर म भीतर प्रवेश करता हुआ । पुरा—पहन । ह्येण वा—हाथ म प्रथान् हाथ आग करके भूमि की दक्षतर । पच्छा—पाद । पाण वा—पर से गमन कर जिसम चरक आदि भिक्षुको क उपकरण का तथा उनक किमी अवयव का उपघात न हो । तपो—तपनतर । सजयामेव—सयत साधु यत्नपूर्वक । निश्चमिन्त वा—निश्चिन्त अथवा प्रवेश कर वयाकि । केवली—कवली भगवान । वूपा—कहते हैं कि । आपाणमेव—यत् कम घात का माग है, जम कि— । जे—यति । तत्त्व—वत् पर । समणान वा—गात्रयाति श्रमणा क । माहणान वा—दाहणान क । छतए वा—छत्र । मत्तए वा—गात्रन विगेष । बड्ठ वा—उड अथवा । लट्ठिया—ताठी । निसिया वा—योग प्राप्त विगेष । नालिया वा—अपन गरीर मे चार अंगुल लम्बी ताठी । चेन वा—वस्त्र । विलिमिली वा—यवनिका उरुन अघात मन्दूर लानी । चम्मण वा—मगचम । चम्मकोसए वा—चम कीय—मगचम की धनी या झाली । चम्मछयणए वा—चम छे म का उपकरण आदि उपकरण, जाकि । दुवद्ध—अच्छी तरह से न । वा वा हग । दुनिविलत—भनी प्रकार मे नही रखा हुआ तथा । अनिवे—जा थोडा बहुत हिनता है । चचाचले—जा विगेष रूप मे हिन रहा है, प्रग । भिक्षू—भिक्षु । प—फिर । रामो वा—रामि मे । विद्याले वा—विद्याल म । निवत्सममाणे वा—भीतर से बाहर निकलता हुआ अथवा बाहर से भीतर प्रवेश करता हुआ । पयत्सज वा २—फिमन पने या गिर पड । स—भिक्ष क । तत्त्व—वत् पर । परलमाण वा २—फिमनन या गिर पडन से उनक उपकरण आदि गिर पडे अथवा । ह्येण वा ०—हाथ उर प्राति । नूतिज वा—टूट जावया । पाणाणि वा—क्षुण्डीव जतुषो का । जाव—यावन विराधना धीर । ववरोविज वा—नाग हो जाए । अत्—इसतिए । निश्चूण—भिक्षुमा की । पुवशोवड्ठठ—तीथकरादि न पहे ही यत् उपपदा किया है । ज—जा कि । मह०—तथाप्रकार क । उवत्सए—उपाश्रय में । पुरा—पहन । ह्येण वा—हाथ म दक्षभात कर । पच्छा पाएण वा—पाद पर रख । तपो—तपनतर । सजयामेव—सयत साधु यत्न पूर्वक । ति—गतर निकले । पवित्तज वा—अथवा भीतर प्रवेश करे ।

मूलाथ—वह साधु अथवा साध्वी फिर उपाश्रय का जाने, जैसे कि— जा उपाश्रय छोटा है अथवा छोटे द्वार वाला है, तथा नीचा है और चरक आदि भिक्षुओं से भग्न हुआ ह, इस प्रकार के उपाश्रय में यदि साधु को ठहरना पडे तो वह रात्रि में और विद्याल में भीतर से बाहर निकलता हुआ या बाहर से भीतर प्रवेश करता हुआ, प्रथम हाथ से दक्षतर पीछे पैर

रखे। इस प्रकार साधु यत्नापूर्वक निकले या प्रवेश करे। क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म बन्धन का कारण है, क्योंकि वहा पर जो शाक्यादि श्रमणो तथा ब्राह्मणो के छत्र, अमत्र (भाजन विशेष) मात्रक, दंड, यष्टी, योगासन, नलिका (दण्ड विशेष) वस्त्र, यमनिका (मच्छर-दानो) मृगचर्म, मृगचर्मकोष, चर्मछदन-उपकरण विशेष-जोकि अच्छी तरह से बन्धे हुए और ढंग से रखे हुए नहीं हैं, कुछ हिलते हैं और कुछ अधिक चंचल हैं उनको आघात पहुंचने का डर है, क्योंकि रात्रि मे और विकाल मे अन्दर से बाहर और बाहर से अन्दर निकलता या प्रवेश करता हुआ साधु यदि फिसल पड़े या गिर पड़े तो वे उपकरण टूट जाएंगे, अथवा उस भिक्षु के फिसलने या गिर पडने से उसके हाथ-पैर आदि के टूटने का भी भय है और उसके गिरने से वहा पर रहे हुए अन्य क्षुद्र जीवों के विनाश का भी भय है, इसलिए तोर्थकरादि आप्त पुरुषो ने पहले ही साधुओ को यह उपदेग दिया है कि इस प्रकार के उपाश्रय मे पहले हाथ से टटोल कर फिर पैर रखना चाहिए और यत्नापूर्वक बाहर से भातर एवं भीतर से बाहर गमनागमन करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि अपनी आत्मा एवं संयम की विराधना से बचने के लिए साधु को रात्रि एव विकाल के समय आवश्यक कार्य से उपाश्रय के बाहर जाते एवं पुनः उपाश्रय में प्रविष्ट होते समय विवेक एवं यत्नापूर्वक गमनागमन करना चाहिए। यदि किसी उपाश्रय के द्वार छोटे हों या उपाश्रय छोटा हो और उसमें कुछ गृहस्थ रहते भी हों या अन्य मत के भिक्षु ठहरे हुए हों तो साधु को रात के समय बाहर आते-जाते समय पहले हाथ से टटोल कर फिर पैर रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से उसके कहीं चोट नहीं लगेगी और न किसी से टक्कर खाकर गिरने या फिसलने का ही भय रहेगा। यदि वह अपने हाथ से टटोल कर सावधानी से नहीं चलेगा तो सभव है, दरवाजा छोटा होने के कारण उसके सिर आदि में चोट लग जाए या वह फिसल पड़े या किसी भिक्षु की उपधि पर पैर पड जाने से वह टूट जाए और इससे उसके मन को संक्लेश हो और परस्पर कलह भी हो जाए। इस तरह समस्त दोषों से बचने के लिए साधु को विवेक एवं यत्नापूर्वक गमनागमन करना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र से उस युग के साधु ममाज मे प्रचलित उपधियों का एव उस युग की विभिन्न साधना पद्धतियों का परिचय मिलता है और साथ मे गृहस्थ की उदारता का भी परिचय मिलता है कि वह बिना किसी भेद भाव से सभी सभ्रदायके भिक्षुओं को विश्राम करने के लिए मकान दे देता था। उसने द्वार सभी के लिए खुले थे।

माधु को स्थान की याचना किस तरह करनी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आगतारेसु वा अणुवीय उवस्सय जाइज्जा, जे तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिट्ठाए ते उवस्सय अणुन्नविज्जा काम खलु याउसो । अहालद अहापरिन्नाय वसिस्सामो जाव याउसतो । जाव याउसतस्स उवस्सए जाव साहम्मियाइ ततो उवस्समय गिरिहस्सामो, तेण पर विहरिस्सामो ॥८६॥

छाया—स आगन्तारेषु वा अनुविचिन्त्य उपाश्रय याचेत, यस्तत्र ईश्वरः, यस्तत्र समधिष्ठाता तानुपाश्रय अनुज्ञापयेत् काम खलु आयुष्मन् । यथा-लद यथापरिज्ञात वत्स्याम यावद् आयुष्मन्तः । यावत् आयुष्मन्त उपाश्रय यावत् साधमिका तत उपाश्रय ग्रहीष्यामः तत पर विहरिष्याम ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु । आगतारेषु वा—समगाला प्रादि में प्रवेश करके घोर । अणुवीय—विचार करने यह उपाश्रय नैमा है घोर इसका स्वामी कौन है फिर । उवस्सय—उपाश्रय की । जाइज्जा—याचना करे, जन कि । जे—जो । तत्थ—यहां पर । ईसरे उस उपाश्रय का स्वामी है घोर । जे—जो । तत्थ—वहां पर । समहिट्ठाए—जिनके अधिकार में दिया हुआ है । ते—उनको । अणुन्नविज्जा—अनुज्ञापन करे अर्थात् उनसे आज्ञा माये घोर कहे । काम खलु याउसो—हे आयुष्मन् ! निश्चय ही आज्ञाकी इच्छानुसार । अहालद—त्रितना काय प्राप्त कहें । अहा परिन्नाय—त्रितना भाग इस उपाश्रय का प्राप्त देना चाहे जिन ही भाग में हम । वसिस्सामो—रहेंगे, तब मुनि के प्रति गुरुत्व बोले । जाव—यावत् । याउसतो—हे पूज्य! पाप जितना समय यहाँ ठहरेंगे ? तत्र मुनि ने उसके प्रति कहा कि हे आयुष्मन् गुरुए । हमने घोर प्रथम क्रम में तो बिना कारण तक माग तक रह सकत है, घोर वर्षा क्रम में चार माग तक । जाव—यावत् । याउसतस्स—आयुष्मान के । उवस्सए—उपाश्रय में रहेंगे । तब गुरुत्व न कहा

कि आयुष्मन् श्रमण ! एतावत् इतने समय के लिए यह उपाश्रय और इसका इतना भाग आप को नहीं दिया जा सकता । तब मुनि उस गृहस्थ के प्रति कहे कि आयुष्मन्-गृहस्थ ! जितने समय के लिए आपकी आज्ञा हो तथा जितना भाग इस उपाश्रय का आप देना चाहे हम उस में आपकी आज्ञा से उतना समय रहकर फिर विहार कर देंगे । तब उस गृहस्थ ने मुनि के प्रति कहा कि आप कितने साधु हैं ? इसके उत्तर में मुनि बोला कि हे सद्गृहस्थ ! हमारा साधु वर्ग समुद्र के समान है जिसका कोई प्रमाण नहीं । कुछ साधु अपने पठन पाठन आदि कार्य के लिए आते हैं, और अपना कार्य करके चले जाते हैं अतः । जाव—यावन्मात्र । साहम्मियाई—साधर्मी साधु आवेंगे । ताव—जितने काल तक आप कहेंगे उतने काल पर्यन्त । उवस्सय—उपाश्रय को । गिण्हस्सामो—ग्रहण करेंगे । तेणपरं तत्पश्चात् । विहरिस्सामो—विहार कर जावेंगे अर्थात् आपकी आज्ञानुसार रहकर फिर चले जावेंगे ।

मूलार्थ—वह साधु धर्मशालाओं आदि में प्रवेश करने के अनन्तर यह विचार करे कि यह उपाश्रय किसका है और यह किसके अधिकार में है ? तदनन्तर उपाश्रय की याचना करे । [इस सूत्र का विषय कुछ क्लिष्ट है इसलिए प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जाता है]

मुनि—आयुष्मन् गृहस्थ ! यदि आप आज्ञा दें तो आपकी इच्छानुकूल जितने समय पर्यन्त और जितने भूमि भाग में आप रहने की आज्ञा देंगे, उतने ही समय और उतने ही भूमि भाग में हम रहेंगे ।

गृहस्थ—आयुष्मन् मुनिराज ! आप कितने समय तक रहेंगे ?

मुनि—आयुष्मन् सद्गृहस्थ ! किसी कारण विशेष के बिना हम श्रोष्म और हेमन्त ऋतु में एक मास और वर्षा ऋतु में चार मास पर्यन्त रह सकते हैं ।

गृहस्थ— इतने समय के लिए आप को यह उपाश्रय नहीं दिया जा सकता ।

मुनि—यदि इतने समय तक की आज्ञा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं आप जितने समय के लिए कहेंगे उतने समय तक यहाँ ठहर कर फिर हम विहार कर जावेंगे ।

गृहस्थ—आप कितने साधु हैं ?

मुनि—साधु तो समुद्र के समान अनगिनत है। क्योंकि अपने पठन पाठन आदि काय के लिए कई मुनि आते हैं, और अपना काय करके चले जाते हैं। किन्तु जो यहाँ पर आवेंगे व सब ठापकी आनानुमार रह कर विहार कर जावेंगे। इस प्रकार मुनि को गृहस्थ के पास उपाश्रय की याचना करनी चाहिए।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में उपाश्रय की याचना करने की विधि का उल्लेख किया गया है। हमें बताया गया है कि साधु जो मरने पढ़ने या चानना चाहिए कि यह मरान किसके अधिकार में है अथवा किम का है? मरान मालिक का परिज्ञान करने के बाद उससे उन मरान में ठहरने का आना मागनी चाहिए। यदि वह पूछे कि आप कितने समय तक ठहरेंगे तो मुनि उससे कहे कि हम यथावाम म ४ महीने और शेष काल न १२ महीने से ज्यादा बिना किसी विशेष कारण के एक स्थान में नहीं ठहरते हैं। यदि वह एक महीने के लिए मरान देने को तैयार न हो तो वह कितने दिन ठहरने की आज्ञा द उन दिनों उस मरान में ठहर। उसका आज्ञा की अवधि पूरी होना के बाद उसकी पुन आज्ञा लिए बिना साधु को न मरान में नहीं ठहरना चाहिए। गृहस्थ ने कितने समय के लिए कितने भूभाग को उपभोग में लेने की आज्ञा दी हो उतने समय तक उतने ही क्षेत्र को अपने काम में ले। यदि कोई गृहस्थ साधुओं की मरया व त्रिषय में पूछे तो मुनि को निश्चित सत्या में नहीं बचना चाहिए। क्योंकि, कई बार स्वाध्याय आदि के लिए स्थान की अनुकूलता देखकर आम पास के क्षेत्र में स्थित साधु भी स्वाध्याय ध्यान आदि के लिए आ जाते हैं और वापिस चले भी जाते हैं। इस तरह सन्तों की संख्या कम ज्यादा भी होती रहती है। इसलिए इस मन्त्र में उसे इतना ही कहना चाहिए कि साधुओं की सत्या अधोम है, उसे नियमित रूप से नहीं बताया जा सकता, परन्तु आपने कितने समय के लिए आज्ञा दी है उससे ज्यादा समय आपकी आज्ञा लिए बिना कोई भी साधु नहीं ठहरगा।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त शब्द 'यथावाम' पद का अर्थमागधी कोष में निम्न अर्थ किया है—'कितने समय के लिए कहा गया हो उतने समय तक ठहरें।' पानी से भोगा हुआ हाथ कितनी देर में सूखे उतने समय को उपयय यथाल'द काल कहते हैं और पाच दिन की अवधि को उत्कृष्ट यथालन्द काल कहते हैं तथा उन दोनों के बीच के समय को मध्यम यथाल'द काल कहते हैं।

इस तरह उपाश्रय की आज्ञा लेने के बाद साधु को किस तरह रहना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा जस्सुवस्सए संवसिज्जा तस्स पुव्वा-
मेव नामगुत्तं जाणिज्जा । तथो पच्छा तस्स गिहे निमंतेमाणस्स
वा अनिमंतेमाणस्स वा असणं वा ४ अफासुयं जाव नो पडि-
गाहेज्जा ॥६०॥

छाया—स भिक्षुर्वा यस्योपाश्रये सवसेत् तस्यं पूर्वमेव नामगोत्रं
जानीयात्, ततः पश्चात् तस्यगृहे निमंत्रयतः वा अनिमंत्रयतः वा अशनं
वा ४ अप्रासुकं यावन्न प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी । जस्सुवस्सए—जिसके उपाश्रय
में । संवसिज्जा—ठहरे । तस्स—उसके । नामगुत्तं—नाम और गोत्र को । पुव्वामेव—पहले
ही । जाणिज्जा—जाने । तथोपच्छा—तत्पश्चात् । तस्सगिहे—उसके घर में । निमंतेमाणस्स—
निमंत्रित करने पर अथवा । अनिमंतेमाणस्स अनिमंत्रित करने पर । असणं वा०—अशनादि
चतुर्विध आहार को । अफासुयं—अप्रासुक । जाव—यावत् अनेपणीय जानकर । नो पडिगाहेज्जा—
ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी जिस गृहस्थ के उपाश्रय-स्थान में ठहरे,
उसका नाम और गोत्र पहले ही जानले । तत्पश्चात् उसके घर में निमंत्रित
करने या न करने पर भी अर्थात् बुलाने या न बुलाने पर भी उसके घर का
अशनादि चतुर्विध आहार ग्रहण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि मकान में ठहरने के पश्चात् शय्यातर के नाम
एवं गोत्र तथा उसके मकान आदि का परिचय करना चाहिए । आगमिक परिभाषा में
मकान मालिक को शय्यातर कहते हैं । शय्या का अर्थ है—मकान और तर का अर्थ
है—तैरने वाला, अर्थात् शय्या+तर का अर्थ हुआ—साधु को मकान का दान देकर
ससार-समुद्र से तैरने वाला । शय्यातर के नाम आदि का परिचय करने का यह तात्पर्य

हे किन्तु हमने घर को अच्छी तरह पचान सके। क्योंकि, भगवान ने शरणांतर के घर का आर पानी स्नान का निषेध किया है। इसका कारण यह रहा है कि अब सम्प्रदायों में यह परम्परा था कि जो किमा अथवा मत के माधु को ठहराने के लिए स्थान देता या उसको ठहराकर आहार पाना आदि का सारा प्रबंध करना पड़ता था। इस तरह यह भिक्षु जैसे लोग धाम स्वरूप बन जाता था। इस कारण कई व्यक्ति निर्दाय मकान होत हुए भी देने से शर्कार करते थे। परन्तु चैन माधु का जीवन किमा भी व्यक्ति पर शोका रूप नहीं रहा है। इसी कारण भगवान ने माधुर्था को यह आदेश दिया है कि जिस समय स शरणांतर के घर में मठर तब से लेकर जन्म तक उस मकान में रहें तब तक शरणांतर के घर का आहार पानी आदि प्रहण न करें अर्थात् मकान का स्नान स्नान धन पर दूसरा किसी तरह का धाम नहीं डालें। इसलिये शरणांतर के नाम आदि का परिचय करना जरूरी है, जिसमें आहारादि के लिए उसके घर को छोड़ा जा सके।

उपाश्रय का योग्यता एवं अयोग्यता के विषय को स्पष्ट करत हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मे भिस्सु वा०मे ज० ममागारिय मागणिय मउदय,
नो पन्नस्म निस्सुमणपेमाए जाउणुचिंताए तटप्पगारे उउस्माए
नो ठा० ॥६१॥

श्लोका—म भिक्षुवा० म यत्० ममागारिक मागिनर सोदर न प्राणस्य निष्क
पणप्रवेगाय पारदनुचितया, तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थान० ।

वराय—ते—यत् । विष्णु वा—गायु वा गापी । ते अ—यत् विष्णु उर धर का
न न वरा । ममागारिय—मठरणी न सुवत् । मागणिय—पत्ति न सुवत् । मउदय—यत् न
सुवत् उर धर । पन्नस्म—यत् धाम क रित । नो निस्सुमणपेताए—निस्सुमण धीर प्र
क रे वर मठा है । अ उ—यत् । पणपि पार—दनुवा न पवत् यत्तुदोर के विगत
करके व र म मठा है । मठरणी—गायु तथा उर क । उपाश्रय—उर धर मे । नो स्थान—
० ६१ ।

मनाथ—मा मठा, यत् सुवत्, म पणिय म धीर उर म सुवत् हा उपाश्र
यमाश्रय माधु या मठरणी का निस्सुमण धीर प्रवेग ही वरणा पाणिय म

वह उपाश्रय धर्मचिन्तन के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अतः साधु को उसमें कायोत्सर्गादि क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को ऐसे उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए जिसमें गृहस्थों का, विशेष करके साधुओं के स्थान में बहनों का एवं साध्वियों के स्थान में पुरुषों का आवागमन रहता हो और जिन स्थानों में अग्नि एवं पानी रहता हो। क्योंकि इन सब कारणों से साधु के मन में विकृति आ सकती है। इसलिए साधु को इन सब बातों से रहित स्थान में ठहरना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं —

मूलम्—से भिक्षू वा० से जं० गाहावडकुलस्स मज्झं-
मज्झेणं गंतुं पंथाए पडिवद्धं वा नो पन्नस्स जाव चिंताए, तह-
उ० नो ठा० ॥६२॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत्० गृहपतिकुलस्य मध्यमध्येन गन्तुं पंथाः प्रतिवद्धं
वा नो प्राज्ञस्य यादच्चित्तया तथाप्रकारे उपाश्रये न स्था० ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी । से जं०—वह जो फिर उपाश्रय को जाने, जिस उपाश्रय का मार्ग गाहावडकुलस्स—गृहपति के घर के। मज्झं-मज्झेण—मध्य में होकर। गंतुं—जाने का। पथाए—मार्ग है। वा—अथवा। पडिवद्धं—प्रतिवद्ध है अर्थात् उसके अनेक द्वार हैं तथा वहा पर स्त्री आदि विशेष रूप से आती-वैठती है तो। पन्नस्स—प्रज्ञावान साधु को। जाव चिंताए—यावत् पान्त्र प्रकार का स्वाध्याय करना। नो—नहीं कल्पता है और। तहप्पगारे—तथाप्रकार के। उ०—उपाश्रय में। नो ठाण०—स्थानादि-कायोत्सर्गादि करना योग्य नहीं है।

मूलार्थ—जिस उपाश्रय में जाने के लिए गृहपति के कुल से-गृहस्थ

ॐ इस संबन्ध में विशेष जानकारी करने की जिज्ञासा रखने वाले पाठकों को बृहत्कल्प सूत्र का १, २ उद्देशक और निशोथ सूत्र का ढवा उद्देशक देखना चाहिए।

के घर से होकर जाना पड़ता हो, आर जिसके घर न द्वार हो ऐसे उपाश्रय में बुद्धिमान माधु को स्वाध्याय और कायोत्सर्ग ध्यान नहीं करना चाहिए अर्थात् ऐसे उपाश्रय में वह न ठहरे ।

११ शी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिस उपाश्रय में जाने का माग गृहस्थ के घर में से निकर जाना हो तो माधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए । क्योंकि, वार बार गृहस्थ के घर में से आत जाते मित्रों को देखकर मनु के मन में विचार जागृत हो सकता है तथा माधु के वार बार आयागमन करने से गृहस्थ के कार्य में भी विघ्न पड़ सकता है या यंत्रियों के मन में संकोच या अथ भावना उत्पन्न हो सकती है । इसी कारण आगम में ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध किया गया है, परंतु साधियों के लिए ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध नहीं किया ॥११॥

॥स विषय को और स्पष्ट करत हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा० से ज०, इह खलु गाहावर्षे वा०
कर्मकरीयो वा यन्नमन्न यस्कोसति वा जाव उद्वति वा
नो पन्नस्म० सेव नच्चा तहप्पगारे उ० नो ठा० ॥६३॥

मूलम्— से भिक्षु वा० में ज पुण० इह खलु गाहावर्षे वा
कर्मकरीयो वा यन्नमन्नस्म गाय तिल्लेण वा नच० ध० वसाए
वा यन्नगेति वा मक्खेति वा नो परणस्त जाव तहप्प० उव०
नो ठा० ॥६४॥

मूलम्— से भिक्षु वा० से ज पुण०—इह खलु गाहावर्षे वा
जाव कर्मकरीयो वा यन्नमन्नस्म गाय मिणायोण वा क०

॥ नो वत्तइ निगघाण गाहावर्षकलसम मज्जनसंज्ञं टाव वत्तए । वत्तइ निगघाण
धीण गाहावर्षकलसंज्ञं मज्जनसंज्ञं गतं दत्तए ।

—वृत्त्यर्थ सूत्र १ ३३ ३४ ।

तु०चु० प० आचंमंति वा पचंमंति वा उव्वलंति वा उव्वट्टिंति वा
नो पन्नस्स ॥६५॥

मूलम्—मे भिक्खू० मे जं पुण उवस्सयं जाणिज्जा. इह खलु
गाहावती वा जाव कम्मकरी वा अणमराणस्स गायं सीओ-
दग० उमिणो० उच्छो० पहायंति वा मिंचंति वा मिणायंति वा नो
पन्नस्स जाव नो टाणं० ॥६६॥

छाया—म भिक्षुर्वा० म यत् पुन० इह खलु गृहपतिर्वा० कर्मकर्षो वा अन्योऽन्यं
आक्रोशन्ति वा यावत् उपद्रवन्ति वा नो प्राज्ञस्य० तदेवं ज्ञात्वा तथाप्रकारे
उपाश्रये नो स्थानं० ।

छाया—स भिक्षु ० म यत् पुन० इह खलु गृहपतिः वा० कर्मकर्षो वा
अन्योऽन्यस्य गात्रं तैलेन वा नवनीतेन वा घृतेन वा वसया वा अभ्यंगयन्ति वा
मृक्षयन्ति वा नो प्राज्ञस्य यावत् तथाप्रकारे उपाश्रये नो स्थानं० ।

छाया—म भिक्षुर्वा० म यत् पुन इह खलु गृहपतिर्वा यावत् कर्मकर्षो वा
अन्योऽन्यस्य गात्रं रनानेन वा कर्केण वा लोभ्रेण वा चूर्णेन वा पद्मेन० आ-
घर्षयन्ति वा प्रघर्षयन्ति उद्वलयन्ति वा उद्वर्तयन्ति वा नो प्राज्ञस्य० ।

छाया—स भिक्षुः० म यत् पुनरुपाश्रयं जानीयात्, इह खलु गृहपतिर्वा
यावत् कर्मकर्षो वा अन्योन्यस्य गात्रं शीतोदक० उण्णो० उच्छोल० प्रधावथन्ति
वा सिंचन्ति वा स्नपयन्ति वा नो प्राज्ञस्य यावत् नो स्थानम्० ।

पदार्थ—मे—वह । निमलू वा—साधु या सा०नी । से ज०—फिर वह जो उपाश्रय
को जाने जैसे कि । इह खलु—निश्चय ही उम समाद में । गाहावई—गृहपति । जाव—
यावत् । कम्मकरीओ वा—गृहपति की दामिये । अन्नमन्न—परम्पर । अक्कोसति था—आक्रोश
करती है । जाव—यावत् । उद्वलंति वा—उपद्रव करती हूँ अतः वहा । पन्नस्स—वृद्धिमान साधु

का स्वाध्याय प्राप्ति नहीं करना चाहिए तथा । सेव मरचा—वह साधु "म प्रकार जानकर ।
तृपगारे—तथाप्रकार क । उ०—उपाश्रय म । नो टा०—स्वाध्यायानि न कर ।

पदाय—से—वह । मिक्खु वा—साधु अथवा माध्वी । से ज०—फिर जा उपाश्रय को जान
जम कि । इह सत्तु—निश्चय हा "म समार म । गाहावई वा—गहपति । जाव—यावत ।
कम्मकराओ वा—गहपति का दासिये । ठनमनस्स—परम्पर एक दूसरे क । गाय—शरीर
की । निस्सेण वा—तत्र म अथवा । नव०—नवनान मनसन म । घ०—घी म । वसाए वा—
वसा म । अरम्मणि वा—मदन करत या करना है । मक्खेनि टा—तत्र प्राप्ति लगानी है ता ।
ना पणम्म—प्रभावान साधु का वहा पर स्वाध्याय प्राप्ति नग करना चाहिए । जाव—यावत ।
तृप०—तथाप्रकार क । उव०—उपाश्रय मे । नो ट०—स्थानादि नहीं करना चाहिए ।

पदाय—स—वह । मिक्खु वा—साधु या माध्वी । से ज पुण—वह जो फिर उपाश्रय का
जान । इह सत्तु—निश्चय "म समार मे । गाहावई वा—गहपति । जाव—यावत । कम्म-
कराओ वा—उसकी दासिये । अन्नम नस्स—परम्पर एक-दूसरे क । गाय—शरीर को । निष्ठाण
वा—पाना म । क०—कव मुग्घि घन द्रव्य स । सु०—सोध म । चु०—चूण म—प०—प०म
स—प०म द्रव्य स । अघमति वा—नाप करना है । पघसति वा—प्रघपित करनी है । उवसति
वा—तत्र प्राप्ति म मन्त करनी है । उव्वटिण्णि वा—उव्वतन करनी है—उव्वतन करती है । नो
पन्नस्स—घन प्रजावान साधु को इस प्रकार क उपाश्रय मे स्वाध्याय और ध्यानादि नहीं
करना चाहिए ।

पदाय—स—वह । मिक्खु वा—साधु अथवा माध्वी । से ज पुण—फिर वह । उवस्सय—
उपश्रय को जाने । इह सत्तु—निश्चय ही इस समार मे । गाहावई वा—गहपति । जाव—
यावत । कम्मकरोओ वा—गहपति की दासिये । अण्णमण्णस्स—परम्पर एक दूसरे क । गाय—
शरीर की । सीघोत्प०—गीत्त जन म । उत्तिणो०—उत्पण जल स । उच्छो०—अभिसिक्त
करती है, छाटे दनी है । पहीयति—घोनी है । तिच्चि—जन त मित्तन करता है । तिणापति
वा—स्नान करनी है ता । नो पन्नस्स जाव नो टाण०—प्रजावान साधु को "स प्रकार क उपाश्रय
मे स्थानादि नग करना चाहिए ।

मूलार्थ—साधु और साध्वी गृहस्थ के उपाश्रय को जाने, जैसेकि
जिस उपाश्रय-वसती मे, गहपति और उसकी स्त्री यावत दास दासिए
परम्पर एक दूसरे को आत्रोशतो-कोसती हैं, मारती और पीटती यावत
उपद्रव करनी है । तथा परम्पर एक दूसरी के शरीर को तैल से, मक्खन
स, घी मे और वसा से मर्दन करती है और एक दूसरे के शरीर को पानी

से, कर्क से, लोभ्र से, चूर्ण से और पद्मद्रव्य से साफ करती है मैल उतारती है तथा उवटन करनी है और एक दूसरे के शरीर को शीतल जल से, उष्ण जल से छीटे देती है, धोती है, जल से सीचन करती है और स्नान कराती है, प्रजावान् साधु को इस प्रकार के उपाश्रय मे न ठहरना चाहिए और न कायोत्सर्गादि क्रियाए करनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत चार सूत्रों में यह बताया गया है कि जिस वस्ती में स्त्रियं परस्पर लड़ती-झगड़ती हों, मार-पीट करती हों, या एक दूसरी के शरीर पर तेल आदि स्निग्ध पदार्थों की मालिश करती हों, मैल उतारती हों, या परस्पर पानी उछालती हों, छींटे मारती हों या इसी तरह की अन्य क्रीड़ाएं करती हों तो मुनि को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए । ये चारों सूत्र स्त्रियों से सम्बन्धित हैं, अतः ऐसे स्थानों में साधुओं को ठहरने के लिए निषेध क्रिया गया है, क्योंकि, इससे उनके मन में विकार जागृत हो सकता है । परन्तु, साध्विए ऐसे स्थान में ठहर सकती हैं । यदि किसी वस्ती में उपरोक्त क्रियाएं पुरुष करते हों तो वहां स्त्रियों को नहीं ठहरना चाहिए । छेद सूत्रों में भी बताया गया है कि जिस मकान में स्त्रियं रहती हों उस मकान में साधु को तथा जिस मकान में पुरुष रहते हों उस मकान में साध्वियों को ठहरना नहीं कल्पता* ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं० इह खलु गाहावई वा जाव
कम्मकरीयो वा निगिणा ठिया निगिणा उल्लीणा मेहुणाधम्मं विन्न-
विंति रहस्सियं वा मंतं मंतंति नो पन्नस्स जाव नो ठाणं वा ३

* नो कप्पइ निग्गथाणं इत्थी सागारिए उवस्सए वत्थए ।

कप्पइ निग्गथाण पुरिस सागारिए उवस्सए वत्थए ।

नो कप्पइ निग्गथीण पुरिस सागारिए उवस्सए वत्थए ।

कप्पइ निग्गथीणं इत्थीसागारिए उवस्सए वत्थए ।

नो कप्पइ निग्गथाण पडिबद्धए सेज्जाए वत्थए ।

कप्पइ निग्गथीणं पडिबद्धए सेज्जाए वत्थए ।

चेडज्जा ॥६७॥

छाया—म भित्तुर्वा० म यत् ० इह खलु गृहपतिवा यादत् कमरूपो वा नाना स्थिता नग्ना उपलीना मथुनधर्मं विजययन्ति रहस्य वा मत्र मत्र-यन्ते न प्राज्ञस्य यात्रान स्थान वा ३ चेतयेत ।

पदार्थ—से—वह । निखलू वा०—गाव अथवा माध्वी । से ज०—यदि उपाश्रय के सम्बन्ध में जाने कि । खल—वातवालकार में है । इह—इस ममार में । गाहायर्त् वा—गृहपति । जाव—यावत । कम्मकरीओ वा—उमकी दामियें । नगिणा ठिया—नग्न हो कर खडी हैं । नगिणा उल्लीणा—नग्न प्रच्छन्न । मेहुण धम्म—मथुन धम विषयक । रहस्य—किञ्चिन् रहस्य को । वि नविति—परस्पर आस में कह रही है अथवा । मत मवति—सकार्य के लिए परस्पर गुप्त में प्रणा, गुप्त विचारे करनी है इसलिए । नो प नरस जाव—प्रभावान साधु का इस प्रकार के उपाश्रय में निष्क्रमण और प्रवण नहीं करना चाहिए तथा । नो ठाण वा ३ चेडज्जा—कायोत्सर्गादि भी नहीं करना चाहिए ।

मूलार्थ—जिस उपाश्रय वस्ती में गृहपति यावत उमकी स्त्रिय और दासिए आदि नग्न अवस्था में खडी है, और नग्न होकर मथुनधर्म विषय परस्पर वार्तालाप करती हैं, अथवा कोई रहस्यमय अवाय के लिए गुप्तमत्रणा—गुप्त विचार करनी है तो बुद्धिमान साधु को ऐस उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए और उसमें कायोत्सर्गादि भी नहीं करना चाहिए ।

दि दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिस ममान में स्त्री-पुरुष नग्न होकर आमोद प्रमोद में व्यस्त हों, विषय भोग सम्पन्नी वार्तालाप करते हैं, रात्रि में मथुन सेवन के लिए परस्पर प्रार्थना करते हों या किसी रहस्यमय काय के लिए गुप्त मत्रणा कर रहे हों, नो विवेक सम्पन्न साधु को ऐसे स्थान में नहीं ठहरना चाहिए । क्योंकि जैसे साधु के स्वाध्याय, ध्यान एवं चिन्तन मनन में विन पड़ेगा और उसके मन में भी बिचार भावना जागृत हो सकती है । इसलिए साधु को सदा ऐसे स्थानों से बचकर ही रहना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि जत्र मानव मन में विषय वासना की आग प्रज्वलित होती है तो उस समय वह अपना सारा विवेक भूल जाता है । कभी कभी तो वह मानवीय मन्थता को त्याग कर पशुता के स्तर पर भी पहुँच जाता है । उस समय उसे

चित्रों का त्याग करने में भी हिचक नहीं होती और 'श्लील शब्दों पर तो उसका जरा भी प्रतिबन्ध नहीं रहता है। इसलिए साधु-साध्वियों को ऐसे श्लील वातावरण से सदा दूर रहना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा से जं पुण उ० आइन्नसंलिकखं नो

पन्नस्स० ॥६८॥

छाया—स भिक्षुर्वा स यत् पुनः उ० आकीर्णसलेख्य नो प्राज्ञम्य० ।

पदार्थ मे वह । भिक्षू वा—साधु अथवा साध्वी । से ज पुण उ०—फिर वह उपाश्रय के सम्बन्ध मे यह जाने कि । आइन्नसंलिकख—जो मकान स्त्री-पुरुष आदि के चित्रों से सुसज्जित है तो । नो पन्नस्स—प्रजावान साधु को उम स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए और वहा स्वाध्याय आदि भी नहीं करना चाहिए ।

मूलार्थ—जो उपाश्रय स्त्री पुरुष आदि के चित्रों से सज्जित हो रहा है तो उस उपाश्रय मे प्रजावान साधु को नहीं ठहरना चाहिए और वहा पर स्वाध्याय अथवा ध्यानादि भी नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मंत्र मे बताया गया है कि साधु को चित्रों से आकीर्ण उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए । इसमें चित्र मात्र का उल्लेख किया गया है । यहाँ स्त्रियों एवं पुरुषों आदि के चित्र का भेद नहीं किया गया है । इससे यह ध्वनित होता है कि केवल चित्र का अपलोकन करने मात्र से ही विकार की जागृति नहीं होती । यदि स्त्री का चित्र देखते साधु का मन साधना के बाध को तोड़कर वासना की ओर प्रवहमान होने लगे तो फिर कोई भी साधु संयम में स्थिर नहीं रह सकेगा । क्योंकि, व्याख्यान सुनने एवं दर्शन के लिए आने वाली वी नों को प्रत्यक्ष रूप में देखकर तथा आहार-पानी के समय भी उन्हें देखकर या उनसे बातें करके तो वह न मालूम कहाँ जा गिरेगा । अस्तु, संयम का नाश केवल स्त्री के चित्र या शरीर को देखने मात्र से नहीं होता, अपितु विकारी भाव से देखने पर होता है ।

इससे यह प्रश्न पैदा होता है कि फिर सूत्रकार ने चित्रों से युक्त मकान में

ठहरन का निषेध क्या किया? इसका समाधान यह है कि चित्र केवल चिह्निक ही माने नहीं हैं, उनका और रूप भी प्रभाव पड़ता है। यदि केवल चिह्निक रहने होने का दृष्टि से ही निषेध किया जाना तो यह उन्नेय अत्रय्य किया जाता कि साधु को प्रायः चित्र म चित्रित उपाश्रय में तथा साधु को परमाय चित्र युक्त उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए। परन्तु, प्रस्तुत सूत्र में तो केवल स्त्री पुंस्य च चित्र ही न १, अपितु पशु पत्नी एवं नदी, पवन, जगत अग्नि के प्राकृतिक चित्रों में युक्त उपाश्रय में भी ठहरन का निषेध किया है। नरकि पशु पत्नी एवं प्रकृति में स्त्री चित्रों का स्वस्व विकार भाव न गृह्यते होने से। फिर भी इसका निषेध किया गया है। इसका मुख्य अर्थ यह है कि उपश्रय में चित्रित चित्र चार् स्त्री पुंस्य च हों या अन्य चित्रों प्राणिया एवं प्राकृतिक प्राणियों का, साधु यह स्थानों में प्रकृत हो पाण्डा और उनका स्वाध्याय एवं ध्यान का मनन चक्षुःश्रित्य के योग्य न लग जायगा। इस तरह उसकी ज्ञान और ध्यान का साधना में प्रतिकूल पड़ेगा और यदि उन चित्रों में आमक्ति उत्पन्न हो गई तो मन में चिह्न भाव भाव उत्पन्न हो सकते हैं। अस्तु ज्ञान दर्शन की साधना के प्रसाह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए साधु को ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध किया गया है। छत्र सत्रा में भी ऐसे स्थानों में ठहरने का निषेध किया गया है।

मनान में ठहरने के बाद तत्त्व आदि की आदर्शरता होती है, अतः साधु को कैसा तत्त्व प्रदर्शन करना चाहिए, इसका उन्नेय करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० अभिकखिज्जा मथारग एसित्ण,
से ज० मथारग जाणिज्जा सयड जाव समताण्य, तहप्पगार
मथार लाभे सते नो पडि० १ । से भिक्खू वा० से ज० अय्यड जाव
मताण्णगरुय तहप्पगार नो प० २ । से भिक्खू वा० अय्यड लहुय
अपडिहारिय तह० नो प० ३ । से भिक्खू वा० अय्यड जाव अय्य
मताण्णग लहुय पाडिहारिय नो अहावद्ध, तहप्पगार लाभे सते
नो पडिगाहिज्जा ४ । से भिक्खू वा० २ से ज पुण्ण मथारग जा

शिजा अप्पंडं जाव संताणं लहुयं पाडिहारियं अहावद्धं, तहप्प-
गारं संथारगं लाभे संते पडिगाहिजा ५ ॥६६॥

छाया — स भिक्षुर्वा० अभिकांक्षेत- संस्तारकं एषितुं स यत्० सस्तारकं
जानीयात् साण्ड यावत् सस्तानकं तथाप्रकारं संस्तारकं लाभे सति न प्रति० १
स भिक्षुर्वा स यत्० अल्पाड यावत् सन्तानगुरुक तथाप्रकारं नो प्र० २ । स
भिक्षुर्वा० अल्पाडं लघुकं अप्रतिहारकं तथाप्रकार न प्र० ३ । स भिक्षुर्वा०
अल्पाडं यावत् अल्पसन्तानकं लघुकं प्रतिहारकं नो यथावद्धं तथाप्रकार लाभे-
सति नो प्रतिगृहणीयात् ४ । स भिक्षुर्वा २ स यत् पुनः सस्तारकं जानीयात्-
अल्पाडं यावत् सन्तानकं लघुकं प्रतिहारकं यथावद्धं तथाप्रकारं संस्तारक
लाभे सति प्रतिगृहणीयात् ५ ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा० — साधु या साध्वी । संथारगं—फलक आदि सस्तारक
की । एसित्तए—गवेषणा करती । अभिकांखेज्जा—चाहे तो । से ज०—वह भिक्षु-साधु । सथारगं—
संस्तारक- तखत आदि जो । स अंडं—अडो से युक्त है । जाव—यावत् । ससंताणयं—मकड़ी के
जालो आदि से युक्त है । जाणिज्जा—जाने । तहप्पगार—तथाप्रकार क । सथार—सस्तारक
को । लाभे संते—मिलने पर भी । नो पडि०—ग्रहण न करे ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा--साधु या सा०वी । से ज०--वह फिर सस्तारक को जाने
जो । अप्पंड—अडो से रहित है । जाव—यावत् । संताण—जालो से रहित है, किन्तु । गुरुय—
गुरुभारी है । तहप्पगारं—तथाप्रकार के संस्तारक को मिलने पर ग्रहण न करे ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा०—साधु या साध्वी सस्तारक को जाने, जैसे कि ।
अप्पंडं—अडो से रहित है । लहुयं—लघु-हल्का भी है किन्तु । अप्पडिहारियं—गृहस्थ उसे
देने के बाद वापिस लेना नहीं चाहता है । — तथा प्रकार का सस्तारक मिलने पर भी ।
नो प०—ग्रहण न करे ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षु वा—साधु या साध्वी सस्तारक को जाने जैसे कि । अप्पंड—
जो अडो से रहित है । जाव—यावत् । अप्पसंताणग—जाले आदि से रहित है । लहुयं—लघु
भी है । पाडिहारियं—गृहस्थ देकर वापिस लेना भी स्वीकार करता है किन्तु । नो अहावद्धं—
उसके बन्धन शिथिल है तो । तहप्पगारं—इस प्रकार का संस्तारक । लाभे संते—मिलने पर भी ।

नो पडिगाहिजा - ग्रहण न करे ।

पदाय-से - वह । भिकरू वा - साम या माधी । स ज पण - फिर जो । सथारण - मस्तारक है उम । जाणिज्जा - जाने । अण्ड - जो अण्डो न रहित है । जाव - यावन । मत्ताना - जाना भाङ्गि म रहित है । लहुप्र - लघु है । पाण्हारिय - गृहस्थ देकर फिर पीछे लेना स्वीकार करता है और । अहावद्ध - उमक वपन भी दण्ड है । त्तरगार - दस प्रकार का । सथारण - मस्तारक । तामे सते - मिलने पर । पडिगाहिजा - ग्रहण करले ।

मूलाथ - जो साधु या साध्वी फनर आदि सस्तारक को गवपणा करनी चाहता वह सस्तारक के सम्बन्ध में यह जानें कि जा मस्तारक अण्डा से यावन मरुडो जादि के जालो से युक्त है, ऐसे सस्तारक को मिलने पर भी ग्रहण न करे ।

मूनार्थ - इसी प्रकार जा सस्तारक अण्डा और जाले आदि से तो रहित है किन्तु नारी है, ऐसे सस्तारक का भी मिलने पर ग्रहण न करे ।

मूलाथ - जो मस्तारक अण्डो आदि से रहित एव लघु भी है किन्तु गृहस्थ उसे देकर फिर वापिस लेना नहीं चाहता है तो ऐसा सस्तारक भी मिलने पर स्वीकार न करे ।

मूनार्थ - इसी तरह जो सस्तारक अण्डादि से रहित है, लघु है और गृहस्थ ने उसे वापिस लेना भी स्वीकार कर लिया है परन्तु उमके वधन शिथिल है तो ऐसा सस्तारक भी स्वीकार न करे ।

मूलाथ - जो सस्तारक अण्डो आदि से रहित है, लघु है, गृहस्थ ने वापिस लेना भी स्वीकार कर लिया है और उसके बन्धन भी मुट्ट है, तो ऐसे सस्तारक को मिलने पर साधु ग्रहण कर ले ।

द्विती त्रिचन

प्रस्तुत सूत्र म मस्तारक-तरन, पट्टा आदिके ग्रहण करने की त्रिधि बताई गई है । उममें बताया गया है कि जो तरन अण्डे एव जीव चतुश्रों से युक्त हा भारी हो त्रिमे गृहस्थ ने वापिस लेने में स्वीकार कर दिया हो तथा त्रिमे वधन शिथिल (लोने) हा, वह

तखन ग्रहण नहीं करना चाहिए। या चारों या इनमे से कोई भी एक कारण उःस्थित हो तो साधु-साध्वी को वैसा तखन ग्रहण नहीं करना चाहिए। परन्तु, जो तखन इन चारों कारणों से रहित हो वही तखत साधु ग्रहण कर सकता है।

इसका कारण यह है कि अण्डे आदि से युक्त तखत ग्रहण करने से जीवों की हिंसा होगी, अतः सयम की विराधना होगी। और भारी तखत उठाकर लाने से शरीर को सबलोग होगा, कभी अविक बोध के कारण रास्ते में पैर के इधर-उधर पड़ने से पैर आदि में चोट भी आ सकती है, इस तरह आत्म विराधना होगी। यदि गृहस्थ उभ तखत को वापिस नहीं लेता है तो फिर साधु के सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि वह उसे कहां रखे। क्योंकि उसे उठाकर तो वह विहार कर नहीं सकता और एक व्यक्ति के यहां से ली हुई वस्तु दूसरे के यहां रख भी नहीं सकता, और यदि वह उसे यों ही त्याग देता है तो उसे परित्याग करने का दोष लगता है। और शिथिल बन्धन वाला तखत लेने से उसे पल्लिमंथ दोष लगेगा। क्योंकि यदि उसकी कोई कील निकल गई या वह कहीं से टूट गया तो, साधु क्या करेगा। अतः साधु को इन सब दोषों से मुक्त तखत ही ग्रहण करना चाहिए।

अस्तु जो तखत अण्डे, जाले आदि से रहित हो, वजन में हल्का हो, साधु की आवश्यकता पूरी होने पर गृहस्थ उसे वापिस लेने के लिए कह चुका हो और जिसके बंधन मजबूत हों, वही तखत साधु-साध्वी को ग्रहण करना चाहिए।

सस्तारक ग्रहण करने के लिए किए जाने वाले अभिग्रहों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इच्छेयाइं आयतणाइं उवाइक्कम्—अह भिक्खू
जाणिज्जा इमाइं चउहिं पडिमाहिं संथारगं एसित्तए, तत्थ खलु
इमा पढमा पडिमा—से भिक्खू वा २ उदिसिय २ संथारगं जाइ-
ज्जा, तंजहा--इक्कडं वा, कटिणां वा, जंतुयं वा, परगं वा, मोरगं
वा, तणागं वा, सोरगं वा, कुसं वा, कुच्चगं वा, पिप्पलगं वा,

ॐ व्यवहार भाष्य में बताया गया है कि जिस तखत को साधु सहज ही ग्रहण करे बिना किसी वेद के साथ एक ही हाथ से (बिना दूसरे हाथ में बदलते हुए) ला सके, ऐसा तखत ग्रहण करना चाहिए।

पलालगं वा, मे पुञ्चामेय आलोड्जा -याजमो त्ति वा भ० दाहि-
मि मे इत्तो अन्नयर मथारग ? तह० मथारग सय वा ए जा
ड्जा, परो वा देज्जा, फामुय एमण्णिज्ज जाव पडि० , पढमा
पडिमा ॥१००॥

ध्याया—इत्येतानि आयतनानि उपातिक्रम्य—अथ भिक्षु जानीयात् आभि-
चतमभि प्रतिमाभि सस्तारक्रमेपितु तत्र एतु इय प्रथमा प्रतिमा—स भिक्षु
वा भिक्षु २ उद्दिश्य २ सस्तारक याचेत्, तद्यथा—इक्कड वा, ऊठिन वा,
जन्तक वा, परक वा मयूरक वा, तृणक वा, सारक वा, कुश वा, कुर्चक वा,
विपलक वा, पलालक वा, म पूर्वमेव आलोचयेत्—आयुधम् इति वा भगिनि ।
(इति वा) दास्यामि मे इतोऽन्यतर सस्तारक ? तथाप्रकार सस्तारक स्वय वा
याचयेत् परो वा दधात् प्रासुकमेवणीय यान् प्रतिगृह्णीयात्, प्रथमाप्रतिमा ।

पदाय—इच्छेयाड—य सत्र पूर्वकिन । आयतण इ—वस्त्रा और सस्तारक क दापा का
स्वान है । उवाक्कम—इस प्रतिमक कक अथात् तन्गत दापा को दूर करके । अह भिक्खू—
अथ साधु । जाणिज्जा—यत् जान । इमाट्ट—एत । चर्जहि—चार । पणिमाहि—प्रतिमाया—
प्रतिमाया से स धु की । सथारग—सस्तारक का । एनित्तए—गवयणा करनी चाहिए । खल—
वान्धानकार मे है । तत्थ—एत वार प्रतिमाया—प्रतिमाया में स । इमा—यह । पढमा—पहली ।
पडिम—प्रतिमा—प्रतिज्ञा है अर्थात् अभिग्रह विगय है । से भिक्खू वा—वह साधु या साधु ।
उ हसिय २—ताम न व कर । सथारग—सस्तारक की । जाइज्जा—याचना करे । तमहा—जय
कि । इक्कड वा—तण विगय से निर्मित । ऊठिन वा—वास की त्वचा से निर्मित । जनुय वा—
तण मे निष्पन्न । परम वा—परक जिममे पुष्पादि मूय जाते हैं वह तण । मोरम वा—मयूर
विचय से निर्मित । तणय वा—तण विगय । सोरम वा—कीमल तण विगय म निर्मित । कम वा—
दूवा आदि से निष्पन्न । कुचवग वा—कूचक जिममे कूचक बन ए तान हैं उनका वाया हूपा ।
विपलम वा—पीपलक काष्ठ विगय से निर्मित और । पलम वा—गाला आदि के घाम से
यना हूपा सस्तारक । से—वह साधु । पुञ्चामेव—पहले ही । आलोड्जा—दल और वह कि ।
आजमोत्ति वा—ए आयुधम् । गहस्व । भ०—ह भगिनि । मे—मुञ्जका । इत्तो—एत सस्ता-
रकों में स । अन्नयर—पार्श्व एक । मथारग—सस्तारक । दाहिसि—योगी ? तह०—तथाप्रकार
क । सथरण—सस्तारक की । सय वा ण—स्वय—अपन धार । जाइज्जा—याचना करे । वा—

अथवा । परो—गृहस्थ बिना याचना किए ही । देज्जा—दे तो । फासुयं—उसे प्रासुक अथवा । एसणीयं—एषणीय मिलने पर । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण करे । पडमा पडिमा—यह पहली प्रतिमा अर्थात् अभिग्रह विशेष है ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी को वसती और संस्तारक सम्बन्धि दोषो को छोड़कर इन चार प्रतिज्ञाओ से संस्तारक की गवेषणा करना चाहिए इन चार प्रतिज्ञाओ में से पहली प्रतिज्ञा यह है—साधु तृण आदि का नाम ले-लेकर याचना करे । जैसे—इक्कड-तृण विशेष, कठिन वास से उत्पन्न हुआ तृण विशेष, तृण विशेष, तृणविशेषोत्पन्न, पुष्पादि के गुन्थन करने वाला मयूर पिच्छ से निष्पन्न संस्तारक, दूब, कुशादि से निर्मित संस्तारक पिप्पल और शाली आदि को पलाल आदि को देख कर साधु वहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा भगिनि ! वहन ! क्या तुम मुझे इन संस्तारको में से किसी एक संस्तारक को दोगी ? इसप्रकार के प्रासुक और निर्दोष संस्तारक की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ ही बिना याचना किए दे तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है । यह प्रथम अभिग्रह की विधि है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में निर्दोष संस्तारक की गवेषणा के लिए उदिष्ट, प्रेक्ष्य, तस्यैव और यथासस्तुतः चार प्रकार के अभिग्रह का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत प्रसंग में सूत्रकार को संस्तारक से तृण, घास-फूस आदि बिछौना ही अभिप्रेत है । अतः यदि साधु-साध्वी को बिछौने के लिए तृण आदि की आवश्यकता पड़े तो, उन्हें ग्रहण करने के लिए वह साधु या साध्वी जिस प्रकार का तृण या घास ग्रहण करना हो उसका नाम लेकर उसकी गवेषणा करे । अर्थात् तृण आदि की याचना के लिए जाने से पूर्व यह उद्देश्य बना ले कि मुझे अमुक प्रकार के तृण का संस्तारक ग्रहण करना है । जैसे— इक्कड, आदि के तृण, जिनका नाम मूलार्थ में दिया गया है । इस तरह उस समय एव आज भी साधु-साध्वी विभिन्न तरह के तृण एवं घास फूस के बिछौने का प्रयोग करते हैं । अतः संस्तारक सवन्धी

ॐ प्रस्तुत चार प्रतिज्ञाओ में से जिनकल्पी मुनि को तस्यैव और यथासस्तुत ये दो प्रतिमाएं ही कल्पती है । परन्तु, स्थविरकल्पी मुनि को चारों प्रतिमाएं कल्पती है ।

पहली प्रतिमा (अभिप्रह) है कि मातु यह निश्चय करे गणना कर कि मुझ सम्भारक के लिए अमुक तरह का तृण प्रार्थना करना है। इस तरह मातु किसी भी एक प्रकार के तृण का नाम निश्चित करके उमरी याचना करता है और यदि कोई गृहस्थ उसे उम तरह का तृण का आभारण कर तब भी वह उसे प्रदत्त कर सकता है। यह प्रथम प्रतिमा हुई।

अब दूसरी एव तीसरी प्रतिमा का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्— अथापरा दुच्चा पडिमा—से भिस्सू वा० पेशाए स थारग जाडज्जा, तजहा--गाहावड वा कम्मकरिं वा से पुत्रामेव आलोडज्जा- आउ० ? भड० ? दाहिमि मे ? जाय-पडिगाहिज्जा, दुच्चा पडिमा ।

अथापरा तच्चा पडिमा—मे भिस्सू वा० जस्सुत्तस्सण मयमिज्जा जे तत्थ अहाममन्नागए, तजहा डक्कडे ड वा जाय पला-ले ड वा तस्स लाभे मयसिज्जा, तस्सालाभे उक्कुट्टए वा नेमज्जिए वा विहरिज्जा, तच्चा पडिमा ॥१०१॥

ध्याया—अथापरा द्वितीया प्रतिमा, म भिक्षुर्वा० प्रेच्य मस्तारण याचन् तद्यथा—गृहपति वा कर्मरुगी वा स पूर्वमेव आलोचयद् आयुष्मन् । भगिनि ! दास्यमि मे ? यासन् प्रतिगृह्णीयाद्, द्वितीया प्रतिमा ।

अथाप । तृतीया प्रतिमा म भिक्षुर्वा० यस्योपाश्रये मयमेद् ये नत्र यथा समन्वागता तद्यथा-इत्थं इति वा यासन् पलान इति वा तस्य लाभ मयमेत् तस्यालाभे उत्कृष्टो वा निपगणो वा विहरन्, तृतीया प्रतिमा ।

पदाव-अथापरा - तथा ध्याय । दुच्चा पडिमा - दूसरी प्रतिमा का संक्षेप से वर्णन है । मे भिस्सू वा० - अभिप्रह करने वाला मातु या माध्वी ; सथारण - सम्भारक को ; पेशाए - प्रार्थना कर । जाडज्जा - याचना कर । तजहा - जगति । गाहावड वा - गृहपति का पदवा । कम्मकरि वा - कामा को । मे - वह भिक्षु मातु । पुत्रामेव - पुत्र ही । आलोडज्जा - आलोचन ही ।

कहे। आउ० !—हे आयुष्मन् ! गृहपते ! अथवा। चड०—हे भगिनि ! मे—मुझे। वाहिसि—यह संस्तारक दोगी ? जाव—यावत्। पडिगाहिज्जा—उसके देने पर उसे ग्रहण करे। दुच्चा-पडिमः यह दूसरी प्रतिमा है।

पदार्थ—अहावरा—अथ अन्य। तच्चा पडिमा—तीसरी प्रतिमा के सम्बन्ध में कहते हैं जैसे कि। से भिवखू वा०—साधु या साध्वी। जस्तुवस्सए—जिसके उपाश्रय में। संवसिज्जा—निवास करे। जे—जो। तत्थ—वहां पर अर्थात् उस उपाश्रय में। अहासपन्नागए—यावन्ममात्र उस उपाश्रय में संस्तारक हैं—जैसे कि। इक्कडेइ वा—इक्कड तृण विशेष। जाव—यावत्। पलालेइ वा—पलाल आदि से निर्मित संस्तारक हैं। तस्सलामे—अतः उसके मिलने पर। संवसिज्जा—वह वहां पर निवास करे अर्थात् उसके ऊपर गयनादि क्रिया करे। तस्सलामे—उसके न मिलने पर अर्थात् उपाश्रय में उक्त प्रकार के तृण आदि के संस्तारको के न मिलने पर। उक्कुडुए वा—वह उक्कुटुक आसन। नेसज्जिए वा—पद्म आसन आदि के द्वारा। विहरिज्जा—विचरे अर्थात् रात्रि व्यतीत करे। तच्चा पडिमा—यह तीसरी प्रतिमा है।

मूलार्थ—द्वितीया प्रतिमा यह है कि साधु या साध्वी गृहपति आदि के परिवार में रखे हुए संस्तारक को देखकर उस की याचना करे—यथा—हे आयुष्मन् ! गृहस्थ ! अथवा वहन ! क्या तुम मुझे इन संस्तारकों में से अमुक संस्तारक दोगी ? तब यदि निर्दोष और प्रासुक संस्तारक मिले तो उसे लेकर वे संयम साधना में संलग्न रहे।

मूलार्थ—तृतीया प्रतिमा यह है कि साधु जिस उपाश्रय में रहना चाहता है यदि उसी उपाश्रय में संस्तारक विद्यमान हो तो गृह-स्वामी की आज्ञा लेकर संस्तारक को स्वीकार करके विचरे, यदि उपाश्रय में संस्तारक विद्यमान नहीं है तो वह उक्कुटुक आसन, पद्मासन आदि आसनों के द्वारा रात्रि व्यतीत करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि गृहस्थ के घर में जो तृण आदि रखे हुए हैं, उन्हें देखकर साधु उसकी याचना करे और यदि वह प्रासुक एवं निर्दोष हों तो वह उन्हें ग्रहण करे। यह दूसरी प्रेक्ष्य प्रतिमा है। तीसरी प्रतिमा को स्वीकार करने वाला मृनि जिस उपाश्रय में ठहरना चाहता है उसी उपाश्रय में स्थित प्रासुक एवं निर्दोष तृण ही ग्रहण कर सकता है। यदि उपाश्रय में तृण आदि नहीं हैं तो वह उक्कुटुक या पद्मासन आदि

आमनों से ध्यानस्थ होकर रात चर्चित कर, परतु अथ स्थान से लापर तृण आदि न विद्राण । ये दोनों आमन प्रायोत्सर्ग से ही सम्पन्न हैं । अत इतका उन्हेर काथोत्सर्ग के लिए किया गया है । क्योंकि, प्रायोत्सर्ग का उन्हेर साधन आसन ही होता है । अत प्रस्तुत उन्हेर आमनों का उन्हेर करने का उन्हेर यही है कि यदि तृतीया प्रतिमाधारी मुनि को उपाश्रय मे सन्तारक प्राप्त न हो तो वह अपना समय ध्यान पर चिन्तन-मनन म व्यतीत करे ।

अत्र चतुर्थ प्रतिमा का उन्हेर करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—यथावरा चउत्था पडिमा—से भिक्षू वा यथासथड
मेव सथारग जाडज्जा, तजहा—पुढविसिल वा कट्ठसिल वा
यथासथडमेव, तस्स लाभे सते सबसिज्जा, तस्सालाभे उक्कुडुए
वा २ विहरिज्जा, चउत्था पडिमा ४ ॥१०२॥

छाया अथापरा चतुर्थी प्रतिमा—म भिक्षु वा यथासस्तृतमेव सन्तारक
याचेत् तद्यथा पृथ्वीशिला वा काष्ठशिला वा यथासस्तृतमेव तस्य लाभेसति
सप्तसेद् तस्यालाभ उक्कुडुने वा २ विहरेत्, चतुर्थी प्रतिमा ।

पदाव—यथावरा—अथ अथ । चउत्था पडिमा—चतुर्थी प्रतिमा का सम्बन्ध म कहते हैं, जम कि । म भिक्षू वा—वह साधु या सा वी । यथासथडमेव—जिस उपाश्रय में रहना चाहता है उस उपाश्रय में विद्याए हुए । सथारग—सन्तारक की । जाडज्जा—याचना करे । तजहा—जस कि । पुढविसिल वा—पृथ्वी का गिरा अथवा । कट्ठसिल वा—काष्ठ की गिरा-फलक आदि अथवा । यथासथडमेव—जो तथापि प ल से विद्याए हुए हैं । तस्स लाभे सते—उमके मिलन पर । सबसिज्जा—वत् वत् वि व म कर । तस्स दलाभे—घोर उमक न मिलने पर । उक्कुडुए वा—वह उक्कुटक आमन का उन्हेर आमन दि के आरा रात्रि व्यतीत करता हुआ । विहरिज्जा—वि च-सन्ध दिाए । यथा पडिमा—वह चौथी प्रतिमा है ।

मूलाथ—चतुर्थी प्रतिमा म यह अभिद्रह होता है कि—उपाश्रय म सस्ता क पहले से ही विद्या हुआ हो, या पत्थर की शिला या काष्ठ का तप्त विद्या हुआ हो तो वह उम पर गयन कर सकता है । यदि वहा कोई

भी संस्तारक बिछा हुआ न मिले तो पूर्व कथित आसनो के द्वारा रात्रि व्यतीत करे यह चौथी प्रतिमा है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में चतुर्थी प्रतिमा के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि उक्त प्रतिमा को स्वीकार करने वाला मुनि जिस उपाश्रय में ठहरे उस उपाश्रय में प्रासुक एवं निर्दोष तृण आदि पहले से बिछे हुए हों या पत्थर की शिला या लकड़ी का 'तख्त बिछा हुआ हो' तो वह उस पर शयन कर सकता है, अन्यथा तृतीया प्रतिमा में उल्लिखित आसनों के द्वारा रात्रि को आध्यात्मिक चिन्तन करते हुए व्यतीत करता है, परन्तु स्वयं संस्तारक बिछाकर शयन नहीं कर सकता है ।

इससे स्पष्ट होता है कि अन्तिम की दोनों प्रतिमाएं ध्यान एवं स्वाध्याय आदि की दृष्टि से रखी गई हैं । वृत्तिकार का भी यही मन्तव्य है । प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'कट्ट-सिल' पद का तात्पर्य काष्ठ के तख्त से ही है ।

संस्तारक सम्बन्धी प्रतिमाओं के विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—इच्छेयाणां चउशहं पडिमाणं अन्नयरं पडिमं पडिवज्ज-
माणो तं चेव जाव अन्नोऽन्नसमाहिए एवं च णं विहरन्ति ॥१०३॥**

छाया—इत्येतासां चतसृणा प्रतिमानामन्यतरा प्रतिमां प्रतिपद्यमानः तर्चचैव
यावद् अन्नोऽन्नसमाधिना एव च विहरन्ति ।

पदार्थ—इच्छेयाण—इन । चउण्ह—चार । पडिमाणं—प्रतिमाओं में से । अन्नयर
पडिम—किसी एक प्रतिमा को । पडिवज्जमाणे—ग्रहण करता हुआ अन्य प्रतिमाधारी साधु की
हीलना न करे किन्तु । तचेव—शेष वर्णन पिण्डपणा की तरह जानना । जाव—यावत् । अन्नोऽन्न
समाहिए—परस्पर समाधि के द्वारा बुद्धिमान साधु । एव—इस प्रकार से । विहरन्ति—विचरते
हैं । च णं—पूर्ववत् ।

मूलार्थ—इन चार प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण
करके विचरने वाला साधु, अन्य प्रतिमाधारी साधुओं की अवहेलना-

निन्दा न करे । किन्तु, सब साधु जिनेन्द्र देव, की आज्ञा में विचरते हैं ऐसा समझ कर परस्पर समाधिपूर्वक विचरण करे ।

हिंदी निवेदन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान की आज्ञा के, अनुरूप आचरण करने वाले सभी साधु समाधियुक्त एवं मोक्ष मार्ग के आराधक होने से व दनीय एवं पूजनीय हैं । अत उक्त चारों प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वाले मुनि को अन्य मुनियों को अपने से तुल्य समझकर गर्व नहीं करना चाहिए । क्योंकि, त्याग चारित्र्य परणोय कर्म के क्षयोपशम के अनुरूप ही ग्रहण किया जाता है । अत प्रत्येक चारित्रनिष्ठ मुनि का सम्मान करना चाहिए और अपने अहंकार का त्याग करके सबके साथ प्रेम-स्नेह रखना चाहिए ।

गृहस्थ से ग्रहण किए गए सस्तारक को वापिस लौटाने की विधि का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा अभिकखिज्जा सथारगं पञ्चपिणित्तए, से ज पुण सथारग जाणिज्जा सयड जाव ससताणय तहप्प० सथा रग नो पञ्चपिणित्तए ॥१०४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० अभिक्षत् मस्तारक प्रत्यर्पयितु स यत् पुन सस्तारक जानीयात् साण्ड यावत् ससन्तानक तथाप्रभार सस्तारक न प्रत्यर्पयेत् ।

पदार्थ—से भिक्षू वा—वह साधु या साध्वी । सथारगं—सस्तारक को । पञ्चपिणित्तए—गृहस्थ का पीछे देना । अभिकखिज्जा—चाहे तब । से—वह भिक्षु । ज पुण—जो फिर । सथारग—सस्तारक को । जाणिज्जा—जाने कि । सयड—जो सस्तारक भण्डो से युक्त । जाव—यावत । ससताणय—मकड़ी घाँस के जालों से युक्त है । तहप्पगार—उस प्रकार के । सथारग—सस्तारक को । नो पञ्चपिणित्तए—गृहस्थ को प्रत्यर्पण न करे अर्थात् गृहस्थ को वापिस न देवे ।

मूलाथ—साधु या साध्वी यदि प्रतिहारिक सस्तारक, गृहस्थ को वापिस देना चाहे तो वह सस्तारक भण्डो यावत मकड़ी के जाल आदि से

युक्त नहीं होना चाहिए। यदि वह इन से युक्त है तो वह उसे गृहस्थ को वापिस न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपनी नेशाय में स्थित प्रत्येक वस्तु की प्रतिलेखना करते रहना चाहिए। चाहे वह वस्तु गृहस्थ को वापिस लौटाने की भी क्यों न हो, फिर भी जब तक साधु के पास है, तब तक प्रतिदिन नियत समय पर उसका प्रतिलेखन करना चाहिए। जिससे उस में जीव-जन्तु की स्पृष्टि न हो। और उसे वापिस लौटाते समय भी प्रतिलेखन करके लौटानी चाहिए। यदि कभी संस्तारक पर किसी पक्षी ने अडे दे दिए हों या मकड़ी ने जाले बना लिए हों तो वह संस्तारक गृहस्थ को वापिस नहीं देना चाहिए। क्योंकि, गृहस्थ उसे शुद्ध बनाने का प्रयत्न करेगा और परिणामस्वरूप उन जीवों की घात हो जाएगी। इस तरह साधु के प्रथम महाव्रत में दोष लगेगा, अतः उन जीवों की रक्षा के लिए ऐसे संस्तारक को वापिस नहीं लौटाना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू० अभिकंखिज्जा सं० से जं० अप्पंडं० तहप्पगारं संधारगं पडिलेहिय २ प० २ आयाविय २ विहुणिय २ तथो संजयामेव पच्चपिणिज्जा ॥१०५॥

छाया—स भिन्नुः० अभिकांचेत् सं० स यत् अत्पांडं० तथाप्रकारं संस्तारकं प्रतिलिख्य २ प्र० २ आताप्य २ विधूय २ ततः संयतमेव प्रत्यर्पयेत्।

पदार्थ—से भिक्खू०—वह साधु या साध्वी। संधारगं—संस्तारक को गृहस्थ के प्रति अर्पण करना। अभिकंखिज्जा—चाहे तो। से—वह साधु। जं—जो संस्तारक। अप्पंडं—अटापि से रहित हो। तहप्पगारं—तथाप्रकार के संस्तारक को। पडिलेहिय २—दृष्टि से प्रतिलेखन करके। पमिज्जिय २—रजोहरण आदि से प्रमाजित करके। आयाविय २—सूर्य की आतापना देकर और। विहुणिय २—यत्नापूर्वक भाडकर। तथो—तदनन्तर। संजयामेव—यत्नापूर्वक। पच्चपिणिज्जा—गृहस्थ को वापिस लौटाए।

मूलार्थ—अण्डे एवं मकड़ी के जाले आदि से रहित जिस संस्तारक को

निन्दा न करे । किन्तु, सब साधु जिनेन्द्र देवकी आज्ञा में विचरते हैं ऐसा समझ कर परम्पर समाधिपूर्वक विचरण करे ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान की आज्ञा के, अनुरूप आचरण करने वाले सभी साधु समाधियुक्त एवं मोक्ष मार्ग के आराधक होने से वन्दनीय एवं पूजनीय हैं । अतः उक्त चारों प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वाले मुनि को अन्य मुनियों को अपने से तुल्य समझकर गर्व नहीं करना चाहिए । क्योंकि, त्याग चारित्र्य वरणाय कर्म के ज्योपशम के अनुरूप ही ग्रहण किया जाता है । अतः प्रत्येक चारित्र्यनिष्ठ मुनि का सम्मान करना चाहिए और अपने अहंकार का त्याग करके सबके साथ प्रेम-स्नेह रसना चाहिए ।

गृहस्थ से ग्रहण किए गए सस्तारक को वापिस लौटाने की विधि का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा अभिक्षिज्जा सधारगं पच्वपिणित्तए, से
ज पुण सधारग जाणिज्जा सयड जाव समताणय तहप्प० सथा
रग नो पच्वपिणित्तए ॥१०४॥

ध्याया—म भिक्षुवा० अभिक्षाक्षेत् सस्तारक प्रत्यर्पयितु स यत् पुन सस्तारक जानीयात् साएड यावत् ससन्तानक तथाप्रकार सस्तारक न प्रत्यर्पयेत् ।

पचाय—से भिक्षू वा—वह साधु या साध्वी । सधारग—सस्तारक को । पच्वपिणित्तए—गृहस्थ को पीछे देना । अभिक्षिज्जा—चाहे तज । से—वह भिक्षु । ज पुण—जो फिर । सधारग—सस्तारक को । जाणिज्जा—जाने कि । सयड—जो सस्तारक भण्डो से मुक्त । जाव—यावन । समताणय—मकड़ी आदि के जालों से युक्त है । तहप्पगार—जस प्रकार के । सधारग—सस्तारक को । नो पच्वपिणित्तए—गृहस्थ को प्रत्यर्पण न करे भर्थात् गृहस्थ को वापिस न देवे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी यदि प्रतिहारिक सस्तारक, गृहस्थ को वापिस देना चाह तो वह सस्तारक भण्डो यावत् मकड़ी के जाल आदि से

युक्त नहीं होना चाहिए। यदि वह इन से युक्त है तो वह उसे गृहस्थ को वापिस न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को अपनी नेश्राय में स्थित प्रत्येक वस्तु की प्रतिलेखना करते रहना चाहिए। चाहे वह वस्तु गृहस्थ को वापिस लौटाने की भी क्यों न हो, फिर भी जब तक साधु के पास है, तब तक प्रतिदिन नियत समय पर उसका प्रतिलेखन करना चाहिए। जिससे उस में जीव-जन्तु की स्पत्ति न हो। और उसे वापिस लौटाते समय भी प्रतिलेखन करके लौटानी चाहिए। यदि कभी संस्तारक पर किसी पक्षी ने अण्डे दे दिए हों या मकड़ी ने जाले बना लिए हों तो वह संस्तारक गृहस्थ को वापिस नहीं देना चाहिए। क्योंकि, गृहस्थ उसे शुद्ध बनाने का प्रयत्न करेगा और परिणामस्वरूप उन जीवों की घात हो जाएगी। इस तरह साधु के प्रथम महाव्रत में दोष लगेगा, अतः उन जीवों की रक्षा के लिए ऐसे संस्तारक को वापिस नहीं लौटाना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू० अभिकंखिज्जा सं० से जं० अप्पंडं० तहप्पगारं संथारगं पडिलेहिय २ प० २ आयाविय २ विहुणिय २ तन्नो संजयामेव पच्चपिण्णिज्जा ॥१०५॥

छाया—स भिक्खुः० अभिकाचोत् सं० स यत् अत्पांडं० तथाप्रकारं संस्तारकं प्रतिलिख्य २ प्र० २ आताप्य २ विधूय २ ततः संयतमेव प्रत्यर्पयेत्।

पदार्थ—से भिक्खू०—वह साधु या साध्वी। संथारगं—सस्तारक को गृहस्थ के प्रति अर्पण करना। अभिकंखिज्जा—चाहे तो। से—वह साधु। जं—जो सस्तारक। अप्पंड—अण्डादि से रहित हो। तहप्पगारं—तथाप्रकार के सस्तारक को। पडिलेहिय २—दृष्टि से प्रतिलेखन करके। पमिज्जिय २—रजोहरण आदि से प्रमाजित करके। आयाविय २—सूर्य की आतापना देकर और। विहुणिय २—यत्नापूर्वक भाडकर। तन्नो—तदनन्तर। संजयामेव—यत्नापूर्वक। पच्चपिण्णिज्जा—गृहस्थ को वापिस लौटाए।

मूलार्थ—अण्डे एवं मकड़ी के जाले आदि से रहित जिस सस्तारक को

साधु साध्वी वापिस लौटाना चाहे, तो वह उसका प्रतिलेखन करके, रजोहरण से प्रमाजित करके, सूर्य की धूप में सुना कर एव यत्ना पूर्वक भाड कर फिर गृहस्थ को लौटावे ।

हिन्दी विवेचन

इस सूत्र में बताया गया है कि साधु को गृहस्थ के घर से लाए हुए संस्तारक को वापिस लौटाने समय उसकी शुद्धता का पूरा खयाल रखना चाहिए । प्रतिदिन उसकी प्रति लेखना करनी चाहिए निम्नसे उस पर जीव ननु पैदा न हों, और वापिस लौटाने समय भी उसे अच्छी तरह से दम लेना चाहिए और रजोहरण से प्रमाजित कर लेना चाहिए निम्नसे उस पर बूड़ा कर्कट भी न जमा रहे । इतना ही नहीं, फिर उसे सूर्य की धूप में रखकर और भली भाँति भाड़ पोंछकर लौटाना चाहिए । इससे साधु जीवन की व्यवहारिकता पर विशेष प्रकाश डाला गया है । यदि वह उस संस्तारक को बिना माफ किए ही दे आएगा, तो गृहस्थ उसे साफ करके रखेगा और यह भा स्पष्ट है कि वह सफाई करते समय साधु जितना प्रियेक नहीं रख सकेगा, अतः साधु को ऐसी स्थिति ही नहीं आन देनी चाहिए कि उसने द्वारा उपभोग किए गए संस्तारक को साफ करने के लिए कोई अथना पूर्वक प्रयत्न करे । दूसरे में साफ की हुई वस्तु को देकर गृहस्थ के मन में फिर किसी साधु को देने की भावना सहज ही जागृत होगी और अस्वच्छ रूप में प्राप्त करके उसके मन में कुछ रोष भी आ सकता है । अतः गृहस्थ के यद्वा से लाए हुए संस्तारक आदि को यत्नापूर्वक साफ करके ही लौटाना चाहिए ।

साधु को वस्ती में किस तरह निवास करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगाम
 दूइज्जमाणे वा पुब्बामेव पन्नस्स उच्चारपासणभूमि पडि
 लेट्टिज्जा, केवली वूया —ग्रायाणमेय, अपडिलेहियाए उच्चार
 पामवण भूमीए, से भिक्खू वा० रायो वा विधाले वा उच्चार
 पासण परिट्ठवेमाणे पयलिज्ज वा २, से तत्थ पयलमाणे
 वा २ हत्थ वा पाय वा जान लूसेज्ज वा पाणाणि वा ४

ववरोविज्जा, अह भिक्षूणां पु० जं पुव्वामेव पन्नस्स उ० भूमिं
पडिलेहिज्जा ॥१०६॥

छाया—स भिक्षुर्वा० ममानो वा वसन् वा ग्रामानुग्रामं
गच्छन् वा पूर्वमेव प्राज्ञस्य उच्चारप्रस्रवणं भूमिं प्रतिलेखयेत् । केवली ब्रूयात्-
आदानमेतत् अप्रतिजिखिताया उच्चारप्रस्रवणभूमौ, स भिक्षुः वा० रात्रौ वा
विकाले वा उच्चारप्रस्रवणं—परिष्ठापयन् प्रस्रखलेद् वा सः तत्र प्रस्रखलन् वा०
हस्तं वा पादं वा यावत् लूपयेत् प्राणान् वा ४ व्यपरोपयेत्, अथ भिक्षूणां पूर्वो-
पदिष्टं यन् पूर्वमेव प्राज्ञस्य उच्चारप्रस्रवणं भूमिं प्रतिलेखयेत् ।

पदार्थ— से भिक्षू वा— वह साधु या साध्वी । समाणे वा— जघादि बल से क्षीण होने
के कारण किसी एक स्थान में रहता हुआ । वसमाणे वा— वस्ती में मास कल्पादि करके निवास
करता हुआ । ग्रामानुग्रामं दूइज्जमाणे वा— ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार करता
हुआ जहाँ पर जाकर रहे वहाँ पर । पुव्वामेव— पहले ही । पन्नस्स— प्रज्ञावान् साधु को योग्य
है कि वह । उच्चार पासवणं भूमि— उच्चार—मल—मूत्र त्यागने की भूमि को । पडिलेहिज्जा—
अपनी दृष्टि से भली-भांति अवलोकन करे, क्योंकि । केवली ब्रूया— केवली भगवान् कहते हैं ।
आयाणमेयं— कि यह कर्म बन्धन का कारण है । क्योंकि । अपडिलेहियाए— विना प्रतिलेखन की
हुई । उच्चारपासवणं भूमि— मल-मूत्र परिह्राग करने की भूमि में । से भिक्षू— वह भिक्षु
कदाचित् । रात्रौ वा— रात्रि में । विकाले वा— विकाल में । उच्चार पासवण— मल-मूत्र को
परिष्ठापयणे— परठना हुआ । पयलज्ज वा २— फिसल जाए या गिर पड़े तो । तत्थ— वहाँ
पर । पयलमाणे वा २— उसके फिसलने-एव गिरने से । से— उसके । हत्थ वा— हाथ । पाय वा—
या पैर । जाय— यावत् अन्य कोई शरीर का अंग ही । लूसेज्ज वा— टूट जाएगा या । पाणाणि
वा— अन्य किसी व्रस प्राणी का । ववरोविज्ज वा— विनाश हो जाएगा । अह भिक्षूणां— इस
लिए साधु को । पु०— तीर्थंकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि । जं— जो । पन्नस्स—
प्रज्ञावान् साधु को चाहिए कि वह । पुव्वामेव— पहले ही । उ० भूमि— मल-मूत्र त्यागने की भूमि
का । पडिलेहिज्जा— सम्यक्तया अवलोकन करे ।

मूलार्थ— जो साधु या साध्वी जघादि बल से क्षीण होने के कारण
एक स्थान में स्थित हो, या उपाश्रय में मास कल्पादि से रहता हो या ग्रामा-
नुग्राम विहार करता हुआ उपाश्रय में आकर रहे तो उस बुद्धिमान साधु

को चाहिए कि वह जिस स्थान में ठहरे, वहाँ पर पहले मल-मूत्र का त्याग करने की भूमि को अच्छी तरह से देख ल । क्योंकि भगवान ने बिना देखी भूमि को कर्म बधन का कारण कहा है । बिना देखी हुई भूमि में कोई भी साधु या साध्वी रात्रि में घबरा बिकाल में मल मूत्रादि को परठता हुआ यदि कभी पैर फिसलने से गिर पड़े, तो उसके फिसलने या गिरने से उसके हाथ पैर या शरीर के किसी अवयव को आघात पहुँचेगा या उसके गिरने से वहाँ स्थित अन्य किसी क्षुद्र जीव का विनाश हो जाएगा । यह सब कुछ संभव है, इसलिए नीचकरादि आप्त पुरुषों ने पहले ही भिक्षुओं को यह आदेश दिया है कि साधु को उपाश्रय में निवास करने से पहले वहाँ मल-मूत्र त्यागने की भूमि की अवश्य ही प्रतिलिखना कर लेनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

इस सूत्र में साधु को यह आदेश दिया गया है कि वह निम्न मकान में स्थाना पति रहना चाहे या माम एव वर्षाणाम कल्प के लिए ठहरे या विहार करते हुए कुछ समय के लिए ठहरे, तो उसे न्यून मकान में मल-मूत्र त्याग करने की भूमि अग्रय देख लेनी चाहिए । क्योंकि, यदि वह तिन में उक्त भूमि की प्रतिलिखना नहीं करेगा तो सम्भव है कि रात्रि के समय भूमि की विममता आदि का ज्ञान न होने से उमका पैर फिसल जाए और परिणाम स्वरूप उसके हाथ पैर में चोट आ जाए और उसके शरीर के नीचे दब कर छोटे मोटे जीव-जंतु भी मर जाएं । इस लिए भगवान ने सबसे पहले मल मूत्र का त्याग करने की भूमि का प्रतिलिखन करना जरूरी बताया है और बिना देखी भूमि में मल मूत्र का त्याग करने की प्रवृत्ति को कर्म बध का कारण बताया है ।

अन्य सस्ताक भूमि का बखन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मे भिक्षु वा २ अभिकसिज्जा सिज्जा सधारग-
भूमि पडिलेहित्तए, नन्नत्थ यायरिएण वा उ० जाव गणानच्छेएण
वा बालेण वा चुड्डेण वा सेहेण वा गिलाणेण वा याएसेण वा
अनेण वा मज्जेण वा समेण वा विसमेण वा पयाएण वा नि

वाएण वा तत्रो संजयामेव पडिलेहिय २ पमिज्जिय २ तत्रो सं-
जयामेव बहुफासुयं सिज्जासंथारगं संथरिज्जा ॥१०८॥

छाया—स भिक्षुर्वा २ अभिकांक्षेत् शय्यासंस्तारकभूमिं प्रतिलेखयितु
नान्यत्र आचार्येण वा उपाध्यायेन वा यावत् गणावच्छेदकेन वा बालेन वा वृद्धेन
वा शैक्षेण वा ग्लानेन वा आदेशेन वा अन्तेन वा मध्येन वा समेन वा विषमेण
वा प्रवातेन वा निर्वातेन वा ततः संयतमेव प्रतिलिख्य प्रतिलिख्य प्रमृज्य
प्रमृज्य ततः संयतमेव बहुप्रासुक शय्यासस्तारकं सस्तरेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू वा —वह साधु या साध्वी । सिज्जासथारगं भूमि—शय्या
सस्तारक की भूमि का । पडिलेहित्ए—प्रतिलेखन करना । अभिकखेज्जा—चाहे । नन्तय—
इतना विशेष है कि । आयरिएण वा—आचार्य । उ०—उपाध्याय । जाव—यावत् । गणा-
वच्छेएण वा—गणावच्छेदक अथवा । बालेण वा—बालक साधु । बुढेङ्ण वा—वृद्ध साधु ।
सेहेण वा—नव दीक्षित साधु । गिलाणेण वा—रोगी या । आएसेण वा—मेहमान, साधु ने
शयन करने के लिए जो भूमि स्वीकार कर रखी है उसको छोड़कर उपाश्रय के । अतेण वा—
अन्दर या । मज्झेण वा—मध्य स्थान मे । समेण वा—सम स्थान मे । विसमेण वा—विषम
स्थान मे । पवाएण वा—अत्यन्त वायु युक्त स्थान मे । निवाएण वा—वायु रहित स्थान मे ।
तत्रो—तदनन्तर । संजयामेव—यतना पूर्वक । पडिलेहिय २—भूमि की प्रतिलेखना करके,
पमिज्जिय २—और प्रमार्जना करके । तत्रो—तत् पश्चात् । संजयामेव—यतना पूर्वक ।
बहुफासुयं—अत्यन्त प्रासुक । सिज्जा संथारगं—शय्या सस्तारक को । संथरिज्जा—विछाये ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी यदि शय्या सस्तारक भूमि की प्रतिलेखना
करनी चाहे तो आचार्य, उपाध्याय यावत् गणावच्छेदक, बाल, वृद्ध, नव दी-
क्षित, रोगी और मेहमान रूप से आए साधु के द्वारा स्वीकार को हुई
भूमि को छोड़कर उपाश्रय के अन्दर, मध्यस्थान में या सम और विषम
स्थान में या वायु युक्त और वायु रहित स्थान में भूमि की प्रति-
लेखना, और प्रमार्जना करके तदनन्तर अत्यन्त प्रासुक शय्या-संस्तारक
को विच्छाये ।

हिंदी निवेदन

प्रस्तुत सूत्र में शयन करने की विधि का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि साधु को आमन विज्ञाते समय यह देवता चाहिए कि प्राचाय, उपाध्याय आदि ने कहा आमन लगाया है। उठने जिस स्थान पर आमन किया हो उस स्थान को छोड़कर शेष अग्रशिष्ट भाग में राम विषम, ढाण्डार या जिना हवा वाली जैसी भी भूमि को उसका प्रति लेखन करके वहां पर आमन करना। इसका तात्पर्य यह है कि वह आचाय आदि की सुविधा का ध्यान अवश्य रखे। इससे लिए वह विषम एवं जिना हवादार भूमि पर आसन अवश्य करले, परन्तु, उसके लिए किसी के स्थान का परिवर्तन न करे और न परिवर्तन करने के लिए स्पर्श करे। इससे साधु ममान के पारस्परिक प्रेम स्नेह का भाव अभिव्यक्त होता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'सिञ्जा सधारण' का अर्थ है शयना या आमन करने का उपकरण।

साधु को सस्तारक पर कैसे बैठना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० बहु० सयरित्ता अभिकखिजा—
वहुफासुए सिञ्जासधारण दुरुहित्तए ॥ से भिक्षू० बहु० दुरुह-
माणो पुव्वामेव ससीसोवरिय काय पाए य पमज्जिय २ तयो सज
यामेव बहु० दुरुहित्ता तयो मजयामेव बहु० सहज्जा ॥१०८॥

छाया— से भिक्षु वा० बहु० सस्तीय अभिकाक्षेत्र बहुप्रासुके गय्यासस्ता
रव दूगेहित्तु, से भिक्षु बहु० दूरोहन् पूर्वमेव सशीषोपरिक काय पादौ च
प्रमूज्ज २ तत सयतमेव बहु० दूरुघ्ण ता सरतमवद्दु० शयीत ।

पदार्थ—से भिक्षू वा० वह साधु या साध्वी । बहु०—बहु प्रासुक शयना सस्ता
रक को । सयरित्ता—बिद्या करके । बहुफासुए—बहु प्रासुए । सिञ्जासधारण—छाया सस्ता क
पर । दुरुहित्तए—बैठना । अभिकखिजा—चाह तो—प्रव सूत्रक र बठने के विषय में कत है ।

ने निरस्तुं - यह माधु या माधुी । वहु० - यह प्रामुक्त शय्या संस्कारक पर । दुग्हमाणे - बैठता हुआ । पुच्छामेव - बैठने में पहले ही । मनीषीपरिवत्प्रत्य - मीर-मिर के उदर का भाग घोर रूप से शरीर, तथा । प.ए - पर पर्वत । समञ्जित २ - शरीर शरीर का प्रमाजित कार्य । तयो - नरनक्षत्र । संजयामेव - माधु या माधुी शय्या पुष्प । वहु० - यह प्रामुक्त शय्या संस्कारक पर बैठे । दुग्हिता - बैठकर । तयो - शरीर शरीर । संजयामेव - मयन - माधु या माधुी । वहु० - यह प्रामुक्त शय्या संस्कारक पर यत्ना पूर्वक । महज्जा - मयन करे ।

मूलार्थ—साधु या साधुी प्राणुक शय्यानरनारक पर जत्र बैठकर शयन करना चाहें तत्र पहले मिर में लेकर पैरो तक शरीर को प्रमाजित करके फिर यत्ना पूर्वक उक्त पर शयन करे ।

द्विन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु संस्कारक को यत्ना पूर्वक धिलाने के बाद उस पर शयन करने से पहले अपने शरीर का मिर में लेकर पैरों तक प्रमाजित कर ले । क्योंकि, यदि शरीर पर कोई चुट्ट जन्तु चढ़ गया हो या बैठ गया हो तो उसको हिसा न हो जाए और शरीर पर लगी हुई धूल से वस्त्र भी मँले न हों । अस्तु, संयम की साधना को शुद्ध बनाए रखने के लिए साधु को शरीर का प्रमाजित करके ही शयन करना चाहिए ।

शयन किस तरह करना चाहिए, उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० बहु० सयमाणो नो अन्नमन्नस्स हत्थेण हत्थं, पाएण पायं, कायेण कायं आसाइज्जा, से अनासाय-माणो तथो संजयामेव बहु०सइज्जा ॥ से भिक्खू वा० उस्सासमाणो वा, नीसासमाणो वा, कासमाणो वा, छीयमाणो वा, जंभायमाणो वा, उड्डोए वा, वायनिसग्गं वा करेमाणो पुव्वामेव आसयं वा, पोसयं वा पाणिणा परिपेहिता तथो संजयामेव ऊससिज्जा वा जाव वायनिसग्गं वा करेज्जा ॥१०६॥

छाया—स भिक्षुर्वा० बहू० शयान न अन्योऽन्यस्य हस्तेन हस्त, पादेन पाद, कायेन काय आशातयेत् स अनाशातयन् तत सयतमेव बहू० शयीत । सभिक्षु० वा० उच्छ्वसन् वा निश्वासन् वा कासमान वा क्षुतकुर्वाण, वा जृम्भमाणो वा उद्गिरन् वा वातनिसर्गं कुर्वन् वा पूर्वमेव वा आस्य वा पोष्य वा पाणिना परिपिधाय तत सयतमेव उच्छ्वासेत् ना यावत् वातनिसर्गं वा कुर्यात् ।

पदाथ—से भिखलू वा—वह साधु या साध्वी । बहू०—बहु प्रासुक गम्या सस्तारक पर । सयतमाने—शयन करता हुआ । अनमनस्त—परस्पर एक साधु दूसरे साधु के प्रति । हृत्थेण हृत्थ—अपने हाथ से दूसरे के हाथ को । वाएण—पर से दूसरे के । वाय—पर को । कायेण काथं—शरीर से दूसरे के शरीर को । नो आसाइज्जा—आशातना न करे । से—वह साधु । अणासायमाने—आशातना न करता हुआ । तन्नो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्ना पूर्वक । बहू०—प्रासुक गम्या सस्तारक पर । सइज्जा—शयन करे ।

पदाथ—से भिखलू वा—वह साधु भयवा साध्वी । उस्तासमाने वा—उच्छ्वास लेता हुआ, भयवा । नीसासमाने वा—निश्वास लेता हुआ इसी प्रकार । कासमाने वा—खासना हुआ । छीयमाने वा—छीकता हुआ । जमायमाने वा—जवामी लेता हुआ । उच्छ्वाएण—उच्छ्वास लेता हुआ भयवा । वायनिसर्गं वा करेमाने—अपान वायु को छोड़ता हुआ । पुव्वामेव—पहले ही । आसय वा पोसय वा—मुख को, या गुण को । पाणिना—हाथ से । परिपेहिता दाप कर । तन्नो—तत प्रश्चात् । सजयामेव—यत्ना पूर्वक । अससिज्ज वा—उच्छ्वास ले । जाव—यावत् । वायनिसर्गं वा—अपान वायु का निस्तरण । करेज्जा—करे अर्थात् घघो द्वार से वायु को छोड़े ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी शयन करते हुए परस्पर एक दूसरे को अपने हाथ से दूसरे के हाथ की, पैर से दूसरे के परको और शरीर से दूसरे के शरीर का आशातना न करे । अर्थात् इनका एक दूसरे से स्पर्श न हो । किन्तु आशातना न करते हुए ही शयन करे ।

मूलार्थ—इसके अतिरिक्त साधु या साध्वी उच्छ्वास अथवा निश्वास लेता हुआ खासता हुआ, छीकता हुआ, जवामी लेता हुआ अथवा अपान वायु को छोड़ता हुआ पहले ही मुख या गुण को हाथ से ढाँपकर उच्छ्वास ले या अपान वायु का परित्याग करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को शयन करते समय अपने हाथ-पैर से एक-दूसरे माधु की अशातना नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर एवं हाथ-पैर का दूसरे के शरीर आदि से स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि, ऐसी प्रवृत्ति से शारीरिक कुचेष्टा एवं अविनय प्रकट होता है, और मनोवृत्ति की चञ्चलता एवं मोहनीय कर्म की उदीरणा के कारण मोहनीय कर्म का उदय भी हो सकता है। अतः साधु को शयन करते समय किसी भी माधु के शरीर को हाथ एवं पैर आदि से स्पर्श नहीं करना चाहिए।

यदि साधु को श्वासोच्छ्वास, छींक आदि के आने पर जो मुंह एवं गुदा स्थान पर हाथ रखने का कहा गया है, उसका अभिप्राय इतना ही है कि उससे वायुकायिक जीवों की हिंसा न हो। प्रस्तुत प्रसंग में इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह वर्णन सामान्य रूप से चलने वाले श्वासोच्छ्वास के लिए नहीं, अपितु विशेष प्रकार के श्वासोच्छ्वास के लिए है। आगम में लिखा है कि फूंक आदि मारने से वायु काय की हिंसा होती है, इसलिए साधु को इस तरह से यत्न करने का आदेश दिया गया है॥

कुछ लोगों का कहना है कि भाषा के पुद्गल चार स्पर्श वाले होते हैं अतः वे आठ स्पर्श वाले वायुकाय की हिंसा कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान यह है कि भाषा-वर्गणा के पुद्गल उत्पन्न होते समय चार स्पर्श वाले होते हैं, परन्तु भाषा के रूप में व्यक्त होते समय आठ स्पर्श वाले हो जाते हैं। इसी कारण शरीर से उत्पन्न होने वाली अचित्त वायुकाय को आठ स्पर्श युक्त माना गया है और वह ५ प्रकार की मानी गई है†। अतः मुड से निकलने वाली वायु से वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है।

यहां एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब साधु-साध्वी मुख पर मुखवस्त्रिका लगाते हैं, तब फिर श्वासोच्छ्वास से होने वाली वायुकायिक जीवों की हिंसा को रोकने के लिए मुह पर हाथ रखने की क्या आवश्यकता है? हम यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यहा सामान्य रूप से चलने वाले श्वासोच्छ्वास के समय मुंह पर हाथ रखने का विधान नहीं किया है। यह विधान विशेष परिस्थिति के लिए है— जैसे उवासी, डकार एवं छींक आदि के समय जोर से निकलने वाली वायु का वेग मुखवस्त्रिका से नहीं रुक सकता है, ऐसे समय पर मुंह पर हाथ रखने का आदेश दिया गया है और मुख के साथ नाक का भी

॥ प्रश्न व्याकरण सूत्र, अ० १, दशवैकालिक सूत्र, अ० ४ ।

† पञ्चविहा अचिता वाजकाइया प० तं० अक्कंते, धते, पीलिए, सराराणुगए, संमुच्छिमे ।

प्रहण किया गया है। जैसे मुख से निकलने वाली वायु व बग को रोकने के लिए मुख पर हाथ रखने को कहा है, उसी तरह अपान वायु के वेग को रोकने के लिए गुदा स्थान पर भी हाथ रखने का आदेश दिया है। इससे यह मानना पड़ेगा कि उस समय लघु चोलपट्टक (घोती के स्थान में प नने का उक्षर) भी नहीं रखते थे। परन्तु ऐसी बात नहीं है। आगम में चोलपट्टक एव मुखप्रक्षिका दोनों का विधान मिलता है। अब इन प्रसंगों पर उक्त स्थानों पर हाथ रखने का उद्देश्य केवल प्रायुक्त्यायिक जीवा की रक्षा करना ही है। -

अत्र सामान्य रूप में शय्या का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० समा वेगया सिज्जा भविज्जा विस-
मा वेगया सि० पवाया वे० निवाया वे० ससरक्खा वे० यप्पसस-
रक्खा वे० सदसमसगा वे० यप्पदसमसगा० सपरिमाडा वे० यप-
रिसाडा वे० सउवसग्गा वे० निरुवसग्गा वे० तहप्पगाराहि सिज्जा
हि सविज्जमाणाहि पग्गहियतराग विहार विहरिज्जा नो कि
चिवि गिताइज्जा, एव खनु० ज सव्वट्ठेहि महिए सया जए
त्तिवेमि ॥११०॥

छाया—स भिक्षुर्वा० समा वा एकदा शय्या भवेत् विपमा वा एकदा
शय्या० प्रवाता वा० निर्वाता वा० मरजस्का वा० अल्परजस्का वा०
सदशमशका वा० अल्पदशमशका वा० सपरिशाटा वा० अपरिशाटा वा०
सोपसर्गा वा० निरुपसर्गा वा० तथाप्रकाराभि शय्याभिः सविद्यमानाभि
प्रसृहीतसर विहार विहरेत् न किञ्चिदपि ग्लान्येत् एव खलु० यत् सर्वार्थः
सहित सदा यतेत इति श्रयीमि ।

पदाय—से—उस । भिक्षू वा०—साधु या साध्वी को । वेगया—किसी समय ।

समासिञ्जा—सम शय्या । भविञ्जा—मिलती है । वेगया—अथवा किसी समय । विषमा सि०—विषम शय्या मिलती है । वे०—कभी । पवाया—वायु युक्त शय्या मिलती है । निवाया वे०—कभी वायु रहित शय्या मिलती है । ससरवखा वे०—कभी रजस युक्त शय्या मिलती है तो । अप्ससरवखा वे०—कभी रजसे रहित शय्या प्राप्त होती है । वेगया—किसी समय । सदंसमसगा—डाम मच्छर युक्त शय्या, उपलब्ध होती है । अप्सरसमसगा—किसी समय दशमश्रादिसे रहित शय्या मिलती है । रुपरिसाटा वे०—अथवा किसी समय अत्रप्रकार से गिरी हुई शय्या मिलती है । अपरिसाटा०—या दृढ बनी हुई तथा जनाकीर्ण शय्या मिलती है । सउवसगा वे०—अथवा किसी समय उपसर्गादि युक्त शय्या मिलती है । निरुवसगा वे०—या कभी उपसर्ग रहित शय्या प्राप्त होती है । तहस्पगाराहि—तथा प्रकार की सिञ्जाहि—शय्याओ की । दिञ्जमाणाहि—उपस्थिति में । पग्गहियतरागं—उन्हे ग्रहण करके । विहार विहरिञ्जा—विहार करता हुआ विचरे । नो किचिचि गिलाइञ्जा—किन्तु किचिन्मात्र भी खेद को प्राप्त न हो । एवं खलु—इस प्रकार निश्चय ही वह साधु या साध्वी साधु के सम्पूर्ण आचार से निष्पन्न होता है । जं—जो । सव्वड्डेहि—ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से । सया—सदा । सहिए—युक्त हो कर विचरने का । जए—यत्न करे । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—सयम शील साधु या साध्वी को किसी समय सम या विषम शय्या मिले, हवादार या कम हवा वाला स्थान प्राप्त हो, इसी प्रकार धूलियुक्त या धूलिरहित, अथवा डांस मच्छर युक्त या उसके बिना की शय्या मिले, इसी भाँति सर्वथा गिरी हुई, जीर्ण-शीर्ण अथवा सुदृढ शय्या मिले या उपसर्ग युक्त या उपसर्ग रहित शय्या मिले, इन सब प्रकार की शय्याओ के प्राप्त होने पर वह उनमें समभाव से निवास करे । किन्तु मानसिक दुःख एव खेद का विल्कुल अनुभव न करे । यही भिक्षु का सम्पूर्ण भिक्षु भाव है । जो कि सर्व प्रकार से ज्ञान दर्शन और चारित्र्य से युक्त होकर तथा सदा समाहित होकर विचरने का यत्न करे । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को हर परिस्थिति में समभाव रखना चाहिए । चाहे उसे सम शय्या मिले या विषम मिले, सर्दी-गर्मी के अनुकूल स्थान मिले या अतिकूल मिले, डांस-मच्छर एव धूल आदि से युक्त स्थान मिले या इनसे रहित मिले । कहने

का तात्पर्य यह है कि अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में उसे समभाव रखना चाहिए। अनुकूल स्थान मिलने पर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए और प्रतिकूल मिलने पर द्वेष नहीं करना चाहिए। साधु को राग-द्वेष से ऊपर उठकर विचरना चाहिए। मृत्युत यही साधुता है और इस पथ पर गतिशील साधक ही अपनी साधना में सफल होकर साध्य को प्राप्त कर सकता है।

‘त्तिवेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥

तृतीय अध्यायन ईर्यैषणा

प्रथम उद्देशक

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्यायन में संयम साधना को गतिशील बनाए रखने के लिए साधु को कैसा आहार-पानी ग्रहण करना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है और द्वितीय अध्यायन में यह बताया गया है कि गृहस्थ के घरों से ग्रहण किया गया निर्दोष आहार-पानी करने तथा ठहरने के लिए साधु को कैसे मकान की, किस तरह से गवेषणा करनी चाहिए। और प्रस्तुत अध्यायन में ईर्या समिति का वर्णन किया गया है। आहार आदि लाने के लिए तथा एक गांव से दूसरे गांव को जाते समय साधु को गमन करना पड़ता है। अतः साधु को कब, क्यों और कैसे गमन करना चाहिए, यह प्रस्तुत अध्यायन में बताया गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ने पर विवेक एवं यत्ना पूर्वक गमन करने की क्रिया को आगमिक भाषा में ईर्या समिति कहते हैं। यह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से ४ चार प्रकार की होती है। सचित्त, अचित्त एवं मिश्रित पदार्थों के गतिशील होने की क्रिया को द्रव्य ईर्या कहते हैं। जिस क्षेत्र में गमन किया जाए वह क्षेत्रईर्या और जिस काल में गति की जाए वह कालईर्या कहलाता है। भावईर्या संयम और चरण के भेद से दो प्रकार की है। १७ प्रकार के संयम में गति करना संयमईर्या है और चरणईर्या आलम्बन, काल, मार्ग और यत्ना के भेद से ४ प्रकार की है। शासन, संघ, गच्छ आदि की सेवा के प्रयोजन से गति करना आलम्बन है। गति करने योग्य काल में गमन करना काल ईर्या है, सुमार्ग पर गति करना मार्गईर्या है और संघ आदि के प्रयोजन से उपयुक्त काल में अच्छे मार्ग पर विवेक एवं यत्ना पूर्वक गति करना यत्नाईर्या है। यत्ना और विवेक के साथ चलने वाला साधक पाप कर्म का बन्ध नहीं करता है॥

इस ईर्या-एषणा अध्यायन के तीन उद्देशक हैं। प्रथम उद्देशक में बताया गया है कि साधु को कब विहार करना चाहिए और यदि कहीं मार्ग में नदी आदि हो तो उसे कैसे

॥ जय चरे, जय चिट्ठे, जयमासे जय सए ।

जय भुञ्जन्तो-भासन्तो, पावकम्म न वधर ॥

पार करना चाहिए। द्वितीय उद्देशक में यह अभिव्यक्त किया गया है कि नौका से नौ पार करते समय यदि नाविक छल-रफट से बर्ताव करे तो उस समय साधु को क्रोध करना चाहिए। और तृतीय उद्देशक में गति करते समय अर्द्धसा, सत्य आदि की रक्षा कैसे करना चाहिए, इसका विस्तार से बखन किया गया है। प्रस्तुत उद्देशक में वर्षावास कल्प समाप्त होते ही विहार करने का आदेश देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अभुवगए खलु वासावासे अभिपवुट्ठे वहवे पाणा,
अभिसभूया वहवे वीया अहुणाभिन्ना अतरा से मग्गा बहु-
पाणा, बहुवीया जाव ससताणगा अणभिव्वक्ता पथा नो वि-
न्नाया मग्गा सेव नच्चा नो गामाणुगाम दूडज्जिजा, तयो सज-
यामेव वासावास उवल्लिइज्जा ॥१११॥

ध्याया—अभ्युपगते खलु वर्षावासे अभिपवृष्टे वहवः प्राणिन अभिसभूता
बहूनि वीजानि अधुना भिन्नानि अन्तराले तस्य मार्गा बहुप्राणिन बहुवी
जा यावत् ससन्तानका अनभिद्रान्ता पन्थान नो विज्ञाता मार्गा म
एव छात्वा न ग्रामानुग्राम यायात् तत सयतमेव वर्षावासम् उपलीयेत ।

पदार्थ—खलु—वाक्यालंकार में है। वासावासे—वर्षावास के नामने। अभुवगए—
प्राणियों पर। अभिपवृष्टे—वर्षा ऋतु अर्थात् आषाढ ऋतुमसि व पहले ही वर्षा के हो जाने से
बहुवे पाणा—बहुत से द्वीद्वय प्राणि जीव। अभिसभूया—उत्पन्न हो गए हैं और। बहुवे
वीया—बहुत से बीज। अहुणाभिन्ना—प्रकुरित हो गए हैं अर्थात् वरसात व कारण उत्पन्न
हुए अकुरो स पथी हरी मरी हो गई है। अतरामग्गा—मार्ग के मध्य में। से—उत्त भिपु
का विहार करना कठिन हो गया है, क्योंकि मार्ग में। बहुपाणा—बहुत से प्राणी और। बहु
वीया—बहुत से बीज। आध—दावत्। रुस्ताणगा—वृत्त स ज स २१५ २ हो गए हैं तथा
वर्षा के कारण। अणभिव्वक्तापथा—जनता के अनुनायकन व अभय स मार्ग अवरुद्ध हो गया
है तथा रास्ते में हरिदासी के उत्पन्न हो जान स। नो विनाया मग्गा—मार्ग एवं उमाग का
पता नहीं लगता है। देव—यह साधु इस प्रकार। नपथा—जानकर। गामाणुगाम—एक ग्राम
में दूसरे ग्राम की ओर। ना दूडज्जिजा—विहार न करे किन्तु। सजयामेव—तदवसाधु।
तयो—तत्पन्तर। वासावास—वहीं वर्षावास। उवल्लिइज्जा—करे।

मूलार्थ—वर्षाकाल में वर्षा हो जाने से मार्ग में बहुत नै प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं तथा बीज अंकुरित हो जाते हैं, पृथिवी घान आदि से हरी हो जाती है। मार्ग में बहुत नै प्राणी, बहुत से बीज तथा जल आदि की उत्पत्ति हो जाती है, एवं वर्षा के कारण मार्ग अवबद्ध हो जाने से मार्ग और उन्मार्ग का पता नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में साधु को एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विहार नहीं करना चाहिए। किन्तु वर्षाकाल के समय एक स्थान पर ही स्थित रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि साधु वर्षा काल पर्यन्त भ्रमण न करे किन्तु एक ही स्थान पर ठहरे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को वर्षा काल में विहार करने का निर्देश दिया गया है। एक वर्ष में तीन चातुर्मास होते हैं—१-श्रीष्म, २-वर्षा और ३-हेमन्त। इनमें वर्षाकाल में ही साधु को एक स्थान में स्थित होने का आदेश दिया गया है क्योंकि वर्षाकाल में पृथ्वी शम्य-श्यामला हो जाती है, लुप्त जन्तुओं की उत्पत्ति घट जाती है और हरियाली एवं पानी की अधिकता के कारण मार्ग अवबद्ध हो जाते हैं। अतः उस समय विहार करने से अनेक जीवों की विराधना होना संभव है। इस कारण साधु को वर्षाकाल में विहार नहीं करना चाहिए।

इससे स्पष्ट होता है कि आपाढ़ पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक विहार नहीं करना चाहिए। यदि कभी आपाढ़ी पूर्णिमा से पूर्व ही वर्षा प्रारम्भ हो जाए और चारों तरफ हरियाली छा जाए तो साधु को उसी समय से एक स्थान पर स्थित हो जाना चाहिए और वर्षावास के लिए आवश्यक वस्त्र आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि, वर्षावास में वस्त्र आदि ग्रहण करना नहीं कल्पता, इसलिए साधु उनका वर्षावास के पूर्व ही संभ्रमण कर ले।

वर्षावास का प्रारम्भ चन्द्रमास से माना गया है। अतः वह श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को समाप्त होता है। शाकटायन ने भी आपाढ़, कार्तिक एवं फाल्गुन की पूर्णिमा को चातुर्मास की पूर्णिमा स्वीकार किया है। उसने भी वर्ष में तीन चातुर्मासी को

माय क्रिया है।

इससे हम इन निष्कर्ष पर पहुँचे कि माय की वर्षामाल म विहार नहीं करना चाहिए। परन्तु, वर्षामाल के लिए साधु को इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए इसका अल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा० सेज्ज गाम वा जाव रायहाणि वा
इममि खलु गामसि वा जाव राय० नो महई विहारभूमी नो
महई विहारभूमी नो सुलभे पीढफलगासिज्जासथारगे नो
सुलभे फासुए उब्बे ग्रहेसणिज्जे जत्थ वहवे समण० वणीमगा
उवागया उवागमिस्सति य ग्रच्चाडन्ना वित्ती नो पन्तस्म नि
क्खमणे जाव चिताए, सेव नच्चा तहप्पगार गाम वा नगर वा
जाव रायहाणि वा नो वामावास उवल्लिडज्जा ॥

मूलम्—से भि० से ज० गाम वा जाव राय० इमसि खलु
गाममि वा जाव महई विहारभूमी महई विहार० सुलभे जत्थ
पीढ ४ सुलभे फा० नो जत्थ वहवे समण० उवागमिस्सति वा
ग्रप्पाडन्ना वित्ती जाव रायहाणि वा तयो मजयामेव वामा-
याम उवल्लिडज्जा ॥११२॥

छाया—स भिक्षुर्वा० म यत्० ग्रामे वा यावत् राजधान्यां वा अस्मिन्
खलु ग्रामे वा यावत् राजधान्यां वा न महती विहारभूमि, न महती विचार-

ॐ वातुर्मासि नास्ति, ॥ ३, १, १२१ ॥

पणिति वर्तते। वातुर्मासि अस्मिन् तत्र ३ वे वा ४ वे प्रत्यया ने नास्ति।
वनवृक्षमणु भवा वातुर्मासी, वीर्यमात्रा—आयुः, वातुर्मासी वातुर्मासी भोजन। वातुर्मासि वातुर्मासि
वन्तु द्विगोरिति वन्तु।

— प्रायश्चित्त आचरण।

भूमिः न सुनभानि पीठफलकशय्यासंस्तारकानि न सुलभः प्रासुकः उञ्छः
 अर्थैपणीय. यत्र वहवः श्रमण० वनीपकाः उपागताः, उपागमिष्यन्ति च अत्याकी-
 र्णा वृत्तिः नो प्राज्ञस्य निष्क्रमणं यावत् चिन्ता, तदेवं ज्ञात्वा तथाप्रकारे ग्रामे
 वा नगरे वा यावद् राजधान्यां वा न वर्षावासं उपलीयेत । स भिक्षु० स यत्०
 ग्रामे वा यावद् राजधान्यां वा अस्मिन् खलु ग्रामे वा यावत् महती विहार-
 भूमिः, महती विचारभूमिः सुलभानि यत्र पीठ० ४ सुलभः प्रासुकः० न
 यत्र वहवः श्रमण० उपागमिष्यन्ति वा अल्पाकीर्णा वृत्तिः यावत् राजधान्यां
 वा ततः सयतमेव वर्षावासं उपलीयेत ।

पदार्थ—से भिक्षु वा—वह साधु या साध्वी । सेज्ज—यदि वह यह जाने । गामं
 वा—ग्राम को धरया नगर । जाव—यावत् । रायहाणि वा—राजधानी को । खलु—वाक्या-
 लकार में । इमंसि—इन । गाममि—ग्राम । जाव—यावत् । राय०—राजधानी में । विहार—
 भूमि—स्वाध्याय करने के लिए । नो महर्ई—विद्यालय स्थान नहीं है । विचार भूमि—श्रीर नगर
 में बाहर मन मूत्रादिक त्याग करने की भूमि भी । न महर्ई—विद्यालय नहीं है । पीठ—श्रीर पीठ ।
 फलग—पाठिया । सिज्जा—शय्या श्रीर । मथारणे—तृणादि के संस्तारक भी । नो सुलभे—
 सुलभ नहीं है श्रीर । फासुए—उमें जो प्रासुक । उछे—थोड़ा २ प्राहार ग्रहण करना है ।
 ग्रहेसणिज्ज—उम निर्दोष प्राहार का मिलना भी । नो सुलभे—सुलभ नहीं है श्रीर । जत्थ—
 जहाँ पर । चह्वे—बहुत । समण०—शाक्यादि श्रमण । जाव—यावत् । वणीमगा—वनीपक
 रंक भित्तारी छादि । उवागधा—प्राए हुए है । य—या । उवागमिस्सति—आवेगे । प्रच्छाइ-
 न्तावित्ति—अत्यन्तकीर्ण वृत्ति अर्थात् भिक्षा जाते समय तथा स्वाध्याय, ध्यान श्रीर बाहर गमन
 करते समय वे लोग अधिक सरुया में बार-बार मिलते रहते हैं । पन्नस्स—जिस से प्रज्ञावान साधु ।
 नो निक्खमणे जाव चिन्ताए—न तो सुख पूर्वक निकल सकता है, श्रीर न प्रवेश ही कर सकता
 है तथा वह पंच प्रकार का स्वाध्याय भी नहीं कर सकता है । सेव नच्चा—अतः वह साधु इस
 प्रकार जानकर । न्हएपरं गाम वा—तथाप्रकार के ग्राम में । नगरं वा—नगर में । जाव—
 यावत् । रायहाणि वा—राजधानी में । वासवासं—वर्षाकाल अर्थात् चतुर्मास । नो उवल्लि-
 इज्जा—न करे ।

पदार्थ—से भिक्षु वा०—वह साधु या साध्वी । से जं—यदि वह यह जाने कि । गाम वा
 जाव राय० वा—ग्राम, नगर यावत् राजधानी को । खलु—वाक्यालकार में है । इमंसि गामंसि-
 इस ग्राम में । जाव—यावत् राजधानी में । महर्ई विहारभूमि—स्वाध्याय के लिए विशाल

भूमि है और । महई विचार — मलमूत्रादि क त्यागने का भूमि भी विज्ञान है । जघ — जहाँ पर । पीठ ४ — पीठ, फलक, शय्या और सस्तारक की प्राप्ति । सुलभे पा० — सुलभ है प्रामुक् तथा एषणीय आहार का मिलना भी । सुलभे — सुलभ है । जघ — जहाँ पर । बहुवे — बहुत से । समण० — शाक्यादि भिक्षुगण । नो उवागमिरसति — भी आए हुए नहीं हैं और न आवेंगे । अत्याइना-विस्ती — माग में भीड़ भी नहा है अर्थात् भिक्षा आदि क समय जात आने के मिलत भी नहा है । जाव — यावत् स्वाध्याय आदि भी ठीक हो सकता है । इस प्रकार के ग्राम, नगर यावत् । रायहानि वा — राजधानी में । समी — तत्र पचात् । रजयमेव — सयन मयम शील साधु । वासावास — वर्षाकाल । उवत्तिइज्जा — रह ।

मूलार्थ—वर्षा वास करने वाले साधु या साध्वी को ग्राम नगर, यावत् राजधानी की स्थिति को भली भाँति जानना चाहिए । जिस ग्राम, नगर यावत् राजधानी में एकान्त स्वाध्याय करने के लिए कोई विशाल भूमि न हो, नगर से बाहर मल-मूत्रादि के त्यागने की भी कोई विशाल भूमि न हो, और पीठ-फलक-शय्या-सस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ न हो, एव प्रामुक् और निर्दोष आहार का मिलना भी सुलभ न हो और बहुत से शाक्यादि भिक्षु यावत् भिखारी लोग आए हुए हो जिस से ग्रामादि में भीड़ भाड़ बहुत हो और साधु साध्वी का सुखपूर्वक स्थान से निकलना और प्रवेश करना कठिन हो तथा स्वाध्याय आदि भी न हो सकता हो तो ऐसे ग्रामादि में साधु वर्षाकाल व्यतीत न करे ।

मूलार्थ—जिस ग्राम या नगरादि में विहार और विचार के लिए अर्थात् स्वाध्याय और मल मूत्रादि का त्याग करने के लिए विशाल भूमि हो, पीठ फलकादि की सुलभता हो, निर्दोष आहार पानी भी पर्याप्त मिलता हो और शाक्यादि भिक्षु या भिखारी लोग भी आए हुए न हो एव उनकी अधिक भीड़ भाड़ भी न हो तो ऐसे गाव या शहर आदि में साधु साध्वी वर्षाकाल व्यतीत कर सकता है ।

हिंदी निवेदन

प्रस्तुत सूत्र में वर्षावास के क्षेत्र की चुनते समय ५ बातों का विशेष ख्याल रखने का आदेश दिया गया है—१-स्वाध्याय एव चिंतन मनन के लिए विशाल भूमि,

२-शहर या गाव के बाहर मल-मूत्र का त्याग करने के लिए विशाल निर्दोष भूमि, ३-साधु साध्वी के ग्रहण करने योग्य निर्दोष शय्या-तख्त आदि की सुलभता, ४-प्रासुक एवं निर्दोष आहार पानी की सुलभता और ५-शाक्यादि अन्य मत के साधुओं तथा भिखारियों के जमघट का नहीं होना। जिस क्षेत्र में उक्त सुविधाएं न हों वहां साधु को वर्षावास नहीं करना चाहिए। क्योंकि विचार एवं चिन्तन की शुद्धता के लिए शान्त-एकान्त स्थान का होना आवश्यक है। विना एकान्त स्थान के स्वाध्याय एवं ध्यान में मन एकाग्र नहीं हो सकता और मन की एकाग्रता के अभाव में साधना में तेजस्विता नहीं आ सकती। इसलिए सब से पहले अनुकूल स्वाध्याय भूमि का होना आवश्यक है।

सयम की शुद्धता को बनाए रखने के लिए परठने के लिए भी निर्दोष भूमि, निर्दोष आहार पानी एवं निर्दोष शय्या-तख्त आदि की प्राप्ति भी आवश्यक है और इनकी निर्दोषता के लिए यह भी आवश्यक है कि उस क्षेत्र में अन्यमत के भिक्षुओं का अधिक जमाव न हो। यदि वे भी अधिक संख्या में होंगे तो शुद्ध आहार-पानी आदि की सुलभता नहीं मिल सकेगी।

इससे यह भी स्पष्ट होना है कि उस युग में अन्य मत के भिक्षु भी वर्षाकाल में एक स्थान पर रहते थे। और इस सूत्र से यह भी ध्वनित होता है कि उस युग में सांप्रदायिक बाड़े वन्दी भी अधिक नहीं थी। यदि वर्तमान की तरह उस युग में भी जनता संप्रदायों में विभक्त होती तो सूत्रकार के सामने यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। क्योंकि, फिर तो साधु अपनी संप्रदाय के भक्तों से संबद्ध मकान में ठहर जाता और उनके यहाँ उसे किसी तरह की असुविधा नहीं रहती। परन्तु उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी, गृहस्थ लोग सभी तरह के साधुओं को स्थान एवं आहार आदि देते थे। इसी दृष्टि से साधु के लिए यह निर्देश किया गया कि उसे वर्षावास करने के पूर्व अपने स्वाध्याय की अनुकूलता एवं संयम शुद्धि आदि का पूरी तरह अवलोकन कर लेना चाहिए क्योंकि वर्षावास, जीवों की रक्षा, संयम की साधना एवं ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य की आराधना के लिए ही किया जाता है। अतः इन में तेजस्विता लाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

यदि वर्षाकाल के समाप्त होने के पश्चात् भी वर्षा होती रहे तो साधु को क्या करना चाहिए, इसके लिए सूत्रकार कहते हैं—

**श्रूलस—अह पुणोवं जाणिज्जा—चत्तारि मासा वासावासाणं
वीडक्कंता हेमंताण य पंचदस रायकप्पे परिवुसिए, अंतरा से**

भूमि है और । मट्टई विचार — मलमूत्रादि का त्यागने की भूमि भी विनाश है । जय — जहा पर । पीठ ४ — पीठ, फलक, शय्या और मस्तारक की प्राप्ति । सुलभे पा० — सुलभ है प्रासुक तथा एषणीय आहार का मिलना भी । सुलभे — सुलभ है । जय — जहा पर । बहुवे — बहुत से । समश० — शाक्यादि भिक्षुगण । नो उवागमिरसति — भी प्राए हुए नहीं हैं और न प्रावेंगे । आवाइना-वित्ती — माग में भीड़ भी नहीं है अर्थात् भिक्षा आदि के समय जाते प्राते वे मिलत भा नहा है । जाव — यावत् स्वाध्याय आदि भी ठीक हो सकता है । इस प्रकार का ग्राम, नगर यावत् । रायहार्जि वा — राजधानी में । तस्यो — तत्र पञ्चात् । एजयामेव — सप्त मयम नील साधु । वासावास — वर्षाकाल । जवत्तिइज्जा — रहे ।

मूलार्थ—वर्षा वास करने वाले साधु या साध्वी को ग्राम नगर, यावत् राजधानी की स्थिति की भली भाँति जानना चाहिए । जिस ग्राम, नगर यावत् राजधानी में एकान्त स्वाध्याय करने के लिए कोई विशाल भूमि न हो नगर से बाहर मल मूत्रादि के त्यागने की भी कोई विशाल भूमि न हो, और पीठ-फलक-शय्या-मस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ न हो, एव प्रासुक और निर्दोष आहार का मिलना भी - सुलभ न हो और बहुत स शाक्यादि भिक्षु यावत् भिखारो लोग आए हुए हो जिस से ग्रामादि में भीड़ भाड़ बहुत हो और साधु साध्वी को सुखपूर्वक स्थान से निकलना और प्रवेश करना कठिन हो तथा स्वाध्याय आदि भी न हो सकता हो तो ऐसे ग्रामादि में साधु वर्षाकाल व्यतीत न करे ।

मूलार्थ—जिस ग्राम या नगरादि में विहार और विचार के लिए अर्थात् स्वाध्याय और मल मूत्रादि का त्याग करने के लिए विशाल भूमि हो, पीठ फलकादि की सुलभता हो, निर्दोष आहार पानी भी पयाप्त मिलता हो और शाक्यादि भिक्षु या भिखारी लोग भी आए हुए न हो एव उनकी अधिक भीड़ भाड़ भी न हो तो ऐसे गाव या शहर आदि में साधु साध्वी वर्षाकाल व्यतीत कर सकता है ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वर्षावास के क्षेत्र को चुनते समय ५ बातों का विशेष ख्याल रखने का आदेश दिया गया है—१-स्वाध्याय एव चिन्तन मनन के लिए विशाल भूमि,

नच्चा—वह साधु इस प्रकार जानकर । तन्नो—तदनन्तर । संजयाभेव—यत्ना—पूर्वक ग्रामानु-
ग्राम । दूहज्जिज्जा—विहार करे ।

मूलार्थ—वर्षाकाल के चार मास व्यतीत हो जाने पर साधु को अवश्य विहार कर देना चाहिए, यह मुनि का उत्सर्गमार्ग है । यदि कार्तिक मास में पुनः वर्षा हो जाए और उसके कारण मार्ग आवागमन के योग्य न रहे और वहां पर शाक्यादि भिक्षु नहीं आए हो तो मुनि को चतुर्मास के पश्चात् वहां १५ दिन और रहना कल्पता है । यदि १५ दिन के पश्चात् मार्ग ठीक हो गया हो, अन्यमत के भिक्षु भी आने लगे हों तो मुनि ग्रामानुग्राम विहार कर सकता है इस तरह वर्षा के कारण मुनि कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के पश्चात् मार्गशीर्षकृष्णा अमावस पर्यन्त ठहर सकता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वर्षावास समाप्त होने के बाद ठहरने के सूक्ष्म में उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग को सामने रखकर आदेश दिया गया है । इस में बताया गया है कि यदि वर्षाकाल के अन्तिम दिनों में वर्षा हो जाए और उसके कारण मार्ग हरियाली से ढक जाए, जीवों की उत्पत्ति हो जाए और अन्य मत के भिक्षु भी अधिक संख्या में न आए हों तो वर्षाकाल के समाप्त होने पर भी मुनि हेमन्त काल के १५ दिन तक उस स्थान में ठहर सकता है, इससे स्पष्ट होता है कि मुनि का जीवन जीव रक्षा के लिए है । लुद्र जीवों की यत्ना के लिए ही वह चार महीने एक स्थान पर स्थित होता है । अतः उसके पश्चात् भी लुद्र जीवों की एवं वनस्पति की अधिक उत्पत्ति हो तो वह १५ दिन और रुक जाता है । प्रस्तुत सूत्र में इससे अधिक समय का उल्लेख नहीं किया गया है और प्रायः हेमन्त काल में मार्ग भी साफ हो जाता है । फिर भी यदि कभी अकस्मात् वर्षा की अधिकता से मार्ग में हरियाली एवं लुद्र जन्तुओं की अधिक उत्पत्ति हो जाए और उस से संयम की विराधना होने की संभावना देखकर साधु कुछ दिन और ठहर जाता है, तो भी वह आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । क्योंकि वह केवल संयम की विशुद्ध आराधना के लिए ही ठहरता है । यदि वर्षाकाल के पश्चात् मौसम साफ हो, मार्ग में किसी तरह की रुकावट न हो तो साधु को मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को विहार कर देना चाहिए ।

आगम में स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया गया है कि साधु-साध्वी को वर्षाकाल

मग्ने बहुपाणा जाव मसताणगा नो जत्य बहवे जाव उवाग-
मिस्सति, सेव नच्चा नो गामाणुगाम दूइज्जिज्जा ॥ ग्रह पुणोव-
जाणिज्जा चत्तारि मासा० कप्पे परिवुसिए, अतरा से मग्ने अप्पडा
जाव असताणगा बहमे जत्य समणा० उवागमिम्मति, सेव नच्चा
तयो मजयामेव० दूइज्जिज्ज ॥११३॥

छाया—अथ पुनरेव जानीयात् चत्वारो मासा वर्षासासना व्यतिक्रान्ता
हमन्ताना च पचदशरात्रकल्पे पर्युपिते अन्तरा ते मार्गा बहु प्राणिनो यावद्
ममन्तानका० न यत्र बहव० यावद् उवागमिष्यन्ति स एव ज्ञात्वा न ग्रामानुग्राम
यायात् । अथ पुनरेव जानीयात् चत्वारो मासा० कल्पे पर्युपिते अन्तरा ते
मागा अल्पाडा यावत् असतानका बहव यत्र भ्रमण० उवागमिष्यति स एव
ज्ञात्वा तत मयतमेव० यायात् ।

पदाथ—ग्रह—अथ । पुण—फिर । एव—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने । सता
वासाण—वर्षाकाल के । चत्तारि मासा—चार मास । बोइषकताण—अनिकृत हो जाने पर
अथ त कानिक सुवला पूर्णिमा के पञ्चान माननीय प्रतिपदा को माघु का विहार कर देना
चाहिए । यह उत्तमर्ग माग है । अथ सूत्रकार अपवाद माग क विषय म क्त है । प—घोर ।
हमन्ताण—यदि वर्षा फिर हा जाव तो हमन्तकाल के । पचदशरात्रकल्प—पचदशरात्र कल्प
म अथवा मघात्त में । परिवुसिए—रह । अतरा से मग्ने—उम मग के मध्य में । बहुपाणा—
बहुत प्राणी । जाव—यावत् । मसताणगा—जाता स युक्त माग हो रहा हा घोर । जत्य—
जहा पर । बहवे—बहुत स भ्रमण आदि । जाव—यावत । नो उवागमिस्सति—माग क ठीक
न होने के का ण व नही मायेगे । सेव नच्चा—वह माघु इस प्रकार जान कर । गामाणम—
ग्राम नुग्राम । नो दूइज्जिज्जा—विहार न करे, एक ग्राम से दूसरे ग्राम न जावे । ग्रह—अथ ।
पुण—फिर यदि । एव—इस प्रकार । जाणिज्जा—जाने कि । चत्तारिमासा कप्पे पं विुसिए—
वर्षाकाल के चार मास व्यतीत हो गए हैं, तदनंतर हेमन्त काल क भी पचदशरात्र १५ दिवस
व्यतीत हा गए हैं । अनरा से मग्ने—माग क मध्य में । अप्पडा—अण्डादि से रहित । जाव—
यावत । असताणगा—जाता आदि से रहित माग हो गया है । जत्य—जहा पर । बहवे—बहुत
से । समण—सावधानि भ्रमण आगय है तथा । उवागमिस्सति—घोर नो आजायगे । सेव

वी० हरि० उदए वा मट्टिया वा अविद्धत्थे० सइ परक्कमे जाव नो
उज्जुयं गच्छिज्जा, तत्रो संजया० गामा० दूइज्जिज्जा ॥११४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् पुरतः युगमात्रया पश्यन् दृष्ट्वा
त्रमान् प्राणिनः उद्धृत्य पाद रीयेत संहृत्य पादं रीयेत (गच्छेत्) तिरश्चीन वा
कृत्वा गाद रीयेत-गच्छेत् सति पराक्रमे सयतमेव पराक्रमेन्नो ऋजुना गच्छेत्,
ततः संयतमेव ग्रामानुग्रामं गच्छेत् । स भिक्षुर्वा० ग्रामा० गच्छन् अन्तराले स
प्राणिनः वा बीजानि, हरितानि, उदकं वा मृत्तिका वा अविध्वंसमानः सति पराक्रमे
यावन्नो ऋजुना गच्छेत् ततः सयतमेव ग्रामानुग्राम गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम—एक गांव से
दूसरे गांव को । दूइज्जमाणे—विहार करता हुआ । पुरओ—मुख के आगे की ओर । जुगमा-
याए—चार हाथ प्रमाण भूमि को । पेहमाणे—देखता हुआ चले तथा मार्ग में । तसेपाणे—त्रस
प्राणियों को । दट्टणं—देख कर । पादं—पाद का अग्रभाग । उद्धट्टु—उठाकर । रीइज्जा—
ईयां समिति पूर्वक चले । साहट्टु पायं रीइज्जा—यदि अपने से दक्षिण और उत्तर में जीव को
देखे तो उनकी रक्षा के लिए पैर को सकोच कर चले अथवा । वित्तिरिच्छं वा कंटट्टुपायं
रीइज्जा—जीव रक्षा के निमित्त दोनों ओर जीव हो तो तिर्यक् पाद करके चले । सइपरक्कमे
संजयामेव परिवक्कमिज्जा—यदि अन्य मार्ग हो तो उस मार्ग से यत्नापूर्वक गमन करे, अर्थात् यह
विधि तो अन्य मार्ग के अभाव में कथन की गई है, किन्तु । उज्जुयं—सरल मार्ग में अर्थात्
सीधा । न गच्छिज्जा—गमन न करे । तत्रो—तदनन्तर । संजयामेव—यत्नापूर्वक । गामाणुगामं—
एक गांव से दूसरे गांव को । दूइज्जिज्जा—विहार करे । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी ।
गामा० दूइज्जमाणे—ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ । अन्तरा से—उस मार्ग के मध्य में ।
पाणाणि वा—द्वीन्द्रियादि जीव अथवा । वीयाणि वा—शाली आदि के बीज । हरि०—अथवा
हरी वनस्पति । उदए वा—अथवा जल, अथवा । मट्टिया वा—मिट्टी, जो व्यवहार पक्ष में
अचित्त प्रतीत नहीं होती हो तो । सइ परक्कमे—अन्य मार्ग के होने पर साधु उस मार्ग से गमन
न करे । जाव—यावत् प्राणियों से युक्त । उज्जुयं—सरल मार्ग से । न गच्छिज्जा—गमन न
करे । तत्रो—तदनन्तर । संजयामेव—यत्नापूर्वक । गामा०—ग्रामानुग्राम—एक गांव से दूसरे
गांव को । दूइज्जिज्जा—विहार करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ अपने मुख के

म विहार करना नहीं कल्पता परन्तु हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में विहार करना कल्पता है। आचारान्नसूत्र में भी एक स्थल पर कहा है कि यदि साधु मास या वर्षावास कल्प के बाद उसी स्थान पर ठहरता है तो उसे कालान्तरकर्म दोष लगता है। और श्री भगवान् महाश्वरी ने भी शार्ङ्गिक चातुर्मास (पूरणिमा) के पश्चात् मासगोप कृष्ण प्रतिपदा को विहार कर दिया था। इसमें स्पष्ट होता है कि वर्षा आदि विशिष्ट कारणों के उपस्थित हुए बिना साधु को वर्षा काल के पश्चात् उसी स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए।

वृत्तिकार ने यह भी लिखा है कि यदि वृष्टि आदि न हो तो उत्तम मार्ग में साधु को वर्षावास में समाप्त होने पर चातुर्मास के तप का पारणा अन्य स्थान पर जानकर करना चाहिए। परन्तु आगम में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, इसलिये यह कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। आगम में वर्षावास के पश्चात् विना कारण रात को ठहरना नहीं कल्पता अर्थात् जिस स्थान में वर्षावास किया हो साधु को वहाँ मार्गशीर्ष कृष्ण का प्रतिपत्तरी रात को नहीं ठहरना चाहिए।

विहार के समय साधु को मास की यत्ना कैसे करनी चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामाणुगाम दूड्जमाणे पुरयो
जुगमायाए पेहमाणे दट्टुण तसे पाणे उद्धट्टु पाठ रीड्ज्जा साह
ट्टु पाय रीड्ज्जा वित्तिरिच्छ वा कट्टु पाय रीड्ज्जा, सड परक्कमे
सजयामेव परिक्कमिज्जा नो उज्जुय गच्छिज्जा, तयो सजयामेव
गामाणुगाम दूड्जिज्जा ॥

से भिक्खू वा० गामा० दूड्जमाणे यतरा से पाणाणि वा

ॐ ना कप्पन्ति मयाग वा निग्गवीग वा वासावासंमु चारए ।

कप्पइ निग्गवाणं वा निग्गवीगं वा हेमन्तं गिम्हाणं चारए ।

— महाकथन सूत्र १ ३६-३७ ।

† श्री आचारान्नसूत्र, २, २, २ ।

‡ श्री भगवतो सूत्र, गणक १५ ।

विहारवडियाए पवज्जिज्जा गमणाए, केवली बूया आयाणमेयं,
 ते गां बाला अयं तेणो अयं उवचरेण अयं ततो आगए त्तिक्कट्टु तं
 भिक्खुं अक्कोमिज्ज वा जाव उहविज्ज वा वत्थं प० कं० पाय०
 अच्चिदिज्ज वा भिदिउज वा अवहरिज्ज वा परिट्ठविज्ज वा,
 अह भिक्खूणां पु० जं तहप्पगाराइं विरू० पच्चंतियाणि दस्सुगा०
 जाव विहारवत्तियाए नो पविज्जज्ज वा गमणाए तत्रो
 संजया गा० दू० ॥११५॥

छाया—म भिच्चुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले स विरूपरूपाणि प्रात्य-
 न्तिकानि दस्युकायनानि म्लेच्छानि अनार्याणि दुःसज्ञाप्यानि दुष्प्रज्ञाप्यानि
 अकालप्रतिबोधीनि अकालभोजीनि सति लाढे विहाराय संस्तमाणेपु जनपदेषु
 न विहारप्रतिज्ञया प्रतिपद्येत गमनाय । केवली ब्रूयात् आदानमेतत् ते बालाः
 अयंस्तेनः अयमुपचारकः अयं ततः आगतः इति कृत्वा त भिक्षुं आक्रोशेयुः वा
 यावत् उपद्रवेयुः वा वस्त्रं वा पतद्ग्रहं (पात्रं) वा कवलं वा पादप्रोज्ज्वल वा आ-
 च्छिद्युः वा भिन्दु वा अपहरेयुः वा परिष्ठापयेयुः वा अथ भिच्छूणां पूर्वोपदिष्टं
 यत् तथाप्रकाराणि विरूपरूपाणि प्रात्यन्तिकानि दस्युकायतनानि यावत् विहार
 प्रत्ययाय न प्रतिपद्येत वा गमनाय ततः संयतः ग्रामानुग्राम गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी । गामा०—ग्रामानुग्राम ।
 वूहज्जमाणे—विहार करता हुआ । अन्तरा से—जिस मार्ग के मध्य में । विरुवरूपाणि—
 नाना प्रकार के । पच्चतियाणि—देश की सीमा में रहने वाले । दस्सुगायणाणि—
 चोरो के स्थान हो । मित्तवखूणि—म्लेच्छों के स्थान हो । अणायरियाणि—अनार्यों के
 स्थान हो । दुमन्नप्याणि—जिन्हें अर्थ देश की भाषा आदि कठिनाई से समझाई जा
 सकती है और । दुपन्नवणिज्जाणि—जिन्हे कष्ट पूर्वक उपदेश दिया जा सकता है अर्थात्
 वृष्टपूर्वक उपदेश देने पर भी जो धर्म मार्ग में नहीं आते । अकालपडिवोहीणि—

मामने चार हाथ प्रमाण भूमि का देखना हुआ चने और माग मे त्रम प्राणियों को देखकर पैर के अग्रभाग को उठाकर चले । यदि दोनों ओर जीव हा तो परो को मकाच कर या तिर्यक् टडा पैर रखकर चले । यह विधि अग्रमार्ग के अभाव मे कही गई है । यदि अन्य साफ मार्ग हो तो उस मार्ग मे चलने का प्रयत्न करे, किन्तु जीव युक्त सरल (मीधे) माग पर न चले । यदि माग मे प्राणी बीज, हरो, जल और मिट्टी आदि अचिन न हुए हा तो माधु को अग्र मार्ग के होने पर उस मार्ग मे नहीं जाना चाहिए । यदि अन्य माग न हो तो उम माग से यत्नापूर्वक जाना चाहिए ।

निंदी विवेचन

प्रस्तुत मंत्र मे बताया गया है कि माधु को विहार करते समय अपनी नष्टि गन्तव्य मार्ग पर रगनी चाहिए । अपने मामन की साते तीन हाथ भूमि को देखकर चलना चाहिए । उस समय अपने मन, अचन एव काय योग को भी इधर उधर नहीं लगना चाहिए । यहा तक कि माधु को चलने समय उध्याय एव आत्मचिन्तन भी नहीं करना चाहिए । उस समय उमका ध्यान विवेक पूरक चलने की ओर होना चाहिए और राते मे ध्यान गले छुद्र चतुश्रों एव हरित काय की रक्षा करते हुए गति करनी चाहिए । यदि रगने मे बीज, हरियाली एव छुद्र जंतु अधिक् हों और उस गात्र को दूसरा रास्ता जाता हो - चाहे वह कुछ लम्बा भी पडता हो परंतु जीवों से रहित हो, तो मुनि को वह जीव चतु-ों से युक्त सीधा रास्ता छोडकर "म निर्दोष मार्ग से जाना चाहिए । यदि दूसरा माग न हो तो यत्नापूर्वक पैरों को मकोच कर या टड मे पैर रखकर या अगुठे आदि के धन पर उस राते को तय कर अर्थात् उस माग को विवकपूर्वक पार कर जिससे जीव को किमी तरह का पीडा एव कष्ट न पहुंचे ।

इमी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—से भिक्खु वा० गामा० दूडज्जमाणे यतरा से विरुव
रूवाणि पच्चतिगाणि दस्सुगाययाणि मिलक्खूणि अणायरियाणि
दुस्तन्नप्पाणि दुप्पन्नवणिज्जाणि, अकालपडिवोहीणि अकाल-
परिभोईणि सड लाढे विहाराए सथरमाणेहिं जाणवएहि नो

है, यह गुप्तचर है, यह हमारे शत्रु के गांव से आया है, इत्यादि बातें कह कर वे उस भिक्षु को कठोर वचन बोलेंगे उपद्रव करेंगे और उस साधु के वस्त्र, पात्र, कम्बल और पाद प्रोक्षण आदि का छेदन भेदन या अपहरण करेंगे या उन्हें तोड़ फोड़कर दूर फेंक देगे क्योंकि ऐसे स्थानों में यह सब संभव हो सकता है। इसलिए भिक्षुओं को तीर्थकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि साधु इन प्रकार के प्रदेशों में विहार करने का सकल्प भी न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को ऐसे प्रान्तों में विचरना चाहिए जहां आर्य एव धर्म-निष्ठ भद्र लोग रहते हों। परन्तु, सीमान्त पर जो अनार्य देश हैं, जहां पर चोर-डाकू, भील, अनार्य एवं म्लेच्छ लोग रहते हों उन देशों में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि, ये लोग दुर्लभ बोधि होते हैं अर्थात् धर्म एवं आर्यत्व को जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते। ये कुसमय में जागृत रहते हैं अर्थात् जिस समय सभ्य एवं सज्जन लोग शयन करते हैं, उस समय उनका धन लूटने के लिए ये लोग जागते रहते हैं और कुसमय में ही भोजन करते हैं तथा उन्हें भक्ष्य-अभक्ष्य का भी विवेक नहीं होता है। यदि ऐसे अनार्य व्यक्तियों के निवास स्थानों की ओर साधु चला जाए तो वे उसे चोर, गुप्तचर आदि समझकर कष्ट देगे, मारेंगे-पीटेंगे तथा उसके उपकरण एव वस्त्र आदि छीन लेंगे या तोड़-फोड़कर दूर फेंक देगे। इसलिए मुनि को ऐसे प्रदेशों की ओर विहार नहीं करना चाहिए।

इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग की तरह उस समय भी एक-दूसरे देश की सीमाओं पर तथा अपने राज्य की आन्तरिक स्थिति का तथा चोर-डाकूओं के गुप्त स्थानों का पता लगाने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी।

प्रस्तुत सूत्र में ऐसे स्थानों पर जाने का निषेध साधु के लिए ही किया गया है, न कि सम्यग्दृष्टि एवं श्रावक के लिए। सम्यग्दृष्टि एवं श्रावक अनुकूल साधनों के प्राप्त होने पर वहां जाकर उन्हें सस्कारित एवं सभ्य बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू० दूइज्जमाणे अंतरा से अरायाणि वा गण-
रायाणि वा जुवरायाणि वा दो रज्जाणि वा वेरज्जाणि वा विरुद्ध-
रज्जाणि सइ लाढे विहाराण संथ० जणा० नो विहारावडियाण० ,

अकाल में जागने वा न और अकाल में ही मगया गिकार क लिए उठकर जाने वा न । अकाल परिमोईनि - अकाल में भोजन करन वा न । सद् ताड्रे विहाराए - अय अच्चे प्राय देग के । सधरमाणेहि - विद्यमान हान पर तथा । जाणवएहि - अच्चे अय भद्र देग क विद्यमान होन पर । विहार चटियाए - एस देग में विचरने की प्रतिगा से - विहार करने वा । नो पवजिज्जवा गमणाए - मन में विचार न करे अर्थान एस देगों मे विहार करन के लिए कभी सक्त्प न करे । क्वसी बूया - केवली भगवान कहते हैं । प्राणमय - यह कम के ज्ञान का कारण है अर्थान वंता जने पर कम का व ध हाता है यथा । ते - व । ण - वाक्यालकार में है । बाला - बाल अजानी साधु को देखकर साधु के प्रति कहते हैं । अय - यह । तेणे - चोर है । अय - यह व्यक्ति । उवचरए - उपचर अर्थान् गुप्तचर (बामूय) है । अय - यह । ततो - वहा से हमारा अनु के गाव म । आगए - प्राया है अथान हमारा भेद सन की प्रायो है । तिक्कट्टु - एगा कहकर । त भिक्खु - उस भिक्षु की । अक्कोसिज्ज वा - कटार वचन बालेंगे । जाव - यावत । उहविज्ज वा - मारणातिक्क उपसग देगे या मारेंगे या साधु क । वत्थ वा - वस्त्र । प० - पात्र । क० - कम्बन । पाप० - पापप्रोच्छन्न तथा रजोहरण या पर पूछने क वस्त्र प्राणि वा । अद्दिक्क - छन्न करेंगे । वा - अथवा । भिदिक्क - भदन करेंगे या । अक्करिज्ज वा - उनका अपहरण करेंगे अर्थान छीन ले । परिठठविज्ज वा - या उस मुनि के उपकरणों को तोड़ फोड़ कर फर्क द । अह भिक्खुण - भ्रत भिक्षुवा की । पु० - तीयकरादि न पहल ही यह उपसग गिया है कि । ज - जो । सहस्यगाराए - तथा प्रकार क । विक्ख० - नानाविध । मच्चत्तिपुणि - देग का सीमा म होने वाल । दस्सणा० - चोरा के स्थान में । जाव यावत । विहारवत्तियाए - विहार करन के लिए । नो पवजिज्जवा वा गमणाए - मन म विचार भी न कर । तन्नो - तदनतर उक्त स्थानों की छोडता हुआ । सजया - समयनील साधु । गा० दू० - प्रामानुग्राम - एक गाव से दूसर गाव की विहार करे ।

मूलार्थ - साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विचरता हुआ जिस मार्ग में नाना प्रकार के देशकी सीमा मे रहने वाले चोरो के, म्लेच्छों के और अना र्थों के स्थान हो तथा जिनको कठिनता पूर्वक समझाया जा सकता है या जिन्हें आर्य धर्म वनी कठिनता से प्राप्त हो सकता है ऐसे अकाल (कुसमय) में जागने वाले, अकाल (कुसमय) में खाने वाले मनुष्य रहते हो, तो अय प्राय क्षत्र के होते हुए ऐसे क्षेत्रों मे विहार करने को कभी मन मे भी सक्त्प न करे । वयोकि केवली भगवान कहते हैं कि वहा जाना कम वपन का कारण है । व अनाय लोग साधु को देखकर कहते हैं कि यह चोर

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जिस राज्य में राजा न हो या जिस राज्य में या गणतन्त्र में अशान्ति हो, कलह हो, राज्य प्रबन्ध ठीक न हो, राजा और प्रजा में संघर्ष चल रहा हो, एक ही प्रदेश के दो राजा या दो राजकुमार शासक हों और दोनों में संघर्ष चल रहा हो तो ऐसे देश में साधु को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उसे किसी देश का गुप्तचर आदि समझकर वे उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उस युग में भारत में गणराज्य की व्यवस्था भी थी। काशी और कौशल में मल्ल और लिच्छवी जाति के क्षत्रियों का गणराज्य था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय भी भारत कई प्रान्तों (देशों) में विभक्त था, जिनमें अलग-अलग राजाओं का शासन था और एक दूसरे देश के राजा सीमाओं आदि के लिए परस्पर संघर्ष भी करते रहते थे।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा गा० दूइज्जमाणो अंतरा से विहं सिया, से जं पुण विहं जाणिज्जा एगाहेण वा दुआहेण वा तिआहेण वा चउआहेण वा पंचाहेण वा पाउणिज्ज वा नो पाउणिज्ज वा तहप्पगारं विहं अणोगाहगमणिज्जं सइ लाढे जाव गमणाए, केवली बूया आयाणमेयं, अंतरा से वासे सिया पाणोसु वा पाणएसु वा बीएसु वा हरि० उद० मट्टियाए वा अविद्धत्थाए, अह भिक्खू जं तह० अणोगाह० जाव नो पव० तत्रो सं० गा० दू० ॥११७॥

छाया—स भिक्षुर्वा ग्रामानुग्रामं गच्छन्, अन्तराले तस्य विहं स्यात्, स यत् पुनः विहं जानीयात् एकाहेन वा द्व्यहेन वा त्र्यहेन वा चतुरहेण वा पंचाहेन वा प्रापणीयं वा नो प्रापणीयं वा तथाप्रकारं विहं अनेकाह गमनीयं सति लाढे यावद् गमनाय, केवली ब्रूयात् आदानमेतत् अन्तराले तस्य वर्षा स्यात् प्राणेषु वा पनकेषु वा बीजेषु वा हरितेषु उदकेषु वा मृत्ति अविध्वस्तायां,

केवली वृया आयाणमेय, ते ण वाला त चेव जाण गमणाए तयो
स० गा० दू० ॥११६॥

ध्याया—स भिक्षुः गच्छन् अंतराले स अरानानि वा गण
राजानि वा युवराजानि वा द्विराज्यानि वा वैराज्यानि वा विरुद्धराज्यानि वा
सति लाडे विहाराय सस्तरमाणेषु जनपदेषु नो विहारप्रत्ययाय० केवली
ग्रूयात् आदानमेतत् ते वाला तर्चव पावत् गमनाय तत सयत ग्रामानु
ग्राम गच्छेत् ।

पदाय—से भिक्षु वा—साधु या साध्वी । दूइज्जमण—ग्रामानुग्राम विहार करना
हुआ । अन्तरा से—उस माग के मध्य म । अरायाणि वा—जिस देग में राजा की मृत्यु हो गई
हो, और नवीन राजा की अभी तक मिहामनाइ नहीं किया गया हो उस अराजक देग में ।
गणरायाणि वा—प्रजा की सब सम्मति या बहु सम्मति से कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को
राज्य मिहामन पर बठाया गया हो । युवरायाणि वा—अथवा राजकुमार जिसका अभी राज्या-
भिषेक नहीं हुआ हो । दोरज्याणि वा—अथवा जिस देग में दो राजाओं का शासन हो अथवा ।
वैरजाणि वा—परस्पर राजकुमारों का जहा पर विरोध हो अथवा । विरुद्धराजाणि वा—
जहा राजा और प्रजा का आपस में विरोध हो तो । सह लाडे विहाराए सब जण—अथ किसी
विहार न योग्य देग के होने पर साधु । नो विहारवियाए०—उक्त स्थानों में विचारन का
सकल्प न करे क्योंकि । केवली वृया—केवली भगवान कहते हैं कि । आयाणमेय—ये व्रत वर्णन
क कारण हैं । ण—यह वाक्यान्वय म है । त वाला—वे अनाना पुग्ग । त चेव—पूर्ववत् ।
जाव—यावत् । गमणाए—जान के लिए सकल्प न करे । तयो—तत्पनन्तर अन्य देग में । सजया—
साधु यत्पूर्वक । गा०—ग्रामानुग्राम । दू०—विहार करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी विहार करते हुए जिस देश में राजा का
शासन नहीं है अथवा अशातियुक्त गणराज्य है, अथवा केवल युवराज है,
जो कि राजा नहीं बना ह, दो राजाओं का शासन चलता है, या दो राज
कुमारों में परस्पर वैर विरोध है, या राजा तथा प्रजा में परस्पर विरोध
है, तो विहार के योग्य अथ प्रदेश के हाते हुए इस प्रकार के स्थानों में
विहार करने का सकल्प न करे । साधु को विहार योग्य अथ स्थानों में
विहार करना चाहिए शेष वर्णन पूर्ववत् समझे ।

मुनि उसमें जाने का संकल्प न करे, किन्तु अन्य सरल मार्ग से अन्य गावों की ओर विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि मुनि को ऐसी अटवी में से होकर नहीं जाना चाहिए जिसे पार करने में लम्बा समय लगता हो । क्योंकि, इस लम्बे समय में वर्षा होने से द्वीन्द्रिय आदि लुप्त जन्तुओं एवं निगोदकाय तथा हरियाली आदि की उत्पत्ति हो जाने से सयम की विराधना होगी और कीचड़ आदि हो जाने के कारण यदि कभी पैर फिसल गया तो शरीर में चोट आने से आत्म विराधना भी होगी । और बहुत दूर तक जगल होने के कारण रास्ते में विश्राम करने को स्थान की प्राप्ति एवं आहार पानी की प्राप्ति में भी कठिनता होगी । इसलिए मुनि को सदा सरल एवं सहज ही समाप्त होने वाले मार्ग से विहार करना चाहिए ।

यदि कभी विहार करते समय मार्ग में नदी पड़ जाए तो साधु को क्या करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० गामा० दूइज्जिजा० अंतरा से नावा-
संतारिमे उदए सिया, से जं पुण नावं जाणिज्जा असंजए अ-
भिकखुपडियाए किणिज्ज वा पामिच्चेज्ज वा नावाए वा नावं
परिणामं कट्टु थलाओ वा नावं जलंसि ओगाहिज्जा जलाओ
वा नावं थलंसि उक्कसिज्जा पुणां वा नावं उस्सिचिज्जा सन्नं
वा नावं उप्पीलाविज्जा तहप्पगारं नावं उह्मगामिणिं वा अहे
गा० तिरियगामि० परं जोयणमेराए अद्धजोयणमेराए अप्पतरे
वा भुज्जतरे वा नो दुरूहिज्जा गमणाए ॥

से भिकखू वा० पुव्वामेव तिरिच्छसंपाइमं नावं जाणिज्जा,
जाणित्ता से तमायाए एगंतमवक्कमिज्जा२ भंडगं पडिलेहिज्जा२

अथ भिन्नु यन् तथा प्रकाशमनेशाह गमनीय यात्रन् प्रतिपद्येत् तत सपत प्रा-
मानुग्राम गच्छेत् ।

पदार्थ—से मिश्रू वा—वह साधु वा माधवी । गा०—ग्रामानुग्राम । दूहज्जमाणे—
विहार करता हुआ । अंतरासे—माग में । बिहू सिपा—घटवी हा ता । से ज—बहु भिन्नु जो ।
पुण—फिर । बिहू जाणिज्जा—घटवा के सम्बन्ध में यह जान, कि वह घटवी । एगहेण वा—
एक दिन में उतरी जा सकती है । दुष्साहेण वा—दो दिन में या । तिस्राहेण वा—तीन दिन में
या । चउसाहेण वा—चार दिन में या । पचाहेण वा—पाँच दिन में । षाडगिज्ज वा—
उनघो जा सकती है । नी षाडगिज्ज वा—नही उतरी जा सकती है । तल्पगार—
तथाप्रकार की । बिहू—घटवी जो कि । अणेगाहमणिज्ज—अनेक दिनों में उतरी जा
सकती है तो । इह लाड़े जाव मग्गाए—विहार योग्य समय प्रदत्त के होन पर साधु इस प्रकार
को घटवी को उतार कर जाने का विचार न करे क्योंकि । केवली ब्रह्मा—कवली भगवान
कहते हैं कि । आयागणेप—यह कम बन्धन का कारण है क्योंकि । अंतरा से वासे सिपा
उम माग के मध्य में वर्षा हो जाए तो फिर । पाणेसु वा—द्वीत्रयादि प्राणियों के उत्पन्न होने
पर या । पण्णम वा—पाँच वर्ष की तीन फूलन के उत्पन्न होने पर । बीणु वा—बीजों के
अकुट्टि हो जाने । हरि०—हरिपानी के उत्पन्न हो जाने । उद०—पानी के भर जाने पर या ।
मिट्टिपाए वा—मच्छित मिट्टी के उत्पन्न हो जाने से । अविट्टिपाए—सयम एवं घाता की
विराधना होगी । अहू—अस । मिक्खू—भिन्नु माधु । ज तह०—तथा प्रकार की घटवी जो ।
अणगाइ०—अनेक दिनों में उतरी जा सकती है । जाव—यावत् उस में जाने के लिए । नो
पव०—मन में विचार भी न करे । तन्नो—तदनन्तर । स०—साधु समय विहार करने योग्य ।
गा०—गाव को । दू—विहार करे ।

मूलाथ—साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ माग में
उपस्थित होने वाली घटवी को जाने, जिस घटवी को एक दिन में,
दो दिनों में, तीन और चार अथवा पाँच दिनों में उल्लघन किया जा सके,
अन्य माग होने पर उस घटवी को लाघकर जाने का विचार न करे ।
कवली भगवान कहते हैं कि यह कम बन्धन का कारण है । क्योंकि माग
में वर्षा हो जाने पर, द्वीत्रयादि जीवों के उत्पन्न हो जाने पर, नीलन फूल-
न, एवं सच्छित्त जल और मिट्टी के कारण समय की विराधना का होना
सम्भव है । इस लिए ऐसी घटवी जो कि अनेक दिनों में पार की जा सके

मुनि उसमें जाने का संकल्प न करे, किन्तु अन्य सरल मार्ग से अन्य गावों की ओर विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि मुनि को पंसी अटवी में से होकर नहीं जाना चाहिए जिसे पार करने में लम्बा समय लगता हो। क्योंकि, इस लम्बे समय में वर्षा होने से द्वीन्द्रिय आदि क्षुद्र जन्तुओं एवं निगोदक्याय तथा हरियाली आदि की उत्पत्ति हो जाने से समय की विराधना होगी और कीचड़ आदि हो जाने के कारण यदि कभी पैर फिसल गया तो शरीर में चोट आने से आत्म विराधना भी होगी। और बहुत दूर तक जगल होने के कारण रास्ते में विश्राम करने को स्थान की प्राप्ति एवं आहार पानी की प्राप्ति में भी कठिनता होगी। इसलिए मुनि को सदा सरल एवं सहज ही समाप्त होने वाले मार्ग से विहार करना चाहिए।

यदि कभी विहार करते समय मार्ग में नदी पड़ जाए तो साधु को क्या करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० गामा० दूड्जिजा० अंतरा से नावा-
संतारिमे उद्दए सिया, से जं पुण नावं जाणिज्जा असंजए अ-
भिकखुपडियाए किणिज्ज वा पामिच्चेज्ज वा नावाए वा नावं
परिणामं कट्टु थलाथो वा नावं जलंसि थोगाहिज्जा जलाथो
वा नावं थलंसि उक्कसिज्जा पुण्णं वा नावं उस्सिचिज्जा सन्नं
वा नावं उप्पीलाविज्जा तहप्पगारं नावं उड्ढगामिणिं वा अहे
गा० तिरियगामि० परं जोयणमेराए अद्धजोयणमेराए अप्पतरे
वा भुज्जतरे वा नो दुरूहिज्जां गमणाए ॥

से भिकखू वा० पुव्वामेव तिरिच्छसंपाइमं नावं जाणिज्जा,
जाणित्ता से तमायाए एगंतमवक्कमिज्जा२ भंडगं पडिलेहिज्जा२

एगयो भोयण भटग करिज्जा २ ममीमोरिय ऋय पाए
पमिज्जिज्जा मागार भत्त पच्चत्तसाडज्जा, एग पाय जले किन्चा
एग पाय थने किन्चा तयो म० नाव दुसुहिज्जा ॥११८॥

८। १—म भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्राम गच्छन्० अन्तराल तस्य नी
सत्तार्यमुदक स्यात्, स यत्र पुन नाव जानीयात् अमयतरश्च भिक्षुप्रतिनया
प्रीणीयात् तापमिती वा नावा वा नाव परिणाम कृत्वा स्थलाद् वा नाव जले
अरगाहत ननाद् वा नाव स्थल उत्सपयेत्, पूर्णा वा नाव उत्सिचेत् मग्ना वा
नाव उत्सनायत तथाप्रका १ नाव ऊध्वगामिनी वा अधोगामिनी वा तिर्यग्
गामिनी वा पर याजनमर्यादया अर्द्धयोजनमर्यादया कल्पतरो वा भूपस्तरो वा
नो दुग्द्वन् गननाय, म भिक्षुर्वा० पूरमेव तिर्यक् सपातिना नाव जानीयात्
पात्रा म तामादाय एतात्तमपक्रमेत् अपक्रम्य भटग प्रतिलसयेत् प्रतिनिरूप
प्रका भोजन भण्डन कुपान् कृत्वा मशीर्षोपरिक्रु ऋय पाद प्रदज्यात्, सागार
मभत् प्रत्याख्यायान् एक पाद जले कृत्वा एक पाद स्थले कृत्वा तत्र मयत नाव
दुग्हेत् ।

पनाथ—से सि०वा०—वह माधु या साधु । ताथ णुगाम—ग्रामानुग्राम । दुग्हिज
ज्जा—विहार करते हुए । अत्ररा से—उम माग के मध्य में । नावा सत्तरिमे उवए सिवा—
नौका द्वारा नैरने योग्य जल हो ता, इस प्रकार क जल से पार होन के लिए । से ज—वह माधु
को । पुण—किर । नाव जाणिज्जा—नौका क सम्बन्ध में जाने कि । अ—यत् । अत्तजए—
गहस्य । निक्खु पडिपाए—भिक्षु के लिए । किजिज्ज वा—नौका खरीने या । पामिच्चे—अ
वा—नौका को उधार लेकर साधु को पार उतारे या । नावाए नाव परिणाम कृत्वा—एक नौका
से दूसरी नौका का परिवान करके साधु को पार उतारे या । धलाओ वा नाव जलति ओग
हिजा—स्थल भूमि पर स्थित नौका को साधु के लिए स्थल से जल में जाए । दा—या । जलाओ
वा नाव चरति उक्कसिवा—जल से स्थल में जाए । वा—या । पुण्ण नाव उत्सिचिज्जा—
जल से भरी हुई नौका को साधु के लिए खाली करे या । त नं दा नाव उप्पीलाविजा—कीचड
में डूबी हुई नौका को निःकालकर चलने के लिए तयार करे । सहप्पगार—तथा प्रकार की नौका ।
उद्धटगामिज्जा—च हे जन के ऊपर चरने वाली हो अर्थात् पानी के खोह क सामने चलने वाली

हो गा। ग्रहेणा०—जल के नीचे चलने वाली हो। तिरियगामि०—तिर्यक् चलने वाली हो। परं जोयण मेराए—उत्कृष्ट योजन की मर्यादा से (एक घण्टे में ८ मील की चाल में) चलने वाली हो। अद्ध जोयण मेराए—या अर्द्धयोजन की मर्यादा से चलने वाली। अल्पतरे वा—तेजी नौका पर थोड़े काल या। भुज्जतरेवा—बहुत काल के लिए। गमणाए—नदी से पार जाने के लिए। नो दुहहिज्जा—सवार न हो।

मे भिषरू घा०—वह साधु अथवा साध्वी। पुच्चामेव—पहले ही। तिरिच्छ संपाइम—तिर्यक् जल में चलने वाली। नावं जाणिज्जा—नौका के सम्बन्ध में जाने। जाणित्ता—श्रीर जानकर। से—वह भिक्षु। तमायाए—उस गृहस्थ की आज्ञा लेकर। एगतमवक्कमिज्जा—एकान्त स्थान में चला जाए और बहा जाकर। भंडग पडिलेहिज्जा २—भण्डोपकरण की प्रतिलेखना करे और प्रतिलेखन करके। एगग्रो नोयण भंडगं करिज्जा २—फिर भण्डोपकरण को एवत्रित करके तसो नोवरियं कार्यं—गिर से लेकर शरीर को श्रीर। पाए—पैरो को। पमज्जिज्जा—प्रमाजित करे, उसके पश्चात्। सागार नत्तं पच्चक्खाइज्जा—आगार पूर्वक अन्न पानी का त्याग करे अर्थात् यदि में सकुशल पार हो गया तो आहार पानी करू गा अन्यथा जीवन पर्यन्त के लिए मेरे आहार पानी का त्याग है, इस प्रकार आगार सहित प्रत्याख्यान करे। एगं पाय जले किच्चा—एक पैर जल में रहे और। एग पायं थले किच्चा—एक पैर स्थल में रहे। तमो—तदनन्तर। सं०—वह साधु। नावं दुहहिज्जा—नौका पर चढे।

मूलार्थ—साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ यदि मार्ग में नौका द्वारा तैरने योग्य जल हो तो नौका से नदी पार करे। परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि यदि गृहस्थ साधु के निमित्त मूल्य देता हो या नौका उधार लेकर या परस्पर परिवर्तन करके या नौका को स्थल से जल में या जल से स्थल में लाता हो, या जल से परिपूर्ण नौका को जल से खाली करके या कीचड़ में फंसी हुई को बाहर निकाल कर और उसे तैयार कर के साधु को उस पर चढ़ने को प्रार्थना करे, तो इस प्रकार की ऊर्ध्वगामिनी, अधोगामिनी या तिर्यग् गामिनी नौका, जोकि उत्कृष्ट एक योजन क्षेत्र प्रमाण में, चलने वाली है या अर्द्ध योजन प्रमाण में चलने वाली है, ऐसी नौका पर थोड़े या बहुत समय तक गमन करने के लिए साधु सवार न हो अर्थात् ऐसी नौका पर बैठ कर नदी को पार न करे। किन्तु, पहले से ही तिर्यग् चलने वाली नौका को जानकर, गृहस्थ की आज्ञा लेकर फिर एकान्त

स्थान में चला जाए और वहाँ जाकर भण्डोपकरण को प्रतिलिखना करके उसे एकत्रित करे, तदनन्तर सिर से पैर तक सार शरीर को प्रमार्जित करके अंगार सहित भक्त पान का परित्याग करता हुआ एक पाव जल में और एक स्थल में रखकर उस नौका पर यत्नापूर्वक चढ़े।

विंशो विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि निहार करते हुए यदि भाग्य नदी आ जाए और उसे बिना नौका के पार करना कठिन हो तो साधु अपनी मर्यादा का पालन करते हुए त्रिवंशुष्व यत्नापूर्वक नौका का उपयोग कर सकता है। यदि मुनि को नदी के किनारे खड़ा देखकर कोई गृहस्थ उसे पार पहुँचाने के लिए नाविक को पैसा देता हो या उससे नौका उधार लेता हो या उसमें नाव का परिवर्तन करता हो, तो साधु को उस नाव पर नहीं बैठना चाहिए। इसी तरह यदि कोई नाविक साधु को नदी से पार करने के लिए अपनी नौका को जल में से स्थल पर लाता हो या स्थल पर से जल में ले जाता हो या कर्दम में फँसी हुई नाव को निकाल कर लाता हो, तो साधु उस नौका पर भी सवार न हो भले ही वह नाव एक योचन गामिनी हो या इससे भी अधिक तेज गति से चलने वाली क्यों न हो। तिस नौका के लिए गृहस्थ को पैसा देना पड़े या जिसमें साधु के लिए नए रूप से आरम्भ करना पड़े साधु उस नाव में न बैठे। परन्तु, जो नाव पहले से ही पानी में हो, तो उस नाव से पार होने के लिए वह नाविक से याचना करे और उसके स्वीकार करने पर एकांत स्थान में जाकर अपने भण्डोपकरणों को एकत्रित करे और अपने शरीर का सिर से लेकर पैर तक प्रमार्जित करे। उसके पश्चान् सागारिक सथाता करके त्रिवंश पूर्णक एक पैर पानी में और एक पैर स्थल पर रखकर यत्ना से नौका पर चढ़े।

प्रस्तुत सूत्र में ऊर्ध्वगामिनी अधोगामिनी और तिर्यग् गामिनी नौकाओं का उल्लेख किया गया है। और इसमें ऊर्ध्व और अधोगामिनी नौकाओं में बैठने का निषेध किया गया है। कारणतश्च केवल तिर्यग् गामिनी नौका पर सवार होने का ही आदेश दिया गया है। निशोथ सूत्र में भी ऊर्ध्व और अधोगामिनी नौकाओं पर सवार होने वाले को प्रायश्चित्त का अधिकारी बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय आकाश में उड़ने एव पानी में भीतर चलने वाली नौकाएँ भी होती थीं। ऊर्ध्वगामिनी नौका से यत्मान युग के हवाई जहाज जैसे यान का होना सिद्ध होता है और अधोगामिनी

ॐ जे भिन्नु उद्ध गामिनी वा नाव चह्ये गामिनि वा नाव उरुहति उरुहति वा साग्ज्जइ ।

—विषीवसुत्र, १८, १७।

नौका से पनडुबी का होना भी प्रमाणित होता है। वृत्तिकार ने उक्त तीनों तरह की नौकाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। उपाध्याय पार्श्वचन्द्र ने इन्हें स्रोत के सामने और स्रोत के अनुरूप और जल के मध्य में गतिशील नौकाएं बताया है। परन्तु यह अर्थ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। क्योंकि आकाश एवं जल के भीतर चलने वाली नौकाओं के निषेध का तात्पर्य तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। परन्तु, स्रोत के सामने एवं जल के मध्य में चलने वाली नौका पर सवार नहीं होने का तात्पर्य समझ में नहीं आता। इससे निष्कर्ष यह निकला कि साधु तिर्यग्-गामिनी (पानी के ऊपर गति करने वाली) नौका पर सवार हो सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में एक या अर्ध योजन (८ या ४ मील) तक पानी में रहने वाली नौका पर सवार होने का निषेध किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इतनी या इससे अधिक दूरी का मार्ग नौका के द्वारा तय करना नहीं कल्पता।

नौका में सवार होने के पूर्व जो सांगारी अनशन करने का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि यदि मैं कुशलता पूर्वक किनारे पहुंच जाऊं तो मेरे आहार-पानी का त्याग नहीं है। परन्तु, कभी प्रसंगवश बीच में कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरे आहार-पानी आदि का जीवन पर्यन्त के लिए त्याग है।

एक पैर पानी में तथा दूसरा पैर स्थल पर रखने का विधान आकाशिक जीवों को दया के लिए किया गया है और यहां स्थल का अर्थ पानी के ऊपर का आकाश-प्रदेश है, न कि पृथ्वी। इसका तात्पर्य यह है कि साधु को पानी को मथते हुए-आलोलित करते हुए नहीं चलना चाहिए, परन्तु विवेक पूर्वक धीरे से एक पैर पानी में और दूसरा

ॐ यह अपवाद मार्ग है। यदि दूसरा साफ मार्ग हो—जिसमें नदी नहीं पड़ती हो तो साधु को उस मार्ग से जाना चाहिए। यदि अन्य मार्ग न हो और नदी में पानी की अधिकता हो तो मुनि नौका द्वारा उसे पार कर सकता है और यह अपवाद मार्ग उत्सर्ग मार्ग की भांति मध्यम में सहायक एवं निर्दोष माना गया है। क्योंकि, आगम में इसके लिए कहीं भी प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया गया है। वर्तमान में नदी पार करने पर जो प्रायश्चित्त लेने की परम्परा है, वह नौका पर सवार होने या नदी पार करने का प्रायश्चित्त नहीं है। परन्तु, उसके लेने का उद्देश्य यह है कि आगम में जिस विधि से नदी पार करने एवं नौका में सवार होने का उल्लेख किया गया है, उस विधि का यथार्थ पालन नहीं होता है। अतः प्रमादवश जो आगम की विधि का उल्लंघन होता है, उसका प्रायश्चित्त लिया जाता है, न कि अपवाद मार्ग में नौका में सवार होने का। क्योंकि, अपवाद भी उत्सर्ग की तरह का सन्मार्ग है, यदि आगम में उल्लिखित विधि के अनुरूप समभाव से उसका सेवन किया जाए।

पैर पानी के ऊपर आनाश म रखना चाहिए, इसी विधि से नौका तक पहुँच कर विवेक के साथ नौका पर सवार होना चाहिए।

नौका से सम्बन्धित विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिकसृवा० नाव दुरूहमाणे नो नावाग्रो पुरग्रो
 दुरूहिज्जा नो नावाग्रो मगग्रो दुरूहिज्जा नो नावाग्रो
 मज्जग्रो दुरूहिज्जा नो वाहाग्रो पगिज्जिय २ यगुलियाए
 उद्विस्सिय २ योणमिय २ उन्नमिय २ निज्जाइज्जा । से ण
 परो नावाग्रो नावागय वइज्जा—आउसतो । समणा एय ता
 तुम नाव उक्कसाहिज्जा वा वुक्कसाहि वा खिवाहि वा रज्जू
 याए वा गहाय आकासाहि, नो से त परिन्न परिजाणिज्जा
 तुसिणीयो उवेहिज्जा । से ण परो नावाग्रो नावाग० वड० -
 आउम० नो सचाएसि तुम नाव उक्कसित्तए वा ३ रज्जूयाए
 वा गहाय आकसित्तए वा आहर एय नावाए रज्जूय सय चव
 ण वय नाव उक्कसिस्सामो वा जाव रज्जूए वा गहाय आक
 सिस्सामो, नो से त प० तुसि० । से ण प० आउस० एय ता
 तुम नाव आलित्तेण वा पीढएण वा वसेण वा वलएण वा
 अवलएण वा वाहेहि, नो से त प० तुसि० । से ण परो० एय
 ता तुम नावाए उदय हत्थेण वा पाएण वा मत्तेण वा पडिग्गहेण
 वा नावा उस्मिचणेण वा उस्मिचाहि, नो से त० से ण परो०

समणा ! एयं तुमं नावाए उत्तिंगं हृत्थेण वा पाएण वा वाहुणा
 वा उरुणा वा उदरेण वा सीसेण वा काएण वा उस्सिच्चणेण वा
 चेलेण वा मट्टियाए वा कुसपत्तएण वा कुविंदएण वा पिहेहि,
 नो से त० ॥ से भिक्खू वा २ नावाए उत्तिंगेण उदयं आसवमाणां
 पेहाए उवरुवरिं नावं कज्जलावेमाणिं पेहाए नो परं उवसंक्रमित्तु
 एवं वूया—आउसंतो गाहावइ एयं ते नावाए उदयं उत्तिंगेण
 आसवइ उवरुवरिं नावा वा कज्जलावेइ, एयण्णमारं मणां वा
 वायं वा नो पुरत्थो कट्टु विहरिज्जा अप्पुस्सुए अबहिल्लेसे
 एगंतगएण अप्पाणां विउसेज्जा समोहीए, तत्थो सं० नावा
 संतारिमे व्यउदए आहारियं रीइज्जा, एयं खलु सया जइज्जासि
 त्तिबेमि ॥११६॥

छाया—म भिज्जुवा० नावं दूरोहेत् न नावः पुरतो दूरोहेत्—
 (आरोहेत्) न नावः मार्गतः दूरोहेत्-आरोहेत् नो नावः मध्यत. आरुहेन्न
 वाहुभ्यां प्रगृह्य २ अङ्गुल्या उद्दिश्य २ अवनम्य २ उवनम्य २ निध्यायेत् ।
 सगरः नौगतः नौगतं वदेद् आयुष्मन्तः श्रमणाः ! एता तावत् त्व नावमु-
 त्कृर्ष्व, व्युत्कर्ष्व, क्षिपस्व वा रज्ज्वा वा गृहीत्वा आकृर्ष्व ? न स तां
 परिज्ञां परिजानीयात् तूष्णीकः उपेक्षेत । स परो नौगतो नौगत वदेद्-आयु-
 ष्मन्तः श्रमणाः ! न शक्नोपि त्व नावमुत्कर्षियतु वा ३ रज्ज्वा वा गृहीत्वा
 आकर्षियतुं वा आहर एतां नावः रज्जूकां स्वयं चैव वयं नाव उत्कर्षि-
 ष्यामः वा यावद् रज्ज्वा गृहीन्वा आकर्षिष्यामः, न स ता परिज्ञां परिजानीयात्
 तूष्णीक उपेक्षेत । स परः आयुष्मन्तः श्रमणाः ! एतां त्व नावमालिप्तेन वा

पीठकेन वा वशेन वा बलकेन वा श्वलुकेन वा वह, न स ता परिज्ञा परि-
जानीयात् तूष्णीव उपेक्षेत । स पर एता तावत् त्व नावि उदक हस्तेन
वा पादेन वा श्रमणेण वा पतद्ग्रहेण वा नावुर्त्तिमचनेन वा उत्तिसञ्चिस्व ?
न स ता । स पर ० श्रमणा । एता त्व नाय रन्ध्र हस्तेन वा पादेन
वा बाहुना वा उरुणा वा उदरेण वा शीर्षेण वा क्रायेन वा उत्तिसच
नेन वा चलेन वा मृचिरूपा वा कुशपत्रेण वा कुन्दिकेन वा पित्रेहि न स
ता । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा नाय रन्ध्रोदकमाश्रवमाण प्रेक्ष्य उपर्युण्णि
नाव प्लाव्यमानां प्रेक्ष्य न पर उपमक्रमितुमेव ब्रूयात् आयुष्मन् । गृहपते !
एतद् ते नावि उदक रन्ध्रेण आल्लवति, उपर्युपरि नो वा प्लवते, एतत् प्रकार
मनो वा वाच वा न पुरत कृत्वा निहरेत् । अल्पोत्सुक अवहिल्लेशयः एकान्त
गतेन आत्मान व्युत्सृजत् ममाधिना, तत सयत नो सन्तार्य चोदक यथाऽऽर्य
रीयेत्—गच्छेत् एता खलु सदा यायात् इति ब्रवीमि ।

पदाय—स भिक्षु वा—वह साधु या साध्वी । नाव—नौका पर । दुरुहमाण—
चता हुआ । नावाग्रो—नौका के । पुरतो—आगे । नो दुरुहिजा—न वठे । नावाग्रो—नौका
क । मज्जग्रो—मध्य म । नो दुरुहिजा—नवठ । नावाग्रो—नौका क । मज्जग्रो—पीछे ।
नो दुरुहिजा—न वठ । बाहग्रो—नौका की दानो ओर की बाहो की । पणिग्रो २—
पण्ड कर २ । अगुलिपाए—अगुली की । उदिसर २—उदस्य करके । प्रोणिय-अगुली ऊची
करके ओर । उतमि २—विप ऊची करके । नो निभाइजा—नानी को न देखे । ण—
वाक्यालकार म है । मे—वह नाविक । परो—पर । नावाग्रो—नावा में वठा हुआ । नावाग्रो—
नौका में सवर साधु क प्रति यति । वइजा—कहे कि । आउसतो सनणा—हे आयुष्मन
श्रमण । ता—पहले । एय—इस । नाव—नौका को । तुम—तू । उक्कसाहिजा—अमुक दिगा
का ओर गीच न ग्रववा । उक्कसाहि वा—विप रूप से खाव ले । विवाहि वा—ग्रववा अमुक
वस्तु को नौका में रखकर इसे चला ले या । रज्जूपाए वा गहाए—र मी को पण्ड कर खाव ले ।
से—वह भिक्षु । त—उन नाविक के । परि—इस प्रकार के वचन को । नो परिजाणि—
स्वीकार न कने । कि तु । तसिणीघो—मीन रूप में । उवहिजा—स्थित रह अर्थात् उसकी हा
या ना कुछ भी न वह । ण—वाक्यालकार में है ।

पदाय—से—वह । परो—पर । नावाग्रो—नौका में वठा हुआ नाविक । नावाग्रो—
नौका म स्थित साधु के प्रति । व—कहे कि । आउ—हे आयुष्मन श्रमण । यदि । तम—
तू । नाव—नौका को । उक्कसित्त वा—खचने के लिए । नो सचाएसि—समय नहीं है तो

फिर । रज्जूए वा—रस्सी को । गहाय—पकड कर । भाकसित्तए वा—यह रस्सी । आहर-मुझे दे दे । एय—इस । नावाए—नौका को । रज्जूय—रज्जू से । सय—मैं स्वयं अपने आप । च—फिर । एवं—निश्चय ही । णं—वाक्यालंकार मे है । वयं—हम लोग । नाव—नौका को । उक्कसिस्सामो—दृढ कर लगे । जाव—यावत् । रज्जूए—रज्जू को । गहाय—ग्रहण करके । आकसिस्सामो—रज्जू बान्ध कर विशेष रूप से दृढ करेगे । से—वह भिक्षु । त—उस नाविक के । प०—इस वचन को भी । नो परिजाणिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु । तुसि०—मौन भाव में रहे अर्थात् चुप रहे ।

पदार्थ—से—वह गृहस्थ । णं—वाक्यालंकार मे है । प०—पर-अन्य नाव मे बैठा हुआ नाविक साधु के प्रति कहता है कि । आउस—हे आयुष्मन् श्रमण ! ता—पहले । तुमं—तू । एयं—इस । नाव—नाव को । आलित्तेण वा—नौका के चलाने वाले चप्पू से या । पीढएण वा—पीठ से या । वंसेण वा—वास से अथवा । वलएण वा—वल्ली से—नौका के उपकरण विशेष से या । अवलुएण वा—नौका को चलाने का वास विशेष, उमसे । वाहेहि—नौका का आगे चला । से—वह भिक्षु । तं—उस नाविक के । प०—इस वचन को भी । नो परिजा-णिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु । तुसि०—मौन भाव से चुप रहे । णं—वाक्यालंकारमे है ।

पदार्थ—से—वह । परो०—अन्य नाव मे बैठा हुआ नाविक, नावागत साधु के प्रति कहने लगा कि हे आयुष्मन् श्रमण ! ता—पहले । तुमं—तू । एयं—इस । नावाए—नौका मे । उदयं—भरे हुए पानी को । हत्थेण वा—हाथ से । पाएण वा—अथवा पैर से या । मणत्ते - पात्र से । पडिग्गहेण वा—या वर्तन से या । नावा उस्सिचणेण वा—नौका में रखे हुए पानी उलीचने के पात्र से । उस्सिचाहि—इस पानी को नौका से बाहर निकाल । नो से तं—वह साधु उस नाविक के उन वचनो को भी स्वीकार न करे किन्तु मौन धारण करके बैठा रहे । णं—वाक्यालंकार मे है ।

पदार्थ—से—वह । परो—अन्य नावा मे बैठा हुआ नावागत साधु के प्रति कहने लगा । समणा ।—हे आयुष्मन् श्रमण ! तुमं—तू । एयं—इस । नावाए—नौका के । उत्तिगं—छिद्र को । हत्थेण वा—हाथ से । पाएण वा—पैर से । वाहुणा वा—वाहु-भुजा से । उरुणा वा—जघादि से । उदरेण वा—पेट से । सीसेण वा—सिर से । काएण वा—शरीर से । उस्सिचणेण वा—उत्सिचन—नौका से जल निकालने के पात्र विशेष से या । चेल्लेण वा—वस्त्र से । मट्ठिया वा—मिट्टी से या । कुसपत्तेण वा—कुशापत्र से । कुविदएण वा—कुविन्द नामक तृण विशेष से । पिहेहि—वन्द कर दे । नो से त०—वह साधु उस नाविक के इस वचन को भी स्वीकार न करे किन्तु मौनावलम्बन करके बैठा रहे ।

पदार्थ—से भिक्खू वा०—वह साधु अथवा साध्वी । नावाए—नौका के । उत्तिणेण—

पीठकेन वा वगेन वा बलकेन वा अडलुकेन वा वह, न सता परिज्ञा परि
 जानीयात् तूष्णीव उपेक्षेत । स पर' एता तात्रत् त्व नावि उदक हस्तेन
 वा पादेन वा अमत्रेण वा पतद्ग्रहेण वा नावुर्तिमचनेन वा उर्तिमच्चिच्य ?
 न स तां । स पर ० श्रमणा, । एता त्व नात्र' रन्ध्र हस्तेन वा पादेन
 वा बाहुना वा उरुणा वा उदरेण वा शीर्षेण वा फायेन वा उर्तिमच
 नेन वा चेलेन वा मृचिकया वा कुशपत्रेण वा कुविन्दकेन वा पित्रेहि न स
 ता । स भिभुर्वा भिक्षुकी वा नाव रन्ध्रोदकमाश्रवमाण प्रेक्ष्य उपर्युपरि
 नाव प्लाव्यमानां प्रेक्ष्य न पर उपमक्रमितुमेव ब्रूयात् आयुष्मन् ! गृहपते !
 एतद् ते नावि उदक रन्ध्रेण आस्रवति, उपर्युपरि नो वा प्लवते, एतत् प्रकार
 मनो वा वाच वा न पुरत कृत्वा विहरेत् । अल्पोत्सुक अवहिल्लेश्य, एकान्त
 गतेन आत्मान व्युत्सृजत् समाधिना, तत सयत् नो सन्तार्य चोदक यथाऽऽय
 रोयेत्—गच्छेत् एता खलु सदा यायात् इति व्रवीमि ।

पदाय—स भिक्षु वा—वह माधु या साध्वी । नाव—नौका पर । डुरुहमाण—
 चडना हुआ । नावाग्रो—नौका के । पुरओ—आगे । नो डुरुह्रिज्जा—न बडे । नावाओ—नौका
 क । मन्ध्रओ—मध्य म । नो डुरुह्रिज्जा—न बडे । नावाओ—नौका के । डूमगओ—पीछे ।
 नो डुरुह्रिज्जा—न बठ । बाओ—नौका की दाओं और की बाहा की । पगिञ्च २—
 पङ्क कर २ । अगुलिवाए—अगुली को । उदितेय २—उद्देश्य करके । पोगमिय—अगुली ऊची
 करके और । उतमिय २—विगप ऊची करके । नो मिन्हाइज्जा—पानी को न देने । ण—
 वाक्यालकार मे है । से—वह नाविक । परो—प्र य । नावा गओ—नावा में बठा हुआ । नावागय—
 नौका में सवर साधु के प्रति यत्न । बइज्जा—कहे कि । आउसतो समणा—हे प्राडुष्मन
 श्रमण ! ता—पहले । एय—इस । नाव—नौका को । तुम—तू । उक्कसाहिजा—अमुक िगा
 की आर खाच ल अथवा । बुक्कसाहि वा—विशेष रूप स खीच ले । खिवाहि वा—अथवा अमुक
 वन्तु को नौका में रखकर इसे चना ल या । रन्जूवाए वा गहाय—रम्मी को पङ्क कर खीच ले ।
 से—वह भिक्षु । त—उप नाविक के । परिन्—इम प्रकार के वचन को । नो परिजाविज्जा—
 स्वीकार न कर । वि तु । तसिणीओ—मोन रूप में । उवेहिजा—स्थित रहे अर्थात् उसको हा
 या ना कुछ भी न वह । ण—वाक्यालकार में है ।

पदाय—से-वत् । परो—अय । नावागओ—नौका में बठा हुआ नाविक । नावाग—
 नौका म स्थित साधु क प्रति । बइ०—कह कि । आउ—हे प्राडुष्मन श्रमण ! यदि । तम—
 तू । नाव—नौका को । उक्कसित्तय वा—वचने के लिए । नो सचाएत्ति—समय नहीं है तो

पीठ से, बांस से, बलक और अबलुक से आगे कर दे। नाविक के इस वचन को भी स्वीकार न करता हुआ साधु मौन रहे।

फिर नाविक बोले कि आयुष्मन् श्रमण ! तू नाव में भरे हुए जल को हाथ से, पांव से, भाजन से, पात्र से और उत्सिंचन से बाहर निकाल दे। नाविक के इस कथन को भी अस्वीकार करता हुआ साधु मौन रहें। यदि फिर नाविक कहे कि — आयुष्मन् श्रमण ! तू नावा के इस छिद्र को हाथ से, पैर से, भुजाओं से, जघा से, उदर से, सिर से और शरीर से, नौका से जल निकालने वाले उपकरणों से, वस्त्र से, मिट्टी से, कुश पत्र और कुबिंद से रोक दे — बन्द कर दे। साधु नाविक के उक्त कथन को भी अस्वीकार कर मौन धारण करके बैठा रहे।

साधु या साध्वी नौका में छिद्र के द्वारा जल भरता हुआ देखकर एवं नौका को भरती हुई देखकर, नाविक के पास जाकर ऐसे न कहे कि हे आयुष्मन् गृहपते ! तुम्हारी यह नौका छिद्र द्वारा जल से भर रही है और छिद्र से जल आ रहा है। इस प्रकार के मन और वचन को उस ओर न लगाता हुआ विचरे। वह शरीर एवं उपकरणादि पर मूर्च्छा न करता हुआ, लेश्या को समय में रखे तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में समाहित होकर आत्मा को राग और द्वेष से रहित करने का प्रयत्न करे। और नौका के द्वारा तैरने योग्य जल को पार करने के बाद जिस प्रकार तीर्थंकरों ने जल के विषय में ईर्या समिति का वर्णन किया है—उसी प्रकार उसका पालन करे। यही साधु का समग्र आचार है अर्थात् इसी में उसका साधु भाव है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि नाविक साधु को नौका के बांधने एवं खोलने तथा चलाने आदि का कोई भी कार्य करने के लिए कहे तो साधु को उसके वचनों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परन्तु, मौन रहकर आत्म-चिन्तन में सलग्न रहना

छिद्र के द्वारा । उच्य - पानी को । घातवमाण - घात हुआ । पेहाए - देववर । उवधरि -
 पन्न स जल म । नाव - नौका को । वज्जलावेमणि - भरी हुई । पेहाए - देखकर । पर -
 म य गृहस्थ के । उच्यमित्त - पास जाकर । मो एय वूया - इस प्रकार न बहे कि । भाउसतो
 ग हावड - ० प्रायुष्मन् गृहपते ! एवंते - तुम्हारी इस । नावाए - नौका में । उत्तिपग -
 छिद्र के द्वारा । उच्य - जल । घानवड - प्रारंभ है । उवधरि - ऊपर २ बहुत जल से ।
 नावा या - नौका । वज्जव वेड - भर रही है । एउपरार - इस प्रकार के । मग वा वाय वा -
 मन प्रयत्न बचन को । पुरमो कण्ट - प्रागे करने प्रयत्न प्रदान रखकर । मो विहरिज्जा - विहरण
 न करे किन्तु । अणुसुमु - शरीर तथा उपकरणों पर ममत्वन रक्षता हुआ, शीर । अथ
 हित्तेसे - जिस की सभ्य से बाहर ले गया नहीं है तथा । एगवणएग - एकाएक गत प्रयत्न राग
 द्वय स रहित होकर । अण्वाण - आत्मा को आत्मगत ममत्त्व भाव को । विउतज्जा - छोड़ कर
 शीर । समाहीए - जानबगन तथा चारित्र्य में समाहित होकर रहे । समो - नदननर । सज
 घामेव - पवन साधु । गधासतारिमे - नौका से तरने योग्य । इउवए - जल में । आहारिय -
 जिस प्रकार था त तीरकरो ने ईर्ष्या का वगन किया है उनी प्रकार । शीज्जा - चले । एव
 चल - निश्चय ही यह । सवा - मग ही । जइज्जाति - पनना गील बने । तिपेमि - इस प्रकार
 में बहता है ।

मूलार्थ - नाधु या साधु नौका पर चढ़ते हुए नौका के आगे, पीछे और
 मध्य में न बैठे । और नौका के बाजू को पकड़कर या अगुली द्वारा उद्देश्य
 (स्पर्श) करके तथा अगुली ऊंची करके जल को न देखे । यदि नाविक साधु
 के प्रति कहे कि हे आयुष्मन् श्रमण ! तू इस नौका को खींच या अमुक
 वस्तु का नौकामें रखकर और रज्जू को पकड़कर नौका को अच्छी तरह
 से बांध दे । या रज्जू के द्वारा जोर से बस दे । इस प्रकार के नाविक के
 वचनों को साधु स्वीकार न करे किन्तु मोन वृत्ति को धारण कर
 अवस्थित रहे ।

यदि नाविक फिर कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! यदि तू इस प्रकार नहीं
 कर सकता तो मुझ रज्जू लाकर दे । हम स्वयं नौका को दृढ़ बंधनों से
 बांध लगे और उसे चलायेंगे फिर भी साधु चुप रह ।

यदि नाविक कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! तू इस नौका का चप्पू से,

पीठ से, बांस से, बलक और अबलुक से आगे कर दे। नाविक के इस वचन को भी स्वीकार न करता हुआ साधु मौन रहे।

फिर नाविक बोले कि आयुष्मन् श्रमण ! तू नाव में भरे हुए जल को हाथ से, पाव से, भाजन से, पात्र से और उत्सिंचन से बाहर निकाल दे। नाविक के इस कथन को भी अस्वीकार करता हुआ साधु मौन रहें। यदि फिर नाविक कहे कि — आयुष्मन् श्रमण ! तू नावा के इस छिद्र को हाथ से, पैर से, भुजाओं से, जवा से, उदर से, सिर से और शरीर से, नौका से जल निकालने वाले उपकरणों से, वस्त्र से, मिट्टी से, कुश पत्र और कुविद से रोक दे — बन्द कर दे। साधु नाविक के उक्त कथन को भी अस्वीकार कर मौन धारण करके बैठा रहे।

साधु या साध्वी नौका में छिद्र के द्वारा जल भरता हुआ देखकर एवं नौका को भरती हुई देखकर, नाविक के पास जाकर ऐसे न कहे कि हे आयुष्मन् गृहपते ! तुम्हारी यह नौका छिद्र द्वारा जल से भर रही है और छिद्र से जल आ रहा है। इस प्रकार के मन और वचन को उस ओर न लगाता हुआ विचरे। वह शरीर एवं उपकरणादि पर मूर्छा न करता हुआ, लेश्या को समय में रखे तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में समाहित होकर आत्मा को राग और द्वेष से रहित करने का प्रयत्न करे। और नौका के द्वारा तैरने योग्य जल को पार करने के बाद जिस प्रकार तीर्थंकरों ने जल के विषय में ईर्या समिति का वर्णन किया है—उसी प्रकार उसका पालन करे। यही साधु का समग्र आचार है अर्थात् इसी में उसका साधु भाव है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि नाविक साधु को नौका के बांधने एवं खोलने तथा चलाने आदि का कोई भी कार्य करने के लिए कहे तो साधु को उसके वचनों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परन्तु, मौन रहकर आत्म-चिन्तन में सलग्न रहना

द्विज के गारा । उच्य—पानी को । घातवमाण—घाना हुआ । वेहाए—दखकर । उवहर्षरि—
 बहुत मे जत मे । नाव—नौका को । कञ्जलावेमाणि—भरी हुई । वेहाए—देखकर । पर—
 प्राय गहस्य के । उच्यकमित्त—पास जाकर । नो एय ब्रूया—इन प्रकार न कहे कि । आउसती
 ग हावइ —२ प्रायश्चिन् गृहपते ! एवंते—नुम्हारी इस । नावाए—नौका में । उत्तिग—
 द्विज क द्वारा । उच्य—जन । घानवइ—पारहा है । उवहर्षरि—ऊपर २ बहुत जल से ।
 नावा वा—नौका । कञ्जनवेइ—भर रणो है । एउगार—इस प्रकार के । मग वा वाय वा—
 मन पयवा वचन को । पुरयो कट्टु—भागे करके भयान् प्रयान रसकर । नो विहरिउजा—बिहरण
 न कर किन्तु । अणुसुण—गरीर तथा उपकरणों पर ममत्वन रक्षता हुआ, धीर । घञ
 हिलेसे—जिस की सयन स बाहर लेया नहीं है तथा । एगवणएग—एकान्त गत भयान् राग
 द्वय स रहित होकर । अण्णण—प्रात्मा की धातुगत ममद्वय भाव को । विउसइजा—छोड़ कर
 धीर । समाहीर—पानवगन तथा चारित्र में समाहित होकर रहे । तपो—नदनन्तर । सज
 यामेव—पयन साधु । नावासत्तारिमे—नौका से तरने योग्य । वउवए—जल में । प्राहारिय—
 जिम प्रकार भन न तीरकरो मे र्वी का वगन किया है उनी प्रकार । रीउजा—बने । एव
 पल—निश्चय हा यह । सया—नहीं ही । जउजासि—पनना नील बने । तिउेमि—इस प्रकार
 में बढ़ता है ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी नौका पर चढते हुए नौका के आगे, पोछे और
 मध्य मे न बैठे । और नौका के बाजू को पकडकर या अगुली द्वारा उद्देश्य
 (स्पर्श) करके तथा अगुली ऊंची करके जल को न देखे । यदि नाविक साधु
 के प्रति कह कि हे आयुष्मन् श्रमण ! तू इस नौका को खीच या अमुक
 वस्तु का भौका म रखकर और रज्जू को पकडकर नौका को अच्छी तरह
 मे बान्ध दे । या रज्जू के द्वारा जोर से बस दे । इस प्रकार के नाविक के
 वचनों को साधु स्वीकार न करे किन्तु मोन वृत्ति को धारण कर
 अवस्थित रहे ।

यदि नाविक फिर कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! यदि तू इस प्रकार नहीं
 कर सकता तो मुझ रज्जू लाकर दे । हम स्वयं नौका को दृढ़ बंधनों से
 बान्ध लेंगे और उसे चलायेंगे फिर भी साधु चुप रहे ।

यदि नाविक कह कि आयुष्मन् श्रमण ! तू इस नौका को चप्पू से,

प्रस्तुत सूत्र में साधु की विशिष्ट साधना एवं उत्कृष्ट अध्यवसायों का उल्लेख किया गया है। नौका में आरूढ़ हुआ साधु अपने विचार एवं चिन्तन को इधर उधर न लगाकर आत्म चिन्तन में ही लगाए रहता है और ६ काय की रक्षा के लिए अपने जीवन् का व्यामोह भी नहीं रखता है। इसलिए नौका में पानी भरने की स्थिति में भी जबकि उसका अपना जीवन भी संकट में पड़ा हो, आध्यात्मिक विचारणा में व्यस्त रहना उसको विराट् साधना का प्रतीक है, इससे उसके आत्म-चिन्तन को स्थिरता का स्पष्ट परिचय मिलता है। इस तरह प्रस्तुत सूत्र में दिया गया आदेश साधुत्व की विशुद्ध साधना के अनुकूल ही प्रतीत होता है।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

चाड़िए। इसी तरह नौका में पानी भर रहा हो तो साधु को उसकी सूचना भी नहीं देनी चाहिए। इन सूत्रों से कुछ पाठकों के मन में यह मन्दह हो सकता है कि यह सूत्र दया निष्ठ साधु की अहिंसा एवं दया भावना का परिपोषक नहीं है। परन्तु, यदि इस सूत्र पर गहराई से सोचा विचारा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्तुत सूत्र साधु के अहिंसा महाव्रत का परिपोषक है। क्योंकि, साधु का कार्य सरल है, यदि वह नाव को रोकने, वाधने एवं चलाने आदि का प्रयत्न करेगा तो उसमें अनेक त्रस एवं स्थान कायिक जीवों की हिंसा होगी और नौका में छिद्र आदि का कथन करने से एकाएक लोगों के मन में भय की भावना का संचार होगा। जिससे उनमें भाग दौड़ भव जाना सम्भव है और परिणाम स्वरूप नाव खतरनाक स्थिति में पहुँच सकती है। इसलिए साधु को इन मय क्रमों से दूर रहकर अपने आत्म-चिन्तन में सलग्न रहना चाहिए। इसमें उन अन्य व्यक्तियों के साथ साधु स्वयं भी तो उसी नौका में मग्न है। यदि नौका में किसी तरह की गड़बड़ होती है तो उसमें साधु का जीवन भी तो खतरे में पड़ता है। फिर भी साधु अपने लिए किसी तरह का प्रयत्न नहीं करता। क्योंकि जिस प्रवृत्ति में अन्य जीवों की हिंसा हो वैसे प्रवृत्ति करना साधु को नहीं कल्पता। प्रस्तुत सूत्र में साधुत्व की उत्कृष्ट साधना को लक्ष्य में रखकर यह आदेश दिया है कि वह मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर भी नाव में होने वाली किसी तरह की सावय प्रवृत्ति में भाग नहीं ले परन्तु मौन भाव से आत्म चिन्तन में लगा रहे।

यदि कोई साधारण साधु कभी परिस्थितियों का व्यावहारिक दृष्टि को सामने रखकर नौका को सड़क से बचाने के लिए कोई प्रयत्न करे तो उसे भगवान द्वारा दी गई आज्ञा के उल्लंघन का प्रायश्चित्त लेना चाहिए। निशोथ सूत्र में नौका सम्बन्धी कार्य करने का जो प्रायश्चित्त बताया गया है वह— जो लोगों के प्रति मुनि की दया भावना है उनकी रक्षा की दृष्टि है उसका नहीं है वह प्रायश्चित्त केवल मर्यादा भंग का है। क्योंकि, उक्त प्रवृत्ति में प्रमादवश हिंसा का होना भी सम्भव है, इसलिए उक्त दोष का निवारण करने के लिए ही प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। और उक्त क्रियाओं के करने का लघु धौमासिक प्रायश्चित्त बताया गया है।

कुछ प्रतियों में प्रस्तुत सूत्र का अंतिम अंश इस प्रकार भी मिलता है— 'एव सतु तस्मिन् भिक्षुस्य भिक्षुणाए वा सामगिय ज मध्वटर्द्धि सहिते सण जएज्जाणि।' परन्तु, इससे अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है।

तृतीय अध्यायन-ईयैपणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक के अन्तिम दो सूत्रों में नौका से नदी पार करने का उल्लेख किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में यह अभिव्यक्त किया गया है कि नौका पर सवार होने के पहले और बाद में साधु को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से शां परो शावा० आउमंतो समणा ! एयं ता तुमं
छत्तगं वा जाव चम्मछेयणगं वा गिरहाहि, एयाणि तुमं विरुव-
रुवाणि सत्थजायाणि धारेहि, एयं ता तुमं दारगं वा पज्जेहि,
नो से तं० ॥१२०॥

छाया—स परः नाविगतः नाविगतं वदेन् आयुष्मन् श्रमण ! एतन् तावत् त्वं
छत्रकं वा यावत् चर्मछेदनकं वा गृहाण एतानि त्वं विरूपरूपाणि शस्त्रजातानि
धारय ? एतं तावत् त्वं दारकं वा पायय, न स ता परिज्ञां परिजानीयात्, तूष्णीकः
उपेक्षेत ।

पदार्थ—ण —वाक्यालंकार में है। से—वह। परो शावा०—यदि नाविक नौका में
बैठे हुए मुनि को इस प्रकार। वदेज्जा—कहे। आउसतो समणा—हे आयुष्मन् श्रमण ! ।
ता—पहले। तुमं—तू। एय—मेरे इस। छत्तगं वा—छत्र। जाव—यावत्। चम्मछेयणगं
वा—चर्म छेदिका—चमड़े को काटने के शस्त्र विशेष को। गिरहाहि—ग्रहण कर और फिर।
तुम—तू। एयाणि—ये। विरुवरूपाणि—नाना प्रकार के जो। सत्थजायाणि—शस्त्र—आयुध
विशेष हैं इनको। धारेहि—धारण कर, तथा। ता—पहले। तुमं—तू। एयं—इस। दारगं—
वालक को। पज्जेहि—पानी आदि पिता दे। से—वह साधु। तं—उस नाविक-गृहस्थ के
इस। परिन्नं—वचन को। नो परिजाणिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु। तूष्णीप्रो—मीन
धारण करके। उवेहेज्जा—बैठा रहे।

तृतीय अध्यायन—ईशेषणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक के अन्तिम दो सूत्रों में नौका से नदी पार करने का उल्लेख किया गया है। अत्र प्रस्तुत उद्देशक में यह अभिव्यक्त किया गया है कि नौका पर संचार होने के पहले और बाद में साधु को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से शां परो शावा० आउसंतो समणा ! एयं ता तुमं
छत्तगं वा जाव चम्मछेयणगं वा गिरहाहि, एयाणि तुमं विरुव-
रूवाणि सत्यजायाणि धारेहि, एयं ता तुमं दारगं वा पज्जेहि,
नो से तं० ॥१२०॥

छाया—स परः नाविगतः नाविगतं वदेत् आयुष्मन् श्रमण ! एतन् तावत् त्वं
छत्रकं वा यावत् चर्मछेदनकं वा गृहाण एतानि त्वं विरूपरूपाणि शस्त्रजातानि
धारय ? एतं तावत् त्वं दारकं वा पायय, न स तां परिज्ञां परिजानीयात्, तूष्णीकः
उपेक्षेत ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकार में है। से—वह। परो शावा०—यदि नाविक नौका में
बैठे हुए मुनि को इस प्रकार। वदेज्जा—कहे। आउसतो समणा—हे आयुष्मन् श्रमण !।
त्वं—पहले। तुमं—तू। एयं—मेरे इस। छत्तग वा—छत्र। जाव—यावत्। चम्मछेयणगं
वा—चर्म छेदिका—चमड़े को काटने के शस्त्र विशेष को। गिरहाहि—ग्रहण कर और फिर।
तुमं—तू। एयाणि—ये। विरुवरूपाणि—नाना प्रकार के जो। सत्यजायाणि—शस्त्र—आयुध
विशेष है इनको। धारेहि—धारण कर, तथा। ता—पहले। तुमं—तू। एयं—इस। दारगं—
वालक को। पज्जेहि—पानी आदि पिता दे। से—वह साधु। त—उस नाविक-गृहस्थ के
हम। परिन्नं—वचन को। नो परिजाणिज्जा—स्वीकार न करे किन्तु। तूष्णीप्रो—मौन
धारण करके। उवेहेज्जा—बैठा रहे।

मूलार्थ—यदि नाविक नाव पर सवार मुनि को यह कहे कि हे यायु रमन धमण ! बहने तू मेरा छत्र यावत् चमछेदन करने के शस्त्र का ग्रहण कर । इन विविध शस्त्रों को धारण कर और इम बालक का पानी पिला द । वह माधु उमके उक्त वचन को स्वीकार न करे, किन्तु मौन धारण करके बैठा रहे ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि नाविक साधु को छत्र, शस्त्र आदि धारण करने के लिए कहे या अपने बालक को पानी पिलाने के लिए कहे तो साधु उमकी बात को स्वीकार न करे, किन्तु मौन भाव से आत्म चिन्तन में सलग्न रहे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाविक मुनि जीवन से सदा अपरिचित होने के कारण उसे ऐसे आदेश देता है । यदि वह साधु के त्याग निष्ठ जीवन से परिचित हो तो वह साधु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता । अतः उसके भाषण करने के दण से उसकी अनभिज्ञता प्रकट होती है और साधु के मौन रहकर उसके आदेश को अस्वीकार करने के पीछे एकाग्रता प्राणी जगत की रक्षा एवं संयम साधना को विशुद्ध रखने का भाव स्पष्ट होता है । क्योंकि, यदि साधु छत्र, शस्त्र आदि धारण करेगा तथा नाविक के धर्मों को पानी पिलाएगा या उसके ऐसे ही अन्य कार्य करेगा तो उममें त्रस एवं स्थावर अनेक जीवों की हिंसा होगी और परिणाम स्वरूप उसकी संयम साधना भी टूट जाएगी । अतः साधु को नाविक के आदेशानुसार कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु मौन भाव से उसे अस्वीकार करके अपनी आध्यात्मिक साधना में व्यस्त रहना चाहिए ।

नाविक का कार्य न करने पर यदि कोई नाविक क्रुद्ध होकर साधु के साथ दुष्टता या व्यवहार करे, उसे उठाकर नदी की धारा में फेंक दे तो उस समय साधु को क्या करना चाहिए ? इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से ण परो नावागए नावागय वएजा—याउसतो ।

एस ण समणे नावाए भडभारिए भवइ, से ण वाहाए गहाय
नावायो उदगसि पक्खिविजा, एयप्पगार निग्घोस सुच्चा निसम्म
से य चीवरधारी सिया खिप्पामेव चीवराणि उव्वेढिज्ज वा निने

ढिञ्ज वा उप्फेसं वा करिञ्जा, अह० अभिवकंतकूरकमा खलु
 वाला वाहाहिं गहाय ना० पक्खिविञ्जा से पुञ्चामेव वइञ्जा—
 आउसंतो ! गाहावई मा मेत्तो वाहाए गहाय नावाओ उदगंसि
 पक्खिवह, सयं चेव णं अहं नावाओ उदगंसि ओगाहिस्सामि,
 से शेवं वयंतं परो सहसा वलसा वाहाहिं ग० पक्खिविञ्जा तं
 नो सुमणे सिया, नो दुम्मणे सिया, नो उच्चावयं मणं नियंदिञ्जा
 नो तेसिं वालाणं घायए वहाए समुट्ठिञ्जा, अप्पुस्सुए जाव
 समाहीए तथो सं० उदगंसि पविञ्जा ॥१२१॥

छाया—स परो नीगतः नीगतं वदेत्-आयुष्मन् ! एष श्रमणः नावि
 भाण्डभारोभवति, तदेनं वाहुभ्यां गृहीत्वा नावः उदके प्रक्षिपत एतत् प्रकारं
 निर्घोष श्रुत्वा निशम्य स च चीवरधारी स्यात्, क्षिप्रमेव चीवराणि उद्वेष्टयेद्
 वा निर्वेष्टयेद् वा, उप्फेसं-शिरोवेष्टनं वा कुर्यात्, अथ पुनरेवं जानीयाद् अभि-
 क्रान्तकूरकर्माणः खलु वालाः वाहुभ्यां गृहीत्वा नावः उदके प्रक्षिपेयुः स
 पूर्वरेव वदेत्-आयुष्मन् गृहपते ! मा मां, इतो वाहुभ्यां गृहीत्वा नावः उदके
 प्रक्षिपत ! स्वयं चैव अह नावः उदके अत्रगाहिष्ये तम्. एव वदन्त परः सहसा
 चलेन वाहुभ्या गृहीत्वा नावः उदके प्रक्षिपेत् तदा न सुमनाः स्यान्न दुर्मनाः
 स्यान्न उच्चावचं मनः नियच्छेन्न तेषां वालानां घाताय वधाय समुत्तिष्ठेद्
 अल्पोत्सुकः यावत् समाधिना तत्. सयतमेव उदके प्लवेत् ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकार मे है। से—वह । परो नावागए—नौका पर सवार
 नाविक । नावागय—यदि नौका पर चढे हुए अन्य गृहस्थ को । वएञ्जा—इस प्रकार कहे ।
 ण—वाक्यालंकार में है। आउसते—हे आयुष्मन् गृहस्थ ! एस—यह । समणे—साधु ।
 नावाए—नौका मे बैठा हुआ साधु । भडमारिए नवइ—चेष्टारहित भाण्डोपकरण की भांति

भार रूप है। ण—प्राग्वत् । से—इमं । बाहाए—भुजाभा से । गहाय—पक्क कर । नावाभो—नाव से बाहर । उदगसि—जल में । पक्खिविज्जा—फेंक दा गिरा दो । एप्पगार—इम प्रकार के । निगघोस—निर्घोष गन् को । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—जल में विचार कर । य—फिर । से—वह साधु । चीवरपारी मिया—यदि वस्त्रपारी हो तो । लिप्पामेव—जानी ही । चीवरणि—घस्त्रो को । उग्गेडिज्जा—पक्क कर दे । वा—भयवा । निवेडिज्जा वा—एकत्र कर उहे भनी भान्ति बाध ले या । उक्केम वा करिज्जा—सिर पर लपेट ल । अह पुणेव आणिक्का—घोर फिर इस प्रकार जाने । खलु—निश्चयापक है । भमिफत कूर कम्मा—मत्स्यन क्रूर कम करने वाला । बाला—ये भजानी जीव । बाहाहि गहाय—मुझे भजाभो से पक्क कर । नावाभो—नौका से बाहर । उदगसि—जल में । पक्खिविज्जा—गिरावेंगे । से—वह साधु । पुत्रामेव—उससे पूव ही उनक प्रति इस प्रकार । वड्ढज्जा—कहे । घाउसतो गाहावई—आयुष्मन् गृहस्थो । मेत्तो—मुझे इम नौका से । बाहाए गहाय—भुजाभो से पक्क कर । नावाभो—नौका से बाहर । उदगसि—जल में । मा पक्खिवह—मन फको । व—फिर । एव—निश्चय । ण—वाक्कवालकार म है । अह—मैं । सय—स्वय ही । नावाभो—तुम्हारी नौका से । उदगसि—जल में । ओगाहिम्सामि—उतर जाऊगा । से—उस साधु के । ण—प्राग्वत् । एव—इम प्रकार । वयत—बोलते हुए यदि । परो—अप्य गृहस्थ । सहसा—साहम पूवक नीघ्न ही । वलसा—वन पूवक । बाहाहि गहाय—उस भुजाभो से पक्क कर । पक्खिविज्जा—जल में फेंक दे । त—तो वह साधु । सुमणे—थल मन वाला । नो सिया—न हो तथा । दुम्भण—दुष्ट मन वाला भी । नो सिया—न होवे घोर । नो उच्चावय मण निय डिज्जा—मनने मन को ऊचा नीचा भी न करे तथा । तेसि बालाण—उन बाल भजानी जीवो का । घापाए—घान करने के लिए । वहाण—वध करने के लिए भी । नो समुट्ठिज्जा—उत्पन्न न हो प्रयान उनक विनाग का उद्योग न करे किन्तु । एप्पुसुए—राग-द्वय से रहित होकर । आव—यावन । समाहीए—समाधि से समय में विचरे । तपो—तपन तर । न—साधु । उदगसि—जल में । पक्खिज्जा—घाति पूवक प्रविष्ट हो जाए, तात्पर्य यह है कि जल में वहना हूमा मन में उन गृहस्थानि के प्रति किसी प्रकार का राग द्वय न रख ।

मूलार्थ—यदि नाविक नौका पर बठ हुए किसी अन्य गृहस्थ को इस प्रकार कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ । यह साधु जड वस्तुओं की तरह नौका पर केवल भार भूत ही है । यह न कुछ सुनता है और ना कोई काम ही करता है । अतः इसको भुजा से पक्क कर इसे नौका से बाहर जल में फेंक दो । इमप्रकार के शब्दों को सुनकर और उहे हृदय में धारण करके

वह मुनि यदि वस्त्रधारी है तो शीघ्र ही वस्त्रों को फैलाकर, फिर उन्हें अपने सिर पर लेपट कर विचार करे कि ये, अत्यन्त क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी लोग मुझे भुजाओं से पकड़कर नौका से बाहर जल में फेंकना चाहते हैं। ऐसा विचार कर वह उनके द्वारा फेंके जाने के पूर्व ही उन गृहस्थों को सम्बोधित करके कहे कि आयुष्मन् गृहस्थो ! आप लोग मुझे भुजाओं से पकड़ कर जवरदस्ती नौका से बाहर जल में मत फेंको। मैं स्वयं ही इस नौका को छोड़ कर जलमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। साधु के ऐसे कहने पर भी यदि कोई अज्ञानी जीव शीघ्र ही बलपूर्वक साधु की भुजाओं को पकड़ कर उसे नौका से बाहर जल में फेंकदे, तो जल में गिरा हुआ साधु मन में हर्ष-शोक न करे। वह मनमें किसी तरह का संकल्प-विकल्प भी न करे और उनकी घात-प्रतिघात करने का तथा उनसे प्रतिशोध लेने का विचार भी न करे इस तरह वह मुनि राग द्वेष से रहित होकर समाधिपूर्वक जल में प्रवेश कर जाए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखने का आदेश दिया गया है। साधुता का आदर्श ही यह है कि वह दुःखों की तपती हुई दोपहरी में भी समभाव की सरस धारा को न सूखने दे। अपने आदेश का पालन होते हुए न देखकर यदि कोई नाविक उसे नदी की धारा में फेंकने की योजना बनाए और साधु उसे सुन ले तो उस समय साधु उस पर क्रोध न करे और न उसका अनिष्ट करने का प्रयत्न करे, प्रत्युत वह उससे मधुर शब्दों में कहे कि तुम मुझे फेंकने का कष्ट क्यों करते हो। यदि मैं तुम्हें बोक रूप प्रतीत होता हूँ और तुम मुझे तुरन्त ही नौका से हटाना चाहते हो तो तो मैं स्वयं ही सरिता की धारा में उतर जाता हूँ। उसके इतना कहने पर भी यदि कोई अज्ञानी नाविक उसका हाथ पकड़कर उसे जल में फेंक दे, तो साधु उस समय शांत भाव से अपने भौतिक देह का त्याग कर दे। परन्तु, उस समय उन व्यक्तियों पर मन से भी क्रोध न करे और न उनसे प्रतिशोध लेने का ही सोचे और उन्हें किसी तरह का अभिशाप भी न दे और न दुर्वचन ही कहे।

प्रस्तुत सूत्र में साधुता के आदर्श एवं उज्ज्वल स्वरूप का एक चित्र उपस्थित

क्रिया गया है। साधु को इस विराट् साधना का यथार्थ रूप तो अनुभव गम्य ही है, शब्दों के द्वारा उस स्वरूप को प्रकट करना कठिन ही नहीं, असम्भव है। आत्मा के इस विशुद्ध आचरण के सामने दुनिया की सारी शक्तियाँ निस्तेज हो जाती हैं इसके प्रखर प्रकाश के सामने सहस्र-सहस्र सूर्यों का प्रकाश भी धूमिल सा प्रतीत होता है। आत्मा को यही महान शक्ति है जिसकी साधना करके मानव आत्मा से परमात्मा बनता है साधक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है।

इस सूत्र में सचेलक साधु को ही निर्देश करके यह आदेश दिया गया है। क्योंकि जिनकल्पी मुनि मुखवस्त्रिका एव रजोहरण ही रखते हैं, परन्तु, यद्वा पर वस्त्रों को फँलाकर फिर उन्हें समेटने का आदेश दिया गया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि यह पाठ स्थविर कल्पी मुनि को लक्ष्य करके कहा गया है। परन्तु, सूत्रकार ने प्रस्तुत प्रकरण में वस्त्र की तरह पात्र का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं किया यह विद्वानों के लिए विचारणीय है।

यदि कोई नाविक साधु को जल में फँक दे तो उस समय उसे क्या करना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० उदगसि पवमाणे नो हत्थेण हत्थ
पाएण पाय काएण काय यामाडज्जा, से यणासायणाए यणा-
सायमाणे तथो स० उदगंमि पविज्जा ॥ से भिक्खू वा० उदगंसि
पवमाणे नो उम्मुग्गनिमुग्गिण करिज्जा, मामेय उदग वन्नेसु
वा यच्छीसु वा नक्कसि वा मुहसि वा परियावज्जिज्जा, तथो०
मजयामेव उदगसि पविज्जा ॥ से भिक्खू वा उदगमि पवमाणे
दुव्वलिय पाउणिज्जा, खिप्पामेव उवहि विग्गिच्चिज्ज वा विसोहि-
ज्ज वा नो चेव ण साडज्जिज्जा, अह पु० पारए सिया उदगा
थो तीर पाउणित्तए, तथो सजयामेव उदउल्लेण वा ममि-

शिङ्गेण वा काएण उदगतीरे चिट्ठिज्जा ॥ से भिक्खू वा०
 उदउल्लं वा २ कायं नो आमज्जिज्जा वा णो पमज्जिज्जा वा
 संलिहिज्जा वा निल्लिहिज्जा वा उव्वलिज्जा वा उव्वट्ठिज्जा वा
 आयाविज्ज वा पया०, अह पु० विगतोदयो मे काए ण्णिन्-
 सिणेहे काए तहप्पगारं कायं आमज्जिज्ज वा पयाविज्ज वा तयो
 सं० गामा० दूइज्जिज्जा ॥१२२॥

छाया—स भिक्षुर्वा० उदके प्लवमानः नो हस्तेन हस्तं पादेन पादं कायेन
 काय आसादयेत्, स अनासादनया अनासादमानः ततः संयतमेव उदके
 प्लवेत् । स भिक्षुर्वा० उदके प्लवमानः नो उन्मज्जनानेमज्जने कुर्यात् मा मे एतद्
 उदकं कर्णयोः वा अक्षयोः वा नासिकयोः वा मुखे वा पर्यापद्येत्, ततः संयतमेव
 उदके प्लवेत् । स भिक्षुर्वा उदके प्लवमानः दौर्बल्यं प्राप्नुयात् । क्षिप्रमेव
 उपधिं विगिचेत्—त्यजेत् वा विशोधयेत् वा नो चैवंसादयेत् । अथ पुनरेव
 जानीयात् पारगः स्याद् उदकात् तीरं प्राप्तुं ततः संयतमेव उदकाद्रंश
 सस्निग्धेन वा कायेन उदकतीरे तिष्ठेत् । स भिक्षुर्वा० उदकाद्रं वा २ काय नो
 आमार्जयेद् वा प्रमार्जयेद् वा सलिखेद् वा निलिखेद् वा उद्वलेद् वा उद्वेष्ट-
 येद् वा आतापयेद् वा प्रतापयेद् वा, अथ पुनरेव जानीयात् विगतोदको मे
 कायः छिन्नस्नेहः कायः तथाप्रकारं काय आमर्जयेद् वा प्रतापयेद् वा ततः
 संयतमेव ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी । उदगंसि—जल मे । पवमाणे—
 बहता हुआ । हत्थेण हत्थ—हाथ से हाथ को । पाएण पाय—पैर से पैर को । काएण काय—
 शरीर से शरीर को । नो आसाइज्जा—स्पर्श न करे । से—वह भिक्षु । अणासायणाए—
 हस्तादि का परस्पर स्पर्श न करने से फिर । अणासायमाणे—स्पर्श न करता हुआ । तयो—
 तदनन्तर । सं०—साधु । उदगंसि—जल मे । पविज्जा—बहे या नरे किन्तु अकार्यिक जीवी

की रक्षा के लिए बाया के द्वारा बिबिमात्र भी पुरपाय न करे । से भिष्यु वा—वह साधु या साध्वी । उदगति—जल में । पवमाणे—बहना हुआ । उम्मुंगनिमगिय—नात्र के ऊपर घाने जाने धर्मान् हुबकिए लगान का मल । मो करिज्जा—न करे । से—मरे । एम—वह । उदग—जल । कनेमु वा—कानों में । घच्छीमु वा—मांसा नै । तवकसि वा—नामिका म । महुसि वा—धयवा मुग में । मापरिमावजिज्जा—मन प्ररग करे, इस प्रकार की भावना भी न करे । तयो—तन्तनर । सजयामेव—साधु । उदगति—जल में । पविज्जा—बहता जाए । से भिष्यु वा—वह साधु या साध्वी । उदगति—जल में । पवमाण—बहता हुआ । कुत्रलिय—कुवलता धर्मात् कट को । पाउणिज्ज—प्राप्त करे ती । लिपामेव—गीघ ही । उवहि—उपधि वस्त्राणि वा । विगिज्ज वा—त्याग कर दे या । वितोहि—ज वा—यो से उपकरणों का त्याग कर दे । घ—पुन । एव—निश्चय । ण—पात्रपालकार में है । नो साइज्जा—उपधि पर ममव न करे । अह—अय । पुण—फिर । एवं—एव प्रकार । जाणिज्जा—जाने कि म्नि वह उपधि युक्त ही । पारए सिया—किनारे पर पहुचन म समय है । उदगाधो—पानी से । तीर—तीर को । पाउणिज्ज—प्राप्त करने के समय है । तयो—यो तीर पर पहुचकर । सजयामेव—सयम पूर्वक । उदउल्लेण वा—जल स भीग हुए गरीर स धर्मान जत्र तक गरीर से जल बिन्दु टपक रहे हैं या । सविगिज्ज वा—जल स उसका गरीर तिग्ध है । काएण वा—या जब तक शरीर भागा हुआ है तब तक । उदगतीरे—नगों के किनारे पर हा । विटिज्जा—ठहरे । से भिष्यु वा—वह साधु या साध्वी । उदउल्ल वा—जराइ जब तक जल बिन्दु टपक रहे हों । काय—तब तक उस भीगे हुए शरीर को । नो धामजिज्जा—हाथ से स्नान न कर । नो पन्निज्जा—प्रमाजिन न करे तथा । तल्लिहिज्जा—पू छे नहा । निलिहिज्जा वा—बार २ पंदि नहा, और । उव्वतिज्ज वा—हाथ मे मन नही तथा । उव्वटिज्ज वा—उव्वन की भाति शरीर को मल कर मल को उतारे नहा । धायाविज्ज वा पपा—धूप के धाने या धधिक धाताप स गरीर को मुखाए भी नही । अह पु—फिर इस प्रकार जान कि । विगमोवधो—मेरा गरीर जल बिन्दुओं से रहित और । छिन तिणेहे—झेह से रहित हो गया है धर्मात् धव गीला शी रहा है । मे काण—मेरे गरीर से न तो जल बिन्दु टपक रहे हैं और न वह गीला ही है । तहप्पगर—तथा प्रकार के । काय—गरीर को । धामजिज्ज वा—हाथ से स्पर्श करे । जाव—यावत । पयाविज्ज वा—धूप मे धातापना दे । तया—तन्तनर । सजयामेव—सयमगीन साधु । गाभा—घामानुषाम । दूइज्जिजा—बिचर ।

मूलार्थ—साधु वा साध्वी जलमे बहते समय अष्काय के जीवों की रक्षा के लिए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का एव एक पैर से दूसरे पैर का और शरीर के अय अवयवों का भी स्पर्श न करे । इस तरह वह परस्पर

में स्पर्श न करता हुआ जल में बहता हुआ चला जाए वह बहते समय डुबकी भी न मारे, एव इस बात का भी विचार न करे कि यह जल मेरे कानों में, आंखों में, नाक और मुख में प्रवेश न कर जाएगा। नदनन्तर जल में बहता हुआ साधु यदि दुर्बलता का अनुभव करे तो शीघ्र ही थोड़ी या समस्त उपधि का त्याग करदे वह उसपर किसी प्रकार का ममत्व न रखे। यदि वह यह जाने कि मैं उपधि युक्त ही इस जल से पार हो जाऊंगा तो किनारे पर आकर जब तक शरीर से जल टपकता रहे, शरीर गीला रहे तब तक नदी के किनारे पर ही ठहरे किन्तु जल से भीगे हुए शरीर को एक बार या एक से अधिक बार हाथ से स्पर्श न करे, म ले नहो और न उद्वर्तन की भांति भैल उतार, इसी प्रकार भीगे हुए शरीर और उपधि को धूप में सुखाने का भी प्रयत्न न करे वह यह जाने ले कि मेरा शरीर तथा उपधि पूरी तरह सूख गई है तब अपने हाथ से शरीर का स्पर्श या मर्दन कर एव धूप में खड़ा हो जाए फिर किसी गाव की ओर अर्थात् विहार करें दे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में मुनि की अहिंसा साधना का विशिष्ट परिचय दिया गया है। इसमें बताया गया है कि नाविक द्वारा जल में फेंके जाने पर भी मुनि अपने जीवन की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। उसे अपने जीने एवं मरने की परवाह नहीं है। परन्तु, ऐसी विकट परिस्थिति में भी वह अन्य जीवों की दया का पूरा-पूरा ध्यान रखता है। उसके जीवन के कण-कण में दया का दरिया प्रवहमान रहता है। वह नदी में बहता हुआ भी अपने हाथों एवं पैरों का तथा शरीर के अन्य अंग-प्रत्यंगों का इसलिए परस्पर स्पर्श नहीं करता कि इससे आकायिक जीवों की एवं उसमें स्थित अन्य प्राणियों की हिंसा न हो। इसी दया भावना से न वह डुबकी लगाता है और न अपने कान, नाक, आंख आदि में भरते हुए पानी को ही निकालता है। इस तरह वह यत्नापूर्वक बहता चलता है।

यदि सरिता की धारा में बहते समय कमजोरी के कारण वह उपकरणों के बोझ को सहने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि उन्हें विवेक पूर्वक धीरे से नदी में त्याग दे। इस प्रकार नदी के तट पर पहुंचने के पश्चात् वह तब तक स्थिर खड़ा रहे जब तक उसका

शरीर एव उसने वस्त्र आदि सूत्र त जाण । पर तु, ए^२ अपने भीगे हुए वस्त्रों को निचोड़ कर धूप म सुगाने का त ग अपने शरीर को उस से पाछकर या धूप म खडा होकर सुगाने को प्रयत्न भी नहीं करे । जब उसका शरीर स्वभाविक रूप से सूत्र जाण तब वह जडा से गात्र की ओर बिहार करे ।

इस सम्बन्ध मे वात्तकार का कहना है कि यदि जडा चोर आदि का भय हो तो वह अपने हाथों को लम्बा फैलाकर गोत्रा शरीर भी सुरक्षाकर गात्र की ओर जा सकता है । परन्तु आगम म इस अपवाद का उन्नेय नदी मिलने से यह जरा विचारणीय एव चिन्तनीय है ।

प्रस्तुत पाठ मे नदी पार करके किनारे पर आने के पश्चात् उसे ईर्यापथिक प्रतिब्रमण करने का उल्लेख नहीं किया है । पर तु वृत्तिकार ने इसका उल्लेख किया है । इसका कारण यह है कि यदि आगम मे बताई गई विधि से प्रवृत्ति न की गई हो तो उसकी शुद्धि के लिए ईर्यापथिक प्रतिब्रमण करना चाहिए । अन्यथा प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

आगम में मास में दो या तीन बार महानदी का उल्लंघन करने का निषेध किया गया है^१ तथा उसका प्रायश्चित्त भी बताया गया है^२ । इससे स्पष्ट होता है कि मास में एक बार महानदी पार करने का निषेध नहीं है, न उसे मजल दोष ही माना गया है और न उससे लिए प्रायश्चित्त का ही विधान^३ किया गया है । आगम म यह भी बताया गया है कि यदि जो साधु जल म गिर गई हो तो साधु उसे पकड़कर निजाल ले^४ । आगम मे यह भी बताया गया है एक समय मे समुद्र के जल में दो एव नदी के जल में ३ जीव सिद्ध हो सकते हैं । तमसे सूत्र के उल्लेख की तरह यह साफ हो जाता है कि आत्मा की शुद्धि एव शुद्धि भावा पर आधारित है । दुर्भाज पूजक की यह द्रव्य हिमा ही पापजर्म क उध का कारण हो सकती है । आगम में स्पष्ट शब्दों म लिखा है कि त्रिवरु एव यत्ना पूजक चलते समय यदि साधु के पैर के नीचे आकर कुम्हट आदि सोइ जीव मर जाण तब भी साधु जो ईर्यापथिक क्रिया अथवा पुण्य कम का उध होता है, साप्रायिकी

^१ बह्वक्तर सूत्र, उ० ४ ।

^२ निर्णीय सूत्र, उ० १२ ।

^३ समवागम सूत्र, २१ ।

^४ स्थानाग सूत्र, स्थान ५, उ० २ ।

^५ उत्तराध्ययन सूत्र, ३६ ५ ५४ ।

क्रिया का बंध नहीं होता। अस्तु वीतराग भगवान की आज्ञा के अनुसार विवेक पूर्वक नदी पार करने का कोई प्रायश्चित्त नहीं बताया गया है और न उमकें लिए ईर्यापथिक प्रतिक्रमण का ही उल्लेख किया गया है क्योंकि प्रायश्चित्त विवेक पूर्वक, सावधानी से काय करने का नहीं होता, वह तो अभ्यासधनी एवं आज्ञा के उल्लंघन करने का होता है।

साधु-साध्वी को रास्ते में किस तरह चलना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० गामाणुगामं दूइज्जमाणो नो परेहिं
सद्धिं परिजविय २ गामा० दूइ० ,तत्रो० सं० गामा० दूइ-
ज्जिज्जा ॥१२३॥

छाया—स भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्राम गच्छन् न परे. माद्धं परियाप्य २ ग्रामा-
नुग्रामं गच्छेत् ततः संयतमेव ग्रामानुग्राम गच्छेत् ।

पदार्थ—से—वह । भिक्षू वा—साधु अथवा ,माध्वी । गामाणुगामं—एक ग्राम से हमरे ग्राम को । दूइज्जमाणे—जाता हुआ । परेहिं—गृहस्थों के । रुद्धि—गाथ । परिजविय २—वहृत बोलता हुआ । नो दूइ०—न जाए । तत्रो सं०—तदनन्तर साधु यत्नापूर्वक । गामा० दूइ०—ग्रामानुग्राम विहार करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए गृहस्थों के साथ वार्तालाप करता हुआ गमन न करे । किन्तु ईर्यासमिति का यथाविधि पालन करता हुआ ग्रामानुग्राम विहार करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु या साध्वी को विहार करते समय या चलते समय अपने साथ के अन्य साधु' से या गृहस्थ से बातें नहीं करनी चाहिएं । क्योंकि, बातें करने से मार्ग में आने वाले जीव जन्तुओं को बचाया नहीं जा सकेगा तथा मार्ग का सम्यक्तया अवलोकन भी नहीं हो सकेगा । आगम में यहाँ तक कहा गया है कि साधु को चलते समय पांचों तरह का स्वाध्याय— १ वाचना, २ पृच्छना, ३ परियटना-

५ अनुप्रेक्षा और ५ धर्मस्था का स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। इस तरह अपने योगों को सर और मे हटाने ईयासमिति का पालन करना चाहिए ।

निम्न नदी में जवा प्रमाण पानी हो उस नदी को साधु किस तरह पार करे इस विषय का स्पष्ट करते हुए मूलसार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामा० दू० यतरा से जघासता रिमे उदगे भिया, से पुब्बामेव ससीसोवारय काय पाए यपमज्जि ज्जा २ एग पाय जले किच्चा एग पाय थले किच्चा तत्रो स० उदगसि आहारिय रीएज्जा ॥ से भिक्खू वा० आहारिय रीयमाणे नो हत्थेण इत्थ जाव याणासायमाणे तत्रो मजयामेव जघा सतारिमे उदए अहारियं रीएज्ज । से भिक्खू वा० जघासतारिमे उदए अहारिय रीयमाणे नो सायावडियाए ना परिदाहवडियाए मण्ड महानयमि उदयसि काय विउसिज्जा, तत्रो सजयामेव जघा सतारिमे उदए अहारिय रीएज्जा, अह पुण एव जाणिज्जा पारए भिया उदगात्रो तीर पाउणित्तए, तत्रोमजयावमे उदउल्लेण वा २ काएण दगतीरए त्रिट्ठिज्जा ॥ से भि० उदउल्ल वा काय ममि० काय ना आमज्जिज्ज वा नो० अह पु० विगयोदए मे काए त्रिन्नसिणोहे तहप्पगार काय आमज्जिज्ज वा० पयात्रिज्ज वा तत्रो स० गामा० दूइ ॥१२४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य जंघासन्तार्यमुदकं
 म्यात्, यः पूर्वमेव सग्नीर्षोपरिकं काय पादं च प्रमृज्य २ एकं पादं जले कृत्वा-
 एकं पादं स्थले कृत्वा ततः संयतमेव उदके यथाऽऽर्यं रीयेत । स भिक्षुः०
 यथार्यं रीयमाणो (गच्छन्) न हस्तेन हस्तं यावद् अनासादयन् ततः संयतमेव
 जंघासन्तार्यमुदकं यथार्यं रीयेत । स भिक्षुर्वा० जंघासन्तार्यमुदकं यथार्यं रीय-
 माणो न साताप्रतिपत्या नो परिदाह प्रतिपत्या महति महालये उदके कायं
 व्युत्सृजेत्, ततः सपतमेव जघासन्तार्यमुदकं यथार्यं रीयेत अथ पुनरेव जानी-
 यान् पारगः स्यादुदकात् तीरं प्राप्तुं, ततः संयतमेव उदकार्द्रेण वा २ कायेन
 दकतीरके तिष्ठेत् । स भिक्षुर्वा० उदकार्द्रं वा कायं सस्निग्धं वा कायं न
 आमृज्यात् वा न । अथ पुनरेव जानीयात् विगतोदकः मे कायः छिन्नस्नेहः
 तथाप्रकारं कायं आमृज्याद् वा ० पनापयेद् वा ततः सपतमेव ग्रामानुग्रामं
 गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्षु वा०—वह साधु या साध्वी । गामा० हू०—ग्रामानुग्राम विहार
 करना हुआ । से—उदके । अतरा—मार्ग में । जघा सतारिमे—जघा में तरने-पार करने
 योग्य । उदके—पानी । तिया—हो तो । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही । सीतोदरिय
 कायं—अपने शरीर को मस्तक । य—से लेकर । पाए—पैरो तक । पमज्जज्ज घा—प्रमाजित
 करे और प्रमाजित करके । एगं पार्यं—एक तर को । जले किच्चा—जल में रखकर । एग
 पाय—दूमेरे पैर को । थले किच्चा—स्थल में-जग में बाहर रखकर । तो—तदनन्तर ।
 स—सुयम-पूर्वक । उदगसि—जल में । अहारिय—जिम प्रकार तीर्थकरो ने ईर्षामिति विषयक
 कथन किया है उसी प्रकार । रीइज्जा—गमन करे । ने मि०—वह साधु या साध्वी । आहारिय—
 जघा प्रमाण जल में ईर्षामिति पूर्वक । रीयमाणे—चलता हुआ । नो हत्येग हृत्य जाव—
 हाथ में हाथ य वत् शरीर के अवयवों का स्पर्श न करे और । अणासायमाणे—हाथ आदि का
 स्पर्श न करता हुआ । तन्नो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्नापूर्वक । जघा सतारिमे उदए—
 जघा द्वारा तरने-पार करने योग्य पानी में । अहारिय—जैसे तीर्थकरादि ने ईर्षामिति का
 वर्णन किया है उसी प्रकार । रीइज्जा—उममें गमन करे । से भिक्षु वा०—वह साधु अथवा
 साध्वी । जघातारिमे—जंघाप्रमाण-जघा द्वारा तरने योग्य । उदय—जल में । अहारियं—
 यथाह—ईर्षामिति पूर्वक । रीयमाणे—चलता हुआ साधु । सायावडियाए—साता के लिए ।
 परिदाह वडियाए—दाह शांति के लिए । महइ महालयसि—बड़े विस्तृत और गहरे । उदगसि—

पानी में । काय—शरीर को । नो विउसिञ्जा—प्रविष्ट न करे, अर्थात् सात्ता व लिए गहर जल में प्रवेश न करे । तमो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्नापूर्वक । जघासत्तारिमे उदए—जघा प्रमाण जल में । अहारिय—यथावृ - ईर्यासमिति पूर्वक । रीएञ्जा—चले गमन करे । अह पुण एव जाणिञ्जा—अथ पुन इत प्रकार जाने, यथा । पारएसिवा—मै उपधि क साथ पार हा सवता ह । तव उपधि का परित्याग न करे और । उदगाओ—जल में स । तीर—तीर को । पाउणिसए—प्राप्त करे । तमो—तदनन्तर । सजयामेव—सयम पूर्वक । उदउत्तेण वा २ कायण—ब्रह्म तक गहर पर स जल विन्दु गिरत हैं और गरीर गीला है तब तक । श्गतीरए चिटिठञ्जा—पानी क किनारे पर ही खडा रहे । से मि०—बह साधु मा सावी । उदउल्ल वा काय—जनाद्र काय का, अर्थात् जिससे जल विन्दु टपक रहे हो तथा । ससिकार्य—जल स भीगे हुए शरीर को । नो अामञ्जिञ्ज वा—स्पर्श न करे । जाव—यावन । नो०—घातापित न कर, धूप में न बठ । अह पु०—अथ फिर यदि इस प्रकार जाने कि । मे—मरा । काय—गरीर । विगमोदए—विगतोक्—सचित्त जल स रहित हो गया है तथा । छिन सिणहे—क्विविमात्र भा आद्र—गीला नहा रहा । तहृप्पगार—तथा प्रकार के । काय—गरीर को । आमजिज वा—हाथ से स्वर्श यावन् पोछे और । पवाविज वा—मूय का अनाम दे अर्थात् जल को अचित्त हुआ जानकर गरीर आदि का पछे मुलाव । तमो—तदनन्तर । स०—यत्नापूर्वक । गामा०—ग्रामानुग्राम । दूइञ्जि—जा—विहार करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी को ग्रामानुग्राम विहार करत हुए यदि मार्ग में जघा प्रमाण जल पडता हा तो उसे पार करने के लिए साधु सिर से लेकर पैर तक शरीर की प्रतिलेखना करके एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रगकर, जैसे भगवान ने ईर्यासमिति का वणन किया है उस के अनुसार उस पानी के स्रोत को पार करना चाहिए । उम नदी में चलते समय मुनि को हाथा और पैरो का परस्पर स्पश नहीं करना चाहिए । और शारीरिक शान्ति के लिए या दाह उपशान्त करने के लिए गहरे और विस्तार वाले जल में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए और उसे यह अनुभव होने लग कि मैं उपधि अर्थात् उपकरणों के साथ जल से पार नहीं हो सकता तो उपकरणादि को छोड़ दे, और यदि यह जाते हैं उपकरणादि के साथ पार हो सकता ह तब उपकरण सहित पार हो जाए । परन्तु पार पहुचने के पश्चात् जब तक नमके शरीर में जल विन्दु टपकते रह

और जब तक शरीर गीला रहे तब तक जल के किनारे पर ही खड़ा रहे और तब तक अपने शरीर को हाथ से स्पर्श भी न करे यावत् आतापना भी न देवे। जब तक शरीर विलकुल सूख न जाए अर्थात् उसको यह निश्चय हो जाए कि मेरा शरीर पूर्णतया सूख गया है, तब शरीर को प्रमार्जना करके ईर्यासमिति पूर्वक ग्रामानुग्राम विचरने का प्रयत्न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि विहार करते समय रास्ते में नदी आ जाए और उसमें जघा प्रमाण पानी हो और उसके अतिरिक्त अन्य मार्ग न हो तो मुनि उसे पार करके जा सकता है। इसके लिए पहले वह सिर से पैर तक अपने शरीर का प्रमार्जन करे। इस प्रसंग में वृत्तिकार का कहना है कि मुख से नीचे के भाग का रजोहरण से और उससे ऊपर के भाग का मुखवस्त्रिका से प्रमार्जन करे। परन्तु, मुखवस्त्रिका से प्रमार्जन की बात आगम अनुकूल प्रतीत नहीं होती। क्योंकि, मुखवस्त्रिका का प्रयोग भापा की सावधता को रोकने एवं वायुकायिक जीवों की रक्षा की दृष्टि से किया जाता है न कि मुंह आदि पोंछने के लिए। शरीर आदि का प्रमार्जन करने के लिए रजोहरण एवं प्रमार्जनिका रखने का विधान है। और प्रमार्जनिका शरीर के प्रमार्जन के लिए ही रखी गई है। अतः यहाँ रजोहरण एवं प्रमार्जनिका से शरीर का प्रमार्जन करना ही युक्ति संगत प्रतीत होता है।

इस तरह शरीर का प्रमार्जन करके विवेक पूर्वक नौका पर सवार होने के प्रकरण में बताई गई विधि के अनुसार साधु एक पैर जल में और दूसरा पैर स्थल (पानी के ऊपर के आकाश प्रदेश) पर रखकर गति करे। परन्तु, जैसे की तरह पानी को रौंदा हुआ न चले और मन में यह भी कल्पना न करे कि मैं पानी में उतर तो गया हूँ अब कुछ गहराई में डुबकी लगाकर शरीर की दाह को शान्त कर लूँ। उसे चाहिए कि वह अपने हाथ-पैरों को भी परस्पर स्पर्श न करता हुआ, अप्कायिक जीवों को विशेष पीड़ा न पहुंचाता हुआ नदी को पार करे। यदि नदी पार करते समय उसे अपने उपकरण बोझ रूप प्रतीत होते हों और उन्हें लेकर नदी से पार होना कठिन प्रतीत होता हो, तो वह उन्हें वहीं छोड़ दे। यदि उपकरण लेकर पार होने में कठिनता का अनुभव न होता हो तो उन्हें लेकर पार हो जाए। परन्तु, नदी के किनारे पर पहुंचने के पश्चात् जब तक शरीर एवं वस्त्रों से पानी उपकता हो या वे गीले हों तब तक वह वहीं खड़ा रहे उस समय वह अपने हाथ से शरीर का स्पर्श न करे और न वस्त्रों को ही निचोड़े। उनके सूख जाने पर अपने शरीर का प्रतिलेखन करके विहार करे।

प्रस्तुत मंत्र मे प्रयुक्त जघा का अर्थ साथल पर्यंत पानी नहीं, पर तु गोडे से नीचे के जाग तर पानी समझना चाहिए। क्योंकि, यदि साथल या कमर तर पानी होगा तो ऐसी स्थिति में पैरों को उठाकर आकाश में रखना कठिन होगा। और कोप में भी इसका अर्थ गोडे से नीचे का भाग ही क्रिया है। वृत्तिकार ने भी इनी बात को पुष्ट किया है। अतः जानु का अर्थ जघा या गोड तः पानी का होना ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

नदी पार करने के परचात् साधु को किस प्रकार चलना चाहिए, इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामा० दूइज्जमाणे नो मट्टियाग
एहि पाएहि हरियाणि छिदिय २, विकुज्जिय २, विफालिय २
उम्मग्गेण हरियवहाए, गच्छिज्जा जमेय पाएहि मट्टिय सिप्पा
मेव हरियाणि अहरतु माइट्ठाण सफासे नो एव करिज्जा
से पुव्वामेय अण्हरिय मग्ग पडिलेहिज्जा तयो० म०
गामा० ॥ से भिक्खू वा २ गामानुगाम दूइज्जमाणे अतरा से
वप्पाणी वा फ० पा० तो० अ० अग्गल पासगाणि वा गड्डा
यो वा दरीयो वा सड परक्कमे सजयामेव परिक्कमिज्जा नो
उज्जु० केवली० से तत्थ परक्कममाणे पयलिज्ज वा २ से तत्थ
पयलमाणे वा २ रुक्खाणि गुक्खाणि वा गुम्माणि वा लयायो
वा वल्लीयो वा तणाणि वा गहणाणि वा हरियाणि वा अचल
विय २ उत्तरिज्जा, जे तत्थ पाडिपट्टिया उवागच्छति ते पाणी
जाइज्जा २, तयो स० अण्हलविय २ उत्तरिज्जा तया म० गामा दू०

से भिक्षु वा० गा० दूइज्जमाणो अंतरा से जवसाणि वा
सगडाणि वा रहाणि वा सचक्काणि वा परचक्काणि वा से
णां वा विरुवरूपं संनिरुद्धं पेहाए सइ परक्कमे सं० नो उ० ,
से णां परां सेणागत्यो वइज्जा आउसंतो ! एस णां समणो सेणाए
अभिनिवारियं करेइ, से णां वाहाए गहाय आगसह, से णां परो
वाहाहिं गहाय आगसिज्जा, तं नो सुमणो सिया जाव समाहिए
तयो सं० गामा० दू० ॥१२५॥

छाया—म भिक्षुर्वा० ग्रामानुग्रामं गच्छन् न भृत्तिकागर्तैः पादैः हरितानि
क्षित्वा २ विकुञ्ज्य २ विपाट्य २ उन्मार्गेण हरितवधाय गच्छेत् ।
यदेनां पादाभ्या मृत्तिकां क्षिप्रमेव हरितानि अपहरन्तु, मातृस्थान सस्पृशेत् न
एवं कुर्यात् स पूर्वमेव अल्पहरितं मार्गं प्रतिलेखयेत् ततः संयतमेव ग्रामानु-
ग्राम गच्छेत् । स भिक्षुर्वा० वा ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य वप्राणि वा
परिखा वा प्राकाराणि वा तोरणानि वा अर्गजानि वा अर्गलपाशका वा गर्ता
वा दर्यो वा सति परक्रमे संयतमेव परिक्रामेन्न ऋजुकं गच्छेत्, केवली ब्रूयाद्
आदानमतत्, स तत्र पराक्रममाणः प्रसखलेद् वा २ स तत्र प्रसखलन् वा २
वृक्षान् वा गुच्छानि वा गुल्मानि वा लता वा तृणानि वा गहनानि वा
हरितानि वा अबलम्ब्य २ उत्तरेत् ये तत्र प्रातिपथिका उपागच्छन्ति तेभ्यः
पाणिं याचेत् याचित्वा ततः संयतमेव अबलम्ब्य २ उत्तरेत् ततः संयतमेव
ग्रामाग्रामं गच्छेत् । स भिक्षुर्वा० वा ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य यव-
सानि वा शकटानि वा रथा वा स्वचक्राणि वा परचक्राणि वा स वा
विरुवरूपं संनिरुद्धं प्रेक्ष्य सति परक्रमे संयतमेव पराक्रमेत् न ऋजुकं गच्छेत्
स पर. सेनागत वदेत् आयुष्मन् ! एष श्रमणः सेनायाः अभिनिवारिका

करोति एन बाहुना गृहीत्वा आकर्षत स पर बाहुभ्या गृह्णात्वा आकर्षेत
तन्न सुमना स्यात्, यावत् समाधना, सयतमेव ग्रामानुग्राम गच्छेत् ।

पदाय—से—वह । भिक्षु वा—साधु या साध्वी । ग्रामा०—ग्रामानुग्राम ।
दूइज्जमाणे—जाते हुए । पट्टियाहि—मिट्टी या कीचड से भरे हुए । पाएहि—परो की मिट्टी
या कीचड उतारने के लिए । हरियाणि—हरी वनस्पति को । छिविय २—छे २ कर । विकु
जिय २—या हरे पत्ते एकत्रित करके । विकालिय २—हारे वनस्पति को छील कर मिट्टी को
न उतारे तथा मिट्टी को उतारने के लिए । हरिय बहाए—हरित काय के बंध के लिए ।
उम्मग्गेण—उमार्ग से । नो गच्छेज्जा—गमन न करे । जमेय—जम यह । पाएहि—परो की ।
मट्टिय—मिट्टी को । लिप्पामेव—शीघ्र ही । हरियाणि—हरितकाय । अघहरत—अपहरण
करे, अर्थात् हरित काय क स्पदा से स्वयमेव मिट्टी उत्तर जावगी, यदि इस प्रकार क भाव लाकर
वह हरियाली पर चलता है, तो । साइट्ठाण सफासे—मानस्थान-कपट का सेवन करता है अत ।
एव—इस प्रकार । नो करिज्जा—न करे कि तु । से—वह भिक्षु । पुट्टामेव—पहले ही ।
अपहरिय—हरितकाय स रहित । मग्ग—माग का । पडिलेहिज्जा—प्रतिनेखन करे । तत्रो—
तदनन्तर । स०—यत्नापूर्वक । ग्रामा०—ग्रामानुग्राम । दू०—विहार करे । से भिक्षु वा—
वह साधु अथवा साध्वी । ग्रामानुग्राम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम का । दूइज्जमाण—जाता हुआ ।
से—उभके । अतरा—माग मे यदि । वट्पाणि वा—सेन की वयारिये या । व०—कोट की खाई
या । प०—प्रकोट । तो०—तोरण द्वार या । अ०—अगला कपाट निरोधक कीली । अगल
पासगाणि वा—अगला पागक । गड्डाप्रो वा—गत खड्डे अथवा । दरीप्रो—अथ की गुफायें
या जाण ता । सह परक्कमे—अथ माग के होने पर वह उस माग से । सजयामेव—यत्नापूर्वक ।
परिक्कमिजा—गमन करे । नो उज्जू०—किंतु सीधा न जावे अर्थात् अथ माग के सदभाव
म उक्त विषम माग से गमन न करे । केवली०—कवली भगवान कहते हैं कि यह कम व धन
का कारण है । से—वह साधु । तत्थ—उस निषिद्ध माग में । परक्कमाण—चलता हुआ
वदाचित् । पयसिज्ज वा २—फिमलकर गिर पड, अथवा । से—वह भिक्षु । तत्थ—उस
स्थान पर । पयसमाण वा—फिसलता एव गिरता हुआ । इक्खणि वा—बधो की अथवा ।
गुच्छाणि वा—गुच्छों को । गुम्माणि वा—अथवा गुम्हों का । सपाप्रो—लताप्रो को । बलीप्रो
वा—बलियों अथवा । तिणाणि—तणो को । गह्णाणि वा—अथवा भाकीण वनस्पति को ।
अवलविय अवालविय—पक्क २ कर । उत्तरिज्जा—उतरे अथवा । जे तत्थ—जो वहाँ पर ।
पडिपट्ठिय—प्रति पथिक प्रतिप्राथ । उवागच्छति—छाते हैं । ते—उनसे । पाणीइज्जार—
हाथ माग २ कर, जैसे कि हे धामुत्तम् ! तू मुझ अथवा हाथ दे जिस पक्कडकर मैं उतर सकू ।
तत्रो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्नापूर्वक । अवलविय २—उपवा सामने स धाने दासे पथिक

का हाथ पकड़ कर । उत्तरिज्जा—उतरे इन दोषो को देखता हुआ साधु विपम मार्ग को छोड़कर । तन्त्रो—तदनन्तर । सं—यत्नायुक्त साधु । गा०—ग्रामानुग्राम । बु०—विहार करे । से भिषखू वा—वह साधु अथवा साध्वी । गाना० दूहज्जमाणे—ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ । से—उसके । अत्रा—मार्ग में अर्थात् मार्ग के मध्य में । जवसाणि वा—यव और गोधूमादि धान वा । सगड़णि वा—शकट आदि गड्डा-गड्डी आदि । रहाणि वा—अथवा रथ अथवा । सचक्काणि—स्वचक्र-स्वकीय राज्य सेना । पर चक्काणि वा—पर चक्र पर राजा की सेना । सेणं वा—सेना को । विरुवरुद्धं—नाना प्रकार के । संनिरुद्धं—एकत्र मिले हुए संध को । पेहाए—देखकर । सइपरक्कमे—जाने योग्य अन्य मार्ग के सद्भाव में । संजयामेव—यत्नापूर्वक । परक्कभिज्जा—उसी मार्ग में जाने का प्रयत्न करे किन्तु । नो० उ०—सरल-सीधे मार्ग से न जावे कारण कि उधर में जाने पर अनेक प्रकार के कष्टों की सम्भावना है यथा—जव साधु सेना युक्त मार्ग में प्रयाण करेगा तब । णं—वाक्यालंकार में है । से—वह । परो—सेनापति आदि साधु को देखकर । सेणाग्रो—सेना में रहने वाला पुरुष किसी से । चइज्जा—कहे कि । आउसत्तो—हे आयुष्मन् सद् गृहस्थ ! एसणं—यह । समणे—भ्रमण साधु । सेणाए—सेना का । अभिनिवारिय—गुप्तचरी (जासूसी) । करेइ—करता है अर्थात् यह भ्रमण हमारी सेना का भेद लेता फिरता है । णं—वाक्यालंकार में है । से—इसकी । बाहाए—भुजाओं को । गहाय—पकड़ कर । आगसह—आकर्षित करो अर्थात् आगे पीछे खेंचो । ण—पूर्ववत् । से—वह । परो—अन्य आज्ञा पाने वाला व्यक्ति उस साधु को । भुजाहिं—भुजाओं से । गहाय—पकड़कर । आगसिज्ज।—बीच कर आगे-पीछे करे । तं—तो वह साधु । नो सुमणेसिया—न तो प्रसन्न हो और न रुष्ट हो किन्तु । जाव—यावत् । समाहिए—समभाव से विचरे । तन्त्रो—तदनन्तर । सं—संयत-साधु । गाना०—ग्रामानुग्राम । बुइ०—विहार करे ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी ग्रामानुग्राम विचरते हुए मिट्टी और कीचड़ से भरे हुए पैरो को, हरितकाय का छेदन कर, तथा हरे पत्तों को एकत्रित कर उनसे मसलता हुआ मिट्टी को न उतारे, और न हरितकाय का वध करता हुआ उन्मार्ग से गमन करे । जैसे कि-ये मिट्टी और कीचड़ से भरे हुए पैर हरी पर चलने से हरितकाय के स्पर्श से स्वतः ही मिट्टी रहित हो जाएंगे, ऐसा करने पर साधु को मातृस्थान (कपट) का स्पर्श होता है । अतः साधु को इस प्रकार नहीं करना चाहिए । किन्तु, पहले ही हरो से रहित मार्ग की देखकर यत्नपूर्वक गमन करना चाहिए । और यदि मार्ग के मध्य में खेतों के क्यारे हो, खाई हो, कोट

हो, तोरण हो, अगला और अगलापाश हो, गत हो तथा गुफाए हो, तो अन्य भाग के होते हुए इस प्रकार के विपन्न मार्ग से गमन न करे। केवली भगवान कहते हैं कि यह मार्ग दोष युक्त होने से कर्म बन्धन का कारण है। जैसे कि पैर आदि के फिमलने तथा गिर पडने से शरीर के किसी अंग प्रत्यग को आघात पहुचने के साथ साथ जो वृक्ष, गुच्छ गुल्म और लतायें एव तृण आदि हरित काय को पकड कर चलना या उतरना है और वहा पर जो पथिक आते हैं उनसे हाथ मागकर अथात् हाथ के सहारे की याचना करके और उसे पकड कर उतरना है, ये सब दोष युक्त हैं, इसलिए उक्त सदोष भाग को छोडकर अन्य निर्दोष भाग से एक ग्राम से दूसरे ग्राम को और प्रस्थान करे। तथा यदि भाग मे यव और गोधूम आदि धान्य, शकट, रथ, स्वक्रोय राजा की या पर राजा की सना चल रही हो, तब नाना प्रकार की सेना के समुदाय को देखकर, यदि अय गतव्य भाग हो तो उसी भाग मे जाए किन्तु कष्टोत्पादक इस सदोष भाग से जाने का प्रयत्न न करे। इस मार्ग से जाने मे कष्टोत्पत्ति की सम्भावना है। जैसे कि जब उस भाग मे साधु जाएगा तो सम्भव है उस देखकर कोई सैनिक किसी दूसरे सैनिक को कह कि आयुष्मन् ! यह श्रमण हमारी सेना का भेद लेने आया है। अत इसे भजाया से पकड कर खेंचो अर्थात् आगे-पीछे करो और तदनुसार वह सैनिक साधु को पकड कर खेंचे, परंतु साधु को उस समय उस पर न प्रमन्न और न रुष्ट होना चाहिए, किन्तु उस समभाव एव समाधि पूर्वक एक ग्राम से दूसरे ग्राम का विहार करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हिंदी विवचन

प्रस्तुत सूत्र मे साधु को नीन बातों को ध्यान मे रखने का आदेश दिया है—
१ नदी पार करके किनारे पर पहुचने के बाद वह अपने पैरों मे लगा हुआ कीचड हरित काय (हरी वनस्पति—घास आदि) से साफ न कर और न इस भावना से हरियाली पर चले कि इस पर चलने से मेरे पैरस्वत ही साफ हो जायेंगे २ यदि अथ

मार्ग हो तो जिस मार्ग में खेत का क्यारियां, ग्यडडे, गुफाएं आदि पड़ती हों उस विषम मार्ग से भी न जाए, क्योंकि पैर फिसल जाने से वह गिर पड़ेगा और परिणाम स्वरूप शरीर में चोट आएगी या कभी बचाव के लिए वृक्ष आदि को पकड़ना पड़ेगा इससे वनस्पति कायिक जीवों की हिम्मा होगी और ३ जिस मार्ग पर सेना का पड़ाव हो या सैनिक घूम रहे हों तो अन्य मार्ग के होते हुए उस मार्ग से भी न जाए। क्योंकि वे साधु को गुप्तचर समझकर उसे परेशान कर सकते हैं एवं कष्ट भी दे सकते हैं। कभी अन्य मार्ग न होने पर जिस मार्ग पर सेना का पड़ाव हो उस मार्ग से जाते हुए साधु को यदि कोई सैनिक पकड़ कर कष्ट देने लगे तो उस समय उसे उस पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे निरुद्ध मन में भी उसे समभाव पूर्वक उस वेदना को सहन करना चाहिए।

इससे स्पष्ट होता है कि साधु को अपने पैरों में लगी हुई मिट्टी को साफ करने के लिए वनस्पति काय की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे अपवाद मार्ग में मास में एक बार महानदी पार करने का आदेश दिया गया है, वैसे वृक्ष पर चढ़ने एवं हरित-काय को कुचलने हुए चतने का आदेश नहीं दिया गया है, अपितु उमका निषेध किया गया है और वृक्ष पर चढ़ने वाले को प्रायश्चित्त का अधिकारी बताया है*।

इस तरह साधु को वनस्पति काय की हिंसा न करते हुए एवं विषम मार्ग तथा सेना से युक्त रास्ते का त्याग करके सम मार्ग से विहार करना चाहिए। जिससे स्व एवं पर की विराधना न हो।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० गामा० दूइज्जमाणे अंतरा से पाडि-
वहिया उवागच्छिज्जा, ते गां पाडिवहिया एवं वइज्जा-आउ०
समणा ! केवइए एस गामे जाव रायहाणी वा ? केवईया
इत्थ आसा हत्थी गामपिंडोलगा मगुरसा परिवसंति ? से

* जे भिक्षु सच्चित्त एवम दुरुहं दुरुहंत साइज्ज ।

वहुभक्ते बहुउदए बहुजणो बहुजवसे से यप्पभक्ते यप्पुदए
 यप्पजणो यपजवसे ? एयप्पगाराणि पसिणाणि पुच्छिज्जा,
 एयप्प० पुट्ठो वा यपुट्ठो वा नो वागरिज्जा, एव खलु० ज
 मव्वट्ठेहि० ॥१२६॥

श्रुत्या—स भिक्षुर्मा० ग्रामानुग्राम गच्छन् अन्तराले तस्य प्रातिपथिका
 उपागच्छ्यु, ते प्रतिपथिका एव उदेयुः आयुष्मन् श्रमण ! कियान् एष ग्राम ?
 या यावत् राजधानी वा क्रियन्त अत्र अत्रा इस्तिन ग्रामपिण्डा बलका
 मनुष्या परिवसन्ति ? स बहुभवत् बहुयदक बहुजनो स (अथ) अल्पभवत्
 अल्पोदक अल्पजन अल्पवसतः ? एतत्प्रकारान् प्रश्नान् पृच्छेत् एतत्
 प्रकारान् प्रश्नान् पृष्टो वा अपृष्टो वा नो व्याकुर्यात् । एव खलु यत्०
 सुवार्थं ० । इति ब्रवामि ।

पदार्थ—से भिक्षु वा — वह साधु या साध्वी । गामानुग्राम — ग्रामानुग्राम । दुबज
 माण — विहार करता हुआ । अतरा से — उसके भाग में । पाडिवहिवा — सम्मुख सामने पाने
 वाल पथिक । मत्ताकिर — यदि । उदागच्छिज्जा — जा जावे घोर । ण — बाववालाकार में । ते —
 व पथिक । एय वइज्जा — इस प्रकार कह । आउत्तमणा — आयुष्मन् श्रमण ! । केवइवा —
 कितने प्रमाण में । एत — यह । गामे वा — ग्राम है । जाव — यावत् । रायज्जानी वा — राजधानी
 है । घोर । केवइवा — कितने । इत्य — यहां पर । घाता — घात घोजे । ह्यी — हाथी है, तथा
 यहा पर कितन । गामपिण्डोत्तमा — ग्राम याचक ग्राम में भिक्षावृत्तिते निर्वाह करने वाले भिक्षारी
 लोग हैं तथा यहां पर कितन । मणुस्ता — मनुष्य । परिवसति — निवास करते हैं तथा । से —
 इस ग्राम आदि में क्या । बहुभवत् — आहारादि खाद्य पदार्थ प्रचुर है ? बहुउदय — यहां पानी
 पर्याप्त है ? बहुजणे — बहुत लोग वसत है । बहुजवसे — बहुत या यात्रि है ? से — घण्टा ।
 अल्पभवत् — आहार । अल्पुदए — पानी यात्रि घोजा है । अल्पजन — लोग भी कम हैं घोर ।
 अल्पवसते — व य यात्राणि है ? एयपगाराणि — इस प्रकार के । पसिणाणि — प्रश्न की यात्रि ।
 पुच्छिज्जा — पूछें तब साधु । एयप्प० — इस प्रकार क प्र नों का । पुट्ठो वा — पूछा पर या ।
 अपृट्ठो वा — न पूछने पर भी । मा वागरिज्जा — उत्तर न द । एव — इस प्रकार । खलु —
 निश्चय ही । तन्त — उम । भिकसूत — साधु या साध्वी का । सामणिय — गणप सम्पूर्ण आचार

है । जं—जो । सबद्धेहि — ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से तथा । समझए— समिति मे । सहिए— युक्त हुआ । सया— सदा । जएज्जयासि— यत्न करे । त्तिवेमि इस प्रकार में कहता हूं ।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी ग्रामानुग्राम, बिहार करता हुआ उसके मार्ग मे यदि कोई सामने से और पथिक आजाए और साधु से पूछे कि— आयुष्मन् श्रमण ! यह ग्राम यावत् राजधानी कैसी है ? यहा पर कितने घोड़े, हाथी और ग्राम याचक है, तथा कितने मनुष्य निवास करते है ? क्या इस ग्राम यावत् राजधानी मे अन्न, पानी, मनुष्य एवं धान्य बहुत है या थोड़ा है ? ऐसे प्रश्नों को पूछने पर साधु जवाब न देवे और उसके बिना पूछे भी ऐसी बातें न करे । परन्तु, वह मौन भाव से विहार करता रहे और सदा सयम साधना में सलग्न रहे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि विहार करते समय रास्ते में यदि कोई पथिक मुनि से पूछे कि—जिस गांव या शहर से तुम आ रहे हो उसमें कितने हाथी-घोड़े हैं, कितना अन्न है, कितने मनुष्य है अर्थात् वह गांव धन-धान्य से सम्पन्न है या अभाव प्रस्त है ? तो मुनि को इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहिए । क्योंकि, इस चर्चा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और न यह चर्चा आत्म विकास में ही सहायक है । यह तो एक तरह की निक्कथा है, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधक मानी गई है । इसलिए साधु को उस समय मौन रहना चाहिए । यदि पूछने वाला कोई आध्यात्मिक साधक हो और उससे आध्यात्मिक विचारों के प्रसार होने की सम्भावना हो तो साधु के लिए उक्त प्रश्नों का उत्तर देने का निषेध नहीं है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह प्रतिबन्ध इस लिए लगाया गया है कि केवल व्यर्थ की बातों में साधक का समय नष्ट न हो ।

कुछ हस्त लिखित प्रतियों में “अप्यजवसे” पद के आगे यह पाठ मिलता है— “एयपगाराणि पसिणाणि पुट्टो वा अपुट्टो वा नो आइक्खेज्जा एयपगाराणि पसिणाणि नो पुच्छेज्जा ।” और उपाध्याय पार्श्वचन्द्र एवं राजकोट से प्रकाशित आचाराङ्ग सूत्र (मूल एवं भाषान्तर) में यह पाठ उपलब्ध होता है— “एयपगाराणि पसिणाणि पुट्टो नो आइक्खेज्जा एयपगाराणि पसिणाणि नो पुच्छेज्जा ।” इन उभय पाठोंमें केवल शब्दों के हेर-फेर है, परन्तु इनके अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है ।

प्रस्तुत सूत्र से यह भा स्पष्ट होता है कि उम युग में हाथी घोड़ों का अधिक उपयोग होता था और उन्हीं के आधार पर गान के वैभव का अनुमान लगाया जाता था । इस कारण प्रश्नों की पंक्ति में सबसे पहले उनका उल्लेख किया गया है ।

कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'त्तिबेनि' पद भी मिलता है, जिसकी व्याख्या पूर्वोक्त समझें ।

॥ द्वितीय उद्देशः समाप्त ॥

तृतीय अध्यायन-ईयैषणा

तृतीय उद्देशक

द्वितीय उद्देशक के अन्तिम सूत्रों में जो गमन विधि का उल्लेख किया गया है, उसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गामा० दूइज्जमाणे अंतरा से चप्पाणि वा जाव दरीअो वा जाव कूडागाराणि वा पासायाणि वा नूम-गिहाणि वा रुक्खगिहाणि वा पव्वयगि० रुक्खं वा चेइयकडं थूमं वा चेइयकडं आएसणाणि वा जाव भवणागिहाणि वा नो चाहाअो पगिज्झिय २ अंगुलियाए उद्दिमिय २ ओणमिय २ उन्नमिय २ निज्झाइज्जा, तअो सं० गामा० ॥ से भिक्खू वा गामा० दू० माणे अंतरा से कच्छाणि वा दवियाणि वा नूमाणि वा वलयाणि वा गहणाणि वा गहणाविदुग्गाणि वा चणाणि वा वणावि० पव्वयाणि वा पव्वयवि० अगडाणि वा तलागाणि वा दहाणि वा नईअो वा वावीअो वा पुक्खरिणीअो वा दीहियाअो वा गुंजालियाअो वा सराणि वा सरपंतियाणि वा सरसरपंति-याणि वा नो चाहाअो पगिज्झिय २ जाव निज्झाइज्जा, केवली०, जे तत्थ मिगा वा पसू वा पंखी वा सरीसिवा वा सीहा वा जलचरा वा थलचरा वा, खहचरा वा सत्ता ते उत्तसिज्ज वा

वित्तमिज्ज वा वाड वा मरण वा करिज्जा, वारिप्ति मे ग्रय म
मणे, अइ भिसूण पु० ज नो वाहायो पगिज्जिय २ निज्जा-
इज्जा, तयो सजयामेअ आयरिउज्जाएहि सद्धि गामाणुगाम
दुइज्जिज्जा ॥१२७॥

ध्याया—म भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम गच्छन् अन्तराले तस्य
वप्राणि वा यावत्, दर्या वा यावत् कूटागाराणि वा प्रामादा वा नूमगृहाणि (भूमि
गृहाणि) वा दृष्टगृहाणि वा पर्वतगृहाणि वा पक्ष वा चैत्यस्त, स्तूप वा चैत्यकृत
आदेशनानि वा यावत् भवनगृहाणि वा नो ग्राह प्रगत २ अगुला उद्दिश्य २
अवनम्य २ उन्नम्य २ निध्यायेत् । तत मयतमेव ग्रामानुग्राम गच्छेत् । स
भिक्षुः वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम गच्छन् अतगल तस्य कच्छा वा, द्रविकानि
वा निम्नानि वा प्लानि वा गहनानि वा गहनविदुर्गानि वा वनानि वा
वनवि० वा पर्वता वा पर्वतवि० वा अवटा वा तडागा वा हटा वा नद्यो
वा वाप्यो वा पुष्परियो वा दीर्घि वा गुञ्जालि वा मरामि वा सर-
पवतय वा सर मर पवतय वा नो बाहु प्रगृह्य २ यावत् निध्यायेत्, केवली
नूयात् आदानमेतत् । य तत्र मृगा वा पशवो वा पक्षिणो वा मरिमृपा वा
मिहा वा जलचरा वा स्थलचरा वा यवरा वा मन्वास्त उत्तमयु वा विप्रसेयु
वा वाट वा शरण वा काक्षयु वारयतीति मे अय भ्रमण अथ भिक्षुणा पूर्वोप-
दिष्ट यत् नो ग्राह प्रगत २ निध्यायेत् तत मयतमेव आचार्योपाचार्यै-
माद्धं ग्रामानुग्राम गच्छेत् ।

पार्थ—से भिक्षु वा—वह साधु या साध्या । गामा०—ग्रामानुग्राम । दुइज्जमाण—
विचार करता हुआ । अत्रा—पथ म । स—उसके अर्थान् उसके माग मे यदि । हणानि वा—
मेत की वधारिय । जाव—यावत् । इरीया वा—पवन की पुकार्ये । जाव—यावत् ।
कूटागाराणि—पवन के उप के घर अथवा । वासायाणि—ग्रामा—घर । नमगिहाणि
वा—भूमि घर-तन्माने आदि । स्थल तिहाणि वा—वक्ष क आश्रित घर अथवा वन के ऊपर

ना निदान स्थान । पञ्चपाणि—पर्वत की गुफा प्रादि । रक्षण वा—पशु शयवा । चेइयकड—
 वृक्ष के नीचे का अन्तर स्थान । पूभवा—अन्तर का स्तूप । चेइयकड—चैत्यकृत अर्थात् अन्तर-
 आदि के आकार युक्त स्तूप । आएत्तपाणि वा—नोटकार माना आदि । जाव—यावत् ।
 नयणमिहाणि वा—भवन गृह आदि आजाए तो यह इनको । वाहाओ—भुजाओ को । पगिञ्जिभ्य
 २—उठा उठा कर । अगुत्तिपाए—अगुनियो को । उहिसिय २—फैला-फैला कर । ओणमिय
 २—शरीर को नीचा करके । उन्नमिय २—शरीर को ऊचा करके । नो निज्भाइज्जा—
 न देते । तओ—तदनन्तर । स०—साधु । गामा०—ग्रामानुग्राम विहार करे । से निक्खू वा—
 वह साधु या साध्वी । गामा०—ग्रामानुग्राम । इहज्जमाणे—विहार करता हुआ ।
 अतरा—मध्य में । से—वह । कच्छाणि वा—नदी के नमीपवति निम्नप्रदेश तथा खर-
 वृक्ष आदि के नित, या । दवियाणि वा—जगत में घास आदि के लिए राजा के द्वारा रोकी
 हुई भूमि । नूमाणि वा—पट्ट आदि । वनयाणि वा—अथवा नदी प्रादि से वेष्टित भूमि भाग ।
 गहणाणि वा—जग में रहित प्रदेश अग्रण्यक्षेत्र तथा । गहण विदुग्गाणि वा—अरण्य में विषम
 स्थान । वणाणि वा—अथवा वन । वण विदुग्गाणि वा—वन में विषम स्थान । पञ्चपाणि
 वा—पर्वत । पञ्च विदुग्गाणि वा—पर्वत में विषम स्थान । अगडानि वा—अथवा कूप ।
 तलागाणि वा—तालाव अथवा । दहाणि वा—भीन । नईओ वा—नदिये अथवा । वावीओ
 वा—कमल रहित वावडी । पुक्खरिणिओ वा—पुष्करणी-कमल युक्त वावडी । दीहियाओ
 वा—दीधिका—लम्बी वावडी जिसमें जनता जल-प्रीटा करती है । गुञ्जालियायो वा—
 अथवा दीधं गम्भीर शीर कुटिल जलाशय । सराणि वा—अथवा बिना खोदा हुआ तालाव ।
 सर पत्तिपाणि वा—परस्पर मिले हुए बहुत से सरोवर । सर सरपत्तिपाणि वा—बहुत से
 सरोवरो की पंक्तिसे आदि रास्ते में हो तो वह साधु । वाहाओ—भुजाओ को । पगिञ्जिभ्य २—
 ऊची कर के । जाव—यावत् । नो निज्भाइज्जा—उन्हे न देते क्योंकि । केवली०—केवली
 भगवान कहते हैं कि ये कर्म वन्वन के कारण हैं जैसेकि । जे—जो । तत्प—वहाँ पर ।
 मिगावा—मृग-हरिण है । पसू वा—पशु अर्थात् अन्य पशु है । पक्खी वा—पक्षी है । सरी-
 सिचा—अथवा माप है । सीहा वा—सिंह-शेर है अथवा । जलचरा—जलचर जीव हैं ।
 थलचरा वा—स्थलचर जीव हैं । खहचरा वा—खेचर-आकाश में विचरने वाले जीव हैं, इस
 प्रकार के जो । सत्ता—सत्त्व-जीव हे वे साधु की उक्त चेष्टा को देखकर । उत्तसिज्ज वा—
 ब्रास को प्राप्त होंगे । वित्तसिज्ज वा—वित्तास-विशेष रूप से ब्रास पाएंगे । वाडं वा सरण
 वा—आश्रय को । कंलिज्जा—चाहेगे अथवा । मे—मुझे । अयं सभणे—यह श्रमण । वारिस्ति—
 हटाता है इस प्रकार जान कर भागेगे । अह—इसलिए । निक्खूण—भिक्षुओ को । पुच्चो-
 व दिट्ठा—तीर्थकरादि ने पहले ही यह उपदेश दिया है कि । ज—साधु इस प्रकार के स्थानों
 को । वाहाओ—भुजाओ को । पगिञ्जिभ्य—ऊपर उठाकर के । नो निज्भाइज्जा—न देते ।

तप्तो—तप्तनर । सजपावेव—साधु यत्नापूर्वक । सापरिचयम्भाह्नि सडि—प्राचाय और उपाध्याय के साथ । ग्रामानुग्राम—ग्रामानुग्राम, दुःखिन्ना—विहार करे।

मूलार्थ—साधु अथवा साध्वी को ग्रामानुग्राम विहार करते हुए मार्ग में यदि खेत के क्यारे यावत् गुफायें, पर्वत के ऊपर के घर, भूमि गृह, वृक्ष के नीचे या ऊपर का निवास स्थान, पर्वत गुफा, वृक्ष के नीचे अन्तर का स्थान, व्यतर का स्तूप और व्यतरायतन, लोहकारशाला यावत् भवनगृह आवें तो इनको अपनी भुजा ऊपर उठाकर, अंगुलियों को फैला कर, शरीर को ऊचा—नीचा करके न देखे । किन्तु यत्नापूर्वक अपनी विहार यात्रा में प्रवृत्त रहे । यदि मार्ग में नदी के समोप निम्न-प्रदेश हो या खरबूज आदि का खेत हो या अटवी में घोड़े आदि पशुओं के घास के लिए राजाना से छोड़ी हुई भूमि बौहड एव खड्डा आदि हो, नदी से वेण्टिन भूमि हो निजल प्रदेश और अटवी हो, अटवी में विषम स्थान हो, वन हो और वन में भी विषम स्थान हो, इसी प्रकार पर्वत, पर्वत पर का विषम स्थान, कूप, तालाब, भोलें, नदियों, बावडी, और पुष्करिणी और दीपिका अर्थात् तम्बी बावटिए गहरे एव कुटिल जनाशय, बिना खोदे हुए तालाब, सरोवर, सरावर का पवितर्य और बहुत से मिले हुए तालाब हो तो इनको भी अपनी भुजा ऊपर उठाकर या अंगुली पमार कर, शरीर को ऊचा नीचा करके न देख, कारण कि, केवली भगवान इसे कमबन्धन का कारण बतलाते हैं, जैसे कि-उन स्थानों में मग, पशु पक्षी, सांप, सिंह, जलचर, स्थलचर और खेचर जीव होते हैं, वे साधु को देखकर त्रास पावेंगे विनाम पावेंगे और किमी बाड की शरण चाहें तथा विचार करेंगे कि यह साधु हमें हटा रहा है, इसलिए भुजाओं को उची करके साधु न देखे किन्तु यत्ना पूर्वक आचाय और उपाध्याय आदि के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ समय का पालन करे ।

हिंदी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु का विहार करते समय रात में पवन

वाले दर्शनीय स्थलों को अपने हाथ को ऊपर उठाकर या अंगुलियों को फैलाकर या कुछ ऊचा होकर या झुक कर नहीं देखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि इससे वह अपने गन्तव्य स्थान पर कुछ देर से पहुँचेगा, जिससे उसकी स्वाध्याय एवं ध्यान साधना में अन्तराय पड़ेगी और किसी सुन्दर स्थल को देखकर उसके मन में विकार भाव भी जाग सकता है और उसे इस तरह झुककर या ऊपर उठकर ध्यान से देखते हुए देखकर किसी के मन में साधु के प्रति सन्देह भी उत्पन्न हो सकता है। यदि संयोग से उस दिन या उस समय के आसपास उक्त स्थान में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो उसके अधिकारी साधु पर इसका दोषारोपण भी कर सकते हैं। अतः इन सब दोषों से बचने के लिए साधु को मार्ग में पड़ने वाले दर्शनीय स्थलों की ओर अपना ध्यान न लगाकर यत्नापूर्वक अपना रास्ता तय करना चाहिए।

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सूत्रकार ने दर्शनीय स्थलों को इस तरह से देखने के लिए इन्कार किया है, जिससे किसी के मन में साधु के प्रति सन्देह उत्पन्न होता हो या उसके मन में विकारी भाव जाग्रत होता हो। परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि साधु उस तरफ से निकलते हुए आँखों को मूँद कर चले। साधु अपनी गति से चलता है और आँखों के सामने आने वाले दृश्य उसके सामने आएँ तो वह आँखे बन्द नहीं करेगा, परन्तु उस तरफ विशेष गौर से न देखता हुआ स्वाभाविक गति से अपना रास्ता तय करेगा।

प्रस्तुत सूत्र में दर्शनीय स्थानों के प्रसंग में—व्यन्तर आदि देव मन्दिर का वर्णन किया गया है, परन्तु जिन मन्दिर का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जिन मन्दिर नहीं थे। यदि उस समय जिन मन्दिर की परम्परा होती तो सूत्रकार उसका भी अवश्य उल्लेख करते।

इस सूत्र से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय के राजा गाँव या शहर के बाहर जङ्गल में गायों एवं घोड़े आदि पशुओं के चरने के लिए कुछ गोचर भूमि या चरागाह छोड़ते थे, जिन पर किसी तरह का कर नहीं लिया जाता था। इससे यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि उस समय पशु रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त खेत, जलाशय, गुफाओं आदि का उल्लेख करके उस युग की वास्तु कला एवं संस्कृति पर विशेष प्रकाश डाला गया है।

यदि साधु को आचार्य एवं उपाध्याय आदि के साथ विहार करना हो तो उन्हें किस तरह चलना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा २ आयरिउवज्झा० गामा० नो
 आयरियउवज्झायस्स हत्येण वा हत्थ जाव यणासायमाणो तत्रो
 सजयामेव आयरिउ० सद्धि जाव दूइज्जिजा ॥ से भिक्षू वा
 आय० सद्धि दूइज्जमाणे अतरा से पाडिवहिया उवागच्छिज्जा,
 ते ण० पा० एव वडज्जा—याउसतो । समणा । के तुच्चे ? कयो
 वा एह ? कहि वा गच्छिहिह ? जे तत्थ आयरिए वा उवज्झाए
 वा से भासिज्ज वा वियागरिज्ज वा आयरिउवज्झायस्स भास-
 माणस्स वा वियागरेमाणस्स वा नो अतरा भाम करिज्जा,
 तत्रो म० अहाराडणिए वा दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्षू वा अहा-
 राडणिय गामा० दू० नो राडणियस्म हत्येण हत्थ जाव यणा-
 सायमाणो तत्रो म० अहाराडणिय गामा० दू० ॥ से भिक्षू वा
 २ अहाराडणिय गामाणुगाम दूइज्जमाणे अतरा से पाडिवहिया
 उवगच्छिज्जा, ते ण पाडिवहिया एव वडज्जा— याउसतो ।
 समणा । के तुच्चे ? जे तत्थ सव्वराडणिए से भासिज्ज वा
 वागरिज्ज वा, राडणियस्स भासमाणस्स वा वियागरेमाणस्स
 वा नो अतरा भास भासिज्जा, तत्रो सजयामेव अहाराडणियाए
 गामाणुगाम दूइज्जिज्जा ॥१२८ ॥

छाया—भिक्षुर्वा० आचार्योपाचार्यै सार्द्धं ग्रामानुग्राम गच्छन् न

आचार्योपाध्यायस्य हस्तेन वा हस्त यावत् अनासादमानः ततः संयतमेव
 आचार्योपाध्यायैः सार्द्धं यावत् गच्छेत् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा
 आचार्योपाध्यायैः सार्द्धं गच्छन् अन्तराले तस्य प्रातिपथिका उपागच्छेद्युः ते
 प्रातिपथिकाः एवं वदेयुः आयुष्मन्तः श्रमणाः । के यूयम् ? कुतो वा आगच्छथ ?
 कुत्र वा गमिष्यथ ? यः तत्र आचार्यो वा उपाध्यायो वा स भाषेत वा
 व्यागृणीयाद् वा आचार्योपाध्यायस्य भाषमाणस्य व्यागृणतः वा नो
 अंतरा-मध्ये भाषां कुर्यात्, ततः संयतमेव यथा रात्निकैः सार्द्धं गच्छेत् ।
 स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यथारात्निकं ग्रामानुग्रामं गच्छन् न रात्निकस्य
 हस्तेन हस्त-यावत् अनासादमानः ततः संयतमेव यथारात्निकं ग्रामानुग्रामं
 गच्छेत् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यथा रात्निकं ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले
 तस्य प्रातिपथिका उपागच्छेद्युः, ते प्रातिपथिकाः एव वदेयुः आयुष्मन्तः
 श्रमणाः ! के यूयं ? अस्तत्र सवे रात्निकः स भाषेत व्यागृणीयात् वा
 रात्निकस्य भाषमाणस्य वा व्यागृणतः वा न अन्तराले भाषा भाषेत
 ततः संयतमेव यथा रात्निकैः सार्द्धं ग्रामानुग्रामं गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्षू वा०—वह साधु अथवा साध्वी । आयरिउवज्भाएहि—आचार्य और
 उपाध्याय के । सद्धि—साथ । गामा०—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को । दूइज्जमाणे—विहार
 करता हुआ । आयरिउवज्भायस्स—आचार्य और उपाध्याय के । हत्थेण हत्थ—हाथ से हाथ ।
 जाव नो०—यावत् रक्ष न करे अर्थात् हाथ से हाथ पकड़ कर न चले । जाव—यावत् । अणा-
 सायमाणे—आशातना न करता हुआ । तत्रो—तदनन्तर । सजयामेव—यत्नापूर्वक । आयरिय
 उवज्भाएहिं—आचार्य और उपाध्याय के । सद्धि—साथ । जाव—यावत् । दूइज्जिज्जा—
 गमन करे-विहार करे ।

पदार्थ—से भिक्षू वा—वह साधु अथवा साध्वी । आय०—आचार्य और उपाध्याय
 के । सद्धि—साथ । दूइज्जमाणे—गमन करते हुए । अंतरा से—उसके मार्ग में यदि कोई ।
 पाडिबहिया—पथिक । उवागच्छिज्जा—सामने आ जाए । णं—और । ते—वह । पाडिबहिया—
 पथिक । एव—साधु को इस प्रकार । वइज्जा—कहे । आउसतो समणा—आयुष्मन् श्रमण !
 के तुम्हे—आप कौन है ? कयो वा एह—कहा से आ रहे हो ? कहि वा गच्छिहिह—कहा पर
 जाए गे, तो । तत्थ—वहा पर । जे—जो । आयरिए—आचार्य । वा—या । उवज्भाए वा—

उपाध्याय हैं तो। मे- वह। मानिञ्जा-उसे उत्तर दे या। विद्यापरिञ्जा-विद्य प्रकार स उत्तर दे तब। ध्यापरिच उवाचभाषण-प्रनाय ध्यवा उपाध्याय के। भासमाणस्त-उत्तर देने का या। विद्यापरिमाणस्त-विद्या उत्तर दत्त हुए वह साधु। अनरा-बाच में। नो नाम परिञ्जा-हिमी प्रकार का उत्तर प्रस्तुत्तर न कर ध्यान् वाच में न बोल। तस्री-तत्पत्तर। स-साधु। अहाराइणिए वा-यथा रत्नाधिक क साधु। दूइभिञ्जा-गमन करे।

प्राय-से निम्न वा-वह साधु ज साध्या। अहाराइणिए-रत्नाधिक के साधु। गामा०-प्रामानुषाय। दू०-विहार करता हुआ। राइणियस्त-रत्नाधिक के। ह्येष-प्राय स। ह्यर्थ-हाथ की। नो-रत्ना न करे। जाव-यावत्। अनासायमाने-प्रामाण्य न करना हुआ। तस्री-तत्पत्तर। सं०-साधु। अहाराइणिए-रत्नाधिक क साधु। गामा०-प्रामानुषाय। दू०-विहार करे। से निम्न वा-वह साधु ध्यवा माध्वी। अहाराइणिए-रत्नाधिक क साधु। गामाणुगाम-एक ग्राम स दूसर ग्राम क प्रति। इइञ्जमाने-विहार करत हुए। अतरा स-उमक माग में यदि कोई। द्विवहिया-पयिक (मुतादित) सामन से। उवा-पटिञ्जा-या जाए। न-धीर। स-य। पात्रिचहिया-पाय उस साधु की। एव इइञ्जा-इम प्रकार कहें। अउमतो तमणा-आयुष्मन श्रमणो। क तु-मे-प्राय कीन है? तो। जे-को। तत्व-वहा पर। सधराइणिए-सधरत्नाधिक है ध्यान् जिमका दीना पर्याय सब स अधिक है। से-वह। मानिञ्ज वा-उत्तर दे। वापरिञ्ज वा-ध्यवा विनेष रूप में मगाय करे। राइणियस्त-उम जल्द साधु क। भासमाणस्त-भाषण करते या। विद्यापरिमाणस्त-विद्या रूप स उत्तर दते समय। अनरा-उमके बीच में। नो नाम भासिञ्जा-नमापण न करे ध्यान् बीच में न बोल। तस्री-तत्पत्तर। सजयामेव-मयत-साधु। अहाराणियाए-रत्नाधिक क साधु। गामाणुगाम-प्रामानुषाय। इइञ्जिञ्जा-विहार करे।

मूलार्थ-साधु ल्यवा माध्वी आचार्य और उपाध्याय के साथ विहार करता हुआ आचार्य और उपाध्याय के हाथ से अपने हाथ का स्पर्श न करे, और आशातना न करता हुआ ईर्यासमिति पूर्वक उनके साथ विहार करे। उनके साथ विहार करते हुए मार्ग में यदि कोई व्यक्ति मिले और वह इस प्रकार कहे कि आयुष्मन श्रमण! आप कीन हैं? कहा से आये हैं? और कहा जाएंगे? तो आचार्य या उपाध्याय जो भी साथ में हैं वे उसे सामान्य अथवा विशेष रूप से उत्तर दें। परन्तु, साधु को उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। किन्तु, ईर्यासमिति का

ध्यान रखता हुआ उनके साथ विहार चर्चा में प्रवृत्त रहे। और यदि कभी साधु रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े साधु) के साथ विहार करता हो तो उस रत्नाधिक के हाथ से अपने हाथ का स्पर्श न करे और यदि मार्ग में कोई पथिक सामने मिले और पूछे कि आयुष्मन् श्रमणो ! तुम कौन हो ? तो वहा पर जो सबसे बड़ा साधु हो वह उत्तर देवे उसके संभाषण में अर्थात् उत्तर देने के समय उसके बीच में कोई साधु न बोले किन्तु यत्नापूर्वक रत्नाधिक के साथ विहार में प्रवृत्त रहे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु आचार्य, उपाध्याय एवं रत्नाधिक (अपने से दीक्षा में बड़े साधु) के साथ विहार करते समय अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श करवा हुआ न चले और यदि रास्ते में कोई व्यक्ति मिले और वह पूछे कि आप कौन हैं ? कहां से आ रहे हैं ? और कहां जाएंगे ? आदि प्रश्नों का उत्तर साथ में चलने वाले आचार्य, उपाध्याय या बड़े साधु दें, परन्तु छोटे साधु को न तो उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिए और न बीच में ही बोलना चाहिए। क्योंकि आचार्य आदि के हाथ एवं अन्य अङ्गोपांग का अपने हाथ आदि से स्पर्श करने से तथा वे किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों उस समय उनके बीच में बोलने से उनकी अज्ञातता होगी और वह साधु भी असभ्य सा प्रतीत होगा। अतः उनकी विनय एवं शिष्टता का ध्यान रखते हुए साधु को विवेक पूर्वक चलना चाहिए।

यदि कभी आचार्य, उपाध्याय या बड़े साधु छोटे साधु को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहे तो वह उस व्यक्ति को उत्तर दे सकता है और इसी तरह यदि आचार्य आदि के शरीर में कोई वेदना हो गई हो या चलते समय उन्हें उसके हाथ के सहारे की आवश्यकता हो तो वह उस स्थिति में उनके हाथ आदि का स्पर्श भी कर सकता है। अस्तु, यहाँ जो निषेध किया गया है, वह बिना किसी कारण से एवं उनकी आज्ञा के बिना उनके हाथ आदि का स्पर्श करने एवं उनके बीच में बोलने के लिए किया गया है।

प्रस्तुत सूत्र में आचार्य आदि के साथ विहार करने के प्रसंग में जो साधु-साध्वी का उल्लेख किया है, वह सूत्र शैली के अनुसार किया गया है। परन्तु, साधु-साध्वी एक साथ विहार नहीं करते हैं, अतः आचार्य आदि के साथ साधुओं का ही विहार होता है, साध्वियों का नहीं। उनका विहार आचार्या (प्रवर्तिनी) आदि के साथ होता है। साधु

और माछी दीना के नियमों में समानता होने के कारण दोनों का एक साथ उल्लेख कर दिया गया है। जब जहाँ साधुओं का प्रसंग हो वहाँ आचार्य आदि का और जहाँ माधियों का प्रसंग हो वहाँ भगवतनी आदि का प्रसंग समझना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० दूइज्जमाणे यतरा से पाडिवहिया उवागन्धिज्जा, ते ण पा० एव वइज्जा-याउ० स० । यवियाइ इत्तो पडिवहे पासह, त० मणुस्स वा गोण वा महिस वा पसु वा पक्खि वा मिरीसिव वा जलयर वा से याइक्खह दसेह, त नो याइक्खिज्जा नो दमिज्जा, नो तस्स त परिन्न परिजाणिज्जा, तुसिणीए उवेहिज्जा, जाण वा नो जाणति वइज्जा, तत्रो स० गामा० दू० ॥ से भिक्खू वा० गा० दू० यतरा से पाडि० उवा०, तेण पा० एव वइज्जा-याउ० स० । यवियाइ इत्तो पडिवहे पासह, उदगपसूयाणि कदाणि वा मूलानि वा तथा पत्ता-पुफा फला वीया हरिया उदग वा सनिहिय अगणि वा स-निखित्त से याइक्खह जाव दइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा० गामा० दइज्जमाणे यतरा से पाडि० उवा० ते ण पाडि० एव याउ० स० यवियाइ इत्तो पडिवहे पामह जवमाणि वा जाव से ण वा विरुवरुव सनिविट्ठ से याइक्खह, जाव दइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा० गामा० दइज्जमाणे यतरा पा० जाव याउ० स०

केवइए इत्तो गामे वा जाव रायहाणि वा से आइवखह जाव
दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा २ गामानुग्रामं दूइज्जेज्जा, अंतरा
से पाडिपहिया आउसंतो समणा ! केवइए इत्तो गामस्स नगरस्स
वा जाव रायहाणीए वा मग्गे से आइवखह, तहेव जाव
दूइज्जिज्जा ॥१२६॥

छाया—म भिक्षुर्वा ग्रामानुग्रामं गच्छन् अन्तराले तस्य प्रातिपथिकाः
उपागच्छेयुः, ते प्रातिपथिकाः एव वदेयुः—आयुष्मन्तः श्रमणाः ! अपि चेतः
प्रतिपथे पश्यथ, तद् यथा—मनुष्यं वा गोणं वा माहेष वा पशु वा पक्षिणं
वा सरीसृप वा जलचरं वा तं आचक्षध्वम् दर्शयत तं न आचक्षीत, न दर्श-
येत् न तस्य ता परिज्ञा परिजानीयात्, तूष्णीकः उपेक्षेत जानन् वा न जानन्ति-
(जानन्नपि जानामि इति) नो वदेत् । ततः संयतमेव ग्रामानुग्रामं दूयेत । स
भिक्षुः भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम दूयमानः-गच्छन् अन्तराले तस्य प्रातिपथिकाः
उपागच्छेयुः, ते प्रातिपथिकाः एव वदेयुः—आयुष्मन्तः श्रमणाः ! अपि च
इत प्रतिपथे पश्यथ ? उदकप्रसूतानि कन्दानि वा मूलानि वा त्वचो वा
पत्राणि पुष्पाणि फलानि बीजानि हरितानि उदक वा सन्निहितं अग्नि वा
सन्निविष्टं त आचक्षध्वम् च यावत् दूयेत । स भिक्षुर्वा ग्रामानुग्राम गच्छन्
अन्तराले तस्य प्रातिपथिकाः उपागच्छेयुः ते प्रातिपथिकाः एवं वदेयुः आयु-
ष्मन्तः श्रमणाः ! अपि च इतः प्रतिपथे पश्यथ यवसानि वा यावत् स वा विरूप-
रूपं सन्निविष्टं तम् आचक्षध्वम् यावत् दूयेत-गच्छेत् । स भिक्षुर्वा ग्रामानुग्राम
दूयमानः-गच्छन् अन्तराले प्रातिपथिकाः यावत् आयुष्मन्तः श्रमणाः ! कियद्
इतः ग्रामो वा यावद् राजधानी वा तदाचक्षध्वम् यावत् दूयेत । स भिक्षुर्वा
भिक्षुकी वा ग्रामानुग्रामं गच्छेत् अन्तराले तस्य प्रातिपथिकाः आयुष्मन्तःश्रमणाः !
कियान् इतः ग्रामस्य वा नगरस्य वा यावत् राजधान्या वा मार्गः तदाचक्षध्वम्

तथैव यावत्, दूयेत ।

पदाय—से निक्खू वा—वह साधु या साध्वी । दूइजमाणे—विहार करते हुए ।
 अतरा से—उमक माग म । पाडिबहिषा—पयिक लोग मामन म । उशगच्छिज्जा—प्राजाए ।
 ण—घोर । ते—व माधु का । एव—इस प्रकार । वज्ज्जा—वहें कि । भाउसतो समणा ?—
 आयुष्मन् श्रमण । अविपाट—क्या आपन । इत्तो पडिबहे—इन माग में घात हुए किन्ती को ।
 पासह—दसा है । तं—जमे कि । मग्गस्स वा—मनुष्य को । गोग वा—बल को । महिस
 वा—महिष का । पसु वा—पशु को । पक्सि वा—पक्षी को । तिरीसिब वा—मय को मयवा ।
 अतयर वा—जलचर को । ते—उमको । आइकलह—कहा घोर । बंसेह—खिलायी, इस
 प्रकार के प्रान क्रिय जान पर माधु । त—उस । नो आइविच्छिज्जा—न तो कुछ कहे घोर ।
 ना दसिज्जा—न खिलनाव । तस—उसक । त परित्र—दम कयन को । नो परिज्जाणिज्जा—
 म्बाकार न कर किन्तु । तुसिणीए उवहेज्जा—मीन वनि में रह भयति चुप रहे । ज्ञाण वा—
 भयवा जानता हुआ भी । जणति—मैं जानता हू इस प्रकार । नो बड्जा—न कहे भयान् ।
 चुप रह । तपो—तदनन्तर । स—यतना पूर्वक । गामा०—ग्रामानुग्राम । दू०—विहार कर ।

पदाय—से निक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गा०—एक ग्राम से दूसर ग्राम को ।
 दू०—गमन करना हुआ । अतरा से—उमक माग म यन् । पाडि०—पयिक लोग । उवा—
 मामन प्राजाए । ण—घोर । ते—वे । पा०—पयिक लोग । एव वज्ज्जा—इस प्रकार कहें ।
 आउ० स०—आयुष्मन् श्रमण । अविपाट—अपिच क्या आपने । इत्तो—इस । पडिबहे—
 मार्ग में इनकी । पासह—दसा है ? जमे कि । उदग पमुपाणि—उदकप्रसृत जलम उदयन्त हुए ।
 कदाणि—कदा । मूलाणि वा—भयवा मूल । तया—त्वचा—वक्ष की छान । पत्ता—पत्र ।
 पुप्फा—पुष्प फूल । फला—फल । बीया—बीज । हरिया—हस्ति काय । उदग—उदक पानी ।
 वा—भयवा । सनिहिष—सनिहित पानी के स्थान तडाग आदि । अगणि सनिस्सित्त—अप्रवर्तित
 हुई भूमि । ते—उमको । आइकलह—कहो । जाव—यावन । दूइजिज्जा—विहार करे ।
 से निक्खू वा—वह साधु या साध्वी । गामा०—ग्रामानुग्राम । दूइजमाणे—विहार करते
 हुआ । स—उसके । अतरा—माग में यन् । पाडि०—पयिक लोग । उवा०—प्राजावे ।
 ण—घोर । ते—व । पाडि०—पयिक लोग । एव०—इस प्रकार कहें । आउ० स०—आयु
 ष्मन् श्रमण । अविपाट—क्या आपन । इत्तो पडिबहे—इस माग म । पासह—दसा है
 जमे कि । जवसाणि वा—भय, योमुमादि घा य को । ज्ञाव—यावत् । से ण वा—राजा की सना
 का । विरुवहव—नाना प्रकार क । सनिविट्ठ—उतरे हुए राजा क बटक सना का । से—
 उम । आइकलह—कहो—वतनायो । जाव—यावत् । दूइजिज्जा—ग्रामानुग्राम विहार करे ।
 से निक्खू वा—वह साधु भयवा साध्वी । गामा०—दूइजमाणे—एक ग्राम म दूसर ग्राम का

जाते हुए। अंतरा—मार्ग में। पा०—पथिक लोग। जाव—यावत् आज्ञावे और साधु के प्रति कहे कि। आउ० स०—आयुष्मन् श्रमण। केवद्दए—कितनीक दूर। इत्तो—यहा से। गामे वा—ग्राम है। जाव—यावत्। रायहाणिं वा—राजधानी है। से—उसे। आइक्खह—कहो। जाव—यावत्। दू०—मौनवृत्ति से विहार करे। से मिक्खू वा—वह साधु अथवा साध्वी। गामाणु-गामं—एक ग्राम से दूसरे ग्राम के प्रति। दूइज्जमाणे—विहार करते हुए। से—उसके। अंतरा—मार्ग में यदि। पाडिक्खिया—पथिक आज्ञावे और पूछे कि। आउसंतो समणा—आयुष्मन् श्रमण। केवद्दए—कितनी दूर। इत्तो—यहा से। गामस्स वा—ग्राम का अथवा। नगरस्स वा—नगर का। जाव—यावत्। रायहाणि वा—राजधानी का। मग्गो—मार्ग है। से—उसे। आइक्खह—कहो अर्थात् बतलाओ? शेष। तहेव—उसी प्रकार। जाव—यावत्। दूइज्जिज्जा—मौन वृत्ति से विहार करे।

मूलार्थ—सयमशोल साधु अथवा साध्वी को विहार करते हुए यदि मार्ग के मध्य में सामने से कोई पथिक मिलें और वे साधु से कहे कि आयुष्मन् श्रमण! क्या आपने मार्ग में मनुष्य को, मृग को, महिष को, पशु को, पक्षी को, सर्प को और जलचर को जाते हुए देखा है? यदि देखा हो तो बतलाओ वे किस ओर गए हैं? साधु इन प्रश्नों का कोई उत्तर न दे और मौन भाव से रहे, तथा उसके उक्त वचन को स्वीकार न करे, तथा जानता हुआ भी यह न कहे कि मैं जानता हूँ। और ग्रामानु-ग्राम विचरते हुए साधु को मार्ग में वे पथिक यह पूछे कि आयुष्मन् श्रमण! क्या आपने इस मार्ग में जल से उत्पन्न होने वाले कन्दमूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फल, बीज, हरित, एवं जलके स्थान और अप्रज्वलित हुई अग्नि को देखा है तो बताओ कहां देखा है? इसके उत्तर में भी साधु कुछ न कहे अर्थात् चुप रहे। तथा ईर्या समिति पूर्वक विहार चर्या में प्रवृत्त रहे और यदि यह पूछे कि इस मार्ग में धान्य और राजाओं की सेना कहां पर है? तो इस प्रश्न के उत्तर में भी मौन रहे। यदि वे पूछे कि आयुष्मन् श्रमण! यहा से ग्राम यावत् राजधानी कितनी दूर है? तथा यहां से ग्राम नगर यावत् राजधानी का मार्ग कितना शेष रहा है? इन का भी उत्तर न दे तथा जानता हुआ भी मैं जानता हूँ ऐसे न कहे, किन्तु मौन

धारण करके ईयासमिति पूर्वक अपना रास्ता तय करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि निहार करते समय कोई पथिक पूछ कि हे मुनि ! आपने इधर से किसी मृग, गाय आदि पशु पक्षी या मनुष्य आदि को जाते हुए देखा है ? इसी तरह जलचर एवं वनस्पतिकाय या अग्नि आदि के सम्बन्ध में भी पूछ और कहे कि यदि आपने इन्हें देखा है तो बताइए वे कहाँ हैं या किस ओर गए हैं ? उसके ऐसा पूछने पर साधु को मौन रहना चाहिए । क्योंकि, यदि साधु उसे उनका सही पता बना देता है तो उसक द्वारा उन प्राणियों को हिंसा होना सम्भव है । अब पूछ अहिंसक साधु को प्राणीमात्र के हित की भावना को ध्यान में रखते हुए उस समय मौन रहना चाहिए ।

प्रस्तुत प्रसंग में प्रयुक्त 'जाल वा नो जाणति वदञ्जा' के अर्थ में दो विचार-धाराएँ हमारे सामने हैं । परन्तु, इस बात में सभी विचारक एकमत हैं कि साधु को गमो भाषा का निःकुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे अनेक प्राणियों की हिंसा होती हो । इस दया के भावना को ध्यान में रखते हुए वृत्तिकार उक्त पदों का यह अर्थ करते हैं— साधु जानते हुए भी यह कह कि मैं नहीं जानता । स्व० आचार्य भाट्टबाहर लाल जी महाराज ने भी सद्धर्म मण्डन में इसी अर्थ का समर्थन किया है । इसमें साधु की भावना अमल्य बोलने का नहीं प्रत्युत उसकी उपज्ञा करके जीवों की रक्षा करने की भावना है । परन्तु, फिर भी इस भाषा में कुछ असत्य का अंश रह ही जाता है, अतः यह विचारणीय है कि साधु गमो भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है ।

यह भी तो स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रसंग में प्रयुक्त 'या' शब्द अग्नि (भी) के अर्थ में 'ययद्गत हुआ है और 'नो' शब्द 'वदञ्जा' किया में सपद्ध है । इस तरह इसका अर्थ हुआ कि साधु जानते हुए भी यह नहीं कह कि मैं जानता हूँ । मोरधी से प्रचारित आचारान्न सूत्र में गुनराती अनुवाद में भी यही अर्थ किया गया है कि 'या' जायता हतो जाणु छु एम न कोजमुक्ती । उपाध्याय पार्ष्णराट्ट ने भी आचारान्न की व्याख्यान टीका में उपरोक्त अर्थ को ही स्वीकार किया है ।

आगमों में प्रायः 'ना' शब्द का किया के साथ ही सम्बन्ध माना गया है । उल्लास्यवन सूत्र में कहा है— 'न निमहि वनिव कुमेखा' अर्थात् करी पर भी रोह न करके । 'न' सूत्र में 'न' का किया के साथ ही सम्बन्ध माना गया है । इगत अतिरिक्त

आगम में ऐसे अनेक स्थल हैं, जिनमें 'नो' शब्द को क्रिया के साथ ही सम्बद्ध माना है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में 'नो' शब्द को 'वइज्जा' क्रिया से सम्बद्ध मानना ही युक्ति-युक्त प्रतीत होता है। यदि इस तरह से 'नो' शब्द को क्रिया के साथ जोड़कर अर्थ नहीं करेंगे तो फिर मौन रखने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। फिर तो साधु सीधा ही यह कहकर आगे बढ़ जाएगा कि मैं नहीं जानता; परन्तु, आगम में जो मौन रखने को कहा गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को जानते हुए भी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। साधु को जीवों की हिंसा एवं असत्य भाषा दोनों से बचना चाहिए।

आगम में कहा गया है कि जिस भाषा के प्रयोग से जीवों की हिंसा होती हो वैसी सत्य भाषा भी साधु को नहीं बोलनी चाहिए। और यह भी बताया गया है कि साधु को सत्य एवं व्यवहार भाषा बोलनी चाहिए और मिश्र एवं असत्य भाषा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। साधु दूसरे महाव्रत में असत्य भाषण का सर्वथा त्याग करता है। और आगम में उसे अणु मात्र (स्वल्प) झूठ बोलने का भी निषेध किया गया

ॐ णेरइयाणं भंते ! जीवाओ कि चलियं कम्म वधति, अचलियं कम्म वन्धन्ति ?

गोयमा ! णो चलियं कम्मं वन्धन्ति, अचलियं कम्मं वन्धन्ति ।

यहां पर 'णो' शब्द का वन्धति क्रिया के साथ सम्बन्ध है।

ॐ णेरइयाण भंते जीवाओ कि चलयि कम्म उदीरंति, अचलयि कम्मं उदीरन्ति ?

गोयमा ! णो चलयि कम्मं उदीरंति, अचलयि कम्मं उदीरंति ।

यहां पर "उदीरंति" क्रिया के साथ 'णो' पद का सम्बन्ध है।

सा भंते ! कि अत्तकडा कज्जइ, परकडा कज्जइ, तदुभय कडा कज्जइ ?

गोयमा ! अत्तकडा कज्जइ, णो परकडा कज्जइ, णो तदुभयकडा कज्जइ ।

—भगवती सूत्र, शत, १-उद्दे० १

† तहेव परसा भापा, गुरुभूओ वधाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तवा, जओ पावस्स आगमो ॥ —दशवैकालिक सूत्र ७, ११

‡ चउण्हं खलु भासाणं परिसखाय पन्त्वं ।

दुण्हं विणय मिक्खे, दो न भासिज्जा सव्वसो ॥ —दशवैकालिक सूत्र ७, १,

ॐ अहाचरे दुच्चे भन्ते ! महव्वये मुसावायाओ वेरमण ।

सव्व भंते मुसावाय पच्चक्खामि । —दशवैकालिक सूत्र ४

है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को ऐसे प्रसंगों पर मौन रहना चाहिए। चाहे उस पर कितना भी कष्ट क्यों न आए, फिर भी जानते हुए भी उसे यह नहीं कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए।

इसी विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू० गा० दू० यतरा से गोण वियाल पडिवहे पेहाए जाव चित्तचिल्लड वियाल प० पेहाए नो तेसि भीयो उम्मग्गेण गच्छिज्जा नो मग्गायो उम्मग्ग सकमिज्जा नो गहण वा वण वा दुग्ग वा यणुपविसिज्जा नो रुक्खसि दूरुहिज्जा नो महइमहालयसि उदयसि काय विउसिज्जा नो वाड वा सरण वा सेण वा सत्थ वा कखिज्जा अप्पुस्सुए जाव समाहीए तत्रो सजयामेव गामाणुगाम दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू० गामाणुगाम दूइज्जमाणे यतरा से विह मिया, से ज पुण विह जाणिज्जा, इमसि खलु विहसि वहवे ग्रामोमगा उवगरणपडियाए मपिंडिया गच्छिज्जा, नो तेसि भीत्रो उम्मग्गेण गच्छिज्जा जाव समाहीए तत्रो सजयामेव गामाणुगाम दूइज्जेज्जा ॥१३०॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम दूयमान अन्तराले तस्य गव्याल प्रतिपथे प्रेक्ष्य यावत् चित्रक व्याल प्रतपथे प्रेक्ष्य न तेभ्यो भीत उन्मा र्णेण गच्छेत्, न मार्गत उन्माग सक्रामेत्, न गहन वा वन वा दुर्ग वा

† एय च दोष दट्टूण नायपुत्तण भासिय ।

अणुमावपि महावी मायामोस विवज्जए ।

अनुप्रविशेत् न वृत्तं आरोहेत् न महति महालयं उदके काय व्युत्सृजेत्, न चाटं वा शरुणं वा सेनां वा सार्थं वा कांचेत् अल्पोत्सुकः यावत् समाधिना, ततः सयतमेव ग्रामानुग्रामं दूयेत् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्रामं दूयमानः अन्तरालं तस्य विहं स्यात् स यत् पुनः विहं जानीयात् अस्मिन् खलु विहे बहवः आमोषकाः उपकरणप्रतिज्ञया संपिण्डिताः आगच्छेयुः न तेभ्यो भीतः उन्मार्गेण गच्छेत्, यावत् समाधिना, ततः संयतमेव ग्रामानुग्रामं दूयेत् गच्छेत् ।

पदार्थ—से भिक्खू०—बहु साधु या साध्वी । गा० दू०—ग्रामानुग्राम विहार करते हुए । से—उसके । अन्तरा—मार्ग के मध्य में आए हुए । गोण—वृषभ को । विद्यालं—मर्ग को । पडिवहे—रास्ते में देखकर । जाव—यावत् । चित्तचित्तलड—चोते को, चीते के बच्चे को । विद्यालं—क्रूर सर्प को । प०—मार्ग में । पेहाए—देखकर । तेसि—उनमें । भीओ—डरता हुआ । उन्मार्गेण—उन्मार्ग से । नो गच्छिज्जा—गमन न करे । श्रीर । मग्गाओ—मार्ग से । उन्मार्ग—उन्मार्ग को । नो सकम्मिज्जा—संक्रमण न करे । गहणं वा—गहन—वृक्ष समूह से युक्त स्थान । वन वा—वन । हुगं वा—विषम स्थान इनमें । नो पविसिज्जा—प्रवेश न करे श्रीर । रुक्खसि—वृक्ष पर । नो दुंइहिज्जा—न चहे । महइमहालयसि—अति विस्तृत गहरे जल में । कायं—शरीर को । नो विउसिज्जा—तिरोहित न करे । वाड वा—वाड का । सरणं—शरण । सेनं वा—सेना का अथवा । सत्थं वा—किसी अन्य साथियों का आश्रय । नो कखिज्जा—न चाहे । अप्पुम्सुए—राग-द्वेष से रहित होकर । जाव—यावत् । समाहीए—समाधि युक्त होकर । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—सयम शील साधु । गामाणु-गाम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को । दूइज्जिज्जा—विहार करे । से भिक्खू०—बहु साधु अथवा साध्वी । गामाणुगामं—ग्रामानुग्राम । दूइज्जमाणे—विहार करता हुआ । अंतरा से—उसके मार्ग में । विह सिपा—अटवी हो तो । से—बहु साधु । जं—जो । पुण—फिर । विह—अटवी को । जाणिज्जा—जाने । खलु—निश्चयार्थक है । इमंसि—इस । विहसि—अटवी में । बहवे—बहुत से । आमोसगा—चोर । उवगरणपडियाए—साधु के उपकरण को लेने के लिए । संपिडिया—एकत्र होकर यदि सामने । गच्छिज्जा—आ जाए तो । तेसि—उनसे । भीओ—डर कर । उन्मार्गेण—उन्मार्ग से । नो गच्छिज्जा—गमन न करे । जाव—यावत् । समाहीए—समाधियुक्त होकर । तओ—तदनन्तर । संजयामेव—यत्नापूर्वक । गामाणु-गाम—ग्रामानुग्राम । दूइज्जिज्जा—विहार करे ।

मूलार्थ—सयमशील साधु अथवा साध्वी को ग्रामानुग्राम विहार करते

हुए माग मे यदि मदोन्मत्त वृषभ वैल या विपैले साप या चोते आदि हिमक जीवो का साक्षात्कार हो तो उसे देखकर साधु को भयभीत नहीं होना चाहिए तथा उनसे डरकर उन्माग मे गमन नहीं करना चाहिए और मार्ग से उन्माग का सक्रमण भी नहीं करना चाहिए । और गहन वन एव विषम स्थान मे भी साधु प्रवेश न करे, एव न विस्तृत और गहरे जल मे हो प्रवेश करे और न वृक्ष पर ही चढ । इसी प्रकार वह सेना और अय साधियो का आश्रय भी नढूढे, किन्तु राग द्वेष से रहित होकर यावत् समाधिपूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे ।

यदि साधु या साध्वी को विहार करते हुए माग मे घटवी आ जाए तो साधु उमकी जानले, जैसे कि घटवी मे चोर होते है और वे साधु के उपकरण लेने के लिए इकट्ठे होकर आते है, यदि घटवी मे चोर एकत्रित हो कर आए तो साधु उनसे भयभीत न हो तथा उनसे डरकर उ मार्ग की ओर न जाए किन्तु राग द्वेष से रहित होकर यावत् समाधिपूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करने मे प्रवृत्त रहे ।

हिन्दी निवेदन

प्रस्तुत सूत्र मे साधु की निर्भयता के सर्वोत्कृष्ट रूप का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि यदि साधु को रास्ते मे उमत्त वैल, शेर आदि हिंसक जंतु मिल जाए या कभी माग भूल जाने के कारण भयंकर अटारी मे गप हुए साधु को चोर, डाकू आदि मिल जाए तो मुनि को उनसे भयभीत होकर इधर-उधर उमार्ग पर नहीं जाना चाहिए, न वृक्ष पर चढना चाहिए और न विस्तृत एवं गहरे पानी मे प्रवेश करना चाहिए, परंतु राग-द्वेष से रहित होकर अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए ।

प्रस्तुत प्रस्ता साधु की साधुता की उरकृष्ट साधना का परिचायक है । वह अभय का देजना न किसी को भय देता है और न किसी से भयभीत होता है । क्योंकि प्राणी जगत को अभयदान देने वाला साधक कभी भय प्रस्त नहीं होता । भय उसी प्राणी क मन मे पनपता है, जो दूसरों को भय देता है या जिसकी साधना में, अहिंसा में अभी पूर्णता नहीं आई है । क्योंकि भय एव अहिंसा का परस्पर विरोध है । मानव जीवन में

जितना-जितना अहिंसा का विकास होता है उतना ही भय का हास होता है और जब जीवन में पूर्ण अहिंसा साकार रूप में प्रकट हो जाती है तो भय का भी पूर्णतः नाश हो जाता है। अस्तु अहिंसा निर्भयता की निशानी है।

यह वर्णन पूर्ण अहिंसक साधक को ध्यान में रखकर किया गया है। सामान्यतः सभी साधु हिंसा के त्यागी होते हैं, फिर भी सबकी साधना के स्तर में कुछ अन्तर रहता है। सब के जीवन का ममान रूप से विकास नहीं होता। इसी अपेक्षा से वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र को जिनकल्पी मुनि की साधना के लिए बताया है। क्योंकि स्थविर कल्पी मुनि की यदि कभी समाधि भंग होती हो तो हिंसक जीवों से युक्त मार्ग का त्याग करके अन्य मार्ग से भी आ-जा सकता है। आगम में भी लिखा है कि यदि मार्ग में हिंसक जन्तु बैठे हों या घूम-फिर रहे हों तो मुनि को वह मार्ग छोड़ देना चाहिए।

वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र जो जिनकल्पी मुनि से सम्बद्ध बताया है। हिंसक जन्तुओं से भयभीत न होने के प्रसंग में तो यह युक्ति संगत प्रतीत होता है। परन्तु, अटवी में चोरों द्वारा उपकरण छीनने के प्रसंग में जिनकल्पी की कल्पना कैसे षटित होगी? क्योंकि उनके पास वस्त्र एवं पात्र आदि तो होते ही नहीं, अतः उनके लूटने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होगा। इसका समाधान यह है कि आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध में वृत्तिकार ने एक, दो और तीन चादर रखने वाले जिनकल्पी मुनि का भी वर्णन किया है, उन्होंने कुछ जिनकल्पी मुनियों के लक्ष्य १२ उपकरण स्वीकार किए हैं। अतः इस दृष्टि से इस साधना को जिनकल्पी मुनि की साधना मानना युक्तिसंगत ही प्रतीत होता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० गा० दू० अन्तरा से आमोसगा-
संपिंडिया गच्छिज्जा, ते गां आ० एवं वइज्जा आउ० स० ! आहर
एयं वृत्थं वा ४ देहि निक्खिवाहि, तं नो दिज्जा निक्खि-
विज्जा, नो वंदिय २ जाइज्जा, नो अज्जलिं कट्टु जाइज्जा.

❀

साण सूइयं गावि, दित्त गोण ह्य गय।

सडिब्भ कलहं जुद्ध हूरभो परिवज्जए ॥

नो कलुण्णवडियाए जाइज्जा, धम्मियाए जायणाए जाइज्जा, तुसि
णीयभावेण वा उवेहिज्जा ते ण आमोसगा सय करणिज्जतिकट्टु
अक्कोसति वा जाव उह्वित्ति वा वत्थ वा ४ अच्चिद्धिज्ज वा
जाव परिट्ठविज्ज वा, त नो गाममसारिय कुज्जा, नो राय-
ससारिय कुज्जा, नो पर उवसकमित्तु वूया—आउसतो । गाहा-
वई । एए खलु आमोसगा उवगरणवडियाए सय करणिज्जतिकट्टु
अक्कोसति वा जाव परिट्ठवत्ति वा, एयप्पगार मण वा वाय वा
नो पुरयो कट्टु विहरिज्जा, अप्पुस्सुए जाव समाहीए तयो सजया
मेव गामा० दू० । एय खलु० सया जइ० ॥१३१॥ त्तिवेमि ॥

छाया—म भिक्षुर्ना भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम द्यमान अतराले तस्य आमो
पका मपिण्डिता आगन्धेषु ते आमोपका एव वदयु—आयुष्मन् श्रमण ।
आइर एतद् उच्च वा ४ दहि निक्षय ? तद् नो दद्यात् निक्षिपेत् न दन्दिता २
याचेत न अञ्जलि कृत्वा याचेत, न करुणप्रतिषया याचेत, धार्मिकया वाचनया
याचेत तुष्णीम्भावेन वा उपक्षत ते आमोपका स्वयकरणीयमिति कृत्वा, आक्रो
शति वा यावत् अपद्रायन्ति वा, वस्त्र वा अस्त्रिन्दु तद् यावत् परिष्ठापयेयुर्वा
तद् न ग्रामससारणीय कुर्यात्, न राजससारणीय कुर्यात्, न पर उपमक्रम्य व्रूयात्—
आयुष्मन् गृह्णते ! एत खलु आमोपका उपररुणप्रतिषया स्वयकरणीयमिति
कृत्वा आक्रोशति वा यावत् परिष्ठापयन्ति वा एतत् प्रकार मानस वा वाच वा
न पुरत कृत्वा विहरत् । अल्पोत्सुक यावत् ममाधिना तत् सयतमेव ग्रामानुग्राम
दूयेत । एतत् खलु भिक्षो नामश्रूय यत् मर्त्ये ममित सहित सदा जयेत् ।
इति त्रयीमि । समाप्तमीर्गान्ध तृतीयमध्ययनम् ।

पदार्थ—से भिखू वा—वह साधु या साध्वी। गा०—एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार करता हुआ। अतरा—मार्ग में। से—उसके सामने। आमोसगा—चोर। सर्पिडिया—एकत्रित होकर। द्रागच्छिज्जा—आ जाए। ण—पूर्ववत्। ते—वे। आमोसगा—चोर। एव चइज्जा—इस प्रकार कहे। आउ० स—आयुष्मन् श्रमण। आहर—लाओ। एय वत्थं चा० ४—यह वस्त्रादि। देहि—हमें दे दो, और। निखिखवाहि—यहां पर रख दो। तव वह साधु। तं—उमे। नो दिज्जा—न देवे किन्तु उन्हे भूमि पर। निखिखविज्जा—रख दे, परन्तु। वंदिथं २—उन चोरो की स्तुति करके। नो जाइज्जा—उन वस्त्रादि की याचना न करे, तथा। अंजलि कट्टु—हाथ जोड़ कर। नो जाइज्जा—याचना न करे तथा। कलुण वडियाए—दीन वचन बोलकर। नो जाइज्जा—याचना न करे किन्तु। धम्मियाए—धार्मिक। जायणाए—याचना से अर्थात् धर्म कथन पूर्वक। जाइज्जा—याचना करे अथवा। तुसिणीय भावेण वा—मौन भाव से अवस्थित रहे। णं—वाक्यालंकार में है। ते—वे। आमोसगा—चोर। सय करणिज्जति कट्टु—चोर का कर्तव्य जानकर यदि इस प्रकार करे यथा। अक्कोसति वा—साधु को आक्रोशते हैं। जाव—यावत्। उर्हवति—जीवन से रहित कर देते हैं। वा—अथवा। चत्थं वा—वस्त्रादि को। अच्छिदिज्जा—छीन लेते हैं। वा—अथवा। जाव—यावत् छीने हुओ को। परिट्ठविज्जा—वहाँ पर ही फैंक देते हैं। तो भी साधु। तं—इस बात को। गाम संसारिय—गांव में जाकर लोगो से। नो कुज्जा—न कहे और। नो रायसंसारियं कुज्जा—राजा आदि के पास जाकर भी न कहे तथा। नो परं उपसकमित्तु बूया—न अन्य गृहस्थो के पास जाकर कहे कि। आउसंतो गाहावई—आयुष्मन् सद् गृहस्थो! एए खलु आमोसगा—निश्चय ही इन चोरो ने। उवगरण वडियाए—मेरे उपकरण ले लिए। सयंकरणिज्जति कट्टु—उन्होंने अपना कर्तव्य समझ कर मुझे। अक्कोसति—कठोर वचन कहे। जाव—यावत्। परिट्ठवति—मेरे उपकरण आदि फैंक दिए। एयपगारं—इस प्रकार का। मण वा—मन। चार्थं वा—अथवा वचन को। पुरओ कट्टु—आगे करके। नो विहरिज्जा—न धिचरे किन्तु। अप्पुस्तुए—राग-द्वेष से रहित। जाव—यावत्। समाहीए—समाधि युक्त होकर। तओ—तदनन्तर। सजयामेव—यत्नापूर्वक। गामा०—ग्रामानुग्राम। दुइ०—विहार करे। एयं खलु०—निश्चय ही यह उस साधु और साध्वी का सम्पूर्ण आचार है। सया जइ०—जो कि सर्व अर्थों से युक्त और समितियों से समित हो सदा यत्न-शील रहे। त्तिवेमि—इस प्रकार में कहता हूं।

मूलार्थ—संयम शील साधु अथवा साध्वी को ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यदि मार्ग में बहुत से चोर मिलें और वे कहें कि-आयुष्मन् श्रमण! यह वस्त्र, पात्र और कवल आदि हमको दे दो या यहां पर रख दो। तो साधु वे वस्त्र, पात्रादि उनको न देवे, किन्तु भूमि पर रख

दे, परन्तु उन्हें वापिस प्राप्त करने के लिए मुनि उनकी स्तुति करके, हाथ जोड़ कर या दोन वचन कह कर उन वस्त्रादि की याचना च करे अर्थात् उन्हें वापिस देने को न कह। तथा यदि मागना हो तो उन्हें धर्म का माग समझाकर मागे अथवा मौन रहे। वे चोर अपने चोर के कर्तव्य को जान कर साधु को मार-पीटें या उसका वध करने का प्रयत्न करें और उसके वस्त्रादि को छीन लें, फाड़ डालें या फेंक दें तो भी वह भिक्षु ग्राम में जाकर लोगों से न कहे और न राजा से हो कहे एव किसी अग्र्य गृहस्थ के पास जाकर भी यह न कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! इन चारों ने मेरे उपकरणादि की छीनने के लिए मुझे मारा है और उपकरणादि को दूर फेंक दिया है। ऐसे विचारों को साधु मन में भी न लाए और न वचन से उन्हें अभिव्यक्त करे। किन्तु राग द्वेष से रहित हो कर समभाव से सम्गम में रहकर ग्रामानुग्राम विचरे। यही उनका यथाय साधुत्व-साधु भाव है। इस प्रकार मैं कहता हू।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भी पहले सूत्र की तरह साधु की निमग्नता एव सहिष्णुता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उताया गया है कि विहार करते समय यदि रास्ते में कोई चोर मिल जाए और वह मुनि से कह कि तू अपने उपकरण इम दे दे या जमीन पर रख दे। तो मुनि शान्त भाव से अपने वस्त्र पात्र आदि जमीन पर रख दे। परन्तु वह उन्हें वापिस प्राप्त करने के लिए उन चोरों की स्तुति न करे, न उनके सामने दोन वचन ही बोले। यदि बोलना उचित समझे तो उन्हें धर्म का मार्ग दिखाकर उन्हें पथ भ्रष्ट होने से बचाए, अन्यथा मौन रहे। इसके अतिरिक्त यदि कोई चोर साधु से वस्त्र आदि प्राप्त करने के लिए उसे मारे पीटे या उसका वध करने का प्रयत्न भी करे और उसके समी उपकरण भी छीन ले या उन्हें तोड़-फोड़ कर दूर फेंक दे तब भी मुनि उस पर राग-द्वेष न करता हुआ समभाव से गाव में आ जाए। गाव में आकर भी वह यह बात किसी भी गृहस्थ अधिकारी या राजा आदि से न कहे। और न इस सम्बन्ध में किसी तरह का मानसिक चिन्तन ही करे। वह मन, वचन और काया से उस से (चोर से) किसी भी तरह का प्रतिशोध लेने का प्रयत्न न करे।

इस सूत्र में माधुता के मष्टान् उज्ज्वल रूप को चित्रित किया गया है। अपना अपकार करने वाले व्यक्ति का कभी बुरा नहीं चाहना एवं उसे कष्ट में डालने का प्रयत्न नहीं करना, यह आत्मा की महानता को प्रकट करता है। यह आत्मा के विकास की उत्कृष्ट श्रेणी है जहाँ पर पहुँच कर मानव अपने अधिक के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखता। वह मारने एवं पूजा करने वाले दोनों पर समभाव रखता है, दोनों को मित्र समझता है और दोनों का हित चाहता है। यही श्रेणी आत्मा से परमात्मा पद को प्राप्त करने की या साधक से सिद्ध बनने की श्रेणी है।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समर्ण।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ तृतीय अध्यायन समाप्त ॥

चतुर्थ अध्यायन—भाषेपणा

प्रथम उद्देशक

तृतीय अध्यायन में श्रुत्यसमिति का वर्णन किया गया है। अतः समय पथ पर गतिशील मुनि को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यह प्रस्तुत अध्यायन में बताया गया है। यह अध्यायन दो उद्देशों में विभक्त है। पहले उद्देश में वचन, विभक्ति आदि का वर्णन किया गया है और दूसरे उद्देश में ऐसी भाषा का प्रयोग करने का निषेध किया गया है, जिसमें अपने या दूसरे के मन में क्रोध आदि विकारों की उत्पत्ति होती हो। इस तरह साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ इमाड वयायाराइ सुच्चा निसम्म
इमाड यणागाराइ यणारियपुच्चाइ जाणिज्जा जे कोहा वा
वाय विउज्जति जे माणा वा० जे मायाए वा० जे लोभा वा
वाय विउजति जाणयो वा फरुस वयति यजाणयो वा फ०
सव्व चेय सावज्ज वज्जिज्जा विवेगमायाए, धुव चेय जाणिज्जा
अधुव चेय जाणिज्जा यसण वा ४ लभिय नो लभिय भुजिय
नो भुजिय अदुवा यागयो अदुवा नो यागयो अदुवा एइ
अदुवा नो एइ अदुवा एहिइ अदुवा नो एहिइ, इत्थवि यागए
इत्थवि नो यागए इत्थवि एति इत्थवि नो एति इत्थवि एहिति
इत्थवि नो एहिति ॥ यणुवीड निट्ठाभासी समियाए सजए भास
भासिज्जा तजहा—एगवयण १ दुवयण २ बहुव० ३ इत्थि०

'४ पुरि० ५ नपुंसग वयणां ६ अज्भक्त्य व० ७ उवणीयवयणां =
 अवणीय वयणां ८ उवणीय अवणीय व० १० अवणीय उवणीय
 व० ११ तीय व० १२ पडुप्पन्न व० १३ अणागय व० १४
 पच्चक्ख वयणां १५ परुक्ख व० १६ से एगवयणां वइस्सामीति
 एगवयणां वइज्जा जाव परुक्ख वयणां वइस्सामीति परुक्ख वयणां
 वइज्जा. इत्थी वेस पुरिसो वेस, नपुंसगं वेस एयं वा चेयं अन्नं
 वा चेयं अणुवीइ निट्ठाभासी समियाए संजए भासं भासिज्जा,
 इच्चेयाइं आययाणाइं उवातिकम्म ॥ अहभिक्खू जाणिज्जा
 चत्तारि भासज्जायाइं, तंजहा-सच्चमेगं पढमं भासज्जायं १ वीयं
 मोसं २ तईयं सच्चामोसं ३ जं नेव सच्चं नेव मोसं नेवं
 सच्चामोसं असच्चामोसं नाम तं चउत्थं भासज्जायं ४ ॥ से
 वेमि जे अईया जे य पडुप्पन्ना जे अणागया अरहंता भगवंतो
 सव्वे ते एयाणि चेव चत्तारि भासज्जायाइं भासिसु वा भासंति
 वा भासिस्संति वा पन्नविंसु वा ३, सव्वाइं च एणं एयाइं अचि-
 त्ताणि वराणंमंताणि गंधमंताणि, रसमंताणि फासमताणि च-
 ओवचइयाइ, विप्परिणामधम्माइं भवंतीति अक्खायाइं । १३२ ।

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा इमान् वागाचारान् श्रुत्वा निशम्य
 इमान् अनाचारान् अनाचीरण् पूर्वान् जानीयात् ये क्रोधाद् वा वाचं विप्रयु जन्ति,
 येमानाद् वा वाचं विप्रयुज्जन्ति, ये मायया वाचं विप्रयुज्जन्ति ये लोभाद् वा

वाच विप्रयुजन्ति जानाना वा परुष उदन्ति अजानाना वा परुष वदन्ति सर्वे
 चैतत् सायद्य र्जयेत् विवेकमादाय, ध्रुव चैतत् जानीयात् अध्रुव चैतत् जानी
 यात् ॥ अशन वा ४ लब्ध्वा, नो लब्ध्वा भुक्त्वा नो भुक्त्वा अथवा आगत
 अथवा नो आगत, अथवा एति, अथवा नो एति अथवा एष्यति अथवा न
 एष्यति, अत्रापि आगत अत्रापि नो आगा, अत्रापि एति अत्रापि नो एति अत्रा
 पि एष्यति अत्रापि नो एष्यति । अनुविचित्य निष्ठाभाषी समित्या- (समतया
 वा) सयत भाषा भाषेत । तद्यथा— एकवचन (१) द्विवचन (२) बहुवचन
 (३) स्त्रीवचनम् (४) पुरुषवचनम् (५) नपुमकवचनम् (६) अध्यात्म वचनम् (७)
 उपनीतवचनम् (८) अपनीतवचनम् (९) उपनीतापनीतवचनम् (१०) अपनीतोप-
 नीतवचनम् (११) अतीतवचनम् (१२) प्रत्युत्पन्नवचनम् (१३) अनागतवचनम्
 (१४) प्रत्यक्षवचनम् (१५) परोक्षवचनम्, (१६) न एक वचन वदिष्यामीति
 एकवचनम्, वदेत् यावत् परोक्षवचन वदिष्यामीति पराक्षरच । वदेत्,
 स्त्री वा एषा, पुरुषो वा एष नपुमक वा एतत्, एतद् वा चैतद् अन्यद् वा
 चैतत्, अनुविचित्य निष्ठाभाषी समित्या सयत भाषा भाषेत, इत्येतानि
 श्रायतनानि उपातिक्रम्य । अथ भिन्नु जानीयात् चत्वारि भाषाजातानि तद्यथा
 सयमेक प्रथम भाषाजातम् (१) द्वितीया मृषा (२) तृतीया सत्यामषा (३) या
 नेव सत्या नैव मृषा नैव सत्यामृषा असत्यामृषा नाम तत्र चतुर्थ भाषाजातम् (४)
 अथ त्रीणि ये अतीता ये प्रत्युत्पन्ना ये, अनागता अहीतो भगवन्त सर्ते एतानि
 चैव चत्वारि भाषाजातानि अभाषन्त वा भाषन्ते वा भाषिष्यन्ते वा व्यजिज्ञपन्
 वा ३ मयाणि च एतानि अचिञ्चानि, वक्षन्ति, ग-घवन्ति, रसवन्ति, स्पर्शवन्ति
 चायो रक्षयिर्क नि विपरिणामधर्माणि भवन्तीति आख्यातानि ।

पदाय - ते—वह । निष्ठा वा २—साधु वा साध्वी । इमाई—इन कहे जाने वाले ।
 ववापाराइ—वाणी के आचार की । मुष्वा—मुन कर । निष्मन्—विचार कर । इमाई—इन
 कहे जाने वाले । अनापाराइ—अनाचारों की । अपारिवपुष्वाई—पूव साधुयो ने जिनका
 आचरण नहीं किया उसके सम्बन्ध में । जानिउजा—जाने जैसे कि— । जे—जो । बोहावा—
 जोष से । वाप—वचन का । विउजति—प्रयोग करते हैं । जे माणा वा०—जो मानपूर्वक रूप

बोलते हैं तथा । जे मायाए घा०—जो माया-छलपूर्वक बोलते है । जे लोभा वा—जो लोभ के चशीभूत होकर । वायं विउजति—वचन का प्रयोग करते हैं । वा—अथवा । जाणघोवा फरस वयति—जान कर कठोर वचन बोलते हैं, अर्थात् किमी के दोष को जानते हुए उसे उद्घाटन करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं । वा—अथवा । अजाणघो—नही जानते हुए । क०—कठोर वचन बोलते है । सठं चैय—यह सब । सावज्जं—सावद्य-हिंसा-पाप युक्त वचन है अतः । विवेग मायाए—विवेक को ग्रहण करके अर्थात् विवेक युक्त होकर । वज्जिज्जा—साधु इन सापथ वचनो को छोड दे अर्थात् सावद्य भाषा न बोले, तथा । धुवं चैय जाणिज्जा—यह पदार्थ ध्रुव है—निश्चित है ऐसा जाने । च—और । अधुव चैयं जाणिज्जा—यह पदार्थ अध्रुव अनिश्चित है ऐसा जाने । असणं वा ४—यह साधु अज्ञानादि चतुर्विध आहार । लभिय—लेकर आएगा या । नो लभिय—लेकर नही आएगा । भुंजिय—कोई साधु आहार के लिए गया हो और किसी कारणवश यदि उसे चिलम्ब हो गया हो तो अन्य साधु यह न कहे कि वह रास्ते मे ही आहार करके आएगा या । नो भुंजिय—विना आहार किए ही आएगा । अदुया—अथवा । आगघो—राजा आदि पीछे आए थे । अदुवा—अथवा । नो आगघो—नही आए थे । अदुवा—अथवा । एइ—राजा आदि आता है । अदुवा—अथवा । नो एइ—नही आ रहा है । अदुवा—अथवा । एहिइ—आएगा । अदुवा—अथवा । नो एहिइ—नही आएगा इस प्रकार की निश्चित भाषा न बोले । अत्र क्षेत्र के विषय मे कहते हैं— । इत्थवि—यमुक्त व्यक्ति यहा पर ही । आगए—आया था । इत्थवि—यहा पर । नो आगए—नही आया था । इत्थवि—यहा पर । एइ—आता है । इत्थवि—यहा पर । नो एति—नही आता है । इत्थवि—यहा पर ही । एहिति—आएगा । इत्थवि नो एहिति—यहा पर नही आएगा, इस प्रकार की निश्चय रूप भाषा न बोले किन्तु । अणुवीइ—विचार कर । निट्ठाभासी—निश्चय पूर्वक बोलने वाला अर्थात् निश्चय किए जाने पर बोलने वाला । समियाए—भाषा समिति से युक्त । संजए—साधु । भासं भासिज्जा—भाषा को बोले । तंजहा—जैसे कि । एगवयणं १—एक वचन । दुवयण २—द्विवचन । बहु० व० ३—बहुवचन । इत्थि० ४—स्त्री वचन । पुरि० ५—पुरुष वचन । नपुंसग वयणं ६—नपुंसक वचन । अउभयवयणं ७—अभ्यात्म वचन । उवणीय वयण ८—उपनोत-प्रशंसाकारी वचन । अवणीय वयणं ९—अपनीत-निन्दाकारी वचन । उवणीय अवणीय व० १०—प्रशंसा और निन्दा युक्त वचन । अवणीय उवणीय व० ११—निन्दा और प्रशंसायुक्त वचन । तीय व० १२—अतीत काल का वचन । पडुत्पन्न व० १३—वर्तमान काल का वचन । अनागय व० १४—अनागत काल का वचन । पच्चक्ख वयणं १५—प्रत्यक्ष वचन । परोक्ख व० १६—और परोक्ष वचन आदि को जान कर । से—वह-साधु । एगवयणं—एक वचन । चइस्सामीति—बोलूंगा । ऐसा विचार करके । एगवयणं—एक वचन । वइज्जा—बोले । जाव—

यावत् । परवक्ष्य वचन—परोक्ष वचन । बहस्तामोति—बोजूगा ऐसा विचार करके । मयवक्ष्य वचन—परोक्ष वचन । बहस्तामोति—बोले । इत्थि वेत्त—यह स्त्री है । पुरितो वेत्त—यह तुल्य है । नपु सग वेत्त—यह नपुंसक है । एय वा—यह स्त्री ही है अथवा । ध—घोर । एय—यह । अन् धा—घोर कोई है । ध—पुन । एय—यह । अयुक्ते—विचार कर । निडठा-मासी—निश्चित एकात् भाषा बोलन वाला । सअए—साधु । समियाए—भाषा समिति युक्त । भास—भाषा को । भासिज्जा—बाने । इच्चेप इ—ये पूर्वोक्त तत्रा भाग कहे जान वाले । भावपणाइ—भाषा के दोष स्थानों को । उवातिवम्म—अति क्रम करके-उल्लापन करके भाषण करे । अह भिवल्लू—अथ भिक्षु । चत्तारि—चार प्रकार की । भासज्जाइ—भाषाप्रो को । जाणिज्जा—जानन का यत्न करे । तजहा—जमे कि । सच्चमेग पढम भास-जाय—पहली सत्य भाषा है । बीय मोस—दूसरी मया भाषा है । नईय सच्चा भोय—तासरी सत्य मया अर्थात् मिश्र भाषा है । ज—जो भाषा । नेव—न । सच्च—सत्य है । नेव मोस—न मया है, तथा । नेव—न । सन्चामोस—सत्य और मया है । त—उसका । सज्ज नाम—चोधी । असत्त्वामोस—असत्यामया अर्थात् व्यवहार । भासज्जाय—भाषा है । से वेमि—यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ यह मत्र । जे—जो । अईया—अतीत काल म । जे य—घोर जो । पडुपन्ता—वर्तमान काल में तथा । जे—जो । अणागया—अनागत भविष्यत काल में । अरहता भगवन्तो—अरिहस्त भगवान हो चुके हैं, हैं या होंगे । ते सच्चे—ये सब । एयाणि चेष चत्तारि भासज्जाइ—यही चार प्रकार की भाषाएँ । भासिसु—बोलते थे । भासति—बोलते हैं और भासिस्तति धा—बोलेंगे, तथा इहा भाषाप्रो की । पत्तिसु वा ३—उन्होंने प्ररूपणा की, प्ररूपणा करते हैं और करेंगे । सच्चाइ च ण एयाइ—ये सभी प्रकार की भाषाएँ । अचित्ताइ—यन्त्रित है । वण मत्ताणि—वण युक्त । गध मत्ताणि—गध युक्त । रस मत्ताणि—रस युक्त और । फास मत्ताणि—स्पर्श युक्त हैं अर्थात् सभी प्रकार के भाषा द्रव्य वण गध, रस और स्पर्श युक्त हैं । चमोवधयाइ—उपचय और अपचय वाले अर्थात् मिलने और विच्छेदने वाले हैं तथा ये । विपरिणाम धम्माइ—विविध प्रकार के परिणाम-धम वाले । अचतीनि—हाते हैं ऐसा । अक्खायाइ—तीसकरो ने कहा है ।

मूलाथ—सयमशील साधु और साध्वी वचन के आचार को सुन कर और हृदय में धारण करके वचन अनाचार को (जिनका पूर्व के मुनियों ने आचरण नहीं किया) जानने का प्रयत्न करे । जो मुनि क्रोध, मान, माया और लोभ से वचन बोलते हैं अर्थात् इनके वशोभूत, होकर भाषण करते हैं, तथा जो किसी के दोष को जानते हुए अथवा न जानने

हुए भी उसके मर्म को उदघाटन करने के लिए कठोर वचन बोलते हैं ऐसी भाषा सावध है अतः विवेकशील साधु इसे छोड़ दे । और वह निश्चयात्मक भाषा भी न बोले, जैसेकि—कल अवश्य ही वर्षा होगी, अथवा नहीं होगी । यदि कोई साधु आहार के लिए गया हो, तब अन्य साधु उसके लिए ऐसा न कहे कि वह साधु अशनादि चतुर्विध आहार अवश्य लेकर आएगा, अथवा बिना लिये ही आएगा । और यदि किसी साधु को भिक्षार्थ गये हुए किसी कारण से कुछ विलम्ब होगया हो, तो संयमशील साधु अन्य साधुओं के प्रति इस प्रकार भी न कहे कि वह साधु-जोकि भिक्षा के लिए गया हुआ है, वहां पर भोजन करके आएगा अथवा आहार किए बिना ही आएगा । इस तरह भूत काल की किसी बात का जब तक निश्चय न हो जाए तब तक निश्चयात्मक वचन न बोले तथा—राजा अवश्य आया था, अथवा (वर्तमानकाल में) आता है अथवा [भविष्यत् काल में] अवश्य आएगा, अथवा तीनों काल में न आया था, न आता है और न आएगा, इसप्रकार के निश्चयात्मक वचन भी न बोले । जिसप्रकार कालके विषय में कहा गया है उसी प्रकार क्षेत्रके विषय में भी समझना चाहिए । यथा पीछे अमुक व्यक्ति अमुक नगरादि में आया था, अथवा नहीं आया था, इसी प्रकार अमुक व्यक्ति आता है या नहीं आता है, और अमुकव्यक्ति अमुक नगरादि में आएगा अथवा नहीं आएगा । तात्पर्य कि जिस विषय में वस्तु तत्त्व का पूर्णतया निश्चय न हो उसके विषय में निश्चात्मक वचन साधु को नहीं बोलना चाहिये । अतः विचार पूर्वक निश्चय करके भाषा समिति से समित हुआ साधु, भाषा का व्यवहार करे अर्थात् भाषा समिति का ध्यान रखता हुआ संयत भाषा में बोले । एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तथा स्त्रीलिंग वचन, पुरुष लिंग वचन और नपुंसक लिंग वचन, एवं अध्यात्म वचन प्रशंसा युक्त वचन, निन्दायुक्त वचन निन्दा और प्रशंसा युक्त वचन,

भूतकाल सम्बन्धि वचन, वर्तमानकाल सम्बन्धि वचन और भविष्यत काल सम्बन्धि वचन, तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष वचन आदि को भली भाँति जानकर बोले । यदि उसे एक वचन बोलना हो तो वह एक वचन बोले यावत् परोक्ष वचन पर्यन्त जिस वचन को बोलना हो उसी को बोले । तथा स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद अथवा स्त्रीपुरुष और नपुसक वेद या जब तक निश्चय न हो तब तक निश्चयात्मक वचन न बोले, जैसेकि—यह स्त्री ही है इत्यादि २ अतः विचार पूर्वक भाषा समिति से युक्त हुआ साधु भाषा के दोषों का त्याग कर सभापण करे ।

साधु को भाषा के चारों भेदों को भी जानना चाहिये, सत्य भाषा २ मूषा असत्य भाषा, ३ मिश्र भाषा और ४ असत्यामूषा जो न सत्य है, न असत्य और न सत्यासत्य किन्तु असत्यामूषा या व्यवहार भाषा के नाम से प्रसिद्ध है । जो कुछ मैं कहता हूँ— भूतकाल में जो अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं और वर्तमान काल में जो तीर्थंकर हैं, तथा भविष्यत काल में जो तीर्थंकर होंगे, उन सब ने इसी प्रकार से चार तरह की भाषा का वचन किया है, करते हैं और करेंगे । तथा ये सब भाषा के पुद्गल अचिन्ता है, तथा वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाले हैं, तथा उपचय और अपचय अर्थात् मिलने और विछुड़ने वाले एवं विविध प्रकार के परिणामों को धारण करने वाले होते हैं । ऐसा सबज्ञ और सबदर्शी तीर्थंकर देवों ने प्रतिपादन किया है ।

हि दो विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु को भाषा शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए । उसे व्याकरण का भली-भाँति बोध होना चाहिए । जिससे वह बोलते समय निभक्ति, लिंग एवं वचन आदि की गलती न कर सके । इससे स्पष्ट होता है कि साधु को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी महत्त्व है । साधक को जिस भाषा में अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं, उसे उस भाषा का

परिज्ञान होना जरूरी है। यदि उसे उन भाषा का ठीक तरह से बोध नहीं है तो वह बोलते समय अनेक गलतिएं कर सकता है और कभी-कभी उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा उसके अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ को भा प्रकट कर सकती है। इसलिए साधक को भाषा का इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जिससे वह अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप से अभिव्यक्त कर सके।

भाषा के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि साधु-साध्वी को निश्चयात्मक एवं संदिग्ध भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसका कारण यह है कि कभी परिस्थितिवश वह कार्य उसी रूप में नहीं हुआ तो साधु के दूसरे महाव्रत में दोष लगेगा। इसी तरह जिस बात के विषय में निश्चित ज्ञान नहीं है उसे प्रकट करने से भी दूसरे महाव्रत में दोष लगता है। अतः साधु को बोलते समय पूर्णतया विवेक एवं सावधानी रखनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मनुष्य क्रोध, मान, माया और लोभ आदि विकारों के वश भी भूठ बोलता है। जिस समय मनुष्य के मन में क्रोध की आग धधकती है उस समय वह वह भूल जाता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह जब मनुष्य के जीवन में अभिमान, माया एवं लोभ का अन्धड़ चलता है तो उस समय भी भाषा के दोष एवं गुणों का सही ज्ञान नहीं रख सकता और उन मनोविकारों के वश वह असत्य भाषा का भी प्रयोग कर देता है। इसलिए साधु को सदा इन कषायों से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। यदि कभी इनका उदय हो रहा हो तो साधु को उस समय मौन रहना चाहिए। उसे पहले उदयमान कषायों को उपशान्त करके फिर बोलना चाहिए।

भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में यहां कुछ बताना अनुचित एवं अप्रासंगिक नहीं होगा। साधारणतया मुद्द द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। जैन आगमों में शब्द को पुद्गल माना गया है। कुछ भारतीय दर्शन शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। परन्तु यह मान्यता उचित प्रतीत नहीं होती। क्योंकि आकाश अरूपी है, अतः उसका गुण भी अरूपी ही होगा। परन्तु, शब्द रूपी है, इस लिए वह अरूपी आकाश का गुण नहीं हो सकता। और आज वैज्ञानिक साधनों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, प्रत्युत स्वयं एक मूर्त पदार्थ है। वह पुद्गल के द्वारा रोका जाता है, ग्रहण किया जाता है और स्थानान्तर में भी भेजा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, प्रत्युत भाषा वर्णों के पुद्गलों का समूह है। अतः भाषा वर्णों के पुद्गल अचित्त एवं वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त हैं तथा परिवर्तनशील हैं।

व्यक्ति द्वारा जोली जाने वाली भाषा चार प्रकार की मानी गई है— १ सत्य भाषा, २ असत्य भाषा, ३ मिश्र भाषा (जिसमें मृत्य और असत्य को मिलावट हो) और ४ असत्यायमृषा (जिस भाषा में न झूठ है और न सत्य है, जिसे व्यवहार भाषा कहते हैं)। इसमें साधु पहली और चौथी अर्थात् सत्य एव व्यवहार भाषा का प्रयोग कर सकता है। परन्तु, उसे दूसरी और तीसरी अर्थात् असत्य एव मिश्र भाषा का प्रयोग करना नहीं कल्पता।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को भाषा के दोषों का परित्याग करके विवेक पूर्वक बोलना चाहिए। भाषा के दोषों से बचने के लिए सूत्रकार ने १६ प्रकार के वचनों का उल्लेख किया है। इसमें प्रयुक्त द्विवचन संस्कृत व्याकरण के अनुसार रखा गया है। क्योंकि प्राकृत में एक वचन और बहुवचन ही होता है। द्विवचन का प्रयोग संस्कृत में होता है। अतः उक्त भाषा को ध्यान में रखकर ही सूत्रकार ने द्विवचन शब्द का उल्लेख किया हो ऐसा प्रतीत होता है। ये वचनों के १२ प्रकार इस प्रकार से हैं—

१ एक वचन— (संस्कृत भाषा में)—वृत्त, षट, पट इत्यादि।

(प्राकृत भाषा में)—वन्दो-रुक्खो, षडो, पडो इत्यादि।

२ द्विवचन— वृत्तौ, षटौ, पटौ इत्यादि, प्राकृत में द्विवचन होता ही नहीं।

३ बहुवचन— वृत्ता, षटा, पटा इत्यादि।

(प्राकृत में)— वन्द्या, रुक्खा, षडा, पडा इत्यादि।

४ स्त्री लिंग वचन—(सं०) कन्या, वीणा, राजधानी इत्यादि। (प्रा०) कना, वीणा, रायहाणी इत्यादि।

५ परुष वचन— (सं०) षट पट, कृण, साधु इत्यादि।

(प्राकृत०) षडो, पडो ऋणो, साहू इत्यादि।

६ नपुंसक लिंग व०— पत्रम्, ज्ञानम् चारित्रम् दशनम् इत्यादि।

पत्त नाण, चरित्तं, दसण इत्यादि।

७ अध्यात्म वचन—जिस वचन के बोलने का चित्त में निश्चय किया गया हो, फिर उसको छिपाने के लिए अन्य वचन के बोलने का विचार होने पर भी अरुमात वही वचन मुख से निकले उसे अध्यात्म वचन कहते हैं। जैसे कि— कोई व्यक्ति रुई व व्यापार के लिए किसी अन्य ग्राम या नगर में गया, उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास रुई का नाम नहीं लूंगा। परन्तु जब वह तृपानुर होकर किसी कुूप पर पानी पीने के लिए गया तब उसने वहा पानी भरने वालों से कहा कि मुझे शीघ्र ही रुई पिलाओ। इसी का नाम अध्यात्म वचन है। वृत्तिकार भी यही

लिखते हैं— “अध्यात्मं-हृदयगतं-तत्परिहारेणान्यद् भविष्यतस्तदेव महसा पतितम् ।”

८ उपनीत वचन— प्रशंसा युक्त वचन को उपनीत वचन कहते हैं, यथा-यह स्त्री रूपवती है इत्यादि ।

९ अपनीत व०—निन्दा युक्त वचन अपनीत वचन है, यथा-यह स्त्री कितनी कुरूपा—भदी है ।

१० उपनीतापनीत व०—पहले प्रशंसा करना और बाद में निन्दा करना इसे उपनीतापनीत वचन कहते हैं, यथा—यह स्त्री सुरूपा—रूपवती तो है परन्तु व्यभि-चारिणी है ।

११ अपनीतोपनीत व०— पहले निन्दा और पीछे प्रशंसा युक्त वचन अपनी-तोपनीत वचन है । यथा—यह स्त्री रूप हीन होने पर भी सदाचारिणी है ।

१२ अतीत काल वचन—भूतकाल के बोधक वचन को अतीतकाल वचन कहते हैं । यथा—(घट कृन्वान् देवदत्त) देवदत्त ने घड़े को घनाया था ।

१३ वर्तमान काल वचन—वर्तमान काल का बोधक वचन, यथा— करोति, पठति—करता है, पढ़ता है इत्यादि ।

१४ अनागत काल वचन— भविष्यत् काल का बोधक वचन, यथा—करिष्यति, पठिष्यति, गमिष्यति—करेगा, पढ़ेगा और जावेगा इत्यादि ।

१५ प्रत्यक्ष वचन— प्रत्यक्ष के बोधक वचन को प्रत्यक्ष वचन कहते हैं, यथा— देवदत्तोऽयम्—यह देवदत्त है, इत्यादि ।

१६ परोक्ष वचन—परोक्ष का बोधक वचन यथा— स देवदत्त—वह देवदत्त ।

एष सूत्रकार शब्द का कृतकत्व सिद्ध करते हुए कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० से जं पुण जाणिज्जा पुंवि भासा
अभासा भासिज्जमाणी भासा भासा भासासमयवीइक्कंता च णं
भासिया भासा अभासा ॥

से भिक्खू वा० से जं पुण जाणिज्जा जा य भासा सच्चा १
जा य भासा मोसा २ जा य भासा सच्चामोसा ३ जा य भासा
असच्चाऽमोसा ४ तहप्पगारं भासं सावज्जं सकिरियं कक्कसं

कडुय निट्टुर फरुम अगहयकरि छेयणकरिं भेयणकरिं परिया
 वणकरि उद्वणकरिं भूयोवघाइय अभिकख नो भासिजा ।
 से भिक्खु वा भिक्खुणी वा से ज पुण जाणिजा, जा य भासा
 सच्चा सुहुमा जा य भामा असच्चामोमा तहप्पगार भास असा-
 वज्ज जाव अभूयोवघाइय अभिकख भाम भासिज्जा ॥१३३॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत् पुन जानीयात् पूर्वं भाषा अभाषा भाष्य
 माणा भाषा भाषा भाषाममयव्यतिक्रान्ता च भाषिता भाषा अभाषा ।

स भिक्षुर्वा० स यत् पुन जानीयात् या च भाषा सत्या १ या च भाषा
 मृषा २ या च भाषा मत्सामृषा ३ या च भाषा अपसत्याऽमृषा ४ तथाप्रकारं भाषां
 मावद्या सक्रिया कर्कशा कटुका निष्टुरा परुषा, आश्रयकी छेदनररी भेदनररी
 परितापनररी, अपद्रावणररी भूतोपघातिका अभिकाद्य नो भाषेत, स भिक्षुर्वा
 भिक्षुकी वा स यत् पुन जानीयात् या च भाषा सत्या सूक्ष्मा या च भाषा
 अमत्याऽमृषा तथाप्रकारा भाषा अमावद्या यावन् अभूतोपघातिकाम् अभिकाद्य
 भाषा भाषेत ।

पदाय—से भिक्खु वा—वह साधु या साध्वी । से—वह । ज—जो । पुण—फिर ।
 जाणिज्जा—जान । पुर्विध मासा—भाषण करने में पूर्व जो भाषा द्रव्य वगणा के पुन्यज एकत्र
 हुए हैं वे भाषा के योग्य होने पर भी । अमासा—प्रभाषा भाषा नहीं है किंतु । मासिजन
 माणी भासा—भाषण करते हुए ही बह । मासा—भाषा होती है । च—फिर । ज—वाक्या
 नकार में है । मासा समपयीद्वकंता—भाषा समय से व्यतिक्रान्त हुई । मासिया मासा—
 भाषण के पश्चात् वह भाषा । अभासा—प्रभाषा होनी है । इसका तात्पर्य यह है कि शून घोर
 भविष्यत् काल की छोड़कर केवल वर्तमान काल में बोधी जाने वाली भाषावगणा के पुन्यजों
 की ही भाषा कह सकते हैं । अय भाषण करने के योग्य तथा अयोग्य भाषा के विषय में कहते
 हैं । से भिक्खु वा०—वह साधु या साध्वी । से अर्ध पुण जाणिज्जा—फिर इन प्रकार जाने ।
 जाय मासा—घोर जो भाषा । सच्चा—सत्य है । जाय भ सा—तथा जो भाषा । मोसा—मृषा-
 असत्य है । जाय मासा—घोर जो भाषा । सच्चाम सा—सत्यामय्य अर्थात् मित्र है । जाय

नासा—एवं जी भाषा । असत्त्वाऽमोसा—असत्त्वाऽमृषा अर्थात् व्यवहार भाषा है । सहृष्यगारं—
 तथा प्रकार की । नास—भाषा जो कि । सायज्जं—सावद्य-पाप जनक है तथा । कर्कशं—
 कर्कश-कठोर है । सकिरियं—क्रिया युक्त है । कडुय—शटुक है-चित्त को उद्देश करने वाली
 है । निट्ठुरं—निट्ठुर है । फरसं—हमारे के मर्म को प्रकाश करने वाली है तथा । क्षणहृष्यकारि—
 कर्मों का आस्रवण करने वाली है । छेयणकारि—जीवों का छेदन करने वाली है । भेयणकारि—
 भेदन करने वाली है । परियावणकारि—परिताप देने वाली है एवं । उद्वणकारि—उपद्रव करने
 वाली है और । भूतोपघादय—भूतोपघातिनी है-जीवों का विनाश करने वाली है । अन्निकल—मन
 में विचार कर इस प्रकार की सत्य भाषा भी । नो भासिज्जा—न बोने, अर्थात् जिन भाषा से पर
 प्राणी का अहित होना हो तथा उसे कष्ट पहुंचता हो तो ऐसी भाषा यदि सत्य भी हो तो भी
 साधु न बोने । तथा । से निश्लू वा—वह साधु या साध्वी । से—वह । जं—जो । पुण—फिर ।
 जाणिज्जा—जह जाने कि । जा य नासा—जो भाषा । सच्चा—सत्य है-यथायं है । सुहमा—सूक्ष्म
 विचार परिपूर्ण । जा य—और जो भाषा । असत्त्वाऽमोसा—असत्त्वाऽमृषा अर्थात् व्यवहार भाषा है ।
 सहृष्यगारं—तथा प्रकार की । असावद्य—असावद्य-पापरहित । जाव—यावत् । अभूतोपघा-
 दय—अभूतोपघातिनी—जीवों का विनाश करने वाली नहीं है । अन्निकल—विचार कर । नामं
 नासिज्जा—भाषा को बोले-मभाषण करे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी को भाषा के विषय में यह जान-
 ना चाहिए कि भाषावर्णना के एकत्रित हुए पुद्गल बोलने से पहले
 अभाषा और भाषण करते समय भाषा कहलाते हैं, और भाषण करने
 के पश्चात् वह बोली हुई भाषा अभाषा हो जाती है । साधु या साध्वी
 को भाषा के इन भेदों को भी जानना चाहिए कि-जो सत्य भाषा, असत्य
 भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा है, उन में असत्य और मिश्र भाषा
 का व्यवहार साधु साध्वी के लिए सर्वथा वर्जित है, केवल सत्य और
 व्यवहार भाषा ही उनके लिये आचरणीय है, उसमें भी यदि कभी सत्य
 भाषा भी सावद्य, सक्रिय, कर्कश, कटुक, निट्ठुर और कर्मों का आस्रवण
 करने वाली, तथा छेदन, भेदन, परिताप और उपद्रव करने वाली एवं जीवों
 का घात करने वाली हो तो विचारशील साधु ऐसी सत्य भाषा का भी
 प्रयोग न करे, किन्तु संयमशील साधु या साध्वी उसी सत्य और व्यवहार
 भाषा—जो कि पापरहित यावत् जीवोपघातक नहीं है—का ही विवेक

पूर्वक व्यवहार करे। अर्थान् वह निर्दोष भाषा बोले।

निर्दी प्रवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भाषा के सम्बन्ध में दो बातें बताई गई हैं— १ भाषा की अनित्यता और २-जैन सी भाषा बोलने के योग्य या अयोग्य है। इसमें बताया गया है कि भाषा वर्गणा ने पुद्गल जन्म तक माणी द्वारा मुत्तरित नहीं होते, तब तक उन्हें भाषा नहीं कहा जाता। और बोले जाने के बाद भी उन पुद्गलों की भाषा सत्ता नहीं रह जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जन्म तक उनका वाणी के द्वारा प्रयोग होता है तब तक भाषा वर्गणा के उन पुद्गलों को भाषा कहते हैं। अतः तात्पर्य व्यापार से वाणी के रूप में व्यग्रहृत होने से पहले आरम्भ में व पुद्गल भाषा के नाम से जाने पहचाने नहीं जाते। जैसे आरम्भ के सहयोग से घड़े के आकार को प्राप्त करने के पहले तथा घड़े के टूट जाने के बाद वह मिट्टी प्रजा नहीं रहलाती है। उनी तरह भाषा वर्गणा के पुद्गल माणी के रूप में मुत्तरित होने से पहले और बाद में भाषा नहीं कहलाते हैं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भाषा नित्य नहीं अनित्य है। क्योंकि तात्पर्य के सहयोग से भाषा वर्गणा के पुद्गलों को भाषा के आकार में प्ररफुटित किया जाता है। इस लिए वह कृतक है और जो पदार्थ कृतक होते हैं, वे अनित्य होते हैं जैसे घट। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भाषा भाषावर्गणा के पुद्गला का समूह है, वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श युक्त है, कृतक है और इस कारण से अनित्य है।

प्रस्तुत सूत्र में दूसरी बात यह कही गई है कि साधु असत्य एवं मिथ्य भाषा का निवृत्त प्रयोग न करे। सत्य एवं व्यवहार भाषा में भी जो सान्ध हो, सक्रिय हो, कर्मशक्त हो, कर्मज्ञ हो, कर्म प्रवृत्त कराने वाली हो मम का च्छादन करने वाली हो तो साधु को ऐसी सत्य भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि साधु को सत्ता ऐसी सत्य एवं व्यवहार भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो निरव्यय हो, अतः प्रकार न ले। कठोर एवं कड़वी न हो दूसरे के मम का भेदन करने वाली न हो। अतः साधु को सत्ता मधुर, निर्दोष एवं निष्पापकारी सत्य एवं व्यवहार भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

इसके लिए सूत्रकार ने 'चो सुदुत्ता' शब्द का प्रयोग किया है, उसका यही अर्थ है कि मुक्ति को कुत्ताम एव सूदन (गहरी) दृष्टि से विचार करके निरक पूरक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। परन्तु सूत्रकार ने इसका अर्थ यह किया है कि सूदन—कुराम्प उद्धि से सम्बन्ध प्रयोजन करत पर कभी कभी असत्य भाषा भी सत्य का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे किनी शिफारी या हिमल द्वारा मृग आदि के विषय में पूछने पर

देखने पर भी सत्य को प्रकट नहीं किया जाता। यह ठीक है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, परन्तु साथ में यह भी तो है कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे प्राणी के लिए कष्टकर हो। इस तरह का सत्य भी झूठ हो जाता है। परन्तु, वृत्तिकार के ये विचार कहां तक आगम से मेल खाते हैं, विद्वानों के लिए विचारणीय है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० पुमं आमंतेमाणो आमंति ए वा
 अपडिसुणोमाणं नो एवं वड्ज्जा--होलित्ति वा गोलित्ति वा
 वसुलेत्ति वा कुपक्खेत्ति वा घडदासित्ति वा साणेत्ति वा तेणित्ति
 वा चारिणत्ति वा माईत्ति वा मुसावाइत्ति वा, एयाइं तुमं ते
 जणगा वा, एयप्पगारं भासं सावज्जं सकिरियं जाव भूओववाइयं
 अभिकंख नो भासिज्जा। से भिक्खू वा० पुमं आमंतेमाणो आमं-
 ति ए वा अपडिसुणोमाणो एवं वड्ज्जा--अमुगे इ वा आउसोत्ति वा
 आउसंतारोत्ति वा सावगेत्ति वा उवासगेत्ति वा धम्मिणत्ति वा
 धम्मपिणत्ति वा, एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव अभिकंख
 भासिज्जा। से भिक्खू वा २ इत्थिं आमंतेमाणो आमंति ए य
 अपडिसुणोमाणं नो एवं वड्ज्जा--होली इ वा गोलीत्ति वा इत्थी-
 गमेणं नेयव्वं ॥ से भिक्खू वा २ इत्थिं आमंतेमाणो आमंति ए
 य अपडिसुणोमाणीं एवं वड्ज्जा--आउसोत्ति वा भइणित्ति वा
 भोईत्ति वा भगवईत्ति वा साविगेत्ति वा उवासिणत्ति वा धम्मिणत्ति

वा, धम्मपिपत्ति वा, एयप्पगार माम असावज्ज जाव अभिक्ख
मामिज्जा ॥१३४॥

उपा—म भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा पुमामम् आम्रयन् आम्रित वा अगृष्वत्
नेव वदेत्—होल इति वा गोल इति वा नृपल इति वा कुपन्न इति वा घटदाम
इति वा शेति वा स्तेन इति वा चार्गि इति वा मार्याति वा मृषावादीति वा
पत्नान् एव तथ जनका वा एतत्प्रकारा भाषा साधारण मद्रिया यावद् भूतोप-
घातिनाम् अभिवाक्ष्य न भाषेत । म भिक्षुर्वा ० पुमास आमन्त्रयन् आम्रितो
वा अगृष्वन्त एव वदेत्—अमुक इति वा आयुष्मन् । इति वा, आयुष्मन्त
इति वा, श्रावण इति वा, उपामक इति वा, धामिफ इति वा, धर्मप्रिय इति वा,
एतत्प्रकारा भाषाममात्रा यावत् अभिवाक्ष्य भाषेत । म भिक्षुर्वा २ म्रिय
आम्रयन् आम्रिता वा अगृष्वती नो एव वदेत्—होलीति वा, गोलीति
वा, नेस्त्रीगमेन तव्यम् । स भिक्षुर्वा २ म्रिय आम्रयन् आम्रिता वा
अगृष्वतीम् एव वदेत् आयुष्मति इति वा, भगिनि ! इति वा, भगतीति वा,
भगतीति वा, श्रावणे ! इति वा, उपमिके ! इति वा, धामिके ! इति वा,
धर्मप्रिये ! इति वा, एतत्प्रकारा भाषाममात्रा यावद् अभिवाक्ष्य भाषेत ।

पदाय—से—वह । भिक्षु वा ०—साधु या साधवा । पुम—पुरुष वा । आनतेमाने—
आमन्त्रण करता हुआ । आम्रित वा—अथवा आम्रित न विण जाने पर । अल्पचित्तुगमाण—उम
मुनाई न दे ता उते । एव—इस प्रकार । नो वदज्जा—न कह । होसिति वा—हू हात ।
गोसिति वा—हे गाल । य दोना घण् अथवा के सूचक हैं, अथवा । वसुप्तेति वा—हू वपन ।
कुपन्नति वा—हू कुपन । धडुवासिति वा—हू घण्टास । इस प्रकार तथा । साणति वा—
हू इवान-कुन ! तणेति वा—हू चार । चारिणति वा—हे गुणधर । पादीति वा—हे छलिए ।
मुसावाडिति वा—हे मृषावादी—भूठ वापने वान ! इस प्रकार न कह अथवा । एयाह तुम—
तू एया ही है या । ते अणवा वा—तुम माता पिता भा एम ही हैं । एय पगार—इस प्रकार की ।
भास—भाषा जा वि । सावज्ज—याव युक्त । स चिरियं—त्रिया युक्त । जाव—यावत् ।
सुओवपाइय—प्राणियों की विनाशक है उते । अभिक्ख—विचार कर मन में गा, चकर । मो
मासिज्जा—साधु एमी भाषा न बोध । स भिक्षु वा ०—वत् साधु या साधवा । पम—पुरुष की

आमंतेमाणे—बुलाता हुआ। आमंति ए वा—बुलाए जाने पर। अप्पडिसुणे माणे—उसके न सुनने पर। एव वइज्जा—इस प्रकार कहे। अमुगेइ वा—हे अमुक ! अर्थात् उसका जो नाम हो उस नाम से। आउसोत्ति वा—अथवा हे आयुष्मन् ! इस प्रकार। आउसत्तारोत्ति वा—अथवा हे आयुष्मानो ! सावगेत्ति वा—हे श्रावक ! उवासगेत्ति वा—हे उपासक ! अथवा। धम्मिएत्ति वा—हे धार्मिक ! अथवा। धम्मपिएत्ति वा—हे धर्म प्रिय ! एयप्पगार—इस प्रकार की। असावज्ज—असावद्य-पाप रहित। जाव—यावत्। अभिकंख—विचार कर। भासं—भाषा को। भासिज्जा—बोले। सेमिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी। इत्थिं—स्त्री को। आमंतेमाणे—आमन्त्रित करता हुआ -बुलाना हुआ। आमंति ए वा—अथवा आमन्त्रित किए जाने पर। अप्पडिसुणेमाणे—उसके न सुनने पर। एवं—इस प्रकार। नो वइज्जा—न कहे यथा। होलीइ वा—हे होली इस प्रकार तथा। गोलीत्ति वा—हे गोली इस प्रकार। इत्थीगमेण—पूर्वोक्त सम्पूर्ण आलापक स्त्री के सम्बन्ध में भी। नेयव्व—जान लेने चाहिए। से मिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी। इत्थि—स्त्री को। आमंतेमाणे—आमन्त्रित करता हुआ। आमंति ए वा—अथवा आमन्त्रित किए जाने पर। अप्पडिसुणे माणे—उसके न सुनने पर। एवं वइज्जा—इस प्रकार कहे, जैसे कि। आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् ! भइणित्ति वा—हे भग्नि ! भोईत्ति वा—हे पूज्ये। भगवईत्ति वा—हे भगवती ! तथा। सावगेत्ति वा—हे श्राविके ! उवासिएत्ति वा—हे उपासिके ! धम्मिएत्ति वा—हे धार्मिके ! और। धम्मपिएत्ति वा—हे धर्म प्रिये ! एयप्पगारं—इस प्रकार की। भासं—भाषा को जोकि। असावज्ज—असावद्य है। जाव—यावत्। अभिकंख—विचार कर। भासिज्जा—बोले।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी पुरुष को आमन्त्रित करते हुए उसके न सुनने पर उसे हे होल ! हे गोल ! हे वृषल ! हे कुपक्ष ! हे घटदास ! हे श्वान ! हे चोर ! हे गुप्तचर ! हे कपटी ! हे मृषावादी ! तुम ही क्या और तुम्हारे माता पिता भी इसी प्रकार के हैं। विवेक शील साधु इस तरह की सावद्य, सक्रिय यावत् जीवो पघातिनी भाषा को न बोले। किन्तु संयम-शील साधु अथवा साध्वो कभी किसी व्यक्ति को आमन्त्रित कर रहे हो और वह न सुने तो उसे इस प्रकार संबोधित करे—हे अमुक व्यक्ति ! हे आयुष्मन् ! हे आयुष्मानो ! हे श्रावक ! हे उपासक ! हे धार्मिक ! हे धर्म प्रिय ! आदि इस प्रकार की निरवद्य पाप रहित भाषा को बोले इसी तरह संयमशील साधु या साध्वी स्त्री को बुलाते समय उसके न

सुनने पर उसे हे होली ! हे गोली ! इत्यादि जितने सम्बोधन पुरुष के प्रति ऊपर दिये गये हैं । उन नीचे संबोधनों से संबोधित न करे किन्तु उस के न सुनने पर उसे हे आयुष्मति ! हे भगिनि ! हे बहिन ! हे पूज्य ! हे भगवति ! हे श्राविके ! हे उपासिके ! हे धामिके और हे धमप्रिये ! इत्यादि पाप रहित कोमल एवं मधुर शब्दों से संबोधित करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को किसी भी गृहस्थ के प्रति हलके एवं अज्ञानपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने का निषेध किया गया है । इसमें बताया गया है कि किसी पुरुष या स्त्री को पुकारने पर यह नहीं सुनता हो तो साधु उन्हें निम्न श्रेणी के सम्बोधनों से सम्बोधित न करे, उन्हें हे गोलक, मूर्ख आदि अलंकारों से विभूषित न करे । क्योंकि, इससे सुनने वाले के मन को आघात लगता है और साधु की असभ्यता एवं अशिष्टता प्रकट होती है । इसलिए साधु को ऐसी संबोधन भाषा नहीं बोलनी चाहिए । यदि कभी कोई बलाने पर नहीं सुन रहा हो तो उसे मधुर, कोमल एवं प्रियकारी सम्बोधन से पुकारना चाहिए उसे हे धमप्रिय, देवानुप्रिय, आर्य, श्रावक अथवा हे धमप्रिये, देवानुप्रिये श्राविना आदि शब्दों से सम्बोधित करना चाहिए । तबसे प्रत्येक प्राणी के मन में हर्ष एवं उल्लास पैदा होता है और साधु के प्रति भी उसकी श्रद्धा बढ़ती है । अतः साधु-साध्वी को सदा मधुर, निर्दोष एवं कोमल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० नो एव वडज्जा नभोदेवित्ति वा गज्ज
देवित्ति वा विज्जुदेवित्ति वा पवुट्ठ दे० निवुट्ठदेवित्ति ए वा
पडउ वा वास मा वा पडउ निष्फज्जउ वा सस्स मा वा नि०
विभाउ वा रयणी मा वा विभाउ उदेउ वा सूरिए मा वा उदेउ
सो वा राया जयउ वा मा जयउ, नो एयप्पगार भास मामिज्जा ।
पन्नव से भिक्खू वा २ अतल्लिक्खेति वा गुज्झाणुचरिएति वा

समुच्छिष्टे वा निवड्हे वा पयोए वड्ज्जा वुट्ठवलाहगेत्ति वा, एयं
खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं जं सब्बट्ठेहिं
समिण्हं सहिए सया जड्ज्जासि. शिवेमि ॥१३५॥

छाया—स भिक्षुः भिक्षुकी वा नैवं वदेत्-नभो देव इति वा, गर्जति देव
इति वा विद्युद् देव इति वा प्रवृष्टो देव इति वा निवृष्टो देव इति वा पततु
वा वर्षा मा मा पततु निष्पद्यतां वा सस्यं मा वा निष्पद्यताम्, विभातु वा
रजनी मा वा विभातु उदेतु वा सूर्यः मा वा उदेतु स वा राजा जयतु वा
मा जयतु, नो एतत्प्रकाश भाषा भाषेत । प्रज्ञावान् स भिक्षुर्वा २ अन्त-
रिक्षमिति वा गुह्यानुचरितमिति वा समूर्च्छितो वा निपतति वा पयोदः वदेत्-
वृष्टो वलाहक इति वा । एतत् खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुक्याः वा सामग्र्यं
यत् मर्वायैः समितः सहितः सदा यवेत्, इति ब्रवीमि ।

पदायं—से भिक्खू वा २—वह साधु अथवा साध्वी । एव—इस प्रकार । नो वड्ज्जा—
न बोले, यथा— । नभोदेविति वा—आकाश देव है । गर्ज्जदेविति वा—गज-वादली की-गर्जन-
देव है । विज्जुदेविति वा—विद्युत देव है या । पड्ठट्ठे—देव वर्णता है । निवुट्ठेदेविति वा—
निरन्तर देव चरसता है । पड्ड वा वासं—वर्षा वरसे । मा पा पड्ड—या वर्षा न वरसे ।
निफज्जज वा सस्सं—धान्य उत्पन्न हो । मा वा निफज्जज सस्सं—धान्य उत्पन्न न हो । विभाउ-
वा रयणी—रात्रि व्यतिक्रान्त या शोभा युक्त हो । मा वा विभाउ—या शोभा युक्त न हो ।
उदेउ वा सूरिए—सूर्य उदय हो । मा वा उदेउ—या उदय न हो । सोवा—वह । राया—राजा ।
जयउ—विजयी बने । वा—या । मा जयउ—विजयी न बने । एयपपगार—इस प्रकार की ।
मासं—भाषा की । नो मासिज्जा—न बोले । पन्नवं—प्रज्ञावान्-बुद्धिमान् । से भिक्खू वा—
वह साधु या साध्वी यदि कारण हो तो । अंतलिकखेल्लि पा—आकाश को आकाश कहे, इस
प्रकार यावन्मात्र आकाश के नाम है उन नामो से आकाश को पुकारे । गुड्ढाणुचरिएत्ति वा—
या यह आकाश देवताओं के चलने का मार्ग है इस लिए इसको गुह्यानुचरित भी कहते हैं अथवा ।
समुच्छिष्टे—समूर्च्छिम जल । निवड्हे—पडता है या । पयोए—यह मेघ जल प्रदाता है, ऐसा ।
वड्ज्जा—कहे या । वुट्ठवलाहगेत्ति—ऐसा कहे कि वादल चरस रहा है । एय खलु—निश्चय ही
यह । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु । वा—और । भिक्खुणीए—साध्वी का । सामग्गियं—

सम्पूर्ण आचार है। ज—जो। सव्वटठेहि—ज्ञान दान और चारित्र्य रूप प्रयो से युक्त और। समिह—पाच समितियों के। सहिए—सहित। सया—सदा। जाइजासि—निरवद्य भाषा बोलने का मत्न कर। सिबेमि—इस प्रकार मैं कहता हू।

मूलाथ—सयमशील साधु अथवा साध्वी इस प्रकार न कहे कि आकाश देव है, गज (बादल) देव है, विद्युत देव है, वेव वरस रहा है, या निरन्तर वरस रहा है, एव वर्षा वरसे या न वरसे। घाय उत्पन्न हो या न हो। रात्रि व्यतिक्रान्त हो या न हो। सूर्य उदय हो या न हो। और यह भी न कहे कि इस राजा की विजय हो या इसकी विजय न हो। आवश्यकता पडने पर प्रज्ञावान् साधु अथवा साध्वी इस प्रकार बोले कि यह आकाश है, देवताओं के गमनागमन करने से इसका नाम गुह्यानुचरित भी है। यह पयोधर जल देने वाला है। समूच्छिम जल वरसाता है, या यह मेघ वरसता है, इत्यादि भाषा बोले। जो साधु या साध्वी साधना रूप पाच समिति तथा तीन गुप्ति से युक्त है उनका यह समग्र आचार है, अतः उसके परिपालन में वे सदा प्रयत्नशील रहते हैं इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सयमनिष्ठ एव विवेकशील साधु-साध्वी को अर्थार्थ भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे- आकाश, बादल, विजली, वर्षा आदि को देव कहकर नहीं पुकारना चाहिए। प्राकृतिक दृश्यों में ऐसी शक्ति की कल्पना करके उन्हें देव के सिंहासन पर बैठाना यथार्थता से बहुत दूर है। अतः इसमें असत्यता का अंश भी रहता है। इस कारण साधु को उन्हें देवत्व के सम्बोधन से न पुकार कर व्यवहार में प्रचलित आकाश, बादल, विजली या विद्युत आदि शब्दों से ही उनका उच्चारण करना चाहिए।

इसी तरह साधु साध्वी को यह भी नहीं कहना चाहिए कि वर्षा हो या न हो, घाय एव अन्न उत्पन्न हो या न हो, शीघ्रता से रात्रि व्यतीत होकर सूर्योदय हो या न हो, अमुक राजा विजयी हो या न हो। क्यों कि इस तरह की भाषा बोलने से सयम में अनेक दोष लगते हैं अतः साधु को ऐसी मदोष भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'समूच्छिम वा निवदए' पाठ का यह अर्थ है—बादल

सम्पूर्ण जल बरसाता है। अर्थात् सूर्य की किरणों के ताप से समुद्र, सरिता आदि में स्थित जल वाष्प रूप में ऊपर उठता है और ऊपर ठण्डी हवा आदि के निमित्त से फिर पानी के रूप को प्राप्त करके बादलों के रूप में आकाश में घूमता है और हवा पहाड़ एव बादलों की पारस्परिक टक्कर से बरसने लगता है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को सदा मधुर, प्रिय, यथार्थ एवं निर्दोष भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।

‘चित्तेभिः’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

चतुर्थ अध्यायन-भाष्येण

द्वितीय उद्देशक

साधु को कैसी भाषा मिलनी चाहिए और किस तरह की भाषा नहीं लेनी चाहिए इसका प्रथम उद्देशक में विचार किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देशक में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ जहा वेगड्याड् रूवाड् पामिज्जा-
तहावि ताड् नो एव वड्ज्जा—गडी गडीति वा कुट्ठी कुट्ठीति
वा जाव महुमेहुणीति वा हत्यन्दिन्नं वा हत्यच्छिन्नेति वा
एव पायच्छिन्नेति वा नक्कच्छिराणोड् वा करणच्छिन्नेड् वा उट्ठ-
च्छिन्नेति वा जे यावन्ने तहप्पगारा एयप्पगाराहि भासाहि वुड्या
२ कुप्पति माण्वा ते यावि तहप्पगाराहि भामाहि अभिक्ख
नो भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा० जहा वेगड्याड् रूवाड् पामि-
ज्जा तहावि ताड् एव वड्ज्जा, तजहा-योयमी योयमिति वा
तेयसी तेयमीति वा जममी जममीड् वा वच्चसी वच्चमीड् वा
अभिरूयमी २ पडिख्वमी २ पासाडय २ दरिमाण्ज्ज दरिमाणी
यति वा, जे यावन्ने तहप्पगारा तहप्पगाराहि भामाहि वुड्या २ नो
कुप्पति माण्वा ते यावि तहप्पगारा एयप्पगाराहि भासाहि अभि
क्ख भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा० जहा वेगड्याड् रूवाड् पामि

ज्जा, तंजहा वप्पाणि वा जाव गिहाणि वा; तहावि ताइं नो
 एवं वइज्जा, तंजहा—सुक्कडे इ वा सुट्ठुकडे इ वा साहुकडे इ
 वा कल्लाणे इ वा करणिज्जे इ वा, एयप्पगारं भासं सावज्जं जाव
 नो भासिज्जा । से भिक्खू वा० जहा वेगइयाइं रूवाइं पासिज्जा,
 तंजहा- वप्पाणि वा जाव गिहाणि वा तहा विताइं एवं वइज्जा,
 तंजहा — आरम्भकडे इ वा सावज्ज कडे इ वा पयत्तकडे इ वा
 पासाइयं पासाइए वा दरिसणीयं दरिसणीयंति वा अभिरूवं
 अभिरूवंति वा पडिरूवं पडिरूवंति वा एयप्पगारं भासं असावज्जं
 जाव भासिज्जा ॥१३६॥

छाया—स भिक्षुः भिक्षुकी वा यथा वैककानि रूपाणि कानिचिद् रूपाणि
 पश्येत् तथापि तानि नो एवं वदेत् तद्यथा गडी गंडी इति वा कुण्ठी कुण्ठीति
 वा यावत् मधुमेही मधुमेहीति वा हस्तच्छिन्नं हस्तच्छिन्नइति वा एवं पादच्छिन्नं
 पादच्छिन्न इति वा नासिकाच्छिन्न इति वा कर्णच्छिन्न इति वा ओष्ठ छिन्न
 इति वा, ये यावन्तः तथाप्रकारा (तान्) एतत्प्रकाराभिः भाषाभिः उक्ताः २
 कुप्यन्ति मानवाः तांश्चापि तथाप्रकाराभिः भाषाभिः अभिकांद्य नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यथा वैककानि रूपाणि पश्येत् तथापि तानि एवं
 वदेत्—तद्यथा-ओजस्विनं ओजस्वीति वा तेजास्विनं तेजस्वीतिवा, यश-
 स्विनं यशस्वीति वा वर्चस्विनं वर्चस्वीति वा अभिरूपवन्तं अभिरूप-
 वानिति, प्रतिरूपिणं प्रतिरूपीति वा प्रासादनीयं प्रासादनीयमिति, दर्शनीयं
 दर्शनीयमिति वा, ये यावन्तः तथाप्रकाराः (तान्) तथाप्रकाराभिः भाषाभिः
 उक्ताः २ नो कुप्यन्ति मानवाः तांश्चापि तथाप्रकारान् एतत्प्रकाराभिः
 भाषाभिः अभिकांद्य भाषेत ।

आया—स भिक्षुर्वा० यथा वैकानि रूपाणि पश्येत् तद्यथा—वप्राणि वा यावद् गृहाणि वा तथापि तानि नो एव वदेत्, तद्यथा सुकृतमिति वा सुष्ठुकृतमिति वा साधुकृतमिति वा, कल्याणमिति वा करणीयमिति वा, एतद् प्रकारा भाषा सावधा यावत् नो भाषेत । स भिक्षुर्वा० यथा वैकानि रूपाणि पश्येत् तद्यथा वप्राणि वा यावद् गृहाणि वा तथापि तानि एव वदेत्, तद्यथा आरम्भकृतमिति वा सावद्य कृतमिति वा प्रयत्नकृतमिति वा प्रासादीय प्रामा दीयइति वा दर्शनीय दर्शनीयमिति वा अभिरूप्य अभिरूपमिति वा प्रतिरूप वा प्रतिरूपमिति वा एतत्प्रकारा भाषा असावधा यावद् भाषेत ।

पदाप—से भिक्षू वा—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइ—वई एक । रुबाइ—रूपी को । पासिज्जा—देखता है । तहावि—तथापि उहे देखकर । नो एव वइज्जा—इस प्रकार न कहे । तजहा—जते कि । गडी—जिसको गण्ड रोग कण्ठमाला या पादसूय हो गया हो उसे गण्डी कहते हैं उसको । गडीति—हे गण्डी ! ऐसे कहना तथा । कुट्ठी—कुट्टी—कुट्ट रोग वाले को । कुट्ठीति वा—हे कुट्टी ! कहना । जाव—यावत् । मधुमेहोति—मधुमेह के रोगी को मधुमेही कहकर पुकारना । वा—यद्यवा । हत्य छिन—जिसका हाथ कट गया हो उसे । हत्याछिनेति वा—हाथ कटा कहना । एव—इसी प्रकार । पायछिनेति वा—पर कटे को पर कटा कहना । मक्कछिनेइ वा—नाक कटे को नाक कटा या नकटा कहना और । कण्ण छिनेइ वा—कान कटे को कान कटा तथा । उट्ठछिनेति वा—जिसके भ्रोष्ठ का छेदन हो गया हो उसे भ्रोष्ठ कटा कहना । जे यावने—जो जितने भी । तहप्पगारा—तथा प्रकार के हैं उनको । एवप्पगाराहि—इस प्रकार की । मासाहि—भाषामा से । वइया—सम्बोधित करने पर । माणवा—ये पुद्गल । कुप्पति—क्रोधित हो जाते हैं भ्रत । ते यावि—उनको फिर । तहप्पगाराहि—तथा प्रकार की । मासाहि—भाषामा से । भमिकज्ज—विचार कर अर्थात् यह भाषा सदोप ध्ये व कष्ट प्रद है ऐसी पर्यालोचना करके । नो मासिज्जा—उह ऐसी भाषा से सम्बोधित न करे ।

से भिक्षू वा०—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइ रुबाइ—वई रूपी को । पासिज्जा—देखता है । तहावि—तथापि । ताइ—उनको देखकर । एव वइज्जा—इस प्रकार कह । तजहा—जते कि । भोजसी०—भोजस्वी को—यदि व्याधि युक्त यस्ति मे कोई विगिष्ट गुण हो तो उसको सामने रखकर उसे आमन्त्रित करे और यदि वह

ओजस्वी है तो उसको । ओयंसिति वा—ओजस्वी कह कर सम्बोधित करे, इसी प्रकार । तेयंसी—तेजस्वी को । तेयंसिति वा—तेजस्वी-तेज वाला कहे । जसंसी—यशस्वी-यश वाले को । जससी इ वा—यशस्वी कह कर पुकारे । वच्चंसी—वर्चस्वी-जिसका वचन आदेय हो अथवा लब्धि युक्त हो तो उसे । वच्चसी इ वा—वर्चस्त्री कहे । अभिरूयंसि—रूप सम्पन्न को रूपवान कहे । पडिरूवंसि—प्रतिरूप को प्रतिरूप शब्द से बुलावे, इसी प्रकार । पासाइयं २—प्रासाद गुण युक्त को प्रासादीय और । दरिसणिज्जं—दर्शनीय को । दरिसणीयति वा—दर्शनीय कहकर सम्बोधित करे । जे यावन्ने—जो जितने भी । तहप्पगारा—तथा प्रकार के है उनको । तहप्पगाराहि—तथा प्रकार की । भासाई—भाषाओ से । बुइया २—सम्बोधित करने पर वे । माणवा—मनुष्य । नो कुपंति—क्रोधित नहीं होते है । अतः । ते यावि—वे भी । तहप्पगारा—जो कि उक्त प्रकार के है उनके प्रति । एयप्पगाराहि—इस प्रकार की । भासाहि—भाषाओ द्वारा । अभिकख—सोच विचार कर । भासिज्जा—बोले ।

से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइं—कितने एक । रूवाइं—रूपो को । पासिज्जा—देखता है । तंजहा—जैसेकि- । वप्पाणि वा—खेतो की क्या-रिएं । जाव—यावत् । गिहाणि वा—घर आदि । तहावि—तथापि । ताइ—उनको देखकर । एव—इस प्रकार । नो वइज्जा—न कहे । तंजहा—जैसे कि- । सुक्कडेइ वा—अमुक वस्तु को देखकर यह अच्छी बनी है । सुट्ठुकडेइ वा—यह बहुत सुन्दर बनी है । साहुकडेइ वा—साधु कृत है । कल्लाणे इ वा—यह कल्याणकारी है । करणिज्जे इ वा—यह करने योग्य है इत्यादि । एयप्पगारं—इस प्रकार की । भासं—भाषा जो कि । सावज्जं—सावद्य है । जाव—यावत् । नो भासिज्जा—न बोले । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । जहावि—यद्यपि । एगइयाइं—कितने एक । रूवाइं—रूपो को । पासिज्जा—देखता है । तंजहा—जैसे-कि- । वप्पाणि वा—खेतो की क्या-रियें । जाव—यावत् । गिहाणि वा—घर आदि । तहावि—तथापि । ताइ—उनको देखकर । एवं वइज्जा—इस प्रकार कहे । तंजहा—जैसे कि— । आरम्मकडेइ वा—यह आरम्भ कृत है । सावज्जकडेइ वा—यह सावद्य कृत है, तथा । पयत्तकडेइ वा—यह कार्य प्रयत्नकृत प्रयत्नसाध्य है, इसी प्रकार । पासाइयं—प्रासादीय को । पासाइए वा—प्रासादीय और । दरिसणिज्जं—दर्शनीय को । दरिसणीयति वा—दर्शनीय कहे तथा । अभिरूव—अभिरूप-रूप सम्पन्न को । अभिरूवति वा—अभिरूप और । पडिरूवं—प्रतिरूप को । पडिरूवंति वा—प्रतिरूप बतलावे । एयप्पगारं—इस प्रकार की । भासं—भाषा को । असावज्जं—असावद्य । जाव—यावत् निर्दोष है । भासिज्जा—बोले ।

मूलार्थ—सयमशोल साधु या साध्वी किसी रोगी आदि को देखकर ऐसा न कहे—हे गंडी ! हे कुष्ठी ! हे मधुमेही ! इत्यादि । इसी प्रकार

यावत् मात्र रोग है उनका नाम लेकर उस व्यक्ति को जा कि उन रोगों से पीड़ित है-आमन्त्रित न करे। इसी प्रकार जिमका हाथ, पैर, कान, नाक, ओष्ठ आदि कटे हुए हों, उसे कटे हाथ वाला, लगडा, कटे कान वाला, नकटा या कटे हुए ओष्ठ वाला आदि शब्दों से सम्बोधित न करे। इस प्रकार की भाषा के बोलने से लोग कुपित हो सकते हैं, उनके मन को धावात लगता है, अतः भाषा समिति का विवेक रचन वाला साधु ऐसी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु, यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण हो तो उसे उस गुण से सम्बोधित करके बुला सकता है। जैसे कि— हे ओजस्वी हे तेजस्वी, हे यशस्वी, हे वचस्वी हे अभिरूप, हे प्रतिरूप, हे प्रेक्षणीय और हे दर्शनीय इत्यादि। इस प्रकार की निरवद्य भाषा के प्रयोग से सुनने वाले मनुष्य के मन में क्रोध नहीं, प्रत्युत हर्ष भाव पैदा होता है, अतः वह ऐसी मधुर एवं निर्दाय भाषा बोल सकता है। इसी प्रकार साधु अथवा साध्वी वावडी, बुए, खेता के क्यारे यावत् घरों को देखकर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार न कहे कि यह अच्छा धना हुआ है, बहुत सुन्दर बना हुआ है, इस पर अच्छा काय किया गया है, यह कल्याणकारी है और यह कार्य करने योग्य है। इस प्रकार की भाषा से सावद्य क्रिया का अनुमोदन होता है। अतः साधु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले। किन्तु उन वावडी यावत् घरों को देखकर इस प्रकार बहे कि यह आरम्भ कृत है, सावद्य है और यह प्रयत्न साध्य है, तथा यह देखने योग्य है, रूपसम्पन्न है और प्रतिरूप है। इस प्रकार की निरवद्य भाषा का प्रयोग करे।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गण्डी, कुण्ड (चोड़) और मधुमेह इत्यादि भयंकर रोगों से पीड़ित हो या उसका हाथ, पैर, नाक कान, ओष्ठ आदि कोई अङ्ग कटा हुआ हो, तो साधु को उसे उस रोग एवं कटे हुए अङ्गों के नाम से सम्बोधित करने नहीं बुलाना चाहिए। जैसे कि— कोई भी रोगी को बोढ़ी, अंधे को अंधा या नाक कटे हुए व्यक्ति को नकटा कह कर पुकारना साधु को नहीं

कल्पता । क्योंकि, पहले तो वह उक्त वीमारियों एवं अज्ञोपाज्ञों की होनता के कारण परेशान, दुःखी एवं चिन्तित है । फिर उसे उस रूप में सम्बोधित करने से उसके मन को अवश्य ही आघात पहुंचेगा और उसके मन में साधु के प्रति दुर्भावना जागृत होगी । वह यह भी सोच सकता है कि यह साधु कितना असभ्य एवं असंस्कृत है कि साधना के पथ पर गतिशील होने के पश्चात् भी इसकी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने, परेशान करने एवं उसका भजाक उड़ाने की दुष्ट मनोवृत्ति नहीं गई है । वस्तुतः वेश के साथ अभी इसके अन्तर जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ है । इससे उसके मन में साधु से प्रतिशोध लेने की भावना भी जागृत हो सकती है । अस्तु साधु को किसी के मन को चुभने वाली भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । इससे दूसरे व्यक्ति की मानसिक हिंसा होती है इसलिए साधु को प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह रोगी हो, अपंग हो, अंगहीन हो सदा प्रिय एवं मधुर सम्बोधनों से सम्बोधित करना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में गण्ड, कुष्ठ और मधुमेह तीन रोगों का नाम निर्देश किया गया है और 'कूटकीति वा जाव' पद में यावत् शब्द से उन रोगों की ओर भी इशारा कर दिया है जिसका उल्लेख आचारारङ्ग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के धूताध्ययन में किया गया है । ये तीनों असाध्य रोग माने गए हैं । गण्ड- यह वात प्रधान रोग होता है, इस रोग का आक्रमण होने पर मनुष्य के पैर एवं गिट्ठे में सूजन आ जाता है और कोढ़ एवं मधुमेह का रोग तो असाध्य रोग के रूप में प्रसिद्ध ही है । अतः साधु को इन असाध्य रोगों से पीड़ित एवं अंग हीन व्यक्ति को पाप कारी एवं मर्म भेदी शब्दों से सम्बोधित नहीं करना चाहिए ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा २ असणां वा ४ उवक्खडियं तथा-
विहं नो एवं वइज्जा, तं०—सुकडेत्ति वा सुट्ठुकडे इ वा साहु-
कडे इ वा कल्लाणे इ वा करणिज्जे इ वा, एयप्पगारं भासं सा-
वज्जं जाव नो भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा २ असणां वा ४ उव-
क्खडियं पेहाय एवं वइज्जा—तं-आरंभकडेत्ति वा सावज्जकडेत्ति
वा पयत्तकडे इ वा भद्दयं भद्देत्ति वा ऊसठं ऊसठे इ वा रसियं

२ माणुन्न २ एयप्पगार भास यसावज्ज जाव भासिज्जा ॥१३७॥

छाया—स भिक्षुना भिक्षुकी या अशन वा ४ उपस्कृत तथाविध नो एव उदेत्, तद्यथा—मुकृतमिति वा सुष्ठुकृतमिति वा माधुकृतमिति वा कल्पाणमिति वा करणीयमिति वा एतत्प्रकारा भाषा यावत् नो भाषेत ।

स भिक्षुना भिक्षुकी या अशन वा ८ उपस्कृत प्रेक्ष्य एव उदेत्, तद्यथा प्रारम्भकृतमिति वा सायकृतमिति वा प्रयत्नकृतमिति वा भद्रक भद्रमिति वा उच्छित्त उच्छ्रित्तमिति वा रसित २ मनोज्ञ २ एतन्प्रकारा भाषो असावद्या यावत् भाषेत ।

पदाय—से भिक्षु वा २—वह समयशील साधु या साधवा । अशन वा ४—अशनादिक चतुर्विध आहार अर्थात् अशन पान स्नात्ति घोर स्वात्ति रूप । उपस्कृतिय—उपस्कृतन तयार किए हुए । तद्यथा—तथाविध आहार पत्थाय को । एव—इस प्रकार । नो बद्धजा—न कह । तं—जसे कि— । सकुडेति वा—यह भोजन अच्छा बनाया हुआ है । सुष्ठुकडे इ वा—यह भोजन बहुत अच्छा बनाया गया है । साधुकडे इ वा—यह भोजन श्रेष्ठ बनाया गया है । कल्पाणे इ वा—यह भोजन कल्याणकारी है तथा । करणीज्जे इ वा—यह काय अवश्य करने योग्य है । एयप्पगार—साधु इस प्रकार की । सावज्ज—सावद्य । जाव—यावत् प्राणियों का घात करने वाली । भास—भाषा । नो भासिज्जा—न बोल । से भिक्षु वा २—वह साधु या साधवा । उपस्कृतिय—उपस्कृतन तयार किए हुए । अशन वा ४—अशन, पान, स्नात्ति घोर स्वात्ति रूप चतुर्विध आहार को । पेहाय—देखकर । एव बद्धजा—इस प्रकार बंधे । तज्जा—जसे कि । आरम्भकडति वा—यह आहार आरम्भ कृत अर्थात् आरम्भ में बनाया गया है । सावज्ज कडे इ वा—यह सावद्यकाय है । पयत्तकडे इ वा—यह आहार बड़ प्रयत्न से तयार किया गया है, या । भद्दय—भद्र पत्थाय का । भद्देति वा—भद्र बंधे । ऊमइ—वण, गंध, रसात्ति से युक्त पत्थाय को । ऊमइ इ वा—वण गंध रसादि युक्त बंधे घोर । रसिय २—मरस को मरस तथा । मणुन्न २—मनोज्ञ को मनोज्ञ बंधे । एयप्पगार—इस प्रकार की । असावज्ज—असावद्य निगान । जाव—यावत् प्राणियों का विनाश न करने वाली । भास—भाषा को । भासिज्जा—बोले ।

मूलार्थ—समयशील साधु या साधवा उपस्कृत तैयार हुए अशनादि चतुर्विध आहार का देखकर इस प्रकार न बंधे कि यह आहारादि पदार्थ

सुकृत है, सुष्ठुकृत है और साधु कृत है तथा कल्याणकारी और अवश्य करणोय है। साधु इस प्रकार की सावद्य यावत् जीवोपघातिनी भाषा न बोले।

किन्तु संयमशील साधु या साध्वी उपस्कृत अशनादि चतुर्विध आहार को देखकर इमं प्रकार कहे कि यह आहारादि पदार्थ बड़े आरम्भ से बनाया गया है। यह सावद्य पाप युक्त कार्य है यह अत्यन्त यत्न से बनाया हुआ है, यह भद्र अर्थात् वर्णगंध रसादि से युक्त है, सरस है और मनोज्ञ है, साधु ऐसी निरवद्य एवं निष्पाप भाषा का प्रयोग करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी को आहार आदि के सम्बन्ध में यह नहीं कहना चाहिए कि यह आहार अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, बहुत अच्छे ढंग से पकाया गया है। क्योंकि, आहार ६ काय के आरम्भ से बनता है, अतः उसकी प्रशंसा एवं सराहना करना ६ कायिक जीवों की हिंसा का अनुमोदन करना है और साधु हिंसा का पूर्णतया अर्थात् तीन करण और तीन योग से त्यागी होता है। अतः इस प्रकार की भाषा बोलने से उसके अहिंसा व्रत में दोष लगता है। इस कारण संयम-निष्ठ मुनि को ऐसी सावद्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कभी प्रसंगवश कहना ही हो तो वह ऐसा कह सकता है कि यह आरम्भीय (आरम्भ से बना हुआ) है, सरस, वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श वाला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधु उसके यथार्थ रूप को प्रकट कर सकता है, परन्तु, सावद्य भाषा में आहार आदि की प्रशंसा एवं सराहना नहीं कर सकता।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा भिक्खुणी वा मणुस्सं वा गोणां वा महिसं वा मिगं वा पसुं वा पक्खिं वा सरीसिवं वा जलचरं वा सेत्तं परिवूढकायं पेहाए नो एवं वड्जा-थूले इ वा पमेइले इ वा चट्टे इ वा वज्जे इ वा पाइमे इ वा, एयप्पगारं भासं सावज्जं नो

भासिञ्जा ॥

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मणुस्स वा जाव जलयर वा
सेत्त परिवूढकाय पेहाए एव वड्ज्जा-परिवूढकायेत्ति वा उव-
चियकाएत्ति वा थिरसघयणेत्ति वा चियमससोणिएत्ति वा बहु-
पडिपुन्नइदिएत्ति वा एयप्पगार भास त्रसावज्ज जाव भामिञ्जा ।
से भिक्खू वा २ विरूवरूवायो गायो पेहाए नो एव वड्ज्जा, त-
जहा गायो दुब्भायोत्ति वा दम्मेत्ति वा, गोरहत्ति वा वाहिमत्ति
वा रहजोग्गत्ति वा, एयप्पगार भास सावज्ज जाव नो भासिञ्जा ।

से भि० विरूवरूवायो गायो पेहाए एव वड्ज्जा, तजहा-
जुवगवित्ति वा धेणुत्ति वा रसग्गत्ति वा हस्से इ वा महल्ले इ
वा महन्वए इवा सबहणित्ति वा, एयप्पगार भाम त्रसावज्ज जाव
थ्रभिक्खस भामिञ्जा ।

से भिक्खू वा० तद्देव गतुमुज्जाणाइ पव्वयाइ वणाणि वा
रुक्खा महल्ले पेहाए नो एव वड्ज्जा, त०-पासायजोग्गात्ति वा
तोरणजोग्गाइ वा गिहजोग्गाइ वा फल्लिहजो० थ्रग्गलजो०
नात्राजो० उदग्ग० दोणजो० पीढचगत्रेरनगलकुलियजतलट्ठी
नाभिगडीयासणजो० सयणजाणउत्तसयजोग्गाइ वा, एयप्पगार०
नो भामिञ्जा ॥

से भिक्खू वा० तहेव गंतु० एवं वइज्जा, तंजहा-जाइमंता
इ वा दीहवट्टा इ वा महालया इ वां पयायसाला इ वा विडिम-
साला इ वा पासाइया इ वा जाव पडिरूवाति वा एयप्पगारं
भासं असावज्जं जाव भासिज्जा ॥ से भिक्खू वा० बहुसंभूया
वणफला अत्रापेहाए तहावि ते नो एवं वइज्जा, तंजहा—पक्काइ वा
पायखज्जाइ वा वेलोइया इ वा टाला इ वा वेहिया इ वा,
एयप्पगारं भासं सावज्जं जाव नो भासिज्जा ॥

से भिक्खू० बहुसंभूया वणफला अत्रा पेहाए एवं वइज्जा,
तं०—असंथडा इ वा बहुनिवट्टिमफला इ वा० बहुसंभूया इ वा
भूयरूवित्ति वा, एयप्पगारं भा० असा० ॥ से० बहुसंभूया ओसही
पेहाए तहावि ताओ न एवं वइज्जा, तंजहा—पक्का इ वा नीलि-
या इ वा छबीइया इ वा लाइमा इ वा भाज्जिमा इ वा बहुखज्जा
इ वा, एयप्पगा० नो भासिज्जा ॥

से० बहु० पेहाए तहावि एवं वइज्जा तं०—रूढा इ वा बहु-
संभूया इ वा थिरा इ वा ऊसढा इ वा गन्धिया इ वा पसूया इ वा,
संसारा इ वा एयप्पगारं भासं असावज्जं जाव भासिज्जा ॥१३८॥

छाया —स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा मनुष्य वा गोण वा महिषं वा मृग

वा पशु वा पक्षिण वा सरोसृप वा जलचर वा स त परिवृद्ध काय प्रेक्ष्य नैव वदेत्—स्थूल इति वा प्रमेदुर इति वा वृष इति वा वध्य इति वा (वाहन योग्य इति वा) पाच्य इति वा, एतत्प्रकारा भाषा सावद्या यावत् नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा मनुष्य वा यावत् जलचर वा स त परिवृद्ध काय प्रेक्ष्य एव वदेत्—परिवृद्ध काय इति वा, उपचित्तकाय इति वा स्थिरसहनन इति वा, चित्तमासशोणित इति वा बहुप्रतिपूर्णैन्द्रिय इति वा एतत्प्रकारा भाषा असावद्याम् यावद् भाषेत ।

स भिक्षुर्वा २ विरूपरूपा गा प्रेक्ष्य नो एव वदेत्, तद्यथा—गाव दोह्या दोहन योग्या इति वा दम्य इति वा गोरहक इति वा वाहनयोग्य इति वा रथयोग्य इति वा, एतत्प्रकारा भाषा सावद्या यावत् नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा ० विरूपरूपा गा प्रेक्ष्य एव वदेत्, तद्यथा—युवा गौरिति वा धेनुरिति वा रसवतोति वा, ह्रस्व इति वा महान् इति वा महापय इति वा सवहन इति वा, एतत्प्रकारा भाषा असावद्या यावन् अभिकीष्ट्य भाषेत ।

स भिक्षुर्वा ० तथैव गत्वा श्वानानि पवतान वनानि वा वृक्षान् महत् प्रेक्ष्य नैव वदेत्, तद्यथा—प्रासाद योग्य इति वा तोरणयोग्य इति वा गृह योग्य इति वा फलक योग्य इति वा अगला याग्य इति वा नो योग्य इति वा उदक ० द्रोणयोग्य इति वा पीठ चगवेर लागन कुलिक यन्त्र यष्टि नाभि-गङ्गी आसन याग्य इति वा शयनगानोपाश्रय योग्य इति वा, एतत्प्रकारा भाषा नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तथैव गत्वा एव वदेत् तद्यथा—जातिमत इति वा दोषवृत्ता इति वा महालया इति वा, प्रयात शाखा इति वा विटपि शाखा इति वा, प्रासादीया इति वा यावत् प्रतिरूपा इति वा एतत्

प्रकारां भाषां असावद्यां यावत् भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुको वा बहुसम्भूतानि वनफलानि प्रेक्ष्य तथापि नैव वदेत्, तद्यथा-पक्वानि इति वा, पाकखाद्यानीति वा वेलोचितानि वा टालानीति वा (कोमलास्थानीति वा) द्वैधिकानीति वा, एतत्प्रकारां भाषां सावद्यां यावत् नो भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा बहुसम्भूतानि वनफलानि ग्रामाणि—(ग्रामान् वा) प्रेक्ष्य एवं वदेत् तद्यथा—असमर्था इति वा बहुनिर्वर्तित फला इति वा बहुसम्भूता इति वा भूतरूपा इति वा, एतत्प्रकारां भाषाम् असावद्यां यावद् भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा बहुसम्भूता औपधीः प्रेक्ष्य तथापि ताः नैव, वदेत् तद्यथा पक्वा इति वा, नीला इति वा (आर्द्रा इति वा) छविमत्य इति वा, लाडला इति वा (लाजायोग्या रोपण योग्या इति वा) भंजिमा इति वा (पचन योग्या भंजन योग्या इति वा) बहुखाद्या इति वा, एतत्प्रकारां भाषां सावद्यां न भाषेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा बहुसम्भूता औपधीः प्रेक्ष्य तथापि एव वदेत्, तद्यथा—रूढा इति वा, बहुसम्भूता इति वा स्थिरा इति वा उच्छ्रिता इति वा, गर्भिता इति वा, प्रसूता इति वा ससारा इति वा, एतत्प्रकारां भाषां असावद्यां यावद् भाषेत ।

पदार्थं—मे—वह । भिक्खू वा भिक्खुणी वा—साधु या साध्वी । सणुस्सं वा—मनुष्य को । गोणं वा—गोण-वृषभ को । महिस वा—महिष-भैसे को । मिंगं वा—मृग-हरिण को । पसुं वा—ग्रन्थ पशु को । पर्विख वा—पक्षी को । सरीसिव वा—सर्प को तथा । जलचरं वा—जलचर जीवो को । से—वह भिक्षु । तं—उनमे से किसी एक । परिबूद्ध काय—पुष्ट शरीर वाले को । पेहाए—देखकर । एवं—इस प्रकार । नो वइज्जा—न कहे । थूले इ वा—यह स्थूल है इस प्रकार । पमेइले इ वा—यह विशिष्ट मेद से युक्त है इस प्रकार । वट्टे इ वा—यह वृत्त अर्थात् गोलाकार है । वज्जेइ वा—यह वध्य-माग्ने योग्य है या वोष्ठा ढोने योग्य है । पाइमे इ वा—पकाने योग्य है । एयप्पगारं—इस प्रकार की । भास—भाषा जो कि । सावज्ज—सावद्य । जाव—यावत्-भूतोपघातिनी है । नो भासेज्जा—न बोले । से भिक्खू वा—

मिक्खुणी वा—वह साधु या साध्वी। मणुस्स वा—मनुष्य को। जाव—यावन्। जलधर वा—जलधर जीवों को। से—वह। त—उन जीवों से। परिवूड काय—परिपुष्ट शरीर वाले को। पेहाए—देखकर। एव—इस प्रकार। षड्जजा—कहे। परिवूड काएत्ति—यह वपगति अमुक जीव परिपुष्ट शरीर वाला है अथवा यह। उवचिय काएत्ति वा—उपचित काय गरीर वाला है। धिर सघयणेत्ति वा—इसका महत्तन बड़ा दढ है अर्थात् इसका शरीर बड़ा मंगठित है। चियमससोणएत्ति—इसके शरीर में मांस और रुधिर विशेष रूप में है तथा। बहुपडिन न इदिएत्ति वा—इसकी सभी इन्द्रिय परिपूण है। एयप्पगार—इस प्रकार की। असावज्ज—असावध पाप रहित। जाव—यावत् जीव विराधता दूम। मास—भाया को। मात्तिज्जा—भाषण करे—बोल।

पदाथ—से मिक्खू वा मिक्खुणी वा—वह साधु अथवा साध्वी। विट्ठव्वाभो—नाना प्रकार के। गाओ—गौ आदि पशुओं को। पेहाए—देखकर। एव—इस प्रकार। नो वड्जजा—न कहे। तज्जा—जसे कि। गाओ दुज्जाओत्ति वा—य गौ दोहने के योग्य हैं अथवा इनके दोहने का समय हो रहा है। वस्सेत्ति वा—या यह बल दमन करने क योग्य है। गोरहन्ति वा—या यह तीन वप का युवक बल है। वहिमत्ति वा—मह बल हल आदि वहन करने योग्य है। रहज्जोगत्ति वा—यह बल रथ में जीवने योग्य है। एयप्पगार—इस प्रकार की। सादज्ज—सावध। जाव—यावत् भूतोपघानिनी। मास—भाया का। गो मासेज्जा—न बोले। से—वह। मिक्खू वा मिक्खुणी वा—साधु या साध्वी। विट्ठव्वाभो—नाना प्रकार के। गाओ—गौ आदि पशुओं को। पेहाए—देखकर। एव षड्जजा—इस प्रकार कहे। तज्जा—जसे कि। ज्वगमित्ति वा—यह वपन्न बड़ा युवा है अथवा। धणुत्ति वा—यह गाय जवान है या। दसवत्ति वा—बहुत दूध देने वाली है। हस्से वा—या यह छोटा बल है। मत्तल्ल इ वा—यह बल है और। मह एए इ वा—यह बल बड़ी आमु का है। सवाहणित्ति वा—यह भार का उत्हन कर रह है। एयप्पगार—इस प्रकार की। असावज्ज—असावध निष्पाप। मास—भाया को। जाव—यावत्। अन्निकल्ल—मन में विचार कर। मात्तिज्जा—बोले।

से मिक्खू वा मिक्खुणी वा—वह साधु अथवा साध्वी। तहेव—उपरी प्रकार। गत मुज्जाणाह—उचानात्ति में जाकर तथा। पत्तवाडि—पचना और। वगानि—बना से जाकर। महल्ले—अत्यन्त माटे। स्वला—वक्ष को। पेहाए—देखकर। एव—इस प्रकार। नो षड्जजा—नही बोल। तज्जा—जसे कि। पासाय जोग्गात्ति वा—यह वृक्ष प्रासाद (मकान बनान) के योग्य है। तोरण जोग्गात्ति वा—अथवा यह तोरण बनाने के योग्य। गिहज्जोगा इ वा—अथवा यह घर के योग्य है। पत्तिह जो०—अथवा यह फलक बनान के योग्य है। अगगल जो०—यह अगगा क योग्य है और। मावा ओ—यह नाव के योग्य है और यह वक्ष। उवग० ओज जो०—उवक द्रोणी के योग्य है इसी प्रकार। पोड—पीठ के योग्य हैं। वगवेर—वाठ का बनान विशेष

उसके योग्य है। नगल—हल के योग्य है। जुलिष—कुलडी के योग्य। जत—यन्त्र के योग्य है। लट्ठी—लाठी के योग्य है अथवा कोल्हू की लट्ठ के योग्य है। नाभि—चक्र की नाभि के योग्य है। गडी—सुनार के किसी काष्ठोपकरण के योग्य है और। आसण जो०—आसन के योग्य है तथा। सयण—शयन-शय्या परलग। जाया—शकटादिक के और। उवसय जोगाइ चा—उवाश्रय के योग्य है। एयपगारं—इस प्रकार की सावद्य भाषा यावत् भूतोपघातिनी भाषा को। नो भासिज्जा—नही बोले। से भिखू वा—वह साधु या साध्वी। तहेव—उसी प्रकार मंतु०—उद्यानादि में जाकर वहां पर स्थित महान् वृक्षों को देखकर। एवं वइज्जा—इस प्रकार कहे। तंजहा—जैसे कि—। जाइमना इ वा—ये वृक्ष बड़ी उत्तम जाति के है, अर्थान् किसी अन्धरी नसल के है। जीहवट्टा इ वा—अथवा ये वृक्ष दीर्घ और वृत्त अर्थात् गोलाकार है। महालयाइ वा—बड़े विस्तार वाले हैं। पयायसाला इ वा—इनकी विस्तृत अनेक शाखाएं हैं। विडिम साला इ वा—इस वृक्ष की मध्य में चार शाखाएं हैं जिनमें एक ऊंची भी चली गई है अथवा ये वृक्ष। पासाइया इ वा—प्रासादीय प्रसन्नता देने वाले है। जाव—यावत्। पडिख्वाति वा—प्रति रूप-सुन्दर है। एयपगारं—इस प्रकार की। असावज्ज—असावद्य-निष्पाप। जाव—यावत्। भासं—भाषा को। भासिज्जा—बोले।

से भिखू वा भिखुणी वा—वह साधु अथवा साध्वी। बहुसभूया—बहुत परिमाण में उत्पन्न हुए। वणफला—वन के फलो को—अर्थात् वन में होने वाले वृक्षों के फलो को। पेहाए—देखकर। तहावि—तथापि। ते—उनके सम्बन्ध में। एव—इस प्रकार। नो वइज्जा—न कहे—न बोले। तजहा—जैसे कि—। पक्का इ वा—ये फल परिपक्व हो गए अर्थात् पक गए हैं। पाय खज्जाइ वा—ये फल घास आदि में पकाकर खाने योग्य है। वेलौइया इ वा—अब ये फल तोड़ लेने योग्य है। टाला इ वा—ये फल अभी कोमल है इनमें अभी तक अस्थि नहीं बन्धी गिटेक नहीं पडी। बोहिया इ वा—अब ये फल खाने के लिए खण्ड-खण्ड करने योग्य है। एयपगारं—इस प्रकार की। सावज्जं—सावद्य। जाव—यावत् भूतोपघातिनी। भास—भाषा को। नो भासिज्जा—भाषण न करे। से भिखू वा०—वह साधु अथवा साध्वी। बहुसभूया—बहुत परिमाण में उत्पन्न हुए। वणफला—वन के फलो को। अवा—ग्राम आदि को। पेहाए—देखकर। एवं—इस प्रकार। वइज्जा—कहे-बोले। तजहा—जैसे कि—। असंथड इ वा—ये वृक्ष फलो के भार से नम्र हो रहे हैं, तथा। बहु निवटिटमफला इ वा—ये वृक्ष बहुत से फल दे रहे हैं। बहु सभूया इ वा—बहुत परिपक्व फल हैं। भूयस्वित्ति वा—ये अवद्व अस्थि वाले कोमल फल हैं। एयपगारं—इस प्रकार की। असावज्जं—असावद्य-पाप रहित। जाव—यावत् प्राणि विधात रहित। भास—भाषा को। भासिज्जा—बोले।

से भिखू वा भिखुणी वा—वह साधु या साध्वी। बहु सभूया ओसही—बहु परिमाण में उत्पन्न होने वाली शीपधियो (धान्य विशेष)। पेहाए—देखकर। तहावि—तथापि। ताओ—

उनके सम्बन्ध में। एष—इस प्रकार। नो बद्धजा—न बोने। तज्जु—जम वि। पक्काइ
 ण—यह घाय परिपक्व हो गया है या यह धीरधि पक्व गई है अथवा। नीलीरा इ वा—यह
 अभी नीली अर्थात् कच्ची है। छोइया इ वा—यह सुन्दर छत्री गोमा वाली है। साइमा
 इ वा—यह काटन योग्य है। मरिजमा इ वा—यह पकान योग्य है या भूज्जने योग्य है।
 यहु तज्जु इ वा—यह भली-भाति खाने योग्य है। एषपगार—इस प्रकार की भाषा
 को। नो भासिज्जा नहा बोन। से निक्खु वा०—वह साधु या भाषी। यहु०—यहुत परिणाम
 में उत्पन्न होने वाली धीरधि घाय विधेय को। पेहाए—देखकर। तहावि—तथापि। एष—
 इस प्रकार। बद्धजा—बोले-कहे। तनहा—जसे कि-। ट्ठा इ वा—इसमें अकुर निकला है।
 यहु समूया इ वा—बहुत परिमाण में उत्पन्न हुई है। घिरा इ वा—यह धीरधि स्थिर है।
 ऊसड़ा इ वा—यह रस से भरी हुई है। गम्मियाइ वा—यह अभी गम में है। वसूया इ वा—यह
 प्रसूत-उत्पन्न हुआ है। ससारा इ वा—इसमें घाय पठ गया है। एषपगार—इस प्रकार की।
 असावज्ज—असावद्य निष्पाप। जाव—यावत् ग्रहिसक। भास—भाषा को। भासि०—बोले।

मृजार्थ—सयमशील साधु अथवा साध्वी, मृप्य, वपभ (वैल), महिप
 (भैंस), मृग, पशु-पक्षी, सर्प और जलचर आदि जीवों में किसी भागी
 शरीर वाले जीव को देख कर इस प्रकार न कहे कि यह स्थूल है, यह
 मेदा युक्त है, वृत्ताकार है, वध या वहन करने योग्य और पकाने योग्य
 है। किन्तु, उन्हें देख कर ऐसी भाषा का प्रयोग करे कि यह पुष्ट शरीर
 वाला है, उचित्त धाय है, दढ सहननवाला है इसके शरीर में रुधिर
 और मांसका उपचय हो रहा है और इसकी मभी इन्द्रिए परिपूण हैं।

सयमशील साधु और साध्वी गाय आदि पशुओं को देख कर इस
 प्रकार न कहे कि यह गाय दोहने योग्य है अथवा इसके दोहने का समय
 हो रहा है तथा यह वैल दमन करने योग्य है, यह वपभ छोटा है, यह
 वहन के योग्य है और यह हल आदि चलाने के योग्य है, इस प्रकार की
 सावत्र यावत् जीवोपधातिनी भाषा का प्रयोग न करे। परन्तु आवश्यकता
 पडने पर उनके लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे कि यह वृपभ
 जवान है, यह गाय प्रौढ है, दूध देने वाली है, यह वैल छोटा है, यह बडा
 है और यह शकट आदि को वहन करता है।

संयमशील साधु अथवा साध्वी किसी उद्यान (बगीचे) पर्वत या वन आदि में कुछ विशाल वृक्षों को देख कर उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार न कहे कि यह वृक्ष मकान आदि में लगाने योग्य है, यह नोरण के योग्य है, और यह गृह के योग्य है तथा इसका फलक बन सकता है, इसकी अर्गला बन सकती है और यह नौका के लिए भी अच्छा है। इसकी उदक-द्रोणी (जल भरने की टोकणी) अच्छी बन सकती है और यह पीठ के योग्य है, इसकी चक्र नाभि अच्छी बनेगी, यह गंडी के लिए अच्छा है, इसका आसन अच्छा बन सकता है और यह पर्यक (पलंग) के योग्य है, इससे शकट आदि का निर्माण किया जा सकता है और यह उपाश्रय बनाने के लिए उपयुक्त है। साधु को इस प्रकार की सावद्य भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए। किन्तु, उक्त स्थानों में अवस्थित विशाल वृक्षों को देख कर उनके सम्बन्ध में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे कि ये वृक्ष अच्छी जाति के हैं, दीर्घ और वृत्त तथा बड़े विस्तार वाले हैं। इनकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, ये वृक्ष मन को प्रसन्न करने वाले अभिरूप और नितान्त सुन्दर हैं। साधु इस प्रकार की असावद्य-निष्पाप भाषा का व्यवहार करे।

संयमशील साधु अथवा साध्वी वन में बहुत परिमाण में उत्पन्न हुए फलों को देख कर उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार न कहे कि ये फल पक गए हैं, अतः खाने योग्य हैं या ये फल पलाल आदि में रख कर पकाने के पश्चात् खाने योग्य हो सकते हैं। इनके तोड़ने का समय हो गया है। ये फल अभी बहुत कोमल हैं, क्योंकि इनमें अभी तक गुठली नहीं पड़ी है और ये फल खण्ड-खण्ड करके खाने योग्य हैं। विवेकशील साधु इस प्रकार की सावद्य भाषा न बोले। किन्तु, आवश्यकता पड़ने पर वह इस प्रकार कहे कि ये वृक्ष फलों के भार से नमू हो रहे हैं। अर्थात् ये उनका भार सहन करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। ये वृक्ष बहुत

फल दे रहे हैं। ये फल बहुत कामल है, क्योंकि अभी तक इनमें गुठला नहीं पड़ी है, इत्यादि। साधु इस प्रकार को पाप रहित सयत भाषा का व्यवहार करे।

सयमशील साधु अथवा साध्वों बहुत परिमाण में उत्पन्न हुई औषधियों को देख कर उनके सम्बन्ध में भी इस प्रकार न कह कि यह औषधि (घाय विशेष) पक गई है। यह अभी नौली अर्थात् कच्चा या हरी है। यह काटने योग्य या भूजने या खाने योग्य है। साधु इस प्रकार की सावध यावत जीवोपघातिनी भाषा को न बोले। किन्तु, अधिक परिमाण में उत्पन्न हुई औषधियों को देख कर यदि उनके सम्बन्ध में बोलने की आवश्यकता है तो साधु इस प्रकार बोले यह अभी अमुरित हुई है। यह औषधि अधिक उत्पन्न हुई है। यह स्थिर है और यह बीजा में भरी हुई है यह सरभ है। यह अभी गर्भ में ही है या उत्पन्न हो गई है। साधु इस प्रकार की असावध-निष्ठा भाषा का व्यवहार करे।

हिंदी विद्वान

प्रस्तुत सूत्र में भाषा के प्रयोग में विशेष सावधानी रखने का आदेश दिया गया है। साधु चाहें मन्त्र पठाना या सम्बन्ध में कुछ कहे या निर्वचन पठाना वे सम्बन्ध में कुछ बोलें परन्तु, उसे इस बात का सदा ख्याल रखना चाहिए कि उमने बोलने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। अत्यन्त गर्म मित्र भाषा की तरह दूधर जीवों की हिमा का कारण बनने वाली भाषा भी, बने ही। यह सत्य भी क्या न हो साधु के बोलने योग्य नहीं है। अतः भाषा समिति में ऐसे शब्द बोलने का भी निषेध किया गया है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी जीव की हिमा की प्रेरणा मिलनी हो या हिमा का समर्थन होता हो।

साधु प्राणी मात्र का रक्षक है। अतः बोलने समय उसे प्रत्येक प्राणी के हित का ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तुत सूत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि साधु को किसी गाय-भैंस, मूंग आदि पशु पक्षादि चतुर्भुज तथा यास्यति (पेड़ गीचा) आदि के सम्बन्ध में भी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें इन जीवों को किसी तरह का कष्ट पड़े। किसी भी पशु पक्षी के मातापिता को दंग कर साधु को यह नहीं करना

चाहिए कि इस स्थूल काय जानवर में पर्याप्त चर्बी है, इसका मांस स्वादिष्ट होता है, यह पका कर खाने योग्य है या यह गाय दोहन करने योग्य है, यह बैल गाड़ी में जोतने या हल चलाने योग्य है और इसी तरह ये पक्व फल खाने योग्य हैं या इन्हें घास में रखकर पकाने के पश्चात् खाना चाहिए, या यह धान या औषधि पक गई है, काटने योग्य है या उन वृक्षों की लकड़ी महलों में स्तम्भ लगाने, द्वार बनाने, आर्गला बनाने के लिए उपयुक्त है या तोरण बनाने या कुए से पानी निकालने या पानी रखने का पात्र, तख्त, नौका अदि बनाने योग्य है, आदि सावद्य भाषा का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साधु को भाषा के प्रयोग में सदा विवेक रखना चाहिए और सत्यता के साथ जीवों की दया का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे मदा निष्पापकारी सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'उदगदोण जोगाईया' एक पद है और इसका अर्थ है— कुए आदि से पानी निकालने या पानी रखने का काष्ठ-पात्र। दशवैकालिक सूत्र में भी इस का एक पद में ही प्रयोग किया है ॥ इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सूत्र में 'रूवाइ वा, थिराइ वा रविमयाइ वा' आदि पदों में जो बार-बार 'इ' का प्रयोग किया गया है, वह पाद पूर्ति के लिए ही किया गया है। ॥

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्र ढार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० तहप्पगाराइं सद्दाइं सुणिज्जा तहावि
एयाइं नो एवं वइज्जा तंजहा-सुसद्देत्ति वा दुसद्देत्ति वा एयप्प-
गारं भासं सावज्जं नो भासिज्जा ॥ से भि० तहावि ताइं एवं वइ-
ज्जा, तंजहा-सुमद्दं-सुसद्दित्ति वा दुसद्दं दुसद्दित्ति वा एयप्पगारं
असावज्जं जाय भासिज्जा, एवं रूवाइं किण्हेत्ति वा ५ गंधाइं
सुरभिगंधित्ति वा २ रसाइं त्तिताणि वा ५ फासाइं कक्ख-

॥ अलं पासायखभाण, तोरणणि गिहाणिअ ।

फलह अगल नावाण, अल उदगदोणिण ॥

—दशवैकालिक सूत्र, ७, २७ ।

‡ इ, जे, राः पादपूर्णे अर्थात् इकार, जकार और रकार यह तीनों अव्यय पादपूर्ति के लिए हैं ।

—प्राकृत व्हाकरण, पा० २, सू० २१७ ।

हाणि वा ८ ॥१३६॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तथाप्रकारान् गन्धान्शृणुष्वान् तथापि एतान् नैव वदेत्, तथा—सुशब्द इति वा दु शब्द इति वा एतन्प्रकारा माया सावधा नो भावेत् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तथापि तान् एव एतन् तद्यथा सुशब्द सुशब्द इति वा दुशब्द दु शब्द इति वा, एतत् प्रकारां अभावघा यावत् भावेत्, एव रूपाणिकृष्णइति वा ५ गन्धान् सुरभिगन्ध इति वा २ रसान् तिक्त्तइति वा ५ स्पर्शान्—कर्कश इति वा ८ ।

पदाय—से—वह । भिक्षु वा २—साधु या साध्वी । तदप्यगाराइ—तथा प्रकार के । सदाइ—गर्बों की । सुनिज्जा—सुने और सुनकर । तहावि—तथापि । एयाई—इनके सम्बन्ध में । एव—इस प्रकार । नो वदन्ना—न बोल । तजहा—जसे कि । ससदेति वा—सुन्दर शब्द सुनकर बोलने वाले के प्रति राग भाव लाकर यह कहना प्राप्त करने यह बहुत अच्छा कहा यह बड़ा मङ्गलकारी है तथा । इसदेति वा—तु गुरु गुरु की मून कर बोलने वाले के प्रति द्वेष भाव लाकर यह कहना- तुमने बहुत बुरा कहा, यह बन्ना ही अनिष्टकारी है । एपप्यगार—इस प्रकार की । सावज्जं—सावध । मास—माया की । नो मासिज्जा—न बोल । से मि०—वह साधु या साध्वी गर्बों को सुनता हुआ । तहावि—तथापि । ताइ—उन गर्बों के सम्बन्ध में । एव—इस प्रकार । वदन्ना—बोले । तजहा—जसे कि । सुसद्—सुगन्ध—सुन्दर गन्ध की । सुसदिति वा—यह सुन्दर शब्द है इस प्रकार कह तथा । वसद्—दुष्ट शब्द की । इसदिति वा—यह दुष्ट शब्द है इस प्रकार वहे । एपप्यगार—इस प्रकार की । प्रसावज्जं—प्रसावद्य निष्पाप । जाव—यावत् भाया का । मासिज्जा—बोलने । एव—इसी प्रकार । रुवाइ—रूप के विषय में । किन्हेति वा—कृष्ण की कृष्ण यावत् यन् वा श्वेत कहे । गवाइ—गन्ध के विषय में । सुरभिगधिति वा—सुगन्ध की सुगन्ध और दुग्न्ध को दुग्न्ध कह । रसाइ—रसादि के विषय में भा । तिक्त्तानि वा—तिक्त की तिक्त यावत् मधुर की मधुर कह । फासाइ—स्पर्श के विषय में । कर्कशहाणि वा—कर्कश यावत् मृत् की मृत् वहे तापय कि जो पदाय जिस तरह का ही उसको उसी प्रकार का बतलाए ।

मूलाय—सयमशौल साधु साध्वी किसी भी शब्द को सुनकर वह किसी भी सुशब्द को दु शब्द अर्थात् शोभनीय शब्द को अशोभनीय एवमागलिक को अमामलिक न कहे । किन्तु सुशब्द अच्छे शब्द को सुन्दर

और दुःशब्द को दुःशब्द और असुन्दर शब्द को असुन्दर ही कहे । इसी प्रकार रूपादि के संबन्ध में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए । कुरूप को कुरूप और सुन्दर को सुन्दर तथा सुगन्धित एवं दुर्गन्धित पदार्थों को क्रमशः सुगन्ध एवं दुर्गन्ध युक्त तथा कटु को कटुक और कर्कश को कर्कश कहे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु को १ वर्ण, २ गन्ध, १ रस और २ स्पर्श के सम्बन्ध में कौसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए । इसमें स्पष्ट बताया गया है कि साधु को जैसे वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का पदार्थ हो उससे विपरीत नहीं कहना चाहिए । राग-द्वेष के वश अच्छे पदार्थ हो उससे विपरीत नहीं कहना चाहिए । राग-द्वेष के वश अच्छे पदार्थ को बुरा और बुरे पदार्थ को अच्छा नहीं बताना चाहिए । कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुरूपवान व्यक्ति को सुन्दर एवं रूप सम्पन्न को कुरूप बताने का भी प्रयत्न करते हैं । परन्तु, राग-द्वेष एवं स्वार्थ से ऊपर उठे हुए साधु किसी भी पदार्थ का गलत रूप में वर्णन न करे । उसे सदा सावधानी पूर्वक यथार्थ एवं निर्दोष वचन का ही प्रयोग करना चाहिए । वर्ण की तरह गन्ध, रस एवं स्पर्श के सम्बन्ध में भी यथार्थ एवं निर्दोष भाषा का व्यवहार करना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा० वंता कोहं च माणं च मायं च
लोभं च अणुवीड् निट्ठाभासी, निसम्मभासी, अतुरियभासी,
विवेगभासी समियाए संजए भासं भासिज्जा ॥५॥ एवं खलु०
सया जइ० त्तिवेमि ॥१४०॥

छाया—स भिक्षुः भिक्षुकी वा वान्त्वा क्रोधं च मानं च मापां च लोभं च

❧ समिक्षुर्गन्धप्येतान् शब्दान् शृणुयात् तथापि नैवं वदेत् तद्यथा शोभनः शब्दोऽपीभनो वा माग-
लिको ऽमागलिको वा, इत्ययं न व्याहर्तव्यः । विपरीतंत्वाह—यथावस्थितशब्दप्रज्ञापनाविषये एतद्
वदेत्, तद्यथा—“सुसद्दति” शोभनं गद्वंशोभनमेवन्नूयाद् अगाभनत्वशोभनमिति ॥ एवंरूपादिसूत्र-
मभिनेयम् । (वृत्तिकार)

अनुविचिन्त्य निष्ठा भाषी निशम्यभाषी अवरितभाषी विव्रभाषी समित्या सयत भाषा भाषेत ५ । एष यत्तु तस्य भित्तो ७ मामग्र्य यन्मार्ग्य ममित्या सहित मदा यतेत इति त्रयीमि ।

प्राग्य—से छिन्न सू ०—य साधु या साध्वी । कोठ च—प्राय वा । माग च—मान वा । माय च—माया कपय युक्त व्यवहार वा । लोभ च—लोभ की । यत्त—बनन—प्राय करने शीर । प्रगवीह—विचार पूर्वक पत्राचोचन करत । निष्ठाभासी—एकान्त-मवषा द्रमावद्य बचन बोलने वाला । निशम्य भासी—हृदय में प्रत्येक विचार कर भावना करन बापा । अतु यभासी—सम्भान कर मन मन बोलनवाता शीर । विवग भासी—विवक पूर्वक बोलन वाला । सजए—साधु । समियाए—भाषामिति युक्त । नाम—भाषा का । मासिज्ञा—बोल । एष सत्तु—इम प्रकार निश्चय ही । तस्त—उम । निशदुस्त २—साधु शीर साध्वी का यह । सामगिय—ममग्र-सम्पन्न आचार है । जस्त-वशुह—जा जान दि प्रयो स तथा । सनिए—पाव सतिनिपा स । सहिए—युक्त है अत वह । सदा—मग मव काल में उक्त आचार का परिपालन करन का । जएज्ञासि—यत्न कर । त्तिरेमि—इय प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करने वाला, एकांत निरवद्य भाषा बोलने वाला, विचार पूर्वक बोलने वाला शने २ बोलने वाला और विवक पूर्वक बोलने वाला सयत साधु या साध्वी भाषा समिति में युक्त मयत भाषा का व्यवहार कर । यही साधु और साध्वी का ममग्र आचार है । इम प्रकार में कहना हू ।

द्विती विचन

प्रस्तुत सूत्र में भाषा अध्ययन का उपसंहार करते हुए बताया गया है कि साधु को क्रोध मान, माया और लोभ का परित्याग करने भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसे बहुत शीघ्रता से भी नहीं बोलना चाहिए । क्योंकि, वह क्रोधात्ति त्रिकार के वश मूठ भी बोल सकता है और अधियक एव शीघ्रता से भी अस्त्य भाषण का होना सम्भव है । अत विवेकशील एव मयम निष्ठा साधक को कपायों का त्याग करके गम्भीरता पूर्वक विचार करके धीरे धीरे बोलना चाहिए । इम तरह साधु को सोच विचार पूर्वक निरवद्य निष्ठापत्रारी मधुर, प्रिय एव यथार्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए ।

त्तिरेमि' की व्याख्या पूर्वोक्त समर्थों ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ चतुर्थ अध्ययनसमाप्त ॥

पंचम अध्यायन—वस्त्रोपपत्ति

प्रथम उद्देशक

चतुर्थ अध्यायन में भाषा समिति से सम्बद्ध विषय पर प्रकाश डाला गया है । प्रस्तुत अध्यायन में यह बताया गया है कि भाषा समिति में प्रवृत्तशील साधु-साध्वी को किस तरह से और कैसा वस्त्र ग्रहण करना चाहिए । इस अध्यायन के दो उद्देशक हैं, पहले उद्देशक में वस्त्र ग्रहण करने की विधि तथा द्वितीय उद्देशक में वस्त्र धारण करने का उल्लेख किया गया है । वस्त्र भी द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का बताया गया है । द्रव्य वस्त्र तीन प्रकार का बताया गया है— १-एकेन्द्रिय जीवों के शरीर में निर्मित कपास, (Cotton) सख (Jute) आदि के वस्त्र, २-विकलेन्द्रिय जीवों के बनाए गए तारों से निष्पन्न रेशमी (Silk) वस्त्र और ३-पञ्चेन्द्रिय जीवों के बालों से बनाए गए ऊन (Woollen) के वस्त्र या कम्बल आदि । और ब्रह्मचर्य के अठारह सहस्र गुणों को धारण करना भाव वस्त्र कहलाता है । वस्त्र दूसरों के एवं अपने मन में विकृति पैदा करने वाले गुणतान्त्रों को आवृत्त करने तथा शीत-ताप से बचाने के लिए एक उपयोगी साधन है । इसी तरह मानव मन में उठने वाले विकारी भावों का क्षय या क्षयोपशम करने तथा साधक को विकारों के शीत-तापमय व अनुकूल-प्रतिकूल आघातों से बचाने के लिए १८ हजार शीलांग गुण सर्वश्रेष्ठ साधन है, आत्म विकास में अत्यधिक सहयोगी हैं, इसी कारण इन्हें भाव वस्त्र कहा गया है । परन्तु, प्रस्तुत अध्यायन में द्रव्य वस्त्रों के सम्बन्ध में ही विचार किया गया है । क्योंकि, याचना द्रव्य वस्त्र की ही की जाती है, भाव वस्त्र की नहीं । आत्मा में स्थित अनन्त चौर्य ही भाव वस्त्र है और उसकी प्राप्ति मांग कर नहीं, प्रत्युत आत्म साधना से ही की जा सकती है । इस लिए सूत्रकार इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ नहीं कह कर, यह बताते हैं कि साधक को कैसे वस्त्र की याचना करनी चाहिए । साधु के लिए कल्पनीय वस्त्रों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—से मि० अभिकंखिजा वत्थं एसित्तए, से जं
पुण वत्थं जाणिजा, तंजहा—जंगियं वा भंगियं वा साणियं
वा पोत्तगं वा खोमियं वा तूलकडं वा, तहप्पगारं वत्थं वा

जे निग्गये तरुणे जुगण वलमं यप्पायक थिरसवयणे से एग
 वत्थ धारिज्जा नो वीय, जा निग्गयी मा चत्तारि सघाडीयो
 धारिज्जा, एग दुहत्थवित्थार दो त्तिहत्थवित्थारायो एग
 चउहत्थवित्थार, तहप्पगारंदि वत्थेहिं यमधिज्जमाण्हि, यह-
 पच्छा एगमेग ममिविज्जा ॥१४१॥

ध्याया—स मिल्हया भिक्षुकी या अभिजाक्षेत् उस्त्रमपित (अन्वेष्युम्) न
 यत् पुन उस्त्र जानीयात् तत्रया जागमिस्स या भागिस्स या माणिक वा पोतस्स
 वा चौमिस्स य त्त्वल्हृत वा तथाप्रकार उस्त्र या यो निग्रन्थ तहण युमान्
 उल्लवान् अत्तातस्स स्थिरमहनन म एस्स वस्स धारयेत् नो द्वितीय, या
 निर्ग्रन्थी मा चास्स मग्गाटिका धारयेत् एका द्विद्वन्विस्तारा, द्व त्रिहस्त
 विस्तारे एका चतुहस्तविस्तारा, तथाप्रकारे उस्त्रे अमदीयम नै अय
 परचात् षट्मकन समीव्येत् ।

पत्तय—स—वह । मिक्खू वा०—माधु या माध्वी । वरय वस्त्र की । एतित्तप—
 एषणा । अमिकलिस्सजा—या मग्गणा करनी च हे तो । से—वत्—साधु । ज—जो । पण—
 फिर । वत्थ—वस्त्र क विषय म । जाणिज्जा—इस प्रकार जाने । तजहा—जस कि ।
 जणिय वा—जङ्गम जीवा स उत्पन्न हुआ (ऊर्ध्व प्राणि की ऊर्ध्व म वना हुआ) प्रपवा । नणिय
 वा—विकृत जीवा क त दुष्टी से बना हुआ र (नी वस्त्र या । साणिय वा—मण (Jute)
 तथा वरुण प्राणि स निर्गत वस्त्र । पात्तय वा—या तात् पण प्राणि से बना हुआ वस्त्र ।
 लोमिय वा—जवाग प्रादि स बनाया गया वस्त्र या । मूलकड वा—पाव प्राणि की तूली रुद्र
 म बना हुआ वस्त्र । तहप्पगार—तथा प्रकार क अर । वरय—वस्त्र का भी । धारिज्जा—
 धारण करे । जे निग्गये—जो निग्गय । तग्गे—तच्छण युवावस्था म है तथा । जगव—तोमरे
 या चौद द्वार का न मा हुआ है । चलव—व्यवधान । अक्कयके—राम रत्न घोर । धिर-
 सवयण—महान वाता है । से—वह । एग वय—एक वस्त्र का । धारिज्जा—धारण
 कर । नो वीय—दुग्गा मग्ग धारण न करे । जा निग्गयो—घोर जो माध्वी है । सा—वत् ।
 चत्तारि सघाडाओ धारिज्जा—चार चार धारण करे । एग—एक चादर । दुहत्थवित्थार—
 या हाथ प्रमाण चीनी हा । दो निद्वन्विस्तारा—या चार तीन हाथ प्रमाण चीनी हा घोर ।

एग—एक । चउह्स्थदित्थार—चार हाथ प्रमाण चौड़ी हो । सहएपगारेहि—तथाप्रकार के १
वत्थेहि—वस्त्रों के । असविज्जमाणेहि—पृथक्-पृथक् न मिलने पर । अह—अथ । पच्छा—
पश्चात् । एगमेये—एक को एक के साथ । ससिचिज्जा—सी ले ।

मूलार्थ—सथमशील साधु तथा साध्वी यदि वस्त्र की गवेषणा करने
की अभिलाषा रखते हो तो वे वस्त्र के सम्बन्ध से इस प्रकार जानें कि—
उन का वस्त्र, विकलेन्द्रिय जीवों की लारों से बनाया गया रेशमो वस्त्र,
सन तथा बल्कल का वस्त्र, ताड आदि के पत्तों से निष्पन्न वस्त्र और
कपास एवं आक की तूलों से बना हुआ सूती वस्त्र एवं इस तरह के
अन्य वस्त्र को भी मुनि ग्रहण कर सकता है । जो साधु तरुण बलवान,
रोग रहित और दृढ़ शरीर वाला है वह एक ही वस्त्र धारण करे, दूसरा
न धारण करे । परन्तु साध्वी चार वस्त्र-चादरें धारण करे । उसमें एक-
चादर दो हाथ प्रमाण चौड़ी, दो चादरें तीन हाथ प्रमाण और एक चार हाथ
प्रमाण चौड़ी होनी चाहिए । इस प्रकार के वस्त्र न मिलने पर वह एक
वस्त्र को दूसरे के साथ सी ले ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु ६ तरह का वस्त्र ग्रहण कर सकता
है— १-जांगिक-जंगम-चलने-फिरने वाले अंड, भेड़ आदि जानवरों के बालों से बनाए
हुए उन के वस्त्र, २-भंगिय-विभिन्न विकलेन्द्रिय जीवों की लार से, निर्मित तन्तुओं से
निर्मित रेशमी (Silk) वस्त्र, ३-साणिय-तरुण (Jute) या बल्कल से बना हुआ वस्त्र,

ॐ एक तरह का वस्त्र, पाट का बना हुआ वस्त्र ।

—प्राकृत शब्द महार्णव, पृ० ७६२ ।

भंगिय (भांगिक = भंगयाइवम्) सन का वस्त्र, कीड़े की लार के रस के द्वारा
बना हुआ पन्ना ।

—अष्ट मागधी कोष, भा० ४, पृ० २ ।

भंगिय = अस्तनीमयं अर्थात् अलनों का बना हुआ वस्त्र ।

—स्यानाङ्ग सूत्र, वृत्ति (आचार्य अभयदेव सूत्रि)

भंगिय शब्द का रेशमी वस्त्र अर्थ भी होता है और आजकल एक ऐसा रेशमी वस्त्र

४ पोत्तन ताड पत्रो क रेशा से बनाया हुआ वस्त्र ५ रोमिय रुपास से निष्पन्न वस्त्र और ६ तूलकडे आरु के डोडों में से निकलने वाली रुई से बना हुआ वस्त्र। इन ६ तरह के वस्त्रों में मभा तरह के वस्त्रों का समावेश हो जाता है। अब यह इनमें से किसी भी तरह का वस्त्र ग्रहण कर सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में साधु और साध्वी के लिए वस्त्रों का परिमाण भी निश्चित कर दिया गया है। यदि साधु युवक, निरोगी, शक्ति सम्पन्न एवं ऋष्टि पुष्ट शरीर वाला हो तो वह एक वस्त्र ही ग्रहण कर सकता है, स्त्रियाँ नहीं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म, कमनोर, रोगी एवं जनरित शरीर वाला साधु एवं से अधिक वस्त्र भी रख सकता है।

साध्वी के लिए चार वस्त्रों (चादरों) का विधान किया गया है। उसमें एक चादर दो हाथ की हो, दो चार तीन-तीन हाथ की हो, और एक चार हाथ की हो। साध्वी को उपाश्रय में रहने समय दो हाथ वाली चादर का उपयोग करना चाहिए, गोची एवं जङ्गल आदि जहाँ समय तीन-तीन हाथ वाली चादरों को क्रमशः काम में लेना चाहिए और अजशिश्ट चीथी (चार हाथ वाली) चादर को व्याख्यान के समय ओढ़ना चाहिए। उसका तात्पर्य इतना ही है कि आहार आदि के लिए स्थान से बाहर निकलते समय एवं व्याख्यान में परिपक्व के सामने बैठते समय साध्वी अपने अधिनाश अङ्गो-पाङ्गों को आवृत करके बैठ, निमस उर्ध्व देगकर किसी के मन में विकार भाव जागृत न हो।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस समय भारतीय शिल्पकला एवं वस्त्र उद्योग पर्याप्त उन्नति पर था। वस्त्रों के महयोग के विना ही विभिन्न तरह के सुन्दर, आकर्षक एवं मञ्जुत वस्त्र बनाए जाते थे। अग्नेयों के भारत में आने के पूर्व यहाँ से प्रकृति वाली मलमल इतनी बारीक होती थी कि ० गज की मलमल का पूरा धान एक त्रास की नली में समाविष्ट किया जा सकता था। आगम में भाँसे वस्त्राभूषणों का उल्लेख मिलना है, जो वस्त्रों में हलके और नरमूय होते थे। इससे उस युग की शिल्पकला की उन्नति का स्पष्ट परिचय मिलना है।

भी मिलने लगा है जिसके कारण कीचो की धारणा नहीं पड़ना। इन स्त्रियों का रोगम कहने है। यह रोग की बीड़ा स प्रकृत होना है। यह बीड़ा इगहा निर्माण करन के बाद स्वतः बाहर निकल जाते हैं। यह रुई की तरह होता है और उसी तरह बात कर समाधाया बनाया जाता है। यह भी भगिय वस्त्र कह सकते हैं। परंतु, साधु के लिए धनवी का बना हुआ वस्त्र यह धन करना युक्ति मगन प्रतीत होता है। —वस्त्र

इस (वस्त्र के) विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—से भि० पर अद्भुजोयणमेराए वस्थपडिया० नो
अभिसंधारिज्जा गमणाए ॥१४२॥**

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा परमर्द्धयोजनमर्यादायाः वस्त्र प्रतिज्ञया
नो अभिसन्धारयेत् गमनाय ।

पदार्थ—से भिखू वा—वह साधु या साध्वी । वस्थ पडिया—वस्त्र की याचना
करने हेतु । अद्भुजोयणमेराए—प्राधे योजन की मर्यादा मे । परं—आगे । गमणाए—जाने
का । नो अभिसन्धारिज्जा—विचार न करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी को वस्त्र की याचना करने के लिए आधे
योजन से आगे जाने का विचार नहीं करना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वस्त्र ग्रहण करने के लिए क्षेत्र मर्यादा का उल्लेख किया गया है ।
साधु या साध्वी को आधे योजन से आगे के क्षेत्र में जाकर वस्त्र लाने का संकल्प भी
नहीं करना चाहिए । जैसे आगम में साधु-साध्वी को आधे योजन से आगे का लाया
हुआ आहार-पानी करने का निषेध किया गया है^१, उसी तरह प्रस्तुत सूत्र में क्षेत्र का
अतिक्रान्त करके वस्त्र ग्रहण करने का भी निषेध किया गया है ।

वृत्तिकार ने इस पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है, उन्होंने केवल शब्दों का
अर्थ मात्र किया है । यह नहीं बताया कि यह आदेश सामान्य सूत्र से सम्बद्ध है वा
अभिग्रह विशेष से ।

इस विषय पर और प्रकाश डालते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—से भि० से जं० अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं
समुद्दिस्स पाणाइं जहा पिंडेसणाए भाणियव्वं ॥ एवं वहवे
साहम्मिया एगं साहम्मिणिं वहवे साहम्मिणीओ वहवे समण-**

माहण० तद्देव पुरिसतरकडा जहा पिडेमणाए ॥१४३॥

ध्याया—स भिक्षुः भिक्षुः वा यत् । स अन्नप्रतिपत्त्या एक मासिक
समुद्दिश्य प्राणानि यथा पिडपणाया (तथैव) भणितव्यम् । एत उक्तं माधु
मिना एका मासिणी प्रहण मासिण्यं च ह्य श्रमण ब्राह्मण० तथैव
पुस्तान्तरकृता यथा विण्डैपणायाम् ।

वदाय—से भि०—वह सधु या साध्वी । एत—अन्न के विषय में इस प्रकार
जान । अस्ति पिडपणाए—जिम्के पास धन नहीं है उसकी प्रतिज्ञा से । एण—एक । साहम्मिय—
साधमिक का । समुद्दिश्य—उद्देश्य रख कर । पाण्डु—प्राणियों की हिंसा करके । जहा—
जहाँ । पिडपणाए—पिडपणा ग्रन्थ में आहार विषयक वचन किया गया है, ठीक उसी प्रकार
इस स्थान में वस्त्र विषयक । भाणियं—वचन कहना चाहिए । एव—इसी प्रकार । बह्वे
साहम्मिया—बहुत से साधमी साधु । एण साहम्मिय—एक साधमिणी साध्वी तथा । बह्वे
साहम्मिणीओ—बहुत सी साध्वी धीर । बह्वे समण माहण—बहुत से श्रमणों श्रमण धीर
ब्राह्मणों । तद्देव—उसी प्रकार । पुरिसतरकडा—पुरुषान्तर कृत । जहा—जहाँ कि— ।
विण्डैपणाए—पिडपणा ग्रन्थ में कहा गया है ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी को वस्त्र के विषय में यह जानना
चाहिए कि जिम्के पास धन नहीं है उसकी प्रतिज्ञा से कोई व्यक्ति एक या
अनेक साधु या साध्वी के लिए प्राण भूत आदि की हिंसा करके वस्त्र
तैयार करे तो साधु—साध्वी को वह वस्त्र नहीं लेना चाहिए । यदि वह
बहुत से शाक्य आदि श्रमण-ब्राह्मणों के लिए तैयार किया गया है और वह
पुरुषान्तर ही गया तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है । यह सारा प्रकरण
विण्डैपणा के प्रकरण की तरह समझना चाहिए ।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी को आघात आदि दोष युक्त
वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि किसी व्यक्ति ने एक या अनेक साधु या साध्वी
और अनेक साधियों को उद्देश्य करके वस्त्र बनाया हो तो साधु साध्वी को वह वस्त्र
ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि वह वस्त्र किसी शाक्य आदि श्रमण या ब्राह्मण के लिए

घनाया गया हो, परन्तु पुरुषान्तर कृत नहीं हुआ हो तो वह वस्त्र भी स्वीकार न करे। यदि वह पुरुषान्तर कृत हो गया है तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। वस्त्र ग्रहण करने या न करने की सारी विधि आहार ग्रहण करने की विधि की तरह ही है। अतः सूत्रकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकरण को पिडैपणा के प्रकरण की तरह समझना चाहिए। अर्थात् साधु को सदा निर्दोष वस्त्र ही ग्रहण करना चाहिए।

अब उत्तर गुणों की शुद्धि को रखते हुए वस्त्र ग्रहण की मर्यादा का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० से जं० असंजए भिक्षुपडियाए कीयं
वा धोयं वा रत्तं वा घट्टं वा मट्टं वा संपधूमियं वा तहपगारं
वावत् नो प्रतिगृहणीयात् । अथ पुनरेव जानीयात् पुरुषान्तरकृतं यावत्
प्रतिगृहणीयात् ॥१४४॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यन् असंजतः भिक्षुप्रतिज्ञया क्रीत वा धौत
वा गृक्त वा घृष्ट वा मृष्ट वा सम्प्रधूपितं वा तथाप्रकारं वस्त्रं अपुरुषान्तर कृत
यावत् नो प्रतिगृहणीयात् । अथ पुनरेव जानीयात् पुरुषान्तरकृतं यावत्
प्रतिगृहणीयात् ।

पदार्थ—से भि०—वह साधु या साध्वी । से जं०—वस्त्र के विषय में फिर यह जाने कि ।
असंजए—असंजत-गृहस्थ ने । भिक्षुपडियाए—साधु के लिए यदि । कीयं वा—वस्त्र मोल लिया हो ।
धोय वा—धोकर रखा हो । रत्तं वा—रङ्ग कर रखा हो । घट्टं वा—घिसा हो । मट्टं वा—
भमला हो और । संपधूमिय वा—धूप से सुवासित किया हो तो । तहपगारं तथा प्रकार
के । वर्यं—वस्त्र को । अपुरिसतरकड—जो कि पुरुषान्तर कृत नहीं है । जाव—यावत् ।
नो—ग्रहण न करे । अह पुण—और यदि जह जाने कि- । पुरिस—पुरुषान्तर कृत है तो ।
जाव—यावत् । पडिगाहिज्जा—ग्रहण कर ले ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी को वस्त्र के विषय में यह
जानना चाहिए कि यदि किसी गृहस्थ ने साधु के लिए वस्त्र खरीदा हो,
धोया हो, रंगा हो, बिस कर साफ किया हो, शृगारित किया हो या धूप
आदि से सुगन्धित किया हो और वह पुरुषान्तरकृत नहीं हुआ है तो साधु-

माध्वा उसे ग्रहण न करे। यदि वह पुरुषान्तर कृत हो गया है तो माधु साध्वी उसे ग्रहण कर सकते हैं।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र म उत्तर गुण म लगने वाले दोषो से नरने का आद्ग दिया गया है इस म बताया गया है कि जो वस्त्र माधु के लिए खरीदा गया हो, धोया गया हो, रङ्गा गया हो, अन्धो तरह से रगड़ कर साफ किया गया हो, शृङ्गारित किया गया हो या धूप, आदि से सुगन्धित बनाया गया हो तो साधु को वैसा वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह का वस्त्र पुरुषान्तर कृत हो गया हो तो साधु उसे ग्रहण कर सकता है। इससे स्पष्ट होना है कि जो वस्त्र मूल से माधु के लिए ही तैयार किया गया हो उसे साधु किसी भी स्थिति परिस्थिति में खरीद कर न करे—चाहे वह पुरुषान्तर कृत हो या न हो, हर हालत में वह अस्वल्पनीय है। परन्तु, जो वस्त्र मूल से साधु के लिए नहीं बनाया गया है, परन्तु उसने तैयार होने के बाद साधु के निमित्त उसमें कुछ विशेष क्रियाएँ की गई हैं। ऐसी स्थिति में साधु उसे तब तक स्वीकृत नहीं कर सकता, जब तक कि वह पुरुषान्तरकृत नहीं हो गया है। यदि किसी व्यक्ति ने उसे अपने उपयोग में ले लिया है, तो फिर साधु उसे ले भी सकता है।

इस वस्त्र प्रकरण को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

❧ साधु के लिए खरीदा गया वस्त्र साधु को नही नही कल्पना। परन्तु, यदि उसका किसी व्यक्ति ने अपने लिए उपयोग कर लिया हो तो फिर वह वस्त्र साधु के लिए अस्वल्पनीय नही रहता है।

यह पाठ तीना काव व साधुओं को दृष्टि में रख कर रखा गया है। क्योंकि भगवान् अजितनाथ म लेकर शान्तिनाथ तक के साधु-साध्वी पांचा रङ्ग के वस्त्र ग्रहण कर सकते थे। या उसका उद्देश्य किसी ऐसे रङ्ग म है जो श्रमान्तर का तुरन्त उड़ जाता हो। जब—आजकल कुछ मण्डल एवं इतर रंगीन होते हैं और वस्त्र पर लगात समय उनका घुसला सा रंग भी आता है परन्तु वह तुरन्त उड़ जाता है। उनका प्रयोग कबल सुगन्ध के लिए किया जाता है।

❧ पहले से जल-हे धूप म उस वस्त्र को रख कर सुगन्धित किया गया हो ऐसा प्रतीत होता है।

मूलम्—से भिक्खू वा २ से जाइं पुण वत्थाइं जाणिज्जा, विरूवरूवाइं महद्धणमुल्लाइं. तंजहा-आईणगाणि वां सहिणाणि वा सहिणकल्लाणाणि वा आयाणि वा कायाणि वा खोमियाणि वा दुग्गुल्लाणि वा पट्टाणि वा मलयाणि वा पन्नुन्नाणि वा अंसुयाणि वा चीणंसुयाणि वा देसरागाणि वा अमिलाणि वा गजफलाणि वा फालियाणि वा कोयवाणि वा कंवल्गाणि वा पावराणि वा, अन्नयराणि वा तह० वत्थाइं महद्धणमुल्लाइं लाभे संते नो पडिगाहिज्जा ॥

से भि० आइरणपाउरणाणि वत्थाणि जाणिज्जा तं०— उदाणि वा पेसाणि वा पेसलाणि वा किण्हमिगाईणगाणि वा, नीलमिगाईणगाणि वा गोर मि० कणागाणि वा कणागकंताणि वा कणागपट्टाणि वा कणागखइयाणि वा कणागफुसियाणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा (विगाणि वा) आभरणाणि वा आभरणविचित्ताणि वा, अन्नयराणि तह० आईणपाउरणाणि वत्थाणि लाभे संते नो० ॥१४५॥

छाया—स भिच्छुर्वा भिच्छुकी वा म यानि पुनः वस्त्राणि जानीयात् विरूपरूपाणि महाधनमूल्यानि, तद्यथा आजिनानि वा रत्नक्षानि वा रत्नक्षणकल्याणानि वा आजकानि वा कायकानि वा दौमिकानि वा दुकूलानि वा पट्टा-

नि वा मलयानि वा प्रसुन्नानि वा अशुभानि वा चीनाशुभानि वा टेंग
गगाणि वा अमिलानि वा गज्जफलाणि वा फालिकानि वा शोषवानि वा
उम्बलानि वा प्राशराणि वा अन्यतराणि वा तथाप्रकाराणि वा वस्त्राणि वा
महाघनमूल्यानि लाभे मति न प्रतिगृह्णीयात् ॥

म भिक्षुर्वा भिक्षुसी वा आचिनप्राशराण्यानि वस्त्राणि जानीयात्, तद्यथा
उट्टाणि वा पैमानि वा पैगलानि वा कृत्स्नमृगाचिनानि वा नीलमृगाचिनानि
वा, गौरमृगाचिनानि वा रनकानि वा रनकमान्तीनि वा रनकपट्टानि वा
रनकप्रचितानि वा रनकपृष्ठानि वा व्याघ्राणि वा व्याघ्रचर्मत्रिचित्रितानि
वा आभरणाणि वा आभरणविचित्राणि वा अन्यतराणि तथाप्रकाराणि वा-
चिनप्राशराणानि वस्त्राणि लाभमति नो प्रतिगृह्णीयात् ।

पदाव—से भिक्षु वा०—वह साधु या साध्वी । से जड़ पुण वस्तुनि—जिन वस्तु
के विषय में । आणिजा—जान । विस्वरुवाइ—नाता प्रकार क । महद्वण मुल्ला—बहुमूल्य
वस्त्र । त०—जसे कि—। आणियाणि वा—सूयक आदि के चम से निष्पन्न । साहियाणि
वा—एक प्रत्यक्ष मूदन । सहिणकुल्लाणाणि वा—सूयक धोने कल्याणकारी । आयाणि वा—
भेड वा भड के सूयक रीतों से निमित्त वस्त्र । कयाणि वा—एक नील वर्ण का कपान से
निष्पन्न । सोमियाणि वा—सामान्य कपान से बनाया गया वस्त्र । दुगुत्ताणि—गौर देव से
उत्पन्न होने वाला विविध प्रकार की कपान से निष्पन्न । पट्टाणि—पट्टमूत्र—रेगन से
निष्पन्न । मलयाणि वा—मलरज मूत्र से बनाया गया वस्त्र । पन्नुनाणि वा—वस्त्र क नहुषा
से निर्मित वस्त्र । अतयाणि वा—अशुभकर्म विदग्ध से उत्पन्न होने वाला महाघ वस्त्र ।
चीणतुयाणि वा—चीनाशुभ—चीन देश का बना हुआ रेगमी वस्त्र । देस रागाणि वा—नाता
प्रकार के रंगों के बने हुए विविध वस्त्र य देश राग में निर्मित वस्त्र । अनियाणि वा—
अमित नामक देश से उत्पन्न होने वाला वस्त्र । गज्जफलाणि वा—गजफल नामक देश के
विविध वस्त्र । फालियाणि वा—फलिय देश में उत्पन्न होने वाला अमाधारण वस्त्र । कोरवाणि
वा—कायक नाम के देश के बने हुए । कबलगाणि वा—विविध प्रकार के कबल । पावराणि
वा—प्रावरण-वस्त्रल विधेय तथा एही प्रकार के । अन्यतराणि वा—क एक अन्य वस्त्र
विषय । तह०—तथाप्रकार के वस्त्र । महद्वणमुल्ला—जो वस्तु है ऐसे वस्तुओं के । लाभे
सति—मिने पर । नो पडिगाहिउवा—साधु उह ग्रहण न कर ।

से नि०—वह साधु या साधवा । आद्वणवाउरणाणि—चम निष्पन्न रहने वाला ।

वत्याणि वा—वस्त्रो को । जाणिऊजा—जाने । तंजहा—जैसे कि । उद्दाणि वा—सिंधु देश मे होने वाले म स्य-के सूक्ष्म चर्म से निष्पन्न वस्त्र । पेसाणि वा—सिंधु देश मे होने वाले पशुप्रो के सूक्ष्म चर्म से बने हुए तथा । पेसलाणि वा—उस चर्म पर के सूक्ष्म रोमो से निष्पन्न हुए वस्त्र तथा । किण्हमिगाईणगाणि वा—कृष्णमृग के चर्म के बने हुए वस्त्र । नीलमिगाईणगाणि वा—नीलमृग के चर्म से निष्पन्न और । गोरमि०—गीर—श्वेत मृगचर्म से निष्पन्न वस्त्र । कणगाणि वा—कनक-सोने की झाल से बनये गये तथा । कणगकताणि वा—कनक के समान कातिवाले और । कणगपट्टाणि वा—सोने के रस से बनाए गए एव । कणगखड्गाणि वा—सोने के तारो से निर्मित । कणगफुसियाणि वा—सोने के स्तवको से युक्त वस्त्र । वग्घाणि वा—व्याघ्र चर्म निर्मित वस्त्र अथवा । विवग्घाणि वा—नाना प्रकार के व्याघ्र चर्म निष्पन्न वस्त्र अथवा । विगाणि वा—वृक चर्म से निष्पादित वस्त्र । आभरणाणि वा—प्रधान आभरणो से विभूषित वस्त्र अथवा । आभरणविचिन्ताणि वा—विचित्र प्रकार के आभरणो से विभूषित और । अन्नयराणि वा—अन्य कई एक । तहूपगाराणि—तथाप्रकार के । भाईण पाउरणाणि—चर्म निष्पन्न पहरने योग्य । वत्याणि—वस्त्र । लाभे संते—मिलने पर । नो पडिगाहिज्जा—साधु ग्रहण न करे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु अथवा साध्वी को महाधन से प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रो के सम्बन्ध मे जानना चाहिए और मूपकादि के चर्म से निष्पन्न, अत्यन्त सूक्ष्म, वर्ण और सौन्दर्य से सुशोभित वस्त्र तथा देशविशेषोत्पन्न बकरी या बकरे के रोमो से बनाए गए वस्त्र एव देशविशेषोत्पन्न इन्द्रनील वर्ण कपास से निर्मित, समान कपास से बने हुए और गौड़ देश की विशिष्ट प्रकार की कपास से बने हुए वस्त्र, पट्ट सूत्र—रेशम से, मलय सूत्र से और बलकल तन्तुओ से बनाए गए वस्त्र तथा अंशुक और चीनांशुक, देशराज नामक देश के, अमल देश के तथा गजफल देश के और फलक तथा कोयव देश के बने हुए प्रधान वस्त्र अथवा ऊर्ण कम्बल तथा अन्य बहुमूल्य वस्त्र—कम्बल विशेष और अन्य इसी प्रकार के अन्य भी बहुमूल्य वस्त्र, प्राप्त होने पर भी विचारशील साधु उन्हें ग्रहण न करे ।

संयमशील साधु या साध्वी को चर्म एवं रोम से निष्पन्न वस्त्रों के

सम्प्रदाय में भी परिचय करना चाहिए। जैसे— सिन्धुदेश के मत्स्य के चर्म और रोमों से बने हुए, सिन्धु देश के सूक्ष्मचर्म वाले पशुओं के चर्म एवं रोमों से बने हुए तथा उस चर्म पर स्थित सूक्ष्म रोमों से बने हुए एवं कृष्ण, नील और श्वेत भृगु के चर्म और रोमों से बने हुए तथा स्वर्णजल से सुशोभित, स्वर्ण के ममान कांति और स्वर्ण रत्न के स्तवकी से विभूषित, स्वर्ण तारों से खचित और स्वर्ण चन्द्रिकाओं से स्पष्टित बहुमूल्य वस्त्र अथवा व्याघ्र या बक के चर्म से बने हुए, सामान्य और विशेष प्रकार के आभरणों से सुशोभित अन्यप्रकार के चर्म एवं रोमों से निष्पन्न वस्त्रों को मिलने पर भी समयशील मुनि स्वीकार न करे।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को देश या विदेश में बने हुए विशिष्ट रेशम, सूत चर्म एवं रोमों के बहुमूल्य वस्त्रों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे कीमती वस्त्रों को देखकर चोरा के मन में दुर्भाव पैदा हो सकता है और साधु के मन में भी समस्त भाव जागृत हो सकता है। चर्म एवं मुलायम रोमों के वस्त्रों के लिए पशुओं की हिसा भी होती है। अतः पूर्ण अहिंसक साधु के लिए ऐसे कीमती एवं महारम्भ से बने वस्त्र प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान् ने साधु के लिए ऐसे वस्त्र ग्रहण करने का नियम किया है।

प्रस्तुत सूत्र से यह स्पष्ट होत है कि भारतीय एवं भारतीय सीमा के निकट देशों में उत्पन्न होने वाली ऊन पर्याप्त थी और उस समय मशीनरी युग से भी अधिक सुन्दर और टिकाऊ वस्त्र बनना था। इसने यह भी स्पष्ट होता है कि उस युग में भारत प्रायः में अधिक खुशहाल था। उसका व्यापारिक व्यवसाय अत्यधिक व्यापक था। चीन एवं उसके निकटवर्ती देशों से वस्त्रों का आयात एवं निर्यात होता रहता था। इससे यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि उस युग में भारत की विकास की चरम सीमा पर पहुँच चुका था और जनता का जीवनस्तर काफी उन्नत था। भारत में गरीबी, भुखमरी एवं अभाव नहीं था और अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध भी काफी अच्छे थे। उस युग के भारतीय आर्थिक व्यवसायिक एवं व्यापारिक इतिहास की ओर ध्यान देने वाले इतिहास वेत्ताओं के लिए प्रस्तुत सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है।

वस्त्र ग्रहण करते समय किए जाने वाले अभिग्रहों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इच्चेइयाइं आयत्तगाइं उवाइकम्म अह भिक्खू जाणिज्जा चउहिं पडिमाहिं वत्थं एसित्तए, तत्थ खलु इमा पढमा-पडिमा,से भि० २ उद्देसिय वत्थं जाइज्जा, तं०—जंगियं वा जाव तूलकडं वा, तह० वत्थं सयं वा गां जाइज्जा, परो० फासुयं पडि०, पढमा पडिमा (१) अहावरा दुच्चा पडिमा से भि० पेहाए वत्थं जाइज्जा गाहावई वा० कम्मकरी वा, से पुब्बामेव आलो-इज्जा—आउसोत्ति वा २ दाहिसि मेइत्तो अन्नयरं वत्थं ? तहप्प० वत्थं सयं वा० परो० फासुयं एस० लाभे० पडि० दुच्चा पडिमा, (२) अहावरा तच्चा पडिमा—से भिक्खू वा० से जं पुणा० तं अंतरिज्जं वा उत्तरिज्जं वा तहप्पगारं वत्थं सयं० पडि०, तच्चा-पडिमा (३) अहावरा चउत्था पडिमा—से० उज्झियधम्मियं वत्थं जाइज्जा जं चउन्ने बहवे समणा० वणीमगा नायकंखंति तहप्प० उज्झिय० वत्थं सयं० परो० फासुयं जाव प० चउत्थापडिमा (४) इच्चेयागां चउराहं पडिमागां जहा पिंडेसणाए । सियां गां एताए एमणाए एसमागां परो वइज्जा—आउसंतो समणा ! इज्जाहितुमं मासेण वा दसराएण वा पंचराएण वा सुते सुततरे वा तो ते वयं अन्नयरं वत्थं दाहामो, एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा

निसम्म से पुंवामेव आलोडज्जा—याउसोत्ति वा । २ नो खलु मे कप्पइ एयप्पगार सगार पडिसुणित्तए, अभिकससि मे दाउ ड्याणिमेव दलयाहि, से शेव वयत परोवइज्जा—याउ० स० ।
 आणुगच्छाहि तो ते वय यन्न० वत्थ दाहामो, से पुंवामेव आ-
 लोडज्जा—याउसोत्ति । वा २ नो खलु मे कप्पइ सगारवयणे प
 डिसुणित्तए० से सेव वयत परो शेया वइज्जा—याउसोत्ति वा ।
 भइणित्ति वा । आहरेय वत्थ समणस्स वा दाहामो, अनियाइ
 वयपच्छावि यप्पणो सयट्ठाए पाणाड ४ समारभ—समुद्दिस्स
 जाव चेडस्सामो, एयप्पगार निग्घोस सुच्चा निसम्म तहप्पगार
 वत्थ अफासुय जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ सिया ण परो नेता
 वइज्जा । आउसोत्ति वा । २ आहर एय वत्थ सिणाणेण वा
 ४ आघ सित्ता वा प० समणस्स ण दाहामो, एयप्पगार निग्घोस
 सुच्चा नि० से पुंवामेव याउ० भ० । मा एय तुम वत्थ सिणा
 णेण वा जाव पघ साहि वा, यभि० एमेव दलयाहि, से सेव
 वयतस्म परो सिणाणेण वा पघसित्ता दलडज्जा, तहप्प० वत्थ
 अफा० नो० पडिगाहिज्जा ॥ से ण परो नेता वइज्जा-भ० । आहर
 एय वत्थ सीयोदगवियडेण वा २ उच्छोलेत्ता वा पहोलेत्ता वा
 समणस्स ण दाहामो०, एय० निग्घोस तहेव नवर मा एय तुम

वत्थं सीत्रोदगं उसिं उच्छोलेहि वा, पहोलेहि वा, अभि-
 कंखसिं सेसं तहेव जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ से गां परो ने-
 आं भं ! आहरेयं वत्थं कंदाणि वा जाव हरियाणि वा विसो-
 हिता समणस्स गां दाहाणो, एयं निग्घोसं तहेव, नवरं मा
 एयाणि तुमं कंदाणि वा जाव विसोहेहि, नो खलु मे कप्पइ
 एयापगारे वत्थे पडिगाहित्तए, से सेवं वयंतस्स परो जाव विसो-
 हित्ता दलइज्जा, तहप्पं वत्थं अफासुयं नो पडिगाहिज्जा ॥
 सिया से परो नेता वत्थं निसिरिज्जा, से पुव्वां आं भं !
 तुमं चेव गां संतयं वत्थं अंतोअंतेणं पडिलेहिज्जिस्सामि,
 केवली वूया आं, वत्थंतेण वद्धे सिया कुंडले वा गुणे वा
 हिरण्णे वा सुवराणे वा मणी वा जाव रयणावली वा पाणे,
 वा वीए वा हरिए वा अह भिक्खू गां पुं जं पुव्वामेव वत्थं
 अंतोअंतेणं पडिलेहिज्जा ॥१४६॥

छाया—इत्येतानि आयतनानि उपातिक्रम्य अथ भिक्षुः जानी-
 यात् चतसृभिः प्रतिमाभिः वस्त्रमेपितु (अन्वेष्टुं) तत्र खलु (१) इयं
 प्रथमा प्रतिमा—स भि० उद्दिश्य वस्त्रं याचेत्, तद्यथा—स जागमिकं वा
 यावत् तूलकृतं वा तथाप्रकारं वस्त्रं स्वयं वा याचेत् परो० प्रासुकं
 प्रति० प्रथमा प्रतिमा (२) अथापरा द्वितीया प्रतिमा—स भिक्षुर्वा०
 प्रेक्ष्य वस्त्रं याचेत् गृहपति वा० कर्मकरी वा स पूर्वमेव आलोचयेत्-
 आयुष्मन् इति वा दास्यसि मे इतः अन्यतरद् वस्त्रं ? तथाप्रकार

वस्त्र स्वयं वा० परो० प्रामुक्कमेपणीयं लाभे० प्रति०, द्वितीया प्रतिमा
 (३) अथापरा तृतीया प्रतिमा—स भिक्षुर्वा० स यत् पुन तमत्तरीय
 वा उत्तरीय वा तथाप्रकारं वस्त्रं स्वयं० प्रतिगृह्णीयात्, तृतीया
 प्रतिमा । [४] अथापरा चतुर्थी प्रतिमा—स० उज्जिभक्तधर्मिकं वस्त्रं
 याचेत् यच्च अन्ये बहवः श्रमण० वनोपवा नावकाक्षन्ति तथा
 प्रकारं उज्जिभक्त० वस्त्रं स्वयं परो० प्रामुक्कं यावत् प्रतिगृह्णीयात्,
 चतुर्थी प्रतिमा । आसा चतसृणा प्रतिमाना यथा विडम्पणाया
 (अर्थात् क्षपो द्विवि विडम्पणा वन्नेय) । स्यात् (कदाचिन्) एतया
 एषणया एषयन्त परा वदेत्—आयुष्मन् श्रमण ! गच्छ त्व मासेन वा दश
 रात्रेण वा पञ्चरात्रेण वा श्व परशत्रो वा तत् ते वयं अन्यतरद् वस्त्रं दा
 स्याम एतद्प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य स पूवमेव आलोचयेत् आयुष्मन् !
 इति वा २ न खलु मे कल्पते एतत्प्रकारं सकेतं प्रतिश्रोतु, अभिकाक्षन्ति
 मे दातुमिदानोमेव ददस्व ? तमेव वदन्तं परो वदेत्, आयुष्मन् श्रमण !
 अनुगच्छ तावत् ते वयं अन्यतरद् वस्त्रं दास्याम, स पूवमेव आलोचयेत्
 आयुष्मन् इति वा २ न खलु मे कल्पते सकेतं वचनं प्रतिश्रोतु, त तदेव
 वदन्तं परो नेना वदेत् आयुष्मन् इति वा भगिनि ! इति वा आहर एतद्
 वस्त्रं श्रमणाय दास्याम अपि च वयं पश्चादपि आत्मन स्वार्थं (घ्रातमार्थं)
 प्राणानि ४ समाारभ्य ममुद्दिश्य यावत् चतयिष्याम करिष्याम, एतत्प्रकारं
 निर्घोषं श्रुत्वा निशम्य तथाप्रकारं वस्त्रमप्रामुक्कं यावत् न प्रतिगृह्णीयात् ।
 स्यात् परो नेता वदेत् आयुष्मन् इति वा आहर एतद् वस्त्रं स्नानेन वा ४
 आघर्ष्य वा प्रघर्ष्य वा श्रमणाय या दास्याम, एतत् प्रकारं निर्घोषं श्रुत्वा
 निशम्य स पूवमेव आयुष्मन् ! इति वा भगिनि ! इति मा एतत् त्व वस्त्रं
 स्नानेन वा यावत् प्रघर्ष्यस्व ? अभिकाक्षन्ति मे दातु एवमेव ददस्व ? स
 तस्यैव वदन्तं परं स्नानेन वा प्रघर्ष्यं दद्यात् तथाप्रकारं वस्त्रमप्रामुक्कं न
 प्रतिगृह्णीयात् । स परो नेता वदेत् भगिनि ! आहर एतद् वस्त्रं शीतोदकं

त्रिकटेन वा २ उत्क्षाल्य वा प्रक्षाल्य वा श्रमणाय दास्यामः० एतत्प्रकारं निर्घोष तथैव नवरं मा एतत् त्वं वस्त्रं शीतोदकं उष्णोदकं उत्क्षाल्य वा प्रक्षाल्य वा, अभिकांक्षसि, शेषं तथैव यावत् न प्रतिगृहणीयात् । स परो नेता आ० भ० आहर एतद् वस्त्रं कन्दानि वा यावत् हरितानि वा विशोध्य श्रमणाय दास्यामः एतत्प्रकारं निर्घोषं, तथैव, नवरं मा एतानि त्वं कन्दानि वा यावद् विशोध्य ? नो खलु मे कल्पते एतत्प्रकराणि वस्त्राणि प्रतिग्रहीतुं, स तस्यैव वदतः परो यावत् विशोध्य दद्यात्, तथाप्रकारं वस्त्रमप्रासुकं न प्रतिगृहणीयात् । स्यात् स परो नेता वस्त्रं निसृजेत् ? स पूर्वमेव० आ० भ० ! त्वं चैव सान्त्तिकं वस्त्रं अन्तोपान्तेन प्रत्युपेक्षिष्ये, केवली ब्रूयात् आदानमेतत् वस्त्रान्तेन वदं स्यात्, कुण्डलं वा गुणं वा हिरण्यं वा, सुवर्णं वा मणिं वा यावत् रत्नावलीं वा, प्राणी वा वीजं वा हरितं वा, अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टमेतत् यत् पूर्वमेव वस्त्रं अन्तोपान्तेन प्रतिलेखयेत् ।

पदार्थ—इच्छेदयाहं—ये पूर्वोक्ति तथा चक्ष्यमाण । आयतणाद्—वस्त्रपणा के स्थान । उवाङ्कम्म—इनको अतिक्रम करके अर्थात् छोड़कर । ग्रह—अथ । भिक्षू—भिक्षु-साधु । चउहं पडिमाहि—चार प्रतिमाश्रो—प्रभिग्रह विशेषो से । वत्थ—वस्त्र की । एसित्तए—गवेषणा करनी हो तो वह उन्हे । जाणिज्जा—जाने । तत्थ—उन चार प्रतिमाश्रो मे से । इमा—यह । पढमा—पहली । पडिमा—प्रतिमा है । से भिक्खू वा २—वह साधु या साध्वी । उद्देसिय—मन मे निश्चित किये हुए । वत्थ—वस्त्र की । जाइज्जा—याचना करे । तंजहा—जैसेकि । जंगियं वा—जगम जीवो के रोमो से निष्पन्न होने बाले । जाव—यावत् । तूलकड्वा—अर्कतूल निमित्त वस्त्र । तहएपगार—तथाप्रकार के । वत्थं—वस्त्र की । सय वाणं—स्वयं । जाइज्जा—याचना करे या । परो—गृहस्थ देवे तो । फासुय—प्रासुक और एषणीय जानकर । पडि०—उसे ग्रहण करले । पढमा पडिमा—यह पहली प्रतिमा है । अहावरो-चोच्चवा पडिमा—अब दूसरी प्रतिमा के विषय मे कहते हैं । से भि०—वह साधु या साध्वी । पेहाए—देखकर । वत्थं—वस्त्र की । जाइज्जा—याचना करे । गाहावई वा०—गृहगत यावत् कम्मकरे वा—दास दासी आदि गृहस्थो से । से—वह साधु । पुच्चावेघ—पहले ही । आलोएज्जा—वस्त्र को देखे, देखकर इस तरह फहे । आउसोत्ति वा २—आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा भगिनी ! वहिन ! क्या तुम । मे—मुझे । इत्तो—इन वस्त्रो मे से । अन्नयरं—किसी ।

वय—अत्र वा । दाहति—तो ? तह्यं—नयाप्रकार क । वय—अत्र वा । सय वा—
 स्वय याचना करे या । परो—यत्ति ग स्व विना माग ही देवे ता । फासुय—प्रासुक तथा ।
 एमं—एषणीय जानकर । सनें—मिनत पर । पडिं—ग्रहण करल । हुच्चापडिमा—
 यह दूमरी प्रतिमा अग्निप्रद विषय है । ग्रहावरा लच्चा पडिमा—अत्र तीसरी प्रतिमा को कहते
 हैं । स भिक्षू वां—वत् माधु मा माध्वी । संज पुगं—फिर वस्त्र क सम्बन्ध म जान ।
 तं—त्रयेति । अतरिज्ज वा—ग स्व वा भीत हुपा प्रयवा । उत्तरिज्ज वा—ग्रहण्य क
 पहनन का उत्तरामन । तह्यपार—नयाप्रकार क । वय—अत्र की । सय—स्वय याचना कर
 या गन्ध्य विना माग ही स्वय दव ता प्रासुक प्रीर एषणीय जानकर मिलने पर । पडिं—
 ग्रहण करल । तच्चा पडिमा—यत् तीसरी प्रतिमा है । ग्रहावरा चउटया पडिमा—अत्र चौथी
 प्रतिमा का कर्तन है । से भिक्षू वां—वत्—मध्यम तीन माधु या मा वी । उभिधमभिय—
 अमष्ट धम वाला मयान जा गन्ध्य न भोग लिया है । धीर ता फिर उक्त काम म भान वाला
 नहा इस प्रकार क । वय—वस्त्र की । जाइजा—याचना कर । ज च—प्रोर जिसका ।
 अने—प्रय । वृथे—वहुत म । समणं—गाक्यात् प्रियु यावन । वगीमया—भिक्षारी लोप ।
 नावकलति—नह्य च्यत्त । तह्यं—सथभ्रकार, क । उभिधम—उभिधम धम वाल । वय—
 वस्त्र का । सय—स्वय माग । परो—गह्म्य द ता । फासुय—प्रासुक । जाच—याचन् एषणीय
 जानकर । पडिमा—ग्रहण करन । चउटयपडिमा—यह चौथी प्रतिमा कही है । इच्छेयाण—
 इत् । चउट्ट पडिमाण—चार प्रतिमाया क विषय में । जहा—जय । पिण्डसणाए—विष्णवणा
 अध्ययन म वणन किया गया है उभी प्रकार यहा समभना चाहिए । ण—वाचयलरा म है ।
 तिया—कदाचित । एताए—न पूर्वोक्त । एसणाए—उपणा अर्थात् वस्त्रपणा म । एसमाण—
 वस्त्र की यत्रपणा करन वात माधु क प्रति । परो—काई अय गहस्य । वजा—क कि ।
 आउसतो समणा—प्रायुप्पन अमण । तम इजाहि—तुम इस समय जाआ । वित्त । मामण वा
 एक माम क वाद अयवा । दसराएणवा—दस तिन क वात अयवा । पवरयेण वा—पाच तिन
 ने वात् अयवा । मुने सुनतरे वा—कन या कन क अतर स तुमन आता । ती—तव ।
 वय—हम । त—नर का । वयं—वस्त्र । दाहामी—दवंग । एयपार—इस प्रकार के ।
 निधीम—ग की । सुच्चा—सुनकर । निसम्म—द्वय में धारण कर । से—वह—माधु ।
 पु वावेव—प त ही । आलाइजा—अत्र धीर दवव इम प्रकार कह । आउसोत्ति वा—
 प्रायुप्पन गन्ध्य । अथवा भगिनि । ती स वरं—मुक्त नहा कल्पना । एयपार—
 इस प्रकार का । सगार—प्रतिपा वचन । पत्तिमुणिसए—सुनना अर्थात् मैं आपके इस प्रतिपा
 वचन को स्वीकार नहीं कर सकता यदि तुम । मे—मुक्त । दाउ—नेना । अन्निकलति—चाहते
 ना ता । इवाणीवेव—इसी समय । दसवाहि—दे दा । स ण व वयत—उम माधु के इस प्रकार
 क्लन पर भी यत् । परो—गह्म्य । वजा—क कि । आउं सं—प्रायुप्पन अमण ।
 अणुगच्छाहि—अत्र ता तुम जाआ, अत्र समय क पचान तुमन आजाता । ती—उय समय पर ।

चयं—हम । ते—तुम्हें । अन्न० - कोर । वत्थं—वस्त्र । दाहामो—देदेंगे । से पुव्वामेव घा-
लोइज्जा—वड साधु पहले ही देखे और देखकर गृहस्थ के प्रति कहे । आउसोत्ति वा२—आयुष्मन्
गृहस्थ ! अथवा भगिनी । संगार वयणे—प्रतिज्ञा युक्त वचन । पडिसुणित्तए०—स्वीकार करना ।
नो खलु मे कप्पइ—मूझे नहीं कहपता । यदि मूझे तुम देना चाहते हो तो इसी समय दे दो ?
सेवं वयत—इस प्रकार बोलते हुए भिक्षु के प्रति । से परोणेया—वह नेता-गृहस्थ घर के
किमी व्यक्ति को यदि । वइज्जा—कहे कि । आउसोत्ति वा—हे आयुष्मन् ! अथवा ।
नइणित्ति वा—हे वहिन ! एय वत्थं—वह वस्त्र । आहर—लाओ । सनणस्स—साधु को ।
दाहामो—देगे । अविवाडं—यद्यपि । चयं—हम । पच्छावि—पीछे भी । अप्पणो सयट्ठाए—
अपने लिए । पाणाड—प्राणियों का । समारम्भ—समारम्भ करके । समुद्दिस्स—उद्देश्य करके ।
जाव—यावत् । चेडस्सामो—वस्त्र बना लेगे । एयप्पगारं— इस प्रकार के । निग्घोसं—शब्द को ।
सुच्चा—सुन कर । निसम्म—विचार कर । तहप्पगारं—तथाप्रकार के । वत्थ—वस्त्र को ।
अफासुय—अप्रामुक्त । जाव—यावत् अनेपणीय जानकर । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।
ण—वाक्यालंकार मे है । सिया—कदाचित् । परोनेता—अन्य गृहस्थ-गृहस्वामी यदि । वइज्जा-
घर के किमी स्त्री या पुरुष को इस प्रकार आमन्त्रित करता हुआ कहे । आउसोत्ति वा २—
आयुष्मन् ! अथवा वहन ! एयं वत्थ—वह वस्त्र । आहर—ला, इसको । सिणाणेण वा ४—
स्नानादि मुगन्धित द्रव्यों मे आघर्षण करके । प०—प्रघर्षण करके । समणस्स—अगण-साधु
को । दाहामो—देगे । ण—वाक्यालंकार मे है । एयप्पगारं—इस प्रकार के निर्घोष-शब्द को ।
सुच्चा—सुनकर । निसम्म—हृदय मे विचार कर । से—वह साधु । पुव्वामेव—पहले ही देख
कर कहे कि । आउ० हे आयुष्मन् ! अथवा । भ०—हे भगिनि ! तुम—तुम । एय वत्थं—
इस वस्त्र को । सिणाणेण वा—स्नानादि से । जाव—यावत् । मा पघंसाहि—मत प्रघर्षित
करो ? अमि०—यदि तुम देना चाहते हो तो । एमेव दल्ल्याहि—इसी तरह दे दो ? सेवं
वयतस्स—उसके इस प्रकार कहने पर । से परो—वह गृहस्थ यदि । सिणाणेण वा—स्नानादि
से । पघंसित्ता—प्रघर्षित करके । दल्लज्जा—देवे तो । तहप्प०—तथाप्रकार के । वत्थ—
वस्त्र को । अफासुयं—अप्रामुक्त जानकर । नो प०—ग्रहण न करे । ण—वाक्यालंकार मे है ।
से परो—वह गृहस्थ । नेता—गृह स्वामी यदि घर के किसी भी व्यक्ति को । वइज्जा—कहे ।
भ०—हे भगिनि ! आहर—ला । एय वत्थं—वह वस्त्र उसको । सीओदग वियडेण वा—
निर्मूल शीतल या उष्ण जल से । उच्छोलेत्ता वा—उत्कालन करके । पहोलेत्ता वा—प्रक्षालन
करके । समणस्स—अगण-साधु को । दाहामो—देगे । ण—वाक्यालंकार मे । एय०—इस
प्रकार के । निग्घोसं—निर्घोष-शब्द को सुनकर । तह्वं—उसी प्रकार कहे जैसे कि पूर्व श्रुतियों
है । नवरं—इतना विशेष है तब साधु उस गृहस्थ या स्त्री के प्रति सम्बोधन करता हुआ कहे ।
तुम—तुम । एयं वत्थं—इस वस्त्र को । सीओदग०—शीतोदक से । उस्सि०—उष्णोदक से ।

मा—मत । उच्छोनेहि वा—उत्पालन करो तथा । पहिलेहि वा—प्रभालन मत करो । अग्नि-
 कणसि—यत्ति तुम चाहते ही मुझ दना तो इसी प्रकार द दो । वेस—गेर वर्णन । तहेव—
 उमी प्रकार हे जम कि पूज लिखा जा चुका है । जाव—यावन् धोकर दवे तो । नो पडिगा-
 हिउजा—उम अप्रामुख जानकर ग्रहण न करे । से—वह । परो—प्राय गहस्व । ने०—पर
 का स्वामी कहे कि । घा० म०—ह घायुष्मन ! यधवा हे भगिनि ! आहर—लागो । एय
 वत्य—यह वस्त्र, इमे । कदाणि वा—कदा । जाव—यावत । हरियाणि वा—हरी से ।
 विसाहिस्ता—विगुड करके । समणस्स—श्रमण—साधु को । दाहामो—देगे । ज—जाववा
 लकार में । एयप्यगार—इस प्रकार क । निग्घोस—निर्घोष गन् को सनकर । तहेव—उमा
 प्रकार—अर्थात् शय दणन पूववन् ही है । नवर—वस्त्रा विशेष है क्रि तव साधु गहस्व के प्रति
 कृ कि । तम—तुम । एयाणि कदाणि—इन कदादि से । जाव—यावन् हरियाली म
 वस्त्र को । मा विसोहि—विगुड मन करो । खन—निश्चयाय में है । मे—मुझ । नो
 कप्यद्—नन्व वस्त्रा । एयप्यगारे—इस प्रकार क । वत्ये—वस्त्रो का । पडिगाहिस्तए—
 ग्रहण करना । सेज ययत्तस्स—इस प्रकार कहते हुए साधु के । से—वह । परो—गहस्व ।
 जाव—यावन् कदादि स । विसोहिस्ता—विगुड कर ; दसदस्सा—देव नो । तहप्य०—तथा
 प्रकार के— । वत्ये—वस्त्र को । अकासुय—अप्रामुख और अनपणोय जानकर । नो पडिगा-
 हिउजा—ग्रहण न करे । सिया—कदाचित् । से—वह । परो—प्राय । नेता—गहस्वामी ।
 वत्ये—वस्त्र को पर से लाकर । निसिरिज्जा—साधु को दव तो । से—वह साधु । पुष्वा—
 पस्ले ही दछे और दसकर । घा० म०—घायुष्मन गृहस्व ! या हे भगिनि-वहन ! तुम जेव—
 तुम्हारा ही । सत्तिम वत्ये—यह वस्त्र है मैं इसकी । अतोअतेण—अन्तप्रान्त अर्थात् चारो
 कोना स । पडिलेहिउज्जिसामि—प्रतिसेखना करु गा अर्थात् इम चारो ओर से अच्छी तरह स
 खन्वुगा ? यथाहि । केवली बूया—केवली भगवान कहते हैं कि । घा०—विना प्रतिसेखना दिए
 वस्त्र का लेना कम बचन का कारण है । सिया—कदाचित् ; वत्येतेण—वस्त्र के अन्त म ।
 घडे—कुछ बंधा हुआ हो गया । कुडले वा—कुडल । गुणे वा—घागा—डारा । हिरण्णे—
 हिरण्य चानी आत्ति अयवा । सुवण्ण वा—सुवण माना अयवा । मणी वा—माणरत्न । जाव—
 यावन् । रयणावसा वा—रत्नावली रत्नो की माला आदि । पाणे वा—कोई प्राणी । बीए वा—
 बीज अथवा । हरिए वा—हरी आदि । अह—अथ । भिक्षुण्ण—भिक्षुओं के लिए । पु०—
 पहले ही तीथकरात्ति ने प्रादण दे रक्खा है । ज—जाकि साधु । पुग्गामेव—पहले ही ।
 वत्ये—वस्त्र को । अतोअतेण—अन्तप्रान्त से-चारो ओर से । पडिलेहिउजा—प्रतिसेखना करे,
 अर्थात् प्रतिसेखना करके ग्रहण करे ।

मूलार्थ—वस्त्रैपणा के इन पूर्वोक्त तथा वक्ष्यमाण दोषो को छोड़कर

संयमशील साधु अथवा साध्वी इन चार प्रतिमाओं—अभिग्रह विशेषों से वस्त्र की गवेषणा करे, यथा—ऊन आदि के वस्त्रों का संकल्प कर उद्देश्य रख कर स्वयं वस्त्र की याचना करे या गृहस्थ ही बिना मागे वस्त्र देवे, यदि प्रासुक होगा तो लूगा, यह प्रथम प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा—देख कर वस्त्र को याचना करूंगा। तीसरी प्रतिमा—गृहस्थ का पहना हुआ वस्त्र लूगा। चौथी प्रतिमा—रज्जित धर्म वाला वस्त्र लूगा, जिसे अन्य शाक्यादि श्रमण न चाहते हों। इन प्रतिमाओं—अभिग्रहों को धारण करने वाला साधु अन्य साधुओं की निन्दान करे तथा स्वयं अहंकार भी न करे, किन्तु जो जिनाज्ञा में चलने वाले हैं वे सब पूज्य हैं इस प्रकार की समाधि अर्थात् समभाव से विचरे। वस्त्र की गवेषणा करते हुए साधु को यदि कोई गृहस्थ कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! अब तो तुम चले जाओ। किन्तु मासादि के अन्तर से अर्थात् एक मास या दस दिन अथवा पांच दिन आदि के अनन्तर तुमने यहां आना तब साधु उस गृहस्थ के प्रति कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! मुझे यह प्रतिज्ञापूर्वक वचन सुनना नहीं कल्पता। अतः यदि तुम देना चाहते हो तो अभी दे दो। इस पर यदि गृहस्थ कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! अभी तुम जाओ, थोड़े समय के अनन्तर आकर वस्त्र ले जाना। तब भी मुनि यही कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! मुझे यह सकेत पूर्वक वचन स्वीकार करना नहीं कल्पता, यदि तुम देना चाहते हो तो इसी समय दे दो। तब गृहस्थ ने किसी निजी पुरुष या बहिन आदि को बुलाकर कहा कि यह वस्त्र इस साधु को दे दो। हम पीछे अपने लिए प्राणियों का समारम्भ करके और बना लेंगे। गृहस्थ के इस प्रकार के शब्दों को सुनकर पश्चात्कर्म लगने से उस वस्त्र को अप्रासुक तथा अनेषणीय जान कर साधु ग्रहण न करे। और यदि घर का स्वामी अपने परिवार से कहे कि लाओ इस वस्त्र को जल से धोकर और सुगन्धित द्रव्यों से घर्षित करके इस साधु को देवें, तब साधु उसे ऐसा

करने से मना करे। उसके मना करने निषेध करने पर भी यदि गृहस्थ उक्त क्रिया करके वस्त्र देना चाहे तो साधु उस वस्त्र को कदापि ग्रहण न करे। यदि शीतल अथवा उष्ण जल से धोकर देना चाहे और रोकने पर भी न रुके तो साधु उस वस्त्र को भी स्वीकार न करे। इसी प्रकार यदि वस्त्र म कन्द मूल आदि वनस्पति वान्गी हुई हो या रखा पड़ी हो उसको अलग करके देना चाहे तो भी न ले। और यदि गृहस्थ साधु को वस्त्र दे ही दे तो साधु बिना प्रतिलेखना किए, बिना अच्छी तरह देखे भाले उस वस्त्र को कदापि ग्रहण न करे, कारण कि वेवली भगवान कहते हैं कि बिना प्रतिलेखना के वस्त्र का ग्रहण कम बन्धन का हतु होता है, सम्भव है वस्त्र के किमो किनारे में कुण्डल, डोरा, चादी, सोना, मणि यावत् रत्नावली आदि बंधे हुए हो अथवा प्राणी बीज और हरी सब्जो आदि बंधी हुई हो। इसलिए तीर्थकरादि ने पहल ही मुनिगो को आज्ञा प्रदान की है कि साधु बिना प्रतिलेखना किए इन वस्त्रो को ग्रहण न करे।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत सूत्र म वस्त्र ग्रहण करने की चार प्रतिज्ञाओं का बरण किया गया है—१ उद्दिष्ट, २ प्रक्षित, ३ पम्भिुक्त और ४ उत्सृष्ट धार्मिक। १-अपने मन में पहले मकल्पित वस्त्र की याचना करना उद्दिष्ट प्रतिज्ञा है। २-किसी गृहस्थ को यहा धरत देकर उस देसे हुए वस्त्र की ही याचना करना प्रेक्षित प्रतिज्ञा है। ३-गृहस्थ के अन्तर परिभोग या उत्तरीय परिभोग या उसके पहने हुए वस्त्र को याचना करना पम्भिुक्त प्रतिज्ञा है। ४-मैं यही वस्त्र ग्रहण करूंगा कि जो उत्सृष्ट धमराज फेंकने योग्य है। इस तरह के अभिप्रहा को धारण करने वस्त्र की याचना करने की विधि ठीक उसी तरह से बताई गई है, जैसे पिढीरणा अध्ययन म आहार ग्रहण करने की विधि का उल्लेख किया गया है।

इसमें दूसरी बात यह बताई गई है कि यदि कोई गृहस्थ वस्त्र की याचना करते समय साधु से यह कहे कि आप मुझे या १०-१५ दिन के पर्यान्त आने के लिए जाना तो साधु उनकी इस बात को स्वीकार न करे। उद्दिष्ट प्रतिज्ञा यह कि यदि आपका वस्त्र दान की इच्छा हो तो अभी दान आया हुआ कुछ दिन के बाद तभी जाऊंगा। इस निषेध के पीछे दो कारण हैं—एक तो यह है कि यदि उस समय

गृहस्थ के पास वस्त्र नहीं है तो वह साधु के लिए नया वस्त्र खरीद कर ला सकता है या उसके लिए और कोई सावध किया कर सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी कारणवश साधु निश्चित समय पर नहीं पहुंच सके तो उसे भाषा समिति में दोष लगेगा।

यदि किसी गृहस्थ की वस्त्र की दुकान हो और उसमें कुछ दिन में वस्त्र आने वाला हो तो साधु कुछ समय के बाद भी वहां जाकर वस्त्र ला सकता है। •क्योंकि, उसमें उसके लिए कोई क्रिया नहीं की गई है। परन्तु, इस कार्य के लिए साधु को निश्चित समय के लिए बन्धना नहीं चाहिए। यदि उसे यह ज्ञात हो जाए कि कुछ समय बाद आने वाला वस्त्र निर्दोष है तो वह गृहस्थ से इतना ही कहे कि जैसा अवसर होगा देखा जाएगा। परन्तु, यह न कहे कि मैं अमुक समय पर आकर ले जाऊंगा। वह इतना कह सकता है कि यदि सम्भव हो सका तो मैं अमुक समय पर आने का प्रयत्न करूंगा।

इस तरह साधु को सभी दोषों से रहित निर्दोष वस्त्र को अच्छी तरह देखकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा न हो कि उसके किसी कोने में कोई सचित या अचित्त वस्तु बंधी हो या उस पर कोई सचित वस्तु लगी हो। अतः वस्त्र ग्रहण करने के पूर्व साधु को उसका सम्यक्तया अवलोकन कर लेना चाहिए।

इस विषय पर और विस्तार से विचार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० से जं० सत्र्यंडं० ससंताणं तहप्प० वत्थं अफा०
नो प० ॥ से भि० से जं० अप्पंडं जाव अप्पसंताणं अनलं
अथिरं अधुवं अधारणिज्जं रोइज्जंतं न रुच्चइ तह अफा० नो प० ॥
से भि० से जं० अप्पंडं जाव अप्पसंताणं अलं थिरं धुवं धार--
णिज्जं रोइज्जंतं रुच्चइ तह वत्थं फासु० पडि० ॥ से भि० नो नवए
मे वत्थेत्तिकट्टु नो बहुदेसिएण सिणोणेण वा जाव पघसिज्जा ।
से भि० नो नवए मे वत्थेत्तिकट्टु नो बहुदे० सीओदग
वियडेण वा २ जाव पहोइज्जा ॥ से भिक्खू वा २ दुब्धिगंधे मे
वत्थेत्तिकट्टु नो बहु० सिणोणेण तहेव बहुसीओ० उस्सिं०

यात्रावयो ॥१४७॥

छाया—स भिक्षु ० म यद् साह ० स स तानक तथाप्रकार वस्त्रमप्रासुक
न प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा स यत् अल्पाड यावत् अल्पसता-
नकमनलमस्थिरमधुवमधारणीय रोच्यमान न रोचते तथाप्रकारमप्रासुक ० न
प्रतिगृह्णीयात् । म भिक्षु ० स यत् अल्पाड यावत् अल्प मन्तानकमल स्थिर धुन
धारणीय रोच्यमान रोचते तथाप्रकार वस्त्र प्रासुक प्रांतगृह्णीयात् । स भिक्षु ०
नो नव मे वस्त्रमिति कृत्वा नो बहुदेश्येन स्नानेन वा यावत् प्रषर्पयेत् । स
भिक्षु ० नो नव मे वस्त्रमतिकृत्वा नो बहुदेश्येन ० शीतोदकविफटेन वा यावत्
प्रवावेत् (प्रचालयेत्) । स भिक्षुर्वा २ दुभि गन्ध मे वस्त्रमिति कृत्वा नो बहु-
देश्येन ० स्नानेन तथैव बहुशीतोदकेन वा उष्णोदक विकटेन वा आलापरु ।

वदाय—से नि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—वस्त्र के सम्बन्ध में जाने,
जसे कि- । स अड—अण्डों से युक्त । जाव—यावत् । ससताणग—मकड़ी के जाने आदि से
युक्त । सहृष्य०—तथा प्रकार क । वय—वस्त्र को । अफा०—अप्रासुक जान कर । नो पडि०—
ग्रहण न करे । से नि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—वस्त्र के सम्बन्ध में जाने, यथा ।
अपड—अण्डों से रहित । जाव—यावत् । अपसताणग—मकड़ी के जानो से रहित । अल—
अभीष्ट काय करने में असमथ । अथिर—प्रस्थिर जीण । अयुव—अधुव-जा कि यो काल
की प्राप्ता होने से अधुव नहीं है । अघारणिज्ज—धारण करने के योग्य । रोइज्जत—अर्थात्
सुन्दर वस्त्र देने हुए भी । न रुचइ—दाता को नहीं रुचता अर्थात् दाता का मन प्रमत्त न हो
अथवा यदि वह वस्त्र साधु को भी रुचता न हो-अनुकूल न हो तो । सहृष्य०—उस वस्त्र को ।
अफा०—अप्रासुक जानकर । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

से नि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—वस्त्र को जाने, यथा- । अपड—अण्डों
से रहित । जाव—यावत् । अपसताणग—मकड़ी आदि के जानो से रहित । अल—अभीष्ट
काय करने में असमथ । अथिर—स्थिर धीर । अयुव—अधुव जिसकी साधु को सदा के लिए प्राप्ता दे
दी गई है । अघारणिज्ज—धारण करने के योग्य तथा । रोइज्जत—ग्रहण की देने की इच्छा को
दल कर यदि । रुचइ—साधु को रुचते तो । सहृष्य०—तथा प्रकार क । वय—वस्त्र को ।
अफा०—अप्रासुक जान कर मिसने पर । पडि०—साधु ग्रहण कर ले । से नि०—वह साधु या
साध्वी । तिक्कट—एना विचार कर कि । मे—मरे पास । नवए—नवीन । वय—वस्त्र ।
नो—नहीं है । बहुदेश्येण—घोड़ बहुत । सितानण वा—स्नानानि सुगन्धित द्रव्य से । जाव—

यावत् । नो पघंसिज्जा - प्रवापित न करे । इसे मि० २ - वह साधु अथवा साध्वी । मे - मेरे ।
 पाम । नो -- नहीं है । नवए - नवीन । वत्यं - वस्त्र । तिकट्टु - ऐसे विचार कर । बहुवेति० -
 थोड़े बहुत । सीओदगविघडेण वा - शीतोदक अर्थात् निर्मल शीतल जल में तथा उष्ण जल से ।
 जाव - यावत् । नो पघोइज्जा - प्रक्षालन न करे अर्थात् विभूषा के लिए एक या एक से अधिक
 चार न धोवे । से भिक्खू वा २ - वह साधु या साध्वी । मे - मेरा । वत्य - वस्त्र । दुट्ठिमग्धे -
 दुर्गन्ध युक्त है । तिकट्टु - ऐसा विचार कर । बहुदे० - थोड़े बहुत । सिणाणेण - सुगन्धित
 द्रव्य से । तहेव - उमी प्रकार । बहुमीओ० - बहुत से शीतल जल में तथा । उस्सि० - उष्ण
 जल से । नो० - नहीं धोवे । आलावओ - यह आलापक भी पूर्ववत् ही है ।

मूलार्थ—यदि कोई वस्त्र अण्डों एवं मकड़ी के जालों आदि से युक्त हो
 तो संयमनिष्ठ साधु-साध्वी को ऐसा अप्रामुक वस्त्र मिलने पर भी
 ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि कोई वस्त्र अण्डों और मकड़ी के जाले
 आदि से रहित है, परन्तु, जीर्ण-शीर्ण होने के कारण अभीष्ट कार्य की
 सिद्धि में असमर्थ है, या गृहस्थ ने उस वस्त्र को थोड़े काल के लिए देना
 स्वीकार, किया है, अतः ऐसा वस्त्र जो पहरने के अयोग्य है और दाता
 उसे देने की पूरी अभिलाषा भी नहीं रखता और साधु को भी उपयुक्त
 प्रतीत नहीं होता हो तो साधु को ऐसे वस्त्र को अप्राप्तुक एवं अनेपणीय
 जानकर छोड़ देना चाहिए । यदि वस्त्र अण्डादि से रहित, मजघूत और
 धारण करने के योग्य है, दाता की देने की पूरी अभिलाषा है और साधु
 को भी अनुकूल प्रतीत होता है तो ऐसे वस्त्र को साधु प्राप्तुक जानकर ले
 सकता है । मेरे पास नवीन वस्त्र नहीं है, इस विचार से कोई साधु-
 साध्वी पुरातन वस्त्र को कुछ सुगन्धित द्रव्यों से आघर्षण-प्रघर्षण करके
 उसमें सुन्दरता लाने का प्रयत्न न करे । इस भावना को लेकर वे ठंडे
 (धोवन)-या उष्ण पानी से विभूषा के लिए मलिन वस्त्र को धोने का
 प्रयत्न भी न करे । इसी प्रकार दुर्गन्धमय वस्त्र को भी सुगन्धयुक्त बनाने
 के लिए सुगन्धित द्रव्यों और जल आदि से धोने का प्रयत्न भी न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को ऐसा वस्त्र स्वीकार नहीं करना

चाहिए, जो अण्डे एव मन्त्री के जालों या अथ जीव-जन्तुर्मा से युक्त हो। इससे अतिरिक्त वह मंत्र भी साधु के लिए अभाष्ट है, जो अण्डा आदि से युक्त तो नहीं है, परन्तु जीर्ण-शीण होने के कारण पहनने के अयोग्य है और गृहस्थ भी उसे उद्य दिन के लिए ही दाना चाहता है और साधु को भी वह पसंद नहीं है। अतः जो वस्त्र श्रौत आदि से रहित हो, मज्जुत हो, गृहस्थ की देने के लिए पूरी अभिलाषा हो और साधु के मन को भा पसंद हो तो ऐसा मंत्र साधु ले सकता है।

असम दूसरी बात यह उताड़ गड़ है कि यदि कोई मंत्र मैला हो गया हो या दुर्गंधमय हो तो साधु को त्रिभूषा के लिए उसे पानी एव सुगन्धित द्रव्यों से रगड़ कर मंत्र एव सुगन्धित बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वृत्तिभार न इस पाठ को चिन्तनशील मुनि से मन्त्रद्वय माना है। उनका कहना है कि यदि जिनमन्त्री मुनि के वस्त्र मैले होने के कारण दुर्गंधमय हो गए हों तब भी उह उम मंत्र को पानी एव सुगन्धित द्रव्यों से धोकर साफ एव सुगन्धित तर्ही करना चाहिए।

‘मन्त्राण्यज्ज’ पद की व्याख्या करते हुए वृत्तिभार का कहना है कि लक्षण हीन उपनि को धारण करने से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का उपधात होता है। और ‘मन्त्राण्यज्ज मन्त्रव और प्रवाराणीय’ इन चार पदों के १६ अर्थ बनते हैं, अन्त १५

ॐ अपि च न भिक्षुयद्यपि मनोपचितत्वाद् दूग्धि वस्त्र स्यात्, तथापि तन्पनयनाय सुगन्धिद्रव्योत्कान्तिना नो धावनात् कर्षात् गच्छन्निगत, तत्तगनस्तु यतनया प्रामुख्योत्कान्तिना लोकोपघातसंशयितभयात् मन्त्रापनयनाथ कर्षात्पीति।

—आचाराङ्ग वृत्ति।

† चत्वारि देविया भागा, षोडश भागा य माणुमा।

प्रापुरा य षड् भागा, मन्त्र वत्थस्म रत्नसो ॥१॥

द्विष्टमुत्तमा तामो माणुमेमु य मन्त्रमो।

प्रापुरेसु य गल न मरण जाण रत्नमे ॥२॥

स्वापना भयम्। किञ्च—

सर्वस्वहीनो उवो उरन्ध्रं नाणमण चरित् ॥ इत्यादि

भंग अशुद्ध माने गए हैं और अन्तिम भंग शुद्ध माना गया है। कुछ प्रतियों में 'रोज्जत' के स्थान पर 'देज्जत' और कुछ प्रतियों में 'वज्जत' पाठ भी उपलब्ध होता है।

वस्त्र प्रक्षालन करने के बाद उसे धूप में रगवने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

३. स्थापनायत्रम्

४	अल	स्विर	ध्रुव	धारणीय
१	०	०	०	०
२	०	०	०	१
३	०	०	१	०
४	०	०	१	१
५	०	१	०	०
६	०	१	०	१
७	०	१	१	०
८	०	१	१	१
९	१	०	०	०
१०	१	०	०	१
११	१	०	१	०
१२	१	०	१	१
१३	१	१	०	०
१४	१	१	०	१
१५	१	१	१	०
१६	१	१	१	१

मूलम्—से भिवसू वा० अभिकविज्ज वत्थ आयावित्तए वा
 प० तहप्पगार वत्थ नो अणतरहियाए जाव पुटवीए सत्ताणए
 आयाविज्ज वा प० ॥ से भि० अत्थ आ० प० त० वत्थ थूणमि
 वा गिहेलुगमि वा उसुयालमि वा कामजलसि वा अन्नयरे
 तहप्पगारे अतलिस्सजाए दुब्बद्धे दुन्निक्खित्ते अणकमे चलाचले
 नो आ० नो प० ॥ से भिवसू वा० अभि० आयावित्तए वा
 तह० वत्थ कुडियमि वा भित्तसि वा मित्तमि वा लेलुमि वा
 अन्नयरे वा तह० अतलि० जाव नो आयाविज्ज वा प० ॥ से
 भि० वत्थ आया० प० तह० वत्थ खघसि वा म० मा० पासा०
 ह० अन्नयरे वा तह० अतलि० नो आयाविज्ज वा० प० । से०
 तमायाए एगतमव्वकमिज्जा २ अहेज्झामथडिल्लसि वा जान
 अन्नयरमि वा तहप्पगारमि थडिल्लमि पडिलेहिय २ पमज्जिय
 २ तयो म० वत्थ आयाविज्ज वा पया० , एय० खलु० सया
 चट्ठामि ॥१४८॥ त्तिपेमि ॥

छाया—म भिवसू वा भिवसू वा अभिजाते वत्थमातापितु वा परिता
 पितु तदाप्रकार वत्थ ना अनन्तरहिताया यासन् पथि-या मतानायाम् आता-
 पयद् वा परितापयेत् । म भिवसू वा भिवसू वा अभिजाते वत्थमातापितु
 वा परितापितु वा तथाप्रकार वत्थ स्थूणाया वा गिहेलुके वा उद्वगल वा
 कामचल वा अ यत्तस्मिन् तथाप्रकार अतरिच्चाने दुब्बद्धे दुन्निक्खित्ते अनिपप
 चनाचल ना आतापयेत् वा नो परितापयद् वा । म भिवसू वा भिवसू वा०

अभिकाक्षेत आतापयितुं वा परितापयितुं वा, तथाप्रकारं वस्त्रं कुड्ये वा भित्तौ वा शिलायां वा खैलौ वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे अन्तरिक्षजाते यावत् नो आतापयेत् वा प्रतापयेद् वा । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा वस्त्रमातापयितुं वा प्रतापयितुं वा तथाप्रकारं वस्त्रं स्कन्धे वा मञ्चके वा माले वा ग्रामादे वा हर्म्ये वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारं अन्तरिक्षजाते नो आतापयेत् वा परितापयेद् वा । स तदादाय एकान्तमपक्रामेत, अपक्रम्य अधः दग्धस्थंडिले वा यावत् अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थंडिले प्रतिलिख्य २ प्रमृज्य २ ततः सयतमेव वस्त्रमातापयेद् वा प्रतापयेद् वा एवं खलु तस्य भिक्षोः भिक्षुक्या वा मामश्रयं यत् सर्वाथैः समितः सहितः सदा यत्नेत इति ब्रवीमि । पञ्चमस्य प्रथमोद्देशकः समाप्तः ।

पदार्थ — से भिक्खू० — वह साधु या साध्वी । अमिकंखिज्जा — चाहे । वत्थं — वस्त्र को । आयावित्तए वा — आताप या । प० — परिताप देना तो । तहएपगारं — तथाप्रकार के । वत्थं — वस्त्र को । अणंतरहियाए — सचित पृथ्वी तथा आर्द्र पृथिवी । जाव — यावत् । पुडवीए — पृथिवी पर । संताणए — जल आदि से युक्त पृथिवी पर । नो आयाविज्ज वा० प० — आताप और परिताप न दे अर्थात् धूप मे न सुखावे । से भि० — वह साधु या साध्वी । अमि० — चाहे । वत्थं — वस्त्र को । आ० प० — आताप और परिताप दे तो । त० — तथाप्रकार के । वत्थं — वस्त्र को । थूणसि दा — स्थूणा—स्तम्भ, खुंटी आदि पर । निहेलुगसि वा — गृह के द्वारे पर । उसुयालंसि वा — या ऊखल पर । कामजलंसि वा — स्नान के पीठ पर अर्थात् चौकी पर । अन्नंयरे — अन्न । तहएप० — तथा प्रकार के । अतलिवखजाए — अन्तरिक्ष भूमि से ऊचे स्थान पर जो । दुडवद्धे — ऊपर भली भाँति से बान्धा हुआ नहीं है । दुन्निखिखते — दुष्ट प्रकार से भूमि पर रोपण किया हुआ है और जो । अणिकपे — निश्चल स्थान नहीं है । चलाचले — वायु के द्वारा इधर उधर हो रहा है । नो आ० नो प० — आताप या परिताप न दे । से भिक्खू व० — वह साधु या साध्वी । अमि० — यदि चाहे वस्त्र को । आयावित्तए — आताप दे । तह० — तथा प्रकार के । वत्थं — वस्त्र को । कुडियसि वा — घर की दीवार पर । भित्तंसि वा — नदी के तट पर । सिलंसि वा — शिला पर । लेलुंसि वा — शिला खंड पर अर्थात् किसी पत्थर पर । अन्नंयरे वा — अथवा अन्य । तहएप० — इसी प्रकार के । अंतलिवख० — अन्तरिक्षस्थान पर । जाव — यावत् । नो आयाविज्ज वा० प० — आताप और परिताप न दे-सुखाए नहीं । से भि० — वह साधु या साध्वी यदि चाहे । वत्थं — वस्त्र को । आया० प० — आताप या परिताप देना तो ।

तह०—तथाप्रकार के । वस्त्र—वस्त्र का । स्वसिं वा—स्तम्भ पर । म—मजे पर । मा०—माल पर । प्रासा०—प्रासाद पर । ह०—हम्य पर । अनघरे वा—अघ । तर्पण०—तथा प्रकार के । अतलिवत्—अन्तर्गिह—भूमि म ऊच म्बानों पर । नो अघ्य विज्ञ मा० प०—अनाप और परित्ताप न दे । से—वह भिक्षु । तपायाण—उम वस्त्र को उतर । एगतमवक्त्रमिन्द्र—एकान्त म चला जाये बहा जाकर । अहे—अघ्य । उभाम घटितसिं वा—जो भूमि अग्नि स दग्ध हो वा या । अनघरसि—अघ्य । तहारागारमि—उमी प्रकार की । घटितसिं वा—निर्गप स्थण्डिल भूमि का । पडिलेहिप २—प्रनिलेखन करक । पमजिय २—रजोहरणां म प्रामाजित करके । तओ—तत्तन्वात् । संजयामेव—यनना पूर्वक । वध—वस्त्र को । आया विज वा पया०—अनाप और परित्ताप दे अर्वात् मुखाए । एय खल—नचय ही य । तम्स भिन्नवृस्त—उस साधु और साध्वी का । सामगिय—सम्पूर्ण आचार है । ज—जो । सव्वटठहि—जान दान चारित्र रूप धर्मों से तथा । समिय—पाच समितियों स । सहिए—सहित है वह उसका पालन करते में । सया—सया । जएजासि—यत्न करे । तिबमि—इस प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी यदि वस्त्र को धूप में सुखा ना चाहे तो वह गीलो जमीन पर यावत् अण्डो और जातो से युक्त जमीन पर न मुखावे तथा न वस्त्र को स्तम्भ पर, घट के दरवाजे पर, उखल और स्नान पीठ (चीकी) पर सुखाए एव इमी प्रकार के अघ्य, भूमि से उचे स्थान पर—जोकि दुवद्ध दुनिक्षिप्त कपनशील तथा चलाचल हा उन पर और घर को दीवार पर, नदी के तट पर, शिला और शिलाखड पर, स्तम्भ पर, मत्त पर माल पर, तथा प्रासाद और हम्य प्रासाद विशप पर वस्त्र को न सुखावे । यदि सुखाना हो तो एकान्त स्थान में जाकर बहा अग्नि-दग्ध स्थण्डिल यावत् इसी प्रकार क अघ्य निर्दोष स्थान का प्रतिलेखन और प्रमाजना करक यन्न पूर्वक सुखाए । यही साधु का समग्र सम्पूर्ण आचार है, इस प्रकार में कहता हू ।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जो स्थान नीला हो, बीच, हरियाली एव अण्डा आदि में युक्त हो तो साधु ऐसे स्थान पर वस्त्र न सुखाए । और वह स्तम्भ पर घर के दरवाजे पर एव ऐसे अघ्य उचे स्थानों पर भी वस्त्र न सुखाए । क्योंकि दाना

के भोंकों से ऐसे स्थानों पर से वस्त्र के गिरने से या उसके हिलने से वायुकायिक एवं अन्य जीवां की विराधना होने की सम्भावना है। इसलिए साधु को ऐसे ऊचे स्थानों पर वस्त्र नहीं सुखाना चाहिए। जो अच्छी तरह बन्धा हुआ नहीं है, भली-भांति आरोपित नहीं है, निश्चल नहीं है, चलायमान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो अन्तरिक्ष का स्थान सम्यक्तया बन्धा हुआ, आरोपित, स्थिर एवं अचलायमान हो तो अपवाद मार्ग में वहां पर साधु वस्त्र सुखा भी सकता है।

प्रस्तुत सूत्र में मकान आदि स्थानों पर भी वस्त्र सुखाने का निषेध किया है। इसका उद्देश्य आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पहले अध्यायन के ७वे उद्देशक में आहार विधि के प्रकरण में दिया गया उद्देश्य ही है। यदि मञ्च एवं मकान आदि की छत पर जाने का मार्ग प्रशस्त है और वहां किसी भी जीव की विराधना होने की सम्भावना नहीं है तो साधु मञ्च एवं मकान आदि की छत पर भी वस्त्र सुखा सकता है। वस्तुतः सूत्रकार का उद्देश्य यह है कि साधु को प्रासुक एवं निर्दोष भूमि पर ही वस्त्र सुखाने चाहिए, जिमसे किसी भी प्राणी की हिसा न हो।

‘त्त्रिभिः’ की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

पंचम अध्यायन-वात्रैपणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक में वस्त्र ग्रहण करने की विधि का वर्णन किया गया था, अब श्रुत उद्देशक में वस्त्र धारण करने की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षु वा० ग्रहमणिजाड वत्थाड जाडजा
 ग्रहापरिग्गहियाड वत्थाड धारिज्जा नो धोडज्जा नो रएज्जा नो
 घोयरत्ताड वत्थाड धारिज्जा, अपलिउचमाणो गामतरेसु० ग्रोम-
 चेलिए, एय खलु वत्थधारिस्म सामग्गिय ॥ से भिक्षु वा० गा
 हावडकुल पविसिउकामे सब्ब चीवरमायाए गाहावडकुल निक्ख-
 मिज्ज वा पविसिज्ज वा, एव वहिया विहारभूमि वा वियार-
 भूमि वा गामाणुगाम वा दूडज्जिज्जा, ग्रह पु० तिव्वदेसिय वा
 वास वासमाण पेहाए जहा पिडेसणाए नवर सब्ब चीवर-
 मायाए ॥१४६॥

ध्याया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा यद्यैपणीयानि वस्त्राणि याचेत् यथा
 परिगृहीतानि वस्त्राणि धारयेत् । नो धारयेत् नो रजयेत् नो घोतरक्तानि
 वस्त्राणि धारयेत् अपरिक्वचमाने ग्रामान्तरेषु अत्रमचेलन्न एव खलु वस्त्र
 धारिण्य । सामग्र्यम् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा गृहपतिकुल प्रवेष्टुकाम सर्व
 चीवरमायाय गृहपतिकुल निष्कामेत् वा प्रविशेत् वा एव वहि विहार भूमि वा

विचारभूमिं वा ग्रामानुग्रामं वा दूयेत् -गच्छेत् । अथ पुनः एव जानी-
यात् । तीव्रदेशिकां वा वर्षा वर्षन्तं प्रेक्ष्य, यथा पिडैपणायाम् । नवरं सर्वं
चीवरमादाय ।

पदार्थ—से निषसू घा०—वह साधु या साध्वी । अहेसणिज्जाइं—अथ एषणीय-
अर्थात् भगवदाज्ञानुमार । वत्याइं—जो वस्त्र है उनकी । जाइज्जा—याचना करे फिर ।
अहापरिगहियाइं—यथा परिगृहीत । वत्याइं—चस्त्रो को । धारेज्जा—धारण करे तथा उन
वस्त्रों को विभूषा के लिए । नो घोइज्जा—न तो धोए और । नो रएज्जा—न रंगे, इतना
ही नहीं किन्तु । नो घोष रत्ताइ वत्याइं—धोए और रंगे हुए वस्त्रो को । नो धारिज्जा—
धारण भी न करे । गामंतरेसु०—ग्रामादि मे । अपलिउचमाणे—वस्त्रो को न गोपता हुआ
विचरे तथा । ओनचेलिए—असार वस्त्र अथवा थोडा वस्त्र धारण कर सुय पूर्वक विचरे ।
एयं—यह । खलु—निश्चय ही । वत्यधारिस्स—वस्त्रधारी मुनि का । सामगियं—सम्पूर्ण
आचार है ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । गाहायइकुलं—गृहपति कुल मे आहारादि के
लिए । पविसिउ कामे—प्रवेश करने की इच्छा वाला । सर्वं—सर्व । चीवरमायाए—
वस्त्र लेकर । गाहावई कुल—गृहपति कुल में । निवल्लमिज्ज वा पविसिज्ज वा—निष्क्रमण
और प्रवेश करे अर्थात् उपाश्रय से निकले और गृहस्थ के घर मे प्रवेश करे । एवं—इसी
प्रकार । वहिया—वस्ती आदि से बाहर । विहारभूमि वा—विहार-स्वाध्याय करने की भूमि मे
अथवा । विवार भूमि वा—मल आदि का त्याग करने की भूमि मे अथवा । गामाणुगामं—
ग्रामानुग्राम विहार करते समय वस्त्र लेकर ही । दूइज्जिज्जा—प्रयाण करे । अह पुण—अथ-
इस प्रकार जाने । तिक्क देसिय वा—थोड़ी या बहुत । वासं वासमाण—वर्षा वरसती हुई को ।
पेहाए—देख कर । जहा—जैसे । पिडेसणाए—पिण्डैपणा अध्ययन मे आहार विषयक वर्णन
किया है उसी प्रकार यहा पर भी जान लेना चाहिए किन्तु । नवरं—इतना विशेष है कि । सर्वं
चीवरमायाए—सर्व वस्त्रो को ग्रहण करके जावे ।

मूलार्थ—संयमशील साधु या साध्वी भगवान द्वारा दी गई आज्ञा के
अनुरूप एषणीय और निर्दोष वस्त्र की याचना करे और मिलने पर उन्हें
धारण करे । परन्तु, विभूषा के लिए वे उन्हें न धोए और न रंगे तथा
धोए हुए और रंगे हुए वस्त्रो को पहने भी नहीं । किन्तु, अल्प और
असार [साधारण] वस्त्रो को धारण करके ग्राम आदि मे सुख पूर्वक विचरण
करे । वस्त्रधारी मुनि का वस्त्र धारण करने सम्बन्धी यह सम्पूर्ण आचार

है अर्थात् यही उसका भिक्षुभाव है ।

आहारादि के लिए जाने वाले मयमेनिष्ठ साधु—माध्वी गृहस्थ के घर मे जाते समय अपने भी वस्त्र साथ मे लेकर उसपाश्र्व से निकलें और गृहस्थ के घर मे प्रवेश करें । इसी प्रकार वस्ती से बाहर, स्वाध्याय भूमि एवं जगल आदि जाते समय तथा ग्रामानुग्राम विहार करते समय भी वे सभी वस्त्र लेकर विचरें । इसी प्रकार थोड़ी या अधिक वर्षा वरसती हुई को देखकर साधु वैसा ही आचरण करे जैसा पिंडेपणा अध्ययन मे वृणन किया गया है । केवल इतनी ही विशेषता है कि वह अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए ।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि आगम मे वर्णित विधि के अनुसार साधु को निर्दोष एव एषणीय वस्त्र जिम रूप मे प्राप्त हुआ हो वह उसे उम्मी रूप मे धारण करे । विभूषा की दृष्टि से साधु न तो उस वस्त्र को रख धोए और न रगे और यदि कोई गृहस्थ उसे थोर या रगतर ने तब भी नइ उसे स्वीकार न कर । इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को विभूषा के लिए वस्त्र को धोना या रगता नहीं चाहिए । क्योंकि वह वस्त्र का उपयोग केवल लज्जा टकन एव शीतादि से बचने के लिए करता है, न कि शारीरिक निमेषा के लिए । परंतु, यदि वस्त्र पर ग रंगो लगे है या उसे देखकर किम के मन मे घृणा उत्प न होती है तो पक्षी स्थिति मे वह उसे विवेक पूर्वक साफ करता है तो उससे लिए शास्त्रकार का निषेध नहीं है । क्योंकि, अशुचियुक्त वस्त्र के कारण वह स्वाध्याय भी नहीं कर सकेगा । अतः उसका निवारण करना आवश्यक है । विभूषा के लिए वस्त्र धोने का निषेध करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि साधु स्वाध्याय एव ध्यान के समय को केवल अपने शरीर की सजावट के लिए वस्त्र धोने मे समाप्त न करे । क्योंकि, साधु की साधना शरीर एव वस्त्रों को सुदूर वनान के लिए नहीं, प्रयुक्त आत्मा को स्वच्छ एव पूष्य रखत बनाने के लिए है । अतः उसे अपना पूरा नमय आत्म साधना मे ही लगाना चाहिए ।

इम सूत्र मे साधु को यह आदेश भी दिया गया है कि वह आहार के लिए

गृहस्थ के घर में जाते हुए या स्वाध्याय भूमि में तथा जंगल के लिए जाते समय अपने सभी वस्त्र साथ लेकर जाए। इससे गृह स्पष्ट होता है कि साधु के पास आवश्यकता के अनुसार बहुत ही थोड़े वस्त्र होते थे। और आगम में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को स्वल्प एव साधारण (असार) वस्त्र रखने चाहिए।

इस पाठ से यह भी ध्वनित होता है कि उस युग में शहर या गांव से बाहर एकान्त में स्वाध्याय करने की प्रणाली थी। क्योंकि एकान्त स्थान में ही चित्त की एकप्रता बनी रहती है। यह भी बताया गया है कि साधु को शौच के लिए भी गांव या शहर से बाहर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिना किसी विशेष कारण के उपाश्रय से शौच नहीं जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में कुछ और विशेष बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से एगइत्रो मुहुत्तगं २ पडिहारियं वत्थं जाइज्जा,
 जाव एगाहेण वा दु० ति० चउ० पंचाहेण वा विप्पवसिय २
 उवागच्छिज्जा, नो तह वत्थं अप्पणो गिगिहज्जा! नो अन्न-
 मन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा नो वत्थेण वत्थपरिणामं
 करिज्जा, नो परं उवसंकमिता एचं वहज्जा—आउ० समणा !
 अभिकंखसि वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ? थिरं वा संतं
 नो पलिच्छिदिय २ परट्ठविज्जा, तहप्पगारं वत्थं ससंधियं
 वत्थं तस्स चैव निसिरिज्जा नो णं साइज्जिज्जा ॥ से एगइत्रो
 एयप्पगारं निग्घोसं सुच्चा नि० जे भयतारो तहप्पगाराणि
 वत्थाणि ससंधियाणि मुहुत्तगं २ जाव एगाहेण वा० पू विप्प-
 वसिय २ उवागच्छंति, तह० वत्थाणि नो अप्पणा गिरहंति नो
 अन्नमन्नस्स दलयंति तं चैव जाव नो साइज्जंति, बहुवयणोण

भाणियव्य से हता अहमपि मुहुत्तग पाडिहारिय त्तथ जाडत्ता जाप
एगाहेण वा ५ विष्यसिय २ उगागच्छिस्सामि, अविद्याड एय
ममेव मिया माहूट्ठाण सफामे नो एव करिज्जा ॥१५०॥

छाया—म एकत्र मुहूर्तक प्रातिहारिक वस्त्र याचेत याचित्वा यात्र
एकाहन वा द्व्यहन वा त्र्यहेन वा चतुरहेन वा पंचाहेन उपित्वा २ उपागच्छेत्
नो तथा वस्त्र आत्मना गृहणीयात् नो अन्यस्मै दद्यात् नो प्रामृज्य कुर्यात् नो
वस्त्रेण वस्त्रपरिणाम कुर्यात्, नो परमुपमन्व्य एव वदेत् आयुष्मन् । श्रमण !
अभिजाचमि वस्त्र धारयितुं वा परिहृतुं वा स्थिर वा सत् परिच्छिद्य २
परिष्ठापयेत् तथाप्रकार वस्त्र ममन्धित वस्त्र तस्मै चैव निमृजेत् नो स्वा-
दयेत् । स एकत्र एतत्प्रकार निर्घोष श्रुत्वा निशम्य ये वयत्रात्तार तथा-
प्रकाराणि वस्त्राणि ममन्धितानि, मुहूर्तक २ यात्र एकाहेन वा० ५ उपित्वा २
उपागच्छन्ति तथाप्रकाराणि वस्त्राणि नो आत्मना गणहति, नो अयोऽन्यस्मै
ददति तच्चैव नो स्वादयन्ति बहुमचनन भाणितव्य । स हत अहमपि मुहूर्तक
प्रातिहारिक वस्त्र याचित्वा यात्र एकाहन वा० ५ उपित्वा २ उपाग
मिष्यामि । अपि च एतत् ममैव स्यात्, मत्स्थान मस्पृशेत् नो एव कुर्यात् ।

पराय—एगइधो—कोई । स—भिद्यु । मुहुत्तग ५—मुहुत्त मात्र काल का उद्घा-
वर । पाडिहारिय—प्रतिहारक—जो लेकर फिर पीछे उभो का दिया जाए उसे प्रातिहारिक
कहते हैं । वत्थ—वस्त्र की । जाइज्जा—याचना करे । जाव—यात्र वस्त्र की याचना करके
वह धकेला ही ग्रामादि में चला जाए घोट वहाँ पर । एगाहेण वा—एक दिन । दु०—दो दिन ।
ति—तीन दिन । चउ०—चार दिन धरवा । पचाहेण वा—पाच दिन । विष्यसिय २—
ठहर कर फिर । उगागच्छिज्जा—वना पर ही धा जाए । तहूदवगार—तथा प्रकार का । वत्थ—
वस्त्र, यदि पन्नने से पत्त गया हो, उपहन हो गया हो तो । ग्रपणी—उस वस्त्र का स्वामी
जिमी वस्त्र दिया था वह उपहन हुआ जानकर स्वयं । नो गिगिहज्जा—ग्रहण न करे । नो
अ नम नरस दिज्जा—न परस्पर में किसी का द । नो पमिच्च कुज्जा—न किसी का उधार
रथा । वत्थेण—वस्त्र से । वत्थपरिणाम नो करिज्जा—वस्त्र का परिणामन धर्यात् ग्रना-

बदला न करे तथा । नो पर उवसकमिन्ता—न किसी अन्य साधु के पास जाकर । एवं वइज्जा—
इस प्रकार कहे—। आउ० समणा—हे आर्युप्पम् श्रमण ! अभिकंखसि—क्या तुम चाहते हो ।
वत्थं—वस्त्र को । धारित्तए वा—धारण करना अथवा । परिहरित्तए वा—पहरना, इस प्रकार
कह कर अन्य साधु को भी वस्त्र नहीं दे । थिरं वा—अथवा स्थिर—दृढ । संतं—वस्त्र के होने
पर । पलिच्छदिय २—छेदन करके-टुकड़े करके । नो परिट्ठविज्जा—परठे नहीं अर्थात् फेंके
नहीं । तहप्पगारं—तथा प्रकार के । वत्थं—वस्त्र को । ससधियं—उपहत वस्त्र को । तस्स-
चेव—उसी को ही । निसिरिज्जा—दे देवे । णं—वाक्यालंकार मे है । नो साइज्जा—स्वयं
न भोगे अर्थात् जिससे वस्त्र लिया था यदि वह ग्रहण करना-लेना चाहे तो उसी को दे दे ।
से—वह । एगइओ—कोई एक साधु । एयप्पगारं—इस प्रकार के । निग्घोसं—निर्घोष-शब्द
को । सुच्चा—सुन कर । नि०—हृदय मे धारण करके । जे भयंतारो—जो पूज्य तथा भय से
रक्षा करने वाले साधु । तहप्पगाराणि—तथा प्रकार के । वत्थाणि—वस्त्रो को । ससधियाणि—
जो उपहत हैं । मुहुत्तगं २ - मुहूर्त—आदि काल का उद्देश कर । जाव—यावत् । एगाहेण वा० ५—
एक दिन से लेकर पाच दिन तक । विप्पवसिय २ - किसी ग्रामादि में ठहर कर । उवागच्छंति—
आते है फिर उपहत हुआ वस्त्र । तह० वत्थाणि—तथाप्रकार के वस्त्रो को । नो अप्पणा
गिण्हति—स्वयं ग्रहण नहीं करते । नो अन्नमन्नस्स दलयति—न परस्पर में देते है । तं चेव—
जोप वर्णन पूर्ववत् । जाव—यावत् । नो साइज्जंति—न वे स्वयं भोगते है अर्थात् उसी को दे
देते है । बहु वयणेण वा भाणियब्बं—इसी प्रकार बहुवचन के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए ।
से हता—वह भिक्षु हर्ष पूर्वक स्वीकार करते हुए कहता है कि । ग्रहमवि—मैं भी । मुहुत्तगं—
मुहूर्त आदि काल का उद्देश कर । पडिहारिय—प्रतिहारक । वत्थं—वस्त्र को । जाइता—
माग कर । जाव—यावत् । एगाहेण वा० ५—एक दिन से लेकर पांच दिन पर्यन्त । विप्पवसिय
२ - ठहर कर के पीछे । उवागमिस्सामि—आऊंगा । अविद्याइ—जिससे । एयं—यह वस्त्र ।
ममेवसिया—मेरा ही हो जाएगा यदि वह ऐसा सोचता है तो । माइद्ढाण सफासे—उसे
मातृस्थान—माया या छल का स्पर्श होता है । एव—अतः इस प्रकार का । नो करेज्जा—
बिचार न करे ।

मूलार्थ—कोई एक साधु मुहूर्त आदि काल का उद्देश्य रख कर किसी
अन्य साधु से प्रातिहारिक वस्त्र की याचना करके एक दिन, दो दिन, तीन
दिन, चार दिन और पांच दिन तक किसी ग्रामादि में निवास कर वापिस
आ जाए, और वह वस्त्र उपहत हो गया हो तो वह साधु, जिसका वह
वस्त्र था वह आप ग्रहण न करे, न परस्पर देवे, न उधार करे और न

अदला बदली करे तथा न अन्य किसी के पास जाकर यह कह कि आयुष्मन् श्रमण ! तुम इस वस्त्र को ले लो, एव वस्त्र के दृढ होने पर उसे छिन्न भिन्न करके परठे भो नही, किन्तु उपहत वस्त्र उमो को दे दे ।

कोई साधु इस प्रकार के समाचार को सुन कर-अर्थात् अमुक साधु अमुक साधु से कुछ समय के लिए वस्त्र माग कर ले गया था और वह वस्त्र उपहत हो जाने पर उमने नही लिया अपितु उमी को दे दिया एसा सुनकर वह यह विचार करे कि यदि मैं भी मुहूर्त आदि का उद्देश्य रख कर प्रातिहारिक वस्त्र की याचना कर यावत् पाच दिन पर्यन्त किसी अग्र्य ग्रामादि मे निवास कर फिर वहा पर आ जाऊंगा ता वह वस्त्र उपहत हो जाने से मेरा ही हो जाएगा, इस प्रकार के विचार के अनुसार यदि साधु प्रातिहारिक वस्त्र का ग्रहण करे तो उसे मातृस्थान का स्पश होता है अर्थात् माया के स्थान का दोष लगता है । इसलिए साधु ऐसा न करे बहुत से साधुओं के सम्बन्ध मे भी इसी तरह समझना चाहिए ।

हिंदी निवेदन

प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि यदि किसी साधु ने अपने अन्य किसी साधु से कुछ समय का निश्चय करके वस्त्र लिया हो और उतने समय तक वह ग्रामादि मे निचरण करके वापिस लौट आया हो और उसका वह वस्त्र कहीं से फट गया हो या मैला हो गया हो, जिसके कारण वह स्त्रीभार न कर रहा हो तो उस मुनि को वह वस्त्र अपने पास रख लेना चाहिए । और जिम मुनि ने वस्त्र दिया था उसे चाहिए कि वह या तो उम उपहत (फटे हुए या मैले हुए) वस्त्र को ग्रहण कर ले । यदि वह उसे नहीं लेना चाहें तो फिर वह उसे अपने दूसरे साधुओं मे न बाटे और मजबूत वस्त्र को फाड कर परठे (फेंक) भी नहीं और उसके बदले मे उससे वैस ही नए वस्त्र को प्राप्त करने की अभिलाषा भी नहीं रखे । और उस लेने वाले मुनि को भी चाहिए कि यदि वह दाता मुनि उसे वापिस न ले तो वह किसी एफलप्रिहारी मुनि को यदि उस वस्त्र की आवश्यकता हो तो उसे दे दे । अथवा स्वयं उसका उपभोग कर । यह नियम जैसे एक साधु के लिए है उसी तरह अनेक साधुओं के लिए भी यही विधि समझनी चाहिए ।

किसी माधु मे ऐसा जानकर कि प्रातिहारिक रूप लिया हुआ वस्त्र थोड़ा सा

कष्ट जाने पर देने वाला मुनि वापिस नहीं लेता है, इस तरह वह वस्त्र लेने वाले मुनि का ही हो जाता है। इस भावना को मन में रख कर कोई भी साधु प्रातिहारिक वस्त्र ग्रहण न करे। यदि कोई साधु इस भावना से वस्त्र ग्रहण करता है, तो उसे माया का दोष लगता है।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० नो वराणमंताइं वत्थाइं विवराणाइं करिज्जा,
 विवराणाइं न वराणमंताइं करिज्जा, अन्नं वा वत्थं लभिससामित्ति-
 कट्टु नो अन्नमन्नस्स दिज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, नो वत्थेण
 वत्थपरिणामं कुज्जा, नो परं उवमंक्कमित्तु एवं वदेज्जा-आउसो० !
 समभिकंखमि मे वत्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ! थिरं वा
 संत नो पल्लिच्छिदिय २ परिट्ठविजा, जहा मेयं वत्थं पावगं
 परो मन्नइ, परं च गां अदत्तहारी पडिपहे पेहाए तस्स वत्थस्स
 नियाणाय नो तेसिं भीओ उम्मग्गेणं गच्छिज्जा, जाव अप्पुस्सुए,
 तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जिज्जा ॥ से भिक्खू वा०
 गामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से विहं सिया, से जं पुण विहं
 जाणिज्जा, इमंसि खलु विहंसि वहवे आमोसगा वत्थपडियाए
 संपिंडिया गच्छेज्जा, णो तेसिं भीओ उम्मग्गेणं गच्छेज्जा जाव
 गामा० दूइज्जिज्जा ॥ से भि० दूइज्जमाणे अंतरा से आमोसगा
 पडियागच्छेज्जा, ते गां आमोसगा एवं वदेज्जा—आउसं० !
 आहरेयं वत्थं देहि णिक्खिवाहि जहा रियाए णाणत्तं वत्थ-

पडियाए, एय खलु० जडज्जासि, त्तिवेमि ॥१५१॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ना वर्णवन्ति वस्त्राणि विवर्णानि कुर्यात्
त्रिवर्णानि न वर्णयन्ति कुर्यात् अन्यद् वा वस्त्र लप्स्ये इति कृत्वा ना
अन्योन्यस्मै दद्यात्, नो प्रामित्य कुर्यात् नो वस्त्रेण वस्त्रपरिणाम कुर्यात् नो परम्
उपसक्रम्य एव वदेत् - आयुष्मन् श्रमण ! समभिकाक्षमि मे वस्त्र धारयितु
वा परिहृतु वा स्थिर वा सत नो परिच्छिन्द्य २ परिष्ठापयेत्, यथा ममेद
वस्त्र पापक परोमन्यते पर च अदत्ताहारि प्रतिपद्ये प्रेष्य तस्य वस्त्रम्य
निदानाय नो तेभ्यो भीत उन्मार्गेण गच्छेत् यावन् अल्पोसुक इतत् सयतमेव
ग्रामानुग्राम दूयेत ।

स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा ग्रामानुग्राम दूयमान गच्छन् अतरा अ तराले
विह (श्रण्य) स्यात् स यत् पुन विह जानीयात्, अस्मिन् खलु विह
वहव आमोपका वस्त्रप्रतिज्ञया मपिंडिता गच्छेयु नो तेभ्यो भीत
उन्मार्गेण गच्छेत् यावत् ग्रामानुग्राम दूयेत ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा दूयमान
अतरा तस्य आमोपका प्रतिज्ञया आगच्छयु । ते आमोपका एव वदयु—
आयुष्मन् श्रमण ! आहर ? हद वस्त्र ? दहि ? निक्षिप ? यथा ईर्यायां
नानात्व वस्त्रप्रतिज्ञया, एव खलु तस्य भिक्षो २ सामग्र्य यत् सर्वाथ
समित्या महित सदायतेत, इति ब्रवीमि ।

पदाय—से भि०—वह साधु या साध्वी । वणमताइ—वण वाते । वत्पाइ—
वस्त्रो को । विवर्णा—विवर्ण । नो करिज्जा—न करे । विवर्णाई—वण रत्त मुदरता
रहित वस्त्रो को । वणमताइ—वण युक्त । न करिज्जा—न करे । वा—या । उत—प्रत्य,
वत्य—वस्त्र । सभिरसामि—प्राप्त करूंगा । तिक्कट्ट—एसा विचार करक । अन्नम तसत्—
परम्पर किमी एह साधु को वस्त्र । नो विजा—न दे । पामिच्च—वस्त्र की उधार न दे ।
वत्थेण—वस्त्र से । वस्त्रपरिणाम—वस्त्र का अन्त वस्त्र । नो कुज्जा—न करे । परे
उपसक्रमसत्—पर प्राय साधु के पास जाकर । एव—इस प्रकार । नो वदिसिज्जा—न कहे ।
माउत्तो०—हे आयुष्मन् श्रमण ! क्या तू । मे—मरा । वत्य—वस्त्र । धारयति वा—

वारण करना अथवा । परिहरित्तए वा—पहरना ; समभिकवमि—चाहता है । धिर या सत—
दृढ़ वस्त्र होने पर । पत्तिच्छदिय २—खण्ड—खण्ड करके । नो परिठ्ठद्विज्जा—परठे नहीं ।
जहा—जैसे । मेय—मेरे इस वस्त्र को यावत् । परोमन्नइ—अन्य व्यक्ति निवृष्ट मानता है
मेना विचार करके न परठे । च—पुनः । णं—वाक्यालकार मे है । पर—अन्य—गृहस्थ ।
अदत्तहारि—घिना दिए लेने वाला अर्थान् चोर । पडिपहे—मार्ग में सामने प्राप्ते हुए को ।
पेहाए—देव कर । तत्त वत्थस्त—उन वस्त्र के । निषाणाय—रमने के लिए । तेसि—उनमे ।
नीओ—डर कर । उम्मगेण—उन्मार्ग मे । नो गच्छिज्जा—गमन न करे । जाव—यावत् ।
अप्वत्तुए—राग—द्रेप से रहित होकर । तथो—तदनन्तर । संजयामेध—यतनापूर्वक ।
गामाणुगाम—एक ग्राम से दूसरे ग्राम के प्रति । दूइज्जेज्जा—गमन करे-विहार करे ।

से निक्खू घा—वह साधु या साध्वी । गामाणुगाम—गामानुगाम । दूइज्जेमाणे—
गमन करते हुए । अंतरा—मार्ग के मध्य में । से—उनके । विहं सिया—यदि अटवी आजाए
तो । से जं पुण—वह फिर । विहं जाणिज्जा—अटवी को जाने । खलु—निश्चयार्थक है ।
इमंनि विहमि—इन अटवी मे । व्हवे—बहुत से । आमोसगा—चोर । वत्थपडियाए—वस्त्र
छीनने के लिए । सविडिया—एकत्र होकर । आगच्छेज्जा—आए है तो । तेसि नीओ—
उनमे डर कर । उम्मगेणं—उन्मार्ग से । णो गच्छेज्जा—गमन न करे । जाव—यावत् ।
गामा०—गामानुग्राम । दूइज्जेज्जा—विहार करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी गामानुग्राम । दूइज्जेमाणे—विहार करता हुआ ।
से—उनके । अतरा—मार्ग में । आमोसगा—चोर एकत्र होकर । पडियागच्छेज्जा—वस्त्र
छीनने के लिए आजाए । ण—वाक्यालकार मे है । ते—वे । आमोसगा—चोर । एव—इस
प्रकार । वदेज्जा—कहे । आउसो०—आयुष्मन् श्रमण ! एय वत्थ—यह वस्त्र । आहर—ला ।
वेहि—हमारे हाथ मे दे दे या । णिखिवाहि—हमारे आगे रख दे तब । जहा इरियाए—जैसे
ईर्ष्याध्यान में वर्णन किया है उमी प्रकार करे । णाणत्तं—उममे इतना विषेप है । वत्थ
पडियाए—वस्त्र के लिए अर्थात् यहा पर वस्त्र का अधिकार समझना । एयं खलु—निश्चय ही
यह । तत्त—साधु और साध्वी का । सामगिय—सम्पूर्ण आचार है । ज—जो । सच्चट्ठेहि—
सर्व अर्थों से नथा । समिए—पाचो समित्तियो से । सहिए—युक्त । सया—सदा संयम पालन का ।
जइज्जासि—यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—संयमशील साधु और साध्वी सुन्दरवर्णवाले वस्त्रो को
विवर्ण—विगत वर्ण न करे तथा विवर्ण को वर्ण युक्त न करे । तथा मुझे
अन्य सुन्दर वस्त्र मिल जाएगा ऐसा विचार कर के अपना पुराना वस्त्र

किमी और को न दे। और न किसी से उमारा वस्त्र लवे एवं अपने वस्त्र की परस्पर बदला बदली भी न करे। तथा अथ श्रमण के पास आकर इस प्रकार भी न कहे कि आयुष्मन् ! श्रमण ! तुम मेरे वस्त्र को ले लो, मेरे इस वस्त्र को जनता अच्छा नहीं समझती है इसके अतिरिक्त उस दण्ड वस्त्र को फाड़ करके फेंके भी नहीं तथा माग में आते हुए चोरो को देख कर उस वस्त्र की रक्षा के लिए चोरों से डरता हुआ उमाराग से गमन न करे, किंतु राग द्वेष से रहित होकर साधु ग्रामानुग्राम विहार करे विचरे। यदि कभी विहार करते हुए माग में अटवी आ जाए तो उसको उल्लघन करते समय यदि बहुत से चोर एकत्र होकर सामने आ जाए तब भी उनसे डरता हुआ उमाराग में न जाए। यदि वे चोर कहें कि आयुष्मन् श्रमण ! यह वस्त्र उतार कर हमें दे दो, यहाँ रख दो ? तब साधु वस्त्र को भूमि पर रख दे, किंतु उनके हाथ में न दे और उनसे करुणा पूर्वक उसकी याचना भी न करे। यदि याचना करती हो तो धमपूर्वक करे। यदि वे वस्त्र न दें तो नगरादि में जाकर उनके सवध में किसी से कुछ न कहे। यही वस्त्रपणा विषयक साधु और साध्वी का सम्पूर्ण आचार है अतः ज्ञान, दशन और चारित्र्य तथा पाच समितियों से युक्त मुनि विवेकपूर्वक आत्म-साधना में मलग्न रहे। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु उज्ज्वल या मैला जैसा भी वस्त्र मिला है वह उसे उसी रूप में धारण करे। किंतु, वह न तो चोर आदि के भय से उज्ज्वल वस्त्र को मैला करे और न निभूपा के लिए मैल वस्त्र को साफ करे। और नए वस्त्र को प्राप्त करने की अभिलाषा से साधु अपने पहले के वस्त्र को किसी अथ साधु को न दे और न किसी से बदला-बदली करे तथा उस चलते हुए वस्त्र को फाड़ कर भी न फेंके।

सूत्रकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि साधु को सदा निभय होकर विचरना चाहिए। यदि कभी अथी पार करत समय चोर मिल जाय तो उनसे अपने वस्त्र को

वचाने की दृष्टि से साधु रास्ना छोड़ कर उन्मार्ग को और न जाए। यदि वे चोर साधु से चस्त्र मागे तो साधु उस चस्त्र को जमीन पर रख दे, परन्तु उनके हाथ में न दे और उसे वापिस लेने के लिए उनके मासने गिड़गिड़ाहट भी न करे और न उनकी खुशामद ही करे। यदि अवसर देखे तो उन्हें धर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। इससे यह स्पष्ट होता है कि चस्त्र केवल संयम साधना के लिए है, न कि ममत्व के रूप में है। अतः साधु को किसी भी स्थिति में उस पर ममत्वभाव नहीं रखना चाहिए। इससे साधु जीवन के निर्ममत्व एवं निर्भयत्व का स्पष्ट परिचय मिलता है।

‘तित्वेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ पञ्चम अध्यायन समाप्त ॥

पठ अध्ययन—पात्रैपणा

प्रथम उद्देशक

यह हम दृष्ट करने हैं कि पहले अध्ययन में आहार ग्रहण करने की विधि का, दूसरे अध्ययन में आहार करने पर ठहरने के स्थान का, तीसरे अध्ययन में गमनागमन में विवेक रखने के लिए इयां समिति का, चौथे में आहार आदि के लिए गमन करते हुए विहार करते समय भाषा में विवेक रखने के लिए भाषा समिति का और पाचवें अध्ययन में इस समय साधना में प्रवर्तमान साधक को कैसा वस्त्र पहण करना चाहिए इसका उल्लेख किया गया है। अब प्रस्तुत अध्ययन में आहार ग्रहण करने के लिए कैसा पात्र होना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्षू वा अभिकरिञ्जा पाय एसित्तए, से ज पुण पाय जाणिञ्जा, तजहा—यलाउयपाय वा, दारुपाय वा मट्टियापाय वा, तट्ठपगार पाय जे निग्गथे तरुणे जाव थिर सघयणे से एग पाय धारिञ्जा, नो विडय ॥ से भि० पर यद्ध-जोयणमेराए पायपडियाए नो अभिसधारिञ्जा गमणाए ॥ से भि० से ज० यस्मि पडियाए एग साहम्मिय ममुहिस्म पाणाड ४ जहा पिंडेसणाए चत्तारि आलावगा, पचमे वहणे समण० पगणिय २ तहेव ॥ से भिक्षू वा० अस्सजए भिक्षु पडियाए वहवे समणमाहणे० वत्थेसणाऽऽलावयो ॥ से भिक्षू वा० से जाड पुण पायाड जाणिञ्जा विरूवरूवाइ महद्धण-

मुल्लाई, तंजहा—अययायाणि वा तउपाया० तंव पोया० सीसग
पाया० हिरराणापा० सुवराणापा० रीरिअ पाया० हारपुडपा०
मणिकायकंसपाया० संखसिंगपा० दंतपा० चेलपा० सेलपा०
चमपा० अन्नयराइं वा तह० विरूवरूवाइं महद्धणामुल्लाईं
पायाइं अफासुयाइं नो पडिगाहिजा ॥ से भि० से जाइं पुण
पाया० विरूव० महद्धणवंधणाइं तं० अयबंधणाणि वा जाव
चम्मबंधणाणि वा, अन्नयराइं तहप्प० महद्धणवंधणाइं अफा०
नो प० ॥ इच्चेयाइं आयतणाइं उवाइक्कम्म अह भिक्खू
जाणिज्जा चउहिं पडिमाहिं पायं एसित्तए, तत्थ खलु इमा पढमा
पडिमा—से भिक्खू० उहिसिय २ पायं जोइज्जा, तंजहा—
अलाउयपायं वा ३ तह० पायं सयं वा रां जाइज्जा जाव पडि०
पढमा पडिमा १ ॥ अहावरा० से० पेहाए पायं जाइज्जा, तं० —
गाहावइं वा कम्मकरीं वा से पुव्वामेव आलोइज्जा, आउ० भ० !
दाहिसि मे इत्तो अन्नयरं पायं तं० —अलाउयपायं वा ३ तह०
पायं सयं वा जाव पडि०, दुच्चा पडिमा २ ॥ अहा० से भि० से
जे पुण पायं जाणिज्जा संगइयं वा वेजइयंतियं वा तहप्प० पायं
सयं वा जाव पडि० तच्चा पडिमा ३ ॥ अहावरा चउत्था
पडिमा—से भि० उज्झियधम्मियं जाएज्जा जावन्ने बहवे समणा

जाव नात्रस्वति तह० जाएज्जा जाव पडि० , चउत्था पडिमा
 ४ ॥ इच्चेइयारां चउराह पडिमायां अन्नयर पडिम जहा—पिडे
 सणाए ॥ से ण एयाए एमणाए एसमारा पासित्ता परो
 वटज्जा, याउ० स० । एज्जामि तुम मासेण वा जहा वत्थेसणाए,
 मे ण परो नेता व० —या० भ० । आहरेय पाय तिल्लेण रा
 घ० नव० वमाएव अच्चमगित्ता वा तहेव सिणाणादि तहेव मी
 योदगाड कदाड तहेव ॥

से ण परो ने० —याउ० स० । मुहुत्तग २ जाव अच्चाहि
 ताव अम्हे अमण वा उवकणेंसु वा उवक्खडेसु वा, तो ते वय
 याउसो० ? सपाण सभोयण पडिग्गह दाहामो, तुच्छए पडिग्गहे
 दिन्ने समणस्स नो सुट्ठु साहु भवड, से पुव्वामेव आलोडज्जा -
 याउ० भइ० । नो खलु मे कप्पड आहाकम्मिए असणो वा ४
 भुत्तए वा०, मा उवकरोहि मा उवक्खडेहि, अभिक्खसि मे दाउ ए
 मेव दलयाहि, से सेव वयत्तस्म परो असण वा ४ उवकरित्ता
 उवक्खडित्ता सपाण सभोयण पडिग्गहग दलटज्जा तह० पडि
 ग्गहग अफासुय जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ सिया से परो उव-
 णित्ता पडिग्गहग निसिरिज्जा, से पुव्वामेव याउ० । भ० ।
 तुम च्चेव ण मत्तिय पडिग्गहग अतोअतोण पडिलेहिस्सामि,

केवली० आयाण० अतो पडिग्गहगंसि पाणाणि वा वीया० हरि० ,
 अइ भिक्खूणं पु० जं पुअमेव पडिग्गहगं अंतोअंतेणं पडि० स---
 अंडाहं सव्वे आलावगा भाणियव्वा जहा अत्थेसणाए,
 नाणत्तं तिल्लेण वा घय० नव० वसाए वा सिणाणादि जाव
 अन्नयरंसि वा तहप्पगा० थंडिलंसि पडिलेहिय २ पम० २
 तयो० संज० आमज्जिज्जा, एअं खलु० सया जएज्जासि
 त्तिवेमि ॥१५२॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा अभिकाक्षेत पात्रमेषितुं (अन्वेष्टु) नत्
 यत् पुनः पात्रं जानीयात्, तद्यथा—अलावुपात्र वा दोरुपात्र वा मृत्तिकापात्रं
 वा, तथाप्रकारं पात्रं या निर्ग्रन्थ तरुणः यावत् स्थिरसंहननः स एकं
 पात्रं धारयेत् न द्वितीयम् । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा पर अर्द्धयोजन
 मर्यादायाः पात्रप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय । स भिक्षुर्वा
 भिक्षुकी वा, तत् यत् अस्वप्रतिज्ञया एकं साधमिक समुद्दिश्य प्राणानि
 ४ यथा पिण्डैषणायां चत्वारः आलापकाः, पचमे बहव. श्रमण०
 प्रगण्य २ तथैव । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा असयनः भिक्षुप्रतिज्ञया बहवः
 श्रमण ब्राह्मण० वस्त्रैषणाऽऽलापकः । स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा तत्
 यानि पुनः पात्राणि जानीयात्, विरूपरूपाणि महद्वनमूल्यानि, तद्यथा—
 अयःपात्राणि वा त्रपुः पात्राणि वा ताम्पात्राणि वा सीसक पात्राणि वा
 हिरण्यपात्राणि वा० सुवर्णपात्राणि वा रीतिपात्राणि वा हारपुटपात्राणि वा
 मणिकाचकसपात्राणि वा शंखशृंगपात्राणि वा दन्त पात्राणि वा चेल पा०
 शिला पा० चर्मपात्राणि वा अन्यतराणि वा तथाप्रकाराणि विरूपरूपाणि
 महद्वनमूल्यानि पात्राणि अप्रासुकानि न प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षुर्वा

भिक्षुको वा तद् यानि पुन पात्राणि विरूपरूपाणि महद्भनवधनानि, तद्यथा—अयोवन्धनानि वा यावत् चमवन्धनानि वा अयतराणि तथा प्रकाराणि महद्भनवधनानि अप्रासुकानि न प्रतिगृह्णीयात् इत्येतानि अयतनानि उपातिश्रम्य, अथ भिक्षु जानीयात्, चतसृभि प्रतिमाभि पात्रमेपितु (अवेष्टु) तत्र खलु इय प्रथमा प्रतिमा १ । स भिक्षु ० उद्दिश्य २ पात्र याचेत्, तद्यथा—अलावुकपात्र वा ३ तथाप्रकार पात्र स्वय वा याचेत्, यावत् प्रतिगृह्णीयात्, प्रथमा प्रतिमा ॥१॥

अथापरा० स० प्रेक्ष्य पात्र याचेत् तद्यथा—गृहपति वा कर्मकरी वा, स पूर्वमेव आलोचयेत्, आयुष्मति ! भगिनि ! दास्यसि मे इत् अयतरत् पात्र तद्यथा—अलावुकपात्र वा ३ तथाप्रकार पात्र स्वय वा यावत् प्रतिगृह्णीयात्, द्वितीया प्रतिमा ॥२॥ अथापरा— स भिक्षुर्ना भिक्षुकी वा स यत् पुन पात्र जानीयात्, स्वागिक वा वैजयन्तिक वा तथाप्रकार पात्र स्वय वा यावत् प्रतिगृह्णीयात्, तृतीया प्रतिमा ॥३॥ अथापरा चतुर्थी प्रतिमा—स भिक्षुर्वा भिक्षुवी वा उज्जिभतधमिक याचेत् यावत् अय वहव श्रमणा यावत् नावकाक्षन्ति तथाप्रकार याचेत् यावत् प्रतिगृह्णीयात्, चतुर्थी प्रतिमा ॥४॥ इत्येतासा चतसृणा प्रतिमाना अयतरा प्रतिमा यथा पिडैपणायाम् । स एतया एपणया एवमाण दृष्ट्वा परो वदेत्—आयुष्मन् श्रमण ! एप्यसि त्व मासेन वा यथा वस्त्रैपणायाम्, स परो नेता वदेत्—आयुष्मति, भगिनि ! आहर एतत् पात्र तैलेन वा घतेन वा नवनीतेन वा वसया वा अभ्यज्य, तथैव स्नानादि, तथैव शीतोदकानि कन्दानि तथैव । स परो नेता०—(एव वदेत्) आयुष्मन् श्रमण ! मुहूर्तक यावत् आस्व-तिष्ठ ? तावत् वयमशन वा ४ उपकुर्म उपस्कुर्म । ततस्ते वय आयुष्मन् श्रमण ! सपान सभोजन पतद्ग्रह (पात्र) दास्याम । तुच्छके प्रतिग्रहे दत्ते श्रमणस्य नो सुष्ठु, साधु भवति । स पूर्वमेव आलोचयेत्, आयुष्मति ! भगिनि० । नो खलु मे कल्पते आघाकमिक अशन

वा ४ भोक्तु वा मा उपकुरु मा उपस्कुरु अभिकांक्षसि मे दातुं एवमेव ददस्व तस्य एव वदतः परः अशन वा उपकृत्य उपस्कृत्य सपान सभोजन पतद्ग्रहं दद्यात् तथाप्रकारं पतद्ग्रह-पात्रमप्रासुक यावत् न प्रतिगृह्णीयात् । स्यात् स परः उपनीय प्रतिग्रहक निसृजेत्, स पूर्वमेव आ-लोचयेत् आयुष्मति ! भगिनि ! त्वं चैव स्वांगिकं पतन्ग्रहकं अन्तोन्तेन प्रतिलेखिष्यामि । केवली ब्रूयात् आदानमेतत् अन्तः पतद्ग्रहके प्राणानि वा बीजानि वा हरितानि वा अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्टं यत् पूर्वमेव पतद्ग्रहक अन्तोन्तेन प्रति० साण्डानि, सर्वे आलापकाः भणितव्याः यथा-वस्त्रैपणायामू, नानात्वं तैलेन वा घृतेन वा नवनीतेन वा वसया वा स्नानादि यावत् अन्यतरम्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिले प्रतिलिख्य २, प्रमृज्य २ तनः संयतमेव, आमृज्यात् । एव खलु तस्य भिक्षोः सामग्य सदा यतेत । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—यदि वह । भिक्खू वा—साधु या साध्वी । पायं—पात्र की । एसि-त्तए—गत्रेपणा करनी । अभिकलिज्जा—चाहता है तो । से—वह साधु । जं—जो । पुण—फिर । पाय—पात्र के सम्बन्ध में यह । जाणिज्जा—जाने । तजहा—जैसेकि । अलाउयपायं वा—सूत्रे का पात्र है अथवा । दारुपायं—काष्ठ का पात्र है अथवा । मट्ठिया पायं वा—मिट्टी का पात्र है और । तहपपगारं पाय—तथाप्रकार के पात्र है । जे—जो । निग्गंथे—निग्रन्थ । तरुणे—युवक है । जाव—यावत् । थिरसंघयणे—स्थिर महानन वाला है अर्थात् जिसका शरीर दृढ है । से—वह साधु । एगं पाय—एक ही पात्र । धारिज्जा—धारण करे । नो विइय—दूसरा पात्र न रखे । से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वी । अद्धजोयणमेराए—अद्धं योजन की मर्यादा से । पर—उपरान्त । पायपडियाए—पात्र ग्रहण की प्रतिज्ञा से । गमणाए—जाने के लिए । नो अमिसधारिज्जा—मन में विचार न करे ।

से भिक्खू वा०—वह साधु या साध्वी । से—वह । जं—जो फिर । पायं—पात्र की । जाणिज्जा—जाने । अस्सिपडियाए—साधु की प्रतिज्ञा से गृहस्थ ने । एगंसाहम्मियं—एक साधुमी साधु का । समुद्दिस्स—उद्देश्य रख कर अर्थात् साधु के निमित्त से । पाणाइं ४—प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का विनाश करके पात्र तैयार किया है, शेष वर्णन । जहा—जैसे विडे सणाए—पिण्डैपणा अध्यायन में किया गया है उसी तरह । चत्तारि—चार । अलावगा—

आलापक जानने चाहिये । पचमे—पाचव आलापक में । बहुये—बहुत से । समग०—आक्याणि श्रमण तथा आह्वण आदि क लिए । पगणिय २—गिन २ कर अर्थात् उनका उद्देश्य रखकर पात्र बनाए । तद्देव—नेप वगन जैसे पिण्डपणा अर्थात् ध्यान में आहार के विषय म किया गया है उसी प्रकार यहा पर अर्थात् पात्र क सम्बन्ध म भी जान लेना चाहिए ।

से भिक्षु वा—वह साधु या साध्वी । अस्तजए—अभयत, गहस्थ । भिक्षुपट्टियाए—साधु की प्रतिज्ञा से । बहुये—बहुत से । समणमाहणे०—आक्याणि श्रमण तथा आह्वणाणि के विषय मे । वत्येसणाऽऽलापक्री—जसे वस्त्रपणा आलापक में कहा गया है उसी प्रकार पात्रपण आलापक भी जानना चाहिए । से भिक्षु वा—वह साधु या साध्वी । से—वह माध । जाइ—जो । पुण—फिर । विरुबन्वाइ—नाना प्रकार क । पादाइ—पात्रों के सम्बन्ध म । जाणिज्जा—जाने । महद्धणमल्ला—जा बहुमूय है, कीमती है । तजहा—जसकि । अयपायाणि वा—लोह के पात्र । तउपाया०—कली के पात्र । तबपाया०—ताम्बे के पात्र । सीसगपा०—सीसे के पात्र । हिरण्णपा०—चा दी के पात्र । सुवण्णपा०—सुवण सोने के पात्र । रीरिअयाया०—पीतल के पात्र । हारपुडपा—लोहविषय के पात्र । मणिकायकसपाया०—मणि, वाच और कामी के पात्र । सखसिग पा०—सख-सख और श्रमण क पात्र । दतपा०—दात के पात्र । सेल पा०—रस्त्र क पात्र । सेल पा०—पत्थर के पात्र तथा । चम्मपा०—चर्म के पात्र और । अन्नपराइ—अन्न । तहप०—इसी तरह के । विस्वरूवाइ—विविध । महद्धणमल्ला—मूल्य वाले । पायाइ—पात्रों को । अफामुय—अप्रामुक्त जान कर । जाव—यावत । नोपडि०—ग्रहण न करे ।

से भिक्षु वा—वह साधु अथवा साध्वी । से वह । जाइ—जो । पुण—फिर । पाय—पात्र को । जाणिज्जा—जान । विरुब०—नाना प्रकार क-विविध भाति क । महद्धण-बधगाइ—जिनके मूल्यवान बघन हैं । त०—अने कि । अयवधणाणि वा—लोहे क बघन । जाव—यावत । चम्मवधणाणि वा—चर्म क बघन वाले, तथा । अन्नपराइ—अन्न भी । तहप०—तथाश्रकार क । महद्धणबधगाइ—कीमती व वनों को जानकर और उन बघनों क कारण इन पात्रों को । अफा०—अप्रामुक्त मान कर । नोपडि०—ग्रहण न करे । इच्चेवाइ—ये सब पूर्वोक्त । अयतनाइ—पात्र सम्बन्धी दोषों क स्थान है । इनको । उवाइवक्कम्म—अति भ्रम करके अर्थात् छोड़कर पात्र ग्रहण करना चाहिए ।

अह—अथ । भिक्षु—साधु । जाणि जा—यह जाने कि । अउहि पडिमाहि—उन चार प्रतिमात्रों-अभिषल विधेयों मे । पाय—पात्र की । एत्तित्तए—पदेपणा करनी है । एतु—वाक्यालकार म है । तथ—उन चार प्रतिमात्रों म मे । इमा—यह । पट्टमा—पट्टी । पडिमा—

प्रतिमा है । से—वह । भिक्खू—साधु या साध्वी । उद्दिसिय २—नाम लेकर । पाय—पात्र की । जाइज्जा—याचना करे । तजहा—जैसे कि । अलाउयपाय वा ३—अलाउक पात्र-तुम्बे का पात्र, काष्ठ का पात्र और मिट्टी का पात्र । तह०—तथाप्रकार के । पाय—पात्र की । सय वा—स्वयं अपने आप । जाइज्जा—याचना करे । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण करे । पढमा-पडिमा—यह पहली प्रतिमा है । ण—वाक्यालंकार मे है । अहावरा—अथ अपर दूसरी प्रतिमा कहते हैं । से०—वह साधु या साध्वी । पेहाए—देखकर । पाय—पात्र की । जाइज्जा—याचना करे । तं—जैसे कि । गाहावइ वा—गृहपति यावत् । कम्मकरो वा—काम करने वाले दास दासी आदि । से—वह भिक्षु । पुव्वामेव—पहले ही गृहस्थ के घर मे । आलोइज्जा—देखे और देख कर इस प्रकार कहे । आउ०—आयुष्मन् गृहस्थ ! अथवा । म०—भगिनि ! चहिन । मे—मुझे । इत्तो—इन पात्रो में से । अन्नयरं—अन्यतर कोई एक । पाय—पात्र को । चाहिसि—दोगे या दोगी ? तजहा—जैसे कि । अलाउपाय वा ३—तुम्बी का पात्र, लकड़ी और मिट्टी का पात्र । तह०—तथाप्रकार के अन्य । पाय—पात्र की । सय वा—स्वयमेव याचना करे अथवा बिना मागे कोई देवे । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण करे । दुच्चापडिमा—यह दूसरी प्रतिमा है । अहावरा—अथ अपर अर्थात् तीसरी प्रतिमा कहते है । से—वह । मि०—साधु अथवा साध्वी । से ज्ज—वह जो । पुण—फिर । पाय—पात्र को । जाणिज्जा—जाने । सगइय वा—गृहस्थ का भोगा हुआ पात्र । वेज्जयतिय वा—गृहस्थ के भोगे हुए दो वा तीन पात्र जिनमे खाद्य पदार्थ पडे हुए हो या पड चुके हो । तह०—तथाप्रकार के । पाय—पात्र को । सय वा—स्वयं याचना करे, अथवा गृहस्थ बिना मागे देवे तो । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण करे । तच्चा पडिमा—यह तीसरी प्रतिमा है । अहावरा चउत्था पडिमा—अथ चौथी प्रतिमा कहते है । से मि०—वह साधु या साध्वी । उज्झियधम्मियं—उज्झितधर्म वाले पात्र की । जाएज्जा—याचना करे । जाव—यावत् । अन्ने—अन्न । बहवे—बहुत । समणा—शाक्यादि श्रमण । जाव—यावत् । नावकखंति—नही चाहते । तह०—तथाप्रकार के पात्र की । जाएज्जा—स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ ही बिना मागे देवे तो । जाव—यावत् प्रासुक जान कर । पडि०—ग्रहण करे । चउत्थापडिमा—यह चौथी प्रतिमा-अभिग्रह विशेष है । इच्चेइयाण—इन पूर्वोक्त । चउपहंपडिमाणं—चार प्रतिमाओ में से । अन्नयरं—किसी एक । पडिम—प्रतिमा को, शेष वर्णन । जहा—जैसे । पिडेसणाए—पिण्डैपणा अध्ययन में सात प्रतिमाओ के विषय मे किया गया है उसी प्रकार जानना । णं—वाक्यालंकार में है । से—साधु को । एयाए एसणाए—इस एषणा-पात्रैपणा के द्वारा । एसमाणं—गत्रेपणा-पात्र को अन्वेषणा करते हुए को । पासित्ता—देख कर यदि । परो—कोई गृहस्थ । वइज्जा—इस प्रकार कहे । आउ० स०—आयुष्मन् श्रमण ! एज्जासि—अब तुम जाओ । तुम—तुमने । मासेण वा—एक मास के बाद आना शेष वर्णन जहा—जैसे । वत्थेसणाए—वस्त्रैपणा का है उनी भोति जानना । णं—वाक्यालंकार मे है ।

से—पात्र की गवेषणा करते हुए उम भिक्षु को दायकर । परो—ग्रह गन्ध । नेना—गृहस्वामी
 घन कौटुम्बिक जन को । वड्डजा—इन प्रकार क । आउ०—हे प्रायुष्मन् ध्रुवा । म०—
 हे भगिनि-यहिन ! आहरेय पाय—ता यह पात्र, इगको । तिल्लेण वा—तल से ध्रुवा ।
 घ०—घन स ध्रुवा । नव०—नवनाय नवलन से ध्रुवा । वगाण वा—वमा प्रीयधि के रम विगण
 स । अश्रुभिक्षा—चोपड कर । तरेय—इमी भोती । तिण वादि—सुगंधित द्रव्य स स्नानात्
 तहेव—उमी प्रकार । साधोदगाड— जीव व उष्ण जनादि क विषय में तथा । तह्य—उमीप्रकार ।
 कदाड—कदादि के सम्बन्ध म जान मता । ण—वाच्यकार में है । से—पात्र की गवेषणा
 करत हुण भिक्षु को देखकर । परो—गहस्थ । मता—गृहस्थ भी साधु के प्रति यदि । वड्डजा—
 कह । आ उ० स०—प्रायुष्मन् धमण । मुहस्तग २—मूहूत पय त तुम यहा पर । अछाहि—
 ठहरो । जाय—यावत् । ताव—तव तक । अग्हे—हम । असण वा—अगनात्तिक चतुर्विध आहार
 का । उवकरेसु वा—एकत्रित कर ध्रुवा । उववलड्डेसु व—उरस्तुन करक धर्यात्त अनात्तिक को
 तयार करवे । आउसी०—प्रायुष्मन् श्रमग । सो—नन्तर । ते—तुमका । वय—हम ।
 सपाण—पानी क माय । समोयण—भाजन क माय । पडिगह—पात्र की । दाहामो—दग ।
 कारण वि । तुच्छए—त्वाला । पाइगहे—पात्र म । दि ने—दिया हुआ । समणस—साधु का ।
 मुठ—प्रच्छा और । साह—श्रुष्ट । नो अवड—नता होना है तय । से—वह स धु । पुवामेव—
 पहन ही । आतोड्डजा—देख और दख कर इस प्रकार कहे । आउ०—प्रायुष्मन् गृहस्थ ।
 ध्रुवा । मड०—हे भगिनि वन । खलु—निश्चय ही । आहाकम्मिए—आधाकम्मिक धर्यात्त
 आधाकमादि दोषो म यत्त । असण वा ४—अगनात्तिक चतुर्विध आहार का । भुत्तए वा—
 भोगना धर्यात्त खाना पीना । म—मरे को । ना कपड—नहीं कल्पता घन । मा उवकरेहि—
 मरे निमित्त इस एकत्र न करो तथा । आ उववलड्डहि—मर लिए इसका संस्कार मत करो ?
 यदि । मे—मुभ । दाउ अभिकलसि—देना चाहते हो तो । ममेव—इमी तरह । दल्पाहि—
 द दा ? से—वड्ड । परो—गहस्थ । सेय वयतसम—साधु व इस प्रकार काने पर भी यत्ति ।
 असण वा ४—अगनात्तिक चतुर्विध आहार का । उवकरित्ता—एकत्र कर प्रीय । उववलड्डिता—
 संस्कार करक । सपाण—पानी सन्ति । समोयण—भाजन सहित धर्यात्त पानी और भोजन से ।
 पडिगहण—पात्र का मर कर । दसद वा—दव तो । तह०—तथा प्रकार क । पडिगहण—
 पात्र की । अफामुय—प्रासुक जान कर । जाव—यावत् । नो पडिगाहि वा—ग्रहण न करे ।
 तिवा—कदाचित् । से—उम भिक्षु को । परो—गहस्थ । उवजित्ता—घर के भीतर में
 लाकर । पडिगहण—पात्र का । निसिरिज्जा—द देवे ता । से—वह भिक्षु । पुवामेव—
 पहन ही । आतोड्डजा—देखे और देख कर इस प्रकार कहे । आउ०—प्रायुष्मन् गृहस्थ ।
 ध्रुवा । म०—हे भगिनि वन । च—मुनरथक है । एव—धवधारण ध्रुव में है । ण—
 वाच्यकार म है । मत्तिय—विद्यमान । नम—गृहारे । पडिगहण—पात्र की । अतोअतेण—

सब प्रकार से अर्थात् भीतर और बाहर से। पडिलेहिस्सामि—प्रतिलेखन कहंगा अर्थात् देखूंगा? वयोकि। केवली वूया०—केवली भगवान कहते हैं कि। आयाण०—यह कर्म बन्धन का कारण है; अर्थात् विना प्रतिनेखन किए पात्र लेना कर्म बन्धन का हेतु होता है कारण कि। अंतोपडिग्गहगसि—पात्र को भीतर कदाचित्। पाणाणि वा—क्षुद्र जीव हो। वीया०—अथवा बीज हो या। हरि०—हरी हो। अहे—इस लिए। भिक्खूण—भिक्षुओं को। पु०—पूर्वोपदिष्ट अर्थात् तीर्थकरादि की आज्ञा है कि। जं—जो। पुव्वामेव—पहले ही। पडिग्गहग—पात्र को। अन्तोअतेण—भीतर और बाहर से। पडि०—प्रतिलेखन करे-अच्छी तरह से देखे, यदि। स-अडाइ—वह अडादि से युक्त हो तो उसे ग्रहण न करे। सव्वे आलावगा—यहां पर सभी आलापक। भाणियव्वा—कहने चाहिए। जहा—जंमे कि। वत्थेसणाए—वस्त्रपणा के विषय में कथन किया गया है उसी प्रकार पात्रपणा के सम्बन्ध में जानना। नाणत्त—इसमें इतना विशेष है यथा। तिल्लेण वा—तैल से या। घय०—घृत से अथवा। नव०—नवनीत से। वसाए वा—वसा-चर्बी अथवा औषधि विशेष में। सिणाणादि—या सुगन्धित स्नानादि से ॥ जाव—यावत्। अन्नपरसि वा—अन्य किसी पदार्थ से पात्र संस्पर्शित हुआ हो तो। तहप्पगा०—तथाप्रकार के। थडिलंसि—स्थंडिल में जाकर। पडिलेहिय २—प्रतिलेखना कर अर्थात् भूमि को देख कर। पम० २—उसे प्रमाजित कर। तओ०—तदनन्तर। सजयामेव—यत्नापूर्वक। आमज्जिज्जा—पात्र को मसले। एय खलु—यह निश्चय ही। तस्स भिक्खुस्स—उस भिक्षु का। सामगियं—सम्पूर्ण आचार है। जं—जो। सव्वट्ठोह—सर्व अर्थों से। समिएहं—पाच समितियों से युक्त। सया—सदा। जएज्जसि—यत्न करे। तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—सयम शील साधु या साध्वी जब कभी पात्र की गवेपणा करना चाहें तो सब से पहले उन्हें यह जानना चाहिए कि तूबे का पात्र, काष्ठ का पात्र, और मिट्टी का पात्र साधु ग्रहण कर सकता है। और उक्त प्रकार के पात्र को ग्रहण करने वाला साधु यदि तरुण है स्वस्थ है स्थिर संहनन वाला है तो वह एक ही पात्र धारण करे, दूसरा नहीं और वह अर्द्धयोजन के उपरान्त पात्र लेने के लिए जाने का मन में सकल्प न करे।

यदि किसी गृहस्थ ने एक साधु के लिए प्राणियों की हिंसा करके पात्र बनाया हो तो साधु उसे ग्रहण न करे। इसी तरह अनेक साधु, एक साध्वी एवं अनेक साध्वियों के सम्बन्ध में उसी तरह जानना चाहिए

जैसे कि पिण्डैपणा अध्ययन में वर्णन किया गया है। और शाक्यादि भिक्षुओं के लिए बनाए गए पात्र के सम्बन्ध में भी पिण्डैपणा अध्ययन के वर्णन की तरह समझना चाहिए। शेष वर्णन-वस्त्रैपणा के आलापको के समान समझना। अपितु जो पात्र नाना प्रकार के तथा बहुत मूल्य के हो यथा लोहपात्र, त्रुपात्र-कली का पात्र, ताम्रपात्र, सीस, चाँदी और सोने का पात्र, पीतल का पात्र, लोह विशेष का पात्र, मणि, काच और कासे का पात्र एवं शंख और शृंग से बना हुआ पात्र, दात का बना हुआ पात्र, पत्थर और चम का पात्र और इसी प्रकार के अधिक मूल्यवान् अन्य पात्र को भा अप्रासुक तथा अनैषणीय जान कर साधु ग्रहण न करे। और यदि लकड़ी आदि के कल्पनीय पात्र पर लोह, स्वर्ण आदि के बहुमूल्य बचन लगे हो तब भी साधु उस पात्र को ग्रहण न करे। अतः साधु उक्त दोषा से रहित निर्दोष पात्र ही ग्रहण करे।

इसके अतिरिक्त चार प्रतिज्ञाओं के अनुसार पात्र ग्रहण करना चाहिए। १-पात्र देख कर स्वयमेव याचना करूँगा। २-साधु पात्र को देख कर गृहस्थ से कहे-आयुष्मन् गृहस्थ ! क्या तुम इन पात्रों में से अमुक पात्र मुझे दोगे ! या वैसा पात्र बिना माँगे ही गृहस्थ दे दे तो मैं ग्रहण करूँगा। ३-जो पात्र गृहस्थ ने उपभोग में लिया हुआ है, वह ऐसे दो तीन पात्र जिनमें गृहस्थ ने खाद्यादि पदार्थ रखे हो वह पात्र ग्रहण करूँगा। ४ जिस पात्र को कोई भी नहीं चाहता, ऐसे पात्र को ग्रहण करूँगा।

इन प्रतिज्ञाओं में से किसी एक का धारक मुनि किसी अन्य मुनि की निन्दा न करे। किन्तु यह विचार करता हुआ विचरे कि जिनेन्द्र भगवान् की व्याज्ञा का पालन करने वाले सभी मुनि आराधक हैं।

पात्र की गवेषणा करत हुए साधु को देख कर यदि कोई गृहस्थ उसे कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! इस समय तो तुम जाओ। एक मास के बाद

आकर पात्र ले जाना, इत्यादि। इस विषय में शेष वर्णन वस्त्रैषणा के समान जानना।

यदि कोई गृहस्थ साधु को देख कर अपने कौटुम्बिक जनों में से किसी पुरुष या स्त्री को बुलाकर यह कहे कि वह पात्र लाओ उस पर तेल, घृत, नवनीत या बसा आदि लगाकर साधु को देवे। शेष स्नानादि शीत उदक तथा कन्द-मूल विषयक वर्णन वस्त्रैषणा अध्ययन के समान जानना।

यदि कोई गृहस्थ साधु से इस प्रकार कहे कि आयुष्मन् श्रमण ! आप मुहूर्न पर्यन्त ठहरें। हम अभी अशनादि चतुर्विध आहार को उपस्कृत करके आपको जल और भोजन से पात्र भर कर देगे। क्योंकि साधु को खाली पात्र देना अच्छा नहीं रहता। नव साधु उनसे इस प्रकार कहे कि आयुष्मन् गृहस्थ ! या भगिनि-बहिन ! मुझे आधाकर्मिक आहार-गनी ग्रहण करना नहीं कल्पता। अतः मेरे लिए आहारादि सामग्री को एकत्र और उपसंस्कृत मत करो। यदि तुम मुझे पात्र देने की अभिलाषा रखते हो तो उसे ऐसे ही दे दो। साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि गृहस्थ आहार आदि बना कर उससे पात्र को भर कर दे तो साधु उसे अप्रासुक जानकर स्वीकार न करे।

यदि कोई गृहस्थ उस पात्र पर नई क्रिया किए बिना ही लाकर दे तो साधु उसे कहे कि मैं तुम्हारे इस पात्र को चारों तरफ से भली-भांति प्रतिलेखना करके लूंगा। क्योंकि बिना प्रतिलेखना किए ही पात्र ग्रहण करने का केवली भगवान ने कर्मबन्ध का कारण बताया है। हो सकता है कि उस पात्र में प्राणी, बीज और हरी आदि हो, जिस से वह कर्मबन्ध का हेतु बन जाए। शेष वर्णन वस्त्रैषणा के समान जानना। केवल इतनी ही विशेषता है कि यदि वह पात्र तैल से, घृत से, नवनीत से और बसा

या ऐसे ही किमी अत्रय पदाथ से स्निग्ध किया हुआ हो तो साधु स्थंडिल भूमि में जाकर वहा भूमि की प्रतिपेखना और प्रमाजना करे । और तत्पश्चात् पात्र को धूलो आदि को प्रमाजित कर ममल कर रक्ष बना ले । यही साधु का समग्र आचार है । जो साधु ज्ञान दशन चारित्र्य से युक्त समितियों से समित है वह इस आचार को पालन करने का प्रयत्न करे । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिं दी निवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु को तूम्ने, काष्ठ एव मिट्टी का पात्र ही ग्रहण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त साधु को लोह ताम्र स्वस्व चादी आदि धातु के तथा ऋच के पात्र स्तोत्र नहीं करने चाहिए । और साधु को अधिक मूल्यवान पात्र एव काष्ठ आदि के पात्र भी जो कि वातु से मरुत्तित हों तो उन्हें भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । यदि काष्ठ आदि के पात्र पर कोई गृहस्थ तैल, घन आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर दे या साधु के लिए आहार आदि तैयार करने उस आहार से पात्र भर कर दे व तब भी साधु को उस सदोष आहार आदि से युक्त पात्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए । साधु को सत्र तरह से निर्दाय एव पण्णीय पात्र को चारों ओर से भली-भांति दग्ध कर ही ग्रहण करना चाहिए । इस सम्बन्ध में शेष चण्डण पिडैपणा प्रकरण की तरह समझना चाहिए ।

प्रस्तुत सूत्र में यह भा स्पष्ट कर दिया है कि यदि साधु रोग, नीरोग, दृष्ट सहनन वाला हो तो उसे एव ही पात्र रखना चाहिए । वृत्तिकारन प्रस्तुत पाठ को चितकल्प से सम्यक् माना है । क्योंकि, स्थिररूपव साधु के जिन तीन पात्र रखन का विधान है । हा, अभिग्रहनिष्ठ साधु अपनी शक्ति के अनुरूप अभिग्रह धारण कर सकता है ।

इसमें यह भी बताया गया है कि साधु पात्र ग्रहण करने के लिए आधे योचन से

ॐ तत्र च य स्थिरसहननाशयेन स एकमेव पात्र विभयानु न च त्रितीय, स च जितकल्पिकात् प्तरस्तुमात्रकसद्वितीय पात्र धारयेत् तत्र मघाटके सत्येकरिभन भवत द्वितीये पात्र पानक माश्रन त्वाचापानिप्रायाग्यक्तेऽगुदम्भ वति । — श्री आचाराङ्ग वति ।

ऊपर न जाए। इसका तात्पर्य यह है कि साधु जिस स्थान में ठहरा हुआ हो उस समय वह पात्र लेने के लिए आधे योजन से ऊपर जाने का संकल्प न करे। परन्तु, विहार के समय के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है।

आहार, वस्त्र आदि की तरह साधु-साध्वी को वह पात्र भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो उनके लिए बनाया गया है। साधु को आधा कर्म आदि दोषों से रहित पात्र को स्वीकार करना चाहिए।

‘त्तिवेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

पष्ठ अध्ययन-पात्रेपणा

द्वितीय उद्देशक

प्रथम उद्देशक म पात्र गवेपणा की विधि का उद्देश्य दिया गया है, अथ ५५३ उद्देशक म पात्र सम्बन्धी दोष विधि का उद्देश्य करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा २ गाहावडकुल पिड० पविट्ठे
समाणे पुञ्जामेव पेहाए पडिग्गहग अचहट्टु पाणे पमज्जिय रय
तयो स० गाहावड० पिड० निक्ख० प०, केवली० याउ० । यतो
पडिग्गहगसि पाणे वा वीए वा हरि० परियाउज्जिज्जा अह
भिक्खूणा पु० ज पुञ्जामेव पेहाए पडिग्गह अचहट्टु पाणे पम
ज्जिय रय तयो स० गाहावड निक्खमिज्ज वा २ ॥१५४॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुसो वा गृहपतिकुल पिडपातप्रतिज्ञया प्रविष्ट सन्
पूर्वमेव प्रेक्ष्य पतद्ग्रह अपहृत्य (आहृत्य) प्राणिन प्रमृज्य रज तत सपतमव
गृहपतिकुल पिडपातप्रतिज्ञया निष्क्रामद् वा प्रविशद् वा केवलीं वा यात्र
कामादानमेतत् । आयुमन् ! अत पतद्ग्रहे प्राणिनो वा बीजानि वा हरितानि
वा पर्यापद्यन् । अथ भिक्षूणां पूर्वोपदिष्ट यत् पूर्वमेव प्रेक्ष्य पतद्ग्रह अप-
हृत्य प्राणिन प्रमृज्य रज, तत सपतमव गृहपतिकुल निष्क्रामेद् वा
प्रविशेद् वा ।

पदाय—से भिक्खू—वह साधु या साध्वी । गाहावड कुल—गणस्थ के कुल म ।
विडवापविहाए—मात्र प्राप्ति क विष । पविट्ठ समाण—प्रवेश करना म । पुञ्जामेव—

पहले ही । पेहाए — देखकर । पडिग्गहग — पात्र को अर्थात् यदि पात्र मे । पाणे — प्राणि हो तो उनको । अ्रवहद्दु — निकाल कर तथा । पमज्जिय रयं — रजको प्रमार्जित कर । तओ — तदनन्तर । स० — यतना पूर्वक । गाहावइ० — गृहपति के कुल मे । पिड० प० — आहार प्राप्ति के लिए । निक्खमिज्ज वा प० — निकले या प्रवेश करे क्योकि । केवली० — केवली भगवान् कहते है । आउ० — आयुष्मन् शिष्य ! प्रतिलेखना और प्रमार्जना किए बिना पात्र का ले जाना कर्म बन्धन का कारण है, क्योकि । अतोपडिग्गहगसि — पात्र के बीच मे । पाणे वा — प्राणी । बीए वा — अथवा बीज । हरि० — अथवा हरी तथा सचित्त रज यदि हो तो उनका । परियावज्जिज्जा — विनाश हो जाएगा । अह — इस लिए । भिक्खूण — भिक्षुओ को । पु० — तीर्थकरादि ने पहले ही यह आज्ञा दी है । जं — जोकि । पुब्बामेव — पहले ही । पडिग्गह — पात्र को । पेहाए — देखकर उसमें रहे हुए । पाणे — प्राणी आदि को । अ्रवहद्दु — निकाल कर तथा । रयं — रज आदि को । पमज्जिय — प्रमार्जित कर के । तओ — तदनन्तर । स० — साधु । गाहावइ० — गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए । पविसेज्ज वा — प्रवेश करे । निक्खमिज्जा वा — निकले ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर मे आहार पानी के लिए जाने से पहले संयम-निष्ठ साधु साध्वी अपने पात्र का प्रतिलेखन करे । यदि उसमें प्राणि आदि हो तो उन्हें बाहर निकाल कर एकान्त में छोड दे और रज आदि को प्रमार्जित कर दे । उसके बाद साधु आहार आदि के लिए उपाश्रय से बाहर निकले और गृहस्थ के घर में प्रवेश करे । क्योकि भगवान का कहना है कि बिना प्रतिलेखना किए हुए पात्र को लेकर जाने से उसमें रहे हुए क्षुद्र जीव जन्तु एवं बीज आदि की विराधना हो सकती है । अतः साधु को आहार पानी के लिए जाने से पूर्व पात्र का सम्यक्तया प्रतिलेखन करके आहार को जाना चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु-साध्वी को आहार-पानी के लिए जाने से पहले अपने पात्र का सम्यक्तया प्रतिलेखन करना चाहिए । जबकि साधु सायंकाल में पात्र साफ करके बांधता है और प्रातः उनका प्रतिलेखन कर लेता है, फिर भी आहार-पानी को जाते समय पुनः प्रतिलेखन करना अत्यावश्यक है । क्योकि कभी-कभी कोई क्षुद्र जन्तु या रज (धूल) आदि पात्र मे प्रविष्ट हो जाती है । अतः जीवों की रक्षा के लिए उसका प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करना जरूरी है । यदि पात्र को न देखा जाए और वे क्षुद्र जन्तु उसमे रह जाएं तो उनकी विराधना हो सकती है । इस लिए बिना प्रमार्जन

त्रिण पात्र लेकर आहार को जाना कम राध का कारण बताया गया है। अतः साध को सदा विवेक पूर्वक पात्र का प्रतिलेखन करके ही गोधरी को जाना चाहिए।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० जाव समाणे मिया से परो प्राहट्टु
 यतो पडिग्गहगसि मीयोदग परिभाडत्ता नीहट्टु दलड्जा,
 तहप्प० पडिग्गहग परहत्थसि वा परपायसि वा अफासुय
 जाव नो प०, से य आहच्च पडिग्गहिए सिया सिप्पामेव
 उदगसि साहरिज्जा, से पडिग्गहमायाए पाण परिट्ठविज्जा,
 ममिण्णिट्ठाए वा भूमीए नियमिज्जा ॥ से० उदउल्ल वा समि
 णिद्ध वा पडिग्गह नो ग्रामज्जिज्जा वा २ अह पु० विगथोदए म
 पडिग्गहए छिन्नसिणोहे तह० पडिग्गह तयो० स० ग्रामज्जिज्ज
 या जाव पयाविज्ज या ॥ से भि० गाहो० पविसिउकामे पडिग्गह
 मायाए गाहा० पिंठ० पविमिज्ज या नि०, एव वहिया विचारभूर्मा
 विहारभूर्मा वा गामा० दृडज्जिज्जा, तिव्वदेमियाए जहा विडयाण
 वत्थेमणाण नपर इत्थ पडिग्गहे, एय खनु तम्म० ज सव्वट्ठेहिं
 महिण मया जएज्जामि, त्तिनेमि ॥१५४॥

श्लोका—म भिक्षुवा भिक्षुकी वा गृहवन्धुल विण्डपातप्रतिपया प्रविष्ट
 मन् म्यान् म पर आहृत्य अन्न पतद्ग्रह शातादा परिभाज्य नि माये दवात्र,
 १याप्रसाग पतद्ग्रहं पाहन्त वा परपात्रे वा अप्रासुरु यावन् न प्रतिगृह्णायात्
 म च आहृत्य प्रतिगृहीत म्यान् विप्रमेव उदत्त आहृत्य प्रक्षिपन् । म पतद्ग्रह

मादाय पानं परिष्ठाभयेत्, सस्निग्धायां वा भूमौ नियमेत्-प्रक्षिपेत् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा उदकाद्र् वा सस्निग्ध वा पतद्ग्रहं नो आमृज्येत् २ अथ पुनः एवं जानीयात् विगतोदक मे पतद्ग्रह (पात्रं) छिन्नस्नेह तथाप्रकार पतद्ग्रहं ततः संयतमेव आमृज्येत् वा यावत् परितापयेत् वा ॥ स भिक्षुर्वा गृहपतिकुलं प्रवेष्टुकामः पतद्ग्रहमादाय गृहपतिकुल पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविशेद् वा निष्क्रामेद् वा, एवं वहिः त्रिचारभूमि वा विहारभूमिं वा ग्रामानुग्राम दूयेत- गच्छेत् । तीव्रदेशीया यथा द्वितीयायां वस्त्रैपण्यायां, नवरं अत्र पतद्ग्रहे, एव खलु तस्य भिक्षोः २ मामग्र्य यत् सर्वाथैः समितैः सहितः सदा यतेत् । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ-से मि० - वह साधु या साध्वी । जाव समाने - गृहपति के घर मे प्रवेश करते हुए । सिया - कदाचित् । से - उस साधु को । परो - गृहस्थ । आहट्टु - घर के भीतर से बाहर लाकर । अतोपडिग्गहंसि - गृहस्थ के अन्य किसी पात्र मे । सीओदग - सचित्त पानी को । परिमाइत्ता - घट आदि के किसी अन्य वर्तन में डालकर । निहट्टु - फिर उसे लाकर । दलइज्जा - दे तो । तहप्पगारं - तथाप्रकार के । पडिग्गहं - पात्र को-जोकि पानी से भरा हुआ है । परहत्थंसि वा - गृहस्थ के हाथ मे है । पर पायसि वा - या अन्य पात्र मे है तो । अकासुयं - उसे अप्रासुक । जाव - यावत् अनेपणीय जानकर । नो प० - साधु ग्रहण न करे । य - पुनः । से - वह-पात्र । आहत्त - कदाचित् । पडिग्गहिए सिया - ग्रहण कर लिया हो तो । से - वह साधु । खिप्पामेव - गीत्र ही । उदगंसि - उस पानी को डालने योग्य भाजन में । साहरिज्जा - डाल दे । पडिग्गहमायाए - यदि गृहस्थ पानी वापिस लेना न चाहे तो पानी युक्त पात्र को लेकर किसी अन्य एकान्त स्थान मे जाकर । पाण - पानी को । परिट्ठविज्जा - परठ दे । वा - अथवा । स सिणिद्धाए भूमिए - स्निग्ध भूमि पर । नियमिज्जा - परठ दे । से- मि० - वह साधु अथवा साध्वी पानी को परठने के बाद । उदउल्ल वा - जिमने पानी के बिन्दु टपक रहे है अथवा । ससिणिद्धं वा - जो पानी से गीला है । पडिग्गह - उस पात्र को नो ग्रामजिज्जा - माजित न करे; मसले नही यावत् धूप मे सुखाए नही । अह पुण एवं जाणिज्जा - और यदि इस प्रकार जाने । मे - मेरा । पडिग्गहए - पात्र । विगओदए - पानी से रहित हो गया है और । छिन्नसिणेहे - गीला भी नही है । तह० - तथाप्रकार के । पडिग्गह - पात्र को । तओ - तत्पश्चात् । सं० - साधु । ग्रामजिज्ज वा - प्रमाजित करे । जाव - यावत् । पयाविज्ज वा - धूप मे सुखाए ।

से मि० - वह साधु या साध्वी । गाहा० - गृहपति के घर मे । पविसिउ कामे - प्रवेश करने की इच्छा करता हुआ । पडिग्गहमायाए - पात्र को लेकर । गाहा० - गृहपति के घर

म । पिंड० - आहार प्राप्ति के लिए । पवित्रिज्ज वा - प्रवेश करे पयवा । नि० - निकल ।
 एव ब्रह्मिण- इसी प्रकार वाहर । विहार भूमि वा - स्थंडिल में जाना हो तो पात्र लेकर जाए
 और । विहार भूमि वा - स्वाध्याय भूमि में जाना हो तो पात्र लेकर जाए तथा । ग्रामा० दूइ
 जिज्जजा - ग्रामानुग्राम विहार करना हो तब भी पात्र लेकर विहार करे । तिब्बदेशियाए - यदि
 थोड़ी-बहुत वर्षा बरस रही हो तो । जहा - जस । विद्याए - द्वितीय । वत्सेतणाए -
 वस्त्रपणा क विषय म वणन किया है, गण वणन उसी तरह समझ लेना चाहिए । नवर -
 इतना विषय है । इत्थ - यहा पर । पडिग्गहे - पात्र का अधिकार जानना । खल - निश्चय हो ।
 एव - इस प्रकार । तस्स चिकलस्स वा० २ - उम् साधु या साध्वी का । सामग्गिय - समग्र-
 सम्पूर्ण आचार है । ज सध्वटठहि - जो सब अर्थों स युक्त । समिग्गहि - समिनियो के । सहिए -
 सहित । सदा - सदा । जणज्जासि - इसके पालन म मत्न करे । त्तिवेमि - इस प्रकार
 में कहता हू ।

मूलार्थ—गृहस्थ के घर में गए हुए साधु या साध्वी ने जब पाना की
 याचना की और गृहस्थ घर के भीतर से सचित्त जल को किसी अन्य
 भाजन में डाल कर साधु को देने लगा हो तो इस प्रकार के जल को
 अप्रामुक् जानकर साधु ग्रहण न करे । कदाचित्-असावधानी से वह
 जल ले लिया गया हो तो शीघ्र ही उस जल को वापिस करदे । यदि
 गृहस्थ उसे वापिस न ले तो फिर वह उस जल युक्त पात्र को लेकर स्निग्ध
 भूमि में अथवा अन्य किसी योग्य स्थान में जल का परठ दे और पात्र
 को एकांत स्थान में रख दे, किन्तु जब तक उस पात्र से जल के बिंदु
 टपकते रहें या वह पात्र गीला रहे तब तक उसे न तो पोछे और न धूप
 में सुखावे । जब यह जान ले कि मेरा यह पात्र अब निगत जल और
 स्नेह से रहित हो गया है तब उसे पोछ सकता हू और धूप में भी
 सुखा सकता है ।

समयशील साधु या साध्वी जब आहार लेने के लिए गृहस्थ के घर
 में जाए तो अपने पात्र साथ लेकर जाए । इसी तरह स्थंडिल भूमि और
 स्वाध्याय भूमि में जात समय भी पात्र को साथ लेकर जाए और ग्रामा
 अनुग्राम विहार करते समय भी पात्र को साथ में ही रखे । और यूनानाधिक

वर्षा के समय की विधि का वर्णन वस्त्रैषणा अध्ययन के दूसरे उद्देशक के अनुसार समझना चाहिए। यही साधु या साध्वी का समग्र आचार है। प्रत्येक साधु साध्वी को इसके परिपालन करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गृहस्थ के घर में पानी के लिए गए हुए साधु-साध्वी को कोई गृहस्थ सचित्त पानी देने का प्रयत्न करे तो वह उसे स्वीकार न करे। और यदि कभी असावधानी से ग्रहण कर लिया हो तो उसे अपने उपयोग में न लाए। वह उसे उसी समय वापिस कर दे, यदि गृहस्थ वापिस लेना स्वीकार न करे तो एकान्त स्थान में स्निग्ध भूमि पर परठ दे और उस पात्र को तब तक न तो पोंछे एवं न धूप में सुखाए जब तक उसमें पानी की बून्दें टपकती हों या वह गीला हो।

सचित्त पानी देने के सम्बन्ध में वृत्तिकार ने चार कारण बताए हैं— १ गृहस्थ की अनभिज्ञता-वह यह न जानता हो कि साधु सचित्त पानी लेते हैं या नहीं, २ शत्रुता-साधु को बदनाम करके उसे लोगों के सामने सदीप पानी ग्रहण करने वाला बताने की दृष्टि से, ३ अनुकम्पा-साधु को प्यास से व्याकुल देखकर अचित्त जल न होने के कारण दया भाव से और ४ विमर्षता-किसी विचार के कारण उसे ऐसा करने को विवश होना पड़ा हो। यह स्पष्ट है कि गृहस्थ चाहे जिस परिस्थिति एवं भावनावश सचित्त जल दे, परन्तु साधु को किसी भी परिस्थिति में सचित्त जल का उपयोग नहीं करना चाहिए।

सचित्त जल को परठने के सम्बन्ध में वृत्तिकार का कहना है कि यदि गृहस्थ उस सचित्त जल को वापिस लेना स्वीकार न करे तो साधु को उसे कूप आदि में समान जातीय जल में परठ देना चाहिए। और उपाध्याय पार्श्व चन्द्र ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि यदि साधु के पास दूसरा पात्र हो तो उसे उस सचित्त जल युक्त पात्र को एकान्त में परठ (छोड़) देना चाहिए। परन्तु, ये दोनों कथन आगम सम्मत प्रतीत नहीं होते। क्योंकि, आगम में पानी को परठने के लिए स्पष्ट रूप से स्निग्ध भूमि का उल्लेख किया गया है। अतः उस जल को कुएं आदि में डालना उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि इस क्रिया में अप्कायिक एवं अन्य जीवों की हिंसा होगी। और उस सचित्त जल के साथ पात्र को परठना भी उचित प्रतीत नहीं होता, यदि वह मजवूत है। क्योंकि, चलते हुए मजवूत पात्र को परठना एवं परठने वाले का समर्थन करना दोष युक्त माना है और उसके लिए आगम में लघु चातुर्मासी प्रायश्चित्त बताया है।

इससे स्पष्ट होता है कि साधु उन पानी को न तो कुण्ड आदि में फेंके, न पात्र सहित ही परठे परन्तु एतन्त द्वाया युक्त स्निग्ध स्थान में विवरु पूरु परठे ।

वस्त्र आदि की तरह पात्र के मन्त्रध में भी यह धताया गया है कि साधु जन भी आहार पानी के लिए गृहस्थ के घर में जाए या शोच के लिए बाहर जाए या स्वाध्याय भूमि में जाए तो अपने पात्र को साथ लेकर जाए । इससे स्पष्ट होता है कि साधु को बिना पात्र के नहीं जाना चाहिए । इसका कारण यह है कि पात्र किसी भी समय काम में आ सकता है । अतः उपाश्रय से बाहर जाते समय उसे साथ रखना उपयुक्त प्रतीत होता है ।

॥ द्वितीय उद्देशरु समाप्त ॥

॥ षष्ठ अध्यायन समाप्त ॥

सप्तम अध्ययन-अवग्रह प्रतिमा

प्रथम उद्देशक

छठे अध्ययन में पात्रैपणा का वर्णन किया गया था, परन्तु, साधु पात्र आदि सभी उपकरण किसी गृहस्थ की आज्ञा से ही ग्रहण करता है। क्योंकि उसने पूर्णतया चोरी का त्याग कर रखा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में अवग्रह का वर्णन किया गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा में अवग्रह चार प्रकार का होता है और सामान्य रूप से पांच प्रकार का अवग्रह माना गया है—१ देवेन्द्र अवग्रह, २ राज अवग्रह, ३ गृहपति अवग्रह, ४ गद्यातर अवग्रह और ५ सावर्गिक अवग्रह। उक्त अवग्रहों का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सप्तणो भविस्तामि अणुगारे अकिंचणो अपुत्रे अपसू
परदत्तभोई पावं कम्मं नो करिस्सामित्ति समुट्ठाए सव्वं भंते० !
अदिन्नादाणं पच्चक्खामि, से अणुपविसित्ता गामं वा जाव
रायहाणिं वा नेव सयं अदिन्नं गिरिहज्जा नेवऽन्नेहिं अदिन्नं
गिहाविज्जा अदिन्नं गिरहंतेवि अन्ने न सप्तणुजाणिज्जा,
जेहिवि सद्धिं संपव्वइए तेसिंपि जाइं इत्तगं वा जाव चम्मछे-
यण्णं वा तेसिं पुव्वामेव उग्गहं अणुणन्नविय अपडिलेहिय २
अपमज्जिय २ नो उग्गिरिहज्जा वा, परिगिरिहज्ज वा, तेसिं
पुव्वामेव उग्गहं जाइज्जा अणुणन्नविय पडिलेहिय पमज्जिय तथो
सं० उग्गिरिहज्जा वा प० ॥१५५॥

झाया—असणो भविण्यामि अनगारः अकिंचनः अपुत्रः अपशुः परदत्त-

भोनी पाप कर्म न करिष्यामि, इति ममुत्थाय मरुं भदन्त ! अदत्तादान
प्रत्यास्यामि, स अनुपरिश्य ग्राम वा यावद् राजधानी वा नैव स्वयमदत्त
गृह्णीयात्, नैवान्यै अदत्त ग्राहयत् अदत्त गृह्णीतोऽप्यन्यान् न समनुजानीयात्,
यैरपि (पाधुभिः) सार्द्धं सप्रन्नित, तेषामपि यानि छत्रक वा यावत् चर्मच्छेदनम्
वा तेषां पूषमेव अग्रग्रहमननुज्ञाप्याप्रतिलिख्य २ अप्रमज्य २ नात्रगृह्णीयाद् वा
प्रतिगृह्णीयाद् वा तथा पूषमेव अवग्रह याचेतानुज्ञाप्य प्रतिलिख्य प्रमज्य ततः
सयतमेनात्रगृह्णीयात् प्रतिगृह्णीयाद् वा ।

पदाथ—समण भविस्सामि—मैं भ्रमण तपस्वी माधु वनूगा । किस प्रकार का ?
अनगर—अनगर—पर स रहित । अकिम्भण—अकिम्भण—परिग्रह से रहित । अपुत्त—पुत्र धारि
से रहित । अपत्त—घोर दिग्ग चतुष्पादि पशुओं से रहित पक्ष । परवत्तमोई—दूसरे का पिया
हुआ भोजन करने वाला, मैं । पाव धम्म—पाप कर्म को । नो करिस्सामि—नहीं करूंगा ।
सि—इस प्रकार भी । समुत्थाए—प्रतिष्ठा म उद्यत होकर मैं एमो प्रतिष्ठा करता हूँ ।
भत्ते—हैं भगवन । मैं । सव्व—सब प्रकार के । अवि नावाण—अदत्तादान का । पच्चवत्तामि—
प्रत्यास्यामि करता हूँ इस प्रतिष्ठा म । से—वह भिक्षु । ग्राम वा—ग्राम घोर नगर । जाव—
यावत् । रायहाणि वा—राजधानी में । अणुपवित्तिता—प्रवाग करक । नेव सय अविन
गिण्हिज्जा—बिना लिए अन्न—पत्थाय को स्वय ग्रहण न करे तथा । नेव नेहि अविनं
गिण्हिज्जा—बिना दिए पत्थाय को दूसरो से ग्रहण भी न कराव घोर । अविग्ग गिण्हिजेवि—
अन्न को ग्रहण करने वाल । अन्न—अप्य व्यक्तियों का । नो समणुजानिज्जा—अनुमा न भी
न करे इतना ही नही किन्तु । जेहिचि सद्धि—जिनके साथ । सपव्वइए—प्रवजित हुआ वा
जिनके साथ रहता है । तेसिवि—उनके भी । जाई—जो । एत्तण वा—एतत्त । जाव—यावत् ।
धम्म एवणम वा—चर्म छेदन यानि उपकरण विगप हैं । तसि—उनका । पुष्वा—पहनने ।
उग्गह—अवग्रह—प्राणा विगप । अणुपुग्गविम—लिए बिना । अपविस्सिहिय—बिना प्रतिपत्त
लिए घोर । अपमज्जिय—जिना प्रमाजना किए । नो उग्गिण्हिज्जा वा—एक बार ग्रहण न करे
तथा । वरिगिण्हिज्जा—बार २ ग्रहण न करे, किन्तु । पव्वामेव—पहन ही । तेसि—उनके
पाग । उग्गह—अवग्रह भी । जाइज्जा—यचना करे अर्थात् प्राणा मांगे । एण नविम—उनकी
प्राणा लेकर तथा । वरिस्सिहिय—प्रतिपत्तना घोर । एमज्जिय—प्रमाजना करके । तपो—
त न तर । स०—मननपूर्वक । उग्गिण्हिज्जा वा प०—एक बार पयसा पयिच बार ग्रहण करे ।

सूनार्थ—रीक्षित हाते समय दोषार्थी विचार पूर्वक कहता है कि मैं
भ्रमण तपस्वी तप करने वाला वनूगा, जा घर से, परिग्रह से, पुत्रादि

सम्बन्धियों से और द्विपद-चतुष्पद आदि पशुओं से रहित होकर गोचरी (भिक्षा) लाकर संयम का पालन करने वाला साधक वनूंगा, परन्तु कभी भी पापकर्म का आचरण नहीं करेगा। हे भदन्त ! इस प्रकार की प्रतिज्ञा में आरूढ़ होकर आज मैं सर्वप्रकार के अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ।

ग्राम, नगर, यावत् राजधानी में प्रविष्ट संयमशील साधु स्वयं अदत्त—विना दिए हुए पदार्थों को ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण कराए और जो अदत्त ग्रहण करता है उसकी अनुमोदना (प्रशंसा) भी न करे। एव वह मुनि जिनके पास दीक्षित हुआ है, या जिनके पास रह रहा है उनके छत्र यावत् चर्म छेदक आदि उपकरण विज्ञेय हैं, उनको विना आज्ञा लिए तथा विना प्रतिलेखना और प्रमार्जन किए ग्रहण न करे। किन्तु पहले उनसे आज्ञा लेकर और उसके बाद उनका प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके उन पदार्थों को स्वीकार करे। अर्थात् विना आज्ञा से वह कोई भी वस्तु ग्रहण न करे।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु के अस्तेय महाव्रत का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि साधु किसी व्यक्ति की आज्ञा के बिना सामान्य एवं विशिष्ट कोई भी पदार्थ स्वीकार न करे। वह दीक्षित होते समय यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं घर, परिवार, धन-धान्य आदि का त्याग करके तप-साधना के तेजस्वी पथ पर आगे बढ़ूंगा और साध्व-सिद्धि तक पहुंचने में सहायक होने वाले आवश्यक पदार्थों एवं उपकरणों को विना आज्ञा के ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरह साधक जीवन पर्यन्त के लिए चोरी का सर्वथा त्याग करके साधना पथ पर कदम रखता है। यहाँ तक कि वह अपने सांभोगिक साधुओं की किसी भी वस्तु को उनकी आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करता। यदि किसी साधु को छत्र, चर्म छेदनी आदि पदार्थ पड़े हुए हैं और अन्य साधु को उनकी आवश्यकता है; तो वह उस साधु की आज्ञा के बिना उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रसंग में छत्र का अर्थ है— वर्षा के समय सिर पर लिया जाने वाला ऊन का कम्बल। और स्थविर कल्पी मुनि विशेष कारण उपस्थित होने पर छत्र भी रख सकते हैं। वृत्तिकार

न भी अपराग माग मं छत्र-छाता रखने की बात नहीं है। अतः छत्र शब्द से कर्म और छत्र दोनों में से कोई भी पदार्थ हो सकता है। इसी तरह माधु किन्हीं कायक लिए गन्ध के घर से चर्म छेदनी या अग्निपुत्र (चाट्ट) आदि लाया हो और दूसरे माधु को इन वस्तुओं की या उनके पास में स्थित वस्तुओं में से किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता हो तो वह उक्त मुनि की आज्ञा लेकर उक्त वस्तु को ग्रहण कर सकता है। इस तरह माधु स्वेयं क्रम से पूजन निवृत्त होकर साधना पथ में गति-प्रगति करना हुआ अपने लक्ष्य पर पहुँचने का प्रयत्न करना है।

उक्त विषय की आगे उदाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि- आगतारेसु वा ४ अणुवीड उग्गह जाड्ज्जा,
जे तत्थ ईमरे जे तत्थ ममहिट्ठए ते उग्गह अणुन्नविजा काम
सल्लु याउमो० । अहालद अहापरिन्नाय वसामो जाव आउसो ।
जाव याउमतस्स उग्गहे जाव साहम्मिया एड ताव उग्गह
उग्गिगिहस्सामो, तेण पर विहरिस्सामो ॥ से कि पुण तत्थोग्ग-
हमि एवोग्गहयमि जे तत्थ साहम्मिया मभोइया समणुन्ता उवा
गच्छिज्जा जे तेण समयेमिच्छए अरणो वा ४ तेण ते साहम्मिया
३ उवनिमत्तिज्जा, नो चेव ण परवडियाए योगिज्झिय २
उवनि० ॥१५६॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुनी वा आगन्तापु वा ४ अनुविचित्य अग्रह

ॐ 'छत्रकर्मणि-छ' अपवाराण छादयतीति छत्र वर्णकस्त्वानि यानि वा कारणि
व्यचिन् कृष्ण देगादावतिवष्टि सम्भवात् छत्रकर्मणि गल्लीयाद् । —प्राचाराङ्ग वति ।

१ नागून काटने या अन्य कार्यों के लिए साधु चर्म छेदनी आदि गन्ध गृहस्थ के पहलू से लाते हैं, परन्तु सूर्यास्त पूर्व ही वापिस लौटा लेते हैं। क्योंकि घातु के पदार्थ रात को साधु अपना निश्चय में नहीं रखते। अतः तब तक य पदार्थ जिस साधु के पास हो उसकी प्राप्ति के बिना अन्य साधु नहीं ले सकता ।

याचेत, यस्तत्र ईश्वरः यस्तत्र समधिष्ठाता तान् अवग्रहं अनुज्ञापयेत्, काम
खलु आयुष्मन् गृहपते ! यथालन्दं यथापरिज्ञातं वसामः यावद् आयुष्मन् !
यावत् आयुष्मतः अन्नग्रहे यावत् माधर्मिकाः एष्यन्ति [समागमिष्यन्ति]
तावदन्नग्रहमवग्रहीष्यामः तेन परं विहरिष्यामः ॥ स किं पुनः तत्रावग्रहे
एवावग्रहीते ये तत्र माधर्मिकाः साम्भोगिकाः समनोज्ञाः उपागच्छेयुः ये तेन
स्वय एषितुमशानं वा ४ तेन तान् साधर्मिकान् ३ उपनिमन्त्रयेत्, नो चैव
पराप्रत्ययेन अवगृह्य २ उपनिमन्त्रयेत् ।

पदार्थ - से भिक्खू—वह साधु अथवा साध्वी । आगतारेसु वा—धर्मशाला आदि मे
जाकर । अणुवीह—विचार कर । उगग्रहं—अवग्रह की । जाइज्जा—याचना करे । तत्थ—उस
धर्मशाला का । जे—जो । ईसरे—स्वामी है । तत्थ—उसका । जे—जो । समहिट्ठए—
अधिष्ठाता है । ते—उनकी । उगग्रहं—आज्ञा । अणुन्नविज्जा—मागे । खलु—वाक्यालंकार मे
है । आउसो—आयुष्मन् गृहस्थ ! काम—यदि आपकी इच्छा हो । अहालद—जितने समय के
लिए आप आज्ञा दे तथा । अहापरिन्नाय—जितने क्षेत्र की आज्ञा दे, उतने समय तक उतने ही
क्षेत्र मे । वसामो—हम निवास करेंगे । जाव—यावत् । आउसो—आयुष्मन् गृहस्थ ! जाव—
यावन्मात्र काल प्रमाण । आउसंतस्स—आयुष्मन् का-आपका । उगग्रहे—अवग्रह होगा तथा ।
जाव—यावन्मात्र । साहम्मिया—साधर्मिक-साधु । एइ—आएगे । तावं—तावन्मात्र काल
तक । उगग्रह—अवग्रह को । उगिगिहस्सामो—ग्रहण करके रहेंगे । तेण पर—उसके पश्चात् ।
विहरिस्सामो—विहार कर जायेंगे । से—वह-साधु । कि पुण—फिर क्या करे । तत्थ—वहा ।
उगग्रहंसि—अवग्रह मे । एवोगहिंसि—प्रकर्ष पूर्वक आज्ञा दिए जाने पर । जे—जो । तत्थ—वहा ।
साहम्मिया—साधर्मिक-साधु । समोइया—साम्भोगिक-सम समाचारी के मानते वाले, तथा एक
गुरु के शिष्य । समणुन्ना—उग्र विहार करने वाले अर्थात् क्रिया करने वाले । उवागच्छिज्जा—
अतिथि रूप मे आएँ । जे—जो । तेण—उस-परमार्थी साधु से । सयं—स्वयमेव । एसित्तए—
गवेपणा करके । असणं वा ४-अशनादिक चतुर्विध आहार लाया गया है । तेण—उसे । ते—उन ।
साहम्मिए—साधर्मिक साधुओं को । उवनिमंतिज्जा—निमन्त्रित करे । णं—वाक्यालंकार में
है । एय—अवधारण अर्थ में है । च—परन्तु । पर वडियाए—दूसरे के लिए हुए आहार की ।
ओगिज्झिय २—अपेक्षा से । नो उवनिमंतिज्ज—निमन्त्रित न करे ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी धर्मशाला आदि मे जाकर और
विचार कर उस स्थान की आज्ञा मागे । उस स्थान का जो स्वामी या अधि-
ष्ठाता हो उससे आज्ञा मागते हुए कहे-आयुष्मन् गृहस्थ ! जिस प्रकार तुम्हारी

इच्छा हो प्रथम जितने समय के लिए जितने क्षेत्र में निराम करने की तुम आज्ञा दोगे उतने काल तक उनमें ही क्षेत्र में हम निवास करेंगे, अथ जितने भी साधर्मिक साधु आएंगे वे भी उतने काल तक उतने क्षेत्र में ठहरेंगे । उक्तकाल के बाद वे विहार कर जाएंगे ।

इस प्रकार गृहस्थ की आज्ञा के अनुसार वहां निवसित साधु के पास यदि अन्य साधु-जोकि साधर्मिक हैं, ममग्र समाचारी वाले हैं और उग्र विहार करने वाले हैं, अतिथि के रूप में आजाए तो वह साधु अपने द्वारा लाए हुए आहारादि का उसे आमन्त्रण करे, परन्तु अन्य के लिए हुए आहारादि के लिए उन्हें निमन्त्रित न करे ।

हिन्दी निवेदन

अनुक्त सूत्र में मकान प्रवेश करने सम्बन्धी अग्रप्रश्न का उल्लेख किया गया है । इसमें बताया गया है कि साधु अपने ठहरने योग्य निर्दोष एव प्रामुख स्थान को देखकर उसके स्वामी या अधिष्ठाताक्ष से उस मकान में ठहरने की आज्ञा मागे । आज्ञा मागते समय साधु यह स्पष्ट कर दे कि आप जितने समय के लिए जितने क्षेत्र में ठहरने एवं उसका उपयोग करने की आज्ञा देंगे उतने समय तक हम उतने ही क्षेत्र में ठहरेंगे । और यदि हमारे अन्य साम्भोगिक साधु आणगे तो वे भी उस अग्रथि तक उतने ही क्षेत्र में ठहरने जितने क्षेत्र को काम में लेने की आपने आज्ञा दी है । इससे स्पष्ट है कि कोई भी साधु बिना आज्ञा लिए किसी भी मकान में नहीं ठहरता है ।

उक्त मकान में स्थित साधु के पास यदि कोई साधर्मिक, साम्भोगिक और समान समाचारी वाला अथ साधु अतिथि रूप में आ जाय तो वह अपने लिए हुए आहार पानो का आमन्त्रण करके उनकी सेवा कर, परन्तु अथ द्वारा लाए हुए आहार-पानो का आमन्त्रण न करे । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं— एक तो यह है कि साधु को अपने अतिथि साधु की स्वयं सेवा करनी चाहिए । इससे पारस्परिक प्रेम-स्नेह में अभिवृद्धि होती है । दूसरी यह कि साधु का एक माण्डने पर बैठकर आहार पानो

ॐ स्वामी का अथ मकान मालिक से है और अधिष्ठाता का अथ है—मकान की देख रक्ष के लिए रक्षा द्वारा यत्ति प्रयाज् अपनी अनुपस्थिति में जिसे वह मकान देख देख रखने के लिए दे रक्षा हो ।

करने का सम्बन्ध उसी साधु के साथ होता है जो साधर्मिक, साम्भोगिक और समान आचार-विचार वाला है।

अब असम्भोगी साधु के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आगंतारेसु वा ४ जात्र से किं पुण तत्थोग्ग-
हंसि एवोग्गहियंसि जे तत्थ साहम्मिया अन्नसंभोइया सम-
णुन्ना उवागच्छिज्जा जे तेण सयमेसित्तए पीढे वा फलए
वा सिज्जा वा संथारए वा तेण ते साहम्मिए अन्नसंभोइए
समणुन्ने उवनिमंतिज्जा नो चेव णं परवडियाए ओगिज्झिय २
उवनिमंतिज्जा ॥

से आगंतारसु वा ४ जात्र से किं पुण तत्थोग्गहंसि एवो-
ग्गहियंसि जे तत्थ गाहावईण वा गाहा० पुत्ताण वा सूई वा
पिप्पलए वा कण्णसोहणए वा नहच्छेयणए वा तं अप्पणो
एगस्स अट्ठए पाडिहारियं जाइत्ता नो अन्नमन्नस दिज्ज वा
अणुपइज्ज वा, सयंकरणिज्जंतिकट्टु, से तमायाए तत्थ
गच्छिज्जा २ पुब्बामेव उत्ताणए हत्थे कट्टु भूमीए वा ठवित्ता-
इमं खलु २ त्ति आलोइज्जा, नो चेव णं सयं पाणिणा
परपाणिंसि पच्चपिणिज्जा ॥१५७॥

छाया—म आगन्तारेषु वा ४ यावत् म किं पुन तत्राग्रहे एवाग्रहीते य
 तत्र माधमिका अन्यसाम्भोगिका समनोवा उपागच्छेत्तु ये तेन स्वयमेपि
 तस्या पीठ वा फलक वा शय्या वा सस्तारको वा तेन तान् माधर्मिज्ञान
 अन्यसाम्भोगिकान् समनोज्ञान् उपनिमन्त्रयेत् नो चैव परप्रत्ययेन अग्रगृह्य २
 उपनिमन्त्रयेत् । म आगन्तारेषु वा ४ यावत् म किं पुन तत्राग्रहे एवाग्रहीते
 ये तत्र गृहपताना वा गृहपतिपुत्राणा वा मूची वा पिप्पलक वा कर्णशोधनयो वा
 नलच्छेदनको वा ते आ मन एभ्यमर्थाय प्रातिहारिक याचित्वा नो अयोन्यस्य
 दद्याद् वा अनुप्रदद्याद् वा स्वय करणीयमितिकृत्वा स तदादाय तत्र गच्छेत्,
 पूजयेत् उपासक इति कृत्वा भूमौ वा स्थापयित्वा इति खलु २ इति आलाचयेत्
 नो चैव स्वय पाणिना परपाशौ प्रत्यर्पयेत् ।

पदाथ—से—वह साधु । आगतारेषु वा—घमाला आदि म । जाव—यावन । से—
 वह भिक्षु । तद्योगहसि—वहा भवग्रह लिए जाने पर । एवोगहियसि—प्रत्य पूवक प्राप्ता
 दिए जाने पर । पुन किं—पुन वह वहा क्या करे ? अत्र भूत्रकार इम सम्बन्ध म कत है ।
 जे—जा । तथ—वहा पर । साहम्मिया—अतिय रूप म साधमिक हैं । अन समोदया—
 अ य साम्भोगिक हैं अर्थात् जिनसे एक माडदे पर बठकर आहार करन का सम्भोग नही है कि तु ।
 समण ना—वे उग्र विहारी हैं अथान उत्तम आचार वाले है यत् कि व । उवागच्छिज्जा—प्रा
 जाय । जे—जो । तेण—पहल वहा ठहर हुए साधु है उनको । सधमेतिच्छे—स्वय क गवेपणा
 किए हुए । पीठ वा—पीठ । फलक वा—फलक पट्टा । सिज्जा वा—गद्या-वस्ती ।
 सस्तारक वा—सस्तारक आदि । तेण—उन पीठ फलकादि स । ते—उन । साहम्मिए—साधमिक
 जो कि । अनसमोदए—अय साम्भोगिक तथा । समण ने—उग्र विहारी उत्तम आचार वा न
 है । उवनिमतिज्जा—अम पूवक निर्मात्र न करे । च—फिर । एव—अवधारणायक है । न—
 वाकपालकार में है । पर वडियाण—परन्तु दूसरे के लिए हुए पीठ-फलकादि । भोगिभ्य—
 उनको अपक्षा से । नो उवनिमतिजा—निमात्र न करे ।

स—वह भिक्षु । आगतारेषु वा ४—घमाला आदि के विषय म । जाव—यावन ।
 से—वह । तद्योगहसि—प्राप्ता लेने पर । एवोगहियसि—विशेषना से प्राप्ता प्राप्त होने के
 पश्चात् । उस साधु को क्या करना चाहिए ? इम सम्बन्ध म भूत्रकार कहते है कि । जे—जो ।
 तथ—वहा पर । ग्राहापईण वा—गृहपतिया के उपकरण अथवा । ग्राहा पुताण वा—
 गृहपति क पुत्रा क उपकरण । सई वा—वस्त्रादि क सीन वाली सूत्र अथवा ।

पिप्लए वा—कैची कतरनी । कण्णपोहणए वा—कान के मन को निकालने वाली शलाका कर्णशोधक सलाई । नहच्छेयणए वा—नख छेदन करने वाला उपकरण आदि पड़े हो तो । तं—उसको । अप्पणो—अपने । एगस्स—एक के । अट्ठाए—लिए । पाडिहारियं—प्रातिहारक-वापिस दिए जाने वाला । जाइत्ता—मांग कर । अन्नमन्तस्स—परस्पर अन्य साधुओं को । नो दिज्ज वा—न दे । न अणुपइज्ज वा—वार वार न दे किन्तु । सय करणिज्जतिकट्ठु—अपना कार्य पूरा करके । से—वह साधु । तमायाए—उस सूई आदि को लेकर । तत्थ—वहा गृहस्थ के पास । गच्छिज्जा २—जाए और वहा जाकर । पुव्वामेव—पहले ही । उत्ताणए हत्थे कट्ठु—सीधा हाथ पसार कर और सूई आदि को हाथ में रख कर । वा—अथवा । भूमोए—पृथ्वी पर । ठवित्ता—रख कर फिर गृहस्थ के प्रति कहे । इम खलु २ त्ति—यह निश्चय ही तुम्हारी वस्तु है, ऐसा कह कर वह वस्तु उसको दिखावे परन्तु । सयं पणिणा—अपने हाथ से । पर पाणिसि—गृहस्थ के हाथ में । नो पच्चपिणिज्जा—न दे ।

मूलार्थ—आज्ञा प्राप्त कर धर्मशाला आदि में ठहरे हुए साधु के पास यदि उत्तम आचार वाले असभोगी साधुर्मी-साधु अनिथिरूप में आजाएं तो वह स्थानीय साधु अपने गवेषणा किए हुए पीढ़, फलक, शय्या-सस्तारक आदि के द्वारा अल्पसांभोगिक साधुओं को निमन्त्रित करे, परन्तु दूसरे द्वारा गवेषित पीढ़, फलकादि द्वारा निमन्त्रित न करे ।

यदि कोई साधु गृहस्थ के पास से सूई, कैची, कर्णशोधनिका और नखछेदक आदि उपकरण अपने प्रयोजन के लिये मांग कर लाया हो तो वह उन उपकरणों को अन्य भिक्षुओं को न दे । किन्तु अपना कार्य करके गृहस्थ के पास जाए और लम्बा हाथ करके उन उपकरणों को भूमि पर रख कर गृहस्थ से कहे कि यह तुम्हारा पदार्थ है, इसे संभाल लो, देख लो परन्तु उन सूई आदि वस्तुओं को साधु अपने हाथ से गृहस्थ के हाथ पर न रखे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गत सूत्र में कथित विधि से आज्ञा लेकर ठहरे हुए साधु के पास कोई असम्भोगिक एवं अपने समान समाचारी का पालन नहीं करने वाले साधु आ जाएं तो वह अपने लिए हुए शय्या-संथारे या पाट-तख्त आदि से उनका सत्कार-सम्मान करे अर्थात् उसे उनका आमन्त्रण करे, परन्तु अन्य के

लाए हुए पाट आदि का उसे निमंत्रण न रहे। इससे स्पष्ट होता है कि अपने यहाँ आए हुए मार्मिक एवं चरित्रनिष्ठ मार्मिक का— निमन्त्रे साथ आहार पानी का सम्भोग नहीं है और निमन्त्रे समाचारी भी अपने समान नहीं है, शय्या सस्तरक आदि से सम्मान करना चाहिए। आगम में बताया गया है कि भगवान् पार्श्वनाथ एवं भगवान् महावीर के साधुओं की समाचारी भिन्न थी, उनका परस्पर साम्भोगिक सम्बन्ध भी नहीं था। फिर भी जब गौतम स्वामी वैश्वी श्रमण के स्थान पर पहुँचे तो दीक्षा पथाय में ज्येष्ठ होने हुए भी वैश्वी श्रमण ने गौतम स्वामी का स्वागत किया और उन्हें निर्णय एवं प्रामुख्य पलाल (घाम) आदि का आसन लेने की प्रार्थना की। इससे पारस्परिक धर्म-भेद में अभिवृद्धि होती है और पारस्परिक मेल-मिलाप एवं विचारों के आदान-प्रदान से जीवन का भी विकास होता है। अतः चरित्रनिष्ठ असम्भोगी साधु का शय्या आदि से सम्मान करना प्रत्येक साधु का कर्तव्य है।

प्रस्तुत सूत्र के उत्तरार्ध में बताया गया है कि यदि साधु अपने प्रयोजन (कार्य) के लिए किसी गृहस्थ से सूई, कैंची, कान साफ करने का शस्त्र आदि लाया हो तो वह उसे अपने काम में ले, किन्तु अथ साधु को न दे। और अपना काय पूरा होन पर उन वस्तुओं को गृहस्थ के घर जाकर हाथ लगाना करके भूमि पर रख दे और उसे कहे कि यह अपने पदाथ सम्भाल लो। परन्तु, वह उन पदार्थों को उसके हाथ में न दे।

कोप में विषय शब्द का अर्थ काटे निकालने का विषया, उत्तरा और विषयल के पत्तों का मिश्रण तथा कैंची किया है। और 'उत्ताणए' शब्द का उच्चारण हुआ हाथ अथ किया है। इसके अतिरिक्त 'उत्ताणए' शब्द के—१ सोधा, २ गहरा न हो, ३ निष्पलक देखना ४ चित्त शयन करने का अभिप्राय करने वाला और ५ उबले पानी वाला समुद्र आदि अर्थ किए हैं।

इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकर कहते हैं—

ॐ पलालं फासुय तस्य षष्ठम कुमनगाभिय ।
गोप्रमस्य निस्सेज्जाए, क्षिप्य सपणाम ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, २३, १७ ।

† विषयल अ—काटा निकालन का विषया तथा उत्तरा (२) विषयल—विषयल के पत्तों का मिश्रण तथा कैंची ।

—षष्ठमागधी कोप भाग २ ।

१ पीला मन्त्रों, २ वा गहरा ऊँच न हो वह ३ पलक मारे बिना धातु को मुड़ी रखना ४ चित्त शयन का अभिप्राय—प्रतिना वाला, उबले पानी वाला समुद्र इत्यादि अर्थ किए हैं ।

—षष्ठमागधी कोप भाग २ पृष्ठ २१४ ।

मूलम्—से भि० से जं० उग्गहं जाणिज्जा अणंतरहियाए
पुठवीए जाव संताणए तह० उग्गहं नो गिरिहज्जा वा २ ॥ से
भि० से जं० पुणा उग्गहं थूणंसि वा ४ तह० अंतलिकखजाए
दुव्वद्धे जाव नो उगिरिहज्जा वा २॥

से भि० से जं० कुलियंसि वा ४ जाव नो उगिरिहज्ज
वा २ ॥ से भि० खंधंसि वा ४ अन्नयरे वा तह० जाव नो
उग्गहं उगिरिहज्ज वा २ ॥ से भि० से जं० पुणा० ससागारियं०
सखुड्डपसुभत्तपाणां नो पन्नस्स निकखमाणपवेसे जाव धम्माणु-
योगचिंताए, सेवं नच्चा तह० उवस्सए ससागारिए० नो उग्गहं
उगिरिहज्जा वा २ ॥ से भि० से जं० गाहावइकुलस्स मज्झं-
मज्झेणां गंतुं पंथे पडिवद्धं वा नो पन्नस्स जाव सेवं न० ॥ से
भि० से जं० इह खलु गाहावई वा जाव कम्मकरीओ वा अन्न-
मन्नं अक्कोसंति वा तहेव तिल्लादि सिणाणादि सीओदग-
वियडादि निगियाइ वा जहा सिज्जाए आलावगा, नवरं उग्गह-
वत्तव्वया ॥ से भि० से जं० आइन्नसंलिकखे नो पन्नस्स०
उगिरिहज्ज वा २, एयं खलु ॥१५८॥

छाया—स भिन्नुर्वा भिच्चुको वा स यत् अवग्रहं जानीयात् अनन्तरहितायां
पृथिव्या यावत् सन्तानकः तथाप्रकार अवग्रहं न गृह्णीयात् वा २ । स भिक्षुर्वी

भिक्षुकी वा स यत् पुन अग्रह स्थूणाया वा ४ तथाप्रकार अतरिज्ञात
दुबद्ध यावत् नो अग्रगृह्णीयात् वा २ ।

स भिक्षुर्वा० स यत् कुल्यके यावत् नो अग्रगृह्णीयाद् वा २ ॥ स
भिक्षुर्वा० स्कन्ध वा ४ अग्रतरस्मिन् वा तथाप्रकार यावत् नो अग्रह
अग्रगृह्णीयाद् वा २ ॥ स भिक्षुर्वा० म यत्० पुन ० मसागारिक० सत्तुद्रपशु-
भवतपान नो प्राज्ञस्य निष्क्रमणप्रेग यावत् धर्मानुयोगचिन्ताया तदेव ज्ञात्वा
तथाप्रकारमुपाश्रय समागारिक० नो अग्रह अग्रगृह्णीयाद् वा २ ॥ म
भिक्षुर्वा० स यत्० गृहपतिकुलस्य मध्य मध्येन गन्तु पथि प्रतिबद्ध वा नो
प्राज्ञस्य यावत् तदेव ज्ञात्वा० ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा स यत्० इह सलु
गृहपतिर्वा यावत् कमकयो वा अन्योन्यमूआक्रोशति वा तथैव तैजादि, स्नाना
दि शीतोदक विकटादि नग्नादि वा यथा शय्यायाम आलापका नगरम् अग्रह,
पक्वपता ॥ म भिक्षुर्वा० म यत्० आज्ञीणमलिरुपे नो प्राज्ञस्य० अग्रगृह्णी
याद् वा २ एतत् खलु० ।

पदाथ—से मि०—वह साधु या माध्वी । से—वह । ज—जो । पुण०—फिर अग्रह
को । जाणिग्जा—जाने । अग्रतरहियाए—सचित्त । पुढवीए—पृथ्वी के विषय में । जाथ—
यावत् । सताणए—मकड़ी व जाले घादि से युक्त पृथ्वी में । तह०—तथाप्रकार व । उग्रह—
अग्रह को । नो निष्क्रिज वा—ग्रहण न करे या गृहस्थ से आज्ञा न माने ।

से मि०—वह साधु अथवा माध्वी । से—वह । ज—जो । पुण०—फिर । उग्रह—
अग्रह को । जाणिग्जा—जाने । धूणसि वा ४—सूत्र घादि के विषय में । तह०—तथाप्रकार
व । अतनिष्क्रजाए—अतरिण भूमि म ऊच स्थानो को जो । दुबद्धे—प्रतिबद्ध हैं । जाथ—
यावत् एसे अग्रह को । नो उगिष्क्रिज वा २—ग्रहण न करे अथवा गृहस्थ से आज्ञा
न करे ।

से मि०—वह साधु अथवा माध्वी । से—वह । ज०—जो फिर अग्रह को जाने ।
कुतिसंनि वा ४—भीत घाति क विषय में जो कि असाध्य स्वभाव वाले स्थान है । जाथ—
यावत् । नो उगिष्क्रिज वा २—अग्रह को ग्रहण न करे और गृहस्थ से आज्ञा भी न करे ।

से मि०—वह साधु या माध्वी फिर अग्रह को जान । संपति वा—रक्षक घाति
के विषय में । अग्रतर वा—अग्र तरा प्रकार का ऊचा अथवा विषय स्थान । तह०—तथा

प्रकार के। जाघ—यावत् । उग्गहं—अवग्रह को । नो उगिण्हिज्ज वा २—ग्रहण न करे अर्थात् इन प्रकार के अवग्रह की गृहस्थ से याचना न करे ।

से मि०—वह नाधु या साध्वी । से जं० पुण—वह जो फिर अवग्रह को जाने । समागारिय—जो उपाश्रय गृहस्थो मे युक्त, अग्नि और जल मे युक्त तथा स्त्री पुरुष और नपुंसक आदि से युक्त हो तथा । सप्पुड्डपसुनत्तपाणं—बालक पशु और उनके पाने-पीने के योग्य अन्नपानादि मे युक्त हो । पन्नस्स—प्रज्ञावान् नाधु को । निक्खलमणपवेसे—निकलना और प्रवेश करना । नो—नहीं कल्पता । जाघ—यावत् । धम्माणुभोगिचिताए—ऐसे स्थान में धर्मानुष्ठान एव धर्मानुयोग चिन्ता आदि करनी नहीं कल्पती । सेव—वह-भिक्षु इस प्रकार । नच्चा—जानकर । तह०—तथा प्रकार के । उवत्सए—उपाश्रय मे । स तागारिय—जो कि गृहस्थ आदि से युक्त है । उग्गहं—अवग्रह को । नो उगिण्हिज्ज वा २—ग्रहण न करे और न उसकी याचना करे ।

से मि०—वह नाधु अथवा साध्वी । से जं०—वह जो फिर अवग्रह को जाने । गाहावई०—गृहपति कुल के । मज्ज मज्जेण—मध्य २ मे । गंनुं—जाने का । पथे—मार्ग हो । धा—अथवा । पडिबद्धं—मार्ग स्त्रियो से आकीर्ण हो या स्त्री वर्ग अपनी नाचा प्रकार की शारीरिक चेष्टायें कर रहा हो तो । पन्नस्स—प्रज्ञावान् साधु को उन्हें उलंघ कर जाना । नो—नहीं कल्पता अतः । सेयं नच्चा—साधु इस प्रकार जानकर । तहप्पगारे०—तथाप्रकार के उपाश्रय के विषय में अवग्रह की याचना न करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से जं० पुण०—वह जो फिर अवग्रह को जाने । इह खलु—निश्चय ही यहाँ । गाहावई वा—गृहपति । जाघ—यावत् । कम्मकरीणो वा—गृहपति की दासियों । अन्नमन्नं—परस्पर । अक्कोसति वा—आक्रोश करती हैं, आपस में लडती-भगडती हैं ; तद्देव—उसी प्रकार । तिल्लादि—तैल आदि चोपड सकती हैं तथा । सिण्णादि—स्नानादि करती है । सीओदग वियडादि—शीतल सञ्चित जल से वा उष्ण जल से स्नान करती है । वा—अथवा, निगियादा—मैथुन आदि क्रीडा के लिए नग्न होती है । वा—अथवा । जहा—जैसे । सिञ्जाए—दय्या अध्ययन के । आलावगा—आलापक कथन किए गए है उसी प्रकार वहाँ भी जान लेना । नवर—इतना विक्षेप है । उग्गहवत्तवया—यहा पर अवग्रह की वक्तव्यता है, अर्थात् अवग्रह का विषय है ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से जं०—वह जो फिर अवग्रह को जाने । आइन्ने सल्लिक्खे—जो उपाश्रय चित्रो से आकीर्ण है ऐसे उपाश्रय मे ठहरने के लिए । पन्नस्स०—प्रज्ञावान् साधु को तथाप्रकार के उपाश्रय का । उगिण्हिज्जा वा २—अवग्रह नहीं लेना चाहिए ।

एष सत्तु०—निश्चय ही यह साधु और साध्वी का समग्र आचार है। शिवेति—इस प्रकार मैं कहता हूँ।

मूलार्थ—सयम निष्ठ साधु साध्वी को सचित्त पृथ्वी या जीव जंतु युक्त स्थान की आज्ञा नहीं लेनी चाहिए और जो उपाश्रय भूमि से ऊँचा, स्तम्भ आदि के ऊपर एव विपम हो उसमें भी ठहरने की आज्ञा न लेना चाहिये और जो उपाश्रय कच्ची भोत पर स्थित हो और अस्थिर हो उसकी भी साधु याचना न करे। जो उपाश्रय स्तम्भ आदि पर अवस्थित और इसी प्रकार के अन्य किसी विपम स्थान में हाता उसकी आज्ञा भी नहीं लेनी चाहिये। जो उपाश्रय गृहस्थों से युक्त हो, अग्नि और जल से युक्त हो, एव स्त्री, बालक और पशुओं से युक्त हो तथा उनके योग्य खान पान को सामग्री से भरा हुआ हो तो बुद्धिमान साधु को ऐसे उपाश्रय में भी नहीं ठहरना चाहिए जिस उपाश्रय में जाने के मार्ग में स्त्रिय बैठी रहती हो या वे नाना प्रकार की शारीरिक चेष्टाये करती हो, ऐसे उपाश्रय में भी बुद्धिमान साधु ठहरने की आज्ञा न माग। जिस उपाश्रय में गृहपति यावत् उनकी दासियों परस्पर आक्रोश करती हो, या तैलादि की मालिश करती हो, स्नानादि करती और नग्न होकर बैठती हो इस प्रकार के उपाश्रय की भी साधु याचना न करे। और जो उपाश्रय चित्रों से आकीर्ण हो रहा हो उसकी भी आज्ञा नहीं लेनी चाहिये यह साधु और साध्वी का समग्र आचार है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु को कैसे मनान में ठहरना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए शय्या अध्ययन में बसिन्त बातों को दोहराया है। जैसे— जो उपाश्रय अस्थिर दीवार एव स्तम्भ पर बना हुआ हो विपम स्थान पर हो स्त्रियों से आवृत्त हो निसके आने-जाने के मार्ग में स्त्रिय बैठी हों, परस्पर तैल की मालिश कर रही हों या अस्त-व्यस्त दृष्ट से बैठी हों तो ऐसे स्थान को साधु को याचना नहीं करनी चाहिए। इसका

तात्पर्य यह है कि साधु को ऐसे स्थान में ठहरने का संकल्प नहीं करना चाहिए, जिस में जीवों की हिंसा एवं संयम की विराधना होती हो, मन में विकार उत्पन्न होता हो और स्वाध्याय एवं ध्यान में विघ्न पड़ता हो ।

यह साधु का उत्सर्ग मार्ग है । परन्तु, यदि किसी गांव में संयम साधना के अनुकूल मकान नहीं मिल रहा है, तो साधु एक-दो रात के लिए परिवार वाले मकान आदि में भी ठहर सकता है । यह अपवाद मार्ग है और ऐसी स्थिति में साधु को एक-दो रात्रि से अधिक ऐसे मकान में ठहरना नहीं कल्पता है* ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'कुलियसि एवं थूणसि' का अर्थ कोष* में कुड्य दीवार एवं स्तम्भ किया है । और 'वम्माणुओगचिंताए' का अर्थ है—साधु को उसी स्थान की याचना करनी चाहिए जिसमें धर्मानुयोग भली-भांति साधा जा सके अर्थात् जहां संयम में बिल्कुल दोष न लगे ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए ।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

* वृहत्कल्प सूत्र ।

† अद्वैतमार्गधी कोष भा० २, पृ० ५०७, भा० ३, पृ० ३०५ ।

सप्तम अध्यायन-अवग्रह प्रतिमा

द्वितीय उद्देशक

प्रस्तुत अध्यायन अवग्रह से सम्बद्ध है। प्रथम उद्देशक में अवग्रह के मन्त्र में कुछ विचारक्रिया गया था। उसी विचार धारा को आगे उदाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से आगतारिसु वा ४ याणुवीड उग्गह जाडजा,
जे तत्थ ईसरे० ते उग्गहं याणुन्नविज्जा काम खलु याउसो ।
अहालद अहापरिन्नाय वसामो जाव याउसो । जाव याउस-
तस्स उग्गहे जाव साहमिअ्याए ताव उग्गह उगिणिहस्सामो,
तेण पर वि०, से कि पुण तत्थ उग्गहसि एवोग्गहियसि जे
तत्थ समणाण वा माह० छत्तए वा जाव चम्मच्छेदणए वा त
नो अन्तोर्हितो वाहि नीणिज्जा वहियायो वा नो यतो पवि-
सिज्जा सुत्त वा नो पडिवोहिज्जा, नो तेसिं किचिवि अय्यत्तिय
पडिणीय करिज्जा ॥१५६॥

छाया—म आगन्तागाणेषु वा ४ अनुविचिन्त्य अवग्रह याचेत्, यस्तत्र ईश्वर ०
तान् अवग्रहमनुज्ञापयेत् काम खलु आयुष्मन् ! यथालद यथापरिक्षात वसाम
यावत् आयुष्मन् ! यावत् आयुष्मत अवग्रह यावत् साधमिका तावत् अवग्रहम
अग्रहोप्याम तेन पर निहरिष्याम, न कि पुन तत्र अवग्रहे एवावग्रहीते ये तत्र भ्रम
ण ना वा भ्राङ्गणाना वा छत्रक ना यावत् चर्मच्छेदनक वा तद् नो अन्तत वहि

निर्गयेत् बहिष्ठो वा नो अन्तः प्रवेशयेत्, सुप्तं वा नो प्रतिबोधयेत् नो तेषां किञ्चिदपि अप्रीतिक्र प्रत्यनीकतां कुर्यात् ।

पदार्थ—से—वह भिक्षु । आगतारेसु वा ४—धर्मशाला आदि मे । अणुवीड—विचार कर । उगग्रह—अवग्रह की । जाइज्जा—याचना करे । जे—जो । तत्थ—वहा पर । ईसरे०—घर का स्वामी तथा अधिष्ठाता हो । ते—उनको । उगग्रहं—अवग्रह । अणुन्नविज्जा—वतलाए जैसे कि । खलु—निश्चय ही । आउसो—हे आयुष्मन् गृहस्थ ! कामं—जितने समय तक आपकी इच्छा हो । अहालद—उतने समय तक । अहा परिन्नाय—तावत् प्रमाण क्षेत्र में । वसामो—हम निवास करेगे । जाव—यावत् काल पर्यन्त तुम्हारी आज्ञा होगी । आउसो !—हे आयुष्मन् ! जाव—यावत् काल पर्यन्त । आउपंतस—आयुष्मन् का—आपका । उगग्रहे—अवग्रह होगा उतने समय तक ही रहेगे, तथा । जाव—जितने भी । साहम्मियाए—और साधर्मिक साधु आयेगे वे भी । ताव—तावन्मात्र । उगग्रह—अवग्रह । उग्गिहस्सामो—ग्रहण करेगे अर्थात् आपकी आज्ञानुसार रहेगे । तेण परं—उसके बाद । विहरिस्सामो—विहार कर जायेगे । से—वह भिक्षु । तत्थ—वहा । उगग्रहसि—अवग्रह लेने पर तथा । एवोग्गहियसि—अवग्रह के ग्रहण करने के पश्चात् । पुण कि—उसे फिर क्या करना चाहिए ? इस विषय मे सूत्रकार कहते हैं । जे—जो । तत्थ—वहा पर । सम्भणण वा—शाक्यादि भ्रमणो अथवा । माह०—त्राहणो के । छत्तए वा—छत्र । जाव—यावत् । चम्म छेदनए वा—चर्म छेदनक पडे हो तो । तं—उनको । अतोहिंतो—भीतर से । बाहिं—बाहर । नो नीणिज्जा—न निकाले । चा—और । बहियाओ—बाहर से । अंतो—भीतर । नो पविसिज्जा—न रखे । वा—अथवा । सुत्तं—सोए हुए को । नो पडिबोहिज्जा—जागृत न करे । तेरिं—उनके । किञ्चिवि—किञ्चन्मात्र भी । अप्पत्तिर्यं—मन को पीडा तथा । पडिणीय—प्रतिकूलता । नो करिज्जा—उत्पन्न न करे ।

मूलार्थ—साधु धर्मशाला आदि स्थानो मे जाकर और विचार कर अवग्रह की याचना करे । उक्त स्थानो के स्वामी, अधिष्ठाता से याचना करते हुए कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! हम यहाँ पर ठहरने को आज्ञा चाहते हैं आप हमें जितने समय तक और जितने क्षेत्र मे ठहरने की आज्ञा देगे उतने समय और उतने ही क्षेत्र मे ठहरेंगे । हमारे जितने भी साधर्मी साधु यहाँ आयेगे तो वे भी इसी नियम का अनुसरण करेगे । तुम्हारे द्वारा नियत की गई अवधि के बाद विहार कर जाएगे । उक्त स्थान मे ठहरने के लिए गृहस्थ को आज्ञा प्राप्त हो जाने पर साधु उस स्थान में प्रवेश करते

समय यह ध्यान रखे कि यदि उन स्थानों में शाक्यादि श्रमण तथा ब्राह्मणों के छत्र यावत् चम छेत्क आदि उपकरण पड़े हों तो वह उनको भीतर से बाहर न निकाले और बाहर से भीतर न रखे तथा किसी सुपुत्र श्रमण आदि का जागृत न करे और उनके साथ चिचिन्मात्र भी अप्रीतिजनक काय न करे जिसे में उनके मन को आघात पहुंचे।

द्विती त्रिवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि गुरुत्व की आज्ञा प्राप्त करके उनके मराने में ठहरते समय साधु को कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे उन गुरुत्व या उमक मराने में ठहरने हुए शाक्यादि श्रमणों के मन को किसी तरह का आघात पहुंचे और उनके मन में साधु के प्रति दुर्भाव एवं अप्रीति पैदा हो। यदि उस मराने में पहले कोई श्रमण ब्राह्मण ठहरे हुए हो और उनके छत्र, चामर आदि उपकरण पड़ जाते तो साधु उन उपकरणों को बाहर से भीतर या भीतर से बाहर न रखे और यदि वे सुपुत्र हो तो साधु उन्हें जागृत न करे और उनके साथ किसी तरह का श्रमण्य एवं अशिष्ट व्यवहार भी न करे। क्योंकि साधु का जीवन एवं शरीर के कल्याण के लिए है। वह अपने हित के साथ-साथ अन्य प्राणियों को भी समानता देना चाहता है। अतः उसे प्रत्येक मानव के साथ समानता रखते समय अपना साधुता को नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी साधुता प्रत्येक मानव के साथ—पाँडे वह किसी भी पथ, मत, दश, जाति एवं धर्म का क्या न हो, मान्यता का, शिष्टता का एवं मधुरता का व्यवहार करने में है। इस लिए साधु को प्रत्येक स्थान में ठहरते समय इन बातों की ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए कि उसके व्यवहार से मराने मालिक एवं उसमें स्थित या अन्य आनन्दान वान् व्यक्तियों के मन को किसी तरह का असंकोच न पहुंचे।

यदि आज्ञा के अन्तर्गत में ठहरे हुए साधु को आज्ञा आदि प्रदण करना हो तो उन्हें कैसे प्रदण करे इसका उल्लेख करने हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ते भि० यमिकस्त्रिज्जा यत्रवण उत्रागन्त्रित्तण जे
तत्थ टैमरे २ ते उग्गह गणुजाणाविज्जा—राम खलु जाव पि
हरिस्सामो, मे कि पुण० एवोग्गहियमि यह भिस्सू इच्छिज्जा
यत्र भुत्तए वा मे ज पुण० यत्र जाणिज्जा मयड समताण तह०

अंवं अफा० नो प० ॥ से भि० से जं० अप्पंडं अप्पसंताणं अति-
 रिच्छिन्नं अव्वोच्छिन्नं अफासुयं जाव नो पडिगाहिज्जा ॥ से
 भि० से जं० अप्पंडं वा जाव संताणं तिरिच्छिन्नं वुच्छिन्नं
 फा० पडि० ॥ से भि० अंवभित्तं वा अंवपेसियं वा अंवचोयं
 वा अंवसालं वा अंवडालं वा भुत्तए वा पायए वा, से जं०
 अंवभित्तं वा ५ सअंडं अफा० नो पडि० ॥ से भिक्खू वा
 २ से जं० अंवं वा अंवभित्तं वा अप्पंडं० अतिरिच्छिन्नं २
 अफा० नो प० ॥ से जं० अंवडालं वा अप्पंडं ५ तिरिच्छिन्नं
 वुच्छिन्नं फासुयं पडि० ॥ से भि० अभिकंखिज्जा उच्छुवणां उवा-
 गच्छित्तए, जे तत्थ ईसरे जाव उग्गहंसि० ॥ अह भिक्खू इच्छिज्जा
 उच्छुं भुत्तए वा पा०, से जं० उच्छुं जाणिज्जा सअंडं जाव
 नो प० अतिरिच्छिन्नं तहेव तिरिच्छिन्नेवि तहेव ॥ से
 भि० अभिकंखि० अंतरुच्छुयं वा उच्छुगंडियं वा उच्छुचोयं
 वा उच्छुसा० उच्छुडा० भुत्तए वा पाय० ॥ से जं० पु० अंतरुच्छुयं
 वा जाव डालं वा सअंडं नो प० ॥ से भि० से जं०
 अंतरुच्छुयं वा० अप्पंडं वा० जाव पडि०, अतिरिच्छिन्नं
 तहेव ॥ से भि० ल्हसणावणां उवागच्छित्तए, तहेव तिन्निवि आ-
 लावणा, नवरं ल्हसुणां ॥ से भि० ल्हसुणां वा ल्हसुणाकंदं वा

लह० चोयग वा लहसुणालग वा भुत्तण् वा २ से ज० लसुण
वा जाय लसुणवीय वा म अड जाय नो पडि० , एव यतिरिच्छ-
ञ्जिन्नेवि तिरिच्छञ्जिन्ने जाय प० ॥१६०॥

ज्ञाया—स भिक्षुः। भिक्षुकी वा अभिक्षत् आम्रवनमुपागतु यस्तत्र
ईश्वर तमवग्रहमनुजापयेत्—नाम खलु यावद् विहरिष्याम स किं
पुन तत्र अवग्रह एवावग्रहीते, अथ भिक्षु इच्छत आम्र भावतु वा स यत्
पुन आम्र जानीयात् माण्ड सस तानक तथाप्रकार आम्रमप्रासुक नो-
प्रतिगृह्णीयात् । स भिक्षुर्वा० स यत् पुन आम्र जानीयात् अल्पाण्डमल्प
मत्तानकमतिरश्चोनञ्जिनमव्यवच्छिन्नमप्रासुक यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् ॥
स भिक्षुर्वा० स यत् पुन आम्र जानीयात् अल्पाण्ड वा यावद् सत्तानक तिर
श्चोनञ्जिन व्यच्छिन्न यावत् प्रासुक प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुर्वा भिक्षुकी
वा स यत् पुन आम्र जानीयात् आम्रभित्तक (आम्राद्धम) वा आम्रपेशिका
आम्रत्वच वा आम्रशालक वा आम्रडालक वा भोक्तु वा पातु वा स यत्०
वा आम्रभित्तक वा ५ साण्डमप्रासुक० नो प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुवा० स
यत्० आम्र वा आम्रभित्तक वा अल्पाण्ड० अतिरश्चानञ्जिनमव्यवच्छिन्न-
मप्रासुक ना प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुवा० स यत्० आम्रडालक वा
अल्पाण्ड ५ तिरश्चोनञ्जिन व्यवच्छिन्न प्रतिप्रासुकगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुवा
भिक्षुकी वा अभिक्षत् इशुवन उपागतु यस्तत्र ईश्वर यावत् अव-
ग्रहीते० ॥ अथ भिक्षु इच्छत् इक्षु भोक्तु वा पातु वा० स यत्० इक्षु जा
नीयात् माण्ड यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् अतिरश्चानञ्जिन तथव तिरश्चोन-
ञ्जिनमपि तथव ॥ स भिक्षुवा भिक्षुकी वा अभिक्षत् अतिरिक्षु
वा इशुगडिका वा इशुत्वच वा इक्षुशालक वा इक्षुडालक वा भोक्तु
वा पातु वा० स यत् पुन अतिरिक्षु वा यावत् डालक वा साण्ड०-
नो प्रतिगृह्णीयात् ॥ स भिक्षुवा भिक्षुकी वा अभिक्षत् लशनवन

मुपागन्तुं तथैव त्रयोऽपि आलापकाः नवरं लशुनम् ॥ स भिक्षुर्वा २ लशुनं वा लशनकन्दं वा लशुनत्वचं वा लशुननालक वा भोक्तुं वा पातु वा २ स यत् ० लशुन वा यावत् लशुनबीज वा साण्ड वा यावत् नो प्रतिगृह्णीयात् एवं अतिरश्चीनछिन्नमपि तिरश्चीनछिन्न यावत् प्रतिगृह्णीयात् ।

पदार्थ—से मि०—वह साधु अथवा साध्वी यदि । अमिकंखिज्जा—चाहे । अब वषं—आम्र वन मे । उवागच्छित्तए—आकर अबग्रह की याचना करे । जे—जो । तत्थ—वहा पर । ईसरे २—आम्रवन का स्वामी अथवा वन का अधिष्ठाता है । ते—उसको । उगह—अबग्रह का । अणुजाणाविज्जा—अनुजापन करावे अर्थात् उससे आज्ञा मागे । कामं खलु—जैसे अपनी इच्छा हो वैसे ही । जाव—यावत् । विहरिस्सामो—हम विचरेगे । से—वह भिक्षु । किं—फिर क्या करे ? अब सूत्रकार इस विषय मे कहते है । पुण०—फिर । तत्थ—वहा पर । एवोगहिंसि—आज्ञा मिल जाने पर । अह—अथ । भिक्खू—भिक्षु—साधु । अबं भुत्तए वा—आम्र का आहार करना । इच्छिज्जा—चाहे तो । से—वह-भिक्षु । जं—जो । पुण—फिर । अबं—आम्रफल के सम्बन्ध मे यह । जाणिज्जा—जाने कि । स अबं—जो आम्र अण्डों के सहित हैं । संसंताण—जालो से युक्त है तो । तह०—तथाप्रकार के । अबं—आम्र को । अफा०—अप्रासुक जानकर । नो प०—ग्रहण न करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से ज—वह जो फिर । अब जाणिज्जा—आम्र फल को जाने । अप्पड—अण्डो से रहित । अप्पसताणग—जालो से रहित । अतिरिच्छिन्नं—जो तिरछा छेदन नहीं किया हुआ है तथा जो । अब्वोच्छिन्न—अखडित है उसको । अफासुयं—अप्रासुक । जाव—यावत् अनेपणीय जानकर । नो पडिगाहिज्जा—ग्रहण न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं०—वह फिर आम्र के फल को जाने जो । अप्पड—अण्डो से रहित । जाव—यावत् । संताणगं—जालो से रहित । तिरिच्छ छिन्नं—तिरछा छेदन किया हुआ । वुच्छिन्नं—खण्ड-खण्ड किया हुआ उसको । फा०—प्रासुक जानकर । पडि०—ग्रहण करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी यदि आम्र फल को ग्रहण करना चाहे तो । अबंभित्तग—आम्र का अर्द्ध भाग । वा—अथवा । अब सालयं वा—आम्रफल का रस अथवा । अबडालग वा—आम्रफल के सूक्ष्म-सूक्ष्म खण्ड । भुत्तए वा पायए वा—खाना या पीना चाहे तो । से ज—वह भिक्षु जो । पुण—फिर जाने कि । अबं नित्तगं वा—यदि आधा आम्र फल ।

समझ—घण्टों से युक्त है तो। घण्टा—उपका घण्टा मुक्त जानकर। नो प०—ग्रहण न करे।

से मि०—वह साधु प्रथवा साध्वी। म ज०—वह साधु जो। घट—घाघ्रफल की। घट भित्तग वा—प्रथवा उपके घट भाग-घण्ट का जो कि। घण्ट—घण्टा में रहित हान पर भी। अतिरिच्छित्तन २—तिरछा छैन नही किया हुआ घोर न घण्ट लण्ड दिया गया है तो उपकी भी घण्टा मुक्त जानकर। नो प०—ग्रहण न करे।

स ज०—वह साधु या साध्वी फिर घाघ्र फल का जान। घटभित्तग वा—यावत् घाघ्रफल क मूषम मूषम घण्ट किए हुए है। घण्ट—घण्टा में रहित है घोर। तिरि छ छिन—तिरछा छैन किया हुआ है। घुच्छित्तन—घण्ट २ किया हुआ है तथा परिपक्व हान से प्रचित्त हो गया है उसको। फासुम—प्रामुक्त जान कर। पडि०—ग्रहण कर।

से मि०—वह साधु प्रथवा साध्वी यत्। अतिकरिज—चाह। उच्छरण—इ वन म। उवागच्छित्तए—जाना। जे—जो। सत्य—वहा। ईसरे—इधु वन का स्वामी है। जाव—यावत। उगहंसि०—उसकी भाषा म ठहर। अह भिरलू—प्रत साधु। उच्छ—इ को। भत्तए वा पा०—खाना या पीना। इच्छित्तजा—चाह तो। स—वह भि। ज—जो। पुण—फिर। उच्छ—इधु क सम्बन्ध में यह। जानिजा—जान कि। स घट—जो इध घटों से युक्त। जाव—यावत जालो से युक्त है उपका। नो पडि०—ग्रहण न कर। अतिरिच्छ छिन—जो तिरछा छैन नही किया हुआ। तहेव—उसी प्रकार अर्थात् घाघ्र फल क समान दूसरा आलापक जानना। तहेव—उसी प्रकार। तिरिच्छनेऽनि—तिरछा छैन हुआ नो आलापक जानना यह आलापक प्रचित्त विषयक ह घोर इससे पहना सच्चत विषय में है।

स मि०—वह साधु प्रथवा साध्वी। अतिकरिज—चाह। अतच्छुष वा—इधु क पव भाग का मध्य प्रथवा। उच्छगडिय वा—इधु की गटिका कतली। उच्छबोयग वा—अथवा इधु की छाल। उच्छुसा—इ का रस। उच्छडा०—इधु क मूषम खण्ड। भत्तए वा—भोगने अथवा। पा—पीना। से—वह मिधु। ज—जो। पुण—फिर। जानिजा—जान। अतच्छुष वा—इधु क पव वा मध्य भाग। जाव—यावत। डालग वा—इधु के मूषम २ खण्ड। समझ—घटादि से युक्त होते। नो पडि०—ग्रहण न कर। से मि०—वह साधु या साध्वी। से ज०—यह जान। अतच्छुष वा—इधु के पर्व का मध्य भाग। जाव—यावत। अण्ड वा—अडादि से रहित हो तो। जाव—यावत। पडि०—ग्रहण करले। अतिरिच्छ छिन—जो तिरछा छैन नही किया हुआ अत प्रचित्त होने से। तहेव—उसी प्रकार अर्थ है। से मि—वह साधु प्रथवा साध्वी। इहसण वण—यत् लगुन के वन म। उवागच्छित्तए—गमन करना। अतिकरिज—चाह तो यावत। तिनवि—तीना ही। आलापगा—

आलापक । तहेव—उमी प्रकार पूर्व की भाति जानना । नवरं—केवल इतना विशेष है ।
 लहसुण—यहा पर लशुन का अधिकार समझना चाहिए । से मि०—वह साधु अथवा साध्वी ।
 अन्निकखिज्जा—चाहे । लहसुण या—लशुन को । लहसुण कंदं वा—लशुन के कन्द को । लह०-
 चोयगं वा—लशुन की त्वचा—छाल को अथवा । लहसुण नालगं वा—लशुन की नाल को ।
 भुत्तए वा—भोगना तथा पीना । से जं पुण—वह जो फिर । लहसुण वा—लशुन लशुन कन्द ।
 जाव—यावत् । लहसुणवीर्यं वा—लशुन के बीज को, जो । स अंडं—अंडादि से युक्त है ।
 जाव—यावत् । नो पडि०—ग्रहण न करे । एवं—इसी प्रकार । अतिरिच्छ छिन्नेऽवि—जो
 तिरछा छेदन नहीं किया हुआ, जो कि सचित्त है उसे ग्रहण न करे । तिरिच्छछिन्ने—
 तिरछा छेदन किया हुआ है जो कि अचित्त है । जाव—यावत् । पडि०—ग्रहण कर ले ।

मूलार्थ—यदि कोई संयम निष्ठ साधु या साध्वी आ के वन मे
 ठहरना चाहे तो वह उस वगीच के स्वामी या अधिष्ठाता से उसके लिए
 याचना करते हुए कहे कि हे आयुष्मन् गृहस्थ ! मैं यहां पर ठहरना
 चाहता हू । जितने समय के लिए आप आज्ञा देंगे उतने समय ठहर कर
 वाद मे विहार कर दूंगा । इस तरह वागवान की आज्ञा प्राप्त होने पर
 वह वहा ठहरे । यदि वहा स्थित साधु को आम्र रुच खाने को इच्छा हो तो
 उसे कैसे आम्रफल को ग्रहण करना चाहिए ? इसके सम्बन्ध मे बताया
 गया है कि वह फल अंडादि से युक्त हो तो वह उसे ग्रहण न करे । अंडादि
 से रहित होने—परन्तु यदि उसका तिरछा छेदन न हुआ हो तथा उसके
 अनेक खण्ड भी न किए गए हो तो भी उसे साधु स्वीकार न करे । परन्तु
 यदि वह अंडादि से रहित हो, तिरछा छेदन किया हुआ हो और खंड २
 किया हुआ हो तो अचित्त एव प्रासुक होने से साधु उसे ग्रहण
 कर सकता है । परन्तु आम्र का आधा भाग, उसकी फाड़ी, उसकी छाल
 और उसका रस एवं उसके किए गए सूक्ष्म खड यदि अंडादि से युक्त हो
 या अंडादि से रहित होने पर भी तिरछा कटे हुए न हों और खंड २ न
 किए गए हों तो साधु उसे भी ग्रहण न करे । यदि उनका तिरछा छेदन
 किया गया है, और अनेक खड किए गए हैं तब उसे अचित्त और प्रासुक
 जानकर साधु ग्रहण कर ले ।

यदि कोई साधु या साध्वी इक्षु वन में ठहरना चाहे और वन पालक की आज्ञा लेकर वहाँ ठहरने पर यदि वह इक्षु (गन्ना) खाना चाहे तो पहले यह निश्चय करे कि जो इक्षु अडादि से युक्त है और तिरछा कटा हुआ नहीं है तो वह उसे ग्रहण न करे। यदि अडादि में रहित और तिरछा छेदन किया हुआ हो तो उसको अचित्त और प्रासुक जानकर ग्रहण करले। इसका शेष वर्णन आम्र के समान ही जानना चाहिए। यदि माधु इक्षु के पत्र का मध्य भाग, इक्षुगडिका, इक्षुत्वचा छाल, इक्षुरस और इक्षु के सूक्ष्म खड आदि को खाना पीना चाहे तो वह अडादि से युक्त या अडादि से रहित होने पर भी तिरछा कटा हुआ न हो तथा वह खड-खड भी न किया गया हो तो माधु उस ग्रहण न करे। इसी प्रकार लघुन के सम्बन्ध में भी तीनों आलापक समझने चाहिए।

द्विती विवचन

प्रस्तुत सूत्र में आम्र फल, इक्षु खण्ड आदि के ग्रहण एवं त्याग करने के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है। आम्र आदि पदार्थ किन्तु रूप में साधु के लिए ब्राह्मण्य अप्राप्त हैं, इसका नयसापेक्ष वर्णन किया गया है। और इसका सम्बन्ध केवल पत्र आम्र आदि से है, न कि अर्ध पत्र या अपक्व फलों से। पत्र आम्र आदि फल भी यदि अण्डा आदि से युक्त हों, तिरछे एवं खण्ड-खण्ड में कटे हुए न हों तो साधु उन्हें ग्रहण न करे और यदि वे अण्डे आदि से रहित हों, तिरछे एवं खण्ड-खण्ड में कटे हुए हों तो साधु उन्हें ग्रहण कर सकता है। उस पत्र फल के तिरछे एवं खण्ड-खण्ड में कटे हुए होने का उन्नेय उसे अचित्त एवं प्रासुक सिद्धि करने के लिए है। निशीथ सूत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि साधु अचित्त आम्र एवं सचित्त इक्षु ग्रहण करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है। इससे स्पष्ट होता है कि साधु अचित्त एवं प्रासुक आम्र आदि ग्रहण कर सकता है। यदि वह पत्र फल जीव चतु से रहित हो और तिरछे कटा हुआ हो तो साधु के लिए अप्राप्त नहीं है और न वह सचित्त ही रह जाता है।

अत्र अत्रय के अभिग्रह के सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० आगंतारेसु वा ४ जावोग्गहियंसि जे
तत्थ गाहावईण वा गाहा० पुत्ताण वा इच्चेयाइं आयतणाइं
उवाइक्कम्म अह भिक्खू जाणिज्जा, इमाहिं सत्तहिं पडिमाहिं
उग्गहं उग्गिणिहत्तए, तत्थ खलु इमा पढमा पडिमा—से आगंता-
रेसु वा ४ अणुवीइ उग्गहं जाइज्जा जाव विहरिस्सामो पढमा-
पडिमा ॥१॥ अहावरा० जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवइ—अहं च
खलु अन्नेसिं भिक्खूणां अट्ठाए उग्गहं उग्गिणिहस्सामि,
अराणेसिं भिक्खूणां उग्गहे उग्गहिए उवल्लिस्सामि, टुच्चा
पडिमा ॥२॥ अहावरा० जस्स णं भि० अहं च० उग्गिणिहस्सामि
अन्नेसिं च उग्गहे उग्गहिए नो उवल्लिस्सामि, तच्चा पडिमा ॥३॥
अहावरा० जस्स णं भि० अहं च० नो उग्गहं उग्गिणिहस्सामि,
अन्नेसिं च उग्गहे उग्गहिए उवल्लिस्सामि, चउत्था पडिमा
॥४॥ अहावरा० जस्स णं अहं च खलु अप्पणो अट्ठाए उग्गहं
च उ० नो दुग्गहं नो तिग्गहं नो चउग्गहं नो पंचग्गहं पंचमा पडिमा
॥५॥ अहावरा० से भि० जस्स एव उग्गहे उवल्लिइज्जा जे तत्थ
अहासमन्नागए इक्कडे वा जाव पलाले तस्स लाभे संवसिज्जा,
तस्स अलाभे उक्कुडुओ वा नेसज्जिओ वा विहरिज्जा, छट्ठा
पडिमा ॥६॥ अहावरा० स० जे भि० अहा संथडमेव उग्गहं जाइज्जा

तजहा पुढविसिल वा कट्ठसिल वा यहासथडमेव तस्म लाभे
सते० तस्स यलाभे उ० ने० विहरिज्जा, सत्तमा पडिमा ॥७॥
इच्चेयामि सत्तरह पडिमाण्ण ग्रन्नयर जहा पिंडेसणाए ॥१६१॥

छाया—स भिक्षुर्वा भिक्षुकी वा आगतागारेषु वा ४ यावत् अवग्रहीते
ये तत्र गृहपत्नीनां वा गृहपतिपुत्राणां वा इत्येतानि आयतनानि उपातिश्रम्य
अथ भिक्षु जानीयात्—आभि सप्ताभि प्रतिमाभि अवग्रहमवग्रहीतु । तत्र
खलु इय प्रथमा प्रतिमा—स आगन्तागारेषु वा ४ अनुविचिन्त्यावग्रह याचेत्
यावत् विहरिष्याम, प्रथमा प्रतिमा ॥१॥ अथापरा० यस्य भिक्षो एव
भवति—अह च खलु अयेषां भिक्षूणा अर्थायावग्रहमवग्रहोष्यामि अथपा
भिक्षूणामवग्रहे अवगृहाते उपालयिष्ये द्वितीया प्रतिमा ॥२॥ अथा
परा० यस्य भिक्षो एव भवति अह च० अवग्रहीष्यामि अयेषा च अवग्रहे
अवग्रहीते नो उपालयिष्ये तृतीया प्रतिमा ॥२॥ अथापरा० यस्य भि०
अह च० नो अवग्रहमवग्रहोष्यामि, अन्येषा च अवग्रहे अवग्रहीते
उपालयिष्ये, चतुर्थी प्रतिमा ॥४॥ अथापरा० यस्य अह च खलु आत्मन
अर्थाय अवग्रह च अवग्रहीष्यामि नो द्वयो नो त्रयाणा नो चतुर्णा नो
पञ्चाना पचमी प्रतिमा ॥५॥ अथापरा० स भि० यस्य एव अवग्रहे
उपालयेत्, ये तत्र यथा समवागते उत्कट यावत् पलाल तस्य लाभे
सवसेत्, तस्य अलाभे उत्कुटुकी वा निपण्णो वा विहरेत्, षष्ठी
प्रतिमा ॥६॥ अथापरा स० यो भिक्षु यथासस्तृतमेव अवग्रह याचेत्,
तद्यथा पृथ्वीशिला वा काष्ठशिला वा यथासस्तृतमेव तस्य लाभे सति०
तस्यालाभे सति० अवग्रह० नि० विहरेत्, सप्तमी प्रतिमा ॥७॥ इत्येतासां
सप्तानां प्रतिमानामन्यतरा यथा विण्डैपणायाम् ।

पदाय—ने भि०—वह माधु या माची । आगतागारेषु वा ४—यनगाला आदि में ।

नाव—यावत् । भोगक्षिप्त—पाशा भने पर । जे—जो । तथ—वही पर । गाहावईण वा—

गृहपतियो के । गाहा० पुत्तान वा—अथवा गृहपति के पुत्रो तथा उनके सम्बन्धी जनो । इच्चे-
याइ—ये जो पूर्वोक्त । आयतणाइ—कर्म बन्ध के स्थान है उन दोषो को । उवाइक्कम्म—
अतिक्रम करके उक्त स्थानो मे रहना चाहिए । अह—अथ । भिवखू—भिक्षु । इमाहि—ये जो
आगे कहे जाते है । सत्तिहि—सात । पडिमाहि—प्रतिमा—अभिग्रहविशेषो से । उगगहं—अवग्रह
को । उग्गिण्हितए—ग्रहण करना । एव जाणिज्जा—जानना चाहिए । खलु—निश्चयार्थक है ।
त्तय—उन सात प्रतिमाओ मे से । इमा—यह । पढमा—पहली । पडिमा—प्रतिमा है । से—
वह भिक्षु । आगंतारेसु वा ४—धर्मशाला आदि मे । अणुवीइ—विचार कर । उगगहं—अवग्रह
की । जाइज्जा—याचना करे । जाव—यावत् । विहरिस्सामो—विकरुंग । पढमा पडिमा—
यह पहली प्रतिमा है । अहावरा०—अथ अपर इससे अन्य । दुच्चापडिमा—दूसरी प्रतिमा यह
है । णं—वाक्यालंकार मे है । जस्स—जिस । भिवखुस्स—भिक्षु का । एवं भवइ—इस प्रकार
का अभिग्रह होता है । च—पुनः । खलु—वाक्यालंकार मे है । अहं—मैं । अन्नेसि—अन्य ।
भिवखूणं—भिक्षुओ के । अट्ठाए—अर्थ-प्रयोजन के लिए । उगगहं—अवग्रह की । उग्गिण्हि-
स्सामि—याचना करुंग और । अण्णेसि—अन्य । भिवखूणं—भिक्षुओ का । उगगहे—अवग्रह ।
उगगहिए—अवग्रह की आज्ञा ग्रहण किए जाने पर । उवल्लिस्सामि—उसमे वसूंगा-निवास
करुंग । दुच्चापडिमा—यह दूसरी प्रतिमा है । अहावरा—अथ अपर इससे आगे । तच्चापडिमा-
तीसरी प्रतिमा कहते है । ण—वाक्यालंकार मे । जस्स—जिस भिक्षु का । एव भवति—
इम प्रकार का अभिग्रह होता है । च खलु—पूर्ववत् ही है । अहं—मैं । अन्य भिक्षुओ के लिए
अवग्रह की । उग्गिण्हिस्सामि—याचना करुंग । च—और । अन्नेसि—अन्य भिक्षुओ का ।
उगगहे—अवग्रह । उगगहिए—याचना किए हुए मे । नो उवल्लिस्सामि—नही वसूंगा अर्थात् निवास
नही करुंग । तच्चा पडिमा—यह तीसरी प्रतिमा है । ३। अहावरा०—अथ अपर चतुर्थी प्रतिमा यह
है । जस्स—जिस । मि०—भिक्षु का । एव भवइ—इस प्रकार का अभिग्रह होना है । च खलु—
पूर्ववत् । अहं—मैं । अन्नेसि—अन्य । भिवखूणं—भिक्षुओ के । अट्ठाए—लिए । उगगहं—अवग्रह
की । नो उग्गिण्हिस्सामि—याचना नही करुंगा । अन्नेसि—अन्य भिक्षुओ के । उगगहे—अवग्रह की ।
उगगहिए—आज्ञा लिए जाने पर । उवल्लिस्सामि—उसमे निवास करुंग । चउत्था पडिमा—
यह चौथी प्रतिमा है । ४। अहावरा—अथ अपर-इससे अन्य । पंचमा—पाचवी प्रतिमा कहते
हैं । णं—वाक्यालंकार में । जस्स—जिम । भिवखुस्स—भिक्षुका । एवं भवइ—इस प्रकार का
अभिग्रह होता है । च खलु—पूर्ववत् । अहं—मैं । अप्पणो अट्ठाए—अपने वास्ते । उगगह च-
अवग्रह की । उग्गिण्हिस्सामि—याचना करुंग । नो दुण्ह—दो के लिए नही । नो तिण्हं—तीन
के लिए नही । नो चउण्हं—चार के लिए नही । नो पंचण्हं—पाच के लिए नही । पंचमा पडिमा-
यह पांचवी प्रतिमा है । अहावरा०—इससे अन्य । छट्ठा पडिमा—छठी प्रातमा कहते है । से मि०-
वह साधु अथवा साध्वी । जस्स एव उगगहे—जिस उपाश्रय की आज्ञा लेकर । उवल्लिइज्जा—
रहूगा । जे तत्थ—जो वहा पर । अहासमन्ताए—समीप मे ही । इक्कडे वा—तृण विशेष ।

जाव—यावत् । पलाले—पलान । तस्सलामे—उमक मिलने पर । सबसिज्जा—बमे भयात्
 सस्तारक घ्रां कर । तस्स अल भे—उसक न भित्तन पर । उक्कुडुओ वा—उकुट्ट घ्रात
 घयवा । नेसज्जओ वा—निपदा घ्रासन पर । विहरिज्जा—विचर । छ्ण्टा पडिमा—यह छ्णी
 प्रतिमा है । अहावरा—अथ अवर इसमे अय । सत्तमा पडिमा—मातवा प्रतिमा कहते हैं ।
 जे निषलू०—जो साधु या साध्वी । अहा समयमेव—जो पत्र ही मन्त हो रहा है अथवा
 विद्या हुआ है । उग्गह् जाह्जा—उम अवग्रह की याचना करेगा । न०—जस कि । पुठ्विसि
 स वा—पयिवी गिला । कट्टिसिल वा—वाठ गिला अथवा । अहा समयमेव—उम उपाश्रय में
 पलान घ्रां पहल ही विद्या हुआ हो । तस्स लामे सते०—उसके लाभ हान पर उम पर आसन
 करे । तस्म—उमके । अलामे—न मिलन पर । उ०—उत्कुट्टक घ्रासन से अथवा । नि०—
 निपदाघ्रां घ्रासन पर । विहरिज्जा—विचरे । सत्तमा पडिमा—यह सातवा प्रतिमा है इच्चे
 पांसि—इन पूर्वोक्त । सत्तह्—मात । पडिमाण—प्रतिमाघा म म साधु न यदि । अ नवर—
 कोई एक प्रतिमा ग्रहण की हुई है तब वह अय साधुओ की नि दा न करे । गप वणन । जहा—
 जमे । विडसणाए—पिण्डपणा अध्ययन में सात पिण्डपणा प्रतिमाओं का वणन किया है उसी
 प्रकार जान जेना चाहिए ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी धर्मशाना आदि म गृहस्थ और
 गृहस्थों के पुत्र आदि सम्बन्धी म्यान के दोषों को छोड़कर इन वदयमाण
 सात प्रतिमाओं के द्वारा अवग्रह की याचना करके वहा पर ठहरे ।

१- घमशाला आदि स्थाना की परिस्थिति को विचार कर यावमान काल
 के लिए वहा के स्थानों की आज्ञा हो तावन्मात्र काल वहा ठहरूंगा, यह
 पहलो प्रतिमा है ।

२- मैं अन्य भिक्षुओं के लिए उपाश्रय की आज्ञा मागूंगा और उनके लिए
 याचना किए गए उपाश्रय म ठहरूंगा यह दूसरी प्रतिमा है ।

३- कोई साधु इस प्रकार से अभिग्रह करता है कि मैं अन्य भिक्षुओं के लिए
 तो अवग्रह की याचना करूंगा, परन्तु उनके याचना किए गए स्थाना में
 नहीं ठहरूंगा । यह तीसरी प्रतिमा का स्वरूप है ।

४- कोई साधु इस प्रकार से अभिग्रह करता है— मैं अन्य भिक्षुओं क
 लिए अवग्रह की याचना नहीं करूंगा, परन्तु उनके याचना किए हुए स्थाना

मे ठहरूंगा। यह चौथी प्रतिमा है।

५-कोई साधु यह अभिग्रह धारण करता है कि मैं केवल अपने लिए ही अग्रह की याचना करूंगा, किन्तु अन्य दा, तीन, चार और पाच साधुओं के लिए याचना नहीं करूंगा। यह पाचवी प्रतिमा है।

६-कोई साधु यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं जिस स्थान की याचना करूंगा उस स्थान पर यदि तृण विणेष—संस्तारक आदि मिल जायेंगे तो उन पर आसन करूंगा, अन्यथा उक्कुटुक आसन आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करूंगा यह छठी प्रतिमा है।

७-जिस स्थान को आज्ञा ली हो यदि उसी स्थान पर पृथ्वी शिला, काष्ठ शिला तथा पलाल आदि बिछा हुआ हो तब वहां आसन करूंगा, अन्यथा उक्कुटुक आदि आसन द्वारा रात्रि व्यतीत करूंगा, यह सातवी प्रतिमा है।

इन सात प्रतिमाओं में से यदि कोई भी प्रतिमा साधु स्वीकार करे परन्तु वह अन्य साधुओं की निन्दा न करे। अभिमान एवं गर्व को छोड़कर अन्य साधुओं को समभाव से देखे। शेष वर्णनःपिडैषणा अध्ययनवत् जानना चाहिए।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में अग्रह से सम्बद्ध सात प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। पहली प्रतिमा में बताया गया है कि साधु सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार मकान की याचना करे और वह गृहस्थ जितने काल तक जितने क्षेत्र में ठहरने की आज्ञा दे तब तक उतने ही क्षेत्र में ठहरे। दूसरी प्रतिमा यह है कि मैं अन्य साधुओं के लिए मकान की याचना करूंगा तथा उनके द्वारा याचना किए गए मकान में ठहरूंगा। तीसरी प्रतिमा में वह यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं अन्य साधु के लिए मकान की याचना करूंगा, परन्तु दूसरे द्वारा याचना किए गए मकान में नहीं ठहरूंगा। चौथी प्रतिमा में वह दूसरे द्वारा याचना किए गए मकान में ठहर तो जाना है, परन्तु, अन्य के लिए याचना नहीं करता है। पांचवी प्रतिमा में वह केवल अपने लिए ही मकान की याचना करता है, अन्य के

लिए नहीं। छठी प्रतिमा में वह यह प्रतिज्ञा करता है कि निम्न मकान में ठहरूँगा उसमें पास आदि रखा होगा तो ग्रहण करूँगा, अन्यथा उरुडू आदि आसन करके रात व्यतीत करूँगा और सातवीं प्रतिमा में वह उहाँ तन्त, शिलापट एवं पास आदि को काम में लेता है, जो पहने से मकान में बिछे हुए हों।

इसमें प्रथम प्रतिमा सामान्य साधुओं के लिए है। दूसरी प्रतिमा का अधिकारी मुनि गच्छ में रहने वाले साम्भोगिक एवं उ कट समय निष्ठ असाम्भोगिक साधुओं के साथ प्रथम भाव रखने वाला होता है। तीसरी प्रतिमा उन साधुओं के लिए है जो आचार्य आदि के पास रहकर अध्ययन करना चाहते हैं। चौथी प्रतिमा उनके लिए है जो गच्छ में रहते हुए जिनकल्पों बनने का अभ्यास कर रहे हैं। पाचवीं, छठी और सातवीं प्रतिमा केवल जिनकल्पी मुनि से सम्बद्ध है। ये भेद वृत्तिकार ने किए हैं। मूलपाठ में किसी कल्प के मुनि का संकेत नहीं किया गया है। वहाँ तो इतना ही उल्लेख किया गया है कि मुनि इन सात प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं, चाहे वे जिन कल्प पर्याय में हों या स्थानिक कल्प पर्याय में ही। सामान्य रूप से प्रत्येक साधु अपनी शक्ति के अनुसार अभिग्रहण ग्रहण कर सकता है। इसी कारण सूत्रकार ने यह उल्लेख किया है कि स्थान सम्बन्धी ममन्त दीर्घों का त्याग करके साधु को अग्रग्रह की याचना करनी चाहिए।

ॐ यहा पाठको के सबलोकनाथ वति वा वह समग्र पाठ दिया जाता है—प्रथम भिक्षु सप्तभि प्रतिमाभिरभिग्रहविर्षेणवग्रह गल्लीपात, तत्रेय प्रथमा प्रतिमा तद्यथा—स भिक्षुरागन्तागारात्ने पूर्वमेव विचिन्त्यत्रभूत प्रतिश्रयो मया ग्राह्यो, नान्यथाभूत इति प्रथमा। तथा यस्य च भिक्षोरेदभूतोऽभिग्रहः भवति तद्यथा—ग्रह न खल्वप्येषा साधूना कृतेऽवग्रह ग्रहो ध्यामि याचिष्ये, अथेषा वावग्रह गतीते सान 'उपाचिष्ये' वत्स्यामीति द्वितीया। प्रथमा प्रतिमा मामायेन, इय तु गच्छात्तगताना साधूना साम्भोगिकानामसाम्भोगिकाना चोद्यत्त विहारिणा, यतस्तेऽप्योऽन्याथ याचत इति। तृतीया त्विय—प्रयायमवग्रह याचिष्ये, प्रयावगतीते तु न स्थास्यामीति, एषा स्वाहास्तं दकाना यतस्ते सूत्राद्यविशेषमाचार्याऽभिक्षुपात आचार्याय या चने। चतुर्थी पुनरहम प्रेषा कृतेऽवग्रह न याचिष्ये प्रयावगतीते च वत्स्यामीति, इय तु गच्छ एवाम्युद्यत्तविहारीणा जिनकल्पमाद्य परिक्रम कुर्वताम्। प्रयापराऽप्यन्वमी धर्ममात्मकृते ग्रहनय ग्रहोऽप्यामि न चापरेषां द्वित्रिचतुष्यञ्जानामिति, इयं तु जिनकल्पिकल्प। प्रयापरा षष्ठी—यीयम वग्रहोऽप्यामि इतरघोस्तुत्तको वा निपण्य उपविष्टो वा रजनी गमिष्यामीत्ये जिनकल्पिका दरिति। प्रयापरा सप्तमी—एषव पूर्वोक्ता नवर यथास्ततमेव गित्तादिक ग्रहोऽप्यामि नेतर- इति दायमात्मोऽप्यवजनादि विप्रादनावन्नेयमिति ॥

पिण्डैपणा आदि अध्ययनों की तरह इसमें भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभिग्रह ग्रहण करने वाले मूनि को अन्य साधुओं को वृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। परन्तु सब का सामान्य रूप से आदर करते हुए यह कहना चाहिए कि भगवान की आज्ञा के अनुरूप आचरण करने वाले सभी साधु मोक्ष मार्ग के पथिक हैं।

अब अबग्रह के भेदों का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् — सुयं मे आउसंतेणं भगवया एवमाख्यायं-इह खलु
थेरेहिं भगवतेहिं पंचविहे उग्गहे पन्नते, तंजहा—देविंद उग्गहे १
राय उग्गहे २ गाहावड उग्गहे ३ सागारिय उग्गहे ४ साहम्मिय
उग्गहे ५ एवं खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं
॥१६२॥ उग्गहपडिमा सम्पत्ता ॥

छाया—श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातं इह खलु स्थविरैः
 भगवद्भिः पंच विधः अवग्रहः प्रज्ञप्तः तद्यथा—देवेन्द्रावग्रहः १ राजावग्रहः २
 गृहपति-अवग्रहः ३ सागारिकावग्रहः ४ साधर्मिकावग्रहः ५ एवं खलु तस्य भिक्षोः
 भिक्षुक्याः वा सामग्र्यम् ॥ अवग्रहप्रतिमा समाप्ता ।

पदार्थ—आउसं—हे आयुष्मन्-प्रियशिष्य ! मे—मैंने । सुयं—सुना है । तेषंभग-
 वया—उस भगवान ने । खलु—निश्चय ही । इह—इस जिन प्रवचन मे । थेरेहिं भगवतेहिं—स्थ-
 विर भगवन्तो अर्थात् पूज्य स्थविरो ने-गणधरो ने । पंचविहे—पाच प्रकार का । उग्गहे—अवग्रह ।
 पन्नत्ते—प्रतिपादन किया है । तंजहा—जैसैक । देविंद उग्गहे १—देवेन्द्र का अवग्रह १-
 रायउग्गहे २—राजा का अवग्रह २ । गाहावड उग्गहे ३—गृहपति का अवग्रह । सागारियउग्गहे—
 सागारिक का अवग्रह ४ । साहम्मिय उग्गहे ५—साधर्मिक का अवग्रह ५ । एव खलु—इस प्रकार
 निश्चय ही । तस्स—उस । भिक्खुस्स—भिक्षु का साधु का । वा—अथवा । भिक्खुणीए—भिक्षुकी
 साध्वी का-प्रार्थी का यह । सानग्गियं—समग्र आचार है । उग्गहपडिमा सम्पत्ता—यह अवग्रह
 प्रतिमा समाप्त हुई ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन्-शिष्य ! मैंने भगवान से इस प्रकार सुना है कि

इस जिन प्रवचन में पूज्य स्थविरो ने पांच प्रकार का अवग्रह प्रतिपादन किया है १-देवेन्द्र अवग्रह, ४-राज अवग्रह, ३-गृहपति अवग्रह, ४-सागारिक अवग्रह और ५-साधमिक अवग्रह^३। इस प्रकार यह साधु और साध्या का समग्र संपूर्ण आचार वर्णन किया गया है।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पांच प्रकार के अवग्रह का वर्णन किया गया है— १-देवद्र अवग्रह, २-राज अवग्रह, ३-गृहपति अवग्रह, ४-सागारिक अवग्रह और ५-साधमिक अवग्रह। दक्षिण भरत क्षेत्र में विचरने वाले मुनिया को प्रथम देवलोक के सुवर्मेन्द्र की आज्ञा ग्रहण करना देवद्र अवग्रह कहलाता है। इससे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तिर्यक लोका पर भी देवों का आधिपत्य है। आगम में बताया गया है कि साधु जङ्गल में या अत्र स्थान में जहां कोई व्यक्ति न हो देवेन्द्र की आज्ञा लेकर कृणु वाण्ट आदि ग्रहण कर सकता है। आज भी साधु गृह शौच के लिए दैत्ये समय या विहार के समय में रात में किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करना हो तो देवेन्द्र (अनेन्द्र) की आज्ञा लेकर बैठते हैं। इस तरह साधु कोई भी वस्तु बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करते।

भरत क्षेत्र के क्षरण्डा पर चक्रवर्ती का शासन होता है। अतः उसकी आज्ञा से उन देशों में विचरना यह राज अवग्रह कहलाता है और उस युग में एक देश अनेक भागों में विभक्त था, जैसे आज भारत कई प्रांतों में बटा हुआ है, परंतु इस समय सप्त प्रांत केन्द्र से सम्बद्ध होने से यह असत्य कहलाता है। परंतु, उस समय उन विभागा के स्वतंत्र शासक थे, अतः उन विभिन्न देशों में विचरते समय उनकी आज्ञा लेना गृहपति अवग्रह कहलाता है।

३ उग्राहेति—अवग्रहान्ने स्वामिना स्वीक्रियत य सावग्रह । दक्षिणाग्रेति देव-
गर्भानां वा तस्यावग्रहो—दक्षिण ग्रीवाधमुत्तरवति देवद्रावग्रह । रामोग्रहेति—राजा
चक्रवर्ती तस्यावग्रहो पृथ्वीभरतादि क्षेत्र राजावग्रह । गार्वाही उग्राहेति—गृहपति—सागारिक
उग्राहेति—सहागारेण गहनं वनत एति सागार स एव सागारिकस्तस्यावग्रहो गृहपति सागारिक
वग्रह । साहमिक उग्राहेति सम ननयनेन चरति न मायनिहा साध्वीयरा साधव एव तेषाम
वग्रह—नृणां य १२३४५परिमाणं क्षयतुमुत्तमं माममवर्षानु चतुर्णां मासानां यावदिनि साध-
मिकावग्रह ।

—भगवती सूत्र १० १६ उ० २ वति (साध्या अभयत्रे सु० १)

१ भगवती सूत्र ।

जिस व्यक्ति के मकान में ठहरना हो उसकी आज्ञा ग्रहण करना सागारिक अवग्रह कहलाता है। आगार का अर्थ है— घर, अतः अपने घर या मकान पर प्राधिपत्य रखने वाले को सागारिय कहते हैं। और इसे शय्यातर अवग्रह भी कहते हैं। क्योंकि, साधु जिससे मकान की आज्ञा ग्रहण करता है, उसे आगमिक भाषा में शय्यातर कहते हैं।

जिस मकान में पहले से साधु ठहरे हों तो साधु उनकी आज्ञा से ठहर जाता है, यह साधर्मिक अवग्रह है। अपने साम्भोगिक साधुओं की किसी वस्तु को ग्रहण करना हो तो भी साधु को उनकी आज्ञा लेकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस तरह साधु को विना आज्ञा के सामान्य एवं विशेष कोई भी पदार्थ ग्रहण करना नहीं कल्पता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'थेरेहि भगवतेहि' पद में भगवान को ज्ञान स्वरूप मानकर उनके लिए स्थविर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सर्वथा उपयुक्त है। और 'सामगिय' शब्द से साधु के समग्र आचार की ओर निर्देश किया गया है।

'त्तिवेमि' की व्याख्या पूर्ववत् समझें।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

॥ सप्तम अध्यायन समाप्त ॥ (प्रथम चूला समाप्त)

॥ सप्तसप्तिकाख्या द्वितीय चूला—स्थान सप्तिका ॥

अष्टम अध्ययन

यह हम पहले देख चुके हैं कि आचाराङ्ग सूत्र का द्वितीय धृतस्कन्ध चार चूलाओं में विभक्त है। पहली चूला और दूसरी चूला सात मात अध्ययनों में विभक्त हैं और तीसरी और चौथी चूला में एक-एक अध्ययन है। प्रथम चूला के सातों अध्ययन विभिन्न विषयों एवं उद्देशों में विभक्त हैं। परन्तु, द्वितीय चूला के सातों अध्ययन उद्देशों में विभक्त नहीं हैं, सबका विषय एक ही प्रवाह में गतिमान है। प्रथम चूला के अन्तिम अध्ययन (७वें अध्ययन) में अभिव्यक्त अवग्रहों से याचना किए गए स्थान में माधु को क्रम तरह से कायेत्सर्ग आदि क्रियाएँ करनी चाहिए। इसका वर्णन द्वितीय चूला में किया गया है। द्वितीय चूला के सातों अध्ययनों का सम्ग्रह अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए स्थानों में साधना करने की विधि से है, इस लिए इसका नाम 'सप्तसप्तिकाख्या चूला' रखा गया है। इसके प्रथम अध्ययन में माधु को उपाश्रय में कायेत्सर्ग आदि क्रिम प्रकर करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खु वा० अभिक्खेज्जा ठाण ठाडत्तए, से
 अणुपविसिज्जा गाम वा जाव रायहाणि वा, से ज पुण ठाण
 जाणिजा—सयड जाव मक्कडासताण्य त तह० ठाण अफा-
 सुय अणोस० लाभे सते नो प०, एव सिज्जागमेण नेयव्व जाव
 उदयपमूयाडति ॥ इच्चेयाइ थायतणाइ उवाइकम्म २ अह
 भिक्खु इच्छिज्जा चउहि पडिमाहिं ठाण ठाडत्तए, तत्थिमा
 पढमा पडिमा—अचित्त खलु उवसज्जिज्जा अवलविज्जा काएण
 विष्परिकम्माड नो मवियारं ठाण ठाडस्सामि पढमा पडिमा ॥

अथावरा दुच्चा पडिमा—अचित्त खलु उवसज्जिज्जा अर—

लंविज्जा काएण विपरिकम्माई नो सवियारं ठाणं ठाइस्सामि
दुच्चा पडिमा ॥

अहावरा तच्चा पडिमा—अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा अव-
लंविज्जा नो काएण विपरिकम्माई नो सवियारं ठाणं ठाइस्सा-
मिति तच्चा पडिमा ॥

अहावरा चउत्था पडिमा—अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा नो
अवलंविज्जा काएण नो परकम्माई नो सवियारं ठाणं ठाइस्सा-
मिति वोसट्ठकाए वोसट्ठकेसमंसुलोमनहे संनिरुद्धं वा ठाणं
ठाइस्सामिति चउत्था पडिमा ॥ इच्चेयासिं चउराहं पडिमाणं
जाव पग्गहियतरायं विहरिज्जा, नो किचिचि चइज्जा, एयं खलु
त्तस्स जाव तस्स० जाव जइज्जासि त्तिवेमि ॥१६३॥

छाया—स भिक्षुर्वा० अभिकांक्षेत् स्थानं स्थातुं स अनुप्रविशेद् ग्रामं
वा यावत् राजाधानी वा, स यत् पुनः स्थानं जानीयात्-साण्डं यावत् मर्कटा-
सन्तानकं तत् तथाप्रकारं स्थानमप्राप्तुकमणोपणीय लाभेसति नो प्रतिगृह्णीयात् ।
एव शय्यागमेन नेतव्यम्, यावत् उदकप्रसृतानि, इति, इत्येतानि आयतनानि
उपातिक्रम्य २ अथ भिक्षुः इच्छेत् चतसृभिः प्रतिमाभिः स्थानं स्थातुम्, तत्र,
इय प्रथमा प्रतिमा—अचित्तं खलु उपाश्रयिष्यामि अवलम्बयिष्ये कायेन वि-
परिक्रमिष्यामि सविचारं स्थानं स्थास्यामि प्रथमा प्रतिमा ॥१॥ अथापरा
द्वितीया प्रतिमा—अचित्तं खलु उपाश्रयिष्यामि अवलम्बयिष्ये कायेन विपरि-
क्रमिष्यामि नो सविचारं स्थानं स्थास्यामि द्वितीया प्रतिमा । २॥ अथापरा

तृतीया प्रतिमा—अचित्त खलु उत्र श्रयिष्यामि अमलम्बयिष्ये नो कायेन वि-
परिक्रमिष्यामि नो सविचार स्थान स्यास्यामीति तृतीया प्रतिमा ॥३॥ अथा
परा चतुर्थीप्रतिमा—अचित्त खलु उपाश्रयिष्यामि नो अमलम्बयिष्ये कायेन नो
परिक्रमिष्यामि नो साविचार स्थान स्यास्यामीति षुत्सृष्टत्राय व्युत्सष्टकेश
श्मश्रुजोमनख मनिरुद्ध रा स्थान स्यास्यामीति चतुर्थी प्रतिमा ॥४॥ इयेता-
सा चतसृणां प्रतिमाना यावत् प्रगृहीतान्यतरा विहरेत् नो किंचिदपि उदेत् । एतत्
खलु तस्य यावद् तस्य० यावत् यतेत, इति श्रयीमि । स्थानमप्यैरुक्त समाप्त ।

पदाथ—से भिक्खू वा—वह साधु या साध्वा यदि । ठाण—स्थान में । ठाइत्तए—
स्थित होना । अमिकख्जा—चाहे, तो । से—वह भिक्षु । गाम वा—ग्राम में, नगर में ।
जाव—यावत । रावहाणि वा—राजधानी में । अणुपविसिज्जा—प्रवेश करे और वहां प्रवेश करके ।
से ज पुण०—वह जी फिर । ठाण—स्थान को । जाणिज्जा—जाने अर्थात् स्थान का प्रवेश करे ।
स अइ—जो स्थान अष्टादि से । जाव—यावत । मक्कडास ताणथ—मकड़ो आदि के जाल से
युक्त है । त—उस । तहू०—तथाप्रकार में । ठाण—स्थान को । अफामुय—अप्रामुक्त तथा ।
अणंस०—अनेपणीय जानकर । लाभेसते—मिलने पर भी । नो प०—ग्रहण न करे अर्थात् ऐसे
स्थान में न ठहरे । एव—इसी प्रकार अथ सूत्र भी । सिज्जापमेण—गय्या अभ्ययन के समान जान
लना । जाव यावत । उदयपसूयाइति—उदकप्रभूत व दादि अर्थात् जिस स्थान में व दादि विद्य-
मान हो उमे भी ग्रहण न करे । इक्खेयाइ—ये पूर्वोक्त तथा अभ्ययण जो । आपतणाई—कर्मों
प दात रूप दाप स्थान हैं इनको । उपाइक्कम्म—छोड़कर अर्थात् इनका उल्लंघन करके । अह-
अथ उदनतर । भिक्खू०—भिक्षु-साधु । अउहि पडिमाहि—वक्ष्यमाण प्राग कही जाने वाली चार
प्रतिमाया के अनुसार । ठाण—स्थान में । ठाइत्तए—ठहरने की । इच्छिज्जा—इच्छा करे ।
तस्य—उतमें से । इमा—यह । पन्ना—पहली । पडिमा—प्रतिमा है, यथा । खलु—निश्चयायक
है । अचित्त—अचित्त स्थानक में । उवसज्जिज्जा—आश्रय लू गा और । अमलविज्जा—अचित्त
भीत आदि का सहारा लू गा । काएण—काया से । विपरिक्रममाइ—हाथ पर आदि का सवाल
न प्रसारण करेगा तथा । सविचार—घोडा सा पाद आदि का सप्रसारण मर्यादित भूमि से बाहिर
परों को घोडा सा भी नहीं फकाऊगा इस प्रकार । ठाण—बड़े हाकर । ठाइत्तामि—ठहरूंगा—
अर्थात् मर्यादित भूमि में ही हाथ आदि का सवालन एव बठने उठने तथा खड़े होने आदि की
क्रियाए करेगा । पडिमा पडिमा—पहले पहली प्रतिमा का स्वरूप है । अहावरा—इसके प्रतिरक्षण
अथ । बुच्चापडिमा—दूसरी प्रतिमा के सम्बन्ध में कहते हैं । अचित्त खलु—अचित्त स्थान में ।
उवसज्जिज्जा—आश्रय लू गा और । अमलविज्जा—भीत आदि का अमलम्बन करेगा तथा ।
काएण—काया से । विपरिक्रममाइ—हाथ पर आदि का सवालन प्रसारण करेगा कि तु ।

नो विचारं—पैरो से संक्रमणादि नहीं करूंगा अर्थात् भ्रमण नहीं करूंगा, इस प्रकार । ठाणं इरसामि—स्थान मे ठहरूंगा या खडा रहूंगा । दुच्चापडिमा—यह दूसरी प्रतिमा का स्वरूप । अहावरा—अब इससे भिन्न । तच्चापडिमा—तीसरी प्रतिमा यह है । खलु—पूर्ववत् । अचि प्रचित्त स्थान का । उवसज्जेज्जा—आश्रय लूंगा और । अवलंविज्जा—अचित भीत आदि सहारा लूंगा किन्तु । काएण—काया से । नो विपरिकम्माई—संकोचन प्रसारण आदि क्रिय नहीं करूंगा । नो सवियारं—न पैर आदि से भूमि का संक्रमण करूंगा, इस प्रकार । ठाणं इरसामि—स्थान मे ठहरूंगा । इति—यह । तच्चापडिमा—तीसरी प्रतिमा कही है । अहा चउत्थोपडिमा—अब चौथी प्रतिमा कहते है । अचित्तं खलु—अचित्त स्थान पर । उवसज्जेज्ज खडे होकर कायोत्सर्गादि करूंगा । नो अवलंविज्जा—अचित भीत आदि का आश्रय नहीं लूंगा नो काएण विपरिकम्माई—काया से संकोचन प्रसारण नहीं करूंगा और । नोसवियारं—न पैर आदि को हिलाऊंगा । इति—इस प्रकार । ठाणं—स्थान पर । ठाइस्सामि—ठहरूंगा तथा वोसट्ठकाये—कुछ काल के लिए काया के ममत्व भाव को त्याग कर और । वोसट्ठकेसमंसुलं नहे—केग, दाढी, मूँछ, रोम, नख के ममत्व भाव को छोड कर । वा—अथवा । संनिरुद्धं सम्यक् प्रकार से काया का निरोध करके । इति—इस प्रकार । ठाणंठाइस्सामि—स्थान में ठहर अर्थात् यदि कोई केशादि का भी उत्पादन करे तो भी ध्यान से विचलित नहीं होऊंगा चउत्थापडिमा—यह चौथी प्रतिमा का स्वरूप है । इच्चेयांसि—इन पूर्वोक्त । चउण्हं पडिमाणं चार प्रतिमाओ । जाव—यावत् मे से । पग्गहियतरायं—किसी एक प्रतिमा को ग्रहण करके विहरिज्जा—विचरे किन्तु । नो किचिवि वइज्जा—अन्य किसी मुनि की—जिसने प्रतिमा ग्रह नहीं की-न तो निन्दा करे और न उनके विषय में कुछ कहे । वह यह न सोचे कि मैंने उत्कृष्ट भाव से अमुक प्रतिमा ग्रहण की है अतः मैं उत्कृष्ट वृत्ति वाला हूँ और ये मुनि-जिनहोने प्रतिधारण नहीं की शिथिला चारी हैं इस प्रकार न कहे । एयंखलु—निश्चय ही यह । तस्सो-उम भिक्षु का समग्राचार-सम्पूर्ण आचार है । जाव—यावत् । जइज्जांसि—इस का पालन का मैं यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हू । ठाणसत्तिककयं सम्मत्तं—पहला स्थान सप्त समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—किसी गांव या शहर में ठहरने का इच्छुक साधु-साध्वी पहलू ग्रामादि मे जाकर उस स्थान को देखे, जो स्थान मकड़ी आदि के जाल से या अण्डे आदि से युक्त हो उसके मिलने पर भी उसे अप्रासुक और अनेषणीय जान कर ग्रहण न करे । शेष वर्णन शय्या अध्ययन के समाप्त जानना चाहिए ।

साधु को स्थान के दोषों का छोड़ कर स्थान की गवेषणा करनी चाहिए और उसे उक्त स्थान पर चार प्रतिमाओं के द्वारा बैठे बैठे या खड़े होकर कायोत्सर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिए । १ मैं अपने कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में रहूँगा, और अचित्त भौत आदि का सहारा लूँगा, तथा हस्त पादादि का सकोचन प्रसारण भी करूँगा एव स्तोक मात्र, पादादि से मर्यादित भूमि में भ्रमण भी करूँगा ।

२-मैं कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में ठहरूँगा, अचित्त भौत आदि का आश्रय भी लूँगा, तथा हस्त पाद आदि का सकोचन प्रसारण भी करूँगा किन्तु पादों से भ्रमण नहीं करूँगा ।

३-मैं कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में रहूँगा, अचित्त भौत आदि का सहारा भी लूँगा, परन्तु हस्तपादादि का सकोच प्रसारण एव पादों से भ्रमण नहीं करूँगा ।

४ मैं कायोत्सर्ग के समय अचित्त स्थान में ठहरूँगा, परन्तु भौत आदि का अवलम्बन नहीं लूँगा तथा हस्त पाद आदि का संचालन और पादों से आश्रय आदि कार्य भी नहीं करूँगा, परन्तु एक स्थान में स्थित होकर कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर का सम्यक्तया निरोध करूँगा और परिमित काल के लिये शरीर के ममत्व का परित्याग कर चुका हूँ अतः उक्त समय में यदि कोई मेरे केश, श्मश्रू और नख आदि का उत्पादन करेगा तब भी मैं अपने ध्यान को नहीं तोड़ूँगा ।

इन पूर्वोक्त चार प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा का धारक साधु अन्य किसी भी साधु की-जो प्रतिमा का धारक नहीं—अहंकार में आकर अवहेलना न करे किन्तु सब में समान भाव रखता हुआ विचरे । यही समय शील साधु का समग्र आचार है, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में कायोत्सर्ग की विधि का उल्लेख किया गया है स्थान के संबंध

में पूर्व सूत्रों में बताई गई विधि को फिर से दुहराया गया है कि साधु को अण्डे एवं जालों आदि से रहित निर्दोष स्थान में ठहरना चाहिए और उसके साथ कायोत्सर्ग के चार अभिग्रहों का भी वर्णन किया गया है।

यह स्पष्ट है कि साधु की साधना मन, वचन और काया योग का सर्वथा निरोध करने के लिए है। परन्तु, यह कार्य इतना सुगम नहीं है कि साधु शीघ्रता से इसे साध सके। अतः उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कायोत्सर्ग एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा साधक सीमित समय के लिए अपने योगों को रोकने का प्रयास करता है। इसमें भी सभी साधकों की शक्ति का ध्यान रखा गया है, जिससे प्रत्येक साधक सुगमता के साथ अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंचने में सफल हो सके। इसके लिए कायोत्सर्ग करने वाले साधकों के लिए चार अभिग्रह बताए गए हैं।

पहले अभिग्रह में साधक अचित्त भूमि पर खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है, आवश्यकता पड़ने पर वह अचित्त दीवार का सहारा भी ले सकता है, हाथ-पैर आदि का संकुचन एवं प्रसारण भी कर सकता है और थोड़ी देर के लिए कुछ कदम चल भी सकता है।

दूसरे अभिग्रह में साधक कुछ आगे बढ़ता है। अचित्त भूमि पर खड़ा हुआ साधक आवश्यकता पड़ने पर अचित्त दीवार का सहारा ले लेता है, हाथ-पैर आदि का संकुचन-प्रसारण भी कर लेता है, परन्तु वह अपने स्थान से ज़रा मात्र के लिए भी चलता नहीं है। वह अपनी शारीरिक गति को रोक लेता है।

तीसरे अभिग्रह में वह अपनी साधना में थोड़ा सा और विकास करता है। अब वह हाथ-पैर आदि के संकुचन-प्रसारण आदि को रोक कर स्थिर मन से खड़े रहने का प्रयत्न करता है और आवश्यकता पड़ने पर केवल अचित्त दीवार का सहारा लेता है।

चौथे अभिग्रह में साधक अपनी कायोत्सर्ग साधना की चरम-सोमा पर पहुंच जाता है। यह सीमित काल के लिए बिना किसी सहारे के एवं बिना हाथ-पैर आदि का संचालन किए अचित्त भूमि पर स्थिर मन से खड़ा रहता है। वह इस क्रिया के समय अपने शरीर से सर्वथा ममत्व हटा लेता है। यदि कोई डंस-मंस उसे काटता है या कोई अज्ञानी व्यक्ति उसके बाल, दाढ़ी, नख आदि उखाड़ता है या उसे किसी तरह का कष्ट देता है, तब भी वह अपने कायोत्सर्ग से, आत्म चिन्तन से विचलित नहीं होता है। उस समय उसके योग आत्म-चिन्तन में इतने संलग्न हो जाते हैं कि उसे अपने

शरीर पर होने वाली क्रियाओं का पता भी नहीं चलता है। उह उस समय अपने ध्यान को, चिन्तन को, अध्यवसाय को बाहर से हटा कर आत्मा के अन्दर केन्द्रित कर लेता है। अतः उस समय उसकी समस्त साधना आत्म हित के लिए होती है और निश्चय दृष्टि से उतने समय के लिए वह एक तरह से ससार से मुक्त होकर आत्म सुखों में रमण करने लगता है और अनन्त आत्म आनन्द का अनुभव करने लगता है।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'सनिहृद' और 'वोत्तदुवाए' दो पद योग साधना के मूल हैं। जिनके आधार पर उत्तर काल में अनेक योग प्रथों का निर्माण हुआ है।

'सत्वेनि' की व्याख्या पूर्ववत् समझनी चाहिए।

॥ अष्टम अध्यायन समाप्त ॥

नवम अध्ययन

अष्टम अध्ययन में कायोत्सर्ग का वर्णन किया गया, और प्रस्तुत अध्ययन में स्वाध्याय पर विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। इसी कारण प्रस्तुत अध्ययन का निपीधिका नाम रखा गया है। मूल पाठ में 'निशीहिय' शब्द का प्रयोग किया गया है, संस्कृत में इसके "निपीधिका और निशीधिका" दोनों रूप बनते हैं। आचारांग वृत्ति के संपादक ने इस बात को नोट में स्पष्ट कर दिया है*। परन्तु, निपीधिका पद अधिक प्रसिद्ध होने के कारण यह अध्ययन 'निपीधिका' के नाम से ही प्रसिद्ध है। अतः इस अध्ययन में स्वाध्याय भूमि कैसी होनी चाहिए तथा साधक को किम तरह से स्वाध्याय में संलग्न रहना चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्खू वा० अभिकं० निसीहियं फासुयं गम-
णाए, से पुण निसीहियं जाणिज्जा-सअंडं तह० अफा० नो चेइस्सा-
मि । से भिक्खू० अभिकंखेज्जा निसीहियं गमणाए, से पुण नि-
अप्पपाणां अप्पवीयं जाव संताणायं तह० निसीहियं फासुयं चेइ-
स्सामि, एवं सिज्जागमेणं नेयव्वं जाव उदयप्पसूयाइं । जे तत्थ
दुवग्गा तिवग्गा चउवग्गा पंचवग्गा वा अभिसंधारिंत्ति निसी-
हियं गमणाए ते नो अन्नमन्नस्स कायं आलिं गिज्ज वा विलिं-
गिज्ज वा चुंविज्ज वा दंतेहिं वा नहेहिं वा अर्च्छिदिज्ज वा वुच्छिं० ,

* निशीधनिपीधयो प्राकृते एकेन निशीहशब्देन वाच्यत्वात् एव निक्षेपवर्णनं,
तथा च निपीधिका निशीधिकेत्युभयमपि समतमभिधानयोः ।

एव खलु० ज मध्वट्टेहिं महिए समिए मया जएजा, सेयमिगा
मन्निजामि त्तिवमि ॥१६४॥

छाया—म भिक्षुर्वा० अभिका० निषीधिकां प्रासुकां गन्तु [गमनाय]
म पुन निषीधिका जानीयान् मारहा तथा० अप्रा० नो चेतयिष्यामि
म भि० अभिका० निषीधिका गन्तु (गमनाय) स पुन नि०
अल्पप्राणा अल्पश्रीजा यावत्, समन्तानकां तथा० निषीधिका प्रासुकां चेत
यित्पामि । एव गंध्यागमेन नतस्य यावत् उदरप्रसूतानि ॥ य तत्र द्विर्गर्गा
त्रिर्गर्गा चतुर्गर्गा पञ्चगर्गा वा अभिमन्धारयन्ति निषीधिका गन्तु (गमनाय)
त नो अन्योऽन्यस्य कायमालिङ्गेषु वा त्रिलिङ्गेषु वा चम्बेयु वा दन्तैर्वा
नरवैर्वा आच्छिद्ध्यु वा व्युच्छिद्यु वा एव तत् खलु तस्यमिहो २ सामग्र्य
यत्, मर्यायै महित समित मदा यतत थप इदमन्यत । इति त्रयीमि ।

वदाथ—सेमिखलु वा २—वह साधु या साध्वी । निसीहियं—स्वाध्याय करने के
लिए उपाध्यय म भक्तिरिक्त । कामुय—प्रासुक भूमि म । गमनाए—जाने की । अभिकले—
इच्छा रखना हो तो । से—वह भिक्षु । पुण—फिर । निसीहिय—स्वाध्याय भूमि के सम्बन्ध
में । जानिजना—जाने । स मइ—जो भूमि मइआदि से युक्त है तो । तह०—तथाप्रकार की
भूमि की । अकामुय—अप्रासुक और अपेक्षणीय । साभिसते—मिलने पर । नो चेइस्तामि—
गन्ध से कह कि मैं इस प्रकार की भूमि में नही ठहरूंगा ।

से मिखलु०—वह साधु या साध्वी । निसीहिय—स्वाध्याय भूमि म । गमनाए—
जाने की । अभिकलेज्जा—इच्छा करे तो । से—वह । पुण—फिर । नि०—स्वाध्याय भूमि
के सम्बन्ध में यह जाने कि । कावपण—जहां पर द्वी त्रयानि प्राणी नहीं हैं । अल्पबुध—
जहां पर बीजादि नही हैं । जाव—यावत् । सताणय—जाले आदि नही हैं । तह०—तथाप्रकार
की । निसीहिय—स्वाध्याय भूमि । कामुय—प्रासुक और अपेक्षणीय मिलने पर । चेइस्तामि—
ठहरूंगा, इस प्रकार कहें अर्थात् वहां ठहर कर स्वाध्याय करे । एव—इस प्रकार । तिज्जा-
गमेण—गंध्या अर्थात् नो के अनुपार । नेयय—जान लेना चाहिए । जाव—यावत् । उदयपसुयाई-
उदक प्रसून कल्पानि जहां पर हो वहां न रहे ।

अथ सूत्रकार-जो साधु वहा पर स्वाध्याय करने के लिए गये हुए है उनके विषय में कहते है—जे—जो । तत्प - वहाँ पर । द्वुवग्गा—दो साधु । त्रिषग्गा—तीन साधु । चउवग्गा—चार साधु । पचवग्गा—अथवा पाच साधु । अग्निसंघारिति—सन्मुख हो । निसोहियं—स्वाध्याय भूमि में । गमणाए—जाने के लिए तैयार हो या वहा चले जाएं फिर । ते—वे साधु । अन्नमन्नस्स—परस्पर एक दूसरे के । काय—शरीर को । नो आलिंगिज्ज वा—आलिंगन न करे अथवा । विरुल्लिज्ज वा—जिस में मोह का उदय होता हो इस प्रकार का आलिंगन न करे तथा । चुंविज्ज वा—मुख चुम्बन न करे अथवा । दंतेहि वा—दांतों से । नहेहि वा—नखों से । अरुच्छिदिज्ज वा—शरीर को परस्पर छेदन न करे । वुच्छि०—जिससे विवेक मोहानल प्रदीप्त हो इस प्रकार की पारस्परिक कुचेष्टा न करें । एवं खलु—इस प्रकार निश्चय ही । तस्स—उस । निखलुस्स—भिक्षु का समग्र आचार है । जाव—यावत् । ज—जो कि । सव्वट्ठेहि—सर्व अर्थों में । सहिए—सहित है । समिए—पाच समितियों से युक्त है, इस में । सया—सदा समय पालन करने में । जएज्जा—यत्नशील हो तथा । सेयमिणं—इस आचार का पालन करना श्रेय है—कल्याण रूप है इस प्रकार । मन्निज्जासि—माने । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । निसोहिया सत्तिकय—निषीधिका अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—जो साधु या साध्वी प्रासुक अर्थात् निर्दोष स्वाध्याय भूमि में जाना चाहे तब वह स्वाध्याय भूमि को देखे और स्वाध्याय भूमि अण्डे आदि से युक्त हो तो इस प्रकार की अप्रासुक, अनेपणीय स्वाध्याय भूमि को जान कर कहे कि मैं इसमें नहीं ठहरूंगा । यदि स्वाध्याय भूमि में प्राणी, बीज यावत् जाला आदि नहीं है तो उसे प्रासुक एवं एषणीय जान कर कहे कि मैं यहां पर ठहरूंगा । जेप वर्णन शय्या अध्ययन के अनुसार जानना चाहिए । जैसे जहां पर उदक से उत्पन्न हुए कन्दादिक हों वहां पर भी न ठहरे ।

उस स्वाध्याय भूमि में गए हुए दो, तीन, चार, पांच साधु परस्पर शरीर का आलिंगन न करे, न विशेष रूप से शरीर का आलिंगन करें, न मुख चुम्बन करें, दान्तों से या नखों से शरीर का छेदन भी न करे, और जिस क्रिया या चेष्टा से मोह उत्पन्न होता हो इस तरह की क्रियाएँ भी न करे । यही साधु और साध्वी का समग्र आचार है । जो साधु

साधना के यथार्थ स्वरूप को जानता है, पांच ममिक्तियां स युक्त है और इसका पालन करने में सदा प्रयत्नशील है वह यह माने कि इस आचार का पालन करना ही मेरे लिए कल्याण प्रद है। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत मंत्र में स्वाध्याय के स्थान एवं स्वाध्याय के समय चित्तवृत्ति को मयत्त रखने का वर्णन किया गया है। यह हमें स्पष्ट चुने है कि आत्मा को मंत्र उचरना से मुक्त करने के लिए कायोत्सर्ग एक महान् साधन है। परन्तु, उस साधन को स्वीकार करने के लिए आत्मा एवं शरीर के स्वरूप तथा सम्बन्ध को जानना भी आवश्यक है और उसके लिए सर्वोत्तम साधन स्वाध्याय है। स्वाध्याय शब्द स्व+अध्याय के मयोग से बना है। स्व का अर्थ आत्मा और अध्याय का अर्थ है अध्ययन या बोध करना। अतः स्वाध्याय का अर्थ हुआ अपनी आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अतः, जो ज्ञान, जो चिन्तन मनन आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने में सहायक होता है, उसे स्वाध्याय कहते हैं।

यह स्पष्ट है कि चिन्तन के लिए एकांत एवं निर्दोष स्थान चाहिए। क्योंकि यदि स्थान सद्बोध है, उसमें कई प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने की संभावना है तो चित्त वृत्ति शांत नहीं रह सकती। जहाँ दूसरे प्राणियों को कष्ट होता हो वहाँ आत्मा पूर्ण शांति का अनुभव नहीं कर सकती है। इसलिए हिंसा को शांति के लिए बाधक माना गया है और मावक को उससे सर्वथा बचकर रहने का आदेश दिया गया है। हिंसा का तरह तरह की लाहल भी मन की एकाग्र नहीं रहने देता। अतः तत्त्वज्ञान के साधक को निर्दोष एवं शांत एकांत स्थान में स्वाध्याय करने का आदेश दिया गया है।

एकांतता जैसे योगों का निरोध करने के लिए सहायक है, जैसे भोगों की वृत्ति को उच्छेद करने के लिये म भी उसका सहयोग रहता है। यागी और भोगी, वैरागी और रागी दोनों को एकांतस्थान की आवश्यकता रहती है। एकांतस्थान में ही मन साधना की ओर भला-भाति प्रवृत्त हो सकता है और विषय त्रिकारा की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भी मनुष्य एकांतस्थान दूढ़ता है। क्योंकि लोग व सामने उसे अपनी कामना को तृप्त करने में लक्ष्णा अनुभव होती है। इसी दृष्टि से प्रस्तुत मंत्र में साधक को यह शिक्षा दी गई है कि यह उस एकांत शांत स्थान का उपयोग मोहक मंत्र को ज्ञान मन कर। उसे अपने मागी मावकों के साथ पारस्परिक शारारिक एवं मनुष्य आदि का अलिप्त आदि उच्येण नहीं करने चाहिए। और न

अपने नागून एवं शक्तों से किसी के शरीर का स्पर्श करना चाहिए जिस से कि वायुता की जागृति हो । साथ ही उस एकान्त स्थान में योगों की प्रवृत्ति को उच्छ्रंखल बनाने की चेष्टा न करने हुए योगों को अन्य समस्त प्रवृत्तियों से हटा कर आत्मा की ओर मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए । उस दृष्टि से प्रस्तुत अध्यायन विद्यार्थी मुनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

इसमें यह स्पष्ट होता है कि साधक को अपने योगों को अन्य प्रवृत्तियों से हटाकर आत्म साधना ही और लगाना चाहिए, और इसके लिए उसे सर्वथा निर्दीप, प्राणिक एवं शान्त-एकान्त स्थान में साधनाय करनी चाहिए ।

‘चित्तेभिः’ का अर्थ पूर्ववत् समझें ।

॥ नवम अध्यायन समाप्त ॥

दशम अथयन

नवम अध्ययन में निषीधिता—स्वाध्याय का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया गया है कि स्वाध्याय भूमि में ठंडर हुए साधक को उच्चार प्रश्नरूप की बाधा हो जाए तो उसे मल मूत्र को कैसे स्थान पर परिष्ठापन करना (त्यागना) चाहिए। इसी कारण इसे उच्चार प्रश्नरूप अध्ययन भी कहते हैं। मल मूत्र के त्याग की विधि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—से भि० उच्चारपासवणकिरियाए उच्चाहिज्जमाणे
 मयस्स पायपुच्छणस्म असईए तयो पच्छा साहम्मिय जोडज्जा ।
 से भि० से ज पु० थडिल्ल जाणिज्जा-सयड० तह० थडिल्ल
 सि नो उच्चारपासवण वोमिरिज्जा । से भि० ज पुण थ०
 यप्पपाण जाव सत्ताणय तह० थ० उच्चा० वोसिरि-
 ज्जा । से भि० से ज० अस्सिपडियाए एग साहम्मिय समुद्धिस्स
 वा अस्सि० वहवे साहम्मिया स० अस्सि० प० एग साहम्मिणि स०
 अस्सिप० वहवे साहम्मणीयो स० अस्सि० वहवे समण० पग
 णिय २ समु० पाणाड ४ जाव उद्देसिय चेएइ, तह० थडिल्ल
 पुरिसतरकड जाव वहिया नीहड वा अनी० अन्नयरसि वा तह-
 प्पगारसि थ० उच्चार नो वोसि० । से भि० से ज० वहवे समण
 मा० कि० व० अतिही समुद्धिस्स पाणाड भूयाइ जीवाइ सत्ताड
 जाव उद्देमिय चेएइ, तह० थडिल्ल पुरिसतरगड जाव वहिया

अनीहडं अन्नयरंसि वा तह० थंडिल्लंसि नो उच्चारपासवणा० ,
 अह पुण्ण एवं जाणिज्जा-अपुरिसंतरगडं जाव वहिया नीहडं अन्न-
 यरंसि वा तहप्पगारं० थं० उच्चार० वोसि० । से० जं० अस्सिपडि-
 याए कयं वा कारियं वा पामिच्चियं वा छन्नं वा घट्ठं वा मट्ठं वा
 लित्तं वा समट्ठं वा संघूपियं वा अन्नयरंसि वा तह० थंडि० नो
 उ० से भि० से जं पुण्ण थं० जाणोज्जा, इह खलु गाहावई चा गाहा०
 पुत्ता वा कंदाणि वा जाव हरियाणि वा अंतराओ वा बाहिं नी-
 हरंति वहियाओ वा अंतो साहरंति अन्नयरंसि वा तह० थं० नो
 उच्चा० । से भि० से जं पुण्ण० जाणोज्जा-खंधंसि वा प्रीढंसि वा
 मंचंसि वा मालंसि वा अट्ठंसि वा पासायंसि वा अन्नयरंसि
 वा० थं० नो उ० । से भि० से जं पुण्ण० अणंतरहियाए पुढवीए
 ससिणिद्धाए पु० ससरक्खाए पु० मट्टियाए मक्कडाए चित्त-
 मंत्ताए सिलाए चित्तमंत्ताए लेलुयाए कोलावासंसि वा दारु-
 यंसि वा जीवपइट्ठियंसि वा जाव मक्कडासंताणयंसि अन्न०
 तह० थं० नो उ० । १६५।

छाया—स भिक्षुर्वा० उच्चार प्रश्रवण क्रियया धाध्यमानः स्वकीयस्य
 पादपुञ्जस्य अस्वकीयः (अस्वकीयस्य) ततः पश्चात् साधर्मिक यश्चेत् ।
 स भिक्षुर्वा० स यत् पुनः स्थंडिलं जानीयात्-साण्ड० तथा० स्थंडिले
 नो उच्चारप्रश्रवणं व्युत्सृजेत् ॥ स भिक्षुर्वा० यत् पुनः स्थं० अल्पप्राणं

यावत् ससन्तानक तथा ० स्थ ० उच्चार ० व्युत्सृजेत ।

स भिक्षुर्वा ० स यन् ० अस्वप्रतिज्ञया एक साधमिक समुद्दिश्य वा अस्व ० वहून् साधमिकान् स ० अस्वप्रतिज्ञया एका साधमिणीं स ० अस्व प्र ० वहून् साधमिणीं स ० अस्व ० वहून् श्रमण ० प्रमाण्य २ स ० प्राणानि ४ यावत् औद्देशिक चेतयति, तथा ० स्थडिल पुरुषात्तरकृत यावत् वहि नीत वा अनीत वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थ ० उच्चार ० नो व्युत्सृजेत् ॥ स भिक्षुर्वा ० स यत् पुन ० वहून् श्रमण-ब्राह्मण वपण वनोपकातिथीन् समुद्दिश्य प्राणानि भूतानि जीवान् सत्त्वानि यावत् औद्देशिक चेतयति, तथा स्थडिल पुरुषात्तरकृत यावत् वहि अनीत अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिले नो उच्चार प्रश्रवण ॥ अथ पुनरेव जानीयात्-अपुरुषात्तरकृत यावत् वहि नीत वा अयतरस्मिन् वा तथा प्रकारे स्थडिले उच्चार ० व्युत्सृजेत् ॥ स भिक्षुर्वा यत् ० अस्वप्रतिज्ञया कृत वा कारित वा प्रामित्य वा छिन वा घृष्ट वा मष्ट वा लिप्त वा समष्ट वा सप्रधूपित वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थ ० नो उ ० स भिक्षुर्वा ० स यत् पुन स्थ ० जानीयात् इह खलु गृहपत वा । गृहपति पुत्रा वा क दानि वा यावत् हरितानि वा अभ्य तरत वा वहिवा निष्काशयति, बहिलो वा अभ्य-तरे समाहरति अयतरस्मिन् वा तथा ० स्थ ० नो उच्चार ० ॥ स भिक्षुर्वा ० स यत् पुन स्थ ० जानीयात् म्बन्धे वा पीठे वा मचे वा माले वा अटटे वा प्रासादे वा अयतरस्मिन् वा तथा ० स्थ ० नो उच्चार ० ॥ स भिक्षुर्वा स यत् पुन अनतरहिनाया पृथिव्या सस्निग्धाया पथिव्या सरजस्वाया पृथिव्या मृत्तिवाया मक टाया चितवत्या शिलाया चित्तवति लट्टो घुणावामे वा दारुके वा जीवप्रतिष्ठे वा यावत् मक टास-ताने अयतरस्मिन् तथाप्रकारे स्थडिल नो उच्चारप्रश्रवण व्युत्सृजेत् ।

पदार्थ — से मि० — वह साधु या साध्वी । उच्चारपासवण किरियाए—मल मूत्र की बाधा से । उब्बाहिज्जमाणे— पीडित होता हुआ । सयस्स — स्वकीय-अपने । पायपुंछणस्स — भूत्र आदि परठने वाले पात्र के । असइए — न होने पर । तन्नो पच्छा — तत्पश्चात् । साहम्मिय-सार्धमिक साधु से पात्र की । जाइज्जा — याचना करे, जिसके द्वारा मल मूत्र की बाधा को टाल सके । इससे यह सिद्ध होता है कि साधु मल मूत्र के वेग को रोके नहीं । अत्र सूत्रकार मलमूत्र के परिष्ठापन के विषय में कहते हैं । से मि० — वह साधु या साध्वी । से जं — वह जो । पुण — फिर । थंडिल्लं — स्थंडिल भूमि को । जाणिज्जा — जाने । स अड — अडो से तथा द्वीन्द्रियादि प्राणियों से युक्त भूमि पर । जाव — यावत् मक्कडी आदि के जालो से युक्त भूमि पर । तह० — तथाप्रकार के । थंडिलंसि — स्थंडिल में । उच्चार पासवण — मल मूत्र का । नो वोसिरिज्जा — व्युत्सर्ग-त्याग न करे ।

से मि० — वह साधु या साध्वी । से जं — वह जो । पुण — पुन । थंडिल्लं — स्थंडिल के सम्बन्ध में । जाणिज्जा — जाने । अपपाणं — जो अण्डे एव द्वीन्द्रियादि जीवों से रहित हो । जाव — यावत् । सताणयं — जालो में रहित हो । तह० — तथाप्रकार के । थं० — स्थंडिल में । उच्चाठ — मलमूत्र का । वोसिरिज्ज — व्युत्सर्ग-त्याग करे ।

से मि० — वह साधु या साध्वी । से जं पुण — वह जो फिर जाने । अस्सिपडियाए — साधु की प्रतिज्ञा से । एगं साहम्मियं — एक साधुओं का । समुद्दिस्स — उद्देश रखकर । वा — अथवा । अस्सिपडियाए — साधु की प्रतिज्ञा से । बहवे — बहुत से । साहम्मिया — सार्धमियों का । समु० — उद्देश रखकर तथा । अस्सिपडि० — जिन्होंने धन का परित्याग किया हुआ है, उन साधुओं की प्रतिज्ञा से । एगसाहम्मिणं — एक आर्या का । समु० — उद्देश रखकर । अस्सिपडियाए० — आर्या की प्रतिज्ञा से । बहवे साहम्मिणीओ — बहुत सी साध्वियों का । समु० — उद्देश रखकर । अस्सिपडि० — समान भिक्षुओं का उद्देश रखकर तथा । बहवे — बहुत से । समणमाहण० — श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण, भिखारी और गरीबों को । पगणिय २ — गिन २ कर । समु० — तथा उनके उद्देश से । पाणाइ ४ — प्राणि आदि जीवों का विनाश करके । जाव — यावत् । उद्देसिय — औद्देशिक स्थंडिल, साधु को । चेएइ देता है तो । तह० — तथाप्रकार का । थंडिल्लं — स्थंडिल, जोकि । पुरिसतरकडं — पुत्पान्तर कृत है तथा । अपुरिसत्तरकडं — अपुरुषान्तर कृत । जाव — यावत् । बहिधा नोहडं — बाहर निकाला हुआ है । वा — अथवा । अनी० — नहीं निकाला हुआ है अर्थात् भोगा हुआ है या भोगा हुआ नहीं है । अन्नयरंसिवा-अथवा अन्य कोई सदोष स्थंडिल हो । तहपपारंसि — तथाप्रकार के । थं० — स्थंडिल में । उच्चारं० — मल मूत्र को । नो वोसि० — न परठे-त्याग ।

से मि० — वह साधु या साध्वी, से जं — वह जो फिर स्थंडिल को जाने, यावत् ।

बह्वे—बहुत स । समण माहण०—गावदादि धमण ब्र ह्यण । कि०—कृण । व०—भिन्वारी एव ।
 प्रतिहि—प्रतिधिया का । समुद्विदस्—उदण रस् कर । पाणाद्—प्राणी । भूपाद्—भूत ।
 जीवद्—जीव । सत्ताद्—सत्त्वो का विनाग करक । जाव—यावत । उद्वेसिय—धीन्देगिक
 स्थितन साधु को । वेए०—देना है । तह०—तथाप्रकार का । थडिल—स्थडिल । अपरि
 सतरकड—अपुरवा तर कृत है । जाव—यावत । बहिया धनीहड—बाहर निकाला हुआ नहीं
 के अर्थान् भागा हुआ न । है या । अनवरसि वा—अथ इसी प्रकार का सगप स्थडिल है तो
 तह०—तथाप्रकार क । थडिलसि—स्थडिन म । नो उच्चारपासवण०—मल मूत्र का त्याग
 न कर । अह—अथ । पुण—फिर । एव—इम प्रकार । जाणिञ्जा—जान कि यदि वह ।
 पुरिसतरगड—पुरुपा तर कृत है । जाव—यावत । बहिया नीहड—किसी के द्वारा भोगा हुआ
 है । अनवरसि वा—इसी प्रकार का अथ कोई निर्दोष स्थडिल है तो । तहृणगर—तथा
 प्रकार क । थ०—स्थडिल में । उच्चार०—मलमूत्र का । वोसि०—याग करे ।

से नि०—वह साधु अथवा साध्वी । से ज—वह जो फिर स्थडिल को जाने ।
 अस्मिपडियाए—निमी गन्ध न साधु के निण । कय वा—स्थडिल किया अथवा । कारिय
 वा—कराया अथवा । पामिच्चिय वा—उपार लिया हो अथवा । छन्न वा—उसके ऊपर छत्र
 डाली हो । घण्ट वा—सवारा नो । मट्ट वा—विशेष रूप स सवारा हो । लिल वा—
 पीपा पीना हा या । समटठ वा—मनन किया हो तथा । मवधूपिय वा—दुग्ध दूर करने
 के लिए घूर स सुवाग्नि किया हो । अनवरसि वा—इय तरह का अथ कोई सगप स्थडिल हो
 वे । तह०—तथाप्रकार क । थडि०—स्थडिल में । नो उ०—मल मूत्र को न परठ ।

से मि—वह साधु या साध्वी । से ज०—वह जो । पुण—फिर । थ—स्थडिल
 को । जाण-जा—जान, यथा । इह खल—निषय ही इस संसार म । गाहाव—गहपति ।
 वा—अथवा । गाहा० पुत्ता—गहपति के पुत्र साधु के वास्ते । कदाणि वा—कदा अथवा ।
 जाव—यावत । हरियाणि वा—हरी वनस्पति इन को । अनराप्रो वा—अन्दर से । बाहि—
 बाहर । नीहरसि—निकालत है अथवा । बहियाओ—बाहर से । अतो—अन्दर । साहरसि—
 रखत है अथवा । अनवरसि—अथ कोई इसी प्रकार का सगप स्थडिल है तो । तह० थ—
 तथाप्रकार के स्थडिल म । नो उच्चा०—मल मूत्र का परित्याग करे ।

से मि०—वह साधु अथवा साध्वी । से ज—वह जो । पुण०—फिर स्थडिल को
 जाण-जा—जान । खसि वा—एक स्तम्भ पर स्थडिन भूमि हो अथवा स्तम्भो पर हो ।
 पीडसि वा—रीठ पर हा अथवा । मवसि वा—नव पर । माल स वा—माल पर । घटडास
 वा—घटारी पर । पासावनि वा—प्रासाद पर अथवा यथा कार क, अनवरसि वा—किसी
 अथ स्थान पर हा तो । तह०—तथाप्रकार क स्थडिल पर । नो उ०—उच्चार प्रधवण-मत्र
 मत्र का परित्याग न करे ।

से मि०—वह माधु या साध्वी । से जं—वह जो । पुण—फिर स्थण्डिल को जाने । अणंतरहियाए पुढघोए—मच्चित्त पृथ्वी पर । सत्तिणिद्धाए पु०—स्निग्ध-भीली पृथ्वी पर । समरवलाए पु०—मच्चित्तज युक्त पृथ्वी पर तथा । मट्टियाए—कच्ची मिट्टी से युक्त पृथ्वी पर या । मक्कड़ाए—बहा पर मच्चित्त मिट्टी का काम किया हुआ हो अर्थात् सच्चित्त मिट्टी ममली हुई हो या । चित्तमताए—सच्चित्त । सिलाए—गिला पर । चित्तमंताए लेलुयाए—सच्चित्त शिला के टुकड़े पर । कोलावाससि चा—जहा पर घुण आदि जीव हो अथवा । दाग्यसि—काठ पर अथवा । जीवपइट्टियसि वा—जहा पर जीव रहते है । जाव—यावत् । मक्कडासंताणर्यसि—मक्कड़ी के जालो से युक्त स्थान पर या । अन्न०—इम प्रकार अन्य कोई स्थान हो तो । तह०—तथाप्रकार के । थ०—स्थण्डिल पर । नो उ०—मल मूत्रादि का परित्याग न करे ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी उच्चार प्रश्रवण मलमूत्र की वाधा हो तो स्वकीय पात्र मे उससे निवृत्त होकर मूत्रादि को परठ दे । यदि स्वकीय पात्र न हो तो अन्य साधर्मी साधु से पात्र की याचना करके उसमे अपनी वाधा का निवारण करके परठ दे, किन्तु मल-मूत्र का कभी भो निरोध न करे । परन्तु अण्डादि जीवो से युक्त स्थान पर मल मूत्रादि न परठे-त्यागे । जो भूमि द्वीन्द्रियादि जीवो से रहित है, उस भूमि पर मल-मूत्र का त्याग करे ।

यदि किसी गृहस्थ ने एक साधु या बहुत से साधुओ का उद्देश रखकर स्थण्डिल बनाया हो अथवा एक साध्वी या बहुत सी साध्वीओ का उद्देश्य रखकर स्थण्डिल बनाया हो अथवा बहुत से श्रमण ब्राह्मण, कृपण, भिखारी एव गरीबों को गिन गिन कर उनके लिए प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वो की हिंसा करके स्थण्डिल भूमि को तैयार किया हो तो इस प्रकार का स्थण्डिल पुरुषान्तर कृत हो या अपुरुषान्तर कृत हो किसी अन्य के द्वारा भोगा गया हो या न भोगा गया हो, उससे साधु-साध्वी मलमूत्र का परित्याग न करे ।

यदि किसी गृहस्थ ने श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, वनीपक-भिखारो, अतिथियो का निमित्त रखकर प्राणी, भूत, जीव, सत्त्वो की हिंसा करके

स्थण्डिल बनाया हो तो इस प्रकार का स्थण्डिल, जब तक वह अपुरुषान्तर कन है अर्थात् किसी के भोगने में नहीं आया है तब तक इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्र का परित्याग न करे यदि इस प्रकार जान ले कि यह पुरुषान्तर कृत है या अय के द्वारा भोगा हुआ है तो इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्र का त्याग कर सकता है ।

यदि साधु या माध्वी इस प्रकार जान ले कि गृहस्थ ने साधु की प्रतिज्ञा से स्थण्डिल बनाया या बनवाया है, उधार लिया है, उस पर द्यत डाली है उसे सम किया है और सवारा है तथा धूप से सुगन्धित किया है तो इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्र का त्याग न करे ,

यदि साधु इस प्रकार जाने कि गृहपति या उसके पुत्र कन्द मूल और हरि आदि पदार्थों को भीतर से बाहर और बाहर से भीतर ले चाते या रखते है, तो इस प्रकार के स्थण्डिल में मल मूत्रादि न परठे ।

यदि साधु इस प्रकार जाने कि यह स्थण्डिल भूमि स्तम्भ पर है, पीठ पर है, मच पर है, माले पर है तथा अटारी और प्रासाद पर है अथवा इसी प्रकार के किसी अय विषम स्थान पर है तो इस प्रकार की स्थण्डिल भूमि पर मल मूत्र का परित्याग न कर । तथा सचित्त पृथ्वी पर, स्निग्ध गीली पृथ्वी पर, सचित्त रज से युक्त पृथ्वी पर, जहा पर सचित्त मिट्टी मसली गई हो ऐसी पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्त शिला खड पर, घुण युक्त काष्ठ पर, द्वीन्द्रियादि जीव युक्त काष्ठ पर, यावत् मकड़ी के जाला आदि से युक्त भूमि पर मल मूत्रादि न परठे ।

द्विती विवचन

प्राप्तुत सूत्र में अन्तार प्रध्वण का त्याग करने की विधि बताई गई है । मल और मूत्र को ममरा स्थार और प्रध्वण कहते है । साधु को कभी भी इनका निरोध नही करना चाहिए । क्योंकि इनके निरोध से शरीर में अनेक व्याधियाँ एवं अर्थकर रोग उत्पन्न हो सकते है, निरुक्त कारण आध्यात्मिक साधना में स्वाध्याय पद सकती है । इसलिए साधु को यह आदेश दिया गया है कि यह अपना मल मूत्र का

त्याग करने के पात्र में उसकी बाधा को निवारण करले । यदि किसी समय उसके पास अपना पात्र नहीं है तो उसे चाहिए कि अपने साधर्मिक साधु से उसकी याचना करले । परन्तु, मल-मूत्र को रोक कर न रखे । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि साधु को मल-मूत्र का त्याग करने के लिए एक अलग पात्र रखना चाहिए, जिसे मात्रक या समाधि भी कहते हैं ।

साधु को ऐसे स्थान पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, जो हरियाली से, वीजों से, निगोद काय से, लुद्र जीव-जन्तुओं से युक्त हो या संचित हो, गीला हो, संचित मिट्टी वाला हो तथा संचित शिला एव शिला खण्ड पर हो । इसके अतिरिक्त साधु को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मल-मूत्र त्यागने का स्थान एक या अनेक साधु-साधवियों को उद्देश्य में रखकर तथा श्रमण-ब्रह्मणों के साथ भी जैन श्रमणों को लक्ष्य में रखकर बनाया गया हो तो उस स्थान से भी मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए—चाहे वह स्थान पुरुषान्तरकृत भी क्यों न हो । यदि वह स्थान केवल अन्य मत के श्रमण-ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है तो पुरुषान्तरकृत होने पर साधु उस स्थान से मल-मूत्र का त्याग कर सकता है ।

जो स्थान अन्तारक्ष में हो अर्थात् मंच, स्तंभ आदि पर हो तो ऐसे स्थानों पर भी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए । मार्ग की चिपमता के कारण ही ऐसे स्थानों पर परठने का निषेध किया गया है, जैसेकि पूर्व के अध्यायों में ऐसे स्थानों पर हाथ-पैर आदि धोने एवं वस्त्र आदि सुखाने का निषेध किया गया है । अतः यदि ऊपर के स्थानों पर जाने का मार्ग प्रशस्त हो, जीवों की विराधना न होती हो तो साधु उन स्थानों का उपभोग भी कर सकता है ।

जिस स्थान से कन्द-मूल आदि भीतर से बाहर एवं बाहर से भीतर लाए जा रहे हों तो ऐसे स्थान पर भी साधु को मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए । इसका कारण यह है कि संभ्रमन-यह क्रिया स्थान को परठने योग्य बनाने के लिए की जा रही हो, अतः साधु को ऐसे स्थान का भी परठने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए ।

जिस स्थान पर साधु के उद्देश्य से कोई विशेष क्रियाएँ की गई हों, जैसे—स्थान को सम बनाया गया हो, छायादार बनाया गया हो, सुवासित बनाया गया हो, तो जब तक ये स्थान पुरुषान्तर कृत न हो जाएं तब तक साधु को उनका उपयोग नहीं करना चाहिए ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को संचित, जीव जन्तु एवं हरियाली युक्त तथा सरोव भूमि पर मज्ज-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए । उसे सदा अचित्त जीव-

जन्तु आदि से रहित, निर्दोष एव प्रासुक भूमि पर ही मल मूत्र का त्याग करना चाहिए ।

इम नियम को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

से भि० से ज० जाणे०—इह सलु गाहावर्डं वा गाहा
वडपुत्ता वा कदाणि वा जात्र वीयाणि वा परिमाडिसु वा
परिसाडिति वा परिमाडिस्सति वा, यन्न० तह० नो उ० ॥
से भि० से ज० इह सलु गाहावर्डं वा गा० पुत्ता वा सालीणि
वा वीहीणि वा मुगाणि वा मामाणि वा कुलत्थाणि वा
जत्राणि वा जवजवाणि वा पडरिसु वा पडरिति वा पडरिस्मति
वा यन्नयरमि वा तह० थडि० नो उ० ॥ से भि० २ ज०
ग्रामोयाणि वा घासाणि वा भिलुयाणि वा विज्जलयाणि वा
साणुयाणि वा कडयाणि वा पगडाणि वा दरीणि वा
पडुग्गाणि वा ममाणि वा विममाणि वा यन्नयरमि तह०
नो उ० ॥ से भिक्खू० से ज० पुण्ण थडिल्ल जाणिल्ला माणुस
रधणाणि वा महिमकरणाणि वा उसहक० अस्सक० कुम्फुड-
क० मफ्फुडक० हयक० लावयक० चट्टयक० तित्तिरक० कवोयक०
कर्णिल्लकरणाणि वा यन्नयरसि वा तह० नो उ० ॥ से
भि० से ज० जाणे० वेहाणमट्ठाणेसु वा गिद्धपट्ठठा० वा
तरुपट्ठाण्ठाणेसु वा मेरुपट्ठाण्ठाणेसु वा निसभक्खणयठा०

अगणिपडणाट्ठा० अन्नयरंसि वा तह० नो उ० ॥ से भि० से
 जं० आरामाणि वा उज्जाणाणि वा वणाणि वा वणसडाणि
 वा देवकुलाणि वा सभाणि वा पवाणि वा अन्न० तह० नो
 उ० ॥ से भि० से जं० पुण० जा० अट्टालयाणि वा चरियाणि वा
 दाराणि वा गोपुराणि वा अन्नयरंसि वा तह० थं० नो उ० ।
 से भि० से जं० जाणे० तिगाणि वा चउक्काणि वा चच्चराणि
 वा चउम्मुहाणि वा अन्नयरंसि वा तह० नो उ० ॥ से भि० से
 जं० जाणे० इंगालदाहेसु वा स्वारदाहेसु वा मडयदाहेसु वा
 मडयथूभियासु वा, मडयचेइएसु वा अन्नयरंसि वा तह० थं० नो
 उ० ॥ से जं० जाणे० नइयायतणोसुवा पंकाययणोसु वा ओघाय-
 यणोसु वा सेयणवहंसि वा अन्नयरंसि वा तह० थं० नो उ० ।
 से भि० से जं० जाणे० नवियासु वा मट्टियखाणियासु वा नवियासु
 गोप्पहेलियासु वा गवाणीसु वा खाणीसु वा अन्नयरंसि वा
 तह० थं० नो उ० ॥ से जं० जा० डागवच्चंसि वा सागव०
 मूलग० हत्थंकरवच्चंसि वा अन्नयरंसि वा तह० नो उ० वो० ॥
 से भि० से जं० असणावणंसि वा सणाव० धायइव० केयइवणंसि वा
 अम्रव० अयोगव० नागव० पुन्नागव० चुल्लागव० अन्नयरंसेसु
 तह० पत्तोवेएसु वा पुण्फोवेएसु वा फलोवेएसु वा वीओवेएसु वा

हरियोवेएसु वा नो उ० वा० ॥१६६॥

छाया—स भिक्षुर्वा० स यत् पुन जानीयात् इह खलु गृहपतिर्वा गृहपतिपुत्रा वा, कृदानि वा यावत् बीजानि वा परिशाटितवन्त परिशाटयन्ति, परिशाटयिष्यन्ति वा अयतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिले नो उच्चारप्रश्रवण व्युत्सृजेत् ॥ स भि० वा स यत् पुन जानीयात् इह खलु गृहपतिर्वा गृहपतिपुत्रा वा शालीन् वा ब्रौहोन् वा मुद्गान् वा मापान् वा कुलत्यानि वा यवान वा यत्रयवान् वा उपनवन्तो वा वपन्ति वा वप्स्यन्ति वा अयतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिले नो उच्चारप्रश्रवण व्युत्सृजेत् स भि० स यत् पुन एव जानीयात् आमोकानि (कचवर पुञ्ज) वा घासा (वहृत्यो भूमिराजय) वा भिलुकानि [श्लक्षणभूमिराजय] वा विज्जलानि वा म्हाणवो वा कडवानि वा प्रगर्ता वा दरयो वा प्रदुर्गाणि वा समानि वा विपमाणि वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थडिले वा नो उच्चारप्रश्रवण व्युत्सृजेत् ॥ स भि० स यत् पुन स्थ० जानीयात् मानुपरन्धनानि वा महिपररणानि वा वृषभक० अश्वक० कुक्कुटक० मकटक० ह्यक० लावक क० चटक्क० तित्तरिक० कपोतक० कर्पिजलक० अयतरस्मिन् वा तथा० स्थ० उ० प्रश्रवण नो व्यु० ॥ स भि० स यत् पुन जानीयात् वेदानवस्थानेषु वा गत्रपृष्ठस्थानेषु वा तरपत्तनस्थानेषु वा मेरुपत्तनस्थानेषु वा विषभक्षणस्थानेषु वा अग्निपत्तनस्थानेषु वा अयतरस्मिन् वा तथा० स्थ० नो उ० व्युत्सृजेत् । स भि० स यत् पुन एव जानीयात् आरामेषु वा उद्यानेषु वा वनेषु वा वनपडेपु वा देवकुलेषु वा समासु वा प्रपासु वा अयतरस्मिन् वा तथा० स्थ० नो उ० व्यु० ॥ स भि० स यत् पुन एव स्थ० जानीयात् अट्टालिकेषु वा चण्डिकेषु वा द्वारैषु वा गोपुरेषु वा अयतरस्मिन् वा तथा० स्थ० नो उ० व्यु० । स भि० स यत् पुन एव स्थ० जानीयात् त्रिकेषु वा चतुर्वेषु वा चत्तरेषु

चतुर्मुखेषु वा अन्यतरस्मिन् वा तथा० स्थं० नो उ० व्यु० ॥ स भि०
स यत् पुनः एवं स्थं० जानीयात् अंगारदाहेषु वा क्षारदाहेषु वा मृतक-
दाहेषु वा मृतकस्तूपिकासु वा मृतकचैत्येषु वा अन्यतरस्मिन् वा तथा०
स्थं० नो उ० व्यु० ॥ स भि० स यत् पुनः एवं स्थं० जानीयात्
नद्यायतनेषु वा पकायतनेषु वा ओषायतनेषु वा सेचनपथे वा अन्यतरस्मिन्
वा तथा० स्थ० नो उ० व्युत्सृजेत् । स भि० स यत् पुनः एव स्थ०
जानीयात् नवासु वा मृतखानिषु वा नवासु गोप्रहेल्यासु वा गवादनीषु वा
खनीषु वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थंडिले नो उच्चारप्रश्रवण व्यु०
स भि० स यत् पुनः एवं स्थं० जानीयात् डालवर्चसि वा शाकवर्चसि
वा मूलकवर्चसि वा हस्तकरवर्चसि वा अन्यतरस्मिन् वा तथाप्रकारे स्थं-
डिले नो उच्चारप्रश्रवणं व्युत्सृजेत् ॥ स भि० स यत् पुनः स्थं०
जानीयात् शशनवने वा शणवने वा धातकीवने वा केतकीवने वा आम्रवने
अशोकवने वा नागवने वा पुन्नागवने वा चुल्लगवने वा अन्यतरेषु वा
तथाप्रकारेषु स्थंडिलेषु वा पत्रोपेतेषु वा पुष्पोपेतेषु वा फलोपेतेषु वा बीजो-
पेतेषु वा हरितोपेतेषु वा नो उ० व्यु० ।

पदार्थ—से भि०—वह साधु या साध्वी । स जं—वह जो फिर । थंडिलं जाणे—
स्थंडिल के सम्बन्ध में जाने । खलु—निश्चय । इह—इस संसार में । गाहावई वा—गृहपति ।
गाहावई पुता वा—या गृहपति के पुत्र ने । कंदाणि वा—कन्द मूल आदि । जाव—यावत् ।
घोषाणि वा—बीज आदि । परिसाडिसु वा—भूतकाल में रखे थे । परिसाडिति—वर्तमान काल
में रखते हैं । परिसाडिस्तति वा—श्रीर आगामी काल में रखेंगे । अन्नयरसिवा—अथवा
अन्य कोई । तह०—तथाप्रकार के स्थंडिल में । नो उ०—उच्चार प्रश्रवण का परित्याग न
करे—परठे नहीं ।

से भि०—वह साधु या साध्वी । से जं पुण थं० जाणे—वह पुनः स्थंडिल के
सम्बन्ध में जाने । इहखलु—निश्चय ही इस संसार में । गाहावई वा—गृहपति या ।
पा० पुता वा—गृहपति के पुत्र ने । सालीणि—साली-धान्य । वा—अथवा । घोहीणि वा—
चौहि-धान्य विशेष । मृगाणि वा—मृग । सासाणि वा—उड़द । कुलत्याणि वा—कुल्य—

पत्रादी प्रदम में उत्पन्न होने वाला धान्य विणय तथा । जवाणि वा—दध घषवा ।
 जघनजवाणि वा—मोट यव या धार प्रादि को । पद्मरिषु वा—भूतकाल म वन किया है ।
 पद्मरिषि वा—घषवा वनमान काम में बो रहा है । पद्मरिस्तति वा—या भविष्यत् कान में
 वागगा । अन्नपरिसि—घषवा धान्य कोई एमी किया करता है । तह०—तथाप्रकार के । घडि०—
 स्यडिल में । नो उ०—उच्चार प्रथवण का व्युत्पन्न न करे । से त्रि०—वह साधु या साध्वी । से
 क०—वह पुन स्यडिल के सम्बध म जान कि । मामोषाणि वा—जहाँ पर कचरे का र मया
 हा । घासाणि वा—भूमि पर बडा बडी दरारें पडी हुई हो । निचुषाणि वा—भूमि पर
 गूम रेखायें पडी हुई हैं । विजलयाणि वा—या कीचड हो । पाणुषाणि वा—स्तम्भ घोर
 कीलकादि गाडे हुए हो या । कड्याणी वा—दु प्राणि के २८ पड हा । पगडाणि वा—
 बडे तय गहरे सडड हो । दरीणि वा—घषवा गुफाए हो । पडगाणि वा—किस की दीवार हो ।
 समाणि वा विषमाणि वा—पूर्ववत् स्थान सम हा घषवा विषम हा या । अन्नपरिसि—ऐसा ही
 धान्य कोई स्थान हो तो । तह०—तथाप्रकार के स्यडिल में । नो उ०—मन सूत्र प्राणि का
 त्याग न करे ।

से त्रि०—वह साधु या साध्वी । से ज पुन—वह पुन । र्घडिलजाणि—जा—स्थान
 के सम्बध में जाने कि । माणुसरथणाणि वा—जहाँ भाजन तयार करने के लिए बूटहा या
 भट्टी आदि हो या । महितकरणाणि वा—जहाँ पर भन का रखने एउ वाघने का स्थान हो
 सा प्रकार । घसह क०—वपभ प्रादि क लिए स्थान हो या । अस्त क०—घोड़ों का वा घने
 का स्थान हो या । कुक्कुडक०—मुर्गे कुक्कुड को रखने की जगह हा या । मक्कडक०—बन्दर
 को रखने का स्थान हो या । गय क०—हाथी को वाघने का स्थान हो या । सावय क०—सावय
 पक्षी को रखने का स्थान हो या । वट्टय क०—वटक-विडिया की रखने का स्थान हो या । तितरी
 क०—तितर को रखने का स्थान हो या । कबोय क०—कपोत—कबूतर को रखने का स्थान हो
 या । कविजल करणाणि वा—कविजल (जीव विणय) को रखने का स्थान । घषनि इन पूर्वोक्त
 जीवों के रखने के जो स्थान हो तथा इन जीवों का उद्देश्य रखकर जहाँ पर इनके लिए उक्त
 कियाए की जाती हा अथवा । अन्नपरिसि वा—घषय इमी प्रकार के स्थान हो तो उन स्थानों
 में । नो उ०—मन सूत्रादि का त्याग न करे ।

से त्रि०—वह साधु या साध्वी । से ज०जार्ण—वह पुन स्थान व सम्बध म
 जान कि । बेहाणसट्टाणेषु वा०—जहाँ पर मनुष्य फांसी लेते हो उन स्थानों में । तिड
 ६६ठा० वा—जहाँ पर मरने की इच्छा में गृध्राणि पक्षियों क स्थान पर शरीर को राधर से
 ममष्ट करके लेट जाते हो ऐसे स्थानों में । तम्पडनट्टाणसु वा०—जहाँ वध से गिर कर या ।
 मेकपडन ठा०—पवत से गिर कर मरने हो ऐस स्थानों में या । वितमवक्षणय ठा०—

जहा पर लोग विष भक्षण कर आत्म हत्या करते हो उन स्थानो मे या । अगणिपडुणट्टा०—
जहा पर लोग व्याग मे कूद कर मरते हो उन स्थानो मे या । अन्नयरंसि वा—ऐसा अन्य कोई
स्थान हो तो । तह०—तथाप्रकार के स्थानो मे । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं—वह पुनः स्थंडिल भूमि के सम्बन्ध मे
जाने कि । आरामाणि वा—आराम-वाग । उञ्जाणाणि वा—उद्यान । वणाणि वा—वन ।
वणसड्वाणि वा—वनपट बृहद् वन अथवा । देवकुलाणि चा—देवकुल—यक्ष आदि के मन्दिर ।
समाणि वा—या सभा का स्थान जहा पर लोग एकत्रित हो कर बैठने हो या । पवाणि वा—
पानी पीने का स्थान जहा पर जनता को पानी विलाया जाता है या । अन्नयरंसि वा—
अन्य । तह०—इसी प्रकार के स्थानो मे । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से निवसू०—वह नाधु अथवा साध्वी । से जं—वह । पुण—फिर । जा०—स्थंडिल
भूमि के सम्बन्ध मे जाने कि । श्रद्धालयाणि वा—प्राकार के ऊपर युद्ध करने का स्थान उसमें ।
वरियाणि वा—राजमार्ग मे । दाराणि वा—नगर के द्वार पर । गोपुराणि वा—नगर को चढ़े
डाग पर । अन्नयरंसि वा—ऐसा अन्य कोई स्थान हो तो । तह०—तथाप्रकार के स्थंडिल मे ।
नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं जाणे—वह पुन स्थंडिल भूमि के सम्बन्ध मे
जाने कि । तिगाणि वा—जहाँ नगर मे तीन मार्ग मिलते हो उम स्थान मे वा । चउत्तराणि
वा—चौराहे पर । (चौरास्ते में) तथा । च्चचराणि वा—जहा बहुत से मार्ग मिलते हो उम स्थान
में । चउम्मुहाणि वा—चार मुख वाले स्थान मे तथा । अन्नयरंसि वा—ऐसे ही अन्य किसी ।
तह०—तथाप्रकार के स्थान मे । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं जाणे—वह पुनः स्थंडिल भूमि के सम्बन्ध में
जाने कि । इगाल दाहेसु वा—जहा पर काष्ठ जला कर कोयले बनाए गए हो या । खार दाहेसु वा—
जहा पर सज्जी आदि क्षार पदार्थ बनाये जाते हो या । मडयदाहेसु वा—इमशान भूमि मे
जहा पर मृतक जलाये जाते हो । मडयथूभियासु वा—जहा मृतक — स्तूप हो या । मडयचेइयेसु
वा—जहा मृतक चैत्य हो । अन्नयरंसि वा—अन्य कोई । तह०—इसीप्रकार का स्थान हो तो
उसमे । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से जं पुण जाणे—वह फिर स्थंडिल भूमि के
सम्बन्ध में जाने कि । नइयादसणेसु वा—नदियो के स्थानो मे अर्थात् जहा पर लोग एकत्रित
होकर तट पर स्नानादि करते है और उन्हे तीर्थ भी कहते है उन स्थानो में तथा ।
पकाययणेसु वा—नदी के पास कीचड का स्थान हो, जिसमे लोग तीर्थ का कीचड जानकर
लौटते है और उस कीचड को शरीर पर लगते है अथवा । प्रोपाययणेसु वा—पानी के प्रवाह

के स्थानों में तथा नालाब में जल प्रवाह करने वाले भाग में । सधनवृत्ति वा—पानी के जाने पर जिससे खेता की पानी दिया जाता हो या । अन्नपरति वा—अन्न कोई । तह०—इसी प्रकार का । य०—स्थान हो तो उसमें । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—पुण० जाणे०—वह जो फिर स्थण्डिल भूमि को जाने । नविमान् वा—प्रथवा नहीं । मटिटयशनिघ्नात्—प्रतिष्ठा की शान्ति म । नविघ्नात् वा०—नूतन । गोप्यहेतियात् वा—गोपनीय करने के स्थानों में । गवाभोसु वा—सामान्य गोप्रा के करने के स्थानों में । खानोत् वा—खानों के स्थानों में तथा । अन्नपरति वा—अन्न किसी । तह०—ऐसे ही । य०—स्थण्डिल में । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—वह जो । पुण—फिर । जाणे—जाने । दागवृत्ति वा—जिस सज्जी के पीने में अलियें अधिक हों या । सागवृत्ति वा—जिस में पत्ते अधिक हों ऐसे स्थान पर या । मूलगवृत्ति वा—मूली आदि के खेतों में । हृत्पकर वृत्ति वा—कपित्थ—वनस्पति विनोद के स्थानों में (कपित्थ—वनस्पति विनोद) तथा । अन्नपरति वा—अन्न । तह०—तथाप्रकार के स्थान हो तो उ० में । नो उ०—मल मूत्रादि का त्याग न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । से ज०—पुण० जाणे—वह फिर स्थण्डिल भूमि के सम्बन्ध में जाने । अन्नवृत्ति वा—वीथक नामक वनस्पति के वनों में । सण व—सण (Jute) के वन में । धाम्प व०—धातकी वृक्ष के वनों में । केयडवृत्ति—कतकी वृक्ष के वनों में । अन्न व०—अन्नवृक्ष के वनों में । अन्नोक्त व०—अन्नोक्त वृक्ष के वनों में । नाग व०—नाग वृक्ष के वनों में । पुन्नाग व०—पुन्नाग वृक्ष के वनों में । धुल्लग व०—धुल्लग वृक्ष के वनों में । अन्नपरिसु—तथा अन्न कोई । तह०—इसी प्रकार का स्थान उसमें अर्थात् स्थण्डिल न जो । पतोवेणु वा—पत्तों से युक्त हो । पुत्कोवेणु वा—पुत्तों से युक्त हो । कसोवेणु वा—फलों से युक्त । बीजोवेणु वा—बीजों से युक्त और । हरिषोवेणु वा—हरि वनस्पति से युक्त एव स्थानों में । नो ० वा०—मल मूत्रादि का परित्याग नहीं करे ।

मूलार्थ—अयमशील साधु या साध्वी स्थण्डिल के सम्बन्ध में यह जाने कि जिस स्थान पर गृहस्थ और गृहस्थ के पुत्रों ने कन्दमूल यावत् बीज आदि रखे हुए हैं, या रख रहे हैं या रखेंगे । तो साधु इस प्रकार के स्थानों में मल मूत्रादि का त्याग न करे । इसीप्रकार गृहस्थ लोगो ने जिस स्थान पर चाली, ब्रीही, मूग, उडद, कुलत्थ, यव और ज्वार आदि बीज हुए हैं बीज रहे हैं और बीजगे, ऐसे स्थानों पर भी साधु मल-मूत्रादि

का त्याग न करे ।

जिन स्थानों पर भी कचरे के ढेर हों, भूमि फटी हुई हो, भूमि पर रेखाएं पडी हुई हों, कीचड़ हो, इक्षु के दण्ड हों, खड्डे हों, गुफायें हों, कोट की भित्ति आदि हो, सम-विपम स्थान हो तो ऐसे स्थानों पर भी साधु मलमूत्र का त्याग न करे ।

इसो प्रकार जहां पर चूल्हे हों तथा भैंस, बैल, घोड़ा, कुक्कुड़, बन्दर, हाथी, लावक (पक्षी), चटक, तितर, कपोत और कर्पिजल (पक्षी विशेष) आदि के रहने के स्थान हों या इनके लिए जहां पर कोई क्रियाएँ या कुछ कार्य किए जाते हो ऐसे स्थानों पर भी मल-मूत्र का त्याग न करे । फासी देने के स्थान, गीध पक्षी के सामने पड़कर मरने के स्थान, वृक्ष पर से गिर कर मरने के स्थान, पर्वत पर चढ़ कर वहां से गिर कर मरने के स्थान, विष भक्षण करने के स्थान, अग्नि में जल कर मरने के स्थान, इस प्रकार के स्थानों पर भी मल-मूत्र का त्याग न करे । और जहां पर वाग-उद्यान, वन, वनखंड, देवकुल, सभा और प्रपा-पानी पिलाने के स्थान आदि हों तो ऐसे स्थानों पर भी मल-मूत्रादि न परठे ।

कोट की अटारी, राजमार्ग, द्वार, नगर का बड़ा द्वार इन स्थानों पर मल-मूत्रादि का विसर्जन न करे । नगर में जहां पर तीन मार्ग मिलते हों और बहुत से मार्ग मिलते हों, और जो स्थान चतुर्मुख हों ऐसे स्थानों पर भी मल-मूत्र का त्याग न करे ।

इसो प्रकार जहां काष्ठ जलाकर कोयले बनाए जाते हों, क्षार बनाई जाती हो, मृतक जलाए जाते हों, एव मृतक स्तूप और मृतक चैत्य-मृतक मन्दिर हों, ऐसे स्थानों पर भी मल मूत्र को न परठे । नदी के तीर्थ स्थानों [तट] पर, नदी के तीर्थ रूप कर्दम स्थानों पर और जल के प्रवाह रूप पूज्य स्थानों में तथा खेत और उद्यान को जल देने वाली नालियों में मल मूत्र का परित्याग न करे ।

मिट्टी की नई खानो मे, नई गोचर भूमि मे, सामान्य गीसो के चरने के स्थानो और खानो मे, मल मूत्रादि का परित्याग न कर । डाल प्रधान शाक के खेतो मे, पत्र प्रधान शाक के खेतो मे, और मूलो गाजर आदि के खेतो मे तथा हस्तकर नामक वनस्पति के क्षेत्र मे, इस प्रकार के स्थानो मे भी मल मूत्र को न त्यागे । वीरक के वन मे, शणी के वन मे, धातकी (वृक्ष विशेष) के वन मे, केतको के वन मे, आम्र वृक्ष के वन मे, अशोक वृक्ष के वन मे, नाग और पुन्नाग वृक्ष के वन मे, चूलक वृक्ष के वन मे और इसी प्रकार के अन्य पत्र, पुष्प, फलो, पत्त तथा बीज और हरो वनस्पति से युक्त वन मे मल मूत्र को न त्यागे ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में सार्वजनिक उपयोगी एवं धर्म स्थानों पर मल मूत्र के त्याग करने का निषेध किया गया है । साधु को शाली (चावल), गेहूँ आदि के खेत में, पशुशाला में, भोजनालय में आम्र आदि के बगीचों में, प्याऊ में देव स्थाना पर, नदी पर, कुएँ आदि स्थानों पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए । व्यवहारिक दृष्टि से भी यह कार्य अच्छा नहीं लगता है और उनके रक्त के मन में क्रोध आजाने के कारण अनिष्ट होने की ही संभावना रहती है । देवालय, नदी सरोवर आदि स्थानों को कुछ लोग पूज्य मानते हैं, केवल नदी के पानी को ही नहीं कुछ लोग तो उससे कीचड़ को भी पवित्र मानते हैं । इसलिए ऐसे स्थानों पर साधु को मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए ।

बूड़े-ककट के ढेर, रक्खे एन फटी हुई जमीन पर भी न परठे । क्योंकि, वहाँ परठने से अनेक जीवों की हिंसा होने की संभावना है । हमारे अतिरिक्त साधु को ऐसे स्थानों पर भी मल-मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, जहाँ लोगों को फासी दी जाती हो या अन्य तरह से वध किया जाता हो । क्योंकि, उनके मन में घणा पैदा होने से सघर्ष हो सकता है ।

इम सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि साधु सभ्यता एवं स्वच्छता का पूरा ख्याल रखने थे । गात्र एन शरीर की स्वच्छता नष्ट न हो तथा उनके प्रति किसी के मनमंथना की भावना पैदा न हो इसका भी परठते समय ध्यान रखा जाता था । इससे यह

सिद्ध होता है कि साधु अपनी साधना के लिए किसी भी प्राणी का अहित नहीं करता । वह प्रत्येक प्राणी की रक्षा करने का प्रयत्न करता है ।

मल-मूत्र के त्याग के सम्बन्ध में कुछ और आवश्यक बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूत्रम्—से भि० सयपाययं वा परपाययं वा गहाय से
तमायाए एगंतमवक्कमे अणावायंसि असंलोयंसि अप्पाणांसि
जाव भक्कडासंताणयंसि, अहारामंसि वा उवस्सयंसि तत्रो
संजयामेव उच्चारपासवणं वोसिरिज्जा, से तमायाए एगंतमवक्कमे
अणावाहंसि जाव संताणयंसि अहारामंसि वा भामथंडिल्लं-
सि वा अन्नयरंसि वा तह० थंडिल्लंसि अचित्तंसि तत्रो संजयामेव
उच्चारपासवणं वोसिरिज्जा, एयं खलु तस्स० सया जइज्जासि,
त्तिवेमि ॥१६७॥

छाया—स भि० स्वकीय पात्रकं वा पर पात्रकं वा गृहीत्वा स तमादाय
एकान्तमपक्रामेत् अनापाते असंलोके अल्पप्राणे यावत् मर्कटासन्ताने यथारामे
च उपाश्रये ततः सयतमेव उच्चारप्रश्रवणं व्युत्सृजेत्, स तमादाय एकान्तमप-
क्रामेत् अननवाधे यावत् सन्तानके यथारामे वा दग्धस्थडिल्ले वा अल्पतरस्मिन्
च तथाप्रकारे स्थडिल्ले अचित्ते ततः संयतमेव उच्चारप्रश्रवणं व्युत्सृजेत्,
एवत् खलु तस्यभिद्धोः २ खामग्र्य यत् सर्वार्थैः समितः सहितः सदा यत्नेत इति
अत्रोमि ।

पदार्थ—ते भि०—वह साधु या साध्वी । सयपाययं—स्वकीय पात्र ग्रहण वा । पर-
पायय वा—परकीय पात्र को । गहाय—ग्रहण करके । से—वह भिक्षु । तमायाए—उस पात्र
को लेकर । एगंतमवक्कमे—एकात स्थान में जावे और वहा जाकर । अणावायंसि—जहा पर

कोई आता जाता न हो तथा । अस्तौयति—जहा पर कोई देखना न हो उम स्थान पर ।
 अस्पृशति—जहां पर द्वीन्द्रियादि जीवो का प्रभाव हो । जाव—यावत् । मरुत्तसताणयति—
 मकड़ी आदि के जाने न हो उम स्थान पर प्रथवा । अहारामसिवा—आहारम बगीचे आदि
 की निचली भूमि में तथा । उच्यते—उच्यते म । तत्रो—तत् पश्चात् साधु । सज्जामेव—
 यतना पूर्वक । उच्चार पातवण—मल मूत्र का । शोषिरिञ्जा—व्युत्सग-स्थान करे फिर । से—
 वह भिक्षु । तमापाए—उस पात्र को लेकर । एतमववकमे—एकत स्थान में चला जावे और वहाँ
 जाकर । अनावाहति—जहाँ किसी भी जीव की हिंसा न हो उस स्थान पर । जाव—यावत् ।
 सताणयति—मकड़ी आदि का आना न हो उस स्थान पर । अहारामसि वा—उद्यान की अचित्त
 भूमि पर या । अन्वयति—दग्ध भूमि पर या । अन्वयति वा—अन्य कोई । तह—
 इसी प्रकार का । अन्वयति—स्थण्डिल हो ता । अचित्तति—जा कि अचित्त है तो उसमें ।
 तयो—तत् पश्चात् । सज्जामेव—साधु यतना पूर्वक । उच्चार पातवण—उच्चार प्रश्रवण मल
 मूत्रादि की । शोषिरिञ्जा—त्यागे । सत्तु—निश्चयार्थक है । एव—इस प्रकार । तस—उम
 साधु अथवा साध्वी का समग्र आचार है । ज—जो । सवट्ठेहि—ज्ञानदशन और चारित्र रूप
 अर्थों से तथा । समिर्ह—समितियों से । सहिए—सहित होकर इसकी । सपा—सत् ।
 अङ्गजाति—पालन करने में यत्नशील हो । सिवेमि—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—सयमशील साधु या साध्वी स्वपात्र अथवा परपात्र
 को लेकर बगीचे या उपाश्रय के एवान्त स्थान में जाए और जहाँ पर
 न कोई देखता हो और न कोई आना जाता हो तथा जहाँ पर द्वीन्द्रियादि
 जीव जंतु एव मकड़ी आदि के जाने भी न हो, ऐसी अचित्त भूमि पर
 बैठकर साधु उच्चार प्रश्रवण का परिष्ठापन करे, उसके पश्चात् वह उस
 पात्र को लेकर एकत स्थान में जाए जहा पर न कोई आता जाता
 हा और न कोई देखता हो, जहा पर किसी जीव की हिंसा न होती हो
 यावत् जल आदि न हो, उद्यान बाग की अचित्त भूमि में अथवा अग्नि
 से दग्ध हुए स्थण्डिल में, इसी प्रकार के अन्य अचित्त स्थण्डिल में—जहाँ
 पर किसी भी जीव की विराधना न होती हो, साधु मल मूत्र का परि-
 त्याग करे । इस प्रकार साधु और साध्वी का समग्र आचार वर्णित हुआ
 है जो कि ज्ञान, दशन और चारित्र रूप अर्थों में और पात्रो समितियों से

युक्त है और साधु इन के पालन में सदैव प्रयत्नशील रहता है। इसप्रकार में कहता हूँ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि साधु को एकान्त एवं निर्दोष और निर्व्यग्र भूमि पर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए। जिस स्थान पर कोई व्यक्ति आता-जाता हो या देखता हो तो उसे स्थान पर मल-मूत्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि, इससे साधु निस्संकोच भाव से मल-मूत्र का त्याग नहीं कर सकेगा, उसकी इस क्रिया में कुछ रुकावट पड़ेगी, जिससे कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और देखने वाले व्यक्ति के मन में भी यह भाव उत्पन्न हो सकता है कि वह साधु कितना अमभय है कि लोगों के आवागमन के मार्ग में ही मल-मूत्र का त्याग करने बैठ गया है। अतः साधु को मय तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एकान्त स्थान में ही मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए।

प्रस्तुत अध्यायन में मल-मूत्र का त्याग करने के बाद उम स्थान को सफाई का उल्लेख नहीं किया गया। इससे कुछ व्यक्ति यह शका कर सकते हैं कि जैनधर्म में सफाई को स्थान नहीं दिया गया। परन्तु, चरतुत, ऐसी बात नहीं है। वहाँ सफाई का उल्लेख नहीं करने का कारण यह है कि प्रस्तुत प्रसंग मल-मूत्र का त्याग करने से संबंध होने से इसमें सफाई का उल्लेख नहीं आया। परन्तु इसका यह अर्थ लगाना गलत होगा कि जैन साधु मल-मूत्र का त्याग करने के बाद सफाई नहीं करते। निशीथ सूत्र में बताया गया है कि जो साधु या साध्वी शौच जाने के बाद उम स्थान (गुहा) क बस्त्र से साफ करके पानी से साफ नहीं करते या काष्ठ आदि से साफ करते हैं या बहुत दूर जाकर साफ करते हैं उन्हें लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ध्याता है^१। इससे स्पष्ट है कि साधु जिस स्थान पर शौच गया हो उसे उसी स्थान पर जल आदि से साफ कर लेना चाहिए। वह उस स्थान को साफ किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।

‘चित्तेभि’ की व्याख्या पूर्ववत् समर्थे।

दशम अध्यायन समाप्त

^१ जे भिक्खू उच्चार पासवणं परिठवेत्ताण पृच्छइ, ण पृच्छंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू उच्चार पासवणं परिठवेत्ता कट्ठेण वा कविलेण वा अगुलियाए वा सिलागए वा पृच्छइ-पृच्छंतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू उच्चार पासवण परिठवित्ता णायमइ णायमतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू उच्चार पासवणं परिठवेत्ता तत्थेव आयमति आयमतं वा साइज्जइ । जे भिक्खू उच्चार पासवणं परिठवेत्ता अइदूरे आयमइ, अइदूरे आयमतं वा साइज्जइ ।—निशीथ सूत्र, ४, १६१-१६५ ।

एकादश त्रययन

प्रस्तुत अध्ययन में यह अभिव्यक्त किया गया है कि निर्दाप स्वाध्याय मूर्ध्नि म स्वाध्याय करते हुए या निर्दाप स्थान पर मल मूत्र का त्याग करत समय कोई साधु मधुर या मनोक्ष शक्तों की सुनने का प्रयत्न न करे । यह सदा समभाव पूर्वक अपनी माधना में सलग्न रहे, इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० मुडगसद्दाणि वा नदीस० मल्लरीस०
 यन्नयराणि वा तह० विरूवरूपाडं सद्दाड वितताड कन्न-
 मोयणापडियाए नो अभिसंधारिजा गमणाए ॥ से भि०
 अहावेगइपाइ मद्दाडं सुण्ड, त०—वीणासद्दाणि वा पिपची
 स० पिप्पी (वद्वी) सगस० तूणयसद्दा० पणयस० तुववीणीय
 सद्दाणि वा ढकुणमद्दाइ यन्नयराइ तह० विरूवरूवाड० सद्दाइ०
 वितताइ कणमोयणापडियाए नो अभिसंधारिजा गमणाए ॥ से
 भि० अहावेगइथाइ मद्दाइ सुण्ड, त०—तालमद्दाणि वा कसता-
 लसद्दाणि वा लत्तियसद्दा० गोधियस० किरिकिरियाम० यन्न-
 यरा० तह विरूव० सद्दाणि कण० गमणाए ॥ से भि० अहावे-
 ग० त०—मसमद्दाणि वा वेणु० वसस० सरमुहिस० परिपिरिया
 स यन्नय० तह० विरूव० सद्दाड भुसिगइ कन्न० ॥१६८॥

छाया—स मि० मृदंगशब्दान् वा नन्दीश० भल्लरीश० वा अन्यतरान्
 वा तथा० विरूपरूपान् शब्दान् विततान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया न अभिसन्धारयेद्
 गमनाय ॥ से मि० यथा वा एककान् शब्दान् शृणोति तद्यथा वीणाशब्दान् वा
 विपचीश० वा विप्पीमकश० वा (नद्धीमक शब्दान् वा) तूणकश० वा
 पणकश० वा तुम्बवीणाश० वा ढंकुणश० वा अन्यतरान् वा तथा०
 विरूपरूपान् शब्दान् विततान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ॥
 स मि० यथा वैककान् श० शृणोति तद्यथा-तालश० वा कंसतालश० वा
 लसिका (कंसिका) श० वा गोहिकश० वा किरिक्रियाश० अन्यतरान् वा
 तथा० विरूपरूपान् विततान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ।
 स मि० यथा वैककान् शब्दान् शृणोति तद्यथा—शंखश० वेणुश० वा वशश०
 वा खरमुखी ज० वा पिरिपिरिया श० वा अन्यतरान् वा तथा० विरूपरूपान्
 श० शुपिरान् कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नाभिसन्धारयेद् गमनाय ।

पदार्थे—से मि०—वह साधु या साध्वी । मुङ्गसद्दाणि वा—मृदंग के शब्द ।
 नन्दीसद्दाणि वा—नन्दी नाम के वाद्यन्तर के शब्द । भल्लरीसद्दाणि वा—भल्लरी या छेणे के
 शब्द तथा । अन्नयराणि वा—अन्य किसी वाद्ययन्त्र के । तहूपगाराणि—तथाप्रकार के शब्द ।
 विरुवरूपाङ्—नानाप्रकार के । वितताङ्—शब्दों को । कणसोयणपडियाए—सुनने के लिए ।
 गमणाए—जाने का । नो अभिसंधारिज्जा—मन में संकल्प न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावेगइयाइ—जैसे कई एक । सद्दाइ—शब्दों
 को । सुणेइ—सुनता है । तंजहा—जैसे कि । वीणासद्दाणि वा—वीणा के शब्द । विपचीसद्दाणि
 वा—विपची-वीणा विशेष के शब्द । विप्पीमकसद्दाणि वा—वद्धीमक नाम वाले वाद्य के शब्द ।
 तूणयमद्दाणि वा—तूण नाम के वाद्यविशेष के शब्द । पणयसद्दाणि वा—पणक-ढोलक के शब्द ।
 तुम्बवीणयमद्दाणि वा—तुम्ब वीणा के शब्द । ढंकुणसद्दाणि वा—ढेंकुण नाम के वाद्य के शब्द
 तथा । अन्नयराइ—अन्य कोई । तह०—तथाप्रकार के वाद्ययंत्र के । विरुवरूपाइ—नानाविध ।
 सद्दाइ—शब्दों को । वितताइ—जोकि वितत है । कणसोयणपडियाए—सुनने की प्रतिज्ञा से ।
 गमणाए—जाने का । नो अभिसंधारिज्जा—मन में संकल्प न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावेगइयाइ—कई एक । सद्दाइ—शब्दों को ।
 सुणेइ—सुनता है । तंजहा—जैसे कि । तालसद्दाणि वा—ताल के शब्द । कसतालसद्दाणि—
 कंस ताल—वाद्य विशेष के शब्द । लसिसद्दाणि वा—कशिका नाम के वाद्य विशेष के शब्द ।

शब्दों को सुनने के लिए मन में संकल्प भी नहीं करना चाहिए । क्योंकि ये शब्द मोह एवं विकार भाव को जागृत करने वाले हैं । अतः साधु को इन से सदा बचकर रहना चाहिए ।

शब्द के विषय में कुछ और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भि० अहावेग० तं० वप्पाणि वा फलिहाणि
 वा जाव सराणि वा सागराणि वा सरसरपंतियाणि वा अन्न०
 तह० विरूव० सहाइं करण० ॥ से भि० अहावे० तं० कच्छाणि
 वा गूमाणि वा गहणाणि वा वणाणि वा वणदुग्गाणि वा पव्व-
 याणि वा पव्वयदुग्गाणि वा अन्न० ॥ अहा० तं० गामाणि
 वा नगराणि वा निगमाणि वा रायहाणाणि वा आसमपट्टण-
 संनिवेसाणि वा अन्न० तह० नो अभि० ॥ से भि० अहावे०
 आरामाणि वा उज्जाणाणि वा वणाणि वा वणसंडाणि वा
 देवकुलाणि वा सभाणि वा पवाणि वा अन्नय० तहा० सहाइं
 नो अभि० ॥ से भि० अहावे० अट्टाणि वा अट्टालयाणि वा
 चरियाणि वा दाराणि वा गोपुराणि वा अन्न० तह० सहाइं
 नो अभि० ॥ से भि० अहावे० तंजहा-तियाणि वा चउक्काणि
 वा चच्चराणि वा चउम्मुहाणि वा अन्न० तह० सहाइं नो
 अभि० ॥ से भि० अहावे० तंजहा—महिसकरणट्टाणाणि वा
 चसभक० अस्सक० हत्थिक० जाव कविंजलकरणट्टा० अन्न०

तह० नो अभि० ॥ से भि० ग्रहावे० तज० महिसजुद्धाणि वा
जाप कविजलजु० अन्न० तह० नो अभि० ॥ से भि० ग्रहावे० त०
जूहियठाणाणि वा ह्यजू० गयजू० अन्न० तह० नो अभि० ॥१६६॥

छाया—स भि० यथावैकक तद्यथा वप्रान् वा परिखा वा यावत्
सरासि सागरान् वा सर सर पत्तो वा अय० तथा० विष्ट० श० कर्ण० ॥
स भि० यथा वैकक त० षच्छानि वा नूमानि वा गहनानि वा वनानि वा
वनदुगाणि वा पवतान् वा पवनदुर्गाणि वा अय० ॥ यथा वा एकक त०
ग्रामान् वा नगराणि वा निगमान् वा राजधानी वा आश्रमपट्टनसनि
वेशान् वा अन्यतरान् वा अन्य० तथा० शब्दान् कण० अभि० ॥ स भि०
यथा वैकक आरामान् वा उद्यानानि वा वनानि वा वनपडानि वा देव-
कुलानि वा सभा वा प्रपा वा अन्य० तथा० शब्दान् नाभि० ॥ स भि०
यथा वैकक त० अट्टानि वा अट्टालकानि वा चरिक्वानि वा द्वाराणि वा
गोपुराणि वा अय० तथा० शब्दान् नाभि० ॥ स भि० यथा वा एकक
त० त्रिकानि वा चतुष्कानि वा चर्चराणि वा चतुर्मुखानि वा अय० तथा०
शब्दान् नाभि० ॥ स भि० यथा वैकक त० महिपकरणस्थानानि वा वपभ
क० अश्व क० हस्ति क० यावत् कर्पिजलकरणस्थानानि वा अय० तथा०
शब्दान् कर्ण० नाभि० गमनाय ॥ स भि० यथा वैकक त० महिपयुद्धानि वा
यावत् कर्पिजलयुद्धानि वा अय० तथा० नाभि० । स भि० यथा वैकक
तद्यथा यूथ स्थानानि वा ह्ययू० गज यू० अन्य० तथा० नाभि० ।

पदाय—से भि०—वह साधु या साध्वी । अहायेण०—यथा कई एक । सवदाण-
नानो को । सुर्णइ—सुनता है । तजहा—जसे कि । वष्पाणि वा—खेत क न्यारो के विषय में
कई गाता हो अथवा वहा कोई वाद्य बजाता हो । कलिहाणि वा—साइ में होत वाग गन् ।
जाव—यावत् । सराणि वा—सरोवर के गल् । सागराणि वा—समुद्र के गल् । सरसरपति-
याणि वा—सरोवर की पत्तियो क गल् । अन्न०—अन्न कोई । तह०—उसी प्रकार के ।
विरुध०—नानाविध । सदाइ—गन्तो को । कण्ण०—ध्वज करने क लिए । नो अभिस-

धारिज्ज गमणाए — जाने का मनमे सकल्प न करे ।

से भि० — यह साधु या साध्वी । अहावे० — कई तरह के । सद्दाण — शब्दो को । सुणेइ — सुनता है । तं० — जैसे कि । कच्छाणि वा — नदी के पानी से आवृत वन के । णूमाणि वा — वृक्षो के या । गहणाणि वा — वनस्पति के समूह । वणाणि वा — वन के या । वणदुग्गाणि वा — विषम वन के शब्दो को । पठवयाणि वा — या पर्वत एवं । पव्वयदुग्गाणि वा — विषम पर्वत पर होने वाले शब्दो या । अन्न० — अन्य । तह० — इसी तरह के । विरूव० — नाना प्रकार के । सद्दाइ — शब्दो को । कण्ण० — कान से सुनने की प्रतिज्ञा से । नो अभिसंधारिज्ज-गमणाए — उस ओर जाने का मन मे विचार न करे ।

से भि० — वह साधु या साध्वी । अहावे० — कभी कई प्रकार के । सद्दाण — शब्दो को सुणेइ — सुनता है । तं० — जैसे कि । गामाणि वा — ग्राम के शब्द अथवा । नगराणि वा — नगर के शब्द । निग्गाणि वा — निगम (जहा पर बहुत वणिक निवास करते हो) के शब्द । रायहाणाणि वा — राजधानी के शब्द । आसमपट्टणसंनिवेशाणि वा — आश्रम — तापस आदि के स्थान के शब्द, पत्तन के शब्द, सन्निवेश — सराय आदि के शब्द अर्थात् इन स्थानो मे कोई गीत गाता हो या कोई वाजतर वखता हो या । अन्न — अन्य कोई । तह० — इसी प्रकार के । विरूव० — नाना विध । सद्दाइ — शब्दो को । कण्ण० — सुनने के लिए । नो अभिसंधारिज्ज गमणाए — जाने का मनमे विचार न करे ।

से भि० — वह साधु या साध्वी । अहावे० — कभी कई तरह के शब्दो को सुनता है, जैसे कि । आरामाणि वा — आराम मे होने वाले शब्द तथा । उज्जाणाणि वा — उद्यान में होने वाले शब्द और । वणाणि वा — वन मे होने वाले शब्द । वणषडाणि वा — वनपड मे होने वाले शब्द । देवकुलाणि वा — देव कुल मे होने वाले शब्द । सभाणि वा — सभा मे होने वाले शब्द । पवाणि वा — प्रपा-जलदान के स्थान मे होने वाले शब्द । अन्नय० तह० — अन्य इसी तरह के । विरूव० — नाना प्रकार के शब्दो को सुनने के लिए । नो अभिसंधा० — जाने का विचार न करे ।

से भि० — वह साधु या साध्वी । अहावे० — कभी कई । सद्दाण — शब्दो को । मुणेइ — सुनता है । तंजहा — जैसे कि । अट्टाणि वा — अटारी पर होने वाले शब्द । अट्टालयाणि वा — अटारी की फिरनी मे होने वाले शब्द । चरियाणि वा — प्राकार और नगर के मध्य में होने वाले आठ हाथ प्रमाण राजमार्ग के शब्द । दाराणि वा — द्वार मे होने वाले शब्द । गोपुराणि वा — नगर के बडे द्वार पर होने वाले शब्द अथवा । अन्न० — अन्य । तह० — इसी प्रकार के । सद्दाइ — शब्दो को कान से सुनने की प्रतिज्ञा से । नो अभि० — जाने का मन मे संकल्प न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कभी कई । सहाण—गंगा की ।
 मुण्ड—सुनता है । न०—जसकि । तियाणि वा—जहा पर नगर में तीन माग मिनने हा । यहाँ
 पर होने वाले गन् । अउवकाणि वा—चौराह पर होने वाले गन् । अउवराणि वा—जहा पर
 बहुत स मार्ग समिलित हाते हा । वहा पर होने वाले गन् तथा । अउमुहाणि वा—चतुमुस माग
 में होने वाले गन् । अन्०—तथा अय । तह०—इसा प्रकार क । सहाइ—गंगा की कान
 से मनने के लिए । नो अमि०—जाने का मन में विचार न कर ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कभी कई तरह के । सहाण—गंगा की ।
 मुण्ड—सुनता है । तजहा—जस कि । महिसकरणठठाणाणि वा—भस साता
 में होने वाले गन् । असमकरणठठाणाणि वा—अपम गावा में होने वाले गन् । अरसक०—
 घुडगावा में होने वाले गन् । हृदिक०—हृत्नीगावा म होने वाले गन् । जाव—यावत ।
 अविनसकरणठठा०—जहाँ पर अविजल पशिया क ठहरन का स्थान है वहा पर होने वाले
 गन् तथा । अन्—अय । तह०—तथाप्रकार के । सहाइ—गंगा का कान से मुनने की
 प्रतिगा से । नो०अमि०—जाने का मन में विचार न कर ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कई तरह के । सहाण—गंगा की ।
 मुण्ड—सुनता है । तजहा०—जमेकि । महिसत्रुद्धाणि वा—भसो के मुद्ध क्षेत्र म होगे
 वाले गन् । जाव—यावत । अविजल नु०—अविजल पशिया क मुद्ध क्षेत्र में होगे वाले गन् ।
 अन्—तथा अय । तह०—तथाप्रकार के । सहाइ—गंगा की मुनो की प्रतिगा से । नो
 अमि०—सम्मुख होकर जागे क लिए मन में विचार न करे ।

से मि०—वह साधु या साध्वी । अहावे०—कई तरह के । सहाण—गंगा की ।
 मुण्ड—सुनता है । त०—जस कि । अहियठठाणाणि वा—अर अयु क मितन स्थल पर होने
 वाले गन् अर्थात् विवा कनी क समय पर होने वाले गन् । हय जू०—घोडो के यूप जहाँ पर
 रहते हा उन स्थानो म होने वाले गन् । गयत्रु०—हाथो क यूप के स्थान में होने वाले
 गन् तथा । अन्०—अय । तह०—इसी प्रकार के । सहाइ—गंगा की मुनने की प्रतिगा
 से ; नो अमि०—जाने का मन में विचार न करे ।

मूलार्थ—अपमानीन साधु या साध्वी कभी कई तरह के सदा की
 मुक्त हैं । परन्तु उहे मेत के अपारो में एक राई यावत सरोवर, मधु-
 ओर सरोवर का पतियों द्रव्यादि स्थाना में होने वाले सरो को मुनो
 के लिए जान का मन म नकल्प नहीं करना चाहित । घोर साधु जल
 बहुत प्रदत्त, वास्यति मधुह, वृक्षा के मधु प्रदत्त, मन, पयत घोर विषम

वर्षत इत्यादि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए जाने का भी सकल्प न करे ।

इसी भाति ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, आश्रम, पत्तन और सन्निवेश आदि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए जाने का भी मन मे सकल्प न करे । तथा आराम, उद्यान, वन, वन-खण्ड, देवकुल, सभा और प्रगा (जल पिलाने का स्थान) आदि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने की प्रतिज्ञा से वहा जाने के लिए मनमे विचार न करे । एव अट्टारी, प्राकार, प्राकार के ऊपर की फिरनी और नगर के मध्य का आठ हाथ प्रमाण राजमार्ग, द्वार तथा नगर मे प्रवेश करने का बड़ा द्वार इत्यादि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए भी जाने का मन मे भाव न लाए ।

इसी तरह नगर के त्रिपथ, चतुष्पथ, बहुपथ और चतुर्मुख मार्ग, इत्यादि स्थानो मे होने वाले शब्दो को सुनने के लिए जाने का भी मन मे विचार न करे । इसी भाति भैसशाला, वृषभशाला, घुड़शाला, हस्तीशाला और कपिजल पक्षी के ठहरने के स्थान आदि पर होने वाले शब्दो को सुनने के लिए भी जाने का विचार न करे । तथा वर-वधू के मिलने का स्थान (विवाह-वेदिका) घोडो के यूथ का स्थान, हाथी-यूथ का स्थान यावत् कपिजल पक्षी का स्थान इत्यादि स्थानों के शब्दो को सुनने के लिए भी जाने का विचार न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि साधु कों खेतों में, जंगल में, घरों में या विवाह आदि उत्सव के समय होने वाले गीतों को या पशुशालाओं एवं अन्य प्रसंगों पर होने वाले मधुर एवं मनोज्ञ गीतों को सुनने के लिए उन स्थानों पर जाने का संकल्प नहीं करना चाहिए । ये सब तरह के सांसारिक गीत मोह पैदा करने वाले हैं, इनके सुनने से मन में विकार भाव जागृत हो सकता है । अतः समयमनिष्ठ साधु-साध्वी को इनका श्रवण करने के लिए किसी भी स्थान पर जाने का सकल्प नहीं करना चाहिए ।

म सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में विवाहोत्सव मनाने की परम्परा थी और वर-वधु के मिलन के समय राग रग को बढ़ाने वाले गीत भी गाए जाते थे।

प्रस्तुत सूत्र से उस युग की मन्थता का स्पष्ट परिज्ञान होता है और विभिन्न ऋतुओं पर उन पर गीत आदि गाने की परम्परा का भी परिचय मिलता है। उस युग में भी जनता अपने मनोविनोद के लिए विशेष अवसर पर गीत आदि गाकर अपना मनोविनोद करती थी। अतः माधु को इन गीतों को सुनने के लिए जाना तो दूर रहा, परन्तु उनके मनने की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए।

इस मन्थ में कुछ और बात बताते हुए सूत्रकार कहते हैं

मूलम्—से भि० जात्र सुगोड, तजहा यक्खाइयठाणाणि

वा मागुम्माणियट्ठाणाणि वा महताऽऽहयनट्टुगीयवाडयतर्ता-

तलतालतुडियपडुप्पवाडयट्ठाणाणि वा अन्न० तह० महाड

नो अभिम० ॥ से भि० जात्र सुगोड, त० कलहाणि वा डिंवाणि

वा डमराणि वा दोरजाणि वा वेर० विरुद्धर० अन्न० तह

महाड ना० ॥ स भि० जात्र सुगोड, गुडिडय दारिय परिभुत्तम

डिय अलक्रिय निवुज्झमार्णि पेहाए एग वा पुरिम वहाए नी

णिज्जमाण पेहाए अन्नयराणि वा तह० नो अभि० ॥ से० भि०

अन्नयराड विरुद्ध० महासराड एव जाणञ्जा तजहा-महुम

गडाणि वा बहुरहाणि वा बहुमिलक्खुणि वा बहुपच्चताणि वा

अन्न० तह० विरुद्ध० महामवाड कन्नमोयपडियाए नो अभिसथा

रिज्जा गमणाए ॥ से भि० अन्नयराड विरुद्ध० महुस्मराड एव जा

णिज्जा, तजहा-इत्थीणि वा पुरसाण वा वेराणि वा डहराणि

वा मज्झिमाणि वा आभरणविभूसियाणि वा गायंताणि वा
 वायंताणि वा नच्चंताणि वा हसंताणि रमंताणि वा मोहं-
 ताणि वा विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं परिभुंजंताणि वा
 परिभायंताणि वा विच्छड्डियमाण्णाणि वा विगोवयमाण्णाणि
 अन्नय० तह० विरूव० महु० कन्नसोय० ॥ से भि० नो इहलोइ-
 एहिं सहेहिं नो परलोइएहिं स० नो सुएहिं स० नो असुएहिं स०
 नो दिट्ठेहिं स० नो अदिट्ठेहिं स० नो कंतेहिं स० सज्जिजा नो
 गिज्झिजा नो मुज्झिजा नो अज्झोववज्जिज्जा, एवं खलु जाव-
 जएज्जासि त्तिवेमि ॥ सदसत्तिक्कयो सम्मतो ॥१७०॥

छाया—स भि० यावत् शृणोति, तद्यथा आख्यायिकास्थानानि वा
 मानोन्मानस्थानानि वा महान्ति आहतनाट्यगीतवादित्रतत्रीतलतालवृष्टित—
 प्रन्युत्पन्नास्थानानि वा अन्य० तथा० शब्दान् नो अभिस० ॥ स भि० यावत्
 शृणोति तद्यथा रुत्तहानि वा डिम्भानि वा डरगाणि वा द्विराज्यानि वा वेर०
 विरुद्धराज्यानि वा अन्य० तथा० शब्दान् नो ॥ स भि० यावत् शृणोति त०
 लुरिज्जका वा दरिका वा परिभुम्तमंडिता, अलंकृतां (अशवादिना) नीयमाना
 प्रेक्ष्य, एक वा पुरुषं वधाय नीयमानं प्रेक्ष्य, अन्य० तथा० शब्दान् नो
 अभि० ॥ स भि० अन्य० विरूपरूपान् वा महाश्रवान् एवं जानीयात् तद्यथा—
 बहुशकटानि वा बहुस्थानि वा बहुम्लेच्छानि वा बहुप्रात्पन्तिकानि वा अन्य०
 त० विरूप० महाश्रवान् वा कर्णश्रवणप्रतिज्ञया नो अभिसन्धारयेद् गमनाय ॥
 स भि० अन्य० विरूप० वा महोत्सवान् एवं जानीयात् तद्यथा—स्त्रीः वा पुरुषान्
 वा स्थविरान् वा बालान् वा मध्यमान् वा आभरणविभूषितान् वा गायतो
 वा वादयतो वा नृतततो वा हसतो वा रममाणान् वा मोहयतो वा विपुलम्

अग्नान् वाग्नादिमग्नादिमपरिभुजनाणान् वा परिभाजयतो वा पिच्छईमानान् वा विगोषयतो वा अन्य० तथा० विरूच० मधु० र्ण० स० ॥ मभि० नाड्डलौकिकैर्गन्धैर्नो पारनोक्तिकैर्श० नो श्रुतैर्श० नो अश्रुतैर्श० नो दष्टैर्श० नो अदृष्टैर्श० नो कान्तैर्श० मज्जयेत नो गृध्येत् नो मुह्येत् नो अमुष्यपद्यत एव खलु तस्य भिन्नो यावत् यतेत् । इति प्रथमः । शब्दमप्येककममाप्तः ॥

पदाव—से मि०—वह माधु या माध्वी । जाव—यावन । सुण्ड—गणों को मुनता है । तजहा—जमेकि । अवलाय्यठाणाणि वा—क्या करने के स्थान पर । माणुम्मानियटठाणाणि वा—ताल—माप करने के स्थान पर या घुन गीड भाति के स्थानों पर । महता ऽ—महान । ग्राह्य—ग्राह्य । नट्ट—नट्य । गीय—गीत । वाईय—वादित्र । तती—नवी । तल—काशी का वाय । ताल—वाद्यविभाग । तडिय—द्रुटिन—डोन आदि क । पडापवाइयटठाणाणि वा—उत्पन्न होने गणों का । अ न० तथा अ य । तह०—तथाप्रकार क । सहाइ—गणों को मुनने के लिए । नो अभि स०—ज्ञान का मनम विचार न कर ।

से मि०—माधु या साध्वी । जाव—यावन । सुण्ड—गणों को मुनता है । त०—जमकि । कतहाणि वा—कलह के गण । डिवाणि वा—स्वचक्र—राजा के स्वदेश में परस्पर होने वाले विरोध के गण । डमराणि वा—पर राय के विरोधी गण । दो रजजाणि—राजाओं के परस्पर विरोधा गण । वेर०—परस्पर वर विरोध के गण तथा । अ न—अय, तह०—तथाप्रकार क । सहाइ—गणों को मुनने के लिए । नो अभि स०—ज्ञान का मनम विचार न करे ।

से मि०—वह माधु या माध्वी । जाव सुण्ड—यावन विभिन्न प्रकार के गणों को मुनता है । अ०—जमेकि । परिभुत्तमडिय—परिवार म धिगी हुई आभूषणों से मडित और घलकिय—प्रयक्त हुई । निवड्डमाणि—घाड भाति पर बठाकर ल जाती हुई को । लडिडय वा—छाटी । दारिय—वालिका । पेहाए—प्रेक्षकर । वा—प्रयवा । एगपुरिस—फिमी एक अगगधी पुरुष का । महाए—वध के लिए । निगिजजमाण—वध भूमि में ल जाते हुए को । पेहाए—प्रेक्षकर । वा—प्रयवा । अन्नयराणि—अय । तह०—तथाप्रकार के गणों को मुनने के लिए । नो अभि स०—ज्ञान का मनम विचार न कर । से मि०—वह माधु प्रयवा साध्वी अ न०—अय कोई । विरूच०—नाना प्रकार क । महासवाइ—अग्न आश्रव के स्थानों का । एव—इस प्रकार । जाणिजजा—जाण । त०—जमकि । बहुसगवाणि वा—बहुत से शक्तों के स्थान । अहुरहाणि वा—बहुत म शक्तों के स्थान प्रधान जो पर गणों और रव शीला बहुत शक्तों में रहते हैं वर स्थान । वा०—या । बहुमितकलूणि—बहुत से शक्तों के स्थान या

चहुपच्चंताणि वा—वहुत में प्राण निवासियों के स्थान तथा । अन्न—ग्रन्थ कोई । तह० — नशाप्रकार के । विरुद्धवाह—नाना विध । महासवाहं—महान आश्रयो के स्थान, उनमें जो पाद होते हैं उनको । कन्तसोयपडियाए—कानों से सुनने की प्रतिज्ञा में । नो अभिमप्रारि—उज गभणाए—सम्मुख होकर जाने का मन में विचार न करे ।

मे नि०—वह माधु या माधवी । अन्न० विरुद्धवाहं—ग्रन्थ कई नाना प्रकार के । महत्सवाहं—महोत्सवों के स्थानों को । एवं जाणिज्जा—इस प्रकार जाने । त०—जैसेकि । इत्येणि वा—स्त्रियों या । पुरिताणि वा—पुरुष या । घेराणि वा—वृद्ध या । डहराणि वा—चानक या । मज्जिमाणि वा—मध्यम वय वाले—युवक, जोति । आनरणविभूतिनाणि वा—आभूषणों से शरीर को विभूषित करके । गापंताणि वा—गाते । वायताणि वा—बजाते हुए । वा—या । नच्चनाणि—नाचने हुए । हमंताणि—हसते हुए । रमंताणि वा—क्रीडा करते हुए या । मोदताणि वा—रतिप्रीटा करने हुए या इसीप्रकार । विपुल—अत्यन्त । असणं—अन्न । पाणं—पानी । खाइमं—खादिम-खाद्य उदार्य । साइमं—स्वाद्य उदार्य । परिभुंजताणि वा—भोगते हुए तथा । परिभायंताणि वा—आहार पानी का विभाग या वितीर्ण करते हुए या । विछडिडि—घमाण णि वा—उमें फेंकते हुए या । विगोवयमाणानि वा—प्रसिद्ध करते हुए जा रहे हो उम समय के शब्दों तथा । अन्नय०—अन्न्य । तह०—इसी तरह के । विरुव०—विविध । मह०—महोत्सवों में होने वाले शब्दों को । कन्त सोय०—कानों से सुनने की प्रतिज्ञा से । नो अन्निमं०—जाने का मन में मकल न करे ।

मे नि०—वह माधु या माधवी । नो इहलोइएहि—न तो इस लोक के शब्दों को अर्थात् मनुष्यादि के शब्दों में । नो परलोइएहिस०—न परलोक के शब्दों में अर्थात् मनुष्य भिन्न देव और कोकिना आदि तिर्यचो के शब्दों में । नो सुएहि स०—न सुने हुए शब्दों में । नो असुएहि स०—न अश्रुत नहीं सुने हुए शब्दों में । नो विट्ठेहि सदेहि—न देखे हुए शब्दों में और । नो अविट्ठेहि स०—न अदृष्ट शब्दों में तथा । नो कंतेहि सदेहि—न कमनीय शब्दों में । सज्जिज्जा—आसक्त हो । नो गिज्जिज्जा—न उनके सुनने की आकांक्षा करे । नो मुज्जिज्जा—न उनमें मूर्च्छित हो और । नो अज्जोवयज्जिज्जा—न उनमें रागद्वेष करे । एवं खलु—इस प्रकार निश्चय ही यह भिक्षु का सम्पूर्ण आचार है । जाव—यावत् उसमें । जएज्जासि—यत्नशील रहे । त्तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । सद्दसत्तिक्कओ—यह शब्द सप्तकका अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—संयम शील साधु या साधवी कथा करने के स्थानों, महोत्सव के स्थानों जहा पर बहुत परिमाण में नृत्य, गीत, वादित्र, तंत्री, वीणा, तल-ताल, वृटित, ढोल इत्यादि वाद्यन्तर बजते हों तो उन स्थानों में होने

वाले शब्दों का सुनने के लिए जाने का मन में विचार नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार कलह के स्थान, अपने राज्य के विरोधी स्थान, पर राज्य के विरोधी स्थान, दो राज्या के परस्पर विरोध के स्थान, वर के स्थान और पहा पर राजा के विरुद्ध वार्तालाप होता हो इत्यादि स्थानों में होने वाले शब्दों को सुनने के लिए भी जाने का मन में सकल्प न करे।

यदि किसी वस्त्राभूषणों से शृंगारित और परिवार से घिरी हुई छोटी बालिका को अश्वदि पर बिठा कर ले जाया जा रहा हो तो उसे देखकर तथा किसी एक अपराधी पुरुष को वध के लिए वध्यभूमि में लजाने हुए देखकर साधु उन स्थानों में हानि वाले शब्दों को सुनने का भावना से उन स्थानों पर जाने का मन में विचार न करे।

जो महा आश्रव के स्थान है—जहाँ पर बहुत से शकट बहुत से रथ, बहुत से म्लेच्छ, बहुत से प्रांतीय लोग एकत्रित हुए हो तो साधु साध्वी वहाँ पर उनके शब्दों को सुनने को प्रतिज्ञा से जाने का मन में सकल्प भी न करे।

जिन स्थानों में महात्सव हो रहे हो, स्त्री, पुरुष, बालक, बद्ध और मुवा आभरणों से विभूषित होकर गीत गाते हो, वाद्य-तर बजाते हैं, नाचते और हसते हैं, एवं आपस में खेलने और रतिक्रीड़ा करते हो, तथा विपुल अशन, पान खादिम और स्वादिम पदार्थों को खाते हो, परस्पर बातले ही, गिराते हो, तथा अपनी प्रसिद्धि करते हो तो ऐसे महोत्सवों के स्थानों पर होने वाले शब्दों को सुनने के लिए साधु वहाँ पर जाने का कभी भी सकल्प न करे।

वह साधु या साध्वी स्वजाति के शब्दों और परजाति के शब्दों में आसक्त न बने, एवं श्रुत या अश्रुत तथा नृष्ट या अदृष्ट शब्दों और प्रिय शब्दों में आसक्त न बने। उनकी आकांक्षा न करे और उनमें मूर्छित भी न होवे। यही साधु और साध्वी का सम्पूर्ण आचार है और इसी के पालन

में उसे सदा संलग्न रहना चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को जहाँ बहुत से लोग एकत्रित होकर गाते-बजाते हों, नृत्य करते हों, रत्तिक्रीड़ा करते हों, हंसी-मजाक करते हों, रथ एवं घोड़ों की दौड़ कराते हों, यालिका को श्रृङ्गारित करके अश्व पर उसकी सवारी निकालते हों, किसी अपराधी को फांसी देते समय गधे पर बिठाकर उसकी सवारी निकाल रहे हों और इन अवसरों पर वे जो शब्द कर रहे हों उन्हें सुनने के लिए साधु को उक्त स्थानों पर जाने का संकल्प नहीं करना चाहिए । और जहाँ पर अपने देश के राजा के विरोध में, या अन्य देश के राजा के विरोध में या दो देशों के राजाओं के पारस्परिक संघर्ष के सम्बन्ध में बातें होती हों, तो साधु को ऐसे स्थानों में जाकर उनके शब्द सुनने का भी संकल्प नहीं करना चाहिए । क्योंकि इन सब कार्यों से मनमें राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है, चित्त अशांत रहता है और स्वाध्याय एवं ध्यान में विघ्न पड़ता है । अतः संयमनिष्ठ साधक को श्रोत्र इन्द्रिय को अपने वशमें रखने का प्रयत्न करना चाहिए । उसे इन सब असंयम के परिपोषक शब्दों को सुनने का त्याग करके अपनी साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

इस अध्यायन में यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु को राग-द्वेष बढ़ाने वाले किसी भी शब्द को सुनने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए । साधु का जीवन अपनी साधना को मूर्त रूप देना है, साध्य को सिद्ध करना है । अतः उसे अपने लक्ष्य के सिवाय अन्य विषयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए । राग-द्वेष पैदा करने वाले प्रेम-स्नेह एवं विग्रह, कलह आदि के शब्दों की ओर उसे अपने मन को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए । यही उसकी साधुता है और यही उसका श्रेष्ठ आचार है ।

॥ एकादश अध्यायन समाप्त ॥

सप्तमस्तिफाग्या द्वितीया चूला—रूपसप्तैकरा

द्वादश ग्रन्थयन

एकादश ग्रन्थयन मं श्रुतेत्रिय के विषय का वर्णन किया गया है। परंतु
अथ्यया म चतु इन्द्रिय स सरद्ध विषय का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से मि० ग्रहावेगद्याड रूवाइ पामड, त - गथि
माणि वा त्रेडेमाणि वा पूरिमाणि वा सघाडमाणि वा कट्ठ-
कम्माणि वा पोत्यकम्माणि वा चित्तक० मणिकम्माणि वा दत
क० पत्तद्धिज्जकम्माणि वा विविहाणि वा वेडिमाड अन्नयराड
विरू० चक्खुडमणपडियाए, नो अभिसधारिज्ज गमणाए, एव
नायव्व जहा मइपडिमा सन्ना वाडत्तवज्जा रूवपटिमादि त्तिवेमि
पचमसत्तिककय ॥१७१॥

छाया—म मि० अथाप्येकरानि रूपाणि परयति त० ग्रथितानि वा
वेष्टिमानि वा पूरिमाणि वा सघानिमानि वा काष्ठ कर्माणि वा पुस्तककर्माणि वा
चित्रकर्माणि वा मणिकर्माणि वा दन्तकर्माणि वा पत्रछद्यकर्माणि वा विनि-
घानि वा वेष्टिमानि अन्य० विरूप० चक्षुदशनप्रतिज्ञया नाभिसधारयद्
गमनाय ॥ एव ज्ञातेय यथा शब्दप्रतिमा सर्वा वादित्रयज्या रूपप्रतिमा अपि ।
पचम सप्तकवमध्ययनम समाप्तम् ।

पामड—से मि०—व साधु या साध्वी । ग्रहावेगद्याड—कभी कई तरह के ।
रूवाइ—रूपों की । पामड—दण्डना है । त०—जयति । गथिमाणि वा—गूँसे हुए पुत्रों से
निष्पन्न न स्वस्तिहादि का । वेडिमाणि वा—दृश्य से वेष्टित प्रथवा निष्पन्न पुत्रलिहादि का ।

सूरिमाणि वा—घनेक पदार्थों से निर्मित पुरुषाकृति । सघाहमाणि वा—नानप्रकार के वर्णों को प्रात्रिन करके उमने निर्मित चोत्रकादि वा । पट्टकम्माणि वा—काष्ठ के द्वारा निर्मित कई पदार्थ । शोष्कम्माणि वा—पुस्तक, कप, नादपत्रादि से निष्पन्न पुस्तकादि वस्तु । चित्रक०—चित्ररत्नं भीन प्रादि पर चित्रिन निश्च आदि । मणिकम्माणि वा—नाना प्रकार की मणियों द्वारा निर्मित स्वन्निर्वादि पदार्थ । दंतक०—दांतों से निष्पन्न सूडिये प्रादि पदार्थ । पत्रलिङ्गकम्माणि वा—पत्र छेदन क्रिया से उत्पन्न रुद्रादि तथा अन्य । विविहाणि—विविध प्रकार के । वेदिमाह—वेष्टनो म निष्पन्न हुए । तह०—उसी तरह के । अन्नपराई—कई एक । विष्०—विविध रूपों वाले पदार्थों के रूपों को । चपत्सूत्रण पडिमाए—बधु में देवने की प्रतिज्ञा ने । नी प्रमि सघाहणकमगाए—पातु उन घोर जाने का मन में विचार न करे । एवं—इस प्रकार । दाण्ड—जातना चाहिद । जहा—जैसेकि । सहबडियाए—शब्द सम्बन्धि प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है वद । मन्वा—मव । घाहत्तवग्जा—गादियों को छोड़ कर । खपडिमावि रूपप्रतिज्ञा के विषय में समझे । एवमंभतिरकथ—पाचवी सप्तौकका समाप्त । तिवेसि—ऐसा मैं कहता हू ।

मूलार्थ—साधु या साध्वी फूलों से निष्पन्न स्वस्तिकादि, वस्त्रों से निष्पन्न पुत्रलिकादि, पुष्पि निष्पन्न पुरुषाकृति और सघात निष्पन्न चोलकादि, इमोप्रकार काष्ठ से निर्मित पदार्थ, पुस्तक, चित्र, मणियों से, हार्थी दात में, पत्रों से तथा बहुत से पदार्थों से निर्मित सुन्दर एवं सुरूप पदार्थों के विविध रूपों को देखने के लिए जाने का मन से सकल्प भी न करे । जेप वर्णन शब्द अध्ययन को तरह जानना चाहिए । केवल वाद्ययन्त्र को छोड़ कर अन्य वर्णन रूप प्रतिज्ञा के समान ही जानना चाहिए । ऐसा मैं कहता हूँ । पंचम सप्तौकका समाप्त ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में रूप-सौन्दर्य को देखने का निषेध किया गया है । इस में बताया गया है कि चार कारणों से वस्तु या मनुष्य के सौन्दर्य में अभिवृद्धि होती है— १ फूलों को गूँथकर उनसे माला गुलदस्ता आदि बनाने से पुष्पों का सौन्दर्य एवं उन्हें धारण करने वाले व्यक्ति की सुन्दरता भी बढ़ जाती है । २ वस्त्र आदि से आवृत्त व्यक्ति भी सुन्दर प्रतीत होता है । विविध प्रकार की पोशाक भी सौन्दर्य को बढ़ाने का एक साधन है । ३ विविध साँचों में ढालने से आभूषणों का सौन्दर्य चमक उठता

हैं और उन्हें पहनकर स्त्री-पुरुष भी त्रिगोप सुन्दर प्रतीत होने लगते हैं । ४ वस्त्रों का सिलाई करने से उनकी सुन्दरता बढ़ जाती है और त्रिविध फैशनों से मिलाई किए हुए वस्त्र मनुष्य की सुन्दरता को और अधिक चमका देते हैं । इससे यह स्पष्ट होगया है कि त्रिविध सस्त्रों से पदार्थों के भी दर्श में अभिवृद्धि हो जाती है । साधारण सा लकड़ी एवं पत्थर पर चित्रकारी करने से वह असाधारण प्रतीत होना लगता है । उसे देखकर मनुष्य का मन मोहित हो उठता है । इसी तरह हाथी दात, रागन, मणि आदि पर किया गया त्रिविध कार्य एवं चित्रकला आदि के द्वारा अनक वस्तुओं को देखने योग्य बना दिया जाता है और कला कृतिण उस समय के लिए नहीं, बल्कि तब तक ब रहती हैं मनुष्य के मन को आकर्षित किए बिना नहीं रहती हैं । इससे उस युग की शिल्प की एक भांकी मिलती है, जो उस समय त्रिकाश के शिखर पर पहुँच चकी था उस समय मशीनों के अभाव में भी मानव वास्तु-कला एवं शिल्पकला में आन में अधिक उन्नति कर चुका था ।

इन सब कलाओं एवं सुन्दर आकृतियों तथा दशनीय स्थानों को देखने के लिए जाने का निषेध करने का तत्पर्य यह है कि साधु का जीवन साधना के लिए है, आत्मा को कर्म बन्धनों से मुक्त करने के लिए है । अतः यदि वह इन सुन्दर पदार्थों को देखने के लिए इधर उधर जाएगा या दृष्टि दौड़ाएगा तो उससे बहुत इन्द्रिय का पोषण होगा मन में राग द्वेष या मोह की उत्पत्ति होगी और स्वाध्याय एवं ध्यान का साधना में विघ्न पड़ेगा । अतः समय निष्ठ साधु को सदा अध्यात्म चिन्तन में मग्न रहना चाहिए । उसे अपने मन एवं दृष्टि को इधर उधर नहीं दौड़ाना चाहिए । बहुत इन्द्रिय पर त्रिजय प्राप्त करना साधना का मूल उद्देश्य है । अतः साधु को त्रिविध वस्तुओं एवं स्थानों की दर्श को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ।

॥ दशदश अध्ययन समाप्त ॥

त्रयोदश अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन में साधु के लिए दूसरे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। अतः इस अध्ययन का नाम 'परक्रिया' रखा गया है। 'पर' शब्द का ६ प्रकार से कथन किया गया है—१ तत्पर, अन्यतर पर, ३ आदेश पर। ४ क्रम पर, ५ बहु पर और ६ प्रधान पर।

१ तत्पर—एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न होने के कारण उसे तत्पर कहते हैं अर्थात् वह परमाणु तत्—उस परमाणु से पर-भिन्न है।

२ अन्यतर पर—एक द्रव्य दो परमाणु से युक्त, दूसरा तीन परमाणु से युक्त है और इसी तरह अन्य द्रव्य अन्य अनेक परमाणु वाले परमाणुओं से युक्त हैं, इस तरह वे परस्पर एक दूसरे से अन्यतर हैं, यही अन्यतर पर कहलाता है।

३ आदेश पर—किसी व्यक्ति के आदेश पर कार्य करता आदेश पर कहलाता है। क्योंकि आदेश का परिपालक आदेश देने वाले से भिन्न है। जैसे—नौकर अपने स्वामी या अधिकारी के आदेश पर कार्य करते हैं।

४ क्रम पर—जैसे एक प्रदेशी द्रव्य से, द्वि प्रदेशी द्रव्य क्रम पर है। इसी प्रकार इस से आगे की सख्या की भी कल्पना की जा सकती है। सख्या के क्रम से जो पर हों उन्हें क्रम पर कहते हैं।

५ बहु पर—एक परमाणु से तीन या चार परमाणु वाले द्रव्य बहु पर हैं, क्योंकि उनकी भिन्नता एक से अधिक परमाणुओं में है।

६ प्रधान पर—पद की प्रधानता के कारण जो अपने सजातीय पदार्थों से भिन्न है, उसे प्रधान पर कहते हैं। जैसे—मनुष्यों में तीर्थंकर भगवान प्रधान है, पशुओं में सिंह और वृत्तों में अर्जुन, सुवर्ण और अशोक वृक्ष प्रधान माना गया है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति अपने से भिन्न है, उसे पर कहते हैं। अतः साधु भिन्न गृहस्थ के द्वारा साधु के लिए की जाने वाली क्रिया को पर क्रिया कहते हैं। उक्त परक्रियाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—परकिरिय यञ्फत्थिय मसेमिय नो त सायए नो
 त नियमे, सिया से परोपाए आण्जिज्ज वा पमज्जिज्ज वा नो
 तं सायए नो त नियमे । से सिया परो पायाइ सवाहिज्ज वा
 पलिमहिज्ज वा नो त सायए नो त नियमे । से मिया परो
 पायाइ फुसिज्ज वा रइज्ज वा नो त सायए ना त नियमे । से
 मिया परो पायाइ तिल्लेण वा घ० वसाए णा मक्खिज्ज वा यग्भि
 गिज्ज वा नो त० २ । से सिया परो पायाइ लुद्धेण वा कक्कण
 वा चुन्नेण वा धरणेण वा उल्लोटिज्ज वा उव्वलिज्ज वा
 नो त० २ । से मिया परो पायाइ सीयोदगवियडेण वा २
 उच्छोलिज्ज वा पहोलिज्ज वा नो त० २ । से सिया परो पायाइ
 अन्नयरेण विलेवणाजायेण आलिपिज्ज वा विलिपिज्ज वा नो
 त २ । से सिया परो पायाइ अन्नयरेण धूवणाजाएण धूविज्ज
 वा पधू० नो त २ । से सिया परो पायायो आणुय वा कट्टय
 वा नीहरिज्ज वा विसोहिज्ज वा नो त २ । से मिया परो
 पायायो पूय वा सोणिय वा नीहरिज्ज वा विसो० नो त० २ ।
 से मिया परो काय आमज्जेज्ज वा पमज्जिज्ज वा नो त
 सायए नो त नियमे । से सिया परो काय लोट्टेण वा सवा
 हिज्ज वा पलिमहिज्ज वा नो त० २ । से सिया परो काय

तिल्लेण वा घ० वसा० मक्खिखज्ज वा अक्खंगिज्ज वा नो तं०
 २ । से सिया परो काय लुद्धेण वा ४ उल्लोढिज्ज वा
 उव्वल्लिज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो काय सीओ० उशि-
 णो० उच्छोल्लिज्ज वा प० नो तं० २ । से सिया परो कायं
 अन्नयरेण विलेवणजाएण आलिंपिज्ज वा २ नो तं २ ।
 से० कायं अन्नयरेण धूवणजाएण धूविज्ज वा प० नो तं० २ ।
 से० कायंसि वणं आमज्जिज्ज वा २ नो तं० २ । से० वणं
 संवाहिज्ज वा पलि० नो तं० २ । से० वणं तिल्लेण वा घ०
 २ मक्खिखज्ज वा अक्खं० नो तं० २ । से० वणं लुद्धेण वा
 ४ उल्लेढिज्ज वा उव्वलेज्ज वा नो तं० २ । से सिया परो
 कायंसि वणं सीओ० उ० उच्छोल्लिज्ज वा प० नो तं० २ । से
 सिया परो वणं वा गंडं वा अरइं वा पुल्लइयं वा भगंदलं वा
 अन्नयरेणं मत्थजाएणं अच्चिदिज्ज वा विच्चिदिज्ज वा नो
 तं० २ । से सिया परो अन्न० जाएण अच्चिदिता वा वि-
 च्छिदिता वा पूयं वा सोणियं वा नीहरिज्ज वा त्रि० नो तं० २ ।
 से० कायंसि गंडं वा अरइं वा पुल्लइयं वा भगंदलं वा आम-
 जिज्ज वा २ नो तं० २ । से० गंडं वा ४ संवाहिज्ज वा पलि०
 नो तं० २ । से० कायं गंडं वा ४ तिल्लेण वा ३ मक्खिखज्ज वा

२ नो त० २ । से० गड वा ४ लुद्धेण वा ४ उल्लोटिज्ज वा
 उ० नो त० २ । से० गड वा ४ सीयोदग २ उच्छोलिज्ज वा
 प० नो त० २ । से० गड वा ४ यन्नयरेण सत्थजाएण
 यच्छिदिज्ज वा वि० यन्न० सत्थ० यच्छिदिता वा २ पूय
 वा २ मोणिय वा नीह० विमो० नो त० मापण २ । से
 मिया परो कायसि सेय वा जल्ल वा नीहरिज्ज वा वि० नो
 त० २ । से सिया परो यच्छिमल वा करणमल वा दत्तमल वा
 नहम० नीहरिज्ज वा २ नो त० २ । से सिया परो दीहाइ वालाड
 दीहाड वा रोमाड दीहाड भमुहाड दीहाड कक्खरामाड दीहाड
 वत्थिरोमाड कप्पिज्ज वा सठविज्ज वा नो त० २ । से सिया परो
 सीमायो लिक्ख वा जूय वा नीहरिज्ज वा वि० नो त० २ ।
 से सिया परो अकमि वा पलियकसि वा तुयट्टावित्ता पायाड
 आमज्जिज्ज वा पम० एव हिट्ठिमो गमां पायाड भाणियव्वो ।
 से मिया परो अकमि वा २ तुयट्टावित्ता हार वा अद्ध हार वा
 उरत्थ वा गेजेय वा मउड वा पालव वा सुवन्नसुत्त वा आवि
 हिज्ज वा पिणहिज्ज वा नो त० २ । से० परो आराममि वा
 उज्जाणसि वा नीहरित्ता वा पत्तिसित्ता वा पायाड आमज्जिज्ज
 वा प० नो त साएड ॥ एव नेयव्वा यन्नमन्तकिरियावि ॥१७२॥

छाया—परक्रियां आध्यात्मिकी सांश्लेषिकी नो ताम् अस्वादयेत् नो तां नियमयेत् । स्यात् तस्य परः पादौ आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो ताम् आस्वादयेत् नो ता नियमयेत् । तस्य स्यात् परः पादौ सवाहयेत् वा, परिमर्दयेत् वा नो तो आस्वादयेत् नो ता नियमयेत् । स्यात् तस्य परः पादौ स्पर्शयेत् वा रञ्जयेत् वा नो ता नियमयेत् । स्यात् तस्य परः पादौ तैलेन वा घृतेन वा वसया वा अक्षयेत् वा अभ्यण्जयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ लोध्णेन वा करकेन वा चूर्णेन वा वर्णेन उल्लोलयेत् वा उद्वर्तयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्रोलयेत् वा प्रधावयेत् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ अन्यतरेण विलेपनजातेन आलिम्पेद् वा विलियेद् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ अन्यतरेण धूपनजातेन धूपयेत् वा प्रधूपयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ खणुक वा कंटकं वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः पादौ पूर्य वा शोणित वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं आमृज्यात् वा, प्रमृज्यात् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं लोध्णेन सवाहयेत् वा परिमर्दयेत् वा नो ता २ । तस्य स्यात् परः कायं तैलेन वा घृतेन वा वसया वा अक्षयेत् वा अभ्यजयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं लोध्णेन वा ४ उल्लोलयेत् वा उद्वर्तयेत् वा नो तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्रोलयेत् वा प्रधावयेत् वा नो ता ० २ । तस्य स्यात् परः कायं अन्यतरेण विलेपनजातेन आलिम्पेत् वा विलिम्पेत् वा ना तां ० २ । तस्य स्यात् परः कायं अन्यतरेण धूपनजातेन धूपयेत् वा प्रधूपयेत् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः कायं व्रणमामृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः कायं व्रण सवाहयेत् वा परिमर्दयेत् वा नो तां २ । तस्य स्यात् परः कायं व्रण तैलेन वा घृतेन वा वसया वा अक्षयेत् वा अभ्यजयेत् वा नो तां ० २ ।

तस्य स्यात् पर काये व्रण लोध्रेण वा ४ उल्लोलयेत् वा उद्वतयेत्
 वा नो ता० २ । तस्य स्यात् पर काये व्रण शीतोदकविकटेन वा
 उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्रोलयेत् वा प्रघावयेत् ना ता २ । तस्य स्यात्
 पर काय व्रण गड वा अरति वा पुलकित वा भगन्त्वर वा अन्यतरेण
 शस्त्रजातेन आच्छिद्यत् वा विच्छिद्यत् वा नो ता० २ । तस्य स्यात्
 पर अन्यतरेण शस्त्रजातेन आच्छिद्यत् वा विच्छिद्यत् वा पूय वा शोणित वा
 निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो ता० २ । तस्य स्यात् पर काये गड वा
 अरति वा पुलकित वा भगदर वा आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो
 ता० २ ॥ तस्य स्यात् पर काये गड वा ४ सवाहयेत् वा परिमदयेत् वा
 नो ता० २ तस्य स्यात् पर काये गड वा ४ तैलेन वा ३ अक्षयेत् वा
 अम्यजयेत् वा नो ता० २ । तस्य स्यात् पर काये गड वा ४ लोध्रेण
 वा ४ उल्लालयेत् वा उद्वतयेत् वा नो ता० २ । तस्य स्यात् पर काय
 गड वा ४ शीतोदकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा उच्छ्राजयेत् वा
 प्रघावयेत् वा ना ता० २ । तस्य स्यात् पर काये गड वा ४ अन्यतरेण
 वा शस्त्रजातेन आच्छिद्यत् वा विच्छिद्यत् वा अन्यतरेण
 शस्त्रजातेन आच्छिद्यत् वा विच्छिद्यत् वा पूय वा शोणित वा निहरेत् वा
 मिशोधयेत् वा नो ता० २ । तस्य स्यात् पर काये स्वेत् वा जल वा
 निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो ता २ । तस्य स्यात् पर अक्षिमल वा
 कणमल वा दन्तमल वा नखमल वा निहरेत् वा विशोधयेत् वा नो
 ता २ । तस्य स्यात् पर दीर्घाणि बालानि दीर्घाणि वा रोमाणि दाह्य
 श्रुवी दीर्घाणि कक्षरोमाणि दीर्घाणि वस्तिरोमाणि रक्षेत वा
 सस्यापयेत् वा नो ता २ । तस्य स्यात् पर शीपत लिक्षा वा यूका वा
 निहरेत् वा विशोधयेत् वा ना ता २ । तस्य स्यात् पर अके वा पर्य
 के वा स्वपायित्वा आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा, एव अधोगम पा
 दादी भणितव्य । तस्य स्यात् पर अके वा पर्यके वा म्वरयित्वा हार वा

अर्द्धहार वा उरस्थ वा त्र्येयकं मुकटं वा प्रातम्व वा सुवर्णसूत्रं वा
 आवध्नोयात् वा पिधापयेत् वा नो ता २ । नस्य स्थात् परः आरामे वा
 उद्याने वा निहृत् वा प्रविश्य वा पादौ आमृज्यात् वा प्रमृज्यात् वा नो
 तामाम्नादयेन् नो ता नियमयेत् । एव नेतव्या अन्योन्यक्रियापि ।

पदार्थ—परकिरिम—अपने से भिन्न अन्य व्यक्ति की चेष्टा को परक्रिया कहते
 हैं, वह परक्रिया । अज्भक्तियं—अपनी आत्मा में क्रिया करता हुआ, अर्थात् कोई व्यक्ति
 साधु के अगोताग विषयक काय व्यापार रूप चेष्टा, यथा । संसेसियं—सा.लेपिकी क्रिया
 अर्थात् पापकर्म की जनक । तं—उन क्रिया को । नो सायए—मन से भी न चाहे । त—
 उम क्रिया को । नो नियमे—वाणी और काया में न कराए । सिया—कदाचित् । परो—
 अन्य गृहस्थ । से—उम साधु के । पाए—पैरो को । आम्रज्ज्ज वा—वस्त्र से थोडा सा भांडे
 पमज्ज्ज वा—वस्त्रादि में अच्छी तरह प्रमार्जन करे अर्थात् पूछ कर साफ करे तो । त—उस
 क्रिया को । नो मयए—साधु मन से भी न चाहे । तं नो नियमे—शरीर वचन एव शरीर से उस
 क्रिया को न कराए । से सिया परो—कदाचित् गृहस्थ उस साधु के । पायाह—चरणो को ।
 संवाहिज्ज वा—समर्दन करे अथवा । पस्मिदिज्ज वा—सर्व प्रकार से मर्दन करे तो । त—
 साधु उम क्रिया को । नो सायए—मन से भी न चाहे शरीर । त—उसको । नो नियमे—वचन
 और काया से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । पायाह—
 चरणो को । फुसिज्ज वा—स्पर्शित करे । रइज्ज वा—अथवा रगे तो । त—उस क्रिया को
 नो सायए—मन से न चाहे । त—उसको । नो नियमे—वचन और काया से न कराए ।
 सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—साधु के । पायाहं—चरणों को । तिल्लेण वा—तैल
 से । घ०—घृत से । वसाए वा—अथवा वसा—श्रीपथि विशेष से या सुगन्धित द्रव्य से ।
 मक्खिज्ज वा—मसले । अन्भिगिज्ज वा—किशेष रूप से मर्दन करे तो । तं—साधु उस
 क्रिया को । नो सायए—मन से न चाहे शरीर । तं—उस क्रिया को । नो नियमे—वाणी और
 शरीर से न कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके—साधु के । पायाहं—
 चरणों को । लुद्धेण वा—लोध्र में । कक्केण वा—कर्क नामक द्रव्य विशेष से । चुन्नेण वा—
 चूर्ण से—गोधूमादि के चूर्ण से । वण्णेण वा—अवीर आदि वर्ण से । उल्लोद्धिज्ज वा—उद्वर्तन
 करे अथवा । उव्वत्तिज्ज वा—शरीर को ससृष्ट करे तो । तं—उस क्रिया को । नो सायए—
 मन से न चाहे तथा । तं—उसको । नो नियमे—वाणी और शरीर से न कराए । सिया—
 कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उसके—साधु के । पायाहं—पैरो को । सीओदगवियडेण वा—
 शीतल स्वच्छ एव निर्मल जल से या । उसिणीदगवि०—उष्ण जल से । अच्छोलिज्ज वा—

छाटे दे या । पत्नीलिज्ज वा—धोए तो । त—उस त्रिया को । नो सायए—मन से न चाहे
 शरीर । त—उसको । नो नियम—वचन शरीर काया स न कराए । सिया—कटाचित । परो—
 गहस्थ । से—उस साधु क । पायाइ—परो को । अनपरेण—अय किसी । त्रिलेवज्जाएण—
 विलपन से । आलिभिज्ज वा—आलेपित करे । विलिभिज्ज वा—विलपित करे तो । त—
 उस त्रिया का । नो सायए—मन म न चाह । त नो नियम—उस त्रिया का वचन शरीर काया
 स न करावे । सिया—कटाचित । परो—गहस्थ । से—उस साधु के । पायाइ—परो को ।
 अनपरेण—अय किसी । धूवण जाएण—धूप से । धूविज्ज वा—धूपित करे । विधूविज्ज
 वा—विधूपित करे तो । त नो सायए—उस त्रिया का मनमे न चाहे । त नो नियम—
 उसको वाणी शरीर शरीर से न कराए । सिया—कटाचित । परो—गहस्थ । स—उस साधु
 के । पायाओ—परो से । खाणुय वा—खानु या । कटय—कटक काटे को । निहरिज्ज वा—
 निकाल या । विसोहिज्ज वा—चरण का कटक के शल्य से विगुड करे तो । त नो सायए—
 उमको मन से न चाह । त नो नियम—उसका वचन शरीर काया स न कराए । सिया—कटा-
 चित् । परो—गहस्थ । से—उमके साधु के । पायाओ—चरणो स । पूर वा—पीप राष का ।
 सोगिय वा—या शोणित-पन को । नीहरिज्ज—निकाल कर । विसोहिज्ज वा—चरणो को
 गुड करे तो । त नो सायए—उम त्रिया को मनमे न चाहे । त नो नियम—उमको वचन शरीर
 शरीर स न कराए ।

सिया—कटाचित् । परो—गहस्थ । से—उसके साधु के । काय—शरीर को ।
 आमज्जेज्ज वा—वस्त्रादि से पीछे । पमज्जिज्ज वा—वार वार पीछे तो । त नो सायए—उस
 त्रिया को मन म न चाहे । त नो नियम—उसे वचन शरीर काया स न कराए । सिया—
 कटाचित । परो—गहस्थ । से—उसके । काय—शरीर को । लोडेण वा—लोभ्रा स ।
 सवाहिज्ज वा—सवाहन समदन करे । पलिमहिज्ज वा—या पूरी तरह स मालिश करे तो ।
 त नो सायए—उस त्रिया को साधु मन स न चाहे तथा । त नो नियम—वाणी शरीर शरीर स
 न कराए । सिया—कटाचित । परो—गहस्थ । से—उस साधु क । काय—शरीर को ।
 तिल्लेण वा—तल में । घ० वा—या धून म । वसा०—या वसा—घोषधि विषेय म या सुप-
 न्धित द्रव्य म । मविल्लज्ज वा—मसले या । अ भगिज्ज वा—चोपडे । त नो सायए—उम
 त्रिया को मन म न चाहे । त नो नियम—वाणी शरीर शरीर से न कराए ॥ सिया—कटाचित
 परो—गहस्थ । से—उम क साधु क । काय—शरीर को । लोडेण वा—लोभ्रादि स ।
 उल्लोदिज्ज वा—उद्वतन करे या । उव्वल्लिज्ज वा—मसष्ट करे तो । त नो सायए—
 उस त्रिया को साधु न तो मन मे चाह । त नो नियम—शरीर न वचन तथा शरीर से कराए ॥
 सिया—कटाचित । परो—गहस्थ । से—उस साधु की । काय—काया-शरीर को । सीओ—

जीनल निर्मल जल से या । उसिणो०—उष्ण जल से । उच्छोलिज्ज वा—उत्क्षालन करे-छीटे दे । प०—अथवा धोए तो । तं नो सायए—उस क्रिया को साधु न तो मन से चाहे । तं नो नियमे—और न वाणी और शरीर से कराए । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु की । कार्यं—काया कां । अन्नयरेण—अन्य किसी । विलेवण जाएण—विलेपन से । वार्लिपिज्ज वा—आलेपन करे । विलिपिज्ज वा—या विलेपित करे तो । तं नो सायए नो नियमे—उसको साधु न तो मन से चाहे और न वचन तथा काया से कराए ॥ सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ से—उस साधु के । कार्यं—शरीर को । अन्नयरेण—अन्य किसी । धूवणजाएण—धूप से । धूपिज्ज वा—धूपित करे । पधूविज्ज वा—या प्रधूपित करे तो । तं नो सायए—उस क्रिया को मन से न चाहे तथा । तं नो नियमे—उस क्रिया को शरीर और वाणी से न कराए ॥

सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । से—उस साधु के । कायसि—शरीर पर हुए । वणं—व्रण-फोडे को देखकर । आमज्जिज्ज वा २—वस्त्र से थोडा सा पोछे या बार बार पोछे तो साधु । तं नो सायए—उस क्रिया को मन से न चाहे । त नो नियमे—तथा वाणी और शरीर से उक्त क्रिया को न कराए ॥ सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कार्यसि—शरीर गत । वणं—व्रण को देखकर । परो—अन्य गृहस्थ । सवाहिज्ज वा—उसका सवाहन करे या । पलि०—सर्व प्रकार से मर्दन करे तो साधु गृहस्थ की । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन से न तो चाहे तथा । नो त नियमे—न उसको वचन और काया से कराए ॥ सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कायसि—शरीर में होने वाले । वणं—व्रण को देख कर । परो—गृहस्थ उसे । तिल्लेण वा—तैल से । घ०—अथवा घृत से या । वसाए—वसा सुगन्धित द्रव्य से । मक्खिज्ज वा—मसले । अरुं०—अथवा चोपडे तो । तं०—उस क्रिया को साधु मन से । नो सायए—न चाहे । त नो नियमे—तथा वचन और काया से न कराए । सिया कदाचित् । से—उस साधु के । कार्यसि—काया में होने वाले । वणं—व्रण को देख कर । परो—गृहस्थ । लुद्धेण वा ४—लोधादि से । उल्लोडिज्ज वा—उद्वर्तन करे । उव्वल्लेज्ज वा—अथवा संमृष्ट करे तो साधु गृहस्थ की । त—इस क्रिया को । नो सायए—न तो मन से चाहे और । तं नो नियमे—न उसको वचन तथा काया से कराए । सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कायसि—शरीर में हुए । वणं—व्रण को देखकर । परो—गृहस्थ । सीत्रो० उ०—शीतल निर्मल जल से या उष्ण जल से । उच्छोलिज्ज वा—उत्क्षालन करे या धोए तो । त—उस क्रिया को । नो सायए० २—न तो मन से चाहे, न वचन से कहे और न काया से कराए । सिया—कदाचित् । से—उस साधु के । कार्यसि—शरीर में हुए । वणं—व्रण को देख कर । गंडं वा—अथवा विशेष जाति के व्रण को देखकर । परो—गृहस्थ तथा । अरइ वा—अरति-व्रण विशेष । पुलइय वा—पुलक व्रण विशेष अथवा । भगदलं वा—भगन्दर नाम के व्रण विशेष को देख कर उसे । अरच्छिदिज्ज वा—थोड़ा सा छेदन करे । विरिच्छ-

दिग्ज वा—विशेष रूप से छेदन कर तो । त—गन्ध की इस क्रिया को साधु । नो सायए—
न तो मन न चाह । त नो नियमे—न वाणी सकहे और न काया न कराए । सिधा—
क्याचिन । से—साधु क । कायसि—गरीर गत । वण—व्रण प्रादि को देखकर । परो—
गह्म्य उम । अन०—अय किसी । हत्यजाएण—दस्त्र विगप म । प्रच्छिदित्ता वा—घोडा सा
छेदन करके । विच्छिन्तिता वा—विगप रूप म छेदन करके उम में ने । पूय वा—पीन को ।
सोणिय वा—या गोपित छून को । नोहरिज वा—निकास । त्रि०—या विधुद करे तो ।
त—गन्ध की उक्त क्रिया को साधु । नो सायए—मन न चाह । त नो नियमे—उक्त
क्रिया का वचन तथा काया मे न कराए ।

सिधा—क्याचिन । से—उस साधु के । कायसि—गरीर म हाने वाल । गड वा—
गड व्रण विगप को । भरद वा—भरति—अग विगप का । पुत्तय वा—पुनक—व्रण विगप को
भगदल वा—अथवा भगदर नाम के व्रण विगप का देखकर । परो—गन्ध यत्ति उम । आम
जिज्ज वा—वस्त्रादि स घोडा सा साफ करे । पमज्जिज्ज वा—अथवा विगप रूप स प्रमा
जित कर तो साधु । त नो सायए नो नियमे—उक्त । मन स न चाह वाणी स न वहे और
गरीर न न कराए । सिधा—क्याचिन । से—साधु क । कायसि—गरीर में उक्त हुए ।
गड वा ४—फोड घाति को देखकर । परो—गह्म्य उम । सवाहिज्ज वा—सवाहन करे
घोडा सा ममल । पति०—सब प्रकार म ममदन कर ममन तो साधु । त नो सायए त
नो नियमे—गन्ध की इस क्रिया को न मन न चाहे न वचन और काया मे कराए । सिधा—
क्याचिन । से—साधु क । कायसि—गरीर में उक्त हुए । गड वा ४—गडादि व्रण का देख
कर । परो—गह्म्य उम । निल्लेण वा—तन स । घ०—घन स । वसा०—घा वसा रिमी सुपयित
द्रव्य म । भविसुज्ज वा २—ममले तो । त—उम क्रिया का । नो सायए—मन न चाह ।
त नो नियमे—उक्त वाणी और गरीर से न कराए । सिधा—क्याचिन । से—साधु क ।
कायसि—गरीर में उक्त हुए । गड वा ४—गडादि व्रण का देखकर । परो—गह्म्य उम ।
सुद्धण वा ४—ताघ्राति म । उल्लेदिज्ज वा—उद्धन कर । उ०—अथवा समष्ट कर । त नो
सायए—उक्त क्रिया का मन न चाहे । त नो नियमे—उक्त क्रिया को वचन और काया मे
न कराए । सिधा—क्याचिन । से—उक्त साधु-क । कायसि—गरीर म से उक्त हुए ।
गड वा—फोड प्रादि को देख कर । परो—गह्म्य उम । सीमादग्ग०—गीतोक्त मे । उ०—अथवा
उष्णोक्त म । उच्छोतिज्ज वा—उत्क्षालन करे-छाटे देव । प०—अथवा प्रक्षालन करे घोव ।
स—उक्त क्रिया को साधु । नो सायए—मन स न चाह । त—उक्त क्रिया का साधु । नो नियमे—
वाणी मे न वहे तथा गरीर स न कराए । सिधा—क्याचिन । से—उक्त साधु क । कायसि—
गरीर में उक्त हुए । गड वा ४—गडादि व्रण का देख कर । परो—गह्म्य उ ह । अन

घरेणे — किसी । रुत्यजाएण — घास्त्र विशेष से । अर्च्छिदिज्ज वा — थोडा सा छेदन करे । वि० — विशेष छेदन करे । तथा । अन्न०सत्य० — अन्य किसी घास्त्र विशेष से उम व्रण को । अर्च्छिदि-त्ता वा २ — थोडा या अधिक छेदन करके उसमे से । पूय वा — पीप को । सोणियं वा — या शोणित को । नीहरि० — निकाल कर । विसोहि० — उमे विशुद्ध करे तो । तं — उस क्रिया को । नो सायए — साधु मन से न चाहे । त० — उस क्रिया को साधु । नो नियमे — वाणी से न कहे और शरीर से न कराए ।

सिया — कदाचित् । से — उसके-साधु के । कायसि — शरीर मे उत्पन्न हुए । सेयं वा — स्वेद को देखकर । परो — गृहस्थ अथवा शरीर में उत्पन्न हुए । जल्लं वा — मलयुक्त जल को देखकर उसे । नीहरिज्ज वा — निकाले । वि० — विशुद्ध करे तो । तं — उस क्रिया का । नो सायए — साधु मन से न चाहे । त नो नियमे — उस क्रिया को वाणी और शरीर से न कराए । सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उसके-साधु के । अच्छिमल वा — आस के मेल को । कण्णमल वा — कान के मेल को । नहमलं वा — नखों के मेल को । नीहरिज्ज वा — दूर करे । वि० — अथवा विशुद्ध करे तो । तं — उस क्रिया को । नो सायए — मन से न चाहे तथा । त नो नियमे — उस क्रिया को वचन और काया मे न कराए । सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उसके-साधु के । दीहाडं — दीर्घ । वालाइ — बालों को । वीहाइ — दीर्घ । रोमाइ — रोमों को । दीहाइं भमुहाइं — दीर्घ भ्रुवों को तथा । दीहाइ कक्खरोमाइ — दीर्घ कक्षा के रोमों को । वीहाइ — दीर्घ । वत्थिरोमाइं — वस्ति के रोमों को-गुह्य प्रदेश के रोमों को । कपिज्ज वा — कांटे । संठविज्ज वा — अथवा मवारे अर्थात् कैंची उस्तरे आदि से काट करे सवारे, सुशोभित करे तो । त — उम क्रिया को । नो सायए — साधु मन से न चाहे । तं — उसको । नो नियमे — वाणी और शरीर से न करावे ॥ सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उसके-साधु के । सीमाओ — मिर मे से । लिक्खं — लीखो । वा — अथवा । जूय वा — जूओ को । नीहरिज्ज वा — निकाले । वि० — अथवा विशुद्ध करे तो । त — उस को साधु । नो सायए — मन से न चाहे । तं नो नियमे — तथा उस क्रिया को वचन से और शरीर से न कराए ।

सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उस को-साधु को । अंकसि वा — अपनी गोद मे । पलियकंसि वा — अथवा पर्यक पर । तुयट्टावित्ता — सुलाकर अर्थात् गोद आदि मे लिटा कर उसके । पादाइ — चरणों को । आमज्जिज्ज वा — थोडा सा वस्त्रादि से भाडे अथवा । पम० — अच्छी तरह से प्रमांजित करे तो । एवं — इस प्रकार । हिट्ठिमी — पूर्वोक्त । गमो — पाठ जो कि । पायाइं — पैरों के विषय में कहा है वह सब यहा पर भी । भाणियव्वो — कहना चाहिए । सिया — कदाचित् । परो — गृहस्थ । से — उस साधु को । अंकसि वा — अपनी गोद मे । पलियकंसि वा — पर्यक मे । तुयट्टावित्ता — लिटा कर । हार वा — १८ लडी के हार को ।

हार — नौ लडी के हार को । उरत्थ वा — छाती पर लटका कर । गेवेयं वा — या गले मे डाल कर । मउड वा — मुकट तथा । पालं व वा — भुमके आदि से युक्त करके या । सुवण्णसुत्तं

वा—मुच्यते के सूत्र को । आविहिज्ज वा—वा रे । पिणहिज्ज वा—या पह्रावे तो । त—उम क्रिया को साधु । नो सायए—मन से न चाहे । त—तथा उमको । नो नियमे—वचन और काया से न कराए ।

सिया—कटाचित । परो—गृहस्थ । से—उसको—साधु को । आरामसि वा—आराम मे । उज्जाणसि वा—प्रथवा उजान में । नीह्रस्ता वा—ले जाकर । पविसिता वा—प्रथवा प्रवेत्त कराकर उमक । पावाइ—चरणो को । धामज्जिञ्ज वा—योडा सा भाड । दमज्जिञ्ज वा—प्रथवा विगप रूप से प्रमाजित करे ता । त—उम क्रिया को साधु । नो सायए—न तो मन से चाहे तथा । नो त—नाही उसको । नियमे—बाणी और शरीर द्वारा करावे । एव—इसी प्रकार । अन्नमनकिरियावि—परस्पर साधुओं की क्रिया व विषय में भी । नेधवा—जान लेना चाहिए धर्मात् जिस प्रकार पर—गृहस्थ सम्बन्ध क्रिया व विषय में कथन किया है । उसी प्रकार साधुओं की परस्पर क्रिया के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए ।

मूलार्थ—यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर कर्मवन्धन रूप क्रिया करे तो मुनि उसको मन से न चाहे और न वचन से तथा काया से उसे करावे । जैसे—कोई गृहस्थ मुनि के चरणो को साफ करे, प्रमाजित करे, आमदन या समदन करे - तैल से, घृत से या दमा (औषधिविशेष) से मालिश करे । एव लोध से, कक से, चूण से या वण से उद्धतन करे या निर्मल शीतल जल से, उष्ण जल से प्रक्षालन करे या इसी प्रकार विविध प्रकार के विलेपनो से आलेपन और विलेपन करे । धूप विशप से धूपित और प्रधूपित करे, मुनि के पैर मे लगे हुए कटक आदि को निकाले और शल्य को शुद्ध करे तथा पैरो से पीप और रुधिर को निकाल कर शुद्ध करे तो मुनि गृहस्थ से उक्त क्रियाए कदापि न कराए ।

इसी तरह यदि कोई गृहस्थ साधु के शरीर मे उत्पन्न हुए व्रण सामान्य फोडा, गड, अर्श, पुलक और भगदर आदि व्रणो को क्षुन्नादि के द्वारा छेदन करके पूय और रुधिर को निकाले तथा उसको साफ करे एव जितनी भी क्रियाए चरणो के सम्बन्ध मे कही गई हैं वे सब क्रियाए करे, तथा साधु के शरीर पर से स्वद और मल युक्त प्रस्वेद को दूर करे, एव भ्राल कान दात और नखा के मल को दूर करे तथा शिर के लम्बे केशो,

और शरीर पर के दीर्घ रोमों को अथच बस्ति (गुदा आदि गुह्य प्रदेश) गत दीर्घ रोमों को कनरे अथवा संवारे, तथा सिर मे पडी हुई लीखों और जुश्रो को निकाले । इसी प्रकार साधु को गोद में या पलग पर बिठा कर या लिटाकर उसके चरणों को प्रमार्जन आदि करे, तथा गोद मे या पलग पर बिठा कर हार (१८ लडीका) अर्द्धहार [९ लडी का] छाती पर पहना-नेवाले आभूषणों (गहने) गले में डालने के आभूषणों एव मुकुट, माला और सुवर्ण के सूत्र आदि को पहनाये, तथा आराम और उद्यान में ले जाकर चरण प्रमार्जनादि पूर्वोक्त सभी क्रियाए करे, तो मुनि उन सब क्रियाओं को न तो मन से चाहे और न वाणी अथच शरीर द्वारा उन्हें करवाने का प्रयत्न करे । तथा इसी प्रकार साधु भो परस्पर मे पूर्वोक्त क्रियाओं का आचरण न करे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में परक्रिया के सम्बन्ध मे विस्तार से वर्णन किया गया है । इस में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ साधु के पैर आदि का प्रमार्जन करके उसे गर्म या ठण्डे पानी से धोए और उस पर तैल, घृत आदि स्निग्ध पदार्थों की मालिश करे या उसके घाव आदि को साफ करे या बवासीर आदि की विशेष रूप से शल्य चिकित्सा आदि करे, या कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोद में या पलग पर बैठा मालिश कर उसे आभूषणों से सुसज्जित करे, या उसके सिर के बाल, रोम, नख एवं गुप्तांगों पर बढ़े हुए बालों को देखकर उन्हें साफ करे, तो साधु उक्त क्रियाओं को न मन से चाहे और न वाणी एवं काया से उनके करने की प्रेरणा दे । वह उक्त क्रियाओं के लिए स्पष्ट इनकार कर दे ।

यह सूत्र विशेष रूप से जिन कल्पी मुनि से संबद्ध है, जो रोग आदि के उत्पन्न होने पर भी औपध का सेवन नहीं करते । स्थविर कल्पी मुनि निरवद्य एवं निर्दोष औपध ले सकते हैं । ज्ञातासूत्र में शैलक राजऋषि के चिकित्सा करवाने का उल्लेख है । परन्तु साधु को बिना किसी विशिष्ट कारण के गृहस्थ से तैल आदि का मर्दन नहीं करवाना चाहिए । और इसी दृष्टि से सूत्रकार ने गृहस्थ के द्वारा चरण स्पर्श आदि का निषेध किया है । यह निषेध भक्ति की दृष्टि से नहीं, बल्कि तैल आदि की मालिश करने की अपेक्षा से किया गया है । यदि कोई गृहस्थ श्रद्धा एवं भक्तिवश साधु

का चरण स्पर्श कर तो इसके लिए भगवान ने निषेध नहीं किया है । उपामकदशाग मंत्र में बताया गया है कि जब गौतम आनन्द श्रावक को दर्शन देने गए तो आनन्द ने उनके चरणों का स्पर्श किया था । इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई गृहस्थ वैयावृत्य करन या पैर शान्ति प्रक्षालन करने के लिए पैरों का स्पर्श करे तो माधु उसके लिए इन्कार करे । यह वैयावृत्य करवाने का प्रकरण चिनकल्पी एव स्थविर कल्पो ममी मुनियों में सम्बन्धित है अर्थात् किमी भी मुनि को गृहस्थ से पैर आदि की मालिश नहीं करवानी चाहिए और गृहस्थ से उनका प्रक्षालन भी नहीं करवाना चाहिए ।

इसी तरह यदि कोई गृहस्थ माधु को अपनी गोद में या पलंग पर बैठाकर अपने आभूषण आदि से सजाए या उसके सिर के बाल रोम, नख आदि को साफ करे तो साधु ऐसी क्रियाएँ न करवाए । इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि यह चिनकल्पी मुनि के प्रवर्णन का है, और यह केवल मुग्गवस्त्रिका और रत्नोद्धारण लिए हुए है । क्योंकि इस पाठ में बताया गया है कि कोई गृहस्थ मुनि के सिर के, कुक्षि के तथा गुप्तागों के जड़े हुए बाल दम्बकर उन्हें साफ करना चाहे तो माधु-एमा न करन दे । यहाँ पर मूछ एव दाढी के बालों का उल्लेख नहीं किया गया है । इस से स्पष्ट होता है कि मुग्गवस्त्रिका के कारण उसके दाढी एव मूछों के बाल गिराई नहीं देते हैं और चान्द एव चोलपट्टक नहीं होने के कारण कुनि एव गुप्तागों के बाल परिलक्षित हो रहे हैं । इससे यह भी सिद्ध होता है कि सचथा तग्न रहने वाले चिनकल्पी मुनि भी मुग्गवस्त्रिका और रत्नोद्धारण रगने थे अतः यदि कोई गृहस्थ कुक्षि आदि के बाल माफ कर तो साधु उससे साफ न कराए ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु को गृहस्थ से पैर दवाने आदि की क्रियाएँ नहीं करवानी चाहिए । क्योंकि यह कर्म बंध का कारण है इसलिए साधु मन, वचन और शरीर से इनका आसेवन न करे । और बिना किसी विशेष कारण के परस्पर भी शक्त क्रियाएँ न करे । क्योंकि दूसरे साधु के शरीर आदि का स्पर्श करने से मन में विकार भाव जागृत हो सकता है और स्नाय्याय का महत्त्वपूर्ण समय यों ही नष्ट हो जाता है । अतः साधु जो परस्पर में मालिश आदि करने में समय नहीं लगाना चाहिए । परंतु विशेष परिस्थिति में साधु अपने साधर्मिक साधु की मालिश आदि कर सकता है, उसके पात्रों को भी माफ कर सकता है । अस्तु, यह पाठ उरुमर्ग मार्ग से संबद्ध है और उत्सग मार्ग में साधु को परस्पर में ये क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—से सिया परो सुद्धेणं असुद्धेणं वा वइवलेण वा तेइच्छं आउट्टे से० असुद्धेणं वइवलेणं तेइच्छं आउट्टे० । से सिया परो गिलाणस्स सचित्ताणि वा कंदाणि वा मूलाणि वा तयाणि वा हरियाणि वा खणित्तु वा कड्डित्तु वा कड्ढावित्तु वा तेइच्छं आउट्टाविज्ज नो तं सा० २ कडुवेयणा पाणभूयजीवसत्ता वेयणां वेइंति, एयं खलु० समिए सया जए सेयमिणां मन्नि-ज्जासि । त्तिवेमि ॥१७३॥

छाया—तस्य स्यात् परः शुद्धेन अशुद्धेन वा वाग्वलेन चिकित्साम् आवर्तेत (व्याध्युपशमकर्तुमभिलषेत्) तस्य स्यात् परः अशुद्धेन वाग्वलेन चिकित्सामावर्तेत ॥ तस्य स्यात् परः ग्लानस्य सचित्तानि वा कन्दानि वा मूलानि वा त्वचो वा हरितानि वा खनित्वा कर्पित्वा वा कर्पयित्वा वा चिकित्सामावर्तेत (कर्तुमभिलषेत्) नो तामस्वादयेत् नो ता नियमयेत् । कटुकवेदना प्राणिभूतजीवसत्त्वा वेदनां वेदयन्ति । एतत् खलु० समितः सदा यतेत श्रेयइद् मन्येत । इति ब्रवीमि ।

पदार्थ—से—उस साधु की । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । सुद्धेणं—शुद्ध । असुद्धेणं—या अशुद्ध । वइवलेणं—मंत्रादि के बल से । तेइच्छं—चिकित्सा । आउट्टे—करनी चाहे । से—उस साधु की । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । असुद्धेणं—अशुद्ध । वइवलेण—मंत्रादि के बल से । तेइच्छं—चिकित्सा । आउट्टे—करनी चाहे । से—उस साधु की । सिया—कदाचित् । परो—गृहस्थ । गिलाणस्स—रोगी जान कर । सचित्ताणि वा—सचित्त । कंदाणि वा—कन्द या । मूलाणि वा—मूल । तयाणि वा—त्वचा—वृक्ष की छाल या । हरियाणि वा—हरि-वनस्पति काय को । खणित्तु—खोद करके । कड्डित्तु—निकाल कर या कड्ढावित्तु—निकलवा कर । तेइच्छं—चिकित्सा । आउट्टाविज्ज वा—करनी चाहे तो साधु । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन से न चाहे तथा । तं—उसको । नो नियमे—

वाणी स और शरीर स न कराए किन्तु मुनि यह मानना भावे कि। कष्टवेयना—यह जीव अशुभ कर्म का उपाजन करके उसके फल स्वरूप कटुक वेदना का अनुभव करता है और सभी। पाणभूयजीवसत्ता—प्राणी भूत जीव और सत्त्व अपने किए हुए अशुभ कर्म का अनुभार। वेयण—वेदना का। वेईति—अनुभव करते हैं। इस प्रकार की विचारणा से उत्पन्न हुए रोगपरीपह की वेदना को सम भाव स सहन करे। एय—इस प्रकार। अलु—निश्चय ही। तस्स—उस। भिक्खस्स २—साधु और साध्वी का यह। सामग्गिय—सम्पूर्ण आचार है। जाव—यावत्। समिए—पान्क गमितियों से युक्त साधु। सया—सत्ता इसके पालन करने में। जएज्जासि—यत्न करे और। सेयमिण—यह अनुप्रेक्षा मेरे लिए कल्याण प्रद है। मनि-जासि—ऐसा माने। सित्रेमि—इस प्रकार मैं कहता हू।

मूर्हार्थ—यदि कोई सद्गृहस्थ शुद्ध अथवा अशुद्ध मंत्रवत् से साधु की चिकित्सा करनी चाहे, इसी प्रकार किसी रोगी साधु को कन्द मूल आदि सचित्त वृक्ष, छाल और हरी वनस्पति या अवहनन करके चिकित्सा करनी चाहे तो साधु उसकी इस क्रिया को न तो मन से चाहे और न वाणी तथा शरीर से ऐसी सापद्य चिकित्सा कराए। किन्तु उस समय इस अनुप्रेक्षा से आत्मा को सान्त्वना देने का यत्न करे कि प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व जन्म के किए हुए अशुभ कर्मों के फलस्वरूप कटुकवेदना का उपभोग करते हैं। अतः मुझे भी स्वकृत अशुभकर्म के फलस्वरूप इस रोग जन्य वेदना को शान्ति पूर्वक सहन करना चाहिए। मेरे लिए यही कल्याणकारी है और इस प्रकार का चिन्तन करते हुए समभाव से वेदना को सहन करने में ही मुनि भाव का संरक्षण है। इसप्रकार मैं कहता हू।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि यदि कोई गृहस्थ शुद्ध या अशुद्ध मंत्र से या सचित्त वस्तुओं से चिकित्सा करे तो साधु उसकी अभिलाषा न रहे और न उसके लिए वाणी एवं शरीर से आशु दे। जिस मंत्र आदि की साधना या प्रयोग के लिए पशु पक्षी की हिंसा आदि। साध्य क्रिया करनी पड़े उसे अशुद्ध मंत्र कहते हैं। और जिसकी साधना एवं प्रयोग के लिए साध्य अनुष्ठान न करना पड़े उसे शुद्ध मंत्र कहते हैं परन्तु साधु उभय प्रकार की मंत्र चिकित्सा न कर और न अपने स्वास्थ्यलाभ के लिए

सचित्त औषधियों का ही उपयोग करे। वह प्रत्येक स्थिति में अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करे। वेदनीय कर्म के उदय से उदित हुए रोगों को समभाव पूर्वक सहन करे। वह यह सोचे कि पूर्व में बन्धे हुए अशुभ कर्म के उदय से रोग ने मुझे आकर घेर लिया है। इस वेदना का कर्ता मैं ही हूँ। जैसे मैंने हंसते हुए इन कर्मों का बंध किया है उसी तरह हंसते हुए इनका वेदन करूँगा। परन्तु इनको उपशान्ति के लिए किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूँगा और न तंत्र-मंत्र का सहारा ही लूँगा।

वृत्तिकार ने यही कहा है कि हे साधक, तुझे यह दुःख समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि बन्धे हुए कर्म समय पर अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते हैं। और इन सब कर्मों का कर्ता भी तू ही है। अतः उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख-दुःख को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि सदसद् का ऐसा विवेक तुझे अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विवेक पूर्वक तुम्हें वेदना को समभाव से सहन करना चाहिए।❀

‘चित्तेमि’ की व्याख्या पूर्ववत् समझे।

३। त्रयोदश अध्यायन समाप्त ॥

❀ पुनरपि सहनीयो दुःखपाकस्तवार्यं ।

न खलु भवति नाशः कर्मणा स चितानाम् ।

इति सहगणयित्वा यद्यदायाति सम्यक् ।

सदसदिति विवेकोऽन्यत्र भूयः कुतस्ते ।१।

— आचारंग वृत्तिं ।

चतुर्दश ग्रन्थयन

त्रयोदशवें अध्ययन में पर क्रिया का निषेध किया गया है और प्रस्तुत अध्ययन में स्थिर कल्पो साधुओं को पारम्परिक क्रिया करने का निषेध किया गया है। चित्तवृत्त एव प्रतिमा सपन मुनि ॥ काकी विचरते हैं, इसलिए यह अध्ययन उनसे सम्बद्ध नहीं है। क्योंकि उन्हें औषध आदि की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए इमहा सद्य स्थिर कल्पो मुनियों से है और उन्हें परस्पर औषध आदि क्रियाओं का प्रयोग करने का निषेध किया गया है। परन्तु किमी की सेवा शुश्रूषा एव वैयावृत्त्य के लिए की जाने वाला क्रिया के लिए निषेध नहीं किया है। सामान्यतः सूत्रकार का उद्देश्य साधु को स्वावलम्बी बनाने का है। उसका जीवन में आलस्य एवं प्रमाद न आए और वह आराम तलब होकर दूसरों पर आधारीत न रहे, इस दृष्टि से ही पारम्परिक क्रिया करने का निषेध किया है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भिक्वू वा २ अन्नमन्नकिरिय अज्झत्थिय
ससेइय नो त सायए० २ । से अन्नमन्न पाए आमज्जिज्ज
वा नो त०, सेस त चेव एय खलु० जइज्जासि त्तिवेमि ॥१७४॥

छाया—म भिक्वुर्वा २ अन्योन्यक्रिया आध्यात्मिकी मारलेपिकी नो तामा-
स्वादयेत् नो तां नियमयेत् । स अन्योऽन्य पादौ आमृज्याद् वा प्रमज्पात्
वा नो तामास्वादयेत् नो तां नियमयेत् । शेष तच्चैव, एतत् खलु तस्य भिक्षो
सामग्र्यं यत् मर्त्या यानत् सदापतेत् इति प्रथमि ॥

पद्या—स—वह । भिक्वू वा २—साधु या साध्वी । अन्नमन्न किरिय—
परस्पर सम्बन्ध क्रिया जोकि । अज्झत्थिय—आध्यात्मिकी—अपने आत्मा का विषय में की
हुई । ससमिय—मारलेपिकी पाप कम को उत्पन्न करने वाली है । त—उस क्रिया को ।
नो सायए—मन से न चाह । त—उस क्रिया को । नो नियम—बचन से न कह, और काया
बराए जैसे कि । से—वह साधु । अ न म न—परस्पर । पाए—चरणों को । आमज्जिज्ज

वा—थोडा मा मसले । पमज्जिज्ज वा—अथवा विशेष रूप से मसले तो । तं—उस क्रिया को । नो सायए—मन से न चाहे । तनो नियमे—तथा उस क्रिया को वचन और काया से न कराए । सेसं—शेष वर्णन । तंचेव—पूर्ववत् ही जानना चाहिए । खलु—निश्चय मे है । एव—यह । तस्स भिव्खुस्स २—उस साधु और साध्वी का । सामग्गिय—सम्पूर्ण आचार है । जं०—जोकि । सव्वट्ठहि—जानदर्शन और चारित्र्य रूप अर्थो से युक्त है । जाव—यावत् । सया—वह सदा इस का पालन करने का । जइज्जासि—यत्न करे । त्तिवेमि—इस प्रकार में कहता हू ।

मूलार्थ—वह साधु या साध्वी परस्पर अपनी आत्मा के विषय मे की हुई क्रिया-जोकि कर्म बन्धन का कारण है, को न मन से चाहे, न वचन से कहे, और न काया से कराए । जैसे कि परस्पर चरणों का प्रमार्जन आदि करना । शेष वर्णन त्रयोदशवं अध्यायन के समान जानना चाहिए । यह साधु का सपूर्ण आचार है, उसे सदा सर्वदा संयम को परिपालन में प्रयत्नशील रहना चाहिए । इसप्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पारस्परिक क्रिया का निषेध किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि साधु एक दूसरे साधु को यह न कहे कि तू मेरे पैर आदि की मालिश कर और मैं तेरे पैर की मालिश करूँ । परन्तु, इसका यह अर्थ नहीं है कि साधु किसी साधु की बीमारी आदि की अवस्था में गुरु आदिकी आज्ञा से उसकी सेवा भी नहीं करे । यह निषेध केवल बिना कारण ऐसी क्रियाएं करने के लिए किया गया है । जिससे जीवन मे आरामतलबी एवं प्रमाद न बढ़े और स्वाध्याय का समय केवल शरीर को सजाने एवं संवारने मे ही पूरा न हो जाए । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष कारण उपस्थित होने पर की जाने वाली सेवा-शुश्रूषा का निषेध नहीं किया गया है । क्योंकि आगम मे वैयावृत्य करने से मिलने वाले फल का निर्देश करते हुए बताया है कि यदि वैयावृत्य करते हुए उत्कृष्ट भावना आ जाए तो आत्मा तीर्थकर गोत्र

कर्म का बन्ध करता है। इस प्रकार वैयानृत्य से महानिर्वाण होना भा वनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि राग-द्वेष से ऊपर उठकर विना स्वार्थ से जी जाने वाली सेवा शुश्रूषा का सूत्रकार ने निषेध नहीं किया है।

‘तित्वेभि का अर्थ पूर्ववत् समम् ।

॥ चतुर्दश अध्यायन (द्वितीया चूला) समाप्त ॥

ॐ तयाव-वण भते जीवे कि जणघइ १ वेयाव-वेण नि-घमर नामगो-व बम्म निवघइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र २६, ४ ।

‡ ब्यवहार सूत्र, उद्भाग १० ।

तृतीया चूला—भावना अध्ययन

पञ्चदश अध्ययन

आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के नवम अध्ययन में भगवान महावीर की साधना का महत्त्वपूर्ण वर्णन मिलता है । उसमें भगवान महावीर की उत्कट साधना का सजीव रूप देखने को मिलता है । उसमें साधना के वर्णन के साथ भगवान के जीवन का परिचय नहीं दिया है । अतः उसकी पूर्ति प्रस्तुत अध्ययन में की गई है । इस में भगवान महावीर के जन्म एवं जीवन-चर्या का उल्लेख करके उनके द्वारा स्वीकृत ५ महाव्रतों की २५ भावनाओं का वर्णन किया गया है । इसमें भगवान को कुमार ग्राम से लेकर जूभिका तक क्या २ कष्ट आए इसका वर्णन नहीं किया गया है । क्योंकि यह विवरण उपधान अध्ययन में किया जा चुका है, अतः उसे यहाँ फिर से नहीं दोहराया गया । इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत अध्ययन तीसरी चूला के रूप में सन्निहित होने के कारण उपधान अध्ययन की संपूर्ति रूप कहा जा सकता है । प्रस्तुत अध्ययन का महत्त्व भगवान के दिव्य, भव्य एवं कल्याणकारी जीवन की अलौकिकता को दिखाने में है और उस आदर्श जीवन की साधना से प्रेरणा लेकर साधक के जीवन में साधना का उज्ज्वल प्रकाश फैलाने में है । अतः भगवान महावीर के जीवन का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तेषां कालेणां तेषां समएणां समणो भगवं महावीरे
पंचहत्थुत्तरे यावि होत्था, तंजहा-हत्थुत्तराहिं चुए, चइत्ता गव्भं
वक्कंते हत्थुत्तराहिं गव्भाओ गव्भं साहरिए हत्थुत्तराहिं जाए
हुत्थुत्तराहिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए हत्थु-
त्तराहिं कसिणो पडिपुराणे अवाघाए निरावरणो अण्णत्तरे
केवलवरणाणदंसणो समुप्पन्ने, साइणाभगवं परिनिव्वुए ॥१७५॥

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महावीरः

पचहस्तोत्तराचापि अभूत् । तद्यथा हस्तोत्तरामुच्युत च्युता गर्भे व्युत्क्रात
 ११। हस्तोत्तरामु गर्भाद् गर्भं महत् १२। हस्तोत्तरास चात १३। हस्तोत्तरामु
 मुण्डोभूया अगारादनगारता प्रवृजित १४। हस्तोत्तरामु, कृत्स्न प्रतिपूण अथा
 घात निरावरणमनन्तमनुत्तर केवलपरज्ञानदर्शन समुत्पन्नम १५। स्वाति
 भगवान्परिनिवृत् ।

पदाथ—तेषां कालेण—उस काल और । तेषामेण—उस समय । सपण—श्रमण ।
 भगव—भगवान् । महावीरे—महावीर स्वामी के । पचहस्त्युत्तरा होत्या—पाच कर्षणक उत्तरा
 फाल्गुनी नक्षत्र में हुए । तजहा—जमे । हस्त्युत्तराहि च्युए—उत्तराफाल्गुनी में देवलोक में च्यन
 हुए । चइत्ता—च्युत होकर । गभववकते—गभ म उत्पन्न हुए । हस्त्युत्तराहि—उत्तरा फा गुनी
 में । गढमाप्नो—गभ मे । गभ—गर्भ में प्रथम एक गभ से दूसरे गभ में । सहरिए—सहरण
 किये गए । हस्त्युत्तराहि—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में । जाण—उत्पन्न हुए । हस्त्युत्तराहि—उत्तरा
 फाल्गुनी नक्षत्र में । मूढ भविता—मुण्डित होकर । आगाराधे—घर में निकल कर । अगारिय
 साधु दति म । प चइए—प्रवृजित हुए प्रथम साधु बने । हस्त्युत्तराहि—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में ।
 अनन्त—अनन्त । अणुत्तर—प्रधान । अ वाघाए—निर्व्याघात व्याघात रहित । निरावरण—निरा
 वरण आवरण रहित । कसिणे—सम्पूण । पडिपुण्ण—प्रतिपूण । वर—प्रधान । केवलनाण—
 केवल ज्ञान । दसण—केवल दर्शन मे । समुत्पण्ण—समुत्पन्न हुए और । माइणा—स्वाति नक्षत्र
 में । भगव—भगवान् । परिनिवृए—मोक्ष का प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के पाच
 कर्षणक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हुए । जैसे कि भगवान् उत्तराफाल्गुनी
 नक्षत्र में देवलोक में च्यव कर गर्भ में उत्पन्न हुए, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में
 ही गभ से गर्भान्तर में सहरण किये गए । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में ही
 भगवान् ने जन्म लिया । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में ही भगवान् मुण्डित हो
 कर सागर से अनगर-साधु बने और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही भगवान्
 ने अनन्त, प्रधान, निर्व्याघात, निरावरण कृत्स्न, प्रतिपूण केवल ज्ञान और
 केवल दर्शन को प्राप्त किया और स्वाति नक्षत्र में भगवान् मोक्ष पधार ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान् महावीर के पाच कर्षणक उत्तरा

फाल्गुनी नक्षत्र मे हुए और एक स्वाति नक्षत्र में हुआ। भगवान का गर्भ मे आना, गर्भ का गर्भान्तर मे संहरण, जन्म, दीक्षा एव केवल ज्ञान की प्राप्ति ये पाँचों कार्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे हुए और स्वाति नक्षत्र मे निर्वाण पद प्राप्त किया। इससे ६ कल्याणक सिद्ध होते हैं, परन्तु वस्तुतः देखा जाए तो कल्याणक ५ ही हुए है। गर्भ संहरण को नक्षत्र साम्य की दृष्टि से साथ मे गिन लिया गया है। परन्तु, इसे कल्याणक नहीं कह सकते। यह तो एक आश्चर्य जनक घटना है। यदि इसके उल्लेख मात्र से इसे कल्याणक माना जाए तो फिर भगवान ऋषभ देव के भी ६ कल्याणक मानने पड़ेगे। क्योंकि आगम में लिखा है कि भगवान के पाच कार्य उत्तरापादा नक्षत्र में और एक अभिजित् नक्षत्र में हुआ ॐ। परन्तु इतना उल्लेख मिलने पर भी उनके ५ कल्याणक माने जाते है। क्योंकि विशिष्ट बात को कल्याणक नहीं माना जाता है। केवल नक्षत्र की समानता के कारण उसका साथ में उल्लेख कर दिया जाता है।

प्रस्तुत सूत्र में 'उस काल और उम समय में' इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें 'काल' चौथे आरे का बोधक है और 'समय' जिस समय भगवान गर्भ आदि में आए उस समय का संसूचक है। काल से पूरे युग का और समय से वर्तमान काल का परिज्ञान होता है।

भग-रूपन्न व्यक्ति को भगवान कहा गया है। भग शब्द के १४ अर्थ होते है—१ अर्क, २ ज्ञान, ३ महात्मा, ४ यश, ५ वैराग्य, ६ मुक्ति, ७ रूप, ८ वीर्य (शक्ति), ९ प्रयत्न, १० इच्छा, ११ श्रो, १२, धर्म, १३ ऐश्वर्य और १४ योनि। इनमें प्रथम और अन्तिम (अर्क और योनि) दो अर्थों को छोड़कर शेष सभी अर्थ भगवान मे सघटित होते हैं।

'हृत्थुत्तरे' शब्द का अर्थ है जिस नक्षत्र के आगे हस्त नक्षत्र है उसे 'हृत्थुत्तरे' नक्षत्र कहते है। गणना करने से उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र ही आता है।

इस विषय को विस्तार से स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है—

**मूलम्—समणो भगवं महावीरे इमाए त्रयोसपिणीए सुसम-
सुसमाए समाए वीइक्कंताए सुसमाए समाए वीइक्कंताए सुसम-
दुस्समाए समाए वीइक्कंताए दूसम सुसमाए समाए बहुविइक्कं-**

ॐ पंच उत्तरापादं अग्नीय छट्ठे ।—जम्बूद्वीप प्रजाप्ति ।

ॐ भगोऽस्यास्तीति भगवान ।

ताए पन्नहत्तरीए वासेहि मासेहि य अद्द नवमेहि सेसेहि
जे से गिम्हाण चउत्थे मासे अट्ठमे पक्खे आसाटसुद्धे तस्स ण
आसाढसुद्धस्स छट्ठीपक्खेण हत्थुत्तराहि नक्सत्तेण जोगमुवाग
एण महाविजयसिद्धत्थपुफुत्तरपरपुडरीयदिसामोवत्थियवद्धमाणा
ओ, महाविमाणाओ वीस सागरोवमाड आउय पालइत्ता आउ-
क्खएण ठिडक्खएण भवक्खएण चुए चट्ता इह खलु जवुद्धीवे
ण दीवे भारहेवासे दाहिणइत्तभरहे दाहिणमाहणकुडपुरसनि-
देममि उमभदत्तस्स माहणस्म कोडालमगोत्तस्स देवाणदाण माह
णीए जालधरस्मगुत्ताए सीहुवभवभूएण अप्पाणेण कुच्छिसि
गम्भ पक्कते ।

छाया—अमणा भगवान् महागौर' अस्या अत्रमार्पण्या सुपमसुपमाया
ममाया व्यतिक्रान्ताया, सुपमाया समाया व्यतिक्रान्ताया, सुपमदपमाया समाया
व्यतिक्रान्ताया दुपम सुपमाया समाया बहुव्यतिक्रान्ताया पचमप्तति वर्षेषु
मामेषु च अर्द्धनवमषु शर्षेषु योऽमो ग्रीष्मस्य चतुर्थो मास अष्टम पत्र
आपाढ शुद्ध (आपाढ शुक्ल) तस्य आपाढ शुद्धस्य पष्ठीपक्षेण हस्तोचराभि
नक्षत्रेण योगमपागत महात्रिचयमिद्वार्थपुत्रोचरवरपुण्डरीकदिग् स्वस्तिक वर्द्धमा
नात् महात्रिमानात् त्रिगतिसागरोपमानि आयुष्क पालयित्वा आयु क्षयण
स्थिति क्षयण मत्र क्षयण न्युन व्युत्सा इह खलु जम्बूद्वीपे द्वापे भारतं वर्षे
ददि एाद्द भरते दक्षिणनाक्षर कुण्डपुरसनिवशे ऋषभदत्तस्य ब्राह्मणस्य नडाल
गोत्रस्य देवानदाया ब्राह्मण्या जालन्धरगात्राया सिद्धो भवभूतन अत्मना
वृक्षो गर्भ व्युत्क्रान्त ।

पदार्थ—समणे—श्रमण । भगवं — भगवान् । महावीरे—महावीर । इमाए—इस ।
 श्रोसपिणीए—श्रवसपिणी काल के । सुसमसुसमाए—सुषम सुषम नाम वाले चार कोटा कोटी
 सागर प्रमाण वाले । समाए—प्रथम आरे के । वीइक्कताए—व्यतीत हो जाने पर, तथा ।
 सुसमाएसमाए वीइक्कताए—सुषमा नाम वाले तीन कोटा कोटी सागर प्रमाण वाले दूसरे आरे
 के वीत जाने पर । सुसमदुसमाए समाए वीइक्कताए—सुषम दुषम नाम वाले दो कोटा कोटी
 सागर प्रमाण वाले तीसरे आरे के वीत जाने पर तथा । दुसमसुसमाए समाए वहुवीइक्कताए—
 दुषम सुषम नाम वाले चतुर्थ आरे के बहुत वीत जाने पर, अर्थात् चतुर्थ आरक ब्यालीस हजार
 वर्ष कम एक कोटा कोटी सागरोपम प्रमाण का होता है, उसके केवल । पन्नहत्तरीए वासेहि—
 ७५ वर्ष । य—और । अद्धनवमेहिमासेहि—साढ़े आठ मास । सेसेहि—शेष रहने पर । जे—
 जो । से—यह । गिम्हाणं—श्रीष्म ऋतु का । चउत्थेमासे—चौथा मास । अट्ठमेपक्खे—
 आठवा पक्ष । आसाइवुद्धे—आषाढ शुक्ल । ण—वाक्यालंकार मे है । तस्स—उस ।
 आसाइसुद्धस्स—आषाढ शुक्ल पक्ष की । छट्ठीपक्खेणं—छठी रात्रि मे । हत्थुतराहिन्वत्तणं—
 उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगमुवागएणं—चन्द्रमा का योग आजाने पर अर्थात् उत्तरा
 फाल्गुनी मे चन्द्रमा के आजाने पर । महाविजयसिद्धत्थमुफुन्नरवरपुण्डरीयविसासोवत्थि
 यवद्ध साणाओ—महाविजय सिद्धार्थ, पुष्पोत्तर प्रधान, पुंडरीक-कमलवत् श्वेत, दिक्, स्वस्तिक,
 वर्द्धमान नाम वाले । महाविमाणाओ—महा विमान से । वीससागरोवमाइ—बीस सागरोपम
 की । आउर्यं—आयु को । पालइत्ता—पूर्ण कर के । आउक्खएणं—देवायु को क्षय करके ।
 ठिइक्खएणं—वैक्रिय शरीर की स्थिति का क्षय करके । मक्खएणं—और देवगति नाम कर्म का
 क्षय करके अर्थात् देव भव को समाप्त करके । चुए—वहाँ से च्यवे । चइत्ता—च्यवकर ।
 खलु—निश्चयार्थक है । इह—इस । जंबुद्वीवे ण दीवे—जम्बूद्वीप नाम के द्वीप में । भारहेवामे—
 भारत वर्ष के भरत क्षेत्र के । दाहिणइड्ढरहे—दक्षिणाद्धं भरत खण्ड में । दाहिणमाहण
 कुंडपुरसंनिवेशंमि—दक्षिण दिशा में ब्राह्मण कुंडपुर संनिवेश में । कोडालगोत्तस्स—कोडाल
 गोत्री । उसमदत्तस्स—ऋषभ दत्त । ब्राह्मणस्स—ब्राह्मण की । जालधरस्स गुत्ताए—जालन्धर
 गोत्रवाली । देवानन्दा ए—देवानन्दा । माहणीए—ब्राह्मणी की । कुच्छिसि—कुक्षी मे ।
 सीहुव्वभवभूएण—सिंह की तरह अर्थात् गुफा मे प्रवेश करते हुए सिंह की भांति । अप्पाणेणं—
 अपनी आत्मा से । गव्वं वक्कते—गर्भने उत्पन्न हुए अर्थात् गर्भ में आए ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर इस श्रवसपिणी काल के सुषम-सुषम
 नामक आरक, सुषम आरक, सुषम-दुषम आरक के व्यतीत होने पर
 और दुषम-सुषम आरक के बहु व्यतिक्रान्त होने पर, केवल ७५ वर्ष,
 साढ़े आठ मास शेष रहने पर श्रीष्म ऋतु के चौथे मास, आठवें पक्ष आषाढ

शुक्ला पट्ठी की रात्री को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर महाविजय सिद्धाथ, पुष्पाक्षर वर पुण्डरीक, दिक्स्वस्तिक, बद्धमान नाम के महाविमान स वीस मागरोपम की आयु का परी करके देवानु, देवस्थिति और देव भव का क्षय करके, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षत्र के दक्षिणार्द्ध भारत के दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड पुर सन्निवेश में कुडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की जालन्धरगोत्रीय देवानन्दा नामकी ब्राह्मणी की कुक्षि में सिंह की तरह गभ रूप में उत्पन्न हुए ।

हिन्दी विवचन

इस सूत्र में बताया गया है कि भगवान महावीर अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आरम्भ के ७५ वर्ष साठ महीने शेष रहने पर ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा की कुक्षि में आण । यही काल चक्र के मध्य में कुछ उल्लेख किया गया है । यह हम देखते हैं कि काल (समय) मदा अपनी गति से चलता है । और समय के साथ इस क्षेत्र में (भरत क्षेत्र में) परिस्थितियों एवं प्रकृति में भी कुछ परिवर्तन आता है । अभी प्रकृति में निरास होता है, तो कभी हास होता है । जिस काल में प्रकृति उत्थान से हाम की ओर गतिशील होती है उस काल को अवसर्पिणी काल कहते हैं और निसम प्रकृति हास से गति की ओर दन्ती है उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं । प्रत्येक काल चक्र ६ आरम्भ में विभक्त है और १० कोटा कोटा (१० करोड़ X १० करोड़) मागरोपम का होता है । इस तरह पूरा काल चक्र २० कोटा कोटा मागरोपम का होता है । भगवान महावीर अवसर्पिणी कालचक्र के चौथे आरम्भ—जो २२ हजार वर्ष कम एक कोटा कोटी सागर का है ७५ वर्ष ८॥ महीने शेष रहने पर प्राण नाम १ स्वर्ग से जिसे महाविजय, सिद्धाथ वर पुण्डरीक, दिक्स्वस्तिक और बद्धमान भी कहते हैं अपने आयुष्य को पूरा करने भारतवर्ष के दक्षिण ब्राह्मण कुण्डपुर में ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा की कुक्षि में उत्पन्न हुए ।

कुछ हस्तलिखित प्रतियों में 'सोहभ्रभूण' के स्थान में 'सोहभ्रभूतेण' पलब्ध होता है और यह पाठ अमदिग्ध प्रतीत होता है ।

इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रार्थ कहते हैं—

मूलम्—समणे भगव महावीरे तिन्नाणोवगए यावि दुत्था,

चइस्सामिति जाणइ, चुएमिति जाणइ, चयमाणे न जाणइ, सुहुमेणं
से काले पन्नत्ते ।

छाया—श्रमणो भगवान् महावीरः त्रिज्ञानोपगतश्चापि अभवत् च्योष्ये
इति जानाति च्युतोस्मीति जानाति च्यवमानो न जानाति सूक्ष्मः स कालः
प्रज्ञप्तः ।

पदार्थ—समणे—श्रमण । भगव—भगवान् । महावीरे—महावीर स्वामी।
तिन्नाणोवगएयावि होत्था—तीन ज्ञानो से युक्त थे अतः । चइस्सामिति जाणइ—वे ऐसा
जानते थे कि मैं यहा से च्यव कर मनुष्य लोक मे जाऊंगा तथा । चुएमिति जाणइ—वे यह
भी जानते थे कि मैं स्वर्ग से च्यव कर गर्भ मे आया हू परन्तु । चयमाणे न जाणइ—वे यह
नही जानते थे कि मैं च्यव रहा हूँ क्योकि । सुहुमेणं से काले पन्नते—यह काल अर्थात् च्यवन
काल अत्यन्त सूक्ष्म कहा गया है ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर तीन ज्ञान (मतिज्ञान श्रुतज्ञान और
अवधि ज्ञान) से युक्त थे वे यह जानते थे कि मैं स्वर्ग से च्यवकर मनुष्य
लोक मे जाऊगा, मैं वहां से च्यव कर अब गर्भ मे आगया हूं । परन्तु वे
च्यवन समय को नही जानते थे । क्योकि वह समय अत्यन्त सूक्ष्म होता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान महावीर गर्भ में आए उस समय
तीन ज्ञान से युक्त थे—१ मतिज्ञान, २ श्रुत ज्ञान और ३ अवधि ज्ञान । मति और
श्रुत ज्ञान मन और इन्द्रियों की सहायता से पदार्थों का ज्ञान कराता है । परन्तु,
अवधि ज्ञान में मन और इन्द्रियों के बिना सहयोग के ही आत्मा मर्यादित क्षेत्र में
स्थित रूपी पदार्थों को जान और देख सकता है । भगवान महावीर को भी स्वर्ग में
एवं जिस समय गर्भ में आए तब से लेकर गृहस्थ अवस्था में रहे तब तक तीन ज्ञान
थे । वे स्वर्ग के आयुष्य को पूरा करके मनुष्य लोक में आने के समय को जानते थे
और गर्भ में आने के बाद भी वे इस बात को जानते थे कि मैं स्वर्ग से यहां आ गया
हूँ । परन्तु जिस समय वे स्वर्ग से च्युत हो रहे थे उस समय को नहीं जान रहे थे । क्योकि
यह काल बहुत ही सूक्ष्म होता है, ऋजु गति मे एक समय लगता है और वक्रगति मे
आत्मा जवन्य दो और उत्कृष्ट ४ समय मे अपने स्थान पर पहुंच जाता है । और
इतने सूक्ष्म समय मे छद्मस्थ के ज्ञान का उपयोग नही लगता । अतः च्यवन के समय

वे अपने ज्ञान का उपयोग नहीं लगा सकते थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् गर्भ काल में तीन ज्ञान से युक्त थे।

*स विषय मे कुछ और बातें बताते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो ण समणे भगव महावीरे हियाणुकपण
 देवेण जीयमेय तिकट्टु जे से वामाण तच्चे मामे पचमे , पक्खे
 यासोयवहुले तस्सण यासोयवहुलस्स तेरसीपक्खेण दत्थुत्तराहिं
 नखत्तेण जोगमुआगण वामीहि राडदिएहि वडक्कतेहि तेसीड
 मस्म राडदियस्म परियाए वट्टमाणे दाहिणमाहणकुडपुरसन्निवे
 सा यो उत्तरखत्तिथकुडपुरमनिवेससि नाथाण खत्तियाण सिद्धत्थस्स
 खत्तियस्स कासवगुत्तस्स तिसलाए खत्तियाणीए वासिट्ठम
 गुत्ताए यसुभाण पुग्गलाण अबहार करित्ता सुभाण पुग्गलाण
 पक्खेण करित्ता कुच्छिसि गम्भ साहरइ जे विय से तिसलाए
 खत्तियाणीए कुच्छिसि गम्भे तपि य दाहिणमाहणकुडपुर
 सनिवेससि उस० को० देवा० जालन्धरायणगुत्ताए कुच्छिसि
 गम्भ माहरड ।

छाया—तत श्रमणो भगवान् महावीर हितानुक्मण्केन देवेन जीत
 मेतत् इति कत्वा य स वर्षाणा ततीय* मास, पचम पक्ष आश्विन
 कण्ण तस्य आश्विनकण्णस्य त्रयोदशीपक्षेण उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रेण
 योगमुपागतेन द्व्यशीती रात्रिदिवे व्यतिक्रान्ते त्र्यशीतितमस्यरात्रिदिवस्य
 पर्याये वर्तमाने दक्षिणब्राह्मणकुण्डपुरसनिवेशात् उत्तरक्षत्रियकुण्डपुर

सन्निवेशे ज्ञाताना क्षत्रियाणां सिद्धार्थस्य क्षत्रियस्य काश्यपगोत्रस्य त्रिशला-
याः क्षत्रियाण्याः वासिष्ठगोत्रायाः अशुभानां पुद्गलानां अपहार कृत्वा
शुभानां पुद्गलानां प्रक्षेपं कृत्वा कुक्षौ गर्भं समाहरति (मुञ्चति) ।
योऽपिच तस्याः त्रिशलायाः क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गर्भः तमपिच दक्षिण-
ब्राह्मणकुण्डपुरसन्निवेशे ऋषभदत्तस्य कोडालगोत्रस्य देवानदाया ब्राह्मण्याः
जालन्धरायणगोत्रायाः कुक्षौ गर्भं समाहरति (मुञ्चति) ।

पदार्थ—ण—वाक्यालकार मे है । तस्रो—तत् पश्चात् । समण—श्रमण । भगवं-
भगवान् । महावीरे—महावीर स्वामी के । हियाणुकुपण देवेण—हित और अनुकम्पा करने
वाले देव ने । जीयमेयंतिकट्टु—यह हमारा जीत आचार है इस प्रकार कहकर तथा इस
प्रकार करके । जे से—जो यह । वासाण—वर्षा काल का । तच्चेमासे—तीसरा मास । पंचमें-
पवखे—पाचवा पक्ष । आसोयवहुले—आश्विन मास का कृष्ण पक्ष । णं—वाक्यालकार मे है ।
तस्स—उस । आसोय बहुलस्स—आश्विन कृष्ण पक्ष के । तेरसीपक्खेण—त्रयोदशी के दिन ।
हत्थुत्तराहिंनवखत्तेण—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगमुवागएण—चन्द्रयोग के होने पर ।
वासीहिं—८२ । राइंदिएहिं—ग्रहोरात्र-रातदिन के । वड्ढकतेहिं—व्यतीत होने पर । तेसीइ-
मस्स—८३ वे । राइंदिस्स—दिन के । परिआए—पर्याय के । वट्टमाणे—व्रतने पर अर्थात्
८३ वे दिन की, रात्रि मे । दाहिणमाहणकुण्डपुरसंनिवेशास्रो—दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड पुर
संनिवेश से । उत्तरखत्तिवकुण्डपुरसंनिवेशसि—उत्तर क्षत्रिय कुंड पुर सन्निवेश मे । खत्तियाण-
क्षत्रियो मे प्रसिद्ध । नायाणं—ज्ञात वक्षीय । कासवगुत्तस्स—काश्यप गोत्र वाले । सिद्धत्थस्स—
सिद्धार्थ । खत्तियस्स—क्षत्रिय की भार्या । वासिठ्ठगुत्ताए—वासिष्ठ गोत्रवाली । तिसला
खत्तियाणीए—त्रिशला क्षत्रियाणी के । असुमाणं पुग्गलाण—अशुभ पुद्गलो की । अवहारं
करित्ता—दूर करके । सुभणं पुग्गलाण—शुभ पुद्गलो का । पवखेवकरित्ता—प्रक्षेपण करके
उसकी । कुच्छिसि—कुक्षी गर्भाशय में । गव्भं साहारइ—उस गर्भ को छोड़ता-प्रतिष्ठित करता
है । य—और । जे वि—जो फिर । से—उस । तिसलाए—त्रिशला । खत्तियाणीए—क्षत्रियाणी
की । कुच्छिसि—कुक्षि मे । गव्भे—गर्भ था । य— और । तंपि—फिर उसको । दाहिण माहण
कुण्डपुर संनिवेशसि—दक्षिण ब्राह्मण कुण्ड पुर सन्निवेश मे ले जाकर । कोडालगोत्तस्स—
कोडाल गोत्रीय । उसम दत्तस्स—ऋषभ दत्त । माहणस्स—ब्राह्मण की भार्या । जालधरा-
यणगुत्ताए—जालन्धर गोत्र वाली । देवानन्दामाहणीए—देवानन्दा ब्राह्मणी की । कुच्छिसि—
कुक्षि मे । गव्भ साहारइ—उस गर्भ को छोड़ता —प्रतिष्ठित करता है ।

मूलार्थ—देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में अने के वाद श्रमण भगवान्
महावीर के हित और अनुकम्पा करने वाले देवने, यह जीत आचार है ।

ऐसा कहकर वर्षाकाल के तीसरे मास, पाचवें पक्ष अर्थात्—आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होने पर ८२ रात्रिदिन के व्यतीत होने और ८३वें दिन की रात को दक्षिण ब्राह्मण कृण्ड पुर सन्निवेश से, उत्तर क्षत्रिय कृण्ड पुर सन्निवेश में ज्ञात वशाय क्षत्रियो में प्रसिद्ध काश्यपगोत्री सिद्धाथ राजा की वासिष्ठ मान वाला पत्नी त्रिशला महाराणी के अशुभपुद्गलो को दूर करके उनके म्यान में शुभ पुद्गलो का प्रक्षेपण करके उसकी कुक्षि में गभ को रखा, और जो त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि में गभ था उसको दक्षिण ब्राह्मण कृण्डपुर सन्निवेश में जाकर कांडालगोत्रोत्पन्न ऋषभ दत्त ब्राह्मण की जालधर गोत्रवाली देवानदा ब्राह्मणी को कुक्षि में स्थापित किया ।

हिंदी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर के गभ को स्थानान्तरण करने का वर्णन किया गया है । ८२ दिन तक भगवान महावीर देवानदा के गभ में रहें थे । उसके बाद ब्राह्मण कुल को ताथकरो के जन्म योग्य न जानकर इंद्र की आज्ञा से भगवान महावीर के एक हितचिंतक देव ने उन्हें देवानदा के गभ से निकाल कर त्रिशला के गभ में रख दिया ।

यह घटना आश्चर्यजनक अवश्य है, परंतु असम्भव नहीं है । आज भी हम देखते हैं कि वैज्ञानिक आप्रेशन के द्वारा गभ का परिवर्तन करते हैं और इस क्रिया में गभ का नाश नहीं होता है । एक गभ स्थाण से स्थानान्तरित किए जाने पर भी उसका विकास रुकना नहीं है । और भगवान महावीर के गभ का परिवर्तन करने का वर्णन आगमों में अनेक जगह मिलता है^१ । भगवती सूत्र में देवानदा ब्राह्मणी के सम्बन्ध में गौतम के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मेरी माता है^२ । इसके अतिरिक्त कल्प सूत्र में गभ संहारण के सम्बन्ध में

^१ स्थानाग सूत्र, स्थान ५ उ० १, स्थान १, समावायांग सूत्र, ८२-८३, दण्डश्रुतस्फुट सूत्र, दण्ड ८ ।

^२ तएण सा देवानदा माहणी आगयपग्गया पप्पुवल्लोयणा सवरिय वत्तिय वाहा कच्चुय पत्थिक्खि वत्तिया धाराहत्तकलवपुक्कगपिव समुम्मसितयोमवूवा समण भगव महावीर

विस्तार से वर्णन किया गया है। और कल्प सूत्र में वर्णित वीर वाचना(महावीर के चरित्र) का आधार आचारांग का प्रस्तुत अध्ययन ही है। कल्प सूत्र के कई पाठ आचाराङ्ग के पाठ से अक्षरशः मिलते हैं। और विषय का साम्य तो प्रायः सर्वत्र मिलता ही है। इस से ऐसा प्रतीत होता है कि आचारांग के प्रस्तुत अध्ययन का कल्प सूत्र में कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है। और समवायोंग सूत्र में उत्तम पुरुषों का वर्णन प्रारम्भ करते हुए कल्प सूत्र का उल्लेख किया गया है, इससे कल्पसूत्र की रचना का आधार आगम ही प्रतीत होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि आगमों में अनेक स्थलों पर गर्भ खंहारण का उल्लेख प्राप्त होने के कारण इस घटना को घटित होने में सन्देह को अवकाश नहीं रह जाता।

अथ सूत्रकार आगे कहते हैं—

मूलम्—समणो भगवं महावीरे तिन्नाणोवगए यावि होत्था-
साहरिज्जिस्सामित्ति जाणइ, साहरिज्जमाणे वि जाणइ,
साहरिणमित्ति जाणइ समणाउसो ।

छाया—श्रमणो भगवान् महावीरं त्रिज्ञानोपगतश्चापि अभवत्, समाहरिष्ये
इति जानाति, समाह्वियमाणोऽपि जानाति, समाहृतोऽस्मीति जानाति
श्रमणायुष्मन् ।

अणिमिसाए दिट्ठीए देहमाणी २ चिट्ठइ ॥१२॥ भतेति भगव गोयमे समण भगव महावीरं
वेदइ, णमंमइ वदिता णमसिन्ता एव वयासी, कि णं भते । एसा देवाण दामाहणी आगयणहया
त्तचेव जाव रोमकूवा, देवाणुणिए अणिमिसाए दिट्ठीए देहमाणी २ चिट्ठइ ? ॥१३॥ गोयमादि
समणे भगवं महावीरे भगव गोयम एवं वयासी, एव खलु गोयमा । देवानंदा माहणी मम
अम्मगा, अहंण देवाणदाए साहणीए अत्तए, तएणं सा देवाणदा माहणी पुव्वपुत्त सिणेहारु-
राणेण आगयणहया जाव समुत्तसियरोमकूवा मम अणिमिसाए दिट्ठीए देहमाणी २ चिट्ठइ ।

—भगवती सूत्र, अ०६, उ० ३३, सूत्र १४१ ।

‡ तेणं कालेण तेण समएण कप्पस्स समोत्तरणंणयव्व जाव गणहरा, सावच्चं
निरव्चना बोच्छिणा ।

पदार्थ—समभारतो ?—आयुष्मन् श्रमण ! । सन्ने—श्रमण । भगव—भगवान् । महावीर—महावीर । तिनानोवगए यावि होत्था—तीन-मति श्रुत और अवधि ज्ञानों से युक्त थे । साहरिज्जमाण वि जाणइ—वन्मान में बहुत किए जाने को भी जानते हैं तथा । सहए—मिति जाणइ—में सहृदय हुआ चुका हूँ एवं स्थान में दूसरे स्थान में स्थापित किया जा चुका हूँ । धर्मात्त दवान् ७ प्राद्वगी की कृपा से कृपा का दर्शनपामी की कृपा से प्रतिष्ठित किया जा चुका हूँ यह भी जानते थे ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् श्रमणो ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी गर्भावास में तीन ज्ञान, मति श्रुत अवधि से युक्त थे । मैं इस स्थान से सहृदय किया जाऊंगा, तथा मेरा सहृदय हो रहा है और मैं सहृदय किया जा चुका हूँ । यह सन् जानते थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह उतारा गया है कि भगवान् महावीर गर्भावास में मति श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों से युक्त थे । वे अपने अवधिज्ञान से यह जानते थे कि मेरे गर्भ का सहृदय किया जाएगा और जिस समय देव उनके गर्भ का सहृदय कर रहा था उस समय भी वे जानते थे कि मुझे स्थानान्तरित किया जा रहा है और निराला की बुद्धि में रहने के बाद भी जाते थे कि मुझे देवानन्दा को कृति से यथा लाया गया है इस तरह वे अपने गर्भ सहृदय के सम्बन्ध में हुई समस्त क्रियाओं को जानते थे ।

आगमोद्भय समिति द्वारा प्रकाशित आचाराङ्ग सूत्र में एव कल्प सूत्र में "साहरिज्जमाणो जाणइ" के स्थान पर 'साहरिज्जमाणो नो जाणइ' पाठ द्रष्टा हैं । परन्तु प्राचीन हस्त लिखित ७३ अन्य मुद्रित ग्रन्थों में "साहरिज्जमाणो जाणइ" पाठ उपलब्ध होता है । आगमोद्भय समिति से प्रकाशित आचाराङ्ग का पाठ कल्पसूत्र एव वसन्ता सुबोधिका व्याख्या के आधार पर रखा गया है । परन्तु यह पाठ उचित प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि स्वर्ग से गर्भ में आते समय का काल बहुत सूक्ष्म होने के कारण वे उसे नहीं जानते हैं । परन्तु गर्भ सहृदय काल इतना सूक्ष्म नहीं होता है । देवद्वारा की जान पाली सहृदय की क्रिया में अन्तर सुदूर्त का समय लग जाता है । अतः इस काल में होने वाली क्रिया को वे जान सकते हैं । और कल्प सूत्र की 'सुबोधिका टीका' के लेखक उपाध्याय श्री विनय विनय जी उस पर विचार चर्चा करते हुए प्राचीन प्रतियों

के पाठ का ही समर्थन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है "साहरिज्जमारो जाणइ" परठ ही प्रामाणिक है।

इस प्रसंग पर यह प्रश्न हो सकता है कि गर्भ का संहरण करते समय गर्भ को कोई कष्ट तो नहीं होता ? आगम में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इस क्रिया से गर्भ को कोई कष्ट नहीं हुआ। यह क्रिया देव द्वारा निष्पन्न हुई थी, इसलिए गर्भस्थ जीव को बिल्कुल त्रास नहीं पहुंचा। उसे मुख पूर्वक एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानान्तरित कर दिया गया।

भगवान के जन्म के विषय का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तेषां कालेषां तेषां समेषां तिस्रसां स्वत्तिया-
णीए अहऽन्नया कयाई नराहं मानाणां बहु मडिपुणणाणां अद्धट्ठ-
माण राइंदियाणां वीइकंताणां जे से गिम्हाणां पढमे मासे दुच्चे
पक्खे चित्तसुद्धे तस्स णां चित्तसुद्धस्स तेरसीपक्खेणां हत्थु० जोग०
समाणां भगवं महावीरं अरोग्गा अरोग्गं पसूया ।

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये त्रिशलायाः त्रियाण्याः अथ अन्यदा

ॐ ननु संहियमाणो न जानातीति कथं युक्त ? संहरणस्य असंख्य सामयिकत्वात्, भगवत्संहरण कर्तृ देवापेक्षया विशिष्टज्ञान त्वत्वात् ? उच्यते, इदं वाक्यं संहरणस्य कीदृशं ज्ञापकम्, तथा तेन संहरणं कृतं भगतः यथा भगवता ज्ञातमपि अज्ञातमिवाभूत् पीडा-
ऽभावात्. यथाकश्चिद्वदन्ति त्वया मम पादात्तथा कंटक उद्धृतः यथा मया ज्ञातं एषनेति, मरीच्यति शयेच सत्ये व विद्यो व्यपदेशः सिद्धान्तेऽपि दृश्यते, तथा हि—'तर्हि' देवा वंत्तरीया, वंत्तरुणी नीय वाइप रवेण । निच्चं सुहिअ पमुइया, गयपिकाल न याण ति ।

—कल्पसूत्र, सुबोधिका व्याख्या ।

† पभूणं भंते । हरिणभमेसी संकट्ठए 'इत्थी' गर्भं नहं सिरसि वा रोम कूवसि वा साहरित्तए वा नीहरित्तए वा ? इत्ता पभू, नो चैव णं तस्स गब्भस्स आवाह वा विवाहं वा उप्पाएज्जा, छविच्छेय पुण करिज्जा ।

—श्री भगवती सूत्र, ग० ५, सूत्र १=६ ।

कदाचिद् नमसु मामेषु बहुप्रतिपूर्वेषु अर्धाष्टमरात्रिन्दिने व्यतिक्रान्ते षोडशी
 ग्रीष्माणां प्रथमो मास द्वितीय पक्ष चैत्रशुक्ल तस्य चैत्रशुक्लस्य त्रयोदशी
 पक्ष (दिनम्) उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रेण सम योगमुपागते चन्द्रमणि आरोग्या
 आरोग्य प्रसूता ।

वदाय—तेज कालेण—उम कान म । तेज समएण—उम समय में । तित्तलाण—
 क्षत्तिपाणीए—त्रिशला क्षत्तिपाणा न । अह—अय । अतवाक्याई—अय विमी समय ।
 नवमासाण—नव मास । बहुप्रतिपूर्वेषु—परिपूर्ण होने पर । इडठठमानराइ दिवाण—
 माइ सात अहोरात्र अधिक । विडक्ताण—व्यतीत होने पर । जे—जो । ते—वह । गिग्हाण—
 पीडम फनु के । षड्मेमासे—प्रथम मास । हुब्बेपक्के—दूमरे पक्ष । वित्तमुद्ध—चत्र शुक्ल पक्ष
 म । ण—वाचयसंवार में है । तस—उम । वित्तमुद्धरस—चत्र शुक्ल की । तेरसी पक्केण—
 त्रयोदशी तिथि के दिन । हत्पू—उत्तरा फाल्गुनी । णक्कते—नक्षत्र के साथ । जोगमुवागण—
 चन्द्रमा का योग प्राप्त होने पर । समण—श्रमण । भगव—भगवान । महावीर—महावीर को ।
 आरोग्या आरोग्य प्रसूता—राग रहित अर्धाष्टमसुप्त पूर्वक माता ने प्रसव किया अर्थात् भगवान
 को सुख पूर्वक जन्म दिया ।

मूलाथ—उस काल और उस समय में त्रिशला क्षत्राणो ने अय विसी
 समय नव मास साढे सात अहोरात्र के व्यतीत होने पर ग्रीष्म ऋतु
 के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में अथात् चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन
 उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर श्रमण भगवान
 महावीर को सुख पूर्वक जन्म दिया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास और द्वितीय पक्ष
 अथात् चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में त्रिशला महाराणी ने त्रिना
 विसी प्रकार की पीडा के, सुख पूर्वक बाधा-पीडा से रहित पुत्र को जन्म दिया ।
 भगवान के जन्म के समय माता एवं पुत्र को कोई कष्ट नहीं हुआ । दोनों स्वस्थ और
 अथ प्रसन्न थे ।

भगवान के जन्म से देव दैवियों के मन में होने वाले द्वेष का उल्लेख करते
 हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—जराणां राइं तिसला ख० समां० महावीरं अ-
रोया अरोयं पसूया तराणां राइं - भवणवइवाणमंतरजोइसिय
विमाणवासिदेवेहिं देवीहि य ओवयंतेहिं उप्पयंतेहि य एगे महं
दिव्वे देवुज्जोए देवसन्निवाए देवकहककहए उप्पिजलभूए
यावि होत्था ।

छाया—यस्यां रात्रौ त्रिशला क्षत्रियाणी श्रमणं भगवन्त महावीरं
अरोग्या अरोग्य प्रसूता (सुषुवे) तस्यां रात्रौ भवनपतिवाणव्यन्तरज्योतिपिक
विमानवासिदेवैः देवीभिश्च अवपतद्भिः उत्पतद्भिश्च एको महान् दिव्यः
देवोद्योतः देवसन्निपातः देवकहकहकः उत्पिजलभूतश्चापि अभवत् ।

पदार्थ—जण्णं राइ — जिस रात्रि में । तिसलाखत्तियाणी - त्रिशला क्षत्रियाणी ने ।
समणं - श्रमण । भगवं - भगवान । महावीरं - महावीर को । अरोया अरोयं - सुखपूर्वक ।
पसूया - जन्म दिया । तण्ण राइं - उस रात्रि में । भवणवइवाणमंतरजोइसियवेमाणवामि
देवेहिं - भवन पति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक देवो तथा । देविहि य - देवियो के ।
ओवयतेहिं - स्वर्ग से भूमि पर आने । य - और ; उप्पयतेहिं - मेरु पर्वत पर जाने से भूमि पर ।
एगे - एक । महं - महान । दिव्वे - प्रधान । देवुज्जोए - देव विमानो का उद्योत प्रकाश हुआ
और । देवसन्निवाए - देवो के एकत्र होने से । देवकहककहए - देवो द्वारा अवर्णनीय कोलाहल
करने से । उप्पिजलभूएयावि होत्था - वह रात्रि देवो के अट्टहास एवं उद्योत से युक्त
हो गई ।

मूलार्थ—जिस रात्रि में रोगरहित त्रिशला क्षत्रियाणी ने रोग रहित
श्रमण भगवान महावीर को जन्म दिया उस रात्रि में भवनपति, वाणव्यन्तर,
ज्योतिषी और वैमानिक देवो और देवियो के स्वर्ग से आने और मेरुपर्वत
पर जाने से एक महान तथा प्रधान देवोद्योत और देव सन्निपात के कारण
महान कोलाहल और मध्य एव उर्ध्व लोक में उद्योत हो रहा था ।

हिन्दी विवरण

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान के जन्म से भजनपति, प्राणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक चारों जाति के देवों के मन में हृष एव इल्लाम छा गया और व प्रसन्नता पूरक भगवान का जन्मोत्सव मनाने को आने लगे । उन दश दैवियों के रत्न जटित विमानों की ज्योतिष्क मधुर ध्वनि से यह रात्रि जयानिमय हो गई और चारों ओर मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी ।

देवा ने कहा आकर क्या किया इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जराण रयणिं तिमला स० ममगा० पसूया तरण
रयणिं वहवे देवा य देवीशो य एग मह अमयवाम च १ गध
गाम च २, चुन्नवास च ३ पुष्पवा० ४ हिरन्नवास च ५ रयणा
वास च ६ वासिसु ।

छाया—यस्या रजन्या त्रिशला क्षत्रियाणी श्रमण भगवन्त महावीर
प्रभूता (प्रसन्नता) तस्या रजया वहवो देवारच देव्यश्च एक महत् अमृत
वर्षं च, गधमर्षं च चूर्णवर्षं च, पुष्पवर्षं च, हिरण्य वर्षं च, रत्नवर्षं च
अर्पयन् ।

पदार्थ—जराण रयणि—जिस रात्रि में । तिमला स०—त्रिशला क्षत्रियों ने । ममगा
भगवं महावीर—श्रमण भगवान महावीर को । पसूया—जन्म दिया । तरण रयणि—उसी रात्रि
में । वहवे—बहुत से । देवा—देव । य—और । देवीशो—दैवियों ने । एग मह—एक बड़ी
भारी । अमयवास च—अमृत वट्टि की ओर । गधवास च—सुगन्धित द्रव्यों की । चुन्न वास
च—सुगन्धि मय धूण की । पुष्पवास च—पुष्पों की । हिरन्नवास च—तथा हिरण्य सोने—वाँ
की ओर । रयणवास च—रत्नों की । वासिसु—वर्षों बरसाई ।

मूलार्थ—जिस रात्रि में त्रिशला क्षत्रियाणी ने श्रमण भगवान महावीर
को जन्म दिया, उसी रात्रि में बहुत से देव और दैवियों ने अमृत, सुगन्धित
पदार्थ, चूर्ण, पुष्प, चान्दी, स्वर्ण और रत्नों की बहुत भारी वर्षा की ।

हिन्दी विवेचन

प्रभुत मूत्र मे ज्ञाया गया है कि भगवान महावीर के जन्म पर दर्पविभोर होकर देवो ने अमृत, सुवामित पदार्थ, पुष्प, चांदी, स्वर्ण एवं रत्नों आदि की वर्षा की। उन्होंने उस क्षेत्र को सुवामित एवं रत्नमय बना दिया। महान् आत्माओं के प्रवला पुरय के यह सब संभव हो सकता है।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए मूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जराणां रयाणि तिमला ख० समणां० पसूया तराणां
रयाणि भवणावइवाणमंतरजाइसियविमाणवासिणो देवा य देवीयो
य समणास्स भगवथो महावीरस्स सूइकम्माइं तित्थयराभिसेयं
च करिसु ।

आया—यस्यां रजन्यां त्रिशला क्षत्रियाणी श्रमण भगवन्तं महावीरं
प्रसूता (प्रसूतवती)तस्यां रजन्या भवनपति वाणव्यन्तर ज्योतिषिक विमानवासिनो
देवाश्च देव्यश्च श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य शुचिकर्माणि तीर्थकराभिषेक
च इक पुं: ।

पदार्थ—जणां रयाणि—जिस रात्रि में। तिसला ख०—त्रिशला क्षत्रियाणी ने।
समणां भगव महावीरं—श्रमण भगवान महावीर को। पसूया—जन्म दिया। तणां रयाणि—
उस रात्रि में। भवणवइवाणमंतरजाइसियविमाणवासिणो—भवन पति, वाणव्यन्तर, ज्यो-
तिषी और विमान वासी। देवा य—देव और। देवीयो य—देवियो ने। समणास्स भगवन्तो
महावीरस्स—श्रमण भगवान महावीर का। सूइकम्माइ—शुचिकर्म। च—और। तित्थयरा-
भिसेय—तीर्थकराभिषेक। करिसु—किया।

मूलार्थ—जिस रात्रि में त्रिशला क्षत्रियाणी ने श्रमण भगवान महावीर
को जन्म दिया, उसी रात्रि में भवन पति, वाणव्यन्तर ज्योतिषी और
वैमानिक देव और देवियों ने श्रमण भगवान महावीर का शुचि कर्म
और तीर्थकराभिषेक किया।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान के जन्मोत्सव का उल्लेख किया गया है । भगवान का जन्म होने पर ५६ दिशा कुमारियों ने भगवान का शुचि कर्म किया और ६५ इत्रों ने भगवान को मेरु पर्वत के पण्डक वन में ले जाकर उनका जन्म अभिषेक किया । इसका विस्तृत वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में किया गया है ॥ और उसी का आधार पर कल्पसूत्र में भी उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत सूत्र में तो त्रैल प्रासंगिक संकेत रूप से उल्लेख किया गया है ।

कुछ प्रतियों में “मूडकम्माइ” के स्थान पर “कोतुगभूति कम्माइ” पाठ उपलब्ध होता है । जिसका अर्थ है—देव देवियों ने विभिन्न मार्गालक कार्य किए ।

भगवान के नाम संस्कार का सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जयो ण पभिइ भगव महावीरे तिसलाए ख०
कुच्छिसि गव्भ आगए तयो ण पभिइ त कुल विपुलेण हिर-
न्नेण सुवन्नेण धणेण धन्नेण माणिक्केण मुत्तिएण सससिलप्प
वालेण यईव २ परिवड्ढइ, तयो ण समणस्स भगवयो महा-
वीरस्स अम्मापियरो एयमट्ठ जाणित्ता निव्वत्तदसाहसि

ॐ लिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चुत्तलहिमवत्तामो वासहरपध्वयामो गोमीस च्चदण कट्ठाइ साहरइ, तएण ते अभिपोगा देवा वाहिहयण मज्झवरयववाहि चउहि दिसा-
कुमारी महत्तरिप्राहि एवं बुत्ता समाना द्दट्ठतुट्ठा ! जाव विणएण वयण पडिच्छति २ ता
लिप्पामेव चुत्तल हिमवत्तामो वासहरपध्वयामो सरसाइ गोसीस च्चदण कट्ठाइ साहरन्ति, तएण
तामो मज्झमरुद्रगवत्त्यवामो च्चत्तारि त्तिमाकुमारीमहारिप्रामो सरण करेति २ ता धरणि
घडेति २ धरणि घडित्ता सरएण धरणि महिति २ ता धग्गि पाडेति २ ता धग्गि संघुक्खेति २
एव गोसीस च्चदण कट्ठे पक्खिवति २ एव धग्गि उज्जालति २ एव समिहाकट्ठाइ पक्खिवति २
एव धग्गिहोमं करेति २ एव भूतिकम्म करेति २ एव रक्खापोटलिय वधति वधता णाणा
मणिरयणमत्ति चित्तं दुव्विह पाहाणयट्ठगोलए महाय भगवमो तित्थयरस्स कण्णमूलभि तिट्ठ
घावेति भगवमो भयव पध्वयामोए २ ।

वुककंतंसि सुइभूयंसि विपुलं असणपाणखाइमसाइमं उवक्ख-
 डावित्ति २ ता मित्तनाइसयणसंबंधिवग्गं उवनिमंतंति मित्तं
 उवनिमंतित्ता वहवे समणमाहणक्खिणवणीमगाहिं भिच्छुंडग
 पंडरगाईण विच्छुड्ढंति विग्गोवित्ति विस्साणित्ति दायारेसु दाणं
 पज्जभाइंति विच्छुड्ढित्ता विग्गो विस्साणित्ता दाया० पज्जभा-
 इत्ता मित्तनाइं० भुंजावित्ति मित्तं० भुंजावित्ता मित्तं० वग्गेण
 इममेयारूवं नामधिज्जं कारवित्ति—जअो ण पभिइ इमे कुमारे
 ति० ख० कुच्छिसि गव्भे आहूए तथो णं पभिइ इमं कुलं विपुलेणं
 हिरणोणं० संखसिलप्पवालेणं अतीव २ परिवड्ढइ, ता होउ
 णं कुमारं वद्धमाणे ।

छाया—यतः प्रभृति भगवान् महावीरः त्रिशलायाः क्षत्रियाण्याः
 कुक्षी गर्भमागतः ततः प्रभृति तत् कुलं विपुलेन हिरण्येन सुवर्णेन
 धनेन, धान्येन माणिक्येन मौक्तिकेन शखशिलाप्रवालेन अतीव २ परिवर्द्धते,
 ततः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अम्बा पितरौ एतमर्थं ज्ञात्वा निर्वर्तित-
 दशाहे व्युत्क्रान्ते शुचीभूते विपुल शनपानखादिमस्वादिममुपस्कारयति उप-
 स्कार्य मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवर्गमुपनिमत्रयन्ति मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धि-
 वर्गमुपनिमत्रय बहून् श्रमणब्राह्मणकृपणवनीपकान् भिक्षोडुगपडरगादीन्
 विच्छर्दयन्ति विगोपयन्ति विश्राणयन्ति, दातृषु दानं परिभाजयन्ति, विच्छर्द्य
 विगोप्य विश्राण्य दातृषु परिभाज्य मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवर्गं परिभोज-
 यन्ति मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धिवर्गं भोजयित्वा मित्रज्ञातिस्वजनसम्बन्धि-
 वर्गेण, इदमेतद्रूपं नामधेय कारयन्ति, यतः प्रभृति अय कुमारः त्रिश-

लाया क्षत्रियाण्याः कुक्षौ गर्भे आहूत तत प्रभृति इद कुल विपुलेन
हिरण्येन सुवर्णेन धनेन धान्येन माणिक्येन मौक्तिकेन शखशिलापवालैः
अतीव २ परिवृद्धते तावत् भवतु कुमार बद्धमान । ।

पण्य- ण—वाक्यालकार में है । जप्पो पनिइ—जब से । समण—श्रमण । भगव-
भगवान । महावीर महावीर । तिसलाए—त्रिगला । क्षत्रियाणोण—क्षत्रियाणों को । कुच्छि-
सि—कुक्षि में । गभ—गर्भ रूप में । आगए—आए हैं । ण—वाक्यालकार में है । तप्पोपनिइ-
उपनीति से लेकर । त कुल—यह शातवर्गीय कुल । विपुलेण—विपुल रूप से । हिरण्य-
हिरण्य चादी से । सुवर्णेण—सुवर्ण से । धनेण—धन से रूपकात् । स । धनेण—गानि प्राप्ति
धाय से । माणिक्येण—माणिक्य से । मौक्तिकेण—मौक्तिकों से । सखसिलत्पवालण—गल शिला
और प्रवाल से । ईद्व ०—वहूत । परिवृद्धई—समृद्ध हो रहा है । ण—वाक्यालकार में है ।
तप्पो—तदनंतर । समणस्स भगवधो महावीरस्स—श्रमण भगवान महावीर के । अम्मपियरो—
माता पिता ने । एयमदठ जाणिता—इस परमाथ का जानकर । निवत्तदसाहसि—दश विनों
के निर्वातित होने तथा । वृक्कतसि—युतकान्त हो जाने एवं । सुड्भूयसि—गुड हो पर ।
विपूल—बहुत । असणपाणसाइमहाइम—पशन, पान ताप्ति और स्वादिम पण्य ।
उववण्णडोविति २ सा—तयार करवा कर । मित्त—मित्र । नाइ—जाति । सयण—स्वजन ।
उवधिदग्ग—सम्बन्ध वग को । उवनिमतति—निमंत्रण करते हैं । उवनिमोत्ता—और
उत्त निमंत्रण करके फिर । व्हवे—बहुत से । समणमाहणकिवणवणीमगाहि—शाक्यादि
श्रमण, आह्वान, कृपण, मिहारी तथा । मिण्डुडग पडरगईण—भस्म प्रादि को शरीर में लगाकर
भिक्षा मागने वाले अथ भिक्षुगणों को । विच्छडडडति—भोजन कराते हैं । विगोविति—विगोपन
करते हैं । विस्साणिति—विनेय रूप से आस्वादन करते हैं । दापारेसुवाणपजभाइति—
याचक जनों में वांछते हैं और सब को भोजन कराते हैं फिर । विच्छडडडता—
शाक्यादि को लेकर । विगो—विगोपन कर । विस्साणित्ता—आम्बान्न कर । दायां
पज्जमाइत्ता—याचक जनों में वांछ करके । मित्त नाइं—मित्र जाति जनों को ।
भुजाविति—भोजन कर या । मित्तं मुजावित्ता—मित्रादि को भोजन करवा कर फिर ।
वगण—वग आदि क समुह । इमेपाइव—इस प्रकार । नामधिउज्ज—नाम करण
कारविति—करते हैं । जप्पोपनिइ—जिस तिन से लेकर । इमे कुमारं—यह कुमार । तिं ० ०—
त्रिगला क्षत्रियाणों को । कुच्छिसि—कुक्षि में । गभे—गर्भपने । आगए—आया है ।
तप्पोण—तब से । पनिइ—लेकर । इमकुल—हमारा यह कुल । विपुलेण—विपुल विस्तीर्ण
रूप से । हिरण्येण—हिरण्य-चादी । सुवर्णेण—सुवर्ण । धनेण—धन । धनेण—धान्यादि
से तथा । माणिक्येण—माणिक्य से । मौक्तिकेण—मौक्तिकों से और । सखसिलत्पवालैण—शख
शिला तथा प्रवाल मूला प्राप्ति से । अतीव २—अत्यन्त । परिवृद्धई—वृद्धि को प्राप्त हुआ

है। णं—वाक्यलंकार मे है। ता—अतः। कुमारे वद्धमाने— इस कुमार का नाम वद्धमान हो अर्थात् मैं इस कुमार का वद्धमान नाम रखता हूँ।

मूलार्थ—जिस रात को श्रमण भगवान महावीर त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि मे आए उसी समय मे उस ज्ञातवशीय क्षत्रिय कुल मे हिरण्य-चादी, स्वर्ण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शखशिला और प्रवालादि की अभिवृद्धि होने लगी। श्रमण भगवान महावीर के जन्म के ग्यारहवें दिन शुद्ध हो जाने पर उनके माता पिता ने विपुल अशन, पान, खादिम, और स्वादिम पदार्थ बनवाए और अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन और सम्बन्धि वर्ग को निमन्त्रित किया और बहुत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, बनीपक तथा अ-य तापमादि भिक्षुओं को भोजनादि, पदार्थ दिए अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन और सम्बन्धि वर्ग को प्रेमपूर्वक भोजन कराया। भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात् उनके सामने कुमार के नामकरण का प्रस्ताव रखते हुए सिद्धार्थ ने बताया कि यह बालक जिन दिन से त्रिशला देवी की कुक्षि मे गर्भ रूप से आया है तब से हमारे कुल मे हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, माणिक, मोती, शख, शिला और प्रवालादि पदार्थों की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अतः इस कुमार का गुण सम्पन्न 'वद्धमान' नाम रखते है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर के नामकरण का उल्लेख किया गया है। भगवान के जन्म के दस दिन के पश्चात् शुद्धि कमे किया गया और अपने स्नेही-स्वजनों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया और अनेक श्रमण-ब्राह्मणों एव भिक्षुओं को भी यथेष्ट भोजन दिया गया। उसके बाद सिद्धार्थ राजा ने सबको यह बताया कि इस बालक के गर्भ में आते ही हमारे कुल में धन-धान्य आदि की वृद्धि होती रही है। अतः इसका नाम 'वद्धमान' रखते है।

प्रस्तुत सूत्र मे केवल गुण सम्पन्न नाम देने का उल्लेख किया गया है। परन्तु नाम करण की परम्परा का अनुयोगद्वार सूत्र में विस्तार से विवेचन किया गया

है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नाम सस्कार की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है।

भगवान् महावीर के माता पिता भगवान् पार्वी नाथ के आक्षेप थे। फिर भी उन्होंने अन्य मत के श्रमण भिक्षुओं आदि को बुलाकर दान दिया। इससे स्पष्ट होता है कि आगम में श्रावक के लिए अनुकम्पा दान आदि का निषेध नहीं किया गया है। गृहस्थ का द्वार बिना किसी भेद भाव के सब के लिए खुला रहता है। वह प्रत्येक प्राणी के प्रति दया एवं स्नेह भाव रखता है।

इसी विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो ग्ण समणो भगव महावीरो पचधाइपरिवुडे
त० १ खीरधाईए, २ मज्जणधाईए, ३ मडणधाईए, ४ खेला-
वणधाईए, ५ अकधाईए, अकायौ अक साहरिज्जमाणे रम्मे
मणिकुट्टिमतले गिरिकदरसमल्लीणोविव चपयपायवे अहा
णुपुब्बीए सवड्डइ, तत्रो ग्ण समणो भगव० विन्नायपरिणय
(मित्ते) विणियत्त वाल भावे अप्पुस्सुयाइ उरालाइ माणुस्सगाइ
पचलक्खणाइ कामभोगाइ मद्दफरिसरमरूवगन्धाइ परियारेमाणे
एव च ग्ण विहरेइ ॥१७६॥

छाया—तत्र श्रमणो भगवान् महावीर पचधात्रीपरिवत्त तद्यथा
१ क्षीरधान्या, २ मज्जनधान्या, ४ मडन धान्या, ४ क्रीडन धान्या,
५ अक धान्या, अकाद् अक समाह्लियमाण रम्ये मणिवुट्टिमतले
गिरिकन्दरसलीन इव चम्पकपादपं यथानुपूर्व्या सवर्धते। तत्र श्रमणो
भगवान् महावीर विज्ञातपरिणत विनिवृत्तवालभाव अल्पोत्सुक्यान न्दो
रान् मानुष्यकान् पञ्चलक्षणान् कामभोगान् शब्दस्पर्शरसरूपगधान् परि
चरन् एव च विहरति।

पदार्थ—ण—वाक्यालंकार म है । तन्नो—तदनन्तर । समणे—श्रमण । भगव—
 भगवान । महावीरे—महावीर । पंचघाइपरिवुडे—पाच धाय माताओ से परिवृत्त हुए ।
 तजहा—जैसे कि । खीरघाईए—दूध पिलाने वाली धाय माता से । मज्जणघाईए—स्नान
 कराने वाली माता से । मडणघाईए—वस्त्र और अलंकार पहराने वाली माता से । खेलावण-
 घाईए—क्रीडा कराने वाली माता से और । अकघाईए—गोद मे खेलाने वाली माता से, इस
 प्रकार । अकाओ अकं साहरिज्जमाणे—एक गोद से दूसरी गोद में सहत होते हुए । रम्भे—
 रमणीय । मणिकुट्टिमत्ते—मणिजटित आगन मे इस तरह वृद्धि को प्राप्त कर रहे है ।
 गिरिकदर समुल्लीणेविच—जैसे पर्वत की गुफा मे उत्पन्न हुआ । चपय पायवे—चम्पक नाम
 का प्रधान वृक्ष विघ्न बाधाओ से रहित हो कर वृद्धि को प्राप्त होता है उसी प्रकार श्रमण भगवान
 महावीर भी । अहाणुपुव्वीए—यथानुक्रम । सबड्ढइ—निविघ्नतया वृद्धि को प्राप्त हो रहे
 है । णं—वाक्यालंकार मे है । तन्नो—तदनन्तर । समणे भगव महावीरे—श्रमण भगवान महावीर ।
 विन्नायपरिणय—स्वयमेव विज्ञान को प्राप्त हुए । विणियत्तवालभावे—वाल भाव को त्याग
 कर यौवन मे पदार्पण करते हुए । अप्पुस्सुयाईं—उत्सुकता से रहित अर्थात् उदासीनता से ।
 उरालाईं—प्रधान । माणुस्सगाडं—मनुष्य सम्बन्धि । पचलक्खणाईं—पाच प्रकार के । सहपरि-
 सरसरूवगंधाईं—शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से युक्त । कामभोगाईं—काम भोगो का ।
 परिवारेमाणे—उपभोग करते हुए । एवं—इस प्रकार से । विहरइ—विहरण करते है । च—
 समुच्चय अर्थ मे है । णं—वाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—जन्म के बाद भगवान महावीर का पाच धाय माताओ के
 द्वारा लालन-पालन होने लगा । दूध पिलाने वालो धाय माता, स्नान कराने
 वाली धाय माता, वस्त्रालंकार पहनाने वाली धाय माता, क्रीडा कराने वाली
 और गोद खिलाने वाली धाय माता, इन ५ धाय माताओ को गोद में तथा
 मणिमडित रमणीय आगन प्रदेश में खेलने लगे और पर्वत गुफा मे स्थित
 चम्पक बेल की भान्ति विघ्न बाधाओ से रहित होकर यथाक्रम बढ़ने
 लगे । उसके पश्चात् ज्ञान-विज्ञान सपन्न भगवान महावीर वाल भाव
 को त्याग कर युवावस्था मे प्रविष्ट हुए और मनुष्य सम्बन्धि उदार
 शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्धादि से युक्त पांच प्रकार के काम भोगो
 का उदासीन भाव से उपभोग करते हुए विचरने लगे ।

श्री नी विवचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान् सुप्त पूर्वक पढ़ने लगे। उनके लालन पालन के लिए ५ वाय माताएं रची हुई थीं। दूध विज्ञान जाला, नान कराने वाली प्रसालकार पहनाने वाली कोडा करान वाली और गोद में विलान वाली इन विभिन्न राय माताओं की गोद में आमोद प्रमोद से खेलने हुए भगवान् ने जल भाय का त्याग कर औरतन ग्रथ में कदम रखा। औरतन का नशा उड़ा विचित्र हाता है। परंतु भगवान् ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न थे। अन्न प्राप्त भागों में भी वे आमकृत नहीं हुए। वे शब्द रम स्पश आदि भोगों का त्याग भी भाय से उपभोग करते थे। इन कारण वे मङ्गल कर्मों का अधन नहीं करते थे। क्योंकि भोगों के साथ जितनी अधिक आमकृत होती है कम अधन भी उतना ही प्रगाढ़ होता है। भगवान् उदासीन भाय से रहने थे अतः उन का कम अधन भी मिथिल ही होता था।

अत्र भगवान् के गुण विष्णु नाम एव उनका परिवार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—समणो भगव महावीरे कामवगुत्ते, तस्म ण इमे
तिन्नि नामविज्जा एवमाहिज्जति, तजहा यम्मापिउमति वद्ध
माणो (१) महममुडण ममाणो (२) भीम भयभेरण उराल यचत्तय
परीमहमहत्तिकट्टु देवेहि मे नाम कय ममाण भगव महा
वीरे (३) समणस्म ण भगवयो महावीरस्स पिया कामवगुत्तेण,
तस्म ण तिन्नि नाम० त० मिद्धत्थे इ वा, मिज्जमे इ वा, जम
से इ वा, ममाणस्स ण यम्मा वामिट्ठस्मगुत्ता तीमे ण तिन्नि
ना० त० तिमला इ वा, विदेहदिन्ना इ वा पियकारिणी इ वा,
ममाणस्म ण भ० पित्तिअए सुपासे कासवगुत्तेण, ममाण० जिट्ठे
भाया नदिवद्धणे कासवगुत्तेण, ममाणस्म ण जेट्ठा मडणा

सुदंमणा कामवगुत्तेणां. ममणास्म गां भग० भज्जा जमोया को-
डिन्नागुत्तेणां. ममणास्म गां धूया कामवगोत्तेणां. तीसेणां दो
नामधिज्जा एवमा० —अणुज्जा इ वा, पियदंसणा इ वा,
ममणास्म गां भ० नत्तूई कोमियागुत्तेणां, तीसेणां दो नाम० तं०
सेसवई इ वा, जसवई इ वा ॥१७७॥

छाया—श्रमणो भगवान् महावीरः काश्यपगोत्रः तस्य इमानि त्रीणि
नामधेयानि एवमाख्यायन्ते, तद्यथा अम्बापितृमत्कं वर्द्धमान., सहसंमुदितः
श्रमणः । भीमं भयभैरवं उदारमचलं परीपहमह इतिकृत्वा देवैः तस्यनाम
कृतं श्रमणो भगवान् महावीरः, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य पिता काश्यप-
गोत्रः तस्य त्रीणि नामधेयानि एवमाख्यायन्ते तद्यथा—मिद्वार्थ इति वा
श्रेयसि इति वा यशस्वी इति वा, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अम्बा, वासिष्ठ
गोत्रा तस्याः त्रीणि नामधेयानि एवमाख्यायन्ते, त्रिशला इति वा, विदेहदत्ता
इति वा, प्रियकारिणी इति वा, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य पितृव्यः,
सुपाह्वं काश्यपगोत्रः, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठो भ्राता नन्दि-
वर्द्धनः काश्यपगोत्रः, श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठा भगिनी सुदर्शना
काश्यपगोत्रा । श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य भार्या यशोदा कौडिन्य-
गोत्रा । श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य दुहिता काश्यपगोत्रा, तस्याः द्वेनाम-
धेये, एवमाख्यायेते, तद्यथा अनोज्जा इति वा प्रियदर्शना इति वा । श्रमणस्य
भगवतो महावीरस्य दौहित्रो काश्यपगोत्रा तस्याः द्वे नामधेये एवमाख्यायेते
तद्यथा-शेषवती इति वा यशस्वती इति वा ।

पदार्थ—समणे भगवं महावीरे—श्रमण भगवान् महावीर । कासवगुत्ते—काश्यप
गोत्री । णं—वाक्यालकार मे है । तस्स—उसके । इमे—ये । तिन्नि—तीन । नामधिज्जा—
नाम । एवमाहिज्जति—इस प्रकार कहे जाते है । तज्जहा—जैसे कि । अम्मापिउसति—माता
पत् । की ओर से दिया गया । वर्द्धमान—वर्द्धमान नाम था । सह संमुइए समणे—स्वाभाविक

गुण न उच्यते न ह्यथा श्रमणं प्रधानं मम भावधारणं करने न तथा अत्यन्त पारतप्य करणं न श्रमणं कहनाए एव । भीम—रीड । भयभेरव—अत्यन्त भय के उत्पन्न करने वाला । उराल—प्रधान । अचल्य—अचल । परीसङ्गमृतिरुत्थ—परीपङ्क क सहन करने से । देवहि—देवा ने । से—उत्पन्न—वर्द्धमान का । समण भगव महावीरे—श्रमण भगवान् महावीर एवा । नामक्य—नाम रत्ना । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् महावीर क । पिया—पिता । कासवगुत्तण—काश्यप गोत्राय थ । तस्म ण—उसके । तिनि—तीन । नाम०—नाम कहे गए हैं । त०—जम कि । सिद्ध व इ वा—सिद्धाय यह । सिञ्ज से इ वा—अग्राम यह । जस से इ वा—श्रीर यगस्वा यह तीन नाम थ । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् महावीर की । अम्मा—माता । वासिन्ठमत्तगुणा—वासिन्ठ गोत्र वाली । तीसे ण—उसके । तिनि नाम०—तीन नाम कह गए हैं । त०—जम कि । तिमला इ वा—त्रिगला इति । विदेत्ति ना इ वा—विदत्त दत्ता श्रीर । पियकारिणी इ वा—प्रियकारिणी इति । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् महावीर क । पित्तिस्रए—पितृव्य-पिता के भाई । कासवगुत्तण—काश्यप गोत्री का । सुपासे—सुपाश्व नाम था । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् महावीर क । जिण्ठ नाया—पण्डित भ्राता । कासव गुत्तण—काश्यप गोत्री का । नदिबद्धण—नी वद्धन नाम था । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् की । जेट्ठामइणी—ज्येष्ठ बहन । कासव गुत्तण—काश्यप गोत्रीया का । सुदसणा—सुदणना नाम था । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् महावीर की । मज्जा—भार्या । कोटिनागुत्तण—कोटिय गोत्रीया का । जसोया—यगोद नाम था । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् महावीर की । धूया—पुत्री । कासवगुत्तण—काश्यप गोत्रीया था । तीसेण—उसके । दो नामधिज्जा—दो नाम एवमाहिज्जाति—एक प्रकार कह जाते हैं । अणुज्जा इ वा—अनोज्जा इति । पियदसणा इ वा—प्रियदणना इति अर्थात् अनोज्जा श्रीर प्रियदणना य ग्णे नाम थ । समणस्त भगवन्नो महावीरस्त—श्रमण भगवान् महावीर की । नत्तए—गौहित्री । कोसियागुत्तण—कोसिक गोत्र वाली थी । तीसेण—उसके । दो नामधिज्जा एवमा०—दो नाम इस प्रकार कहे गए हैं । त०—जस कि । समवई इ वा—येव वती इति श्रीर । जसवई इ वा—यगवती इति ।

मूलार्थ—काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर के इस प्रकार से तीन नाम कहे गये हैं—माता पिता का दिया हुआ वर्द्धमान, स्वाभाविक समभाव होने से श्रमण और अत्यन्त भयोत्पादक परीपङ्को के समय अचल रहने एव उह समभाव पूर्वक सहन करने से देवा के द्वारा प्रणिच्छित महावीर । श्रमण भगवान् महावीर के काश्यपगोत्रीय पिता के सिद्धाय,

श्रेयास और यशस्वी ये तीन नाम थे । श्रमण भगवान् महावीर की वासिष्ठ गोत्र वाली माता के त्रिशला, विदेह दत्ता और प्रियकारिणी ये तीन नाम थे । श्रमण भगवान् महावीर के पितृव्य—पिता के भाई का नाम सुपाश्व था, श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के काश्यपगोत्री ज्येष्ठ भ्राता का नाम नन्दीवर्द्धन था । भगवान् की ज्येष्ठ भगिनी का नाम सुदर्शना था । भगवान् की भार्या-जो कि कौण्डिन्य गोत्रवाली थी-का नाम यशोदा था । भगवान् को पुत्रों के अन्तोजा और प्रियदर्शना ये दो नाम कहे जाते हैं तथा श्रमण भगवान् महावीर की दौहित्री जिसका-कौशिक गोत्र था-के शेषवती और यशवती यह दो नाम थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान् के नाम एवं परिवार का परिचय दिया गया है । भगवान् के वर्द्धमान, श्रमण और महावीर इन तीन नामों का उल्लेख किया गया है । वर्द्धमान नाम माता-पिता द्वारा दिया गया था । और दीक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान् की समभाव पूर्वक तपश्चर्या करने की प्रवृत्ति थी, उससे उन्हें श्रमण कहा गया और देवों द्वारा दिए गए घोर परीपहों में भी वे आत्म चिन्तन से विचलित नहीं हुए तथा उन्हें समभाव पूर्वक सहते रहे, इससे उन्हें महावीर कहा गया । आगमों एवं जन साधारण में उनका यही नाम अधिक प्रचलित रहा है । और आज भी वे महावीर के नाम से संसार में विख्यात हैं ।

भगवान् महावीर के पिता के तीन नाम थे—सिद्धार्थ, श्रेयास और यशस्वी । उनकी माता के त्रिशला, विदेहदत्ता और प्रियकारिणी ये तीन नाम थे । उनके पिता के भाई का नाम सुपाश्व था और उनके बड़े भाई का नाम नन्दीवर्द्धन था । उनके सुदर्शना नाम की एक ज्येष्ठ बहन थी । उनकी पत्नी का नाम यशोदा था । उनकी पुत्री के अन्तोजा और प्रियदर्शना ये दो नाम थे, जिसका विवाह जमाली के साथ किया गया है । उनके एक दौहित्री भी थी, जिसके शेषवती और यशवती ये दो नाम थे । इस तरह से भगवान् महावीर का विशाल परिवार था ।

अब उनके माता-पिता के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

मूलम्—समणस्स ग्ग ३ अग्गमापियरो पामावच्चिजा समणा-
 वासगा यापि हुत्था, ते ग्ग बहूड वामाइ समणोवामगपरियाग
 पाजडत्ता उगह जीवनिक्कायाण मारक्खणनिमित्त आलोडत्ता
 निदित्ता गरिहित्ता पडिक्कमिक्का अहारिह उत्तरगुणपायच्छिताड
 पडिवज्जित्ता कुममथारग दुरूहिक्का भत्त पच्चक्कसायति २ अण
 च्छिमाए मारणत्तियाए मलेहत्थाए उम्भुमियमरीरा काल
 मासे कालकिच्चा न मरीर विण्णजहिक्का अच्चुए कप्पे देवत्ताए
 उववन्ना तत्रो ग्ग आउक्कसण्ण भव० ठि० चुए चडत्ता महाविदेहे
 वासे चरमेण उस्सामेण सिज्झिस्सति वुज्झिस्सति मुच्चिस्सति परि
 निव्वाडस्सति सव्वदुक्खाण्णमत करिस्सति ॥१७८॥

छाया—अमणस्य भगवतो महावीरस्य अम्बाधितरी पार्श्वपत्य श्रमणा
 पामकी चापि अभूताम् । ती बहूनि वयाणि श्रमणोवामग्ग पयाय पालपित्वा
 पण्णा जीवनिक्कायाना सरक्खणनिमित्तम् आलोच्य निन्दित्वा गार्हित्वा प्रतिग्रम्य
 यथाहं उत्तरगुणप्रायश्चित्तानि प्रतिपद्य ऋणमस्तारक दुरूह्य भन्त प्रत्या-
 रूपात् २ अणश्चिमया मारणन्तिरया मलेखनया उम्भोपितशरीरौ कालमासे काल
 कृत्वा तच्छरीर विप्रबह्य अच्युते कल्पे दानतया उपपन्नो तत आहु चयण
 भवन्नयेण स्थितिक्षयेण च्युतौ त्यक्त्वा महापिटहर्षे चर्मेण उच्छवासेन सेत्स्यत
 भोत्स्यत मोक्षयत परिनिर्वास्यत सर्वदुखानामत करिष्यत ।

पद्याय — समणस्स भगवतो महावीरस्स — अमण भगवान महावीर क । अग्गमापियरो —
 माता पिता । वासावच्चिज्जा — भगवान् पाश्वनाथ क साधुयो क । समणोवासगा यापि हुत्था —

श्रमणोपासक थे । च - पुनरर्थक है । अग्नि - समुच्चयार्थक है । ण - वाक्यालंकार में है । ते -
 वे दोनों । बहूङ् - बहुत । वासाङ् - वर्षों की । सम्मणोवासग परियाग - श्रमणोपासक की पर्याय
 को-श्रावक धर्म को । पालइत्ता - पालकर । छण्हंजीवनिकायाण - छै प्रकार की जीवनिकाय-
 समूह की । सारवखणनिमित्त - रक्षा के निमित्त । आलोइत्ता - आलोचना कर के । निदिता -
 आत्मा की साक्षी से निन्दा कर के । गरिहिता - गुरु आदि की साक्षी में गर्हणा कर के । पडिक्क-
 मित्ता - पाप कर्म में प्रतिक्रमण करके । अहारिय - यथा योग्य । उत्तरगुणपायच्छिताङ् -
 उत्तर गुण सम्बन्धि प्रायश्चित्त को । पडिबज्जित्ता - ग्रहण करके । कुससथारगं - कुशा के सस्तारक
 पर । दुक्खहिता - बैठकर । भत्तपच्चवखायति - भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं । भक्त
 प्रत्याख्यान के पश्चात् । अपच्छिमाए - अन्तिम । मारणंतियाए - मारणान्तिक । सलेहणाए -
 शरीर की सलेखना से । ज्जुसिय सरीरा - शरीर को सुखा कर । कालमासे - काल
 के समय । कालं किच्चा - काल करके । त शरीरं - उम शरीर को । विप्पजहिता - त्याग
 कर । अच्चुए कप्पे - अच्युत नामा वारह्वे देवलोक में । देवत्ताए - देवपने । उच्चवन्ता -
 उत्पन्न हुए । ण - वान्यालंकार में है । तओ - तदनन्तर । आउक्खएणं - देवलोक की आयु का
 क्षय करके । भवो - देव भव का क्षय करके । ठो - देव स्थिति का क्षय करके । चुए - वहा
 से च्यवे और । चइत्ता - च्यव कर-च्युत होकर । महाविदेहावासे - महाविदेह क्षेत्र में । चरमेण -
 अन्तिम । उस्सासेणं - श्वाभोच्छ्रवण से । सिञ्जिस्सति - सिद्ध होंगे । वृञ्जिस्सति - वृद्ध होंगे ।
 मुच्चिस्सति - कर्मों से मुक्त होंगे । परिनिव्वाइस्सति - निर्वाण को प्राप्त होंगे । सव्व दुक्खाण-
 मत करिस्सति - सर्व प्रकार के दुखों का अन्त करेगे ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान महावीर स्वामी के माता पिता भगवान
 पाश्वनाथ के साधुओं के श्रमणोपासक-श्रावक थे । उन्होंने बहुत वर्षों तक
 श्रावक धर्म का पालन करके छै जीवनिकाय की रक्षा के निमित्त आलो-
 चना करके, आत्म-निन्दा और आत्मगर्ही करके पापों से प्रतिक्रमण कर
 के-पीछे हटकर के, मूल और उत्तर गुणों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त
 ग्रहण करके, कुशा के आमन पर बैठकर, भक्त प्रत्याख्यान नामक अनगन
 को स्वीकार किया । और अन्तिम मारणान्तिक गारीरिक सलेखना
 द्वारा शरीर को सुखाकर अपनी आयु पूरी करके उस औदारिक शरीर
 को छोड़ कर अच्युत नामक १२ व देवलोक में देवपने उत्पन्न हुए ।
 तदनन्तर वहा से देव सम्बन्धि आयु, भव और स्थिति का क्षय करके

वहा से च्यवहर महाविदेह क्षेत्र में चम श्नामोच्छवाम द्वारा मिद्ध बुद्ध मुक्ता एव परिनिवृत्त होंगे और मवप्रकार के दुखों का अन्त करेंगे ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि भगवान् महावीर के माता पिता जैन श्रावक थे वे भगवान् पार्श्वनाथ भी परम्परा के उपासक थे । इसमें स्पष्ट होता है कि भगवान् महावीर के पूर्व भी जैन धर्म का अस्तित्व था । अतः भगवान् मातापिता के सस्थापक नहीं, प्रत्युत जैन धर्म के प्रचारक थे, अनादि काल से प्रवृत्त धार्मिक ब्राह्मणों की प्रगति देने वाले थे । उनका कुल जैनधर्म में संस्कारित था । अतः भगवान् के माता पिता के लिए 'पार्श्वपत्य' शब्द का प्रयोग किया गया है । 'अपत्य' शब्द शिष्य एवं मत्तान् दोनों के लिए प्रयुक्त होता रहा है ।

महाराज मिद्धाथ एव महाराणी त्रिशला श्रावक धर्म का आराधन करते हुए अतिम समय में विधिपूर्वक आलोचना एवं अन्तर्दृष्टि प्रकट करके १० वें स्वर्ग में गए और वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जाएँगे । इससे स्पष्ट है कि साधु एवं श्रावक दोनों मोक्ष मार्ग के पथिक हैं । चतुर्थ गुणस्थान का स्पष्ट करने के बाद यह निश्चित हो जाता है कि वह आत्मा अन्तर्गत ही मोक्ष को प्राप्त करेगा । यह ठीक है कि सम्यक्त्व एवं श्रावकत्व ही साधना से ऊपर उठकर ही आत्मा निर्वाण पद को पा सकती है । श्रावक की साधना में मुक्ति प्राप्त नहीं होती । न्यायिकत्व मानना में आत्मा पंचम गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ती और समस्त धर्म बंधनों एवं कर्म-जन्म साधनों से मुक्त होने के लिए १४वें गुणस्थान को स्पष्ट करना आवश्यक है । और १४वें स्थान तक साधुत्व की साधना करने ही पहुँचा जा सकता है । अतः भगवान् के माता पिता वहाँ ५ आयुष्य को पूरा करके १२ वें स्वर्ग में गए, वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य भव करके दीक्षा ग्रहण करेंगे और श्रमणत्व की साधना करके समस्त कर्म बंधनों को तोड़ कर सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त बनेंगे ।

कल्पसूत्र की सुबोधिका वृत्ति में लिखा है कि आवश्यक नियुक्ति में बताया है कि भगवान् ५ माता पिता चौथे स्वर्ग में गए और आचाराग में १२ वाँ स्वर्ग बताया गया है* । यदि नियुक्तिकार ने चौथे स्वर्ग का उल्लेख चतुर्थ जाति के (वैमानिक)

* अष्टाविंशति वर्षांतरमे भगवतो मातापितरो धातव्यकाभिप्रायेण तूय स्वर्ग आचारागान्निप्रायेण तु धनान्नेन अश्रुत गतो ।
—कल्पसूत्र सुबोधिका वृत्ति ।

देवों के रूप में किया है, तब तो आचारांग में विपरीत नहीं कहा जा सकता । क्योंकि १२ वा स्वर्ग वैमानिक देवों में ही न्यमाविष्ट हो जाता है और यदि उनका अभिप्राय चौथे देवलोक में ही है तो वह मान्य नहीं हो सकता । क्योंकि आगम में स्वप्न रूप से १२ वें स्वर्ग का उल्लेख किया गया है । अत आगम का कथन ही प्रामाणिक माना जा सकता है ।

अब भगवान के दीक्षा महोत्सव का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तेषां कानेषां तेषां समेषां समणो भ० नाए नायपुत्ते
 नायकुलनिव्वत्ते विदेहे विदेहदिन्ने विदेहजच्चे विदेहसूमाले तीसं
 वासाइं विदेहंसित्तिकट्टु अगारमज्जे वसित्ता अम्मापिउहिं
 कालगएहिं देवलोगमणुपत्तेहिं, समत्तपइन्ने चित्त्वा हिरण्णां
 चित्त्वा सुवन्नं चित्त्वा वलं चित्त्वा वाहणां चित्त्वा धणकणगरयणा-
 संतसारसावइज्जं विच्छड्ढित्ता विग्गोवित्ता विस्साणित्ता दायारेसु
 दाणां दाइत्ता परिभाइत्ता संवच्छरं दलइत्ता जे से हेमताणां पढमे
 मासे पढमे पक्खे मग्गसिरवहुले तस्स णं मग्गसिरवहुलस्स
 दसमीपक्खेणां, हत्थुत्तरा० जोग० अभिनिक्खमणाभिप्पाए यावि
 हुत्था ।

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महावीरः ज्ञातः
 ज्ञातपुत्रः ज्ञातकृत्ननिवृत्तः विदेह विदेहदत्तः विदेहार्चः विदेहसुकुमालः
 त्रिशद् वर्षाणि विदेहे इति कृत्वा अगारमध्ये उपित्वा अम्मापिन्नोः काल-
 गतयोः देवलोकमनुप्राप्तयो समाप्तप्रतिज्ञः त्यक्त्वा हिरण्य त्यक्त्वा
 सुवर्णं, त्यक्त्वा वलं, त्यक्त्वा वाहनं, त्यक्त्वा धनकनकरत्नसंसारस्वा-
 पतेयं विच्छर्त्वा विगोप्य विश्रण्य दातृषु दानं दत्त्वा परिभाज्य सम्बत्सर दत्त्वा

य म हेमन्ताना प्रथमो माम प्रथम पक्ष मार्गशीर्षवृद्धस्य मार्गशीर्ष-
वहुलस्य दशमीपक्षेण दस्योत्तरानक्षत्रेण योगमुपागतेन अभिनिष्क्रमणाभिप्राय-
श्चापि अभवत् ।

पदाथ—तत्र कालेण तत्र समएण—उम काल और उम समय में । समणे भगव
महाधारे—श्रमण भगवान महावीर । नाए जात प्रसिद्ध । नामपुत्त—नात पुत्र । नाय कुल
निवसत—जान कुल म चन्द्रमा क समान आरहा उत्प न करने वाल । विदेहे—वज्र नाराच-
महन तथा समचतुरस्र मस्थान क प्रति सु र होने से विदेह-प्रयात त्रिगण्ट देह-गरीर बाल ।
विदेहविन—त्रिगता देवी क पुत्र होने म विदेह विन भयात् भगवान को विदेह दिन
या विदेह दत्त कहते हैं । विदेहजच्च—विदेहाच—प्रधान त्रिगता माता क गरीर से उत्पन
हान या कामन्व पर विजय प्राप्त करने म भगवान का विदेहाच कहा गया है । विदेहसूमाले—
विदेहसूकूमाल प्रधान गहम्यावाम म प्रतिमसूकूमाल होने से विदेह सूकूमाल भी कन हैं ऐम
भगवान । तीस वासाङ्ग—तीस वर्ष पयन्त । विदेहसिद्धिकटु—घर म इस प्रकार से किया ।
अमार मञ्ज—घर क मध्य म । वसित्ता—निवास कर क । अम्भा पिऊह—माता पिता क ।
कालगण्टि—स्वगवास डान और । देवलोपमणुपक्षेहि—देवलोप को प्राप्त करने से । समत्त
पदने—भगवान की प्रतिमा समाप्त हाई । भगवान ने मन्त्र म यह प्रतिमा की थी कि माता पिता
के रहते हुए मैं दासा ग्रहण नहा करूँगा । घन घब इस प्रतिमा क समाप्त होने पर । चिच्चा-
हिरन्न—भगवान हिरण्य को छोड़ कर । चिच्चा सुवण्ण—सुवण को छोड़ कर । चिच्चा बत-
बल मना को छोड़ कर । चिच्चा वाहण—वाहन का छोड़ कर प्रयात पानकी प्रादि की सवारी
का त्याग कर क तथा । घणकणगरयणसतसारसावडुज्ज—घन कनक, रत्न प्रादि सार
भूत लक्ष्मी का । विच्छडिडत्ता—छाड़ कर । विगोवित्ता—घन को प्रकट कर तथा । विसा-
णित्ता—दान दकर । शगरेषु दाण साइत्ता—पानकी की दकर । परिभाइत्ता—जाति जनों मे
बाट कर और । सवच्छरदलइत्ता—माय्म मरिफ दान देकर । जे—जा । से—वह । हमताण—
हमन्त श्रुत का । पड़मे मासे—प्रथम मास । पड़मे पक्षे—प्रथम पक्ष । मगसिरे बहुले—माग
शीर्ष वृष्ण पक्ष । तत्तण—उम । मगसिरेषु बहुलसस—माग शीर्ष वृष्ण पक्ष की । दसमीपक्षेण-
दसमी के दिन । हृत्पत्तरा०—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र व साथ । जोग०—चन्द्रमा का योग घाने
पर । अभिनिष्क्रमणमिप्याए वाविहृत्या—भगवान क मन में नीचा लने का मन्त्र उत्पन्न हुआ ।

मूलाथ—उम काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर प्रसिद्ध
ज्ञान पुत्र, जात कुल में चन्द्रमा के समान वज्रश्रुपभनाराच सहनन
के धारक, त्रिगता देवी के पुत्र, त्रिशला माता के श्रगजात, घर में सुकु
माल अवस्था में रहने वाले तीस वर्षे तक घर में निवास करके माता

पिता के देव लोक हो जाने पर अपनी ली हुई प्रतिज्ञा के पूर्ण हो जाने से हिरण्य, स्वर्ण, बल और वाहन, धन-धान्य, रत्न आदि प्राप्त वैभव को त्यागकर, याचकों को यथेष्ट दान देकर तथा अपने सम्बन्धियों में यथायोग्य विभाग करके एक वर्ष पर्यन्त दान देकर हेमन्त ऋतु के प्रथम मास, प्रथम पक्ष अर्थात् मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने का अभिप्राय प्रकट किया।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान के दीक्षा संबंधी संकल्प का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने पर भगवान ने सम्पूर्ण वैभव का त्याग करके दीक्षित होने का विचार प्रकट किया। जिस समय भगवान गर्भ में आए थे, उस समय उन्होंने यह सोचकर अपने शरीर को स्थिर कर लिया कि मेरे हलन-चलन करने से माता को कष्ट न हो। परन्तु इस क्रिया का माता के मन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। गर्भ का हलन-चलन बन्द हो जाने से उसे यह सन्देह होने लगा कि कहीं मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं होगया है। और परिणाम स्वरूप माना का दुःख और बढ़ गया और उसे दुःखित देखकर सारा परिवार शोक में डूब गया। अपने अवधि ज्ञान से माता की इस दुःखित अवस्था को देखकर भगवान ने हलन चलन शुरू कर दिया और साथ में यह प्रतिज्ञा भी ले ली कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। वे अपने लिए अपनी माता को जरा भी कष्ट देना नहीं चाहते थे। अब माता-पिता के स्वर्गवास होने पर उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अतः वे अपने साधना पथ पर गतिशील होने के लिए तैयार हो गए।

कुञ्ज प्रतिघों में 'नाय कुल निव्वते' के स्थान पर 'नायकुलचन्दे' पाठ भी उपलब्ध होता है। और प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'विदेहदिन्ने' आदि पदों का वृत्तिकार ने यह अर्थ किया है कि वज्र ऋषभ नाराच संहनन और समचौरस संस्थान से जिसका देह शोभायमान है उसे विदेह कहते हैं और भगवान की माता का नाम विदेहवत्ता था, अतः इस दृष्टि से भगवान को विदेह दिन्न भी कहते हैं॥ 'त्रिञ्जड्डिता- आदि पदोंका

॥ विदेहे वज्रऋषभनाराचमहननमचतुरसमस्थानमनोहरत्वात् विशिष्टो देहो यस्य स विदेहः । विदेहदिन्ने-विदेहदिन्ना त्रिशला तस्या अपत्यं विदेह दिन्नः । विदेहजच्चे विदेहा त्रिशला तस्या जाता अर्चा-शरीरं यस्य सः ।
प्राचागग वृत्ति ।

कल्प मूत्र की वृत्ति म विस्तार से वर्णन किया गया है ।†

अत्र भगवान् द्वारा ऋषि गण मात्रत्सरिण दान ना वर्णन करते हुए मूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—मवच्छरेण होहिड अभिनिस्त्रमण तु जिणवरिदस्तः ।
तो अत्यमपया ण, पवत्तडं पुव्वमूरायो ।१।

एगा हिराण कोडी, अट्ठेव अणुणागा मयमहस्सा ।
मूरोदयमाईय डिज्जड जा पायरासुत्ति ।२।

तिन्नेव य कोडिमया अट्ठामीड च हुत्ति कोडीयो ।
अमिड च मयमहस्सा, एय मवच्छरे दिन्न ।३।

वेसमाणकुडधारी, देवा लोगतिया महिडीया ।
वोहिति य तित्थयर पन्नरमसु कम्मभूमीसु ।४।

वभमि य कप्पमी वोद्धवा कराहराडणो मज्जे ।
लोगतिया विमाणा, अट्ठसु वत्था अमखिज्जा ।५।

‡ विच्छदडवत्ता—विच्छद्य —विशेषण रूपका, पुन कि कृत्वा ? विगोवइता विगोप्य-
तदेव गुण सदानातिगयान प्रत्तीकृत्यति भाव , अथवा विगोप्य—कुत्सनीयमन स्थिरत्वात्प्यु-
क्त्वा, पुन कि कृत्वा ? दाण दामारेहिपरिभाइत्ता नीयत इति दान तत दायाय दानाय आच्छति
आयच्छतीति दायाया-याचकान्तेभ्य परिभाय विभागत्वा यत्वा परिभाव्य—प्राप्तोच्य, इव
अमुकस्य देय इद अमुकस्यैव विचार्येत्यय पुन कि कृत्वा ? दाण दायाण परिभाइत्ता—दान
धन दायिका गोत्रिकान्तेभ्य परिभाय विभागतो त्वा कथय ।

—वल्पमूत्र, सुबोधिका वृत्ति ।

एए देवनिकाया भगवं बोहिति जिणवरं वीरं ।

सव्वजगज्जीवहियं अरिहं ! तित्थं पवत्तेहि ।६।

झाया—सम्बत्सरेण भविष्यति अभिनिष्क्रमण तु जिनवरेन्द्रस्य ।

ततः अर्थसम्पदा प्रवर्तते पूर्व सूर्यात् ।१।

एकाहिरण्यकोटिः अष्टव अन्यूनकाः शतसहस्राः ।

सूर्योदयादादौ दीयते या प्रातराश इति ।२।

त्रीण्येव च कोटि शतानि, अष्टाशीतिश्च भवन्ति कोटयः ।

अशीतिश्च अत सहस्राणि एतत् सम्बत्सरे दत्तम् ।३।

त्रैश्रमणकुण्डलधरा देवाः, लोकान्तिका महर्षिकाः ।

चोधयन्ति च तीर्थकर, पचदशसु कर्मभूमिषु ।४।

ब्राह्मे च कल्पे बोधव्याः कृष्णराजेः मध्ये ।

लोकान्तिका विमाना अष्टसु विस्ताराः असखेयाः ।५।

एते देवनिकायाः भगवन्तं बोधयन्ति जिनवरं वीरम् ।

सर्वजगज्जीव हित, अहंन् ! तीर्थं प्रवर्तय ।६।

पदार्थ—अभिनिष्क्रमणतु—दीक्षा लेने का समय । जिनवरिदस्स—जिनेन्द्र देव का ।

सैवच्छरेण होहिइ—प्राज से एक वर्ष पश्चात् होगा । तो—तत् पश्चात् । अत्थ संपयाणं—
अर्थ संपदा—धन सम्पत्ति का दान । पुव्वसूराओ पवत्तइ—जय पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है
तब से आरम्भ होता है ।

मूलार्थ—श्री भगवान दीक्षा लेने से एक वर्ष पहले साम्बत्सरिक दान-
चर्षी दान देना आरम्भ कर देते हैं, और वे प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर एक
पहर दिन चढने तक दान देते हैं ।

पदार्थ—एगाहिरण्य कोडी—एक फ्रीड मुद्रा और । अणूणगा—सम्पूर्ण । अट्ठेध—
आठ ही । सयसहस्स—लाख अधिक मुद्रा का दान । सूर्योदयमाईत्थं—सूर्योदय से लेकर । जा—
जो । पायरासुत्ति—एक प्रहर पर्यन्त । दिज्जइ—दिया जाता है ।

मूलार्थ—एक क्रीड आठ लाख मुद्रा का दान सूर्योदय से लेकर एक पहर पर्यन्त दिया जाता है।

पदाय—तिन्नेव—तीन। य—पुन। कोडिसया—नी जाड। घ—घोर। अट्टा-सीइ हृति षोडोषो—षठासी ८८ षोड होते हैं। घ—पुन—फिर। अतिइसयसहस्ता—अम्मी ८० लाख एव। सवच्छरेणि—भगवान ने एक वर्ष में इतनी स्वर्ण मुद्रा दान में दी।

मूलाय—भगवान ने एक वर्ष में ३८८ क्रीड ७० लाख मुद्राका दान दिया

पदाय—वसमण कुण्डधारी देवा—कुण्डल धारण करने वाल वश्रमण देव और। महिडिडया—महा ऋद्धि वाले। लोगतिया—लौकान्तिक देव। पनरस्तुक्कम्मूमिस—१५ कम भूमि में होने वाले। तित्यपर—तीर्थकर भगवान को। य—पुन। बोहिंति—प्रतिबोधित करते हैं।

मूलाय—कुण्डल के धारक वैश्रमण देव और महाऋद्धि वाले लौकान्तिक देव १५ कर्म भूमि में होने वाले तीर्थकर भगवान को प्रतिबोधित करते हैं।

पदाय—५—पुन। बभमिक्कप्पमी—ब्रह्म कल्प में। कण्हरइणोमंसे—कृष्ण राजि क मध्य में। अट्टसु—छाठ प्रकार क। असलित्जजा—असह्यमान। वत्या—विस्तार वाले। लोगतिया विमाना—लौकान्तिक देवों के विमानों को। बोधव्वा—जानना चाहिए।

मूलार्थ—ब्रह्मकल्प में कृष्णराजि के मध्य में आठ प्रकार के लौकान्तिक विमान असह्यात विस्तार वाले जानने चाहिए।

पदाय—एएदेव निकाया—यह सब देवों का समूह। भगव—भगवान। जिनवर—जिनवर। वीर—वीर को। बोहिंति—बाध देते हैं। अरिह—हूँ अहन् । सध्वजम—जीवहिप—सब जगत के जीवों को हितकारी। तित्य—तीर्थ की। पवत्तहि—प्रवृत्ति करो ? अर्थान ससारवत्ति समस्त जीवों के हित के लिए धर्म रूप तीर्थ की स्थापना करो।

मूलार्थ—यह सब देवों का समूह जिनेश्वर भगवान महावीर को बोध देने के लिए सधिनय निवेदन करते हैं कि हे अहंन् देव ! आठ जगत् वासी जीवों के हितकारा तीर्थ धर्म रूप तीर्थ की स्थापना करा।

हिन्दी विवेचन

पहली तीन गाथाओं में यह बताया गया है कि भगवान एक वर्ष तक प्रति दिन सूर्योदय से लेकर एक पहर तक एक करोड़, आठ लाख स्वर्ण मुद्रा का दान करते

हैं। उन्होंने एक वर्ष में ३८८ करोड़ ८० लाख स्वर्ण मुद्रा का दान दिया था।

इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल साधु को दिया जाने वाला आहार-पानी चम्र-पात्र आदि का दान ही महत्त्वपूर्ण नहीं, बल्कि अनुकम्पा दान भी अपना महत्त्व रखता है। यदि दीन दुःखी एवं अपाहिज को दान देना पाप का एवं संसार बढ़ाने का कार्य होता, तो संसार का त्याग करने वाले तीर्थंकर ऐसा क्यों करते। भगवान द्वारा दिया गया दान इस बात को स्पष्ट करता है कि अनुकम्पादान भी पुण्य बन्ध एवं आत्म विकास का साधन है। इससे आत्मा की दया एवं अहिंसक भावना का विकास होता है और इस वृत्ति का विकास आत्मा के लिए अहितकर नहीं हो सकता। आगमों में भी अनेक स्थलों पर अनुकम्पा दान का उल्लेख मिलता है। तुंगिया नगरी के भ्रावकों की धर्म भावना एवं उदारता का उल्लेख करते हुए उनके लिए 'ग्रभंगद्वारे' का विशेषण दिया गया है। अर्थात् उनके घर के दरवाजे अतिथियों के लिए सदा खुले रहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे बिना किसी सांप्रदायिक एवं जातीय भेद भाव के अपने द्वार पर आने वाले प्रत्येक याचक को यथाशक्ति दान देते थे। अतः तीर्थंकरों के द्वारा दिए जाने वाले दान को केवल प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला दान कहना उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि, महापुरुष कभी भी प्रशंसा के भूखे नहीं होते। वे जो कुछ भी करते हैं, दया एवं त्याग भाव से प्रेरित होकर ही करते हैं। अतः भगवान के दान से उनकी उदारता, जगत्त्वत्सलता एवं अनुकम्पा दान के महत्त्व का उज्ज्वल आदर्श हमारे सामने उपस्थित होता है, जो प्रत्येक धर्म-निष्ठ सद्गृहस्थ के लिए अनुकरणीय है।

चौथी गाथा में दो बातों का उल्लेख किया गया है—१ भगवान एक वर्ष में जितना दान करते हैं, उस धन की व्यवस्था वैश्रमण देव करते हैं। उनके आदेश से उनकी आज्ञा में रहने वाले लोकपाल देव उनके कोष को भर देते हैं। यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। प्रत्येक तीर्थंकर के लिए ऐसा किया जाता है। २ प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के हृदय में जब दीक्षा लेने की भावना पैदा होती है, तब लोकान्तिक देव अपनी परंपरा के अनुसार आकर उन्हें धर्म तीर्थ की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करते हैं।

कुछ प्रतियों में 'विसमण कुण्डधारी' के स्थान पर 'विसमण कुण्डलधरा' पाठ भी उपलब्ध होता है।

पांचवीं गाथा में लोकान्तिक देवों के निवास स्थान का उल्लेख किया गया है। अरुणोदधि समुद्र से उठकर तमस्काय ब्रह्म (५ वे) देवलोक तक गई है और उस

ये नव तरह की कृष्ण राजिण हैं वे ही नव लौकान्तिक देवों के विमान माने गए । वही विमानों में लौकान्तिक देवों की उत्पत्ति होती है । ब्रह्म देवलोक के समीप होने से उन्हें लौकान्तिक कहते हैं । कुछ आचार्यों का अभिमत है कि लोक ससार का अन्न करने वाले अर्थात् एक भय करके मोक्ष जाने जाने होने के कारण इन्हें लौकान्तिक कहते हैं^१ । ये नव प्रकार के होते हैं—१ सारस्वत, २ आण्डित्य, ३ बह्य, ४ उरुण, ५ गर्दभोय, ६ रुद्रित, ७ अयावाय, ८ आग्नेय और ९ अरिष्ट ।

छठी गाथा में यह बताया गया है कि लौकान्तिक देव अपने आवश्यक आचार का पालन करने के लिए तीर्थर भगवान को तीर्थ की स्थापना करने की प्रार्थना करते हैं । यह तो स्पष्ट है कि गृहस्थ अस्थान में भी भगवान तीन ज्ञान से युक्त होते हैं और अपने दीक्षा काल को भली भाँति जानते हैं । अन्न उन्हें सावधान करने की आवश्यकता ही नहीं है । फिर भी जो लौकान्तिक देव उन्हें प्रार्थना करते हैं वह केवल अपनी परम्परा का पालन करने के लिए ही ऐसा करते हैं ।

साधु माध्वी, श्रावक और श्राविका चारों को तीर्थ कहा गया है और इम चतुर्विध सब रूप तीर्थ की स्थापना करने के कारण ही भगवान को तीर्थर कहते हैं^२ ।

इममे आगे का वरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—तयो ण समणस्म भ० म० अभिनिक्खमणाभि
प्याय जाणित्ता भवणउड्वा० जो० विमाणवासिणो देवा य
देवीयो य मएहिं २ रुवेहिं मणहिं २ नेवत्येहिं मए० २ चिंधेहि
सव्विद्धीए सव्वजुड्ढेए सव्ववल्लसमुदएण सयाइ २ जाणवि
माणाइ दुरूहति सया० दुरूहित्ता ग्रहावायराइ पुगलाइ

१ लौकान्तिक—ससारगत भवान लौकान्तिका एकावतारत्वानि ।

—कल्पसूत्र, सुबोधिका वृत्ति (उपा० विनय विजय जी)

२ तित्थ भवे ! तित्थे तित्थकरे तित्थ ? गोयमा ! अरहा ताव नियमा तित्थगर्तनि । तित्थ पुग चउवण्ण इण्णे समणसरे, तजहा—समणा, समणाम्मा सावगा, साविषाम्भो ।

परिसाडंति २ अहासुहमाइं पुग्गत्ताइं परियाइंति २ उड्ढं
 उप्पयंति उड्ढं उप्पइत्ता ताए उक्कट्ठाए सिग्घाए चवत्ताए
 तुरियाए दिव्वाए देवगईए अहे शां ओवयमाणा २ तिरिएणां
 अमंखिन्नाइं दीवममुद्दाइं वीइक्कममाणा २ जेणेव जंबुहीवे
 दीवे तेणेव उवागच्छंति २ जेणेव उत्तरखत्तियकुंडपुरसंनिवेशे तेणेव
 उवागच्छंति, उत्तरखत्तियकुंडपुरसंनिवेशस्स उत्तरपुरच्छिमे
 दिसीभाए तेणेव भक्ति वेगेण ओवइया ।

छाया—ततः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अभिनिष्क्रमणाभिप्रायं ज्ञात्वा
 भवनरतिवाणवपन्तरज्योतिषिभिर्मानवामिनो देवाश्च देव्यश्च स्वकैः २ रूपैः
 स्वकैः २ नेपथ्यैः स्वकैः २ चिन्हैः सर्वर्द्ध्या सर्वद्युत्या सर्वबलममुदयेन
 स्वकानि २ यानविमानानि आगोहन्ति स्वकानि यानविमानानि आरुह्य यथा-
 वादान् (अमारान्) पुद्गलान् परिशातयन्ति परिशात्य यथासूचमान् पुद्ग-
 लान् पर्याददते पर्यादोय ऊर्ध्वम् उत्पतन्ति ऊर्ध्वम् उत्पत्य तथा उत्कृष्टया
 शीघ्रया चपलया त्वगितया दिव्यया देवगत्या अधः अवपतन्तः नियग्ं असखेयान्
 द्वापममुद्दान् व्यतिक्रमन्तः २ यत्रैव जम्बुद्वीपो द्वीपः तत्रैवोपागच्छन्ति,
 उपागत्य यत्रैव उत्तरक्षत्रियकुण्डपुग्मन्निवेशः तत्रैव उपागच्छन्ति उत्तर-
 क्षत्रियकुण्डपुरसंनिवेशस्य उत्तरपौरस्तमो दिग्भागः तत्रैव भक्ति वेगेन
 अवपतिताः ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकारार्थक है । तत्रो—तत् पश्चात् । समणस्य—श्रमण ।
 भगवन्नो—भगवान् । महावीरस्स—महावीर के । अभिनिष्क्रमणाभिप्रायं—दीक्षा लेने के
 अभिप्राय को । जाणितो—जानकर । भवणवइ—भवनपति । वा०—वाणव्यन्तर । जो०—
 ज्योतिषी । विमाणवा सणो—वैमानिक । देवा—देव । य—और । देवीन्नो—देविये । सएहि २—
 अपने २ । रुव्हिहि—रूपों से । सएहि २—अपने २ । नेवत्थेहि—वेगों से । सएं २ चिधेहि—

धवन २ चिह्नो त युक्त होकर तथा । सत्त्विकद्वीप—सव प्राप्ति म । सव्यमुईए—मर्क इयति
 त । सव्यवतसमु एण—सव बन समुदाय म । सवाइ २ जाण विमाणाइ—धवन २ विमनों
 पर । कुल्हति—चढ़ने हैं । सपा०—धवने २ विमानों पर । कुट्टिहा—चढ़कर । प्रहाय
 राइ—यथा बाहर धर्मात् स्थूल निस्सार । पग्गताइ—पुद्गलों को । परिहाइति—गिरा कर ।
 प्रहाउइमाइ—मूडम । पुराहाइ—पुद्गला को । परिहाइति २—प्रण करते हैं और उ हैं ग्रहण
 करक । उइइ—उपर ऊच । उप्पयति—उदात्तन करते हैं । उइइउप्पइहा—ऊच उदात्तन कर
 के । ताए—उस । उक्कट्टाए—उ कूट । तिग्घाए—गीघ्र । चवसाए—चपल । तुरियाए—
 त्वरित । दिट्ठाए—दिव्य । देवगईए—देव गति म । घेणव—नीचे की ओर । धोवपमाणा २—
 उत्तरत हुए । तिरिपण—तियक् साक में स्थित । असत्तिग्गहाइ—असख्यात । दीवसुहाइ—
 द्वीप समुद्रों को । धोइक्कममाणा—व्यतिक्रम करने हुए—उत्लघत हुए । तेणव—जहां पर ।
 धनुद्धोव दीये—जम्बू द्वीप नामा द्वाप है । तेणव—वहां पर । उवागच्छति—आते हैं, आकर ।
 तेणव—जहां पर । उत्तरत्तनियक्कडुरत्तनिवत्ते—उत्तर क्षत्रिय कुंड पुर गतिवेग है । तेणव—
 वहां । उवागच्छति—आते हैं फिर । उत्तरत्तनियक्कडुरत्तनिवत्तस—उत्तर क्षत्रिय कुंड पुर सन्नि-
 वेग क । उत्तरपुरत्थिमे विसीमाए—उत्तर पूर्व िगा क मध्य भाग धर्मात् ईशान कोण में जा
 स्थान है । तेणव—वहां पर । प्रतिवगेण—बढ़ तीव्र षण से । धोवइया—उत्तरत हैं ।

मूनार्थ—तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा लेने
 के अग्निप्राय को जानकर भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वमानिक
 देव और देविय अपने अपने रूप, वेप और चिह्नो से युक्त होकर तथा
 अपनी २ सवप्रकार की श्रद्धि, द्युति और बल समुदाय से युक्त होकर
 अपने २ विमानों पर चढ़ते हैं और उनमें चढ़कर वादर पुद्गलों को
 छाड़कर सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करके ऊंचे होकर नत्कूष्ट, शीघ्र, चपल
 त्वरित और दिव्य प्रधान देवगति से नीचे उतरते हुए तियक् लोक में
 स्थित असख्यात द्वीप समुद्रों को उत्लघन करते हुए जहां पर जम्बूद्वीप
 नामक द्वीप है वहां पर आते हैं । जम्बूद्वीप में भी उत्तर क्षत्रिय
 कुण्डपुर सन्निवेश में आकर उसके ईशान कोण में जो स्थान है वहां पर
 बड़ी शीघ्रता से उतरते हैं ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि भगवान के दीक्षामहोत्सव में अभिप्रक्षित

होने के लिए नारों जाति के देव तत्रिय कुछ ग्राम में एकत्रिन होते हैं । यह स्पष्ट है कि देव अपने मूल रूप में मन्वन्तलोक में नहीं आते । वे उत्तर वैक्रिय करके मनुष्यलोक में आते हैं और उत्तर वैक्रिय के वे १३ प्रकार के विभिन्न स्तनों के मूत्रन पुद्गलों को प्रदण करने हैं ।

इम प्रिय को आने बढ़ाते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् तत्रो गां मक्कं देविंदे देवराया सणियं २ जाणविमाणां
 पट्ठवेति सणियं २ जाण विमाणां पट्ठवेता सणियं २ जाणवि-
 माणां पत्रोरूहति सणियं २ एगंतमवक्कमइ एगंतमवक्कमिता
 महया वेउच्चिएणां ममुग्वाएणां ममोहणाइ २ एगं महं नाणामणि-
 कणागरयाणभत्तिचित्तं सुभं चारुकंतंरूवं. देवच्छंदयं विउव्वइ, तस्स
 गां देवच्छंदयस्स बहुमज्जदेसभाए एगं महं सपायपीढं नाणामणि-
 कणायरयाणभत्तिचित्तं सुभं चारुकंतंरूवं सीहासणां विउव्वइ २, जेणोव
 समणो भगवं महावीरे तेणोव उवागच्छइ २ समणां भगवं महावीरं
 तिकखुत्तो आयाहिणां पयाहिणां करेइ २ समणां भगवं महावीरं-
 चंदइ नमंसइ २ समणां भगवं महावीरं गहाय जेणोव देवच्छंदए
 तेणोव उवागच्छइ सणियं २ पुरत्थाभिमुहं सीहासणे निसीयावेइ
 सणियं २ निसीयावित्ता सयपागसहस्सपागेहिं तिल्लेहिं अब्भं-
 गेइ गंधकासाईएहिं उल्लोलेइ २ सुद्धोदएणा मज्जावेइ २ जस्स
 गां मुल्लं सयसहस्सेणां तिपडोलतित्तिएणां साहिएणां सीतेणा गो-

सीमरत्तचदगाण यणुतिपड २ ईमि निस्मामवायवोज्झ वरनयर
 पट्टाणुगय कुमलनरपसमिय अस्सलालापेलव छेयारियण्णग
 खइयतकम्म हमलक्खण पट्टजुयल नियमावेइ २ हार अद्वहार
 उरत्थ नेवत्थ एगाउलि पालवसुत्त पट्टमउडरयणमालाउ आवि-
 धावेइ आविधावित्ता गथिमपेठिमपरिमसघाइमेण मल्लेण कप्प-
 रुस्समिव समलकरेइ २ ता दुच्चपि मट्टया वेउअियसमुग्धाएण
 समोदण्ड २ एग मह चटप्पह सिविय सहस्सवाहणिय अवव्वत्ति,
 तजहा ईहा मिग उमभ तुरग नर मकर पिहग वानर कुजर - रुरु
 सरभ चमर सइलमीह वणुलय भत्तिचित्तलय विजाहर - मिहुणजुय
 लजतजोगजुत्त अचीमहस्समालिणीय सुनिरुविय मिसिमिसित्त-
 रूवगसहस्स कलिय ईसि भिसमाण भिब्भिसमाण चक्खुल्लोयण
 लेस मुत्ताहलमुत्ताजालतरोविय तवणीयपवरलवूसगपलवतमुत्त-
 दाम हारद्वारभूमणसमोणय अहियपिच्छणिज्ज पउमलयभत्तिचित्त
 ययोगणभत्तिचित्त कुदलयभत्तिचित्त नाणालयभत्ति० विरइय
 सुभ चारुकतरूव नाणामणिपचयन्नघटापडायपडिमडियग्ग
 सिहर पामाईय दरिसणिज्ज सुरूव ।

छाया—तत शक्र देव इ देवराज शनै २ यान विमान प्रस्थापयति
 शनै २ यान विमान प्रस्थाप्य शनै २ यानविमानत प्रत्यवतरति २, शनै
 २ एकात्मपक्रामति एकात्मपक्रम्य महता वक्रियेण समुद्घातेन समव-

हन्यते २ एक महत् नानामणिवनकरत्नभक्तिचित्र शुभं चारुकान्तरूप,
 देवच्छन्दक विकुरुते तस्य देवच्छन्दकस्य बहुमध्यदेशभाग एक महत् सवा-
 दर्पाठ नानामणिवनकरत्नभक्तिचित्र शुभं चारुकान्तरूप मिहामनं
 विकुरुते । विकृत्य यत्रैव श्रमणो भगवान् महावीरः तत्रैवोपागच्छति उपागत्य
 श्रमण भगवन्त महावीरं त्रिकृत्वः आदक्षिण प्रदक्षिण करोति कृत्वा श्रमण-
 भगवन्त महावीरं वन्दते नमस्यति वन्दित्वा नमस्यित्वा श्रमणं भगवन्त
 महावीरं गृहेत्वा यत्रैव देवच्छन्दकस्तत्रैवोपागच्छति शनैः २ पौरस्त्याभि-
 मुख मिहामने निपादयति शनैः २ निपाद्य गतपाकसहस्रपाकैः तैलैः
 अभ्रगयति ग धकापायिकैः उल्लोलयति उल्लोल्य शुद्धादकेन मज्जयति
 मज्जयित्वा यस्य मूल्यं शतसहस्रेण त्रिपटोलतिक्कनेन साधिकेन शातेन
 गोजोर्परवनचन्दनेन अनुलिम्पति अनुलिम्प्य ईषत् निश्वासवातावाह्यं
 वरनगरपट्टनोद्गतं कुशलनरप्रशसितं अश्वलालापेलवं (श्वेतं)
 छेकाचयेकनकखचितान्तकर्म हसलक्षणं पट्टयुगलं परिधापयति, परि-
 धाप्य हारमर्द्धहारमुरस्थं नेपथ्यम् एकावलिं प्रालम्बसूत्रं पट्टमुकुटरत्न-
 मालां आवन्धापयति आवन्धाप्य ग्रन्थिमवेष्टिमपूरिमसंघातेन माल्येन
 कल्पवृक्षमिव समलकरोति समलकृत्य, द्वितीयमपि महतावैक्रिय-
 समुद्घातेन समवहन्यते समवहत्य एकां महतीं चन्द्रप्रभां शिविकां सहस्र-
 वाहनीयां विकुरुते । तद्यथा-ईहा-मृग-वृष-तुरग-नर-मकर-विहग-वानर-
 कुंजर-रुद्र-शरभ-चमर-शार्दूलसिंहवनलता भक्तिचित्रलता-विद्याधर मिथुन-
 युगलयत्रयोगयुक्तां अश्विहस्रमालनीया सुनिरूपता मिसीमिसन्तरूपक-
 सहस्रकलितां ईषद्भिसमाना भिभिसमाना चक्षुर्लोचनलोकनीयां मुक्ताफल-
 मुक्ताजालान्तरोपता तपनीयप्रवरलम्बसूत्रप्रलम्बमानमुक्तादामां हाराद्धि-
 हारभूषणसमन्वितां अधिकप्रक्षणीयां पद्मलताभक्तिचित्राम् अशोकवन
 भक्तिचित्रा, कुदलताभक्तिचित्रा, नानालताभक्तिचित्रां विरचितां शुभां
 चारुकान्तरूपां, नानामणिपञ्चवर्णवृंटापताका प्रतिमंडिताग्रशिखरां

प्रासादीया दशनीया सुरूपाम् ।

पवाच—ण—वाक्पालकाराथक है । तद्यो—तदनंतर । सक्के—गक । देविदे—
 देवेद्र । देवरराग—देवरराज । सगिन् २—गन -गन -धीरे धीरे । जाण विमाण—विमान ।
 षठवेत्ति—स्थापित करता है फिर । सगियं २—धीरे धार । जाण विमाण—विमान को ।
 षठवेत्ता—चार अगुत प्रमाण भूमि से ऊचा स्थापित करके फिर । सगिय—गन २ ।
 जाणविमाणायो—विमान से । पवोरुहति—नीचे उतरता है और वहां उतर कर । सगिय
 २—गन २ । एतमवक्कमइ—एकांत में अग्रजमण करता है । एतमवक्कमिता—एकांत में
 अग्रजमण करके । महपा—महान । बउक्विण्ण—वक्रिय । समुघाण—समुदघात को ।
 समोहणइ—फोड़ता है अर्थात् वक्रिय समुदघात करता है और वक्रिय समुदघात करके ।
 एण—एक । मह—महान बडा । नानामणिकणगरयणमत्तिचित्त—नाना प्रकार के मणि, वनर,
 रत्नादि से चित्रित दीवार वाले । सुभ—शुभ । चारु—मनोहर । कतकूव—कांत रूप वाले ।
 देवच्छदय—देवच्छन्नक को । विउक्खइ—जनाता है । तस्सण—उस । देवच्छदरस्स—देवच्छदक
 के-धोतरे के । बहुमज्जदेशमाए—मध्यम देश भाग में अर्थात् मध्य में । एणमह—एक बडा
 भारी । सपायवीड—पाय वीठ से युक्त । नानामणिकणगरयणमत्तिचित्त—नाना विध
 मणि, स्वण, रत्नादि से चित्रित भित्त वाले । सुभ—शुभ । चारुकतकूव—मनोहर कांत स्वरूप ।
 सिहामण विउक्खइ—सिहामन को बन ता है उमे बनाकर । जेणव—जहां पर । समण भगव
 महावीरे—श्रमण भगवान महावीर हैं । तेणव—वहां पर । उवागच्छइ—घाता है और वहां
 पाएर । समण भगव महावीर—श्रमण भगवान महावीर को । तिक्खुत्तो—तीनवार । अदाहिण-
 प्रादक्षिण । पयाहिण—प्रक्षिणा । करे—करता है और प्रक्षिणा करके । समण भगव
 महावीर—श्रमण भगवान महावीर को । वदइ—वदना करता है । णमसइ—नमस्कार करता
 है फिर वदना नमस्कार करके । समण भगव महावीर—श्रमण भगवान महावीर को ।
 गहाय—लेकर । जेणव—जहां पर । देवच्छदए—देवच्छन्नक है । तेणव—वहां पर । उवागच्छइ
 घाता है और वहां घाकर । सगिय २ शम २ । पुररपाभिमुह—पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा को
 मुख करवा कर भगवान को । सोहासणे—सिंहासन पर । निसीयावइ—ब्रूताता है फिर । सगिय
 सगियं—गन २ । निसीयावित्ता—उहें वहां बठा कर । सयपागसहस्सपागहि—सत और सहस्र
 औपधियों के योग से बने हुए शतपाक, सहस्रपाक नाम से प्रसिद्ध । तिक्खेहि—तलों की ।
 पद्धमण—मालिश करता है और मालिश करके । गधकासाईएहि—सुगंध युक्त द्रव्यो से ।
 उल्लोलेइ—उद्धतन करता है और उद्धतन करने के पचात । सुट्टोदण—सुट्ट निमल जल से ।
 मउवायइ २—स्नान कराता है उह स्नान कराकर फिर सुगंध युक्त वस्त्र से शरीर को पोछता
 है और शरीर पोछ कर । जस्स भल्ल—जिमका मूय । ण—वाक्पालकार में है । सयसत्तुत्सेण

साहिष्णु— एक ल व सुवर्ण मूद्रा मे भी अधिक है । त्रिपडोलतिलिष्णु— इस प्रकार बहुमृत्य रूप
 सीतेषु— प्रत्यन्त शीतल । गोभीसरत्तचदणेषु— गोभीयं रयत चन्दन से । अणुलिपद्— लेपन करता
 है गोभीयं चन्दन का लेपन करके । ईसि— थोडा । निरसासवामबोज्झं— नाक की हवा से उड़ने
 वाले । घर नयरपट्टणुगय— विशिष्ट शहर मे निमित एव । कृसलनरपसंसियं— कुगल पुरुषो
 द्वारा प्रशंसित । अम्सलालापेलव— अश्व की लाला के समान श्वेत और मनोहर । छेयारिय
 कणगलइयत कम्म— विद्वान् गिल्पाचार्य द्वारा जिस वस्त्र के किनारे सुवर्ण की तारो से खचित
 हैं । हसलकलण— हंसके समान श्वेत वर्ण वाला ऐसा । पट्टजुयल— वस्त्र युगल को । निय-
 मावेइ— पहनाता है उमे पहनाकर । हारं अद्धहारं— हार-प्रठाह लड़ी का, अद्धहार-नी लड़ी का ।
 उरत्यं— वक्षस्थल मे । नेवत्यं— मुन्दर वेप । एगावलि— एकावली हार । पालंबसुत्तं— प्रालम्ब-
 सूत्र अर्थात् लटकते हुए भुमके । पट्टमउडरयणमालाउ— कटि सूत्र, मूकूट, रत्न मालाएं आदि ।
 आर्विधावेइ— पहनाता है । आर्विध वित्ता— उन्हें पहना कर फिर । गथिमवेदिमपुरिमसंघाइमेणं-
 ग्रन्थित, वेत्तित, पूरिम, और मंघानिम इन चार प्रकार के पुष्पो की । मल्लेणं— मालाओ से
 विभूषित । कपपरुखमिय— कल्पवृक्ष की भाति । अलंकरेइ २ ता— भगवान को अलंकृत करता
 है उन्हें अलंकृत करने के अनन्तर । दुच्चंपि— द्वितीय बार । महया— बहुत विस्तृत । वे-
 उव्विय समुघाएण— वैक्रिय समुद्घात । समोहणइ— करता है वह वैक्रिय समुद्घात करके ।
 एगमहं— एक बडी । चंदपपहं— चन्द्रप्रभा नाम की । सिविय— शिविका । सहस्र वाहणियं—
 सहस्र वाहनिका अर्थात् हजार पुरुषो द्वारा उठाई जाने वाली पालकी को । विउव्विति— वैक्रिय
 समुद्घात से बनता है जोकि विविध भाति के चित्रो से चित्रित की गई है । तं— जैसे कि ।
 ईहा— वृक विशेष । मृग— हिरण । उसम— दृषभ-बैल । त्रग— अश्व-थोडा । नर— मनुष्य ।
 मकर— मगर मच्छ । विहग— पक्षी । वानर— वन्दर । कुंजर— हाथी । रु— मृग विशेष ।
 सरम— शरभ-अष्टपाद जीव विशेष और । चमर— चमरी गाय । सद्दूल— शार्दूल । सीह—
 सिध-शेर । वणल्लय— वनलता । भत्तिवित्तलय— भक्ति चित्र लता— नाना प्रकार की वन लताओ
 से चित्रित, अर्थात् इन चित्रो से वह शिविका चित्रित हो रही है, इसी प्रकार । विज्जाहर—
 विद्याधर तथा । मिहणजुयल— मिथुन युगल अर्थात् स्त्री पुरुष का जोडा । जंत— यत्र विशेष
 का चित्र । जोगजुत्तं— योगयुक्त अर्थात् युगलो से युक्त । अच्चीसहस्रभात्तिणीय— सहस्र सूर्य की
 किरणो से युक्त । सुनिरुविय— भली प्रकार से निरूपण किया है । भिसिभिसितरुवगसहस्र-
 कलिय— प्रदीप्त सहस्ररूपो से युक्त जो । ईसि— थोडा । भिसमाण— देदीप्यमान । भित्तिमसाण-
 और अत्यन्त देदीप्यमान । चक्षुलोयणलेसं— चक्षुओ द्वारा जिसका तेज देखा नही जा सकता
 इस प्रकार की वह शिविका तथा । मुत्ताहल मुत्ताजालंतरोविय— मुक्ताफल-मोती और मुक्ता-
 जाल-मोतियो के जालो से युक्त तथा । तवणीयपवरलंघुसपलंबंतमुत्तदाम— सुवर्णमय पाखंडो
 युक्त चारो और सटकती हुई मोतियो की माला जिस मे दीख रही हैं और । हारद्धहार
 असणसमोणयं— हार, अद्धहार आदि भूषणो से विभूषित । अहियपिच्छणिज्ज— अधिक प्रेक्षणीय

देहन योग्य । पद्मसयमन्त्रिचित्त—पद्मव्रता की भाँति चित्रित । असौम्यव्रतमन्त्रिचित्त—असौम्य व्रत की भाँति चित्रित । कुदलयमन्त्रिचित्त—कुलता की भाँति चित्रित । नाणालयमन्त्रिचित्त—नाना प्रकार की पुष्पलताओं की भाँति चित्रित । विरल्प—विरलित । शुभ—शुभ । चारकतह्व—मनाहर का तह्व, तथा । नाणामणिपञ्चमघटापट्टाय पद्ममण्डियगतिहर—नाना प्रकार की पाचवर्ण वाली मणियों घण्टा तथा पताकाओं से जिसका गिहर भाग मण्डित हो रहा है अर्थात् पाच वर्ण की मणियों, घण्टियों और ध्वजा तथा पताकाओं से जिसका गिहर भाग सुशोभित हो रहा है इस प्रकार की । पासादय—प्रामादीय । दरिसणिज—दानीय । सु—वह गिविका सुन्दर एवं सुरूप वाली है ।

मूलाथ—तत् पश्चात् शङ्ख देवो वा इन्द्र देवराज शनै २ अपने विमान को स्थापित करता है, फिर शनै २ विमान से नीचे उतरता है और एकांत में जाकर वैक्रिय समुद्रघात करता है । उससे नाना प्रकार की मणियों तथा वनक, रत्नादि से जटित एक बहुत बड़े कांत मनोहर रूप वाले देवछदक का निर्माण करता है । उस देवछदक के मध्य भाग में नाना विध मणि कनक, रत्नादि से खचित, शुभ, चारु और वातरूप एक विस्तृत पादपोथ युक्त सिंहासन का निर्माण किया । उसके पश्चात् जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर थे वहाँ वह आया और आकर भगवान को वन्दन—नमस्कार किया और श्रमण भगवान महावीर का लेकर देवछदक के पास आया और घीरे २ भगवान को उस देवछदक में स्थित सिंहासन पर बैठाया और उनका मुख पूव दिशा की ओर रखा । शतपाक और सहस्र पाक तैलों से उनके शरीर की मालिश की और सुगन्धित द्रव्य से शरीर का उद्बतन करके शुद्ध निमल जल से भगवान को स्नान कराया, उसके बाद एक लाख की कीमत वाले विशिष्ट गाक्षीप चन्दनादि का उनके शरीर पर अनुलेपन किया, उसके बाद भगवान को नासिका की वायु से हिलने वाले, तथा विशिष्ट नगरो में निर्मित, प्रनिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित और कुशल कारीगरो के द्वारा स्वर्णतार से विभूषित, हम के समान श्वेत, वस्त्र युक्त को पहनाया । फिर हार, अडहार पहनाए तथा एकावली हार, लटकती हुई मालायें, कटि सूत्र, मुकुट और

रत्नों की मालायें पहनाई । तदनन्तर गन्धिम, वेष्टिम, पुरिम और संघानिम इन चार प्रकार की पुष्प मालाओं से कल्पवृक्ष की भान्ति भगवान को अलकृत किया ।

इस प्रकार अलकृत करने के पश्चात् इन्द्र ने पुनः वैक्रियसमुद्घात किया और उसमें चन्द्रप्रभा नाम की एक विराट् सहस्र वाहिनो शिविका (पालकी) का निर्माण किया । वह शिविका ईहामृग, वृषभ, अश्व, मगरमच्छ, पक्षी, वन्दर, हाथी, रुरु, शरभ, चमरो, शार्दूल और सिंह आदि जोवों तथा वनलनाओं एवं अनेक विद्याधरो के युगल, यत्र योग आदि से चित्रित थी । सूर्य ज्याति के समान तेजवालो, तथारमणोय जगमगाती हुई, हजारों चित्रों से युक्त और देदीप्यमान होने के कारण मनुष्य उसको ओर देख नहीं सकता था, वह स्वर्णमय शिविका मोतियों के हारों से सुशोभित थी । उस पर मोतियों की सुन्दर मालाये भूल रही थी तथा पद्मलता, अशोकलता, कुन्दलता एवं नाना प्रकार की अन्य वन लताओं से चित्रित थी । पांच प्रकार के वर्णोंवाली मणियों, घटियों और ध्वजा पताकाओं से उसका शिखर भाग सुशोभित हो रहा था इसप्रकार वह शिविका दर्शनीय और परम सुन्दर थी ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान की दीक्षा के पूर्व शक्रेन्द्र द्वारा की गई प्रवृत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है । शक्रेन्द्र ने उत्तर वैक्रिय करके एक देवछन्दक बनाया और उस पर सिंहासन बनाकर भगवान को बैठाया और शतपाक एवं सहस्रपाक (सौ या हजार विशिष्ट औषधियों एवं जड़ी-बूटियों से बनाया गया) तैल से भगवान के शरीर की मालिश की, सुगन्धित द्रव्यों से उवटन किया और उसके बाद स्वच्छ, निर्मल एवं सुवासित जल में भगवान को स्नान कराया । उसके पश्चात् भगवान को बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ उच्चैत वस्त्र युगल पहनाया ॥ और विविध आभूषणों से विभूषित करके हजार व्यक्तियों

॥ इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में पुरुष सिलाई किया हुआ वस्त्र कम पहनते थे । उपाशक दशाग में श्रावको को वस्त्र मर्यादा में रखे गए वस्त्रों में क्षेम युगल वस्त्र

द्वारा उठाई जाने वाली शक्रेन्द्र द्वारा बनाई गई विशाल शिविका (पालकी) पर भगवान को बैठाया। उस तरह शक्रेन्द्र ने अपनी भक्ति पर श्रद्धा को अभिव्यक्त किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि महान पुरुषों को सेवा के लिए मनुष्य तो क्या देव भी सदा उपस्थित रहते हैं।

कुत्र प्रथिया म मञ्जावेइ' के पश्चात् 'पाथकामाएहि गायाइ लूहेइ लूहिता' पाठ भी उपलब्ध होता है और यह शुद्ध पद्य प्रामाणिक प्रतीत होता है। उसी तरह 'मूल्य नवमहस्वण तियडान विधिपण' के स्थान पर 'पत्रसयमहस्मेण तियनो लाभितएण' पाठ भी उपलब्ध होता है।

इस विषय में कुछ और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सीया उदणीया जिणवरस्स, जरमरणविप्पमुक्कस्स ।

ओसत्तमल्लदामा, जलथलयदिव्वकुमुमेहिं । १।

मिचियाइ मज्झयारे दिव्व वररयणारूवचिचइय ।

सीहामण महरिह सपायपीठ जिणवरस्स । २।

आलइयमालमउडो, भासुरवुदी अराभरणधारी ।

खोमियवत्थनियत्थो, जस्स य मुल्ल सयमहस्स । ३।

छट्ठेण उ भत्तेण अज्झवसांगेण सुदरेण जिणो ।

लेसाहि विसुज्झतो आरुहइ उत्तम सीय । ४।

सीहामणे निविट्ठो सक्कीसाणा य ढोहि पासेहि ।

वीयति चामराहि, मणिरयणविचित्तदडाहि । ५।

ना नत्तन्न मिलता हे एव वस्त्र प नन क लिए और दूसरा चादर क रूप में धोवन क विधि । प्राय मत क ग्रन्थों में कुल्ल क लिए पीताम्बर वा उल्लेख मिलता है । यह सूत्र उक्त यग की वस्त्र परम्परा पर प्रकाश डालता है ।

पुंवि उक्स्वत्ता. माणुमेहिं साहट्टु रोमकूवेहिं ।
 पच्छा वहंति देवा. सुरअसुरगरुलनागिंदा ।६।
 पुरयो सुरा वहंति अमुरा पुण दाहिणंमि पासंमि ।
 अचरे वहंति गरुला नागा पुण उत्तरे पासे ।७।
 वणामडं व कुसुमियं पउममरो वा जहा सरयकाले ।
 सोहइ कुसुमभरणां, इय गगणायलं सुरगणोहिं ।८।
 मिद्धत्थवणां व जहा कणयारवणां व चंपयवणां वा ।
 सोहइ कुसुमभरेणां इय गगणायलं सुरगणोहिं ।९।
 वरपडहभेरिज्झल्लरिसंखसयमहस्सिएहिं तूरेहिं ।
 गगणायले धरणियले तूरनिनायो परमरम्पो ।१०।
 ततविततं धणज्झुसिरं आउज्जं चउव्विहं बहुविहीयं ।
 वाइति तत्थ देवा, वहूहिं आनट्टगसएहिं ।११।

छाया—शिविका उपनीता, जिनवरस्य जरामरणविप्रमुक्तस्य ।

अवसक्तमाल्यदामा, जलस्थलजदिव्यकुसुमैः ।१।

शिविकाया मध्यभागे, दिव्य वररत्नरूपप्रतिबिम्बितं ।

सहामनं महाई मपादपीठं जिनवरस्य ।२।

अलंकृतमानामुकुट भासुरशरीरो वराभरणधारी ।

परिहितक्षौमिकवस्त्र. , यस्य च मूल्यं शतसहस्रम् ।३।

पठेन तु मन्त्रेण, अर्घ्यवमानेन मुन्द्रेण चिनः ।

लेखाभि विणुद्धान्त, आरोहति उत्तमा शिविका ।४।

मिहामने निविष्ट शक्रेशानी च द्वाम्यां पार्श्वाम्याम् ।

राजयत चामरै मणिरत्नविचित्रदण्डै ।५।

पूरम् उत्क्षिप्ता मानुषै महृष्टरोमरूपै ।

पश्चाद् वहन्ति देवा, सुगसुगस्डनागेन्द्रा ।६।

पुनः सुरा वहन्ति असुरा पुनः दक्षिणे पार्श्वे ।

अपरे वहन्ति गन्डा नागा पुनश्चने पार्श्वे ।७।

वनपट्टमिव कुसुमित, पदममर इव यथा शरत्काले ।

शोभते कुसुमभरेण, इति गगनतल सुरगणै ।८।

मिद्वाध्वजनिमिष यथा, कृष्णिकारजनमिष चम्पयनमिष ।

शोभते कुसुमभरेण, इति गगनतल सुरगणै ।९।

वरपट्टहभेरिज्झन्तरीशखशतमहस्त्रै तूय ।

गगनतले धरणीतले, तूर्य निनाद परमरम्य ।१०।

ततवितत धनञ्जुपिरम् आतोद्य चतुर्विध बहुविधम् ।

वाद्यन्ते तत्र देवा, बहुभि आनर्तक शतै ।११।

पदाय—जिनवरस्त—जिनेवर की । जरमरणविषयभूषकस्त—जरा और मृत्यु से वि-
मुक्ति के लिए । सोया—गिविका । उवणीया—लाइ गई । जयलय दिठवकुसुमेहि—उमप
जल और स्थल में उत्पन्न होने वाले त्रिपुण्यो क समान वक्रियल व से उत्पन्न किए गए ।
पुष्पा स । श्रोतत्तमल्लनामा—गूधी हुई मालाय बांधी गई । कहने का तात्पर्य यह है कि वक्रि-
यन्त्र ज जन्म पुण्यो की मात्राया से यह गिविका घलकृत हो रहा है ।

सिद्धियाह—गिविका के । मञ्जुयारे—मध्य भाग में । जिनवरस्त—जिने-
वर का । दिव्य—त्रिव्य तथा । वर रयण रूच चित्रइय श्रेष्ठ रत्ना म प्रतिविम्बित तथा । महर्हि
वटुमूल्यवान । सपायवाह—पाट पीठिका सहित । सोहामण—सिंहासन है । ध्वजनि गिविका क
मध्य भाग म भगवान क लिए एक त्रिव्य सिंहासन का निर्माण किया गया ।

अालयमालमउडो—मालाओं तथा मुकुट से अलंकृत होने से । नासुर्बुंदी—जिनका शरीर देदीप्यमान हो रहा है । वरानरणधारी—उन्होंने श्रेष्ठ आभूषणों को धारण कर रखा है । त्रिमियवन्धु नियत्यो—जो धार्मिक-कपास में उत्पन्न हुए वस्त्र को पहने हुए है । य—श्रीर । जस्स—जिमका । मुल्लं—मूल्य । सयसहस्सं—एक लाख है ।

छट्ठेण नत्तेणं—पष्ट भक्त के साथ तथा । सुंदरेण—सुन्दर । अज्भवसा—पेण—अव्यवसाय श्रीर । लेसाहिं—लेश्याओं में युक्त । विसुज्जंती—विशुद्ध ऐसे । जिणो—जिनेन्द्र भगवान । उत्तमंसीय—उत्तम शिविका में । आरुहई—बैठते हैं—शिविका गत सिंहासन पर बैठते हैं ।

सिंहासणे निविट्ठो—जब भगवान शिविका में रक्खे हुए सिंहासन पर विराजमान हो गए तब । य—पुनः । मक्कीसाणा—मक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र । दोहिं पासेहिं—दोनों ओर । चमराहिं—चामरों को । वीयति—टुलाते हैं । मणिरयणविचित्तदडाहिं—चामरों के दण्ड मणिरत्नादि में चित्रित हैं ।

साहट्टुरोमकूवेहिं—जिनके रोम कूप हृषं वश विकसित हो रहे हैं ऐसे । माणुसेहिं—मनुष्यों ने । पुट्ठि—प्रथम - उक्खित्ता—उस शिविका को उठाया और । पच्छा—पीछे । देवा—देव । सुर—वैमानिक देव । असुर—अमुर कुमार देव । गल्ल—गरुड़ कुमार देव । नागिंदा—नाग कुमारों के इन्द्र । वहति—उठाते हैं ।

चारों दिशाओं से जिसप्रकार देवों ने शिविका को उठाया है उसका वर्णन करते हुए मूत्रकार कहते हैं—पुराओ—पूर्व दिशा में । सुरा—वैमानिक देव । वहति—उठाते हैं । पुण—फिर । असुरा दाहिणंमि पासमि—दक्षिण दिशा की ओर से असुर कुमार देव उठाते हैं । अबरे—पश्चिम दिशा में । गल्ला—सुवर्ण कुमार देव । वहति—वहन करते हैं । पुण—फिर । नागा उत्तरेपासे—उत्तर दिशा की ओर नाग कुमार देव वहन करते हैं ।

व—जैसे । कुसुमियं—विकसित हुआ । वणसंडं—वनपंड शोभता है । वा—या । जहा—जैसे । सरयकाले—शरत् काल में । कुसुम भरेणं—विकसित पुष्प समूह से युक्त । पउमसरो—पद्म सरोवर । सोहइ—सुशोभित होता है । इय—इसी प्रकार । सुरगणेहिं—देवों के समूह से । गगणयल्लं—आकाश मंडल सुशोभित हो रहा है ।

व—अथवा । कुसुम भरेण—पुष्पों से समूह से । सिद्धत्यवणं—सरसों का वन । जहा—जैसे । कणियार वणं—कचनार अथवा कनेर का वन । वा—अथवा । चंपय वणं—चम्पक वन । सोहइ—सुशोभित होता है । इय—इसी प्रकार । गगणयल्लं—आकाश मंडल ।

सुरगणहि—दबो के समूह में शोभा पा रहा है ।

वरपद्म—प्रधान पद्म । भेरी—भेरी । उभल्लरी—भाज एक प्रकार का वाद्य
तर। सल—शल । सधसहस्रोहि—नाचों । तूरेहि—वाद्यो—वाज-तरो से । गगणपले—घाकात
मडत तथा । धरणिपले—घबनी तल । तूरिनामो—वाद्य श्रो के शब्दों में । परमरम्भो ।
परमरमणोक ही रहा है ।

तत्य—वहा पर । ततवितत—तत—वाणा आदि, वितत मन्गाणि वाद्य ।
घण—ताल आदि । ज्नुसिर—वश और शलादि । आउज्ज—वाद्य तर । चउबिहू—चार प्रकार
के प्रयत्न । बहुविहीय—बहुत प्रकार के वाद्य तर को । देव—देव । वायति—वजाते हैं धीर ।
बहूहि—व विविध प्रकार क । आनटटगसएहि—नाटक करनेवालो क साथ है ।

मूलाथ—जरा मरण से विप्रभुक्त जिनउर के लिए शिविका लाई
गई, जोकि जल और स्थल पर पैदा होने वाले थोष्ठ फूलो और वैक्रिय
लब्धि से निमित्त पुष्प मालाओ से अलकन था ।

उस शिविका के मध्य में प्रधान रहनी से अलकृत यथा योग्य पाद
पोठिकादि से युक्त, जिनेन्द्र देव के लिए सिंहासन का निर्माण किया
गया था ।

जिनेन्द्र भगवान महावीर एक लाख रुपए की कीमत वाले क्षीप
युगल (कार्पास) के वस्त्र को धारण किए हुए थे और आभूषणो, मालाओ
तथा मुकुट से अलकृत थे ।

उस समय प्रशस्त अर्घ्यवसाम एव लेख्याओं में युक्त भगवान पट्ट
भवन वले को तपश्चर्या ग्रहण करके उस शिविका पालको में बैठे ।

जब श्रमण भगवान महावीर शिविका पर आनन्द हुए तो शक्रेन्द्र
और ईशानेन्द्र शिविका के दोनों तरफ सड़े होकर मणियों से जटित डडे
वाली चामरो को भगवान के ऊपर झुलाने लगे ।

सब से पहले मनुष्यों ने हृष एव उल्लास के साथ भगवान की शिविका
उठाई । उनके पश्चात् देव, सुर, असुर, गरुड और नागेन्द्र आदि देवो

ने उसे उठाया ।

शिविका को पूर्व दिशा से सुर-वैमानिक देव उठाते हैं, दक्षिण से असुर कुमार, प.श्चम से गरुड कुमार और उत्तर दिशा से नाग कुमार उठाते हैं ।

उस समय देवों के आगमन से आकाश मंडल वैसा ही शुशोभित हो रहा था जैसे खिले हुए पुष्पों से युक्त उद्यान या शरद् ऋतु में कमलों से भरा हुआ पद्म सरोवर शोभित होता है ।

जिस प्रकार से सरसो, कचनार तथा चम्पक वन फूलों से सुहावना प्रतीत होता है, उसी तरह उस समय आकाश मंडल देवों से शुशोभित हो रहा था ।

उस समय पटह, भेरी, भांझ शख आदि श्रेष्ठ वादित्तों से गुंजायमान आकाश एव भूभाग बड़ा ही मनोहर एव रमणीय प्रतीत हो रहा था ।

उस समय देव तत, वितत, घन और भुषिर इत्यादि अनेक तरह के बाजे बजा रहे थे तथा विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहे थे एव नाटक दिखा रहे थे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथाओं में यह अभिव्यक्त किया गया है कि भगवान देव निर्मित सहस्र वाहिका शिविका में बैठे और देवों एवं मनुष्यों ने उस शिविका को उठाया । राकेश और ईशानेन्द्र उस शिविका के दोनों ओर खड़े थे और भगवान के ऊपर रत्न एवं परिणयों से विभूषित डडों से युक्त चमर झुला रहे थे । उस समय देव एवं मनुष्य सभी के चेहरों पर उल्लास एवं हर्ष परिलक्षित हो रहा था और आज सब अपने आपको धन्य मान रहे थे ।

जिस समय भगवान शिविका में बैठकर जा रहे थे, उस समय, देव, असुर, कर्नर, गन्धर्व आदि बड़े हर्ष के साथ बाजे बजा रहे थे और विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहे थे । सारा वातावरण हर्ष एवं उल्लास से भरा हुआ था ।

इतने हर्ष एवं आनन्द के वातावरण में भी भगवान् प्रशस्त अक्षयमासों के साथ शान्त बैठे हुए थे। उस समय भगवान् ने पण्डित भक्त-देवों का तप स्वीकार कर रखा था।

अब भगवान् की दीक्षा से मन्वन्त विषय का वर्णन करते हुए सूत्रकार करने हैं—

मूलम्—तेण कालेण तेण ममएण जे से हेमताण पटमे मासे पटमे पक्खे मग्गमिरवहुले तस्म ण मग्गमिरवहुलस्स दममापक्खेण सुब्बएण दिवमेण विजएण मुट्ठत्तेण हत्थुत्तरा नक्खत्तेण जोगोवगएण पाडेणगामिणीए छायाए विड्याए पोरिमीए छट्ठेण भत्तेण अपाणएण एगमाडगमायाए चदप्पभाए मिवियाए सहस्सवाहिणियाए मदेव मणुयासुराए परिमाए ममणिज्जमाणो उत्तरखत्तियकुडपुरमनिवेसस्स मज्झमज्झेण निगच्छड २ जेणेव नायमडे उज्जाणे तेणेव उवागच्छड २ ईमि रयणिएप्पमाण यच्छोप्पेण भूमिभाएण सणिय २ चदप्पम मिविय महस्सवाहिणि ठपेड २ मणिय २ चदप्पमायो मीयायो सहस्सवाहिणीयो पच्चोयरड २ मणिय २ पुरत्याभिमुट्ठे मीहामणे निमीयड आभरणालकार योमुयड, तयोण वेममाणे देवे जन्नुव्वायपडियो भगवयो महावीरस्स हमलक्खणेण पडेण आभरणालकार पडिन्छड, तयोण समणे भगव महावीरे दाहिणेण दाहिण वामेण वाम पचमुट्ठिय लोय करेड, तयोण मक्के

देविंदे देवगया समगणस्म भगवत्रो महावीरस्म जन्नुवायपडियाए
 वडरामणं थालेण केनाइं पडिच्छइ २ अणुजाणसि भंतेत्तिकट्टु
 खीरोयसागरं साहरइ, तथो णं समगो जाव लोयं करित्ता
 सिद्धाणं नमुक्कारं करेइ २ सव्वं मे अकरणिज्जं पावक्कमंति
 कट्टु सामाइयं चरित्तं पडिवज्जइ २ देवपरिसं च मणुयपरिसं
 च, आलिकखचित्तभूयमिव ठवेइ ।

छाया—तस्मिन् काले तस्मिन् समये यः स हेमन्तस्य प्रथमो—
 मासः प्रथमः पक्षः मार्गशीर्षवहूलः तस्य मार्गशीर्षवहूलस्य दशमीपक्षे
 सुव्रतेदिवसे विजयमुहूर्ते हस्तोत्तरानक्षत्रेण योगोपगते प्राचीनगा-
 मिन्या छायाया द्विनोयाया पीरुष्यां पठेन भक्तेन अपानकेन एकशाटक-
 मादाय चन्द्रप्रभायां शिविकायां सहस्रवाहिन्यां सदेवमनुजाक्षुरया परिषदा
 समन्वीयमानः उत्तरक्षत्रियकुण्डपुरमन्निवेशस्य मध्यमध्येन निर्गच्छन्ति,
 निर्गत्य च यत्रैव जातखण्डमुद्यान तत्रैव उपागच्छन्ति उपागत्य ईषत् रत्ति-
 प्रमाणम् अस्पर्शेन भूमिभागेन शनैः २ चन्द्रप्रभा शिविका सहस्रवाहिनी
 स्थापयति स्थापयित्वा शनैः २ चन्द्रप्रभातः शिविकातः सहस्रवाहिनिकातः
 प्रत्यवतरति प्रत्यवतीर्य शनैः २ पर्वाभिमुखः सिंहासने निषीदति, आभर-
 णालंकारमवमुञ्चति, ततो वैश्रमणो देवः जानुपादपतितः भगवतो महावीरस्य
 हसलक्षणेन पटेन आभरणालकारान्- प्रतीच्छति, ततः श्रमणो भगवान्
 महावीरः दक्षिणेन दक्षिण वामेन वामं पञ्चमुष्टिकं लोच करोति ततः
 शक्रो देवेन्द्रो देवराजः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य जानुपादपतितः
 वज्रमयेन स्थालेन केशान् प्रतीच्छति प्रतीच्छ्य अनुजानीहि भदन्त इति
 कृत्वा क्षीरोदकसागरे संहरते, ततः श्रमणो यावत् लोच कृत्वा सिद्धेभ्यः नम-

स्कार करोति, कृत्वा सर्वं मे अकरणीय पाप कर्म, इति कृत्वा सामायिक-
चारित्र्य प्रतिपद्यत, प्रतिपद्य देवपरिपद च मनुजपरिपद च आलेख्यचित्र
भूतभिवस्थापयति ।

पदाय—तेषु कालेषु तेषु समेषु—उस काल और उस समय में । जे से—
जा वह । हेमताण—हेमन्तऋतु का—शीतकाल का । पद्मे मासे—प्रथम मास । पद्मे पक्षे—
पहला पक्ष । मगसिर बहुले—मार्गशीर्ष का पहला पक्ष अर्थात् कृष्ण पक्ष का । ण—वाक्या
लकाराद्यन्त है । तस्स—उस । मगसिर बहुलस्स—मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के । दसमी पक्षेण—
दसमी के दिन । सुवण्ण—सुव्रत नाम वान । दिवसेण—दिन में । विजएण महत्तेण—
विजय मुहूर्त में तथा । हत्थत्तरा नवणत्तण—उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगोवणएण—
चन्द्रमा का योग आने पर । पाईण गामिणीए छायाए—पूर्व त्रिंशत्तमि गामिणी छाया के होने पर ।
विइयाए पोरिसीए—द्वितीय पहर के वीत जाने पर । धवाणएण—निज्जन-विना पानी के ।
छट्ठण मत्तेण—षष्ठ भवत दा उपवास से मुक्त । एगसाडगमायाण—केवल एक देवदूष्य वस्त्र
को लेकर । चदप्पमायाए—चन्द्रप्रभा नामक । तिर्वियाए—शिविका जोकि । सहस्स वाहिणीयाए—
सहस्र पुरुषों से उठाई जा सकती है, उस में बठकर । सदेवमणुयासुराण—देव मनुष्य और
असुर कुमारों की । परिसाए—परिषद् के साथ । समणिज्जमाण—निकलते हुए । उत्तर
खत्तिवकुडपुर सनिच्चस्स—उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर में तब तक । मत्तमग्गण—मध्य २ में न
होकर । निगच्छइ २—निकलते हैं और वहाँ से निकल कर । जणव—जहाँ पर । नापसड
उज्जाणे—जात खण्ड नामक उद्यान था । तणव—वहाँ पर । उवाणच्छइ २—घाते हैं और
वहाँ धाकर । ईसि—घोड़ी सी । रयणिप्पमाण—हाथ प्रमाण । अत्तोत्तेण—ऊँची । भूमि
माएण—भूमि भाग से । सणिय २—गन २ । चदप्पमग्गो—चन्द्रप्रभा नाम की । तिर्विय—
शिविका । सहस्सवाहिणि—सहस्र वाहिनी का । ट्येइ २—स्थापन करते हैं उसे स्थापन करने
के बाद फिर । सणिय २—गन २ । चदप्पमग्गो—भगवान् उस चन्द्रप्रभा । सीवासी—
शिविका । सहस्सवाहिणिग्गो—सहस्र वाहिनी से । पक्खाहइ २—नीचे उतरते हैं और उस
से उतर कर फिर । सणिय २—गन २ । पुरत्थानिमहे—पूर्वाभिमुख होकर । सीहात्तण—
सिंहासन पर । निसीयइ २—बठते हैं उस पर बठने के अनन्तर । धामरणालकार—भगवान्
धामरण और पलवारों की । घोमुमइ—उतारते हैं । ण—वाक्यालकाराद्यन्त है । तग्गो—उत्त
परचात् । वेसमणे देवे—अथमण देव । जनुवाप पडिग्गो—भक्ति पूर्वक जानुको नीचे कर
दिये पूर्वक । जणवग्गो महावीरस्स—भगवान् महावीर के । धामरणालकार—धामरण और
धमवारों की । हत्तलत्तण—हंससङ्घ-हंस के समान श्वेत उज्ज्वल हंस चिह्न पुक्त ।
पडण—पङ्क के द्वारा । पडिच्छइ—ग्रहणकरता है । तग्गो—तत्पन्तर । समणे—अथमण ।

भगवं—भगवान । महावीरे—महावीर । दाहिणेण—दक्षिण हाथ से । दाहिणं—दक्षिण दिशा के । वामेण—और वाम हाथ मे । वामं—वाम दिशा के केशो का । पचमुट्ठियं—पाच मौष्टिक । लोचं करेइ—लोच करते है । तओ—तदनन्तर । सक्के—शक । देविदे—देवेन्द्र । देवराया—देवराज । सभणस्स—श्रमण । भगवप्रो—भगवान । महावीरस्स—महावीर के । जन्नुचाय पडियाए—जानु नीचे करके चरण कमलो मे पडकर अर्थात् विनय पूर्वक । वइरामए ण—वज्रमय । थालेण—थाल मे । केसाईं—भगवान के केशो को । पडिच्छइ २—ग्रहण करता है, वह उन्हे ग्रहण करके कहता है । भंते—हे भगवन् ! अणुजाणंति—आपकी आज्ञा हो तो में इन्हे ग्रहण करूँ । त्तिकट्टु—ऐसा कहकर उन केशो को । खीरोय सागर—क्षीरोदधि समुद्र मे ले जाकर । साहरइ—प्रवाहित कर देता है । तओणं—तदनन्तर । समणे—श्रमण । जाव—यावत् । लोचकरित्ता—लोचकर अर्थात् केशो का लुंचन करके फिर । सिद्धाण—सिद्धो को । नमुक्कारं—नमस्कार । करेइ २—करते है उन्हे नमस्कार करके फिर । मे—मझे । सर्व्वं—सर्व प्रकार से । पावकम्मं—पाप कर्म । अकरणिज्ज—अकरणीय है । त्तिकट्टु—ऐसा कहकर भगवान । सामाइयं चरित्तं—सामायिक चारित्र को । पडिवज्जइ—ग्रहण करते है और सामायिक चारित्र को ग्रहण करके फिर उस समय भगवान ने । देवपरिसच्च—देव परिषद् और । मणुयपरिसच्च—मनुज परिषद् को । आलिक्खचित्तं भूपमिव—भीत पर लिखे हुए चित्र की भांति । ठवेइ—बना दिया अर्थात् भगवान को दीक्षित होते देख कर देवो की और मनुष्यो की परिषदा भित्ति-चित्र की तरह चेष्टा रहित स्तब्ध सी हो गई ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय मे जब हेमन्त ऋतु का प्रथम मास प्रथमपक्ष अर्थात् मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष था, उसकी दशमी तिथि के सुब्रत दिवस विजय मुहूर्त में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग आने पर पूर्वगामिनी छाया और द्वितीय प्रहर के जोतने पर निर्जल-बिना पानी के दो उपवासों के साथ एक मात्र देवदूष्य वस्त्र को लेकर चन्द्रप्रभा नामकी सहस्र वाहिनी शिविका मे बैठे । उसमे बैठकर वे देव मनुष्य तथा असुर कुमारों की परिषद् के साथ उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश के मध्य २ में से होते हुए जहां ज्ञात खण्ड नामक उद्यान था वहां पर आते हैं । वहा आकर देव थोड़ी सी-हाथ प्रमाण ऊंची भूमि पर भगवान की शिविका को ठहरा देते है । तब भगवान उसमें से शनैः २ नीचे उतरते है और पूर्वाभिमुख होकर सिंहासन पर बैठ जाते ।

हैं। उसके पश्चात् भगवान् अपने आभरणालकारो को उतारते हैं। तत्र वैश्रमण देव भक्ति पूर्वक भगवान् के चरणो में बैठकर उनके आभरण और अलकरो को हस के ममान श्वेत वस्त्र में ग्रहण करता है। तत् पश्चात् भगवान् ने दाहिने हाथ से दक्षिण को ओर के केशो का और वाम कर से बाय पामे के कशा का पाच मुष्टिक लोच किया, तत्र देवराज शक्रेन्द्र श्रमण भगवान् महावीर के चरणो में पड कर घुटनो को नीचे टक कर वज्र मय थाल में उन केशो को ग्रहण करता है और हे भगवन् ! आपकी आज्ञा है, ऐसा कहकर उन केशो को क्षीरोदधि क्षीर समुद्र में प्रवाहित कर देता है। इसके पश्चात् भगवान् सिद्धो को भस्कार करके सबप्रकार के सावद्यकम का परित्याग करते हुए सामायिक चारित्र ग्रहण करते हैं। उम समय देव और मनुष्य दोनो भीत पर लिखे हुए चित्र की भाति अवस्थित हो गए, अर्थात् चित्रवत् निश्चष्ट हो गए।

हिंदी विवेचन

ऋतु सूत्र में भगवान् की दीक्षा के सम्बन्ध में बखान किया गया है। जब भगवान् की शिविका ज्ञात रहण्ड बगीचे में पहुची तो भगवान् उमसे नीचे उतर गए और एक वृक्ष के नीचे पूर्ण दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए और क्रमशः अपने सभी वस्त्राभूषणों को उतार कर वैश्रमण देव को देने लगे। सभी आभूषणों को उतारने के पश्चात् मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को तृतीय पहर के समय त्रिनय मुहूर्त में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग होने पर भगवान् ने स्वयं पञ्च मुष्टि लुचन करके सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हुए सामायिक चारित्र ग्रहण किया। समस्त मावद्य योगों का त्याग करके भगवान् ने माधना के पथ पर कदम रखा। उस समय भगवान् ने केवल देवगुण्य वस्त्र स्वीकार किया। भगवान् के केशों को शक्रेन्द्र ने ग्रहण किया और उन्हें क्षीरोदधि समुद्र में प्रसर्जित कर दिया।

इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में भी दिवस, मुहूर्त एवं नक्षत्र आदि दत्तने की परम्परा था। और पञ्च मुष्टि लोच एवं अलकरो आदि के उतारने का उल्लेख करके भगवान् की सङ्ख्याता, त्याग एवं तप भावना को दिव्याया गया है।

बुद्ध प्रतियों में 'ज नु वाय पडियाए' के स्थान पर 'भत्तुग्गाय पडियाए' पाठ

उपलब्ध होता है ।

भगवान की दीक्षा के समय वातावरण को शान्त बनाए रखने के लिए इन्द्र के द्वारा सभी वादियों को वन्द करने का आदेश देने का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—दिव्यौ मणुस्सघोसो, तुरियनिनाग्रो य सक्कवयणोणं ।

खिप्पामेव नीलुक्को, जाहे पडिवज्जइ चरित्तं ।१।

पडिवज्जित्तु चरित्तं अहोनिंसं सब्बपाणभूयहियं ।

साहट्टु लोमपुलया सब्बे देवा निसामिंति ।२।

छाया—दिव्यो मनुष्यघोषः, तूर्यनिनादश्च शक्रवचनेन ।

क्षिप्रमेव निर्लुप्तः यदा प्रतिपद्यते चरित्रम् ।१।

प्रतिपद्य चरित्र अर्हनिश सर्वप्राणिभूतहितम् ।

संहृत्य रोमपुलकाः सर्वे देवा, निशामयन्ति ।२।

पदार्थ—जाहे—जब भगवान । चरित्तं—चारित्र्य को । पडिवज्जइ—ग्रहण करने लगे तो । दिव्यो—देवों के श्रेष्ठ शब्द तथा । मणुस्सघोसो—मनुष्यों के शब्द । य—और । तुरियनिनाग्रो—त्राजन्तरों के शब्द । सक्कवयणोणं—शक्रेन्द्र के वचन से । खिप्पामेव—जीघ्र ही । नीलुक्को—वन्द कर दिये गए ।

चरित्तं—चारित्र्य को । पडिवज्जित्तु—ग्रहण करके । अहोनिंसं—रात दिन । सब्बपाणभूयहियं—भगवान ने सर्व प्राण, भूत, जीवों के हित के लिए चारित्र्य ग्रहण किया । साहट्टुलोमपुलया—जिनकी रोम राजी पुलकित हो रही है ऐसे । सब्बेदेवा—सभी देव । निसामिंति—इसे सुनते हैं अर्थात् सहर्ष श्रवण करते हैं ।

मूलार्थ—जिस समय भगवान सामायिक चारित्र्य ग्रहण करने लगे, उस समय शक्रेन्द्र की आज्ञा से सभी वादियों आदि से होने वाले शब्द वन्द कर दिए गए ।

सामायिक चारित्र्य ग्रहण करके भगवान रात-दिन सब प्राणियों

के हित में सलग्न हुए अर्थात् वे सभी प्राणियों की रक्षा करने लगे । सभी देवों ने हर्षित भाव से यह सुना कि भगवान् ने सयम स्वीकार कर लिया है ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत उभय गाथाओं में यह अभिव्यक्त किया गया है कि जिस समय भगवान् सामायिक चारित्र्य ग्रहण करने लगे उस समय शक्रदेव ने सभी प्रकार के वादियों को वाद करने का आदेश दिया और उसके आदेश से सभी देव एवं मानव शांत चित्त से भगवान् के चारित्र्य ग्रहण करने के उद्देश्य को सुनने लगे । इस में यह स्पष्ट बताया गया है कि चारित्र्य सर्व प्राणियों का हितकारक है, प्राणिमात्र के प्रति मैत्रीभाव को अभिव्यक्त करने तथा प्राणिमात्र की रक्षा करने के उद्देश्य से ही सायक साधना के या साधुत्व के पथ पर कदम रखता है ।

समस्त सायक योगों का त्याग करके सयम स्वीकार करते ही भगवान् को चतुर्थ मन पर्यवधान हो गया, इस का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं

मूलम्—तयो ग्ण समणस्स भगवयो महावीरस्स सामाइय
सञ्चोवसमिय चरित्त पडिवन्नस्स मणपज्जवणाणे नाम नाणे
समुपन्ने यद्वाइज्जेहि दीवेहि दोहि य समुदेहि सन्नीण पचि
दियाण पज्जत्ताण वियत्तमणसाण मणोगयाइ भायाइ जाणेइ ।

छात्रा—तत श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य सामायिक चायोपशमिक
चरित्र प्रतिपन्नस्य मन पर्यवज्ञान नाम ज्ञान समुत्पन्न, अर्द्धततीये द्वीपे
द्वयो च समुद्रयो मज्जिना पञ्चेन्द्रियाणा पर्याप्ताना व्यक्तमनसा मनो
गतान् भावान् जानाति ।

पदार्थ—ण—प्रायवत । तयो—तत् पदवात् । समणस्स—श्रमण । भगवस्यो—भगवान् ।
महावीरस्स—महावीर को । सामाइय—सामायिक । सञ्चोवसमिय—सायोपशमिक । चरित्त-
चारित्र्य । पडिवन्नस्स—ग्रहण करते ही । मणपज्जव नाणे—मन पर्याय ज्ञान । नाम—
नाम वा । नाण—ज्ञान । समुपन्ने—उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान से भगवान् । यद्वाइज्जहि—

ग्रहाई । दीर्घोह—द्वीपो मे । य—और । दोहिसमुद्रोह—दो समुद्रो में । सन्निधं—मनयुक्त । पञ्जत्ताणं—पर्याप्त । पंचिदियाणं—पञ्चेन्द्रिय । वियत्तमणसाणं—व्यक्त मन वालो के । मनोगदाई—मनोगत । भावाइ—भावो को । जाणेइ—जानते है ।

मूलार्थ—क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र ग्रहण करते ही श्रमण भगवान महावीर को मन. पर्याय जान उत्पन्न हुआ । जिसके द्वारा वे अराई द्वीप, दो समुद्रो मे स्थित संजीपर्याप्त पञ्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावो को स्पष्ट जानने लगे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में मनः पर्याय ज्ञान का वर्णन किया गया है । इस ज्ञान से व्यक्ति दाई द्वीप और दो समुद्रों में स्थित पर्याप्त सन्नी पञ्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जान सकता है जिस समय भगवान ने सामायिक चारित्र स्वीकार किया उसी समय उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो गया और वे मन वाले प्राणियों के मानसिक भावों को देखने जानने लगे ।

इस से यह स्पष्ट हो गया कि मन. पर्याय ज्ञान क्षेत्र एव विषय की दृष्टि से ससीम है और इससे ऊर्हीं प्राणियों के मानसिक भावों को जाना जा सकता है, जिन के मन है । क्योंकि मन वाले प्राणी ही स्पष्ट रूप से मानसिक चिन्तन कर सकते हैं । अतः उनके चिन्तन से मनोवर्गणा के पुद्गलों के बनते हुए आकारों के द्वारा उनके चिन्तन का, उनके मानसिक विचारों का स्पष्ट परिचय मिल जाता है ।

इस में दूसरी बात यह बताई गई है कि सामायिक चारित्र की प्राप्ति क्षयोपशम भाव में हुई है । इससे स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक साधना का ग्रहण क्षायोपशमिक भाव में ही किया जा सकता है, औद्यिक भाव मे नहीं । क्योंकि सम्यग्ज्ञान पूर्वक की गई आध्यात्मिक क्रियाएं ही सम्यग् होती हैं और सम्यग्ज्ञान क्षयोपशम भाव में ही प्राप्त होता है । अतः सामायिक चारित्र को क्षायोपशमिक भाव मे माना गया है ।

भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् जो अभिमह ग्रहण किया, उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो गां समणे भगवं महावीरे पव्वइए समाणे-
मित्तनाइं सयणासंवंधिन्नग्गं पडिविसज्जेइ, २ इमं पयाकव्वं

अभिग्रह अभिगिरहड वारस वासाड वोसट्टकाण चियत्तदेहे
जे केड उवसग्गा समुप्पज्जति तजहा—दिव्वा वा माणुस्सा वा
तेरिच्छिया वा, ते सव्वे उवसग्गे समुप्पन्ने समाणो सम्म सहिस्सामि
खमिस्सामि अहियामइस्सामि, ।

छाया—तत श्रमणो भगवान् महावीर प्रव्रजित मन् मित्रजाति
स्वजनमम्बधि वगं प्रतिविमर्जयति प्रतिमिज्ज्य इम एतदरूप अभिग्रह
अभिग्रहान्ति, द्वादश वर्षाणि व्युत्सृष्टकाय त्यक्तदेह ये केचिद् उपसर्गा
समुत्पद्यन्ते, तद्यथा—दिव्या या मानुष्या या तैगिरिचक्रा या नान् मर्मान् उपसर्गान्
समुत्पन्नान् सत सम्यक् महिये क्षमिष्ये अधिमहिये ।

पदाथ—ण—वाक्यालकार म है । तन्नो—तदन तर । समण—श्रमण । मणय—
भगवान् । महावीरे—महावीर । पवण्ण समाणे—प्रव्रजित दीक्षित होने पर । मित्तनाइ—
मित्र जाति और । सण सवधि वग्ग—स्वजन सम्बन्धि वग को । पड्विसज्जइ—विसर्जित
करके । इम—यह । एयाक्ख—एतादश वस्त प्रकार क । अभिग्रह—अभिग्रह प्रतिज्ञा विशेष को ।
अभिगिरहड—ग्रहण करते हैं । वारस वासाइ—बारह वर्ष पय त । वोसट्टकाए काया शरीर
का उत्सर्ग तथा । चियत्त देहे—शरीरगत ममत्व को छाड़त हुए । ज केड—जो कोई भी ।
उवसग्गा—उपसर्ग । समुप्पज्जति—उत्पन्न होगा । तजहा—जस कि । दिव्वा वा—देवगम्बधि ।
माणस्सा वा—पृथवा मनुष्य सम्बन्धि । तेरिच्छिया वा—पृथवा तिर्यच सम्बन्धि । ते सव्वे—
उन सभी । उवसग्गे—उपसर्गों के । समुत्प ने समाणे—उत्पन्न होने पर उन सब को । सम्म—
सम्यक् प्रकार से । सहिस्सामि—सहन करूंगा । खमिस्सामि—क्षमा करूंगा । अहियासइस्सामि—
चेत्तरहित हो कर सहन करूंगा ।

मूलाथ—श्रमण भगवान् महावीर ने प्रव्रजित होने के पश्चात् अपने
मित्र जाति और स्वजन सम्बन्धि वग को विसर्जित किया और उन सब
के चले जाने के बाद भगवान् ने इस प्रकार का अभिग्र प्रतिज्ञा धारण
किया कि मैं आज से लेकर बारह वर्ष तक अपने शरीर पर ममत्व नहीं
रखूंगा और देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धि जो भी उपसर्ग उत्पन्न

होंगे, उन सभी उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करूंगा, सदा क्षमा भाव रखूंगा, और स्थिरता पूर्वक उन कष्टों पर विजय प्राप्त करूंगा अर्थात् उनके सहन करने में किसी प्रकार से खिन्न एव अप्रसन्न नहीं होऊंगा।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान महावीर की महान साधना एव सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। भगवान ने दीक्षा ग्रहण करते ही अपने शरीर पर से सर्वथा आसक्ति हटा दी। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि मैं १२ वर्ष तक अर्थात् सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होने तक देव-दानव, मानव और तिर्यञ्च—पशु पक्षी एवं चन्द्र जन्तुओं द्वारा होने वाले किसी भी परीषद् का, उपसर्ग का प्रतिकार नहीं करूंगा, आने वाले समस्त कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करूंगा, सब प्राणियों के प्रति क्षमा एवं मैत्री भाव रखूंगा। अपने को कष्ट देने वाले किसी भी प्राणी के अहित का संकल्प नहीं करूंगा। वस्तुतः यह भावना उनकी उत्कट साधना एवं महान् शक्ति की परिचायक है। इसी विशिष्ट शक्ति के कारण आप वर्द्धमान एवं श्रमणत्व से आगे बढ़कर महावीर बने। भगवान की महावीरता प्राणियों को दण्ड से दवाने में नहीं, प्रत्युत महान् कष्टों को समभाव पूर्वक सहने, दुखों की संतप्त दोपहरी में भी शान्त एवं अटल भाव से आत्म चिन्तन में सलग्न रहने, आततायियों को भी मित्र समझ कर उन्हें क्षमा करने तथा राग-द्वेष एवं कषाय रूप आध्यात्मिक शत्रुओं का नाश करने में थी।

इस प्रकार अनेक उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करते हुए भगवान विहार करते हैं, उनकी विहारचर्चा का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम—तत्रो णं स० भ० महावीरे इमं एयारूवं अभिग्रहं
अभिगिगिहत्ता वोसिट्ठचत्तदेहे दिवसे मुहुत्तसेसे कुम्मारगामं
समणुपत्ते ।**

छाया—ततः श्रमणो भगवान महावीरः, इमम् एतद्रूपम् अभिग्रहम्
अभिगृह्य व्युत्सृष्टत्यक्तदेहः दिवसे मुहूर्तशेषे कुर्मारग्रामं समनुप्राप्तः ।

पदार्थ—णं—वाक्यालंकारार्थक है। तत्रो—तत् पश्चात्। समणे—श्रमण। सगवं—भगवान। महावीरे—महावीर। इमं—यह। एयारूवं—एतादृग्रूप। अभिग्रह—अभिग्रह—प्रतिज्ञा विशेष को। अभिगिगिहत्ता—ग्रहण करके। वोसिट्ठचत्तदेहे—जिसने शरीर के ममत्व और

देव का मस्मकार करने का भी त्याग कर लिया है । महत्समेते दिवस— एक महीने दिन के रहने पर । कुमार ग्राम— कुमार नामक ग्राम की । सप्तमपक्ष— प्राप्त हुए पड़चे ।

मूलाथ शरीर पर मे ममत्व त्याग के अभिग्रह से युक्त श्रमण भगवान् महावीर जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन शाम को एक मुहूर्त (८८ मिन्ट) दिन रहते कुमार ग्राम पड़चे ।

द्विती विवेचन

इसमें यह बताया गया है कि भगवान् ने जिन दिन दीक्षा ग्रहण की, उनो दिन पड़ला विहार कुमार ग्राम की ओर किया और मृत्यांत से एक मुहूर्त (८८ मिन्ट) पहले कुमार ग्राम पड़च गए ।

विहार के समय भगवान् की क्या वृत्ति थी, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तथो ण स० म० म० वोसिट्ठत्तेदेहे अणुत्तरेण
आलएण अणुत्तरेण विहारेण एव सजमेण पग्गहेण सवरेण तवेण
वभचेरवासेण सतीए मुत्तीए समिईए गुत्तीए तुट्ठीए ठाणेण
क्रमेण सुचरियफलनिब्बाणमुत्तिमग्गेण अप्पाण भावेमाणे
विहरड ।

छाया—तत श्रमणो भगवान् महावीर च्युत्सृष्ट्यवकतदइ' अनुत्तरेण
आलयन अनुत्तरेण विहारेण एव मयमेन प्रग्रहेण सवरेण तपमा ब्रह्मचर्यासन
धात्या मुक्कया ममित्या गुत्तया तुट्ठया स्थानेन क्रमेण सुचरितफलनिर्वाण
मुक्कितमाणेण आत्मान भावयन् विहरति ।

पदाथ—ण—वाक्यान्वयाराधन है । तथो—तदनंतर । स० म० म०—धर्मण
भगवान् महावीर । वोसिट्ठत्तेदेहे—जिन दिनों के ममत्व और शरीर के स्पर्श का
परित्याग किया हुआ है । अणुत्तरेण—प्रधान अथवा अनुभव । आलएण—श्री, पणु पंडर
(मनुष्य) धर्म में रहित वसता के सेवन से । अणुत्तरेण—प्रधान-अनुभव । विहारेण—विहार
त । एव—इसी प्रकार । सजमेण—अनुभव समय में । पग्गहेण—अनुभव प्रयत्न में । सवरेण—

अनुपम सवर मे । त्वेण — अनुपम तप मे । वसचरेवासेण — अनुपम ब्रह्मचर्यं वास । खंतीए — अनुपम क्षमा मे । सुत्तीए—अनुपम निर्लोभता से । समिईए—अनुपम समिति मे । सुत्तीए — अनुपम गुप्ति मे । तुट्ठीए — अनुपम तुष्टि मे । ठाणेण — एक स्थान मे कायोत्सर्गादि करके ध्यान करने से । कमेणं — अनुपम क्रियानुष्ठान करने से । सुचरित्रफलनिव्वानमुत्तिभगणेणं — सदाचरण मे-जिनका फल निर्वाण है, और मुक्ति जिनका लक्षण है-तथा ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप मुक्ति मार्ग के मेवन मे युक्त होकर । अत्पणं — आत्मा को । भावेमाणे — भावित करते हुए । विहरइ — विचरते है ।

मूलार्थ—तदनन्तर शरीर के ममत्व और संस्कार का परित्याग करने वाले ध्रमण भगवान महावीर अनुपम वसती के सेवन से, अनुपम विहार से, एव अनुपम संयम, सवर, तप, ब्रह्मचर्य, क्षमा, निर्लोभता, समिति, गुप्ति, सन्तोष, कायोत्सर्गादि स्थान और अनुपम क्रियानुष्ठान से तथा सच्चरित के फल रूप निर्वाण और मुक्ति मार्ग-ज्ञान दर्शन चारित्र्य के सेवन से युक्त होकर आत्मा को भावित करते हुए विचरते है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र मे भगवान महावीर को महान् एवं विशुद्ध साधना का उल्लेख किया गया है । वे सदा निर्दोष, प्रासुक एवं एषणीय स्थानों में ठहरते थे और वे ईर्या के सभी दोषों से निवृत्त होकर सदा अप्रमत्त भाव से विहार करते थे और उत्कृष्ट तप, संयम, समिति-गुप्ति, क्षमा, स्वाध्याय-कायोत्सर्ग आदि से आत्मा को शुद्ध बनाते हुए विचर रहे थे । कहने का तात्पर्य यह कि भगवान महावीर का प्रत्येक क्षण आत्मा को राग-द्वेष एवं कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त बनाने में लगता था ।

भगवान की सहिष्णुता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—एवं वा विहरमाणस्स जे केइ उवसग्गा समुप्पजंति दिव्वा वा भाणुस्सा वा तिरिच्छिया वा ते, सव्वे उवसग्गे समुप्पन्ने समाणे अणाउत्ते अव्वहिए अहीणमाणसे तिविहमणाव-यणायगुत्ते सम्मं सहइ, खमइ तितिकखइ अहियासेइ ॥

छाया—एवं वा विहरमाणस्य ये केचित् उपसर्गाः समुत्पद्यन्ते दिव्या

ना मानुष्या वा तैरिश्चका वा तान् मर्गान् उपसर्गान् ममुत्पन्नान् सत
अनाकुल अव्यथित अदीनमानसः त्रिविधमनोवचनकायगुप्त सम्यक् सहते
क्षमते तितिश्वते अध्यास्ते ।

पदार्थ—एव—इस प्रकार । वा—समुच्चय अर्थ में आया है । विहरमाणस—
विचरते हुए भगवान को । जे केह—जो कोई । उपसर्गा—उपसर्ग । समुत्पन्नजति—उत्पन्न होने
हैं । दिव्या वा—देव सम्बन्धि । मानुस्ता वा—प्रपथा मनुष्य सम्बन्धि । तिरिच्छिया वा—तिर्यक्
सम्बन्धि । ते—उन । सध्वे—सब । उपसर्गो—उपसर्गों को । समुत्प ने सनाणे—प्राप्त होने पर
उहे । अणाउले—अनाकुलता से—गात चित्त से । अद्वहिण—स्थिरता पूर्वक । अदीनमाणसे—
अदीन चित्त होकर तथा । निविह मण वचनायगुप्ते—मन वचन और काया से गुप्त होकर ।
सम्म—सम्यक् प्रकार से । सहइ—उन उपसर्गों का सहन करते हैं । क्षमइ—उपसर्ग प्रशताप्रो
को क्षमा करते हैं । तितिवलइ—अनीन मन से सहन करते हैं । अहिणसेइ—निश्चल भावों से
सहन करते हैं ।

मूलार्थ—इस प्रकार विचरते हुए श्रमण भगवान महावीर को देव,
मनुष्य और तिर्यक् सम्बन्धि जो कोई भी उपसर्ग प्राप्त हुए वे उन सब
उपसर्गों को खेद रहित बिना दानता के समभाव पूर्वक सहन करते रहे ।
और वे मन वचन तथा काया से गुप्त होकर उन उपसर्गों को भलो भाँति
सहन करते और उपसर्ग दाताओं को क्षमा करते तथा सहिष्णुता और
स्थिर भावों से उनपर विजय प्राप्त करते थे ।

द्विती विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान की सहिष्णुता क्षमा एव आध्यात्मिक साधना के
विकास का वर्णन किया गया है । वे सदा समभाव पूर्वक विचरते थे । कभी भी कष्टों से
त्रिचञ्जित नहीं हुए और न भयंकर बदना देने वाले व्यक्ति के प्रति रुग्णि द्वेष भाव रखा
व क्षमा के अवतार प्रत्येक प्राणी को तन, मन और वचन से क्षमा ही करते रहे ।
वह अभय का देवता सन प्राणियों को अभय दान देता रहा । यही भगवान महावीर की
साधना थी कि दुःख देने वाले के प्रति द्वेष मत रखो, सन के प्रति मैत्री भाव रखो,
सन को क्षमा दो और आने वाले प्रत्येक दुःख सुख को समभाव पूर्वक सहन करो ।

अस महान् साधना एव घोर तपश्चर्या के द्वारा राग द्वेष एवं चार घातिक

कर्मों का ज्ञय करके भगवान ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया । इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तत्रो गां समाणस्स भगवत्रो महावीरस्स एएणां
 विहारेणां विहरमाणस्स वारस वासा वीइक्कंता, तेरसमस्स य
 वामस्स परियाए वट्टमाणस्स जे से गिम्हाणां दुच्चे मासे चउत्थे
 पक्खे वइसाहसुद्धे तस्स गां वेसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणां सुव्वएणां-
 दिवसेणां विजएणां मुहुत्तेणां हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगोवगएणां
 पाईणागामिणीए छायाए वियत्ताए पोरिसीए जंभियगामस्स नग-
 रस्स बहिया नईए उज्जुवालियाए उत्तरकूले सामागस्स गाहाव-
 इस्स कट्ठकरणांसि उड्ढंजाणूअहोसिरस्स भाणकोट्ठोव-
 गयस्स वेयावत्तस्स चेइयस्स उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागे साल-
 रुक्खस्स अदूरसामंते उक्कुडुयस्स गोदोहियाए आयावणाए आ-
 यावेमाणस्स छट्ठेणां भत्तेणां अपाणाएणां सुक्कज्जभागांतरियाए वट्ट-
 माणस्स निव्वाणे कसिणे पडिपुन्ने अवाहए निरावरणे अणांतै
 अणुत्तरे केवलवरणाणादंसणे समुप्पन्ने ।

छाया—ततः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य एतेन विहारेण विहरमाणस्य
 द्वादश वर्षा व्यतिक्रान्ताः त्रयोदशस्य च वर्षस्य पर्याये वर्तमानस्य योऽसौ
 ग्रीष्मस्य द्वितीयो मासः चतुर्थः पक्षः वैशाखशुक्लः तस्य वैशाखशुक्लस्य
 दशमीपक्षे सुव्रते दिवसे विजये मुहूर्ते हस्तोत्तरेण नक्षत्रेण योगोपगते प्राचीन
 गामिन्यां छायायां व्यक्तायां पौरुष्याम् (पाश्चात्य पौरुष्यां) जृम्भिकग्रामस्य

नगरस्य बहिस्तत् नद्या ऋज्जालुकाया उत्तरकूले श्यामाकस्य गहपते ऊर्ध्वजानु अध शिरम ध्यानकोष्ठोपगतस्य ध्यावृत्तस्य चैत्यस्य उत्तरपागस्त्य दिग्भागे शालवृक्षस्य अदूरसामन्ते उत्कटुकस्य गोदोहिकया आतापनया आतापयत पष्ठेन भक्तेन अपानफेन शुक्ल ध्यानान्तरे वर्तमानस्य निर्गण्ये कृत्स्ने प्रतिपूर्णे अव्याहते निरावरणे अनन्ते अनुत्तरे केवलवरज्ञानदशने समुत्पन्ने ।

पदाथ—ण—वावपालकाराथक है । तप्रो—तदन तर । एमणस्स—थमण । भगवणो—भगवान । महावीरस्स—महावीर का । एएण—इस प्रकार के । विहारण—विहार स । विहरमाणस्स—विचरते हुमो को । वारम वासा—द्वाराश वप । बोधकता—यतीत हा गए । य—पुन । तेरसमस्स—तरहवें । वासरम—वप के । परियाए—मध्य में । वटमाणस्स—वतते हुए । जे—जा । से—यह । निग्माण—प्रीणम ऋतु के । दुच्चेमास—दूमरे माम म । चउत्थेपक्खे—चतुथ पक्ष म । बइसाह्मुद्ध—बगाल्य शुक्ल पक्ष मे । ण—प्रागवत । तस्स—उस । वेसाह्मुद्धस्स पक्खस्स—बगाल्य शुक्ल पक्ष का । दसमी पक्खेण—दशमी व णि । सुव्वएण दिवसेण—सुव्रत नामक ण्विम म । विज्जण सुहुनेण—विजय मुहा में । ह वुत्तारा नक्खत्तण—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ । जोगोवगएण—च द्रमा का योग आन पर । पाईण गामिणीए छायाए—दिन स पिछल पहर में । विपत्ताए पोरिभीए—वियत नाम वाला पौरुषी के आन पर अथान पाश्चात्य पौरुषी में । जमियगामस्स—जम्मकग्राम नाम क । नगरस्स—नगर क बहिया—बाहिर । उज्जवालियाए—ऊजू बालुका नामक । नईए—नदी क । उत्तरकूले—उत्तर तटपर । सामागस्स—श्यामाक नाम क । गाहावइस्स—ग पति क । कट्ठकरण सि—क्षत्र म । उड्डज्जणु अहोसिरस्स—ऊपर को जानु घोर नीचे का सिर इस प्रकार । भाणकोठोवगयस्स—ध्यान रूपी काष्ठ म प्रविष्ट हुए भगवान का । वेपावत्तस्स—वयावत्य नामक । सेइयस्स—चत्य यक्ष मंदिर के । उत्तरपुरच्छिमे विसीमाण—उत्तर पूर्व णि भाग अर्थात् ईगान कोण म । साल ऋक्खस्स—गाल वक्ष क । अदूरसामन्ते—न अति दूर न अति समीप । उक्कटुकस्स—उत्कटक घोर । गोदोहियाए—गान्धोहिक घासन स । आतावणाए—आतापना । आयावमाणस्स—लेते हुए । अपाणएण—निज्जव—पानी रहित । छण्ठेण मत्तण—पष्ठमवत णे उपवाम पूर्वक । सुद्धअभाण तरियाए—शुक्ल ध्यान में । वटमाणस्स—पाहू हुए भगवान को । निरवाणे—निर्गण्ये । कनिणे—मणूण अथ का आनक । पडिपु ने—प्रतिपूण । अक्खाहए—यापात रहित । निरावरण—आवरण रहित । अणने—अन न । पणुत्तर—मर मे प्रधान । केवलवरणाण दसण—सर्व श्रष्ट केवल पान घोर केवल दशन । समुत्पन्ने—उत्प न हुए ।

मूलार्थ—श्रमण भगवान् महावीर को इस प्रकार के विहार से विचरते हुए बारह वर्ष व्यतीत हो गए। तेरहवें वर्ष के मध्य में श्रीष्म ऋतु के दूसरे मास और चौथे पक्ष में अर्थात् वैशाख शुक्ला दशमी के दिन सुव्रत नामक दिवस में विजय मुहूर्त में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग आने पर दिन के पिछले पहर, जम्भक ग्राम नगर के बाहर ऋजु बालिका नदी के उत्तर तट पर, श्यामाक गृहपति के क्षेत्र में वैद्यावृत्य नामक यक्ष मन्दिर के ईशान कोण में शाल वृक्ष के कुछ दूरी पर ऊँचे गोडे ओर नीचा शिर कर के ध्यान रूप कोष्ठ में प्रविष्ट हुए तथा उत्कटुक और गोदो-हिक आसन से मूर्य को आतापना लेते हुए, निर्जल छट्ठ भक्त तप युक्त शुक्ल ध्यान ध्याते हुए भगवान को निर्दोष, सम्पूर्ण, प्रणिपूर्ण, निर्व्याघात, निरावरण, अनत, अनुत्तर, सर्वप्रधान केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि साधना के बारह वर्ष कुछ महीने बीतने पर वैशाख शुक्ला १० को जम्भक ग्राम के बाहिर, ऋजु बालिका नदी के तट पर, श्यामाक गृहपति के क्षेत्र (खेत) में, जहाँ जीर्ण व्यन्तरायतन था, दिन के चतुर्थ पहर में, सुव्रत नामक दिन, विजय मुहूर्त एव उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का चन्द्र के साथ योग होने पर उत्कटुक और गोदुह आसन से शुक्ल ध्यान में संलग्न भगवान ने राग-द्वेष एवं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इम चार घातिक कर्मों का सर्वथा क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन का प्राप्त किया।

प्रस्तुत प्रसंग में मुहूर्त आदि के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि उस समय लौकिक पचांग की ज्योतिष गणना को स्वीकार किया जाता था। ग्राम, नदी आदि के नाम के साथ देश (प्रान्त) के नाम का उल्लेख कर दिया जाता तो वर्तमान में उस स्थान का पता लगाने में कठिनाई नहीं होती और इससे लोगों में स्थान सम्बन्धी भ्रान्तियाँ नहीं फैलती और ऐतिहासिकों में विभिन्न मतभेद पैदा नहीं होता। परन्तु इसमें देश का नामो-

ॐ शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं — १ पृथक्त्व वितर्क सविचारं, २ एकत्व वितर्क अविचारं, ३ सूक्ष्म क्रिय अप्रतिपत्ति और, ४ उच्छिन्न क्रिय अनिवर्ति। इसमें से भगवान पहले दो भेदों के चिन्तन में, ध्यान में संलग्न थे।

तलेख नहीं होने से यह पाठ विद्वानों के लिए चिन्तनीय एवं विचारणीय है ।

केवल ज्ञान के मामर्थ्य का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—से भगवत् अरह जिणे केवली सब्बन्नु मव्वभाव
दरिसी मदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पज्जाए जाणइ, त-आगइ
गइ ठिइ चवण उववाय भुत्त पीय कइ पडिसेविय याविकम्म
रहोकम्म लपिय कहिय मणोमाणमिय सब्बलाए सब्बजीवाण
सब्बभावाइ जाणमाणे पासमाणे एव च ण विहरइ ॥

छाया—स भगवान् अर्हन् जिन केवली सर्वज्ञ, सर्व भावदर्शी सदेव
मनुजासुरस्य लोकरूप्य पर्यायान् जानाति तद्यथा आगतिं गतिं स्थितिं
च्यवन उपपात भुक्त पीत कृत प्रतिसेवित्त्वावि कर्म रह कर्म लपित कथित
मनोमानसिक सबलोके सर्वजीवाना सर्वभावान् जानन् पश्यन् एव च
विहरति विचरति ।

पदाथ—से—वह । भगवत्—भगवान् । अरह—ग्रहन पूज्य । जिणे—जिन-राग द्वय
को जीतने वाले । केवली—सम्पूर्ण 'ज्ञान' वाले । सब्बन्नु—सबसे सब कुछ जानने वाले ।
सब्बभावदरिसी—सब भावों पर्यायों को देखने वाले । सदेवमणुयानुरस्स—देव मनुष्य और
धसुर कुमार देवों के । लोगस्स—तथा सब लोक के । पज्जाए—पर्यायों को । जाणइ—जानत
है । त-आगइ—जसा कि । आगइ—जीवा की आगति को । गइ—गति को । ठिइ—स्थिति को ।
चवण—च्यवन धर्मान् देव लोक से देवों के च्यवन को । उववाय—उपपात धर्मान् नारकी और
देव के जन्म स्थान को । भुत्त—खाए । पीय—पेय पर्यायों को । कइ—किये हुए कार्य को
धर्मान् चोर्पाणि कर्म को । पडिसेविय—मनुष्याणि संवन को । याविकम्म—प्रसूट कार्य को ।
रहोकम्म—गुप्त कार्य को । लपिय—प्रस्ताप करते हुए को । कहिय—गुप्त बातों का ।
मणोमाणसिय—जीवों के चित्त और मन के भावों को । सब्बलाए—सब लोक के विषय को ।
सब्बजीवाण—सर्व जीवों के । सब्बभावाइ—सब भावों को । जाणमाणे—जानत हुए ।
पासमाणे—दखने हुए । एव—एक प्रकार । विहरइ—विचरते हैं । चण—प्रादुर्भाव ।

मूलार्थ—वे भगवान् अर्हन्त, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वभावदर्शी, देव, मनुष्य और असुरकुमार तथा लोक के सभी पर्यायो को जानते हैं, जैसेकि—जीवों की आगति, गति, स्थिति, च्यवन, उत्पाद तथा उनके द्वारा खाए पीए गए पदार्थों एवं उनके द्वारा सेवित प्रकट एवं गुप्त सभी क्रियाओं को तथा अन्तर रहस्यों को एवं मानसिक चिन्तन को प्रत्यक्ष रूप से जानते देखते हैं। वे सम्पूर्ण लोक में स्थित सर्व जीवों के सर्व भावों को तथा समस्त पुद्गलो-परमाणुओं को जानते देखते हुए विचरते हैं।

हिन्दी विवेचन

इसमें बताया गया है कि भगवान् समस्त लोकालोक को तथा लोक में स्थित समस्त जीवों को, उनकी पर्यायों को, संसारी जीवों के प्रत्येक प्रकट एवं गुप्त कार्य तथा विचारों को तथा अनन्त-अनन्त परमाणुओं एवं उन से निर्मित पुद्गलो एवं उनकी पर्यायों को जानते-देखते हैं। उनके ज्ञान में दुनिया का कोई भी पदार्थ छिपा हुआ नहीं है। लोक के साथ-साथ अलोक में स्थित अनन्त आकाश प्रदेशों को भी वे जानते देखते हैं।

केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन संपन्न आत्मा को अर्हन्त, जिन सर्वज्ञ, सर्वदर्शी आदि कहते हैं। केवल ज्ञान का अर्थ है—वह ज्ञान जो पदार्थों की जानकारी के लिए पूर्ववर्ती मति, श्रुत, अवधि एवं मनः पर्याय चारों ज्ञानों में से किसी की अपेक्षा नहीं रखता है। वह केवल अर्थानु अकेला ही रहता है, और किसी अन्य ज्ञान की सहायता के बिना ही समस्त पदार्थों के समस्त भावों को जानता देखता है।

प्रस्तुत सूत्र में सर्वज्ञ और सर्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ को पहले समय में ज्ञान होता है और दूसरे समय दर्शन होता है। जब कि छद्मस्थ को प्रथम समय में दर्शन और द्वितीय समय ज्ञान होता है। इस पर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में विस्तार से विचार किया गया है और वृत्तिकार ने उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है*।

* अतएव सर्वज्ञो-विशेषाश पुरस्कारेण सर्वज्ञाता, सर्वदर्शी—सामान्यांशपुरस्कारेण सर्वज्ञता, नन्वर्हता केवल ज्ञान केवल दर्शनावरणयोः क्षीणामोहान्त्यसमय एव क्षीणत्वेन युगप-दुष्प्रतिकल्पेनोपयोगस्वभावात् क्रमप्रवृत्ती च सिद्धायां “सर्व्वन्त् सर्व्वदरिसी” इति सूत्रं यथा ज्ञान-प्राथम्य सूचकमुपन्यस्त तथा “सर्व्वदरिसी सर्व्वन्त्” इत्येव दर्शनप्राथम्यसूचकं किं न ? तुल्यन्या-

भगवान् को केवल ज्ञान होने के बाद देवों ने उसका महोत्सव मनाया, उसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जराण दिवस समणस्स भगवो महावीरस्स निव्वाणं कसिणो जाव समुप्पन्ने तरण दिवस भवणवडवाणमतर जोडसियविमाणवामि देवेहिं य देवीहि य उवयतेहिं जाव उप्पि—जलगभूण यात्रि होत्था ।

छाया—यद् दिवस श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य निर्वाणं कृत्स्नं यावत् समुत्पन्नं तद् दिवसं भगवत्पतिवाणव्यन्तरज्ज्योतिषिभूविमानया सिद्धैश्च देवाभिर्य उत्पत्तद्भि यावद् उत्पिजलकं भूतरचापि अभवन् ।

पद्याय—जण दिवस—जिस दिन । समणस्स—श्रमण । भगवो—भगवान् । महावीरस्स—महावीर स्वामी को । निव्वाण—निर्वाण-निवृत्त । कसिण—पशुपुत्र । जाव—यावत् केवल—तान केवल दर्शन । समुप्पन्ने—उत्पन्न हुआ । तरण दिवस—उसी दिन । भवणवडवाणमतर जाडिय विमाणवामि देवेहिं—भवनपति वाण व्यतर, ज्योतिषी और वैमानिक देवों । य—और । देवीहि—देवियों ने । य—पुन । उवयतेहिं—प्राकाश ने देवों और देवियों के जाने जाने से । जाव—यावत् । उप्पिजलगभूण यात्रिहो या—प्राकाश में उठी और देवों से आकाश आकीर्ण हो गया था ।

मूलार्थ—जिस दिन श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ उसी दिन भवनपति, वाण व्यतर ज्योतिषी और वैमानिक देवों के जाने जाने से आकाश आकीर्ण हो रहा था और वहाँ का सारा आकाश प्रदेश जगमगा रहा था ।

यन्वान्, नैव, "सव्वमा लद्धीमो सागारोवउत्तम्म उववग्गज्जि, णो अणगारोवउत्तस्स" — (सर्वं लब्धं साकारापयुक्तस्योत्पन्नं नानाकारोपयुक्तस्य) इत्यादिमादुत्पत्तिप्रमणं भवन्ति जिनानां प्रथमे समये ज्ञानं ततो द्वितीये दश न भवतीति ज्ञानापत्त्यात्पिमुपयायस्येति, छत्सुयन्वानां प्रथमे समये दश न द्वितीये ज्ञानं न प्रसगाद् बोध्यम् ।

जम्बूद्वीप प्रकथित, वसति, द्वितीय ब्रह्मन्तर ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि जब भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ तो उनके द्वारा होने वाले अनन्त उपकार का स्मरण करके तथा उस पूर्ण आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैभानिक देव व्रतों आण और उन्होंने कैवल्य महोत्सव मनाया ।

अब भगवान द्वारा दी गई धर्मदेशना (उपदेश) का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तथो णं समणो भगवं महावीरे उत्पन्नवरणाण-
दंसणधरे अप्पाणं च लोगं च अभिसमिक्ख पुवं देवाणं धम्म-
माइक्खइ, तथो पच्छा मणुस्साणं ।

छाया—ततः श्रमणो भगवान् महावीरः उत्पन्नवरज्ञानदर्शनधरः
आत्मानं च लोकं च अभिसमीक्ष्य पूर्वं देवानां धर्ममाख्याति ततः पश्चात्
मनुष्याणाम् ।

पदार्थ—णं—वाक्यालकार में है । तथो—तदनन्तर । उत्पन्नवरणाणदंसणधरे—
उत्पन्न प्रधान ज्ञान दर्शन के धारक । समणे—श्रमण । भगवं—भगवान् । महावीरे—महावीर
ने । अप्पाणं च—अपनी आत्मा को और । लोगं च—लोक को । अभि समिक्ख—केवल ज्ञान
द्वारा जान कर । पुवं देवाणं—पहले देवों को । तथो पच्छा—तदनन्तर । मणुस्साणं—मनुष्यों
को । धम्ममाइक्खइ—धर्म का उपदेश दिया ।

मूलार्थ—तदनन्तर उत्पन्न प्रधान ज्ञान और दर्शन के धारक श्रमण
भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा तथा लोक
को भली भाँति देखकर पहले देवों को और पश्चात् मनुष्यों को धर्म का
उपदेश दिया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि भगवान ने अपनी सेवा में उपस्थित चारों
जात के देवों को धर्मोपदेश दिया । उसके बाद उन्होंने जनता (मनुष्यों) को धर्मोपदेश
दिया । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो यह कि महापुरुष अपने पास आने वाले

स्वै, मानव आदि प्रत्येक व्यक्ति को धर्मापदेश देकर म मार्ग बताते हैं उन्हें समस्त वचनों में मुक्त होने की राह बताने हैं। दूसरी बात यह है कि तीर्थकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उपासना करें। च तत्र संपूर्ण पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने करने लगते हैं, तभी वह प्रव्रतन करते हैं। जिसमें उक्त प्रव्रतन में विरोध एवं विपरीतता को अवगाह नहीं रहता और उमम यथार्थता होने के कारण जनता के हृदय पर भी उमम असर होता है।

स्थानाग्न सूत्र में बताया गया है कि भगवान् के प्रथम प्रव्रतन में केवल द्वा हा उपरिगत थे, उम समय कोई मानव ज्ञान उपरगत नहीं था। और द्वा स्वान, वन, नियम आदि का स्वीकार नहीं कर सकते। उम कारण भगवान् का प्रथम प्रव्रतन द्वा स्वीकार करने की (आचार की) अपज्ञा से असफल रहा था। इसलिए उम घन्टा को आगम में अन्य आश्रयकारी घटनाओं के साथ आश्चर्य जनक माना गया है।

अत्र मानव को त्रिगण धर्मापदेश के सम्बन्ध में सूत्रकार करते हैं।

मूलम्—तया शा ममणो भगव महावीरे उप्पन्ननाणदसण
धरे गोयमाईण ममणाण पच्च महव्वयाड सभावणाड छज्जीन
निकाया यात्तिस्वत्ति भासड परूवेड, त०—पुढविकाण जाव
तमकाण ।

ध्याया—तत्र अमणो भगवान् महावीर उत्पन्नज्ञानदशनधर गौतमा
दाना अमणाना पच्चमहावतानि मभारनानि पड्जीवनिकायान् श्याह्याति भापते
प्ररूपयति तद्यथा पृथिवीकाय यावत् प्रसकाय ।

पद्याय—ण—वाक्यालकाराधिक है। तयो—तदनन्तर। उप न नाणदसणधरे—उत्पन्न
दूण प्रधान ज्ञान और ज्ञान को धरने धारण। समणे—अमण। भगव—भगवान्। महावीरे—
महावीर ने। गोयमाईण—गौतमानि। सपणाण—अमणों को। सभावणाड—भावनाओं में
मुक्त। पच्चमहव्वयाड—पच्च म व्रत धीर। छज्जीवनिकाया—पट जीव निकाय का। यात्ति
स्वत्ति—माया व रूप में उपदेश दिया। भासड—भगवान् ने अद्वैताधी भाषा में भाषण किया।
परूवेड—विस्तार से तत्त्वों का प्रतिपादन किया। तज्जहा—जमकि। पुढविकाण—पृथिवीकाय

जाव—यावत् । तसकाए—तसकाय ।

मूलार्थ—तत् पश्चात् केवल ज्ञान और दर्शन के धारक श्रमण भगवान महावीर ने गौतमादि श्रमणों को भावना सहित पाच महाव्रतों और पृथिवी आदि षट् जीव निकाय स्वरूप का सामान्य प्रकार से तथा विशेष प्रकार से अर्द्धभागधोभाषा में प्रतिपादन किया ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में भगवान द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन किया गया है । इसमें बताया गया है कि देवों को उपदेश देने के बाद भगवान ने गौतम आदि गणधरों, साधु-साध्वियों एवं श्रावक श्राविकाओं के सामने ५ महाव्रत एवं उसकी २५ भावनाओं तथा षट्जीवानिकाय आदि का उपदेश दिया । इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान को सर्वज्ञता प्राप्त होने के बाद इन्द्रभूति गौतम आदि विद्वान उनके पास आए और विचार-चर्चा करने के बाद भगवान के शिष्य बन गए । अतः उन्हें एव अन्य जिज्ञासु मनुष्यों की मोक्ष का यथार्थ मार्ग बताने के लिए संयम साधना के स्वरूप को बताना आवश्यक था । जम्बू द्वीप प्रजापति में भगवान ऋषभदेव के सम्बन्ध में कहा गया है कि भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जैसे यह संयम साधना या मोक्ष मार्ग मेरे लिए हितप्रद, सुखप्रद, एवं सर्व दुखों का नाशक है, उसी तरह जगत के समस्त प्राणियों के लिए भी अनन्त सुख-शान्ति का द्वार खोलने वाला है ।

तस्स णं भगवंतस्स एतेणं विहारेणं विहारमाणस्स एगे वास सहस्से वीइक्कंते समाणे पुरिअतालस्स नगरस्स बहिया सगड्ढमुहसि उज्जाणसि णिग्गोहवरपायवस्स अहे उभाणंतरियाए वट्टमाणस्स फग्गुणवहुलस्स इक्कारसीए पुव्वण्हकालसमयसि अट्ठमेण भत्तेणं अपाणएण उत्तरासाढा नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं अणुत्तरेणं नाणेणं जाव चरित्तेणं अणुत्तरेणं तवेणं बलेण वीरिएणं आलएण विहारेण भावणाए खतीए मुत्तीए गुत्तीए तुट्ठीए अज्जवेण मद्दवेण लाघवेण सुचरिअसोवच्चिअ फल निव्वाणमग्गेणं अप्पाण भावेमाणस्स अणंते अणुत्तरे णिव्वाघाए णिरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवल वरनाणदसणे समुप्पन्ने, जिणे जाए केवली सव्वन्नूसव्वदरिसी सणे रडअ तिरिअनरामरस्स लोणस्स पज्जवे जाणइ पासइ तजहा—आगइं गइ ठिइ उववायं भूत कड पडिभेविय आवीकम्म रहोकम्मं तत काल मणवयकाये जोगे एवमादी जीवाणवि सव्व-भावे अजीवाणवि सव्वभावे मोक्ख मग्गस्स विसुद्धतराए भावे जाणमाणे पासमाणे एस खलु मोक्खमग्गे ममअएणेसि च जीवाणं हियसुह रिस्सेस करे सव्वदुक्ख विमोक्खणे परमसुइसमाणे भविस्सइ । तते ण से भगवं समणाण निर्गयाण य णिग्गथीण य पंच महव्वयाइं सभावणाइं छज्जीवनिकाए धम्मं देसमाण विहरति, तजहा पुढविकाइए भावणागमेणं पच महव्वयाइं सभावणाइ भाणिअवाइंति ।

—जम्बूद्वीप प्रजापति सूत्र ।

अतः सभी तीर्थंकर जगत के सभी प्राणियों की रक्षा रूप दया के लिए उपदेश देते हैं† । उनका यही उद्देश्य रहता है सभी प्राणी साधना के यथार्थ स्वरूप को समझकर उस पर चलने का प्रयत्न करें ।

इसी दृष्टि से भगवान् महावीर गौतम आदि सभी साधु साध्वियों एवं अथ मनुष्यों के सामने उपदेश देते हैं और साधना के प्रशस्त पथ का जिस पर चलकर आत्मा अनंत शान्ति को पा सके, प्रसार एवं प्रचार करने के लिए चार तीर्थ—साधु, साध्वी श्राकृ और श्राविका की स्थापना करते हैं । प्रत्येक तीर्थकर सर्वज्ञ बनने के बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसे सच भी कहते हैं । जिसके द्वारा विश्व में धर्म का, अहिंसा का शांति का प्रचार किया जा सके ।

इस तरह साधना के मार्ग का यथार्थ रूप बताते हुए भगवान् महावीर प्रथम महाव्रत के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्—पठम भते । महव्रय पञ्चक्खामि सव्व पाणाइवाय
से सुहुम वा वायर वा तस वा थावर वा नेव सय पाणाइवाय
करिजा ३ जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणसा वयसा कायसा
तस्स भन्ते । पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाण
वोमिरामि ।

छाया—प्रथम भदन्त । महाव्रत प्रत्याख्यामि मव प्राणातिपात तद्
सूचम वा बादर वा तस वा स्वावर वा नैव स्वय प्राणातिपात कुर्यात्-करोमि
३ यावज्जीव त्रिविध त्रिविधेन मनसा वचसा कायेन तस्य भदन्त । प्रतिक्रमामि
निन्दामि गहं आत्मान व्युत्सृजामि ।

पदाथ—भते—हे भगवन् । पठम—में प्रथम । महव्रय—महाव्रत को । पञ्च
क्खामि—५ प्रजा से प्राणातिपात को घनिष्ट जानकर प्रत्याख्यान प्रजा से उस का प्रत्याख्यान

† सव्व जग जीव रक्षण दयदृष्ट्याए भगवया वाचयण मुकहिय ।

—प्रदत्तव्याकरण सूत्र सवरद्वार ।

करता हूँ । सर्व्व—सर्व्व प्रकार के । प्राणाद्वाय—प्राणातिपात का त्याग करता हूँ । से—वह । सुक्ष्म वा—सूक्ष्म जीव श्रवण । वायर व—वादर-स्थूल जीव । तसं वा—त्रस या । थावरं वा—स्थायर जीव । वा—समुच्चयाद्य मे है । एव—निश्चय ही । सय—स्वयं-ग्रपने प्राप । प्राणाद्वाय—प्राणानिपात-प्राणियो का वध । न करिज्जा ३—नही करूंगा, न अन्य मे वध कराऊंगा । वध करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूंगा । जावज्जीवाए—जीवन पर्यन्त । तिविहं—निन करण । तिविहेणं—नीन योग जैसे कि । मणसा—मन से । वयसा—वचन मे । कायसा—काया मे । भते—हे भगवन् ! तस्म—उम पाप मे । पडिबकमामि—निवृत्ति करता हूँ । पीछे हटता हूँ । निदामि—आत्मा की साक्षी से उसकी निन्दा करता हूँ । गरिहामि—गुरु की साक्षी से गर्हणा करता हूँ । घापण—अपनी आत्मा को पाप से । वोसिरामि—पृथक् करता हूँ ।

मूलार्थ—हे भगवन् मैं प्रथम महाव्रत में प्राणतिपात से सर्वथा निवृत्त होता, हूँ, मैं सूक्ष्म, वादर, त्रस-स्थायर समस्त जीवो का न तो स्वय प्राणातिपात-हनन करूंगा, न दूसरो से कराऊंगा, और न उनका हनन करने वालों की अनुमोदना करूंगा । हे भगवन् ! मैं यावज्जीव अर्थात् जीवनपर्यन्त के लिए तीन करण और तीन योग से-मनसे वचन से और काया से इस पाप से प्रतिक्रमण करता हूँ-पीछे हटता हूँ, आत्म साक्षी से इस पाप की निन्दा करता हूँ और गुरु साक्षी से गर्हणा करता हूँ । तथा अपनी आत्मा को हिंसा के पाप से पृथक् करता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में प्रथम महाव्रत का वर्णन किया गया है । इस महाव्रत को स्वीकार करते समय साधक गुरु के सामने हिंसा से सर्वथा निवृत्त होने की प्रतिज्ञा करता है । वह जीवन पर्यन्त के लिए सूक्ष्म या वादर (स्थूल), त्रस या स्थावर किसी भी प्राणी की मन, वचन और काया से किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता, न अन्य प्राणी से हिंसा करवाता है और न हिंसा करने वाले प्राणी का अनुमोदन—समर्थन ही करता है ।

प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त 'प्राणातिपात' का अर्थ है, प्राणों का नाश करना । क्योंकि, प्रत्येक प्राणी में स्थित आत्मा का अस्तित्व सदा काल बना रहता है । अत प्राणी की हिंसा का अर्थ है, उसके प्राणों का नाश कर देना । और प्राणों की अपेक्षा से ही ससारी जीव को प्राणी कहा जाता है । क्योंकि, वह प्राणों को धारण किए हुए है, महाव्रतों का निर्दोष परिपालन करने के लिए उनकी भावनाओं का आचरण

करना आवश्यक है । इसलिए प्रथम महाव्रतों की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तस्मिमाद्यो पच भावणायां भवति, तत्त्रिमा पढमा
भावणा इरियासमिष् से निग्गये नो यण्डरियासमिष्त्ति, केवली
वूया० यण्डरियासमिष् से निग्गये पाणाड भूयाड जीयाड
सत्ताड अभिहणिज्ज वा वत्तिज्ज वा परियाविज्ज वा लेमिज्ज वा
उद्विज्ज वा, इरियासमिष् से निग्गये नो यण्डरियासमिष्त्ति
पढमा भावणा ॥१॥

छाया -तस्य इमा पञ्च भावना भवति, तत्र इय प्रथमा भावना- ईयां
समित म निग्रन्थ नो अनीर्याममित इति केवली वूयात् आदानमतत् अनीर्यां
समित स निग्रन्थ प्राणिन भूतानि, जीवान् मत्त्वानि अभिहयाद वा वर्तयेद
वा परितापयेत् वा रलेपयेत् वा अपद्रापयेत् वा, ईयाममित म निग्रन्थ
नो अनीर्याममित इति प्रथमा भावना ।

पदाथ—तस्म—उस प्रथम महाव्रतकी । इमा—ये—घ्राणे कही जा'न वाली । पच—
पांच । भावणाग्रो—भावनायें । भवति—ह'ती है । तत्त्रिमा—उन पाँचों में स यह—जोकि प्राण ।
कही जाती हैं । पढमा—प्रथम । भावणा—भावना है । इरियासमिष्—ईयांसमिति से यत्न ।
स—वह । निग्गये—निग्र य । नो यण्डरिया समिष्त्ति—ईयांसमिति से रहित साधु ही कहा
जाता, इस प्रकार से । केवली वूया०—केवली भगवान कहते हैं घोर यह कम घ्राणे का कारण
है क्योंकि । यण्डरियासमिष्—ईयांसमिति से रहित । से निग्गये—वह निग्र य साधु । पाणाड
प्राणियों को । भूयाड—भूतों को । जीयाड—जीवों को । सत्ताड—सत्त्वों को । अभिहणिज्ज
या - अभिहनन करता है । वत्तिज्ज वा—एकत्रित करना है तथा । परियाविज्ज वा—परिता
पना देना है । लेमिज्ज वा—भूमि से मक्षिष् करता है । उद्विज्ज वा—जीवन से रहित करना
है अथ वट निग्र य नहीं पर'यु । इरियासमिष्—ईयांसमिति से युक्त साधु । स निग्गये—
य' निग्र य होता है अर्थात् वह किसी जीव की हिंसा नहीं करता है । नो यण्डरियासमिष्त्ति—
वह ईयांसमिति से रहित नहा हाता है इस प्रकार । पढमाभावना—यह प्रथम भावना है ।

मूलार्थ—प्रथम महाव्रत की ५ भावनाएँ होती हैं उनमें से पहली भावना यह है—निर्ग्रन्थ ईर्या समिति से युक्त होता है, न कि उससे रहित । भगवान् कहते हैं कि ईर्या समिति का अभाव कर्म ग्राने का द्वार है । क्योंकि इससे रहित निर्ग्रन्थ प्राणों, भूत, जीव और सत्व की हिंसा करता है उन्हें एक स्थान से स्थानान्तर में रखना है, परिताप देता है, भूमि से सश्लिष्ट करता है और जीवन से रहित करता है । इसलिए निर्ग्रन्थ को ईर्या समिति युक्त होकर स्वयं का आराधन करना चाहिए, यह प्रथम भावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पहले महाव्रत की प्रथम भावना का उल्लेख किया गया है । भावना साधक की साधना को शुद्ध रखने के लिए होती है । प्रथम महाव्रत की प्रथम भावना ईर्यासमिति से संबद्ध है । इस में बताया गया है कि साधु को विवेक एवं यत्ना पूर्वक चलना चाहिए । यदि वह विवेक पूर्वक ईर्या समिति का पालन करते हुए चलता है, तो पाप कर्म का बन्ध नहीं करता है^१ । और इसके अभाव में यदि अविवेक से गति करता है तो पाप कर्म का बन्ध करता है । अतः साधक को ईर्या समिति के परिपालन में सदा सावधान रहना चाहिए । इससे वह प्रथम महाव्रत का सम्यक्तया परिपालन कर सकता है । ईर्या समिति गति से संबद्ध है^२ । अतः चलने-फिरने में विवेक एवं यत्ना रखना साधु के लिए आवश्यक है ।

अब सूत्रकार द्वितीय भावना के सम्बन्ध में कहते हैं ।

मूलम्—अहावरा दुच्चा भावणा—मणं परियाणइ से निगंथे,
जे य मणो पावए सावज्जे सकिरिए अराहयकरे छेयकरे भेयकरे

१ जय चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जय सए । जयं भुञ्जन्तो भासन्तो पावकम्मं न वधई ॥

—दशवैकालिक सूत्र, ४, ८ ।

२ ईरण-गमन ईर्या तस्यां समितो-दत्तावधानः पुरतो—

युगमात्रभूभागन्यस्तदृष्टिगामीत्यर्थः ॥

अहिगरणिए पाउसिए पारियाविए पाणाडवाडए भूयावघाडए,
तहप्पगार मण नो पधारिजा गमणाए, मण परियाण्ड से नि-
ग्गन्थे, जे य मणो अपावएत्ति दुच्चा भावणा ॥२॥

छाया—अथापरा द्वितीया भावना मन परिचानाति म निर्ग्रन्थ यच्च
मन पापक मावद्य मक्रिय आश्रयकर छेदकर भेदकर आधिरणिक प्राद्वेषिक
परितापिक प्राणातिपातक भूतोपघातिक तथाप्रकार मन नो प्रधारयेत्
गमनाय मन परिचानाति स निर्ग्रन्थ यच्च मन अपापकम् इति द्वितीया
भाषना ।

पदाय—अथापरा—अब दूसरे भिन्न । दुच्चाभावणा—दूसरी भावना को कहते हैं ।
मण परियाण्ड—जो पाप मयी विचारणा म मनको हटाव । से निग्गन्थे—वह निर्ग्रन्थ है ।
य—युत । जे—जो । मण—मन । पावए—पापयुक्त । सावज्ज—सावद्य पापरूप । सकिरिए—
क्रियायुक्त । अण्हयकरे—आश्रय के करने वाला । छयकरे—प्राणियों के छेदन करने वाला ।
भेयकरे—भेदन करने वाला । अहिगरणिए—कलह करने वाला । पाउसिए—द्वेष करने वाला ।
परियाविए—परिताप का देने वाला । पाणाडवाडए—प्राणातिपात क करने वाला । भूयोव-
घाडए—भूता का उपघात करने वाला है तो साधु । तहप्पगार—तथाप्रकार के । मण—मन को ।
नो पधारिजा—धारण न करे । मणाडिजाण्ड—जो मन का हिंसा से हटाता है । य—युत ।
जे—जिसका । मण—मन । अपावएत्ति—पाप से रहित है । से निग्गन्थे—वह निर्ग्रन्थ है ।
दुच्चाभावणा—यह दूसरी भावना है ।

मूलाय—अब दूसरी भावना को कहते हैं—जो मनको पापों से हटाता
है वह निर्ग्रन्थ है । साधु ऐसे मन (विचारो) को धारण न करे, पापकारी,
सावद्यकारी, क्रिया युक्त, आश्रय करने वाला, छेदन तथा भेदन करने
वाला कलहकारी, द्वेषकारी, परितापकारी, प्राणों का अतिपात करने
वाला और जीवों का उपघातक है । जो अपने मनको पाप से हटाता है वह
निर्ग्रन्थ है, यह दूसरी भावना है ।

दिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में मन शुद्धि का वर्णन किया गया है । पहले महाव्रत को निर्दोष एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए मन को शुद्ध रखना आवश्यक है । मन के बुरे संकल्प विकल्पों से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है और उसके कारण साधक की प्रवृत्ति में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । क्योंकि कर्म बन्ध का मुख्य आधार मन (परिणाम) है क्रिया से कर्म वर्णना के पुद्गल आते हैं, परन्तु उनका बन्ध परिणामों की शुद्धता एवं अशुद्धता या तीव्रता एवं मन्दता पर आधारित है* । अन्य दार्शनिकों एवं विचारकों ने भी मन को बन्धन एवं मुक्ति का कारण माना है† । बुरे मन से आत्मा पाप कर्मों का संग्रह करके संसार में परिभ्रमण करता है और शुभ सकल्प एवं मानसिक चिन्तन मनन से अशुभ कर्म बन्धनों को तोड़ कर आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ता है । अस्तु, साधक को सदा मानसिक संकल्प एवं चिन्तन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए । क्योंकि, वाचिक एवं कायिक प्रवृत्ति को विशुद्ध बनाए रखने के लिए मन के चिन्तन को विशेष शुद्ध बनाए रखना आवश्यक है । मानसिक चिन्तन जितना अधिक शुद्ध होगा, प्रवृत्ति उतनी ही अधिक निर्दोष होगी ।

अतः मानसिक चिन्तन की शुद्धता के बाद वचन शुद्धि का उल्लेख करते हुए सूत्रकार तीसरी भावना के सम्बन्ध में कहते हैं—

मूलम्-अहावरा तच्चा भावणा-वइं परिजाणइ से निग्गंथे जा
य वई पाविया सावज्जा सकिरिया जाव भूओवघाइया तहप्पगारं
वइं नो उच्चारिज्जा, जे वइं परिजाणइ से निग्गंथे, जा य वई
अपावियत्ति तच्चा भावणा ॥३॥

छाया—अथापरा तृतीया भावना वाच परिजानाति सः निर्ग्रन्थः या
च वाक् पापिका सावद्या सक्रिया यावत् भूतोपघातिका तथाप्रकारां वाचं नो
उच्चारयेत् यो वाचं परिजानाति स निर्ग्रन्थः या च वाक् अपापिकेति
तृतीया भावना ।

* परिणामे बन्धः ।

† कर्म एव कारणं बन्ध-मोक्षयोः ।

पदाय—ग्रहावरा—अथ दूसरी क वाच । तच्चा—तीसरी । भावणा—भावना को कहन है । बड परिजाणइ—पापमय वचन का जा छोडता है । से निग्गये—वह निग्रय है । जा म—घोर जो । बई—वाणी । पाविद्या—पाप युक्त है । सावज्जा—सावध है । सकिरिया—त्रिया युक्त । जाव—यावत् । भूघोडयाइया—भूता जीवों का उपघात करने वाली है । तहपगार—तथाप्रकार की । बड—वाणी-वचन का । नो उच्चारिज्जा—उच्चारण न करे । जे—जो । बट परिजाणइ—मनोप वाणी वचन को 'न' प्रना स जान कर और 'प्रत्यास्थान' प्रजा स त्याग करता है । से निग्गये—वह निग्रय है । जाव—यावत् । वह—साधु की वाणी । घपावियत्ति—पाप स रहित हो म प्रकार यह । तच्चा भावणा—तीसरा भावना है ।

मूलार्थ—अथ तीसरी भावना का स्वरूप कहते हैं—जो साधक सदोष वाणी-वचन को छोडता है, वह निग्रय है । जो वचन पापमय, सावध और सक्रिय यावत् भूता-जीवों का उपघातक, विनाशक हो, साधु उस वचन का उच्चारण न करे । जो वाणी के दोषों को जानकर उन्हें छोडता है और पाप रहित निर्दोष वचन का उच्चारण करता है उसे निग्रय कहते हैं । यह तीसरा भावना है ।

द्वितीय विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में वाणी की निर्दोषता का वर्णन किया गया है । इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु, सदोष एवं पापकारी भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निर्ग्रय नहीं हो सकता । क्योंकि सदोष एवं पापयुक्त भाषा से जीव हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है । अतः साधु को अपने वचन का प्रयोग करते समय भाषा की निर्दोषता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए । उसे कर्षण, फटोर व्यक्ति व्यक्ति में छेद भेद एवं फूट डालने वाले, हास्यकारी निश्चयकारी अन्य प्राणियों के मन में कष्ट, वेदना एवं पीडा देने वाली, सावध एवं पापमय भाषा का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए । प्रथम महाव्रत की शुद्धि के लिए भाषा की शुद्धता एवं निर्दोषता का परिपालन करना आवश्यक है ।

अथ चौथी भावना का विश्लेषण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ग्रहावरा चउत्था भावणा त्रायाणभडमत्तनिक्खेव
णामिण्णं से निग्गये, नो त्रणायाणभडमत्तनिक्खेवणास
मिण्णं, केवली वूया० त्रायाणभडमत्तनिक्खेवणा त्रममिण्णं से

निर्गन्धे, पाणाइं भूयाइं जीवाइं सत्ताइं अभिहिण्ज्जा वा जाव
उद्विज्ज वा, तम्हा आयाणभंडमत्तनिकखेवणासमिण्णं से निर्गन्धे
नो आयाणभंडमत्तनिकखेवणा असमिण्णं चउत्था भावणा ।४।

श्रीया—अथापरा चतुर्थी भावना-आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमितः
स निर्ग्रन्थः नो अनादानभाण्डमात्रनिक्षेपणाऽसमितः केवली ब्रूयात् आदान-
मेतत् आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणाअसमितः स निर्ग्रन्थाः प्राणिनः भूतानि,
जीवान् सत्तानि अभिहन्याद् वा यावत् अद्रापयेद् वा तस्मात् आदा-
नभाण्डमात्रनिक्षेपणा समितः स निर्ग्रन्थाः नो आदान भाण्डमात्रनिक्षेपणा
असमितः इति चतुर्थी भावना ।

पदार्थ—अहावरा—तीसरी भावना से आगे अब । चउत्था भावणा—चौथी भावना
को कहते हैं यथा । आयाण भंडमत्त निकखेवणा समिण्णं—भाण्डोपकरण समिति से युक्त है अर्थात्
यतना पूर्वक वस्त्र-पात्रादि उपकरणों को ग्रहण करता है तथा यतना पूर्वक उन्हे उठाता एवं रखता
है । से निर्गन्धे—वह निर्ग्रन्थ है । नो आयाण भंडमत्त निकखेवणा असमिण्णं—साधु आदान
भाण्डमात्र निक्षेपणा असमिति वाला न हो क्योंकि । केवली—केवली भगवान । ब्रूया—कहते
है कि यह कर्म बन्धन का कारण है अतः जो साधु । आयाण भंडमत्त निकखेवणा असमिण्णं—
भाण्डोपकरण लेता हुआ और रखता हुआ समिति से रहित होता है । से निर्गन्धे—वह साधु ।
पाणाइ—प्राणी । भूयाइ—भूत । जीवाइ—जीव और । सत्ताइ—सत्त्वों को । अभिहिण्ज्ज वा—
अभिहनन करता है । जाव—यावत् । उद्विज्ज वा—प्राणी से पृथक् करता है । तम्हा—इस
लिए । आदान भंडमत्तनिकखेवणा समिण्णं—जो आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा समिति से युक्त है ।
से निर्गन्धे—वह निर्ग्रन्थ साधु है । नो आयाण भंडमत्त निकखेवणा असमिण्णं—अतः साधु आदान
भाण्ड मात्र निक्षेपणा असमिति से युक्त न हो अर्थात् समिति से युक्त हो यह । चउत्थीभावणा—
चौथी भावना कही गई है ।

मूलार्थ—अब चतुर्थ भावना को कहते हैं-जो आदान-भाण्डमात्र निक्षेपणा
समिति से युक्त होता है वह निर्ग्रन्थ है । अतः साधु आदान भाण्डमात्र
निक्षेपणा समिति से रहित न हो, क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि जो
इससे रहित होता है, वह निर्ग्रन्थ प्राणी भूत, जीव, और सत्त्वों का हसक

होता है यावत् उनको प्राणो से रहित करने वाला होता है । अत जो साधु इस समिति से युक्त है वह निग्रन्थ है । यह चौथी भावना है ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में शारीरिक क्रिया की शुद्धि का उल्लेख किया गया है । साधु को मन, वचन की शुद्धि के साथ शारीरिक प्रवृत्ति को भी सदा शुद्ध रखना चाहिए । उसे अपनी माधना में आवश्यक भङ्गोपकरण आदि ग्रहण करना पड़े या कहीं रखने एवं उठाने की आवश्यकता पड़े तो उसे यह कार्य विवेक एवं यतना पूर्वक करना चाहिए । अयतना से कार्य करने वाला साधु प्रथम महाव्रत की शुद्ध नहीं रख सकता और वह पाप फल का बंध करता है । क्योंकि अविवेक से जीवों की हिंसा का होना अभय है और जीव हिंसा पाप बन्धन का कारण है तथा इससे प्रथम महाव्रत का भी खण्डन होता है । अतः साधु को प्रत्येक उपकरण विवेक से उठाना एवं रखना चाहिए ।

अथ पाचमी भावना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—यहावरा पचमा भावणा—आलोडयपाणभोयण-
भोई से निग्गथे नो अणालोडयपाणभोयणभोई, केवली वृया-
अणालोडयपाणभोयणभोई से निग्गये पाणाणि वा ४ अभि
हणिज्ज वा जाव उद्विज्ज वा, तस्मा आलोडयपाणभोयण
भोई से निग्गये, नो अणालोडयपाणभोयणभोईत्ति पचमा
भावना ॥५॥

छाया—अथापरा पचमी भावना आलोकितपानभोजनभोजीत्
निग्रन्थ नो अनालोकितपानभोजनभोजी केवली वृयात् आदानमेतत्
अनालोकितपानभोजनभोजी स निग्रन्थ प्राणिन वा ४ अभिहन्त्याद् वा
यावत् अपद्रोपपेद् वा तस्मात् आलोकितपानभोजनभोजी स निग्रन्थ नो
अनालोकितपानभोजन भोजी इति पचमी भावना ।

पदार्थ—ग्रहावरा पंचमा भावना—अब पाचवी भावना को कहते हैं । अणालोड्यपाण-भोयणभोई—जो विवेक पूर्वक देखकर आहार-पानी करता है । से निग्रंथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो अणालोड्य पाण भोयणभोई—और बिना देखे आहार पानी करने वाला निर्ग्रन्थ नहीं है क्योंकि । केवली वूया०—केवली भगवान कहते हैं कि यह कर्म बन्ध का हेतु है । अणालोड्यपाण भोयणभोई—जो बिना देखे आहार पानी करता है । से—वह । निग्रंथे—निर्ग्रन्थ पाणाणि वा ४—प्राणि भूत जीव और सत्वो का । अग्निहनिञ्ज वा—अग्निहनन करने । जाव—यावत् । उद्विञ्ज वा—प्राणो से रहित करने वाला होता है । तम्हा—इसलिए । अणालोड्यपाणभोयण भोई—जो देखकर आहार पानी करता है । से—वह । निग्रंथे—निर्ग्रन्थ है । नो अणालोड्य पाण भोयण भोईति—न कि बिना देखे आहार, पानी करने वाला, इस प्रकार । पचमा भावना—यह पाचवी भावना है ।

मूलार्थ—अब चौथी के बाद पांचवी भावना को कहते हैं—जो विवेक पूर्वक देख कर आहार-पानी करता है वह निर्ग्रन्थ है और जो बिना देखे आहार पानी करता है, वह निर्ग्रन्थ प्राणि आदि जीवो को हिंसा करता है, उन्हें प्राणो से पृथक् करता है । इसलिए देखकर आहार पानी करने वाला ही निर्ग्रन्थ होता है । यह पांचवी भावना है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह बताया गया है कि साधु को बिना देखे खाने-पीने के पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए । आहार को जाने के पूर्व मुनि को अपने पात्र भी भली-भाँति देख लेने चाहिए और उसके बाद प्रत्येक खाद्य एवं पेय पदार्थ सम्यक्तया देख कर ही ग्रहण करना चाहिए और उन्हें देख कर ही खाना पीना चाहिए । बिना देखे पदार्थ लेने एवं खाने से जीवों की हिंसा होने एवं रोग आदि उत्पन्न होने की संभावना है । अतः साधु को इस में पूरा विवेक रखना चाहिए । ये पांचों भावनाएं प्रथम महाव्रत को शुद्ध एवं निर्दोष रखने के लिये आवश्यक हैं । इनके सम्यक् आराधन से साधक अपनी साधना में तेजस्विता ला सकता है ।

प्रथम महाव्रत का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—एयावता महव्वए सम्मं काएण फासिए पालिए तीरिए किट्टिए अवट्टिए आणाए आराहिए यावि भवइ, पढमे

भते । मह्व्वए पाणाडवायाओ वेरमण ॥

छाया—पतायता महाव्रत सम्पर्क कायन स्पर्शित पालित तीण कीर्तितम् अवस्थित आनया आराधित चापि भवति, प्रथमे भदन्त । महाव्रते प्राणाति पाताद् विरमणम् ।

पदाथ—एतावता—इस प्रकार । मह्व्वए—प्रथम महाव्रत की । सम्म—सम्यक्तया । कायेण—काया से । फासिए—स्पर्शित किया । पालिए—पालन किया । तीरिए—पार पहुँचाया । किट्टिए—कीतन किया । भवट्टिए—भवस्थित रखा जाता है और । घाणाए—उसका भ्रामा पूर्वक । घाराहिए—घाराधन किया । यावि भवइ—जाता है । च, पुन और अपि-समुच्चय षष्ठ में जानना । भते—हे भगवन । पढमेमह्व्वए—में प्रथम महाव्रत में । पाणाडवायाओ-प्राणाति पात से । वेरमण—निवृत्त होता हुआ भ्रमण प्रथम महाव्रत प्राणानिपात विरमण रूप है ।

मूलार्थ—साधक द्वारा स्वीकृत प्राणातिपात (हिंसा) के त्याग रूप प्रथम महाव्रत को इस प्रकार काया से स्पर्शित करके उसका पालन किया जाता है, उसे तीर पर पहुँचाया जाता है, उसका कीतन किया जाता है, उसे अवस्थित रखा जाता है और उसका भ्रामा के अनुरूप आराधन किया जाता है । इस प्रकार प्रथम महाव्रत में साधु प्राणानिपात से निवृत्त होता है ।

हिंदी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यह अभिव्यक्त किया गया है कि प्रत्येक साधना का महत्त्व उसका परिपालन करने में है । प्रथम महाव्रत का सम्यक्तया आचरण करने से ही आत्मा का विकास हो सकता है । जब तक वह जीवन में साधारण रूप ग्रहण नहीं करता तब तक साधक की साधना में तेजस्विता नहीं आसकती । इसलिए साधक को चाहिए कि वह आगम में दिए गये आदेश के अनुसार प्रथम महाव्रत को आचरण में उतारकर जीवन पर्यन्त उसका परिपालन करे, सम्यक् सम्यक्तया आराधन करे ।

अब द्वितीय महाव्रत का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—ग्रहावर दुच्च मह्व्वय पच्चक्खामि, सव्व मुसावाय वइदोम, से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा नेव सय

मुसं भासिज्जा लेवन्नेणं मुसं भासाविज्जा अन्नंपि मुसं भासंतं
न पमणुमन्निज्जा तिविहं तिविहेणं मणसा वयसा कायसा, तस्स
भंते ! पडिक्कमामि जाव वोसिरामि ॥

छाया—अथापर द्वितीयं महाव्रतं प्रत्याख्यामि सर्वं मृषावादं वाग्दोषं
सः क्रोधाद् वा लोभाद् वा भयाद् वा हामाद् वा नेत्र स्वयं मृषा भाषेत नैवा-
न्येन मृषा भाषयेत् अन्यमपि मृषा भाषमाणं न समनुजानीयात् त्रिविधं
त्रिविधेन मनसा वचसा कायेन तस्य भदन्त । प्रतिक्रमामि यावत् व्युत्सृजामि ।

पदार्थ—अहावरं—अब अन्य । दुच्च—दूसरे । महव्वय—महाव्रत को कहते हैं ।
सर्वं मुसावाय—सर्व प्रकार के मृषावाद । वड्दोस—वाणी-वचन के दोषों का । पच्चवखामि—
प्रत्याख्यान करता हूँ अर्थात् ज प्रज्ञा से उन्हें जानकर प्रत्याख्यानप्रज्ञा से उनका प्रत्याख्यान करता
हूँ-त्याग करता हूँ । से—वह साधु । कोहा वा—क्रोध से । लोहा वा—लोभ से । भयावा—भय
से । हासा वा—हास्य से । एय—निश्चयार्थक है । सय—स्वयं अपने आप । मुस—मृषा
भूठ । न भासिज्जा—न बोले । अन्नेण—दूसरो से । मुसं—मृषा-भूठ । न भासाविज्जा—न
बुनावे तथा । मुस-मृषा । भासंत—भाषण करते हुए । अन्नपि—अन्य व्यक्ति का । न पमणुम-
न्निज्जा—अनुमोदन भी न करे । तिविहं—तीन करण और । तिविहेण—तीन योग से । मणसा—
मन से । वयसा—वचन से । कायसा—काया से । भंते—हे भगवन् मैं । तस्स—उस मृषा वाद
रूपी पाप से । पडिक्कमामि—पीछे हटत हूँ । जाव—यावत् आत्म साक्षी से उसकी निन्दा और
गुरुसाक्षी से गर्हणा करता हुआ । वोसिरामि—मृषा वाद से अपने आत्मा को पृथक्
करता हूँ ।

मूलार्थ—इस द्वितीय महाव्रत में साधक यह प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् !
मैं आज से मृषावाद और सदोष वचन का सर्वथा परित्याग करता हूँ । अतः
साधु क्रोध से, लोभ से, भय से, और हास्य से न स्वयं भूठ बोलता है न
अन्य व्यक्ति को असत्य बोलने की प्रेरणा देता है और न मृषा भाषण करने
वालों का अनुमोदन करता है इस तरह साधक तीन करण एव तीन योग से
मृषावाद का त्याग करके यह प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन् ! मैं मृषावाद
से पीछे हटता हूँ, आत्म साक्षी से उसकी निन्दा करता हूँ और गुरु साक्षी

मे उमकी गहणा करता हूँ और अपनी आत्मा को मृपावाद मे सर्वथा पृथक् करता हूँ ।

हिन्दा विग्रह

प्रस्तुत सूत्र मे दूसरे महाव्रत का उल्लेख किया गया है । अमत्य आत्मा के लिए पतन का कारण है । उससे आत्मा मे अनेक दोष आने हैं और पाप कर्म का बन्धनेना है । इस लिए साधक उसका सर्वथा त्याग करना है और उसके साथ उसके कारणों का भी त्याग करता है । इसमे बताया गया है कि व्यक्ति क्रोध मान, माया और लोभ उत्पन्न होकर भूठ जैलता है । अतः साधक को इन कापाया का त्याग कर देना चाहिए । और बाँद कर्मादय से सभी रूपाय का उत्पन्न हो रहा हो तो मौन प्रवृत्त करके पढ़ने कपाय को उदगन्त करना चाहिए, उमके बाद भाषा का प्रयोग करना चाहिए ।

इसमे स्पष्ट होता है कि जो साधक अमत्य भाषा का मन्था त्याग नहीं करता, वह निमन्थ नहीं कहला सकता । प्रस्तुत अस्त्य से पूर्णतः निवृत्त मात्र ही निर्मन्थ कहला सकता है ।

उक्त महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार करते हैं—

मूलम्—तस्मेमात्रो पत्र भावणाग्रो भवति । तत्पिमा
पटमा भावणा-ग्रणुवीडभासी से निग्गये, नो ग्रणुवीडभासी,
केवली वृया-ग्रणुवीडभासी मे निग्गये ममावज्जिज्ज मोम
वयणाए, अनुवीडभासी से निग्गये नो ग्रणुवीडभामिति
पटमा भावणा ॥१॥

यहापरा दुच्चा भावणा कोह परियाण्ड से निग्गये न य
कोहगो मिया, केवली वया कोहपत्ते कोहत्त समावडब्बा मोम
वयणाए, कोह परियाण्ड मे निग्गये, न य कोहगो मियत्ति दुच्चा
भावणा ॥२॥

अहावरा तच्चा भावणा लोभं परियाणइ से निग्गंथे नो
अ लोभणए सिया, केवली वूया०-लोभपत्ते लोभी समावइज्जा मोरां
वयणाए, लोभं परियाणइ से निग्गंथे, नो य लोभणए सियत्ति
तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा-भयं परिजाणइ से निग्गंथे, नो
भयभीरुए मिया, केवली वूया०-भयपत्ते भीरू समावइज्जा मोसं
वयणाए, भयं परिजाणइ से निग्गंथे, नो भयभीरुए सिया,
चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पंचमा भावणा-हासं परियाणइ से निग्गंथे, नो य
हासणए, सिया केव० हासपत्ते हासी समावइज्जा मोसं वयणाए,
होसं परिजाणइ से निग्गंथे, नो हासणए सियत्ति पंचमी
भावणा ॥५॥

छाया—तस्येमाः पच भावना भवन्ति—

तत्र इय प्रथमा भावना—अनुविचित्यभाषी स निर्ग्रन्थः नो अननुविचि-
न्त्य भाषी, केवली वूयात् आदानमेतत् अननुविचित्यभाषी स निर्ग्रन्थः
समापद्येत मृषावचन अनुविचिन्त्यभाषी स निर्ग्रन्थः नो अननुविचिन्त्यभाषीति
प्रथमा भावना ।

छाया—अथापरा द्वितीया भावना-क्रोधं परिजानाति स निर्ग्रन्थः न च
क्रोधनः स्यात् केवली वूयात् आदानमेतद् क्रोधप्राप्तः क्रोधत्वं समावेदेत् मृषा
वचन क्रोध परिजानाति स निर्ग्रन्थः न च क्रोधनः स्यात् इति द्वितीया भावना ।

अथापरा तृतीया भावना-लोभ परिजानाति स निर्ग्रन्थ न च लोभन
स्यात् केवली ब्रूयात् आदानमेतत् लोभप्राप्त लोभी समावदेत् मृपावचन
लोभ परिजानाति स निर्ग्रन्थ न च लोभन स्यात् इति तृतीया भावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना भय परिजानाति स निर्ग्रन्थ नो भयभीरुक
स्यात् केवली ब्रूयात् आदानमेतत् भयप्राप्त भीरु समावदेत् मृपावचनम्,
भय परिजानाति स निर्ग्रन्थ नो भयभीरुक स्यात् चतुर्थी भावना ।

अथापरा पचमी भावना हास परिजानाति स निर्ग्रन्थ न च हसनक
स्यात् केवली ब्रूयात् आदानमेतत् हास प्राप्त हासी समावदेत् मृपावचन
हासपरिजानाति स निर्ग्रन्थ नो हसनक स्यादिति पचमी भावना ।

पदार्थ—तस्स—उस द्वितीय मन्त्रन की । इमा—ये प्रागे कही जान वाली । पच भाव
नाप्रो—पाच भावनाप्रो । मत्रात्—काली है । तत्त्विकी—उन पाच भावनाप्रो मे स यत् । पड़ना
भावना—पहली भावना है । अणुवीड भासी—जो विचार कर भाषण करता है । स निर्ग्रन्थ—
वह निर्ग्रन्थ है । ना अणुवीडभासी—जो विद्या विचार भाषण करता है । केवली मृपा—
केवला भगवान कर्तव्य हैं कि वह कम बंध का हेतु है । अणुवीडभासी—बिना विचार वि
चालन वाला । स—वह । निर्ग्रन्थ—निर्ग्रन्थ साधु । मोस—मवावाद । मवावाए—बचन का ।
समावज्जिउत्र—प्राप्त होता है, धन । अणुवीडभासी—जो विचार पूर्वक बोधना है ।
स निर्ग्रन्थे—वह निर्ग्रन्थ है । नोअणुवीडभासी—न कि जो बिना विचारे बोधना है ।
पड़ना भावना—यह प्रथम भावना है ।

अहावरा—अथ अथ । दुस्त्वा भावना—दूसरी भावना को कहते हैं । काह—जो
का । परिवाण—न प्रथा से-इस क कर्तु परिणाम का जान कर प्रथारान प्रथा से उसका जो
त्याग करना है । से निर्ग्रन्थे—वह निर्ग्रन्थ है । नो कोहणे सिपा—साधु काधी-कोषशील न हो ।
केवली मृपा—केवली भगवान कर्तव्य हैं कि कम बंध का कारण है । कोहणतो-कोष को
प्राप्त हुआ । कात्त—साधु जोय भाव को प्राप्त कर । मोसप्रवाण—मवा वचन । समावइइना
बोधना है प्रथ साधु कोय न करे । काह्वाटियाग—जो कोष क कटकन को जान कर उप
छाडता है । स निर्ग्रन्थे—वह निर्ग्रन्थ है । प—पुन । न कोहणे सिपति—साधु काधी क थ
काने वाला न हो । दुस्त्वा भावना—यह दूसरी भावना है ।

अहावरा तच्चा भावना—धव तीसरी भावना को कहते हैं । लोभ परिवाणइ—जो

लोभ के कटुफल को जानकर लोभ का परित्याग करता है । से निगमंथे—वह निर्ग्रन्थ है । य—
 और । नो लोभणए सिया—साधु लोभ शील न होवे । केवली बूया—केवली भगवान कहते है ।
 लोभपत्ते—लोभ को प्राप्त हुआ । लोभी—लोभी-लोभ करने वाला । मोस बयणाए समावइज्जा—
 मृषा वचन बोलता है अतः । लोभंपग्गियाणइ—जो साधु लोभ के कटुफल को जान कर लोभ
 का परित्याग करता है । से निगमंथे—वह निर्ग्रन्थ । नो य लोभणए सियत्ति—साधु लोभ शील-
 लोभी न हो इस प्रकार यह । तच्चा भावणा—तीसरी भावना है ।

अहावरा चउत्था भावणा—अव चतुर्थ भावना को कहते है । भय परिजाणइ—भय को
 जानकर उसका परित्याग करता है । से निगमंथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो भवभीरुए सिया—साधु
 भय से भीरु न बने । केवली बूया—केवली भगवान कहते है । भयपत्ते—भय को प्राप्त हुआ
 भीरु—डरने वाला साधु । मोसं बयणाए—मृषा वचन । समावइज्जा—बोल देता है अतः ।
 भय परिजाणइ—जो भय का परित्याग करता है । से निगमंथे—वह निर्ग्रन्थ है इसलिए । नो
 भयभीरुएसिया—भय से भीरु न हो । त्ति-इस प्रकार । चउत्था भावणा-यह चतुर्थ भावना है ।

अहावरा पचमा भावणा—अव पाचवी भावना को कहते है । हासं परिजाणइ—
 हास्य को जान कर जो हास्य का परित्याग करता है । से निगमंथे—वह निर्ग्रन्थ है । नो य
 हासणए सिया—और फिर वह निर्ग्रन्थ हसन शील न हो क्योंकि । केवली०—केवली भगवान
 कहते है, यह कर्म बन्धन का हेतु है । हासपत्ते—हास्य को प्राप्त होकर । हासी—हास्य करने वाला
 मोसं—मृषा । बयणाए—वचन । समावइज्जा—बोलने वाला होता है अर्थात् वह भूठ भी बोल
 देता है अतः जो । हास परिजाणइ—हास्य का परित्याग करता है । से निगमंथे—वह निर्ग्रन्थ है ।
 नो हासणएसियत्ति—न कि हास्य शील होने वाला । पंचमा भावणा—यह पाचवी भावना
 कही है ।

मूलार्थ—इम द्वितीय महाव्रत की ये पांच भावनाएं है—

उन पांच भावनाओ मे से प्रथम भावना यह है जो विचार पूर्वक
 भाषण करता है वह निर्ग्रन्थ है, बिना विचारे भाषण करने वाला निर्ग्रन्थ
 नहीं है । केवलो भगवान कहते है कि बिना विचारे बोलने वाले निर्ग्रन्थ
 को मृषा भाषण की संप्राप्ति होती है अर्थात् मिथ्या भाषण का दोष
 लगता है अतः विचार पूर्वक बोलने वाला साधक ही निर्ग्रन्थ कहला
 सकता है ।

द्वितीय महाव्रत की दूसरी भावना यह है कि जो साधक क्रोध के कटु फल को जानकर उसका परित्याग करता है वह निर्ग्रन्थ है। केवलो भगवान का कहना है कि क्रोध एव आवश के वश व्यक्ति असत्य वचन का प्रयोग कर देता है। अतः क्रोध से निवृत्त साधक ही निर्ग्रन्थ होता है।

तीसरी भावना यह है कि लोभ का परित्याग करने वाला साधक निर्ग्रन्थ होता है। लोभ के वश होकर भी व्यक्ति झूठ बोल देता है, अतः साधक को लोभ नहीं करना चाहिए।

चौथी भावना यह है कि भय का सर्वथा परित्याग करने वाला व्यक्ति निर्ग्रन्थ कहलाता है। भय से युक्त व्यक्ति अपने बचाव के लिए झूठ बोल देता है। अतः मुनि को सदा पूर्णतः भय से रहित रहना चाहिए।

पाचवी भावना यह है कि हास्य का त्याग करने वाला साधक निर्ग्रन्थ कहलाता है। हास्यवश भी व्यक्ति असत्य भाषण कर सकता है। इस लिए मुनि को हास्य-हंसी मजाक का सर्वथा परित्याग करना चाहिए।

हिंदा विवेचन

प्रथम महाव्रत की तरह द्वितीय महाव्रत की भी ५ भावनाएँ हैं—१ विवेक विचार से बोलना २ क्रोध के वश, ३ लोभ के वश, ४ भय के वश और ५ हास्य के वश असत्य नहीं बोलना चाहिए। भाषा बोलने के पूर्व विवेक रचना प्रत्येक व्यक्ति के लिए दितकर है। परन्तु असत्य का सर्वथा त्याग करने वाले साधक के लिए यह अनिवार्य है कि वह विवेक पूर्वक एव भाषा की सदीपता तथा निर्दोषता का विचार करके बोले। वह सदा इस बात का खयाल रखे कि किसी भी तरह असत्य एव सदीप भाषा का प्रयोग न होने पाए।

यह भी स्पष्ट है कि क्रोध और लोभ के वश भी व्यक्ति झूठ बोल जाता है। उस समय उसे बोलने का विवेक नहीं रहता है। इसी तरह भय भी मनुष्य के विवेक को विलुप्त कर देता है। उससे छुटकारा पाने के लिए भी असत्य का सारा छे लेंता है। अतः साधु को इन सब दोषों से मुक्त रहना चाहिए। उसे क्रोध, लोभ, एव भय आदि विकारों से उन्मुक्त होकर विचरना चाहिए।

हम देखते हैं कि हसी-मजाक के वश भी लोग भूठ बोलते हैं । अतः साधक को उससे भी दूर रहना चाहिए । हंसी-मजाक से एक तो जीवन की गम्भीरता नष्ट होती है । दूसरे में वह लोगों की दृष्टि में छिछला सा व्यक्ति प्रतीत होता है । स्वाध्याय एवं ध्यान का समय भी व्यर्थ ही नष्ट होता है और साथ में असत्य का भी प्रयोग हो जाता है । इसलिए साधक को हंसी मजाक का परित्याग करके सदा आत्म साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

अब द्वितीय महाव्रत का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—एतावता दोच्चे महव्वए सम्मं काएण फासिए जाव
आणाए आराहिए यावि भवइ, दुच्चे भंते ! महव्वए ॥**

**छाया—एतवाता द्वितीय महाव्रतं सम्यक् कायेन स्पर्शित यावत् आज्ञया
आराधित चापि भवति द्वितीय भदन्त महाव्रतम् ।**

पदार्थ—एतावता—इम प्रकार । दोच्चे महव्वए—द्वितीय महाव्रत को । सम्मं सम्यक् प्रकार से । काएण—काया से । फासिए—स्पर्शित कर । जाव—यावत् । आणाए—आज्ञा का । आराहिए—आराधक । भवइ—होता है । भंते !—हे भगवन् ! दोच्चे—दूसरा । महव्वए—महाव्रत स्वीकार करता हू ।

मूलार्थ—इस प्रकार दूसरे महाव्रत को सम्यक् प्रकार से काया से स्पर्शितकर यावत् आज्ञा पूर्वक आराधित करने से हे भदन्त ! यह दूसरा महाव्रत होता है । अर्थात् उक्त महाव्रत को सम्यक्तया अराधना होती है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि द्वितीय महाव्रत का महत्त्व उसके आराधन में है । आगम में दिए गए आदेश के अनुसार काया से उसका आचरण करना ही दूसरे महाव्रत का परिपालन करना है । अतः वचन के वताए गए समस्त दोषों का परित्याग करके दूसरे महाव्रत का पालन करने वाला साधक ही वास्तव में निर्ग्रन्थ एवं आराधक कहलाता है ।

अब सूत्रकार तीसरे महाव्रत के संबंध में कहते हैं—

मूलम्—अहावरं तच्चं भंते ! महव्वयं पचक्खामि सव्वं

यदिन्नादाण, से ग्रामे वा नगरे वा रन्ने वा यप्प वा बहु वा
 यणु वा थूल वा चित्तमत वा अचित्तमत वा नेव सय यदिन्नि
 गिरिहज्जा नेवन्नेहि यदिन्नि गिरहाविज्जा यदिन्नि अन्नपि
 गिरहत्त न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए जात्र वोमिरामि ॥

छाया—अथापर तृतीय भदन्त । महाव्रत प्रत्याख्यामि सयम् अदत्ता
 दान तद् ग्रामे वा नगर वा अरण्य वा अल्प वा बहु वा अणु वा स्थूल वा
 चित्तमद् वा अचित्तमद् वा नैव सय अदत्त गल्लोयात् नैवान्यै अदत्त ग्राहयेत्
 अदत्त अयमपि गल्लत्त न समनुजानामि याउज्जीव यावत् व्युत्सृजामि ।

पण्य—अहावर—अथ अपर । भते—ह भगवन् । तच्च—तृतीय । महत्त्वय—महा-
 व्रत क विषय में । सत्त्व—सब प्रकार के । अदिन्नादान—अदत्तादान का । पच्छवत्तामि—प्रत्या-
 ख्यान करता हूँ । से—वह । ग्रामे वा—ग्राम म । नगरे वा—नगर म अथवा । रन्ने वा—
 अरण्य में । यप्प वा—स्वल्प वा । बहु वा—बहुत वा । अणु वा—सूक्ष्म वा । थूल वा—
 पण्य वा । चित्तमत वा—सचित्त वा । अचित्त मत वा—अचित्त पदाय । एव—निश्चयापक है ।
 यदिन्नि—किसी क दिए धिना । सय—स्वय-अपने प्राप । न गिरिहज्जा—ग्रहण नहीं करूंगा
 तथा । अनेहि—भौरों से । नेवगिरिहज्जा—ग्रहण नहीं कराऊंगा । यदिन्नि—अदत्त को ।
 गिरहत्त—ग्रहण करने वाले । अन्नपि—अन्न व्यक्तित्त का । न समणुजाणिज्जा—अनुमोदन नहीं
 करूंगा । जावज्जीवाए—जीवन पर्यंत । ताव—यामन (रोप पाठ पूर्ववत् जानना) । वोमिरामि
 अदत्तानि से अपने को बचक करता हूँ ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! मैं तृतीय महाव्रत के विषय में
 सर्वप्रकार में अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता हूँ । वह अदत्तादान
 चोरी से ग्रहण किया जाने वाला पदार्थ चाहे ग्राम में नगर में
 अरण्य-अटवी में ही, स्वल्प हो, बहुत ही, स्थूल हो, एव सचित्त अथवा
 अचित्त हो उसे न तो स्वयं ग्रहण करूंगा, न दूसरों से ग्रहण कराऊंगा
 और न ग्रहण करने वाले व्यक्तित्त का अनुमोदन करूंगा, मैं जीवन पर्यंत

के लिए इस महाव्रत को तीन करण और तीन योग से ग्रहण करता हूँ ।
और इस अदत्तादान (चौर्य कर्म) के पाप से मैं अपनी आत्मा को सर्वथा
पृथक करता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में स्तेय (चौर्य कर्म) के त्याग का उल्लेख किया गया है । चोरी
आत्मा को पतन की ओर ले जाती है । इस कार्य को करने वाला व्यक्ति साधना में
सलग्न होकर आत्म शान्ति को नहीं पा सकता । क्योंकि इससे मन सदा अनेक संकल्प
विकल्पों में उलझा रहता है । अतः साधक को कभी भी अदत्त ग्रहण नहीं करना चाहिए
चाहे वह पदार्थ साधारण हो या मूल्यवान हो, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी क्यों न
हो, साधु को बिना आज्ञा के या बिना दिया हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना
चाहिए । वह न स्वयं चोरी करे, न दूसरे व्यक्ति को चोरी करने के लिए कहे और न
चोरी करने वाले का समर्थन ही करे । इस तरह वह सर्वथा इस पाप से निवृत्त होकर
संयम में संलग्न रहे ।

इस महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तस्मिमात्रो पंच भावणात्रो भवन्ति ।

तत्थिमा पढमा भावणा-अणुवीइ मिउग्गहं जाई से निग्गंथे
नो अणुणुवीइमिउग्गहंजाई से निग्गंथे, केवली बूया०—अणुणु—
वीइमिउग्गहंजाई निग्गंथे अदिन्नंगिराहेज्जा, अणुवीईमिउग्गहं-
जाई से निग्गंथे नो अणुणुवीइमिउग्गहजाइत्ति पढमा भावणा

॥१॥

मूलम्—अहावरा दुच्चा भावणा—अणुन्नवियपाणभोयणभोई
से निग्गंथे, नो अणुणुन्नविय पाणभोयणभोई, केवलीबूया०—
अणुणुन्नवियपाणभोयणभोई से निग्गंथे अदिन्नं भुंजिज्जा,

तम्हा अणुन्नवियपाण भोयणभोई से निग्ग थे नो अणुणुन्न
वियपाणभोयणभोई त्ति दुच्चा भावणा ॥२॥

अहावरा तच्चा भावणा निग्गथेण उग्गहसि उग्गहियसि
एतावताव उग्गहणसीलए सिया, केवली वूया० निग्गथेण उग्ग-
हसि अणुग्गहियसि एतावताव अणुग्गहणसीले अदिन्न योगि
सिहज्जा, निग्ग थेण उग्गह उग्गहियसि एतावताव उग्गहण
सीलए त्ति तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा निग्गथेण उग्गहसि उग्गहियसि
अभिकखण २ उग्गहणसीलए सिया, केवली वूया०—निग्गथेण
उग्गहसि उ अभिकखण २ अणुग्गहणसीले अदिन्न गिरिह-
ज्जा, निग्गथे उग्गहसि उग्गहियसि अभिकखण २ उग्गहण-
सीलए त्ति चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पचमा भावणा—अणुवीड मिउग्गहजाई से निग्गथे
साहम्मिएसु, नो अणुणुणीईमिउग्गहजाई, केवली वूया०
अणुणुवीड मिउग्गहजाई से निग्गथे साहम्मिएसु अदिन्न
उगिरिहज्जा अणुवीड मिउग्गहजाई से निग्गथे साहम्मिएसु नो
अणुणुणीडमिउग्गह जाई इड पचमा भावणा ॥५॥

छाया— तस्येमा पच भावना भवति—

तत्र इयं प्रथमा भावना-अनुविचिन्त्य मितावग्रहंयाची स निर्ग्रन्थः न अननुविचिन्त्यमितावग्रहंयाची स निर्ग्रन्थः केवली ब्रूयात् अननुविचिन्त्य-मितावग्रहंयाची निर्ग्रन्थः अदत्तं गृह्णीयात् अनुविचिन्त्य मितावग्रहयाची स निर्ग्रन्थः नो अननुविचिन्त्य मितावग्रहयाचीति प्रथमा भावना ।

अथापरा द्वितीया भावना-अनुज्ञाप्य पानभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः नो अननुज्ञाप्यपानभोजनभोजी । केवली ब्रूयात्-अननुज्ञाप्यपानभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः अदत्तं भुञ्जीत, तस्मात् अनुज्ञाप्य पानभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः न अननुज्ञाप्य पानभोजनभोजीति द्वितीया भावना ।

अथापरा तृतीया भावना-निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अवगृहीते एतावता अवग्रहणशीलः स्यात्, केवली ब्रूयात् निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अनवगृहीते एतावता अनवग्रहणशीलः अदत्तं वगृह्णीयात्, निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अवगृहीते एतावता अवग्रहणशीलक इति तृतीयाभावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना-निर्ग्रन्थेन अवग्रहे अवगृहीते अभीक्षणं २ अवग्रहणशीलकः स्यात् केवली ब्रूयात् निर्ग्रन्थेन अवग्रहे तु अभीक्षणं २ अनवग्रहणशीलः अदत्तं गृह्णीयात्, निर्ग्रन्थः अवग्रहे अवगृहीते अभीक्षणं २ अवग्रहणशीलक इति चतुर्थी भावना ।

अथापरा पचमी भावना अनुविचिन्त्य मितावग्रहयाची स निर्ग्रन्थः साधमिकेषु नो अननुविचिन्त्य मितावग्रह याची, केवली ब्रूयात् अननुविचिन्त्य मितावग्रहं याची सः निर्ग्रन्थः साधमिकेषु अदत्तम् अवगृह्णीयात्, अनुविचिन्त्य मितावग्रहयाची स निर्ग्रन्थः साधमिकेषु नो अननुविचिन्त्य मितावग्रह याची ति पंचमी भावना ।

पदार्थ—तस्मिन्मात्रो—इस तीसरे महाव्रत की ये । पच—पाच । नावणाग्रो—भावनाये । भवति—हैं ।

तत्स्थिमा—उन पंच भावनाग्रो में से यह । पदमा—प्रथम । भावणा—भावना है ।

अणुबीड—जो विचार कर । मिउगह—मित प्रमाण पुस्तक भवग्रह की । जाई—याचना करता है । से निगये—वह निग्रय है । नो अणुबीड—जो बिना विचारे । मिउगह—मितावग्रह की । जाई—याचना करने वाला नही हाता है । म निगये—वह निग्रय । क्वली ब्या०—केवली भगवान कहते हैं । अणुबीड—बिना विचारे । मिउगह—मित प्रवग्रह की । जाई—याचना करने वाला । निगये—निग्रय । अदिन—अदत्तादान का । गिण्डेजा—ग्रहण करता है, अत जो । अणुबीड—विचार कर । मिउगहजाई—मित प्रवग्रह की याचना करता है । से निगये—वह निग्रय होता है । नो अणुबीड मिउगहजाई—न कि बिना विचारे मितावग्रह की याचना करने वाला भी । त्त—इस प्रकार । पडमानावना—यह प्रथम भावना कही गई है ।

अहावरा बुच्छा भावणा—प्रथम अंतर द्वितीय भावना को कहत हैं । अणु नविय—गुरु आदि की आना ले कर । पाण नोयण भोई—जो आहार पानी करता है । से निगये—वह निग्रय है । नो अणु नविय पाण नोयण भोई—न कि गुरुजनों की आना क बिना आहार पानी करने वाला । केवली ब्या—केवली भगवान कहते हैं । अणु नविय—गुरुजनों का आज्ञा प्राप्त किय बिना जो । पाण भोयण भोई—आहार पानी करता है । से निगये—वह निग्रय । अदिन—अदत्तादान का । भुजिउजा—भगने वाला होता है । तग्हा—इस लिए । अणु नविय—गुरुजनों की आज्ञा ले कर जो । पाण भोयण भोई—आहार पानी करता है । से निगये—वह निग्रय है । नो अणु नविय पाण भोयण भोई—न कि बिना आना क आहार पानी करने वाला । त्त—इस प्रकार । बुच्छा भावणा—यह दूसरी भावना कही गई है ।

अहावरा तच्छा भावणा—प्रथम तीसरी भावना को कहत हैं । निगये—निग्रय साधु । उगहसि प्रवग्रह मागन पर । उगहसि—प्रमाण पूर्वक दोष औरवाल प्रमाण प्रवग्रहण की । एतावता—इस प्रकार । उगहसिलसिया—प्रमाण पूर्वक प्रवग्रह क ग्रहण करने के स्वभाव वाला हो । केवली ब्या०—केवली भगवान कहते हैं । निगये—निग्रय । उगहसि—प्रवग्रह क । अणुगहसि—प्रमाण पूर्वक ग्रहण न करन म । एतावता—इस प्रकार । अणुगहसिलसिले—आना न लेने के स्वभाव वाला होन से । अदिन—अदत्त का । अणुगिण्डेजा—ग्रहण करता है अर्थात् अदत्तादान का सेवन करने वाला होता है । निगये—निग्रय साधु । उगह—प्रवग्रह क । उगहसि—प्रमाण पूर्वक ग्रहण करने पर । एतावता—इस प्रकार । उगहसिलसि—प्रवग्रहण सील होता है इस प्रकार यह । तच्छा भावणा—तीसरी भावना कथन की गई है ।

अहावरा अउथा भावणा—प्रथम चौथी भावना का कहते हैं । निगये—निग्रय । उगहसि—प्रवग्रह क । उगहसि—नन कर । अदिन २—बार बार । उगहसिलसिया—प्रवग्रहण सील म अर्थात् पत्थी का बार बार धामा लेने क स्वभाव वाला हो यथाकि ।

केवली व्र्या—केवली भगवान कहते हैं । निग्रन्थेणं—निग्रन्थ-साधु । उग्गहसि—अवग्रह के । उग्गहियंसि—ग्रहण कर लेने पर । अन्नियत्तणं—द्वार द्वार । अणुग्गहसीले—आज्ञा न लेने वाला । अदिन्न गिण्हिज्जा—अदत्त का ग्रहण करता है अतः । निग्रन्थे—निग्रन्थ । उग्गहसि—अवग्रह की । उग्गहियंसि—याचना करे किन्तु । अन्नियत्तणं २—द्वार द्वार । उग्गहणसीलेत्ति—अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो इस प्रकार । चउत्था भावणा—यह चौथी भावना कही गई है ।

प्रहावरा पचमा भावणा—प्रथम पांचवी भावना को कहते हैं । से निग्रन्थे—वह निग्रन्थ । साहम्मिएसु—साधर्मियों में । अणुवीड—विचार कर । मिउग्गहजाई—मितावग्रह की याचना करे । नो अणुवीड—न कि बिना विचारे । मिउग्गहं—मित-प्रमाण पूर्वक अवग्रह की । जाई—याचना करे । केवली व्र्या०—केवली भगवान कहते हैं । अणुवीड—बिना विचार । मिउग्गहजाई—मितावग्रह की याचना करने वाला । से निग्रन्थे—वह निग्रन्थ । साहम्मिएसु—साधर्मियों में । अदिन्नं—अदत्त का । उग्गिण्हिज्जा—ग्रहण करता है अतः । अणुवीड मिउग्गह जाई—विचार कर मितावग्रह की जो याचना करता है । से निग्रन्थे—वह निग्रन्थ है । साहम्मिएसु—साधर्मियों में । नो अणुवीड—विचार न करके । मिउग्गह जाती—मितावग्रह की याचना करने वाला निग्रन्थ नहीं होता । इइ—इस प्रकार यह । पचमा भावणा—पाचवी भावना कही गई है ।

मूलार्थ—इस तोमरे महाव्रत की ये पाच भावनाएँ हैं—

उन पांच भावनाओं में से प्रथम भावना यह है—जो विचार कर मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला है, वह निग्रन्थ है, न कि बिना विचार किए मितावग्रह की याचना करने वाला । केवली भगवान कहते हैं कि बिना विचार किये अवग्रह की याचना करने वाला निग्रन्थ अदत्त को ग्रहण करता है । इसलिए निग्रन्थ को विचार पूर्वक ही अवग्रह की याचना करनी चाहिए ।

अब दूसरी भावना को कहते हैं—गुरु जनो की आज्ञा लेकर आहार पानी करने वाला निग्रन्थ होता है, न कि बिना आज्ञा के आहार-पान करने वाला । केवली भगवान् कहते हैं कि जो निग्रन्थ गुरु आदि की आज्ञा प्राप्त किये बिना आहार-पानी आदि करता है वह अदत्तादान का भोगने वाला होता है । इसलिए आज्ञा पूर्वक, आहार-पानी करने वाला ही निग्रन्थ होता है ।

अथ तृतीय भावना का स्वरूप कहते हैं—निग्रन्थ साधु क्षेत्र और काल के प्रमाण पूर्वक अवग्रह का याचना करने वाला होता है । केवली भगवान कहते हैं कि जो साधु मर्यादा पूर्वक अवग्रह की याचना करने वाला नहीं होता वह अदत्तादान को सेवन करने वाला होता है, अतः प्रमाण पूर्वक अवग्रह का ग्रहण करना यह तीसरी भावना है ।

अथ चौथी भावना को कहते हैं—निग्रन्थ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो । केवली भगवान कहते हैं कि निग्रन्थ वार २ अवग्रह के ग्रहण करने वाला हो यदि वह ऐसा न होगा तो उसको अदत्तादान का दोष लगगा । अतः जो वार २ मर्यादा पूर्वक अवग्रह को याचना करने वाला होता है, वही इस व्रत की आराधना करने वाला होता है ।

पाचवी भावना यह है कि जो साधु साधमिको से भी विचार पूर्वक मर्यादा पूर्वक अवग्रह को याचना करता है वह निग्रन्थ है, न कि बिना विचार के आज्ञा लेने वाला । केवली भगवान कहते हैं कि साधमिको से भी विचार कर मर्यादा पूर्वक आज्ञा लेने वाला निग्रन्थ ही तृतीय महाव्रत की आराधना कर सकता है । यदि वह उनसे विचार पूर्वक आज्ञा नहीं लेता है तो उसे अदत्तादान का दोष लगता है । इसलिए मुनि का सदा विचार पूर्वक ही आज्ञा लेनी चाहिए ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में तृतीय महाव्रत की ५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है । पहले और दूसरे महाव्रत की तरह तीसरे महाव्रत की भी पाच भावनाएँ होती हैं— १ साधु किसी भी आवश्यक एवं कल्पनीय वस्तु को बिना आज्ञा ग्रहण न करे । २ प्रत्येक वस्तु के ग्रहण करने को जाने के पूर्व गुरु की आज्ञा ग्रहण करना । ३ क्षेत्र और काल की मर्यादा को ध्यान में रख कर वस्तु ग्रहण करने जाना । ४ बार बार आज्ञा ग्रहण करना और ५ साधमिक साधु की कोई वस्तु ग्रहण करनी हो तो उसकी (साधमिक की) आज्ञा लेना । इस तरह साधु को बिना आज्ञा के कोई भी पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए ।

इससे स्पष्ट होता है कि साधु अपनी आवश्यकता के अनुसार कल्पनीय वस्तु की याचना कर सकता है। परन्तु, इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने गुरु या साथ के बड़े साधु की आज्ञा लेकर ही उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए जाए। इसी तरह वस्तु ग्रहण करने को जाते समय क्षेत्र एवं काल का भी अवश्य ध्यान रखे। आहार, पानी, वस्त्र-पात्र आदि को ग्रहण करने के लिए अर्ध योजन से ऊपर न जाए। इस तरह जिस समय घरों में आहार पानी का समय न हो, उस समय आहार पानी के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त साधु का जितनी बार वस्तु को ग्रहण करने के लिए जाना हो उतनी ही बार गुरु की आज्ञा लेकर जाना चाहिए और किसी अपने साथी मुनि की वस्तु ग्रहण करनी हो तो उसके लिए उसकी आज्ञा ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह जो विवेक पूर्वक वस्तु को ग्रहण करता है, वह निर्ग्रन्थ कहलाता है। इसके विपरीत आचरण को अदत्तादान कहा गया है। अतः मुनि को सदा विवेक पूर्वक सोच विचार कर ही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। बिना आज्ञा के उसे कभी भी कोई पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए।

अब तृतीय महाव्रत का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—एतावयाव तच्चेमहव्वए सम्मं० जाव आणाए आरा-
हिए यावि भवइ, तच्चं भंते महव्वयं !**

**छाया—एतावता तृतीयं महाव्रते सम्यक् यावत् आज्ञया आराधित
चापि भवति तृतीयं भदन्त ! महाव्रतम् ।**

पदार्थ—एतावया—इस प्रकार । तच्चे—तीसरे । महव्वए—महाव्रत का । सम्मं—सम्यक्तया । जाव—यावत् । आणाए—आज्ञापूर्वक । आराहिए यावि भवइ—आराधन किया जाता है । भंते—हे भगवन् ! में । तच्च—तृतीय । महव्वयं—महाव्रत के विषय में सर्व प्रकार से अदत्तादान से निवृत्त होता हूँ ।

मूलार्थ—इस प्रकार साधु सम्यग् रूप से तीसरे महाव्रत का आराधन किया करे । शिष्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं जीवन पर्यन्त के लिए अदत्तादान से निवृत्त होता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में यही बताया गया है कि इस तरह विवेक पूर्वक आचरण करके ही साधक तीसरे महाव्रत का परिपालन कर सकता है ।

अथ चतुर्थ महाव्रत का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—अथावर चउत्थ महव्रय पञ्चकस्मि सव्य मेहुण,
से दिव्य वा माणुस्म वा तिरिक्ख जोणिय वा नेव सय मेहुण
गच्छेज्जा त चेव अदिन्नादाणप्रत्तव्वया भाणियव्वा जाव
वोसिरामि ।

छाया—अथापर चतुर्थ महाव्रत प्रत्याख्यामि मयं मैथुन तद् दिव्य वा
मानुष्य वा तिर्यग्योनिक वा नैव स्वय मैथुन गच्छन् तच्चैवम् अदत्तादान
वक्तव्यता भणितव्या यावत् व्युत्सृजामि ।

पदार्थ—महावर—प्रथम प्राय । चउत्थ—चतुर्थ । महव्रय—महाव्रत म । सव्य
मेहुण—सर्वप्रकार के मयन का—विषय सेवन का । पञ्चकस्मि—प्रत्याख्यान करता हू ।
से—वह । दिव्य वा—देव सम्बन्धि । माणुस्म—मनुष्य सम्बन्धि । तिरिक्खजोणिय वा—तिर्यच
सम्बन्धि । मेहुण—मयन को । नेव—न । सय—स्वय प्रपने प्राय । गच्छेज्जा—सेवन करूंगा ।
त चेव प्राय सब । अदिन्नादाण वस्तव्वया—अदत्तादान विषयक प्रकरण में जसा कहा है उसी
प्रकार । भाणियव्वा—यहा मयुन के सम्बन्ध में भी जान लेनी चाहिए । जाव—यावत । वोति-
रामि—प्रपने आत्मा को मयन धम से पथक करता हू ।

मूलार्थ—अथ चतुर्थ महाव्रत के विषय में कहते हैं—हे भगवन् ! मैं
देव मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी सर्वप्रकार के मैथुन का तीन वरण और
तीन योग से प्रत्याख्यान करता हू, शेष वर्णन अदत्तदान के समान जानना
चाहिए । साधक गुरु के सामने यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं मैथुन से अपनी
आत्मा को सवथा पथक् करता हू ,

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में बखान किया गया है । भोग की प्रवृत्ति
से मोह कम को उत्तेजना मिलती है । इससे आत्मा कम बल से आवद्ध होता है और
संसार में परिभ्रमण करता है । अतः साधु को अब्रह्मचर्य-विषय भोग से सवथा निवृत्त
होना चाहिए । मैथुन कम का सवथा परित्याग करने वाला व्यक्ति ही निर्मथ कहला

सकता है । क्योंकि इसका त्याग करके वह मोह कर्म की गाठ से छूटने का, मुक्त होने का प्रयत्न करता है । इसलिए साधक न तो स्वयं विषय-भोग का सेवन करे, न दूसरे व्यक्ति को विषय-वासना की ओर प्रवृत्त करे और न उस ओर प्रवृत्त व्यक्ति का समर्थन ही करे । इस तरह साधु प्रतिज्ञा करता है कि भगवान् मैं गुरु एव आत्म साक्षी से उसका त्याग-प्रत्याख्यान करता हूँ एवं उनकी निन्दा एवं गर्हणा करता हूँ ।

अब चौथे महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—तस्मेमात्रो पंच भावणात्रो भवन्ति ।

तत्थिमा पठमा भावणा-नो निग्गंथे अभिक्खणां २
इत्थीणां क्हं कहित्तए सिया, केवली बूया०, निग्गंथेणां अभि-
क्खणां २ इत्थीणां क्हं कहेमाणो संतिभेया संतिविभंगा संति—
केवलापन्नतात्रो धम्मात्रो भंसिज्जा, नो निग्गंथेणां अभिक्खणां—
२ इत्थीणां क्हं कहित्तए सियत्ति पठमा भावणां ॥१॥

अहावरा दुच्चा भावणा-नो निग्गंथे इत्थीणां मणोहराइं २
इंदियाइं आलोइत्तए निज्झाइत्तए सिया, केवली बूया-निग्गंथे
णां इत्थीणां मणोहराइं २ इंदियाइं आलोएमाणो निज्झाएमाणो
संतिभेया संतिविभंगा, जाव धम्मात्रो भंसिज्जा, नो निग्गंथे
इत्थीणां मणोहराइं २ इंदियाइं आलोइत्तए निज्झाइत्तए सियत्ति
दुच्चा भावणा ॥२॥

अहावरा तच्चा भावणा-नो निग्गंथे इत्थीणां पुव्वर-
याइं पुव्वकीलियाइं सुमरित्तए सिया, केवली बूया०-निग्गंथे णां

इत्थीण पुव्वरयाइ पुव्वकीलियाइ सरमाणे सत्तिभेया जाव
भसिज्जा, नो निग्ग ये इत्थीण पुव्वरयाइ पुव्वकीलियाइ सरित्तए
सियत्ति तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा नाइमत्तपाणभोयणभोई से
निग्ग थे न पणीयरसभोयणभोइ से निग्गय, केवली वूया०
अइमत्तपाणभोयणभोई से निग्ग थे, पणियरसभोयणभोई सत्ति-
भेया जाव भसिज्जा, नाइमत्तपाणभोयणभोई से निग्गथे नो
पणीयरसभोयणभोइत्ति चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पचमा भावणा नो निग्गथे इत्थीपसुपडगसस-
त्ताइ मयणासणाइ सेवित्तए सिया, केवली वूया—निग्ग थे
ण इत्थीपसुपडगससत्ताइ सयणासणाइ सेवेमाणे सत्तिभेया जाव
भसिज्जा० नो निग्गथे इत्थीपसुपडगससत्ताइ सयणासणाइ
सेवित्तए सियत्ति पचमा भावणा ॥५॥

एतावथा चउत्थे महव्वए सम्म कायेण फासिए जाव
आराहिए यावि भइइ चउत्थ भते! महव्वय ।

छाया— तस्येमा पच भावना भवन्ति—

तत्र य प्रथमा भावना—नो निर्गन्थ, अभीक्ष्ण २ स्त्रीणां कथा रुचयिता

स्याद्, केवली ब्रूयात् निर्ग्रन्थः अभीक्षणं २ स्त्रीणां कथां कथयन् शान्ति-
भेदाः शान्तिविभगाः शान्तिकेवलिप्रज्ञप्त्वाद्धर्माद् अश्येत् नो निर्ग्रन्थः
अभीक्षणं स्त्रीणां कथां कथयिता स्यादिति प्रथमा भावना ।

अथापरा द्वितीया भावना-नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां मनोहराणि २ इन्द्रियाण्य
आलोकयिता निर्ध्याता स्यात् केवली ब्रूयात्-निर्ग्रन्थः स्त्रीणां मनोहराणि २
इन्द्रियाणि आलोकयन् निर्ध्यायन् शान्तिभेदाः शान्तिविभगा यावत् धर्माद्
अश्येत् नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां मनोहराणि २ इन्द्रियाणि आलोकयिता, निर्ध्याता
स्यादिति द्वितीया भावना ।

अथापरा तृतीया भावना-नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्वैरतानि पूर्वकीडितानि
स्मरन् स्यात्, केवली ब्रूयात् निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्वैरतानि पूर्वकीडितानि
स्मरन् शान्तिभेदा यावत् अश्येत्, नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्वैरतानि पूर्व-
कीडितानि स्मर्ता स्यात् इति तृतीया भावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना—नातिमात्रपानभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः न
प्रणीतरसभोजनभोजी स निर्ग्रन्थः केवली ब्रूयाद् अतिमात्रपानभोजनभोजी
सः निर्ग्रन्थः प्रणीतरसभोजनभोजी शान्तिभेदा यावत् अश्येत्, नातिमात्रपान-
भोजनभोजी स निर्ग्रन्थः नो प्रणीतरसभोजनभोजीनि चतुर्थी भावना ।

अथापरा पचमी भावना-नो निर्ग्रन्थः स्त्रीपशुपण्डकससक्तानि शयना-
सनानि सेविता स्यात् केवली ब्रूयात् आदानगेतत् निर्ग्रन्थः स्त्रीपशुपण्डक-
ससक्तानि शयनासनानि सेवमानः शान्तिभेदाः यावत् अश्येत् नो
निर्ग्रन्थः स्त्रीपशुपण्डकससक्तानि शयनासनानि सेविता स्यादिति पचमा
भावना ।

एतावता चतुर्थं महाव्रतं सम्यक् कायेन स्पर्शितं यावत् आराधितं चापि
भवति चतुर्थं भदन्त महाव्रतम् ।

पदार्थ—तस्स—उम महाव्रत की । इमाद्यो—ये । पच—पाच । भावनाद्यो—भावनायें । भवन्ति—होती हैं ।

तद्विधमा—उन पाच भावनाओं में से यह । पठना—प्रथम । ज्ञायणा—भावना कही गई है । निगमथ—निग्रय साधु । अग्निवर्षण—बार-बार । इत्थीण—स्त्रियों की । कह—कथा । कर्हिण्ण—करने वाला । नो सिया—न हो अर्थात् बार २ स्त्रियों की कामोपादक कथा न करे, क्योंकि । केवली भूयां—केवली भगवान् कहते हैं । ण—वाक्यालंकारायक है । निगमथे—निग्रय साधु । अग्निवर्षण—बार २ । इत्थीण—स्त्रियों की । कह—कथा । कर्हमाणे—करता हुआ । सति भेया—शांति चारित्र्य समाधि का भेद करता है तथा । सति विभगा—शांति-वृद्ध चण का भग्न करता है । सति केवलि प नताओ—शांतिरूप केवली भगवान् के प्रतिपादन किए हुए । अग्निवर्षण—धम में । अग्निवर्षण भ्रष्ट हो जाता है । ण—वाक्यालंकारायक है अतः । निगमथे—निग्रय साधु । अग्निवर्षण २—पुनः पुनः । इत्थीण—स्त्रियों की । कठु—कथा को । कर्हिण्ण—करने वाला । नो सिए—न हो । ति—इस प्रकार । पठना भावना—यह प्रथम भावना कही गई है ।

अहावरा—प्रथम अक्षर । दुक्खा भावना—दूसरी भावना को कहते हैं । निगमथ—निग्रय-साधु । इत्थीण—स्त्रियों की । मणोहराड् २—मनोहर तथा मनोरम । इदियाड्—इन्द्रियों को । आलोइत्तए—काम दृष्टि से अवलोकन तथा । निज्झाइत्तए—ध्यान या स्मरण करने वाला । नो सिया—न हो । केवली भूयां—केवली भगवान् कहते हैं । ण—वाक्यालंकार में है । निगमथे—जो निग्रय । इत्थीण—स्त्रियों की । मणोहराड् २—मनोहर तथा मनोरम । इदियाड्—इन्द्रियों को । आलोइत्तए—देखता हुआ । निज्झाएमाणे—आसक्ति पूर्वक देखता हुआ विचरता है वह । सति भेया—शांति रूप चारित्र्य का भेदन करता है और । सति विभगा—शांति रूप वृद्धचय का भग्न करता हुआ । जाव—यावत् । अग्निवर्षण—केवलि प्रणत धम में भी । अग्निवर्षण भ्रष्ट हो जाता है अतः । निगमथे—निग्रय-साधु । इत्थीण—स्त्रियों की । मणोहराड् २—मनोहर तथा मनोरम मन को लुभाने वाली । इदियाड्—इन्द्रियों की । आलोइत्तए—अवलोकन करने । निज्झाइत्तए—विशेष रूप से देखने या ध्यान करने की वृत्ति वाला । नो सिया—न बन । ति—इस प्रकार । दुक्खा भावना—यह दूसरी भावना कही गई है ।

अहावरा—अथ द्वितीय भावना से आगम्य । तच्छा भावना—तीसरी भावना को कहते हैं । निगमथे—निग्रय-साधु । इत्थीण—स्त्रियों की । पुग्घरयाड्—पुत्र रति को । पुग्घरयाड्—तथा पूर्व कीटा का । सुमरित्तए—स्मरण करने वाला । नो सिया—न हो, कथा वि । केवली भूयां—केवली भगवान् कहते हैं । ण—प्राग्वत् । निगमथे—निग्रय । इत्थीण—स्त्रियों की । पुग्घरयाड्—पुत्र रति का । पुग्घरयाड्—पुत्र कीटा का । सत्तए—स्मरण करता हुआ । सति भेया—शांति का भेद । जाव—यावत् । अग्निवर्षण—केवली भावित धम में

अष्ट हो जाता है अतः । निर्गन्धे — निर्ग्रन्थ-साधु । इत्योणं — इत्यो हो । पुष्वरसाई — पूर्व रति शीर । पुष्वशीनिवाः — पूर्व भोज का । सवित्तए — स्मरण करने वाला । नो सियत्ति — न बने इस प्रकार यह । मन्त्रानावणा — चतुर्थ महाव्रत की नीमरी भावना कही गई है ।

ग्रहावरा — पञ्च घण्ट । चउत्था भावणा — चौथी भावना को कहते हैं । नाइमत्त पाणभोयणनोई — जो साधु माया-प्रमाण ने अधिक आहार पानी नहीं करना है । से निर्गन्धे — वह निर्ग्रन्थ है । न पणीयरसभोयणनोई — जो प्रणीत रस-प्रकाम भोजन का उपभोग करने वाला नहीं है, पर्याप्त मरन आहार नहीं करता है । से निर्गन्धे — वह निर्ग्रन्थ है — साधु है । केवली घूवा — केवली भगवान कहते हैं, कि यह कर्म बन्धन का हेतु है । अइमत्तपाणभोयण नोई — प्रमाण से अधिक आहार पानी करने वाला । से निर्गन्धे — वह निर्ग्रन्थ — साधु है । पणीयरस भोयणनोई — प्रणीत रस युक्त भोजन करने वाला । संति भेया — शान्ति रूप ब्रह्मचर्य व्रत का विपातक । जाव — यावत् । भंतिज्जा — धर्म में अष्ट हो जाता है अतः । नाइमत्तपाणभोयण नोई — जो प्रमाण से अधिक आहार-पानी करने वाला नहीं है । से — वह । निर्गन्धे — निर्ग्रन्थ है । नो पणीयरसभोयणनोई — जो प्रणीत रस युक्त भोजन की भोगने वाला भी नहीं है । से — वह । निर्गन्धे — निर्ग्रन्थ है । त्ति — इस प्रकार । चउत्था भावणा — यह चौथी भावना का स्वरूप कहा गया है ।

ग्रहावरा पंचमा भावणा — अब पाचवी भावना को कहते हैं । निर्गन्धे — निर्ग्रन्थ-साधु । इत्यो — स्त्री । पसु — पशु । पण्डग — पंडक-नपुंसक आदि से । संसत्ताइ — संसक्त-संयुक्त सयणासणाइ — शय्या आसनादि युक्त । सेवित्तए — मेहन करने वाला । नो सिया — न हो । केवली० — केवली भगवान कहते हैं कि । इत्यपसुपण्डगसंसत्ताइ — स्त्री पशु और नपुंसक आदि में युक्त । सयणामणाइ — शय्या-उपाश्रय आसनादि का । सेवेभाणे — सेवन करने वाला । निर्गन्धे — निर्ग्रन्थ । संति भेया — शान्ति का भेदक अर्थात् ब्रह्मचर्य का भग करने वाला । जाव — यावत् धर्म में । भंतिज्जा — अष्ट हो जाता है इस लिए । निर्गन्धे — निर्ग्रन्थ । इत्यपसुपण्डग संसत्ताइ — स्त्री पशु और नपुंसक आदि से युक्त । सयणासणाइ — उपाश्रय और आसनादि को । सेवित्तए — मेहन करने वाला । नो सिया — न हो । त्ति — इस प्रकार यह । पंचमा — पाचवी । भावणा — भावना कही गई है ।

एतावया — इस प्रकार । चउत्थे महव्वए — चतुर्थ महाव्रत को । काएण — काया से । फासिए — स्पर्शित करता हुआ । जाव — यावत् । आराहिए यावि भवइ — आराधित होता है । भते ! — हे भगवन् ! चउत्थे — चतुर्थ । महव्वए — महाव्रत को मैं स्वीकार करता हूँ ।

मूलार्थ — चतुर्थ महाव्रत की ये पांच भावनाएँ हैं—

उन पाच भावनाओं में से प्रथम भावना इस प्रकार है—निग्रन्थ साधु बार-बार स्त्रियों की काम जनक कथा न बहे । केवली भगवान कहते हैं कि बार २ स्त्रियों की कथा कहने वाला साधु शांति रूप चारित्र और ब्रह्मचर्य का भग करने वाला होता है तथा शान्ति रूप केवलि प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । अतः साधु को स्त्रियों की बार २ कथा नहीं करनी चाहिए यह प्रथम भावना है ।

अब चतुथ महाव्रत की दूसरी भावना कहते हैं—निग्रन्थ साधु काम-राग से स्त्रियों की मनोहर-तथा मनोरम इन्द्रिया को सामान्य अथवा विशेष रूप से न देखे । केवली भगवान कहते हैं—जो निग्रन्थ—साधु स्त्रियों की मनोहर-मनको लुभाने वाली इन्द्रियों को आसक्ति पूर्वक देखता है वह चारित्र और ब्रह्मचय का भग करता हुआ सर्वज्ञ प्रणीत धर्म से भी भ्रष्ट हो जाता है । अतः निग्रन्थ साधु को स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों को काम दृष्टि से कदापि नहीं देखना चाहिए । यह दूसरी भावना का स्वरूप है ।

अब तीसरी भावना का स्वरूप कहते हैं—निग्रन्थ-साधु स्त्रियों के साथ की हुई पूर्व रति और क्रीडा काम से स्मरण न करे । केवली भगवान कहते हैं जो निग्रन्थ साधु स्त्रियों के साथ की गई पूर्व रति और क्रीडा आदि का स्मरण करता है वह शांतिरूप चारित्र का भेद करता हुआ यावत् सर्वज्ञ प्रणीत धर्म से भी भ्रष्ट हो जाता है । इसलिए सयमशील मुनि को पूर्व रति और क्रीडा आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए । यह तीसरी भावना का स्वरूप है ।

अब चतुथ भावना का स्वरूप वर्णन करते हैं—वह निग्रन्थ प्रमाण से अधिक आहार पानी तथा प्रणीत रस प्रकाम भाजन न करे । क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि इस प्रकार के आहार-पानी एवं प्रणीत रस

प्रकाम भोजन के भोगने से निर्ग्रन्थ चारित्र्य का विघातक और धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निर्ग्रन्थ को अति मात्रा में आहार पानी और सरस आहार नहीं करना चाहिए।

पाँचवीं भावना का स्वरूप इस प्रकार है-निर्ग्रन्थ-साधु स्त्री, पशु और नपुंसक आदि से युक्त शय्या और आसन आदि का सेवन न करे, केवली भगवान कहते हैं कि ऐसा करने से वह ब्रह्मचर्य का विघातक होता है और केवली भाषित धर्म से पतित हो जाता है। इसलिए निर्ग्रन्थ स्त्री, पशु पंडक आदि से ससक्त-गयनासनादि का सेवन न करे। यह पाचवीं भावना कही गई है।

इस तरह सम्यक्त्व काया से स्पर्श करने से सर्वथा मेषुन से निवृत्ति रूप चतुर्थ महाव्रत का आराधन एवं पालन होता है।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में चतुर्थ महाव्रत की ५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है— १ स्त्रियों की काम विषयक कथा नहीं करना, २ विकार दृष्टि से स्त्रियों के अंग-प्रत्यंगों को अवलोकन नहीं करना, ३ पूर्व में भोगे हुए विषय-भोगों का स्मरण नहीं करना, ४ प्रमाण से अधिक तथा सरस आहार का आसेवन नहीं करना और ५ स्त्री, पशु एवं नपुंसक से युक्त स्थान में रात को नहीं रहना।

स्त्रियों की काम विषयक कथा करने से मन में विकार भाव की जागृति होना संभव है और उससे उसका मन एवं विचार साधना से विपरीत मार्ग की ओर भटक सकता है। और परिणाम स्वरूप वह साधक कभी कायिक रूप पे भी चारित्र्य से गिर सकता है। इसलिए साधक को कभी काम विकार से संबद्ध स्त्रियों की कथा नहीं करनी चाहिए।

स्त्रियों के रूप एवं शृङ्गार का अवलोकन करने की भावना से उनके अंगों को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि, मन में रही हुई आसक्ति से काम-वासना के उद्भित होने का खतरा बना रहता है। अतः साधक को कभी भी अपनी दृष्टि को विकृत नहीं होने देना चाहिए और उसे आसक्त भाव से किसी स्त्री के अंग-प्रत्यंगों का अवलोकन नहीं करना चाहिए।

साधु को पूर्व में भोगे गण भोगों का भी चि तन मनन नहीं करना चाहिए । क्योंकि, इससे मन की परिणति भ विरुद्धि आती है और उससे उपशांत विकारों को जागृत होने का अवसर भी मिल सकता है । इसी तरह साधक को शृङ्गार रम से युक्त या वामना को उहीप्त करने वाले उपन्यास, नाटक आदि का भी अध्ययन, श्रवण एवं मनन नहीं करना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए साधु को सदा प्रमाण से अधिक एवं सरस तथा प्रसन्न भोजन भी नहीं करना चाहिए । क्योंकि प्रतिदिन अधिक आहार करने से तथा प्रसन्न आहार करने से शरीर में आलस्य की वृद्धि होगी आराम करने की भावना जागेगी, स्वाध्याय एवं ध्यान से मन हटेगा । इससे उसकी भावना में विरुद्धि भी आ जायेगी । अतः इन दोषों से बचने के लिए उसे सदा सरस आहार नहीं करना चाहिए तथा प्रमाण से भी अधिक भोजन नहीं करना चाहिए । साद एवं प्रमाण युक्त भोजन से वह ब्रह्मचर्य का भी ठीक २ परिपालन कर सकेगा और साथ में प्राय विमारियों से भी बचा रहेगा और आलस्य भी कम आएगा जिससे वह निर्वाण रूप से स्वाध्याय एवं ध्यान आदि साधना में सलग्न रह सकेगा ।

यह उत्सर्ग सूत्र है और ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ही सरस आहार का नियेध किया गया है । अपवात् मार्ग में अर्थात् साधना के मार्ग में कभी आवश्यकता होने पर साधु सरस आहार स्वीकार भी कर सकता है । जैसे अरिष्ट नेमिनाथ के ६ शिष्यों ने महाराणी देवकी के घर से सिद्ध केमरी मोदक ग्रहण किए थे । काली आदि महाराणियों ने अपने तप की प्रथम परिपाटी में पारण में सभी तरह की विषय (दूध, दही आदि) ग्रहण की थीं । भगवान् महाबोर ने एक महीने की तपस्या के पारण के दिन सरस आहार ग्रहण किया था । और आशावना के त्रिपय ना वर्णन करते हुए आगम में बताया गया है कि यदि शिष्य गुरु के साथ आहार करने बैठे तो वह सरस आहार को शीघ्रता से न खाए । और छेद सूत्रों में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि साधु मैथुन सेवन की दृष्टि से घी, दूध आदि विषय का सेवन करता है तो उसे प्रायश्चित्त, आता है ।

ॐ अन्तर्गड सूत्र । † भगवती सूत्र शतक १५ ।

‡ समवायाग सूत्र ३३, दगाश्रुतस्क ष सूत्र, १३ ।

ॐ जे भिक्षु माउग्गामस्स महुण वडियाए खीर वा दहि वा णवणीय वा सप्पि वा गुड वा खड वा सक्कर वा मच्छाडिय वा अण्णपर वा पणीय आहार आहारैद्द आहरत वा साइक्खइ ।

निगीय सूत्र ७६ ।

इससे स्पष्ट होता है कि अपवाद मार्ग में साधु सरस आहार ग्रहण कर सकता है । परन्तु उत्सर्ग मार्ग में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उसे सरस आहार नहीं करना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए साधु को स्त्री, पशु एवं नपुंसक से रहित मकान में ठहरना चाहिए । क्योंकि स्त्री आदि का अधिक संसर्ग रहने से मन में विकारों की जागृति होना संभव है । इससे उसकी साधना का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा । अतः साधु को इनसे रहित स्थान में ही ठहरना चाहिए ।

इस तरह चौथे महाव्रत के सम्बन्ध में दिए गए आदेशों का आचरण करना तथा उनका सम्यक्तया परिपालन करना ही चौथे महाव्रत की आराधना करना है और इस तरह उसका परिपालन करने वाला निर्धन्य ही आत्मा का विकास कर सकता है ।

अब पंचवें महाव्रत का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अहावरं पंचमं भंते ! महव्ययं सर्व्वं परिग्रहं पच्च-
क्खामि, से अण्णं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतचित्तमंतं
वा नेव सयं परिग्रहं गिरिहज्जा नेवन्नेहिं परिग्रहं गिरहा-
विज्जा अन्नंपि परिग्रहं गिरहंतं न समणुजाणिज्जा जाव
वोसिरामि ॥

छाया—अथापरं पंचमं भदन्त ! महाव्रतं, सर्व्वं परिग्रहं प्रत्याख्यामि
त्वं अल्पं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तवन्तं वा अचित्तं वा नैव स्वयं
परिग्रहं गृहीस्यात् नैवान्यैः परिग्रहं ग्राह्येत् अव्यमपि परिग्रहं गृहन्तं न
समनुजानीयात् यावत् व्युत्सृजामि ।

पदार्थ—अहावरं अथ अपर । पंचमं—पांचवा । महव्ययं—महाव्रत कहते हैं ।
भंते—हे भगवन् । सर्व्वं—सर्व प्रकार के । परिग्रहं—परिग्रह का । पच्चक्खामि—परित्याग-
करता हूँ । से—वह-साधु । अण्णं वा—अल्प । बहुं वा—बहुत । अणु—अणु-मूक्ष्म । वा—
अथवा । थूलं वा—थूल । चित्तमंतचित्तं वा—सचित्त या अचित्त अर्थात् चेतना युक्त जिह्यादि
अथवा अचित्त-चेतना रहित वस्तु । एव—निश्चयार्थक है, इस प्रकार के । परिग्रहं—परिग्रह

को। सय—स्वय । न गिण्हृज्जा—ग्रहण नहा करुगा । नेष नहि—न अय धरित स । परिग्रह—परिग्रह को । गिण्हृविज्जा—ग्रहण कराऊगा । परिग्रह—परिग्रह को । गिण्हृत्—ग्रहण करने वाल । अन्वि—अय व्यनित का । न समण्जानिज्जा—अनुमोदन भी नही करुगा । जाव—यावत । बोसिरामि—परिग्रह स अपनी आत्मा को पथक करना हूँ-परिग्रह रूप आत्मा का व्युसजन करता हूँ ।

मूलाय हे भगवन् ! पाचवें महाव्रत के विषय मे सर्व प्रकार के परिग्रह का परित्याग करता हूँ । मैं अल्प, बहुत, सूक्ष्म, स्थूल तथा सचित्त और अचित्त किसी भी प्रकार के परिग्रह को न स्वयं ग्रहण करुगा, न दूसरो से ग्रहण कराऊगा और न ग्रहण करने वालो का अनुमोदन करुगा । मैं अपनी आत्मा को परिग्रह से सर्वथा पृथक् करता हूँ ।

द्विदो विवेचन

अस्तु सूत्र मे माधक को परिग्रह से निवृत्त होने का आदेश दिया गया है । परिग्रह से आत्मा मे अशान्ति बढती है । क्योंकि, रात दिन उस के बढाने एव सुरक्षा करने को चिन्ता जनी रहती है । जिससे साधक निश्चित मन से आध्याय आदि की साधना भी नहीं कर सकता है । इसलिए भगवान ने माधक को परिग्रह से सर्वथा मुक्त रहने का आदेश दिया है । साधु को थोडा या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल किसी भी तरह का परिग्रह नहीं रखना चाहिए । इसके साथ आगम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधु साधना मे सहायक उपकरणों को त्याग कर सकता है । वस्त्र का परित्याग करने वाले जिन कल्पो मुनि भी कम से कम मुण्डास्त्रिणा, और रजोहरण ये दो उपकरण अवश्य रखते हैं । वर्तमान मे दिग्मन्त्र मुनि भी मोर पिच्छी और कमण्डल तो रखते ही हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि समय मे सहायक होने वाले पदार्थो को रखना या ग्रहण करने परिग्रह नहीं है । परन्तु उन पर भ्रमता, मूर्छा एव आसक्ति रखना परिग्रह है । आगम मे स्पष्ट कहा गया है कि समय एव आध्यात्मिक साधना मे तेजस्विता लाने वाले उपकरण (वस्त्र पात्र आदि) परिग्रह नहीं हैं । मूर्छा एव किन्तु उन पर आसक्ति करना परिग्रह है । तदर्थ सूत्र में भी उक्त रखने को परिग्रह नहीं कहा है । उन्होंने भी आगम मे

न सो परिग्रहो वृत्तो नावपुराण ताडणा ।

मुच्छा परिग्रहो वृत्तो इद वृत्त महेषिणा ॥

अभिव्यक्त मूर्च्छा, या ममत्व को ही परिग्रह माना है। वस्त्र एवं पात्र ही क्यों, यदि अपने शरीर पर भी ममत्व है, अपनी साधना पर भी ममत्व है तो वह भी परिग्रह का कारण बन जायगा । अतः साधक को मूर्च्छा ममता एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए ।

अब पंचम महाव्रत की भावनाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं ।

मूलम्—तस्मिन्मात्रो पंच भावणाञ्चो भवन्ति ।

तत्स्थिमा पठमा भावणा-सोयत्रो शां जीवे मणुन्नामणुन्नाइं
सदाइं सुगोइ मणुन्ना मणुन्नेहिं मदेहिं नोसज्जिज्जा नोरज्जिज्जा
नो गिज्जेज्जा नो मुज्जेज्जा नो अज्जेववज्जिज्जा नो वि-
णिघायमावज्जेज्जा, केवली वूयां--निग्गंथेणं मणुन्नामणुन्नेहिं
सदेहिं सज्जमाणे रज्जमाणे जाव विणिघायमावज्जमाणे संति-
भेया संतिविभंगा संतिकेवलिपन्नतात्रो धम्मात्रो भंसिज्जा, न
सक्का न सोउसदा, सोतविसयमागया । रागदोसा उ जे तत्थ,
ते भिक्खू परिवज्जेण । १। सोयत्रो जीवे मणुन्नामणुन्नाइं सदाइं
सुगोइ पठमा भावणा ॥१॥

अहावरा दुच्चा भावणा—चक्खुत्रो जीवो मणुन्नामणुन्नाइं
रूवाइं पासइ, मणुन्नामणुन्नेहिं रूवेहिं सज्जमाणे जाव विणिघा-
यमावज्जमाणे संतिभेया जाव भंसिज्जा—नो सक्कारूवमहूटुं,

चक्खु विसयमागय । राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए, चक्खुयो जीवो मणुन्ना २ रूवाइ पासइ, दुच्चा भावणा ।

अहावरा तच्चा भावणा घाणयो जीवो मणुन्नामण्णा इं गघाइ अग्घायइ मणुनामणुन्नेहि गधहि नो सज्जिजा नो रज्जिजा जाय नो विणिघायमावज्जिज्जा, केवली वूया मणुन्नामणुन्नेहि गवेहि सज्जमाणो जाव विणिघायमावज्जमाणो, सत्तिभेया जाव भसिज्जा—न मक्का गधमग्गाउ, नासाविसयमागय । राग दोसा उ जे तत्थ ते भिक्खू परिवज्जए । १। घाणयो जीवो मणुन्नामणुन्नाइ गग्गाइ अग्घायइत्ति तच्चा भावणा ॥३॥

अहावरा चउत्था भावणा जिह्वायो जीवो मणुन्ना मणुयाइ रसाइ अस्साएइ, मणुन्नामणुन्नेहि रसेहि नो सज्जिज्जा जाव विणिघायमावज्जिज्जा, केवली वूया निग्गये ण मणुन्ना-मणुन्नेहि रसेहि सज्जमाणो जाव विणिघायमावज्जमाणो सत्ति-भेया जाय भमिज्जा न मक्का रसमस्साउ, जीहा विमय मागय । रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए । १। जीहायो जीवो मणुन्नामणुयाइ रसाइ अस्साएइत्ति चउत्था भावणा ॥४॥

अहावरा पचमा भावणा—फासयो जीवो मणुन्नामणुन्नाइ

फासाइं पडिसेवेइ मणुन्नामणुन्नेहि फासेहिं नो सज्जिज्जा
जाव नो विणिघायमावज्जिज्जा, केवली वूया—निग्गंथे णं
मणुन्नामणुन्नेहिं फासेहिं सज्जमाणे जाव विणिघायमावज्जमाणे
संतिभेया संतिविभंगा संतिकेवलीपन्नत्ताओ धम्माओ भंसिज्जा
न सक्का फासमवेएउं, फासविसयमागयं । रागदोसा उ जे तत्थ ते
भिकखु परिवज्जए । १। फासओ जीवो मणुन्नामणुन्नाइं फासाइं
पडिसेवेएति पंचमा भावणा ॥५॥

एतावयाव पंचमे महव्वते सम्मं अवट्ठिए आणाए अराहिए
यावि भवइ, पंचमं भंते ! महव्वयं ! इच्चेएहिं पंचमहव्वएहिं
पणावीसाहि व भावणाहिं संपन्ने अणागारे अहासुयं अहाकप्पं
अहामग्गं सम्मं काएणा फासित्ता पालित्ता तीरित्ता किट्ठित्ता
आणाए आराहित्ता यावि भवइ ।

छाया— तस्येमाः पंच भावनाः भवन्ति—

तत्र इयं प्रथमा भावना—श्रोत्रतः जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् शब्दान् शृणोति
मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्देषु नो सज्जेत नो रज्जेत नो गृह्येत् नो मूच्छेत् नो अध्युपप-
द्येत नो विनिघतमापद्येत, केवली वूयात्—आदानमेतत्, निर्ग्रन्थः मनोज्ञामनोज्ञेषु
शब्देषु सज्जमानः रज्जमानः यावत् विनिघातमापद्यमानः, शान्तिभेदाः शान्ति-
विभंगाः शान्ति केवलि प्रज्ञप्ताद् धर्मात् अश्येत्, न शक्याः न श्रोतु शब्दाः
श्रोत्रविषयमागताः रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् भिक्षुः परिवर्जयेत् श्रोत्रतः जीवः

मनोनामनोज्ञान् गन्धान् शृणोति प्रथमा भावना ।

अथापरा द्वितीया भावना चक्षुष्टो जीव मनोज्ञामनोज्ञानि रूपाणि पश्यति मनोज्ञामनोज्ञेषु रूपेषु सज्जमान यावत् विनिघातमापद्यमान शान्तिभेदा यावद् भ्रश्येत् न शक्य रूपमद्रष्टु चक्षुर्विषयमागत रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् भिक्षु परिवर्जयेत् । चक्षुष्टो जीवो मनोज्ञामनोज्ञानि रूपाणि पश्यति द्वितीया भावना ।

अथापरा तृतीया भावना—घ्राणतो जीवो मनोनामनोज्ञान् गन्धान् आजिघ्रति, मनोनामनोज्ञेषु गन्धेषु नो मज्जेत यावत् नो रज्जयेतयावत् नो विनिघातमापद्येत केवली ब्रूयात् आदानमेतत् मनोनामनोज्ञेषु गन्धेषु मज्जमान यावत् विनिघातमापद्यमान शान्तिभेदा यावत् भ्रश्येत् । न शक्योगन्धोघ्रातु, ना माविषय मागत, रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् सिद्धु परिवर्जयेत् । घ्राणतो जीव मनोज्ञामनोज्ञान् गन्धान् आजिघ्रति इति तृतीया भावना ।

अथापरा चतुर्थी भावना—जिह्वातो जीव मनोज्ञामनोज्ञान् रसान् आस्वादयति, मनोज्ञामनोज्ञेषु रसेषु नो सज्जेत यावत् नो विनिघातमापद्येत केवली ब्रूयात्-निग्रन्थ मनोज्ञामनोज्ञेषु रसेषु सज्जमान यावद् विनिघातमापद्यमान शान्तिभेदा यावत् भ्रश्येत् । न शक्य रसआवा दयितु जिह्वाविषयमागत । रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् भिक्षु परिवर्जयेत् जिह्वातो जीव मनोज्ञामनोज्ञान् रसान् आस्वदते इति चतुर्थी भावना ।

अथापरा पचमी भावना—स्पर्शत जीव मनोज्ञामनोज्ञान् स्पर्शान् प्रतिसेवते मनोज्ञामनोज्ञेषु स्पर्शेषु न सज्जेत यावत् नो विनिघातमापद्येत केवली ब्रूयात् आदानमेतत्, निग्रन्थ मनोज्ञामनोज्ञेषु स्पर्शेषु सज्जमान यावत् विनिघातमापद्यमान शान्तिभेदा, शान्ति विभगा केवलिप्रज्ञप्ताद्

थर्माद् भ्रश्येत् न शक्यः स्पर्शोऽवेदितुं स्पर्शविषयमागतः । रागद्वेषास्तु ये तत्र तान् भिक्षुः परिवर्जयेत् रपर्शतः जीवः मनोज्ञामनोज्ञान् स्पर्शान् प्रति संवेदयति, इति पंचमी भावना ।

एतावता पचमे महाव्रत सम्यक् अवस्थितः आज्ञाया आराधकञ्चापि भवति, पंचमं भदन्त महाव्रतम् । इत्येतैः पंच महाव्रतैः पञ्चविंशत्या च भावनाभिः सम्पन्नः अनागार यथाश्रुतं यथाकल्पं यथामार्गं कायेन स्पृष्ट्वा पालयित्वा तीर्त्वा कीर्तयित्वा आज्ञाया आराधिता चापि भवति ।

पदार्थ—तस्मिन्माश्रो—उस महाव्रत की ये । पंच—पाच । सावणाश्रो—भावनायें भवति—हैं ।

तत्थिमा—उन पाँच भावनाश्रो में से । पढमा भावणा—प्रथम भावना यह है । णं—बावयालंकारार्थक है । जीवे—जीव । सोयश्रो—श्रोत इन्द्रिय से । मणुञ्जामणुन्नाइ—मनोज्ञामनोज्ञ अर्थात् प्रिय और अप्रिय । सद्दाइं—शब्दो को । सुणेहि—सुनता है किन्तु । मणुञ्जामणुन्नेहि—प्रिय और अप्रिय । सद्देहि—शब्दो मे । नो रज्जिज्जा—आसक्त न हो । नो रज्जिज्जा—अनुरक्त-राग युक्त न हो । नो गिज्जेज्जा—गृद्धि वाला न हो । नो मुज्जिभ्ज्जा—मोहित या मूर्च्छित न हो । नो अज्जोववज्जिज्जा—अत्यन्त आसक्त न हो । नो विणिघाय भावज्जिज्जा—श्रीर विनाश को प्राप्त न हो अर्थात् राग द्वेष न करे कारण कि । केवली बूया-केवली भयवान कहते है कि यह कर्म बन्व का हेतु है । ण—पूर्ववत् । निग्गंथे—निर्ग्रन्थ-साधु मणुञ्जामणुन्नेहि—मनोज्ञामनोज्ञ-प्रिय और अप्रिय । सद्देहि—शब्दो में । सज्जमाणे—आसक्त होता हुआ । रज्जमाणे—राग करता हुआ । जाव—यावत् । विणिघायभावज्जमाणे—राग द्वेष करता हुआ । सतिभेया—शान्ति का भेदक । सतिविभंगा—शान्ति रूप अपरिग्रहव्रत का भेदक । सति केवली पन्नताश्रो—शान्ति रूप केवलि प्रणीत-केवली भाषित । धम्माश्रो—धर्म से । भंसिज्जा-अष्ट हो जाता है अर्थात् धर्म से पतित हो जाता है । सोतविसयमागया—श्रोत्र विषय मे आए हुए । सद्दा—शब्द । न सक्का—समर्थ नहीं । न सोउं—न सुनने को अर्थात् आने वाले शब्द अवश्य सुने जाते है किन्तु । जे—जो । तत्थ—यहां पर । रागदोसा—राग द्वेष है । उ—वितकं मे है । तं—उसको अर्थात् राग द्वेष को । निक्खू—भिक्षु-साधु । परिवज्जाए—छोड़ दे । सोयश्रा—श्रोत्र से । जीवे—जीव-साधु । मणुञ्जामणुन्नाइं—प्रिय और अप्रिय । सद्दाइं—शब्दो को । सुणेइ—सुनता है किन्तु उन पर रागद्वेष नहीं लाता । पढमा भावणा—यह प्रथम भावना है ।

अहावरा दुञ्चा भावणा—अब दूसरी भावना को कहते हैं । जीवो—जीव । चक्खुओ-

चक्षुः स चक्षुः द्वारा । मणुनामणुनाइ—मनानामनीम प्रिय घोर अप्रिय । हवाइ—रूपो को ।
 पासह—दक्षता है फिर । मणुनामणु नेहि—मनोज्ञामनीम । रवेहि—रूपो में । सज्जमाणे—
 पासवत होता हुआ । जाव—यावत् । विनिघायमावज्जमाणे—राग द्वय क क्षी भूत हो कर
 विनाग को प्राप्त होता हुआ । सति मेया—गति भद । जाव—यावत् । भसिज्जा—धम म
 अष्ट हो जाता है । चक्षुःविसयमागय—चक्षुः विषय को प्राप्त हुआ । रूप—रूप । मरदठ न
 सकता—अष्ट नहा रह सकता अर्थात् वह दिखाई देगा ही किंतु । तत्थ—वहा पर । जे—
 जो । रागवोसा—रागद्वय उत्पन्न होता है । ते—उसको । भिक्खू—भिण्डु-माधु । परिवज्जण—
 त्याग-दे छोड़ दे । उ—दितक में है ।

अहावरा तच्चा भावणा—अथ अथ तीसरी भावना यह है । जीवो—जीव । घाणभो
 प्राण इन्द्रिय से । मणुना २ इ—मनानामनीम प्रिय घोर अप्रिय । गघाइ—गघो का । अघाएइ
 सू घटा है । मणुनामणु नेहि—मनोज्ञामनीम । गघहि—गघो में । नो सज्जमाणे—पासवत न
 हो । मोरज्जिज्जा—राग भाव न कर । जाव—यावत् । नो विनिघायमावज्जिज्जा—द्वय स
 विनाग को प्राप्त न हो । केवली ब्या—केवली भगवान कहते हैं । मणुनामणु-नेहि—प्रिय तथा
 अप्रिय । गघहि—गघो में । सज्जमाणे—पासवत होता हुआ । जाव—यावत् । विनिघायमाव
 ज्जमाणे—विनिघात-विनाग का प्राप्त होना हुआ । सतिमेया—गति रूप चारित्र का भद
 करता है । जाव—यावत् । भसिज्जा—धम से अष्ट हो जाता है । नासाविसयमागय—नासिका
 क विषय को प्राप्त हुआ । गघ—गघ । न सकता अघाउ-अथ घ नहा हो सकता अर्थात् नामिका
 क सनिघान को प्राप्त हुआ गघ नासिका क छिद्रों में प्रविष्ट होता है किंतु । तत्थ—उत्त में ।
 जे—जो । रागवोसा—रागद्वय उत्पन्न होता है । ते—उसे । भिक्खू—साधु । परिवज्जण—त्याग
 दे अर्थात् उसमें राग द्वय न करे । घाणभो—प्राण इन्द्रिय स । जीवो—जीव । मणुना २ इ गघाइ
 प्रिय घोर अप्रिय गघ को । अघाएइ—अहण करता है सू घटा है । ति—इस प्रकार यह ।
 तच्चा भावणा—तीसरी भावना कही गई है ।

अहावरा अउ धा भावणा—अथ यह चौथी भावना कही जाता है । जीवो जीव ।
 जिह्माओ—जिह्वा से । मणुना २ इ—मनोज्ञामनीम प्रिय तथा अप्रिय । रसाइ—रसो का ।
 अरसाएइ—मास्वादन करता है स्वाद लेता है किंतु । मणुनामणु-नेहि—प्रिय घोर अप्रिय ।
 रसेहि—रसो में । नो सज्जिजा—पासवत न हो । जाव—यावत् । विनिघायमावज्जिज्जा—
 विनिघात-विनाग को प्राप्त न होवे । केवली ब्या—केवली भगवान कहते हैं । ण—वाक्यालंकार
 पद्य में है । निग्गये—निघ व साधु । मणुनामणु-नेहि—प्रिय तथा अप्रिय । रसेहि—रसो में ।

सज्जमाणे—आसक्त होता हुआ । जाव—यावत् । विणिघायमावज्जमाणे—विनाश को प्राप्त होता हुआ । सतिभेया—शान्ति भेद । जाव—यावत् । भसेज्जा—धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । जीहाविसयमागयं—जिह्वा के सन्निधान में आए हुए । रस—रस के पुद्गल । न सक्कम-स्साउं—अनास्वादित नहीं रह सकते अर्थात् जिह्वा के विषय को प्राप्त हुआ कोई रस ऐसा नहीं है कि जिसका आस्वादन न किया जा सके किन्तु । तत्थ—उस में । जे—जो । रागदोसा-राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं । ते—उनका । भिक्खू—भिक्षु-साधु । परिवज्जए—परित्याग करे । अर्थात् उनमें राग-द्वेष न करे । जीहाओ—जिह्वा से । जीवो—जीव । मणुन्ना २ इ—प्रिय और अप्रिय । रसाइ—रसो का । अस्साएइ—आस्वादन करता है । ति—इस प्रकार यह । चउत्था भावणा—चतुर्थ भावना कही गई है ।

अहावरा पंचमा भावना—अब अन्य पाचवी भावना को कहते हैं । जीवा—जीव । फासाओ—स्पर्श इन्द्रिय के द्वारा । मणुन्नामणुन्नाइं—प्रिय और अप्रिय । फासाइ—स्पर्शों को । पडिसंवेएइ—अनुभव करता है अर्थात् स्पर्शेन्द्रिय से मृदु कर्कशादि स्पर्शों को अवगत करता है परन्तु वह जीव । मणुन्नामणुन्नेहिं—मनोज्ञामनोज्ञ । फासेहिं—स्पर्शों में । नो सज्जिज्जा—आसक्त न हो । जाव—यावत् । नो विणिघायमावज्जिज्जा—विनाश को प्राप्त न होवे । केवलीवूया—केवली भगवान् कहते हैं । णं—वाक्यालकार अर्थ में है । निग्गंथे—निर्ग्रन्थ । मणुन्नामणुन्नेहिं—प्रिय और अप्रिय । फासेहिं—स्पर्शों में । सज्जमाणे—आसक्त होता हुआ । जाव—यावत् । विणिघायमावज्जमाणे—विनाश को प्राप्त होता हुआ । सतिभेया—शान्ति का भेद । सति विभंगा—शान्ति विभग । सति केवली पन्नत्ताओ—शान्ति रूप केवली भाषित । धम्माओ—धर्म से । भंसिज्जा—भ्रष्ट हो जाता है । फासविसयमागयं—स्पर्शेन्द्रिय के विषय को प्राप्त हुआ । फासं—स्पर्श । अवेएउं—विना स्पर्शित हुए । न सक्का—नहीं रहता अर्थात् स्पर्शेन्द्रिय के सन्निधान में आए हुए स्पर्शनीय पुद्गलों का स्पर्श हुए विना नहीं रहता, परन्तु । तत्थ—वहाँ पर । जे—जो । रागदोसा—राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं । ते—उनको । भिक्खू—भिक्षु-साधु । परिवज्जए—सर्व प्रकार से त्याग दे, छोड़ दे । जीवो—जीव । मणुन्नामणुन्नाइं—प्रिय तथा अप्रिय । फासाइं—स्पर्शों को । फासाओ—स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा । पडिसंवेएति—अनुभव करता है, परन्तु उन के विषय में राग-द्वेष नहीं करना यह । पचमा—पाचवी । भावणा—भावना कही गई है ।

एतावता—इस प्रकार । पंचमे महव्वए—पंचम महाव्रत में । सम्मं—सम्यक् प्रकार से । अवट्ठिए—अवस्थित । आणाए—आशा का । आराहिए—आराधक । यापि नवह—होता है । पंचमं भंते महव्वयं—हे भगवन् ! ये पाचवा महाव्रत है । इच्चेएहि पचमहव्वएहि—इन पाच महाव्रतों से, तथा । पणवीत्ताहि य भावणाहि—पञ्चीस भावनाओं से । संपन्न—युक्त । अणगारे-साधु । अहासुयं—श्रुत के अनुसार । अहाकप्पं—वत्प के अनुसार । अहामग-मार्ग के अनुसार ।

सम्म - अन्धी तरह से । काएण - काया द्वारा । नासिता - स्पर्शित कर । पालिता - पालन कर । तीरिता - तीरित कर । किण्टिता - कीर्तित कर के । आभाए - प्राज्ञा का । आर्हाहता - धाराधन करने वाला । यावि भवइ - होता है ।

मूलार्थ—इस प चम महाव्रत की ये पाच भावनाएँ हैं—

उन पाच भावनाओं में से प्रथम भावना यह है—श्रोत्र से यह जीव प्रिय तथा अप्रिय शब्दों को सुनता है, परन्तु वह प्रिय तथा अप्रिय शब्दों में आसक्त न हो, राग भाव न करे, गृद्ध न हो, मूर्च्छित न हो, तथा अत्यन्त अमर्षित एव राग द्वेष न करे, केवली भगवान् कहते हैं कि साधु मनोज्ञा-मनोन शब्दों में आसक्त होता हुआ, राग करता हुआ यावत् द्वेष करता हुआ शान्ति भेद एव शान्ति विभक्त करता है और केवली भाषित धम से भ्रष्ट हो जाता है तथा श्रोत्र विषय में आए हुए शब्द ऐसे नहीं जा सुने न जावें किन्तु उनके सुनने पर जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, भिक्षु उसका परित्याग कर दे । अतः जीव के श्रोत्रेन्द्रिय के विषय में आए हुए प्रिय और अप्रिय शब्दों में राग द्वेष न करे । यह प्रथम भावना कहाँ गई है ।

चक्षु के द्वारा यह जीव प्रिय तथा अप्रिय रूपों को देखता है, प्रिय सुन्दर रूपों में आसक्त होता हुआ यावत् द्वेष करता हुआ शान्ति भेद यावत् धम से पतित हो जाता है । तथा चक्षुक विषय में आया हुआ रूप अदृष्ट नहीं रह सकता अर्थात् वह अवश्य दिखाई देगा, परन्तु उसको देखने से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का भिक्षु परित्याग कर दे । इस तरह चक्षु के द्वारा देखे जाने वाले प्रिय और अप्रिय रूपों पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए यह द्वितीय भावना है ।

तीसरी भावना यह है—नासिका के द्वारा जीव प्रिय तथा अप्रिय गंधों को सूँघता है, परन्तु प्रिय तथा अप्रिय गंधों को सूँघता हुआ उनमें राग-

द्वेष न करे, क्योंकि केवली भगवान कहते हैं कि प्रिय तथा अप्रिय गंधों में राग-द्वेष करता हुआ साधु शान्ति का भेदन करता हुआ धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तथा ऐसे भी नहीं कि नासिका के सन्निधान में आए हुए गंध के परमाणु पुद्गल सूघे न जा सकें। परन्तु इसका तात्पर्य इतना ही है कि साधु उनमें राग-द्वेष न करे।

चतुर्थ भावना इस प्रकार वर्णन की गई है—जीव जिह्वा से प्रिय तथा अप्रिय रसों का आस्वाद लेता है किन्तु उनमें राग-द्वेष न करे। केवली भगवान कहते हैं प्रिय तथा अप्रिय रसों में आसक्त एव राग-द्वेष करने वाला निर्ग्रन्थ शान्ति भेद और धर्म से पतित होजाता है। तथा जिह्वा को प्राप्त हुआ रस अनास्वादित नहीं रह सकता किन्तु उसमें जो राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है उसका भिक्षु परित्याग करदे। और जिह्वा से आस्वादित होने वाले प्रिय तथा अप्रिय रसों में राग-द्वेष से रहित होना यह चतुर्थ भावना है।

अब पांचवी भावना को कहते हैं—यह जीव स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा प्रिय और अप्रिय स्पर्शों का अनुभव करता है, किन्तु प्रिय स्पर्श में राग और अप्रिय स्पर्श में द्वेष न करे। केवली भगवान कहते हैं कि साधु प्रिय स्पर्श में राग और अप्रिय में द्वेष करता हुआ शान्ति भेद, शान्ति विभंग करता हुआ शान्तिरूप केवलि भाणित धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। स्पर्शेन्द्रिय के सन्निधान में आए हुए स्पर्श के पुद्गल बिना स्पर्शित हुए—बिना अनुभव किए नहीं रह सकते, किन्तु वहाँ पर जो राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है साधु उसको सर्वथा छोड़ दे। स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा जीव प्रिय तथा अप्रिय स्पर्शों का अनुभव करता है, उनमें राग और द्वेष का न करना यह पांचवी भावना कही गई है।

इस प्रकार यह पांचवां महाव्रत सम्यक् प्रकार से काया द्वारा स्पर्श

किया हुआ, पालन किया हुआ, तीर पहुँचाया हुआ, वीतन किया हुआ अवस्थित रखा हुआ और आज्ञा पूर्वक आराधन किया हुआ होता है । इस पाचवें महाव्रत में सब प्रकार के परिग्रह का त्याग किया जाता है ।

इन पाँच महाव्रत और उनकी पच्चीस भावनाओं से सम्पन्न हुआ साधु यथा श्रुत यथा कल्प और यथामाग अर्थात् श्रुत कल्प और मार्ग के अनुसार इनका सम्यक्वर्णन काया से स्पर्श कर, पालन कर और तीर पहुँचा कर और भगवान की आज्ञानुसार इनका आराधन करके आराधक बन जाता है इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में पाचवें महाव्रत की पाँच भावनाएँ बताई गई हैं—१ प्रिय और अप्रिय शब्द, २ रूप, ३ गंध, ४ रस और ५ स्पर्श पर राग द्वेष न करे । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि साधक का, आप, नाक आदि नष्ट करके चले, उसे अपनी इच्छियों को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है । शब्द वान में पबते रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु उन प्रिय या अप्रिय शब्दों के ऊपर राग द्वेष नहीं करना चाहिए । मधुर एवं कर्ण प्रिय गीतों को सुनने या इसी तरह दूसरे व्यक्ति को निन्दा चुगली सुनने के लिए उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए । इससे स्वाध्याय का अमूल्य समय नष्ट होता है एवं मन में रागद्वेष की भावना भी उत्पन्न हो सकती है । अतः साधक को किसी भी तरह के शब्दों पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए ।

इसी तरह अपनी आँखों के सामने आने वाले सुन्दर एवं क्लिष्ट रूप पर भी राग-द्वेष नहीं करना चाहिए । उसे सुन्दर सुझाने दृश्यों एवं लाघण्यमयी चित्रों आदि के रूप को देखकर उस पर मुग्ध एवं आसक्त नहीं होना चाहिए और न घृणित दृश्यों को देखकर नाक भौं सिकोड़ना चाहिए । साधक को सदा राग-द्वेष से ऊपर उठकर तटस्थ रहना चाहिए ।

इसी तरह घ्रायु के साथ पदार्थों में से आने वाली सुगन्ध एवं दुर्गन्ध के समय भी घ्रायु को मध्यस्थ भाव रखना चाहिए । सुरामित पदार्थों में राग भाव नहीं रखना चाहिए और न दुर्गन्धमय पदार्थों पर द्वेष भाव । साधक को सदा राग द्वेष से ऊपर उठकर संयम साधना में सज्जन रहना चाहिए ।

इसी प्रकार साधक को रसों में आसक्त नहीं होना चाहिए । स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट जैसा भी निर्दोष आहार प्राप्त हुआ हो उसे समभाव पूर्वक भोगना चाहिए । उसे सुस्वादु एवं रस युक्त आहार पर राग भाव नहीं रखना चाहिए और न नीरस आहार पर द्वेष । साधक को कभी भी स्वाद के बशीभूत नहीं होना चाहिए ।

साधक को अनेक तरह के प्रिय-अप्रिय, अनुकूल-प्रतिकूल स्पर्श होते रहते हैं । परन्तु उसे किसी भी स्पर्श पर राग-द्वेष नहीं करना चाहिए । न मनोज्ञ स्पर्श पर राग भाव रखना चाहिए और अमनोज्ञ स्पर्श पर द्वेष भाव । यही साधक की साधना का वास्तविक स्वरूप है ।

इस तरह साधक जब इन आदेशों को आचरण में उतारता है, उन्हें जीवन में साकार रूप देता है, तभी अपरिग्रह महाव्रत की आराधना कर पाता है ।

इस प्रकार इस अध्ययन में वर्णित ५ महाव्रत एवं २५ भावनाओं का सम्यक्तया परिपालन करने वाला साधक ही आराधक होता है और वह क्रमशः आत्मा का विकास करता हुआ कर्म बन्धनों से मुक्त होता हुआ, एक दिन अपने साध्य को पूर्णतया सिद्ध कर लेता है ।

प्रस्तुत भावना अध्ययन में भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है । भगवान महावीर के जीवन एवं साधना से सबद्ध होने के कारण प्रस्तुत अध्ययन में भावनाओं का उल्लेख किया गया है । ऐसे प्रश्न व्याकरण सूत्र के पांचवे संवर द्वार में भावनाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है । यहां केवल दिग्दर्शन कराया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन भगवान महावीर के जीवन एवं साधना से संबन्धित होने के कारण प्रत्येक साधक के लिए मननीय एवं चिन्तनीय है । इससे साधक की साधना में तेजस्विता आएगी और उसे अपने पथ पर बढ़ने में बल मिलेगा । अतः प्रत्येक साधक को इसका गहराई से अध्ययन करके भगवान महावीर की साधना को जीवन में साकार रूप देने का प्रयत्न करना चाहिए । संक्षेप में महाव्रतों एवं उनकी भावनाओं का महत्व आचरण करने से है । उनका सम्यक्तया आचरण करके ही साधक सर्व प्रकार के कर्म-बन्धनों से मुक्त-उन्मुक्त हो सकता है ।

चतुर्थ चूला—त्रिमुक्ति

मोलहवा अध्ययन

पादहव अध्ययन मे ५ महाव्रत और उसकी २५ भावनाओं का उल्लेख किया गया है। अत्र प्रस्तुत अध्ययन मे त्रिमुक्ति मोक्ष के साधन रूप साधनों का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट है कि महाव्रतों की साधना कर्मा से मुक्त होने के लिए ही है। अत्र इस अध्ययन मे निर्जरा के साधनों का विशेष रूप से ध्यान किया गया है। इस ध्यान को पांच अधिकारों मे विभक्त किया गया है—१ अनित्य अधिकार, २ पवत अधिकार, ३ रूप्य (चादी) अधिकार, ४ भुजगत्वग् अधिकार और ५ समुद्र अधिकार। इस तरह समस्त साधना का उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति भी देश मुक्ति एवं सप्त मुक्ति अपेक्षा से दो प्रकार की कही गई है। साया य साधु से लेकर भवस्थ केवली पद्यत की देश मुक्ति मानी गई है और अष्ट कमवचन का सन्ध्या क्षय करके निर्वाण पद को प्राप्त करना सर्व मुक्ति कहलाती है। उक्त समय प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति कम निर्जरा से होती है। अत्र निर्जरा के साधनों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—अग्निचमावासमुचिति जतुणो पलोयए सुच्चमिण अणुत्तर
विउसिरे विन्नु अगारवधणा, अभीरु आरम्भपरिग्रह चए ॥१॥

छाया—अनित्यमावाममुपयान्ति जन्तव, प्रलाकथेत् श्रुत्वा इदमनुत्तमम्।

अ्युत्तमम् विज्ञ अगारवन्धन, अभीरु आरम्भपरिग्रह त्यजेत् ॥

पदाथ—इण—जिन प्रवचन का, जो। अणुत्तर—सब श्रेष्ठ है, जिसमे यह कहा गया है कि। जतुणो—जीव। आवास—मनुष्य आदि ज मों को प्राप्त करते हैं वे। अग्निच्च—अग्निच है ऐसा। सुच्च—सुन्दर। पलोयए—उस पर गभीरता एवं अन्तर हृदय से विचार कर क। विनु—विशान व्यक्ति। आगारवध वा—पारिवारिक स्नेह व धन का। विउसिरे—त्याग और वह। अभीरु—सात प्रकार क भय एवं परोपहो सनही डरने वाला साधक। आरम्भ परिग्रह समस्त प्रकार क सहाय कम एवं परिग्रह को भी। चए—छोट द।

मूलार्थ—सब श्रेष्ठ जिन प्रवचन मे यह कहा गया है कि आत्मा

मनुष्य आदि जिन योनियों में जन्म लेता है, वे स्थान अनित्य है । ऐसा सुनकर एव उस पर हार्दिक चिन्तन करके समस्त भयों से निर्भय बना हुआ विद्वान पारिवारिक स्नेह बन्धन का, समस्त सावद्य कर्म एवं परिग्रह का त्याग कर दे ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में अनित्यता के स्वरूप का वर्णन किया गया है । भगवान ने अपने प्रवचन में यह स्पष्ट कर दिया है कि संसार में जीवों के उत्पन्न होने की जितनी भी योनियाँ हैं, वे अनित्य हैं । क्योंकि अपने कृत कर्म के अनुसार जीव उन योनियों में जन्म ग्रहण करता है और अपने उस भव के आयु कर्म के समाप्त होते ही उस योनि के प्राप्त शरीर को छोड़ देता है । इस तरह समस्त योनियाँ कर्म जन्य हैं, इस कारण वे अनित्य हैं । जब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, तब तक वह अपने कृत कर्म के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में परिभ्रमण करता रहता है । इससे योनि की अनित्यता स्पष्ट हो जाती है । परन्तु इससे उसके अस्तित्व का नाश नहीं होता इसलिए उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता । यह ठीक है कि संसार अनित्य है, संसार में स्थित जीव एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है । इससे हम निःसंदेह कह सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं, अनित्य एवं परिवर्तन शील है । परन्तु इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि परिभ्रमण के कारण जीव के आत्म प्रदेशों में किसी तरह का अन्तर नहीं आता है । उसकी योनि की पर्यायों, शरीर आदि की पर्यायों एवं ज्ञान-दर्शन की पर्यायों परिवर्तित होती रहती हैं, परन्तु इन परिवर्तनों के कारण आत्म द्रव्य नहीं बदलता, इसके असंख्यात प्रदेशों में किसी भी तरह की न्यूनाधिकता नहीं आती है ।

इस तरह संसार की अनित्यता के स्वरूप को सुन कर और उस पर गहराई से चिन्तन मनन करके विद्वान् एव निर्भय व्यक्ति संसार से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है । फिर वह पारिवारिक स्नेह बन्धन में बंधा नहीं रहता है । वह मृत्यु के समय जवरदस्ती टूटने वाले स्नेह बन्धन को स्वेच्छा से तोड़ देता है । वह अनासक्त भाव से पारिवारिक ममता का एवं सावद्य कर्मों का तथा समस्त परिग्रह का त्याग करके साधना के मार्ग पर कदम रख देता है ।

इस गाथा में आत्मा की द्रव्य रूप से नित्यता एवं योनि आदि पर्यायों या संसार की अनित्यता, अस्थिरता एवं परिवर्तनशीलता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है । और साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है । कि विद्वान् एव निर्भय व्यक्ति

ही इसने यथार्थ स्वरूप को समझकर मासार्थिक सन्धों पर माधनो का परित्याग कर सकता है।

अथ पत्रत अधिकार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—तहागय भिक्षुमणतसजय, अणोत्तिम विन्नु चरतमेमण
तुदत्ति वायाहि अभिइव नरा,सरेहिं सगामगय व कुजर ॥२॥

छाया—तथागत भिक्षुमनतसयत, अनीदृश त्रिज्ञ चरतमेपणाम्।

तुदन्ति वाग्भिः अभिद्रवन्तो नरा शरैः, सग्रामगतमिव कुजर।

पदार्थ—तहागय—तथा वृत्त धर्मादि भावनायुक्त। भिक्षु—भिक्षु साधु जो।

मनतसजय—एकेन्द्रियाणि जीवा म प्रयाग उनकी रणा में सत्त्व यत्नशील है। अणोत्तिम—मनपम

मयमगीन। विन्नु—विद्वान् मुनिकी जो। चरतमेमण—गुडाहार की गवयणा करन वाला है

नरा—कोई अनाथ पुरुष। वायाहि—असभ्य वचनो स। तदन्ति—व्यपित करत है वययापहृषात

हैं और। अभिइव—लोष्टपापाणाणि से प्रहार करते हैं। व—जसे। सगामगय—सग्राम में गये

हुए। कुजर—हस्ती की। सरेहिं—शरों-बाणो से तोड़ते हैं।

मूलार्थ—अनित्यादि भावनाओं से भावित, अनन्त जीवो की रक्षा करने वाले अनुपमसयमी और जिनागामानुसार शुद्ध आहार का देपण करने वाले भिक्षु को देखकर कतिपय अनाथ व्यपित साधु पर असभ्य वचनो एव पत्थर आदि का इस तरह प्रहार करते ह, जैसे सग्राम मे वीर योद्धा शत्रु के हाथी पर बाणों की वर्षा करत है।

हि दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में साधु की सहिष्णुता एव समभान वृत्ति का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है जैसे युद्ध के समय वीर योद्धा शत्रु पक्ष के हाथी पर शस्त्रों एवं बाणों का प्रहार करते हैं और वह हाथी उन प्रहारों की सहाता हुआ उन पर विनय प्राप्त करता है, उसी प्रकार यदि कोई असभ्य, अशिष्ट या अनाथ परुष किसी साधु के साथ अशिष्टता का व्यवहार कर, उसे अभद्र गालिधें दे या उसपर पत्थर आदि फेंके तो साधु समभाव पूर्वक उस वेदना को सहता हुआ राग द्वेष पर विजय प्राप्त करे। उस समय साधु उत्तेजित न हो और न आवेश में आकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार

करे और न उन्हें श्राप-अभिशाप दे । क्योंकि, इससे उसकी आत्मा में राग-द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ेगी और परस्पर वैर भाव में अभिवृद्धि होगी और कर्म बन्ध होगा । अतः साधु अपनी प्रवृत्ति को राग-द्वेष की ओर न बढ़ने दे । उस समय वह क्षमा एवं शान्ति के द्वारा राग-द्वेष एवं कपार्यों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करे । जिसके वश में हो कर वे दुष्ट एवं असभ्य व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इसके द्वारा कर्मबन्ध करके संसार परिभ्रमण बढ़ा रहे हैं । साधु रागद्वेष के इस भयकर परिणाम को जानकर आत्मा के इन महान शत्रुओं को दवाने का, नष्ट करने का प्रयत्न करे । इसका तात्पर्य यह है कि साधु को हर हालत में, प्रत्येक परिस्थिति में अपनी अहिंसा वृत्ति का परित्याग नहीं करना चाहिए । उसे सदा समभाव एवं निर्भयता पूर्वक प्रत्येक प्राणी को क्षमा करते हुए राग-द्वेष पर विजय पाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

साधु को और परिषदों के उत्पन्न होने पर भी पर्वत की तरह अचल, अटल एवं निष्कप रहना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

**मूलम्—तहृष्पगारेहिं जगोहिं हीलिए, ससद्फासा फरुसा उईरिया ।
तित्तिक्खए नाणि अदुट्ठचेवसा, गिरिव्व वाएण न संपवेयए ।३।**

छाया—तथाप्रकारैः जनैर्हीलितः, सशब्द स्पर्शाः परुषाः उदीरिताः ।

तित्तिच्चे ज्ञानी अदुष्टचेताः, गिरिव्व वातेन न सप्रवेपते ।

पदार्थ—तहृष्पगारेहिं—तथाप्रकार के । जगोहिं—जनों के द्वारा । हीलिए—हीलित अर्थान् तजित और ताडित किया हुआ तथा । फरुसा ससद्फासा—तीव्र आक्रोश और शीतोष्णादि के स्पर्श में । उईरिया—उदीरित मुनि । तित्तिक्खए—उन परीपहो को । सम्यक् प्रकार से सहन करता है, क्योंकि वह । नाणी—ज्ञानवान् है अर्थात् यह मेरे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है अतः मुझे ही इमे भोगना होगा ऐसा जानता है अतः । अदुट्ठचेवसा—अदुष्ट-कलुपता रहित मन वाला वह मुनि अनार्य पुरुषों द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों से । वाएण—वायु से । गिरिव्व—पर्वत की भांति । न संपवेयसे—कम्पित नहीं होता अर्थात् जैसे पर्वत वायु से कम्पायमान नहीं होता ठीक उसी प्रकार सम्यशील मुनि भी उक्त परीपहोपसर्गों से चलायमान नहीं होता है ।

मूलार्थ—असकृत एवं असभ्य पुरुषों द्वारा आक्रोशादि शब्दों से या शीतादि स्पर्शों से पीडित या व्यथित किया हुआ ज्ञानयुक्त मुनि उन परीपहोपसर्गों को शान्ति पूर्वक सहन करे । जिस प्रकार वायु के प्रबल वेग से

भी पवन कम्पायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समय शील मुनि भी इन परीपहो स सम्पित विचलित न हो अर्थात् अपने समय व्रत में दृढ़ रह।

हिन्दा निरचन

प्रस्तुत गाथा में पूर्व गाथा की बात दुहराई गई है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे प्रचण्ड वायु के बग से भी पवन कम्पायमान नहीं होता, उसी तरह ज्ञान संपन्न मुनि असभ्य एवं असंस्कृत व्यक्तियों द्वारा दिए गए परीपहों—कष्टों से कम्पित नहीं होता, अपनी समभाव की साधना से विचलित नहीं होता। वह कष्टों के भयकर तूफानों में भी अचल, अटल एवं स्थिर भाव से अपनी आत्म साधना में सलग्न रहता है। वह उन परीपहों को अपने पूर्व कृत कर्म का फल जानकर समभाव पूर्वक उहें सहन करता है और उन कर्मों को या कर्म बन्ध के कारण राग-द्वेष और कषायों को क्षय करने का प्रयत्न करता है।

प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त 'नाणी अदुट्ठचेपसा' पद का अर्थ यह है कि ज्ञानी इन कष्टों को पूर्व कृत कर्म का फल समझकर उसे समभाव पूर्वक सहन करता है। वह इस घोर सकट के समय भी विषमता की ओर गति नहीं करता है। वृत्तिकार न भी इसी बात को स्वीकार किया है।

साधु की सब प्राणियों के प्रति रही हुई समभाव की भावना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम्—उवेहमाणं कुसलेहि सबसे, अकतदुक्खी तसथावरा दुही।

अलूसए सव्वसहे महामुणी, तहाहि से सुस्समणे समाहिए।४।

छाया—उपेक्षमाणं कुशलै सबसेत्, अकान्तदु खिन तसस्थावरान् दु खिन।

अलूपपन् सर्वमह महामुनि तथाह्यसो सुश्रमण समाहित।

पदार्थ—उवेहमाणे—पथ्यस्य भाव का अवलम्बन करता हुआ या परीपहों को सहन करता हुआ। कुसलेहि—गोताय मुनियो के साथ। सबसे—रह। अकतदुक्खी—अनिष्ट दुःख-प्रदाता केन्द्रीय बिनको होरहा है ऐसे। दुही—दुःखी तस घोर स्थावर जीवो को। अलूसए—द्विती प्रकार का परिताप न देता हुआ। सव्वसहे—पथिवा की भांति सब प्रकार के परीपहोपसर्गों को सहन करे। तहाहि—इसी कारण से ही। से—वह। महामुणी—महामुनि। सुसमण—श्रेष्ठ श्रमण। समाहिए—कहा गया है।

मूलार्थ—परीपहोपसर्गो को सहन करता हुआ अथवा मध्यस्थ भाव का अवलम्बन करता हुआ वह मुनि गीतार्थ मुनियों के साथ रहे सब प्राणियों को दुःख अप्रिय लगता है ऐसा जानकर त्रस और स्थावर जीवों को दुःखों देख कर उन्हें किसी प्रकार का परिताप न देता हुआ पृथिवी की भाँति सर्व प्रकार के परीपहोपसर्गों को सहन करने वाला महामुनि—लोकवर्ति पदार्थों के स्वरूप का ज्ञाता होता है । अतः उसे सुश्रमण-श्रेष्ठश्रमण कहा गया है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि मुनि संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता स्व द्रष्टा है । अतः वह कष्टों एवं परीपहों से विचलित नहीं होता है । क्योंकि वह यह भी जानता है कि प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय लगता है, दुःख अप्रिय लगता है और संसार में स्थित एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि प्राणी दुःखों से संतप्त है, इसलिए वह किसी भी प्राणी को संक्लेश एवं परिताप नहीं देता । वह अन्य प्राणियों से मिलने वाले दुःखों को समभाव पूर्वक सहन करता है, परन्तु अपनी तरफ से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता । यह उसको साधुता का उज्ज्वल आदर्श है । और इस विशिष्ट साधना के द्वारा वह अपनी आत्मा का विकास करता हुआ अन्य प्राणियों को कर्म बन्धन से मुक्त करने में सहायक बनता है ।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को सदा मध्यस्थभाव रखना चाहिए । दुष्ट एवं असभ्य व्यक्तियों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और उसे सदा गीतार्थ एवं विशिष्ट ज्ञानियों के साथ रहना चाहिए । क्योंकि, मूर्खों के ससर्ग से समय एवं शक्ति का दुरुपयोग होने की सम्भावना बनी रहती है । अतः साधक को ज्ञानी पुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, उनके साथ रहकर वह अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है । इससे उसके ज्ञान में भी विकास होगा और ज्ञानवान एवं चिन्तनशील साधक लोक के यथार्थ स्वरूप को जानकर कर्म बन्धन से मुक्त हो सकता है । अतः साधक को गीतार्थ मुनियों के साथ रहे रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम् - त्रिऊ नए धम्मपयं अणुत्तरं, विणीयतरहस्स मुणिसस भाययो ।

समाहियस्सग्गिसिहा व तेयसा, तवो य पन्ना य जसो य बड्ढइ । ५ ।

छाया—विद्वान् नत धर्मपदमनुत्तर, विनीततृष्णाभ्य मुने ध्यायत ।

समाहितस्याग्निशिखेय तन्मा, तपश्च प्रणा च यशश्च वृद्धते ।

पदाय—तए—विनयवान । विड—समयन । अनुत्तर—प्रधान । धम्म पय—धमपन
यति धम—शमा मार्त्तव मानि के विषय म प्रवृत्ति करने वाल । विनीततृष्णस्त—तृष्णा का दूर
करने वाल । उन्नायघ्नो—धमध्याय करने वाल । समाहितस्त—समाधिमान । मुनिस्त—मुनि क ।
अग्निशिखा च—अग्नि शिखा क समान । तेयसा—तज । य—घोर । तपो—तप घोर । य—
पुन । पन्ना- प्रणा-वृद्धि घोर । जसो—यग । षट्ठइ—अभिवृद्धि होत है ध्रुववा अग्नि शिखा
की भाति तेज स प्रदीप्त हुए मुनि का तप प्रज्ञा, घोर यग वृद्धि का प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—क्षमा मादवादि दश प्रकार के श्रेष्ठ यति श्रमण धम मे प्रवृत्ति करने
वाला विनयवान एव ज्ञान सपन्न मुनि जो तृष्णा रहित होकर धम ध्यान
मे सलग्न है और चाग्नि का परिपालन करने मे मावधान है, उसके तप
प्रज्ञा और यश अग्नि शिखा के तेज की भाति वृद्धि को प्राप्त होते हैं ।

हिन्दी विवचन

प्रस्तुत गाथा मे सयम से होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है । क्षमा,
मार्दन आदि दश धर्मों से युक्त एव तृष्णा से रहित होकर धम ध्यान मे सलग्न विनय
सपन्न मुनि की तपश्चर्या, प्रज्ञा एव यश प्रसिद्धि आदि में अभिवृद्धि होती है । वह निर्धूम
अग्नि शिखा की तरह तेजस्वी एव प्रकाश-युक्त बन जाता है । उसकी साधना में तेजस्विता
आ जाती है । इससे स्पष्ट होता है कि क्षमा, मार्त्तव आदि से आत्मा के ऊपर लगा
हुआ कर्म मैल दूर होता है और परिणाम स्वरूप उसकी उज्ज्वलता, ज्योतिमयता और
तेजस्विता प्रकट हो जाती है ।

स विषय में कुछ और बातों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहे हैं—

मूलमू—दिसोदिसऽण्णतजिण्ण ताडणा, महव्वया रवेमपया पवेइया ।

महागुरु निस्मयरा उईरिया, तमेव तेउत्तिदिम पगासगा ।६।

छाया—दिशोदिश अनन्तचिनेन त्रायिना महात्रतानि चेमपदानि प्रवेदितानि ।

महागुरुणि नि भ्वकराणि उदोरितानि तम इउ तेज इति त्रिदिश प्रकाशकानि

पदार्थ—दिसोदिस—सर्व एकेन्द्रिय आदि भाव दिशाओं में । खेमपया—रक्षा के पद-स्थान । महोव्या—ग्रहसादिमहाव्रत । पवेइया—प्रतिपादन किए हैं । ताइया—षट्काय की रक्षा करने वाले । अनंतजिणेण—अनन्त ज्ञान युक्त जिनेन्द्र भगवान को, अर्थात् जिनेन्द्र देव ने अनन्त आत्माओं की रक्षा के लिए ऋच महाव्रतों का प्रतिपादन किया है वे महाव्रत । महागुरु—महान् पुरुषों द्वारा पालन किए जाने से महागुरु हैं । निस्सयरा—अनादि काल से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म बन्धन को तोड़ने वाले हैं । उईरिया—आविष्कृत किए हैं प्रकट किए हैं । तमेवते-उत्ति—जिस प्रकार तेज अन्धकार को दूर करता है और । दिस पयासया—तीन दिशाओं के अन्धकार को नष्ट कर तीनों दिशाओं १ ऊर्ध्व दिशा, २ अधो दिशा और तिर्यक दिशा में प्रकाश करता है ठीक उसी प्रकार कर्म रूपी अन्धकार को विनष्ट करके वे महाव्रत तीन लोक में प्रकाश करने वाले हैं ।

मूलार्थ—षट्काय के रक्षक, अनन्त ज्ञान वाले जिनेन्द्र भगवान ने एकेन्द्रियादि भाव दिशाओं में रहने वाले जीवों के हित के लिए तथा उन्हें अनादि काल से आवद्ध कर्म बन्धन से छुड़ाने वाले महाव्रत प्रकट किए हैं । जिस प्रकार तेज तीनों दिशाओं के अन्धकार को नष्ट कर प्रकाश करता है, उसी प्रकार महाव्रत रूप तेज से अन्धकार रूप कर्म समूह नष्ट हो जाता है और जानवान् आत्मा तीनों लोक में प्रकाश करने वाला बन जाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में महाव्रतों के महत्व का उल्लेख किया गया है । इसमें बताया गया है कि एकेन्द्रियादि भाव दिशाओं में स्थित जगत के जीवों के हित के लिए भगवान ने महाव्रतों का उपदेश दिया है । जिसका आचरण करके आत्मा अनादि काल से लगे हुए कर्म बन्धनों को तोड़कर पूर्णतया मुक्त हो सकता है । क्योंकि भगवान का प्रवचन प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है । इससे समस्त अज्ञान अन्धकार नष्ट हो जाता है, जिस अज्ञान अन्धकार में आत्मा अनादि काल से भटकता रहा है, उससे छूटने का मार्ग मिल जाता है ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वज्ञों का उपदेश प्राणी जगत के हितार्थ होता है । इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि संसार में आत्मा एवं कर्म संबन्ध भी अनादि है । परन्तु, यह अनादिता एक कर्म या एक गति की अपेक्षा नहीं बल्कि

कर्म प्रवाह की अपेक्षा में है। बंधने जाल प्रत्येक कम अपनी स्थिति के अनुसार फन देकर आत्मा से पृथक् हो जाता है, परन्तु साथ में श्रय कम बंधते रहते हैं। इस तरह आत्मा पहले के बाधे हुए कर्मों को यथा समय भोग कर जय करता है और फिर नए कर्मों का बंध करता रहता है। इस प्रकार कर्मों का प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है। इस बात को हमसे स्पष्ट कर दिया गया है कि महाजननों का आचरण करके साधक उम प्रवाह को सर्वथा नष्ट कर सकता है। यदि एक ही कम अनादि काल से चला आता हो तो उसे नष्ट करना असम्भव था। परन्तु एक कम अनादि नहीं है। व्यष्टि की दृष्टि से वह सादि है, अर्थात् अमृत समय में बंधा है और अपने बंध हुए काल पर फन देकर क्षय हो जाता है। इन तरह कम व्यक्ति की दृष्टि से सादि है परन्तु समष्टि—प्रवाह की अपेक्षा में अनादि है। क्योंकि ससार में स्थित जीव एक ब बाद दूसरी, तीसरी—कर्म प्रकृतियों का बंध करता रहता है। इस कारण उसे नष्ट भी किया जा सकता है और उसे नष्ट करने का साधन है—महाव्रत। क्योंकि, राग द्वेष, कपाय एवं हिंसा आदि प्रवृत्तियों से कर्म का बंध होता है और महाव्रत इन प्रवृत्तियों के—आश्रय के द्वार को रोकने एवं पूर्व बंध कर्मों को क्षय करने का महान् साधन है। इस तरह सत्त्व के द्वारा आत्मा जत्र अभिन्न कम प्रवाह के स्रोत का आना बन्द कर देता है और पुरातन कर्म जल को तप, म्नाध्याय एवं ध्यान आदि साधना से सर्वथा सुखा देता है, क्षय कर देता है, तत्र उक्त कम बंधन से मजया मुक्त उ-मुक्त हो जाता है।

अस्तु, महाव्रत की साधना आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करती है और इसका उपदेश समस्त पुरुष देने हैं। क्योंकि ये राग द्वेष से मुक्त हैं और अपने निराचरण ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को सम्बन्धना द्रव्यत जानते हैं। अतः उनका उपदेश तत्र अग्नि की तरह प्रकाशमान है और प्रथम आत्मा का प्रकाशमान बनने की प्रेरणा देता है।

महाव्रतों को शुद्ध रखने के लिए उत्तर गुणों में सावधानी रखने का आदेश दत्ते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—सिएहि भिक्खु असिए परिव्वए, यमज्जमित्थीसु चइज्ज पूयणा
अण्णिस्मियो लोगमिणा तहा पर, न मिज्जई कामगुणोहि पडिए ।७।

व्याख्या—मित्तं भिक्षु असित्त्तं परिव्रजेत्, असजन् व्राणु त्यजेत् पूजनम् ।

अनिश्रित लोकमिम तथा पर, न मीयते कामगुणै पडित ।

व्याख्या—सिएहि—कम एक वह पाप में बाधक व्यक्तियों के साथ । असिए—नहीं

बन्धा हुआ । मिथुन—भिन्नु अर्थात् उनका मंग न करता हुआ साधु । परिव्वण—संयम ग्रहण कर के विचरे तथा । इत्योसु—स्त्रियो मे । असज्ज—असवत न होता हुआ अर्थात् उनका सग न करता हुआ । पूयण—घपने पूजा—मान सम्मान की अभिलाषा को । चइज्ज—त्याग कर । अग्नि-स्त्रियो—स्त्री ससर्ग से असम्बद्ध होकर । लोगमिण—इस लोक मे । तहा—तथा । परं—पर लोक में अर्थात् इस लोक तथा परलोक के विषय मे आशा रहित हो कर । कामगुणेहि—काम गुणो—प्रिय शब्दादि विषयो को । न मिज्जइ—स्वीकार न करे । पडिइ—जो साधु काम गुणो को स्वीकार नहीं करता तथा उनके परिणाम को जानता है वह पडित है ।

मूलार्थ—साधु कर्मपाश से बन्धे हुए गृहस्थों या अन्य तीर्थियों के सम्पर्क से रहित होकर तथा स्त्रियों के संसर्ग का भी त्याग करके विचरे और वह, पूजा सत्कार आदि की अभिलाषा न करे, और लोक तथा परलोक के सुख की कामना भी न रखे । वह मनोज्ञ शब्दादि के विषय में भी प्रतिबद्ध न होवे । इस तरह उनके कटुविपाक को जानने के कारण वह मुनि, पडित कहलाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में बताया गया है कि साधु को राग-द्वेष से युक्त एवं कम पाश में आवद्ध गृहस्थ एवं अन्य तीर्थियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए और उसे स्त्रियों के संसर्ग का भी त्याग कर देना चाहिए । उसे पूजा-प्रतिष्ठा एवं ऐहिक या पारलौकिक सुखों की अभिलाषा भी नहीं रखनी चाहिए । परन्तु इन सब से मुक्त-उन्मुक्त होकर संयम साधना में संलग्न रहना चाहिए । क्योंकि गृहस्थ एवं अन्य मत के भिक्षुओं के सम्पर्क से उसके मन में राग-द्वेष की भावना जागृत हो सकती है और आध्यात्मिक साधना पर संशय हो सकता है । दूसरे में उसका स्वाध्याय एवं चिन्तन करने का अमूल्य समय—जिसके द्वारा वह आत्मा के ऊपर पड़े हुए कर्म आवरण को अनावृत्त करता हुआ आध्यात्मिक साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, व्यर्थ की बातों में नष्ट होगा । और कभी साधु की उत्कृष्ट साधना को देखकर अन्यमत के भिक्षु के मन में ईर्ष्या की भावना जाग उठी तो वह साधु को शारीरिक कष्ट भी पहुंचा सकता है । इस तरह उनका संसर्ग आत्म साधना में बाधक होने के कारण त्याज्य बताया गया है ।

इसी तरह स्त्रियों के संसर्ग से भी विषय वासना उदीप्त हो सकती है और मान-पूजा प्रतिष्ठा की भावना एवं ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों की अभिलाषा भी पतन का कारण है । क्योंकि इसके वशीभूत आत्मा अनेक तरह के अच्छे बुरे कर्म करता है ।

इसलिए साधक को इन मग के कट्टु परिणायों को जानकर इनसे मुक्त रहना चाहिए। जो साधक इनके विपाक्त एव दुर परिणामों को सम्यक्तया समझकर उनसे सर्वथा पृथक् रहना है वही श्रमण वास्तव में पंडित है ज्ञानी है और वही साधक कर्म बंधा से मुक्त हो सकता है।

एक उदाहरण के द्वारा हम विषय का स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम—तथा विमुक्कस्स परिन्नचारिणो,

धिईमयोदुक्खखमस्स भिक्खुणो ।

विमुज्झई जसि मल पुरेकड,

समीरिय रूपमल व जोडणा ॥८॥

आया—तथा विप्रमुक्तस्य परिज्ञाचारिणो,

धृतिमत दु खचमस्य भिक्षो ।

विशुध्यति यस्य मल पुराकृत,

समीरित रूप्यमलमिव ज्योतिषा ।

पद्या—तथा—तथा । विप्यनुक्कस्स—विप्रमुक्त—सग स रत्तित । परिन्नचारिणो—ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला । दुक्ख खमस्स—दुःख को सन्न करने वाला । धिईमयो—धयवान । भिक्खुणो—भिक्षु का । पुरेकड—पूर्वकृत । मल—कम रूप मल । विमुज्झई—दूर हो जाता है । व—जसे । जोडणा—प्रति पाग । समीरिय—प्रेरित किया हुआ । रूपमल—चादी का मल प्रथान जसे प्रगिन द्वारा चादी का मन उठने पदक हो जाता है ठीक उसी प्रकार तप सयन व द्वारा कममल दूर हो जाता है ।

मूलाथ—जिस तरह अग्नि चादी के मैल को जलाकर उसे शुद्ध बना देती है वसी प्रकार मव ससग^१ से रहित ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला, धयवान एव सहिष्णु साधक अपना साधना से आत्मा पर लगे हुए कममल को दूर करके आत्मा को निरावरण बना लेता है ।

हिन्दी विषयन

प्रस्तुत सूत्र में कर्ममल को हटाने के साधनों का उल्लेख किया गया है । कर्म

बन्ध का कारण राग-द्वेष है। अतः इसका परिजान रखने वाला साधक ही सम्यक् साधना के द्वारा उसे हटा सकता है। जैसे चाँदी पर लगे हुए मैल को अग्नि द्वारा नष्ट किया जा सकता है। उन्नी प्रकार कर्म के मैल को ज्ञान पूर्वक क्रिया करके ही हटाया जा सकता है। उसके लिए साधक जो धैर्य के साथ सहिष्णुता का रखना भी आवश्यक है। क्योंकि अधीरता, आतुरता, अस्थिरता एवं असहिष्णुता अथवा परीपन्न एवं दुःखों के समय हाय-त्राय एवं विविध संकल्प-विकल्प आदि की प्रवृत्ति कर्म बन्ध का कारण है। इससे आत्मा कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकती है। उसके लिए साधना आवश्यक है। और साधक को साधना के समय आने वाले कष्टों को भी धैर्य एवं समभाव पूर्वक सहन करना चाहिए। क्योंकि इससे कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे चान्दी आग में तप कर शुद्ध होती है, उन्नी तरह तप एवं परीपणों की आग में तपकर साधक की आत्मा भी शुद्ध बन जाती है।

इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानपूर्वक की गई क्रिया ही आत्म विकासी में सहायक होती है और साधना के साथ धैर्य एवं सहिष्णुता का होना भी आवश्यक है। अब सर्पत्वग् का उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते हैं।

मूलम—से हु परिन्नासमयंमि वट्टई, निराससे उवरय मेहुणा चरे।

भुयंगमे जुन्नतयं जहा चए, विमुच्चई से दुहसिज्ज माहणे ।६।

छाया-सः हि परिज्ञासमये वर्तते, निराशमः उपरतः मैथुनात् चरेत् ।

भुजगमः जीर्णत्वच्चं यथा त्यजेत् विमुच्यते सः दुःखश्रय्यातः माहनः ।

पदार्थ—से—वह-भिक्षु। हु—निश्चयार्थक है। परिन्नासमयंमि—मूलोत्तर गुणों के विषय में वर्तने वाला तथा पिण्डपणा की शुद्धि करने वाला सम्यग् ज्ञान के विषय में। वट्टई—प्रवृत्त हो रहा है तथा। निराससे—इस लोक और परलोक के विषयों की आशा से रहित और। मेहुणा—मैथुन से। उवरय—उपरत-विरत हुआ। चरे—मयम मार्ग में विचरता है। जहा—जैसे। भुयंगमे—सर्प। जुन्नतयं—जीर्ण त्वचा-काचली को चए—त्याग देता है। से—उसी प्रकार वह। माहणे—अहिंसा का उपदेष्टा साधु। दुहसिज्ज—दुखरूप शय्या से। विमुच्चई—विमुक्त हो जाता है अर्थात् संसार चक्र से छूट जाता है।

मूलार्थ—जिस प्रकार सर्प अपनी जीर्ण त्वचा-काचली को त्याग कर उससे पृथक् हो जाता है, उसी तरह महाव्रतो से युक्त, शास्त्रोक्त

उन कर्मों का बंधन है। तु-पुन । विमुक्त-उन कर्मों का बंधन विमुक्त होता
 प्राप्ति-कहा गया है। ज-जा गायु । यथविमुक्त-व य ही मी र क । अहासता-यथा
 स्वप्न का। प्रज-बला है मन्वा प्रकार म जानन बाता है । ह-निश्चय ही । से-वह ।
 मथा-मुनि । अतकडिन-कर्मों का घन करन वाला । यच्छर्द-क । जाता है ।

मूलाय-इस संसार में आत्मा ने आसन्न का सेवन करने जिस प्रकार
 कम बाध है उसी तरह मन्वक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना करके
 उन आवद्ध कर्मों में मुक्त हो सकता है। जो मुनि बंध मोक्ष के यथार्थ
 स्वरूप को जानता है, वह निश्चय ही कर्मों का अंत करने वाला कहा
 गया है।

हिन्दा विचन

इस गाथा में बंध और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा
 जिस प्रकार कम में बाधता है और माधना से जन्म प्रसार तोड़ता है, उसका परिहाता
 मुनि ही इस संसार का अंत करता है। यह हम देख चुके हैं कि कर्म बंध का कारण
 आसन्न है। मिथ्यात्व, अव्यक्त कथाय, प्रमाद और योगरूप आसन्न से कर्म बगला के
 पुद्गला का आत्म प्रदेशों के साथ बंध होता है। जैसे आग म रये हुए लोहे के गोले
 में अग्नि के परमाणु प्रविष्ट हो जाते हैं और वह लोहे का गोला आग के गोले वैसे
 प्रविष्ट होता है। उसी तरह कम धरण के परमाणुओं से आवृत्त आत्मा अपने स्वरूप
 को भूलकर कर्मों में अनुरूपगति करता है। परंतु मन्वक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की
 माधना से आत्मा कम आसन्न से अनावृत्त हो जाता है। क्योंकि, आसन्न कम के
 धाम का द्वार है तो सत्त्व कम के आगमन को रोकने का कारण है और तप आत्मा
 निरंतर न साधन है। इस प्रकार जब साधक बंध और मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जान
 कर मन्वक् प्रवृत्ति करता है, तो वह संसार का अंत करके निर्माण पद को प्राप्त कर
 लेता है। अतः सत्त्व पुरुषा न ऐसे साधक को संसार का अंत करने वाला कहा है।

इसमें स्पष्ट होता है कि साधक के लिए संसार में परिभ्रमण कराने वाले और
 कम बंधन में मुक्त कराने वाले दोनों साधना की जानकारी करना आवश्यक है।
 क्योंकि वह आसन्न का यथा ज्ञान करके उससे निवृत्त होकर सत्त्व की साधना से
 अभिनव कर्मों के आगमन को रोक लेता है और निजरा के द्वारा पूव बंध हुए कर्मों को
 समाप्त कर देता है। इस तरह वह कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाता है।

अत्र विमुक्ति अध्ययन का उपसंहार करते हुए मंत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इमंसि लोए परए य दो सुवि, न विज्जई बंधणं जस्स किंचिव
सेहुनिरालंबणमप्पइट्ठए कलंकली भावपहे विमुच्चई ॥१२॥

तिवेमि ॥

विमुत्ता सम्मत्ता ॥

आचारांग सूत्रं समाप्तम् ॥ ग्रन्थाग्रं २५५४ ॥

छाया — अस्मिन्लोके परस्मिन् च द्वयोरपि न विद्यते बन्धनं यस्यकिंचिदपि ।

म खलु निरालम्बनमप्रतिष्ठितः कलंकली भावपथात् विमुच्यते ॥

इति ब्रवीमि । विमुक्तिः समाप्ता । आचारांगसूत्र समाप्तम् ग्रन्थाग्रं २५५४ ।

पदार्थ—इमंसि—इस । लोए—लोक मे । य—और । परए—परलोक मे तथा ।
दोसुवि—दोनों लोको मे । अपि—पुनरर्थक है । जस्स—जिसका । किंचिवि—कि चिन्मात्र भी
राग-द्वेष आदि का । बंधणं—बन्धन । न विज्जई—नहीं है । से—वह । हु—निश्चय ही । निरा-
लंबणं—अलम्बन रहित अर्थात् लोक परलोक सम्बन्धि आशा से रहित तथा । मप्पइट्ठए—प्रति
बन्ध से रहित साधु । कलंकली भावपहे—जन्म मरण रूप संसार के पर्यटन से । विमुच्चई—छूट
जाता है । तिवेमि—इम प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ - इस लोक तथा परलोक एवं दोनों लोकों मे जिसका किंचि-
न्मात्र भी राग आदि का बन्धन नहीं है तथा जो लोक तथा परलोक की
आशाओं से रहित है अप्रतिबद्ध है, वह साधु निश्चय ही गर्भ आदि के पर्यटन
से छूट जाता है अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में पूर्व गाथाओं में अभिव्यक्त विषय को दोहराते हुए व ताया
गया है कि जो साधक इस लोक और परलोक के सुखों की अभिलाषा नहीं रखता है,
जो राग-द्वेष से सर्वथा निवृत्त हो चुका है और जो अप्रतिबद्ध विहारी है, वह गर्भावास
मे नहीं आता अर्थात् जन्म-मरण का सर्वथा उच्छेद करके सिद्ध-बुद्ध मुक्त न जाता है ।

क्रियाओं का परिपालक, मधुन से सवथा निवृत्त एव लोक-परलोक के सुख की अभिलाषा से रहित मुनि नरकादि दुःख रूप शय्या या कम बान्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में मर्प का उदाहरण देकर बताया गया है कि जिस प्रकार मप अपनी चन्दा मंचली का त्याग करने के बाद शीघ्रगामी एव हलका हो जाता है । उसी तरह साधक भी सावध कार्यों विषय विकारों एव भीतिक सुगमों की अभिलाषा का त्याग करने निर्मल, पत्रि एव शीघ्र गति से मोक्ष की ओर बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है । क्योंकि सावध कार्य एव विषय विकार आदि कर्म बन्धक कारण हैं । इससे आत्मा कर्मों से बोझिल बनती है और फल स्वरूप उसकी ऊपर उठनेकी गति अशुद्ध हो जाती है । अतः इस गाथा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि साधक को आगम में बताए गए महाव्रतों एव अन्य क्रियाओं का पालन करना चाहिए । इससे आत्मा पर पडा हुआ कर्मों का बोझिल आवरण दूर हो जाता है । जिससे आत्मा में अपने आपको सवथा अनावृत्त करने की महान् शक्ति प्रकट हो जाती है ।

अब समुद्र का उदाहरण देते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जमाहु योह सलिल अपारय महासमुद्र व भुयाहि दुत्तर ।

यहे य गा परिजाणाहि पडिए, से हु मुणी अतकडेत्ति चुच्चई । १० ।

छाया—जमाहु ओष सलिल अपारम् महासमुद्रमिव भुनाम्पा दुत्तरम्

अथैन व परिजानीहि पडित स खलु मुनि अतकृत् इति उच्यते ।

पदार्थ—ज—जो । जमाहु—जनत तीर्थकरादि ने कहा है । योह—घोष रूप ।

सलिल—जल । अपारय—जिसका पार नहीं आता तेने । महासमुद्र—महा समुद्र को । भुयाहि—जजाओ'स तरंगा । दुत्तर—दुस्तर है । व—इसा प्रकार सप्तर रूप समुद्र को पार करना कठिन है । (ग्रहेपण—ब-बुन । ण—वाक्यान्वकाराधिक है । परिजाणीहि—प्रत साधु ज प्रज्ञा से सप्तर क स्वरूप को जान कर प्रत्याख्यान परिजा से उसका परित्याग करे । से पडिए—मश और प्रसन्न के स्वरूप को जानने वाला वह पडित । मुणी—मुनि । हु—निश्चय ही । अतकडेत्ति—कर्मों का श्राव करन वाला । चुच्चई—कहा जाता है ।

मूलाथ—महासमुद्र की भांति सप्तर रूप समुद्र को पार करना

दुष्कर है, हे शिष्य । तू इस संसार के स्वरूप का ज्ञ परिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से उसका त्याग कर दे । इस प्रकार त्याग करने वाला पण्डित मुनि कर्मों का अन्त करने वाला कहलाता है ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत सूत्र में समुद्र का उदाहरण देकर संसार के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । समुद्र में अपरिमित जल है, अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं । इसलिए उसे भुजाओं से तैर कर पार करना कठिन है । उसी तरह यह संसार सागर भी सामान्य आत्माओं के लिए पार करना कठिन है । इस संसार सागर में आस्रव के द्वारा मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद कषाय और योग रूप जल आता रहता है । इसलिए साधक को यह आदेश दिया गया है कि इस दुस्तर संसार सागर को पार करने के लिए तू इसके स्वरूप का परिज्ञान कर । अर्थात् संसार समुद्र में परिभ्रमण एव उसे पार होने के स्वरूप का ज्ञान कर । आस्रव संसार परिभ्रमण का कारण है और संवर या आस्रव का त्याग संसार से पार होने का साधक है । अतः तू ज्ञ परिज्ञा के द्वारा आस्रव के स्वरूप का ज्ञान कर और प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा उसका त्याग कर । इस तरह तू आस्रव के स्वरूप को जानकर उसका सर्वथा त्याग कर देगा तो संसार सागर से पार होजाएगा । क्योंकि, ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला साधक ही संसार समुद्र को उल्लंघन कर निर्वाण पद को प्राप्त करता है । इसलिए उसे संसार का अन्त करने वाला कहा गया है । इससे दो बातें सिद्ध होती हैं — १ ज्ञान और क्रिया का समन्वय ही मुक्ति का मार्ग है और, २ संसार अनादि होते हुए भी सान्त है, आत्मा सम्यक् साधना के द्वारा उसका अन्त करके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है ।

इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—जहाहि बद्धं इहमाणवेहिं, जहाय तेसिं तु विमुक्क आहिए ।

अहातहा बंधविमुक्क जेविऊ, से हु मुणी अंतकडेत्ति बुच्चई । ११ ।

छाया-यथा हि बद्धं इहमानवैः, यथा च तेषां तु विमोक्षः आख्यातः ।

यथा तथा बन्धविमोक्षयोः यो विद्वान् स खलु मुनिरन्तकृदिति उच्यते ॥

पदार्थ — हि — निश्चयार्थक है । जहा — जिस प्रकार । इह — इस संसार में । माणवेहिं-
मनुष्यों ने । बद्ध — मिथ्यात्वादि के द्वारा कर्म बान्ध है । य — और । जहा — जैसे । तेसिं —

उन कर्मों का बंधा स्वरूप है। तु - पुत्र। विमुक्त - उन कर्मों के बंध में विमुक्त होना प्राप्ति - कहा गया है। ज - ज्ञानात्। बधविमुक्त - बंध और मोक्ष का। अहात्तहा - यथा स्वरूप का। वेद - यथा है-सम्बन्ध प्रकार में जानने वाला है। हु - निश्चय ही। स - वह। मुनी - मुनि। अतकडति - कर्मों का धर्म करने वाला। बच्चई - कहा जाता है।

मूलाय - इस ससार में आत्मा ने आसन्न का सेवन करके जिस प्रकार बंध बाध है उसी तरह सम्यक् ज्ञान दर्शन एवं चारित्र्य की आराधना करके उन आवद्ध कर्मों में मुक्त हो सकता है। जो मुनि एवं माक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानता है, वह निश्चय ही कर्मों का अन्त करने वाला कहा गया है।

हिंदा निवृत्त

प्रस्तुत गाथा में बंध और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा जिस प्रकार कर्म से बाधता है और साधना से जिस प्रकार तोड़ता है, उसका परिज्ञाता मुनि ही इस ससार का अन्त करता है। यह हम दय चुके हैं कि कर्म बंध का कारण आसन्न है। मिथ्यात्त, अज्ञान कथाय, प्रमाद और योगरूप आसन्न से कर्म बगला के पुद्गला का आत्म प्रदेशों के साथ बंध होता है। जैसे आग में रये हुए लोहे के गोले में अग्नि के परमाणु प्रविष्ट हो जाते हैं और वह लोहे का गोला आग के गोले जैसा ज्वलित होता है। उसी तरह कर्म प्रवृत्ति के परमाणुओं से आवृत्त आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के अनुरूपगति करता है। परन्तु सम्यक् ज्ञान दर्शन एवं चारित्र्य की साधना से आत्मा कर्म आवरण से अनावृत्त हो जाता है। क्योंकि, आसन्न कर्म के ध्यान का द्वार है तो सार कर्म के आगमन को रोकने का कारण है और तप आत्मा निवृत्त के साधन हैं। इस प्रकार तप साधक बंध और मोक्ष के यथाथ स्वरूप को जान कर सम्यक् प्रवृत्ति करता है, तो वह ससार का अन्त करके निर्गुण पद को प्राप्त कर लेता है। अतः सत्य पुण्यों ने ऐसे साधक को ससार का अन्त करने वाला कहा है।

इसमें स्पष्ट होता है कि साधक के लिए ससार में परिभ्रमण कराने वाले और कर्म बंधन से मुक्त कराने वाले दोनों साधनों की जानकारी करना आवश्यक है। क्योंकि यह आसन्न का यथाथ ज्ञान करके उससे निवृत्त होकर सार की साधना से अमिथ्या कर्मों का आगमन को रोक लेता है और निजरा के द्वारा पूरे बंध हुए कर्मों को समाप्त करता है। इस तरह वह कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है।

अत्र त्रिमुक्ति अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मूलम्—इमंसि लोए परए य दो सुवि, न विज्जई बंधणां जस्स किंचिव
 सेहुनिरालंबणमप्पइट्ठए कलंकली भावपहे विमुच्चई ॥१२॥
 तिवेमि ॥

विमुत्ता सम्मत्ता ॥

आचारांग सूत्रं समाप्तम् ॥ ग्रन्थाग्रं २५५४ ॥

छाया — अस्मिन्लोके परस्मिन् च द्वयोरपि न विद्यते बन्धनं यस्यकिंचिदपि ।

न खलु निरालम्बनमप्रतिष्ठितः कलंकली भावपथात् विमुच्यते ॥

इति ब्रवीमि । विमुक्तिः समाप्ता । आचारांगसूत्र समाप्तम् ग्रन्थाग्रं २५५४ ।

पदार्थ—इमंसि—इस । लोए—लोक मे । य—और । परए—परलोक मे तथा ।
 दोनुवि—दोनों लोको मे । अपि—पुनरर्थक है । जस्स—जिसका । किंचिवि—किंचिन्मात्र भी
 राग-द्वेष आदि का । बंधणां—बन्धन । न विज्जई—नही है । से—वह । हु—निश्चय ही । निरा-
 लंबणं—आलम्बन रहित अर्थात् लोक परलोक सम्बन्धि आशा से रहित तथा । अप्पइट्ठए—प्रति
 बन्ध से रहित साधु । कलंकली भावपहे—जन्म मरण रूप ससार के पर्यटन से । विगुच्चई—छूट
 जाता है । तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूलार्थ - इस लोक तथा परलोक एवं दोनों लोकों मे जिसका किंचि-
 न्मात्र भी राग आदि का बन्धन नहीं है तथा जो लोक तथा परलोक की
 आशाओं से रहित है अप्रतिबद्ध है, वह साधु निश्चय ही गर्भ आदि के पर्यटन
 से छूट जाता है अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

हिन्दी विवेचन

प्रस्तुत गाथा में पूर्व गाथाओं में अभिव्यक्त विषय को दोहराते हुए व ताया
 गया है कि जो साधक इस लोक और परलोक के सुखों की अभिलाषा नहीं रखता है,
 जो राग-द्वेष से सर्वथा निवृत्त हो चुका है और जो अप्रतिबद्ध विहारी है, वह गर्भावास
 में नहीं आता अर्थात् जन्म-मरण का सर्वथा उच्छेद करके सिद्ध-सुद्ध मुक्त न जाता है ।

इम से स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति का मार्ग न तो अकले ज्ञान पर आधारित है और न केवल क्रिया पर। यह ठीक है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान भी साधन है और क्रिया भी साधन है। दोनों मोक्ष के लिए आवश्यक हैं। परंतु दोनों की विभाजित रूप से नहीं, समन्वित रूप से आवश्यकता है। यदि उनमें समन्वय नहीं है तो वह मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं हो सकते। कुछ व्यक्ति मुक्ति के लिए ज्ञान माधना पर जोर देते हैं, परंतु क्रिया का निषेध करते हैं। और कुछ क्रिया को सर्वोपरि मानते हैं परंतु ज्ञान को आवश्यक नहीं मानते। ज्ञानवादियों का कहना है कि आत्मा एवमसत् के स्वरूप का ज्ञान करना ही मुक्ति है, क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर क्रियावादी कहते हैं कि मुक्ति के लिए क्रिया ही आवश्यक है। किसी व्यक्ति के आयुर्वेद ग्रन्थ कण्ठस्थ है, परन्तु वह इसमें अभियन्त विधि के अनुसार औषध ग्रहण नहीं करता है, तो उसका कोरा ज्ञान उसे रोग से मुक्त नहीं कर सकता है। इसी तरह आचरण के अभाव में सिर्फ ज्ञान ही आत्मा को सत्कार से छुटकारा नहीं दिला सकता है। दोनों के कथन में सत्याश है, परन्तु वे उस सत्याश को पूरा सत्य मान रहे हैं इसी कारण उनका कथन मिथ्या माना गया है।

जैन दर्शन ज्ञान और क्रिया के समन्वय को मोक्ष मार्ग मानता है। ज्ञान से दृष्टि मिलती है, मार्ग का बोध होता है, परन्तु वह साध्य तक पहुँचाने में अक्षम है और क्रिया गतिशील है परन्तु दृष्टि से रहित होने से समार्ग और कुमार्ग का भेद नहीं कर सकती। इसी अपेक्षा से अकले ज्ञान को पशु और अकली क्रिया को अधी माना गया है। और दोनों की समन्वित साधना से साध्य अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। इसलिए आगम में कहा गया है कि जी सायक सध नयो को सुनकर जानकर ज्ञान और क्रिया की माधना करता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है^१। स्थानाग सूत्र में भी बताया है कि जो माधक ज्ञान और चारित्र से युक्त है, वह समार बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इम सं इम इम निष्कर्ष पर पहुँचने हैं कि ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यही पूरा आचारान्न सूत्र का सार है। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि द्वादशांगी का निबोध भी यही है कि ज्ञान और क्रिया की समन्वित साधना से ही आत्मा निर्वाण पद को पा सकता है। क्योंकि, साध्य का मुख्य लक्षण निर्वाण पद प्राप्त करना है और आगम या द्वादशांगी के प्रवचन का उद्देश्य

१ ज्ञानक्रियाम्ना मोक्ष ।

—माचारान्न वति ।

११ सर्व्वेति पि नयाण बट्ट विह्वल वय निसामिता ।

त सर्व्वनयविमुद ज चरणगुगटिठमो धाह ।

भी नहीं है कि उसके अध्ययन एवं चिन्तन-मनन से सावक ज्ञान और किया अपने जीवन में साकार रूप देकर कर्म बन्धन से मुक्त हो सके। अस्तु, ज्ञान और का सम्यक्तया आराधन एवं परिपालन करना ही मोक्ष मार्ग है।

सोलहवां अध्ययन (चतुर्थचूला) समाप्त

श्री आचारांग सूत्र समाप्त

श्री आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंध की 'निशीथ' नामक पांचवी चूला मिलता है। परन्तु वर्तमान में यह चूला आचारांग के साथ सवट नहीं है। उसे म्यान दे दिया गया है। क्योंकि उसका विषय आचारांग से संबद्ध है। आचारांग में आचार का उल्लेख किया गया है और निशीथ में यह बताया गया है कि यदि साधु आचार पथ से भटक जाता है, तो उसे क्या प्रायश्चित्त देना चाहिए। इस तरह से संबद्ध प्रकरण होने के कारण उसे स्वतंत्र रूप से छेद शास्त्रों के साथ जोड़ दिया गया हो, प्रतीत होता है और ऐसा करना उचित भी जंचता है।

पारिभाषिक शब्द कोश

१. अचित्त—निर्जीव, अचेतन
२. अटवी—जगल, वन
३. अदृष्ट—अदृश्य, प्रत्यक्ष में दिखाई न देनेवाला
४. अध्येसाय—परिणाम
५. अनगार—मुनि, साधु, भिक्षु
६. अनन्त—जिसका कहीं भी अन्त न हो
७. अनभिज्ञ—अनजान, हिताहित को नहीं जाननेवाला
८. अनवरत—निरन्तर, लगातार
९. अनादि—जिस की आदि न हो
१०. अनार्थ—हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त व्यक्ति
११. अनासेवति—किसी के द्वारा भोगोपभोग म नहीं लिया हुआ पदार्थ
१२. अनुत्तर—सर्व श्रेष्ठ, जिसकी समानता करनेवाला दूसरा पदार्थ न हो
१३. अनुमोदन—समर्थन
१४. अनेषणीय—आधाकर्म आदि दोष युक्त, अशुद्ध पदार्थ
१५. अन्तराय—विघ्न, पुस्तुकार्य करने पर भी इच्छित वस्तु का नहीं मिलना
१६. अपक्व—कच्चे
१७. अपुस्तुपान्तरकृत—जिस पदार्थ को दूसरे व्यक्ति ने अपने उपभोग में नहीं लिया हो।
१८. अप्कायिक—पानी के जीव
१९. अप्रमत्त—प्रमाद से रहित, निरन्तर सावधान रहना
२०. अभिग्रह—किसी पदार्थ विशेष को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना
२१. अभिलाषा—इच्छा, कामना
२२. अर्द्ध योजन—चार मील
२३. अर्ध पक्व—जो पदार्थ पूर्ण रूपसे नहीं पक्का हो
२४. अल्पारंभी—महा-हिंसा से दूर रहनेवाला गृहस्थ
२५. अवग्रह—पदार्थ, साधु के ग्रहण करने योग्य वस्तुएँ

२६. अवाधि ज्ञान—मन और इंद्रियोंकी सहायता के बिना मर्यादित क्षेत्र में स्थित रूपी पदार्थोंको जानने-देखनेवाला ज्ञान
२७. असत्यामृपा—व्यवहार भाषा, झूठ और सत्य से रहित लोक व्यवहार में बोली जानेवाली भाषा
२८. असंख्यात—सख्यातीत, जिसकी कोई संख्या या गणना न हो
२९. असंस्कृत—संस्कार हीन, असभ्य
३०. अशस्त्र—परिणत—शस्त्र के प्रयोग से रहित, जिस पदार्थ पर शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ हो
३१. आगम—शास्त्र, सूत्र, आप्त वाणी
३२. आघर्षण—प्रघर्षण—विशेष रूप से घर्षण करना, रगड़ना
३३. आचार्य—संघ के शास्ता—सचालक
३४. आर्जावक—गोशालक के मत के साधु या श्रावक, गोशालक का मत
३५. आधाकर्म—साधु के निमित्त से बनाया गया आहार, पानी, मकान आदि
३६. आवृत्त—आच्छादित, ढका हुआ, भीड़ से युक्त मार्ग
३७. आसेवित—जिस पदार्थ को गृहस्थ ने अपने काम में ले लिया है
३८. आस्त्रव—कर्म वर्गीणा के पुद्गलों के आने का मार्ग
३९. इर्या समिति—भलीभाँति देखकर एव प्रसार्जन करके चलना
४०. उत्सर्जन—त्याग करना, फेंकना
४१. उपरत—निवृत्त, पाप कार्यों से हटा हुआ
४२. उपसर्ग—देव, मनुष्य या पशु पक्षी द्वारा दिए जाने वाले कष्ट
४३. उपस्कृत—बनाए हुए, तैयार किए हुए
४४. उपाध्याय—श्रमण-संघ के श्रमण-श्रमणियों के शिक्षक
४५. उपाश्रय—साधु-साधियों के ठहरने वा रहने का

- ४६ ऋजु गति—सरल एव सीधी गति
- ४७ ऋषभदेव—जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या अवतार
- ४८ एषणीय—आधाकर्म आदि दोषों से रहित पदार्थ
- ४९ औदारिक शरीर—हाड मांस आदि औदारिक वर्णों के पुद्गलों—परमाणुओं से बना हुआ शरीर
- ५० औद्देशिक—साधु-साध्वी के उद्देश्य से बनाए गए पदार्थ
- ५१ कायोत्सर्ग—मन, वचन एव काय के व्यापार का त्याग करके आत्म चिन्तन में संलग्न होना, ध्यान
- ५२ क्रियावादी—केवल क्रिया को ही मुक्ति का मार्ग माननेवाले विचारक
- ५३ केवल ज्ञान—लोक में स्थित समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों एव भावों को जानने-देखने वाला ज्ञान, पूर्ण ज्ञान
- ५४ गच्छ—सप, सम्प्रदाय
- ५५ ग्राम धर्म—प्रस्तुत प्रथम में इसका अर्थ भ्रैधुन है
- ५६ ग्राम पिंडोलक—भिलारी
- ५७ गीतार्थ—आगम एव द्रव्य, क्षेत्र, वाक् और भाव को सम्यक् रूप से जाननेवाला साधक
- ५८ गुप्ति—मन, वचन और काय—शरीर को गोप्य कर रतना
- ५९ गोघरी—भिमानरी
- ६० ज्ञानवादी—ज्ञान मात्र को मुक्ति का कारण माननेवाले विचारक
- ६१ घातक कर्म—आत्म के मूल गुणों की घात करने वाले ज्ञानारण, दर्शनारण, मीहिनीय और अन्तराय कर्म
- ६२ घरक साद्विता—आयुर्वेद का एक ग्रन्थ
- ६३ चित्मिच्छा—मच्छरवादी
- ६४ योग्यदृक्—घोड़ी के स्थान में बैठने का बल
- ६५ छद्म भवन—दो तिन का उपवास, देण
- ६६ छ वज्र—दूषी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और प्रम—दी द्रव्यदि और
- ६७ जिनकल्पी—जिन अर्थात् तीर्थंकर के समान आचार का परिपालन करने वाले मुनि
- ६८ तीन करण—वृत्त, कारित और अनुमोदित, किसी कार्य को करना, करवाना और उसका समर्थन करना
- ६९ तीन योग—मन, वचन और काय—शरीर
- ७० त्रस जीव—त्रास प्राप्त होने पर दुःख से बचने के लिए मुख के स्थान पर आ—जा सकने वाले प्राणी, दीन्द्रिय, तन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव
- ७१ दीक्षाचार्य—साधुत्व की दीक्षा देने वाले आचार्य
- ७२ दीक्षार्थी—सपम—साधना स्वीकार करने का इच्छुक साधक, वैरागी
- ७३ देव—छन्दक—देवोंद्वारा निर्मित चांतरा
- ७४ नय—वस्तु में स्थित अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म को लक्ष्य करके समझना
- ७५ निगोद काय—वनस्पति के जीवों की एक जाति
- ७६ निघट्ट—आयुर्वेद का एक ग्रन्थ
- ७७ निरावरण—आवरण से रहित
- ७८ निर्मथ—द्रव्य और भाव प्रत्येक परिग्रह अथवा धन—धान्य आदि पदार्थों एव क्राधादि कर्मायों से निवृत्त साधु
- ७९ निर्जरा—बन्धे हुए कर्मों का एक देश से क्षय होना
- ८० निर्वान—बन्धे हुए कर्मों का सपमा क्षय करके कर्म—बन्धन से मुक्त होना
- ८१ निष्याघात—भ्याघात रहित
- ८२ परटना—विदेकपूर्वक डाल देना, फँकना
- ८३ परीपट—भूत, प्यास, हीत, उष्ण, इहमंग आदि कर्म
- ८४ प्रकाम भोजन—विकारोत्पादक सख आहार
- ८५ प्रणीत इत—सख पदार्थ
- ८६ प्रतिप्रमज—ति एवं राग में लगे हुए दोषों की क्षणोत्ता
- ८७ प्रतिलेखित—अग्नी भौति देगे हुए पदार्थ

८८. प्रवर्तिनी-साध्वी संघ की संचालिका, आचार्या
८९. पश्चात् कर्म-साधु-साध्वी को आहार आदि पदार्थ देने के बाद पुनः अपने लिए आहार आदि बनाना
९०. पंडक-नपुंसक, हिंजडा, पुरुषत्व एवं नारीत्व से रहित
९१. प्रासुक-दोष रहित, शुद्ध पदार्थ
९२. पार्श्वपत्य-भगवान् पार्श्वनाथ के अपत्य-उपासक या श्रावक
९३. पार्श्वस्थ-शिथिल आचारवाले, ढीले-पासत्ये
९४. पिंडैषणा-आहारदि की गवेषणा करना
९५. पुद्गल-परमाणु या परमाणुओं के मेल से बना हुआ स्कंध
९६. पुरीष-मल-मूत्र
९७. पुरुषान्तरकृत-नव निर्मित स्थान-मकान आदि, जिनका गृहस्थ ने उपयोग कर लिया है
९८. भक्त-पान-आहार-पानी, खाने-पीने के पदार्थ
९९. भक्त-प्रत्याख्यान-जीवन पर्यन्त के लिये आहार-पानी का त्याग करना
१००. मतिज्ञान-मन और इंद्रियों की सहायता से होनेवाला सम्यग्ज्ञान
१०१. मनःपर्यव ज्ञान-दाईं द्वीप-समुद्र मे स्थित सजी-मन युक्त पञ्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने-देखनेवाला ज्ञान
१०२. मातृ स्थान-माया, छल-कपट
१०३. मिश्र भाषा-जिस भाषा में सत्य और असत्य का मिश्रण हो
१०४. मुक्ति-कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होना, मुक्त जीवों के रहने का स्थान
१०५. मुखवस्त्रिका-वायु काय के जीवों की रक्षा के लिए मुँह पर बान्धने का वस्त्र
१०६. मोक-मूत्र
१०७. मोह-सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का अवरोधक, राग-द्वेष, आसक्ति
१०८. योग-मन, वचन और काय-शरीर
१०९. योनि-संसारी जीवों के उत्पन्न होने का स्थान
११०. रत्नाधिक-अपने से दीक्षा में ज्येष्ठ मुनि
१११. लेइया-मन के परिणाम
११२. वर्द्धमान-भगवान् महावीर का जन्म के समय माता-पिता द्वारा दिया गया नाम
११३. वाचनाचार्य-आगमों का अध्ययन कराने वाले आचार्य
११४. विकथा-व्यर्थ की कथा-वार्तालाप, विकारो-त्पादक कथा
११५. विराधना-संयम एवं सम्यग्दर्शन में दोष लगाना
११६. विहार-साधु-साध्वी का एक गाँव से दूसरे गाँव को पैदल जाना
११७. वृत्तिकार-आगमों की सक्षिप्र व्याख्या करने वाले
११८. वेदनीय कर्म-जिस कर्म के उदय से प्राणी सुख-दुःख का संवेदन करता है
११९. सचित्त-सजीव-जीव युक्त, सचेतन-चेतना युक्त
१२०. सद्धर्म मण्डन-जिसमें वीतराग प्ररूपित सत्व धर्म का वर्णन है, स्व. आचार्य श्री जवाहरलालजी म. द्वारा रचित ग्रन्थ
१२१. सन्निवेश-मोहल्ला
१२२. समिति-विवेक पूर्वक, चलने, बोलने, आहार ग्रहण करने, उपकरण लेने-रखने, मल-मूत्र का त्याग करने आदि की क्रियाएँ करना, विवेक पूर्वक की जाने वाली शुभ प्रवृत्ति
१२३. सर्वभावदर्शी-विश्व में स्थित समस्त पदार्थों के भावों एवं पर्यायों का ज्ञाता
१२४. सर्वज्ञ प्रणीत-सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित या उपदिष्ट
१२५. सहधर्मी-समान धर्म या आचार वाला
१२६. सागार-घर-बार सहित गृहस्थ, श्रावक
१२७. सागारिक संथारा-आगार सहित जीवन पर्यन्त अनशन व्रत स्वीकार करना

- १२८ साप्त-अन्त सहित, सीमा युक्त, जिसका अस्त होता है /
- १२९ सामायिक-४८ मिनट या जीवन पर्यन्त के लिए की जाने वाली समभाव की साधना
- १३० सुश्रुत संहिता-आयुर्वेदका एक ग्रन्थ
- १३१ सङ्कष्ट कर्म-तीव्र कष्ट, प्रगाढ आसक्ति पूर्वक वाधे गए कर्म
- १३२ सधारा-जीवन पर्यन्त के लिए आहार पानी एवं पाप कर्मों का त्याग करना
- १३३ सलेखना-आत्मा का सम्पक् प्रकार से लेखन अवलोकन करना, कष्टों को पतल्य करना
- १३४ सधर कर्मों के आगमन को रोकने की साधना
- १३५ सस्तारक-पाठ पूरा का बिजौना, तृण शय्या
- १३६ स्तय-चौर्य कर्म
- १३७ स्थावर-स्थिर काय वाले प्राणी-जिनके सिर्फ काया शरीर ही होता है
- १३८ स्थण्डिल भूमि-शौच जाने का स्थान
- १३९ शय्यातर-छाधु को मकान की आज्ञा देने वाला
- १४० शस्त्र परिणत-जो पदार्थ शस्त्र के प्रयोग से अचित्त हो गया है
- १४१ पद् जीवनिकाय-पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय जीव
- १४२ श्रमण-ऋषयों ने उपशान्त करने वाला तथा समभाव की साधना करने वाला साधु
- १४३ श्रमणोपासक-श्रमण की उपासना करने वाला
- १४४ श्रुतज्ञान-द्वादशांगी का ज्ञान, सभ्य दर्शन और ज्ञान
- १४५ श्रोत्रेन्द्रिय-कान
- १४६ हरित काय-हरियाली, वनस्पति

